



# हजारीप्रसाद टिवेदी ग्रन्थावली

संदान्तिक विवेचन

लालित्य तत्त्व, माहित्य का मर्म, साहित्य का साधी,  
नाट्यशास्त्र की भारतीय परम्परा  
प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद



सुजारामसाहृदिवेति

राघवाकली

संक्षिप्तानल्ल प्रसादन

नामांकनं शक्तिः

संक्षिप्तानल्ल प्रसादन

**मूल्य : रु. 75.00**

**© डॉ. मुहुर्न्द द्विवेदी**

**प्रथम संस्करण : अगस्त, 1981**

**प्रकाशक : राजस्थान प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड,  
8, नेताजी मुमाय मार्ग, नयी दिल्ली-110002**

**मुद्रक : रविका प्रिण्टर्स, दिल्ली-110032**

**प्रसारण : मोहन गुप्त**

**RAZARIPRASAD DWIVEDI GRANTHAVALI  
Price : Rs. 75.00**



“आज मेरा हृदय कहता, क्यों न लिख दो एक कविता; आग बरसा दो न  
क्यों तुम, ताकि होवे भस्म यह मर्दानगी जिसने कि है अन्धेर ढाया !”  
—बोलो, काव्य के ममंज



“अपेक्षे मे आत्माराम या प्राणराम होना भी एक प्ररार का स्वार्थ ही है।”

— अनामदाम का पोणा

‘लालित्य तत्त्व’ की प्राण्डलिपि को एक पृष्ठ

जहा अंगरू - विष्णु-वास, दोहो सूर्य उत्तरीमें हुआ है  
द्वितीय-द्वितीय अपनी जन्म-दिन रखते हैं ग्रहों - चंद्र १८ दिनों के हैं  
सिंह-विश्वामित्र द्वितीय वास है । विश्वामित्र के द्वितीय वास विश्वामित्र  
जहाँ पाहते वहा भावना पूर्ण हो आदि अंगरू के कर्मण-कुरुक्षेत्र पहले  
भाग हैं । इसी दिन मुख्य विश्वामित्र है ; यह लोकुम् शाला, एवं  
तीर्थ-गार्वांशक अंगरू कुरुक्षेत्र अपेक्षित, उपरे भाग के बाह्य-भृगु-  
विश्वामित्र हैं । वहाँ भारतवर्ष के होते हैं ; उच्च घासों ते, उच्च वृक्षों  
से, उच्च गोड़ों ते और उच्च होते ओं से बनते हैं । इहैं दूसरे : रोम,  
काशीस (काशी), लोटीय (लोटीय), लक्ष्मीव (काशी) वहो हैं । इहैं  
प्रथमीय कुरुक्षेत्र से जहाँ वाहन द्वारा दिव्य-विश्वामित्र, कर्मण विश्वा-  
मित्र को विश्वामित्र के द्वारा विश्वामित्र का वाहन, लाजुः अपार्व विश्वा-  
मित्र ; विश्वामित्र कर्मण है, उत्तरी द्वितीय उत्तरी उत्तरी विश्वामित्र ;  
ग्रीष्म अंगरू भावना के भौद्र द्वे के जला भावना के वी इत्तेहैं । विश्वामित्र  
द्वे से वहो कुल अवश्यक होते ही भावना भावना के वी अवश्यक । विश्वा-  
मित्र - कर्मण + उत्तरी द्वे भावना भौद्र होते हैं । कर्मण से विश्वामित्र  
विश्वामित्र होते हैं ।

? नी" करे सकता है अद्य है जहां आंखें होते हैं / मौजूदा  
देख से लोकुल अलंगारे की पांचि माला के भी अलेप्पा-प्रिया-  
मीन-कुण्डा + उलौट से लोभद होते हैं / क्रमेक से वृत्तिगती  
अप्रवित लोकाले माला हैं इसे हैं । १८८५ बुल भारत  
उपर्युक्त जल्दी के अन्त गई होते हैं — बोलित अपरिज्ञ जो लम्हों के अंग  
? ने छोड़ते हैं एक लाल चारों ओं पिलाटि भारत के विषय होते हैं ;  
अपेक्षुओं के लम्हों से लिखा जाता है शंखाच बढ़ते हैं ; विषय  
में विषय गाहियां को विषय लूट लाते हैं , यिन्हें उपर्युक्त  
१) अपरिज्ञ लूटते हैं , वेळों वेळों लूटते हैं ; अपरि-  
युक्त सभी लाल को मालों और लूटों के लुभावना (सकन  
गदते हैं । लम्ही-कुड़ा-चंदा-कटि-कुरु-कुलक-लकड़ा ?  
— लाल - (लाल - लोक - लालक - अलंग - लोहेचा  
प्रवित से संतुष्ट अलंग होते हैं । लुधियां ; देव विहार,  
श्रीकंठारा आदि भोजनास्त्र अलंग हैं । उलौटि अलंग  
दो लम्हों होते हैं — (१९) लम्हों की लिखा । विषय अलंग  
अलंग, मालियां जह अलंग भावते हैं । अलंग अलंग विषय  
पराहूर, लाल, लुधि, लालक, लालकियां, लालक-  
लाल, लोकीलालियों की लिखा लहते हैं ; इन लक्ष्य के साथ  
ने लेव लहते हैं । २० लेव देवकाली कलारे लोकी लेव  
ने लालकाली के लेव हैं (अलंग लोकीलालियों होते हैं । २१) ल  
लालकाली, लम्ही लालक एवं लम्हित लालक, लालकीलालियों  
लालकाली लालकीलीहैं

‘प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद’ की पाण्डुतिपि का एक पृष्ठ

प्रातः स्मरणीय आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी के समग्र साहित्य को एक सूत्र में अनुस्यूत करके हिन्दी-पाठकों को समर्पित करते हुए हमें अत्यधिक आनन्द का अनुभव हो रहा है। स्वर्गीय आचार्यजी के मन में अनेक परिकल्पनाएँ तथा योजनाएँ थीं जिन्हें कार्यान्वित करने के लिए वे निरन्तर क्रियाशील थे। परन्तु नियति-निर्णय से उन्हें अधूरी ही छोड़कर वे चले गये हैं। हजारीप्रसाद द्विवेदी ग्रन्थावली की प्रकाशन-योजना उसी समूर्णता की शृंखला की पहली कड़ी है।

आचार्यत्व की गरिमा से दीप्त आचार्य द्विवेदी का व्यक्तित्व और उनकी अपार सर्जनात्मक क्षमता किसी भी पाठक को चमत्कृत और अभिभूत करने के लिए पर्याप्त है। मनोपियों की दृष्टि में वे चिन्तन और भावना दोनों ही स्तरों पर महत्व-विन्दु पर भासमान हैं। उनकी रचना-दृष्टि समय के आरपार देखने में समर्थ थी। इतिहास उनकी सेखनी का स्पर्श पाकर अपनी समस्त जड़ता खो बैठा और सतत् प्रवाहित जीवनधारा साहित्य में हिलोलित हो उठी, जो तीनों कालों को जोड़ देती है।

आचार्य द्विवेदी की बहुमुखी जीवन-साधना ने हिन्दी वाङ्मय के एक पूरे और विशाल युग को प्रभावित किया है। वे संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश तथा हिन्दी और बांग्ला साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान् थे। साथ ही, अंग्रेजी साहित्य का भी व्यापक धरातल पर उन्होंने परिशोलन किया था और अंग्रेजी भाषा के माध्यम से ग्रीक साहित्य का भी रसास्वादन किया था। अगाध पाण्डित्य में सहजता का मणिकांचन योग उन्हें सामान्य मानव की भूमिका में प्रतिष्ठित कर देने की क्षमता प्रदान कर देता था और वे अनायास ही जनहृदय से स्पन्दित और आनंदोलित हो उठते थे। उनका विद्वान् सरलता से सजग हो उठता था। वे प्रत्येक मन में विराजमान हो जाने की अपूर्व भेदा के धनी हो जाते थे।

आचार्यजी की इन्हीं अद्वितीय प्रवृत्तियों को स्थायी रूप देने के लिए इस ग्रन्थावली की योजना बनायी गयी है। विषय और विधा दोनों दृष्टिकोणों को साथ रखकर विभिन्न खण्डों का विभाजन किया गया है। कुल मिलाकर ये ग्यारह खण्ड हैं—

1. पहला खण्ड : उपन्यास-1
2. दूसरा खण्ड : उपन्यास-2
3. तीसरा खण्ड : हिन्दी साहित्य का इतिहास
4. चौथा खण्ड : प्रमुख सन्त कवि
5. पाँचवाँ खण्ड : मध्यकालीन साधना
6. छठवाँ खण्ड : मध्यकालीन साहित्य
7. सातवाँ खण्ड : लालित्य तत्त्व एवं साहित्य मर्म
8. आठवाँ खण्ड : कालिदास और रवीन्द्र
9. नवाँ खण्ड : निबन्ध-1
10. दसवाँ खण्ड : निबन्ध-2
11. ग्यारहवाँ खण्ड : विविध साहित्य

ग्रन्थावली को कमबद्ध करने में अनेकों समस्याएँ आयी हैं। निबन्धों का विभाजन भी निबन्ध-संग्रह तथा तिथि-क्रम के आधार पर न करके विषय के अनुसार ही किया गया है। निबन्ध के अन्त में मूल निबन्ध-संग्रह का नाम दे दिया गया है। ग्रन्थावली अधिकाधिक उपयोगी हो सके, इस बात को ध्यान में रखकर ऐसा किया गया है। कवीर, मूर और तुलसी के अतिरिक्त कालिदास और रवीन्द्रनाथ ठाकुर से आचार्यप्रबर प्रायः अभिभूत रहे हैं, अतः दोनों महाकवियों से सम्बद्ध सामग्री एक ही खण्ड में दे दी गयी है। अन्तिम खण्ड में विविध प्रकाशित एवं अप्रकाशित सामग्री संकलित है। आचार्य द्विवेदी ने प्रारम्भ में काव्य रचनाएँ भी की थीं और अनेक अनुवाद भी। उन्हें यहाँ समाहित कर दिया गया है।

इस विशाल योजना की परिपूर्णता में अनेक लोगों ने अपना अमूल्य सहयोग दिया है जिसके बिना निश्चय ही यह कार्य पूर्ण नहीं हो पाता। उन सबके प्रति हम हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करते हैं। पं. राजाराम शास्त्री ने अप्रकाशित ज्योतिःशास्त्र एवं साहित्य-शास्त्र सम्बन्धी रचनाओं के विषय में परामर्श दिया; और श्री महेशनारायण 'भारतीभक्त' ने मुद्रणप्रतितेयार करके हमारे दायित्व को आसान बनाया। हम इन दोनों को साधुवाद अर्पित करते हैं। श्रीमती शीला सन्धू और राजकमल प्रकाशन से सम्बद्ध सभी व्यक्तियों ने जिस तत्परता और रुचि से इस योजना को सम्पूर्ण कराया है, वह प्रशংসनीय है।

इन शब्दों के साथ आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी का समूर्ण रचना-संसार ग्रन्थावली के रूप में, हम बृहद् हिन्दी विद्य परिवार को समर्पित करते हैं। इसमें ज्ञानधारा एवं रससूटि में थोड़ा भी विकास सम्भव हुआ तो हम अपने को कृतकार्य मानते हैं।

<b>लालित्य तत्त्व</b>	<b>17-93</b>
प्रस्तावना	19
कलाकार की सिसूक्षा और सजंन-सीमा	39
सिसूक्षा का स्वरूप	54
वाक् तत्त्व और विनायक धर्म	77
लालित्य-सजंना और विविक्तवर्णी भाषा	81
<b>साहित्य का मर्म</b>	<b>95-160</b>
साहित्य-विचार में प्राचीन ग्रन्थों का महत्त्व	97
साहित्य का मर्म	119
मानव-सत्य	140
<b>साहित्य का साथी</b>	<b>161-309</b>
साहित्य	163
साहित्यकार	168
जातीय (राष्ट्रीय) साहित्य	179
नवा दृष्टिकोण	183
साहित्य का व्याकरण	187
कविता	199
उपन्यास और कहानी	223
नाटक	246
साहित्यिक समालोचना और निबन्ध	264
रस क्या है ?	277
साहित्य का नवा रास्ता	285
कथा-आख्यायिका और उपन्यास [एक व्याख्या]	291
<b>नाट्यशास्त्र की भारतीय परम्परा</b>	<b>311-361</b>
प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद	363-527



उत्तम लेखक समाज की जटिलताओं पी तह में जाकर उसे समझता है और वही से अपनी विशेष दृष्टि पाता है ! यदि कोई लेखक केवल परम्परागत रुद्धियों को—सत् और असत् की निर्धारित मीमांसाओं को—विना विचारे ही उपन्यास या कहानी लिखने चैठता है तो वह वड़ी कृति नहीं दे सकता । उसे हमेशा जटिलताओं को चीरकर भीतर देखने का व्रत लेना पड़ता है । ऐसा करने के बाद यदि वह रुद्धियों को ही सत्य समझे तो फोई हज़ं नहीं, परन्तु सच्चाई उसकी अपनी आँखों देखी होनी चाहिए । इसके बिना वह वड़ी कृति नहीं पैदा कर सकता ।\*\*\*

मेरे बहने का यह मतलब नहीं कि दुनिया के दुःख और अवसाद से आँख मूँद ली जाय । आँख मूँदनेवाला वड़ा लेखक नहीं हो सकता । परन्तु लेखक से यह आशा करना विल्कुल असंगत नहीं है कि वह दुःख, अवसाद और कष्टों के भीतर से उस मनुष्य की सृष्टि करे जो पशुओं से विशेष है, जो परिस्थितियों से जूझकर ही अपना रास्ता साफ करता आया है, जो सत्य और कर्तव्य-निष्ठा के लिए किसी की स्तुति या निन्दा की विल्कुल परवा नहीं करता । इन्हीं वातों से उपन्यास वड़ा होता है, काव्य महान् होता है, कहानी सफल कही जाती है ।

— साहित्य का साथी  
‘ उपन्यासली-7, पृ. 232/237

सम्मता की वृद्धि के साथ-नाथ सामाजिक नियमों के विधि-नियेंद्रों का अस्वार लग जाता है। भाषा इन विधि-नियेंद्रों को दीर्घस्थायी और बाद में निष्ठादेश्य बनाकर भी जिलाये रहती है। यही द्वन्द्व शुरू होता है। मानव द्वारा इच्छित समाज-व्यवस्था और प्रकृति द्वारा प्रदत्त सहज धर्म का संघर्ष शुरू होता है। उस समय अभिव्यक्ति भी इच्छित प्रयत्नों का माध्यम सोजती है। आत्माभिव्यक्ति का यह इच्छित प्रयत्न ही कलाओं के रूप में प्रकट होता है। इच्छित होने के कारण ही वह अभ्यास और नैपुण्य की अपेक्षा रखती है। कविता में, चित्र में, मूर्ति में वह बहुविचित्र आकार ग्रहण करती है। परन्तु इतना ही सब-कुछ नहीं है। और भी बातें हैं।

—लालित्य तत्त्व  
ग्रन्थावली-7, पृ. 65

# हजारीप्रसादद्वियेदी ग्रन्थावली

7







## प्रस्तावना

पश्चिमी देशों में सौन्दर्य-तत्त्व पर काफी चर्चा हुई है। भारतवर्ष में इस प्रकार के किसी अलग शास्त्र की कल्पना नहीं की गयी परन्तु काव्य, शिल्प, चित्र, मूर्ति, संगीत, नाटक आदि की आलोचना के प्रसंग में और विविध आगमों में ‘चरम सुन्दर तत्त्व’ की महिमा बताने के बहाने इसकी चर्चा होती अवश्य रही है। संसार के मनोपियों ने दो प्रकार से इस तत्त्व की मीमांसा की है। मोटे तौर पर एक को दार्शनिक-पद्धति कह सकते हैं और दूसरे को वैज्ञानिक-पद्धति। दार्शनिक दृष्टि से तत्त्व-मीमांसा करनेवाले आचार्यों में भारतीय तत्त्वद्रष्टा और उन्हीं के समान अन्य देशों के तत्त्वद्रष्टा आ जाते हैं। दर्शन का अर्थ है देखना। सबका देखना सही देखना नहीं होता। आंखें ठीक न हों, दिमाग दुरस्त न हो, मन चंचल हो तो देखनेवाला ठीक-ठीक नहीं देख पाता। तत्त्वज्ञान के द्रष्टा के लिए भी सम्यक्-दृष्टि आवश्यक होती है। जिसका मस्तिष्क विकृत हो, चित्त ममता और अहंकार से ग्रस्त हो, वह सम्यक्-दृष्टिवाला नहीं हो सकता। इसलिए सही देखनेवाला वह है जिसका अन्तर और बाहर निर्मल हो, जो राग और द्वेष से मुक्त हो, जो भय और आनंद का शिकार न हो, जिसका मन योग से शुद्ध हो। ऐसा मनुष्य जो देखता है वह ठीक देखता है। भारतीय परम्परा में पुराण-ऋणियों को ऐसा ही माना गया है। वे सच्चे द्रष्टा थे। वाद में जिन लोगों को तत्त्वद्रष्टा समझा गया, उनके बचन भी पुराण-ऋणियों की वाणी के अनुकूल होने पर ही ग्राह्य माने जाते हैं। संमार के अन्यान्य देशों में भी बहुत-नुच्छ ऐसा ही माना जाता रहा है। यह पद्धति बहुत-नुच्छ आदर्श की पद्धति है। सब समय इस क्षेत्री पर वरे उत्तरनेवाले तत्त्वद्रष्टा कितने मिलते हैं? जिन ऋणियों और आचार्यों का बहुत मान है, उनमें भी मतभेद मिल ही जाते हैं। फिर भी संसार की विभिन्न गांम्हारिक परम्पराओं में इन प्रकार के ‘द्रष्टा’ माने जाते रहे हैं। वे अपने आनंदिक शूद्ध दृष्टि में तत्त्व का मात्रात्कार करते हैं, या करने का दावा करते हैं और विभिन्न दार्शनिक वादों और निष्कर्षों का प्रवर्त्तन करते हैं। यही दृष्टि व्यापक अद्यां में दार्शनिक पद्धति है। दूसरी पद्धति

वैज्ञानिक कही जाती है। ज्ञात तथ्यों के आधार पर अज्ञात तथ्यों का पता लगाना और इस प्रकार से नवज्ञात तथ्यों से इतर अज्ञात तथ्यों को खोज निकालना इसका मार्ग है। दार्शनिक पद्धति तो द्रष्ट्-सापेक्ष होती है, पर वैज्ञानिक पद्धति द्रष्ट्-निरपेक्ष।

जहाँ तक स्थूल वस्तुओं का सम्बन्ध है, वैज्ञानिक पद्धति बहुत सफल और समीचीन सिद्ध हुई है। उन्नीसवीं शती के उत्तराधं में विज्ञान को जड़ विज्ञान मा मैटीरियल साइंस कहने की जो प्रथा चल पड़ी, उसके मूल में विद्वानों की यह उपलब्धि थी कि पदार्थ-विज्ञान या रसायन-शास्त्र के नियम केवल जड़ तत्त्वों की खोज के लिए ही उपयोगी हो सकते हैं। जीव-न्तत्व मा मनस्तत्व के नियम मिल हैं। परन्तु यह प्रतिक्रिया बहुत स्थायी नहीं हुई। क्रमशः जीव-विज्ञान और मनो-विज्ञान भी वैज्ञानिक की प्रयोगशाला में उलझते गये, बयोकि यह अनुभव किया जाने लगा कि ज्ञात वस्तुओं में किसी को एकान्त सूक्ष्म और एकान्त जड़ नहीं कहा जा सकता। स्थूल और सूक्ष्म भी सापेक्ष शब्द हैं। एक वस्तु किसी एक की अपेक्षा सूक्ष्म भी हो सकती है और दूसरी किसी एक की अपेक्षा स्थूल भी। इसी प्रकार विशुद्ध जड़ और विशुद्ध चेतना भी केवल मानस-धारणा मात्र हैं। इस प्रकार प्रयोगशाला का दायरा निरन्तर बढ़ता गया, उसकी गिरफ्त में आनेवाले पदार्थों की संख्या और श्रेणी भी बढ़ती गयी। कठिनाई केवल उन थोनों में दिखी जिनमें वस्तु के सामग्र्यभाव का विवेचन होता है। 'सुन्दर' एक समग्र भाव की अनुभूति है। क्या वह द्रष्ट्-सापेक्ष है? कुछ हद तक वह द्रष्ट्-सापेक्ष है, इसमें कोई शक नहीं, परन्तु सब समय उसे ऐसा नहीं कहा जा सकता। कालिदास ने जब कहा था 'किमिव हि मधुराणा मण्डनं, नाकृतीनाम्' (कीन-सी वस्तु है जो मधुर आकृतियों का मण्डन नहीं बन जाती), तो उन्होने क्या यह नहीं कहना चाहा था कि सुन्दर सब अवस्थाओं में सुन्दर ही होता है? वस्तुतः कालिदास ने दोनों वातें लक्ष्य की थी। (1) सुन्दर सबके लिए सुन्दर होता है, पर (2) उनके लिए अधिक सुन्दर होता है जिनसे उसका लगाव होता है। उर्वशी अपनी उन सखियों के लिए, जिनका उसके साथ आइं सौहृद भाव था, अधिक आकर्षक थी; पर सयोग से एक क्षण के लिए भी जिसने उसे देख लिया हो ऐसे सफल-नयनद्रष्टा के लिए भी कम आकर्षक नहीं थी :

यदृच्छ्या त्वं सकृदप्यवन्धव्योः

परिस्थिता सुन्दरि यस्य नेत्रयोः ।

त्वया विना सोऽपि समुत्सुको भवेत्

सखीजनस्ते किमुतार्द्दसीहृदः ।

ऐसे सामग्र्य-भाव को प्रयोगशाला का विषय कैसे बनाया जा सकता है? इसी प्रकार का एक भाव 'प्रेम' है। राधा ने कभी कहा था कि प्रेम ऐसी वस्तु है जिसका विवेचन-विश्लेषण करो तो मूल वस्तु ही गायब हो जाती है और न करो तो उसका स्वरूप किसी को समझाना ही दुष्कर है—“प्रेमा हि कोऽपि पर एव-

विवेचने सत्यन्तरदंधात्यलमसावविवेचनेऽपि ।” सो प्रेम और सौन्दर्य-जैसे पदार्थ प्रयोगशाला के विषय कैसे बन सकते हैं? फिर भी आधुनिक विद्वान् इन वस्तुओं की जानकारी के लिए भी वैज्ञानिक पद्धति का व्यवहार करते ही हैं। यह सारा चराचर जगत् ही इस प्रकार के साम्प्रदय-भाव के अध्ययन की प्रयोगशाला है। यह जो जीवन का वहुविचित्र प्राप्ति है उसमें उन्नति की विभिन्न सीढ़ियों पर खड़े मनुष्य है, इतर प्राणी हैं, उनके मध्ययन से सौन्दर्य-बोध की क्रमशः विकसित होनेवाली प्रक्रिया को समझा जा सकता है, प्रेम के आदिम और मध्यवर्ती रूपों का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, और इस प्रकार ज्ञात से अज्ञात की जानकारी प्राप्त करने का रास्ता खोजा जा सकता है। आधुनिक विवेचक इन भावनाओं के मूल रूप और विकास-क्रम के लिए अपने को एकदम असहाय नहीं पाता।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि आधुनिक युग में संसार के विभिन्न भागों में वसनेवाले लोगों की जितनी जानकारी प्राप्त हुई है, उतनी पहले कभी नहीं थी। नपी जानकारियों ने मानव-चित्त की धारणाओं को समझने के लिए अनेक नये उपादान जुटाये हैं। विचारशील व्यक्तियों को इन्होंने नये सिरे से सोचने के लिए विवश किया है। ऐसा तो कोई समय नहीं रहा होगा जब मनुष्य में सौन्दर्य-बोध न रहा हो और उसे उसने अपनी बाणी या कल्पना-संज्ञा के द्वारा मूर्त रूप देने का प्रयास न किया हो। परन्तु सब प्रयासों के साथ उपलब्ध नहीं होते। कुछ उपलब्ध भी होते हैं, तो सब समय उनका अर्थ समझना आसान नहीं होता। परिस्थिति-विशेष का माध्यम चाहे वह बाणी हो, चित्र हो, मूर्ति हो—परिस्थिति के परिवर्तन के साथ अस्पष्ट और दुरुह हो जाता है, काल के व्यवधान के कारण प्रतीकों के अर्थ अपने मूलरूप में उपलब्ध नहीं होते। प्रतीक पूरी इच्छा-शक्ति को कभी अभिव्यक्त नहीं कर पाते। कालान्तर का मनुष्य कुछ अपनी ओर से जोड़-घटाकर उसे समझने का प्रयत्न करता है। इन बातों का परिणाम यह होता है कि व्यवधान के बढ़ते जाने से मूल प्रयास के अर्थ में भी परिवर्तन होता जाता है। निश्चित रूप से कहना कठिन है कि वैदिक ऋचाओं का जो अर्थ हम आज समझते हैं वही मूल अभिप्रेत अर्थ है या नहीं। परन्तु फिर भी आधुनिक काल का विचारक दावा करता है कि वह मध्यकाल के विचारक की अपेक्षा अधिक अवित्त और सही अर्थ समझता है। यह दावा सगत है या नहीं, इस पर तो हम अभी कुछ नहीं कहें, पर यह जानना उपयोगी होगा कि किन कारणों से आधुनिक विचारक इतना माहसी हो सका है। इन कारणों की जानकारी उपयोगी भी है और प्रस्तुत प्रसंग के लिए आवश्यक भी। सब्लेप में उनका उल्लेख करना आवश्यक है। आधुनिक काल में जड़विज्ञान और शिल्पतन्त्र के विकास ने यातायात के लिए सुविधाएँ उत्पन्न की हैं। अठारहवीं शताब्दी के आरम्भ से ही दूर-दूर के द्वीपों और देशों में यूरोपियन नोग पहुँचने लगे। उनमें बहुत ऐसे थे जो विभिन्न देशों और द्वीपों में रहनेवाले लोगों की रीति-नीति, आचार-विचारों को समझने और लिपि-बद्ध करने का प्रयत्न करते थे। इनमें अधिकांश तो कुतूहलवश ही निखते थे,



दृष्टि में महत्वपूर्ण परिमाजन हुमा। सोकन्वैतर्ती ने अभिजात, माहित्य को, यथोऽपि परिक्रेद्य में देखने की दृष्टि दी और मानव-विज्ञान, नैसिंहित्य, मुनियु-जाति को एक और प्रविभाज्य मानने की दृष्टि परिष्कृत की। जो बोलते भीजीमालियों की उमग थी, उसमें वैज्ञानिक बुद्धि का प्रबोश आशयर्जनक है। यात्रा-विवरणों का मुख्य आधार लेकर लिखे गये ग्रन्थों में सर जेम्स जी. फेबर की आजीवन साधना के फलस्वरूप लिखी गयी पुस्तक 'गोल्डेन बो' वहुत ही महत्वपूर्ण और विचारोत्तेजक है। इसी के समान महत्वपूर्ण ग्रन्थ, जो वहुत-कुछ इसी की सहायता से लिखा गया था, एडवर्ड वेस्टरमार्क का 'दि हिस्ट्री आफ ह्यूमन मेरेज' है। दोनों ग्रन्थों ने विचारक्षेत्र में वहुत अधिक कान्ति की है, परन्तु फेबर की पुस्तक अधिक माहित्यिक है और वेस्टरमार्क की अधिक वैज्ञानिक। वेस्टरमार्क के आलोचकों ने आक्षेप किया था कि उनके निष्कर्ष मुनो-मुनाथी वार्ताओं पर आधारित है, अतः उन्हें वैज्ञानिक निष्कर्ष का साधन नहीं माना जा सकता। फेबर का ऐसा आक्षेप नहीं किया गया, वर्षोंकि उनकी पुस्तक को लोगों ने माहित्यिक शैक्षीकार की रचना के रूप में अधिक ग्रहण किया था। माहित्यिक प्रयत्न में कुछ कल्पना, कुछ विचारोत्तेजक निष्कर्ष, कुछ उदात्तोकरण का प्रयास आवश्यक समझा जाता है। पर वैज्ञानिक विवेचन में लोग इस बात पर अधिक ध्यान देते हैं कि निष्कर्ष के आधारभूत तथ्य ठीक-ठीक और अवितर्य हैं या नहीं। वेस्टरमार्क की आलोचना का अर्थ या इस क्षेत्र में वैज्ञानिक बुद्धि का प्रबोश। उन्होंने अपने आलोचकों की चुनौती स्वीकार की और उन्होंने अपने आलोचकों में रहकर वहाँ के निवासियों की भाषा सीखी और उनकी रीति-नीति और विश्वासों का सूक्ष्म निरीक्षण किया और अन्त में 'रिचुअल एण्ड विलोफ इन मोरक्कों' नाम की एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी। अपनी पुरानी पुस्तक में भी उन्होंने वहुत-से संशोधन किये। लेकिन उनकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक, जो उनको अब तक अभिज्ञता की निचोड़ थी—नीतिक आदर्शों की उत्पत्ति और विकास के सम्बन्ध में थी ('दि ओरिजिन एण्ड डेवलपमेण्ट ऑफ मोरल आइ-डिपल्स')। इस पुस्तक में मानवीय कर्तव्याकर्तव्य के इतने वहु-विचित्र रूप उपस्थित किये गये कि परम्परा-क्रम से गृहोत और वहमानित आदर्शों की जड़ हिलती दिखायी दी। विवाह-संस्था के इतने वहु-विचित्र रूपों के मूल में जातू-टोना का महत्व ही अधिक पाया गया। संसार की विविध आदिम जातियों की प्रथाओं की जानकारी ने अप्रत्यक्ष रूप से जीव-विज्ञान, मनोविज्ञान, नीतिशास्त्र, धर्म-विज्ञान आदि पर नये विचार दिये। मानव-विज्ञान ने मनुष्य के भौतिक घरातल से सम्बद्ध किन्तु अन्ततोगत मानसिक रूप में प्रकट हुई मनोवृत्तियों का रहस्य समझने में भी सहायता पहुँचायी। सबसे बड़ी बात यह हुई कि मानव-चिन की द्वारा देवता-देवी-प्रतीकों की जानकारी सबसे अधिक बढ़ी।

सबैगों का  
की जानका  
मूल रूप स

में पर्यावरणीय होते हैं, किस प्रकार मनुष्य नये-नये सौन्दर्य-निर्माण के माध्यमों का सहारा लेता है, किस प्रकार उसकी अनुभूतियाँ सूक्ष्म-सूक्ष्मतर हृषों की अभिभविक्ति की ओर अप्रसर होती हैं—इन बातों की प्रक्रिया स्पष्ट हुई। एक प्रभ्य स्वभावतः उदित होता है। क्या विभिन्न जातियों में अनेक विचित्र हृषों में पाये जानेवाले विश्वास और आचार-विचार उनके विशिष्ट जारीरिक गठन के कारण हैं? नृत्य-विज्ञान ने मानव-शरीर के विभिन्न अवयवों—कपाल, नासिका, जबड़ आदि—को उद्धावचता का हिसाब करके विभिन्न श्रेणी की जातियों की कल्पना की, परन्तु मानव-विज्ञान ने इन अपरी विभेदों को बहुत महत्वपूर्ण नहीं माना। मनुष्य का मन सर्वत्र एक है—एक ही प्रकार सीधेवाला, एक ही प्रकार उद्भुद्ध या अवबुद्ध होनेवाला, सब प्रकार से एक। वेस्टरमानें भी मनुष्य के अनेक वाहा आचरणों के परस्पर-विरोधी तथ्यों का संकलन करके यही नतीजा निकाला कि “Man, after all is a single species!” अर्थात् सब होते हुए भी मनुष्य एक ही जीव-श्रेणी का प्राणी है। अपरी भेद नगद्य है। मानस-विश्लेषण-शास्त्र ने इस बात का अविभवादित प्रमाण सूलकर सामने रख दिया है। पहले के मनीवियों ने भी मानव-चित्त की एकता का सन्धान बौद्धिक ऋहापोहे से पा लिया था, पर मनोविज्ञान के नवीनतम शोधों ने उसे प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय बना दिया। मनुष्य का चित्त एक-रूप है, उसकी अवगतियाँ और उदात्तीकरण की वृत्तियाँ समान मार्ग से चलती हैं, उनकी अवनिमित्त और उन्नर्मिल अवस्थाएँ निश्चित परिस्थितियों में समान रूप से क्रियाशील होती हैं। जीवतात्त्विक संवेद समान भाव से सर्वत्र मानस सूक्ष्म-बोधों को उकसाते हैं—मानव-चित्त एक है।

यह बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। व्यक्तिगत स्तर पर वैविध्य होने पर भी मानव-चित्त एक है। पहले हो सकता है कि किसी व्यक्तित्व-विशेष की दृष्टि अवनिमिल या अपनर्मिल हो और वह पीली वस्तु को लाल देखे, पर एक समष्टि मानव-चित्त है जो सर्वत्र और सर्वदा पीली वस्तु को पीली ही देखता है। हो सकता है कि किसी अन्य जन्तु के समष्टि जान्तव चित्त में वह काली या नीली प्रतिभात होती हो, पर मानवीय दृष्टि में—समग्रमान्तर के विराट् चित्त की दृष्टि में—वह पीली ही है। यही वह सामान्य बोध है जिसे अंग्रेजी में ‘नॉर्म’ कहा जाता है। और जिसके तौल पर हमने संस्कृत के पुराने मिलते-जुलते अर्थवाले ‘नॉर्म’ शब्द की कल्पना कर ली है। नॉर्म शब्द का प्रयोग यही औसत

- I. ‘नॉर्म’ शब्द संस्कृत के ‘नूनवे’ धातु से उणादि मनिन् (4.146) प्रत्यय से गिर्द किया जाता है। इस अनुत्पत्ति से इसका अर्थ सामान्य ‘नॉर्म’ या ‘नॉर्मिति’ ही सकता है। भगव-बोग (1/7/32) के घनसार इसका अर्थ परिहास है। परन्तु बाव्य में यह सहज हास्य के रूप में अवहृत होता है। ‘नॉर्म’ में ‘नॉर्म’ शब्द कह्याण का बावह है। परन्तु यही ‘नॉर्म’ शब्द महज-सामान्य बोध के रूप में प्रयोगत हुआ है। वस्तुतः यह अंग्रेजी के ‘normal’ शब्द के साप-धनि-साम्य के कारण ही तत्परक मान लिया गया है।

सामान्य बोध के हृप में ही किया गया है। इस नमं या सामान्य बोध से इधर-उधर हटने पर व्यक्ति की दृष्टि अपनामिल (एवनामंल) हो जाती है। कालिदास की बात को इस कोण से देखने पर वह बहुत सटीक ज़ंचेगी। जिसके चित्त में ममत्व का लगाव अधिक है उसके लिए किसी वस्तु का आकर्षण अधिक हो सकता है, परन्तु एक साधारण 'नमं' भी है। अर्थात् सामान्य हृप से सामग्र्य-भाव का बोध भी है, जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए आकर्षक होगा। सौन्दर्य-तत्त्व के अनुसन्धानों के लिए इस सामान्य मानवीय दृष्टि की—इस सर्वसाधारण सहज नमंतत्त्व की—जानकारी आवश्यक है। इसी के आधार पर हम सौन्दर्यबोध के मूल रहस्यों को सोज सकते हैं। इसी विशाल और सामान्य मानवीय दृष्टि को व्यक्ति-दृष्टि से अधिक महत्त्व देने के कारण कालिदास ने बार-बार कहा था—“सर्वस्ववस्थामु अनवद्यता हृपस्य” (मात. 2) और “सर्वस्ववस्थामु चारुता शोभान्तरं पुष्पति” (वही), तथा भारवि ने कहा था “त रम्यमाहार्यं मुतेष्ठते गुणम्” (किरात. 4 : 23) इत्यादि। वहने का मतलब यह है कि सौन्दर्य का एक मानवीय स्तर है। कहीं-कहीं व्यक्ति-विशेष का स्तर इससे आपात-विशद हो जाता है। यह भारतीय कवियों की उपलब्धि है, और कदाचित् संसार के अन्य महान् कवियों की भी ऐसी ही उपलब्धि है।

इस बात को और भी प्रहणीय बनाने के लिए एक ममष्टि-मानव-चित्त की कल्पना की गयी है। सांख्यवादी जिस महत्त्व को स्वीकार करते हैं वह बहुत-कुछ इसी प्रकार का है। पदार्थगुणों के 'नमं' इसी समष्टि-मानस में विद्यमान रहते हैं। सौन्दर्य जिन गुणों का सामान्य भाव है वे समान भाववाले 'नमं' ही सौन्दर्य-बोध, घमं और नैतिक आचार-संहिता के प्राण हैं। इनकी ठीक-ठीक उपलब्धि न हो तो इन विषयों के मानवीय मान का पता नहीं लग सकेगा और व्यक्तिगत प्रयासों की ऊँचाई या निचाई का थाह ही पाया जा सकेगा। अस्तु ।

उन्नीसवीं शताब्दी के अनेक यूरोपियन तत्त्व-चिन्तकों का विश्वास था कि मानव-सम्यता के प्रथम मुग में भय-वश नाना अदृष्ट शक्तियों के विविध रूपों की कल्पना की गयी थी। वे मानते थे कि आदिमानव को सुरक्षा के अभाव के कारण भय था जिससे उसने भूतों, दैत्यों और पिशाचों की कल्पना की थी। ये ही कल्पनाएँ अन्ततोगत्वा भय और रक्षा, दोनों के अधिदेवता सर्वशक्तिमान् ईश्वर की कल्पना में परिणत हुईं। आज भी बहुत-से लोग इस प्रकार भयमूलक घर्मभाव की बात सोचते हैं। फेजर ने प्रथम बार इस बात का प्रतिवाद किया। उनके विरोध का आधार थी अधुनोपलब्ध आदिमतम जातियों के गान, शिल्प, विश्वास आदि की नदी जानकारी। आरम्भ में उनकी बात बहुत घक्कामार सावित हुई। विभिन्न क्षेत्रों से इसका प्रतिवाद किया गया। आज जिन जातियों को आदिमतम अवस्था में समझा जाता है, उनमें विना किसी अपवाद के भय-जन्य घर्मभावना का अभाव पाया जाता है। जैसे-जैसे आदिम जातियों और जात प्राचीन सम्यताओं की जानकारी बढ़ती गयी, वैसे-वैसे फेजर का यह मत मान्य

होता गया कि आदि-मानव की कल्पना और रूपसृष्टि के मूल में भय की भावना नहीं थी।

भयमूलक रूपों की कल्पना और रचना मध्यवर्ती स्थिति की उपज है। प्रार्थितिहासिक युग में चित्रित दीवारों और गुफाओं मादि के अध्ययन से विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला कि आदि-मानव की रूपसृष्टि के दो कारण थे—1. प्रथम यह कि आदि-मानव का यह विश्वास था कि जिस धीर्ज का चित्र बनाया जाता है, वह वटा करती है। अगर एक हरिण का चित्र बनाया गया तो वन में अनेक हरिणों की वृद्धि होगी। एक वादल का चित्र उरेहा गया तो शाकाश में अनेक वादल भैंडरायेंगे ! 2. दूसरा यह कि आदिमानव चित्रको वास्तविक वस्तु का प्रतिनिधि मानता था और समझता था कि किमी वस्तु के चित्र का अधिकार में रहने का फल होता है, उस वास्तविक वस्तु का अधिकार में रहना। गाय का चित्र जिसके पास होगा उसके पास गाय भी रहेगी। सधोप में कह सकते हैं कि आदिमानव की रूपरचना माणस्यमूलक थी, भयमूलक नहीं। जब फ्रेजर ने पहले-पहल इन निष्कर्षों को प्रकाशित किया तो यूरोप में एक तहलका मच गया। दोर्घकाल में ललित तर्कलघ्व निष्कर्षों की जड़ हिलने लगी। उन दिनों इस प्रकार की माणस्यमूलक रूपरचना को तान्त्रिक सृष्टि या मंजिकल क्रिएशन कहा जाता था। फ्रेजर के निष्कर्षों से विचार-जगत् में जो धोन्म पैदा हुआ, वह देर तक लोगों को आलोड़ित करता रहा। पर जब सन् 1903 ई. में एस. रैनेक (S. Rannack) ने लगभग बारह सौ प्रार्थितिहासिक चित्रों को प्रकाशित किया तो फ्रेजर के निष्कर्षों की ही पुष्टि हुई और विरोध का देग शिखिल हो गया। तान्त्रिक सृष्टि या मंजिकल क्रिएशन माणस्यमूलक थी। उसके आधारभूत मानसिक हेतु भय और अमुरक्षा-कातरता नहीं, उल्लास और आनन्द ही थे। मनुष्य की प्रथम रूपसृष्टि आनन्द-हेतुक सिद्ध हुई। भयमूलक रूपसृष्टि इसके बाद हुई थी। मनुष्य में जब तर्क-वुद्धि का विकास हुआ होगा तो उसने सोचा होगा कि केवल चित्र बनाने मात्र से अभिलिप्त वस्तु नहीं मिल जाती, कहीं कुछ और वाधक कारण है। ये ही विचार भयजनक रूप-कल्पना के मूल में रहे होगे। उन वाधक तत्त्वों के प्रसादेन के लिए उनकी रूप-कल्पना और सजंना हुई होगी। यांग चलकर भयमूलक रूपरचना का सिद्धान्त असान्य हो गया। उपनिषद् के शृणियों ने जिस प्रकार सम्पूर्ण सृष्टि को आनन्दजन्य माना है, उसी प्रकार आधुनिक मानव-विज्ञानी प्रारम्भिक काल के आदि-मानव की रूप-कल्पना को भी आनन्दजन्य मानता है। सारी सृष्टि को देख-कर उल्लास-मुखर शृणि ने कहा था—“आनन्दाढ्येव खलु भूतानि जायन्ते” (आनन्द से ही भूतमात्र उत्पन्न होते हैं), और आज का मानव-विज्ञानी उसी स्वर में आदि-मानव की रूप-रचना को आनन्दोत्थ मानते रहा है।

चित्रकला की चर्चा यहीं प्रसंग-प्राप्त उदाहरण के रूप में की गयी है, मानवीय भावाभिव्यक्ति के प्रथम उन्मेष के रूप में नहीं। जिन लोगों ने आदिम जातियों की नीति-रीति का निपुण अध्ययन किया है, उन्होंने देखा है कि कदाचित् भावावेग

की अभिव्यक्ति का प्रथम मानवीय प्रयत्न नृत्य के माध्यम से हुआ। संगीत और भाषा के साथ नृत्य मानवीय अभिव्यक्ति-प्रयत्नों में सर्व-पुरातन है। विद्वानों ने आश्चर्य के साथ लक्षित किया है कि जहाँ अन्यान्य कलाएँ क्रमशः विकसित होती गयी हैं या विकसित होती जा रही हैं, वहाँ नृत्य अपनी आदिम अवस्था में ही चरम उत्कर्ष पर पहुँचा पाया जाता है। डॉ. कर्ट शैल्स (Dr. Curt Shachs) की अत्यन्त महत्वपूर्ण पुस्तक 'वल्ड हिस्ट्री आफ डास' इस विषय की प्रामाणिक कृति मानी जाती है। वे कहते हैं—“यह बात कुछ विचित्र-सी लगेगी कि प्रस्तर-युग के बाद नृत्यकला ने बहुत ही कम नया ग्रहण किया है। रचनात्मक नृत्य का इतिहास प्रारंतिहासिक काल में शुरू होता है।” (पृ. 62)। कालिदास ने नृत्य को देवताओं का चाक्षुप यज्ञ कहा था। उनके कथन का आधुनिक भाषा में यही अर्थ हो सकता है कि नृत्य प्रारंतिहासिक काल से चरम उत्कर्ष की अवस्था में है। मुसाली के लैगर ने 'फीर्लिंग एण्ड फार्म' नामक पुस्तक (पृ. 150) में कहा है कि “नृत्य वन्य जीवन का सर्वाधिक गम्भीर वौद्धिक व्यापार है, देश और काल से परे किसी अज्ञात लोक के सम्मुखीन होने का प्रयास है, एक ऐसी मानस-धारणा है जो व्यक्तिजनातीत है और जीवन और मृत्यु से व्यवहित होकर भी शेष प्रकृति से परिवेप्ति और पोषित है। इस दृष्टि से देखा जाये तो नृत्य का प्रारंतिहासिक मूल विलुप्त आश्चर्य की बात नहीं है। यह धार्मिक चिन्तन की वह प्रक्रिया है जो संसार में अतिमानव शक्तियों की धारणा उत्पन्न करती है। वस्तुतः नृत्य उन्हीं धारणाओं को समूर्च्छित करने का प्रयास है। ये शक्तियाँ नृत्य द्वारा उत्पन्न नहीं की जातीं या उत्पन्न होती हुई अनुभूत नहीं होती बल्कि नृत्य-क्रिया द्वारा उद्बोधित, समाहृत, प्रतिस्पद्धित या प्ररोचित हुआ करती है। आदि-मानव की अतिमानवीय कल्पना के सामने ये यथार्थ हैं, प्रतीक नहीं।” सभी आदिम जातियों में मण्डलावर्त नृत्य पाया जाना है। डॉ. कर्ट शैल्स ने तो इन मण्डलावर्त नृत्यों को मानव-पूर्व मानना चाहा था जो परवर्ती शोधको द्वारा स्वीकार योग्य नहीं माना जा सका। इस मण्डलावर्त नृत्य के केन्द्र में कोई-न-कोई अतिमानवीय शक्ति (जैसे कोई देवता, पितरों की देवी, कोई टोटम, कोई देवी शक्ति-सम्पन्न पुरोहित और भा, अग्नि आदि) विद्यमान होती है। यह अविमंवादित तथ्य है कि इस प्रकार के नृत्य का मूल प्रेरक मनोभाव उल्लास है। विविध प्रकार की चारियों से बलियित, ताल द्वारा नियन्त्रित, घारावाहिक मण्डलावर्त नृत्य जीवन के किसी अज्ञात रहस्यमय केन्द्र से उल्लसित होता है।

इन मण्डलावर्त नृत्यों के दो भेदों का उल्लेख डॉ. शैल्स ने किया है। एक अमूर्तपरक और दूसरा मूर्त। उनका अनुमान है कि आरम्भ में अदृश्य शक्तियों को केन्द्र करके उल्लास-व्यजक नृत्य चले होंगे, बाद में याकू के माय-साय जय मिथक तत्त्व का आविभाव हुआ होगा तो इन अदृश्य शक्तियों की रूप-व्यंपत्ति वीर्यी होगी। मिथक तत्त्व ये भव्यन्थ में हम आगे विचार करेंगे, पर यही अपना मत कह देना आवश्यक ममझते हैं कि यार् (भाषा) और मिथक तत्त्व परम्पर के

पूरक हैं। डॉ. लैम्स के उपर्युक्त अनुमान का कोई ठोग आधार नहीं जान पड़ता, परन्तु इतना मान लेने में कोई आपत्ति नहीं जान पड़ती कि आदि-मानव की मृत्ति कल्पना पहले मानसी रही होगी, बाद में उसने उसे नृत्य और संगीत में और, और भी बाद में, मिथक और वाक् में उसे गम्भीरता करने का प्रयास किया होगा। भारतीय शंख और शाकत दण्डों में इसी की क्रमशः दृच्छा-शक्ति और क्रिया-शक्ति का विनास कहा गया है। पर्याप्त इन दोनों कल्पनाओं में थोड़ा तात्त्विक अन्तर है, पर मूल बात एक ही है। मूर्ति या परिदृष्ट रूप देने के लिए नृत्य में, आगे चलकर मुख्यास और विविध प्रकार के वस्त्राभरण का उपकल्पन हुआ होगा जिससे नृत्य में नाटकीयता का समावेश हुआ होगा। आदिम जातियों के घट्ययन में विद्वान् इसी निष्कर्ष पर पहुँचे हैं। विवाह, जस्यागम, वर्षा, वसन्त आदि के अवसरों पर मनुष्य की अन्तर्निहित चेतन-सत्ता ने अपना उल्लास प्रकट करने के लिए इन माध्यमों का सहारा लिया होगा।

परन्तु नृत्य वस्तुत है क्या? काक थीस नामक जर्मन विद्वान् ने बताया है कि नृत्य वस्तुतः जड़ के गुरुत्वाकर्यण पर चेतन्य की विजयेच्छा का प्रयास है, यद्योकि इसकी मुख्य प्रवृत्ति भार की अवगति (गुरुत्व का आकर्यण) को अभिभूत करने की है। नर्तक से हम लाघव, सिप्रता, कुर्ती आदि की आशा करते हैं। और अनिम विश्लेषण के बाद ये बातें जड़ता के आकर्यण पर विजय पाने के प्रयास का ही नामान्तर सिद्ध होती है। जड़ता का भार नीचे की ओर ले जाना चाहता है, उल्लसित चेतन्य उसके इस सिचाव का प्रतिरोध करता है। सब मिलाकर यह भौतिक भार की अवगति पर विजय पाने का प्रयास ही है और कला के क्षेत्र में कोई नयी बात नहीं है। स्थापत्य में पत्थर पर विजय पाने का प्रयास ही है, चित्रकला में सपाट धरातल पर और कविता में अर्थ-सीमा में बैंधे शब्दों पर। काक थीस के कथन का बड़ा महत्व है कि वस्तुतः हर कला-प्रयास में शिल्पी जड़ सामग्री के सहज धर्म पर विजय पाने का प्रयत्न करता है। मनुष्य के कला-प्रयत्नों का अर्थ ही है जड़ता से संघर्ष। जितनी मात्रा में शिल्पी इस संघर्ष में विजयी होता है, उतनी ही मात्रा में वह शिल्पी-रूप में सफल होता है। जितनी दूर तक उसके अन्तरर का विशुद्ध चेतन्य जड़कर्यण और भौतिक वन्धन को छिन करके लक्ष्यभूत इष्टा या श्रोता की अन्तर्निहित उच्छ्वल प्राणधारा को मुखर कर देता है और जीवन्त रूप में चेतन्य को अनुभवगम्य बनाता है, उतनी ही दूर तक उसका शिल्प चरितार्थ होता है। हम किसी मूर्ति या चित्र को देखकर या कविता को सुनकर फ़ड़क उठते हैं, तो वस्तुतः हम जड़ के गुरुत्वाकर्यण से मुक्त होने का अनुभव करते हैं। आदि-मानव के पास जब अन्य साधनों का अभाव था तो उसने अपनी पेशियों और अंग-उपाय की फ़ड़कन के सहारे ही चेतन्य का विजयोल्लास प्रकट किया। इसी का नाम नृत्य है। कुछ आश्चर्य की बात नहीं कि आदिम अवस्था में ही वह इस प्रयास में सफल हुआ। सभ्यता के अप्रसर होने के साथ-साथ अन्य साधनों का विकास हुआ, जो अधिकतर स्वर्यं जड़ उपादान है। इन साधनों के विकास के साथ-साथ

अमरणः मध्यवर्तीं जड़ उपादान बढ़ते गये और चैतन्य के विजय के प्रयास क्रमशः जटिल होते गये। कई बार साधनों के उपयोग में चातुर्य-प्रदर्शन ही प्रधान हो जठा और चैतन्य के उल्लास की मुख्य अभिव्यक्ति वाधाग्रस्त हुई। कौशलों ने कला के मूल रूप को आच्छान्न कर लिया। बेवज पैर के अंगूठे पर समूचे शरीर के भार को रखकर उचाने (पादांगुष्ठ नृत्य या टो-डास) के प्रयत्न में गुरुत्वाकरण पर विजय पाने का प्रयास है तो अवश्य, पर वह 'गुहाहितं गह्वरेष्ट' चित्तत्व के उल्लास से उतना चालित नहीं होता जितना कौशल-प्रदर्शन की वासना से। फाक थीस ने इस श्रेणी के पादांगुष्ठ नृत्य को मूल आदर्श का कुण्ठित रूप (फोर्जेन आइडियल) कहा है। निम्नन्देह वह ऐसा ही है।

परन्तु आदि-मानव का प्रथम उल्लास-नर्तन क्या भूमुख कला के क्षेत्र में आता है? मूर्तियों, चित्रों, काव्यों और शब्दों के माध्यम से मनुष्य कुछ अर्थों की अंजना करता है। व्यापक अर्थों में ये सभी एक प्रकार की 'भाषा' हैं। सभी किसी नक्षयोंभूत श्रोता या द्रष्टा के चित्त में कुछ अर्थ प्रेषण करते हैं। प्रेषण-सामर्थ्य के कारण ही इन्हें व्यापक अर्थ में भाषा कहा गया है। परन्तु नृत्य कीन-सा अर्थ प्रेपित करता है?

आजकल कलाओं को रचनात्मक कला कहते हैं। मध्यकाल में भी माना जाता था कि कवि या कलाकार कुछ नयी 'रचना' करता है। किसी ने कहा था कि विधाता से कवि बड़ा होता है, क्योंकि विधाता की सृष्टि में छः ही रस होते हैं जबकि कवि-सृष्टि में नौ रस होते हैं—पठरस विधि की सृष्टि में 'नवरस कविता माहि' अर्थात् कवि विधाता की सृष्टि से भिन्न कोई दूसरी ही सृष्टि करता है। यही वात अन्य कलाकारों के बारे में भी कही जा सकती है। इसका अर्थ है कि कवि या शिल्पी वास्तव जगत् की वस्तुओं को देखकर पहले अपने चित्त में एक मानसी मूर्ति बनाता है और फिर उसे एक नया रूप देता है। मानसी मूर्ति कवि या शिल्पी की इच्छा-शक्ति का विलास है और रूप-रचना उसकी क्रिया-शक्ति का। मानसी मूर्ति को ही भाव कहा जाता है। कवि या शिल्पी भावगृहीत रूप को शब्दों, तूलिका या द्येनी आदि के द्वारा जड़ आधारों पर उतारता है। यही उसकी नयी सृष्टि है। इसी अर्थ में उसकी कला 'रचनात्मक' होती है। अगर यही वात है तो आदिम मानव का नृत्य किस भावगृहीत अर्थ को नया रूप देने का प्रयास है? वह कीन-सा भावार्थ है जिसे नर्तक अपनी कला के द्वारा अनुभूत कराना चाहता है? यह प्रश्न उतना सीधा नहीं है जितना अन्य कलाओं के मम्बन्ध में हुआ करता है। अन्यान्य कलाओं की तुलना में नृत्य में मानव-पूर्व तत्त्व अधिक है। उल्लास-काल में नाचने की प्रवृत्ति पशु-पक्षियों में भी पायी जाती है। ऐसा समझा जाता है कि मानवीय विकास की पूर्व-अवस्था में ही उल्लास-नर्तन—और सी भी मण्डलावर्त नृत्य के रूप में—आविर्भूत हो गया होगा। एक मानव-विज्ञानी ने तो यहाँ तक कहा है कि मनुष्य के मण्डलावर्त नृत्य का पूर्वरूप बनेमानुसों के उसी प्रकार के नृत्य में मिल जाता है। यद्यपि यह वात बहुत पक्के प्रमाणों पर आधारित

नहीं है। परन्तु यह सत्य है कि अन्य मनुष्येतर जीवों में उल्लासजन्य मण्डलावत् नृत्य पाया जाता है। इस समय में नृत्य अन्य मानवीय प्रयास-सिद्ध कलाओं से भिन्न श्रेणी का है।

कहते हैं, शिव ने ग्रिपुर-निधन के बाद उल्लास-नर्तन किया था। उसका अनुकरण उनके शिष्य तण्डु मुनि ने किया था। यही उल्लास-नर्तन ताण्डव का मूल है। इसमें रस और भाव नहीं थे। शिव इस ताण्डव से उन्मत्त हो उठे थे। वे भूल ही गये कि ग्रिपुर के बध का उद्देश्य संसार की रक्षा था। उल्लास के अतिरेक में उनके उत्ताल नर्तन से नभोमण्डल विद्युत्य ही गया था, दिशाएँ घटचटा रठी थी। धरिश्ची धसकने लगी थी, पर शिव नाचते ही गये—निरहेश्य, निर्वापि। उन्हे समय करना आवश्यक समझकर पार्वती ने लास्य नृत्य किया। इस नृत्य का प्रयोग जन था, अर्थ था। अर्थात् इसमें रस और भाव दोनों थे। ताण्डव रस-भावविवर्जित था, लास्य रस-भावसमन्वित। दोनों का यह अन्तर ध्यान देने योग्य है। पहला आदिम है—रस-भावविवर्जित, दूसरा मनुष्य की सजंनेच्छा द्वारा चालित—रस-भावसमन्वित। भरतनाट्य-शास्त्र में भुनियों ने भरत से प्रश्न किया था कि नृत्य या ताण्डव जिसमें रस भी नहीं, भाव भी नहीं, नाटक में वयों जोड़ गयों। भरत-मुनि का सीधा उत्तर या—मागल्य के लिए। यद्यपि नृत् या ताण्डव में रस और भाव नहीं होते किर भी उसका एक अर्थ है, भरत मुनि कम-से-कम ऐसा ही मानते हैं। यह अर्थ है, मागल्य। आधुनिक मानव-विज्ञानियों की भाषा में यह बात मैंजिकल किएशन के आसपास पहुँचेगी। इससे मंगल होता है। यह सम्पूर्ण मानव-जीवन का ही सर्जन है। ताल द्वारा नियन्त्रित होकर भी बार-बार एक निश्चित लम्ब में परवर्तित नृत्य बस्तुतः जन्म और मृत्यु से व्यवहित और किर भी अविच्छिन्न भाव से निरन्तर गतिशील जीवन की ही व्यंजना है। शंख ने अन्तर्मुखी और वहिमुखी भेद करके आदिम नृत्यों को समझाया है। अन्तर्मुखी बेबल आन्तरिक चैतन्य वृत्ति का उल्लासजन्य नृत्य है जबकि वहिमुखी सोहेश्य और सार्थक। बस्तुतः ताण्डव और लास्य अधिक सुन्दर भेद है। लास्य में मानवीय प्रयत्न अधिक होता है, इसलिए उसे ही अन्यान्य कलाओं के साथ एक श्रेणी में रखा जा सकता है। ताण्डव केवल परवर्ती-काल के कलान्विकास को स्पष्ट करनेवाला आरम्भक मूल प्रयास है। निस्सन्देह वह चैतन्य की आत्माभिव्यक्ति है। जीवतत्व के सामने बड़ी समस्या है जड़ाकर्पण का प्रतिरोध। जड़ाकर्पण पर विजय पाने का प्रयास अपने मूल हृप में ताण्डव में उपलब्ध होता है। अपने उदास अभिव्यञ्जन और जड़ाकर्पण के प्रतिरोध-सामर्थ्य के कारण ही वह लोकमान्य हुआ है। चैतन्य के पुजीभूत हृप शिव के द्वारा वह प्रवर्तित माना गया है। दूसरी ओर लास्य अधिक परवर्ती और मनुष्य की अपनी सर्जना-वृत्ति द्वारा अधिक सौंवारा हुआ लित प्रयत्न है। वह अधिक मानवीय है, क्योंकि वह मानव-चित्त के निश्चित उद्देश्यों—अर्थों—को अभिव्यक्ति देता है। उसके ताल, लम्ब, छन्द, भंकार सब मिलकर मानवीय मतोभावों—रस-भाव—की दर्शक के चित्त में अनुभूत करते हैं। इसीलिए ताण्डव जहाँ मानव-पूर्व

तत्त्वों का स्वतःस्फूर्तं विकास है, वही लास्य मानवीय प्रयासों का ललित रूप। इसलिए वह नर्तक के चित्त में अधिक स्पष्ट मानसी मूर्ति—भाव—की सर्जना करता है। बन्धनों पर विजय पाने का प्रयास उसमें भी है, परन्तु ये बन्धन विराट् प्रकृति का अपना जड़ाकर्पण ही नहीं है बल्कि मनुष्य के जीवन द्वारा प्रतिक्रियता आकर्पण अर्थात् मानस-संस्कारों पर भी विजय पाने का प्रयास है। ताण्डव का लक्ष्यभूत मानस-संस्कार अस्पष्ट है, अव्यक्त है, जबकि लास्य का स्पष्ट और व्यक्त। कहते हैं, लास्य का प्रवर्तन पार्वती ने किया था। पार्वती अर्थात्, अव्यक्त भहु की सिसूधा, रूप देने का सामर्थ्य देनेवाली शक्ति तन्मात्र।

जैसा कि ऊपर बताया गया है, मनुष्य के सर्जनात्मक कला-प्रयासों के पीछे कोई मानसी मूर्ति होती है। ताण्डव आदि-मानव या पूर्व-मानव के उल्लास-नर्तन का परिष्कृत रूप है। प्रश्न होता है कि वह कौन-सी मानसी मूर्ति यीं जिसने आदि-मानव को उल्लास-चचल बनाया था और जो मण्डलावर्त नृत्य के रूप में अभिव्यक्त हुई थी। यह बताना उतना ही कठिन है जितना यह बताना कि किस प्रकार आदि-मानव ने अपने मानसिक भावों को शब्द या भाषा द्वारा अभिव्यक्ति दी थी। दोनों ही आदि-मानव के भाव-सम्मूर्तन के प्रयास लगते हैं। पर कैसे यह सम्भव हुआ होगा, यह कठिन प्रश्न है। वस्तुतः मनुष्य के अति-आदिम प्रयत्नों में इच्छा और क्रिया एकमेक होकर गुंथी हुई थी। आज भाषा ने मनुष्य के समूचे अस्तित्व को बुरी तरह छाप लिया है। हमारे लिए यह कल्पना भी कठिन जान पड़ती है कि शब्द के बिना भावसर्जना या भावधारणा (जिसे अप्रेजी में कन्सेप्ट या नोशियो कहते हैं) कैसे सम्भव है। पर यह सत्य है कि मनुष्य की अपनी विशेषता भाषा है। मनुष्य-पूर्व जीवों में वह नहीं के वरावर है। किसी समय मनुष्य ने भाषा का आविष्कार किया होगा। ताण्डव में पद और पदार्थ, इच्छा और क्रिया एक-दूसरे से 'कहियत भिन्न न भिन्न' होकर मिले हुए हैं। कव और कैसे वे उस अवस्था में आ गये जो पद अलग, पदार्थ अलग, इच्छा अलग और क्रिया अलग हो गयी, यह बता सकना बहुत कठिन है। इस प्रश्न पर विचार करना आवश्यक है।

अन्स्टॉर्ट कैसिरर (Earnst Cassirer) ने एक उचित प्रश्न उठाया है। उनका कहना है कि भाव-धारणा (concept, notio conceptus) किसी वस्तु के सार-भूत तत्त्वों (ऐसेशियल प्राप्टी) की धारणा का नाम है। तत्त्व याम्भापटी क्या चीज़ है? कोई भाव की धारणा निश्चित तत्त्वों से बनती है। अगर किसी पदार्थ में ऐसे गुण या लक्षण हैं जो उसे दूसरे पदार्थों से व्यावृत्त करते हैं या समानधर्मी सिद्ध करते हैं तो इस वैपर्य या साम्य के आधार पर उसे श्रेणी-विशेष के अन्तर्गत रखा जा सकता है। परन्तु श्रेणी-भेद के लिए भाषा से पूर्वविस्था में क्या आधार ये? हम भाषा के माध्यम से ही तो वस्तुओं का वर्गीकरण करते हैं अर्थात् एक को दूसरे से व्यावृत्त करते हैं। यदि भाषा-अर्जन के पूर्व ही यह करना पड़ा हो तो मनुष्य ने यह कार्य कैसे किया होगा? वह कौन-सी वात यीं जिसने व्यावृत्त धर्म-वाली भाषा को जन्म दिया? आज हम भाषा के इतने अधीन हो गये हैं कि इस

प्रतार के प्रयत्न वा उत्तर गोपनीय भी बहिन हो देता है। मग्नुम भी मधुभास कर्त्त-  
व्यरति भाषा वी देते हैं। वह भाषा-कुर्स घाटापा के विवेचन में घाटापा बिद  
होती है।

अब अभिव्यक्ति का विवाह है। जो लिंगों का गुण वो अभिव्यक्ति के द्वारा  
दर्शाया जाता है वह असाधारणीय संवृत्ति के लिए उत्तम है। वह अभिव्यक्ति  
जो इसी एक धर्म की रूपनाम होती होती है। लिंग-लिंगे इसके अन्तराल मध्यिका द्वारा  
तीनों द्वोर धर्म में असाधारण-विद्या अनुद्दितियों के अभिव्यक्ति वह में उत्तराधिकार वाले  
स्थान में घासे को अभिव्यक्ति किया होता। इसी में अपालाशित होने पर उसने  
उत्तराधिकार के लाल में द्वोर धर्म में उत्तराधिकार वाली असाधारण-विद्या  
घोषी होती है। लिंग-लिंगे इस का विवेचन जाता होता, द्वोर धर्म का  
यात्रा वा व्यापक लालोट वा प्राचीन व्यापक-कुर्स भारतीय धाराओं वी व्यापी होते उस  
पश्चान्तरी पूर्णि के लाल में विवेचने पर द्वोर धर्म एवं एकमें द्वोर धर्म होते होते हैं, इसका  
लालोट व्यापका युति के लाल में विवेचने पर द्वोर धर्म एवं असाधारण भी 'भाव'  
(noilio) के लाल में प्रवर्त होते होते द्वोर धर्म व्यापक-कुर्स घोषी युति के लाल में,  
जहाँ पर द्वोर धर्म एवं प्रवर्त धर्म हो गये होते हैं, होता होता। इन व्युतियों के  
व्यापक में विवार वर्णनों का धरागर एवं लाल मिसेज़ा। यही लालुनिश्च परिवर्तियों वी  
चात को समझाने के लिए पुरानी जातियानी क व्यापक महावर हो, वह मीषरर  
ही उग्रका प्रयोग किया जा रहा है। नहीं गोंदे व्युतियों कृ-य-जु उमी व्रद्धार भी  
नहीं हैं जैसा घाषुतिरा परिवर्त गम्भीर है, पर व्यापक-कुर्स घोषी होती है।

पाठ्य-नक्त्र के गाय-ही-गाय मिथक तत्त्व का व्याख्यायिक होता था। अभिव्यक्ति विद्यालृक्ष में समूलर ने यताया था ('विद्यालृक्षी घांड गाड-घोलोलोर्स, इट्टोररन्न टु  
दि सादगा घांड गिनिजन' के परिचयाट में) कि घांडने उच्चवर घर्ष में मिथक  
तत्त्व वह शक्ति है जो मानवित्त के हर गम्भीर मानविक विद्या-नक्त्राएं में भारा  
द्वारा प्रत्युत्तरादित होती है। मैं समूलर मिथक तत्त्व को व्युतियायं मानते हैं।  
ये कहते हैं कि यदि हम भाषा में विवार के ऊपरी लाल को अभिव्यक्ति करने वी  
शक्ति मानें तो मिथक तत्त्व उग्रकी घननिहिन घायवद्यवता जान पड़ेगा। भादा  
वस्तुतः विचारों के ऊपर कानी घाया जानती है जो तब तक दूर नहीं होगी उप  
तक भाषा विवार के गाय एकमें नहीं हो जाती, जो कभी होने का नहीं है।  
निस्सन्देह मिथक-तत्त्व मानव-विकारों के भारम्भाक इतिहास-काल में ही बुरी  
तरह कूटता है, पर गायव कभी नहीं होता। मैं समूलर ने मिथक तत्त्व को एक  
प्रकार की भाषा या भुजावा-जैसी कुद्द वस्तु गिढ़ करना चाहा था। वह भाषा  
का ही परिणाम है और मनुष्य के लिए आत्मवंचना का मार्ग तिकानता है। मार्ज  
के मानवविज्ञानी इस बात को नहीं मानता चाहते। मिथक वल्पनामो को भाज  
वा मानव-विज्ञानी आत्मवंचना नहीं मानता। वह भी वाक्-तत्त्व की भीति मनुष्य  
को सहज सज्जना-शक्ति का ही निर्दर्शक है। मैं समूलर भाषाशास्त्र के प्रवर्तक

ये, उनकी बात का मूल्य है। इसीलिए अब भी कुछ लोग उनकी बात को स्वीकार करते हैं, परन्तु जो लोग मनुष्य की सर्जना-शक्ति का अध्ययन वैज्ञानिक दृष्टि से करते हैं वे एक मत से इस तिद्धान्त का प्रत्माख्यान करते हैं। बाक्-तत्त्व की भाँति मिथक तत्त्व भी मनुष्य की सर्जना-शक्ति की कहानी बताता है और उसके पूरक के रूप में युगपत उत्तरन होता है। अन्स्टर्ट कैंसिरर ने कुछ रोपूर्वक ही कहा है कि वस्तुतः आत्मवचना भाषा में ही बद्धमूल है, भाषा जो सदा से मानव-चित्त को श्रमना क्रोडनक बनाये रही है, जो सदा से उस अर्थ-परम्परा के गन्दे खेल में मानव-चित्त को भरभा रही है और अर्थ-परम्परा उसका निजी सत्त्व है। यह धारणा कि मिथक किसी सत्तात्मक सर्जना-शक्ति पर आधारित नहीं है—कि हम बाणी में उसका रोग-निदान-मूलक (पैथोलोजिकल) प्रभाव पाते हैं—इस धारणा के पुरस्कर्ता आज के नृतत्व-विज्ञानियों में भी मिल जाया करते हैं। परन्तु यह बात गलत सिद्ध हो चुकी है। मिथक तत्त्व भी भाषा की भाँति ही मनुष्य की निश्चित सर्जना-शक्ति का बिलास है। अगर वह आत्मवचना है तो बाक्-तत्त्व भी ऐसा ही है। अन्स्टर्ट कैंसिरर की इस रोपोक्ति में सार है।

सौन्दर्य असल में वस्तु की समग्रता की अनुभूति है। इसके दो मोटे रूप हैं :

1. एक तो वह जो हमें अभिभूत करता है, प्रभावित करता है, चालित करता है, पर इसलिए नहीं कि वह ऐसा करना चाहता है। हम यह ठीक नहीं जानते हैं कि वह किसी अन्य अदृश्य शक्ति की इच्छा से ऐसा करता है या नहीं। कोई अदृश्य शक्ति उसके द्वारा हमें चालित, प्रेरित या अभिभूत करती है या नहीं। यह किसी भी मनुष्य की कल्पना या तके का विषय-मात्र हो सकती है। यह सदा सन्दिग्ध ही रहेगा कि कोई ऐसी शक्ति है जो सौन्दर्य को साधन बनाकर हमें चालित या अभिभूत करना चाहती है। परन्तु हम चालित, प्रेरित और अभिभूत होते हैं, यह बात असन्दिग्ध है। गुलाब का फूल है। वह बर्ण से, रूप से, गन्ध से हमें मोहित करता है। हम बिल्कुल नहीं जानते कि ऐसा वह चाहता है या नहीं। हमें वह लाल दिखता है। परन्तु 'लाल' शब्द हमारी रचना है। हमें यह भी नहीं मालूम कि वह स्वर्यं अपने को 'लाल' समझता है या नहीं। 'लाल' कहकर हम एक चाथूप सत्य का परिचय मात्र देते हैं। परन्तु भाषा की सीमा है। लाल मैंकड़ों चौंके होती है। सबको एक ही लाठी से हाँकना सम्भव भी नहीं है, उचित भी नहीं है। मनुष्य की यह महिमा है कि उसने जैसेन्तीमें सीमाओं के बन्धन को अस्वीकार करते हुए अपनी मनुभूति को अभिव्यक्ति दी है 'लाल' शब्द के द्वारा। मनुष्य की यह सीमा है कि वह सैकड़ों प्रकार के लाल की अनुभूति को ठीक-ठीक अभिव्यक्ति नहीं दे पाता। 'लाल' भी एक जाति है। यह एक सीमा है। पर मनुष्य के अद्भुत वैशिष्ट्य को व्यंजित करनेवाली सीमा। मम्मट ने जब 'चतुष्टयी शद्वाना प्रवृत्तिः' का उपसंहार करते हुए कहा था "जात्यादिर्जातिरेव वा" (शब्द चार प्रकार के हैं: जाति, व्यक्ति, क्रिया और यदृच्छा के वाचक। इन्हें जाति आदि चार श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पर सबको केवल 'जातिवाचक'

भी कहा जा सकता है।), तो उनका उद्देश्य सिर्फ़ पूर्वाचार्यों की संगति बढ़ाना मात्र नहीं था। वे भाषा की इस सीमा की ओर भी संकेत कर रहे थे। काव्य-शास्त्र के विद्यार्थी के लिए वह जानकारी आवश्यक है।

2. पद-पद पर मानव-चित्त के अपार औत्सुक्य को प्रकट करनेवाली इच्छा-शक्ति भाषा की सीमा से टकराती है। अपनी अनुभूति को जब भाषा द्वारा सीधे नहीं प्रकट कर पाती तो उपमा का महारा लेती है। कौसा लाल ? जैसी कि अमुक वस्तु होती है वैसा। उससे भी काम नहीं चलता तो उत्प्रेक्षा का सहारा लेती है। यदि अमुक वस्तु अमुक वस्तु से युक्त होती तो जैसा होता वैसा। पर काम क्या चलता है ? मनुष्य धन्द से, स्वराधात से, काङ्क्षा से, वचन-वक्रता से, हाय घुमाकर, मुँह बनाकर अर्थात् अभिनय से, इस अपार इच्छा-शक्ति का समाधान करना चाहता है। इच्छा अनन्त है, क्रिया सान्त है। इच्छा नाद है—कण्ठनुग्रह है, क्रिया विन्दु है—वैष्टम है। इच्छा गति है, क्रिया स्थिति है। गति और स्थिति का यह द्वन्द्व चलता रहता है। इसी से रूप बनता है, धन्द बनता है, संगीत बनता है, नृत्य बनता है। इच्छा काल है, क्रिया देश है। इसी देश-काल के द्वन्द्व से जीवन रूप लेता है प्रवाह के रूप में। इसी से धर्मचिरण बनता है, नैतिकता बनती है। इन सबको छापकर सबको अभिभूत करके, सबको अन्तर्प्रथित करके जो सामग्र्य-भाव है वह सौन्दर्य का दूसरा रूप है। यह भाषा में, धन्द में, मिथक रूप में, नृत्य में, गीत में, मूर्ति में, चित्र में, सदाचार में अपने-आपको प्रकट करता है। एक प्राकृतिक सौन्दर्य है, दूसरा मानवीय इच्छा-शक्ति का विलास है। दूसरा सौन्दर्य प्रथम द्वारा चालित होता है पर है मनुष्य के अन्तररतर की अपार इच्छा-शक्ति को रूप देने का प्रयास। एक केवल अनुभूति देकर विरत हो जाता है। दूसरा अनुभूति से उत्पन्न होकर अनुभूति-परम्परा का निर्माण करता है। भाषा में, मिथक में, धर्म में, काव्य में, मूर्ति में, चित्र में वहुधा अभिव्यक्त मानवीय इच्छा-शक्ति का अनुपम विनास ही वह सौन्दर्य है जिसकी मीमांसा का संकल्प लेकर हम चले हैं। प्रथम सौन्दर्य रूप से व्यावृत्त करने के लिए इसे हम 'लालित्य' कहेंगे। लालित्य, अर्थात् प्राकृतिक सौन्दर्य से भिन्न किन्तु उसके समानान्तर चलनेवाला मानव-रचित सौन्दर्य।

'लालित्य' शब्द से कई अर्थ व्यंजित होते हैं।

मनुष्य की इच्छा-शक्ति जब सर्जनात्मक रूप ग्रहण करती है तो भारतीय शास्त्रों में उसे विश्वव्यापिनी सर्जनात्मक शक्ति 'ललिता' का व्यष्टिगतरूप कहा जाता है। विश्वब्रह्माण्ड में व्याप्त सर्जना-शक्ति का ही वह पिण्ड में प्रतिनिधित्व करती है। शास्त्र आगमों में बताया गया है कि सच्चिदानन्द महाशिव की आदिसिसूक्षा (सृष्टि करने की इच्छा) ही विश्व में शक्ति-रूप से विद्यमान है। प्रथम-काल में महाशिव निर्दिक्षण रहते हैं। उस समय महामाया समस्त जगत्-प्रपञ्च को आत्मसात् करके विराजती रहती है। जब शिव को लीला की लालसा होती है तो यही महाशक्ति-रूप महामाया जगत् को प्रपञ्चित करती है। शिव की

सीलासरी होने के कारण ही उन्हें सलिला कहते हैं। लोक-रचना उनकी क्रीड़ा है। चिन्मय शिव उनके साथ है, सदानन्द उनका प्राहार है, सत्पुरुषों का हृदय ही उनका निवास-स्थान है। सलिला-स्तवराज में कहा गया है-

क्रीड़ा ते लोकरचना सखा ते चिन्मयः शिव  
आहारस्ते सदानन्दो वासस्ते हृदये सताभ् ।

सत्पुरुषों के हृदय में निवास करनेवाली सलिला ही वह शक्ति है जो मनुष्य को नयी रचनाओं के तिए प्रेरित करती है। इसलिए इस परम्परा-गृहीत अर्थ मानव-रचित-सौन्दर्य को 'लालित्य' कहना उचित ही है। सलिला सहस्रनाम में इस देवी को 'चित्कला', 'ग्रानन्दकलिका', 'प्रेमस्ता', 'प्रियंकरी', 'कलानिधि', 'काव्यकला', 'रमज्ञा', 'रस शेषधि' आदि कहकर पुकारा गया है। जहाँ कही मानव-चित्त में सौन्दर्य का आकर्षण है, सौन्दर्य-रचना की प्रवृत्ति है, सौन्दर्य-स्वादन का रस है, वही यह देवी कियाशील है। इसलिए भी हमारे आलोच्य शास्त्र का नाम 'लालित्य-शास्त्र' ही हो सकता है। फिर मनुष्य की सौन्दर्य रचना के मूल में उसके चित्त के 'लालित' भाव ही है। इसीलिए लालित्य को ही उस सौन्दर्य का रूप माना जा सकता है जो मनुष्य के लालित भावों की अभिव्यक्ति करता है।

मनुष्य की इच्छा-शक्ति द्वारा चालित प्रयास से जो सूष्टि होती है, वह और किसी अन्य जीवधारी के वश की नहीं है। वह सब प्रकार से अपूर्व है। सूष्टि में पहले कभी ऐसा नहीं देखा गया। इस बात को बहुत पहले भरतमुनि ने प्रकट किया था। नाट्य-शास्त्र में एक कथा है : ब्रह्मा की आज्ञा से भरतमुनि ने नाट्य-वेद का निर्माण किया और तदनुसार एक नाटक भी लिखा। ब्रह्मा ने उस नाटक का अभिनय करने की आज्ञा देवताओं को दी। परन्तु वे इस काम को नहीं कर सके। इन्द्र ने ब्रह्मा से निवेदन किया कि 'हे वितामह ! देवता इस काम को नहीं कर सकते। इसे तो मुनि लोग ही कर सकते हैं।'<sup>1</sup> मुनि मनुष्य है, वे अपनी इच्छा-शक्ति के बल पर दूसरे का अनुकरण कर सकते हैं, परन्तु देवता भारतीय परम्परा के अनुसार भोगयोनि के हैं। उन्हें जैसा बनाया गया है और जैसा काम दिया गया है, वैसा ही कर सकते हैं और किसी अन्य का अनुकरण नहीं कर सकते। यही कारण है कि भारतीय परम्परा में जब देवता को कुछ करना होता है तो वह मनुष्य का स्वप्न घटान करता है।

### 1. उच्छृङ्खला भगवन् शको ब्रह्मा पटुदाहृतम् ।

प्राज्ञिः प्रथाती भूत्वा प्रत्युवाच पितामहम् ।

प्रह्ये धारणे जाने प्रयोगे चारथं सत्तम् ।

प्रशक्ता भगवत् देवा प्रयोग्या नाट्य-कर्मणि ।

य इमे वेद गुह्यज्ञा मूनयः शक्तिश्चताः ।

एतेऽस्य प्रह्ये शक्ता प्रयोगे धारणे तथा ॥

[‘नाट्य-शास्त्र’, प्रथम मध्याय, 21-23 (चौ०)]

मनुष्य में इच्छा-शक्ति और क्रिया-शक्ति दोनों उद्बुद्ध होती है। वे चाहें (और वे चाह सकते हैं) तो देव, दैत्य, राजा, प्रजा, सज्जन, दुर्जन सबका अभिनय कर सकते हैं। नाट्य-शास्त्र की कथा कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इससे देवता की तुलना में मनुष्य की विशिष्ट शक्ति का परिचय मिलता है। इसे नाट्य-शास्त्र की अन्य कथाओं से मिलाकर देखने से आधुनिक मानव-विज्ञान के निष्कर्षों की पुष्टि होती है। उदाहरणार्थं नाट्य-शास्त्र में अन्यत्र बताया गया है कि देवता नृत्य कर सकते हैं। ताण्डव के मूल प्रवर्तनक शिव हैं; लास्य की प्रवर्तिका पार्वती हैं। परन्तु देवता नाटक का अभिनय नहीं कर सकते। नृत्य और नाटक का अन्तर स्पष्ट है। नृत्य में वाह्य उपकरण की आवश्यकता नहीं होती, नाटक में होती है। नाटक अनुकरण है, पर नृत्य नहीं। इस बात को ऐतिहासिक विकास-क्रम की दृष्टि से देखा जाये तो इसका अर्थ यह होगा कि नाटक मनुष्य के भाव-भिन्नजक वाक्-तत्त्व के पर्यान्त आयत्तीकरण के बाद की कला है। यह उस समय विकसित हुआ होगा जब पद और पदार्थ का विवेक पूर्ण हो गया होगा। पर नृत्य उसके पूर्व की कला है। कदाचित् वह मानव-पूर्व है। यह उस समय की कला है जब वाक्-तत्त्व का पूर्ण उन्मेष नहीं हुआ था अर्थात् जब पद और पदार्थ विवित नहीं थे।

परन्तु नाटक यहाँ उपलक्षण मात्र है। मनुष्य की इच्छा-शक्ति और क्रिया-शक्ति—नाद और विन्दु, पद और पदार्थ—के पूर्ण उन्मेष के बाद ही उत्तम हुई कलाएँ अर्थात् काव्य, चित्र, मूर्ति आदि की भी यही कहानी है।

भरतमुनि ने नाटक के क्षेत्र में मनुष्य की महिमा को कितने स्पष्ट रूप में हृदयंगम किया था, इस बात का पता इसी से चलता है कि अपने काल में प्रचलित रूपकों में से पूर्णांग उन्होंने सिफ़े, नाटक और प्रकरण को ही माना है जहाँ नायक मनुष्य होता है। वाकों रूपकों में उन्होंने कई सन्धियों और वृत्तियों को अनियोज्य बताया है। क्योंकि जहाँ देव-कोटि का नायक होता है वहाँ धैर्य की कमी रहती है, फलागम के लिए उतावली होती है, हड्डबड़ी रहती है। पूर्णांग रूपकों में दो ही पूर्णांग रस, वीर और श्रृंगार, माने गये हैं। तथापि वीर रस में एक पथ के पराभव होने के कारण पूर्ण रसपरिपाक नहीं हो पाता। उत्तम रस श्रृंगार ही है जहाँ “लाभः सपदपि जये च पराजये च यूनोर्मनस्तहृषि वाञ्छति जेतुमेव।” प्रथम रूपक शायद ‘त्रिपुरदाह’ था। यद्यपि देवताओं की मूर्मिका में मनुष्य ही उत्तरे थे तथापि यथार्थता की खातिर वह पूर्णांग नहीं हो सका था। रामचन्द्र गुणचन्द्र ने भरत के आशय को ठीक समझकर ही कहा था, “देवा धीरोद्धता एव” (देवता धीरोद्धत नायक ही होते हैं क्योंकि उनमें फलागम के लिए उतावली होती है, धीरोदात की भीति धीर भाव से प्रत्याशा में वे नहीं उलझते। धीरोदात मनुष्य ही हो सकते हैं)। इस प्रसंग पर हम अन्यत्र विचार करेंगे। यहाँ इतना ही अभिप्रेत है कि कला-मर्जन में मनुष्य की महिमा का सबल विवेक सबसे पहले भरत को ही था। पहले ही बताया गया है कि समग्र मानव के निपुण अध्ययन का

एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह निकला है कि मनुष्य का चित्त एक ही जैसा है। नृत्यविज्ञान के पण्डितों ने मनुष्य की उत्पत्ति के बारे में अनेक प्रकार की जल्दी-फल्पना की है। नाक, मुँह, कपाल, जबड़े आदि की नापजीख से कई जाति के मनुष्यों का सन्धान पाया गया है। ऐसा भी कहा जाता है कि मनुष्य की ये विभिन्न जातियाँ भिन्न-भिन्न देशों में, भिन्न-भिन्न काल में प्राइमानव जन्म से विकसित हुई हैं। यद्यपि इस शास्त्र के विशेषज्ञों ने कई प्रकार से मनुष्य-जाति का वर्गीकरण किया है, पर आज तक किसी जाति का मनुष्य ऐसा नहीं मिला जो लाल को लाल रंग और पीले को पीला रंग न समझता हो या आवाज सुनने के बाद कक्ष को कक्ष न कहता हो और कोमल को कोमल न समझता हो। व्यक्तिगत अनुभूति में मात्रा की कमीवेशी हो सकती है, पर वाह्यकरणों की अनुभूति लगभग समान है। वाह्यकरणों की घटावट में भी योड़ा-बहुत अन्तर पाया जाता है, पर उनकी आन्तरिक अनुभूति प्रायः एक सी है अर्थात् अन्तःकरण (मन, बुद्धि आदि) और ज्ञानेन्द्रियों की आहिका शक्ति सर्वत्र एक समान है। मनुष्य की यह चित्तगत एकता सचमुच ही आश्चर्यजनक है। इसने इन्द्रियप्राप्ति विषयों के सम्बन्ध में मानव को एक समान प्राहिका शक्ति से सम्पन्न बनाया है। भौतिक और अन्य भौतिक वातावरण के कारण सहन-सीमा और सन्तोष-सीमा में अन्तर बहुत है, पर अनुभूति एक ही श्रेणी की है। कहीं मानव का ऐसा विकास नहीं हुआ जो लाल को काला देखता हो या गर्भों को सर्वी अनुभव करता हो या फिर वायन्त्र के स्थान पर किसी अन्य शारीरिक अवयव से भाव-प्रेषण करता हो। अन्त करण और ज्ञानेन्द्रियों की आहिका शक्ति की दृष्टि से मनुष्य एक है। इसीलिए गीत, नृत्य आदि अत्यन्त प्रामेतिहासिक अभिव्यक्तियों से लेकर परवर्ती काच तक के लालित्य-धोध में मनुष्य-मात्र में एक अद्भुत समानता है। जहाँ कहीं व्यक्ति-विशेष में सामान्य धोध से भिन्न प्रकार की अनुभूति देखी जाती है, वही उसे अवनर्मिल माना जाता है और चिकित्सा की व्यवस्था सुझायी जाती है। लालित्य-भीमासा की दृष्टि से यह बात विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यह इसके विवेक के विषय में एक मानवीय दृष्टि का सम्धान बताती है। और रूप, वर्ण, गन्ध, आदि के सम्बन्ध में एक सामान्य मानवीय 'मूल्य' नमं की स्थापना करती है। कभी-कभी व्यक्ति-मानव मानस-विकृति या इन्द्रिय-विकार के कारण इस नमं से विच्छिन्न हो जाता है। उस समय वह साधारण से कुछ भिन्न या अवनर्मिल बन जाता है। परन्तु यह भी विचित्र है कि इस अपनर्मिली भाव का भी अपना एक कापदा-कानून है। मानव-मनोविज्ञान के चिकित्सा-शास्त्रीय शोधों ने इस बात को अविसंबाध रूप में सिद्ध कर दिया है। निश्चित प्रकार के स्नायु-दोर्बल्य से मानव-मात्र में निश्चित प्रकार का अपनर्मिली भाव उत्पन्न होता है और निश्चित उपचारों से मानव-मात्र में निश्चित प्रतिक्रिया होती है। परन्तु लालित्य-विवेचन के प्रयासी के लिए और भी काम की बात यह है कि मनुष्य-मात्र में इच्छा-शक्ति और क्रिया-शक्ति के बायदे-कानून भी एक ही जैसे हैं। इस शास्त्र का अन्वेषक हीरान होकर सोचता

है : क्या सारी एकता सतही है या इसके पीछे कोई विराट् शक्ति क्रियाशील है ? कौन है जो पदों की ओट में बैठा हुआ इस महती एकता को रूप दे रहा है ?

सर्वेत्र मनुष्य ने उल्लास-चंचल होकर जड़ता के बन्धनों पर विजय पाने का प्रयास किया है । आरम्भ में उसने नृत्य-चारिका से और स्वर-सन्धान द्वारा इस बन्धन के विरुद्ध विद्रोह किया है और बाद में वाक्, मिथक, और भाव-ममूर्त्तन के द्वारा अपने भीतर किसी बन्धन-द्वोही व्याकुलता को रूप देने का प्रयास किया है । कहीं कुछ ऐसा है जो मनुष्य के आदि-उद्भव के सभय से ही अपने को बन्धनमुक्त करने को लिए छटपटा रहा है । मानो रवीन्द्रनाथ शब्दों वह कातर भाव से कहता आ रहा हो—“आमि चचल है, आमि सुदूरेर पियासी” (अभी, मैं चंचल हूँ, मैं सुदूर का प्यासा हूँ) । कौन-सी बात है यह ? कौन है वह जो नित्य नयी सर्जनाओं से अपने को उल्लिखित करने का प्रयत्न करता आ रहा है ? जान पड़ता है यह उसका चैतन्य है, अनाविल व्यापक चित्तत्व उसी का अद्भुत और अव्वलान्त प्रयत्न है, जो लालित्य-रचना के द्वारा नित्य बन्धनजयी होने की क्रिया से प्रकट हो रहा है । इस प्रयास को समझने के लिए उसकी इच्छा-शक्ति और क्रियाशक्ति का स्वरूप जानना तो आवश्यक है ही, यह भी आवश्यक है कि उसके प्रयत्नों में वाधा पहुँचानेवाले भौतिक और अन्य तत्त्वों का स्वरूप भी समझ लिया जाये । ऊपर के इन विचारों को संक्षेप में इस प्रकार रखा जा सकता है :

1. मानव-चित्त एक है । समष्टि-मानस में ही समान बोध के मान रहते हैं जो ‘नर्म’ कहे जाते हैं ।
2. मनुष्य ने उल्लास की अवस्था में प्रथम आत्माभिव्यक्ति की थी, जिसका अन्तनिहित उद्देश्य जड़ बाधाओं पर चैतन्य के विजयी होने का प्रयास था ।
3. मण्डसावत्तं नृत्य के रूप में यह अभिव्यक्ति पूर्व-मानव-काल में ही हो चुकी होगी ।
4. वाक्-तत्त्व का प्रथम उन्मेष मनुष्य की इच्छाशक्ति का प्रथम स्पष्ट विस्फोट है, जो शुङ्ख में पद और पदार्थ के सम्पूर्त रूप में रहा होगा ।
5. वाक्-तत्त्व वाह्यवस्तु के नामकरण का नहीं, अन्तःकरण के उल्लास-चंचल आश्चर्य का साधन था जो बाद में उल्लासदायक तत्त्व का बाचक हो गया ।
6. वाक्-तत्त्व का स्फोट जहाँ पद और पदार्थ के विवेक का बारण बना, वहाँ उच्चारित शब्द की सीमाबोधकता का ज्ञान लेकर भी आया । इसीलिए पदार्थ-विवेक के साथ-ही-साथ मिथक तत्त्व भी माय-ही-माय पूरक के रूप में आविर्भूत हुआ ।
7. पद-गदार्थ के विवेक ने अनुमूल तत्त्व की पूर्ण उपलब्धि में वाधा दी । इसीलिए मनुष्य की इच्छाशक्ति ने लानित्य तत्त्व का आश्रय लिया ।

8. पद-पदार्थ-विवेक की पूर्ति मिथक से और इन दोनों की पूर्ति लालित्य-तत्त्व से की गयी।
9. बाहु पदार्थ के भाव-रूप में ग्रहण करना और गृहीत भाव की अभिव्यक्ति करना मनुष्य की ही विशेषता है।
10. भाव-रूप में ग्रहण करना (इच्छा) और गृहीत भाव को पुनः अभिव्यक्ति करना (क्रिया) अपने-आपमें अन्त नहीं है। ये मनुष्य के अन्तर्निहित विशुद्ध चेतन्य के सहायक हैं।
11. चेतन्य की सीमाहीन अभिव्यक्ति की व्याकुलता लालित्य तत्त्व का मूल उत्स है।
12. व्याकुलता क्यों है, यह प्रश्न उचित और समावेष है।

## कलाकार की सिसूक्षा और सर्जन-सीमा

यह मानकर चलना चाहिए कि प्रत्येक मनुष्य में सौन्दर्य-रचना और सौन्दर्यानुभूति की योग्यता समान रूप से नहीं होती। इस असमानता का कारण क्या है, यह एक दूसरा प्रश्न है। कभी-कभी कला के इतिहास-नेतृत्वक कलात्मक अभिव्यक्ति की विकास-परम्परा का विकास दिखाते समय ऐसा मानकर चलते हैं कि विभिन्न देशों और कलाओं की जो कलाकृतियाँ संयोग से हमें उपलब्ध हो गयी हैं, वे घस्तुतः उस देश-विशेष या काल-विशेष की प्रतिनिधि रचनाएँ हैं और उस देश या काल-विशेष की सर्वोत्तम कृतियाँ हैं। परन्तु यह बात पूर्णतः सत्य नहीं है। जो कृतियाँ संयोग से मिल गयी हैं उनके रचयिता उस काल या देश के मर्वोत्तम रचयिता ही थे, यह बात जोर देकर नहीं कही जा सकती। कालयजी होने का एकमात्र कारण सर्वोत्तमता ही नहीं होती। कई कारण ऐसे हो सकते हैं जिनसे रचना-विशेष सर्वोत्तम न होकर भी समय के प्रहार से बच जा सकती है। परन्तु हर काल और देश की अपनी सीमा होती है, यह बात कुछ निश्चय के साथ कही जा सकती है। उस सीमा का ज्ञान कलाकृति को महिमा के समझने में हमारा सहायक हो सकता है। परन्तु देश और काल की सीमाओं के साथ व्यक्ति की भी सीमा होती है। यह सीमा रचना-कौशल में और रचयिता की ग्राहिका शक्ति में निहित होती है। इसकी जानकारी आवश्यक है। इसे समझने के बाद ही हम कलाकार की रचनात्मक अभिव्यक्ति के महत्व को जान सकते हैं। हस्तेन्वितस ने भ्रनेक निरधार मानव-समाजों की कलाप्रवृत्तियों के अध्ययन के बाद पाया था

कि “विस्तृततम् अर्थो में योग्यता द्वारा सम्पादित सामान्य जीवन का कोई भी ऐसा अलकरण, जिसे वर्णनीय रूप प्राप्त है, कला। कहा जा सकता है।” वे कहते हैं कि योग्यता ही कला-विद्यधता बन सकती है। यह योग्यता कला-विधि पर पूर्ण अधिकार से प्राप्त होती है जो सभाज को सुन्दरतम् सौन्दर्यात्मक कृतियाँ देती हैं। मम्मट आदि भारतीय आचार्यों ने काव्य के मुख्य हेतुओं में शक्ति, निपुणता और अभ्यास, तीनों को गिनाया था। केवल प्रतिभा, सौन्दर्य-रचना के लिए पर्याप्त हेतु नहीं है। व्यक्तिगत योग्यता और निरन्तर अभ्यास भी उतना ही आवश्यक तत्त्व है। हसेंकोवित्स का कहना है कि जहाँ विद्यधता का प्रश्न नहीं उठता है वहाँ भी यदि कलाकार को अपनी अभिव्यक्ति में प्रभावयुक्त होना है तो उसमें योग्यता अपेक्षित है। रूप (form), कार्य (function) और डिजाइन किसी भी कला-रूप को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हैं। भस्तृति और सौन्दर्य-चेतना के विकास और अभिव्यक्ति का अध्ययन करनेवाले विद्यार्थी को उन सारी अभिव्यक्तियों को कला के रूप में ग्रहण करना चाहिए, जिन्हें लोग जीवन-सौन्दर्य में वृद्धि करने का साधन समझते हैं। इस बात को स्वीकार करते ही हम उस महत्वपूर्ण प्रश्न के समुद्दीन होते हैं कि कलाकार रूप को क्या बैसा ही ग्रहण कर सकता है जैसा वह अपने आपमें प्रतिभात होता है। कलाकार की रचना-प्रक्रिया में रूढ़ीकरण, यथार्थ, प्रतीकीकरण और वस्तुप्रस्थापन (representation) का क्या स्थान है? वे कलाकार की सीमाएँ हैं या सहायक?

पहले रूप को लिया जाये। आपात-दृष्टि से यह जान पड़ेगा कि रूप-सर्जना कलाकार का मुख्य उद्देश्य है। अगर कलाकार रूप की सूटि नहीं करता तो वह कुछ भी नहीं करता। कवि, नाटककार, गीतकार, चित्रकार और मूर्तिकार का मुख्य उद्देश्य है, रूप देना। परन्तु रूप किसे दिया जाना है? जो कुछ देखा है उसे, या जो कुछ समझा है उसे? साधारणतः यह माना जाता है कि जो वस्तु जैसी दिखती है उसे ज्यो-का-त्यों चित्रित कर देना व्यक्तिनिरपेक्ष दृष्टि है, और दृष्ट वस्तु को जैसा समझा है उस समझ को रूप देना व्यक्तिसापेक्ष दृष्टि है। सासार के अनेक मनीषी विद्वानों ने कलात्मक अभिव्यक्ति का विकास दिखाते समय रूप को यथादृष्ट भाव से चित्रित करने के कौशल को ही कलात्मक विकास की कसौटी मान लिया है। इस यथार्थवाद का विकासक्रम दिखाने का नाम दिया गया है। किसी युग-विशेष या देश-विशेष के चित्रित पशुपक्षियों, पेड़-पौधों और विभिन्न मानवाकृतियों की यथार्थता को ही राजनात्मक उत्कर्ष की कसौटी मानना बहुत संगत नहीं कहा जा सकता। धीरे-धीरे कला-समीक्षक इस बात को अनुभव करने लगे हैं। वस्तुतः किसी वस्तु को यथादृष्ट रूप में व्यक्ति-निरपेक्ष दृष्टि से चित्रित करना केवल बात-की-बात है। मानव-चित्त निरन्तर इन्द्रियों के माध्यम से चित्रण अनुभूतियों को सचालित करता रहता है। व्यक्ति-निरपेक्ष या धनासक चिन्तन एक प्रकार का प्रयत्न मान है। कोई वस्तु मात्रा में धर्मिक या कम वस्तु-निरपेक्ष हो सकती है; कलाकार यदि चाहता है कि वह दृष्टियों

यथा-दृष्टि स्पष्ट में चिह्नित करे तो वह बहुत कुछ बैसा कार सकता है। परन्तु कभी भी वह कोटी के समान ज्यों-का-त्यों चिल्कूत नहीं चिह्नित कर सकता। वस्तुतः कैमरे के लेस का 'यथादृष्टि' और चक्षु-कनीनिका का 'यथादृष्टि' एक तरह का हो ही नहीं सकता। चक्षु-कनीनिका का पथादृष्टि निरन्तर मानस-प्रनुभूतियों से प्रभावित होता रहता है। उसमें चित्त्रवाह का दबाव बराबर बना रहता है। यहाँ तक कि जब चित्रकार व्यक्ति-निरपेक्ष या हू-व-हू चित्रण करना चाहता है, तो उसका यह प्रयास भी चित्-प्रवाह के दबाव का ही एक स्पष्ट है। इस सम्बन्ध में स्वयं चित्रकारों के प्रनुभव बहुत ही मनोरजक और अर्थपूर्ण है। लुड्विग रिल्टर नामक जर्मन विद्वचित्री ने अपनी आत्मकथा में एक प्रसग का उल्लेख इस प्रकार किया है :

"एक घार वह अपने तीन मिथों के साथ तिबोली (Tivoli) की मुख्सिड सुलदरस्थली को छोकने गया था। इन चित्रकारों के हाथ में कठोर नोकबाली पेसिले-भर थी। उसी समय कुछ कान्सीसी चित्रकार भी वहाँ आये थे जो सब प्रकार के साज-सामान से लैस थे। जर्मन चित्रकारों ने अचरज-भरी दृष्टि से उनके सामान को देखा था। इन चित्रकारों ने वडी भूमता के साथ उस रस्य-स्थली की प्रतिकृति अर्की। उन्होंने एक-एक घास का धोरेकार चित्रण किया। चित्र प्रस्तुत हो जाने के बाद चारों मित्र मिलान करने चैंडे। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि चारों चित्र एकदम भिन्न थे। जो चित्रकार उनमें सर्वाधिक उदास प्रकृति का था उसके चित्र में नीले रंग पर अधिक जोर था।" यह संस्मरण है, एच. गोम्ब्रिख की पुस्तक 'आर्ट एण्ड इल्यूजन' (पृ. 55) से लिया गया है। गोम्ब्रिख ने लिखा है कि इस संस्मरण को पढ़कर उन्हें एमिल जोला की कला-विषयक उस परिभाषा की याद आयी जिसमें जोला ने कलाकृति को "किसी विशिष्ट मानसिक शक्ति द्वारा देखा हुआ प्रकृति का एक ढोना" कहा था।

सब लोग इसे जोला की भाँति मानसिक वृत्तियाँ (temperament) नहीं कहेंगे। कुछ लोग इसे कलाकार का निजी व्यवित्त्व कहते हैं। नाम चाहे जो भी दिया जाय, वास्तविकता यह है कि 'ज्यों-का-त्यों' चित्रण भी सबका एकलूप नहीं होता और हर कलाकार का अपना-अपना रंग उस पर चढ़ा होता है। सेखक की मानसिक वृत्ति या व्यवित्त्व के कारण आलेख्य में कुछ घट-घड होती है। उसका नवीकरण या विशेषीकरण हो जाता है। यह विशेषीकरण जितना ही अधिक होगा, उतना ही चित्र विषयिपरक या सञ्जेक्तिव होगा और इसे देखने का जितना ही अधिक प्रयास होगा, उतना ही वह विषय-परक या अवैज्ञेकित्व होगा। किसी विषय को आत्म-निरपेक्ष चित्रित करना प्रथल-साध्य है। कैमरा में वह अपनी चरम सीमा पर होता है, क्योंकि वहाँ आत्मपरक तत्त्वों के दबाने की ज़रूरत ही नहीं होती—वहाँ आत्मपरक तत्त्व का एकान्त अभाव होता है। पर मनुष्य उसे दबाने का प्रयास करता है, सर्वथा दबा नहीं पाता। रिल्टर की कहानी बताती है कि अत्यधिक सावधान होने पर भी आत्मपरक तत्त्व आ ही जाते हैं। विषयपरक

समय सुप्रसिद्ध जनबूतशास्त्री हसेंकोवित्स ने लिखा है कि “वास्तव में स्पष्टतम् फोटो भी कैमरे से दिखायी देनेवाली वस्तु की व्याख्या मात्र है। हम तस्वीरें देखने के इतने अम्बस्त हो गये हैं कि हमें ध्यान ही नहीं रहता कि उसमें तीन आधामोवाले जगत् को सिर्फ दो आधामों में दिखाया जाता है या वह रंगों के परिवेश को काली और सफेद रचनाओं में बदल दिया करता है। चूंकि फोटो एक व्याख्या है और उसके देखनेवाले को यदि उसके वास्तविक अर्थ को ग्रहण करता है तो उसे उसके रूप-पथ और ध्याया-पक्ष (फामं और शेडिंग) का ज्ञान होना अत्यावश्यक है। एक बार संकेत समझ जाने पर अन्य कलाहृष्टों की तुलना में फोटो को समझना आसान होता है। अन्य कलाहृष्टों की व्याख्या फोटो की तुलना में अधिक भनना दंग से सम्भव है। इसी अर्थ में फोटो व्याख्यावादी चित्र है।” इसी वक्तव्य का एक ध्यान देने योग्य पक्ष यह है कि फोटो-चित्र में दर्शक की सर्जनात्मिका कल्पनावृत्ति काम करती रहती है, जबकि अन्य कला-कृतियों में कलाकार की सर्जनात्मिका कलावृत्ति भी काम करती रहती है। दर्शक की कल्पनावृत्ति कितनी सर्जनात्मक हुआ करती है, इसका एक मनोरंजक प्रयोग वालको को दिखाये हुए फोटो-चित्रों की व्याख्या ढारा किया गया है। प्रायः देखा गया है कि वालक किसी फोटो-चित्र को देखकर पूरी कहानी गढ़ लिया करते हैं। हसेंकोवित्स का कहना है कि “व्याख्यावाद की उत्तम परिभाषा यही ही सकती है कि यह कला में व्याख्यावादी प्राप्त करने का प्रयास है।” यह बात इस प्रकार भी कही जा सकती है कि व्याख्यावादी या विषय-प्रधान चित्रणवादी अपने-आपको व्याख्यावृत्त अलग रखने का प्रयत्न करता है। परन्तु कुछ कलागत रुद्धियों और प्रतीकों का सहारा उसे भी लेना पड़ता है। जो लोग कलाकृति का ठीक-ठीक आनन्द अनुभव करना चाहते हैं, उन्हे इन रुद्धियों और प्रतीकों की जानकारी होनी ही चाहिए। हसेंकोवित्स ने इस बात को कई उदाहरणों में स्पष्ट किया है। अफोका के योहवा नृत्य में एक प्रकार का नकली चेहरा या मास्क का प्रयोग किया जाता है। इसके प्ररूप को यूरोप और अमरीका के अनेक विद्वान् कला-समीक्षकों ने गलत समझा है। जिस जाति में यह नृत्य प्रचलित है उसके शिल्पी कुछ रुद्धियों और प्रतीकों को अनायास ही सहज ढंग से व्यवहार में लाते हैं, जबकि सभ्य कहे जानेवाले कई कला-समीक्षक उनके बारे में एकदम अनभिज्ञ होते हैं। इन कला-समीक्षकों ने इन नकली चेहरों की गलत व्याख्या की है। हसेंकोवित्स कहते हैं कि यह प्ररूप अमरीका और यूरोप के विद्वान् और सहदय कला-समीक्षकों द्वारा मानव-चेहरे का रूढ़ीकरण कहा गया है, जिसमें कि चेहरे और सिर के अनुपातों को बदलकर पिण्डों की कुशल अभियंति दिखायी गयी है। सदा ही यह चर्चा इस नकली चेहरे को लम्ब स्थिति में रखकर की गयी है, इस दृष्टिक्रम (perspective) में अवश्य ही इसकी विकृतियाँ उभर आती हैं जो कि कला की आलोचना के मूदम विषेषण को जन्म देती है। “यह नकली चेहरा जो पढ़ी स्थिति में प्रयोग के लिए बनाया गया है, इसी माने में ‘नकली चेहरा’ है कि इसे पहनकर व्यक्ति

अपने असली रूप को छिपा लेता है। इसे सिर के सारे ऊपर पहना जाता है और इससे निकले हुए लम्बे रेशों से, जो कि पहननेवाले के सारे शरीर को ढौँक लेते हैं, छिपाने का कार्य सम्पन्न होता है।” हर्सेंकोविट्स ने इसके दूसरे रूप का भी चित्र दिया है। यह दिखाता है कि योद्धा इसे कैसे देखते हैं और कलाकार उसे किस भाँति दिखाना चाहता था। यहाँ पर ‘विकृति’ (distortion) अगले भाग को छोटा करने की एक कुशल विधि है, जो कि कल्पित परम्परागत शैली की अभियक्ति को एक कलात्मक, यथार्थवादी चित्रण बनाती है। इस प्रकार प्रचलित व्याख्या एक सुविचारित आन्त वक्तव्य है।

स्पष्ट है कि द्रष्टा के भीतर सदा कोई कार्यतत्पर सर्जक विद्यमान होता है। वह दृष्ट वस्तु को अपनी जानकारी की सीमाओं से केवल वेष्टित ही नहीं करता, उसे नया अर्थ भी प्रदान करता है। कलाकार भी मूलत द्रष्टा और सर्जक है। वह बाह्य जगत् को देखता है और दृष्ट वस्तु को अपनी जानकारी या अनुभव की सीमा से वेष्टित करता है तथा अर्थ जोड़ने का प्रयास करता है। यह जानकारी या अनुभव चेतन धर्म है। सब समय कलाकार एक ही प्रकार की मानसिक स्थिति में नहीं रहता। कुछ बातें तो वह परम्परा से गृहीत रूप में यन्त्रवृत् कर देता है। कुछ में तात्कालिक मनोभाव के अनुसार नवीन अर्थ देने का प्रयास करता है। रुढ़ियों, अभिप्रायों, प्रतीकों और परिपाठी-विहित साज-सज्जा में वह बहुत कुछ यन्त्रवृत् काम करता है। इसमें उसका अभ्यास और उसकी निपुणता उसे सफलता प्रदान करती है। जिन कलाकारों में रचना की सहज शक्ति नहीं होती, वे यही रुक जाते हैं।

एक उदाहरण कविता से लिया जाय। कवि झेलम के बक्स्ट्रोत को सन्ध्या की लाल आभा से आच्छादित देख रहा है। उसी समय हस-जातीय पक्षियों की एक पंक्ति (वलाका-पक्ति) उड़ती चली आयी। कवि ने पहले तो इसी मनोरम चित्र को देखा। उसने उसे ज्यों-का-त्यों आँकने का प्रयास किया। जो-न्यो वातें उसे ऐसी लगी कि पाठक को मनोग्राह्य नहीं होगी, उनके लिए उसने उपमानों का सहारा लिया और प्रयत्न किया कि सौन्दर्य जैसा उसे दिख रहा है वैसा ही पाठक को अवित्य रूप में हृदयगम हो जाये। यथार्थ चित्रण का प्रयास यही तक समाप्त हो जाता है। इसके बाद उसके चित्र की अनुभूतियाँ उद्वेल हो उठती हैं। वह ऐसा कुछ देखने और सुनने लगता है जो अन्य द्रष्टा के लिए सम्भव नहीं है। अन्य द्रष्टा भी वहाँ कुछ ऐसा अनुभव कर सकता है जो उसका एकान्त निजी हो, परन्तु ऐसा सम्भव है कि वह अनुभूति को रूप नहीं दे पाता। कवि अपनी अनुभूति को रूपायित करता है। नये चित्र, नयी ध्वनियाँ, नये राग, नया दर्शन एक-पर-एक इस प्रकार आते-जाते हैं, जैसे कोई चतुर जाड़गर एक मूर्ति में से संकड़ों मूर्तियाँ निकालकर रख देता है। कविता कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर की है। उसका हिन्दी रूपान्तर इस प्रकार हो सकता है:

‘सन्ध्या की लालिमा में फ़िलमिनाता हुआ झेलम का यह बाँका स्रोत  
अन्यकार में मतिन हो गया, मानो म्यान में ढौंकी हुई

बाँकी तलवार हो ।

दिन के भाटे की समाप्ति के बाद आया रात का ज्वार  
अपने काले जल में बहकर आते हुए नक्षत्र-पुष्पों को लिये हुए,

आँधेरे में गिरिन्तट की तलहटी में

कतार-के-कतार देवदाह वृक्ष (खड़े हैं)

ऐसा लगा कि सृष्टि मानो स्वप्न में कुछ कहना चाहती है,

(परन्तु) स्पष्ट कह नहीं पा रही है,

(ओर) उस अव्यक्त ध्वनि का पुंज घुमड़ रहा है (उसके हृदय में)

अचानक सुनायी पड़ी उसी समय

सन्ध्या के आकाश में

शब्द की विद्युत-द्वारा, शून्य के प्रान्तर में

क्षण-भर में फैल गयी दूर से और भी दूर ।

है हंस बलाका,

मत्त हैं तुम्हारी पाँखे भंझा-मद के रस से,

पुंजीभूत आनन्द के अटूहास से,

विस्मय का जागरण तरंगति करके चल पड़ी हैं आकाश में ।

पाँखों की वह ध्वनि

(वह) शब्दमयी असरा है

जो स्तव्यता का तपोभंग करके चली गयी ।

सिंहर उठी अन्धकारमान गिरिथोणी

सिंहर उठा देवदाह का बन ।

जान पड़ा (तुम्हारे) पंखों की यह वाणी

ले आयी

केवल एक क्षण के लिए

पुलकित निश्चल के अन्तरतर में

वेग का आवेग ।

पर्वत होना चाहता है निरुद्देश्य मेघ,

वृक्ष शेषी चाहती है, पर उसारकर

मिट्टी का धन्यन तोड़कर

उसी शब्दरेखा को पकड़कर अचानक दिशाहारा होना,

आकाश का विनारा ढूँढना ।

इस सन्ध्या का स्वप्न टूट रहा है, वेदन-

ो यात्रा के

रागी !

बज उठी

“यह

में,

॥

हे हंस बलाका,  
 आज रात को तुमने मेरे निकट स्तव्यता का ढक्कन खोल दिया है,  
 सुन रहा हूँ इस नीरवता के तले  
 शून्य में जल में स्थल में  
 इसी प्रकार पंखों के उद्भाम-चंचल शब्द ।

## तृणदल

मिट्टी के आसमान में पंख फड़फड़ा रहे हैं  
 (और) मिट्टी के अन्धकार के नीचे किसे क्या पता है (कि)  
 अंकुरों के पंख फैला रही है  
 लाख-लाख बीजों की बलाकाएँ ।

आज मैं देख रहा हूँ

यह पर्वतश्रेणी, यह बन,  
 चल पड़े हैं उन्मुक्त पंख फैलाये हुए  
 द्वीप से द्वीपान्तर को, अज्ञात से और भी अज्ञात की ओर  
 नक्षत्रों के पंख के स्पन्दन से

चमक उठता है अन्धकार आलोक के फन्दन से ।  
 सुना मैंने मानव के न जाने कितने सन्देश दल बाँधकर  
 अलक्षित मार्ग से उड़े चले जा रहे हैं  
 प्रस्पष्ट अतीत से अस्फुट मुदूर युगान्तर की ओर,  
 सुना (मैंने) अपने अन्तर में

असंख्य पक्षियों के साथ

## दिन-रात

यह घर-द्योङ पंछी दोङ रहा है आलोक में, अन्धकार में  
 (न जाने) किस पार से किस पार की ओर ।

ध्वनित हो उठा है शून्य निलिल (विश्व) के परां के इस गान से  
 "यहाँ नहीं, और कहीं, और कहीं, कहीं और ।"

स्पष्ट ही यह देखना एक विशेष प्रकार का देखना है । बहुत मंस्कारी चित्त ही बलाका-पक्षित की उड़ान में यमस्त मूटि में व्याप्त उद्भाम-चंचल जीवनी शक्ति की उड़ान को इस प्रकार प्रत्यक्ष करा सकता है । मानवमस्कारी चित्त अनेक अनुभूतियों और जानकारियों से गठित होता है । एक वस्तु को देखकर उसके अनेक संस्कार उसी प्रकार भनभना उठते हैं जिस प्रकार शततार धीमा के एक तार को छेड़ने पर सभी उसमें रणितध्यनि उत्तर्यन कर देते हैं । यहाँ हम केवल यह दिग्गजा धाहते हैं कि देखना केवल वाण्य वस्तु को निर्जीव ध्याय पट्टन की प्रक्रिया नहीं है । मनुष्य का मर्जनक चित्त उसे अनेक रागों, रूपों, धन्दों, वर्णों में प्रतिफलित करके देखता है । कलाकार रचना करने के पहले युद्ध जानता है और कुछ देखता है और किर बाद में उम मन-ही-मन रची वस्तु को नये मिरे

बौकी तमवार हो ।

दिन के भाटे की समाप्ति के बाद आया रात का ज्वार

अपने काले जल में बहकर भाते हुए नदीभृत्यों को निये हुए,

झैंघेरे में गिरिन्टट की तलहटी में

कतार-केन्कतार देवदाह वृद्ध (रहे हैं)

ऐसा लगा कि सूर्य मानों स्वप्न में कुछ कहना चाहती है,

(परन्तु) स्पष्ट कह नहीं पा रही है,

(और) उस धन्यवत् ध्वनि का पुंज पुमङ रहा है (उसके हृदय में)

अचानक सुनायी पड़ी उसी समय

सन्ध्या के आकाश में

शब्द की विद्युत-द्युति, शून्य के प्रान्तर में

धण-भर में फैल गयी दूर से और भी दूर ।

हे हंस बलायन,

मत हैं तुम्हारी पौर्ये भंभा-मद के रम से,

पुंजीभूत आनन्द के अट्टहास से,

विस्मय का जागरण तरंगति करके चल पड़ी है आकाश में ।

पंखों की वह ध्वनि

(वह) शब्दमयी धूसरा है

जो स्तव्यता का तपोभंग करके चली गयी ।

सिहर उठी धन्यकारमान गिरिश्रेणी

सिहर उठा देवदाह का बन ।

जान पड़ा (तुम्हारे) पंखों की यह वाणी

ले आयी

केवल एक धण के लिए

पुलकित निश्चल के अन्तरतर में

वेग का आवेग ।

पर्वत होना चाहता है निरहेश्य मेघ,

वृक्ष श्रेणी चाहती है, पंख पसारकर

मिट्टी का बन्धन तोड़कर

उसी शब्दरेखा को पकड़कर अचानक दिशाहारा होना,

आकाश का किनारा ढूँढना ।

इस सन्ध्या का स्वप्न टूट रहा है, वेदना की तरंगें जाग उठी हैं

सुदूर की यात्रा के लिए

हे पंखो के बैरागी !

बज उठी है (यह) व्याकुल वाणी निखिल (विश्व) के प्राणों में,

"यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, और कही ।"

--वह और क्या हो सकता है ?

--वह अगर ऐसा न हो तो रगों का हास्यास्पद खिलवाड़ हो जाय ।

—हाँ ठीक है । लेकिन उन रूपों के बारे में आपका क्या भत है, जब आसमान में बादल छूटने लगते हैं और हम किन्नर, हिरन, भेड़िए, घोड़े आदि का रूप देखते हैं । वे भी क्या अनुकृति मात्र हैं ? क्या ईश्वर भी चित्रकार हैं जो खाली समय में इस प्रकार के चित्र बनाकर अपना मनोविनोद किया करता है ?

दोनों ने स्वीकार किया कि ऐसी बात नहीं है । मेघों में दिखामी देनेवाले ये रूप अपने-आपमें कोई अर्थ नहीं रखते । यह तो हम देखनेवाले हैं जो स्वभावतः अनुकृति में अभिसचि रखते हैं और फटते मेघों के विभिन्न अवयवों को जोड़-तोड़कर आकृति की कल्पना कर लिया करते हैं ।

अपोलोनियस ने किर कहा—इसका क्या यह अर्थ नहीं है कि अनुकृति भी दो प्रकार की होती है ? इसका एक पक्ष है हाथ से और मन से किसी वस्तु की आकृति बनाना और दूसरा पक्ष है केवल मन से साम्य उत्पन्न कर लेना । द्रष्टा का मन भी अनुकृति का हिस्सेदार है । एकरणे चित्र और ताओत्कीर्ण मूर्ति में भी हमें साम्य (रिजेम्बलेस) दिखायी देता है—हम उसे रूप और अभिव्यक्ति की भाँति देखते हैं । यहाँ तक कि यदि हम इन भारतीयों की आकृति सफेद खड़िया मिट्टी से भी बनाये तो इनकी चपटी नाक, घुंघराले बाल और मजबूत जबड़े हमें उन्हें वैसा ही देखने को प्रेरित करेगे जैसा कि वे वस्तुतः हैं । इसलिए मुझे कहना चाहिए कि जो लोग चित्र देखते हैं उनमें भी अनुकरणात्मक शक्ति (imitative faculty) होनी चाहिए और कोई भी चित्र-लिखित घोड़े या बैल को तब तक नहीं समझ सकता जब तक वह यह न जाने कि ये जन्मतु कैसे होते हैं ।

अपोलोनियस ने यहाँ जिस वस्तु को 'इमिटेटिव फैकल्टी' या अनुकरणात्मक प्रवृत्ति कहा है, वह वस्तुतः मानव-वैतन्य की वह विशिष्ट शक्ति है जो द्रष्टा के चित्त में रूप-कल्पना को प्रेरित करती है । इन दिनों मनोविज्ञान में प्रोजेक्शन के जो प्रयोग किये जाते हैं उनसे अपोलोनियस की बतायी हुई इस प्रवृत्ति का रहस्य अधिक स्पष्ट होता है । Rorschach Test में स्याही के धब्बों में रूप-कल्पना के प्रयोग किये जाते हैं । आदिम मनुष्य ने पर्वतों, झरनों, अरण्यों में, चाँदनी और उषा में, वृक्ष, लता और उजाड़ में रूप-कल्पना की थी जो धीरे-धीरे सामाजिक स्वीकृति पाकर पौराणिक गाथाओं में बदल गयी । जहाँ अर्थ नहीं है, या कम-से-कम मनुष्य की तर्कानुगमिती बुद्धि अर्थ नहीं देख पाती, वही अर्थ खोजने की यह रहस्यमयी शक्ति मानवात्मा में विद्यमान है । नक्षत्र-व्यूह में रूप की कल्पना और किर उनकी निरन्तर विद्यमान एक ही स्थिति की व्याप्त्य के लिए अतीत व्यापार की कल्पना भारत और यूनान के पौराणिक आस्थानों में भरी पड़ी है । रूप-कल्पना के अर्थानुसन्धान की यह वृत्ति इतनी स्पष्ट है कि बहुत-से चतुर शिक्षकों ने अपने विद्यार्थियों को रूप-निर्माण-कला की शिक्षा के लिए इसे उपयुक्त माध्यम के रूप में स्वीकार किया है । अलेक्जेंडर कोजेन ने एक विचित्र पुस्तक

में दृढ़ा इन्डियान शब्द होता है ; बहुत कम भ्राताओं में जानने और लगाने की अवधि है, परन्तु इन्डियान शब्द शब्द में रखने की अवधि ने इस शब्दका मूल्य में है। मनुष्य की वर्तनी उसे एक भ्राता के अवतार का लिहाता है। इस शब्द के मूल्य की विवेचना उपर्योगी विषया असौभाग्यवाले का इच्छा में ही है। इस शब्द भ्राता के वर्तनी जानेवाली वाक्यालय इसका पूर्ण मूल्य में बिल्कुल है। यद्यपि भ्राता में जानेवाले-पाता-माता-जाता इसके वाक्यालय वाक्यविकास का विवरण है— जाता-जाति—की इस शब्द का गोनिया है। मनुष्य की वर्तनीभूता उग छोड़ने की भर्ती है। इस शब्दके मूल्यके वर्तनीभूता की व्याख्या यह है, वह शब्दका विवरणीभूता है। इसके वर्तनीभूता वर्तनीभूता की विवरणीभूता है। इसका विवरण है। वर्तनीभूता वर्तनीभूता की विवरणीभूता की विवरणीभूता है। वर्तनीभूता वर्तनीभूता की विवरणीभूता है। वर्तनीभूता वर्तनीभूता की विवरणीभूता है। वर्तनीभूता वर्तनीभूता की विवरणीभूता है।

देखें की इस वर्तनीभूता वर्तनीभूता में भी जानी जाती है, वह लगाने की भी एक विनोद प्रक्रिया मनुष्य में ही विद्यावारी होती है। बहुत जहाँ से विचारों का ध्यान इस घोंगे देखा है। घोंगे सोने मार्फत कमा नहीं— यही तरह की वास्तव की भी—‘पनुररेण’ मानी जाती है। उन्हें पुराने वाक्यालयों में इस बात पर बहुत बहुत दिया गया। परम्परा फिलिस्ट्रेटर (Philisteratus) द्वारा जिसी स्वतन्त्र के प्रतीकों-नियम की जीवनी (the Life of Appolonius of Tyana) में एक मार्मिक व्रतमय मिलता है जो ‘पनुररेण’ के एक घन्ता दरम्यमय रूप की घोंगे देखन प्रतीक हरता है। यह प्रतीकोंनियम एक पाठ्यकालीनियन माप्तु गया। गगार-भर के यह विद्या का प्रचार घोर जान की करामता दिग्गजा भासमन करता रहा। उनका जीवनी-नियम यतनाता है कि यह भारत भी पहुँचे गया। उनके माध्य उनका विवरण निष्पत्ति और मार्फती दामिग भी था। दक्षिण भारत में विभीं राजा से यह विसर्ग गया। राजा के द्वारा बुलाये जाने की प्रतीक्षा में जब दोनों राजद्वार के बाहरी प्रकोण में थे, उग गमय उन्हें एक पातुनिमित उत्तीर्ण मूर्ति दिखी। यह मूर्ति घनेकर्णेष्टर के मध्य की ग्रीक-रुद्धि पर थी थी। दोनों उग मूर्ति को प्रगांठा-भरी दृष्टि में देखते रहे। किंतु घनेकर्णियम ने घमने मार्फती दामिग से विगुद शुकराताना महजे में प्रश्न लिया। उनकी यातर्चीत इस प्रकार हुई :

—प्रबन्धा दामिग, मतामो तो सही, विवक्ता नाम की कोई वस्तु है ?

—मवश्य है।

—यह चित्र वित थीजों से बनता है ?

—रंगों के विश्वर से ।

—लोग चित्र वयो थनाते हैं भला ?

—प्रनुकरण के लिए। वे कुत्ता, पोड़ा, आदमी, भेड़ या ऐसी ही विसी चीज के समान कुछ बनाने का प्रनुकरण करते हैं।

—तो किंतु वित्र अनुष्टुति है ?

— वह और क्या हो सकता है ?

— वह अगर ऐसा न हो तो रगों का हास्यास्पद खिलबाड़ हो जाय ।

— हाँ ठीक है । लेकिन उन रूपों के बारे में आपका क्या मत है, जब आसमान में बादल छेटने लगते हैं और हम किन्नर, हिरन, भेड़िए, घोड़े आदि का रूप देखते हैं । वे भी क्या अनुकृति मात्र हैं ? क्या ईश्वर भी चित्रकार हैं जो खाली समय में इस प्रकार के चित्र बनाकर अपना मनोविनोद किया करता है ?

दोनों ने स्वीकार किया कि ऐसी बात नहीं है । मेंघों में दिलायी देनेवाले ये रूप अपने-आपमें कोई अर्थ नहीं रखते । यह तो हम देखनेवाले हैं जो स्वभावतः अनुकृति में अभिरुचि रखते हैं और फटते मेघों के विभिन्न अवयवों को जोड़-तोड़कर आकृति की कल्पना कर लिया करते हैं ।

अपोलोनियस ने फिर कहा— इसका क्या यह अर्थ नहीं है कि अनुकृति भी दो प्रकार की होती है ? इसका एक पक्ष है हाथ से और मन से किसी वस्तु की आकृति बनाना और दूसरा पक्ष है केवल मन से साम्य उत्पन्न कर लेना । इष्टा का मन भी अनुकृति का हिस्सेदार है । एकरंगे चित्र और तात्रोत्कीर्ण मूर्ति में भी हमें साम्य (रिजेम्बलेंस) दिखायी देता है— हम उसे रूप और अभिव्यक्ति की भाँति देखते हैं । यहाँ तक कि यदि हम इन भारतीयों की आकृति सफेद खड़िया मिट्टी से भी बनायें तो इनकी चपटी नाक, धुंधराले बाल और मण्डूत जबड़े हमें उन्हे बैसा ही देखने को प्रेरित करेंगे जैसा कि वे वस्तुत हैं । इसलिए मुझे कहना चाहिए कि जो लोग चित्र देखते हैं उनमें भी अनुकरणात्मक शक्ति (imitative faculty) होती चाहिए और कोई भी चित्र-लिखित घोड़े या बैल को तब तक नहीं समझ सकता जब तक वह यह न जाने कि ये जन्मतु कैसे होते हैं ।

अपोलोनियस ने यहाँ जिस वस्तु को 'इमिटेटिव फैकल्टी' या अनुकरणात्मक प्रवृत्ति कहा है, वह वस्तुतः मानव-चैतन्य की वह विशिष्ट शक्ति है जो इष्टा के चित्त में रूप-कल्पना को प्रेरित करती है । इन दिनों मनोविज्ञान में प्रोजेक्शन के जो प्रयोग किये जाते हैं उनसे अपोलोनियस की वतायी हुई इस प्रवृत्ति का रहस्य अधिक स्पष्ट होता है । Rorschach Test में स्थाही के घब्बों में रूप-कल्पना के प्रयोग किये जाते हैं । आदिम मनुष्य ने पर्वतों, भरनों, अरण्यों में, चाँदनी और उषा में, वृक्ष, लता और उजाड़ में रूप-कल्पना की थी जो धीरे-धीरे सामाजिक स्वीकृति पाकर पीराणिक गाथाओं में बदल गयी । यहाँ अर्थ नहीं है, या कम-से-कम मनुष्य की तकनीनुगामिनी बुद्धि अर्थ नहीं होती देख पाती, वही अर्थ सोजने की यह रहस्यमयी शक्ति मानवात्मा में विद्यमान है । नक्षत्र-व्यूह में रूप की कल्पना और फिर उनकी तिरन्तर विद्यमान एक ही स्थिति की व्याख्या के लिए अतीत ध्यापार की कल्पना भारत और यूनान के पीराणिक आख्यानों में भरी पड़ी है । रूप-कल्पना के अर्थानुसन्धान की यह वृत्ति इतनी स्पष्ट है कि बहुत-से चतुर शिक्षकों ने अपने विद्यार्थियों को रूप-निर्माण-कला की शिक्षा के लिए इसे उपयुक्त माध्यम के रूप में स्वीकार किया है । अलेक्जेंडर कौजेन ने एक विचित्र पुस्तक

लिखा है, जिसमें उन्होंने यदृच्छाप्रसारण पद्धति में चित्र-गिराव की गताह दी है। इस पुस्तक का नाम है—A New Method of Assisting the Invention in Drawing Original Composition of Andse (A. I. P.-155-156)। इस प्रकार की गताह परिणामी-विधि कला-गिराव-गद्दति के प्रति बिद्वान् ही वही जायेगी, परन्तु यह प्राचीन काल में भी किसी-न-तिकी रूप में प्रत्यक्षित रही है। दम्भो घटावदी के भारतीय धानसारिक राजनेश्वर ने धम्भो काल्प-भीमामा में कविशिक्षा के गिराव-जूते विधान की चर्चा की है। इसमें घनुमार गिरावों कवि केवल शब्द बनाने के आभ्यास के निए भिरधंक ध्यनियों में श्वोक व्यापा करता था और उसका गुण युद्धियम में उन शब्दों में ध्वं गोवकर उग्रा इग्राह बड़ापा करता था।

पद्धतों या छेटने वादमां में श्व-नल्लना निरधंक ध्यनियों में ध्वं सांकेति के प्रयास से तुलनीय हो गया है। परन्तु इगका उत्तम श्व-पूर्वकालीन शोसदिक आभ्यासों और परवत्तों काव्यों में श्वाक और उत्प्रेषा-विधान में दृष्टिगोचर होगा। चीन के चित्रकार मुंग-ति (प्यारह्यां घटावदी) ने श्वेत-मुंग-शिह की आलोचना करते हुए कहा था कि तुम्हारे चित्रों का तकनीक तो ठीक है मगर इसमें प्राकृतिक प्रभाव नहीं है। उसने इस प्राकृतिक प्रभाव (निचुरन एक्सेट) को ले आने के निए इस प्रकार की गताह दी—“पुरानी हीवारों के पद्धतों को देतो, या किर दोवार पर रेशमी कपड़े का एक टुकड़ा गाट दो और उम्मे पुराने होने की प्रक्रिया को देंगो। जब रेशम का कपड़ा मड़ जायेगा तो उम्मे कुछ धंग बच जायेगा, कुछ भीना पह जायेगा और कुछ भड़ जायेगा। जो बच जाये उसे पहाड़ बना दो, निम्नतर भाग को पानी बना दो और छेद को दरो बनाओ। टूटी जगहों को जनधारा बनाओ। हल्की जगहों को घपने नजदीक का और गहरे रंग की जगहों को दूर का हिस्सा बनाओ। सारी बातों को मन में धारण करो। खूब ध्यान से देतोगे तो किर धीरे-धीरे आदमी, चिड़िया, पीथ, दररुत उसमें दिखने लगेंगे। अब अपनी तूली चलाओ।” (A. I. P-158)। कोजेन से भी पहले लियोनार्दी दा विक्ती ने भी इस प्रकार की गताह दी थी और कोजेन को अपनी पुस्तक लिखने में उसमें प्रेरणा भी मिली थी। कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत पहले से भनुत्य की इस राहज सर्जना वृत्ति को पहचाना गया था और उसे उपयोगी बनाने का यत्न भी किया गया था। बस्तुतः अपोलोनियस इस शक्ति को अनुकरणात्मक प्रवृत्ति इसलिए कह गये हैं कि वे यूनानी आचार्यों के ‘अनुकरण’ शब्द से प्रभावित थे। यह भी यह सकते हैं कि अनुकरण शब्द का प्रयोग हम जिस संकुचित अर्थ में करते हैं, वह यूनानी आचार्यों के अभिप्रेत अर्थ से भिन्न है। वे इस शब्द का प्रयोग अधिक व्यापक अर्थ में करते हैं, नहीं तो बादलों में घोड़ा था वैल की कल्पना को अनुकरण नहीं कहा जा सकता। यह एक प्रकार का अनुभवन है। यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है जब हम उनके अन्तिम निष्कर्ष को पढ़ते हैं कि “कोई भी चित्रलिखित घोड़े और बैत को तब

तक नहीं समझ सकता जब तक वह यह न जाने कि ये जन्मतु कैसे होते हैं।” इसका मतलब यह हुआ कि अपोलोनियस के मत से रूप-कल्पना ज्ञानपूर्वा होती है। हम देखते हैं और हम उसमें रूप-रचना करते हैं, क्योंकि वैसे रूप का हमें पहले से ज्ञान रहता है। यह अनुभवन की प्रक्रिया है। इस अनुभूत वस्तु को पुनः रूपायित करना अनुकरण होगा, जो वस्तुतः हिन्दी में प्रचलित ‘अनुकरण’ के शब्दार्थ से कुछ अधिक अर्थ रखता है।

कहने का तात्पर्य यह है कि द्रष्टा के अन्तर्जंगत् में सदा सर्जनात्मिका कल्पना-वृत्ति काम करती रहती है। रूपकार भी स्थूल रूप-रचना के पूर्व द्रष्टा की अवस्था में रहता है। वह देखता है, अपने अनुभवों और जानकारियों से दृष्ट वस्तु को तथा रूप देता है और फिर उस मानस-मूर्ति को नये सिर से स्थूल इन्द्रियग्राह्य रूप देने का प्रयास करता है। सभी मनुष्य मानस-मूर्तियों को ठोस रूप में उतार नहीं सकते। जो उतार भी सकते हैं उनकी योग्यता समान नहीं होती। जो भाव मन में प्राया है उसे चित्र में, मूर्ति में, काव्य में, उभी प्रकार चित्रित करना कठिन काम होता है। जड़-नत्त्व जो साधन के रूप में व्यवहृत होता है, निरन्तर वाधा या प्रतिरोध उत्पन्न करता रहता है। चित्रत्व की सर्जनात्मिका कल्पना-वृत्ति गतिरूपा है, जिन जड़ साधनों के सहारे उसे स्थूल मूर्ति रूप में बदलना होता है वे स्थिति-रूप होते हैं, द्वन्द्व शुरू होता है। कई बार शिल्पी सफल होता है, कई बार नहीं हो पाता। ज्यों-की-ज्यों मानस-मूर्ति शायद ही रूपायित हो सकती हो। रूप का बाना धारण कर प्राय। वह कुछ-का-कुछ ही जाता है। महादेवी वर्मी ने कवि की ओर से इस लाचारी को प्रकट करते हुए कहा है—“मैं अपने ही वेसुधपन में लिखती हूँ कुछ, कुछ लिख जाती।”

कलाकार के मानस-जगत् में जो मानस-मूर्ति का रूप होता है, वह जब भौतिक सामग्रियों के सहारे प्रकट होने लगता है तो सब समय ज्यों-का-त्यो नहीं उत्तर पाता। मूर्तिकार जब अपनी मानस-कल्पना को पत्थर और छेनी की सहायता में इन्द्रिय-ग्राह्य ठोस रूप में बदलना चाहता है तो कई बाधाएँ जड़-नत्त्व की ओर से उपस्थित होती हैं। पत्थर ठीक नहीं हो सकता, छेनी काम करने में असमर्थ सिद्ध हो सकती है, जिस स्थान पर थेंकर वह काम कर रहा है वहाँ की सर्दी-गर्मी कुछ प्रभाव पैदा कर सकती है, मक्खियाँ-मच्छर या मनुष्य भी वाधा उपस्थित कर सकते हैं। प्राकृतिक शक्तियाँ, जो मानव-जक्षित से अनियन्त्रणीय हैं (जैसे ग्रांथी, भूचाल, घनघोर मेघवर्ण), अचानक व्याघ्रात पैदा कर सकती हैं। और अन्य वाधाएँ भी आ सकती हैं। चेतन चित्त की सर्जनात्मिका वृत्ति न जाने किन-किन वाधाओं से टकरा सकती है। भगवान् श्रीकृष्ण ने गीता में एक अन्य प्रसंग में अर्जुन को बताया था कि किसी कार्य की नियामक कई बातें होती हैं : अधिष्ठान, करनेवाले की योग्यता, विभिन्न सामग्री और साधन, इदं-गिरं के

तोणीं की विविध चेष्टाएँ और दैव ॥ इसलिए करनेयादा किसी कार्य के तिरे पूर्ण उत्तरदायी नहीं माना जा सकता। यहने का मतलब मह है कि चेतन की मानस-मूर्ति हृषि-परिप्रह करते समय अनेक धारायां से निपटती है। उसे अनेक प्रतिरोधी का सामना करना पड़ता है। उसके श्रुतित्व की परीक्षा करते समय इन प्रतिरोधक गणितयों का भी हिताय लगा जेना उचित है।

हाल ही मे सौन्दर्यशास्त्रियों और गेस्टलॉट मनोविज्ञानवादियों ने अनेक मूर्तियों और चित्रों की परीक्षा करने के लिए एक्स-किरणों का उपयोग किया है। इस प्रकार के प्रयोगों का लक्ष्य यह था कि (1) सौन्दर्य-मूर्तियों—विशेष हृषि से चित्र-शिल्प—के ऊरर भिन्न-भिन्न गहराई की किरणें ढालकर कलाकार की उस सर्जन-प्रक्रिया (क्रियेटिव प्रोसेस) का अध्ययन किया जाय। (2) सर्जन-प्रक्रिया के अवसर पर उस आधार या माध्यम के व्यक्तित्व, निर्देश, मनुशासन और प्रतिरोध की मात्रा की जाय और विभिन्न शिल्प-मूर्तियों की विभिन्न शिल्प-शैलियों का निर्धारण करके किसी कलाकृति के ठीक-ठीक समय का पता लगाया जाय। 'एक्स' किरण आधुनिक विज्ञान की एक विभिन्न दंत है। महरंगों की विभिन्न परतों के अन्दर प्रवेश करके उनकी उस हृषि-रेसा की छान-चीत कर सेती है जो कलाकार के चित्र में आविर्भूत होकर प्रथम बार आधार-फलक पर उतरी थी। अतः भिन्न-भिन्न ('मिली माइक्रोन') तरंग-दैर्घ्य की किरणें जब चित्र को सतह पर पड़ती हैं तो क्रमशः अवचेतन की मानियता के भिन्न-भिन्न स्तर, चित्रों के मूल हृषियों में चेतन (युग, जीवी, कौशल) की दस्तान्दाजी एवं रेखाओं के परिवर्तनों का बोध होता है। इन परिवर्तनों को मापकर प्रयोगकर्ता सर्जनपूर्व की मूल ऊर्जा तथा सर्जन की ऊर्जा के बीच के अन्तर को एक ग्राफ पन्ने पर अक्षित करता है।

वहां ये ग्राफ सिंछ करते हैं कि सर्जन के पूर्व तथा दोरान मे सहमी हुई अस्त-व्यस्त शक्ति का टेढ़ा-मेढ़ा प्रभाव होता है। बाद की रेखाओं मे शनैः-शनैः स्थायित्व की अधिकता और घवराहट (नवंसनेस) की कमी आती-जाती है। पुराने आधारों ने इस प्रक्रिया को ही चित्र का सत्त्वस्थ होना कहा है। मनुष्य का चित्र जब पूर्ण हृषि से अपने पर आप ही विजय नहीं पालेता तब तक वह राजसिक और तामसिक वृत्तियों मे उलझा रहता है, तब तक वह चांचल्य का शिकार होता है। इस अवस्था मे वह अच्छी रचना नहीं दे पाता। मह उसकी आन्तरिक वाधा है। धीरं-धीरे वह इस वाधा से मुक्ति पाता है। एक्स-किरणों ने उसकी इस आन्तरिक वाधा को भी पकड़ लिया है। अतः माध्यम के मनुशासन को और उसके प्रतिरोध को अधिकाधिक स्वीकार करते हुए तथा यथासम्बन्ध उस पर भी अनुशासन करते हुए उभयपक्षीय प्रक्रियाओं के बीच ही कलाकार उच्चता, कौशल और श्रेष्ठता को प्राप्त करता है। 'एक्स' किरणें माध्यम अर्थात् आधारफलक की

1. अधिष्ठान तथा कर्ता करना च पृथ्वियम् ।  
विविधाश्च पृथक् चेष्टा देव चैवात् पवमग् ॥

प्रतिरोध-गति को पहली बार इतना स्पष्ट कर गयी है। योरीचेनी के ग्रफोदीत चित्र पर जब भिन्न-भिन्न तरंग-दैर्घ्य की एक-किरणें आनी गयी तो देखा गया कि प्रारम्भ में बीनग का वर्ण स्थित और कटि की रेगाएँ भद्दी थीं, टींग का कोण, प्रभाण-मानव के टींग के कोण से कुछ अधिक भुजा हुआ था। कलाकार ने दूसरी बार प्रयत्न करके उनको मुदारा था। इसी प्रकार माइकेल एंजिनो, लियोनार्डो दा विची तथा रोसार्डे के चित्रों का एक-किरण उपचार किया गया। इस प्रक्रिया से कई नकली चित्र भी पहचाने मिये हैं और इस तत्त्व का उद्घाटन किया गया है कि ये चित्रकार मामने माइकल रखकर चित्रकल करते थे या म्यतन्त्र दिवा-स्वप्नमयी कल्पना का प्रयोग करते थे। याथान रोलिन्स ने अपनी पुस्तक 'एस्टेटिक एण्ड दि गेस्ट्राल्ट' में इसका मुन्दर विश्लेषण किया है। भित्ति-चित्रों के अध्ययन में भी इन किरणों का उपयोग किया गया है। कलाशुनि के गठन-विषयक विश्लेषण की ओर आधारफलक या माध्यम के प्रतिरोध को ये किरणें स्पष्ट कर देती हैं। मनुष्य के विचारों पर दूगरे मनुष्य के विचार का जो प्रभाव होता है, वह बहुत सूक्ष्म होता है। उसे कोई भी एक-किरण नहीं पकड़ पायेगी। परन्तु पहले जिन प्रयोगों की चर्चा की गयी है, वे इतना स्पष्ट कर देने के लिए पर्याप्त हैं कि खट्टा के चित्र में उद्भूत भाव को आधार-फलक के प्रतिरोध का रामना करना ही पड़ता है। खट्टा का गवल्य प्रतिरोध का घक्का साकर कई बार मुड़ने और भुजने को बाध्य होता है और वह अपनी प्रकृति के अनुमार उमका अनुशासन भी करता है। ससार के कुछ महान् मृत्तिकारों ने घताया है कि वे पत्थर को पढ़ते हैं, वह स्वयं अपना शर्यं और हृष यता देता है। इसके बाद उस शर्यं और हृष को स्पष्ट होने में पत्थर का जो श्रंग बाधक या अनावग्यक होता है उसे निकाल देते हैं और इस प्रकार मूर्ति अपने-आप बन जाती है। इस प्रकार के घक्कन्य में माध्यम का महत्व स्पष्टित किया जाता है। परन्तु इस प्रकार के वर्णन में भी संस्कारी चित्र की मर्जनात्मिका कल्पनावृत्ति की महिमा ही प्रकारान्तर से स्वीकार की जाती है। दीर्घ काल के मनन-चिन्तन के बाद और अत्यन्त विशिष्ट प्रतिभा के अधिकारी शिल्पी द्वारा ही माध्यम के निजी हृष, छन्द, नय और इंगित को समझा जा सकता है। 'माध्यम की अनुकूल बनाने' की बात इस प्रकार की विशिष्ट प्रतिभा द्वारा सहज साध्य होती है। जिस प्रकार सिद्ध कवि ही विषय के अन्तनिहित छन्द और लय का सम्बान्ध पा सकता है, उसी प्रकार सिद्ध मूर्ति-शिल्पी ही माध्यम के अन्तनिहित छन्द और राग को पहचान सकता है।

स्पष्ट है कि मनुष्य के भीतर जो सर्जनशील चित्तत्व काम करता रहता है वह तब तक इन्द्रियप्राणी रूप की रचना में समर्थ नहीं होता जब तक कि वाह्य जड़तत्त्वों की सहायता नहीं लेता। शक्ति या प्रतिभा इसी चित्तत्व के गतिमय सर्जनशील रूप का नाम है। किन्तु वाह्य अचित् या जड़तत्त्वों की सहायता के बिना रूप नहीं बन सकता। यदि कलाकार हृषनिर्माण नहीं करता तो वह कुछ भी नहीं करता। गति और स्थिति के द्वन्द्व से ही रूप बनता है। जो लोग समझते

है कि कला-सृष्टि विशुद्ध आन्तरिक चेतन-धर्म है, वे बात को उलझा देते हैं। रूप-रचना के लिए वाह्य जड़तत्वों के साथ निपटना पड़ता है, उनकी अनुकूलता की याचना करनी पड़ती है। उनसे समझौता करना पड़ता है। अभ्यास और निपुणता इसी प्रक्रिया का नाम है। कलाकार जब गतिशील चित्तत्व को स्थिति-शील अचित् तत्त्व पर विजयी दिखाना चाहता है तो जड़तत्व को अनुकूल बनाकर ही ऐसा कर सकता है। अनुकूल होकर प्रतिरोधक जड़तत्व रूपकार का सहायक और अनुगत मित्र बन जाता है।

## सिसूक्षा का स्वरूप

[ १ ]

अपने पिछले लेरा में मैंने यह दिखाने का प्रयत्न किया था कि सहज सर्जक चित् तत्त्व को अचित् तत्त्व की अनुकूलता की याचना करनी पड़ती है, प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। यह कार्य वह कैसे करता है और सब समय इसका भानु-कूल्य वयों नहीं पा सकता, यह प्रश्न विचारणीय है। इसके लिए अवरोधक तत्त्व की प्रकृति की जानकारी आवश्यक है। विविध कलाओं के मूल रूप और उनकी प्रकाशन-भंगिमा का वैचित्र्य इस जानकारी से ही समझ में आ सकता है।

पुराने शास्त्रकारों ने जगत् को नामस्पात्मक कहा है। इसका मततब यह है कि दृष्टप्रमाण चराचर जगत् वस्तुतः दो प्रकार के तत्त्वों से बना है—नाम और रूप; पद और पदार्थ। नाम कान का विषय है, रूप चक्षुरिन्द्रिय का। हम जो कुछ गुनते हैं वह मन्द है, नाम है, पद है; जो कुछ देखते हैं वह अर्थ है, नामी है, पदार्थ है। आधुनिक प्राणिशास्त्री बताते हैं कि मनुष्य जिस गम्य गूतवाली जन्म-श्रोणी का जीव है वही वोल सकता है। वाक्सम्पत्ति इस दुनिया में सबको नहीं मिलती। दृष्टि-भूषित इग श्रेणी के जीवों के अतिरिक्त कुछ और को भी प्राप्त है। परन्तु वाक्सम्पत्ति यहुत घोड़े जीवों को ही मिलती है। इस वाक्सम्पत्ति का जैसा वैभव मनुष्य को मिला वैगा किमी को नहीं मिला। इन्द्रियार्थ कई हैं—शब्द है, स्वर है, स्वर है, रग है, ध्वनि है। कई इन्द्रियार्थ भन्य जन्मुप्तों को भी गुलभ है। कई जन्मुभूष्य से धर्मिक दृष्टिगति, स्वर्गशक्ति, धारणशक्ति और रसशक्ति के धर्मितारी हैं, पर भूषणशक्ति में मनुष्य मर्वात्तम है। इस विषय में उगसे धर्मिक शास्त्रसम्बन्ध जन्मु को हम नहीं जानते।

पिछले वर्तनम्य में 'भाषा' शब्द का प्रयोग मैंने व्यापक घण्टों में किया था।

यहाँ मुंह से बोली जानेवाली वागिन्द्रियाभिव्यक्त भाषा को ही 'भाषा' कहा जा रहा है। फिर मनुष्य के प्रसंग में साधारण रूप में सांसारिक प्रयोजनों को व्यवत करनेवाली गद्यात्मक भाषा को भाषा कहकर व्यवत किया गया है। अस्तु।

इम श्रेणी के जन्तुओं में वाक्शबित का विकास विभिन्न स्तरों पर हुआ है। परन्तु कुछ मानस-भावों को व्यवत करने के लिए निश्चित प्रकार की बोलियों का अस्तित्व पाया जाता है। चिडियाघरों के विशेषज्ञों ने ग्रामोकोन की सहायता से विभिन्न भावों को प्रकट करने में समर्थ पशुपक्षियों की भाषा का सन्धान पाया है। साधारणतः भय, उल्लास, संगमेच्छा आदि मनोभावों को व्यवत करने के लिए ये जन्तु विभिन्न प्रकार की ध्वनियों का व्यवहार करते हैं। मनुष्य को पूर्व रूप से इस बत्तमान रूप में आने के बीच हजारों वर्षों का समय तागा होगा। उस अवधि में मनुष्य मिलती-जुलती अविभाज्य वर्ण-वैशिष्ट्यवाली भाषा बोलता होगा। वर्ण या अक्षर रूप में इस वाणी का विभाजन बाद में हुआ है। उस समय की मामूली भावनाओं की अभिव्यक्ति में अक्षर एक-दूसरे से इस प्रकार अविभाज्य रूप में गुंथे रहते होंगे जिस प्रकार जल-प्रवाह में जल-विन्दु गुंथे रहते हैं। संगीतात्मकता या स्वरों के आरोह और अवरोह से वे एकीकृत या प्रवाहरूप भाषा होगी। संगीत में उसी पुरानी पद्धति का विकसित और कमवद्वीकृत रूप उपलब्ध होता है। आदिम जातियों की भाषा में अब भी संगीतात्मकता अधिक मिलती है। नये भाषा-वैज्ञानिकों ने सूक्ष्म ध्वनिग्राही यन्त्रों की सहायता से सम्प्य जातियों की भाषा की अधिक विशिष्टीकृत ध्वनियों में भी ध्वनिग्राम का सन्धान पाया है। कहने का मतलब यह है कि आदिम मानव की भाषा अविभाज्य वर्ण-वैशिष्ट्यवती और लयात्मक थी। संगीत आदिमानव का प्रथम आविष्कार नहीं है, प्रथम प्रयत्न-साध्य त्याज्य वस्तु है। वर्ण-वैशिष्ट्यवती भाषा और पदार्थों के नामकरण के प्रयत्न ने धीरे-धीरे संगीतात्मक भाषा से मुक्ति पायी है।

इसका मतलब यह हुआ कि सम्यता की ओर अग्रसर होते समय मनुष्य संगीत को छोड़कर संगीत-विरहित भाषा प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हुआ था।

क्यों उसने संगीत से मुक्ति पाने का प्रयत्न किया?

सम्यता का अर्थ है वाह्य तथ्यात्मक जगत् से अधिकाधिक परिचय। मनुष्य ने नदी परिस्थितियों पर विजय पाने के लिए नये-नये पदार्थों का परिचय पाया। मध्यवद्ध रूप में वह कदाचित् पहले भी रहता था। प्राणिशास्त्री ऐसा ही कहते हैं। परन्तु बौद्धिक विकास के साथ उसको सघबद्धता के नियमों, ऋद्धियों और आचारों की व्यवस्था करनी पड़ी। उसे केवल कण्ठोष्ठ उच्चरित भाषा का ही नहीं, इशारों और अभिनयों की भाषा का भी सहारा लेना पड़ा। और जो बात कभी नहीं हुई थी वह भी हुई। वाह्य तथ्यात्मक जगत् के साथ सधर्ष के लिए उसे उसी से प्राप्त वस्तुओं का सहारा लेना पड़ा। भाषा के तुरन्त बाद ही उसे हाथ से वाह्यजगत् की वस्तुओं का अपने हित के लिए निर्माण करना पड़ा। सम्यता आगे बढ़ी। पारस्परिक सहयोग और वाह्यजगत् से सधर्ष—इन दो उद्देश्यों से मनुष्य को

'प्रयोजन' के वर्ण में आना पड़ा। केवल अन्तर की आकृतिशास्रों की अभिव्यक्ति से वह आत्मरक्षा नहीं कर सकता था। काम नहीं चला तो कामचलाक (या प्रयोजन-परक) माध्यम की जहरत हुई। संघर्ष की दृद्धि और सहयोग की अत्यधिक आवश्यकता ने उसे 'संगीतात्मकता' को छोड़कर गद्यात्मकता की ओर अग्रसर होने के लिए बाध्य किया। यह प्रयोजन (=अर्थ) की मार महंगी पड़ी। सम्भता की ओर अग्रसर होने को वह अपनी अन्तर्निहित आवश्यकताओं से ही बाध्य था। जिजीविता की दुर्वार शक्ति ने उसे उधर ठेल दिया, पर संगीत के लिए वह व्याकुल था। इसी व्याकुलता ने कलाओं को जन्म दिया। कविता आयी, अभिनय आया, चित्र आया। सर्वत्र अर्थ या प्रयोजन की मार से बचने का प्रयास। वीसवीं शताब्दी के कवि (रवीन्द्रनाथ ठाकुर) भी इस अर्थभारप्रस्ता भाषा के दम घुटने से उतना ही व्याकुल हैं। रवीन्द्रनाथ की एक कविता की कुछ पंक्तियों का हिन्दी रूपान्तर इस प्रकार होगा :

“हाय, भाषा मनुज की है वैधी केवल अर्थ के दृढ़वर्ण में, चक्रकर लगाती है सदैव मनुष्य को ही धेरकर। अविराम घोमिन मात्रोंग प्रमोजनों में इस तो भाषा पिता का पाण है।”

यह प्रमोजनवती गद्यात्मक भाषा क्या है ?

विभिन्न अर्थों में सकेति बुद्ध शब्द या अधार-समवाय है, जो केवल एक व्यक्ति के नहीं वृत्तिक समूचे समाज में समान रूप से गृहीत होते हैं। वाह्यजगत् में जो पदार्थ हैं उनके लिए ये प्रतीक-रूप में व्यवहृत होते हैं। व्यक्ति-विशेष के मुना से उच्चरित ये प्रतीकात्मक शब्द श्रोता के चित्त में वाह्यजगत् में स्थित पदार्थों का प्रतीपण (प्रोजेक्शन) करते हैं। ये शब्द वहृधा आन्तरिक भावों का प्रतीपण भी करते हैं। ये प्रतीकात्मक शब्द आपस में व्याकरण और वाक्य-विन्यास की मुग्धित व्यवस्था द्वारा मंभट्टित होकर भाषा का रूप ग्रಹण करते हैं। इस दृष्टि से ये शब्द मनुष्य द्वारा क्रमोद्भावित और समाज द्वारा सर्वात्मना स्वीकृत स्वतन्त्र व्यवस्था (व्याकरण, वाक्य-विन्यास) के अधीन हैं। दूसरी ओर इनके द्वारा अभिव्यक्त मर्यादा (या आन्तर) जगत् की प्रकृति-प्रदत्त स्वतन्त्र व्यवस्था के अधीन है। शब्द-प्रतीकों द्वारा प्रदेशित मर्याद (पदार्थ) दोनों स्वतन्त्र व्यवस्थाओं के बीच सामंजस्य स्थापित करके ही साधेंक बनते हैं। भाषा दोनों व्यवस्थाओं के बीच जब तक सामंजस्य नहीं स्थापित करती, तब तक भारितार्थ नहीं होती। 'पर्मिना सिञ्चति' (—धारा में सीचता है) व्याकरण और वाक्य-रचना को अपनाएँ दृष्टि से पूर्णतः ठीक है, पर वाह्य जगत् के 'धारा' और 'सीचना' गामंजस्य न होने से निरर्थक है। भजेदार भाषा वी होने हुए भी कभी-भी भाषा मिल कर्य जाते हैं कि वह मर्यादित गार्थ में प्रयोगनानीन की व्यजना भी होना चाहिए वी पर वाह्यजगत् होगा— वी पर

ही कालिदास ने ऐसी बात कही है :

इदं किलाव्याजमनोहरं वपुः  
तपः शमं साधयितु य इच्छति ।  
ध्रुव स नीलोत्पलपत्र-धारया  
शमीं तरं छेतुमृपिव्यंवस्थति ।

[शकुन्तला के इस सहज मनोहर शरीर को जो ऋषि तप के योग बनाना चाहता है, वह निश्चय ही नील कमल की पंखुड़ियों की धार से शमी वृक्ष को काटना चाहता है ! ]

५

यहाँ 'शमी वृक्ष', 'नीलोत्पलपत्र धारा' और 'काटना' के प्रक्षेपित अर्थों का समवाय वाह्य जगत् में असम्भव व्यापार है। कवि यही कहना चाहता है कि वह ऋषि असम्भव की कामना कर रहा है। प्रक्षेपित अर्थों के द्वारा इस असम्भव और अनुचित कार्य का जो भाव-चित्र बनता है, वह अर्थ की प्रतीति को गाढ़ बनाता है। विना भाव-चित्र को प्रत्यक्ष कराये कवि यह बात नहीं कह सकता था। भाषा उसे कहने में असमर्थ है। एक 'उफ़', या 'अह्' कहकर मनुष्य जितना कह जाता है उतना भी भाषा नहीं कह पाती। 'उफ़' या 'अह्' यद्यपि भाषा में लिख-बोल लेने की व्यवस्था कर ली गयी है, पर वह वास्तव में अविभाज्य वर्ण-वैशिष्ट्यवाली आदिम भाषा के ही भग्नावशेष है। भाषा सब कहाँ कह पाती है? आज भी हम भावावेश की अवस्था काकु और स्वराघात के तारतम्य के अनुसार कह जाते हैं। हाथ घुमाकर, मुँह बनाकर, आँखों की विशिष्ट भगियों के द्वारा हम अनकहीं कहने की कोशिश करते हैं। मनुष्य उस भूली हुई कहानी को अनजान में स्मरण करता रहता है। छन्द, सुर, लय द्वारा हम भाषा में उसी श्रकह को कहने की शक्ति भरते हैं। कविता मनुष्य की अन्तःस्थित सहजात भावधारा और वाह्य जगत् की वास्तविकता के व्याकुल संघर्ष की उपज है। कविता सभस्त कलाओं की जननी है। कविता आदिम है। पदार्थ से पद का महत्त्व उसमें कम नहीं है, कुछ अधिक ही है। इसीलिए वह अनुवादित नहीं हो पाती। पदार्थ का व्याकरणसम्मत व्यवस्थापन उसे दरिद्र ही बनाता है।

सामान्य प्रयोजनों को पूर्ण करनेवाली गद्यात्मक भाषा दो व्यवस्थाओं से चालित होती है—एक तो तथ्यात्मक जगत् की वाह्य सत्ता की व्यवस्था से और दूसरी अपनी ही व्याकरणात्मक और वावय-चिन्यास-मूलक व्यवस्था से। कविता को इन दोनों व्यवस्थाओं को स्वीकार करना पड़ता है, पर साथ ही उसकी अपनी स्वतन्त्र एक तीसरी व्यवस्था है। छन्द, लय, यति, तुक आदि की भी एक व्यवस्था है, जो कविता की अपनी व्यवस्था है, यह शब्दों की सजावट पर आधारित है। इनके प्रयोग से कविता वाह्य जगत् और व्याकरण की व्यवस्थाओं से एक अन्य प्रकार की व्यवस्था के अधीन हो जाती है। यद्यपि कविता अर्थ से विच्छिन्न होकर नहीं रह सकती, और सच तो यह है कि शब्द और अर्थ के सहित-सहित बने रहने के कारण ही किसी समय इसे 'साहित्य' कहा गया था, पर शब्द उसके मुख्य

हराहर है। आदित्य चतुर्वेदी में शब्द को भर्ते अभिन्न माना जाता है। तान्त्रिक भर्ते के इन्द्रिय किञ्चित्तमें देवदत शब्द को शूलविद्ध करने से देवदत पदार्थ के इन्द्रिय बहुचक्र बने का विवास पाया जाता है। आदिमानव शब्द को अर्थ का है इन्द्रिय द्वारा उत्पन्न। वहीं शब्द में एक विनिष्ट लक्षित मानी जाती थी, जो शब्द है जो एहुचक्री थी। शब्द वही प्रतीक नहीं, वहृत-कुद्ध अर्थ का समशील होता था। इन्द्रिय शब्द की इस रहस्यमयी सत्त्वित में आज भी विश्वास करती है। इन्द्रिय शब्द का अनुवाद कठिन होता है। केवल संवेदित अर्थ का प्रक्षेप-मात्र करके कोई दिग्ज नहीं हो जाती। तथा, तात्, त्वर और नकार के मिलित योग से इह इक्षित भर्ते से अतिरिक्त ध्वनित कर जाती है। प्रशिक्षण संकेतित अर्थ कई दर रहे दिल्ली या 'मत्यन्त तिरस्कृत' होता है। आदिमानव के शब्दार्थ सम-  
क्षीतात् के निष्ठ एहुचक्र में कविता सर्वांधिक समर्थ कला है। शब्द की इस सहित भी छोड़ दी एहुचक्र एहुचक्र के कारण ही पण्डितराज जगन्नाथ ने शब्द को ही अन्य माना था। उन्ने भूत से, शब्द, भवत्य ही 'रमणीयार्थं प्रतिपादक' होना चाहिए अर्थात् भालू जगत् की व्यवस्था से उत्ते एकदम असम्भृत नहीं रहना चाहिए। नित्यन्देश कविता में शब्द मुख्य है, उसमें पदार्थ से अभिन्न वन्नों की रक्षणशी दर्शित है। यह आदिम प्रभृति कविता की एक मुख्य विशेषता है, किन्तु अर्थपरिवर्तित कार्य संरोत-भार्य है।

प्रस्थ और स्थान्त्रिय। बाह्य जगत् की सत्ता चार आयामों में है—लम्बाई, चौड़ाई, मोटाई और काल। इस प्रकार न तो कविता में और न चित्र-मूर्ति में ही पूरी तौर से बाह्य सत्ता आ सकती है। इस दृष्टि से बाह्य जगत् को यथार्थता मनुष्योदभावित शिल्प में व्यक्त करना केवल बात-की-बात है। यथार्थता केवल आपेक्षिक तत्त्व है। फिर भी मनुष्य बाह्य सत्ता को कलाओं में अभिव्यक्त करने का प्रयास करता है। कैसे वह इसमें सफल होता है?

इस कौशल को अन्यथाकरण कह सकते हैं। अग्रेजी में इसे 'डिस्टार्शन' कहते हैं। मनुष्य जो कुछ भी रचता है उसके लिए वह बाह्य जगत् की वास्तविकता से ही मसाला सग्रह करता है। पर उसे ज्यो-का-त्यो वह ले ही नहीं सकता। उसे चार आयामों के जगत् को तीन, दो या एक में बदलना पड़ता है। वह कुछ-न-कुछ छोड़ने को बाध्य है। वह तथ्यात्मक बाह्य सत्ता को बदलता है, अन्यथा बनाता है। इसलिए उसके इस प्रयत्न को अन्यथाकरण कहते हैं। अन्यथाकरण, अर्थात् जो जैसा है उसे बैसा ही न रहने देना। फिर भी वह वस्तु को यथार्थ रूप में चित्रित करने का प्रयास करता है। रेखा से, रंग से वह कमियों को पूरा करता है। इस कौशल पर ही कलाकार का वैशिष्ट्य है। कालिदास ने 'अभिज्ञान शाकुन्तल' में एक स्थान पर एक बात बड़े आकर्षक ढग से कही है। राजा दुष्पन्त ने शकुन्तला का चित्र बनाया था। उस चित्र को देखकर राजा ने कहा था कि चित्र में जो कुछ सावृ नहीं होता, अर्थात् जैसा है बैसा नहीं बन पाता, उसे 'अन्यथा' कर दिया जाता है। फिर उस (शकुन्तला) का लावण्य रेखाओं से कुछ जुड़ ही गया है, बढ़ ही गया है।

"यद्यत्साधु न चित्रे स्पात् किप्रते तत्तदन्यथा।

तथापि तस्या लावण्य रेखाया किञ्चिदन्वितम् ॥"

यहाँ इस श्लोक को उद्धृत करने का उद्देश्य सिर्फ़ यही नहीं है कि 'अन्यथाकरण' शब्द के प्रयोग का औचित्य सिद्ध किया जाय, बल्कि यह भी है कि इस बात को विशेष रूप से दृष्टिगोचर किया जाये कि कालिदास ऐसा मानते थे कि यद्यपि अन्यथाकरण के द्वारा बाह्य-जगत् ज्यो-का-त्यों नहीं आ जाता तथापि उत्तम कोटि का चित्रकार उसमें कुछ और जोड़ देता है—किञ्चित् अन्वितम्। कपर-कपर से यह बात ऐसी अटपटी मालूम होती है कि बहुत-से पण्डित इस श्लोक का अर्थ ही बदलने पर उतार हो गये हैं! उनका कहना है कि इसका अर्थ है कि फिर भी इसमें उसका लावण्य कुछ-कुछ उभर ही गया है!

हर पण्डित में लोहा लेते किरने की स्पद्धि तो मुझमें नहीं है, पर मुझे लगता है कि कालिदास का तात्पर्य वही है जो पहले कहा गया है। इसका प्रमाण उन्हीं के ग्रन्थों से दिया जा सकता है, पर बात बढ़ाने से कोई लाभ नहीं है। मैं जिस बात को स्पष्ट करने जा रहा हूँ, उसी से इसका समर्थन हो जायेगा।

प्रश्न यह है कि मनुष्य क्यों इस प्रकार का प्रयत्न करता है। यह सहज संज्ञा शक्ति उसमें क्यों विकसित होती गयी?



प्रस्थ और स्थान्त्रिय। बाह्य जगत् की सत्ता चार आयामों में है—लम्बाई, चौड़ाई, मोटाई और काल। इस प्रकार न तो कविता में और न चित्र-भूति में ही पूरी तौर में बाह्य भूता आ सकती है। इस दृष्टि से बाह्य जगत् को यथार्थतः मनुष्योदभावित शिल्प में व्यक्त करना केवल बात-की-बात है। यथार्थता केवल आपेक्षिक तत्त्व है। फिर भी मनुष्य बाह्य सत्ता को कलाओं में अभिव्यक्त करने का प्रयास करता है। कैसे वह इसमें सफल होता है?

इस कौशल को अन्यथाकरण कह सकते हैं। अंग्रेजी में इसे 'डिस्टार्शन' कहते हैं। मनुष्य जो कुछ भी रखता है उसके लिए वह बाह्य जगत् की वास्तविकता से ही मसाना संप्रह करता है। पर उसे ज्यो-का-त्यो वह ले ही नहीं सकता। उसे चार आयामों के जगत् को तीन, दो या एक में बदलना पड़ता है। वह कुछ-न-कुछ छोड़ने को बाध्य है। वह तथ्यात्मक बाह्य सत्ता को बदलता है, अन्यथा बनाता है। इसलिए उसके इस प्रयत्न को अन्यथाकरण कहते हैं। अन्यथाकरण, अर्थात् जो जैसा है उसे बैसा ही न रहने देना। फिर भी वह वस्तु को यथार्थ रूप में चित्रित करने का प्रयास करता है। रेखा से, रंग से वह कमियों को पूरा करता है। इस कौशल पर ही कलाकार का वैशिष्ट्य है। कालिदास ने 'ग्रन्थज्ञान शकुन्तल' में एक स्थान पर एक बात बड़े आकर्षण ढंग से कही है। राजा दुष्यन्त ने शकुन्तला का चित्र बनाया था। उस चित्र को देखकर राजा ने कहा था कि चित्र में जो कुछ सावृ नहीं होता, अर्थात् जैसा है बैसा नहीं बन पाता, उसे 'अन्यथा' कर दिया जाता है। फिर उस (शकुन्तला) का लावण्य रेखाओं से कुछ जुड़ ही गया है, बढ़ ही गया है।

"यद्यत्सावु न चित्रे स्यात् क्रियते तत्तदन्यथा।

तथापि तस्था लावण्य रेखया किञ्चिदन्वितम् ॥"

यहाँ इस श्लोक को उद्भूत करने का उद्देश्य सिर्फ़ यही नहीं है कि 'अन्यथाकरण' शब्द के प्रयोग का औचित्य सिद्ध किया जाय, बल्कि यह भी है कि इस बात को विशेष रूप से दृष्टिगोचर किया जाये कि कालिदास ऐसा मानते थे कि यद्यपि अन्यथाकरण के द्वारा बाह्य-जगत् ज्यो-का-त्यो नहीं आ जाता तथापि उत्तम कोटि का चित्रकार उसमें कुछ और जोड़ देता है—किञ्चित् अन्वितम्। अपर-अपर से यह बात ऐसी अटपटी मालूम होती है कि वहुत-न्ते पण्डित इस श्लोक का अर्थ ही बदलने पर उतार हो गये हैं! उनका कहना है कि इसका अर्थ है कि फिर भी इसमें उसका लावण्य कुछ-कुछ उभर ही गया है!

हर पण्डित से लोहा लेते किरणे की स्पष्टीतो मुझमें नहीं है, पर मुझे लगता है कि कालिदास का तात्पर्य वही है जो पहले कहा गया है। इसका प्रमाण उन्हीं के ग्रन्थों से दिया जा सकता है, पर बात बढ़ाने से कोई लाभ नहीं है। मैं जिस बात को स्पष्ट करने जा रहा हूँ, उसी से इसका समर्थन हो जायेगा।

प्रश्न यह है कि मनुष्य क्यों इस प्रकार का प्रयत्न करता है। यह सहज सर्वना शक्ति उसमें क्यों विकसित होती गयी?



की सच्चाई व्यक्ति-दृष्ट नहीं, बल्कि समाज-दृष्ट सच्चाई है। परिदृश्यमान वाह्य जगत् स्थूल होता है, उसकी सच्चाई का मापदण्ड बनाना आसान होता है। समाज-दृष्ट वाह्य जगत् के कारण-कार्यों का विश्लेषण करके नये-नये तथ्यों की जानकारी प्राप्त करके नये सिरे से नयी वस्तुओं का निर्माण मनुष्य करता ही रहता है। इस विश्लेषण और अन्यथाकरण की गठनात्मक नवव्यवस्थापन की प्रक्रिया, विज्ञान का कार्यक्षेत्र है। इस प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति या व्यक्ति-समूह निरन्तर परिवर्तन करते रहते हैं। परन्तु अन्तर्जंगत् इतना स्थूल नहीं है। कलाकार भी विज्ञानी की भाँति ही नित्य परिवर्तन करता रहता है, किन्तु इन सूक्ष्म अनुभूतियों के विश्लेषण और अन्यथाकरण की प्रक्रिया कुछ और तरह की होती है। यही कलाकार का कार्य-क्षेत्र है। अन्तर्जंगत् की प्रानुभूतियों की सच्चाई भी समाज-चित्त की ही सच्चाई है। एक प्रकार के रूप से यदि एक आदमी अत्यधिक प्रीतभाव अनुभव करता है पर वाकी लोग वैसा भाव अनुभव नहीं करते, तो प्रीतभाव अनुभव करनेवाला ही अवनमिल माना जाता है, वैसा न अनुभव करना ही अन्तर्जंगत् की सच्चाई मानी जाती है। भाषा अवनामिल भाव के लिए नहीं बनती, वह समाज-चित्त की अनुयायिनी होती है। जबकि वाह्य जगत् के विषय-परक होने से व्यक्ति-दृष्टि कम वाधक सिद्ध होती है, अन्तर्जंगत् के विषय-परक होने के कारण वह अधिक व्यक्तिपरक होती है और अधिक वाधा उत्पन्न करती है। मैं यह तो मान लेने को तेंयार हो सकता हूँ कि जो चीज़ मुझे पीली दिखायी दे रही है वह वास्तव में सफेद है और मुझे अपनी आँखों की दवा करानी चाहिए, पर यह मानने में बड़ी कठिनाई है कि सेंट्रल का कॉटा जो मुझे अच्छा नहीं लगता, वह वास्तव में अच्छा ही लगने योग्य है। अन्तर्जंगत् की अनुभूतियों के लिए जो भाषा बनी है, उससे व्यक्ति-चित्त पूरा-पूरा कभी सन्तुष्ट नहीं होता और अधिकाश व्यक्तियों में अन्तर्दून्द बना रहता है। समाज-चित्त को परिवर्तित करना इस क्षेत्र में कठिन कार्य है। कलाकार को यही करना पड़ता है। वाह्य तथ्यात्मक जगत् सदा अन्तर्जंगत् के व्यक्ति-चित्त को वैसा ही नहीं दिखता, जैसा समाज-चित्त उसे देखा करता है। अन्यथाकरण की निर्माणी अमुखी प्रक्रिया वाह्य जगत् के समाज-स्वीकृत रूपों से संगृहीत जड़खण्डों को भावना के सीमेट से जोड़कर सही अर्थों में उपलब्ध कराती है। द्रष्टा सिर्फ़ यह नहीं समझता कि वह जान रहा है, बल्कि यह अनुभव करता है कि वह देख रहा है, पा रहा है। जात वस्तु दृष्ट होती है; दृष्टि, उपलब्धि। स्पष्ट ही कलाकार अन्यथाकृत वाह्य जगत् के अनुभवों से उतना ही नहीं देता जितना वाह्य जगत् में मिलता है, बल्कि उसमें कुछ और जोड़ता है — रेखाया किञ्चिदन्वितम्। यही उसकी रचनात्मक शक्ति का वैशिष्ट्य है।

'समाज-चित्त' शब्द ऊपर से जितना सरल दिखता है, उतना सरल है नहीं। सम्पत्ता के अप्रसर होते-होते समाज की जटिलताएँ भी बढ़ती गयी हैं। श्रेणियों का विभाजन हुआ है, मुविधा-भोग की क्षमता और उपलब्धि में तारतम्य प्राप्ता है। उसी अनुपात में भाषा-विभेद उत्पन्न हुआ है; ज्ञानार्जन में भेद प्राप्ता है;

पोषणतत्त्वों की उपलब्धि में अन्तर आया है; और, मन और बुद्धि के स्तर पर मनुष्य बहुधा-विभक्त ही गया है। मानमन्तर पर अनुभूतियों में भी अन्तर आया है और प्रकाशन-भगिमा और क्षमता में भी। एक श्रेणी के सभी पक्षीएक निश्चिन वातावरण में एक ही तरह के घोसले बनते हैं, पर मनुष्य के लिए यही बात नहीं कही जा सकती; इसीलिए प्रतिभा, आभ्यास और नैपुण्य के क्षेत्र में बहु-विचित्र फलों की उपलब्धि होती है। अत्यं कलाओं के क्षेत्र में वह संगीत में बढ़ता हुआ काव्य, महाकाव्य और उपन्यास के रूप में विचित्रहृष्पा सम्पद प्राप्त करता है। वहिःप्रकाशय दृश्य-कलाओं में चित्र, मूर्ति, वास्तु-शिल्पों में और अन्तर्बहिःप्रकाशय दृश्य-कलाओं में अभिनय, नृत्य, नाटक, फिल्म में रूपायित होता है। एक-दूसरे से अन्तर्वर्धित होकर इन शिल्पों की अभिव्यजना-पद्धति में बहुत अन्तर आ जाता है। जितनी ही सामाजिक व्यवस्था जटिल-से-जटिलतर होती जाती है, उतना ही प्रकाशन-भगिमा में वाहा जगत् की व्यवस्था का मिथ्यण अधिकाधिक मुखर होता जाता है। कविता की तुलना में महाकाव्य में और महाकाव्य की तुलना में उपन्यास में; नृत्य की अपेक्षा नाटक में और नाटक की अपेक्षा फिल्म में; चित्र की अपेक्षा मूर्ति में और मूर्ति की अपेक्षा वास्तु में वाहा जगत् की व्यवस्था अधिक सबल और मुखर हो जाया करती है। इसका अर्थ यह है कि कविता, चित्र और अभिनय अधिक आदिम मानव-सिसूका के रूप है। संगीत और नृत्य तो जैसा कि पहले ही बताया गया है, मानवपूर्व सहजात धर्म है। मनुष्य के श्वास-प्रश्वास और नाड़ी के रक्तस्पन्दन में जो छन्द है, लय है, ताल है, गति है, उसी में उनका निवास है। परवर्ती काल के संगीत और नृत्य बाबूतत्व और अर्थतत्व के यत्नसाधित मिथ्यण हैं। यतितत्त्व ही उन्हें कला का रूप देता है।

स्थूल प्रयोजनवती गद्यात्मिका भाषा शब्द-प्रतीकों द्वारा वाहा और अन्तरिक योग स्थापित करती है। उसमें दो व्यवस्थाओं का अनुशासन रहता है। एक तो शब्दों की व्याकरण-सम्मत और वाक्यविन्यास-मर्यादित व्यवस्था और दूसरी शब्दों द्वारा प्रक्षेपित किये जानेवाले पदार्थों की वास्तविक वाह्यजगत् व्यवस्था। परन्तु वह एक तीसरा और अनुशासन चाहती है। शब्दों की केवल व्याकरण-सम्मत और वाक्यविन्यास-मर्यादित व्यवस्था ही उसके लिए पर्याप्त नहीं है। उसे शब्दों की निजी व्यवस्था, उनकी अर्थ में अभिनन बनने की अतिप्राकृत शक्ति की और लय, छन्द आदि की मिलित जटिल व्यवस्था के अनुशासन में भी रहना पड़ता है। यहाँ कारण है कि कविता को गद्य कर देने से या भाषा में अर्थनुसारी अनुवाद कर देने से उसका पूरा रस नहीं रह जाता। वह खो जाता है।

अन्य लिलित कलाओं की तुलना में कविता में वाह्यजगत् के अन्यथाकरण की सीमा अधिक है। वह चार आयामों के जगत् को केवल एक आयाम में बदलने का प्रयत्न करती है। यह आयाम काल है। कविता मानव-चित्त के निरूप अन्तस्तल के आवेगों को शब्दों में ढालने का प्रयत्न करती है। 'आवेग' इसलिए आवेग होते हैं कि उनमें गति होती है, वेग का प्रावस्थ होता है। गति काल में ही सम्भव है,

पर कविता को केवल काल में नहीं रहना पड़ता है। आवेगों को वह स्थिर रूप प्रदान करती है। शब्दों के जादू के बल पर कविता किसी काल में व्यक्त किये गये आवेग को किसी काल में उपस्थित कर सकती है। इसीलिए कविता काल में व्याप्त होने पर भी देश के साथ असम्पूर्णत नहीं रहती। देश तीन आयामों में व्यक्त होता है। परन्तु कविता इन तीन आयामों से स्वतन्त्र रहती है। यह विचित्र बात है पर सत्य है। देश 'नियत' होता है। पुराने जास्त्रकारों ने ब्रह्म की उस शक्ति को, जो जीव में अपने को सर्वव्यापक न समझकर नियत देशवासी समझने की आनंद उत्पन्न करती है, 'नियति' कहा है। यह माया का एक कबुक है। कविता इस नियति के नियमों से बँधी नहीं होती, इसीलिए पुराने जास्त्रकारों ने इसे 'नियतिकृतनियमरहिता' कहा है। कविता काल में प्रवाहित होती है और देश में स्थिति प्राप्त करती है। यह बात उसे अन्य कलाओं से अलग कर देती है। गति द्वारा स्थिति उत्पन्न करना कठिन कार्य है।

एक दूसरी कला और है जो कविता से भी अधिक सूक्ष्म है। मूलतः वह मनुष्य-भूर्बन्ध है। उसका नाम संगीत है। उसमें भाषा के व्याकरण और वाक्य-विन्यास का बन्धन नहीं होता। परन्तु उसी प्रकार की एक अन्य व्यवस्था का अनुशासन उसे मानना पड़ता है। वह व्यवस्था है रूप और गठन की—फार्म और स्ट्रक्चर की। भाषा जिस प्रकार व्याकरण और वाक्य-विन्यास के तर्क-संगत नियमों से बँधी होती है, उसी प्रकार जिस प्रकार संगीत भी अपने रूप और गठन की व्यवस्था से तर्कसंगत रूप में अनुशासित होता है। परवर्ती संगीत में भाषा का योग है, पर भाषा वहाँ अविच्छेद्य वर्ण-वैशिष्ट्य स्वरूप की ओर लौटती है। पहले ही बताया गया है कि आदिमानव के लिए अहंतापरक और इदतापरक शब्द और शब्दार्थ बहुत-कुछ एकमेक थे—'कहियत भिन्न न भिन्न' होकर विद्यमान थे। संगीत में लय और तात्त्व वर्ण-वैशिष्ट्य को मिटाते हैं। अर्थवन्ध से विरहित कविता संगीत की कोटि में चली जाती है। अर्थवन्ध से अनुशासित संगीत, कविता की ओर अग्रसर होता है। बाह्यजगत् में दिन-रात ऋतु-परिवर्तन और तारामण्डल का नियत आवर्तन आदि की अनुक्रमता जब मानव के अहंतापरक चित्त में प्रतिफलित होती है तो वह 'अंक' को जन्म देती है, जब उसकी व्यवस्था बाह्यजगत् की अनुक्रमता के साथ मिलती है, तो गणितशास्त्र का कारबार शुरू होता है। इदता-प्रधान बाह्य-जगत् में परिदृश्यमान अनुक्रमता जब अहता-प्रधान अन्तर्जगत् के श्वास-प्रश्वास, नाड़ी स्पन्दन से प्रतिभासित अनुक्रमता से मेल खाती है तो 'ताल' का उद्भव होता है और संगीत का कारबार शुरू होता है। संगीत वहिर्जंगत् की अनुक्रमता का अन्तर्मुखी प्रतिफलन है, गणित अन्तर्जगत् के अनुक्रम-बोध का वहिर्मुखी प्रतिफलन है। चेतना के एक छोर पर संगीत है, दूसरे पर गणित।

गणित और संगीत दोनों में ही परिदृश्यमान जगत् का अन्यथाकरण होता है। अन्तर यह है कि संगीत वहिर्जंगत् की अनुक्रमता की व्यवस्था को अन्तर्मुख

करता है, जबकि गणित अन्तर्गृहीत अनुकमता (periodicity) को बहिर्मुख करता है।

शब्द पदार्थों के प्रक्षेपण में प्रतीक का काम करते हैं, इसलिए रुद्ध होते हैं। शास्त्रकारों ने तीन प्रकार के शब्द बताये हैं—यौगिक, योगरुद्ध और रुद्ध। परन्तु कुछ ध्वनि-अनुकरण से बने शब्दों को धोड़ दिया जाय तो भाषा के सभी शब्द सामान्य अर्थ में 'रुद्ध' है। जिन्हे हम यौगिक शब्द कहते हैं वे भी रुद्ध धातुओं, रुद्ध प्रत्ययों और रुद्ध प्रातिपदिकों के योग से ही बनते हैं। वह वस्तुतः रुद्ध ही होते हैं। उनके व्यवहार का कोई तर्कसंगत कारण नहीं बताया जा सकता। इसलिए उनके द्वारा जिन अर्थों का आहरण होता है, वे प्रक्षेपित होते हैं। चित्र-कला में रुद्ध प्रतीकों का व्यवहार नहीं होता। चित्रलिखित धोड़े को धोड़ा कहना भी वस्तुतः एक प्रकार के प्रतीकों का ही व्यवहार है। पर वे रुद्ध नहीं होते। उनके अर्थाहरण की धमता सादृश्य में है। चित्र-लिखित धोड़ा इसीलिए धोड़ा कहा जाता है कि उसमें तथ्यात्मक जगत् के धोड़े से सादृश्य होता है। रेखाएं सादृश्य को व्यक्त करती है, पर बाह्यजगत् का पदार्थ रेखाओं के माध्यम से 'कुछ और' प्रकट होता है। रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा है कि गधे को कोई भला ग्रादमी अपने ड्राइंग-हम में घुसने देना पसन्द नहीं करेगा, पर रेखाकित गधे को शोक से ड्राइंग-हम में सजाने में नहीं हिचकेगा। मह बात ही इसका सबूत है कि चित्र-तिलित 'भदा' कुछ और है। रंगों को भरकर चित्र में उभार ले आने का प्रयत्न किया जाता है। रंग आकृति के विशिष्ट घर्मों को उन्मीलित करते हैं, चित्र में वैशिष्ट्य-चैत्रिक्य का संचार करते हैं। कालिदास ने भी कहा है—‘उन्मीलित तूलिकमेव चित्र’। इसीलिए रंग भरना और भी अधिक महत्वपूर्ण है। परन्तु चित्र और कविता, दोनों में यही गुण होता है कि वह द्रष्टा और थोता के 'अहं' को उस जगह से जाते हैं जहाँ चित्रकार या कवि खड़ा होकर बाह्यजगत् को देखता है। यह तादात्म्योकरण कलामात्र का विशिष्ट घर्म है।

चित्र चथुर्ग्राहि कला है। वह स्थिर होता है। चतुर्ग्राहि या दृश्य कला का एक गतिशील स्थपनूत्य और ताण्डव आदि में पाया जाता है। चित्र का परवर्ती विकास भी गतिशीलता में होता है। चलचित्र या फिल्म गतिशील दृश्य कला है। स्थिर चित्र को चल दबाने के लिए वस्तुतः अचल चित्रों की परम्परा को इस प्रकार कालव्यापी बनाया जाता है कि उसमें गति की प्रतीति हो। काल एक प्रतीति-भाव है। वह केवल द्रष्टा के चित्र की प्रतीयमानासकित का सबूत है।

यद्य हम मूल प्रश्न पर आ भक्ते हैं।

**साधारणतः:** कलाकार के लिए कहा जाता है कि वह भात्माभिव्यक्ति पा पर्यान् अपने-धारणों धर्मित्यका बरसे का प्रयत्न करता है। भात्माभिव्यक्ति दो प्रकार से होती है। मूर्छित में गवंत्र भात्माभिव्यक्ति का यह प्रयत्न दिलायी देता है। एक तो जीव या गहन घर्म है। सता, वृक्ष, पशु, पद्मी में निरन्तर विकसित होकर पुषावस्था तक आना और किर दीप होने हुए मृत्यु की ओर बढ़ना सहज जीव-घर्म

है। उत्ता का पुण्यन होकर रूप-वर्ण-गम्भ-रस द्वारा दूसरों को आकृष्ट करने का प्रयत्न सहज आत्माभिव्यक्ति का प्रयत्न है। मधूर का उन्मत्त नत्तेन और पुंस्कोकिल का कूजन महज अथवा नोहेश्य, आत्माभिव्यक्ति है। मनुष्य का शिशु-प्रवस्था से युवावस्था में परिणाम होना महज जीवधर्म है। कहते हैं, युवावस्था में जो शरीर की उच्चावचनना का विकास होता है— जिसे कालिदास ने 'वपुविभिन्न नदयोवनेव' कहकर उत्तेष्ठ किया है— वह सोहेश्य है, सहज तो है ही। इस प्रवस्था में श्रीग, स्वर-यन्त्र, त्वक् आदि इन्द्रिय और अन्तःकरणस्प मन में भी विस्फार वृत्ति का उदय होता है। यह सृष्टिक्रम को अप्रसर करने के लिए पारस्परिक आकर्षण के साधन के रूप में प्रकृति का स्वयंदत्त प्रसाद है। इसमें प्रयत्न नहीं करना पड़ता। यह अनन्दाहे भी आ जाता है। प्रकृति ने हृष-रस-वर्ण-गम्भ आदि के द्वारा आत्माभिव्यक्ति का साधन स्वयं जुटा दिया है। मौख्य भाव के वर्णन के प्रभाग में कवियों ने दिल खोलकर इस अनायास-लम्ब्य सम्पद का वर्णन किया है। पर इस सहज धर्म का उद्देश्य सब समय पूरा नहीं होता। सम्भता की वृद्धि के साथ-साथ सामाजिक नियमों के विधि-निषेधों का अस्वार लग जाता है। भाषा इन विधि-निषेधों को दीर्घस्थायी और बाद में निरहेश्य बनाकर भी जिलाये रहती है। यही दृढ़ शुरू होता है। सामन द्वारा इच्छित समाज-व्यवस्था और प्रकृति द्वारा प्रदत्त सहज धर्म का सघर्ष शुरू होता है। उस समय अभिव्यक्ति भी इच्छित प्रयत्नों का माध्यम खोजती है। आत्माभिव्यक्ति का यह इच्छित प्रयत्न ही कलायों के रूप में प्रकट होता है। इच्छित होने के कारण ही वह अम्यास और नैपुण्य को अपेक्षा रखती है। कविता में, चित्र, में मूर्ति में वह वहुविचित्र आकार ग्रहण करती है। परन्तु इतना ही सब-कुछ नहीं है। और भी बातें हैं। उनको जानकारी भी आवश्यक है।

आदिमानव अपने इर्दगिर्द के बातावरण को जीवन्त रूप में देखता था। उसके लिए येड, पशु, पक्षी, नदी, पर्वत सब-कुछ जीवित व्यक्तियों-से दिखायी देते थे। वह अपने ही समान उसको दुखी या सुखी समझता था। यह व्यापक धारणा सभी आदिम जातियों में अब भी प्राप्त है। पदार्थ विवेक के साथ जब जड़-चेतन विवेक कुछ प्रवल हुआ, तो भी उसने उसमें एक प्रकार की आत्मा की कल्पना कर भी थी। वे प्रच्छन्न आत्माएँ मनुष्य से अधिक शक्तिशाली थी, क्योंकि वे प्रच्छन्न रहकर बड़े-बड़े काम कर सकती थी। वे शारीर के रूप में पेंड्रों को उखाड़ सकती थी, बाढ़ के रूप में गांव-के-गांव उजाड़ सकती थी—महामारी के रूप में जनपदों का विघ्न स कर सकती थी—वे अतिमानव बनती गई। उनकी शक्ति पद-पदार्थों में बैंधी हुई वाहूजगत् की व्यवस्था के दृचि में नहीं झेंट पाती थी। फिर तो मनुष्य की भाषा में मिथक तत्त्व का आविभवि हुआ। उसने कार्म-कारण की यतिप्राकृत व्याख्या ने रूप में पौराणिक गायाओं की रचना की। भाषा में इस मिथक योजना ने वाहूजगत् की व्यवस्था में भिन्न एक बल्पलोक का निर्माण किया। इससे इस प्रतिप्राकृत नहर वां कभी अत्यधिक

मान दिया गया था। आज सभ्यता की अग्रगति के साथ-साथ मनुष्य ने पद-पदार्थ विवेक के क्षेत्र में बहुत उन्नति की है, परन्तु साय-ही-साय वह वत्त्वनों में भी बैधता गया है। बाह्यजगत् की तर्कसंगत जानकारी ने उसे अतिप्राकृत तत्त्व को छोड़ने को मजबूर किया है, तथापि उसका चित्त उस अतिप्राकृत तत्त्व को भूल नहीं पाया है। रूपकों और मानवीकरण के प्रयासों द्वारा वह उसी आदिम मनोभाव की प्रकट करता रहता है। वह अनुभव करता है कि उसके बिना यह प्रयोजनवती गद्यात्मक भाषा—भाषा, जो बाह्यजगत् की तर्कसंगत व्यवस्था से बुरी तरह बैध गयी है—वह सब-कुछ व्यक्त नहीं कर पाती जिसे वह कहना चाहता है। वह धूम-फिरकर मिथक तत्त्व का आश्रय लेता है। घन्द से, आवेगोच्चन्न भंगिमा से, रग सामंजस्य से, द्वाया और आलोक की वकिमता से, राग से, वह उस अनुभूति को व्यक्त करना चाहता है जो भाषा की उस व्यवस्था में अंट नहीं पायी है जो तर्कसंगत बाह्यजगत् से बुरी तरह बैधी हुई है।

इस अभिव्यक्ति का रहस्य ही मनुष्य की मनुष्यता है। वह जो कुछ अनुभव करता है, उसे समाज-सम्पद बनाने के लिए व्याकुल है। अनादिकाल से चली आर्ती हुई सहजात अभिव्यक्ति के अतिरिक्त यह अभिव्यक्ति मनुष्य की निजी विशेषता है। कोई नहीं जानता कि यह दुर्वार शक्ति उसके भीतर क्यों विकसित हुई। अपनी व्यक्तिगत अनुभूतियों को विश्वजनीन बनाने की वह व्याकुलता उसमें क्यों प्रा गयी! परन्तु इतना निश्चित है कि यह उसका अन्तर्निगूढ धर्म है। जो ज्ञानि उसमें थी, उसी का प्रकाशन हुआ है। बहुतर अर्थों में इसे भी 'सहजात' वह सकते हैं, पर मनुष्य का यह 'सहजात' धर्म उसकी अपनी विशेषता है। और जीवों में यह नहीं पायी जाती। जो व्यक्तिगत है, उसे विश्वजनीन बनाने के प्रयास मनुष्य के आविर्भाव के साथ-साथ विकसित होते गये हैं। जो था, वही आज भी सम्भव हुआ है। मानना पड़ेगा कि मनुष्य में जो जनि-तत्त्व है, जिस बात ने मनुष्य के 'जेनो-टाइप' को विद्यमान रूप दिया है, उसी में यह अन्तर्निगूढ धर्म था, जिसने व्यक्तिगत अनुभूतियों के सामाजिकीकरण की प्रवृत्ति उसमें पैदा की है। गद्यात्मक भाषा का विकास भी उसी सहजात धर्म का रूप है। पर आगे चलकर मनुष्य अपने इसी सहज प्रयत्न का वशवर्ती हो गया। वह सीमा में बैधता गया है। उसे असन्तोष है। यह असन्तोष—'नाल्पे सुखमस्ति'—ही उसे उन अभिव्यक्तियों के लिए उत्साहित करता है जो सीमा के परे है, जो भाषा की चहारदीयारी में बन्द रहने से छटपटा उठती हैं। सामाजिकीकरण द्वारा उसे उस असन्तोष से राहूत मिलती है। इस बात का निषेधात्मक नाम 'विरेचन' है, वैष नाम 'प्रानन्द' है। गद्य हमारे प्रयोजनों की भाषा है; काव्य, चित्र, अभिनय और मूर्ति, प्रयोजनातीत 'प्रानन्द' को। समस्या-माधान गद्य का काम है, जीवन की चरितार्थना-काव्य का अभिप्रेत है। काव्य में, शिल्प में, नृत्य में, गीत में, धर्म में, भक्ति में मनुष्य को उस अपार भूमा का रस मिलता है, जो उसे प्रयोजन की सीमा ने ऊपर उठाता है। तभी मानो यह उपनिषद् के ऋषियों द्वारा में वह

रठता है—भूमेव सुख, नाल्ये सुखमस्ति ।

यह तो निश्चित है कि स्थूल जगत् को छोड़कर मनुष्य जो नहीं सकता और न अपने देशकाल की सीमाओं से अस्पृष्ट रहकर कोई शिल्प-सृष्टि ही कर सकता है। काव्य भी स्थूल जगत् से विच्छिन्न होकर नहीं रह सकता। काव्य ही वयों, कोई भी शिल्प स्थूल जगत् से अर्थ आहरण किये बिना रह नहीं सकता। पुराने पण्डितों ने जब कहा था कि शब्द और अर्थ दोनों मिलकर काव्य बनते हैं तो उनका यही अभिप्राय था। अर्थ वस्तुतः शब्दों द्वारा सूचित वाह्य जागतिक सत्ता के साथ निरन्तर सम्बन्ध जोड़ते रहते हैं। एक व्यक्ति के चित्त में स्थित अर्थ को दूसरे के चित्त में प्रवेश कराके ही शब्द सार्थक होता है। भावावेग द्वारा कम्पित और आनंदोलित शब्दार्थ अपने सीमित अर्थों से अधिक को प्रकाशित करता है। शब्द के अभिधेय अर्थ से कहीं अधिक को प्रकाशित करनेवाली शक्ति को प्राचीनों ने कई नामों से स्पष्ट करने की कोशिश की है। सबसे अधिक प्रचलित और मान्य शब्द ‘व्यंजना’ है। अनुरागन के साथ उसकी तुलना करके उसी भावावेगजन्म कम्पन की और इशारा किया है। द्यन्द उस आवेग का वाहन है। द्यन्दोहीन भाषा में कल्पना और सम्मूर्तन तो ही जाता है, पर आवेग का कम्पन नहीं होता। प्राचीन कथाओं की गद्य समझों जानेवाली भाषा में भी एक प्रकार का द्यन्द होता है—एक प्रकार की वक्र कम्पनशील नृत्य-भंगिमा। वह भाषा ही द्यन्दोभयी है। सीधी-सी बात है कि एक था राजा। उसे कहने के लिए कवि कहेगा—‘धनदर्पं कन्दर्पं सौन्दर्यसौर्दर्पं-हृदयानवद्यसपाभूपोवभूव’। इसमें द्यन्द है, झंकार है, लोच है, वक्रता है जो अर्थ में आवेग भरने का प्रयत्न करते हैं। उपन्यास में ये आवेग कम होते हैं, क्योंकि उसकी भाषा में गद्यात्मकता होती है। परन्तु जहाँ कहीं भी उसमें आवेग का कम्पन आता है, वही प्रच्छन्न रूप में द्यन्द भी विद्यमान रहता है। अनुप्रास भावावेग में नृत्य का द्यन्द जोड़ता है। जब एक ही ध्वनि वार-वार दुहरायी जाती है तो थोड़ा आवेग को चकितता से सहज ही प्रभावित होता है। यदि काव्य में से अर्थ-प्रकाशक शब्द हटा दिये जायें तो जो ध्वनिप्रवाह वच जायेगा, वह संगीत बन जायेगा। वस्तुतः वाह्यजगत् से सम्बन्ध अर्थ से रहित ध्वनि-प्रवाह संगीत ही होता है। संगीत में वाह्य जगत् की उस सत्ता से जो शब्द द्वारा प्रकाशित होती है, कम-से-कम योग होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार गणित में उस आन्तरमत्ता में जो आवेग-कम्पित स्वर में प्रकाशित होती है, कम-से-कम योग होता है। चेतना के एक प्रान्त पर संगीत है, दूसरे पर गणित। संगीत में जिसे स्वर कहते हैं वह एक प्रकार का वेग ही है। वाह्य अर्थों से मुक्त होने पर वह नियत आवेग के रूप में प्रकट होता है, परन्तु काव्य जिस प्रकार शब्द-प्रकाश अर्थ के द्वारा वाह्य विषय-सत्ता में बैचा रहता है उस प्रकार संगीत नहीं बैचा रहता। वह राग, स्वर आदि के माध्यम से अपने-आप ही स्पन्दित होता रहता है। तान या लय उसमें उसी प्रकार अनुभूति-सत्ता भरता है जिस प्रकार द्यन्द काव्य में। काव्य और संगीत द्वारा स्पन्दित मानवचित्त के आवेगों में थोड़ा अन्तर होता है। काव्य में आवेग द्वारा जो स्पन्दन

उत्पन्न होता है वह वाह्य सत्ता से सम्बन्ध होने के कारण 'नियत' होता है। हम वाह्य घटनाओं की अनुभूति से चालित होते रहते हैं। काव्य, पाठक के सुख-दुःख में आवेग उत्पन्न करते हैं। मनुष्य दूसरों के सुख-दुःख से प्रभावित होता है। उनके साथ उसकी 'सम-वेदना' होती है और अन्ततोगत्वा उस सुख-दुःख को आत्मसात करके अनुभव करने लगता है। इस प्रकार काव्य मनुष्य-मनुष्य के बीच विद्यमान 'एकत्व' का प्रतिपापक होता है। काव्य प्रमाणित कर देता है कि व्यक्ति-मानव के ऊपरी विभेदों के नीचे एक अभेद है, 'एकता' है।

कहते हैं, विभिन्न आवेगों से भिन्न-भिन्न जाति के आवेग और कम्पन उत्पन्न होते हैं। सगीत से भी उसी प्रकार के कम्पन उत्पन्न होते हैं जैसे काव्य से। फिर भी सगीत से उत्पन्न कम्पनों का योग वाह्य सत्ता से कम होने के कारण श्रोता के चित्त में वैसी गाढ़ 'नियत' अनुभूति नहीं हो पाती जितनी काव्य-जनित आवेगों के कम्पनों से होती है। टोड़ी के आलाप से जो एक प्रकार की उदास और विरह-व्याकुल वेदना उमड़ आती है वह विश्वजनीन तो होती है, पर अविच्छिन्न या एक्स्ट्रैक्ट होने के कारण अनुभूति में वैसी सान्द्रता नहीं लापाती जो काव्य के कहण रस से उत्पन्न होती है; क्योंकि संगीत की अनुभूति अहेतुक होती है। मनुष्य का चित्त सर्वं त्र कार्य-कारण की शृखला लोजता रहता है; अनुभूति और वेदना के क्षेत्र में भी। काव्यजन्य अनुभूति की सान्द्रता इस वात का पवका प्रमाण है कि मनुष्य आवेग-चालित-व्रस्था में भी कार्य-कारण शृखला के प्रति सचेत बना ही रहता है। जहाँ वह उसे नहीं पाता वहाँ देर तक जमना नहीं चाहता। जिस काव्य में केवल शब्दालंकार ही भकार उत्पन्न करता है, अर्थ का भार कम हो जाता है, वह बहुत-कुछ उसी प्रकार की असान्द्र अनुभूति पैदा करता है जैसी संगीत करता है। पर उसमें सगीत की अवाधि गति भी नहीं होती और अर्थंजगत से समूर्ण विच्छेद भी नहीं होता, क्योंकि उसके शब्द वरावर वाह्य सत्ता से थोता का सम्बन्ध जोड़ते रहते हैं और स्वर के स्वच्छन्द प्रवाह में वाधा उत्पन्न करते हैं। अर्थंभार-हीन शब्दालंकार न तो काव्य की गाढ़ अनुभूति ही पैदा करते हैं, और न संगीत का प्रवाह ही। वे केवल दोनों के घटिया प्रभाव उत्पन्न करके विरत हो जाते हैं। परन्तु जहाँ शब्दालंकार में अर्थ का भार बना रहता है वहाँ वे काव्यगत प्रभाव में संगीत की सहज गति भर देते हैं। परन्तु अर्थालंकार शब्द के प्राणप्रद और विशेषाधानहेतुक, दोनों ही धर्मों में गाढ़ अनुभूति का रस ले आते हैं। उनकी सहायता से वक्तव्य के व्यक्तित्व को, गुणों को और क्रियाओं को गाढ़ भाव से अनुभव करते हैं। पदार्थ के विशेषाधानहेतुक धर्म - चाहे वे सिद्ध हों या साध्य - सादृश्यमूलक अलंकारों से इस प्रकार समूत्तित होते हैं कि पाठक के चित्त में अनुभूति सहज हो जाती है। वस्तुत जब अलंकार आवेगसहचर होकर आते हैं तो काव्य में अत्यधिक ऊंस्वल तेज भर देते हैं, पर जब आवेगहीन होकर आते हैं तो चामत्कारिक उवित-भर रह जाते हैं। वे उस ग्रवस्था में विजली वीं कीव के समान एक क्षणिक ज्योति विकीर्ण करके अन्तर्धर्मि हो जाते हैं।

शब्दों और रंगों की पारस्परिक समझीलता को इन दिनों विज्ञान ने प्रत्यक्ष करा दिया है। विभिन्न प्रकार के आवेग-कम्पन विभिन्न ढंगों की तऱगे उत्पन्न करते हैं। वस्तुतः कवि जिस प्रकार का आवेग शब्दों के माध्यम से श्रोता के चित्त में उत्पन्न करता है, उसी प्रकार का आवेग चित्रकार रंगों के माध्यम से पैदा कर लेता है। अन्तर सिफँ यह है कि कवि कान के माध्यम से ऐसा करता है और चित्रकार आँख के माध्यम से। एक थोड़प्राह्य बनाकर ऐसा करता है, दूसरा चकुग्राह्य बनाकर। परन्तु इम अन्तर का एक और पहलू भी है। चित्र सादृश्य द्वारा रसबोध कराने के कारण वाह्य प्रकृति के अधिक निकट होता है, परन्तु शब्द जिस प्रकार वाह्यजगत् का अर्थ श्रोता के चित्त में प्रक्षिप्त करता है उस प्रकार के अर्थ रेखा और रंग नहीं करते। रेखा और रंग चित्रकार के अन्तर्जंगत् के अर्थों का प्रक्षेपण करते हैं। वाह्यजगत् तो सादृश्य द्वारा गृहीत होता है। रेखा और रंग अन्तर्जंगत् को भावनाओं का प्रक्षेपण करते हैं। जिस चित्र की रेखा और रंग केवल वाह्यजगत् के मादृश्यमात्र की व्यजना करते हैं वे घटिया किस्म के चित्र होते हैं। वे अभिधेयमात्र का इग्नित करके विस्त हो जाते हैं। रंगों और रेखाओं का व्यवस्थापन चित्रकार के अन्तर्जंगत् की कहानी होती है। जैसे-जैसे मन्यता आगे बढ़ती गयी है वैसे-वैसे यथार्थानुकरण की प्रवृत्ति घटती गयी है। कविता के शब्दों की भाँति चित्रों की आकृति भी तान्त्रिक प्रक्रिया के स्पष्ट में प्रकट हुई थी। परन्तु क्रमशः रंगों और रेखाओं में एक प्रकार का छन्द प्रधान होता गया है, जो चित्रकार के अन्तर्जंगत् के भावतरंगों से ताल मिलाकर चलता रहा है।

मानवात्मा के भावावेग को इस प्रकार मर्वसाधारण तक पहुँचा देने की जो व्याकुलता है, उसे ही 'कवि की अनुभूति का साधारणीकरण' कहा जाता है। यह व्याकुलता ही सिसूक्षा का रहस्य है। अपने-आपको 'महाएक' के साथ एकमेक करने की व्याकुलता ही निरन्तर कला-प्रयत्नों को उकसाती रहती है।

## [ 2 ]

ऊपर हमने यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि साधारण गद्यात्मक भाषा में हमें दो प्रकार के अनुशासनों को मानकर चलना पड़ता है—(1) वाह्यजगत् के तथ्यों का, और (2) भाषा के व्याकरण और वाक्य-विन्यास-सम्बन्धी नियमों का। काव्य में एक तीसरा अनुशासन भी है। वह है छन्द का, लय का, सगीत का। जो कोई यह दावा करता है कि वह इस तीसरे अनुशासन की उपेक्षा करके भी काव्य लिख सकता है, वह गलत दावा करता है। या तो उसका ऐसा प्रयत्न काव्य कहलाने का अधिकारी नहीं है या यदि है तो वह छन्द का अनुशासन मानकर चलता है। जो लोग आयेदिन उच्च कण्ठ से यह घोषणा करते रहते हैं कि आज की कविता छन्द के बन्धन से मुक्त हो गयी है, वे वस्तुतः यह कहना चाहते हैं कि उनकी कविता पुराने छन्दःशास्त्रियों द्वारा निर्धारित घटियों से मुक्त हो गयी है। पुराने छन्दःशास्त्रियों ने जो नियम बनाये हैं वे शाश्वत नहीं हैं। न तो वे सभी

भाषाओं पर लागू होते हैं, न सभी समय में। भाषा मनुष्य के साथ-ही-साथ विकसित होती जा रही है। उसमें नये उपादान आते रहते हैं और वहुत-से पुराने उपादान भड़ते रहते हैं। कालान्तर में वह नयी भाषा के रूप में प्रकट होती है, उसके बोलने और पढ़ने के ढंग में परिवर्तन होते रहते हैं और उसकी स्वर-मौत्री और काकु-विधि में भी अन्तर आता रहता है। नवोदित भाषा में छन्द खोजने के नये प्रयास करने पड़ते हैं। प्रतिभाशाली कवि ही ऐसा कर सकते हैं। नये छन्दों के समझने में साधारण मनुष्य को—विशेषकर जब वह पुरानी पढ़ति से परिचित हो—कठिनाई होती है, परन्तु धोरे-धीरे उसमें नये छन्द के परिशासन का अभ्यास होता है। वह घबराकर इसे 'विद्रोह' भी कहता है। परन्तु नवोदित भाषा की स्वर-मौत्री का सन्धान गुण है, निषेधात्मक धर्म नहीं। क्यों यह गुण है, क्यों यह मनुष्यभाषा को प्रभावित करने में समर्थ होता है, यह संगत प्रश्न है।

एक प्रश्न और है। हमने यह भी देखा है कि मनुष्य की बुद्धि ने कलाओं के विशुद्ध रूप में वहुत मिथ्य किया है। कविता (और साधारण गद्यात्मक भाषा भी) कानों का विषय है। वह कालवर्तिनी है और थव्य है। चित्रकला देशवर्तिनी और दृश्य है। एक गतिशील है, दूसरी स्थितिशील। परन्तु मनुष्य की बुद्धि ने भाषा को भी (और साथ-साथ कविता को भी) दृश्य और स्थितिशील बनाने का प्रयत्न किया है। लिखकर विविध अक्षर-प्रतीकों के द्वारा भाषा को नयनेन्द्रिय का विषय बनाया गया है। यह कठिन कार्य है। उच्चारित वर्णों को लिपिबद्ध करने का प्रयास वहुत सफल नहीं हुआ है। उच्चारित भाषा में प्रकट किये जानेवाले बलाधात और आवेग-कम्पन लिपिबद्ध भाषा से मायब हो जाते हैं। कविता में तो और भी विकट समस्या है, क्योंकि कविता की भाषा का प्राण ही आवेग है। वहुत पुराने ज्ञान से नाना चिह्नों के द्वारा उस बलाधात और आवेग-कम्पन को सुरक्षित रखने का प्रयास किया गया है। वैदिक मन्त्रों में उदात्त और अनुदात्त आदि के चिह्नों का समावेश इसी प्रयत्न का परिणाम है। आधुनिक भाषा में विराम के, आवेग के, प्रश्न के, स्पष्टीकरण के विभिन्न चिह्नों का व्यवहार करके वक्ता के वक्तव्य को ठोक-ठोक अंकित करने का प्रयत्न किया जाता है, पर प्रमत्न आंशिक रूप में ही सफल हो पाया है। कविता में इस प्रकार के प्रयत्न अधिक असफल सिद्ध हुए हैं। पर कवि रुका नहीं, सहृदय पाठक भी अपने प्रयत्नों से विरत नहीं हुआ है।

यह प्रश्न संगत है कि क्यों इस प्रकार के प्रयत्न पूर्णतः सफल नहीं हुए। इसका प्रमुख कारण यह है कि व्यक्ति-मानव के चित्त में उठनेवाले आवेगों की अनन्त श्रेणियाँ हैं, समष्टि-मानव-चित्त के साधारणीकृत प्रतीक-चिह्न वहुत थोड़े हैं। उनकी संख्या बहती जा रही है, पर सबकुछ इनमें समा नहीं पाता। कभी-कभी धन, कृष्ण या गुणन के चिह्नों के द्वारा आवेग का दैर्घ्य सूचित करने का प्रयास भी किया जाता है। पर ये भी अन्ततोगत्वा साधारणीकृत चिह्न ही सिद्ध होते हैं। व्यष्टिचित्त का विशेषीकृत आवेग समष्टिचित्त के लिए ग्रहणीय बनाना

कठिन कार्य है। न जाने कब से मनुष्य व्यष्टिचित्त के विशेषभूत अनुभवों के साधारणीकरण का प्रयत्न करता आ रहा है। इससे भाषा में सूदम भावव्यंजक शब्दों की बृद्धि होती जा रही है, परन्तु अन्तिम विश्लेषण से जाना जाता है कि समष्टिचित्त की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद विशिष्ट भावों के भी जातिवाचक शब्द ही बन पाते हैं। 'ईर्ष्या', 'असूया' आदि शब्द अनेक प्रकार के विशिष्ट भावों के साधारणीकृत प्रतीकमात्र सिद्ध हुए हैं। कवि जब इन शब्दों के द्वारा अपने चित्त की कोई विशिष्ट अनुभूति घटाने का प्रयास करता है तो पाठक एक सामान्य भाव ही ग्रहण कर पाता है, जो कवि-चित्त की विशिष्ट अनुभूति के थोड़ा दायें-वायें या ऊपर-नीचे तक पहुँच पाता है। बहुत कम पाठक उसके सही-सही मटीक भाव को पकड़ने में समर्थ होते हैं। जो लोग समझते हैं—अर्थात् कवि के सहृदय के साथ जिनका हृदय एकाकार हो सकने में समर्थ होता है—उन्हें लोक में 'सहृदय कहा जाता है। कुछ 'सहृदय' ऐसे भी होते हैं जो कवि के प्रयुक्त शब्दों को 'ठीक-ठीक' समझाने का प्रयत्न करते हैं। सब समय 'सहृदय' होने का दावा करनेवालों के मत मिलते नहीं, अर्थात् जो वात अस्पष्ट थी वह अस्पष्ट ही रह जाती है ! नये सहृदय इन पुराने सहृदयों की बातों की व्याख्या का प्रयत्न करने लगते हैं। यदि कवि सचमुच उत्तम श्रेणी का होता है तो यह परम्परा दीर्घकाल तक चलती रहती है।

ये प्रयत्न क्या निरर्थक पाण्डित्य-प्रदर्शन मात्र हैं, या इनकी गहराई में कोई ऐसी व्याकुलता है जिसे रोका नहीं जा सकता—'दुनिवार' है ? कवि अपनी विशिष्ट अनुभूति के साधारणीकरण का प्रयत्न क्यों करता है, सहृदय पाठक उसकी विशिष्ट अनुभूतियों को और भी अधिक 'हृदयगम' कराने का प्रयास क्यों करता है और उसकी असफलता को जानते हुए भी परवर्ती सहृदय पुनःप्रयास (या और भी ठीक से कहा जाय तो 'पुनः पुनः प्रयास') क्यों करते हैं ? क्या यह उचित न होता कि कवि अपने विशिष्ट अनुभवों को अपने तक ही सीमित रखता और यदि वह गलती से प्रकट करने का प्रयास भी करता तो उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता और दुनिया को अपने रास्ते चलने को छोड़ दिया जाता ? कठिनाई यह है कि दुनिया छूटना नहीं चाहती और कवि और सहृदय उसे छोड़ना नहीं चाहते। कवि भी व्याकुल और लाचार है, सहृदय भी व्याकुल और लाचार है और दुनिया भी व्याकुल और लाचार है। इतनी व्याकुलता का कारण क्या है ? इस प्रश्न के उत्तर में ही सिसूक्षा के उस रचनात्मक स्वरूप का रहस्य उद्घाटित होगा जिसे 'छन्द' कहा जा सकता है।

कही-न-कही मानवचित्त की गहराई में कुछ ऐसा है जो अपने विशेष अनुभवों को सर्व-सुलभ बनाने और दूसरे लोगों के अनुभव को ग्रहण करने के लिए व्याकुल है। बहुत प्राचीन काल से मनुष्य इस बात को नाना रूप में कहता आ रहा है। एक प्रचलित मत यह है कि मनुष्य अपने व्यष्टि-रूप में श्रलग ज़रूर है, पर वस्तुतः वह समष्टि-मानव का एक अग है, इस समष्टि-रूप (जिसे कभी-कभी

‘कौमन ह्यू मैनिटी’ भी कहा जाता है) की सही-सही जानकारी प्राप्त करने के लिए व्याकुल है। भारतवर्ष के प्राचीन आचार्य और भी आगे बढ़कर कह गये हैं कि वस्तुतः ‘एक’ से अनेक उत्पन्न हुए हैं और अनेकता या नानात्व के भीतर अब भी पुनः ‘एक’ होने की व्याकुलता है। नानात्व की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति गलत ज्ञान या अविद्या का परिणाम है और ‘एक’ हो जाने की प्रवृत्ति सही ज्ञान या विद्या से पैदा होती है। जब सही ज्ञान का आनन्द अनुभव होता है तो मनुष्य उसे शब्दों के, रगों के और रूपों के माध्यम से प्रकट करता है। जितना ही वह गहरा गोता लगता है, उतना ही बहुमूल्य रत्न उसके हाथ लगता है! गलत जानकारी की अवस्था में वह कृपण की भाँति इन रत्नों को छिपाके रखता है। सही जानकारी होने पर वह दोनों हाथों लुटाने में आनन्द पाता है। कहा गया है कि अन्तिम बहुमूल्य रत्न वह जब प्राप्त करता है तो वस्तुतः चराचर जगत् में अपने को ही पा जाता है और उस आनन्द को लुटाने में वह अपने-आपको ही लुटा देता है। अपने-आपको लुटाने का आनन्द ही चरम आनन्द है। जब तक भेदबुद्धि बनी रहती है तब तक अपने-आपका अधिकांश हिस्सा रोक लिया जाता है, जब समाज हो जाती है तो कुछ भी छिपाने की आवश्यकता नहीं रह जाती। अपने को निःशेष भाव से दे देने के रास्ते में अनेक वाधाएँ हैं। उन वाधाओं पर विजयी होने की सफलता के अनुपात में ही मनुष्य की चरितार्थता का हिसाब किया जा सकता है। बड़ा वह है जो दे सकता है, सबसे बड़ा वह है जो अपने-आपको निःशेष भाव से लुटा देता है। अपर्णश के कवि ने सामान्य लोकनीति की बात कहते समय कहा था :

साहु विलोउ तडप्पडइ वहु तणहो तणेण ।

वडप्पणु पुणु पाइयइ हृत्येहि मोगगलिदेण ।

[सब लोग वडप्पन पाने के लिए तड़फड़ते हैं, पर वडप्पन हाथ के सुने रखने से, अर्थात् लुटाते रहने से, प्राप्त होता है ! ]

यही बात सौन्दर्यान्वेषियों के लिए ज़रा बदलकर कही जा सकती है। लोक में वडप्पन पाने का मार्ग है अपनी सम्पत्ति को उचित भाव से लुटाना, तेकिन मुकुमार भाव-जगत् में अपने-आपको लुटाने से ही वह प्राप्त होता है। लेकिन यह भी ‘साधारण’ सत्य है। इसके भी अनेक भेद हैं। काव्य और अन्य गिल्पों के माध्यम से अपने-आपको देना एक विशेष प्रकार का देना है। समाज-सेवक भी अपने को देता है, भक्त भी देता है, तत्त्वज्ञानी भी देता है। इसीनिए प्रात्मदान एक गामान्य घर्म है, जातिवाचक संज्ञा है। हमें यहाँ कला के माध्यम से किम्ब गये प्रात्मदान को समझना है।

गाधारण मनुष्य की भाँति कवि और कलाकार भी जानता है और अपनी जानी हुई बात को दूर तक पहुँचाता है। परन्तु जानकारी के कई स्तर हैं। मुझ जानकारियों के बारे जड़-जगत् के विषय में गूचना-मात्र होनी है। उनके द्वारा भी मनुष्य को परिवर्तित किया जाता है। हर नयी जानकारी से परिप्रेक्ष्य में मुझन-

कुछ अन्तर आता है और हर परिवर्तित परिश्रेष्ठ में मनुष्य के कुछ-न-कुछ भिन्न रूप में दिखने की सम्भावना होती है। कुछ जानकारियाँ प्राणों के व्याकुल आवेग के बारे में होती हैं, वे सुननेवाले के प्राण-स्तर को परिवर्तित करने में समर्थ होती हैं। वहुत-से कवियों में प्राणतत्त्व को हिलोलित करने की शक्ति होती है। वे प्राणतत्त्व की पुकार को प्राणतत्त्व तक पहुँचाते हैं। उनसे श्रोता की नसों में फनफनाहट पैदा होती है। फिर, और भी सूक्ष्म जानकारी वह होती है जो मानसिक स्तर पर अनुभूत होती है और श्रोता को मानस-स्तर पर ही आन्दोलित करती है। और भी गहराई में बौद्धिक स्तर की अनुभूति और उसी को प्रभावित करने-वाली जानकारियाँ हैं। परन्तु उससे भी सूक्ष्म वे जानकारियाँ हैं जो आध्यात्मिक कही जाती हैं। वे श्रोता को भी उसी स्तर पर अभिभूत करती हैं।

इस प्रकार समूची जानकारी मौटे तीर पर पाँच स्तरों में विभाजित की जा सकती है। ये हैं—जड़तत्त्व, प्राणतत्त्व, मनस्तत्त्व, बुद्धितत्त्व और अध्यात्मतत्त्व के स्तर। सभी स्तरों पर यह जानकारी दो प्रकार की होगी। घटिया किस्म की या अविद्याजन्य और बढ़िया किस्म की अर्थात् विद्याजन्य। घटिया किस्म की जानकारी या भ्रामक जानकारी की विशेषता यह होती है कि वह ज्ञाता के चित्त में अपने को समस्त जगत्-प्रवाह से अलग समझने की बुद्धि जाप्रत करती है। इस अलगाव की प्रवृत्ति को ही शास्त्रीय ग्रन्थों में 'अहंकार' कहा गया है। सही जानकारी या सच्ची विद्या अहंकार या अलगावबुद्धि को समाप्त करती है, और ज्ञाता को जगत्-प्रवाह के साथ एकमेक होने की वृत्ति जगाती है। जितनी ही अधिक यह वृत्ति जागती है, उतनी ही अधिक जानकारी चरितार्थ होती है और उसी माप्रा में उसका सम्प्रेषण उत्तम कोटि का होता है। परन्तु सभी जानकारियों का सम्प्रेषण कला की कोटि में नहीं आता, क्योंकि सभी जानकारियों का देना 'आत्मदान' नहीं होता। अधिकांश ज्ञान सूचनामात्र बनकर सम्प्रेषित होते हैं। 'रचना'-रूप में बदले बिना वे कला की कोटि में नहीं आते। सूचना, रचना बनकर जब सम्प्रेषित होती है तो यहीता को आन्दोलित और चालित करती है। सूचना केवल ज्ञान की गतिहीन छाप-मात्र है। छन्द के सहारे वह गतिशील होती है—'स्वच्छन्द'-चारिणी यनती है। सगीत में, काव्य में, चित्र में, मूर्ति में छन्द का योग होने से गति आती है, प्राण आता है, प्रेषण-वेग आता है। 'छन्द' शब्द का प्रयोग यहाँ बहुत व्यापक अर्थों में किया जा रहा है। उसमें राग, लय, वेग, आवेग सभी वा समावेश हुआ है। यह 'छन्द' विश्वव्यापी 'इच्छा'-शक्ति के साथ ताल मिलाकर चलनेवाला, गति-मात्र या वेग-मात्र (विशुद्ध गति) है। छन्द अर्थात् मनोयोग इच्छा। शास्त्रीय ग्रन्थों में कुछ योड़े-नेे छन्दों के नाम गिनाये जाते हैं, वे केवल इंगित-मात्र हैं। सब-कुछ वे नहीं हैं, अधिकांश भी नहीं।

अपर बहुत-सी बातें एक ही साँस में कह दी गयी हैं और अस्पष्ट-भी लगती हैं। उनको अलग विस्तार से समझाने का प्रयत्न नहीं किया गया है। यहाँ स्थान-संकोच है, इसलिए योड़े में इस प्रकार स्मरण किया जा सकता है। चेतन प्राणी



“परिचय के कितने ही मनीषियों ने व्यक्ति-चित्त की इच्छा को ही सौन्दर्य का मुम्य हेतु माना है। कहते हैं कि सिनोजा-जैसे मनीषी ने भी कहा था कि हम किसी वस्तु को प्रच्छी इसीनिए नहीं कहते कि वह अपने-प्राप्तमे शाचमुच अच्छी है, बल्कि इसलिए कहते हैं कि हम उसे चाहते हैं। इसी प्रकार किसी वस्तु को हम इसलिए कि हम उसे चाहते हैं, वह हमारी इच्छा-शक्ति की गति के अनुकूल हुआ करती है। इस युग के प्रन्यतम मनीषी नीति यह ये है कि मुन्दर और अमुन्दर की धारणा प्राणतत्त्व की माँग के अनुभार होती है, धौयोनाजिकल है। हम चीनी इसलिए नहीं खाते कि वह मीठी होती है बल्कि वह इसलिए मीठी लगती है कि वह हमारे प्राणतत्त्व की माँग पूरी करती है, उसमें शक्ति देने का गुण है जो हमारी जिजीविषा के लिए आवश्यक है। अमुन्दर वह है जो हमारी जिजीविषा के प्रतिकूल होती है। हमें प्रसन्न और मोहित वह वस्तु करती है जो हमारी प्राणशक्ति की पोषक है, दुर्दम जिजीविषा के अनुकूल है। इस प्रकार के विचारों से समस्या उलझती गयी है, यद्यपि इसे प्रस्तीकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि इससे व्यक्तिगत इच्छा की महिमा व्यक्त होती है। इस प्रकार की वैयक्तिक इच्छा का कोई अन्त नहीं है। इससे एक प्रकार की अनवस्था की बात उठती है। ‘सुन्दर’ का कोई निश्चित रूप स्थिर नहीं हो पाता। हर आदमी को अपनी-अपनी इच्छा के अनुसार किसी वस्तु को सुन्दर और किसी को अमुन्दर बहने की छूट मिल जाती है। इस दोष से बचने के लिए दीर्घकालीन आदत, एक ही परिस्थिति में वसनेवाली मानव-मण्डली के मामान्य अनुभव आदि बातों की कल्पना करनी पड़ती है। कालिदास के विचार इससे मिलने-जुलते होने पर भी इससे भिन्न है। वे व्यक्ति-इच्छा को समष्टि-व्यापिनी इच्छा का विशिष्ट रूप मानते हैं। समष्टि-इच्छा विश्वव्यापिनी मंगलेच्छा के अनुकूल होने पर ही व्यक्तिगत इच्छा सार्थक होती है। व्यक्तिगत इच्छा उसके प्रतिकूल जाकर कुत्सित हो जाती है। समष्टि-इच्छा चेतन धर्म है। जो बात चेतन धर्म के अनुकूल है, वही सुन्दर है। समष्टि-चेतना सज्जनात्मक है—वह सिसूक्षा है। व्यक्तिगत इच्छा उससे अनुकूल रहकर ही चरितार्थ होती है। जिस इच्छा में अज्ञान है, भोग है, परोत्सादनवृत्ति है वह पाप इच्छा है, वह चित्त में तमोगुण को उद्विक्त करती है, जड़त्व से अभिभूत होती है, सौन्दर्य उसमे नहीं होता। रूप कभी पापवृत्ति को उकसावा नहीं देता, जो देता है वह रूप नहीं है: ‘यदुच्यते पार्वति पापवृत्तये न रूपमित्यव्यभिचारि तद्वचः।’ [हे पार्वति ! यह जो कहा जाता है कि रूप (सौन्दर्य) पापवृत्ति के लिए नहीं होता, यह बचन आज सही सिद्ध हुआ है।] जो रूप पापवृत्ति को उकसाता है वह जड़त्व की उपज है। वह तामिक है, उसमे सत्त्वोद्रेक की शक्ति नहीं होती, इसीलिए वह ‘सुन्दर’ नहीं कहा जा सकता, व्यक्तिगत इच्छा की पूर्ति का साधन बनने पर भी।

“कभी-कभी प्रकृति के सौन्दर्य-निर्माण और मनुष्य के सौन्दर्य-निर्माण में जो विरोध दिखाने का प्रयत्न किया जाता है, वह दोनों को परस्पर-निरपेक्ष मानने

का परिणाम है। प्रत्यात् मनीषी एरिक न्यूटन ने इस विरोध को इस प्रकार प्रकट किया है—कलाकार की वृत्ति यह होती है कि 'एकमात्र यही आकार (दूसरा नहीं) भेरी इच्छा को संतुष्ट कर सकता है' और प्रकृति की वृत्ति यह होती है कि 'एकमात्र यही आकार (दूसरा नहीं) ठीक-ठीक उपयोगी हो सकता है' (दि भीनिंग आँफ व्यूटी, पृ. 86)। कालिदास से पूछा जाता तो वे कहाचिह्न कलाकार की वृत्ति को इस प्रकार बताते कि 'एकमात्र यही आकार विश्वात्मा की मूल सर्जनेच्छा के अनुकूल है, दूसरा नहीं।'

सही बात क्या है, यह शपथपूर्वक नहीं कहा जा सकता, पर इतना असन्दिग्ध जान पड़ता है कि मनुष्य में अपनी विशिष्ट अनुभूति को दूसरे तक पहुँचाने की लालसा दुर्निवार है। व्यक्ति-मानव एक-दूसरे से अलग दिलायी देता है, पर यह दुर्निवार इच्छा उसे निरन्तर दूसरे व्यक्ति-मानवों से एकमेक हो पाने के लिए व्याकुल करती रहती है। वह अपनी विशिष्ट अनुभूतियों का साधारणीकरण करने को व्याकुल है। जो अदृश्य शक्ति व्यष्टि-मानव की पृथक्-पृथक् अनुभूतियों को साधारणीकरण या सामाजिकीकरण की ओर उगमुख करती है, उसी का नाम प्राचीनों ने 'छन्द' दिया था। एक समष्टिगत इच्छाशक्ति है जो समस्त भेदों को ढंककर आच्छादित किये हैं। छादन करने के कारण ही उसे 'छन्द' कहते हैं—'छादनात् छन्दांसि।' समष्टिगत छन्द सृष्टि के मिन्न-मिन्न दिलनेवाले पदार्थों को छादन करके एक व्यापक सिसूक्षा के सूत्र में पिरोता है। भाषा में अक्षर अलग-अलग विखरे हैं—असंशिलिष्ट हैं। उनको आच्छादन करके जो उन्हें धारा-रूप में 'एक' की गति देता है वह भी छन्द है। जब व्यष्टि का छन्द समष्टिगत छन्द से ताल मिताकर चलता है तो 'मुन्दर' की सृष्टि होती है, जब उससे विद्युद दिशा में जाता है तो 'कुत्सित' का जन्म होता है। वह भागी मनुष्य को ही उस मूल छन्दो-धारा की पहचान होती है। जिस समय वह पहचान जाता है उस समय जरूर जरूर में उसे देख सकता है, हर चीज को वह छन्दोधारा के अनुकूल सजाकर सुन्दर बना सकता है। शब्द में, रेखा में, रंग में, वर्ण में, गन्ध में उस छन्द के परिचय के बल पर ही वह मैंश्री और सामजस्य का भाव ढूँढ लेता है। लेकिन छन्द की पहचान केवल आत्मदान की सामर्थ्य देती है, वह स्वयं आत्मदान नहीं है। अगले लेख में उस पर विचार किया जायेगा।

## वाक् तत्त्व और विनायक धर्म

कालिदास ने वाक् और अर्थ को पार्वती और परमेश्वर (शिव) के समान सयुक्त बताया है, परन्तु वाक् तत्त्व और अर्थ तत्त्व का अर्थ अधिक व्यापक है। कालिदास सफल कलाकृति के लिए प्रथल और सस्कार को आवश्यक समझते हैं। यही विनायक तत्त्व है।

यह सारा संसार नाम और रूप के रूप में प्रतिभासित हो रहा है। नाम शब्द है और रूप अर्थ है। लेकिन यह साधारण बात है, विशेष ग्रन्थस्था में रूप भी अर्थ देते हैं। चाहे शब्द हों या अर्थ, किमी-न-किसी ग्रन्थस्था में वे अन्य अर्थ को घटनित अवश्य करते हैं। कई बार इगित से अर्थ प्रकट हो जाता है, शब्द की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ रूप ही वस्तुतः अर्थ देने का हेतु है। समार में जो कुछ भी अर्थ देने की क्षमता रखता है उसे सम्प्रेषणर्थी कहा जा सकता है। जिस प्रकार भाषा में शब्द अर्थ-विशेष का सम्प्रेषण करते हैं, उसी प्रकार विशेष भीर मूर्ति में रूप भी अर्थ-विशेष का सम्प्रेषण करते हैं। इसीलिए कभी-कभी महान् कवि और तत्त्वद्वाटा भी ऐसी बातें कहते हैं, जिनमें शब्दहीन भाषा या वाणी का मकेत मिलता है। वस्तुतः वाणी या भाषा शब्द का व्यवहार सब समय उच्चरित वर्णों वाली भाषा से अधिक व्यापक अर्थ में प्रयुक्त होता है। जिस किसी साधन से कोई अर्थ सूचित या घटनित होता है उसे ही वाणी, वाक्य, भाषा आदि कह दिया जाता है। शास्त्रकारों ने 'परापश्यन्ति' और 'मध्यमावाक्' शब्दों का प्रयोग किया है, जो जिह्वा, कण्ठ, तानू आदि की सहायता से उच्चरित होनेवाली व्यक्त वाणी 'वैखरी' में भिन्न है। इसीलिए 'वाक्' शब्द का शास्त्रीय अर्थ बहुत व्यापक है। जिस प्रकार कवि शब्दों के माध्यम से अपनी बात प्रकट करता है उसी प्रकार विशेषकार, मूर्ति कार, अभिनेता आदि भी भिन्न-भिन्न साधनों के माध्यम से अर्थ घटनित करने का प्रयत्न करते हैं। व्यापक अर्थों में यह सभी भाषा या वाणी है। यहाँ भाषा और वाणी शब्द के प्रयोग में सम्प्रेषणर्थमिता ही मुख्य बात मानी जाती है।

मनुष्य जैसे-जैसे आदिम अवस्था से बढ़ता हुआ सम्यावरया की ओर अग्रसर होता गया है, वैसे-वैसे उसमें वर्ण-वैशिष्ट्यवाली भाषा निपत्ती गयी है। जिस प्रकार भाषा में यह वर्णवैशिष्ट्य निपत्ता है, उसी प्रकार रूप-दर्शन में भी एक प्रकार का वर्ण-वैशिष्ट्य निलंबन है। 'वर्ण' शब्द भाषा में जहाँ निश्चित प्रकार की घटनि का बाचक है वहाँ रूप-दर्शन में विशेष-विशेष प्रकार के रंगों का दोतक है। मनुष्य ने धीरे-धीरे वर्णों की बारीकी का ज्ञान प्राप्त किया है और जिस प्रकार भाषा की घटनियों के संयोजन से शब्दों का निर्माण किया है, उसी प्रकार रंगों के संयोजन से नये-नये रूप का भी निर्माण किया है। इस प्रकार इस नाम-रूपात्मक जगत् में नाम अव्य वर्णों के संयोजन का परिणाम है और रूप दृश्य वर्णों के

### गयोजन का परिणाम ।

भाषा में जिस प्रकार मनुष्य वर्ण-योजना के लिए स्वतन्त्र है, उसी प्रवार स्प-निर्माण में भी वह वर्ण-योजना या रंगों को जोड़ने की क्रिया में स्वतन्त्र है। परन्तु जिस प्रकार स्वेच्छा में यणों के गंयोजन मात्र में उनमें अर्थ देने की क्षमता नहीं था जाती, उसी प्रकार स्पनिर्माण में 'यदृच्छा' में किये गये गंयोजनों में भी अर्थ देने की क्षमता भ्रपने-भ्राप नहीं था जाती, अर्थ मामाजिक स्वीकृति चाहता है। काम-सं-काम अन्तर्वेदिक इस्वीकृति तो अवश्य चाहता है। भच पूछा जाये तो नाम की तुलना में स्प के निर्माण में भ्रविक व्यापकता होता है। नाम या गम्ब-निर्माण के दोनों में मनुष्य के प्रयाग मीमित हैं। गब शब्द मध्य मनुष्यों के लिए अर्थ-प्रभू नहीं होते। एक भाषा में एक शब्द जिस अर्थ में व्यवहृत होता है, दूसरी भाषा में वह दूसरे अर्थ में व्यवहृत हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि एक भाषा का शब्द दूसरी भाषा में कोई भी अर्थ ही न दे सके। परन्तु, स्प-निर्माण भ्रविक व्यापक होता है। एक जनसमूह द्वारा गृहीत अर्थ दूसरे जनसमूह द्वारा भी प्रहरीय हो सकता है।

वर्ण चाहे भाषा में हों या दूसरे जगत् में, विशिष्ट अर्थ को प्रकट करने के लिए विशिष्ट प्रकार का प्रयत्न चाहते हैं। ज्ञात ध्वनियों का जैसा-नैसा संयोजन वास्तव अर्थ को देने में समर्थ नहीं हो सकता। विभिन्न वणों के संयोजन से जो शब्द बनते हैं, उनका संकेतित अर्थ मामाजिक चित की स्वीकृति चाहता है। पृथक्-पृथक् वणों की जानकारी प्रत्येक व्यक्ति के पास होती है। उनके उच्चारण करने में भी वह स्वतन्त्र है, परन्तु अर्थ-प्रकाश की क्षमता उस वर्ण-संयोजन में आती है, जो सामाजिक स्वीकृति प्राप्त किये होता है या प्राप्त करने की क्षमता रखता है। यदि हम 'कमल का फूल' यह अर्थ प्रकट करना चाहते हैं, तो क, म और ल की यदृच्छा क्रम से नहीं रख सकते। लकम या मुकल कहने से हमारा अभीष्ट अर्थ नहीं प्रकट होगा, क्योंकि समाज-चित में लकम या मुकल का कोई अर्थ स्वीकृत नहीं है। इसीलिए हमें कमल ही कहना पड़ेगा, अर्थात् ज्ञात ध्वनियों का उस प्रकार विनायक करना होगा, जिससे ठीक अर्थ प्रकट हो सके। वर्ण समानाय वाक् तत्त्व है, परन्तु अर्थ समावय एक प्रकार के ऐसे विनायक धर्म की स्वीकृति चाहता है, जो अभीष्ट अर्थ को प्रकट करा सके। दूसरे शब्दों में अर्थ-प्रकाश के बल वाक् तत्त्व के आधित नहीं है, उसमें विनायक धर्म भी होता चाहिए। जहाँ कही मनुष्य किसी अर्थ को प्रकट करना चाहता है, वही विनायक धर्म द्वारा अनुप्राणित वाक् तत्त्व का आधय लेता है। व्यापक अर्थों में वाक् तत्त्व प्रेषणधर्मी साधन है और विनायक तत्त्व प्रेष्य-प्रकाशक धर्म है। विनायक तत्त्व को आधय करके वाक् तत्त्व अर्थ प्रकट करने में समर्थ होता है। वर्ण-समूह व्यक्तिगत है, अर्थ-प्रकाश करने का हेतुभूत विनायक धर्म समाज-संपेक्ष। इस प्रकार संसार में जितने भी अर्थ हैं, वे विनायक धर्म को आधय करके प्रकट होते हैं। वर्ण वाक् तत्त्व के अवयव हैं और अर्थ विनायक धर्म द्वारा संयोजित वर्ण-समूह से प्रकाश्य होता है। जिससे समस्त वणों

का ज्ञान हो, जिन्हुंने उन वर्णों को अभीष्ट अर्थ में प्रकाशित करने की दिशा में प्रयत्न न हो, वह न तो भाषा का आश्रय ले सकता है और न चित्र और मूर्ति का। यद्यपि संसार में जो कुछ दिसायी दे रहा है, वह पदार्थ है अर्थात् पदों का अर्थ है, परन्तु पदों का निर्माण विनायक धर्म के आश्रित है। पद वर्णों से ही बनते हैं, लेकिन उनका संयोजक समाज-चित्र में गृहीत या गृहीत होने योग्य अर्थ देने में समर्प होना चाहिए। यह व्यक्ति वह प्रयत्न है। वस्तुतः वर्ण-समूह को विशिष्ट दिशा में मोड़ने का प्रयत्न ही विनायक धर्म है। जब तक यह प्रयत्न नहीं है तब तक भाषा—अर्थ देनेवाली भाषा बन हो नहीं सकती।

लेकिन, सामान्य व्यवहार की भाषा के लिए तो यह बात ठीक है, परन्तु इससे केवल स्थूल प्रयोजन ही सिद्ध होते हैं। अर्थ केवल बाह्य-जगत् में ही नहीं होते, वे अन्तर्जंगत् में भी होते हैं। व्याकरण की पुस्तकों में भाववाचक सज्जा उसे कहते हैं, जिसे किसी स्थूल इन्द्रिय में प्रहण नहीं किया जाता। परन्तु यह वच्चों को फुसलाने वाली परिमापा है। भाव वस्तुतः अन्तर्जंगत् का सत्य होता है। वह बाह्य अखिंचित में नहीं देखा जा सकता, कानों से नहीं मुना जा सकता, जिह्वा में नहीं चला जा सकता, नासिका में नहीं सूंधा जा सकता और त्वचा से नहीं स्पर्श किया जा सकता, वह अनुभव किया जाता है। भाव अन्तर्जंगत् के सत्य है। माधुर्य या नावश्य केवल अनुभव-नाम्य वस्तुएँ हैं। भाषा में केवल बाह्य जगत् की वास्तविकता को प्रकट करने का प्रयास नहीं होता, वल्कि अन्तर्जंगत् के अनुभूत अर्थों को भी प्रकट करने का प्रयास होता है। भाषा में उसे भी वर्ण-योजना से ही प्रकट किया जाता है और चित्र में रंगों और रेखाओं के योग से ही उसे व्यक्त किया जाता है। मनुष्य के चित्र में उठानेवाले मावों की कोई इथता नहीं, परन्तु ऐसे भाव जिससे दूसरे के चित्र को चालित, मरित और उद्देलित किया जा सके, अपेक्षाकृत कम होते हैं। एक व्यक्ति जिस भाव को अनुभूत करता है, उसे ठीक-ठीक भाषा द्वारा व्यक्त करने की प्रक्रिया आसान नहीं होती; क्योंकि भाषा में आते ही वह सामान्य अर्थों को प्रकट करती है, विशिष्ट अर्थ को नहीं। किसी व्यक्ति के चित्र में उठे हुए विशिष्ट भाव को जन-सामान्य के भाव बन जाने की स्थिति में ले आने के प्रयास या प्रक्रिया को 'साधारणीकरण' कहते हैं। अन्तर्जंगत् के भावों को जैसे-तैसे सजा देने से या कह देने से यह काम नहीं होता। जिस प्रकार वर्णों के यदृच्छा-संयोजन से अभीष्ट अर्थ नहीं निकलता, इसी प्रकार भावों के यदृच्छा-संयोजन से अभीष्ट रस नहीं उत्पन्न होता। केवल भाषा द्वारा भावों को व्यक्त कर देने मात्र से रस नहीं निप्पन होता। रस साधारणीकरण की अपेक्षा रखता है। इसके लिए भावों को भी प्रयत्नपूर्वक सजाना पड़ता है। भाव मूढ़म अर्थ ही है, परन्तु उन्हें सहृदय-हृदय-सवेद्य बनाने में सूझम प्रयत्न की आवश्यकता होती है। छन्द वही मूढ़म प्रयत्न है। जिस प्रकार वर्ण से अर्थ प्रकट करने के लिए समष्टि-चित्र की स्वीकृति की ओर उन्मुख करनेवाला बाक् तत्त्व का विनायक धर्म आवश्यक होता है, उसी प्रकार सूधम अर्थ-रूप भावों को 'रस-दशा' तक पहुँचाने के लिए छन्द की आवश्यकता

होती है। यहाँ धन्द का अर्थ पिंगल-शास्त्र में गिनाये हुए धन्दों से ही नहीं है, वल्कि शब्दों की ऐसी सघटना से है, जो उसमें ऐसा प्रवाह उत्पन्न कर सके, जो विशिष्ट अनुभूत भाव को रस-रूप में परिणत कर दे। विविक्त वर्णों वाली भाषा में मर्गीत तत्त्व लुप्त हो गया रहता है। धन्द उसे पुनः प्रतिष्ठित करता है। वह भी रस की ओर ले जानेवाला विनायक धर्म है।

स्पष्ट है कि वाक् तत्त्व के लिए पद-पद पर विनायक धर्म को आवश्यकता है। स्थूल-जगत् में वह अभीष्ट पदार्थ को प्रकाशित करता है और सूक्ष्म भाव-जगत् में रस को। किसी भी कलाकार के लिए इन दोनों तत्त्वों की आवश्यकता होती है। वाक्-तत्त्व व्यापक अर्थों में प्रेषण-धर्म साधन है और विनायक धर्म अभीष्ट प्रेषण को प्रकट करनेवाला प्रयत्न। मनुष्य ने प्रकृति को ज्यो-का-त्यो नहीं स्वीकार किया है। उसने उसे अपने प्रयत्नों द्वारा अभीष्ट दिशा में अनुकूल बनाने का प्रयत्न किया है। यह प्रयत्न मनुष्य का सहज धर्म है। प्रकृति के साथ संघर्ष करते-करते और प्रकृति की हो छूपा से मनुष्य ने वाक् तत्त्व को पाया है, परन्तु ज्यो-ज्यो वह प्रकृति से सहकृति की ओर बढ़ता गया है, त्यो-त्यो उसने विनायक धर्म का अविकाविक आधर लिया है। सम्यता प्राप्त करके मनुष्य ने बहुत-सी प्राकृतिक शक्तियों पर अधिकार किया। वह कीड़े-मकोड़ों की तरह प्रकृति पर पूर्णतः आधित नहीं। उसने अपने प्रयत्नों से प्रकृति के रहस्य का पता लगाया है। वह नये सिरे से प्राकृतिक शक्तियों के नये-नये संयोजन से नयी-नयी चीजों को पैदा कर सकता है। ठीक उसी प्रकार वह ज्ञात वर्णों से नये-नये शब्दों की योजना कर सकता है। परन्तु यदृच्छा-संयोजित वर्ण जिस प्रकार अभीष्ट अर्थ नहीं देते, उसी प्रकार यदृच्छा संयोजित प्राकृतिक शक्तियाँ भी उसे अभीष्ट दिशा में नहीं दें जाती। प्राकृतिक शक्तियों को अभीष्ट दिशा में ले जाने के संयोजन को ही 'मंगल' कहते हैं। वह भी अर्थ की तरह सामाजिक होता है। प्राकृतिक शक्तियों का जो संयोजन केवल व्यक्तिगत प्रयोजन के लिए होता है और सामाजिक प्रयोजन के लिए नहीं होता, उसे 'मंगल' नहीं कहा जा सकता। प्राकृतिक शक्तियों का यदृच्छा-संयोजन विकृति है और सामाजिक मंगल की दृष्टि से संयोजन संस्कृति है। सम्यता ने मनुष्य के लिए दोनों ही मार्ग प्रशस्त कर दिये हैं। वह विकृति की ओर भी जा सकता है और संस्कृति की ओर भी। मनुष्येतर जीवन के लिए प्रकृति केवल प्रकृति है, किन्तु सभ्य जीवन के लिए वह कभी विकृति है और कभी संस्कृति। तुलसीदासजी ने जब कहा था कि;

"कीरति भनिति भूति भलि सोई।

सुरमरि सम सब कर हित होई।"

तो उनके मन में कुछ इसी प्रकार की सामाजिक मंगल की चेतना काम कर रही थी। जहाँ तक कला का धोथ है, वाक् तत्त्व अर्थात् प्रेषणधर्म साधन अर्थ, रस, धन्द और मंगल की ओर तभी जो जा सकता है जब उसमें सामाजिक मंगल की बुद्धि से परिचालित विनायक धर्म एकमेक होकर गुंथा हूँथा हो। इस विनायक धर्म

को पाकर वर्ण अर्थ की ओर, अर्थ रस की ओर और रस मंगल की ओर जाता है। निश्चित रूप से कुछ कहना तो कठिन है, परन्तु ऐसा जान पड़ता है कि जब गोस्वामी तुलसीदासजी ने 'रामचरित मानस' की रचना का संकल्प किया था, तो वे कुछ इसी रास्ते सोच रहे थे। कदाचित् यही कारण है कि उन्होंने 'रामचरितमानस' के आरम्भ में ही लिखा था।

"वर्णनामर्थं सधानां रसाना छंदसामपि ।

मंगलानां च कर्तारी वदे वाणी विनायकी ॥"

यह सही है कि वाणी और विनायक के मूर्त्तं आधिदैविक रूप की भावना तुलसीदास के मन में अवश्य थी, परन्तु यह भी सही है कि उन्होंने इन मूर्त्त-रूपों के प्रेरक विचारों का भी अवश्य ध्यान रखा था। 'रामचरितमानस' से इस प्रकार के उदाहरण खोजे जा सकते हैं। परन्तु यहाँ जो बात अभिप्रेत है वह तुलसीदास के श्लोक की नयी व्याख्या नहीं है, वर्तिका ऊपर प्रकट किये गये विचारों का उनकी वाणी से भी समर्थन प्राप्त कर लेना मात्र है।

कला में प्रेषणधर्मी वाक्-तत्त्व और मंगलादेशी विनायक-धर्म निःसन्देह आवश्यक तत्त्व है। किसी एक की भी उपेक्षा करने से काव्य या कला विराट् और उदात्त बनने में चूक जाती है और ललित मनोहर बनकर केवल क्षणिक ज्योति विकीर्ण करके समाप्त हो जाती है।

## लालित्य-सर्जना और विविक्तवर्ण भाषा

भाषा के साथ मानसिक चिन्तन-प्रक्रिया का घनिष्ठ योग है और भाषा ने लालित्य-सर्जना में अत्यन्त महत्वपूर्ण योग दिया है। इसलिए मानसिक स्तर की सौन्दर्य-बोध-चर्चा का आरम्भ भाषा की समस्या से होता है।

भाषा कैसे बनी, किस अवस्था में और किन परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए आदिम मनुष्य ने इस शक्तिशाली तत्त्व का आविष्कार किया? यह प्रश्न विचारकों के सामने बार-बार आया है और भिन्न-भिन्न प्रकार से इसके उत्तर खोजे गये हैं। प्रायः उत्तर खोजते समय विचारकों के मन में अपना निश्चित मतवाद होता है और व्याख्या इस प्रकार से की जाती है कि उस निश्चित मतवाद के पुष्टीकरण में सहायक ही। मैं उन अनुमानाभित्ति समाप्तानों की मूर्ची गिनाकर आपका समय नष्ट नहीं करूँगा।

मूल बात यह है कि मनुष्य पशु-सामान्य धरातल से जब आदि-मानव के हृष

मे प्रकट हुआ तो उसमे एक नयी शक्ति प्रकट हुई। इसे मैं विविक्तीकरण की शक्ति कहता हूँ। भाषा इसी विविक्तीकरण-शक्ति से उत्पन्न हुई है।

मानवपूर्व प्राणियों में अनेक प्रकार के मनोभावों को व्यक्त करने के लिए विशेष-विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करने की शक्ति मिलती है। भय के कारण चिल्लाहट, आनन्द के कारण गायन और भूख के कारण उत्पन्न रिरियाहट प्राय सभी आवाज करनेवाले प्राणियों में मिल जाती हैं। परन्तु ये सारी ध्वनियाँ अनेक प्रकार की ध्वनियों का एक मिश्रित अविभक्त प्रवाह मात्र थीं। उनके अधीर अलग-अलग नहीं होते बल्कि एक-दूसरे से उसी प्रकार अविरल भाव से मिश्रित होते हैं जिस प्रकार पानी की एक बूँद घारा में अविरल भाव से मिश्रित होकर बहती रहती है। आदिम मनुष्य को भी विभिन्न परिस्थितियों में चिल्लाने, गाने, रोने और रिरियाने का प्रयास करना ही पड़ता था। इन्ही अविरल प्रवाहित, संगीतात्मक ध्वनियों को अलग-अलग विभाजित करके विवेक-पूर्वक मनुष्य ने क, ख, ग, जैसे वर्णों को अलग किया है और उनके ही प्रस्तार-विस्तार से या 'पर-भ्युटेशन-कम्बीनेशन' से नये-नये ध्वनि-प्रतीकों या शब्दों का निर्माण किया है। विविक्त वर्णोंवाली भाषा मनुष्य की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। शुरू-शुरू में मानसिक उल्लास या अवसाद के समय निकलनेवाली संगीतात्मक ध्वनियाँ उन चक्षुओं के लिए व्यवहृत हुई होगी जो उल्लास या अवसाद के प्रेरक तत्त्व रहे होंगे। इसलिए उस प्रथम अवस्था में शब्द ही मुख्य था—अर्थ उस पर बाद में आरोपित किया गया था, या फिर ऐसा कहना चाहिए कि शब्द और अर्थ साथ-साथ थे। कुछ विचारक ऐसा कहना ठीक समझते हैं कि उस अवस्था में शब्द और अर्थ में कोई अन्तर नहीं था। शब्द ही अर्थ थे। उस समय सही अर्थों में संसार की चीजें पदार्थ थीं, अर्थात् किसी-न-किसी पद का अर्थ। भारतीय परम्परा में यह विश्वास किया जाता है कि प्रारम्भिक अवस्था के ऋणियों की वाणी अर्थ के पीछे नहीं चलती थी, बल्कि अर्थ ही उसका अनुसरण करता था:

ऋणिणां पुनराद्यानां वाचमर्योऽनुधावति ।

भरत के नाट्यशास्त्र में इस बात को ध्यान में रखकर ही भावों के साथ उदित होनेवाले रोमांच, अशु-वैवर्य (और अकस्मात् निकली हुई 'ओह', 'उ' आदि शब्द भी इसमें गिने जाने चाहिए) आदि को भाव ही कहा है—सात्त्विक भाव। वे भाव के साथ स्वमेव उत्पन्न 'भाव' हैं, भावों के बाद उत्पन्न होनेवाले अनुभाव नहीं। कई बार आलोचकों को मगजपच्ची करनी पड़ी है कि समस्त शरीर-विकारों को भरत ने 'अनुभाव' ही क्यों नहीं कहा। अनुभाव परवत्तों विकास है, वे विविक्तीकरण की शक्ति के बाद उद्भूत हुए हैं। सात्त्विक भाव अविविक्त-वर्ण सहज भाषा के समशील हैं, अर्थ या प्रयोजन के बन्धन में बढ़ नहीं हैं। अनुभाव विविक्तवर्ण भाषा के समशील हैं, अर्थवन्धन से परिवद्ध। सात्त्विक भाव अपलंज या सहज होते हैं; गहज—साथ-माय पैदा होनेवाले। अनुभाव यत्न-साध्य हैं—इष्ट अर्थ के द्वातक, प्रयासतद्वय।

यह संगीतात्मक ध्वनियों का वर्णों के रूप में विविक्तीकरण मानसिक चिन्तन द्वारा ही सम्पन्न हो सकता है। मनुष्य-पूर्व प्राणियों में पाये जानेवाले 'इंस्टिक्ट' नामक सहज-वौध-शक्ति से यह भिन्न है। 'इंस्टिक्ट' जिजीविद्या के तकाजे पर वार-वार बिना सोचे-समझे आ जानेवाली शारीरिक चेष्टाएँ हैं। उनमें यान्त्रिकता होती है—विवेक नहीं। परन्तु संगीतात्मक अर्थात् अद्विरल भाव से मिथित प्रवाहशील ध्वनि-परम्परा की इकाइयों की तलाश विवेक की देन है। उसके साथ नयी रचनात्मक शक्ति स्वयमेव उद्भूत हुई या यों कहिए कि विविक्तीकरण की प्रक्रिया और विविक्त इकाइयों के द्वारा नये-नये शब्दों की योजना साथ-साथ उत्पन्न हुई। इस दृष्टि से अगर देखें तो विविक्तीकरण और रचनात्मक मानव-प्रयास जुड़वाँ भाई हैं।

एक बार विविक्त वर्णोंवाली अंक्षर-मात्रिका का निर्धारण हो जाने के बाद वहिंगत के पदार्थों के विविक्तीकरण का भी मानव-प्रयास शुरू हो जाता है। वस्तुतः विविक्त वर्णों के शब्दों का गठन तभी सम्भव होता है, जब वाह्य जगत् के पदार्थों में भी भेद करने की दृष्टि प्रतिष्ठित हो चुकी होती है। इस प्रक्रिया में हजारों वर्ष लगे होंगे। लेकिन मनुष्य की पशु-सामान्य धरातल से मानवीय धरातल तक आने की प्रक्रिया का भी यही इतिहास है। कोई एक निश्चित तिथि नहीं बतायी जा सकती जबकि एकाएक मनुष्य में विविक्तीकरण की शक्ति उद्भूत हुई और विविक्त वर्णोंवाली अंक्षर-मात्रिका तैयार हो गयी। सेकिन एक बार अंक्षर-मात्रिका के अधिगत और आयत्त हो जाने के बाद मनुष्य के सोचने-ममझने और सजंनात्मक कार्यों में प्रवृत्त होने में बड़ी तेजी आ गयी। इस तेजी से ग्रानेवाली प्रवृत्ति का नाम सम्पत्ता की ओर उन्मुख होना है। यहाँ से आद्य ऋणियों की परम्परा समाप्त होती है और पदार्थों के लिए पद-रचना की प्रक्रिया शुरू होती है। सम्पत्ता में नयी वस्तु और नये भाव के लिए नये शब्दों की रचना होने समर्पित है और मनुष्य निरन्तर प्रथ की ओर बढ़ता चला जाता है। मर्यादा वस्तुतः वास्तविक जगत् में विद्यमान होते हैं। मनुष्य का मस्तिष्क उनका विष्व ग्रहण करता है और उन विष्वों के लिए किमी शब्द की रचना करता है और भाषा निरन्तर अर्थ-नुसामिनी होती जाती है। जैसे-जैसे वह मर्यादा-प्रधान होती जाती है, वैसे-वैसे उनमें गदात्मकता बढ़ती जाती है और छन्द, राग और स्थ ऋणमः पीछे छूटते जाते हैं।

परन्तु मनुष्य ने जब अद्विरल-प्रवाही संगीतात्मक ध्वनियों पर विविक्तीकरण किया था तो क्या वे गारी धीजे भा मकी थीं? या उम गमय की उम भाषा में विद्यमान थीं? नहीं। मंसीत घूट गया, राग घूट गया, स्थ दिनीन ही गया। गदोप में भाषा घन्दोहीन, वैचिश्यहीन, स्थूल प्रयोगनों की धारिता भाषा रह गयी। याहु जगत् के घर्षों के पीछे दोङ्नेयानी भाषा घन्दजंगत् के भावों परों अभिव्यक्त करने में प्रमदय ही गयी। यहून पहुँचे ही मनुष्य ने इस बर्मों को ताट लिया था। जो धीज घूट गयी थीं, वह यहू ही मूल्यवान थीं। उनकी घोड़ना मनुष्य के लिए यहू महंगा पड़ा। इमीनिएः धरिष्मप्रवाही धर्म-परम्परा की

जहाँ एक और वर्णों की इकाई में बौटकर उसने भाषा की नवीन सूचि की, वहीं छूटे हुए रागों को भी उसने विविक्त इकाइयों में बौटकर और इन इकाइयों के प्रसार-विस्तार से नये रागों और नये वृत्त घन्दों को उदभावना की। जिस प्रकार क, य, ग, घ आदि वर्ण वोली जानेवाली भाषा की इकाइयाँ हैं, उसी प्रकार सा, रे, ग, म इत्यादि और लघु, गुरु आदि इकाइयाँ संगोत और नृत के तत्व हैं। इन इकाइयों के आधार पर मनुष्य ने राग-रागिनियों और नृतों की उदभावना की। इस तरह विविक्तीकरण की प्रक्रिया एक तरफ जहाँ गद्यात्मक भाषा को उत्पन्न कर सकी, वही दूसरी तरफ घन्द और संगीत का भी आयोजन करने में समर्प हुई। फिर इन दोनों ही विधाओं में आदान-प्रदान होते रहे। यानी संगीत के लिए विविक्त वर्णोंवाली भाषा का प्रयोग और विविक्त वर्णोंवाली भाषा या घन्द के लिए राग का उपयोग। लेकिन विविक्तीकरण का प्रथास बेवल भाषा को दो रूपों में इस प्रकार विभाजित करके समाप्त नहीं हो गया। एक और तत्व भी छूट गया था और उसे भी भाषा के माध्यम से समेटने का प्रयत्न किया गया। इस तत्व को मैं 'मिथकतत्व' कहता हूँ। वर्णों कहता हूँ, यह मैं आगे बताऊँगा।

शास्त्रकारों ने बताया है कि भाषा या शब्दों की प्रवृत्ति चार प्रकार की होती है—‘चतुष्टयी शब्दाना प्रवृत्तिः’ अर्यात् शब्द या तो जातिवाचक होते हैं या गुणवाचक होते हैं या क्रियावाचक होते हैं या फिर इनमें से किसी भी बात को ध्यान में रखे बिना यदृच्छा से कोई शब्द बना लिया जाता है। आदिकाल में मुग्या या जाति पर विशेष हृप से ध्यान दिया जाता था; वयोकि आदिम मनुष्य में इन तीनों के विष्व ग्रहण करने की शक्ति प्रचुर मात्रा में विद्यमान थी। लेकिन शब्द चाहे जिस बात की भी ध्यान में रखकर बनाये जायें, वाकी दो बातें छूट ही जाती हैं। यदृच्छा-शब्दों में तो तीनों ही छूट जाते हैं। यही कारण है कि शब्दों से मनुष्य के इन्द्रियगृहीत विष्वों का एक सामान्य अंश ही प्रकट हो पाता है। वाकी बहुत-सी बातें छूट जाती हैं। इन छूटी हुई बातों की अभिव्यक्त करने के लिए कभी-कभी मनुष्य का मन व्याकुल हो जाता है। कैसे इसको प्रकट किया जाये? भाषा के अधिकाधिक प्रयोग होने से शब्द रूढात्मक हो जाते हैं और प्रायः जिन गुणों के नाम पर उनका नामकरण किया गया होता है वे भी भुला दिये जाते हैं। इस प्रकार गद्यात्मक भाषा मनुष्य की अधिकांश अनुभूतियों को छुड़ाती जाती है और भाव की अभिव्यजना में असमर्थ होती जाती है।

यह भाव अन्तर्जंगत की अनुभूतियों का नाम है। इन्द्रियग्राह्य बहिर्जंगत के पदार्थ मनुष्य के मस्तिष्क पर अनेक प्रकार के विष्व छोड़ जाते हैं, जो स्मृति-हृप में संचित रहते हैं। सामान्य परिस्थितियों के आने पर उनकी स्मृति फिर से ताजा हो जाती है। परन्तु अन्तर्जंगत के भाव वाहु जगत् के पदार्थों के विष्व नहीं होते। उनके विष्व को अभिव्यजक शब्दों द्वारा प्रकट करना कठिन होता है, परन्तु करना पड़ता है। दूसरा उपाय नहीं है। मनुष्य को किसी वस्तु से किसी सास परिस्थिति में 'डाह' होता है। परन्तु यह डाह एक प्रकार का मनोभाव है,

3

4  
5

6  
7

8

9

उस वेगवान प्रवाह में ऐसा वह जाता है कि असहाय हो जाता है' (बूस्टर गिनी-लेन द्वारा सम्पादित 'द श्रिएटिव प्रोसेस', पृ. 222)। यह उसी मूल मिथकोंमें शक्ति की महिमा का उद्घोष है। चेतन श्रहे वहिंगत की तर्क-संगत व्यवस्था का कायल है। कलाकार के हृदय में जो मिथकीय सिसूधा उदित होती है, वह अथवेतन चित्त की वेगवती शक्ति है। वह ममटिं-चित्त की ऐसी अनुभूति है जो विवितवर्णी भाषा के प्रादुर्भाव के पहले की है। उसे आर्किटाइप कहिए, समटिं-चेतना कहिए, या तानिश्कों की भाषा में 'सर्वात्मिका संवित' कहिए, बात एक ही है। भाषा जब कुछ अधिक अवसर हो जाती है तो वह भी मूल मिथक भावनाओं पर अपना दबाव डालती रहती है। इसलिए परवर्ती काल की मिथक-ग्रन्थों पुराण-कथा या माध्योलाजी के रूप में विकसित होती है। एक बात ध्यान देने की है कि शब्द-रचना के आरम्भक स्तर पर मनुष्यजाति की विम्ब-ग्राहिका शक्ति एक सामान्य समटिं-चित्त की कल्पना की ओर प्रवृत्त करती है। आरम्भक स्तर पर भी मनुष्य का मस्तिष्क हर व्यक्ति में सगभग एक ही प्रकार की प्रतिक्रियाओं को उत्पन्न करता है। एक यादमी जिसे ताल देखता है, उसे पूरी मानवमण्डली ताल ही अनुभव करती है। इसी प्रकार छोटा-बड़ा, ऊँचा-नीचा, सुगम-दुर्गम और शीतल-उष्ण आदि की अनुभूतियाँ सामान्य रूप से होती हैं—जो यह सिद्ध करता है कि एक समटिं-चित्त है जो औसत विम्बों को सामान्य भाव से ग्रहण करता है। व्यक्तिगत अनुभूतियाँ इस औसत अनुभूति से कुछ मात्रा में भिन्न हो सकती हैं, लेकिन एकदम विपरीत नहीं होती। यदि एकदम विपरीत हो तो व्यक्ति-विशेष के दिमाग या मन की कोई कमजोरी प्रकट होती है। उसे चिकित्सा समझा जाता है। अगर यह बात शब्द-रचना के विषय में सत्य है तो मिथकतत्त्व के बारे में और भी सत्य है। संसार-भर के मनुष्यों में आरम्भक मिथक सामान्य रूप से काम करते हैं, परन्तु विभिन्न ध्येयों भाषाओं के आवरण में लिपटकर भिन्न दिखायी देते हैं। जिन लोगों ने इस विषय का भनन नहीं किया है वे मूल मिथकीय भावनाओं को समझने में समर्थ भी नहीं हुए हैं।

आधुनिक विचारकों ने इसकी कल्पना नृत्यव-विज्ञान और मनोविज्ञान की बढ़ती हुई जानकारियों के भीतर से की है। एक अन्य दिशा से आगमशास्त्रियों ने इसका सम्बन्धान पाया था। दिशा दूसरी होने पर भी मूल बात बही है। सुप्रसिद्ध आचार्य अभिनवगुप्तपाद ने बताया है कि सर्वात्मिका संवित् देह-भेद से संकुचित हो गयी है। नृत्य-गीत आदि के आयोजनों में वह अनेक व्यक्तियों के चित्त में एक साथ स्फुरित होती है और सर्वतन्मयी भाव को उद्बुद्ध करती है। यह भाव विशुद्ध आनन्द है। वह किसी एक का नहीं होता, इसलिए आनन्दनिभंरा यह सर्वात्मिका संवित् ईर्ष्या, असूया आदि संकुचित भावों को दबाकर, नृत्य-गीत आदि के द्वारा स्फुरित होकर सचिच्चदानन्द से जोड़ देती है। ('तत्त्वालोक', ३८।५)

प्रश्न यहाँ यह नहीं है कि यह सर्वात्मिका संवित् सचमुच ही 'सचिच्चदानन्द योगिनी' होती है या नहीं। इस प्रश्न पर विचार करने का अवसर हम फिर

पायेगे। यहाँ केवल इतना ही दृष्टव्य है कि अभिनवगुप्तपाद ने नाटम्, नृत्य, गीत आदि को संकुचित अहं की सीमा तोड़कर एक प्रकार की विश्वजनीन चेतना के उद्वोधक रूप में स्वीकार किया है।

इस प्रकार विविक्तीकरणवाली भाषा के साथ मिथुनीभूत मिथकतत्त्व निरन्तर काम करते रहते हैं। अर्थप्रधान गद्यात्मक भाषा का प्रचुर प्रभुत्व स्थापित हो जाने के बाद भी मनुष्य के अन्तररत रूप में विद्यमान यह व्याकुल वेदना प्रकट होती रहती है और जो लोग भाषा के रूढ़, एकांगी आवरण की भेदकर मानवचित्त की गहराई में जाने का प्रयास करते हैं, उनके रचनात्मक प्रयासों में निरन्तर सहायता पहुँचाती रहती है। परवर्ती काल के काव्य, नाटक और उपन्यास मिथकतत्त्व की सहायता से ही कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों को पा लेते हैं। जिन लोगों की पहुँच इस क्षेत्र तक नहीं होती, ऐसे कवि, नाटककार और उपन्यासकार रूढ़ शब्दावली की लंकीर पीटते रहते हैं।

अब तक मैंने जो कुछ कहा है वह भाषा के साथ उत्पन्न किन्तु वहिंगत् की तकं-संगत व्यवस्था से स्वतन्त्र मिथकतत्त्वों का महत्व बताने के उद्देश्य से। भाषा को समृद्ध करने और भाषा द्वारा समृद्ध होने में वे एक-दूसरे के पूरक हैं—मिथः पूरक, अतएव मिथक। लेकिन ध्वनि-प्रवाह के विविक्तीकरण की कहानी इतनी ही नहीं है। जैसाकि पहले ही कहा गया है—चन्द, लय और राग भी छूट गये हैं।

विविक्त वर्णोवाली भाषा के शब्द एक प्रकार के प्रतीक होते हैं। अर्थ उनका वाह्य जगत् में होता है, अन्तजंगत् में भी हो सकता है। पर शब्द इन दोनों प्रकार के अर्थों की सूचना-भर देता है, स्वयं उनसे असम्पूर्ण रहता है। इसलिए इसे आधुनिक विचारक शब्दप्रतीकात्मिका भाषा कहना पसन्द करते हैं।

आधुनिक काल के यहान् भाषा-दार्शनिक अन्स्टॉ कैसिरर ने शब्द-प्रतीकात्मिका भाषा और मिथकतत्त्व पर नये विचार दिये हैं। दर्शनशास्त्रीय सिद्धान्तों में वे बहुत कुछ काण्ट के ही अनुयायी थे, और काण्ट की ही भाँति भानते थे कि मानव-चित्त के बाह्य-यथार्थ का विष्व ग्रहण करनेवाला निष्ठिक दर्पण मात्र नहीं है बल्कि कियात्मक या सर्जनात्मक शक्ति से सम्पन्न है; वह विष्व रूप में गृहीत यथार्थ को प्रभावित करता है, और नया रूप भी देता है। परन्तु प्रतीकात्मिका भाषा के उद्भव और विकास में वे काण्ट के समकालीन तत्त्ववेत्ता जे. सी. हूडर के प्रशंसक थे। उन्हें वे 'इतिहास का कोपनिकस' कह गये हैं। प्रसिद्ध लालित्य-शास्त्री फोचे भी हूडर से मीठे प्रभावित थे, परन्तु उन्होंने भाषा-विषयक उनके विचारों की कोई धास चर्चा नहीं की। कहना चाहिए कि और वातों में हूडर से प्रभावित होकर भी उन्होंने उनके प्रतीकात्मक भाषा-विषयक विचारों की उपेक्षा की थी। हूडर मानते थे कि भाषा की उत्पत्ति मिथकीय प्रक्रिया के भीतर से हुई है। कविता में मिथकीय तत्त्व ही हमें प्रभावित करते हैं, योकि हूडर मानते थे कि मिथकतत्त्व की गतिशील विशिष्टता कविता में घाज भी सुरक्षित है। पद्धति कैसिरर के मन में हूडर के प्रति बहुत मान या धौर वे उन्हें प्रपन्ना मार्ग-

दर्शक भी मानते थे, फिर भी कैसिरर ने इस बात का जोरदार विरोध किया है कि भाषा मिथकीय प्रक्रिया से उद्भूत हुई है। वे भाषा और मिथकतत्व को एक ही मूल से निकली हुई दो अलग-अलग शाखाएँ मानते हैं। प्रतीकात्मक रूपरूपन के सबैगं या इम्पल्स से ही दोनों का उद्भव हुआ है। इन सबैगं को वे साधारण ऐन्ड्रिय अनुभूतियों का तीव्र और सान्द्रीभूत रूप मानते थे। कैसिरर ने इस सिद्धान्त के समर्थन के लिए बहुत विचारपूर्ण युक्तियाँ दी हैं। वे आधुनिक ज्ञान के आलोक में ग्राह्य लगते हैं। अनेक तथ्यों और युक्तियों के बल पर उन्होंने जो कुछ नहा है वह प्राचीन भारतीय विचारधारा के प्रतिकूल नहीं है। उनका कहना है कि आदिम मनुष्य के लिए भाषा के प्रतीक यथार्थ के सूचक नहीं थे, बल्कि यथार्थ ही थे। वे मानते हैं कि मनुष्य ही एकमात्र प्राणी है जो प्रतीकों का निर्माण करता है। वस्तुतः मनुष्य एकमात्र प्रतीक-निर्माता जन्मतु है। कैसिरर का यह तर्क बहुत प्रभावशाली सिद्ध हुआ है। कई मनीषियों ने उस पुराने सूत्रवाच्य को, जिसमें कहा जाता था कि 'मनुष्य सोचने-समझनेवाला जन्मतु' या 'रेशनल एनिमल' है, बदल दिया है और अब ऐसा कहना ठीक समझा जाने लगा है कि 'मनुष्य प्रतीक-निर्माता' जन्मतु है। इस परिवर्त्तन के मूल में बहुत क्रान्तिकारी भावना है। हम जिसे तर्कसम्मत विचार कहते रहे हैं, वह वस्तुतः भाषा-प्रतीकों का तर्क-संगत रूप ही है, वास्तविकता का तर्कसंगत रूप कठिनाई से सिद्ध किया जा सकता है। तर्कसंगत समझी जानेवाली व्यवस्था वास्तविकता का केवल बाहरी रूप है। उसका अन्तर्वर्ती रूप काव्य में, निजन्धरी कथाओं और परिमों की अतकं-संगत लगनेवाली बातों में मिलता है।

परन्तु मनुष्य के प्रतीक-निर्माता कहने का दूसरा अर्थ यह हो सकता है कि मनुष्य का चित्त विवेकदक्ष है। वह एक प्रकार की ध्वनि को दूसरे प्रकार की ध्वनि से, एक प्रकार के गीतस्वर को दूसरे प्रकार के गीतस्वर से और एक प्रकार की भावना को दूसरे प्रकार की भावना से विवेकपूर्वक अलग कर सकता है, उसे प्रतीकात्मक भाषा में अभिव्यक्त कर सकता है, उनको जोड़-घटाकर-नये-नये शब्द-प्रतीकों की उद्भावना कर सकता है। यह विविक्तीकरण और यथेष्ट सर्जनात्मक उद्भावना ही मनुष्य की वास्तविक विशेषता है। न तो उसे 'रेशनल' कहना चाहिए, न 'सिम्बल-मेकर' (प्रतीक-निर्माता), बल्कि उसे 'विवेकी स्टॉ' ही कहा जाना चाहिए।

मनुष्य को जो भाषा मिली है उसमें विवेक का हाथ है, विविक्तीकरण की शक्ति की महिमा है। भाषा शब्द-प्रतीकों से बनी है। जैसे-जैसे मनुष्य इस महिमामयी शक्ति के विकास में अग्रसर होता गया, वैसे-वैसे वह बाह्य पदार्थों की अभिव्यक्ति की ओर भागता गया। उसने अन्तररतर के भावों को भी नाम दिया, उसे विभिन्न इन्ड्रियों के द्वारा गृहीत विष्वों में अनुबाद करके। फिर वे भी रुढ़ होते गये। जास्त्री यों तर्कसम्मत भाषा का मोह बढ़ता गया, अन्तजंगत की भावानुभूत भी प्रतीकों द्वारा अभिव्यक्त परने की धासक्ति की ओर बढ़ती गयी।

बाह्य यथार्थ के इन्द्रियप्राप्त विम्बों द्वारा भावाभिव्यवित का प्रयास भाषा को हठ बनाता गया और बाह्य यथार्थ की तक्सम्मत व्यवस्था के अतिरिक्त एक अपनी अन्तनिहित व्यवस्था व्याकरण से बँधती गयी। अन्तर्जंगत् को ठीक-ठीक अभिव्यवित देनेवाला मिथकतत्त्व छूट गया। एकदम छूट गया, यह भी नहीं कह सकते। भाषा के माध्यम से व्यक्त होने के कारण उसे बाह्य यथार्थ की तक्सम्मत व्यवस्था की तुलना में कम सम्मान मिलने लगा। मूल मिथकतत्त्व को प्रतीकात्मक भाषा ने और भी नया स्वप्न दिया। हरनये हृषि में उसकी मूल रचयित्री शक्ति क्षीण होती गयी। गद्यात्मक भाषा केवल दो ही अनुशासनों को मानती है : बाह्य यथार्थ की तक्सम्मत व्यवस्था और अपनी अन्तनिहित व्याकरण-व्यवस्था। सम्भवता के साथ-साथ मनुष्य भूलने लगा कि अन्तर्जंगत् की एक और व्यवस्था है जो बाह्य यथार्थ द्वारा गृहीत विम्बों के प्रतीकों के अनुशासन से कुछ भिन्न श्रेणी का अनुशासन चाहती है। कुछ नये विचारक तो यह भी मानने को तैयार नहीं कि वह किसी प्रकार के अनुशासन को मानती है। पर मैं उसे एकदम अनुशासित नहीं मानता। वह अनुशासन आन्तरिक अनुभूति का होता है। जहाँ भी हृषि है, वहाँ कोई-न-कोई अनुशासन भी अवश्य है। विना अनुशासन के न्यून नहीं बन सकता।

परन्तु उपेक्षित होकर भी वह जीवित है। दिन-भर बाह्य यथार्थ की समजस और तक्सम्मत व्यवस्था के चमत्कारों में व्यस्त रहने के बाद भी मनुष्य रात को सोते समय उससे अभिभूत हो जाता है। वह स्वप्न में प्रकट है और मनुष्य को अपने-आपकी अत्कसम्मत व्यवस्था से कभी-कभी बुरी तरह अभिभूत कर देती है। बाह्य-यथार्थ की प्रतीकात्मिका भाषा उसे प्रकट करने का प्रयास करके असफल हो जाती है। यह प्रच्छन्न मिथकतत्त्व उसे छोड़ नहीं पाता, वह उससे अपना पिण्ड नहीं छुड़ा पाता। मनुष्य अगर अन्तर्जंगत् की इस प्रभावकारी शक्ति की उपेक्षा करता है तो मानता पड़ेगा कि उसका सबेदन एकदम भोया हो गया है, उसका विवेक बहुत एकांगी है, उसकी रचनात्मक शक्ति बात-की-बात है।

परन्तु ऐसा हुआ नहीं। मनुष्य ने मिथकतत्त्व को भुलाया नहीं है। कविता उसका प्रमाण है, निजन्धरी कथाएँ इसकी गवाही देती हैं, चित्र और मूर्ति-शिल्प उसके साक्षी हैं।

ऐसा न समझें कि मैं स्वप्न और कविता में अन्तर नहीं करता। वहुत-से लोग सचमुच ही अन्तर नहीं करते। उन्हें कविता को 'ड्रीम वर्क' वहने में रस मिलता है। कविता और स्वप्न में अन्तर है, निजन्धरी कथा और दिवा-स्वप्न में भी अन्तर है, स्वप्नगृहीत विम्बों और चित्र या मूर्ति-शिल्प में प्रयुक्त प्रतीकों में भी अन्तर है। मैं सारी समस्या को इतने हल्के ढंग से कह देने में कोई तुक नहीं देखता। भाषा की कुहुकिनों शक्ति को भुला देना अनुचित समझता हूँ और मानव-विवेक की अपार सम्भावनाओं की उपेक्षा करने को गलत समझता हूँ। कविता निस्सन्देह उस उपेक्षित मिथक-परम्परा की देन है, अवश्य ही भाषा की कुहुकिनी शक्ति से अभिभूत देन। और भी बातें हैं। स्वप्न मानव-चित्त की प्रयत्न-

पूर्वक निमित वस्तु नहीं है। अधिक-से-अधिक वह मनुष्य-चित की प्रयत्ननिरपेक्ष सजंनात्मक शक्ति की गूचना देता है। कविता प्रयत्नसाध्य तिसूचा का परिलापन मा फल है। वह मिथक तत्त्वों का सहारा लेती है, पर स्वयं मिथक नहीं है। वह भाषा को ढोङ्कर नहीं जा सकती। भाषा का आधार ही वह नहीं प्रहण करती, उसमें प्रभावित होती है और उसे अपने ढंग से प्रभावित भी करती है। स्वर्जके विषय में मैं अन्यथ अपना मत प्रकट कर चुका हूँ। यहीं केवल इतना ही स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कविता सिफे 'डोम बक' नहीं है। प्रसोंकात्मिका भाषा आगे चलकर उन वस्त्रों की भाँति हो जाती है जो वास्तविकता को छिपा भी सकते हैं, उसे नया शोभा से समृद्ध भी कर सकते हैं और व्यक्तित्व देने में समर्थ भी हो सकते हैं। फिर भी वे स्वयं वास्तविकता नहीं हैं। भाषा ने वास्तविकता को ढंका भी, उनपर भी किया है और व्यक्तित्व-सम्पन्न भी बनाया है। मनुष्य के किसी भी प्रयत्न के अध्ययन में भाषा का महत्वपूर्ण योगदान भुलाया नहीं जा सकता; न तो उसकी आच्छादिका शक्ति को और न उद्घोषिनी शक्ति को।

भाषा का सहारा पाने के बाद काव्यार्थ बहिर्जंगत् से एकदम असमृक्त नहीं रहता, यद्यपि वह हूँ-च-हूँ वही नहीं होता। उसे मनुष्य कविके रूप में, जिसी के रूप में, नवीन देश में गढ़ता है। कवि हारा निमित मही नया भूति नये सिरे से सहदय पाठक या द्रष्टा के चित की वासनाओं के मिथ्रण से नया रूप प्रहण करती है। इस प्रकार, तथ्य की प्राकृतिक या निसर्गसिद्ध सत्ता का जो हिल्लोत कवि-चित्त में उत्पन्न करती है, वह दूसरी बार नवीन रूप प्रहण करके पाठक के चित को हिल्लोतित करती है। उपमा, रूपक आदि अलंकार कवि के अन्तरर दे ही उत्तित होते हैं। ये भी वासना की ही देन हैं। कुछ भारतीय अलंकार-शास्त्रियोंने अलंकारों को कटक, कुण्डल आदि के समान बाहर से आरोपित बताया है, किन्तु अलंकार वस्तुतः वहिनिर्देश्य नहीं हैं, कवि के अन्तरर दे ही उत्तित होते हैं। वहिनिर्देश्य बनकर अलंकार मूल मिथक-अनुभूति को आच्छादित करते हैं, उसके प्रभाव को क्षीण करते हैं।

भाषा भावभूति को व्यक्त करने में पूर्णतः समर्थ नहीं होती। इसी सामर्थ्य के अन्तराल को कवि उपमा, रूपक आदि अलंकारों से भरता है। हर समय ये भी काम नहीं करते। कवि 'मानो, ऐसा, मानी वैसा' कहकर चित्रों पर चित्र बनाता जाता है। जो सामने उपस्थित है, प्रस्तुत है, उसे उन स्मृति-चित्रों से, जो प्रस्तुत नहीं है, भरता रहता है। इस अप्रस्तुत योजना को वह मिथकतत्त्व से पूरित करता है, 'जो नहीं है', उसके परे 'जो है', उसे बताने का प्रयत्न करता है। भाषा की यह चित्र-निर्माण-शक्ति वस्तुतः मिथक-कल्पनाओं से बनती है। लेकिन, उपमा और रूपक क्षण-चित्रों के सहारे उन सारी बातों को कहने में असमर्थ होते हैं। भाषा का चित्र-घर्म अलंकारों में व्यक्त होता है— अर्थात् कारों में। परन्तु उसमें गति ले आने का कार्य छन्द-तत्त्व करता है। पद-गुम्फान से, अनुप्रासा से वह चित्र को नितिमय बनाता है। ये दोनों तत्त्व अर्थ में गतिया भरते हैं, गति देते हैं, उपभोगता

और अर्थ में यथार्थता लाते हैं। इन्ही के द्वारा साधारण प्रत्यय 'यथार्थ' बनता है। अर्थ-तत्त्व, मिथक और छन्दतत्त्व का पूर्ण सामंजस्य ही यह यथार्थ है।

ऊपर-ऊपर से भाषा शब्दमयी है। शब्दों के अर्थ—पदार्थ—तो वहिंगत् में होते हैं या अन्तर्जंगत् में भावरूप में विद्यमान होते हैं। परन्तु मानव-चित्त की सर्जनात्मका मिथक-निर्मात्री शक्ति अर्थ को भी नये सिरे से 'भाषा' का रूप देती है; जिस प्रकार शब्द अर्थों के संकेतदाता है, उसी प्रकार अर्थ भी नये अर्थों के संकेत दे रहे हैं, ऐसा सोचने वाले प्रवृत्त करती है। काव्य में, चित्र में, मूर्त्ति में पदार्थ भी शब्दों की भाँति नये अर्थों का संकेत देने लगते हैं।

शास्त्रकार और योगी कहते हैं कि यह समूचा चराचर जगत् अर्थ है, पदार्थ है। उसके मूल में शब्द है। ठीक है। पर, अर्थ क्या केवल अर्थ है, वह अपने-आपमें क्या भाषा नहीं है? यह जो प्रातःकाल सूर्य की रश्मियाँ सोना वरसा देती हैं, चन्द्रकिरणें शाम को रजतधारा में धरित्री को स्नान करा देती हैं, ये क्या केवल अर्थ है? ये क्या कुछ कह नहीं जाती? किसके लिए यह आयोजन है? इतना रंग, इतना राग, इतना छन्द, इतनी व्याकुलता जो जगत् में प्रतिक्षण उद्भासित हो रही है, वह क्या विविक्तवर्णा भाषा द्वारा आदृत अर्थमात्र है? बीज जब अंकुर-रूप में फटता है, तब क्या चराचर में व्याप्त उल्लास की वेदना के साथ ताल नहीं मिलता रहता? रात को आसमान में जो इतनी लालटेने निकल पड़ती है, वे क्या निरर्थक हैं? किसी को खोजने की व्याकुल वेदना क्या उसमें नहीं सुनायी पड़ती? कवि जो भाषा सुना करता है, वह क्या केवल पागलपन का विकल्पमात्र है? जो लोग अपने को विशिष्ट विज्ञान के अधिकारी घोषित करते हैं, वे क्या सबका ठीक-ठीक मतलब समझा सकते हैं? कौन बतायेगा कि रस्य वस्तुओं के वीक्षण से, मधुर शब्दों के श्रवण से चित्त में पर्युत्सकी भाव क्यों आ जाता है? मनुष्य का हृदय साक्षी है कि ये पदार्थ भी भाषा है, इनका भी कुछ अर्थ है। जगत् जो इतना रागमय है, छन्दमय है, वर्णमय है, वह क्या व्यर्थ है? व्यर्थ, अर्थत् अर्थशून्य, निरर्थक! नहीं! इस दृश्यमान चराचर का भी अर्थ है, इस भासमान तरंग-साम्य का भी मतलब है। भाषा व्यापक रूप ग्रहण करती रहती है। शास्त्र-कार या योगी नहीं बताता कि अन्तरतर से जो छन्द के प्रति, राग के प्रति, रंग के प्रति इतना व्याकुल कम्पन उठा करता है, वह परमशक्ति की किस विलासलीला की अभिव्यक्ति है। गहराई में कहीं कुछ छूट गया है, हठयोग और नादयोग उसे नहीं बता पाते। कहीं-न-कहीं अनुराग-योग का भी व्याकुल कम्पन और आत्म-निवेदन मानव-हृदय के अन्तरतर में विकसित हो रहा है। उस छूटे हुए तत्त्व का सन्धान शिल्पी करता है। वह अनुभवगम्य है। उसकी प्रतित ही यथार्थ है और अनुभूति ही सत्य है। भाषा का यह व्यापक रूप मनुष्य के अन्तरतर में निहित सर्जनात्मक मिथक तत्त्व की देन है। हर क्षेत्र में, यहाँ तक कि निर्वेदिक वस्तुपरक विज्ञानशास्त्रों में भी यह सर्जनात्मक मिथकतत्त्व मनुष्य की कल्पना-वृत्ति को उकसाता रहता है। वह प्रच्छन्न भाव से सदा सक्रिय रहता है।



विस्तार द्वारा मनुष्य ने राग के सहायक और पोषक वाच्यन्त्रों का आविष्कार किया। चार प्रकार की ध्वनियों के विविक्तीकरण से इन वाजों का आविष्कार हुआ। प्राचीन शास्त्रों में इनके आतोद्य, सुपिर आदि भेद गिनाये गये हैं।

परन्तु आगे चलकर वृत्त और राग विशुद्ध रूप में नहीं रह सके। वे एक-दूसरे को प्रभावित करते रहे। वृत्तवद्ध काव्य भी गाये जाने लगे। इस प्रकार के मिथ्रण से अनेक प्रकार के शब्दाधित लालित्य-प्रयास उत्पन्न हुए हैं। इस जटिल प्रक्रिया को थोड़े में समझाना कठिन है। केवल इतना कह देना काफी है कि ये सभी ध्वनिमूलक अधिगतिर्थी एक-दूसरे को प्रभावित-परिमार्जित और समृद्ध करती हुई अनेक शास्त्रों और विचारों को रूप देने में समर्थ हुई हैं।

विविक्तीकरण की शक्ति के मूल में मनुष्य की रचनात्मक मानस-शक्ति है। कई पश्चिमी विचारकों ने इसे सम्मूर्त्तन शक्ति (पावर आफ इमेजिनेशन) कहा है। वस्तुतः यह एक प्रकार की इच्छा-शक्ति है जिसे भारतीय मनीषी 'सिसूक्षा' कहते हैं। यह मानव-मस्तिष्क में क्रमशः विकसित हुई है। जब तक जन्मत्रयों में रीढ़ का विकास नहीं हुआ या तब तक उनके पास मानव-मस्तिष्क जैसे जटिल क्रियाशील मस्तिष्क को सम्भालने की शक्ति नहीं थी। कई कीटों और मविषयों में मस्तिष्क विकसित तो हुआ, पर रीढ़ के अभाव में अधिक विकसित नहीं हो पाया। सर्वाधिक विकसित मस्तिष्क का प्राणी, ज्ञात सृष्टि में मनुष्य ही है। यदि कोई और जन्मत्रयों जिसका मस्तिष्क मनुष्य से अधिक विकसित हो तो उसका हमें ज्ञान नहीं है। विकसित मस्तिष्क में ही सिसूक्षा या सर्जनेच्छा नामक इच्छा-शक्ति का सर्वोत्तम विकास होता है। यही विविक्तीकरण की शक्ति सिसूक्षा का आरम्भिक रूप है। इसने पदार्थ-जगत् में और शब्द-जगत् में नयी-नयी उद्भावनाओं की विपुल सम्भावना उत्पन्न कर दी है। यह अपने-आपमें अन्त नहीं है। इसका भी कोई सक्षय है।

[‘आलोचना’ द्वारा आपोजित पट्टियूक्ति समारोह में 1 भव्यवार,  
1967 को दिये गये भाषण का परिवधित रूप]

पहले ही कहा गया है कि विविक्तवर्णोंवाली भाषा के अधिगत होने के पूर्व मनुष्य की भाषा संगीतात्मक थी। उसकी ध्वनियाँ एक-दूसरे से इस प्रकार मिली हुई थी कि उसमें एक अविरल प्रवाह-सा रहा करता था। मानव-पूर्व प्राणियों में ऐसी भाषा अब भी मिलती है। यह उल्लास, अवसाद, भय, हँस्य आदि आन्तरिक भावों की सहज अभिव्यक्ति थी। उसका अर्थ अन्तर्जंगत् के भाव थे; उद्देश्य या व्यक्तिगत सीमा का अतिक्रमण करके, समानशीलों के उर्हा भावों को जाग्रत करके एक प्रकार के एकत्व की अभिव्यञ्जना। वह भीतरी स्नायु-मण्डल और पेशियों की सहज गति से प्रेरित होती थी। नृत्य भी ऐसी ही अभिव्यक्ति था। नृत्य की चर्चा ग्राज हम नहीं करेंगे। परन्तु इतना कहने की आवश्यकता है कि नृत्य भी मानसिक भावों को सहज अभिव्यक्ति था और रथत, स्नायु-मण्डल और पेशियों की सहज प्रतिक्रिया से ही स्फूर्त होता था। नृत्य चक्षुरोचर सहज करता था और गान भी वैसा ही श्रुतिशाह्य महज कला था। दोनों ही सहज छन्द के आधित थे। दोनों में आदिमानव और मानव-पूर्व जन्मुओं का आन्तरिक छन्द अभिव्यक्ति पाता था। वहिंजंगत् के दिन-रात, सर्दी-गर्मी और ऋतु-परिवर्तन आदि का सहज नियन्त्रण दोनों में ही था। भाषा की अधिगति के साथ-साथ दोनों में विविक्तीकरण द्वारा नवीन विधाओं का विकास होता गया और तात्त्विक-संज्ञन के नये प्रयासों का आरम्भ हुआ।

छन्द सामान्य शब्द है। विविक्तवर्णी भाषा का प्रयोग इसे जटिल ह्य देने लगा। जिस प्रकार विविक्तवर्णोंवाली भाषा से मिथकतत्त्व क्रमशः छूटता गया, उसी प्रकार छन्द भी छूटता गया। छन्द गति है, अर्थ स्थिति है। अर्थ से असम्पूर्ण छन्द ही राग है और अर्थ से असम्पूर्ण छन्द वृत्त है। कविता को वृत्त का आधय लेता पड़ता है, क्योंकि अर्थ को छोड़कर वह नहीं रह सकती। विशुद्ध संगीत विना अर्थ से सम्पर्क बनाये रह सकता है। वृत्त अर्थ-सम्पर्क को एकदम नहीं छोड़ सकता। वृत्त उस स्थिति में श्राविभूत हुआ जब मनुष्य केवल वर्णों का ही नहीं, बल्कि उनके उच्चारण की मात्राओं का भी विवेक कर चुका होता है। छन्द, संगीत में विभिन्न ध्वनियों के आरोह-व्यवरोहजन्य अर्थसम्पूर्त स्वरमात्र के विविक्ती-करण द्वारा वृत्त का ह्य प्रहण करता है। अर्थप्रधान विविक्तवर्णात्मिका भाषा का सहारा लेकर छन्द, वृत्त बनता है और अर्थनिरपेक्षा अविविक्तवर्णात्मिका भाषा का आधाय प्रहण करके राग बनता है। इस प्रकार छन्द दो ह्यों में प्रकट हुआ, राग के ह्य में और वृत्त के ह्य में। राग के ह्य में वह संगीत है और वृत्त के ह्य में काव्य। राग के ह्य में वह वहिंजंगत् के अर्थ में असम्पूर्ण होता है और वृत्त के ह्य में वह वहिंजंगत् के अर्थ में सम्पर्क बनाये रहता है। राग आदिम है, वृत्त वाद को परिणति। वृत्त भाषा के योग से छन्द को नियत सीमा में बोधता है, उसे किसी एक अर्थ-विन्दु पर चवार दिनबाटा है। इसीलिए वह वृत्त है। राग का केन्द्रीयीमा नहीं है, वहन-कुद्द परवलय की भाँति।

वहिंजंगत् के अनेक पदार्थों की ध्वनियों के विविक्तीकरण और प्रस्ताव-


विस्तार द्वारा मनुष्य ने राग के सहायक और पोपक वाद्ययन्त्रों का आविष्कार किया। चार प्रकार की ध्वनियों के विवितीकरण से इन वाजों का आविष्कार हुआ। प्राचीन शास्त्रों में इनके आतोद्य, सुपिर आदि भेद गिनाये गये हैं।

परन्तु आगे चलकर वृत्त और राग विशुद्ध रूप में नहीं रह सके। वे एक-दूसरे को प्रभावित करते रहे। वृत्तवृद्ध काव्य भी गाये जाने लगे। इस प्रकार के मिश्रण से अनेक प्रकार के शब्दाधित लालित्य-प्रयास उत्पन्न हुए हैं। इस जटिल प्रक्रिया को थोड़े में समझाना कठिन है। केवल इतना कह देना काफी है कि ये सभी ध्वनिमूलक अधिगतिर्याँ एक-दूसरे को प्रभावित-परिमार्जित और समृद्ध करती हुई अनेक शास्त्रों और विचारों को रूप देने में समर्थ हुई हैं।

विवितीकरण की शक्ति के भूल में मनुष्य की रचनात्मक मानस-शक्ति है। कई पश्चिमी विचारकों ने इसे समूत्तर शक्ति (पावर आफ इमेजिनेशन) कहा है। वस्तुतः यह एक प्रकार की इच्छा-शक्ति है जिसे भारतीय मनोपी 'सिसूक्षा' कहते हैं। यह मानव-मस्तिष्क में क्रमशः विकसित हुई है। जब तक जन्मुद्धों में रीढ़ का विकास नहीं हुआ था तब तक उनके पास मानव-मस्तिष्क जैसे जटिल क्रियाशील मस्तिष्क को सम्भालने की शक्ति नहीं थी। कई कीटों और मक्खियों में मस्तिष्क विकसित तो हुआ, पर रीढ़ के अभाव में अधिक विकसित नहीं हो पाया। सर्वाधिक विकसित मस्तिष्क का प्राणी, ज्ञात सृष्टि में मनुष्य ही है। यदि कोई और जन्मु हो जिसका मस्तिष्क मनुष्य से अधिक विकसित हो तो उसका हमे ज्ञान नहीं है। विकसित मस्तिष्क में ही सिसूक्षा या सज्जनेच्छा नामक इच्छा-शक्ति का सर्वोत्तम विकास होता है। यही विवितीकरण की शक्ति सिसूक्षा का आरम्भिक रूप है। इसने पदार्थ-जगत् में और शब्द-जगत् में नयी-नयी उद्भावनाओं की विपुल सम्भावना उत्पन्न कर दी है। यह अपने-आपमें अन्त नहीं है। इसका भी कोई लक्ष्य है।

[‘मालोचना’ द्वारा आयोजित प्रस्तुति समारोह में 1 अक्टूबर, 1967 को दिये गये भाषण का परिवर्तित रूप]





Purchaser  
Title  
Schem  
to  
isat  
in the year 15/1983

साहित्य का सर्व



## साहित्य-विचार में प्राचीन ग्रन्थों का महत्व


मिथो, साहित्य के मर्मार्थ पर बहुत विचार हुआ है। मुझे अपने विनीत वक्तव्य को आपके सम्मुख उपस्थित करते समय इस बात का लेशमान भी ध्रम नहीं है कि आपको कोई नयी बात सुना सकूँगा, या कमन्जे-कम पुरानी बात को नयी सी बनाकर आपका मनोरंजन कर सकूँगा। मेरा वक्तव्य साहित्य को समझने के प्रयत्न करते समय उठी हुई कठिनाइयों और शकाद्धों की कहानी है। इस विद्वत्सभा में उन्हें उपस्थित करते समय मेरे मन में कोई दुविधा नहीं है। अपना मत प्रकट करने में भी मैं संकोच न करने का भक्त्यल लेकर ही सड़ा हुआ हूँ। मेरे मन में यदि कोई ज्ञानित होगी तो उसके दूर करने का इससे उत्तम मुयोग दूसरा कही मिलेगा? फिर मेरी कठिनाइयों के बल भेरो नहीं हैं, समूर्ण विद्यार्थी-समाज की है। बहुत दिनों से अध्यापक का कार्य करता हूँ, नाना मुनियों के नाना मतों को पढ़ाने और समझाने का घ्रत से रखा है, सौ प्रकार के मत-मतान्तरों की चर्चा फैरता रहता है। सब रचते भी नहीं और सब पढ़ते भी नहीं। एक ही लेखक के बारे में इतनी परस्पर-विरुद्ध रायें मुनने को मिलती हैं कि कभी-कभी यह ज्ञानका होता है कि साहित्य का मूल्याकान करना कोई शास्त्रीय विषय है भी या नहीं। कभी-कभी ऐसे ज्ञानार्थी और सहृदयों से मतभेद हो जाता है जिनके ज्ञान पौर धनुभव के विषय में हृदय में धपार थड़ा रहती है, फिर ऐसे मिथों में भी मतभेद हो जाता है, जिनकी यहुङता से धूरी तरह परिचित रहता है। ऐसे गमय मन में चट्टा दुविधा पा भाव पैदा होता है। परं मेरी ज्ञान पारणा ही इसका पारण है। परपथ की कोई कमी इसका हेतु है? यिहारी पी नादिरा वा भाँति चित्त दोषायित हो उठता है:

मैं ही योरी यिरहयग, के योरो गप गौर?

बहा जानि ए पहुँत है, नगिहिगीपरर नौर?

मेरा धनुभान है कि इम प्रकार वा इविधा जभी महृदयों के मन में उठाई होगी। बुद्ध हमी प्रकार के धनोभाव में गिन्न होरर प्रेष गदानोपर ढाई ता ने

कहा था कि आलोचक वस्तुतः अपनी नवनवोत्मेपशालिनी प्रतिभा और शिक्षित चित्त के साहसिक अभियान की ही कहानी सुनाता है। उसे जब किसी कवि या नाटककार के बारे में कुछ कहना पड़े तो इस प्रकार नहीं शुरू करना चाहिए कि 'सज्जनों, मैं अमुक साहित्यिक के विषय में अपने विचार मुनाने जा रहा हूँ।' वल्कि इस प्रकार शुरू करना चाहिए कि 'सज्जनों, अमुक कवि या साहित्यकार के प्रत्यों को पढ़ने से मेरे चित्त में जो प्रतिक्रिया हुई है, उस अपनी मानसिक प्रतिक्रिया के विषय में आपको अपने विचार मुनाने जा रहा हूँ।' साहित्य का अध्यापक इस वाक्य की अन्तर्निहित वेदना को ममझ सकता है। उसे एक ही कवि पर इनी भिन्न-भिन्न रायें सुनानी पढ़ती हैं और मद परस्पर भिन्न मतों का ग्रौचिय विभिन्न दृष्टिकोणों से स्थापित करना पड़ता है कि यदि वह संवेदनशील हुआ—जिसकी सीधार्यवश, बहुत कम अध्यापकों से आशा की जा सकती है—तो व्यष्टि हुए विना रह नहीं सकता। क्या यह जो आलोचना के नित्य नये मान निर्धारित होते आ रहे हैं, उनका एक ही भविष्य है—धकिया दिया जाना? ये समालोचक कहे जानेवाले बुद्धिजीवियों के उठाये हुए महल क्या ताश के मकानों से अधिक मूल्य नहीं रखते? और यह साहित्यिक आलोचना का इतिहास 'नवनवोत्मेपशाली' शिक्षित चित्तों के साहसिक मनोविकारों के दूहों से क्या भर नहीं गया है? कहा जाता है कि समालोचना की दुनिया निराली होती है, उसकी तुलना अन्य विज्ञानों से नहीं की जा सकती। अन्य वैज्ञानिक ठोस और इन्द्रिय-ग्राह्य वस्तुओं का निरीक्षण-परीक्षण किया करते हैं, जबकि समालोचक अनिन्द्रियग्राह्य—मैं 'अतीन्द्रिय' नहीं कहता—अतीकिक रस-वस्तु की जाँच करता है, वह अपने मनोभावों को छोड़कर इसकी विवेचना नहीं कर सकता। इसका अर्थ मह भी हो सकता है कि पढ़ते ही जो काव्यादि उसे अभिभूत कर डालें—'पद-भंकारमात्रेण' उसका मन हरण कर लें—उन्हे ही वह श्रेष्ठ घोषित कर दे और यह भी हो सकता है कि काव्यापाठ करके उसे दीन-दुनिया के बारे में सौच-समझकर यह स्थिर करना चाहिए कि किस काव्य को उसे श्रेष्ठ घोषित करना चाहिए, और जब एक बार 'उचित' की भीभांसा हो जाय तो उसे बौद्धिक विवेचना के स्पष्ट में सहृदय समाज के सामने उपस्थित कर देना चाहिए। समालोचकों ने दोनों प्रकार के मत दिये हैं। परन्तु मैं सौचता हूँ कि सब लोग अपने-अपने मन का बौट लेकर बाजार में लड़े हो जायें तो क्या सामाजिक सम्बन्ध कायम रह सकता है? काव्य और काव्य की आलोचना जगल में गाये हुए बुलबुल के गान नहीं हैं। उनका एक सामाजिक मूल्य है। साहित्यालोचना यों इस प्रकार के भावावेगी आलोचकों में बचाने का प्रयत्न होना चाहिए। इस प्रकार के प्रयत्न करनेवालों में अप्रणीत समालोचक-थी थाई-ए. रिचार्ड्स ने अपनी 'प्रैटिकल क्रिटिसिजम' नामक पुस्तक में सेद्धूर्वक कहा है कि काव्य ममझते के लिए सर्वमान्य लक्षणशास्त्र यतनाने का प्रयत्न उतनी भी गम्भीरता के साथ नहीं किया गया जितनी गम्भीरता के साथ पोल-जम्पिंग के नियम बनाये गये हैं।



विचार-शृंखला के भीतर से स्थिर किया गया था और इस देश के विचारकों का उसमें कोई स्थान नहीं था। इस प्रकार हमारी विचार-परम्परा का स्रोत पहले तो अज्ञान के कारण नूतन गया और बाद में उपेक्षा के कारण भुला दिया गया। भारतीय सहृदय एकदम विचित्र परिस्थिति में पड़ गया। सस्तृत की पढ़ाई अब भी पुराने ढंग से चल रही थी, परन्तु उसकी स्तव्य मनोवृत्ति श्रीरभी स्तव्य हो गयी। किसी ने नवीनतम समस्याओं के बारे में पुराने पण्डित की राय पूछी भी नहीं, पूछने की जरूरत भी नहीं समझी और पुराना पण्डित सब ओर से उपेक्षित होकर अपनी पोधियों की संकुचित सीमा में अधिकाधिक सिमटता गया। नयी शिक्षा की शानदार सवारी एकदम विदेशी सञ्ज्ञा में सजकर निकली। उसकी चमक-दमक ने बूद्ध देश की आँखों में चकाचौध पैदा कर दी।

देश के विचारशील लोगों को वह अवस्था कट्टदायक लगी। नाना भाव से अपने देश को समझने-समझाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। विशेषज्ञों का एक दल—जिनमें विदेशी पण्डितों का महत्वपूर्ण स्थान था—अपने देश की विद्या का अध्ययन करके लुप्त होती हुई सामग्री का उद्धार करने में लग गया। बहुत-कुछ वचाया जा सका, बहुत-कुछ उदारा जा सका, परन्तु इन विषयों का उस प्रकार उपयोग नहीं किया जा सका जिस प्रकार जीवन-रस देनेवाले साहित्य का होना चाहिए। प्रधान प्रेरणाकोत विदेशी विचारक बने रहे और इस देश के शिक्षितों ने अपने पुराने साहित्य के प्रति एक ऐसा मनोभाव पैदा कर लिया जिसे अंग्रेजी में ‘म्यूजियम इन्टरेस्ट’ कहते हैं। यह एक दृष्टि से बहुत बुरा हुआ। इनको यदि सम्पूर्ण समाज की बहुतर पटभूमिका पर रखकर और प्रधान प्रेरणाकोत मानकर अपना आलोचना-मान निर्धारित किया गया होता तो कुछ और ही कल होता। सामाजिक पटभूमि से विच्छिन्न होकर हमारे प्राचीन ग्रन्थ के बल प्रदर्शिती की बस्तु रह गये। उनका अधिक-से-अधिक उपयोग केवल इतना ही समझा गया कि उनसे प्राचीन भारतीय साहित्य के अध्ययन में सहायता मिलती है।

इधर जब से विश्वविद्यालयों ने मातृभाषाओं को भी उच्चतर अध्ययन के योग्य विषय मान लिया है, तब से प्राचीन साहित्य और प्राचीन ग्रन्थों के पठन-पाठन की ओर अधिकाधिक रवि उत्पन्न हुई है। ऐसा भी प्रयत्न होने लगा है कि पुराने अलकाराशास्त्रों की बतायी विधियों से नयी काव्यसामग्री का भूत्याकान किया जाय। यद्यपि यह प्रयास भारतीय जास्त्रों के अध्ययन की दृष्टि से अच्छा ही है, परन्तु यह भी भारतीय तरण विद्यार्थी के मन में एक उत्तरकान ही पैदा करता है। नाना कारणों में नयी कविता में ऐसी श्रनेक नयी बातें आ गयी हैं जो पुराने भालंकारिकों के सामने नहीं थीं और नये कवियों के सामने ऐसी समस्याएं अब नहीं हैं जो पुराने कवि के सामने थीं। सहृदय भी अब पुराना दरवारी मा विलासी नामिक नहीं है। मर्णीनों ने दुनिया में नयी क्रान्ति ला दी है। यापे की मर्णीन ने साहित्य को जनगापारण तक सहज ही पहुँचाने के साधन सुलभ कर दिये हैं, कविता प्रथ कान में मुनने की चीज न रहकर आगे भे पढ़ने की चीज बन गयी है। काव्यगत

भंकार से पाठक अब भूलावे में नहीं आता, वह आँख से पढ़ने के बाद कविता में सार खोजता है। वह आवेगकम्पित कम होता है, बुद्धिचलिता अधिक। राजशेखर ने जिस 'अभिप्रायवान् पाठ्यर्थ' यानी 'काकु' को इतना बहुमान दिया था, वह अब काव्य की बड़ी जानित एकदम नहीं है। ग्राहक इन्द्रिय के परिवर्तन के साथ ही आस्ताद्य वस्तु में भी परिवर्तन हुआ है। यह ठीक है कि संस्कृत के साहित्य के निष्पुण पारखी पुराने डंग के प्रवोण अलंकारशास्त्रियों ने अपने डंग से शब्द और अर्थ की परस्परसंद्वचारता के साहचर्य (=साहित्य) का जैसा विवेचन किया है, वैसा संसार के साहित्य में दुष्प्राप्य ही है। वस्तुतः 'साहित्य' शब्द का प्रथम प्रयोग कुन्तक (कुन्तल) नामक आचार्य ने शब्द और अर्थ के ऐसे विशिष्ट साहचर्य के अर्थ में ही किया था, जिसमें वक्ता के कारण विचित्र गुणों और अलंकारों की शोभा एक-दूसरे से स्पर्धा करती हुई आगे बढ़ रही हो।<sup>1</sup> लेकिन शब्द और अर्थ सामाजिक सम्बन्धों के प्रतीक हैं। जिस प्रकार नोट या सिवका बाजार के व्यवहार में मूल्य का प्रतीक है, उसी तरह शब्द मनुष्य के सामाजिक सम्बन्धों के प्रतीक हैं। शब्द और अर्थ के 'साहित्य' को लेकर कारवार करनेवाली विद्या निश्चित रूप से मनुष्य के सामाजिक रूप की व्याख्या करती है। इससिए साहित्य के अध्ययन के लिए केवल पोयी में लिखे हुए लक्षण ही नहीं बल्कि बृहत्तर मानव समाज का भी परिचय आवश्यक है। पुराने अलंकार-ग्रन्थों के काव्यविषयक विचार समझने के लिए भी इसकी जानकारी आवश्यक है।

छवनि-सम्प्रदाय की प्रतिष्ठा के बाद इस देश के आलंकारिक प्रायः अनेक विषयों पर एक हो सकते थे और मोटे तौर पर यह मान लिया जा सकता है कि शब्दार्थ-साहित्य की चारता और रस-वोध के सम्बन्ध में उन्होंने एक सामान्य मान (स्टैण्डर्ड) उद्भावित कर लिया था।<sup>2</sup> 'रस-गंगाधर' आदि अलंकार-ग्रन्थों और उनकी परवर्ती टीकाओं में काव्य की परिभाषा की व्याख्या करने के बाद टीकाकार लोग प्रायः एक ही प्रकार का तर्क उठाते हैं: "यदि यह परिभाषा स्वीकार कर ली गयी तो बहुत-सी प्राचीन कविताओं को हम कविता नहीं कह सकते।" उत्तर में कहलाया जाता है: "यह तो हम चाहते ही हैं (इष्टापत्ति) कि जो रचनाएँ इस परिभाषा के बाहर पड़ जायें उन्हें कविता नहीं कहें।" फिर इसके उत्तर में कहलाया जाता है: "नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते; क्योंकि आप जिस बात की मानना चाहते हैं उसके मानने से शिष्ट-सम्प्रदाय का विरोध होगा।"

1. शब्दार्थों द्वारा सम्मिलिती वाक्यमिति स्थितम्। एवमस्थापिते द्वयोः काव्यरवे शब्दाविदेवस्य-भक्ताद्वाव शून्यतयोः सत्या काव्य व्यवहारः प्रवर्तत इत्याह—साहित्याविति। गहनावेन साहित्येन भवस्तिती। ननु वाच्यवाचकगम्बन्धरथ विद्यमानत्वादेतयोनं वर्णचिदपि साहित्य-विरहः। सत्यमेवत्। किन्तु विशिष्टमेवेह साहित्यमभिप्रेतम्। कीदृशम्? वक्ता विचित्र गुणालकार सप्दां परस्पर स्पर्धाधिरोहः। ("व्यतिविद्यैः")
2. धन्तु रसादेव काव्यमिति साहित्यदर्शये निरर्थीत तन। वस्तवत्तंत्रार प्रधानानाम् करवापते:। न व्यष्टापत्ति: महाकविसंप्रदाय विरोधात्। ("रसगगाधर")

(‘शिष्ट-सम्प्रदाय विरोधात्’) इत्यादि। यहाँ हम इस तर्क के विस्तार में नहीं जाएंगे। परन्तु इससे इतना तो स्पष्ट हो है कि पुराना भारतीय सहृदय शिष्ट-परम्परा के विरोध को नहीं बद्रित कर सकता। यही कारण है कि पुराने संस्कृत साहित्य का एक महत्वपूर्ण भाग आलोचनाशास्त्र के बहु-विधोपित मर्यादा से थोड़ा विच्छिन्न हो जाता है। इसलिए मेरा प्रस्तोत्र है कि पुराने साहित्य के अध्ययन के लिए हमें आलकारणास्त्र से बाहर भी आना चाहिए। आखिर शिष्ट-सम्प्रदाय का विकास कुछ सामाजिक परिस्थितियों के भीतर से ही तो होता है।

पुराने पण्डितों ने भी देखा था कि केवल लक्ष्य तथा की जानकारी कार्य नहीं है। तर्क करने की क्षमता भी होनी चाहिए, अवाप-उद्घाप द्वारा वस्तु के यथार्थ तक पहुँचाने का सामर्थ्य भी होना चाहिए। अनंतकारणास्त्र की भी अपनी मर्यादा है, उस मर्यादा का रहस्य समझने की क्षमता भी आवश्यक है और काव्यन शिक्षा का अभ्यास भी होना चाहिए, अर्थात् काव्य की निरन्तर प्रबहमान परम्परा का ज्ञान भी ज़हरी है। इन गुणों के बिना यदि काव्य का रसास्वादन किया जा सके तो फिर कौए की कालिमा से राजाओं के महलों की सफेदी भी हो सकती है:

यः स्थात् केवल लक्ष्यलक्षणपररो नोतर्कसंपर्कभृ-

नालंकार विचार सारधिष्ठणः काव्यजश्क्षोऽिक्षत ।

तस्मिष्यते द्रसशालि काव्यभुदयेदेकान्ततः सुन्दरम्

प्राप्तादो धवलस्तदा क्षितिपतेः काकस्य काष्टार्याद्भवेत् ॥

चित्र, प्रहेलिका आदि को नये परवर्ती आलंकारिकों ने अलकार तक नहीं माना है; क्योंकि ये रस के परिपन्थी हैं। फिर भी संस्कृत साहित्य का एक महत्व-पूर्ण भाग चित्र और प्रहेलिका से भरा है। संस्कृत के सभी काव्य-सुभाषितों के संग्रह में इनको स्थान मिला है। सिद्धों और सन्तों की सन्धाभाषा के पद प्रौढ़ उलटवासियाँ प्रहेलिका की सीमा तक पहुँची हैं। क्यों ऐसा हुआ? दण्डी, माय और भारवि जैसे कवियों ने इस निरर्थक-सी बात के लिए कम सिर नहीं खपाया है। संस्कृत में कितनी ही पोथियाँ समस्यापूर्ण आशुकवित्व, प्रहेलिका और चित्र आदि सिखाने के उद्देश्य से ही लिखी गयी हैं। निश्चय ही समाज में इनका हेतु खोजना पड़ेगा। सामाजिक परिस्थितियों के अध्ययन बिना हम इसका रहस्य नहीं समझ सकते। हमें यह जानना होगा कि उस युग के नागरजन कैसे होते थे, काव्य का सम्मान करनेवाले सहृदय रईस कैसे होते थे, काव्य की व्याप समझा जाता था और यश और सम्मान पाने के साधन व्याप-व्याप थे। जब तक हम यह नहीं जानते कि सन् ईसवी के आरम्भ से लेकर सैकड़ों वर्ष बाद तक कवियों के सम्मान के लिए सरस्वती-भवन, कामदेवायतन में विद्युत गोलियाँ बैठा करती थीं, उनमें अद्दर-च्चुतक, विन्दुमती, समस्या-सूति आदि में सम्मानित होनेवाले व्यवित को राजा खोग पद से सम्मानित ही नहीं करते थे, कभी-कभी उन्हें रथ में बैठाकर स्वयं दीचकर सम्मान भी दिया करते थे, तब तक इतने परिश्रम से इन बेकार-सी बातों के लिए कवियों का प्रयत्न पागलपन-सा नगेगा। उन दिनों नाशिक लोग

विन्दुमती और अधरच्छ्युतक से मनोविनांद किया करते थे, राजदरबार में चामत्कारिक उक्तियों से प्रतिद्वन्दी कवि को पछाड़ने का प्रयत्न करते थे, आशु-कवित्व द्वारा सभा को चकित करके यशस्वी बनते थे। ये बातें हमारे इतिहास की मामगी हैं। दण्डी ने कहा है कि प्रतिभा न होने पर भी अम्यास से कवित्व की सिद्धि प्राप्त हो सकती है, इसीलिए कीर्ति चाहनेवाले लोगों को परिश्रम के साथ काव्यविद्या का अम्यास करना चाहिए। यदि वे परिश्रम करें तो कवित्वशक्ति के दुर्बंल होने पर भी विद्याध गोप्ठियों में विहार तो कर ही सकते हैं:

न विद्यते यद्यपि पूर्ववासना गुणानुवन्धि प्रतिभानमुत्तमम्  
श्रुतेन यत्नेन च वागुपासिता ध्रुवं करोत्येव कम्प्यनुग्रहम् ।  
तदस्ततन्द्रेरनिश सरस्वती श्रमादुपास्या खलु कीर्तिमीम्पुभि  
कृष्णे कवित्वेऽपि जना. कृतथ्रमा विद्यधगोप्ठीपु विहर्तुमीशते ।

—‘काव्यादर्श’ 1. 104-105

यह प्रश्न नितान्त अनुचित नहीं है कि वह काव्य जो राजसभाओं में या गोप्ठी-विहारों में कवि को कीर्तिशाली बना देता था, कैसा होता होगा? ‘कुमार-सम्बव’ जैसे वडे-वडे प्रवन्धकाव्यों के पढ़ने योग्य समय तो वहाँ नहीं रहता होगा, ‘मेषटूत’ जैसे खण्डकाव्य भी कम ही पढ़े जा सकते होंगे। वस्तुतः जो काव्य इन स्थानों पर पढ़े जाते होंगे, वे छोटे-छोटे मुक्तक ही होते होंगे और उक्ति-चमत्कार का उनमें प्राधान्य रहता होगा। राजशेखर ने उक्तिविशेष को जब काव्य कहा था, तो उनका मतलब कुछ इसी प्रकार के काव्य से था। मैं यह नहीं कहता कि रसपरक काव्य का उन दिनों कोई महत्व ही नहीं था, मैं केवल यह कहना चाहता हूँ कि राजसभाओं और गोप्ठी-विहारों में जो काव्य कीर्तिशाली बना सकते थे वे चामत्कारिक उक्तियोंवाली रचनाएँ ही होती थी। पुरानी अनुशुतियों से इस बात का समर्थन होता है। रुद्र ने स्पष्ट रूप से कहा है कि (5-24) मात्राच्छ्युतक, विन्दुमती, प्रहेलिका आदि केवल क्रीडामात्र के लिए उपयोगी हैं,<sup>1</sup> और दण्डी ने ‘काव्यादर्श’ में (3. 97) क्रीडा-गोप्ठियों के विनोद में, साहित्यरसिकों की बैठक में और दूसरों को मोहित करने के लिए ही प्रहेलिकाओं को उपयोगी बताया है।<sup>2</sup> सम्भवतः पुराने अलकारशास्त्रों में रस की उतनी परवान करके, उक्तिवैचित्र्य और गुण-दोष की ही चर्चा जो अधिक मिलती है, उसका भी यही कारण है। गुण-दोष का ज्ञान बादी को पराजित करने में सहायक होता था। काव्य के लिए केवल प्रतिभा को ही आवश्यक नहीं माना जाता था, अम्यास की भी पूरी

1. मात्राच्छ्युतके प्रहेलिकामात्रक्रिय-गूडे।  
प्रश्नोत्तरादि चान्यत् क्रीडामात्रोपयोगमिदम् ॥

—रुद्र, 5-24

2. क्रीडागोप्ठी विनोदेयु तज्ज्ञैराशीर्णमवग्ने ।  
परकामोहनेचापिमोम्योगा प्रहेलिका ॥

—‘काव्यादर्श’, 3. 97

आवश्यकता अनुभव की जाती थी। यह तो स्वीकार किया गया है कि प्रतिभा नहीं होने से काव्य सिखाया नहीं जा सकता, विशेष कर उस आदमी को तो किसी प्रकार कवि नहीं बनाया जा सकता जो स्वभाव से ही पत्थर के समान जड़ है, जिसे आद्रंता की लहरें थोड़ा भी अन्तःसिभत नहीं कर पाती। फिर ऐसे आदमी को भी काव्य का अभ्यास नहीं कराया जा सकता, जो तर्कशास्त्र या व्याकरण पढ़कर अपनी स्वाभाविक संवेदनशीलता खो चुका है। पहले प्रकार का व्यक्ति 'प्रकृत्या जड़' कहा जाता है और दूसरे प्रकार का 'नष्ट साधन'। थेमेन्ड ने भयने 'कविकष्टाभरण' में बताया है कि इनको काव्य किसी प्रकार नहीं सिखाया जा सकता।<sup>1</sup> परन्तु यदि थोड़ी भी शक्ति हो तो काव्य सिखाया जाना सम्भव है। प्राचीनों का विश्वास था कि पूर्वजन्म के पुण्य से, या मन्त्रसिद्धि से, या देवता के वरदान से दीच में प्रचानक कवित्व प्राप्त हो जाता है। कवित्व सिद्धानेवाले इन्होंने का यह दावा तो नहीं है कि वे गधे को माना सिखा देंगे या अन्धे को देखने की शक्ति दें देंगे, पर थोड़ी-सी शक्ति हो तो उसे सभाओं में सम्मान पाने योग्य बना देना उन्हें सम्भव जान पड़ता है और पुराने सामन्तयुग के मनुष्य के लिए यह कम महत्व की बात नहीं थी। क्योंकि यद्यपि शास्त्र के अनुसार काव्य यश के लिए, व्यवहार-ज्ञान के लिए, अमंगल-निरास के लिए, सहज मुक्ति के लिए या कान्तासमित उपदेश के लिए लिखे जाते थे अर्थात् जो वन की लगभग समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काव्य लिखे जाते थे, पर ज्यादा जोर कीति पाने पर ही दिया गया है। कवियों की यह कहकर प्रशंसा की गयी है कि उनके यशःशरीर में जरा-मरण का भय नहीं होता :

जयन्ति ते सुकृतिनः रससिद्धाः कविश्वराः

नास्ति येषां यशःकाये जरामरणं भयम् !!

मध्ययुग के अनेक प्रथलों के मूल में कीर्ति पाकर अमर होने की लालसा काम कर रही है। कीर्ति प्राप्त करने से राजा और उसकी राजसभा भुख्य सहायक साधन थे। मुभापितों में राजस्तुति को निवाद रूप से काव्य मान लिया गया था। राजदरबार को कीर्ति प्राप्त करने का केन्द्र मान लेने के कारण एक विशेष प्रकार का दरवारी काव्य उन दिनों बहुत लोकप्रिय हुआ और दुर्जनों और चुगलसोरों की निन्दा और सज्जनों और सहृदयों की प्रशंसा की उसमें विशिष्ट स्थान प्राप्त हुआ। यह परम्परा बहुत दिनों तक किसी-न-किसी रूप में जीती चली आयी। अन्तिम हिन्दू साधारणों और राजाओं के दरवार के कवि पूरे दरवारी हो गये थे।

1. पस्तु प्रहृत्याश्वसमानएव कट्टेन वा व्याकरणे नष्टः

दक्षेण दाधोऽनत्यधूमिता वाऽप्यविद्धर्णः सुकृति प्रवर्धेः ।

न तस्य वक्तु विग्नमुद्भवः स्पाद् शिशा विशेषे रूपि मुप्रशृङ्खः ।

न गर्दभो यावति विलिनोऽपि संदर्शितं पश्यति नाकमद्यः ।

सामन्त-युग का पूरा प्रभाव हमारे अलंकारशास्त्रों पर पड़ा है। राजकीय ठाटवाट का जीवन कवि का भी आदर्श हो गया। राजशेखरने कवि के जिस शानदार जीवन का चित्र खीचा है वह चौधिया देनेवाला है। माघ पण्डित की समृद्धि का बर्णन 'प्रबन्ध चिन्तामणि' आदि ग्रन्थों में बड़ी मुखर भाषा में किया गया है, स्वयं राजा भोज को उस समृद्धि के सामने चकित और हताहत होना पड़ा था। ऐसा जान पड़ता है कि इस श्रेणी के कवियों के सामने वालमीकि और व्यास का आदर्श नहीं था, यद्यपि उनके प्रति भक्ति प्रचुर मात्रा में थी।

आज का कवि भी यह स्वीकार करने में संकोच करेगा कि वह धन के लिए या यश के लिए व्यवहार सिखाने के लिए लिख रहा है और पाठक भी उससे इन वातों की आशा नहीं करता। द्याये की मशीन ने इन विषयों के लिए अनेक अन्य शास्त्रों को मुलभ कर दिया है। इस मशीन ने जो पाठक की भावावेश पर से धकेलकर बुद्धिप्रवाह में फेंक दिया है, वह मामूली वात नहीं है। कवि के हाथ से अनेक विभाग छिन गये हैं। कुछ कहानियों ने ले लिया है, कुछ उपन्यासों ने हथिया लिया है, कुछ निवन्धों ने छीन लिया है, और इन साहित्यों ने 'कान्तासम्मित उपदेश' देने के महान् मन्त्र पर से कवि को उतार दिया है। पाठक उससे कुछ अधिक चाहता है। क्या चाहता है, यह कहना वड़ा कठिन हो गया है। शायद वह 'जीवन की व्याह्या' चाहता है, शायद वह 'आत्माभिव्यक्ति' चाहता है, शायद वह 'स्पार्टेनियस आउटवर्स्ट आफ पर्सनल फोर्मिस' (वैयक्तिक अनुभूतियों का स्वतं समुच्छित उच्छ्वास) चाहता है, या शायद वह 'मानवता के अन्तस्तल में निहित एकता की उपलब्धि' चाहता है—ऐसा ही कुछ आवृत्तिक आलोचकों ने उस रहस्यमय मौग को समझ रखा है। अब युगचेतना की स्वर देना कवि का कर्तव्य माना जाने लगा है, मानव-संस्कृति का निर्माण करना उसका लक्ष्य समझा जाने लगा है। अब उसे दरबार को जीतकर कवियश पाने का अधिकारी नहीं माना जाता।

पुराना कवि इतनी माँगों का शिकार नहीं बना था, इसीलिए उसकी दुनिया काफी बड़ी थी। फिर भी विचित्र विरोधाभास यह है कि वह दुनिया के समस्त पदार्थों को अपने वर्णविषय के अन्तर्गत मानने पर भी चुनता कुछ थोड़े ही विषयों को था। उसे वर्षेवस्तु को सरस बनाने की बड़ी चिन्ता थी और उसमें भी वह शृंगार को ही अधिक महत्व देता था। इस रस के बाहर यदि वह जाता था तो प्रायः ऐसी वातों में ही उनभता था जिसमें वक्तव्य वस्तु कुछ ऐसी वक्तव्यभिगमा में प्रकट हो कि सहृदयों की सभा वाह-वाह कर उठे।

उस काल के ग्रन्थों में राजसभाओं का जो वर्णन पाया जाता है, वह यद्यपि एक प्रकार के काव्यविनोदों से परिपूर्ण है; फिर भी उम्में उक्तवैचित्र्य को या कौशलविशेष को ही विशेष सम्मान प्राप्त होता था। 'कादम्बरी' में कवियर वाणमट्ट ने इस सभा का बड़ा जीवन्त वर्णन किया है। जब राजा सभा में उपस्थित होता था तब तो बड़ी शान्ति रहती थी, पर राजा के न रहने पर लोग अमर्यत हो-

(१९६) । 'कालाकरी' के वर्णन के समूहों द्वारा गवाहता के उल्लंघन नहीं  
लड़ाया। इसे एक अंग गवाहा में जो के तिन्‌हीं वर्णन में है, वेदोंस्त्री  
है थे, जो हो गया था थे, शुद्ध सोने विषयक ही एक गवाहा ही भवित्वात्  
है थे, शुद्ध सोने का गवाहामात्र ही नहीं है, शुद्ध ही विषयक ही एक  
पात्र विषयक गवाहा है उपर्युक्त विवेद में उपर्युक्त ही विषय  
प्राप्ति वाली गवाहा ही गवाही ही प्राप्ति इन विवेदों के द्वारा उल्लंघन का गवा-  
हाने का इच्छन कर रहे हैं), शुद्ध सोने विषयक गवाह राजनेत्रों से लेकर  
ए, शुद्ध गवाह के विवाद विवारों की पर्याप्ति कर रहे हैं, शुद्ध की घटिक होड़ देखे  
इवान के विवाद विवारों के विवाद विवारों से गवाहा ने जैसे शुद्ध देखे  
शुद्ध अशुद्ध सोने विवारों ने गवाह के शूद्धित्वों की गवाहामात्र कुनौदेवो इस  
दर्शन में जान ददाते हैं इ इवान में वास्तविकोड की रवि थी, वास्तु इवान  
विवाद विषयक, प्रतिविवाद, विवाद वाल्यों को विवेद का था। ले लियो  
इवान इन वालों में एक में विवाद गवाही के विवाद के इस प्रकार के विवेद  
गवाहार होने की गवाही भी गवाहा था। वस्तुन् राजनेत्रों में गवाह होने की  
प्रधानता उन विवाद विवारों में व्यावार वर मी गवाही थी। वे सब गवाह हैं  
(1) विवान्, (2) विवाद, (3) भाट, (4) गवाह, (5) गवाहर, (6) इवानहानि, और  
(7) विवादग ।

परिहासवा

विद्वाम् वचयो भट्टा योपका ॥१२॥  
रुद्रिहाम् मुरामधा शमा सप्तामन्तुना ।

तेंगी ही शियाती गमा का गामना कवि को करता-  
कवियमा का प्रायोजन भी करते हैं प्यार उनमें कवि  
थी। यामुदेव, गानवाहन, शूद्रक प्यार भास्त्राक  
पत्तायों सो प्यार परवत्तीं राजा सोग इस महत्वपूर्णे प  
कवियों को नाना भाव में परीक्षा कोई कवि-

हर बना रहता था परं  
गमाप्त करने के बाद र.  
राजवेश्वर ने यताया ।  
उसे नहीं पड़ना चाहिए ।  
अपने नाम से चला देगा, ॥५  
सायदानो भरतने पर भी  
कोश में हर्ष कवि के बंशधर है  
जब गुजरात के राजा बीरपवल  
अपने एक विद्यार्थी के छारा राज  
भिजवाया । राजकवि सोमेश्वर  
तक नहीं की । सोमेश्वर के इस अव  
राजसंभा में जब मोमेश्वर ने राजा

108 श्लोकों का पाठ किया तो हरिहर ने कहा कि ये श्लोक पुराने हैं और महाराजा भोज के प्राप्ताद पर युद्ध हैं। ऐसा कहकर उन्होंने सारे श्लोक पटकर सुना दिये। सोमेश्वर तो इस अपवाद से पानी-गानी हो गये। उनका मुंह पीला पड़ गया। उनको भद्र उड़ गयी। कवि के सम्मान को इस प्रकार एक ही घटके में गिराकर विजयी हरिहर चले आये। लेकिन श्लोक गच्छ हो सोमेश्वर के थे। जब वे फिर बीरधबल के शरणापन्न हुए तब हरिहर कवि ने रहस्य सोती। हरिहर बड़े मेघाधी थे। एक बार गुनकर ही श्लोक याद कर लेते थे। राजा बीरधबल से उन्होंने अपनी चतुरता की बात बताकर सोमेश्वर की मानरक्षा की।

ऐसे ही दुर्दिन हरिहर कवि का पाला एक दूसरे कवि मदन से पड़ा। ये दोनों ही प्रसिद्ध जैतमन्त्री वस्तुपाल के राजकवि थे। दोनों में ऐसी लाग-डॉट थी कि दोनों के साथ पहुँचने पर कलह निश्चित था। इसीलिए मन्त्री ने तियम बना दिया था कि एक के रहते दूसरा सभा में न आने पायें। द्वारपाल की इस विषय में सावधान कर दिया गया था। लेकिन एक दिन द्वारपाल की असावधानी से हरिहर की बत्तमानता में ही मदन पहुँच गये। हरिहर उस समय काव्य सुना रहे थे। मदन ने डॉटकर कहा, “हरिहर परिहर गर्व कविराजगजाकुशो मदनः” (हरिहर घमण्ड घोड़, मदन कविराजहषी हाथियों का अकुश है!) (हरिहर ने तड़ाक से जवाब दिया, “मदन विमुद्र्य वदन हरिहर चरितं स्मरातीतम्”) (मदन मुंह बन्द करो, हरिहर का चरित मदन की शक्ति के बाहर है!)। मन्त्री ने मामला बढ़ाते देखा तो कहा, “देखिए, कवि महानुभावो, झगड़ा घोड़िए, इस नारियल पर कविता लिखिए, जो पहले सौ श्लोक बना देगा, वह विजयी होगा।” मदन ने पटापट पूरे कर दिये, हरिहर तब तक साठ तक ही पहुँचे थे। लेकिन हारनेवाले और होते हैं, हरिहर राजसभा के समझे हुए पक्के अखाड़िये थे। खट से इक्सठवी श्लोक बनाकर सुना दिया —“अरं गैवई गैव का मूर्खं जुलाहा, वयों गैवार औरतों के पहनने लायक सैकड़ों घटिया किस्म के कपड़े बुनकर अपने-आपको हैरान कर रहा है? भलेमानस, एक भी तो ऐसी साढ़ी बुन, जिसे बड़-बड़े राजाओं की महिलियाँ क्षण-भर के तिए भी अपने हृदयस्थल से हटाना गवारा न कर सके!”

रे रे ग्राम कुविन्द कन्दलतया वस्त्र्यभूति त्वया।  
गोणी विभ्रमभाजनाति वहुशोऽमात्मा किमायास्यते?  
अ येकं रुचिरं चिरादभिनव वासस्तदासूअयता  
यन्नोजमन्ति कुचस्थलात् क्षणमपि खोणीभृता वल्लभाः।

ऐसी विकट प्रतिद्वन्द्विता में ठहरना मामूली कला नहीं थी। चिन्तासक्त मन्त्रियों की गम्भीर मूर्ति, सवकुद्ध करने के लिए सदा तत्पर दूतों की कठोर मुद्रा, प्रात्मभाव में उपस्थित खुकिया विभाग के धूर्त्त अफसर, हाथी-घोड़ों का चकरा देनेवाला ठाटवाट, कायस्थों की कुटिल भूकुटियाँ और कूटनीति के दर्दापेढ़ में उस्ताद सौगां का जाल मामूली साहभावाने मनुष्य की तो अंतड़ी ही सुखा देते

उठते थे। 'कादम्बरी' के वर्णन के प्रनुगार जब राजा सभा में उपस्थित नहीं थे, तब नामन में भी गुण सोंग पागा गया गैलते के लिए कोई गीत रहे थे, कोई पासा कोई रहे थे, कोई बोला थजा रहे थे, गुण सोंग निष्पत्तकों पर राजा की प्रतिसूति भी रहे थे, गुण सोंग काल्यासार में मस्त थे, गुण हेगी-दिन्मधों में मनगूल थे, गुण सोंग विन्दुमती नामक विनोद में उनके हृत थे (पर्यात् यहून्मो विनुभों में भासार, उकार आदि मात्राएँ नगा दी गयी थीं और इस पर गे थे पूरे श्लोक वा उडार करने का प्रयत्न कर रहे थे), गुण सोंग प्रहेनिका नामक काल्यमेद का रग ले रहे थे, गुण राजा के बताये श्लोकों को चर्चा कर रहे थे, गुण जो धर्मिक गाठ थे वे दरवार के मनोविनोद के लिए पार्याहुई दिव्यों से रमानाम में लगे हुए थे और गुण चतुर सोंग वन्दीजिनों में राजा के पूर्वपुरुषों की यज्ञोगाया सुन रहे थे। इन वर्णन से जान पड़ता है कि दरवार में काल्य-विनोद की गति थी, परन्तु वह काल्य-विनोद विन्दुमती, प्रहेनिका, चित्र आदि काल्यों की श्रेष्ठी का था। उन दिनों वा दरवारी इन चानों में रस से सकता था और कवि से इस प्रकार के विनोद में महायक होने की आशा भी राजना था। अस्तुतः राजसभा में गात गंगों थीं प्रधानता उन दिनों निवियाद रूप में स्वीकार कर ली गयी थी। वे सात गंगे हैं—  
 (1) विद्वान्, (2) कवि, (3) भाट, (4) गायक, (5) ममगर्द, (6) इतिहासज्ञ, और  
 (7) पुराणज्ञ।

विद्वास कवयो भट्टा गायका परिहासकाः  
इतिहास-पुराणज्ञा सभा सप्तांगसंमुखा ।

ऐसी ही रुचिवाली सभा का सामना कवि को करना पड़ता था। राजा लोग कविसभा वा आयोजन भी करते थे और उनमें कवियों की परीक्षा भी हुआ करती थी। वासुदेव, सातवाहन, शूद्रक और साहमाक आदि राजसभों ने यह परम्परा चलायी थी और परवर्ती राजा लोग इस महत्त्वपूर्ण परम्परा को पोषण देते थे। कवियों की नाना भाव से परीक्षा होती थी। कोई कविता चुरा न ले, इसका भी डर बना रहता था और इसलिए भी यह ग्रावश्यक था कि कवि अपनी रचना समाप्त करने के बाद राजसभा में मुनाकर उस पर अपनी मुहर लगवा दे। राजशेखर ने बताया है कि जब तक काल्य पूरा न हो तब तक दूसरों के समने उसे नहीं पढ़ना चाहिए। इसमें यह डर रहता है कि मुननेवाला उस काल्य को अपने नाम से चला देगा, फिर कौन गवाही देगा कि किसकी रचना है! इतनी सावधानी बरतने पर भी कभी-कभी कवि को धोखा खाना पड़ता था। 'प्रदन्ध कोश' में हृषि कवि के वंशघर हरिहर कवि की एक मनोरंजक कथा दी हुई है। ये जब गुजरात के राजा बीरधवल के थहरी गये थे तो वहाँ स्वयं न उपस्थित होकर अपने एक विद्यार्थी के द्वारा राजा, मन्त्री और राजकवि सोमेश्वर को आशीर्वाद भिजवाया। राजकवि सोमेश्वर को यह बुरा लगा और उन्होंने विद्यार्थी से बात तक नहीं की। मोमेश्वर के इस व्यवहार को हरिहर ने गाठ बांध ली। दूसरे दिन राजसभा में जब सोमेश्वर ने राजा के एक प्रासाद पर लुटकाने के लिए लिखे हुए

108 श्लोकों का पाठ किया तो हरिहर ने कहा कि ये श्लोक पुराने हैं और महाराजा भोज के प्राप्ताद पर युद्ध है। ऐसा कहकर उन्होंने सारे श्लोक पढ़कर सुना दिये। सोमेश्वर तो इस अपवाद से पानी-पानी ही गये। उनका मुंह पीला पड़ गया। उनकी भृत्य उड़ गयी। कवि के सम्मान को इम प्रकार एक ही धक्के में पिराकर विजयी हरिहर बले आये। लेकिन श्लोक राचमुच ही सोमेश्वर के थे। जब वे किर धीरधवन के शरणापन्न हुए तब हरिहर कवि ने रहस्य खोली। हरिहर बड़े मेघावी थे। एक बार सुनकर ही श्लोक याद कर लेते थे। राजा वीरधवल से उन्होंने अपनी चतुरता की बात बताकर सोमेश्वर की मानरक्षा की।

ऐसे ही दुर्दान्त हरिहर कवि का पाना एक दूसरे कवि मदन से पड़ा। ये दोनों ही प्रसिद्ध जैनमन्त्री वस्तुपाल के राजकवि थे। दोनों में ऐसी नाम-डॉट थी कि दोनों के साथ पहुँचने पर कलह निश्चित था। इसीलिए मन्त्री ने नियम बना दिया था कि एक के रहते दूसरा सभा में न आने पायें। द्वारपाल को इस विषय में सावधान कर दिया गया था। लेकिन एक दिन द्वारपाल को असावधानी से हरिहर की बतमानता में ही मदन पहुँच गये। हरिहर उस समय काव्य सुना रहे थे। मदन ने डॉटकर कहा, “हरिहर परिहर गर्व कविराजगजांकुशो मदनः” (हरिहर घमण्ड छोड़, मदन कविराजहपी हाथियों का अंकुश है!) (हरिहर ने तड़ाक से जवाब दिया, “मदन विमुद्र्य वदन हरिहर चरितं स्मरातीतम्”) (मदन मुंह बन्द करो, हरिहर का चरित मदन की शक्ति के बाहर है!)। मन्त्री ने मामला बढ़ाते देखा तो कहा, “देखिए, कवि महानुभावो, भगदा छोड़िए, इस नारियल पर कविता लिखिए, जो पहले सी श्लोक बना देगा, वह विजयी होगा।” मदन ने पटापट पूरे कर दिये, हरिहर तब तक साठ तक ही पहुँचे थे। लेकिन हारनेवाले और होते हैं, हरिहर राजसभा के सभके हुए पक्के अखाड़िये थे। खट से इक्सठार्म श्लोक बनाकर सुना दिया—“अरे गंवई गर्व का मूर्ख जुलाहा, यथो गंवार औरतो के पहनने लायक सैकड़ों घटिया किस्म के कपड़े बुनकर अपने-आपको हैरान कर रहा है? भलेमानस, एक भी तो ऐसी साढ़ी बुन, जिसे बड़े बड़े राजाओं की महियियाँ क्षण-भर के लिए भी अपने हृदमस्थल से हटाना गवारा न कर सके!”

रे रे ग्राम कुविन्द कन्दलतया वस्त्रमधूति त्वया।

गोणी विभ्रमभाजनाति वहुशोऽयात्मा किमायास्यते?

अ येकं रुचिरं चिरादभिनवं वासस्तदासूच्यता

यन्तोऽभन्ति कुचस्थलात् क्षणमपि क्षोणीभृता वल्लभा:

ऐसी विकट प्रतिदृष्टिता में ठहरना मामूली कला नहीं थी। चिन्तासक्त मन्त्रियों की गम्भीर मूर्ति, सबकुछ करने के लिए सदा तत्पर दूतों की कठोर मुद्रा, प्रान्तभाग में उपस्थित खुफिया विभाग के धूतं अफसर, हाथी-पोड़ों का चकरा, देनेवाला ठाटवाट, कायस्थों की कुटिल भूकुटियों और कूटनीति के दौवपेंच में उस्ताद लोगों का जाल मामूली साहस्राने मनुष्य को तो झेंटडी हीं मुखा देते

थे। एक कवि ने राजा के सामने ही इस राजसभा को हित्रजन्तुओं से भरा समृद्ध बताकर अपनी मानसिक हैरानी को किञ्चित् हल्का करने का प्रयत्न किया था:

चिन्तासक्त निमग्न मंत्रि सलिलं द्रूतोर्मिशं साकुलम् ।

पर्यन्तस्थित चार नक्षमकरं नामाश्वर्हिसाथ्रम् ।

नानावासक कंक पक्षिहरिं कायस्थ सप्तकुलम् ।

नोतिदधुण्ण तटं च राजकरणं हिर्मः समुद्रायते ॥

ऐसी राजसभा में कवि को अपनी कविता पढ़कर कीर्ति कमानी होती थी। हम उस युग की कविता की चर्चा करते समय इस बाह्य परिस्थिति की उपेक्षा नहीं कर सकते।

इन वातों को ध्यान में रखने से उस युग के काव्य-प्रयत्नों को आसानी से समझा जा सकता है। काव्य को बहुत पहले से ही कला समझा गया था। श्री ए. बैंकटमुख्यो ने भिन्न-भिन्न ग्रन्थों से संग्रह करके 'कलाज' नाम की एक छोटी-सी पुस्तिका प्रकाशित करायी है। उक्त पुस्तिका में संगृहीत सूचियों को देखने से जान पड़ता है कि कला उन सब प्रकार की जानकारियों को कहते हैं जिसमें घोड़ी-सी चतुराई की आवश्यकता हो। सो व्याकरण, व्यन्द, न्याय, उपेतिप आदि भी कला हैं, काव्य, नाटक, आत्मायिका, समस्यापूर्ति, विन्दुमती, प्रहेलिका आदि भी कला हैं, स्त्रियों का श्रृंगार करना, कपड़ा रंगना, चोली सीना और सेज विद्धाना भी कला है, रत्न और मोतियों को पहचानना; घोड़ा, हाथी, पुरुष, स्त्री, छाग, मेष, कुष्कुट आदि का लक्षण जानना भी कला है; और तितर-बटेर लड़ाना, तोते पढ़ाना, जुआ सेलना भी कला है। प्राचीन ग्रन्थों से जान पड़ता है कि कई कलाएँ पुरुषों के योग्य समझी जाती थीं, यद्यपि कभी-कभी गणिकाएँ भी उनमें उतनी ही निपुण हो जाया करती थीं, जितने पुरुष। गणित, दर्शन, धूड़, धूड़सवारी आदि ऐसी ही कलाएँ हैं। कुछ कलाएँ विशुद्ध कामशास्त्रीय हैं। वात्स्यायन के 'कामसूत्र' में पंचाल की कलाएँ बतायी गयी हैं, वे ऐसी ही हैं। परन्तु स्वयं वात्स्यायन की अपनी मूर्चों में जिन चौसठ कलाओं की चर्चा है, उनमें लगभग एक-तिहाई ऐसी हैं, जिन्हें काव्यशास्त्रीय विनोद कह सकते हैं, वाकी में कुछ तरुण दम्पतियों की विलासकीड़ा में सहायक है, कुछ मनोविनोद के सहायक हैं और कुछ दैनिक प्रयोजनों के पूरक भी हैं। यदि पंचाल और यशोधर की बात छोड़ दी जाय तो प्राचीन ग्रन्थों में प्राप्त 64 या 72 कलाओं में काव्यशास्त्रीय विनोदों का स्थान बहुत प्रमुख है। वाद में तो कला का अर्थ केवल कौशल ही मान लिया गया। सुभसिद्ध कवि क्षेमेन्द्र ने अपने 'कलाविलास' में गणिकाओं के बनाप-हरण के कौशलों को, कायस्थों की कुटिलता को, सुनारी की चोरी करने के कौशलों को, गवैयों के हृथकण्डों को, गणकों की धूतंतायों को कला में ही गिना है। इसमें काव्यकला को कोई स्थान ही नहीं दिया गया। इस काल के कविजन अपने को कला-कोविद भानते भे गवं अनुभव करने लगे थे और सब प्रकार के कौशलों को जानना आवश्यक समझते लगे थे। काव्य का एक कौशल ही जाना

काव्य के स्वरूप प्रदान करने में निश्चय ही विशेष महत्व की बात है। राजसभाओं में कवि को अपने वाक्‌कौशल का प्रदर्शन करना पड़ता था। वहाँ कविता यदि वचन की वक्रभंगिता का या अलंकार-विलास का रूप धारण कर ले तो कुछ आश्चर्य की बात नहीं है।

छन्द वचन-वक्रिमा का प्रधान सहायक है। ऐसा जान पड़ता है कि दीर्घकाल से केवल शब्दों को छन्द में गूँथ देने मात्र से बहुत-सी बातों को 'कविता' नाम दे दिया गया है। मुना है कि जीव-विज्ञान ने बताया है मनुष्यजाति सीधी रेखा की अपेक्षा वर्तुल-वक्रिम रेखा में चलने में ज्यादा सौन्दर्य अनुभव करती है। रेतस् और कलल के संयोग से ही यह वक्र गतिप्रियता आरम्भ हो जाती है और गर्भावस्था में ही पूर्ण परिणति लाभ करती है। मनुष्य की यह वक्रिमा-प्रीति छन्द के अनुसरण के रूप में प्रकट हुई है। संसार की पुरानी-से-पुरानी भाषा छन्दों में ही सुरक्षित है। आदिम जातियाँ अपने समस्त अनुभव छन्दों में ही सचित करती आयी हैं। गद्य मनुष्य की वैज्ञानिक मनोवृत्ति की उपज है और छन्द उसकी सहजात आनन्दिनी मनोवृत्ति की। कविवर रवीन्द्रनाथ ने लिखा है कि "जब सीधा खड़ा रहता है तब केवल अर्थ को प्रकट करता है, परन्तु जब वह तिरछी भंगिमा में खड़ा होकर गतिशील हो उठता है तो साधारण अर्थ के अतिरिक्त और भी अनेक बाते प्रकाश करता है। वह अतिरिक्त वस्तु क्या है यह कहना बड़ा कठिन है; क्योंकि वह वचन के अतीत है और इसीलिए अनिर्वचनीय है। हम जो कुछ देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, उसके साथ जब अनिर्वचनीय का योग होता है तो हम उसे 'रस' कहते हैं, अर्थात् वह वस्तु जिसे हम अनुभव करते हैं पर व्याख्या द्वारा समझा नहीं सकते।" यहाँ अनिर्वचनीय शब्द से भ्रम होने की आशंका है। अनिर्वचनीय का अर्थ अभावनीय नहीं। रवीन्द्रनाथ ने स्वयं अपने भाव को स्पष्ट करने के लिए बताया है कि अनिर्वचनीय का अर्थ केवल यही है कि इस वस्तु की व्याख्या करके इसे समझाया नहीं जा सकता; यह नहीं कि इसे अनुभव नहीं किया जा सकता। बल्कि वह एकमात्र अनुभव का ही विषय है। छन्द इसमें हमारी सहायता करता है; क्योंकि वाणी में आवेग की गति आ जाने से हम भावावेग के प्रकाशित करने का नुयोग पाते हैं।

**छन्द वस्तुतः**: एक गति है। यह समझता ठीक नहीं कि वह मात्राओं और यतियों का वन्धन है। जिस प्रकार नदी अपने दोनों किनारों से बैंधकर ही बैगवनी होती है, यदि किनारे के वन्धन न हों तो प्रवाह का बैग भी न होगा, उसी प्रकार वाणी भी मात्रायों और यतियों के बैंधे किनारों के भीतर में बैगवती हो उठती है। कोई आश्चर्य नहीं कि मनुष्य ने केवल छन्द को ही कविता नाम दे दिया था। छन्द के प्रयट करने में गापारण बात में भी एक ऐसी गति आती है जो मनुष्य के भित्ति परी धनुर्वतीनी हो उठती है। न जाने क्यों पुराने पञ्चिनों ने छन्द शब्द की धूततति घासन में बतायी है। निरसनकार ने यहा है छादन बरसे वे गापारण ही छन्द 'एन्दस' कहताने हैं (7. 12)। 'दैवत ग्राहण' (3. 19) के भाष्य में गायत्र में

भी यही मत प्रकट किया है। उनका बहना है कि वर्णों को छादन करने के कारण ही धन्द, धन्द कहे जाते हैं। महामहोपाध्याय पं. विवेशेखर भट्टाचार्य ने बताया है<sup>2</sup> कि इस प्रकार की व्याख्या का मूल कारण शायद 'छन्दोपय उपनिषद्' (1. 4. 2) का यह मन्त्र है<sup>3</sup> जिसमें कहा गया है कि देवता तोग मृत्यु से डरते हुए त्रयी विद्या में प्रविष्ट हुए। उन्होंने अपने-आपको धन्दों में आच्छादित किया और इस प्रकार आच्छादन करने के कारण ही धन्द 'धन्द' कहे जाने लगे। यह कुछ विचित्र व्याख्या है। पर स्थृत साहित्य में धन्द का अर्थ प्रसन्न होना भी पाया जाता है। 'धन्द' शब्द का मूल अर्थ आनन्द देनेवाला ही हो सकता है। पं. विवेशेखर भट्टाचार्य ने छन्दोपय के मन्त्र की इम प्रकार व्याख्या करके इम अर्थ की मग्नि बैठायी है (जो उचित जान पड़ती है): "देवता तोग मृत्यु से डरे हुए थे, उन्होंने वेदमन्त्रों का ऐसा मधुरगान किया कि मृत्यु मुग्ध हो गयी। मुग्ध होने के कारण वह उन्हे देख नही सकी, मानो वे इस प्रकार वेदमन्त्रों से आच्छादित हो गये और मृत्यु के पंजो से छुटकारा पा सके।" इस व्याख्या से धन्द की मुख्यतारिणी शक्ति का आभास मिलता है और आच्छादित शब्द इसी अर्थ में लाक्षणिक भाव से प्रयुक्त जान पड़ता है। जो हो, धन्द शब्द मुग्धकारी और प्रसन्न करनेवाले अर्थ में ही अधिक उपयुक्त जैचता है। धन्द के भीतर की गति ही उसे प्रसादक और मोहक बनाती है। कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा है कि "मनुष्य की सत्ता में अनुभूतिलोक ही वह रहस्यलोक है जहाँ वाहर के रूपजगत् का सम्पूर्ण वेग अन्तर का आवेग बन जाता है और यह अन्तर का आवेग बाहर रूप ग्रहण करने को उत्सुक हो उठता है। इसीलिए वाक्य जब हमारे अनुभूतिलोक के बाहर के काम में नियुक्त होता है तो उसमें गति का होना आवश्यक हो जाता है। वह अपने अर्थ से तो बाहरी घटनाओं को व्यक्त करता है किन्तु गति के द्वारा आन्तरिक वेग को प्रकाशित करता है।"

केवल इतना ही नहीं, घन्द सामाजिक वन्धनों का भी बाहर है। वह केवल घन्दोरचयिता के अन्तर के बेग को ही नहीं प्रकट करता, उस बेग को दूसरे के चित्त में संचारित भी करता है। भारतीय काव्यशास्त्रियों ने इस तथ्य को निपुण भाव से अनुभव किया था। संस्कृत के नाटकों में बहुत शुरू में ही घन्दोरद रचना द्वारा वक्ता के भावों का आवेग श्रोता के अन्तर में संचारित करने का प्रयास देखा जाता है। उचित ढंग से घन्दों का पाठ श्रोता को उसी आवेग में ले जाता है जिसे मूल रचयिता ने स्वयं अनुभव किया था। यही कारण है कि घन्द ने मनुष्य के सामाजिक सम्बन्धों को दृढ़ और स्थायी बनाने में बड़ा काम किया है। राजप्रबोधर ने 'काव्य-भीमांसा' में काव्य करने की अपेक्षा भी काव्य पाठ करने की अधिक महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि पाठ से उम सामाजिक उद्देश्य की भिड़ होती है जो

- ‘विश्व भारती पत्रिका’ (हिन्दी), खण्ड 3, पृ० 34-36
  - देवा एवं मूर्योविच्छिन्नस्त्रयो विद्युता प्राविज्ञनं । ते छन्दोभिरच्छन्दम् यदेभिरच्छन्दयस्त्-  
च्छन्दगा छन्दस्त्रम् ।

मनुष्य का सहज घर्म है। आदमी स्वकृतात्मा हो तो काव्य जैसे-तैसे बना ही लेता है, किन्तु काव्य पाठ करना तो उसी को आता है जिसको मरम्बती सिद्ध होती है :

करोति काव्यं प्रायेण मस्कृतात्मा यथा तथा ।

पठितु वेति स परं यस्य सिद्धा सरस्वती ॥

सभा में तो सुन्दर काव्य बनाने की अपेक्षा सुन्दर पाठ की अधिक ग्रावश्यकता होती है। ऐसा जान पड़ता है कि उत्तरकालिक दरवारों में काव्यपाठ का गौरव और भी बढ़ गया था। राजशेखर ने उस कवि को ही वारदेवी का अत्यन्त प्रिय बताया है जो विनोदों को इस प्रकार पढ़ मके कि रस का आस्वादन गोपालों और अनपद स्थिरों तक को मिल जाय।

आगोपालकमायोदि दास्तामेतस्य लेहृता ।

इत्थं कवि पठन् काव्यं वारदेव्या अतिवल्लभः ॥

—‘काव्यमीमांसा’, पृ 33

यह तो हुई राजसभा की बात। निस्मन्देह कवि को कीर्ति प्राप्त करने का प्रधान साधन राज-सम्मान था। पर और भी साधन थे। काव्यकला साधारण सुस्कृत नागरिकों के मनोविनोद की वस्तु थी। राजशेखर ने ‘काव्य मीमांसा’ के आरम्भ में ही काव्यविद्या के अठारह अगों<sup>1</sup> की चर्चा की है। उनमें एक अग है वैनोदिक। बहुत दिनों तक पण्डित में जल्पना-कल्पना चलती रही है कि राजशेखर के गिनाये हुए अठारह अंग काल्पनिक हैं या किसी पुरानी परम्परा के अवशेष हैं। अब भी यह जल्पना-कल्पना समाप्त नहीं हुई है। मेरा विचार है कि इस सूची को काल्पनिक नहीं मानना चाहिए। मैंने अपने मत की पुष्टि अन्यथा की है। यहाँ उस विवाद को उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रकृत प्रसंग वैनोदिक नामक काव्यविद्या के अंग का है। यह नाम ही विनोदों से सम्बन्ध रखता है। कामशास्त्रीय ग्रन्थों में मदपान की विधियाँ, उद्यान और जलाशय आदि की कोड़ाएँ, मुर्गों और बटेरों—लाव तितिरों—की लड्डाइयाँ, चूतकीड़ाएँ, यक्ष-रात्रियाँ अर्थात् सुखरात्रियाँ, कौमुदी जांगरण अर्थात् चाँदनी रात में जागकर कीड़ाएँ करना आदि को ‘वैनोदिक’ कहा है (‘कामनूत्र’, 1-4)। इस अंग के प्रवर्तक का नाम राजशेखर ने कामदेव बताया है। इस पर से पण्डितों ने यह अनुमान किया है कि काव्यशास्त्रीय विनोद और कामशास्त्रीय विनोद एक ही वस्तु होंगे। परन्तु कामदेव नामक पौराणिक देवता और काव्यविद्या के वैनोदिक

1. काव्य मीमांसा के अठारह अग ये हैं । 1. काव्यरहस्य के महामास, 2. शौकिक के उक्तिगम्बं, 3. रोतिनिर्णय के सुवर्णनाम, 4. अनुप्राप्तिक के प्रवेतापन, 5. यमक के चित्रागद, 6. चित्रशास्त्र के भौति चित्रागद, 7. शब्दश्लेष्य के शीष, 8. वास्तव के पुलस्त्य, 9. धीपम्ब के धीपकायन, 10. अनिशय के पराशर, 11. धर्मश्लेष्य के उत्तर्य, 12. उभयानवार के उच्चवेर, 13. वैनोदिक के कामदेव, 14. स्पष्ट-निहृपणीय के भरत, 15. रमाधिकारिक के नन्दिकेश्वर, 16. दोपाधिकरण के धिपण, 17. गुप्तेपादाग्निह के उपमन्यु, 18. धीपाविपदिक के कुंचमार।

अंग के प्रवर्तक कामदेव नामक आचार्य एक ही व्यक्ति होंगे, ऐसा मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। राजा भोज के 'सरस्वती कण्ठाभरण' (5-93-96) से यह अनुमान और भी पुष्ट हुआ है कि कामशास्त्रीय उद्दीपक किशकलाप ही वस्तुतः वैतोदिक समझे जाते थे। शारदातनय के 'भावप्रकाश' में नाना ऋतुओं के लिए जिस प्रकार की उद्दीपन-सामग्री का वर्णन है वह एक विशाल परम्परा का सूचक है जो रीतिकालीन कवि ग्वाल और पद्माकर तक अविच्छिन्न रूप में बढ़ती चली आयी है। यहाँ तक कह रखना आवश्यक है कि मध्यपुग के काव्य को केवल काव्य-शास्त्र ने ही नहीं, कामशास्त्र ने भी प्रभावित किया है। कारण को विवेचना हम अभी करेंगे। इसलिए काव्यशास्त्रीय ग्रन्थों में कामशास्त्रीय विनोदों की चर्चा कुछ आश्वर्य की बात नहीं है। 'कादम्बरी' (कथामुख) में वाणभट्ट ने शूद्रकवर्णन के प्रसंग में कुछ ऐसे काव्यविनोदों का उल्लेख किया है जिनकी चर्चा करने से राजा 'सम्भोग पराद्मुख' हो सका था अर्थात् कामशास्त्रीय विनोदों से चित्र को मुक्त कर सका था। वाणभट्ट के बताये हुए इन विनोदों में बीणा, मृदंग आदि का बजाना है, विद्वान्-मण्डली में काव्यादि का पाठ है, आत्याधिका है, कथा है, आत्मेत्य कर्म है, अक्षरच्युतक है, विन्दुभती है, मात्राच्युतक है, गूढ़ चतुर्थपाद प्रहेलिका है और ऐसे ही अनेक काव्यशास्त्रीय विनोद हैं।

इस प्रसंग में मनोरंजक बात यह है कि राजशेखर ने रसाधिकारिके प्रवर्तक आचार्य का नाम नन्दिकेश्वर बताया है। काव्य-शास्त्र का प्रत्येक विद्यार्थी जानता है कि इस सूत्र के प्रवर्तक आचार्य भरत है और सभी आलंकारिकों ने 'रस' की व्याख्या भरत के सूत्र को ही केन्द्र मानकर की है। वस्तुतः यदि काव्य-शास्त्र की परम्परा को देखा जाय तो इसके प्रधान आचार्य भरत को ही माना जाना चाहिए। राजशेखर ने उन्हें 'स्पृक-निरूपणीय' नामक काव्यांग का प्रवर्तक माना है। यह ठीक ही है। पर स्पृक-निरूपण के सिलसिले में अब तक के जाने हुए आदि-आचार्य भरत ही हैं। इन्होंने (ना.शा., 6-10) रस, भाव, अभिनय, वृत्ति-प्रवृत्ति, सिद्धि, स्वर, आतोदय गान और रंग को लेकर अपना बृहत् शास्त्र रखा था। फिर भी राजशेखर ने उन्हें रस का प्रवर्तक आचार्य नहीं माना। इसका कुछ-न-कुछ कारण होना चाहिए। भरत ने 'नाट्यशास्त्र' के पाठ अध्याय में (15-16) आठ नाट्य रसों का उल्लेख करते हुए कहा है कि इन आठ नाट्य रसों को (अर्थात् श्रुंगार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, भयानक, अद्भुत, वीभत्स को) महात्मा द्रुहिण ने पहिले-पहल बताया था। यहाँ द्रुहिण ब्रह्मा भी हो सकते हैं या फिर इसी नाम के कोई और भी आचार्य हो सकते हैं। उपलब्ध नाट्य-शास्त्र के अनुमार ये ब्रह्मा ही थे। परन्तु इतना निश्चित है कि भरत को रस-परम्परा अपने पूर्ववर्ती आचार्यों से ही प्राप्त हुई थी। मारतीय 'नाट्य-शास्त्र' के पाठ और सप्तम अध्यायों में रसों और भावों की व्याख्या है। इन दो अध्यायों में जितने आनुवंश या परम्परागत श्लोक उद्दृत हैं, उतने और किसी अध्याय में नहीं हैं। इससे इतना तो स्पष्ट ही है कि उन्होंने इन अध्यायों की सामग्री किसी पूर्ववर्ती आचार्य के ग्रन्थ से ली है।

वह आचार्य कौन थे ? राजशेखर के कहने से लगता है कि उनका नाम नन्दि-केश्वर था । नन्दिकेश्वर का नाम नाना सूत्रों से हमारे सामने आया है । भिन्न-भिन्न ग्रन्थों में कभी उन्हे संगीत का, कभी काम-शास्त्र का, कभी तन्त्र का और कभी अभिनय का आचार्य माना गया है । वात्सायन के 'कामसूत्र' के आरम्भ में ही बताया गया है कि प्रजापति ने प्रजाओं की सृष्टि करके उनकी स्थिति के लिए धर्म, अर्थ और काम इन त्रिवर्गों के साधन के लिए एक लाख अध्यायों का एक ग्रन्थ रचा । उसके एक-एक वर्ग को अलग करके क्रमशः मनु, वृहस्पति और महादेवानु-चर नन्दी ने धर्म, अर्थ और काम के विधायक ग्रन्थों की रचना की । नन्दी का ग्रन्थ हजार अध्यायों का था । उसे श्रीद्वालकि श्वेतकेतु ने पाँच सौ अध्यायों में सक्षिप्त किया और उसे भी वाभ्रव्य पात्राल ने डेढ़ सौ अध्यायों में संक्षेप किया । इस प्रकार नन्दी या नन्दिकेश्वर कामशास्त्र के प्रवर्तक आचार्य है । 'पञ्चसायक' के नन्दीश्वर और 'रति-रहस्य' के नन्दिकेश्वर सम्भवतः यही है । 'कामसूत्र' की जयमंगला टोका में कहा गया है कि महादेव और पावर्ती के सहस्रवर्षव्यापी आनन्दोपभोग को नन्दी ने द्वार पर से देखा था और इसीनिए वे कामशास्त्र के प्रवचन कर सके थे । इससे जान पड़ता है नन्दिकेश्वर या नन्दी महादेव के अनुचर देवता-विशेष का ही नाम है, किसी मानव आचार्य का नहीं । पर मध्ययुग में ऐसे अनेक आचार्यों को देवता के साथ अभिन्न समझ दिया गया है । ऐसा जान पड़ता है कि बहुत प्राचीन काल में नन्दी या नन्दिकेश्वर नाम के कोई शास्त्रकार आचार्य अवश्य हुए थे । नन्दिकेश्वर की लिखी एक अभिनय सम्बन्धी पुस्तिका भी प्राप्त हुई थी । यह पुस्तक 1894ई. में पूना से प्रकाशित हुई थी, और इधर हाल में डॉ. मनोमोहन धोप ने नये सिरे से इसका उत्तम सम्मादित संस्करण प्रकाशित कराया है । पुस्तक का नाम 'अभिनय दर्पण' है, इसमें हाथ-पैर, मुख-दृष्टि आदि के अभिनयों की मुद्रा और उनका विनियोग बताया गया है । वेवर के 'सस्तुत साहित्य का इतिहास' में नन्दिकेश्वर की लिखी बतायी जानेवाली एक संगीत-विषयक पुस्तक का भी पता चलता है । इसका नाम है 'नन्दिकेश्वर मततालाध्याय' । इस प्रकार नन्दिकेश्वर का नाम तीन विषयों के साथ सम्बद्ध है : गान, नाच और कामशास्त्र । कुछ पण्डितों का विवास है कि काम-शास्त्रीय आचार्य नन्दिकेश्वर ही राजशेखर द्वारा अभिप्रेत 'रसाधिकरण' के आचार्य है । इसका अर्थ यह हुआ कि जब तक 'नाट्य-शास्त्र' में रसाधिकरण निपुण भाव से गूँथ नहीं दिया गया था तब तक 'रस' शब्द का अर्थ शून्याररस ही था । भरत जब कहते हैं कि 'नाट्यशास्त्र' में आठ रस होते हैं तो साधारणतः इसका अर्थ यह समझा जाता है कि काव्य में आठ से अधिक रस होते हैं । परन्तु ऊपर की चर्चा को ध्यान में रखा जाय तो इस कथन का अर्थ यह भी हो सकता है कि और शास्त्रों में रस चाहे एक ही हो पर नाट्य में आठ होते हैं । ऐसा अर्थ समझने के पक्ष में प्रवल युक्ति यह है कि काव्य-विवेचना में बहुत बाद में चलकर रसों को अन्तर्भुक्त किया गया है । प्राचीन आचार्यों में दण्डी और भामह रस की चर्चा करते ही न हो ऐसा नहीं है, पर वे उसे स्वभावोक्ति या वत्रोक्ति

से अधिक महत्त्व नहीं देते। फिर ऐसा एक भी काव्य का विवेचक शालकारीक नहीं है जो भरत के पहले हुआ हो। सब पर भरत का ही प्रभाव है। ऐसी हालत में यह कैसे मान लिया जाता है कि भरत ने काव्य के रसों को दृष्टि में रखकर ही लिखा था कि “अप्टी नाट्ये रसाः स्मृताः”। जब काव्य के नीया दस रस उनके सामने थे ही नहीं तो निश्चय ही किसी और शास्त्र के ‘रस’ से नाट्य-रस को अलग करने के लिए उन्होंने वह बात लिखी थी। वह रस क्या था? सम्भवतः वही नन्दिकेश्वर द्वारा प्रचारित रसराज शृंगार था। ऐसा जान पड़ता है कि साधारण रूप में रस का अर्थ एकमात्र शृंगार ही समझने की परम्परा कभी लुप्त नहीं हुई। वाणभट्ट ने ‘कादम्बरी’ में ‘रसेन शास्या स्वयमभ्युपागत’ में ‘रस’ का एक अर्थ शृंगार ही समझा था।

यद्यपि नाट्यशास्त्र के प्रभाववश रसों की संख्या नौ मान ली गयी थी, परन्तु समूचे मध्ययुगीन गीत-काव्य-साहित्य का यदि विश्लेषण किया जाय तो निस्संदेह शृंगाररस की व्यापकता दिखायी देगी। धर्मशास्त्र में कहीं ‘काव्यालापन्न वजंयेत्’ कहकर काव्यालाप का नियेत्र किया गया है। मत्तिनाथ ने अपनी दीक्षाओं में बतलाया है कि इस वाक्य में ‘काव्य’ शब्द का अर्थ असत्काव्य है। ऐसा जान पड़ता है कि धर्मशास्त्रकार ने काव्यालाप में शृंगार का बाहुल्य और शृंगार में भी समाज-विरोधी प्रेम आदि पर अधिक झुकाव देखकर ही ऐसा नियंत्रण किया होगा। वहुत-से कवियों ने और रसशास्त्रियों ने निःसंकोच स्वीकार किया है कि शृंगार ही एकमात्र रस है। यद्यपि ‘सरस्वती कण्ठाभरण’ में भोजराज ने दस रस माने हैं, परं शृंगारप्रकाश में उन्होंने एकमात्र शृंगार को ही भूल्य रस माना है।<sup>1</sup>

शृंगार वीर करणाद्भूत रौद्र हास्य वीभत्स वत्सल भयानक शान्त नम्न  
आमासिपुदेशस्मान् सुधितोवयं तु शृंगारमेव रसनादसमाप्तनाम् ॥  
*‘शृंगारप्रकाश’*,<sup>6</sup>

यह परम्परा रीतिकाल में खाल, पद्माकर आदि कवियों तक सटीक चती आयी है। मध्ययुग में कवि का अधिक ध्यान इस रस की ओर ही था।

1. शारदातनय का भाव-प्रकाश, गिग्नभूपाल का रसानंव, भानुदत्त की रसभन्नी और रसतरणिणी भी शृंगाररस की महिमा के प्रचारक पर्याय हैं। हिन्दी काव्य में केशवदास रीरसिक प्रिया, तोष की मुद्घानिधि चिन्तामणि का कविकुल कल्पतरु, मतिराम वा रसराज, रातीन के रस प्रवोष और धग-दर्पण, देव की प्रेमचन्द्रिका और रस-वितास, शिवारी-दास के राशृंगार और शृंगारनिषंय और पशाकर के जगद्दिनोद में मही परम्परा चती पायी है। देव मे कहा है :

भूति वृहत् नव रस मुकुवि सकल मूल शृंगार ।  
जो सप्ति दपतिन की, जाको जग विस्तार ॥  
विमर्श गुद शृंगार रस देव परात् धनन्त ।  
ठड़ि उड़ि थग ज्यो और रथ, विवत न पावत मन्त ॥

काव्यालोचना के ग्रन्थों को पढ़ने से हमारी धारणा यह बनती है कि नाटक में ही पहले रस की आवश्यकता अनुभव की गयी थी। वाद में मुक्तकों में भी रस की विवेचना जहरी समझी जाने सगी। मध्ययुग की इस सरस कविता को समझने के लिए वास्तविक या कल्पित नायक-नायिकाएँ मन में अवश्य होनी चाहिए, नहीं तो रसबोध सम्भव नहीं होगा। प्रायः ही टीकाकार लोग वता देते हैं कि यह श्लोक किस विशेष परिस्थिति में किस विशिष्ट बोधव्य को सामने रखकर किस विशिष्ट वक्ता ने बताया है। अगर ऐसा न किया जाय तो अनेक सुन्दर श्लोकों से शृंगार-रस का अनुभव करना सम्भव नहीं। वादेवतावतार ममट भट्ट ने 'काव्य-प्रकाश' के आरम्भ में ही यह सुन्दर कविता उद्धृत की है :

उथ णिचल-णिष्पन्दा भिसिणीपत्तर्मि रेहइ वाचाश्मा ।

निम्मल मरनअ भाऊण जी द्विग्रा संख सुत्तित्व ॥

यदि व्याख्याकार यह न बता दे कि दो गाड़ अनुरागी तरुणयुगल में से एक को यह मधुर वर्णन मुनाकर कुछ इशारा करना चाहता है तब तक यह व्यंग्यार्थ निकालना कठिन ही है कि इससे स्थान की निर्जनता और रमणयोग्यता ध्वनित होती है। निर्जनता ध्वनित अवश्य होती है। आज का सहृदय शायद इस मनोहर दृश्य और उससे ध्वनित निस्तब्ध शान्त वातावरण का समाचार पाकर ही गद्गद हो जाता। जापान में एक प्रकार की कविता होती है जो बहुत थोड़े शब्दों में कोई वस्तु ध्वनित करती है। उसमें की एक कविता कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने एक लेख में उद्धृत की है। कविता इस प्रकार है :

पुराना तालाब,  
मेढ़क का उछलना  
द्धप ।

कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने इसकी आलोचना करते हुए लिखा है, "वस, अधिक की जहरत नहीं, जापानी पाठक का मन आँखों से भरा है। पुराना तालाब बहुत दिनों से परित्यक्त है, अतएव निस्तब्ध अनधकार ! उसी में एक मेढ़क उछलता है। उसकी आवाज सुनायी दे जाती है। सुनायी दे गयी, इसी से समझा जा सकता है कि तालाब में कौसी निस्तब्ध नीरवता है। इस पुराने तालाब का चित्र किस प्रकार मन में खीच लेना होगा, इसी की ओर कवि ने इशारा कर दिया और वस ! इससे अधिक अनावश्यक है।"

इस कविता के साथ ऊपर की प्राकृत कविता की तुलना की जा सकती है। उसमें जिस निस्तब्धता और शान्ति का आभास मिलता है वह शब्दों की कमखर्ची के कीशल से सूना-सूना नहीं लग रहा। निश्चल निष्पन्द बलाका जो मरकत की थाली में रखी हुई शंखशुक्ति के समान पाठक को रूपसीन्दर्य से आकृष्ट करती है, वह शोभा, शालीनता और सरसता का विचित्र वातावरण प्रस्तुत करती है। पाठक के बल शोभा के निस्तब्ध सरोवर के किनारे से लौट नहीं आता और भी आगे बढ़ता है। कहना चाहिए कि प्राचीन भारतीय सहृदय की आँखें मन से भरी

होती थी—ठोक जापानी पाठक से उलटा ! अगर ऐसा न होता तो विहारी के इस मनोरम दोहे के लिए यह सोचने की उसे आवश्यकता न होती कि किस सखी ने किस मनोभाव वाली सखी से किस उद्देश्य से यह दोहा कहा था :

छकि रसाल-सौरभ सने, मधुर माधुरी-मंथ ।

ठोर ठोर भौरत भौर-भौर मधु-अंथ ॥

जिस पाठक का मन आँखों से भरा है वह इसमें न जाने कितना सौन्दर्य देखेगा, परन्तु जिसकी आँखें मन से ही लबालब भरी हैं वह कुछ और ही वह उठेगा ।

लेकिन आधुनिक पाठक न यह है, न वह है। उसका मन बुद्धि से भरा है और इसीलिए वह हर काव्यार्थ को बुद्धि की तराजू पर तैलता है। भावावेग की वह एकदम तो कैसे छोड़ सकता है, पर उससे चालित होने में वह आधुनिकता का तिरस्कार देखता है। वह रस की अनुभूति के लिए काल्पनिक नरनारियों की सृष्टि नहीं करता, अपने सचित अनुभवों का ही प्रयोग करता है। नितान्त आधुनिक काल में इस अवस्था में भी परिवर्तन हुआ है। पाठक की आँख मन से नहीं, बुद्धि से नहीं और सूक्ष्मतर आँखों से भर गयी है। वह किसी भी सरस वस्तु की वर्णना देखकर उसके पीछे खड़े शोपक-सम्प्रदाय को देखता है, शोपको के पीछे खड़ी तीव्र सघर्षमधी वर्ग-विषयमता को देखता है और उसे भी भेदकर और भी न जाने क्या-क्या देखने लगता है। उसके लिए काव्य आनन्द नहीं देता, बेचैनी पैदा करता है। आँखों से जब आँख भर गयी हो तो बेचैनी के सिवा और क्या सम्भव है ? पुराना हिन्दी कवि दूसरे रास्ते चलकर इस सत्य तक पहुँचा था :

नैक-सी ककरी जाके परं सु तो पीर तै नैकहुँ धीर घरे ना ।

कैसे परे कल एरी भटू, जब आँखि में आँलि परं निकरे ना ।

कम से कम समय में ज्यादा-से-ज्यादा एढ़ लेने की प्रवृत्ति आज-कल बहुत प्रवल हो उठी है। इसीलिए काव्य को रस लेकर भूम-भूमकर पढ़ने की फुरसत किसी को नहीं है। अपनी जल्दियाजी को भी आधुनिक पाठक नाना युक्तिको द्वारा उचित समझने का भाव करने लगा है। साहित्य में जीवन की इस दौड़-धूप ने अनुकूल संवेदना-संचारक तत्त्व योजना इसी श्रौचित्य-स्थापिती मनोवृत्ति का सबूत है। इस मनोवृत्ति ने काव्यालोचना के क्षेत्र में नये-नये शब्दों की सृष्टि की है। जब-जब आलोचक प्रोड और जबर्दस्त हुआ है तब-तब वह कवि को परने इशारे पर न चा लेने में समर्थ हो गया है। काव्य की कारीगरी की विवेचना गौण हो गयी है, उसके भर्मार्थ का विचार ही प्रधान हो उठा है। यह तो भुला ही दिया गया है कि काव्य का भर्मार्थ काव्यों को बार-बार पढ़ने और काव्य की कारीगरी को समझने के प्रभास में समझने में आता है। केवल काव्य ही नहीं जीवन एवं अनुभव भी गद्दैय को पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। परन्तु जो बात सबमें अधिक उंचाई दूई है यह यह है कि काव्य में माधारण मनुष्य की सहीभंता में कार उठाने की शक्ति हाँनी चाहिए और दुश्मन पों गुजने की शक्ति हेनी

चाहिए। काव्य केवल कौशल नहीं है। वह मनुष्य को पशु-सामान्य धरातल से ऊपर उठाकर मनुष्य के उच्चासन पर बैठाने का साधन भी है।

प्राचीन काल में काव्य के गुण-दोष-विवेचक अनेक ग्रन्थ लिखे गये हैं, पर यह सर्वथ स्वीकार किया गया है कि सहृदय ही काव्य के उत्कर्ष-अपकर्ष का निर्णय कर सकता है। अभिनवगुप्त ने बताया है कि सहृदय वह व्यक्ति होता है, जिसके मनस्ती मुकुर में—मनोमुकुर, जो काव्यानुशीलन से स्वच्छ हो गया होता है—वर्णनीय विषय के साथ तन्मय हो जाने की योग्यता होती है। ऐसे ही हृदय-सवाद के भाजन रसिकजन सहृदय कहलाते हैं। पर हृदय-सवाद का भाजन होना क्या मामूली तप का फल है? केवल शब्द और अर्थ की निरुक्ति जाननेमात्र से यह दुर्लभ गुण नहीं प्राप्त हो जाता। कवि का अभिप्राय सब समय शब्दों द्वारा प्रकट ही नहीं हो जाता। कभी-कभी वह एकदम शब्दगोचर होता ही नहीं। उसके शब्दों में जो आद्रंता होती है, उसे सब नहीं समझ पाते। प्रसिद्ध कवियित्री विजजका देवी ने उन सहृदयों को शद्भाषुर्वक अपनी प्रणति निवेदन की थी जो उस अशब्दगोचर अभिप्राय को सरस पदों के भीतर से निकाल लेते हैं और रोमांच-मुलकित होकर गद्गद भाव से इस प्रकार काव्य पाठ करते हैं कि कण्ठरोध हो उठता है:

कवेरभिप्रायमशब्दगोचरं स्फुरन्तमाद्रेषु पदेषु केवलम्  
वददभिरइँगे कृतरोमाविक्रियजनस्य तृष्णीभवतोऽयमञ्जलिः ॥

प्रसिद्ध आलंकारिक राजानक रुद्यक ने 'सहृदय-हृदय-लीला' नामक अपनी पुस्तक में सहृदय के जो लक्षण दिये हैं, उनसे पता चलता है कि सहृदय केवल काव्य के गुणों का जानकार नहीं होता, वह प्रत्यक्ष मनुष्य के गुण को जानता है। उसे अपने काल के सुमस्कृत मनुष्य के सौन्दर्य से परिचित होना चाहिए। वेश-सौन्दर्य से भी उसका परिचय होना चाहिए। सौन्दर्य भीतर का भी होना चाहिए और बाहर का भी। शोभा के विधायक दस गुण होते हैं जो पूर्वजन्म के पुण्य से प्राप्त होते हैं। सहृदय को ये गुण प्राप्त होते हैं। वह उनका आदर कर सकता है; योकि शोभा के समुत्पादक को ही गुण कहते हैं, समुदीपक को ही अलंकार कहते हैं, अनुप्राणक को ही जीवित कहते हैं और व्यजन को ही परिकर कहते हैं। गुण-अलंकार-जीवित और परिकर के ज्ञान से ही शोभा का आनन्द लिया जा सकता है। ये एक-दूसरे के उपकारक होते हैं और परस्पर के अनुग्राहक भी होते हैं। मैंने अपनी पुस्तक 'प्राचीन भारत का कला-विलास' (परवर्ती परिवर्धित संस्करण: 'प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद') में इसकी चर्चा विस्तार के माध्य की है। यहाँ उसकी विस्तारपूर्वक चर्चा आवश्यक नहीं है। ऐसा सहृदय ही काव्य को समझ सकता है। फिर भी सुभाषितों का पाठक इस बात को भूल नहीं सकता कि कवि लोग जहाँ सहृदय को अपने काव्य का प्रधान श्रोता मानते थे वहाँ दुर्जनों से बराबर डरते रहते थे, मत्सरियों और चुगलखोरियों की चिन्ता उन्हें बराबर सताती रहती थी। कवियों ने इन मत्सरियों और दुर्जनों तथा निन्दकों की खूब खबर ली है। वल्लभदेव ने ऐसी कविताओं से चिढ़कर कहा था कि 'यहीं क्यों

कहते हो कि सहदय ही काव्य को समझ सकता है। काव्य में भी तो गुण होता चाहिए। ऐसा गुण जो चुगलखोर और दुर्जनों को भी सहदय बता दे। जिस काव्य को सुनकर मात्सर्यहित चेता व्यक्ति रोमांचकण्टकित न हो उठे, उसका चिर अपने-आप न हिल उठे, उसके कपोलदेश पर लालिमा न दौड़ पढ़े, उसकी भाँहों में आँसू न आ जायें और उसकी वाणी अध्यारोपित वस्तु के कीर्तन में तम्य न हो उठे, तो वह काव्य भी भला कोई काव्य है ?'

तत् कि काव्यमनल्पपीतमधुवल्युर्यान्त यद्धृदगतं ।  
मात्सर्याद्वितचेतसां रसवशादत्युगदांति रोमसु ।  
कम्पं मूर्धिन कपोलयुग्ममर्हणं वाप्याविले लोचने  
अध्यारोपितवस्तुकीर्तनपरं वाचः करालंबनम् ।

यह बहुत महत्व की वात है। जीवन के सम्पूर्ण साररसों से जो काव्य पुढ़ हुआ है वह जीवन की भाँति ही क्रियाशील, सर्जक और निरन्तर विकासमान वस्तु हो, यही बांधनीय है। काव्य से यह आशा करना अनुचित नहीं है कि वह सुन संकीर्ण स्वार्थों से बढ़ जीव में भी उत्तम भाव संचारित करे। जिससे केवल योऽपि से सुसङ्कृत लोग ही आनन्द अनुभव कर सकें, उस काव्य में कोई ऐसी शुटि होगी जो गुण के नाम पर चल रही है। काव्य सर्जक है, वह मनुष्य की दुनिया में नई भावों की सृष्टि करके विधाता के भावजगत् में बृद्धि करता आ रहा है। नवी भाँति के ऊपरी और परिवर्तनघर्मी कल्पनाओं को मनुष्य का मौखिक सर्त मान सेने से सभी सच्चे काव्य सभी सहृदयों को प्रेरणा नहीं दे पाते। लोक में इन कल्पनाओं वो 'संस्कार' कहा जाता है। संस्कार देशगत है, जातिगत है, कालगत है। मनुष्य की सर्वथेष्ठ साधना साहित्य के रूप में प्रकट हुई है। उसको मध्यार्थ रूप से हृदयंगम करने के लिए इन संस्कारों से ऊपर उठने की शिक्षा मिलनी चाहिए। भारतीय अलंकारशास्त्रों की चरितार्थता इसी में है कि उन्होंने काव्यार्थ को समझने के लिए वैज्ञानिक मान निश्चय करने का मार्ग दिखाया है। यदि वे संस्कार बनकर पाठ्य को देश और काल के बाहर जाने में बाधा दें तो उनकी उपयोगिता नहीं रहेगी। पर मेरा निश्चित मत है कि हमारे अलंकारशास्त्र रस-बोध में सहायक हैं, बाधक नहीं। हमें आज उन्हें प्रेरणास्रोत के रूप में स्वीकार कर आगे बढ़ना चाहिए। वे पाठ्य को आगे बढ़ने से रोककर यह नहीं कहते कि इसके आगे जाना नहीं है। वे काव्यार्थ में प्रवेश कराने का मार्ग दिखाते हैं। उन्हें इसी रूप में प्रहृण करना चाहिए। भारतीय मनीषा के सर्वोत्तम ग्रंथों में से एक का प्रतिनिधित्व करनेवाले इन ग्रन्थों की यों ही नहीं धोष देना चाहिए। नयी भारतीय मनीषा इन्हें प्रेरणा-स्रोत मानकर चरितार्थ होगी। ज्ञान का मार्ग रद्द नहीं हो गया है, मनुष्य की विजामा जानने नहीं हो गयी है, सहदय की अन्तिम रीमा निश्चित नहीं हो चुकी है—भीषी और भी है, यहृत-नुद्ध जानना है, यहृत-नुद्ध समझना है, यहृत-नुद्ध हृदयगम करना है। हमारे ज्ञानस्वरूप मनुष्य की आपूर्व बुद्धि की विजयमताना है। वे भीषी आगे बढ़ने का गाहग देते हैं, निश्चित विजय का उत्तमाह संचारित करते हैं और मनुष्य की विजातमक विजयन-परम्परा के प्रमाण देते हैं।

मिथो, अपने प्रथम व्याख्यान में मैंने दिखाया था कि उत्तरकालीन संस्कृत लक्षण-ग्रन्थ किस विशेष परिस्थिति में बने थे और उस युग के काव्य में उक्ति-वैचित्र्य और वचन-वक्रिया को क्यों इतना महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो गया था। मैंने यह भी बताने का प्रयत्न किया था कि आधुनिक युग में पाठक भी बदल गया है और कवि भी बदला है। यन्त्र-युग की समस्याएँ और तरह की हैं, और उनके समाधान के रास्ते भी हूँ-ब-हूँ वही नहीं है जो पूर्ववर्ती युग के थे। जमाना बदल गया है, हमारी आवश्यकताएँ बदल गयी हैं, हमारी रहन-सहन बदल गयी है और इन सबके साथ ही साथ हमारा दृष्टिकोण भी बदल गया है। परन्तु संस्कृत के लक्षणग्रन्थों ने जिस आदर्श का प्रचार किया, वह परवर्ती स्तरध्ववृत्तिक मध्ययुग में वरावर प्रेरणा देता रहा। हमारे विद्यार्थी के चित्त में ये लक्षणग्रन्थ और काव्य एक विशेष प्रकार का संस्कार पैदा करते हैं। आधुनिक युग के सब प्रथल उस संस्कार के द्वारा ठीक-ठीक समझे नहीं जा सकते। काव्य में वैयक्तिक स्वाधीनता का प्रवेश हुआ है, पुरानी कर्मव्यवस्था का निर्गमन हुआ है, गोप वधुओं की प्रेमलीलाओं ने कवि की आन्तरिक निजी अनुभूतियों के लिए स्थान छोड़ दिया है, छन्दों में स्वच्छन्दता आयी है और सबसे बड़ी बात यह हुई है कि उपन्यास, कहानी आदि नए-नए साहित्यांग पैदा हुए हैं जो पाठक को काव्य से अधिक प्रिय हो गये हैं। छापे की मज़ीलों ने उनका उत्पादन बढ़ाया है और यातायात के विकसित साधनों ने उन्हें सर्वजन-सुलभ बनाया है। कवि के लिए कीर्ति पाने का रास्ता राजसभा में काव्य-पाठ करना और प्रतिद्वन्दी को पछाड़ना नहीं रह गया है, छापे हुए अक्षरों के मौन पाठकों के दिल में घर बनाना है। काव्य का थोन संकुचित हो गया है, उपन्यासों और कहानियों का थोन विस्तृत हो गया है। काव्य को न तो अब बाक्‌पाठव की कला माना जाता है, न गोटी-विहारों में मनोरजन करने का साधन। भरत से भी पहले से शृंगार को मुख्य रस माना जाता था, वह आज भी कवि को स्वीकृत है, परन्तु रमाध्वनि की अपेक्षा वस्तुध्वनि के आस्वादन में पाठक को कम आनन्द नहीं मिलता और इसीलिए वस्तुध्वनि का जोर बढ़ रहा है। उत्तर-काल का संस्कृत कवि राजदरबार की ओर अधिकाधिक भुकता गया और इसका फल यह हुआ कि कविता में बाक्‌पटुता को ही अधिक स्थान मिलने लगा और वृहत्तर सामाजिक चेतना की ओर ध्यान नहीं दिया गया। कविता की सहज और शक्तिशाली अन्तर्धारा सामन्त सभ्यता की बालुका के नीचे अविरल भाव से बहती गयी। अन्त में नतीजा यह हुआ कि वास्तविक जीवन रसधारा कवीर और सूरदास और तुलसीदास को आधय करके अत्यन्त स्वस्थ और मनोरम हप में प्रकट हुई। संस्कृत के लक्षणग्रन्थों की प्रेरणा भी जीती रही, पर वह महत्वहीन हो गई।

परन्तु मुझे लेद है कि मैंने अपने उस वक्तव्य में अपने साहित्य की दुर्बलता और ही आपका ध्यान अधिक आकृष्ट किया है। मेरा उद्देश्य अपने साहित्य के अल्पन महिमापूर्वक हप की और से और भूमूदला नहीं था, मैं केवल उस तथ्य की ओर आपकी दृष्टि फेरना चाहता था जिनकी यदि ठीक-ठीक जानकारी न हो और जिन्हें यदि विवेकपूर्वक न ग्रहण किया जाय तो वे हमारे विचारियों में काव्य के उपकरणों को ही काव्य समझने की आदत डाल देंगे और डाल देते हैं। फिर भी मुझे इस बात से दुःख हो रहा है कि हमने अपने देश के मंहाकवियों द्वारा निरल्पर उद्घाटित और प्रचारित पूर्ण सत्य की धात न करके, दरवारी कवियों द्वारा प्रचारित खण्ड-सत्य पर ही अब तक आपकी दृष्टि को उत्सभा रखा था। मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं कि हमारे पुराने साहित्य का चरम लक्ष्य खण्ड-सत्य की भी नहीं रहा है। वाल्मीकि या व्यास, या कालिदास मनुष्य की महिमा के प्रचारक थे, उसकी दुर्बलता के नहीं और न उसकी उस महजात पशुसुलभ मनोवृत्ति के प्रचारक थे जो थोड़ी-भी उत्तेजना पाते ही भनस्ता उठती है। भारतीय साहित्य ने 'जीवशास्त्रीय' समझी जानेवाली उस लालसा को प्राधान्य नहीं दिया जो समस्त जीवों की रियति के प्रयोजन की पूर्ति करती है। इस लालसा से अतिरिक्त, प्रयोजनातीत, सत्य को ही उन्होंने मनुष्य का अपना 'सत्य' समझा था। प्रेम संयम और तपसे उत्पन्न होता है, भक्ति साधना से प्राप्त होती है, श्रद्धा के लिए ग्रन्थास और निष्ठा की जहर होती है, ये पशुसुलभ आदिम मनोवृत्तियों की उपज नहीं हैं। वाल्मीकि को जब छन्द-सरस्वती का साक्षात्कार हुआ तो उन्हें सबसे बड़ी चिन्ता यह हुई कि किस प्रकार इस में महान् चरित्र की प्रवत्तारणा की जाय—ऐसा महान् चरित्र, जो विपत्ति में म्तान न हो, सम्पत्ति में उत्तरा न उठे, विजयदर्प के समय क्षमा करना न भूले, शक्ति पाने पर सदय होने में न चूके और जीवन के उपरले स्तर की सफलतायों से अभिभूत होकर जीवन के गम्भीर तल में बहनेवाली चरितार्थता की धारा को न भूल जाय। कालिदास ने भदन-वैभव और अकाल-वसन्त की समस्त आकर्षक मोहकता को वैराग्य के एक ध्रुभद्ध में धूलिसात् करा दिया है और फिर तपस्या की ग्राम में तपाकर प्रेम के बुन्दन को चमकाया है। सीता, पार्वती और राधिका भारतीय कवि की आदर्श कल्पना हैं। सबको तपना पड़ा है, सबको दुःख और देवदान के मर्हकान्तार को पार करना पड़ा है और तब जाकर भारतवर्ष के सहृदय ने उन्हें देवता के ग्रामन पर दैठाया है। संयम बड़ी वस्तु है, तपस्या बड़ी वस्तु है। क्षणिक ध्वेष, सामर्यिक उन्माद अधीर विनिवेदन तबतक भारतीय कवि के चित्र को मुख नहीं करते जब तक वे संयम, तप और भक्ति में स्नान करके पवित्र न हो गये हों। दुष्प्रत्यक्ष और शकुन्तला का प्रथम मिलन केवल खण्ड-सत्य था। कवि ने उस अभिशप्त प्रीति को विजयी नहो होने दिया है। विजयी हुआ है वह प्रेम, जो जीवनरस में पूरी तरह परिपक्व होकर निकला है। इस अपूर्व मोहक लोक में आपको न से जाकर मैं जो खण्ड-सत्य के दूहों में भटकता रहा वह यद्यपि अकारण नहीं था तो भी मेरे मन में यह कचोट रह गयी है कि मैंने एकाग्री परिचय देकर

भपराप किया है। भारतवर्ष के कथि ने जिस सौन्दर्यलक्ष्मी की मूर्ति की है, वह प्रपूर्व है। जिन्होने इम देश में जन्म लिया है वे यदि इस पर मुग्ध हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, पर जो लोग इस देश में हजारों को स दूर रहते हैं और संयोग से इम सौन्दर्यलक्ष्मी की एक हृत्की झाँकी पा गये हैं वे भी इसे देखकर कृत-कृत्य हुए हैं; उन्हें भी अपनी आँखों की सफलता पर गवं हुआ है और वे इसे अधिकाधिक पा सकने में प्रयत्नशील हुए हैं। कालिदास के 'विक्रमोर्ध्वशीय' नाटक के 'पुरुषों की भाँति इम महनीयस्पा सौन्दर्यलक्ष्मी को देखकर कहने की इच्छा होती है :

यदृच्छया त्वं महृदप्यवन्द्ययोः

पथि स्थिता मुन्दरि यस्य नेत्रयोः ।

त्वया विना सोऽपि समुत्सको भवेत्

सद्वीजनस्ते किमुताद्रं सोहृदः ॥

मंस्कार वडे प्रवल होते हैं, वे विवेक को धरावर दबोचते रहते हैं। भारतीय सहृदय एक प्रकार के भक्तारों में पलता है और दूसरे देश के सहृदय दूसरे प्रकार के। जो काव्यलक्ष्मी इन संस्कारों को दबा सके, उसमें प्राणशक्ति का अपूर्व विलास मानना चाहिए। कभी-कभी अच्छे सहृदय भी अपने बढ़मूल संस्कारों से काव्य-सौन्दर्य को परसने का प्रयत्न करते हैं और दृष्टव्य को छोटा करके देखने में रस पाते हैं। एक उदाहरण दूँ। आप सभी जानते हैं कि दीर्घकाल से भारतवर्ष इस बात में विश्वास करता रहा है कि किये का फल जहर भोगना पड़ता है। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में उसे अपने कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। इससे बच सकना सम्भव नहीं है। इस जन्म में जो कुछ भी मनुष्य ने पाया है वह पूर्व-जन्म के पुण्य या पाप का परिणाम है और इस जन्म में जो पुण्य या पाप करेगा उसे भी उसको भोगना ही पड़ेगा। इस विश्वास का प्रभाव भारतवर्ष के साहित्य पर पड़ा है। इस साहित्य में वह वस्तु एकदम नहीं मिलेगी जिसे पश्चिम के साहित्य में 'समाज के प्रति विद्रोहभावना' कहकर वहूत बड़ा नाम दिया गया है। वस्तुतः प्राचीन हिन्दू कवि इस जगत् के समस्त विद्यान को सामंजस्यपूर्ण और उचित मानता था। धनी या निर्वन होना पुराने पुण्य या पाप का परिणाम है, अच्छे या बुरे कुल में जन्म लेना सुकृत या दुष्कृत का फल है, इसमें कहीं विरोध या विद्रोह की जरूरत ही नहीं है। साहित्य में इसीलिए 'रिवोल्ट' नामक वस्तु का आप एकदम अभाव पायेगे। मैं यहाँ यह नहीं कह रहा हूँ कि प्राचीन भारतीयों का ऐसा विश्वास ठीक था या गलत था। मैं यह भी नहीं कहने जा रहा हूँ कि 'रिवोल्ट' का होना वांछनीय है या अवांछनीय। यह सब अवान्तर प्रसंग है। यथा अवसर में इसकी चर्चा कहेंगा। यहाँ मैं केवल संस्कारों की प्रवलता और तजञ्य सास्कृतिक मनोदृग्द का एक उदाहरण आपके सामने रख रहा हूँ। यह समझना आसान है कि कर्मफल की अवश्य-प्राप्तता में विश्वास करनेवाला नाटकार जगत् की समंजस-व्यवस्था को चुनौती नहीं दे सकता। भारतीय नाटकों में यह प्रथा रुद्ध हो गयी है कि धर्मतिमा को पापात्मा से

कभी पराजित होते न दिताया जाय और सद्विचारशील व्यक्ति कठिनाइयों से जूझता हुआ हार न जाने पाये।

यह विश्वास भारतीय नीतिशास्त्र के मूल में है और भारतवर्ष के समस्त प्रथनों को इस नैतिक आदर्श के अनुसार रूप देने का प्रयत्न किया गया है। इसी-लिए भारतवर्ष में उस श्रेणी के नाटक या आद्यायिका या काव्य नहीं लिखे गये जिन्हे 'ट्रैजेडी' कहते हैं। परन्तु यदि एक बार मनुष्य के मानसिक अवेगों और संवेगों को दृष्टि में रखकर विचार करें तो एक दूसरी सचाई भी सामने आती है। मनुष्य के अनेक मानसिक संवेग (इम्पल्स) जो एक-दूसरे के विरुद्ध जाते हैं, या एक-दूसरे को क्षीणवल करते रहते हैं, कलाकार के संवेदनशील चित्त में मुगमत उत्पत्ति होते हैं। हमारे देश के आलंकारशास्त्रियों ने स्वीकार किया है कि दो विरुद्ध भाव एक ही आश्रय के मन में आ सकते हैं, रस की अनुभूति में ये समय-समय वाधक ही होते हैं। इसीलिए इनमें किसी एक को या तो अंग बनकर गोण हो जाना चाहिए या आश्रय का भेद दिखाकर रसबोध के मार्ग को निष्कर्णक कर देना चाहिए। लेकिन यह तो इस पर से अनुमान कर ही लिया जा सकता है कि आश्रय के चित्त में न सही, कवि के चित्त में ऐसे चित्र में ऐसे विरुद्ध भाव एक साथ आ जाते हैं। कवि या कलाकार के चित्त में ये विरुद्ध-विरुद्ध भाव अपने विरोधी स्वभाव को छोड़कर बने रहते हैं और अवसर पाकर जब कला के माध्यम से प्रकट होते हैं तो श्रोता के चित्त में विचित्र सामंजस्य उत्पन्न करते हैं। तरस खाना और करणाद्र होना विषय के प्रति अभिमुखीकरण के संवेग हैं, इनके द्वारा चित्त उस वस्तु की ओर अभिमुख होता है जिसे देखकर ये भाव उदित हुए थे। विभीषिका और वास प्रतिमुखीकरण के संवेग हैं, इनके द्वारा मनुष्य विषय की ओर जाना नहीं चाहता, उसे दूर छोड़कर मुँह किरा लेना चाहता है। दुःखान्त नाटकों में ये दोनों भाव एक साथ काम करते रहते हैं। हमारे देश का आलंकारिक निश्चित रूप से यह सिद्ध कर सकता है कि इनमें दोनों समान शक्तिशाली नहीं हो सकते, एक अंगी होकर रहेगा व दूसरा अग, या किर दोनों तुल्यवल हुए तो रसबोध को ही भार डालेंगे। परन्तु ट्रैजेडी के आलोचक मानते हैं कि ये दोनों संवेग श्रोता के चित्त में एक साथ वर्तमान रहते हैं और एक ऐसे अलीकिक आस्वाद को उत्पन्न करते हैं जो साधारण जीवन के अनुभवों से हूँ-ब-हूँ नहीं।

आधुनिक मनो-विज्ञान ने बताया है कि हम दो क

ैं से उन मनोवेग

हैं जिन्हों

हैं जिन्होंने की आशका होती।  
इस बात में है कि वह इन दो के दमन से पैदा होती है या दोनों किसी मनोभाव का दमन

विश्वास का फल

है। आधु

वर्णोंकि वह

और उन्नयन

है।

३ महिमा  
३ महावौ

न

सामंजस्य उत्पन्न करती है।

यह दो दृष्टियाँ हैं। एक समाज की समजस-व्यवस्था को अनालोड़ित रखने के उद्देश्य से सामाजिक मंगल के रास्ते चलकर प्राप्त की गयी है और दूसरी व्यक्ति-मानव के मनोवेगों का निरीक्षण करके उपलब्ध की गयी है। किसी की भृत्या अस्तीकार नहीं की जा सकती। अस्तीकार करने के लिए अधिक-से-अधिक धीर विवेचना और मानविक संघर्ष की आवश्यकता है। भारतीय कवि ने अपने विश्वामों के अनुमार जगत् के समंजस विधान में सन्देह करना उचित नहीं समझा। अपने लिए उसने आत्मनिर्मित अनेक बन्धन स्वीकार कर लिये। इन बन्धनों के भीतर उसने जो रममूर्छित की, उसे अपने देश और कानून संस्कारों के चश्मे से देखने से हम उसका सौन्दर्य नहीं उपलब्ध कर सकेंगे।

समूचे भारतीय काव्य में—नितान्त आधुनिक बाल को छोड़कर—कवि ने अपने को सदा नितिप्त द्रष्टा बनाये रखा है। वह चीज जिसे वैयक्तिक स्वाधीनता कहते हैं, जिसमें कवि हर द्रष्टव्य को अपने अनुराग-विराग में डुबोकर देखता है, आधुनिक युग के मंथरं की उपज है। यह बात इस देश में नयी है। भारतीय कवि को समझना हो तो भारतीय संस्कारों को समझ लेना चाहिए, नहीं तो गलती हो सकती है। प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान थी ए. बी. कीय ने भारतीय नाटकों की आलोचना के सिलसिले में एक जगह लिखा है, “मानवजीवन के गम्भीरतर प्रश्नों के लिए कालिदास ने हमारे लिए कोई सन्नेश नहीं रख छोड़ा है और जहाँ तक हम देख सकते हैं ऐसे गम्भीरतर प्रश्नों ने उनके भी मस्तिष्क में कोई सवाल नहीं पैदा किया। ऐसा जान पड़ता है कि गुप्त-सम्राटों ने जिस ब्राह्मण-धर्मानुमोदित समाज-व्यवस्था की स्थापना की थी, उसमें वे (कालिदास) पूर्णतया सन्तुष्ट थे और विश्व की समस्याओं ने कभी उन्हें उद्विग्न नहीं किया। ‘शकुन्तला’ नाटक यद्यपि मोहक और उत्कृष्ट है तथापि वह एक ऐसी संकीर्ण दुनिया में चलता-फिरता है जो वास्तविक जीवन की कूरताओं से बहुत दूर है। वह न तो जीवन की समस्याओं का उत्तर देने का प्रयत्न करता है और न उसका समाधान ही खोज निकालने की चेष्टा करता है। यह सत्य है कि भवभूति ने दो कर्त्तव्यों के विरोध के अस्तित्व की जटिलता और कठिनता के भाव दिखाये हैं और उस विरोध से उत्पन्न दुख को भी दिखाया है, पर उनके भान्यों से भी इसी नियम का प्रावल्य दिखायी देता है कि सब कुछ का अन्त सामंजस्य में ही होना चाहिए। ब्राह्मण-धर्मानुमोदित जीवन-सम्बन्धी सिद्धान्तों ने नाटकीय दृष्टिकोण में कितनी संकीर्णता ला दी है, इस बात को संस्कृत नाटकों का समूचा इतिहास प्रमाणित करता है। यही नहीं, ब्राह्मण-धर्मानुमोदित परम्परा को स्वीकार करने के कारण ही ‘चण्ड कौशिक’ जैसे नाटक लिखे जा सके हैं जहाँ एक अभागे राजा की दानशीलता से उत्पन्न ऋषि विश्वामित्र की विक्षिप्तजनोचित प्रतिहिंसा से तर्क और मनुष्यता के प्रति वेहद विद्रोहाचरण हुआ है।”<sup>1</sup>

1. ए. बी. कीय, ‘संस्कृत ड्रामा’, भावसङ्कोष, 1124, पृष्ठ 280

यह उद्धरण किसी उत्साही ईसाई धर्मप्रचारक की पुस्तक से नहीं लिया है। श्री कीथ विचारशील पण्डित हैं, भावावेग से वे चलित नहीं होते। कई बार उन्हें भारतीय सभ्यता के उत्साहपरायण विरोधियों से लोहा लेना पड़ा है। उन्हें यूरोपीय पण्डितों के चित्त से अनेक धारणाओं वाले दूर करने का श्रेय प्राप्त है। इसलिए यह उद्धरण यों ही टाल देने लायक नहीं है। इसमें जिन बातों को छोटा दिखा ने का प्रयत्न किया गया है, उसे छोटा दिखाने के लिए बृहत्तर नैतिक पटभूमिका पर रखना उचित था। यदि उस बृहत्तर पटभूमि पर कालिदास या वाल्मीकि सचमुच छोटे दिखें तो छोटे ही हैं, पर इस प्रसंग में लेखक ने अपने संस्कारों के चरमे से देखने की गलती की है। यह नहीं कहा जा सकता कि इन्होंने जो बातें वही हैं वे गलत हैं। गलत है उनको दृष्टिभंगी। मचाई गलत ढंग से देखी जाने पर अवहेलनीय हो जाती है। जो मनुष्य मानता है कि यह भूम्सार क्षणभंगुर है, इस परिवर्त्तमान क्षणभंगुरता के बाहु आवरण के भीतर एक चिरन्तन सत्ता है जो सब सत्यों का सत्य है, और जिसे आश्रय करके ही बाहु जगत् की सत्ता प्रतिभात हो रही है, वह जीवन के गम्भीरतर प्रश्नों की बात मानता ही कहाँ है कि उसका उत्तर देता किरे? उसके मन से तो जीवन के गम्भीरतर प्रश्नों का समाधान हो गया रहता है। बाकी प्रश्न के बल ऊपरी और अमज्ज्य हैं। जिसे जीवन कहा जाता है, वह भारतीय कवि की दृष्टि से कर्मव्यवहार के भोग के लिए एक क्षणिक पड़ाव है। मनुष्य का शाश्वत निवास यह कर्म प्रपञ्चमूलक जगत् नहीं है। धन और योवन की समस्याएँ जीवन के गम्भीरतर प्रश्न तो ही ही नहीं, उनका मूल्य स्वप्न में देखे हुए सुखस्वप्न के समान नितान्त क्षणभंगुर है। मनोविनोद के लिए इस चिन्ता को थोड़ी देर के लिए मान लिया जा सकता है, पर सम्पूर्ण भारतीय साहित्य इसे इतने से अधिक महत्व नहीं देता। वास्तविक और गहन प्रश्न है इस लोक से बाहर का। भारतवर्ष का कवि उस पर ही दृष्टि जमाता है। जो लोग इसी में उलझे हुए हैं, उन्हें देखकर उसे आश्चर्य होता है। भला,

चला विभूतिः क्षणभंग योवनं

कृतान्तदन्तान्तरवति जीवतम्

तथाप्यवज्ञा परलोकसाधने

नृणां न कि विस्मयकारि चेष्टितम्।

वस्तुतः यदि कोई सचमुच भारतीय साहित्य का रस	चाहे तो
उसे भारतवर्ष के इन चिरमंचित	का अध्ययन अव
जब हम देश और काल के इन	ठीक-ठीक सम
शाधार पर रचित साहित्य के अ	परिचय पा
जैसे विद्वान् को भी जब हम विच	तो लगता
प्रमल की आवश्यकता है। एक	द आप
को उमी प्रकार भार	ो चना
समझना हूँ,	की ह

"श्रीक साहित्य के थेप्ट नाटकाकार भी मायाजन्य भ्रमभूलक वाती को ही जीवन का गम्भीरतर प्रसन्न ममभूते रहे। इम निरन्तरपत्तिर्तमान जगत् के भीतर भी एक जास्तन गता है, एक चिन्मय 'गत' है जो प्रकृति के भागमान विकारों से एकदम निलिप्त है, यह महज-नीयात पर्याप्ति उनके मन्त्रिष्ठ में प्राप्ती ही नहीं। दुर्जोन पी पीरायिक बलगायों के प्राप्तार पर जो नाटक लिंगे गये वे कभी भी जीवन के वास्तविक गम्भीरपं तक पहुँचे ही नहीं। वे और उन्हीं के आदर्श पर लिखे गए उत्तरकामीन घण्टेजी नाटक, एक ऐसे उद्देश्यहीन मायाजाल में उलझे हुए छटपटाने रहे, जहाँ पर पदन्धन पर परम्पर-विद्वानों ने मर्त्यव्यद्वन्द्व उन्हें गताते रहे और अन्त तक वे किंगी मायाजन्यभूलक जागतिक व्यवस्था का पता न सगा सके। श्रीक विभारथारा ने नाटकीय दृष्टि को कितना विशृंखल बना दिया है, इम वात को यूरोपीय नाटकों का ममूचा इतिहास वटे स्पष्ट हा मे दिया देता है।" उत्त्यादि-उन्यादि।

कहना बेकार है कि इम प्रकार भालोचना से हम श्रीक माहित्य के सौन्दर्य को तो देंगे और किर कोई भी यह नहीं कह सकेगा कि हम अपने विश्वासों के प्रति पूर्ण ईमानदार नहीं हैं। सचाई भी गलत ढंग से प्रकट करने पर भूल हो जाती है।

जीवन के गम्भीरतर ममभूते जाने वाले प्रश्नों का साहित्य मे ममाधान खोजना आवृत्तिक प्रवृत्ति है, अत्यन्त हानि में जड़ विज्ञान की उन्नति के गाय-माय मनुष्य की दुनिया द्योटी हो गई है। यन्त्रों के आविष्कार ने जहाँ जीवन की ऊपरी आवश्यकताओं की पूर्ति के निए प्रचुर उत्पादन की व्यवस्था की है, वहाँ वितरण और उत्पोषण की उत्तीर्णी ही अच्छी व्यवस्था नहीं हो सकी है; क्योंकि उत्पादन के साधन कुछ योड़े-मे नोंगों के हाथों में चले गए हैं। उनके हथियाने मे जिस बोद्धिक कीशल की आवश्यकता है, वह मनुष्य अनायास ही उचित अवसर मिलने पर पा जाता है। परन्तु उमसे उत्पादित सामग्री को सब तक पहुँचाकर, सबके साथ मिलकर भोगने में जो मानसिक औदार्य और बोद्धिक निलिप्तता आवश्यक है, वह उत्तीर्णी आसानी से नहीं मिलती। पहली मनोवृत्ति द्यीन-भक्तिकर अपना स्वार्थ साधन करने के कीशल को प्रथम देती है, इसे मनुष्यों ने अपने पूर्वज पशुओं से विरासत के हृष मे पाया है। दूसरी मनोवृत्ति में आत्मत्याग, परदुर-संवेदना और मनुष्य की चरम एकता के भाव हैं, जो संस्कार और साधना की अपेक्षा रखते हैं। पहली मनोवृत्ति ने शोषको का दल पैदा कर दिया है, परन्तु दूसरी मनोवृत्ति अब भी अत्यन्त शिशु हृष में है। इस नयी अवस्था ने संसार के सामने सैकड़ों समस्याएँ उत्पन्न कर दी हैं। धिनोंने युद्ध और भयकर अकाल अब प्रकृति के कोप से नहीं होते, मनुष्य की दुर्लिलत वासनाओं के कारण हो रहे हैं। जीवन एक तिरे से दूसरे सिरे तक इस प्रकार भक्तिकर दिया गया है कि पुराने मचित संस्कार बुरी तरह झड़ गये हैं और एक-दूसरे से उलझ गये हैं। मनुष्य ने इतने दिनों तक जीवन के विभिन्न पहलुओं का जो मूल्य आँका था वह अधिकाश भहराकर चकनाचूर हो गया है। बहुत-कुछ टूट रहा है, बहुत-कुछ ढह रहा है। मनुष्य सर्वत्र इन समस्याओं

का समाधान खोजता है। वह विज्ञान से इसका हाल पूछता है, इतिहास से इसका रास्ता पूछता है और साहित्य से इसके समाधान की आशा रखता है। जीवन जटिल हो गया है। जहाँ विज्ञान ने ज्यादा पैर जमाया है, जहाँ व्यवसायमूलक कान्ति हुई है, अर्थात् जहाँ अवसर देताकर एक दल ने उत्पादन के साधनों को हथिया लिया है, वही समस्याएँ सहस्रभूती हो गयी हैं। उन्होंने नाटक को ग्रस्त लिया है, बाब्य को ग्रस्त लिया है और साहित्य को समझने की दृष्टि को भी ग्रस्त लिया है। पुराने भारतीय कवि की अपनी सीमाएँ हैं, श्रीक कवि की भी अपनी सीमाएँ हैं। उन सीमाओं के भीतर उन्होंने कैसी रूप और रस की सृष्टि की है, यही विचार्य है। आधुनिक समस्याओं का समाधान उनमें नहीं मिलेगा ऐसा तो नहीं है, परन्तु उत्तर सामान्य और व्यापक ढंग का होगा, विशिष्ट या शंकुभूत नहीं, क्योंकि जीवन की सभी समस्याएँ सामयिक ही नहीं हैं, कुछ दीर्घ स्थायी भी हैं। पुराने लोगों ने भी कुछ का सामना किया था। उनके सभी अनुभव वासी नहीं हो गये हैं। प्रसिद्ध तन्त्रशास्त्रज्ञ सर जान बुडरफ ने एक बार बड़े अफसोस के साथ कहा था कि “साधारणतः यूरोपीय प्राच्यविद्याविशारदगण और उनके बीच मारतीय शिष्य जो उनकी ही अंगुली पकड़कर चला करते हैं, कुछ ऐसे अवहेलामूलक विचारों का पोषण करते हैं कि भारतीय शास्त्र के बल ऐतिहासिक कुतूहल के विषय हैं। यही कारण है कि बीच इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर पाते कि प्राचीन पूर्वोंय ज्ञान और आधुनिक आविष्कारों में भी आश्चर्यजनक साम्य मिलता है।”<sup>1</sup>

इस प्रकार की सदोष दृष्टि का परिमार्जन बांधनीय है।

इस प्रकार की दृष्टि लेकर भारतीय साहित्य को देखनेवालों ने अनजान में इस देश में एक प्रकार की प्रतिक्रिया उत्पन्न कर दी है। इस प्रतिक्रिया के कारण इस देश में उन ग्रन्थन्त उत्साहप्रायण समालोचकों का आविभवित हुआ है जो सब समस्याओं का समाधान एक ही कसोटी पर कसके करने से रहे हैं: ‘हमारे यहाँ’ ऐसा माना है, या ‘हमारे यहाँ’ ऐसा नहीं माना है, ‘हमारे यहाँ’ उनका अमोर्ध्वासन है जिससे किसी बीच घराणायी बनाया जा सकता है। ‘पाश्चात्य विचार का प्रभाव’ उनका ऐसा बहुधा विषोपित निन्दा वाक्य है कि जिस किसी विचार को परास्त करने के लिए यह एक वाक्यांश बहुत काफी समझा जा सकता है। साधारणतः उपतिथदों के कुछ मन्त्र या ‘काव्यप्रकाश’ या ‘साहित्य दर्पण’ के कुछ श्लोक पढ़ कर ये लोग काव्यगत सौन्दर्य के उत्कर्ष या अपकर्य का निर्णय किया करते हैं और उसके बाहर के किसी भी विचार को ‘पाश्चात्य’ कहकर निश्चिन्त हो जाते हैं। यह प्राय ही भुला दिया जाता है कि ‘हमारे यहाँ’ कोई छोटा-मोटा ज्ञान-रत्नाकर नहीं है। किसी एक ही विचार को भारतीय विचार कह देना न केवल अपनी अल्पज्ञता का प्रदर्शन करना है, बल्कि अपने देश की विशाल ज्ञान-परम्परा का अपमान करना भी है। न जाने इस ‘हमारे यहाँ’ नामक समुद्र में कितने ज्ञान के रत्न और सकारों

के नक्क-मकर भरे पड़े हैं। इसमें आत्मवादी हैं, अनात्मवादी हैं, वैराग्यमार्गी हैं, भोगमार्गी हैं, द्वैतवादी हैं, अद्वैतवादी हैं, शून्यविश्वासी हैं, नियतिविश्वासी हैं। नाना मतमतान्तरों के इस विशाल भण्डार से ज्ञान के एकाध टुकड़े चुनकर उसी को सम्पूर्ण मनीषा की एकमात्र उपज मान लेना क्या उचित है? हमारे देश का इतिहास हजारों वर्षों की निरन्तर प्रवहमान विचारधारा से समृद्ध है। हमारे पूर्वजों ने अपने सुदीघं इतिहास में न जाने कितनी सामयिक परिस्थितियों से युद्ध किया है, कितने विकट प्रश्नों का समाधान खोजा है, वे परिस्थितियाँ समाप्त हो गयी, उन विकट प्रश्नों को उपस्थित करनेवाले घटनाचक्र महाकाल के रथचक्र के नीचे पिस गये, इतिहास के अनवरुद्ध धारा के बेग में उन प्रश्नों के सोचे समाधान भी समाप्त हो गये, केवल किनारों पर छिटककर छूट गये कुछ ग्रन्थ, कुछ शिलालेख और कुछ अनुभव जो हमारे पास रह गये हैं। भारतीय विचारधारा इन सबसे बड़ी वस्तु है। हमारा ज्ञान-भण्डार केवल संयोगवश प्राप्त कुछ छिटके-फुटके ताल-पत्रों और प्रस्तरखण्डों की लिपियों तक ही सीमावद्ध नहीं है। और कुछ थोड़े-से श्लोकों में उसे बांधने का प्रयत्न तो एकदम हास्यास्पद है। ऐसा करने से हम वृहत्तर मानवी दृष्टि की प्रतिष्ठा में बाधा खड़ी करते हैं। हमारे देश के मनुष्य भी वृहत्तर मानवसमाज के अंग हैं। हमारे पास जो कुछ भी साहित्य वच रहा है, वह यद्यपि अत्यन्त कम है तो भी विशालता में और गम्भीरता में वह संसार का सर्व-श्रेष्ठ साहित्य है। उसमें हजार प्रश्नों के हजार उत्तर हैं। उनकी निपुण भाव से परीक्षा करनेवालों ने देखा है कि भारतीय मनीषियों ने हर बात का मूल्य वृहत्तर नैतिक पटभूमिका पर रख कर ही किया है। काव्य का ही अगर प्रश्न लिया जाय तो हमारे देश के मनीषियों ने कभी भी उसे विश्वजनीन नैतिक पटभूमि से निम्न स्तर पर रखकर विचार नहीं किया। आप उनसे सहमत हों, या नहीं, यह अवश्य स्वीकार करेंगे कि शब्द और अर्थ के 'साहित्य' की चालता का विचार उन्होंने निम्नतर पटभूमि पर रखकर नहीं किया। और 'हमारे यहाँ' का आधुनिक ब्रह्मास्त्र तो उनके निकट एकदम अपरिचित था।

जहाँ तक केवल जीवन धारण करने का प्रश्न है, मनुष्य अपने प्रयोजनों से बंधा हुआ है। उसकी दुनिया प्रयोजनों की दुनिया है। परन्तु वह केवल जीवन धारण करने को, केवल किसी प्रकार वचे रहने को ही पर्याप्त नहीं समझता। वह अपने को नाना भाव से प्रयोजन के जगत् से वाहर भेजना चाहता है। वही उसका ऐश्वर्य है। पशु का जीवन केवल जीने के लिए है, उसमें प्रेम नहीं है, सौन्दर्य-प्रीति नहीं है, कुछ नयी बात गढ़ने की इच्छा नहीं है। ये बातें मनुष्यजीवन का ऐश्वर्य हैं, उसका प्रकाश हैं। जिस जीवन में प्रेम नहीं, भक्ति नहीं, सौन्दर्य नहीं वह जीवन पशु का जीवन है। मनुष्य उतने से सन्तुष्ट नहीं है। धी का लड्डू ढेड़ा भी भला होता है, उससे प्रयोजन तो सिद्ध हो ही जाता है पर मनुष्य उतने से ही सन्तुष्ट नहीं होता। उसे उस लड्डू को सुन्दर बनाने में रस मिलता है। प्रयोजन के अतीत पदार्थ का ही नाम सौन्दर्य है, प्रेम है, भक्ति है, मनुष्यना है। जहाँ स्वार्थ समाप्त

હોતા હૈ, મનુષ્યના પ્રારંભ હોની હૈ। જીવન મેં જઈ તક સ્વાયે વહીતરબહુ જાનમા કે ધોંપ મે રહ્યા હૈ, જહી ઉગેં ઊંચ જાના હૈ વહી એ 'પ્રેમ' એ જાણમે પાના હૈ। જીના હી કેવળ જીના ધોંપે હૈ!

કવિ ટાકુર ભોગ ગંગોગ સથે ગુગ જીજનું હૈ એ ન જીજનું હૈ।

મનભાવને પ્ર્યારે ગુપાન વિના જગ જીજનું હૈ એ ન જીજનું હૈ॥

ગઢ હૃમારે પ્રયોજનો ફો ભાગા હૈ। કાલ્ય હૃમારે પ્રોજનાતીત પ્રાનનું શ્રેરદુઃખ હૈ। ગમસ્યામસાધાન ગઢ કા કામ હૈ, જીવન એ ચરિતાંશ્ટ કાલ્ય કા ઘરભિન્નેત્ર હૈ। જય તક વહી કાલ્ય જીવન કા ધર્મ નહીં યન જાના તથ તક મનુષ્ય દીન હોતા હૈ, પ્રકાળહીન હોતા હૈ; પર કાલ્ય કા રંગ જવ ઉંમે મિલતા હૈ, જવ વહે કેવળ પ્રયોજનો બો દુનિયા સે ઊંચ ઉઠના હૈ તથ ઉંમે ઉમ વસ્તુ કા ધર્મનુષ્ય હોના હૈ જો 'મનુષ્યતા' હૈ જો ઉમકે દૂદિય કો સર્વેદનશીલ ઓર ઉડાર બનાતો હૈ। યહ મનુષ્ય જીવન કા એશવર્ય હૈ। જીવન કા યદી કાલ્ય નાના ભાગ સે ધર્મને કો પ્રકાશિત કરતા હૈ। કાલ્ય મે, વિલય મે, નૃત્ય મે, ગીત મે, ધર્મ મે, ભક્તિ મેં મનુષ્ય ઉસ અનાર ભૂમા કા રમ પાતા હૈ જો ઉંમે પ્રયોજનો ફો મંકીં દુનિયા સે ઉઠાકર દરમીં મે પ્રતિદિન કરતા હૈ। તમ્ભી વહે ઉપનિષદ કે શ્રદ્ધાની ભાગા મે કહ ઉઠતા હૈ—‘ભૂમેવ સુમં, નાલે ગુણમસ્તિ’।

મનુષ્ય કે સભી વિરાટ પ્રયત્નો કે મૂન્ન મેં દુદ્ધ વ્યક્તિગત યા સમૂહંગત વિશ્વાસ હોતેં હૈ, પરન્તુ જવ કે ઉસ સદ્ગુરુજન્ય પ્રયોજન કી સીમા કા ઘતિક્રમ કર જાતે હૈ તો ઉસમે મનુષ્ય કી વિરાટ એકતા ઓર પ્રભાર જિજીવિપા કા એશવર્ય પ્રકટ હોના હૈ। કિર વહે કિસો સમૂહ મે ધાયદ્દ ન હોકર મનુષ્યમાન્ય કો સમૃપત્તિ હો જાતા હૈ। તાજમહલ કુદ્ધ વ્યક્તિગત પ્રોત્િઓ ઓર કુદ્ધ સમૂહંગત સદ્ગુરીઓ કી દુનિયાદ પર ખાડા હુઅા હૈ, પરન્તુ વહે ઉસ સીમા કો ઘતિક્રમ કર ગયા હૈ। કોણાંકે કે મન્દિર કી જો લોગ કેવળ યહ કહુકર ઉપેદા કરતે હૈ કિ વહે સૂર્તિપૂજા કો પ્રશ્ય દેનેવાલી કલા હૈ તો કે સંસ્કૃતિ કે વહુત નિચલે સ્તર પર ભી નહીં પહુંચ સકે। કે ઉન વર્ષરો કે સ્તર સે વહુત કુપર નહીં ઉઠ સકે જિન્હોને કુદ્ધ દૂર કરને કે તિએ મન્દિરો ઓર સૂર્તિમાં કો ધ્વંસ કિયા થા ઓર પ્રતિહિમા સે સ્પદિત હોકર સુન્દર મદ્વારો મેં ભૂસા ભરવા દિયા થા। આજ કે પ્રજાતન્ય કે યુગ મેં તુલસીદાસ કો રાજતન્ય કા પ્રચારક કહુકર આસાની સે ફેંક દિયા જા સકતા હૈ। યે લોગ ભૂલ જાતે હૈને કિ જિતના હિસ્સા જલતા હૈ, વહે પ્રકાશ નહીં કહુલતા। પ્રકાશ ઉસમે અતિરિક્ત વસ્તુ હૈ। તાપ કેવળ પ્રયોજન હૈ, પ્રકાશ ઉસકા એશવર્ય હૈ, ઉસકા ઘતિરિક્ત દાન હૈ। તુલસીદાસ કા કાલ્ય ઉસ પ્રયોજન સે કહી અધિક પ્રકાશ દેતા હૈ, જિસકે તિએ વહે રચિત હુઅા થા। વહે રામનામ કા પ્રચારક હૈ, પર ઇતના હી ઉસકા પરિચય નહીં હૈ। વહે મનુષ્ય કે સુસન્દુઃખ કો, આણા-આકાંદા કો ઉસકે સમૂર્ણ એશવર્ય કે સાથ પ્રકટ કરતા હૈ। મનુષ્યજીવન મે જો કુદ્ધ થેણ્ઠ હૈ, જો કુદ્ધ મહત્તું હૈ, ઉસી કા વિજયોદ્ઘોષ કરતા હૈ, વહે ઉસ માનવીય મહિમા કા પ્રચારક હૈ જો ધર્મ કો કાનિ મે મનોહર હો ઉઠા હૈ, બીરતા કે તેજ સે દીપ્ત હુઅા હૈ ઓર

सतीत्व की श्री से समृद्ध हुआ है। वह मानवधर्म के जगद्दिवित महामान से पूरा उत्तरता है, इसीलिए वह महान् है। जब-जब और जहाँ-जहाँ वह मनुष्यपन का ऐश्वर्यं काव्य में, नाटक में, शिल्प में, चित्र में, मूर्ति में अपनी प्रयोजन की सीमा को छोड़कर प्रकाशरूप में प्रकट हुआ है, वही-वही वह पूजनीय हुआ है। उसी महिमा के बल पर महाकवियों की रचनाओं ने देवता को मनुष्य बनाया है। मूर्तिकारों की छेनी ने पत्थर में प्राणसचार किया है और नगराय दास्खण्ड को पूजाहं बनाया है।

आज यदि आप ससार की सारी समस्याओं का विश्लेषण करें तो इनके मूल में एक ही बात पायेगे—मनुष्य की तृष्णा। मह अद्भुत तृष्णा कही समाप्त होने का नाम नहीं लेती। मनुष्य में सर्वथ अभाव-ही-अभाव भर गया है। जीवन की वह परिपूर्णता कम हो गयी है जो मनुष्य को जात्क न बनाकर दाता बनाती है। आज उत्पादन बढ़ाने की धूम है, जीवन का स्तर ऊँचा उठाने का सकल्प मुखर है; परन्तु जीवन में वह उच्छुलित आनन्द केंसे आयेगा जो मनुष्य को संयत और सन्तुष्ट बना सके, इसकी चिन्ता किसी को नहीं है। मैं भौतिक समृद्धि के प्रयत्नों को छोटा बनाने के उद्देश्य से यह बात नहीं कह रहा हूँ। उत्पादन को बढ़ाना आवश्यक है, जीवन स्तर को ऊँचा उठाने का प्रयत्न भी आवश्यक है, पर इतने से समस्या का हल नहीं हो जाता। तृष्णा वह आग है जिसके पेट में जितना भी भोंक दीजिए सब भरप हो जाएग। उस वस्तु की खोज होनी चाहिए जो मनुष्य को छोटे प्रयोजनों में बाँधने के बदले उसे प्रयोजनातीत सत्य की ओर उन्मुख करे। साहित्य और संगीत यही काम करते हैं, कला और सौन्दर्य उसे इसी ओर ले जाते हैं। नितान्त उपरोगिता की दृष्टि से भी चिचार किया जाय तो मनुष्यसमाज की इतिहास के लिए—सम्पत्ता और सशुत्ति की रक्षा के लिए ही—यह आवश्यक हो गया है कि मनुष्य अपने उस महान् उन्नायक धर्म की उपेक्षा न करे जो उसे क्षुद्रता और संकीर्णता से ऊपर उठाते हैं। भौतिक समृद्धि के बढ़ाने का प्रयत्न हीना चाहिए, पर उसे सन्तुलित करने के लिए साहित्य और संगीत आदि का भी बहुत प्रचार बाधनीय है। सों प्रमोजनी की सीमा छोड़कर पशुसुलभ आहार-निद्रा के घरातल से ऊपर उठकर ही मनुष्य उस महिमा को पाता है, जो उसे देवता बनाते हैं। संक्षेप में इसी गुण को 'मनुष्यता' कहते हैं।

यह तो निश्चित है कि स्थूल जगत् को छोड़कर मनुष्य नहीं रह सकता और न अपने देश और काल के सीमाओं से अस्पृष्ट रहकर ही कोई शिल्पसूचि कर सकता है। काव्य भी स्थूल जगत् से विच्छिन्न होकर नहीं रह सकता; वयोंकि शब्द और अर्थ ही उसके शरीर हैं और अर्थ शब्दों द्वारा मूर्चित वाह्य सत्ता को प्रकट करते हैं। एक व्यक्ति के नित में उचित अर्थ को दूसरे के वित्त में प्रवेश करने के ही शब्द सार्थक होता है। भावावेग द्वारा कम्पित और आनंदोलित शब्दार्थ अपने सीमित अर्थ से अधिक को प्रकाशित करता है। शब्द के अभिव्येष अर्थ से कही अधिक को प्रकाशित बननेवाली शक्ति को प्राचीनों ने नाम नाम देकर

स्पष्ट करना चाहा है। सबसे अधिक प्रचलित और मान्य शब्द 'व्यंजना' है। अनुप्रास के साथ उसकी तुलना करके उसी भावावेगजन्य कम्पन की ओर इगारा किया गया है। छन्द उस आवेग का वाहन है। छन्दोहीन भाषा में कल्पना और सम्मूर्तेन तो हो सकता है, पर आवेग का कम्पन नहीं होता। प्राचीन कथाओं की गद्य समझी जानेवाली भाषा में भी एक प्रकार का 'छन्द' है—एक प्रकार की वक्र कम्पनशील नृत्यभूमिमा। वे कहानी की इस सीधी वात को कि 'एक धा राजा' इसने सरल ढग से नहीं कहेगे। कहेंगे—'धनदयं कन्दयं सोन्दर्यं सोदयं रूपो भूपो वभूव।' यह भाषा ही छन्दोमयी है; इसमें छन्द है, भंकार है, लोच है, वक्रता है जो अर्थ में आवेग भरने का प्रयत्न करते हैं। उपन्यास में यह आवेग कम होते हैं। वयोगिउनकी भाषा में गद्यात्मकता होती है, परन्तु जहाँ कही भी उसमें आवेग वा कम्पन आता है, वही प्रच्छन्न छन्द भी रहता है। मेरे कहने का यह मतलब नहीं समझना चाहिए कि आवेग-कम्पित भाषा न होने के कारण मैं उपन्यास को कम महत्वपूर्ण साहित्याग मानता हूँ। उपन्यास भी साहित्य के मुख्य उद्देश्य का उसी प्रकार पूरक है, जिस प्रकार काव्य। यहाँ पर मैं छन्द और प्राप्त की क्रिया तक ही अपने विचारों को केन्द्रित रख रहा हूँ। अनुप्रास भावावेग के वेग में नृत्य का छन्द जोड़ता है, जब एक ही ध्वनि बार-बार दुहरायी जाती है तो श्रोता आवेग की वक्र-भत्ता से सहज ही प्रभावित हो जाता है। यदि काव्य में से अर्थप्रकाशक शब्द हटा दिये जायें तो वह ध्वनि-प्रवाह संगीत बन जायगा। वस्तुतः अर्थहीन छन्दःप्रवाह संगीत ही है। संगीत में वाह्य जगत् की उस सत्ता से, जो शब्द द्वारा प्रकाशित होती है, कम-से-कम योग होता है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार गणित में उस आत्मसत्ता से, जो आवेगकम्पित स्वर से प्रकाशित होती है, कम-से-कम योग होता है। चेतना के एक प्रान्त पर संगीत है, दूसरे पर गणित। संगीत में जिसे स्वर वहते हैं वह एक प्रकार का वेग ही है। वाह्य अर्थों से युक्त होने पर वह आवेग के रूप में प्रकट होता है। परन्तु काव्य जिस प्रकार शब्द-प्रकाश अर्थ के द्वारा वाह्य विषय-सत्ता से बैंधा रहता है, उस प्रकार संगीत नहीं बैंधा रहता। वह अपने-आप ही स्पन्दित होता है। ताल उसमें उसी प्रकार की अनुभूति क्षमता भरता है जिस प्रकार छन्द आवेग में। काव्य द्वारा और संगीत द्वारा स्पन्दित मानवचित्त के आवेगों में थोड़ा अन्तर होता है। काव्य में आवेग द्वारा जो स्पन्दन उत्पन्न होता है वह वाह्य सत्ता से पूर्णतया सम्बद्ध होता है, हम वाह्य घटनाओं की अनुभूति से जालित होते रहते हैं। काव्य पाठक के सुख-दुःख का आवेग उत्पन्न करता है। मनुष्य दूसरों के सुख-दुःख से प्रभावित होता है, उनके साथ उसकी समवेदना होती है और यस तक उस सुख-दुःख की अनुभव करने लगता है। इस प्रकार काव्य मनुष्य-मनुष्य के भीतर वर्तमान एकत्र का प्रतिष्ठापक हो जाता है। काव्य प्रमाणित कर देता है कि व्यक्ति-मानव के ऊपरी विभेदों के नीचे एक अभेद है, एकता है।

कहते हैं, विभिन्न आवेगों में भिन्न-भिन्न जाति और आकृति के कम्पन

उत्पन्न होते हैं। सगीत से भी उसी प्रकार के कम्पन उत्पन्न होते हैं जिस प्रकार के कम्पन काव्य से उत्पन्न होते हैं, फिर भी संगीत से उत्पन्न कम्पनों का योग बाह्य सत्ता से कम होने के कारण श्रोता के चित्त में उतनी गाढ़ अनुभूति नहीं होती जितनी काव्यजनित आवेग के कम्पन से होती है। टोड़ी के आलाप से जो एक प्रकार की उदास और विरह-व्याकुल वेदना चित्त में धुमड़ आती है वह विश्वजनीन तो होती है, पर अविच्छिन्न या एक्सट्रैक्ट होने के कारण अनुभूति में वह सान्द्रता नहीं ले आ पाती जो काव्य के करुणरस से उत्पन्न होती है; क्योंकि संगीत की अनुभूति अहेतुक होती है। मनुष्य का चित्त सर्वत्र कार्य-कारण की शृखला खोजता रहता है—अनुभूति और वेदना के क्षेत्र में भी। काव्यजन्य अनुभूति की सान्द्रता इस बात का पक्का प्रमाण है कि मनुष्य आवेगचालित अवस्था में कार्य-कारण-शृखला के प्रति आस्था बनाये ही रहता है। जहाँ वह उसे नहीं पाता, वहाँ देर तक जमना नहीं चाहता। यही कारण है कि भक्त कवि भगवान् के साथ व्यक्तिगत सम्बन्ध की कल्पना कर लेता है। जिस काव्य में केवल शब्दालंकार ही भक्तार उत्पन्न करता है, अर्थ का भार कम होता है वह बहुत-कुछ उसी प्रकार का असान्द्र अनुभूतिजनक आवेग-कम्पन उत्पन्न करता है जो सगीत करता है, पर उसमें सगीत की अवाध गति भी नहीं होती और अर्थ-जगत् से सम्पूर्ण विच्छेद भी नहीं होता, क्योंकि उसके शब्द वरावर बाह्य सत्ता से श्रोता का सम्बन्ध जोड़ते रहते हैं और स्वर के स्वच्छन्द प्रवाह में बाधा उत्पन्न करते रहते हैं। अर्थभारहीन शब्दालंकार न तो काव्य की गाढ़ अनुभूति ही पैदा करते हैं न सगीत का प्रवाह ही। वे दोनों के केवल घटिया प्रभाव-भर उत्पन्न करते हैं। परन्तु जहाँ शब्दालंकार में अर्थ भार बना रहता है वहाँ वे काव्यगत प्रभाव में संगीत की सहज गति भर देते हैं। अर्थालंकार शब्द के प्राणप्रद और विशेषाधानहेतुक दोनों ही धर्मों में गाढ़ अनुभूति का रस ले आते हैं, हम उनकी सहायता से वक्तव्य के व्यक्तित्व को, गुणों को और क्रियाओं को गाढ़ भाव से अनुभव करते हैं। पदार्थ के विशेषाधानहेतुक धर्म—चाहे वे सिद्ध हो या साध्य—सादृश्यमूलक अलंकारों से इस प्रकार सम्मूर्च्छित होते हैं कि पाठक के चित्त में अनुभूति सहज हो जाती है। वस्तुतः अर्थालंकार जब आवेग-सहचर होकर आते हैं तो काव्य में अत्यधिक उर्जस्वल तेज भर देते हैं, पर जब आवेगहीन होकर आते हैं तो चमत्कारी उक्ति-भर रह जाते हैं। वे उस अवस्था में विजली की कौंध के समान एक क्षणिक ज्योति विकीर्ण करके अन्तर्धान हो जाते हैं। यह क्षणिक ज्योति हमारे किसी वड़े काम के काम की नहीं होती, केवल अन्तर की चेतना पर मृदुल आधात करके विलीन हो जाती है। विहारी की अज्ञातयीवना नायिका ने जब अपनी दासी को ईख की दैत्यग्रन ले आने के अपराध पर भिड़का था तो उसकी सरलता ने ऐसी ही एक क्षणिक ज्योति उत्पन्न की थी। अधर के माघुर्य से दैत्यग्रन कही भी भीठी होकर ऊँचानी नहीं लगने लगती। इसीलिए इस दोहे में मृदुकम्पन उत्पन्न करने की शक्ति होते हुए भी वह उतना अनुभूतिप्रेरक नहीं हो पाया, क्योंकि इस कम्पन का हेतु बाह्य सत्ता से असम्पूर्क होने के कारण

स्थायी नहीं होता और न अनुभूति को गाढ़ रंग ही देता है। दोहा इस प्रकार हैः

अधर परसि मीठी भई, दई हाथ सो डारि।

लावति दतुअनि ऊब की, नौदी खिजमतिगारि॥

लेकिन प्रश्न यही समाप्त नहीं हो जाता। यह कविता भी एक श्रेणी के लोगों को आनन्द देती ही है, इसीलिए इसे उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता।

अधर का माधुर्य एक श्रेणी की चीज़ है और चीनी का माधुर्य दूसरे श्रेणी की। चीनी के संस्पर्श से कोई वस्तु मीठी हो जाती है, पर अधर के संस्पर्श से नहीं होती। होती भी हो तो उस व्यक्ति के लिए तो नहीं ही होती जिसके अधर मे यह अद्भुत माधुर्य दिन-रात निवास करता है। किसी और के लिए उक्त अधर से स्पृष्ट वस्तु अमृत से भी मीठी हो जाती हो तो मैं आपत्ति नहीं कहूँगा। कविता की चर्चा करते समय मुझसे इतना ठूँठ होने वी आशा आप नहीं कर सकते। पर मेरी आपत्ति उसी व्यक्ति की देतुअनि के मीठी लगने पर है जो स्वयं उस माधुर्य का धनी है। इस प्रकार के चामत्कारिक उक्तियों के मूल में 'माधुर्य'-जैसे लाक्षणिक शब्द है। उदूँ का साहित्य इस प्रकार की उक्तियों का समुद्र ही है। सभी देशों में और सभी जातियों में ऐसे शब्द प्रचलित हैं जो अपने मूल अर्थ से खिसकवार भी उससे मिलते-जुलते अर्थों में प्रयुक्त होते हैं। शब्दों में और अर्थों में सकारात्मकित रुढ़ि पैदा होती है जो उस देश और उस जाति के साहित्य के समझने के लिए अवश्य ज्ञातव्य होते हैं। उन रुढ़ियों को जाने विना आप किसी साहित्य का रस नहीं ले सकते। रुढ़ि नितान्त निरथंक नहीं होती, केवल कालप्रवाह में लुढ़कते आने के कारण उसके मूल अर्थं घिसकरं अदृश्य हो गये रहते हैं। इन रुढ़ियों से शब्दों को, अर्थों को और आचारों को एक ऐसा मूल्य मिलता है जो लोककल्पित और अवास्तव होता है। 31 बार तोप दगने के बाजाय मदि राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के अवसर पर 30 बार या 29 बार दगता तो बुध बन या विगड़ नहीं जाता। परन्तु किन्हीं अज्ञात कारणों ने 31 की संख्या को एक कल्पित मूल्य दे रखा है कि जो लोकचित्त में आवेग का कम्पन पैदा करता है। अधर-संस्पर्श से देतुअन का मीठी हो जाना इसी प्रकार का कल्पित और अवास्तव मर्य है, पर वह भी एक ध्रेणी के सहदय के चित्त में आवेग का कम्पन उत्पन्न करता ही है। एक और सरस उदाहरण लिया जायः

अति चाह भरी जमुना-जल को बरजे पर हू नित ऐबी करे।

सखि को मुष तात मुनै न कालू अपनी कहि बै मुसुकैबी करे।

दुति दूनी वदाय 'गुलाब' जबे गुह लोगन तै न रुकैबी करे।

नव नामरि हृष उजागरि सो भरी गागरी वयो ढरकैबी करे।

इम पद्य में गागरी ढरकाने को जो चर्चा है, उसका कारण यह है कि अज्ञात-योवना इम वालिका की अस्त्रों हानि हो में मद्यनी-जैसी हो गयी हैं और विचारी बो भारीरिक परिवर्तन का एकदम पता नहीं है। जव-जव वह भरी गागरी देती है तथ-नव इन कम्पत ध्रीगो भी छाया पानी में पड़ जाती है और उसे ध्रम होता है

कियाती में मध्यती आ गयी है और दरकादेती है। हर बार ही ऐमा होता है। कहना व्यर्थ है कि इस भ्रय में हड़ि ढारा ही चमत्कार आया है। इस हड़ि को सभके दिना रखवोध नहीं हो सकता कि युवावस्था आने के मम्य किशोरियों की ओरतों में भृत्यवर्मिता आ जाती है।

व्यर्थ की वक्तिमता को प्रकट करनेवाली सूक्तियाँ मनुष्य के चित्त में गुदगुदी जहर उत्पन्न करती हैं, साहित्य में उनकी आवश्यकता भी होती है। इन सूक्तियों के सहारे कोमलीकृत चित्त में दक्षि सहज ही भावों को प्रवेश करा देता है। धृहस्तर मानवजीवन की यात्रा भाव में उपलब्ध कराने में सूक्तियाँ महायक होती हैं, परन्तु उससे विच्छिन्न होने पर उनकी उपयोगिता कम हो जाती है। नाटक, काव्य और उपन्यास में ये बहुत उपयोगी होती हैं क्योंकि इनके दिना पाठक का चित्त भाव को शृणु करने में तत्परता नहीं दिखाता। श्रीहर्षदेव की 'रत्नावली' में एक श्लोक है जिसमें कहा गया है कि वसन्त पहले लोगों के चित्त को कोमल बनाता है और उस कोमलीभूत चित्त में प्रेम का देवता आसानी से अपने फूल के बाणों को चुभो देता है:

इह पदमं महुमासो जनहस्त चित्तादेऽकृष्णम् मित्तलाइः ।

पञ्चद्विंशितम् वामो लद्वप्ससरेहि वाणोहि ॥

भावों की सहायता के लिए सूक्तियाँ भी बहुत-कुछ वही बास करती हैं जो वसन्त प्रेम के देवता की सहायता के लिए करता है। द्यन्द इन सूक्तियों में गति देते हैं और श्रलंकार शोभासंचार करते हैं। पर सूक्तियाँ मनुष्य के मनोभावों में सहायक होकर ही सरस होती हैं।

केवल अतिमात्र आ जाने से वह उद्देश्य सिद्ध नहीं होता जो काव्य का प्रधान उद्देश्य है। गति तो जड़ पिण्डों में भी होती है। यह धरित्री-खण्ड न जाने कब से गतिशील है लेकिन जड़ता उसकी गति में बाध्य पहुँचाती है। जड़ पिण्ड धूम-फिरकर एक ही स्थान पर आ जाता है, चेतन अरगे निकल जाता है। वस्तुलाकार मार्ग गति में संचारित जड़पर्म-जन्म बाधा का परिणाम है, यह पद-पद पर बाधा पहुँचाता है और जड़ पिण्ड चबकरदार भार्म में धूमने को बाध्य होता है। गति के साथ अरगे बढ़ना भी आवश्यक है। इसी की 'प्रगति' कहते हैं। यह चेतन की अपनी विषेषता है। जब तक काव्यगत सूक्तियों में यह चेतनधर्म नहीं सञ्चारित होता तब तक छन्द उनमें गति का देग भर दे सकते हैं, प्रगति का उत्साह नहीं सञ्चारित कर सकते। जो कवित्व मनुष्य को धूम-फिराकर जहाँ-का-नहाँ छोड़ देता है उसमें गति तो ही लेकिन प्राण नहीं है। कुछ प्राण भी चाहिए। केवल कहना तो कहना नहीं है, कहने की चरितार्थता इस बात में है कि मनुष्य को आत्मधर्म के प्रति संचेतन बनाये। जिस कहने से कहनेवाले की वेदना प्रत्यक्ष न हो जाय, शोता का हृदय सहानुभूति से पूर्ण न हो जाय, उसमें स्वाद फ्या है भला!

कवि बोधा कहे में सवाद कहा, को हमारी वही पुनि मानतु है।

हर्म पूरी लगी कि अघूरी लगी, यह जीव हमारोह जानतु है।

जब कभी मुझे धन्द की, भक्तार की और संगीत की इस प्रकार चर्चा कर पढ़ती है तभी हृदय के अन्तस्थल से यह ध्वनि निकलती रहती है—ततः किम् धन्द की, भक्तार की या संगीत की महिमा क्या वृहत्तर जीवन में भी कुछ सन्तुल पैदा करती है या वे केवल शब्द और श्रव्य के सम्बन्धों को लेकर बौद्धिक क्षर करनेवाले कलावाजों के आरोपित अवास्तव भूल्य के बल पर ही इतने बड़े गौर का मुकुट धारण किये हुए हैं? यह प्रश्न अनुचित नहीं है; क्योंकि जिससे जीवन कुछ ऊपर उठने की शक्ति न मिलती हो, नीचे की ओर गिरने से बचाव न होता। वह वस्तु बहुत काम की नहीं हो सकती। जिससे हमारे बन्धन शिथिल हों, पद्म पर का विनिपात दूर होता हो वही काम की चीज़ है, नहीं तो वड़ा नाम देने से कोई चीज़ वड़ी नहीं हो जाती और हो भी जाय तो उससे विशेष नाम नहीं सकता—ये नाहं नामृतास्यां किमहं तेन कुर्याम्?

वस्तुतः मनुष्य के व्यक्ति-चित्त को आवेग-कम्पित करनेवाला धन्द व्यर्ति विशेष की पृथक्-भूता शक्ति का परिचायक नहीं है। मैंने शूरू में ही कहा है कि वे एक समूहगत शक्ति हैं। एक चित्त के अनुभव को अनेक चित्तों में अनायास संचारि करनेवाला भवान् साधन है। ऐसा वह इसीलिए कर सकता है कि वह वृहत्तर जग की किसी ऐसी ही शक्ति का वागाथित मानवीय प्रतिनिधि है। जब वह मनुष्य वाक्य को आश्रय करके प्रकट होता है तो उस वाक्य के पीछे रहनेवाले प्रथम प्रयोजन की गुरुता से मुक्त करके भावलोक में ले जाता है। जब वह मनुष्य की देख को आश्रय करके प्रकट होता है तो इस देह में भी असाधारण ऐश्वर्य भर देता है, उसमय हम उसे नृत्य कहते हैं। धन्द भारसाम्य की रक्षा करता है, सन्तुलन नां विगड़ने देता और नितान्त गद्यात्मक प्रयोजनों के भारीपन से भाव को मुक्त करता है। मनुष्य के समाज को आश्रय करने पर यही धन्द धर्म के रूप में प्रकृत होता और सामाजिक सन्तुलन की रक्षा करता हुआ, आचार-परम्परा में गद्यात्मक ऐश्वर्य संचारित करता है। जिस समाज में धन्द नहीं, उसमें सन्तुलन भी नहीं और उसमें अध्यात्मभावना का अभाव हो जाता है। समूची सृष्टि में ही एक प्रका॑ की छन्दोमयी गति है। वाक्य का धन्द उस वृहत्तर सत्य के अनुस्पृह होने से महान् है, वह कलावाजों द्वारा आरोपित काल्पनिक मुकुट पहनकर वड़ा नहीं है।

इस प्रमाण में मुझे कविवर रवीन्द्रनाथ की एक कविता का स्मरण होता है आदिविवि को जब प्रथम बार धन्द का माधात्कार हुआ तो उन्हें इस बात की बड़ी चिन्ता हुई कि किस प्रकार इस धन्द का—इस भवान् साधन का—ऐसा उपयोगिता जाय कि मनुष्य प्रयोजन के गुरुभार से बचकर थोड़ा ऊपर उठ सके, व पृथ्वी पर रहनार भी स्वर्ण का देवता बन सके। मनुष्य में जो क्षुद्र स्वार्थ है संकीर्णताएँ हैं, प्रयोजन का बन्धन है, वे सब उसे नीचे की ओर रोकते हैं। कुछ ऐसा होना चाहिए जो उसे भाव के स्वाधीन नोक में ले जा सके। आदिविवि जब इस प्रकार घेचन पूर्म रहे थे, उमों समय नारद को अह्मा ने उनके पास भेजा। नार-

और वाल्मीकि के इस मिलन में जो बातें हुईं, वह काव्य के चिरन्तन सत्य को प्रकट करती हैं। मुझे खेद है कि कविवर रवीन्द्रनाथ की पूरी कविता इस समय नहीं सुना सकूँगा, पर उसके एक श्रंश का स्वलित भागान्तर में अवश्य सुनाना चाहता हूँ। उससे मेरा वक्तव्य अधिक स्पष्ट हो जायेगा। वाल्मीकि ने नारद से कहा :

“हाय, भाषा मनुज की है वंधि केवल अर्थ के दृढ़वन्ध से, चक्कर लगाती है सदैव मनुष्य को ही धेरकर। अविराम ओम्लि मानवीय प्रयोजनों से कीण हो आया गिरा का प्राण है, उसके परिस्फुट तत्त्व देते वंध सीमा में चरण को भाव के। इस धूलितल को छोड़ विल्कुल ही न उड़ सकती नवल संगीत सम उन अर्ध-वन्धनहीन अपने सप्तस्वर के सप्तपंखों को अवाघ पसार विपुल व्योम मे निर्दन्ध अपराधीन !

“प्रातःकाल की यह शुभ्र भाषा वाक्य वन्धन-रहित जो प्रत्यक्ष किरणें है कि वे क्षण मात्र में ही खोल देती है इस जगत् के मर्म मन्दिरद्वार को, होता प्रकट वैलोक्य के नवगीत का भाण्डार और विभावरी आच्छन्न कर देती पलक गिरते अपार अनन्त जग को शान्ति की निज ललित भाषा से; कि उसका बाध्यहीन निषेध अपने मन्वबल से शान्त कर देता जगत् के खेद, दारुण बलान्ति, कठिन प्रयास, क्षण में भेद जग के मर्म कोलाहलजनित काठिन्य को, लाता विपुल आभास शामक मरण का नरलोक मे। नक्षत्र की निश्चल गिरा निर्घूम अग्नि समान देती है स्वयं की सूचना ज्योतिष्क सूचीपत्र पर आकाश में; दक्षिण समीरण की गिरा केवल तनिक निःश्वास के लल पर जगाती है नवल आशा निकुंज-निकुंज में, है पैठ जाती भेद दुर्गं दुर्गं पल्लवराज की दुस्तर अरण्यान्तः पुरी मे अनायास अवाघ, यौवन की विजयगाथा वहन करती मुद्र दिग्नंत तक;—वैसा सहज आलोक दुर्लभ है मनुज के वाक्य मे, इसमें कहाँ आभास सीमाहीन मिलता है, कहाँ वह अर्थभेदी अन्नभेदी गीत का उल्लास, मिलता कहाँ आत्मविदीर्णकारी तरलता उच्छ्वास ?

“मानव-वाक्य की इस जीर्ण काया बीच मेरा द्वन्द्व भर दे एक नूतन प्राण, उसको अर्थवन्धन से छुड़ा ले जाय ऊपर भाव के स्वाधीन मोहक लोभ में दृढ़ पक्ष-धारी अश्वराज समान द्रुत उद्भाम शोभन वेग से—यह है हृदय की साध ! मुनि, जिस तरह है यह अग्नि की उद्दीप्त नीका नित्य अपनी गोद में ले सूर्यमण्डल को उतार रही नियत इस पार से उस पार विपुल व्योमसागर बीच, मेरा द्वन्द्व भी उस अनल-नीका सदृश ढोये विमल महिमा मनुज की दिक्प्रान्त से दिक्प्रान्त तक। मैं दान करना चाहता हूँ बद्ध मानव-वाक्य को यह दीप्त गतिमय द्वन्द—ऐसा हो कि यह उन्मुक्त होकर संचरण कर सके जग की थुद्र सीमाराशि लेवे खीच इस गुरुभार पृथ्वी को गगन की ओर, ले किर खीच वन्धन-जड़ित भाषा को मनोहर भावरस की ओर जो है देवपीठस्थली मानवजाति की। जिस भौति वर्धा है महाम्बुधि ने धरित्री को समावृत कर निरन्तर गान, अविरत नृत्य से; यह द्वन्द मेरा भी उसी भौति ही आर्लिंगन-जड़ित कर युग-युगान्तर को सहज गम्भीर कलरव से प्रचारित करे मानव का अपार-अतुल महिमनस्तोथ, दे महनीय मर्यादा भुवन मे इस दणस्थायी निरम

नरजन्म को।

"हे देवदूत मुने, पितामह के चरण में यह निवेदन करो मेरी ओर से यह स्वर्ग से जो आ गयी है परमनिधि नरलोक को, उसको न शब्द से जाएं लोटा फिर वहाँ। है जो अपोद्य धन्द हमको मिला उसने देवता को है मनुज कर दिया मैं हूँ चाहता देवत्वपद पर उठा देना खुद्र मानव को, उठाना चाहता हूँ इस धरा पर स्वर्ग का प्राप्ताद ! ! "

यही धन्द की महिमा है, वह मनुष्य को देवता बनाने के संकल्प का प्रादिवाहक है।

सो, काव्य-साहित्य का एक बहुत बड़ा भाग केवल धन्द के कारण, शब्दालंकारों के कारण और अर्थ-वक्त्रिमा के कारण ही लोकप्रिय हुआ है। पुराने अलंकारशास्त्रों में ऐसे स्थलों के भौगोलिक विचार किया गया है। परन्तु जिन लोगों ने इस चमत्कार की विवेचना की है वे लोग उन्हीं संस्कारों में पले थे जिनमें ऐसी उकियों के लेखक पले थे, इसीलिए असंगतिजन्य आनन्द को वे सिद्ध अर्थ मान लेते थे अर्थात् धावय के व्याहृत और अनुपपन्न अर्थ को लक्षण या व्यञ्जना के सहारे अव्याहृत और उपपन्न कर लेते के बाद इस प्रकार की असंगति की संगति लग जाने में जो एक प्रकार का कोशल प्रकट होता था उसे वे आनन्द का कारण स्वीकार कर लेते थे। नाना कारणों से असंगति में संगति लगाकर आनन्द पाने के मनोभाव विभासित हुए हैं। हमें उनका ठीक-ठीक अध्ययन कर लेना चाहिए। अशोकवृक्ष सुन्दरियों के बाम पद के मृदु आधात से फूल उठता है, इस वस्तु के आधार पर न जाने पुराने भारतीयों ने कितनी रसमयी रचनाएँ लिखी हैं। लेकिन यह विश्वास भारतीय साहित्य में बहुत पुराना नहीं है, बहुत दीर्घकाल तक वह टिका भी नहीं। कालिदास के पूर्व शायद अपरिचित था और मध्ययुग के हिन्दी साहित्य में वह नहीं मिलता। मैंने अत्यन्त दिखाया है कि भारतीय सम्यता में यहाँ की सम्यता के मिथ्यण के बाद यह विश्वास आया। सौची, भरहुत आदि में अशोकवृक्ष में इम प्रकार दोहृद उत्पन्न करनेवाली यश्चिणीमूर्तियाँ अकित हैं। इसर बताया जाने लगा है कि ये और ऐसी ही अन्य बहुत-सी मूर्तियाँ शिल्प में कालिदास के प्रभाव की सूचित करती हैं। मुझे दूसरी ही बात सूझती है। ये मूर्तियाँ उस युग के अत्यधिक प्रचलित विश्वास की सूचना देती है और कुछ लगास बातों के कल्पित मूल्य की ओर इशारा करती हैं। सच्चा कलाकार इन कल्पित मूल्यों का जमकर उपयोग करता है। कालिदास ने ऐसा ही किया था। बाद में कल्पित मूल्यवाली बात भूल गयी और आलकारिकों ने इसे कविप्रसिद्ध मान लिया। पर यह इसके आरोप का इतिहास जाना जायें तो कालिदास के काव्य को अधिक गाढ़ भाव से अनुभव किया जा सकता है। अशोक दोहृद स्थूल वस्तु का उदाहरण है, इससे अधिक सूक्ष्म वस्तु वे अविच्छिन्न विश्वास हैं जो किसी स्थूल आधार पर टिके नहीं रहते। एक युग के काव्य के मर्म को दूसरे युग का सहृदय तब तक नहो समझ सकता जब तक इन रुद, किन्तु वस्तुतः किसी कारणवश आरोपित, मूल्यों की ठीक-ठीक जान-

कारी न हो। एक देश के काव्यप्रयत्न भी दूसरे देश के काव्यप्रयत्नों की परम्परा जाननेवाले सहृदयों के निपट सब गमय स्पष्ट नहीं होते। वस्तुतः कल्पित मूल्यों की जानवारी से हम पास और देश की सीमा लाईने का सामर्थ्य पाते हैं। यदि भारतीय समाज की विश्वासपरम्परा का अध्ययन किया जाय तो मनुष्य की अद्भुत प्राहिका शक्ति का पता चल जायगा। हमारे पास जितना भी साधन उपलब्ध है उससे इतना तो स्पष्ट ही जान पड़ता है कि इम देश में भी जाना प्रकार के विश्वास स्वीकार किये गये हैं, मूलाये गये हैं और भाड़कर फेंक दिये गये हैं। भारतीय चित्त आज जैसा है, यैसा ही सदा नहीं रहा। गंस्कार भी सदा वैसे ही नहीं रहे, मब समय ऐसे रहेंगे भी नहीं। नमे विश्वास आयेंगे, नमे कल्पित मूल्य स्वीकार किये जायेंगे और नमे रास्ते से आवेग का रथ 'भारतीय' कहे जानेवाले चित्त में अवाध भाव से प्रवेश करेंगे। भारतीयता का प्रेमी जब नये अप्रेजी पढ़े नड़कों की यह कह कर भत्सना करते हैं कि इनमें कुछ भी भारतीय नहीं हैं, कुछ भी ऐसा नहीं बचा है जो पारचात्य प्रभाव से कल्पित न हो गया हो, तो वे अप्रत्यक्ष रूप से यही स्वीकार करते हैं कि भारतीय संस्कार भी परिवर्तनशील है और भारतवर्ष में ऐसे व्यक्ति आसानी से पैदा किये जा सकते हैं जो एकदम भारतीय हो ही नहीं।

फिर यूरोपीय प्रभाव होने-मात्र से कोई चीज अस्पृश्य नहीं हो जाती। प्रेमचन्द की कहानियाँ 'देतालपचीसी' या 'गुलबकावली' के ढंग की न होकर आवुनिक यूरोपीय कहानियों के ढंग की हुई हैं, इतना कह देने से प्रेमचन्द का महत्व कम नहीं हो जाता। रामचन्द्रशुक्ल के साहित्यिक निवन्ध 'काव्य प्रकाश' की शैली पर या 'कविप्रिया' की शैली पर न लिखे जाकर अगर यूरोपीय समालोचकों के ढंग पर लिखे गये हैं तो इससे उनका महत्व घट नहीं जाता। प्राण चाहिए। जहाँ प्राण का उच्छ्वासित तेज होता है वहाँ यह बात गोण हो जाती है कि वाह्य ढाँचा किस देश या किस जाति में लिया गया है। फिर जो लोग यह मानते हैं कि देशविषेष के मनुष्य को अपने-आपमें ही संतुष्ट और सीमाबद्ध रहना चाहिए, किसी अन्य देश के मनुष्य से कुछ ग्रहण ही नहीं करना चाहिए, वे मनुष्य की मूल एकता में ही विश्वास नहीं रखते। आज हम साहित्य की जिस ढंग से चर्चा करते हैं, वह पुराने भारतीय ढंग के अनुरूप न होकर यूरोप के आधुनिक ढंगों के अनुरूप है। हमारे समाचारपत्र और साहित्यिक पत्रिकाएँ यूरोपीय प्रभाव हैं, हमारी गण्यात्मक आलोचनाशैली यूरोपीय प्रभाव है, हमारे कॉमा-फुलस्टॉप तक में यूरोपीय प्रभाव है। प्रभाव तो मनुष्य पर तब तक पड़ेगा, जब तक उसमें जीवन है। जहाँ जीवन का देग अधिक है, प्राणधारा का बहाव तेज है, उसी स्थान से उमका ऐश्वर्य द्यित-रायेगा ही। आलोक सीमा में बैंधना नहीं चाहता, उसका घर्म ही प्रकाशित होना और प्रकाशित करना है। किसी समय भारतवर्ष में भी यह जीवन का ऐश्वर्य था। कहाँ उमका प्रकाश नहीं फैला? चीन, जापान, अरब, यूनान, मिश्र, ईरान जहाँ कहीं भी लोगों में प्रकाश सहन करने की शक्ति थी, वहीं इसने अपना प्रभाव विस्तार किया। आज यदि यूरोप ने तपस्या की है, उसके जीवन में ऐश्वर्य का आलोक प्रकट

हुआ है तो आग भी फैलेगी ही और लोग भी ग्रहण करेंगे ही। भारतवर्ष ने उमे अगर ग्रहण किया है तो इसमें लज्जा की कौन-सी बात है? लज्जा प्रकाश ग्रहण करने में नहीं होती, अन्धानुकरण में होती है। अविवेकपूर्ण ढंग से जो भी सामने पढ़ गया उसे सिर-माथे चढ़ा लेना, अन्य भाव से अनुकरण करना जातिगत हीनता का परिणाम है। जहाँ मनुष्य विवेक को ताक पर रखकर सबकुछ ही अन्य भाव से नकल करता है वहाँ उसका मानसिक दैन्य और सांस्कृतिक दारिद्र्य प्रकट होता है, किन्तु जहाँ वह सोच-समझकर ग्रहण करता है और अपनी बुटियों को कम करने का प्रयत्न करता है वहाँ वह अपने जीवन्त स्वभाव का परिचय देता है। विवेक दाता की पहचान की शक्ति देता है, अन्धानुकरण दान की ओर सत्पृष्ठ भाव से भुकाता है। दातृत्व तपस्या से प्राप्त होता है, अविवेक साधना के अभाव से उपजता है। यूरोप जितनी दूर तक तपस्वी है, उतनी दूर तक दाता भी बन सकता है। जहाँ वह तपस्या से चालित न होकर तृष्णा से, मोह से, लोभ से चालित हो रहा है, वहाँ वह स्वयं दीन है, वहाँ उसमें ऐश्वर्य का अभाव है। जहाँ तक उसमें तपो-सत्य दातृत्वमें है, वहाँ वह सबका सम्मानभाजन है। सबकुछ को बटोर लेने की प्रवृत्ति गलत है, मनुष्यता को उदार बनानेवाले ऐश्वर्य से प्रभावित होना नहीं। वस्तुतः जो राष्ट्र जीवनरस से भरा है वह प्रभावों से डरता नहीं फिरता। वह खुली आँखों से जगत् के समस्त पदार्थों को, घर्मों को, मतों को, कार्यों को, विद्यों को देखता है और उसके जीवन की पूर्ति के लिए जो आवश्यक होता है उसे ग्रहण करता है और अपने-आप जीवनरस की परिपूर्णता के कारण जो ऐश्वर्य ग्राहोवित हो उठता है उसे दूसरों को देता रहता है। देने में और लेने में विवेक की गरण जाना चाहिए, संस्कारों की नहीं। लेकिन ठीक-ठीक विवेक के लिए हमें यपने और पराये संस्कारों का ज्ञान चाहिए।

यह दुर्भाग्य की बात है कि पिछली राजनीतिक दासता के कारण भारतीय जनता के चित्त में एक प्रकार की हीनता-ग्रन्थि पैदा हो गयी। अंग्रेजों के दातृत्व की योग्यता की परीक्षा किये बिना हमने उनका अन्धाधृत अनुकरण किया है। दान बटोरते की ऐसी हास्यास्मद प्रवृत्ति शायद ही इतिहास में इतने उपर स्पष्ट में दिखी हो। आज राजनीतिक दासता समाप्त हो गयी है, पर मानसिक दासता ज्यों-की-त्यो बनी हुई है। अब की गोपिका की आँखों में एक बार अबीर के प्रसिद्ध बालक ने एक मुट्ठी अबीर फौंक दी थी। जैसे-तैसे वह अबीर तो आँखों में से निकल गया, पर अहीर का धोकरा जो जमके बैठा भी बैठा, किमी प्रकार नहीं निकल सका:

एरो मेरो बीर जैसे तैसे इन योगिन मो

कटिगो अबीर पे अहीर की कड़े नहीं !

बुध इमी तरह या हान भारतीय शिद्धित चित्त का है। अंग्रेजी भासन तो नियम गया, पर अद्येत अभी जमा है। हर बान जैसे ये अपने को भासाय पौर शर-  
दिग्द बासक गमझ रहे हैं। अंग्रेजी योगियां हुई योंती भूल गयी तो पया होगा?

अंग्रेजों की बनायी हुई पढ़ाई की नहर सूख गयी तो क्या होगा ? अंग्रेजों की रटायी हुई कानूनी धोली अगर नहीं रही तो क्या होगा ? मानसिक दासता का ऐसा जबर्दस्त भूत सिर पर सवार है कि हम भूल ही गये हैं कि हम दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता के धनी हैं, हजार-हजार वर्षों से हमारी अपनी भाषा रही है, विद्वतों रही है, शासन-व्यवस्था रही है, शिक्षा-व्यवस्था रही है। नवीन समस्याएँ भी आयी हैं और नवीन ज्ञान भी हमें लेना है, पर हम न तो नौसिलूए हैं न, असहाय हैं। एक बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया भी हो रही है। लोग यह कहते हैं कि जो कुछ अंग्रेजों के संसर्ग से आया है, सब बुरा है, सब त्याज्य है। इन दो चरम अन्तों से बचने का प्रयत्न होना चाहिए। इसीलिए अपने और पराये संस्कारों तथा वास्तविक मानवीय मूल्यों का विवेक अत्यन्त आवश्यक हो गया है।

**उद्देश्य क्या है ?**

संस्कारों के समझने से मनुष्य दूसरे देश और दूसरे काल के साहित्य को समझ सकता है। ततः किम् ? क्या होगा इस प्रकार देश और काल की सीमा को लांघ जाने की स्पष्टित मनोवृत्ति को बढ़ावा देकर ? वस्तुतः समाज के सर्वांगीण विकास के वैज्ञानिक अध्ययन को बढ़ावा देने का एक ही उद्देश्य हो सकता है—उपरी भेद-विभेदों के तलदेश में स्तब्ध भाव से विराजमान मानवजाति की अन्तर्निहित एकता की उपलब्धि। परन्तु इसी की क्या आवश्यकता है ? हम अपने अगले व्याख्यान में इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। यहाँ इतना ही कह रखना आवश्यक है कि आज समूचे जगत् में जिस मानवीय संस्कृति की प्रतिष्ठा के बिना सभ्यता का अस्तित्व ही खतरे में पड़ा हुआ दिखायी दे रहा है, जिसके बिना समूची मनुष्यता विनाश के गहन बात्याचक्र में उलझने को लाचार हो गयी है, उसकी प्रतिष्ठा इस प्रकार की उपलब्धि के बिना नहीं हो सकती। जीवविज्ञान और मनो-विज्ञान आदि शास्त्रों ने मनुष्य की एकलृप्ति को अच्छी तरह प्रमाणित कर दिया है, लेकिन सामाजिक रीति-नीति और संस्कारों के अध्ययन से मनुष्य की दृष्टि और भी उदार बनेगी और देश तथा काल की सीमा को लांघकर सौन्दर्य और माधुर्य का रस से सकने का सामर्थ्य इस मानवीय संस्कृति की नीव को मजबूत करेगा। आज भी ऐसे महामानव मिल जाते हैं जो देश और काल की संकीर्ण सीमाओं को भेदकर यथार्थ मानवधर्म को समझ लेते हैं। हमारे देश के रवीन्द्रनाथ और गांधीजी ऐसे ही नर-रत्न थे। परन्तु इतना ही पर्यात नहीं है। इस दृष्टि की प्रतिष्ठा के लिए देशव्यापी प्रयत्न करने होंगे। घोटी-घोटी सीमाओं में आवद्ध जातीय या राष्ट्रीय ठसक उस गम्भीर संस्कृति के अभाव की परिचायिका है, जो मनुष्य की विचारधारा का ऐश्वर्य है। देश और काल की सीमाओं को बहुमान देकर मनुष्य की अन्तर्निहित एकता के विद्व लोचने का अभ्यास मानव-विकास के इतिहास वो न जानने की निशानी है। प्रयत्न करने से इस युटि की पूर्ति हो मजबूती है। उस प्रयत्न की ओर मनुष्यजाति को उद्बुद करना बांधनीय है। मनुष्य की जो सबसे सूख्म और महनीय साधना है उसी का प्रकाश साहित्य है। उसके अध्ययन से

उद्देश्य सहज-गाध्य होगा। गम्भीरा और मंसृतियों के इतिहास में यही तर्प प्रवर्ट होता है कि मनुष्य गमस्त मंस्कारों, गमस्त आदोपित मूल्यों और समस्त रीति-रहस्यों से बड़ा है। मनुष्यता की निरन्तर प्रवहमान धारा नाना मूलों से शक्तिमंगल करती हुई आगे बढ़ती आ रही है। मनुष्य का इतिहास इन्ही माध्यनायों का इतिहास है। उसने आदिम कही जानेवाली मनोवृत्तियों के हाथ अपने को नहीं द्योइ दिया, प्रयोजन की संकीर्णता की वेडियों से अपने को नहीं बेघने दिया, मृत्यु के नागपाण में अपने को नहीं फेसने दिया। सबकुछ को रोदकर, सबकुछ को छोड़कर वह न जाने किस विजययात्रा के लिए निकल पड़ा है। श्रृंग के शब्दों में कहने की इच्छा होती है :

"गुह्यं ब्रह्म तदिदं वे श्रवीमि न मानुष्याच्छ्रेष्ठतरंहि विचित् ।"

[तुम्हें यह गुप्त रहस्य बताता हूँ, मनुष्य से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है ।]

## मानव-सत्य

काव्य की इस अपूर्व शक्ति का आश्रय क्या है ? किसके बत से बलीयान् होकर काव्य का यह उद्गीत रूप इतना मनोहर और इतना आकर्षक हो जाता है ?

इस प्रसंग में मुझे 'द्वान्दोग्य उपनिषद्' के प्रथम अध्याय के भाठवे और नवे खण्ड में दो हुए एक कथा का स्मरण हो आता है। इस कथा में एक बहुत पुराने शास्त्रार्थ विचार का विवरण मिलता है। प्रसिद्ध है कि तीन श्रृंग उद्गीथ-तत्त्व के बहुत अच्छे जानकार थे। उनमें दो तो ब्राह्मण थे और तीसरे धनिय थे। ब्राह्मण श्रृंगियों में प्रथम थे शालावान् के पुत्र शिलक और दूसरे थे चिकितायन के पुत्र दालम्य। धनिय श्रृंग जीवल के पुत्र प्रवाहण थे। तीनों उद्गीथ विद्या के मरम्भ थे। एक बार इन लोगों में इस तत्त्व के आश्रय के सम्बन्ध में विचार हुआ। शिलक ने प्रश्नों का उत्तर देते हुए दालम्य श्रृंग ने बताया था कि 'साम का आश्रय स्वर है, स्वर का आश्रय प्राण है, प्राण का आश्रय जल है, और जल का आश्रय स्वर्ग-लोक है। इसके आगे प्रश्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि साम को 'स्वर्ग-लोक' बहकर ही स्तुति की गयी है—स्वर्गो वै लोकः सामवेदः !'

किन्तु शालावान् के पुत्र शिलक, चिकितायन के पुत्र दालम्य के इस कथन से सहमत नहीं हो सकता है कि स्वर्ग-लोक ही अन्तिम सत्य हो ? उन्होंने शिलक के प्रश्न के उत्तर में कहा था, 'स्वर्ग-लोक का आश्रय मनुष्यलोक है—यह मिट्टी की घरियी है।' शिलक ने बाद में दालम्य के द्वांग १८ स्वीकार

किया कि 'इसके आगे प्रश्न करना अनुचित है। सबकी प्रतिष्ठारूपइ स मनुष्य-लोक की प्रतिष्ठा और क्या हो सकती है? साम की, पृथ्वी कहकर ही, स्तुति की गयी है—इयं वै रथन्तरम्! सो साम का चरम आश्रय यह मनुष्य-नोक ही है।'

जीवल के पुनर प्रवाहण को यह भी चरम आश्रय नहीं जान पड़ा। बोले, 'मनुष्यलोक ही अन्तिम सत्य नहीं है। मनुष्य-लोक की भी कोई गति होनी चाहिए। यह कैसे मान लिया जाय कि इसके आगे कुछ है ही नहीं? वस्तुतः इसका भी आश्रय आकाश है। भूतमात्र आकाश में ही उत्पन्न होते हैं, आकाश में ही विलीन होते हैं। आकाश सबसे बड़ा है। आकाश ही परम आश्रय है।'

सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव समुत्पद्यन्त आकाश प्रत्यस्तं  
यन्त्याकाश एवंभ्यो ज्यायानाकाशः परायणम् ॥

यह विचार आज से कई हजार वर्ष पहले हुआ था। तब से दुनिया के ज्ञान-साधनों में बहुत परिवर्तन हुआ है, विद्वानों के तक-कर्कश मस्तिष्कों ने इस प्रश्न पर कई दिशाओं से आक्रमण किया है, पर आश्चर्य यह है कि हम आज भी इन्हीं तीन उत्तरों की जुगाली करते जा रहे हैं। धूम-फिरकर इन्हीं में से किसी एक पर आकर मनुष्य का मस्तिष्क टिकता है। कहने का ढंग और है, भाषा का रूप और तकं की विधियाँ और हैं, पर उत्तर यही है।

बहुत-न्से विचारकों ने बताया है कि काव्य में, कवि के द्वारा प्रयुक्त शब्दों में, छन्दों में, यमक-अनुप्रासों में और समूची पदसंघटना में एक ऐसी विचित्र शवित होती है जो इस दुनिया से ग्रहण की हुई सामग्रियों के उपादान से ही पाठक के चित में एक मनोरम कल्पलोक का निर्माण करती है। यह लोक इस दुनिया में अनुभूत सुख-दुखों के समानधर्मी सुख-दुखों से ही निर्मित होता है और इसी-लिए इस दुनिया के समानान्तर ही कहा जा सकता है, परन्तु वह इससे ऊपर होता है और स्थूल जगत् के भ्रमेलों से मुक्त होता है। काव्य के पंख पर केवल मनोभाव ही ऊपर उड़ सकते हैं, स्थूल भार नीचे ही पड़ा रह जाता है। फल यह होता है कि यहाँ के सभी मनोभाव वहाँ आनन्द ही उत्पन्न करते हैं, हास भी, रोदन भी, असूया भी, जुगुप्सा ! इन मनोभावों के लौकिक रूप में दुनिया के स्थूल और मलिन पदार्थ मिल जाते हैं, परन्तु कविनिर्मित अलौकिक रूप में यह स्थूल और मलिन पदार्थ असम्पूर्त रह जाते हैं, इसीलिए आनन्द भी यनाविल और सूक्ष्म होता है। वह कवि का निर्मित जगत् है, उसकी निखरी हुई रचि की छलनी से सब मलिनता छन जाती है और अपूर्व रसलोक की सृष्टि होती है। यहाँ का प्रजापति कवि ही है, उसे जैसा रचना है, वैसा ही जगत् को बनना पड़ता है।

अपारे काव्य संसारे कविरेव प्रजापतिः ।

यथास्मै रोचते विश्वं तथैतत् प्रतिप्रद्यते ॥

वात यह है कि काव्य में एक बड़ा भारी गुण साधारणीकरण का होता है। जब आप लोक में कहते हैं कि 'हे श्रावण, तुम्हारे पर पुनर उत्पन्न हुआ है' तो इस वाक्य के अवण से श्रावण के मन में भी एक प्रकार का आनन्द होता है, पर यह

आनन्द अपने दि शुद्ध रूप से नहीं आता । इसके साथ-ही-साथ इसके अनेक सहवर्ती भर्मेले भी याहृण को भुगतने पड़ते हैं, किर यह आनन्द याहृण के अपने मन तक ही सीमित होता है । इसलिए यह लौकिक है । लोक की स्थूल आवश्यकताएँ इसे न तो ऊपर उड़ने देती हैं, न सबके हृदय को समान भाव से आनंदातित करने देती है । काव्य में यदि कोई ऐसा ही प्रसंग आता तो वह पाठक को इससे भिन्न कोई की अनुभूति देता । वह आनन्द सर्वजनभोग्य तो होता ही, उसमें से लौकिक स्थूल अंश भी छन गये होते । इसी अर्थ में वह अलौकिक आनन्द होता । काव्य के जट्टों में पाठक की रजोगुण और तमोगुण के पचड़े से हटाकर सत्त्वस्थ करने की शक्ति होती है । उसे आनन्द के साथ उसके सहवर्ती स्थूल उपादानों की सेपेट में नहीं आना पड़ता । उसका आनन्द विशुद्ध मानसिक आनन्द होता है । बड़े-बड़े आचारों का तो कहना है कि काव्य वस्तुतः पाठक की चेतना का आवरण हटा देता है और वह अपने ही अनुभूत भावों का आस्वादन करता है । उसे बाहर की किसी भी अन्य सहायता की ज़रूरत नहीं होती । सचमुच ही यह काव्यलोक अपूर्व है । 'मध्यदूत' की अलकापुरी के समान इसमें आनन्द-ही-आनन्द है । औसु अगर ही भी तो आनन्द के ही, ताप अगर ही भी तो प्रेम के देवता के मृदुलाधात के ही, विद्योग-वाधाएँ ही भी तो केवल प्रणयकलह की ही और यौवन के सिवा दूसरी अवस्था को तो लोग वहाँ जानते ही नहीं :

आनन्दोत्थं नयनसतिलं यत्र नार्यनिमित्त—

नन्यस्तापः कुमुमशरजादिष्टसंयोगसाध्यात् ।

नार्यन्यस्मात् प्रणयकलहाद्विप्रयोगोपपत्ति—

वित्तेशानां न च खलु वयो योवनादन्यदस्ति ॥

इस प्रकार यह काव्यलोक वस्तुतः ही मनुष्य का बनाया हुआ स्वर्ण-लोक है—स्वर्गो वै लोकः सामवेदः ।

किन्तु इस प्रकार माननेवाले भी यह मानते ही हैं कि सभी काव्य इस प्रकार का अपूर्व रस मन में संचार नहीं कर पाते । कुछ कम कर पाते हैं, कुछ अधिक कर पाते हैं । दोप रसों के अपकर्पक होते हैं और सब काव्य उनसे मुक्त नहीं ही पाते । रह-रहकर पृथ्वी का आकर्षण कविनिमित्त स्वर्गे-लोक में भी कम्पन उत्पन्न करता है । स्थूल अनुभूतियाँ उसे घरती की मिट्टी तक घसीट लाती हैं । फिर सब नोग एक ही काव्य से एक ही प्रकार का आनन्द नहीं पा सकते । जिस सहदय के हृदय में स्थायी भावों की अनुभूति जितनी ही अधिक होगी, वह उतने ही ग़ा़ भाव से रस का अनुभव कर सकेगा । जो साहित्यशास्त्र का मर्मज्ञ है, उसी के चित्त में कवि की सरम वाणी प्रसार पाती है । जल छोड़कर और किस स्थान पर तैत-विन्दु फैल सकता है ?

विना न साहित्य विदा परत्र गुणाः कथंचित् प्रथते कवीनाम्

आलंवते तत्क्षमम्भसीव विस्तार मन्यत्र न तैल विन्दुः ।

परन्तु ऐसा वयो होता है ? निष्ठव्य ही कवि का रस-लोक अपने-आपमें

परिपूर्ण नहीं होता। उसे मनुष्य का ग्राहक हृदय चाहिए। गहृदय चित्त ही उसका भानन्द से उकता है। और फिर यह प्रश्न होता है कि कवि के काव्य की अच्छाई-बुराई या, उत्तमता-मध्यमता का निष्ठिक कौन है? निष्ठय ही साहित्यशास्त्र वा पाररी मनुष्य ही विवेचना करेगा कि कौन-ना पाव्य अच्छा है, कौन-ना कम अच्छा और कौन-ना एकदम अच्छा नहीं। मनुष्य ही तो इस काव्य के कल्पकोंका पाररी है। क्या प्रत्येक व्यक्ति को यह धर्मिकार है कि वह जिस किसी भी काव्य को बुरा कह दे? या फिर और शीघ्र प्रश्न यह है कि काव्य की अच्छाई-बुराई क्या हर आदमी अपनी-अपनी रगानुभूति के आधार पर बता सकता है? निष्ठय ही नहीं। प्रत्येक व्यक्ति समान भाव से रगवन्तु को नहीं समझ पाता, उसे समझने के लिए भी गिरा चाहिए, मंस्तक चाहिए, माघना चाहिए। दुनिया में ऐसे उदाहरण बहुत हैं कि एक ही कवि को किसी ने बहुत उत्तम कहा है और किसी ने एकदम निष्पट। किसी जमाने में शेक्सपियर की बहुत प्रशंसा किया करते थे, उन्हीं दिनों कास के लोग यह भी सानने को तैयार नहीं थे कि शेक्सपियर को नाटक के एक ध्रुवार का भी ज्ञान है। एक बार पुरस्कार के निष्ठिकों में से एक ने एक पुस्तक पर अस्सी नम्बर दिये थे, दूसरे ने जून्य! ऐसे उदाहरण एक दो नहीं सैकड़ों खोजे जा सकते हैं। हिन्दी साहित्य एक पीढ़ी पहने थड़ी मरणमीं के साथ विचार कर रहा था कि विहारी सप्ताह के थ्रेप्ट कवि है या देव? मजमून थीनने की योग्यता किमं अधिक है और कल्पना की उड़ान में कौन किसे धकेल-कर ऊपर उड़ जाता है? कोई भी विचारक किसी से कम गम्भीर नहीं था, किसी के माथे पर कम शिकन नहीं थी और किसी की भूकुटि कम कुंचित नहीं थी। नितान्त हाल में न जाने कितने कवि प्रगतिवादी कहकर तेजी से अपनी ओर खीचे गये हैं और फिर सीधुनी तेजी से प्रतिक्रियावादी कहकर दूर फेंक दिये गये हैं—बहुत-बुद्ध रहीम के हरि की तरह जिन्होंने कमान की तरह एक बार अपनी ओर खीच लिया था और फिर दूर फेंक दिया था:

हरि रहीम ऐसी करी, ज्यों कमान सर पूरि।

बैचि अपनी ओर को, ढारि दिए पुनि दूरि॥

यह सब ठीक है। लेकिन फिर भी इन समस्त परस्पर-विश्वद जानेवाली सम्पत्तियोंके होते हुए भी दूसरे तरह के उदाहरण हैं जो उलटी दिशा में सोचने को बाध्य करते हैं। कालिदास का 'शाकुन्तल' भारतीय सहृदयों के गले का हार रहा है, किन्तु उसका अत्यन्त त्रुटिपूर्ण अनुवाद समुद्रपार के सहृदय को बाचाल बना सका, जर्मनी के सर्वथ्रेप्ट कवि गेटे ने अपना सम्पूर्ण हृदय ढासकर उसकी प्रशंसा की। 'पचतन्म' की कहानियोंने देश की, धर्म की, संस्कृति की, भाषा की, सबकुछ की दीवाल को एक ही धक्के में धूलिसात् कर दिया है; उमर ख़याम की रवाइयोंने विधि-नियेधों की अत्यन्त संकीर्ण सीमाओंको तोड़कर भी मनुष्य का हृदय जीता है; शेक्सपियर के नाटकोंने एकदम विश्वद समझी जानेवाली संस्कृतियों के उपासकोंका मन हरण किया है। यह नहीं कहा जा सकता कि सुन्दर वस्तु के बल

व्यक्तियों के मन की कल्पना है। ग्रीस देश की मूर्तियाँ संसार के सभी पारस्पर्यों का आदर पा सकी हैं, नटराज की मूर्ति ने मूर्ति-मूर्जा के विरोधियों का भी हृदय गलाया है, ताजमहल और कोणाकं भविंदर यद्यपि दो विलुल विरुद्ध मनोभाव से उद्भूत हुए हैं, पर संसार के पारखी मात्र उन्हे देखकर मुग्ध हुए हैं, अजन्ता के चित्रों ने धर्म के मिव्याभिमान का आवरण आसानी से दूर करके सहदयों का सम्मान प्राप्त किया है, ईरान के गलीचों और पानी ने किस देश के सहृदय को नहीं तरसा दिया? निश्चय ही सौन्दर्य का भी एक ऐसा समान मान है, जो व्यक्ति की मानसिक कल्पना नहीं है, और न इस प्रकार की भूठी उन्मादना ही है जिसे अत्यन्त आधुनिक काल में श्रेणी-विशेष की चालवाजियों की उपज माना जाते लगा है। काव्य में भी एक प्रकार का सौन्दर्य होता है, जो सहृदय को प्रभावित करता है। वह सौन्दर्य यथा है, कैसे उत्पन्न होता है, किस प्रकार के मनुष्य के चित्र को आस्वादग्राही बनाता है, ये प्रश्न नाना भाव से विद्वानों के वौद्धिक विनोद की उक्साते रहे हैं। प्रश्नों का तांता यहीं समाप्त नहीं हो जाता; क्योंकि मनुष्य जो कुछ भी जानता है वह मनुष्य का अपना ही समझा हुआ सत्य है। उसे जितने इन्द्रिय प्रकृति ने दिये हैं उनके विषय कुछ थोड़े-से ही हैं; इन इन्द्रियार्थों को भी मनुष्य पूरी तरह से नहीं जानता। इनके अतिरिक्त यदि कुछ ही सो वह एकदम ही अज्ञात है। क्या मनुष्य की जानी हुई अत्यन्त सीमित परिविष्ट में जो सत्य प्रकट हो रहे हैं वही चरम सत्य है? किसी दिन जब मनुष्य कम जानता था तब उसने मान तिथा था कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर धूम रहा है। अब उसने कुछ अधिक जाना है तो मानने लगा है कि पृथ्वी ही सूर्य के चारों ओर धूम रही है। क्या ठिकाना है कि यही मनुष्य का अन्तिम निर्णय हो! जब जानी हुई दुनिया का यह हाल है तो मन-जानी दुनिया की, इस विशाल विपुल व्योम के अन्तररवर्तीं कोटि-कोटि भ्रनजाने लोकों की तो बात ही करना चेकार है। शिलक ने ठीक ही कहा था कि यह मनुष्य-लोक ही साम का आश्रय है, पर प्रवाहण ने यह कहकर कि आकाश ही मनुष्य-लोक का आश्रय है, और भी वड़ी सचाई की ओर इशारा किया था, और भी वड़ी सचाई—जिसे हम सोच नहीं सकते। तो क्या फिर भी वड़ी या छोटी होती है, अच्छी या बुरी होती है, गलत या सही होती है? साधारणतः मनुष्य की बुद्धि इतना ही सोच पाती है कि सचाई सचाई है, वह एक और अविरोधी होती है, छोटी हो तो, वड़ी हो तो, सचाई सचाई है, शालिग्राम की वटिया क्या छोटी क्या बड़ी! परन्तु किर भी सन्तोष नहीं होता।

परन्तु ये प्रश्न काव्यालोचना से प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं रखते। ये तत्त्वज्ञान के विषय हैं। यद्यपि आज तक कोई तत्त्वज्ञान इन प्रश्नों का ठीक-ठीक उत्तर नहीं दे सका, लेकिन उत्तर देने के व्याज से उन्होंने कुछ-न-कुछ अच्छी मनुष्मितिमूलक प्रतिज्ञामों की अवतारण की है और उसने गच्छाई का पता लगे या न लगे—यह गच्छमुन उमका पता नहीं मंकेगा?—मनुष्य की तकनीकी को सानुष्ट करने पायर मुक्तियाँ उद्भावित हुई हैं। तत्त्वज्ञान इन मनुष्मितिमूलक प्रतिज्ञामों के तत्त्वज्ञान

या सिस्टम या जगत्-प्रवच की घोरी कहने में आनन्द पाते हैं और समस्त जागतिक व्यापारों को उन प्रतिज्ञाओं के सचि में ढालना चाहते हैं। मनस्तत्त्व, सौन्दर्यतत्त्व और काव्य भी इनकी लपेट से नहीं बच पाते। फल यह होता है कि काव्य में अनेक प्रकार के ऐसे वादों का समावेश हुआ है जो वस्तुतः तत्त्ववादियों की अनुमित्तभूलक प्रतिज्ञाओं की सन्तान हैं। अत्यन्त आधुनिक काल में यह प्रवृत्ति बड़े जोरों पर है।

यह तो मैं कैसे कहूँ कि प्राचीन काल में हमारे देश में यह वात थी ही नहीं। काव्यालोचना के शैव में यहाँ भी दार्शनिकों का प्रवेश हुआ था। महिमभट्ट नैयायिक थे और उन्होंने काव्य के रसबोध को भी अनुमान का विषय मिट्ठ करना चाहा है। अभिहितान्वयवादी और अन्विताभिधानवादी भी मांसक भी काव्यचर्चा में थोड़ो-बहुत गर्मी से आये थे, पर उनका मुख्य विषय अर्थ-निर्णय था, रस-मीमांसा नहीं। कुमारिल अभिहितान्वयवादी थे और प्रभाकर भट्ट अन्विताभिधानवादी। अभी तक यह नहीं सुना गया कि इन दोनों में से किसी ने काव्यार्थ पर विचार किया था। इनका विषय वैदिक अर्थ था। परन्तु इनके विचार बहुत युक्तिपूर्ण थे और परवर्ती आलंकारिक इनके मतों की उपेक्षा नहीं कर सकते थे। इसलिए इनका मत अलंकारशास्त्र का आलोच्य होने पर भी यह नहीं कहा जा सकता कि इन्होंने काव्यविचार की सीधे अपना लक्ष्य बनाया था। अभिनवगुप्त कश्मीर के शैव दर्शन के आन्तर्यामी थे। उनका मत निश्चय ही एक विशेष दृष्टिवाले दार्शनिक का विचार है। मम्मट ने उनको ही मद्दसे बड़ा सम्मान देकर उनके मत के पक्ष में अपना झुकाव दिखाया था। बहुत थोड़े अन्तर के साथ पण्डितराज जगन्नाथ ने भी इनका मत मान लिया था। परन्तु वाहे मम्मट और अभिनवगुप्त की भाँति यह मान लें कि अज्ञानहृषि आवरण से रहित जो चैतन्य है उससे युक्त इत्यादि स्थायी भाव ही रस हैं, या पण्डितराज की भाँति यह मान लें कि इत्यादि से युक्त आवरणरहित चैतन्य ही रस है, दर्शन का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है। दोनों मतों में जो भेद है वह दो दृष्टिकोणों के कारण। एक में चैतन्य विशेषण, इत्यादि विशेष्य और दूसरे में इत्यादि विशेषण है, चैतन्य विशेष्य। पण्डितराज का मत शाकर अद्वैत से प्रभावित है और वाद में चलकर इस मत ने अन्य आलंकारिकों को भी प्रभावित किया है। इस प्रकार काव्यालोचना के क्षेत्र में थोड़ा-बहुत दर्शन का प्रभाव इस देश में भी पड़ा है, पर दार्शनिकों ने इस क्षेत्र को सम्पूर्ण रूप से हृथिया कभी नहीं लिया। आज नामा प्रकार की समस्पाद्यों ने मनुष्यजीवन को चंचल बनाया है, वे दर्शन को नयी साधासामग्री देती रहती हैं और दर्शन के माध्यम से उन समस्पाद्यों का समाधान बतानेवाले वाद काव्यालोचना के क्षेत्र में उत्तरते हैं। इसीलिए आज काव्य की आत्मोचना करते समय मनुष्य उन सब वातों की आलोचना करता है जो किसी भी तत्त्वज्ञान की पोथी में पाये जा सकते हैं—मनस्तत्त्व, जीवविद्या, प्रजननशास्त्र, नीतिविद्या, कानून, व्यर्थशास्त्र, और ऐसे ही अनेक विषय काव्यालोचना के विषय होते जा रहे हैं। छूटता है केवल

एक ही विषय, याव्यगत रसानुभूति; क्योंकि वस्तुतः रसवस्तु मनुभव की बीच है, विवेचना की नहीं। कहते हैं, एक बार श्रोकृष्णचन्द्र ने स्त्रीवेश धारण बरके राधिका के प्रेम की परीक्षा सेनी चाही थी। राधा ने उनके प्रश्नों का उत्तर देने हुए कहा था कि 'ऐ मासी, जो व्यक्ति प्रेमानुभूति को जानने की इच्छा रखता है— ज्ञान द्वारा उसे प्राप्त करना चाहता है— उसे वेदना (अनुभूति) को समझना एक वेदना (पीड़ा) ही है। प्रेम तो कुछ ऐसी वस्तु है, जो विवेचना करने में घनरूप हो जाता है और नहीं विवेचना करने में भी अविदित ही रह जाता है।'

यो वेदयेद्विविषय सगि वेदनं यत् या वेदना तदसिं सतु वेदनंव ।

प्रेमा हि कोऽपि पर एव विवेचने गत्यन्तदंधात्यनमसावद्विवेचनेऽपि ॥

यह ठीक है, पर 'आलभासावद्विवेचनेऽपि' ही मनुष्य का बड़ा परिचय है। मत्य-मात्र अनुभवगम्य वस्तु है, किर जाहे वह गणितज्ञ की पेसिल को नोक से निकला हो या सगीतज्ञ के मितार की झगार में। परन्तु मनुष्य उसको बुद्धिपरक विवेचना देने में हिचका नहीं है— 'मन जानत प्रभु प्रभुता मोई। तदपि कहे विन रहा न कोई।' क्योंकि कहे विन रह जाना मनुष्यत्व का विरोधी है। मनुभूति भी बुद्धि-विवेच्य अवश्य है। कभी-कभी यह बात गलत ढंग से समझी जाती है। वह विश्वास किया जाता है कि मनुष्य की आन्तरिक अनुभूति से जो बातें जानी जाती है वह और होती है और तर्क में जो बातें जानी जाती हैं वह और होती हैं। दोनों मानों दो जगत् हैं, जिनका परस्पर कोई सम्बन्ध ही नहीं है। साहित्य-जैसी मुकुमार वस्तु के लिए कार्य-कारण-परम्परामूलक तर्कभावना एकदम बेकार चौज है और न्याय जैसे कठोर शास्त्र के लिए अनुभूतियों का कोमल तन्तु उतना ही निरर्थक है जितना हाथी को बाँधने के लिए कच्चा धागा। यहीं समझकर श्रीहर्षकवि को उनके विरोधी नैयायिक पण्डितों ने सुकुमार शास्त्र का जानकार बहकर उपहास किया था। श्रीहर्षकवि को यह बात स्वीकार नहीं थी। उनका मत था कि मूल वस्तु ही ज्ञान की सक्रिय प्रतिभा। जो लोग समझते हैं कि तरुण दम्पतियों का प्रेम कण्टकाकीर्ण बनस्थली में शिथिन हो जाता है और सुख-मय प्राप्ताद में दृढ़ हो जाता है, वे भोले हैं। प्रेम हो तो बाह्य परिस्थितियों कुछ बना या विगाढ़ नहीं सकती। सक्रिय प्रतिभा ही तो कोई भी शास्त्र बुद्धि-विलास का विषय हो सकता है। श्रीहर्ष ने विरोधी नैयायिक पण्डितों को दृष्ट भाषा में उत्तर दिया था :

साहित्ये सुकुमारवस्तुनि दृढन्यायग्रहग्रथिले  
तकें वा भयि सविधातरिस्वय लीलायते भारती ।

शैय्या वास्तु मृदृतरच्छदवती दर्भाकुरैसवृता  
मूर्मिर्वा हृदयगमो यदि परिस्तुल्या रतियोपिताम् ॥

यह सत्य है कि कुछ विषय आन्तरिक अनुभूति के क्षेत्र में आते हैं और कुछ दूसरे विषय बाह्य वस्तुओं की सामंजस्यविधायिनी तर्कना के क्षेत्र में, परन्तु सर्वेत्र एक ही वस्तु दोनों को समझती और प्रकाश करती है— मनुष्य की बुद्धि।

मानवीय चेतना के एक निनारे है भाव और दूभरे किनारे हैं तथ्य। एक कलाव्य को, संगीत को, कला को मानवीय बनाकर प्रकाशित होता है; दूसरा इसको प्रौर विज्ञान को। दोनों एक-दूभरे से विच्छिन्न नहीं हैं। एक को घोड़ा-कर दूसरा रह नहीं सकता। तथ्य भी भाव के सहारे सड़ा है और भाव तो तथ्य के दिना ग्रन्थदम नेंगढ़ा ही होता है। धीर्घपंक्ति का मन चाहे एक ही व्यक्ति को आश्रयहस्प में देखने से स्वीकार करने योग्य न जान पड़े, पर मनुष्यज्ञानि को आश्रयहस्प में देखाकर यदि इस पर विचार किया जाय तो वह मोनह आने लगता है। कैसे? देखा जाय।

तथ्य को ममभनेवाली बुद्धि चेतना के उस किनारे पर कारोबार करती है जो वास्तविक दृष्टा की अनुभूतियों से विषयसम्बन्ध असम्भूत रहती है। मनुष्य में वह विषयव्यधान दृष्टि की प्रतिष्ठा करती है। विषयी यानी दृष्टा के भावों में विषय यानी द्रष्टव्य जितना ही स्वतन्त्र, असमुक्त और निनित रहेगा, वह उतना ही तथ्यमूलक होगा। परन्तु वास्तविक के भी विषय एक ही साथ इस तथ्यानुधाविनी दृष्टि के लक्ष्य नहीं बनते। दृष्टा ही उन वस्तुओं ही वास्तविक से चुनता है, और उनके विश्लेषण में तथ्य-जगत् का पता लगाता है। इस प्रकार रमायन-विज्ञान या पदार्थ-विज्ञान एकदम द्रष्टव्यनिरपेक्ष विद्या नहीं कहे जा सकते, किंतु भी यह ठीक है कि विज्ञानों का आदर्श द्रष्टव्यनिरपेक्ष होना ही है। विज्ञान, द्रष्टव्यनिरपेक्ष तथ्य का अनुसन्धानता है, गणित इस प्रकार की चेतना के साथसे पहले किनारे का विषय है। अन्यान्य विज्ञानों में लौकिक जगत् की जानकारी आवश्यक होती है, और इसीलिए दृष्टा या विषयी के कुछ भावों के लिये होने की आवश्यकता वरावर वही रहती है पर गणित में लौकिक वस्तुओं की जहरत कम-से-कम होती है; इसीलिए गणित मध्यसे अधिक द्रष्टव्यनिरपेक्ष विज्ञान है, और कम-से-कम द्रष्टव्य-सापेक्ष। ठीक इसी प्रकार चेतना के उस किनारे पर संगीत और साहित्य है जहाँ बुद्धि अन्तर्जगत् के भाव को लेकर काम करती है। परन्तु यह भी तथ्य की घोड़ा-कर नहीं रह सकते।

साहित्य का और अन्य लमित कलाओं का घर्म ही प्रकाश करता है। ये तथ्य के पात्र में सुरक्षित भाव को ही अस्वाद योग्य बनाते हैं। हम पहले ही कह आये हैं कि संगीत कम-से-कम विषय-सापेक्ष विद्या है। काव्य उससे अधिक किन्तु अन्य साहित्यागों से कम विषय-सापेक्ष है। यदि साहित्य का एक घोटा-ना खोने चेतना के अन्तर्मुखी परखे किनारे की ओर बना दिया जाय तो काव्य उसमें संगीत की ओर अर्धांतर चेतना के विषय-मापेक्ष और विषय-निरपेक्ष किनारे की ओर रहेगा और उपन्यास उसके विरुद्ध दूसरी ओर रहेगा। उपन्यास और काव्य में यह मीलिक अन्तर है कि उपन्यास मोनूदा परिस्थिति को भूलकर भविष्य की कलाना नहीं कर सकता, जबकि काव्य वर्तमान परिस्थिति की या ज्ञात तथ्य की मर्यादिक नपीत परिणति की मम्पर्णतः उपेक्षा करके भी अपने आदर्श मठ सकता है। यही काव्य है कि उपन्यासकार तथ्य की नहीं घोड़ा सकता, वह वर्तमान से आग नहीं गूंद

सकता—यहाँ तक कि पुराने ऐतिहासिक कथानक को आधय करने पर भी वह आधुनिकतम ऐतिहासिक अनुसन्धान की बात मन में बराबर बनाये रहकर ही प्राप्त बढ़ सकता है। वह कवि वीर भाँति जमाने के आगे रहने का दावा नहीं करता। काव्य दुनिया की छोटी-से-छोटी तुच्छता को भी महिमामण्डित कर सकता है, एवं उपन्यासकार तुच्छता को तुच्छता मानकर ही कारबार करता रहता है। यह सम्पूर्ण रूप से नये यन्त्रयुग को उपज है और इस युग के सम्पूर्ण दोष-गुणों को लेकर ही इसका जन्म हुआ है। नये युग की कलाओं ने इसकी माँग बढ़ायी है और उन्हीं ने इसकी पूति का साधन भी जुटाया है। यह गलत धारणा है कि उपन्यास और कहानियाँ संस्कृत की कथा और आर्यायिकाओं की सीधी सन्तान हैं। कथा और आर्यायिका नाममात्र के गद्य हैं। उनमें वह भंकार है जो घन्द का प्राण है। वे काव्य वीर श्रेणी में पड़ती हैं। यह भंकार आधुनिक कविता का प्राण भी है। उपन्यास में यह दुलंभ है। उपन्यास तथ्य-जगत् से बहुत अधिक समृक्त है। वह विशुद्ध गद्य-युग की उपज है। उसकी प्रवृत्ति में गद्य का सहज स्वच्छद प्रवाह है। उपन्यास में दुनिया जैसी है उसे वैसी ही चित्रित करने का प्रयास प्रधान होता है। कथा-आर्यायिकाओं का लेखक पुराने कवि की भाँति कल्पना द्वारा एक रसम लोक का निर्माण करता है। वस्तुतः कथा-आर्यायिकाएँ काव्य के पास पड़ती हैं और उपन्यास तथ्यप्रधान जगत् के पास। उपन्यास और कहानियाँ आज के सर्वो मजबूत साहित्यांग हैं। इसका कारण यह है कि उपन्यासकार और कहानीकार वा अपना एक मत होता है, काव्य की भाँति वह भावावेग द्वारा अन्तर्जंगत की अनुभूति को उतना नहीं जगाता वल्कि वाह्य जगत् के तथ्यान्वेषण के कारण उसने समस्याओं के बारे में अपना निश्चित मत व्यक्त करता है। वैयक्तिक स्वाधीनता के नाम से परिचित आधुनिक डेमोक्रेटिक भावना का सर्वोत्तम हृप उसम उपन्यासों को आधय करके प्रकट हुआ है। इसकी नीव उन वस्तुओं पर रखी हुई है जो गम्भीर भाव से निरन्तर ही हमारी सामान्य मनुष्यता की कठिनाइयों और द्वंद्वों को प्रश्न-वित करती रहती है। उपन्यासकार के रचनाकौशल, घटना-विन्यास का चारुम और तथ्यात्मक जगत् की भमस्याओं में सीधे धुसरेवाली भेदक निझी दृष्टि—इन तीन गुणों के कारण उपन्यास आज इतना लोकप्रिय साहित्यांग बन गया है। नाटक में भी ये गुण होते हैं, पर नाटक विशुद्ध साहित्य नहीं होता भर्याति शब्द और गम्भीर की भिंफ परस्परस्पर्दी चालता तक ही रहकर रससृष्टि नहीं कर सकता, उसके लिए रंगमंच की ज़रूरत होती है।

किन्तु कविचित्त की गम्भीर अनुभूति सुन्दर हृप लेकर भाषा में अपनी महिमा प्रतिष्ठित करना चाहती है। प्रेम अपने को सौंजोना-सेवारना चाहता है। प्रनर में उसका जो आनन्द है उसे बाहर के जगत् में सोन्दर्य के भीतर वह प्रतिष्ठित करना चाहता है। वस्तुतः काव्य जेतना के उस संवेदनात्मक स्पन्दन का परिणाम है जो वाह्य जगत् के ज्ञान तथ्यों के आधार पर और अन्तर्जंगत के परिचित भाव-वेग-साधनों के महारे कविचित्त की ममनुभूति को समस्त सहदर्यों के हृदय में

संचारित करता है। उसका आधार तथ्यों की दुनिया है। भाव जब तथ्य से युक्त होता है, तभी साधारण सत्य होता है। श्रीमती महादेवी वर्मा ने आधुनिक विषयि-प्रधान कविताओं का विश्लेषण करते हुए छायाचाद की तीन विशेषताओं पर जोर दिया है : (1) व्यक्तिगत अनुभव में प्राणसचार, (2) प्रकृति के अनेक रूपों में एक महाप्राण का अनुभव, और (3) ससीम और असीम का ऐसा सम्बन्ध जिसमें अलौकिक व्यक्तिगत का आरोप हो। किन्तु महादेवीजी बताती है कि मनुष्य-मनुष्य के बीच जो रागात्मक सम्बन्ध है, उनमें जब तक "अनुराग-जन्य आत्म-विषयन का भाव नहीं थुल जाता तब तक वे सरस नहीं हो पाते। परन्तु मनुष्य के हृदय का अभाव तब तक दूर नहीं होता जब तक वह सरसता सीमाहीन के प्रति न हो।" इन बातों का विश्लेषण किया जाय तो यह स्पष्ट होगा कि भाव को तथ्य से एकदम असम्पूर्त रखकर काव्य नहीं बन सकता। यद्यपि विषयि-प्रधानता काव्य में अवश्य रहती है, पर काव्य के अनेक ऐसे भेद भी हैं जिनमें विषय कम महत्वपूर्ण नहीं होता। ऐतिहासिक महाकाव्य, काव्य, वर्णनात्मक वीरगाथाएँ आदि वाह्य जगत् के तथ्य से निलिप्त नहीं रह सकती, पर उपन्यास इनमें सबसे अधिक तथ्याश्रयी है। इससे थोड़ा ही सटा हुआ तथ्योन्मुख साहित्य आत्मकथा का है जिसका एक पैर साहित्य में और दूसरा इतिहास में होता है।

लेकिन भूल बात जो हम कहना चाहते हैं, वह यह है कि काव्य और विज्ञान एक ही मानवीय चेतना के दो किनारों की उपज है। वे परस्पर-विच्छिन्न नहीं हैं, परस्पर-विरुद्ध तो नहीं ही है। मनुष्य की एक ही चेतना से दोनों की स्थिति है। इसलिए ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक की अच्छाई-बुराई का निर्णय यदि आसानी से होता है तो दूसरे की अच्छाई-बुराई का निर्णय हो ही नहीं सकता। कोई-न-कोई एक सामान्य मापदण्ड श्रवश्य है। विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में काम करनेवाले वैज्ञानिक तथ्य-जगत् के नये-नये तत्त्व बराबर आविष्कार करते रहते हैं। एक क्षेत्र का वैज्ञानिक दूसरे क्षेत्र के वैज्ञानिक द्वारा आविष्कृत तथ्य की बात नहीं सोचता। वह विलुप्त ही विचलित नहीं होगा यदि उसका आविष्कार किसी ऐसी बात का समर्वन करे जो दूसरे क्षेत्र के वैज्ञानिक के आविष्कृत तथ्यों से एकदम उलटी पड़ती हो। इसमें विज्ञान की कोई शिकायत नहीं है परन्तु यह बताने की ज़रूरत फिर भी रह जाती है कि इन विभिन्न वैज्ञानिक अनुसन्धानों में सामंजस्य कैसे स्थापित किया जाय। सामंजस्य का खोजना आवश्यक है। मनुष्य के आविष्कृत सत्य को मनुष्य के ही आविष्कृत अन्य सत्यों का विरोधी नहीं होना चाहिए, वयोःकि वह वस्तुतः एक ही चेतना के परिणाम है। तत्त्वज्ञान का शास्त्र यही कार्य करता है। जिस प्रकार तथ्यात्मक जगत् के साधक विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हुए परस्पर विच्छिन्न और कभी-कभी परस्पर-विरुद्ध जानेवाले परिणामों को खोज निकालते हैं, उसी प्रकार भाव-जगत् में विचरण करनेवाले कवि, चित्रकार, नाटक-कार और संगीत-विशारद विभिन्न क्षेत्रों में विचरण करते हुए ऐसी सौन्दर्य-प्रेरणाओं का सन्धान पाते हैं जो साधारण मनुष्य की समझ के लिए जटिल हो-

जाते हैं। सौन्दर्यशास्त्र का आलोचक इन्ही परस्पर-प्रसम्बद्ध और विच्छिन्नी लगनेवाली रसप्रेरणा के स्रोतों में सामंजस्य सोजता है। यह भी तत्त्वज्ञान वाही विषय है। धर्म-विज्ञान पहले से ही एक ऐसी सत्ता में विश्वास कर लेता है जो इस मनुष्यदृष्टि जगत् को अंशमात्र से व्याप्त करके छला रही है। मुना है, इधर हाल में पदार्थ-विज्ञान के नये आविकारों ने तत्त्वज्ञानियों की युक्तिमर्माणित समझी जानेवाली कार्य-कारण-परम्परा पर गहरी छोट मारी है और पदार्थविज्ञान वी पूर्ति के लिए धर्म-विज्ञान हारा अनुचालित किसी लोकोत्तर विश्वास की आशयकता महसूस की जाने लगी है।

लेकिन ततः किम् ? यदि यह मान ही लिया गया कि ये सारी बाँहें मनुष्य की एक ही चेतन सत्ता के विलास मात्र हैं जिन्हें साहित्य कहते हैं, कला कहते हैं, विज्ञान कहते हैं या गणित कहते हैं, तो क्या हुआ ? गणित या पदार्थविज्ञान वी उपयोगिता तो समझ में आ जाती है, साहित्य की क्या उपयोगिता हो सकती है ? दूसरे शब्दों में मह प्रण द्वारा कि माहित्य पढ़ने से मनुष्य को कुछ जीवन में न पड़ने से सफलता या असफलता मिलती है या नहीं ? और फिर मह असफलता या सफलता काव्य या अन्य साहित्यांगों के उत्कर्ष या अपकर्ष की कसीटी है या नहीं ? मनुष्य ने जो अपने अनुभवों की दुनिया बनायी है उसी के हिसाब से उसने भले या बुरे, सुन्दर या असुन्दर की कल्पना भी बना ली है। यह कल्पना क्या कल्पना-भर ही है या इसकी कुछ उपादेयता या यथार्थता भी है ? सब प्रश्नों को मेटकर संक्षिप्त किया जाय तो मूल प्रश्न यह है कि किस बात से हम निश्चय कर सकते हैं कि कोई वस्तु अच्छी है या बुरी है और वह कसीटी साहित्य पर किस प्रकार लाग होती है। इतना शुरू में ही मान लेना चाहिए कि सबकी एक कसीटी होनी चाहिए, यह नहीं कि विज्ञान के लिए एक हो और कला के लिए दूसरी और तत्त्वज्ञान के लिए तीसरी; क्योंकि जब सभी मनुष्य-चेतना की ही उपज है तो उनमें कोई सम्भानता तो होनी ही चाहिए।

जब कभी ये इस मनुष्य की उत्पत्ति की बात सोचता हैं तो अपने रक्तकणों में एक अपूर्व भन्नभन्नाहट अनुभव करता हैं। आप मेरी इस दुर्बलता को क्षमा करें। पर मैं इस बात को सोचे बिना रह नहीं सकता। यह मुझे समस्त सत्यों का सत्य जान पड़ता है। न जाने किस पुण्यक्षण में, किसी अज्ञात काल के अज्ञात मुहूर्त में हमारा यह घ्रहणिण, जिसका नाम पृथ्वी दिया गया है, सूर्यमण्डल से टूट गया था। उस समय यह ज्वलन्त गंसों से भरा हुआ था। शुरू से अन्त तक केवल ताप से परिपूर्ण इस श्रुटि धरित्री-खण्ड के किस कण में जीवतत्व वर्तमान था, कोई वही जानता। उसके बाद लाखों वर्ष तक यह पिण्ड ठण्डा होता रहा, चक्कर भारत रहा, दुर्दित वेग से दीड़ता रहा। लिलाढ़ी के इशारे पर नाचनेवाले सरकर के घोड़े की तरह यह चक्कर काटता रहा। लाखों वर्षों तक तप्त धातुओं की लहाँहें वर्षा होती रही, लाखों वर्ष धरित्री का ऊपरी भाग धमकता, मसकता रहा, लाखों वर्ष इसकी पपड़ी ठण्डी होती रही। तब से आज तक यह विचित्र धरित्री-पिण्ड विपुल

आकाश में निस्महाय पूम रहा है। कोई भी परखलयमार्गों धूमकेतु इसे एक ही पाते में चूर्ण-विचूर्ण कर दे सकता था और आज भी कर दे सकता है, कोई भी प्रतिपरखलय-गन्यी परियाजक पिण्ड इसे चुम्बक की भाँति सटाक से खीचकर निगल ले सकता था और निगल ले सकता है, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। दुर्दल्ल वेग कम हो गया, तप्त घातुओं की झाईहेह वर्षा स्क गयी, घसकन-भसकन का उत्तात शिथिम हो गया। और सबसे आश्चर्य की बात यह हुई कि एक एकदम नवीन वस्तु का आविर्भाव हुआ—जीवकण ! न जाने कब से जीवतत्त्व उन तप्त घातुओं में द्विपा हुआ अनुकूल अवसर की प्रतीक्षा में बैठा हुआ था। समस्त जड़-शक्ति के भस्तक पर पैर रगकर जब वह मृदुल तृणाकुर के स्प में पैदा हुआ, तो पृथ्वी के द्वितीयास में अधिट्ठ पटना ही पटी थी। जडशक्ति में सबसे अधिक शक्ति-ज्ञाली थी महाकर्ष की शक्ति—ग्रैविटेशन पावर। नगण्य तृणाकुर ने उसकी प्रतिभा नहीं मानी, वह सिर उठाके खड़ा हो गया। महाकर्ष की शक्ति उसे नीचे नहीं खीच सकी, नहीं खीच सकी। तब से आज तक वह उम वस्तु को नीचे नहीं खीच सकी है जिसमें प्राण है। जीवतत्त्व की ऊर्ध्वंगामिनी वृत्ति आज तक समस्त जड़तत्त्वों को परास्त करके विराज रही है।

जीवतत्त्व विकसित होता गया, एक कोश से अनेक कोशों में, सरल सधात से जटिन समूह के स्व में, कर्मेन्द्रियप्रधान जीवों से ज्ञानेन्द्रियप्रधान जीवों के स्व में और अन्त में उसने मनुष्य के स्व में अपने को प्रकाट किया। मनुष्य उसकी अन्तिम परिणति है। पण्डितों ने देखा है कि मनुष्य तक आते-आते प्रकृति ने अनेक प्रयोग किये हैं, कितने ही जीव-ऐसे बनाये जिनका नाम भी अब नहीं बच रहा है। इस प्रयोगशाला में प्रकृति ने न जाने कितने प्रयोग किये हैं। एक वृक्ष बनाने के लिए उसने एक हजार बीज बनाये हैं। यह विशाल फिजूलखर्चों क्या व्यर्थ है ? यह अद्भुत रचना-कोशल क्या अन्य प्रचेष्टा का फल है ? यह असंख्य प्रयोग क्या राह भूते व्यक्ति के प्रयास हैं ? या योजना बनानेवाली किसी दुष्टि के अभाव के परिचायक हैं ? मनुष्य को यहाँ तक ले आने में क्या केवल संयोग ने काम किया है या किसी अज्ञात महाशक्ति का इशारा काम कर रहा है ? कौन बतायेगा कि इतनी वरवादी प्रकृति ने किस उद्देश्य की सिद्धि के लिए सही है ?

मनुष्य के आने के पहले प्रकृति अपने-आप लुढ़कती-पुढ़कती, घिसटती-घसटती चल रही थी। मनुष्य ने उसके कार्य-कारण-परम्परा की नीरन्ध्र ठोस भूमिका में दरार किया। उसने इच्छाशक्ति को प्रवेश कराया। अब तक जो कुछ जैसा था, होने को बाध्य था। मनुष्य ने कहा, जैसा है वैसा नहीं, जैसा होना चाहिए वैसा ! यही में सृष्टि का नया अध्याय शुरू हुआ। मनुष्य प्रकृति के आदेश को न मानकर वह रास्ता ढूँढ़ने लगा जिसमें प्रकृति उसकी इच्छा की अनुरूपतानी हो। वह विजयी हुआ। उसके इशारे पर प्रकृति चलने लगी। मित्रो, यह रक्तकण को भनभना देने-वाली बात्ता नहीं है, इसमें अधिक उल्लास और उत्कम्प पैदा करनेवाली बात और क्या हो सकती है ?

जो जैसा है उसे यैसा ही मान लेना मनुष्यपूर्व जीवों का सदाचार था, पर जो जैसा है वैसा नहीं, यल्लि जैसा होना चाहिए। वैसा करने का प्रयत्न मनुष्य की अपनी विशेषता है। इसमें प्रयत्न की प्रावश्यकता होती है। प्रयत्न करना मनुष्य का स्वाभाविक धर्म है। पशु में और मनुष्य में वहूत-में भामान्य धर्म हैं। मनुष्य उतनी दूर तक पशु ही है जितनी दूर तक वह केवल मादिम राहजात मनोवृत्तियों और असंगत तथा अविविष्ट मयोगों से चालित होता है। सोभ सहजात मनोवृत्ति है, वह पशु और मनुष्य में समान है, पर औदायं, पर-दुर-भवेदन उसमें नहीं होते। यह मनुष्य की अपनी विशेषता है। स्वायं के तिए लड़ पहना मनुष्य और पशु में समान है, पर दूसरे के लिए अपने को उत्तर्ग कर देना, अपने काट सहार भी दूसरे को मुविधा कर देना मनुष्य की अपनी विशेषता है। इसी प्रकार आहार, निदा आदि पशु-भामान्य धरानल में जो ऊपर की ओर है, जो संयम से, औदायं से, तप से और त्याग से प्राप्त होती है, वह मनुष्य की अपनी विशेषता है। यही मनुष्य की मनुष्यता है। किर मनुष्य विवेकी है, वह प्रवृत्ति के नियमों का विश्लेषण करता है और इस प्रकार उनका उपयोग करता है जिससे वह नभी सूष्टि कर सके। विवेक, कल्पना, औदायं और संयम मनुष्यता है और इसके विरह जानेवाले मनोभाव मनुष्यता नहीं है।

परन्तु क्या प्रमाण है कि मनुष्य ने जो कुछ सोचा है या किया है, वह सचमुच ही वैसा है जैसा होना चाहिए? या किर क्या सबूत है कि जिन बातों को हमने मनुष्यता कहा है वे निश्चित रूप से उनसे अच्छे ही गुण हैं जिन्हे हमने मनुष्यता नहीं कहा है? हम यहाँ जो कुछ देख रहे हैं, जो कुछ सोच रहे हैं, जो कुछ समझ रहे हैं और वे सभी बातें जिन्हें हम भविष्य में जानेंगे, मनुष्य की दृष्टि से देखा हुआ मनुष्य की अपनी क्रुटि-विच्छुतियों से परिभावित मानव-सत्य है। यह कोटि-कोटि योजनों में विस्तृत विशाल अहगाढ़-निकाय भी मनुष्य का सत्य है और यह अत्यन्त सूक्ष्म तक-वितर्क, ज्ञान-वैराग्य, रस-भाव, तथ्य-मत्य सब मनुष्य की आंखों से देखा हुआ मानव-सत्य है। केंकड़ा तिरछा चलता है। एकबार केंकड़े के बच्चे ने अपनी माँ से पूछा कि 'माँ, मनुष्य के बच्चे तिरछा क्यों चलते हैं?' माँ ने उत्तर दिया, 'उनका स्वभाव ही ऐसा है।' केंकड़े की दृष्टि से मनुष्य की चाल तिरछी है, क्योंकि केंकड़े का जगत् केंकड़े का अपना सत्य है। मनुष्य की दृष्टि में केंकड़े की चाल तिरछी है, क्योंकि यह मनुष्य-दृष्टि तथ्य है। दोनों में कौन ठीक है?

**वस्तुतः:** यह प्रश्न उतना महत्वपूर्ण है नहीं, जितना ऊपर-ऊपर से दिखायी देता है, क्योंकि चाहे भलाई-बुराई कहिए या सुन्दर-इसुन्दर कहिए या नीतिक-अनीतिक कहिए, ये सारी धारणाएं मनुष्य-दृष्टि जगत् की है। इसलिए जब हमें इन बातों के माध्यम से सोचना पड़ता है तो वस्तुतः हम माननीय जगत् की ही बात सोचते रहते हैं। इसलिए जब हम अच्छा या बुरा, सुन्दर या असुन्दर, नीतिसंगत या अनीतिसंगत बात करते हैं तो वस्तुतः मनुष्य-दृष्टि तथ्यों और भावों के मामजस्य या असार्मजस्य की ही बात करते हैं। मनुष्य में दो भाव हैं—जड़ भाव और चेतन

भाव। जड़ उसे नीचे की ओर खींचता है, गतिहीन बनाता है और चेतन उसे ऊपर की ओर ले जाता, गति देता है। चेतन में भी कुछ मनुष्य-शूर्व सस्कार है जो उसकी स्वार्थमय वृत्ति को रूप देते हैं और कुछ मनुष्य-सचित सस्कार है जो उसे छोटी स्वार्थ-सीमा को छोड़कर दूसरों के साथ एक करते हैं। मनुष्य जितना ही अधिक 'मनुष्य' होता है, उतना ही अधिक वह दूसरों के साथ अपना तादात्म्य स्थापित कर सकता है और इसको अन्तिम तरफ़ संगत यरिणाम तक ले आया जाय तो कह सकते हैं कि 'एकत्व' की अनुभूति ही मनुष्य की चरम मनुष्यता है। यह देखा गया है कि व्यक्तिगत सुख-सुविधा के लिए मनुष्य जिन घातों के भाव को वहुमान देता है, अभाव से विचलित होता है, उन्हें वह उस समय एकदम तुच्छ समझता है जब दूसरों के प्रति समर्वेदना से आकृष्ट होकर अपने-आपकी बलि देने को तैयार हो जाता है। साधारण अर्थ में जिसे दुःख माना जाता है, उसे वह उस अवस्था में सुख मानता है। दुनिया के समस्त व्यवहारों का अर्थ ही उसकी दृष्टि से भिन्न हो जाता है। यह समर्वेदना एक अपूर्व द्रावक रस है। समस्त ललित कलाओं का यह प्राण है। इसके संस्पर्श में आकर दुःख दुःख नहीं रहता, सुख सुख नहीं रहता। समस्त मनोभाव ज्यों-केन्त्यों रहते हैं, पर उनकी अनुभूतियाँ एकदम बदल जाती हैं। मनुष्य का यह निजी धर्म है। 'भागवत' में यह बताया गया है कि धन से, प्राण से, मन से, वचन से, कर्म से मनुष्य अपनी देह के लिए, पुण्य-सीधादि के लिए उन्हें सम्पूर्ण मानव-समाज से अलग समझकर जो कुछ भी करता है वह असत् होता है, परन्तु इन्हीं स्पूल वस्तुओं से और रागप्रवण मनोवृत्तियों से जब वह समस्त मनुष्य को एक समझकर, अपृथक् समझकर कर्म करता है तो वह 'सत्' ही जाता है, क्योंकि ऐसा कर्म किसी खण्ड-तत्त्व की नहीं बल्कि 'पूर्ण' की सेवा में नियुक्त होता है और स्नेहरस से सबके भूल का सेवन करता है:

यद्युग्यतेऽग्नुवसुर्मनोवद्योभिदेहात्मजादिषु नुभिस्तदसत् पृथक्त्वात् ।

तैरेव सद्भवति चेत् क्रियतेऽपृथक्त्वात् सर्वस्य तद्भवति मूलनिषेचनं पत् ॥

—भा., 8-9-29

सो, यह मनुष्य की एकत्वानुभूति ही मनुष्य की चरम मनुष्यता है। जब अपने को दलित द्राक्षा के समान निचोड़कर—समस्त सुख-दुःखों की तेल-वाती में जलाकर—मनुष्य अपने-आपको 'महा एक' को समर्पण करता है तो वह 'मनुष्य' बनता है। उसका सम्पूर्ण जीवन चरितार्थ होता है। जहाँ यह भाव नहीं है, जहाँ कही मनुष्य अपने को, निर्दलित दृश्यदण्ड की भौति, सुख-दुःख की चक्की में धीसकर अपना जीवन-रस सबके सुख के लिए दे सका है वही उसका थेठ स्पृष्ट हृषि प्रकट हुआ है, जहाँ ऐसा नहीं हो सका वही उसका थ्रेठ स्पृष्ट भी प्रकाशित नहीं हुआ। मनुष्य का थ्रेठ रूप में प्रकट होना ही उसका स्वाभाविक धर्म है। स्वाभाविक का अर्थ महाज्ञात प्रादिम मनोभाव नहीं समझना चाहिए। प्रयत्न करना मनुष्य का स्वभाव है और उसका स्वाभाविक धर्म प्रयत्न का विरोधी नहीं हो सकता। मनुष्य में कुछ पशु-सामान्य आदिम मनोवृत्तियाँ हैं जो अनायास ही, योड़ी-सी उत्तेजना पाते हीं

विचारक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने मनोजगत् के जिन रहस्यों का उद्घाटन किया है, उन्हें तथ्यात्मक जगत् का ही रहस्य समझना चाहिए। ये चरम सत्य नहीं हैं, यद्यपि कभी-कभी इन्हें अन्तिम सत्य मानकर साहित्य लिखने का प्रयत्न होता रहता है।

यह अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि तथ्य-जगत् से गाढ़ भाव से सम्बद्ध होने पर भी साहित्य का सबसे अधिक सम्बन्ध मानसिक जगत् से है। इसलिए इसमें कोई आश्वर्य नहीं कि आज के मनोविज्ञान के नवीन आविष्कारों ने हमारे तरुण साहित्यकारों को अभिभूत कर दिया है। मुझे मनोविश्लेषणशास्त्र से वडा अनुराग है, जब कभी सुनता हूँ कि इस विषय की कोई नयी पुस्तक थीपी है तो उसे पाने और पढ़ने का प्रयत्न करता हूँ। बुद्धि-विद्या के अनुसार उसके भावों को ग्रहण भी करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कायड़ और उसके शिष्यों ने मनुष्य को समझने के लिए बहुत उत्तम साधन प्रस्तुत किये हैं। हमारे अपने मानस में निरन्तर प्रवाहित होनेवाली अनेक अज्ञात धाराओं को उन्होंने ज्ञात बताया है और अपने-आपको समझने की कुञ्जी दी है। पर सब मिलकर वह शास्त्र अभी शंशब्द-वस्था में ही है। यब भी बहुत-कुछ इसकी पकड़ के बाहर रह गया है। किरण यह मनोविश्लेषण-विज्ञान यद्यपि बहुत तेजस्वी है, जनभते ही न जाने कितने सूँड़ विश्वासी को इसने चित कर दिया है और आचारशास्त्र, सौदर्य-विवेचक शास्त्र तथा नीतिक विधान आदि पर तो इसने दुर्दान्त आक्रमण किये हैं, यद्यपि वह मनुष्य द्वारा उद्भावित महान् ज्ञानराशि का एक कणमात्र ही है। इसे सब सौंचों के साथ मिलाकर तब स्वीकार करना चाहिए—“सब सौंच मिले तो सौंच है, ना मिले सो झूठ !”

हमने ऊपर देखा है कि तथ्यात्मक जगत् के ऊहापोह में लगे हुए वैज्ञानिक इस यात की परवा नहीं करते कि उनका आविष्कृत नवीन तथ्य अन्य गवेषणाओं द्वारा उपलब्ध तथ्यों के साथ समर्पित रखता है या नहीं। यह काम उनका नहीं है। पहले तत्त्वज्ञानियों का काम है। सुना है, पदार्थ-विज्ञान और जीव-विज्ञान ने ऐसे अनेक तथ्यों का पता लगाया है जिनका अर्थ एक समय उन तथ्यों के अनुकूल नहीं पड़ता या जिन्हे मनोविश्लेषणशास्त्र ने सोज निकाला है। तरुण साहित्यकार एकमात्र मनोविश्लेषणशास्त्र को ही साहित्य-सहायक शास्त्र मान से तो गलती करेगा। मनोविश्लेषणशास्त्र भी उमी प्रकार या तथ्य-विवेचक शास्त्र है जिस प्रकार के अन्य जड़ विज्ञान है। यह गमभना कि अवचेतन चित की शक्तिशाली सत्ता ही हमारे चेतन वित के विकारों को कार्य का हृप दे रही है और अत्यन्त निवारण स्तर में विद्यमान हमारी धर्ममित वामनाओं और प्रगुप्त कामनाओं के महामुद्र में हमारा यह दृश्य चेतन-चित बोतन के कार्य के समान उत्तरा रहा है और दुर्दान्त प्रक्तामंहस्तियों के थोड़े को मार गाकर दूधर से उधर उसी प्रकार मारा-मारा किर रहा है जिस प्रकार मारहीन नूलगण्ड प्रचण्ड वयष्टि भटक रहा हो, पूर्ण मम-भना नहीं है। इसमें मनुष्य की नियतिद्वारा के भाव को बढ़ाया मिलता है, जो

असत्य है; इससे मनुष्य की स्वतन्त्र इच्छाशक्ति की नगण्यता सिद्ध होती है, जो भूठ है; इससे मनुष्य की युक्ति-तर्क-प्रबण प्रवृत्ति का प्रत्याख्यान होता है, जो एक-दम गलत है; इससे मनुष्य की उस दुर्जय शक्ति का अपमान होता है जिसमें प्रकृति को अपने अनुबूल करने का संकल्प है, जो अशोभन है, और सबसे बढ़कर मनुष्य के उन समस्त सद्गुणों का तिरस्कार होता है जिन्हें समय कहा जाता है, विवेक कहा जाता है, साथना कहा जाता है, आत्मदान कहा जाता है—जो अवाञ्छनीय है। मुझे यह देखकर आश्चर्य होता है कि उन प्रगतिवादियों को भी यह सिद्धान्त मनोरम लगने लगता है जिनका मूल मन्त्र ही दुनिया को नये सांचे में ढालना है, जो कर्म में विश्वास करते हैं, जो उन समस्त मानसिक उन्मादनाओं को छवस करने का स्वर्ण देखा करते हैं जिन्हें सुविधाभोगी वर्गों ने बड़े-बड़े नाम देकर अपने स्वार्थसाधन का उपाय बना रखा है।

वस्तुतः इन दोनों मनोभावों का कोई सामंजस्य नहीं है। यह विश्वास करना कि मनुष्य का युक्तिपरायण होना ही उसके समस्त नैतिक आचरणों का स्रोत है, यहाँ तक कि ईश्वर की कल्पना भी मनुष्य ने इसी नैतिकता के स्रोत की सिद्धि के लिए की है और साथ ही यह भी कहना कि मनुष्य जिसे तर्क-संगत विचार (या रीजन) कहता है वह असत में उसके संगति बैठाने (या रैशनलाइजेशन) का ही प्रकारान्तर है, यह तो व्याधात दोप है। फिर भी यह क्या आश्चर्यजनक बात नहीं है कि हमारे बहुत-से साहित्यकार ऐसी बातें एक सौस में कह जाते हैं! जब मैं कहता हूँ कि मैं मनोविश्लेषणशास्त्र का प्रेमी हूँ तो मेरे मन में जो बात होती है उसे स्पष्ट कर देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि सचमुच ही मनुष्य के ऐसे अनेक कार्य हैं जो उसकी अवदमित वासनाओं के प्रकाश हैं। सचमुच ही ऐसे अनेक विचार हैं जो उसकी प्रसुप्त वासनाओं के विलास हैं और सचमुच ही ऐसे अनेक तर्क हैं जो तकभास हैं और अपने-आपको भूतावा देने के लिए उद्भावित संगति लगाने के प्रयासमात्र हैं। मनोविश्लेषणशास्त्र के आधार पर मनुष्य के इन आचरणों को समझा जा सकता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार थर्मामीटर द्वारा शरीर के ताप को समझा जा सकता है। परन्तु न तो थर्मामीटर मनुष्य के ओर भी गम्भीर मर्मस्थल के ताप का पता देने का दावा कर सकता है और न मनो-विश्लेषणशास्त्र को मानवात्मा की दुनियादी नीव का पता लगाने का दावा करना चाहिए। उसकी भी एक सीमा है। एक सामने तह तक पहुँचकर वह बेकार और भोथा हो जाता है। इसी प्रकार थ्रेणी-संघर्ष के कारण मनुष्य-समाज की अनेक समस्याएँ पैदा हुई हैं, उनके स्वरूप को समझने के लिए और उनका प्रतिविधान करने के लिए भी कुछ विशेष प्रकार के शास्त्र आवश्यक हैं। उनके अध्ययन से हमें मानव-समाज की ऊपरी सतह की हलचलों का यथार्थ ज्ञान होता है। परन्तु इन समस्त ऊपरी हलचलों के विद्युध तरंग-संघर्ष के नीचे निस्तव्य भाव से विराज-मान है मनुष्य की एकता। मनुष्य एक है, भेद-विभेद ऊपरी बातें हैं। मनुष्य की इस महान एकता को पाने के लिए समस्त संकीर्ण स्वार्थों का व्यालदान, शणिक

आवेगों का दमन, उत्तात सवेगों का निरोध, अशुचि वासनाओं का संयमन, गलत-तकंपद्धनि का निरास और आत्मघटन का विवेक आवश्यक साधन है। इन्हीं से वह परम आनन्द चित्त में उच्छ्वल ही उठता है जिसका प्रकाश साहित्य है। जो साहित्यिक सुख असरम से, अविवेक से, लोभमोह से उत्पन्न होता है वही मानसिक उन्मादना है, प्रसुप्त वासनाओं का विलास है, 'तिविड़ी' की उत्तात तरणों पर असहाय भाव से भटकना है। उसे साहित्य नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वह 'सर्वस्य मूल नियेचन' नहीं है।

यह भी निस्सन्देह मनुष्य-दृष्ट सत्य ही है। परन्तु मनुष्य के पास इन समस्त इन्द्रियों द्वारा साक्षात्कृत जगत्-प्रपञ्च के अतिरिक्त और कुछ देखने का साधन क्या सचमुच ही नहीं है? ऐसा जान पड़ता है कि यही सबकुछ नहीं है, कुछ इससे भी व्यापक है, मनुष्य-दृष्ट जगत् केवल कणमात्र है। जिस महासत्य ने अपने को मनुष्य-दृष्ट जगत् के रूप में प्रकट किया है वह यही समाप्त नहीं हो जाता—'विपादस्थाभूत दिवि'। किस साधन के द्वारा मनुष्य ऐसा अनुभव करता है? कौन बतायेगा? प्रबाहण जैवलि ने इसी बात की ओर इशारा किया था, हमारे अन्तर्स्तल से यही ध्वनि निकल रही है कि ऐसा जान पड़ता है कि मनुष्य के भीतर ऐसा कुछ अवश्य है जो उस विशालतर अज्ञात का समानधर्मी है। ऐसा कुछ है अवश्य। परन्तु यह मेरा विश्वास है और मैं आपके सामने इसे इस रूप में प्रकट नहीं करना चाहता कि वह तर्कसंगत जैंचे। वह केवल विश्वास है। बुद्ध और तर्क के द्वारा हम जो कुछ जानते हैं, जान सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, वह सब मनुष्य-दृष्ट सत्य है। सबकुछ, कोई भी अपवाद नहीं। काव्य हो या काव्यगत रसानुभूति हो, मनुष्य-दृष्ट वृहत्तर नैतिक नियमों से बाहर नहीं पड़ सकते।

लेकिन रस के नाम पर मैंने बहुत अधिक नीरस चर्चा बढ़ा दी। वस्तुतः रस अनुभवगम्य वस्तु है और उसकी विवेचना के लिए ऐसे विषयों की अवतारणा करनी पड़ती है जो रस के उपकरण होते हैं या किर ऐसी बातों की चर्चा करनी पड़ती है जो रस होते ही नहीं। ऐसा विवेक के परिकरण के लिए किया जाता है। लक्षणप्रभ्य विशेष रूप से काव्य-उपादानों की ही चर्चा करते हैं। हमने देखा है कि चाहे लक्षणप्रभ्य हों या काव्यगम्य हो, दोनों के ही लिए यह आवश्यक है कि हम उन्हें तत्काल वर्तमान वाह्य परिस्थितियों से विच्छिन्न करके देखें नहीं तो विषयके को ही रस समझने की भूल कर सकते हैं। किर भिन्न-भिन्न मानव-समुदाय दी विशेषता माना जाता है। इन संस्कारों के अध्ययन करनेवालों ने देखा है कि यद्यपि विभिन्न गमाज में उनके रूप बहुत भिन्न-भिन्न हो गये हैं, पर एक ही प्रकार के मनोभाव से चालित होकर भनुष्य उन विशेष प्रकार के संस्कारों तक पहुँचा है। इस प्रकार परस्पर-विरद्ध से दिग्नेवाले संस्कार भी वस्तुतः मनुष्य की एकधर्मिता को ही गिर करने हैं। 'संस्कार' शब्द का प्रयोग करते समय मुझे योऽपि सर्वोच्च ही

हो रहा है। संस्कार भव्य अच्छे पर्यं में ही प्रयुक्त होता है, परन्तु मनुष्य स्वभाव में ही प्राचीन के प्रति अद्वापरायण होता है और प्राचीन काल में सम्बद्ध होने के कारण कुछ ऐसी पारणाओं को अद्वा की दृष्टि से देखने लगता है जो जब शुरू हुई होंगी तब तो निष्पत्ति ही उपयोगी रही होगी, परन्तु बाद में उनकी उपयोगिता पिस गयी और वे हट भाव रह गयी। ऐसे संस्कार भव्य समय वृहत्तर मानव-पट-भूमिका पर रहे नहीं उतरते। काव्यजिज्ञासा के क्षेत्र में भी संस्कार हमारे मार्ग-दर्शक बन जाते हैं। कुछ तो प्राचीन काल के काव्य-लक्षणों के अध्ययन के कारण हमारे चित्त में काव्य-भ्यव्यप और रम-भ्यव्यप के विषय में ऐसी बातें जड़ जमा लेती हैं जो कालविषेष की पर्मितिविशेष के कारण उपजी थी। इन धारणाओं को मन में जमाये रखकर हम जब आधुनिक युग के काव्य को धड़ने लगते हैं तो रसवोध में वाधा पड़ती है। ठीक यही बात आधुनिक काल के काव्यलक्षणों में उत्तम धारणाओं के कारण प्राचीन काव्य के समझने में वाधक होती है। अपने प्रथम व्याख्यान में मैंने मंक्षेप में इन कालगत संस्कारों की चर्चा की है। फिर देखत और जातिगत संस्कार भी अन्य देश और अन्य जाति के विश्वासो पर आधारित माहित्य को समझने में वाधक होते हैं। अपने दूसरे व्याख्यान में मैंने इस कठिनाई की ओर ही आपका ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया है। मनुष्य का मस्तिष्क ठोस आधारों को आमानी से ग्रहण करता है। सौन्दर्य को वह उसके सम्पूर्ण डपादानों के माथ ही ग्रहण करता है। इसीलिए सौन्दर्य के साथ-साथ उसके आधारभूत वास्तु उपकरणों और अधिकरणों को वह छोड़ नहीं पाता। हमारे माहित्याध्ययन में उपकरण, अधिकरण और आवेद्य रमबस्तु के परिचरण और विवेक की व्यवस्था और भी अधिक होनी चाहिए। सहृदयों ने बराबर सावधान किया है कि लावण्य बस्तु प्रभिद्व अवयवों से भिन्न और अतिरिक्त पदार्थ है। भुख, नाक, कान आदि शारीरिक अवयव भवके होते हैं, पर सबमें लावण्य नहीं होता। उसी प्रकार काव्य में भी कुछ प्रतीयमान बस्तु होती है जो प्रसिद्ध अवयवों से भिन्न बस्तु है :

प्रतीयमान पुनरन्यदेव वरत्वस्ति वाणीपु महाकर्णाम् ।

यत्तत् प्रसिद्धावयवातिरिखतं विभाति लावण्यमिवागनाम् ॥

नेकिन मनुष्य-स्वभाव—तत्राणि तत्त्वं मस्तिष्क—प्रभिद्व अवयवों को छोड़-कर उम लावण्य को सहज ही धारण नहीं कर पाता। इसी के लिए साधना और विवेचनात्मक की आवश्यकता होती है। यदि यह साधना नहीं की गयी अर्थात् काव्य के मूल सौन्दर्य को तत्त्वकालीन परिस्थितियों द्वारा उपस्थापित उपकरणों से तथा नत्तन् समुदाय के विश्वासों से अलग करके देखने योग्य विवेचनाशक्ति नहीं जाग्रत् की गयी तो ये वास्तु आधार देश और काल को भेदकर मनुष्य के सर्वोत्तम प्रयत्न—माहित्य—को समझने में वाधक सिद्ध होगे।

पुराने और नये काव्यों, उपन्यासों और नाटकों को उनकी सामाजिक पृष्ठ-भूमि पर रखकर देखना और देखगत और कालगत संस्कारों को रसोपनविधि के



साहित्य का साथी



## साहित्य

1. 'साहित्य' शब्द का प्रयोग आजकल वडे व्यापक अर्थ में होने लगा है। किसी खास विषय की समस्त पुस्तकें उस विषय का साहित्य कहलाती हैं। ज्योतिप का साहित्य कहने से ज्योतिप विषय की सब पुस्तकें समझी जायेगी, और प्रौढ़-शिक्षा-विषयक साहित्य से वे सभी पुस्तकें समझी जायेंगी, जिनमें प्रौढ़-शिक्षा के सिद्धान्तों, प्रयोगों आदि की चर्चा हो। परन्तु इस शब्द की व्यापकता केवल पुस्तकों तक ही सीमित नहीं है। 'लोक-साहित्य' वह साहित्य है जो बहुत कम लिपिबद्ध हुआ है। उसमें जनता के मुख में ही जीवित रहनेवाले गानों, कहानियों, मुहावरों और लोकियों आदि का समावेश है। परन्तु इतने व्यापक अर्थ में प्रयोग होते रहने पर भी 'साहित्य' शब्द का प्रयोग एक विशिष्ट अर्थ में भी होता है। अगर समूचे ग्रन्थ-समूह को व्यापक अर्थ में साहित्य मान लें तो स्पष्ट ही उसमें तीन श्रेणी की पुस्तकें मिलेगी :

(1) कुछ पुस्तकें बेवल हमारी जानकारी बढ़ाती हैं, उनके पढ़ने से हम बहुत-सी नयी बातों के विषय में सूचना पाते हैं, परन्तु उनसे हमारी वोधन-शक्ति या अनुभूति बहुत कम उत्तेजित होती है। इसे 'सूचनात्मक-साहित्य' कह सकते हैं।

(2) कुछ दूसरी पुस्तकें ऐसी मिलेगी जो हमारी जानकारी तो बढ़ाती ही है, हमारी वोधन-शक्ति को भी निरन्तर जागरूक और सचेष्ट बनाये रहती है। दर्शन, गणित और विज्ञान की पुस्तकें ऐसी ही होती हैं। इत्हें 'विवेचनात्मक-साहित्य' के अन्तर्गत माना जा सकता है; वयोंकि इस प्रकार के साहित्य के मूल में हमारी विवेक-न्यूति है, जो निरन्तर भिन्न वस्तुओं, नियमों और घमों की विशिष्टता स्पष्ट करनी रहती है।

(3) इन दोनों के अतिरिक्त एक तीसरी श्रेणी भी है। यह आवश्यक नहीं कि इस श्रेणी की पुस्तकों में नयी जानकारी ही प्राप्त हो, वे हमारी जानी हुई बातों को भी नये गिरे से कह सकती हैं और किर भी हमें बार-बार उन्हीं जानी हुई बातों को पढ़ने के लिए उत्तुक बना सकती हैं। ये पुस्तकें हमें सुपन्दुग की

व्यक्तिगत संकीर्णता और दुनियावी भगड़ों से ऊपर ले जाती हैं, और सम्पूर्ण मनुष्य-जाति के—और भी आगे बढ़कर प्राणि-मात्र के—दुःख-शोक, राग-विराग, आह्वाद-आमोद को समझने की सहानुभूतिमय दृष्टि देती हैं। वे पाठक के हृदय को इस प्रकार कोमल और संवेदनशील बनाती हैं कि वह अपने कुद्र स्वार्थ को भूलकर प्राणिमात्र के दुःख-सुख को अपना समझने लगता है—सारी दुनिया के साथ आत्मीयता का अनुभव करने लगता है। पुराने शास्त्रकारों ने इस प्रकार के मनोभाव को सत्त्वस्थ होना कहा है (दे. 29)। इससे पाठक को एक प्रभार का ऐसा आनन्द मिलता है जो स्वार्थगत दुःख-सुख से ऊपर की चीज है। शास्त्रकार ने इसी को 'लोकोत्तर आनन्द' कहा है। कविता, नाटक, उपन्यास, वहाँ आदि की पुस्तकें इसी श्रेणी की हैं। एक शब्द में इस तीसरी श्रेणी के साहित्य को रचनात्मक साहित्य कहा जा सकता है, क्योंकि ऐसी पुस्तकें हमारे ही अनुभवों के ताने-वाने से एक नये रस-लोक की रचना करती है। इस प्रकार की पुस्तकों की ही संक्षेप में साहित्य कहते हैं। 'साहित्य' शब्द का विशिष्ट अर्थ यही है। इस पुस्तक में इस तीसरी श्रेणी की पुस्तकों के अध्ययन करने का तरीका बताना ही हमारा संकल्प है।

2. 'साहित्य' शब्द का व्यवहार नया नहीं है। बहुत पुराने जमाने से लोब इसका व्यवहार करते आ रहे हैं। समय की गति के साथ इसका अर्थ धोड़ा-धोड़ा बदलता जा॒हर आया है, पर सब मिलाकर इसका अर्थ प्रायः ऊपर बताये ग्रन्थ में ही होता रहा है। यह शब्द संस्कृत के 'सहित' शब्द से बना है जिसका अर्थ है 'साथ-साथ'। 'साहित्य' शब्द का अर्थ इसीलिए 'साथ-साथ रहने का भाव' है।

दर्शन की पोषियों में एक क्रिया के साथ योग रहने को ही 'साहित्य' कहा गया है। अलंकार-शास्त्र में इसी अर्थ से मिलते-जुलते ग्रन्थ में इसका प्रयोग हुआ है। वहाँ शब्द और अर्थ के साथ-साथ रहने के भाव (साहित्य) को 'काव्य' बताया गया है। परन्तु ऐसा तो कोई वाक्य हो ही नहीं सकता जिसमें शब्द और अर्थ साथ-साथ न रहते हों। इसीलिए 'साहित्य' शब्द को विशिष्ट अर्थ में प्रयोग करने के लिए इतना और जोड़ दिया गया है कि "रमणीयता उत्पन्न करने में जब शब्द और अर्थ एक-दूसरे से स्पर्द्धी करते हुए साथ-साथ आगे बढ़ते रहें, तो ऐसे 'परस्पर-स्पर्द्धी' शब्द और अर्थ का जो साथ-साथ रहना होगा वही साहित्य 'काव्य' कहा जा सकता है।" ऐसा जान पड़ता है कि शुस्त-शुरू में यह शब्द काव्य की परिभाषा बनाने के लिए ही व्यवहृत हुआ था और बाद में घटकर सभी रचनात्मक पुस्तकों के अर्थ में व्यवहृत होने लगा। पुराने जमाने से ही इसे मुकुमार पर्युगमका जाता रहा है, और इगकी तुलना में न्याय, व्याकरण आदि ग्रन्थों को 'कठिन' माना जाता रहा है। बान्धुबुद्धि के राजा के दरवार में प्रगिद्ध विद्वाँ को विरोधी पण्डित ने यही वहकर नीचा दिसाना चाहा था कि वे 'मुकुमार पर्युग' के जाना है। 'मुकुमार पर्युग' में मतलब गाहित्य से था। उत्तर में हर्ष ने गर्वपूर्ण रूप से बहा था कि मैं 'मुकुमार' और 'कठोर' दोनों का जानकार हूँ।

3. ऊपर जिसे हमने 'रचनात्मक साहित्य' कहा है और आगे जिसे संक्षेप में 'साहित्य' कहते रहेंगे, वह सारी दुनिया में बड़े भाव से पढ़ा जाता है। प्रश्न हो सकता है कि इस थेणी के साहित्य को लोग क्यों इतने आग्रह के साथ पढ़ते हैं। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके उत्तर के लिए हमें साहित्य को भी ठीक-ठीक समझने का प्रयत्न करना होगा और पढ़नेवाले के मन को भी।

साहित्य मानव-जीवन से सीधा उत्पन्न होकर सीधे मानव-जीवन को प्रभावित करता है। साहित्य पढ़ने से हम जीवन के साथ ताजा और धनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करते हैं। साहित्य में उन सारी वातों का जीवन्त विवरण होता है जिसे मनुष्य ने देखा है, अनुभव किया है, सोचा है और समझा है। जीवन के जो पहलू हमें नज़दीक से और स्थायी रूप से प्रभावित करते हैं, उनके विषय में मनुष्य के अनुभवों के समझने का एकमात्र साधन साहित्य है। वस्तुतः जैसा कि एक पश्चिमी समालोचक ने कहा है, "भाषा के माध्यम से जीवन की अभिव्यक्ति का नाम ही साहित्य है।" इसीलिए पश्चिमी पण्डितों में से किसी-किसी ने साहित्य को जीवन की व्याख्या कहा है। इस कथन का अर्थ यह हुआ कि जीवन की जहाँ तक गति है वहाँ तक साहित्य का क्षेत्र है। जीवन से दूर हटा हुआ साहित्य अपना महत्व खो देता है।

4. लेकिन साहित्य और जीवन का सम्बन्ध आये-दिन इस प्रकार से बताया जाता है कि यह बात फैशन का रूप धारण कर चुकी है। असल में यह बात-की-बात नहीं बल्कि वास्तविक तथ्य है। इसलिए इसके अन्तर्गति अर्थ को हमें ठीक-ठीक समझ लेना चाहिए। 'साहित्य जीवन से सीधे उत्पन्न होता है'—इस वाक्य का अर्थ यह है कि साहित्य जीवन में ही रहता है और उसके लिखे या पढ़े जाने का कारण भी जीवन में ही खोजना चाहिए। इस कथन का और भी स्पष्ट अर्थ यह है कि साहित्य का विचार, उसकी अच्छाई या दुराई का निर्णय, और उसकी महत्ता की जांच के लिए हमें सब समय किसी शास्त्र के या किसी बड़े आदमी के वाक्य को अवलम्ब मानने की जरूरत नहीं (यद्यपि यह बात अनावश्यक नहीं है)। यदि जीवन और साहित्य में सचमुच सम्बन्ध है तो हमारे जीवन में ही उसके समझने और ग्रहण करने की शक्ति होनी चाहिए। वस्तुतः ऐसा ही होता है।

हम साहित्य के किसी महान् ग्रन्थ को इसलिए महान् नहीं कहते कि किसी व्यक्ति ने उसे महान् कह दिया है, बल्कि इसलिए कि उसके पढ़ने से हम मानव-जीवन को निविड़-भाव से अनुभव करते हैं। या तो हम उसमें अपने को ही पाते हैं या अपने इदं-गिर्द के अनुभूत अर्थों को गाढ़ भाव से अनुभव करते हैं। पण्डितों ने बताया है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, इसीलिए वह जिस प्रकार कियाकलाप में सामाजिक बना रहता है, उसी प्रकार विचारों में भी। उसके इस सामाजिकपने का ही परिणाम है कि वह (1) अपने-आपको नामा रूपों में अभिव्यक्त करना चाहता है; (2) अन्य लोगों के करने-घरने में रस लेता है; (3) अपने इदं-गिर्द की वास्तविक दुनिया को समझना चाहता है; तथा (4) कल्पना द्वारा

एक ऐसी दुनिया का निर्माण करने में रस पाता है जो यास्ताविक दुनिया के दोषों से रहत हो। ये ही वे चार मूल मनोभाव हैं जो मनुष्य को साहित्य की तपा पद्ध अनेक प्रकार की रचनाओं के लिए उपयोगी बनाये रहते हैं। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य के जीवन में ही वे उपादान मौजूद हैं जो उसे साहित्य की सूचिके लिए प्रेरित करते हैं। साथ ही उन्ही मूल मनोभावों का यह परिणाम है कि वह दूरों की रचना को देखने, सुनने और समझने में रस पाता है।

5. हम किसी वात में आनन्द लें पाते हैं? हमारे देश के मर्माणियों ने बताया है कि हम ऊपर से जितने भी खण्डरूप और ससीम लंबों न हो, भीतर से नियिल जगत् के साथ 'एक' हैं। हमने ऊपर जो कुछ समझा है उससे स्पष्ट है कि साहित्य हमें प्राणिमात्र के साथ एक प्रकार की आत्मीयता का भनुभव करता है (द० १)। वस्तुतः साहित्य के द्वारा हम अपनी उसी 'एकता' का भनुभव करते हैं। कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने इस वात को बड़ी सरलता के माय समझा है। वे कहते हैं कि —

"हमारे आत्मा में अखण्ड ऐक्य का आदर्श है। हम जो कुछ जानते हैं वह किसी-न-किसी ऐक्य-सूत्र से जातते हैं। कोई भी जानकारी अपने-आपमें एकान्त स्वतन्त्र नहीं है। जहाँ कहीं भी पाने या जानने में अस्पष्टता दिखायी देती है, वही मेरी समझ में कारण है, 'मिलाकर न जान सकना'। हमारे आत्मा में, जान में और भाव में वह जो 'एक' का विहार है, वही 'एक' जब लीकामय होता है, जब वह सूचिके द्वारा आनन्द पाना चाहता है, तब वह उस 'एक' को बाहर सुस्पष्ट कर देना चाहता है। तब विषय को उपलक्ष्य करके, उपादान को आधाय करके एक अखण्ड 'एक' व्यक्त हो उठता है। काव्य में, गीत में, शिल्पकला में, ग्रीक शिल्पी द्वारा रचित पूजापात्र में, विचित्र रेखा के आवर्त्तन में जब हम परिपूर्ण 'एक' को चरम रूप में देखते हैं, तब हमारी अन्तरात्मा के 'एक' के साथ बहिर्लोक के 'एक' का मिलन होता है। जो मनुष्य अरतिक है वह इस चरम 'एक' को नहीं देख पाता, वह केवल उपादान की ओर से, केवल प्रयोजन की ओर से इसका मूल्य अंका करता है :

शरद चद, पवन मंद

विपिने बहिल कुसुम-गंध

फुल भल्लि मालति यूथि,

मत मधुप मोरती । —

"यदि इस काव्य में विषय, भाव, कविता और छन्द के निविड सम्मेलन से 'एक' का स्वप्न पूर्ण होकर दिखायी दे, यदि उस 'एक' का आविभाव ही चरम होकर हमारे चित्त पर अधिकार करे, यदि यह काव्य खण्ड-खण्ड होकर उल्कावृष्टि-सी करता हुआ हमारे मन पर आधात न करे और यदि ऐक्य-रस की चरमता का अतिक्रम करके और कोई उद्देश्य उथ न हो उठे, तभी हम उस काव्य में सूचितीला को स्वीकार करेंगे। गुलाब के फूल से हम आनन्द पाते हैं। वर्ण में, स्वप्न

में, रेखा में इस फूल के भीतर हम (अखण्ड) 'एक' की सुपमा देखते हैं। इसके भीतर हमारा आत्मारूपी 'एक' अपनी आत्मीयता स्वीकार करता है, तब फिर इसके और किसी भूल्य की जहरत नहीं होती। …गुलाब के फूल में जो सुनिहित, सुविहित, सुपमायुक्त ऐक्य है, निखिल विश्व के अन्तर में भी वही ऐक्य है। समस्त (विश्व के) सुर के साथ इस फूल के सुर का मेल है। निखिल ने इस सुपमा को अपना मानकर ग्रहण किया है।"

6. इस लम्बे उद्धरण का अर्थ यह है कि छोटी-से-छोटी वस्तु में उसकी विभिन्नता और क्षुद्रता के बावजूद एक ऐसा सत्य है जो सारी वस्तुओं में समान रूप से पाया जाता है। उसी को रवीन्द्रनाथ 'एक' कहते हैं। जहाँ इस 'एक' के साथ किसी वस्तु का सामंजस्य है वही सौन्दर्य है और कला है। जहाँ सामंजस्य न होकर विरोध है, वहाँ स्वार्थ है, कुरुपता है और पीड़ा है। स्वयं रवीन्द्रनाथ ने ही रूपया कमाने का उदाहरण देकर इस बात को आसान करके समझाया है। वे लिखते हैं :

"मैं जब रूपया कमाना चाहता हूँ तो मेरे रूपया कमाने की नाना भाँति की चेप्टाओं और चिन्ताओं के भीतर भी एक 'एकता' बत्तमान रहती है। विचित्र प्रयास के भीतर केवल एक ही लक्ष्य की एकता अर्थकामी को आनन्द देती है। किन्तु यह ऐक्य अपने उद्देश्य में ही खण्डित है, निखिल की सृष्टिलीला से युक्त नहीं है। पैसे का लोभी विश्व को टुकड़े-टुकड़े करके—फट्टा मारकर—अपनी धन-राशि को इकट्ठा करता है। लोभी के हाथ में कामना ही वह लालटेन होती है जो केवल एक विशेष संकीर्ण स्थान पर अपने समस्त प्रकाश को 'संहृत' करती है। वाकी सभी स्थानों में उसका असामंजस्य गहरे अन्धकार के रूप में धनीभूत हो उठता है। अतएव लोभ के इस संकीर्ण ऐक्य के साथ सृष्टि के ऐक्य का, रस-साहित्य और ललित-कला के ऐक्य का सम्पूर्ण प्रभेद है। निखिल की छिन्न करने से लोभ होता है और निखिल को एक करने से रस होता है। लखपती महाजन रूपये की थेली लेकर 'भेद' की घोषणा करता है, गुलाब 'निखिल' का दूत है, वह 'एक' की बातें लेकर फूटता है। जो 'एक' असीम है, वही गुलाब के नन्हे-से हृदय को परिपूर्ण करके विराजता है। कोट्स अपनी कविता में 'निखिल-एक' के साथ एक छोटे-से ग्रीक पात्र की एकता की बात बता गये हैं; कह गये हैं कि 'हे नीरव मूर्ति ! तुम हमारे मन को व्याकुल करके समस्त चिन्ता को बाहर ले जाते हो, जैसा कि असीम ले जाया करता है।' क्योंकि अखण्ड 'एक' की मूर्ति, किसी आकार में ही क्यों न रहे, 'असीम' को ही प्रकाश करती है; इसीलिए वह अनिवंचनीय है, मन और वाक्य उसका कोई कूल-किनारा न पाकर लौट आया करते हैं।" ('विश्व-भारती पत्रिका', चैत्र 1999, प्. 110-111)

7. ऊपर-ऊपर से यह बात हमें कठिन या दुर्बोध्य लगेगी। हम आगे मदा इसविषय को नाना भाव से समझने का अवसर पाते रहेंगे। परन्तु साहित्य के विद्यार्थी मात्र को शुरू में ही यह बात समझ लेनी चाहिए कि साहित्य की साधना

एक ऐसी दुनिया का निर्माण करने में रस पाता है जो वास्तविक दुनिया के दोपों से रहित हो। ये ही वे चार मूल मनोभाव हैं जो मनुष्य को साहित्य की तथा अन्य अनेक प्रकार की रचनाओं के लिए उपयोगी बनाये रहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्य के जीवन में ही वे उपादान मौजूद हैं जो उसे साहित्य की सृष्टि के लिए प्रेरित करते हैं। साथ ही उन्ही मूल मनोभावों का यह परिणाम है कि वह दूसरों की रचना को देखने, सुनने और समझने में रस पाता है।

5. हम किसी बात में आनन्द क्यों पाते हैं? हमारे देश के मनोपियों ने बताया है कि हम ऊपर से जितने भी खण्डह्य और ससीम क्यों न हों, भीतर से निखिल जगत् के साथ 'एक' हैं। हमने ऊपर जो कुछ समझा है उससे स्पष्ट है कि साहित्य हमें प्राणिमात्र के साथ एक प्रकार की आत्मीयता का अनुभव कराता है (द० १)। वस्तुतः साहित्य के द्वारा हम अपनी उसी 'एकता' का अनुभव करते हैं। कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने इस बात को बड़ी सरलता के माय समझाया है। वे कहते हैं कि —

"हमारे आत्मा में अखण्ड ऐवय का आदर्श है। हम जो कुछ जानते हैं वह किसी-न-किसी ऐवय-सूत्र से जानते हैं। कोई भी जानकारी अपने-आपमें एकान्त स्वतन्त्र नहीं है। जहाँ कहीं भी पाने या जानने में अस्पष्टता दिखायी देती है, वही मेरी समझ में कारण है, 'मिलाकर न जान सकना'। हमारे आत्मा में, ज्ञान से और भाव में यह जो 'एक' का विहार है, वही 'एक' जब लीलामय होता है, जब वह सृष्टि के द्वारा आनन्द पाना चाहता है, तब वह उस 'एक' को बाहर सुस्पष्ट कर देना चाहता है। तब विषय को उपलक्ष्य करके, उपादान को आश्रय करके एक अखण्ड 'एक' व्यक्त हो उठता है। काव्य में, गीत में, शिल्पकला में, ग्रीक शिल्पी द्वारा रचित पूजापात्र में, विचित्र रेखा के आवर्त्तन में जब हम परिपूर्ण 'एक' को चरम रूप में देखते हैं, तब हमारी अन्तरात्मा के 'एक' के साथ वहिलोंके 'एक' का मिलन होता है। जो मनुष्य अरसिक है वह इस चरम 'एक' को नहीं देख पाता, वह केवल उपादान की ओर से, केवल प्रयोजन की ओर से इसका मूल्य आँका करता है :

शरद चंद, पवन मद  
विपिने वहिल कुसुम-नांघ

फुल मत्ति मालति यूधि,  
मत्त मधुप मोरनी ।—

"यदि इस काव्य में विषय, भाव, कविता और छन्द के निविड़ सम्मेलन से 'एक' का रूप पूर्ण होकर दिखायी दे, यदि उस 'एक' का आविभाव ही चरम होकर हमारे चित्त पर अधिकार करे, यदि यह काव्य खण्ड-खण्ड होकर उल्कावृष्टि-सी करता हुआ हमारे मन पर आधात न करे और यदि ऐवय-रस की चरमता का अतिक्रम करके और कोई उद्देश्य उग्र न हो उठे, तभी हम उस काव्य में सृष्टिलीला को स्वीकार करेंगे। गुलाब के फूल से हम आनन्द पाते हैं। वर्ण में, गृन्ध में, रूप

में, रेखा में इस फूल के भीतर हम (अखण्ड) 'एक' की सुपमा देखते हैं। इसके भीतर हमारा आत्माहपी 'एक' अपनी आत्मीयता स्वीकार करता है, तब फिर इसके और किसी मूल्य की जहरत नहीं होती। … गुलाब के फूल में जो सुनिहित, सुविहित, सुपमायुक्त ऐक्य है, निखिल विश्व के अन्तर में भी वही ऐक्य है। समस्त (विश्व के) सुर के साथ इस फूल के सुर का मेल है। निखिल ने इस सुपमा को अपना मानकर ग्रहण किया है।"

6. इस लम्बे उद्धरण का अर्थ यह है कि छोटी-से-छोटी वस्तु में उसकी विभिन्नता और क्षुद्रता के बावजूद एक ऐसा सत्य है जो सारी वस्तुओं में समान रूप से पाया जाता है। उसी को रवीन्द्रनाथ 'एक' कहते हैं। जहाँ इस 'एक' के साथ किसी वस्तु का सामंजस्य है वही सौन्दर्य है और कला है। जहाँ सामंजस्य न होकर विरोध है, वहाँ स्वार्थ है, कुरुपता है और पीड़ा है। स्वयं रवीन्द्रनाथ ने ही रूपया कमाने का उदाहरण देकर इस बात को आसान करके समझाया है। वे लिखते हैं :

"मैं जब रूपया कमाना चाहता हूँ तो मेरे रूपया कमाने की नाना भाँति की चेप्टाओ और चिन्ताओं के भीतर भी एक 'एदता' बत्तंमान रहती है। विचित्र प्रयास के भीतर केवल एक ही लक्ष्य की एकता अर्थकामी को आनन्द देती है। किन्तु यह ऐक्य अपने उद्देश्य में ही खण्डित है, निखिल की सृष्टिलीला से युक्त नहीं है। पैसे का लोभी विश्व को टुकड़े-टुकड़े करके—भृपट्टा मारकर—अपनी धन-राशि को इकट्ठा करता है। लोभी के हाथ में कामना ही वह लालटेन होती है जो केवल एक विशेष संकीर्ण स्थान पर अपने समस्त प्रकाश को 'संहृत' करती है। बाकी सभी स्थानों में उसका असामंजस्य गहरे अन्धकार के रूप में घनीभूत हो उठता है। अतएव लोभ के इस संकीर्ण ऐक्य के साथ सृष्टि के ऐक्य का, रस-साहित्य और ललित-कला के ऐक्य का सम्मूर्ण प्रभेद है। निखिल को छिन्न करने से लोभ होता है और निखिल को एक करने से रस होता है। लखपती महाजन रूपये की धैली लेकर 'भेद' की धोपणा करता है, गुलाब 'निखिल' का दूत है, वह 'एक' की वार्ता लेकर फूटता है। जो 'एक' असीम है, वही गुलाब के नन्हे से हृदय को परिपूर्ण करके विराजता है। कोट्स अपनी कविता में 'निखिल-एक' के साथ एक छोटे-से भीक पात्र की एकता की बात बता गये हैं; कह गये हैं कि 'हे नीरव मूर्ति ! तुम हमारे मन को व्याकुल करके समस्त चिन्ता को बाहर ले जाते हो, जैसा कि असीम ले जाया करता है।' क्योंकि अखण्ड 'एक' की मूर्ति, किसी आकार में ही क्यों न रहे, 'असीम' को ही प्रकाश करती है; इसीलिए वह अनिवृच्छनीय है, मन और वाक्य उसका कोई कूल-किनारा न पाकर लीट आया करते हैं।" ('विश्व-भारती पत्रिका', चैत्र 1999, प. 110-111)

7. ऊपर-ऊपर से यह बात हमें कठिन या दुर्बोध्य लगेगी। हम आगे सदा इसविषय को नाना भाव से समझने का अवसर पाते रहेंगे। परन्तु साहित्य के विद्यार्थी मात्र को शुरू में ही यह बात समझ लेनी चाहिए कि साहित्य की साधना

निस्तिल विषय के साथ एकत्र करने की साधना है। इससे वह किसी भी अंश में कम नहीं है। जो साहित्य-भाष्यार्थी वस्तु लोग और धूषा पर आधारित है, वह साहित्य कहलाने के योग्य नहीं है। वह हमें विशुद्ध आनन्द नहीं दे सकती।

आहार, निद्रा, भ्रय आदि मनोभाव समस्त प्राणियों में समान हैं। मनुष्य जब इनकी पूर्ति का प्रयत्न करता है तो वह अपने उस छोटे प्रभोजन में उत्तमा रहता है जो पशुओं के समान ही है। बहुत प्राचीन काल से इन पशु-सामान्य प्रवृत्तियों को मनुष्य ने तिरस्कार के साथ देखा है। वह इन तुच्छताओं से क्षण पर उठ सका है, यही उसकी विशेषता है। जो बातें हमें इन तुच्छताओं का दास बना देती हैं, या इन तुच्छताओं को ही मनुष्य का असली हृषि बताती हैं, वे मनुष्य के चित्त से उसके महत्व को, उसके वैशिष्ट्य को और उसके वास्तविक हृषि को हटा देती हैं। वे लोभ और मोह का पाठ पढ़ाती हैं। साहित्य वे नहीं हो सकतीं, क्योंकि उनकी शिक्षा से मनुष्य खण्ड की साधना करता है, विभेद और तुच्छता को बड़ा समझने लगता है और सारे विश्व के साथ एकत्र को अनुभूति से विरत हो जाता है।

## साहित्यकार

8. हम साहित्य को कोई भी पुस्तक उठा लें—तीन बातें हमारे सामने अपने-आप उपस्थित हो जायेगी। प्रथम तो यह कि उस पुस्तक का कोई लेखक है जिसने संसार के कुछ व्यापारों को अपने ढंग से देखा, समझा और अनुभव किया है। दूसरी यह कि उसने जो कुछ भी देखा, समझा और अनुभव किया है, उन्हीं बातों को इस पुस्तक में कहा है। अर्थात् जिस प्रकार पुस्तक का कोई बक्ता है, उसी प्रकार उसका बक्तव्य भी है। तीसरी यह कि बक्ता ने बक्तव्य की कहने के लिए किसी विशेष ढंग को पसन्द किया है और उसी ढंग से वह हमें सुना रहा है। उदाहरणार्थ, वह अपनी बात कहानी के हृषि में कहना चाहता है, या पथ-वद करके कहना चाहता है, या दो या अधिक पाँचों में बातचीत करके कहना चाहता है या किर सीधे युक्ति-तक देकर प्रतिपादन कर रहा है। ये तीन बातें हर पुस्तक में रहती हैं। अगर हम इन तीनों को ठीक ढंग से समझ लें तो आलोच्य पुस्तक की जाँच आसानी से हो सकती है। एक चीजी बात भी है जो या तो लेखक के मन में रहती है या बक्तव्य-वस्तु स्वयं उसकी आवश्यकता समझकर अपनी और से तैयार कर लेती है। वह है लक्ष्यभूत श्रोता या पाठक। इस प्रकार किसी पुस्तक की विवेचना करते समय चार बातों का विचार परम आवश्यक है: (1) कौन कह-

रहा है (लेखक), (2) क्या कह रहा है (वक्तव्य-वस्तु), (3) कैसे कह रहा है (कारीगरी), और (4) किससे कह रहा है (लक्ष्यभूत श्रोता या पाठक)।

9. पहले लेखक का ही विचार किया जाय। साहित्य-ग्रन्थ के पढ़ने का प्रथम अर्थ होता है ग्रन्थकार के साथ धनिष्ठ योग। शुरू में ही कहा गया है कि साहित्य जीवन से सीधे उत्पन्न होता है। तो जिस व्यक्ति के जीवन से आलोच्य ग्रन्थ निकला है उसके विषय में जानकारी प्राप्त कर लेने से हमें अनेक सुविधाएँ मिल जाती हैं। यदि हम ऐसा शुरू में ही कर लेंगे तो ग्रन्थ के अनेक अस्पष्ट अशों को समझ सकेंगे और ग्रन्थ का रस गाढ़-भाव से अनुभव कर सकेंगे।

एक ही लेखक कई पुस्तकों लिख सकता है, ऐसा भी देखा गया है कि इन पुस्तकों में परस्पर-विरोधी वाते भी रहती हैं, और कभी-कभी तो एक ही ग्रन्थ में परस्पर-विरोधी वातें मिल जाती हैं। वस्तुतः महान् लेखक की महान् रचना उसके जीवन के विभिन्न अनुभवों का जीवन्त रूप है। एक पश्चिमी आलोचक ने कहा है कि ग्रन्थकार के लिये सभी ग्रन्थों को एक ही ग्रन्थ मानकर आलोचना होनी चाहिए। तभी हम ग्रन्थकार के वास्तविक रूप को समझ सकते हैं। आजकल यह प्रथा चल पड़ी है कि किसी ग्रन्थकार की रचनाओं के अध्ययन के लिए रचनाओं का काल-क्रम से वर्गीकरण किया जाता है और ग्रन्थकार के व्यक्तिगत जीवन के साथ उन रचनाओं का सम्बन्ध स्थापित किया जाता है। ऐसा करने से ग्रन्थकार को समझने में आसानी होती है। पर इस ढंग में कुछ दोष भी हैं। आगे हम इस पर विचार करेंगे।

10. ग्रन्थकार के अध्ययन के लिए चार वातों की जानकारी आवश्यक है : (1) वह किस काल में पैदा हुआ; (2) वह किस जाति और समाज में पैदा हुआ; (3) उसके समसामयिक और पूर्ववर्ती ग्रन्थ प्रसिद्ध ग्रन्थकार कोन-कोन थे, और उनसे उसका कोई सम्बन्ध था या नहीं; तथा (4) उसका व्यक्तिगत जीवन क्या और कैसा था ?

(1) प्रथम वात की जानकारी इसलिए आवश्यक है कि प्रत्येक काल का एक अपना विशेष युग है। जिस युग में कवि पैदा होता है उस युग की राजनीतिक, सांस्कृतिक और अन्य परिस्थितियाँ उस युग के प्रत्येक लेखक में एक सामान्य युग भर देती हैं। हिन्दी में सप्तहवीं-ध्राटारहवीं शताब्दी में जो लेखक हुए, उन मध्यमें रीति-ग्रन्थों के एक खास पहलू का प्रभाव है। उम्म युग में मुसलिम-ग्रामन पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो चुका था और कितने ही मुसलिम शिष्टाचार समाज में पुल-मिल-कर भारतीय हो चुके थे। कवि तात्कालिक समाज की रीति-नीति से प्रभावित रहता था।

कवि के काव्य के विषय में जिजागा का अर्थ यह है कि हम उम्म लेनिहानिव शक्ति की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं जो मनुष्य-समाज को प्रत्येक युग में विशेष-विशेष रूप दे रही है। कालिदास जिस युग में पैदा हुए थे उन युग की मूर्ति, स्पापत्य, घर्म और राजनीति प्रादि को जाने बिना हम न तो कालिदास को टीक-

ठीक समझ ही सकते हैं और न उसका महत्व-निषेध कर सकते हैं। कालिदास के अन्य में कालिदास का युग प्रतिफलित है। उस युग के सभी लेखकों में उस युग की छाप पायी जायेगी। कालिदास जिस युग में पैदा हुए थे उस युग में भारतवर्ष आहुणधर्मनुभोदित पुनर्जन्म-कामवाद और कर्मफल प्राप्ति की व्यवस्था को मानता था। इसलिए सबकुछ को एक सामजस्यपूर्ण व्यवस्था के भीतर से देखता उनके लिए स्वाभाविक और सहज था। जो-बुद्ध घट रहा है उसका एक उचित वारण है—इस विश्वास ने उस युग के साहित्यकारों में एक सन्तोष का भाव भर दिया था। और कालिदास के समान ही उस युग का प्रत्येक कवि और नाटककार मसार को एक सामजस्यपूर्ण विधान मानता था। उस युग के किसी कवि में बोनवी शतावदी के आधुनिक साहित्यिकों की भाँति समाज की व्यवस्था के प्रति तीव्र असन्तोष का भाव नहीं पाया जा सकता।

(2) दूसरी बात अर्थात् लेखक के समाज और जाति की जानकारी भी प्राप्तयक है; वयोःकि :

(क) प्रत्येक जाति का अपना एक जातीय गुण होता है जो उस जाति के व्यक्तियों में प्रायः सामान्य रूप से पाया जाता है। प्राचीन काल से ही भारतवर्ष में नाना संस्कृतियों के सघर्षण और समन्वय से एक विशेष प्रवार की विचारपद्धति, विश्वास और रीति-नीति बन गयी है। उपनिषद्-काल के बाद जब लौकिक संस्कृत का साहित्य भारतवर्ष में बनने लगा, उस समय से लेकर हजारों वर्षों बाद तक इस देश में वेद की प्रामाणिकता में विश्वास, अध्यात्मवाद, पुनर्जन्मवाद आदि का बोलबाला रहा। मंवसमूलर ने इस युग के भारतवासी के बारे में लिखा है कि “उससे इस शान्त जगत् की बात कहो, वह कहेगा कि अनन्त के विना ज्ञान जगत् निरर्थक है, असम्भव है; उससे मृत्यु की बात कहो, वह तुरन्त उसे जन्म की पूर्वविरथा कह देगा; उससे काल की बात कहो, वह इसे सनातन परमतत्व की छाया बता देगा। हमारे (पूरोपितों के) निकट इन्द्रियाँ साधन हैं; शस्त्र हैं, ज्ञानप्राप्ति के शक्तिशाली इन्जिन हैं; किन्तु उसके निकट वे अगर मध्यमुच धीका देनेवाले नहीं तो कम-से-कम सदैव जद्दंस्त वन्धन तो अवश्य है, वे आत्मा की स्वरूपोपलब्धि में बाधक हैं। हमारे लिए यह पृथ्वी, यह आकाश, यह जो बुद्ध हम देख, छू और सुन सकते हैं, निश्चित हैं; हम समझते हैं, यहीं हमारा घर है, यही हमें कर्त्तव्य करना है, पहीं हमें मुख-मुविधा प्राप्त है, लेकिन उसके लिए यह पृथ्वी एक ऐसी चीज है जो किसी समय भी ही नहीं और ऐसा भी एक समय आयेगा जब यह नहीं रहेगी; यह जीवन एक छोटा-सा सपना है जिससे शोध ही हमारा छुटकारा हो जायगा, हम जाग जायेंगे। जो वस्तु औरों के लिए नितान्त सत्य है उससे अधिक अस्त्य उसके निकट और कुछ ही ही नहीं और जहाँ तक उसके घर का सम्बन्ध है, वह निश्चित जानता है कि वह और चाहे जहाँ कही भी हो, इस दुनिया में नहीं है।” भारतवर्ष का यह परिचय आदिकवि वाल्मीकि से लेकर रवीन्द्रनाथ तक ज्यो-का-स्यो चला आया है। इस देश का धोर-से-धोर विषयी

कवि भी इस दुनिया से परे एक अचिन्त्य अव्यक्त सत्ता की ओर इशारा किये विना नहीं रहता। परन्तु,

(ख) सारी भारतीय जाति एक ही सतह पर सदा नहीं रही है, यद्यपि समूची भारतीय जाति के भीतर उक्त प्रकार के सामान्य विश्वास किसी मात्रा में सदा पाये जाते रहे हैं। आधिक और राजनीतिक कारणों से कोई उपजाति सुविधाभोग करती है, कोई दूसरी उपजाति औरो की सेवा करती है और कोई तीसरी थेणी उपेक्षित और अपमानित ही रहती है। भारतवर्ष में धार्मिक कारणों से भी ऐसा हुआ है। इन नाना स्तरों में शिक्षा, स्कूल और सबेदन एक ही तरह के नहीं होते। मध्ययुग में आचार्य रामानन्द की दीक्षा भिन्न-भिन्न स्तर के कवियों में एकदम अलग-अलग रूप में व्यक्त हुई है। हाल के शोधों से पता चलता है कि कवीरदास एक ऐसी जाति में पैदा हुए थे जो नाथ-योगियों से ग्राप्ट होकर गृहस्थ बनी थी और ब्राह्मण-व्यवस्था की कायल नहीं थी। उस जाति में योगियों के संस्कार पूरी मात्रा में विद्यमान थे। फिर बाद में वह धीरे-धीरे मुसलमान भी होने लगी थी, इसलिए मुसलमानी संस्कार भी उसमें आने लगे थे। फिर भी सब मिलाकर उस जाति की सामाजिक मर्यादा निचले स्तर की थी। इसी समाज के संस्कारों के कारण आचार्य रामानन्द द्वारा प्रचारित भक्ति कवीर में एक ऐसे पीछे के रूप में अकुरित हुई जो अपनी मिसाल आप ही है। कवीर एक ही साथ योगियों का अवक्षण, निचले स्तर में वर्तमान छोटी समझी जानेवाली जातियों का तीव्र असन्तोष-भाव, मुसलमानी उत्साह और भक्तिगण की निरीहता के सम्मिलित रूप थे।

उधर दूसरी और तुलसीदास हुए जो रामानन्द के साक्षात् शिष्य तो नहीं थे, पर उनकी शिष्य-परम्परा में ही पड़ते थे। वे ब्राह्मण-वश में किन्तु गरीब घर में पैदा हुए थे। उस थेणी में योग-मार्ग का नहीं वल्कि पौराणिक मत का प्रचार था। तुलसीदास कवीर से बहुत भिन्न है। इतना अवश्य याद रखना चाहिए कि इन दो महान् साहित्यकारों की भिन्नता का कारण उनका अपना व्यक्तित्व भी था (जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे)। परन्तु इस बात में कोई सन्देह नहीं कि दोनों को उत्पन्न करनेवाली भिन्न-भिन्न सामाजिक भिन्नता भी इनकी भिन्नता के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेवार है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जिस तरह यह जानना परम आवश्यक है कि ग्रन्थकार किस देश या जाति में पैदा हुआ, उसी प्रकार यह जानना भी जरूरी है कि वह समाज के किस स्तर से आया था। इन दोनों वार्तों को एक शब्द में कवि का 'जातीय रूप' कह सकते हैं।

(3) कवि के पूर्ववर्ती और समसामयिक ग्रन्थकारों का जानना भी आवश्यक है। उनकी परस्पर तुलना करके हम आलोच्य कवि या लेखक के काल, समाज और देश की बात ठीक-ठीक समझ सकते हैं कि कवि का अपना व्यक्तित्व क्या था। विहारी और मतिराम की सतसइयों में बहुत-सी बातें एक ही जैसी हैं। नायिकाओं का वही रूप, वही अलंकरण-भंगिमा, वही प्रेम और दिरह-सम्बन्धी

उक्तियाँ, ग्रन्थकारों का यही कीशल, गुणों की वैसी ही योजना और दोषों के वज्रन का वैसा ही प्रयत्न दोनों ही कवियों में मिलेगा। दोनों की सुलना करने से हम आसानी से उस युग की रचि, संसारण, रीति-रस्म, शिष्टाचार और सामाजिकता ग्रादि का पता लगा सकते हैं। और फिर भी यह समझने में देर नहीं लगेगा कि विहारी हाव-भाव और विवोक-विलासों में अधिक रस पाते हैं और यगज अनकारों पर विशेष जोर देते हैं, जबकि मतिराम अपलंज अलंकारों में अधिक रस लेते हैं। [दे. 30]

कवि को पूर्ववत्ती और समसामयिक कवियों की सुलना में रखकर देखने का अर्थ है कि हम मानते हैं कि सासार में कोई घटना अपने-आपमें स्वतन्त्र नहीं है, पूर्ववत्ती और पार्श्ववत्तीं घटनाएँ वर्तमान घटनाओं को स्पष्ट देती रहती हैं; इसलिए जिस किसी रचना या वक्तव्य-वस्तु का हमें स्वरूप-निर्णय करना हो उसे पूर्ववत्ती और पार्श्ववत्तीं घटनाओं की अपेक्षा में देखना चाहिए। भास कवि का 'चारदस्त' नाटक, शूद्रक कवि के 'मृच्छकटिक' से पुराना है। 'चारदस्त' ही 'मृच्छकटिक' का आधार है। दोनों में केवल कथानक का ही साम्य नहीं है, कई श्लोक तक एक ही पाये गये हैं। फिर भी शूद्रक का 'मृच्छकटिक' भास के 'चारदस्त' से विशेष है। यदि यह सिद्ध हो जाता कि 'चारदस्त' 'मृच्छकटिक' के बाद की रचना है तो उसका कोई महत्व नहीं रहता, परंतु कि वह पूर्ववत्तीं रचना है इसलिए उसका महत्व बहुत अधिक है। दोनों नाटकों को साथ पढ़नेवाला व्यक्ति शूद्रक के अविकृत और महत्व को ठीक-ठीक समझ सकता है।

(4) कवि का व्यक्तिगत जीवन भी साहित्य के विद्यार्थी के लिए बहुत ग्रावश्यक है। भारतवर्ष में इस और काफी उदासीनता दिखायी गयी है। अपने महान् ग्रन्थकारों में से बहुत कम के व्यक्तिगत जीवन की हमें ठीक-ठीक जानकारी है। उत्सुक पाटक-मण्डली को किम्बदन्तियों पर सन्तोष करना पड़ता है। उधर यूरोप में कवि के जीवन की प्रत्येक छोटी-छोटी घटना को लिपिबद्ध करने और आलोचना करने की परिपाटी पागलपन की सीमा तक पहुँच चुकी है। इस देश में भी यह हवा वहने लगी है। ग्रन्थकारों के लाईसेन-डकारने तक की स्वार लेने के लिए यन्ने-के-यन्ने रेंगे जाने लगे हैं। जिसे भी सस्ते तौर पर साहित्य में नाम कमाने की इच्छा है वही किसी बड़े कवि की ऐदाइश का कोई नया गाँध खोज निकालता है, उसके समुराल की ढही दीवारों का पता बता देता है, उसकी भौजाई की बहू के भर्तीजे का हस्तलेख निकाल लाता है और पत्रों और पुस्तकों में बहस छिड़ जाती है। ऐसी बात साहित्य के समझने से बाधक होगी।

यही यह कह रखना जरूरी है कि बड़े-बड़े ग्रन्थकारों के जीवन में दो प्रकार की दिलचस्पी पायी जाती है, ऐतिहासिक और साहित्यिक। हमारा प्रधान आलोच्य साहित्यिक दिलचस्पी है। हमें कवि के साहित्य को पढ़ने के लिए उसके जीवन की जानकारी प्राप्त करनी होती है। यदि हम बेकार बातों में समय बर्बाद करने लगें तो यह बात हमारे साहित्यिक अध्ययन में बाधक ही सावित होगी। परन्तु

यदि हम कवि के जीवन से परिचित हों, उसके अनुभवों के चढ़ाव-उतार के जानकार हों तो वहूत-सी साहित्यिक उलझनें मुलझ जाती हैं। वस्तुतः कोई भी महान् ग्रन्थ अपने लेखक के दिमाग से, हृदय से और रक्त-मास से बना होता है।

महान् ग्रन्थकार अपने अनुभव से सजीव सृष्टि करता है। वह कल्पना और दुष्टि के सहारे गड़े हुए जीवों में आस्था नहीं रखता। स्वर्गीय प्रेमचन्दजी ने कहा था कि “कल्पना से गड़े हुए आदमियों में हमारा विश्वास नहीं है। उनके कायों और विचारों से हम प्रभावित नहीं होते। हमें इसका निश्चय हो जाना चाहिए कि लेखक ने जो सृष्टि की है वह प्रत्यक्ष अनुभवों के आधार पर की है, या अपने पाश्चों की जबान से वह खुद बोल रहा है।”

किसी रचना का सम्पूर्ण आनन्द पाने के लिए रचनिता के साथ हमारा धनिष्ठ परिचय और सहानुभूति भनुष्यता के नाते भी आवश्यक है। हमें आलोचक होने के पहले आलोच्य ग्रन्थकार का विश्वासप्राप्ति मिश्र बनना चाहिए। तभी हम उसके वक्तव्य के उचित श्रोता हो सकेंगे; क्योंकि उस हालत में ही उसके व्यक्तिगत सुख-दुख के साथ गम्भीर सहानुभूति का भाव रख सकते हैं। सूरदास, तुलसीदास, रसखान और घनश्चानन्द आदि कवियों के बारे में जो किम्बदन्तिर्याप्रसिद्ध हैं उनसे सिद्ध होता है कि जीवन की छोटी-छोटी घटनाएँ भी कभी-कभी महान् पुरुषों को इस प्रकार का झटका देती हैं कि उनसे उनके जीवन की दिशा ही बदल जाती है। कवि का जीवन उसकी कृतियों के समझने का प्रधान सहायक है।

11. ग्रन्थकार की शैली उसके व्यक्तित्व का ही अंग है। आधुनिक साहित्य के पारस्परी परिणितों ने साहित्य का विश्लेषण करके देखा है कि एक लेखक की रचना दूसरे लेखक की रचना से तीन कारणों से भिन्न हो जाया करती है :

(1) पहला कारण तो यह है कि एक व्यक्ति का स्वभाव, संस्कार और शिक्षण दूसरे से कभी हू-ब-हू नहीं मिलता। फलतः एक व्यक्ति सदा दूसरे से भिन्न हुआ करता है। और इसलिए एक व्यक्ति की रचना स्वभावतः ही दूसरे से भिन्न हो जाया करती है। उसकी शैली, जैसा कि प्रंगेज कवि पोप ने कहा था, ‘उसके विचारों की पोशाक’ हुआ करती है, पर केवल ‘पोशाक’ कहना उसे ठीक-ठीक कहना नहीं हुआ। इसलिए सुप्रसिद्ध मनीषी कारलाइल ने उक्त वक्तव्य का संशोधन करते हुए कहा था कि “शैली लेखक के विचारों की पोशाक नहीं है वल्कि चमड़ा है।” वह मौग्नी नहीं मौगी जा सकती, उधार नहीं दो जा सकती। साधारण सहृदय भी किसी व्यक्ति की रचना को देखकर कह सकता है कि ऐसी रचना तो अमुक व्यक्ति की ही हो सकती है। प्रसाद और महावीरप्रसाद द्विवेदी के गद्य दूर से ही अपने लेखक का नाम कह देंगे। इस बात को शैली का व्यक्तिगत पहलू कह सकते हैं। पर व्यक्तिगत पहलू ही शैली का सब-कुछ नहीं है। उसका एक दूसरा महत्वपूर्ण अंग भी है।

(2) एक खास युग के लेखक एक ढंग की चीज लिखते हैं। विहारी का जन्म यदि आज हुआ होता तो वे सतसई की शैली में अपना वक्तव्य नहीं उपस्थित



गुणदोष से मुक्त हो सकते हैं और न पारिपाश्विक परिस्थितियों के प्रभाव से बच ही सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि कालिदास एक खास जाति और खास काल में ही हो सकते थे। ऐस्किमो जाति के बच्चे को चाहे जितनी भी संस्कृत रटा दीजिए, वह कालिदास नहीं बन सकता और न इस युग का बड़ी-से-बड़ी शक्तिवाला संस्कृतज्ञ ही कालिदास-सा हो सकता है। कालिदास उसी समय में, उसी परिस्थिति में और उसी जाति में ही सकते थे जिसमें हुए थे।

न दो व्यक्तियों के सोचने का रास्ता एक है, न सोचने की वस्तु ही एक है। प्रसिद्ध फाँसीसी समालोचक टेन ने कहा था कि किसी भी व्यक्ति का निर्माण तोन निर्व्यक्तिक उपादानों से होता है :

- (1) उसकी वैश्न-परम्परा;
- (2) उसकी पारिपाश्विक परिस्थिति; और
- (3) उसके युग की विचारधारा और विश्वास।

इसका स्पष्ट अर्थ यह हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति जैसा है वैसा ही उसे होना था, वह अपनी इच्छा से अपने को और अपने इर्द-गिर्द की परिस्थिति को बदल नहीं सकता। इस विचार में आंशिक सत्य अवश्य है, पर इसे सम्पूर्ण सत्य नहीं माना जा सकता।

13. वस्तुतः परिस्थितियों पर विजय पानेवाले मनुष्यों ने ही प्रत्येक युग में संसार को आगे बढ़ाया है। जातियों का इतिहास व्यक्तियों का इतिहास है। महापुरुष एक श्रूति शक्ति लेकर आते हैं और देश का नक्शा बदल देते हैं। क्रामवेल न होता तो इंगलैण्ड का इतिहास और तरह से लिखा गया होता। नैपोलियन न हुआ होता तो फ्रांस की कहानी और ही तरह की होती। ऐसा देखा गया है कि एक-एक शक्तिशाली महापुरुष जाति को एक खास दिशा में घग्गसर करते समय रास्ते में ही चल वसा और वह जाति अपनी समस्त जातिगत तथा ऐतिहासिक परम्पराओं और अनुकूल पारिपाश्विक परिस्थितियों के बावजूद उभय-विष्ट्रिय छिन्न मेष-खण्ड की भाँति विलीन हो गयी।

महापुरुष ही जातियों को बनाते हैं। वे देश को विशेष दिशा की ओर मोड़ देते हैं, वे साहित्य के संपादा और ज्ञान के विवाता होते हैं। कवीरदास योगियों की अवधारणा, भवतों की निरीहता और भारतीय माघकों की सामान्य विशेषता—आध्यात्मिक दृष्टि—के साथ ही अपना एक मस्ताना व्यक्तित्व लेकर पैदा हुए थे। मवकुद्ध को छोड़कर चल देने की घरफूँक मस्ती और फक्कड़ाना सापरवाही ने कवीरदास को भारतीय साहित्य का [सबसे आकर्षक महापुरुष बना] दिया है। अपने इसी अनन्य-साधारण व्यक्तित्व के कारण कवीरदास नवयुग की सृष्टि कर भेजे। कौन कह सकता है कि तुलसीदास के बल परिस्थितियों की उपज थे और ये न भी होते तो क्या किसी क. ग. ग. ने वैभा ही 'रामचरितमानम्' निख दिया होता? वस्तुतः अन्यकार के बल परिस्थितियों की ही देन नहीं है, उम्मा व्यक्तित्व वह महत्वपूर्ण वस्तु है जो समाज में नया प्राणदान करती है और परिस्थितियों

को अपनी अभीष्ट दिशा में मोड़ देती है।

14. अब तक के वक्तव्य को कवीर के उदाहरण से इस प्रकार समझा जाय :

### कवीरदास

1. कालगत वंशिष्ट्य	भाषा और धर्म की लोकाभिमुखता, दो धर्म-संस्कृतियों का संघर्ष, हिन्दुओं का सांस्कृतिक उतार, ईश्वर पर अविचलित विश्वास, योग और तंत्र-प्रभाव इत्यादि।
2. देशगत वंशिष्ट्य	<p>(1) भारतीय आध्यात्मिकता, पुनर्जन्म, नामजप, गुरुवाद, कर्मफलवाद।</p> <p>(2) योग-प्रभाव समाधि, प्राणायाम, काया-साधन की विविध वार्ते।</p> <p>(3) निचला सामाजिक स्तर जातिगत वैपक्ष्य की तीव्र अनुभूति, समाज-व्यवस्था पर कठोर आक्रमण।</p> <p>(4) भक्त-प्रभाव निरीहता, नम्रता, प्रेम।</p> <p>(5) मुसलमानी प्रभाव वेघड़क खण्डन, हीनता-प्रन्थि का अभाव, सामाजिक समता में विश्वास।</p>
3. पूर्ववर्ती और समसामयिक	<p>(1) पूर्ववर्ती नाथपंथी और सहजयानियों की अक्खड़ता, आक्रमण-वृत्ति, पहेलियों की भाषा।</p> <p>(2) समसामयिक सूफीमत, मुल्लों और पण्डितों का बाह्याचार, निरंजन पन्थ से साम्य आदि।</p>
4. जीवन	जुलाहे का काम, गरीबी, गृहस्यधर्म।
5. ध्यक्तित्व	फक्कड़, मस्त, आत्मविश्वासी, निरीह, वेपरवा, दृढ़।

15. लेखक का इस प्रकार भ्रष्ट्यन हम इमलिए करते हैं कि उसने जो कुछ लिया है उसे ठीक-ठीक ममझ सके और उस वक्तव्य का सम्पूर्ण भानन्द प्रहण कर सके। इमीलिए प्रधान वात तो वह वक्तव्य ही है जिसके लिए लेखक के ध्यक्तिगत जीवन का भ्रष्ट्यन आवश्यक साधन समझते हैं। वस्तुतः लेखक का वक्तव्य साहित्य का प्रधान विवेच्य है। अगर उमके पास कहने योग्य कोई वस्तु है और उक्त वक्तव्य में नवीनता, ताजगी और सार है, तो अन्यान्य सारी वार्ते

गौण हो जाती है। प्रतिभाशाली लेखक नये-नये साहित्यांगों और नये-नये साहित्यिक सम्बद्धायों को जन्म दिया करते हैं। कम शक्तिशाली लेखक उनका मनुकरण करके हटायालन किया करते हैं।

लेखक के वक्तव्य का रसास्वादन कराना ही साहित्यिक समालोचक का कर्तव्य है। इतना यही अवश्य स्मरण रखना चाहिए कि लेखक की वक्तव्य-वस्तु सब समय कोई नयी भूजना या तर्क-युक्ति नहीं होती। दुनिया की दृष्टि से उसका वाच्यार्थ (दे. 38) कभी-कभी नितान्त मामूली वस्तु हो सकती है। पर ऊपर-ऊपर से दीखनेवाले अर्थ असल में महाकवि की वाणी को किसी बड़े सत्य की ओर इशारा करने के उद्देश्य से प्रयुक्त होते हैं (दे. 41)। इस प्रकार वक्तव्य-वस्तु का रसास्वादन कराना ही साहित्य-समालोचक का मुश्य कर्तव्य है, फिर भी इसके अतिरिक्त और उद्देश्यों से भी साहित्य का अध्ययन किया जाता है। हम सक्षेप में उसी का विवरण उपस्थित करने जा रहे हैं।

15 क. परन्तु सच्चा साहित्यकार वही है जो महान् साहित्य की रचना करे। साहित्य के मूल प्रेरणाव्योतों को खोज निकालने और समूचे साहित्य को मानव-कल्याण के लिए नियोजित करने की चेष्टा आज जितनी प्रवल है उतनी कभी नहीं थी, परन्तु साथ ही साहित्य-विचारक आज जितना साहित्यिक गतिरोध से चिन्तित हुआ है उतना कभी नहीं हुआ था। छोटी-छोटी वातों में उलझना आज के साहित्यिक जीवन का प्रधान कार्य मान लिया गया है। साहित्य के लक्ष्य और उद्देश्य, आलोचक के कौशल और चातुर्य, साहित्यकार के सिद्धान्त और उद्देश्य आदि अस्पष्ट वातों को लेकर दलबन्दियाँ हो रही हैं, एक-दूसरे पर कटाक्ष करने, असत् अभिप्राय के आरोप करने और व्यक्तिगत स्तर पर छिद्रान्वेषण करने की प्रवृत्ति निरन्तर उग्र होती जा रही है। पर जो वात भुजा दी गयी है कि वह यह है कि इन वादों से साहित्य आगे नहीं बढ़ता। प्रायः देखा जाता है कि सिद्धान्तों की वात करते समय अत्यन्त ऊर्जे और भव्य आदर्शों की वात करनेवाला लेखक वास्तवक साहित्य-रचना के समय दुसमुल चरित्रों, गन्दी और घिनीनी परिस्थितियों, असन्तुलित वक्तव्य के आवरण में आच्छादित वादानुवादों और मनुष्य के भीतर छिपे हुए पशु के विस्तारित विवरणों में रस लेता है। यह सत्य है कि साहित्य नीतिशास्त्र की सूचियों का सग्रह नहीं होता, पर यह और भी सत्य है कि मनोविज्ञान और प्राणि-विज्ञान की प्रयोगशालाओं से उधार लिये हुए प्राणियों का मेला भी नहीं होता। जो साहित्य अविस्मरणीय दृढ़चेता चरित्रों की मृष्टि नहीं कर सकता, जो मानव-चित्त को भयित और चलित करनेवाली परिस्थितियों की उद्भावना नहीं कर सकता और मनुष्य के दुख-मुख को पाठक के सामने हस्तामलक नहीं बना देता वह वही सूष्टि नहीं कर सकता। जीवन के हर क्षेत्र में यह सिद्धान्त समान रूप से मान्य है कि छोटा मन लेकर बड़ा काम नहीं होता। बड़ा कुछ करना हो तो पहले मन को बड़ा करना चाहिए। हमारी साहित्यिक आलोचना के अत्यन्त वौद्धिक और उद्देश्यान्वेषी वाद-विवादों में यही

यात भुला दो जाती है। 'साहित्य' नामक वस्तु साहित्यकार से एकदम अमर्ग अन्य निरपेक्ष पिण्डतुल्य पदार्थ नहीं है। जो साहित्यकार अपने जीवन में मानव-सहानुभूति से परिपूर्ण नहीं है और जीवन के विभिन्न स्तरों को स्नेहाद्रं दृष्टि से नहीं देख सका है वह वडे साहित्य की सूचिट नहीं कर सकता। परन्तु केवल इतना ही आवश्यक नहीं है, उसमें प्रेमपूर्ण हृदय के साथ अनासक्त बनाये रहनेवाली मस्ती भी होनी चाहिए। मानव-सहानुभूति से परिपूर्ण हृदय और अनासक्तिजन्य मस्ती साहित्यकार को वडी रचना करने की शक्ति देती है। हमारा साहित्यिक आलोचक वडी-वडी विदेशी पोयियों और स्वदेशी भ्रन्थों से सग्रह करके जितनी भी विवेचनाओं का वाग़जाल बयो न तैयार करे, वह साहित्यिक गतिरोध नहीं दूर कर सकता। साहित्यिक गतिरोध दूर करते हैं विणाल हृदयवाले साहित्यिक। कुछ ऐसी हवा बढ़ी है कि साहित्यिक टाँय-टाँय तो बहुत बढ़ गयी है, पर मच्चा साहित्यकार उपेक्षित हो गया है।

सेद्वान्तिक वाद-विवाद आवश्यक है। पर उन्हीं में उलझ जाना ठीक नहीं है। वास्तविक साहित्यिक दुनिया में क्या हो रहा है और किन कारणों से ऐसा हो रहा है, इस और भी हमारे आलोचकों का ध्यान जाना चाहिए। क्या कारण है कि हमारे मैंजे हुए साहित्यिक प्रभावहीन ढुलमुल चरित्रों का निर्माण करते जा रहे हैं, होटलों की दुनिया में सीमित हो गये हैं, पारिवारिक पवित्र प्रेम की उपेक्षा कर रहे हैं, उच्च शिक्षा-प्राप्त युवतियों की असन्तुलित जीवन-विकृतियों को महत्त्व दे रहे हैं और तथाकथित यथार्थवादी भावधारा से बुरी तरह आत्कित दिखायी दे रहे हैं? क्या साहित्य का लेखक सब प्रकार के सामाजिक उत्तरदायित्व से बरी हो गया है? क्या ज्ञान की अनुसन्धित्सा और शिक्षा के सम्बन्ध दिखनेवाले वातावरण ने सचमुच ही हमारे सामाजिक जीवन में विकृत दृष्टि उत्पन्न कर दी है?

साहित्य प्रभावशाली होकर सफल होता है। साहित्य प्रकाश का रूपान्तर है। कुछ आग केवल आँच पैदा करती है। जीवन के लिए उसकी भी आवश्यकता होती है। हमारे स्थूल जीवन के अनेक पहलू हैं। हमें नाना शास्त्रों की जहरत होती है। परन्तु दीप-शिखा स्थूल प्रयोजनों के लिए व्यवहृत होने योग्य आँच नहीं देती। वह प्रकाश देती है। साहित्यिकार जो कहानी लेता है, जिन जीवन-परिस्थितियों की उद्भावना करता है वह दीप-शिखा के समान आँच के लिए नहीं होती, बल्कि प्रकाश के लिए होती है। प्रभाव ही वह प्रकाश है। समूचे बाजार की व्योरेवार घटनाएँ भी वह प्रभाव नहीं उत्पन्न कर सकती, जो एक-दो चरित्रों को ठीक से चित्रित करके उत्पन्न किया जा सकता है। उसी प्रकार बहुत-सी लकड़ियाँ जलकर भी उतना प्रकाश नहीं उत्पन्न कर पाती जितना एक छोटी-भी मोमबत्ती कर देती है। संसार के बड़े-बड़े साहित्यिकारों ने यथार्थवादी कौशलों को इसलिए अपनाया था कि उनके सहारे वे पाठक को अपने नजदीक से आते थे और उसके चित्त में यह विश्वास पैदा करते थे कि लेखक उनसे कुछ भी दिखा नहीं रहा है। यही बात मुख्य नहीं हुआ करती। परन्तु बाद के अनुकरण

करनेवाली ने उन कौशलों को ही लक्ष्य समझ लिया। स्थानीय दृष्टियों के बोरे-वार चित्रण, सामाजिक रीति-रसमों का और उनकी प्रत्येक छोटी-बड़ी बातों का सिलसिलेवार निष्पत्ति, वक्तव्य-वस्तु के लिए अत्यन्त अतुरुवश्यक और नगण्य दिखनेवाली बातों का विस्तारित वर्णन, स्थान-कालोपयुक्त बोलियो, गालियो, मुहावरो आदि का प्रयोग, व्यावसायिक और पेशेवर लोगों के प्रंसंग में उनकी भाषा और भवियों का उल्लेख, सनदो, दस्तीलो, डायरी, सामाचारपत्रों का उपयोग—ये सब यथार्थवादी लेखन नहीं हैं, यथार्थवादी कौशल हैं। इनके द्वारा लेखक पाठक के हृदय में अपने प्रति विश्वास उत्पन्न करता है और अपने वक्तव्य की सच्चाई के सम्बन्ध में आस्था उत्पन्न करता है। ये ही लक्ष्य नहीं हैं, लक्ष्य है मनुष्य-जीवन के प्रति सहानुभूति उत्पन्न कर के मनुष्यता के वास्तविक लक्ष्य तक ले जाने का सकल्प, मनुष्य के दुःखों को अनुभव करा सकनेवाली दृष्टि की प्रतिष्ठा और ऐसे दृढ़चेता आदर्श चरित्रों की सूष्टि जो दीर्घकाल तक मनुष्यता को मार्ग दिखाते रहे। जो साहित्यकार ऐसा नहीं कर पा रहा है उसमें कही-न-कही कोई वृद्धि है। वहे साहित्य का रचयिता ही वडा साहित्यकार है। कभी-कभी उल्टे रास्ते सोचने का प्रयास किया जाता है। हमारी साहित्यिक आलोचना में हवाई बातों को छोड़कर ठोस रचनाओं को लेकर चर्चा चले तो अच्छा हो, व्यर्थ की इलवन्दियों और आरोप-प्रत्यारोपों के बाबजाल में कोई सार नहीं है। इनसे हमारी वित्तगत दरिद्रता का ही प्रदर्शन होता है। (दे. 77 क)

## जातीय (राष्ट्रीय) साहित्य

16. समूकी जाति] (राष्ट्र) भी एक व्यक्ति-मनुष्य की भाँति है। जिस प्रकार व्यक्ति-मनुष्य कभी सोता है, कभी जागता है, कभी सोचता-विचारता है, कभी ग्रामन्द के तराने छेड़ देता है, उसी प्रकार सारी जाति (राष्ट्र) भी अपने जीवन में भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में से गुजरती है। किसी रवीन्द्रनाथ के विचार जानने के लिए हम मह नहीं पूछते कि वे सपने में क्या बड़वड़ाते थे, या अपने बच्चे को क्या कहकर डॉट रहे थे, या छुटपन में तोतली बोली में कौन-सा शुद्ध या अशुद्ध उच्चारण कर रहे थे—यद्यपि मनुष्य रवीन्द्रनाथ को निविड़ भाव से अनुभव करने के लिए इन बातों के प्रति हमारी जिज्ञासा उचित है—और किसी सास विषय पर उनके विचार की जिज्ञासा के समय हम इन बातों को नहीं जानना चाहते वल्कि उनकी श्रोह विचारधारा, नाप-तीलकर लिमे हुए बक्तव्य और मौवार-वनाकर कहे

हुए वाक्यों का अध्ययन करते हैं। ठीक यही बात जाति के विचारों के बारे में भी सत्य है।

यदि हमसे कोई पूछे कि भारतीय जाति ने क्या सोचा-विचारा है, उसकी बहुमूल्य चिन्ताराशि वस्ता है, तो हम उसे उस समूर्ण साहित्य के उत्तम ग्रन्थों का निचोड़ सुनायेंगे जो वैदिक ऋषि से लेकर प्रेमचन्द तक महान् विचारकों ने रखे हैं।

महान् विचारक जाति की चिन्ताशील अवस्था के द्योतक हैं। इसीलिए किसी ग्रन्थकार के ग्रन्थ-विशेष को हम केवल उसी तक सीमित रखकर अध्ययन नहीं करते बल्कि उसे सभूते भारतीय साहित्यहपी विराट् ग्रन्थ के एक अध्याय के रूप में भी देखते हैं। कालिदास और तुलसीदास भारतीय मनीषा की दो भिन्न तरहों के परिचायक हैं।

इसीलिए जब हम किसी साहित्य के इतिहास को पढ़ने वैठते हैं तो वस्तुतः उस जाति की समूर्ण चिन्ताराशि, अनुभूति-परम्परा और संवेदनशीलता का परिचय पाना चाहते हैं। कालिदास, भवभूति, तुलसीदास और विहारी परम्परा जितने भी भिन्न व्यों न हों, वे वस्तुतः समूर्ण भारतीय जाति (राष्ट्र) की भिन्न-भिन्न अवस्था और अनुभूति-परम्परा के परिचायक हैं।

17. (क) हमने ऊपर देखा कि ग्रन्थकार के अध्ययन के लिए उसके काल की जानकारी आवश्यक है। परन्तु विरोधाभास यह है कि विना ग्रन्थकारों के हम विभिन्न काल-धर्म की जानकारी प्राप्त ही नहीं कर सकते। गुप्त-कालीन ग्रन्थों के आधार पर ही मुह्यतया हम गुप्त-काल को समझ सकते हैं। इसीलिए जाति के भिन्न-भिन्न काल की रीति-नीति, आचार-विचार, वेश-भूपा, ज्ञान-विज्ञान, धर्म-कर्म समझने के लिए भी साहित्य का अध्ययन करते हैं। ऐसा करके हम उस युग के प्राचीन मनुष्य को तो आमने-सामने पाते ही हैं, अपने-आपको भी ठीक-ठीक समझते हैं।

हम पहले ही देख चुके हैं कि साहित्य की रचना और उसके अध्ययन दोनों ही कार्यों के लिए मूल मनोभाव हमें बराबर सचेष्ट करते रहते हैं। कालिदास के ग्रन्थों से हम जानते हैं कि—उन दिनों नागरिक लोग किस बात में रस पाया करते थे? नगर की सुन्दरियाँ कैसा शृंगार करती थीं? प्रकृति की किन वस्तुओं से कौन-सी सोन्दर्य-बर्दंक सामग्रियाँ सग्रह की जाती थीं? राजपुरुष कैसे होते थे? राजा और प्रजा का सम्बन्ध कैसा था? और उस समय के सामाजिक लोग किस प्रकार नाच-गान, उत्सव आदि का आनन्द लेते थे? कालिदास हमारे सामने अपने जमाने के स्त्री-पुरुषों को प्रत्यक्ष उपस्थित कर देते हैं। हम उनके सुख-दुःख, आनन्द-मंगल और आचार-विचार को निविड़ भाव से अनुभव करते हैं। कालिदास के सरम ग्रन्थों में उस युग को हम जिस जीवन्त रूप में पाते हैं, उतने जीवित रूप में हम उस युग की किसी राजकीय विवरण-पुस्तिका (जो कदाचित् कहीं से मिल जाय) में नहीं पा सकते।

(ख) जाति का ठीक-ठीक परिचय केवल औत्सुक्य की शान्ति के लिए ही

आवध्यक नहीं है, जिस युग में हम यास कर रहे हैं उसमें शान्तिपूर्वक यास करने के लिए भी हमें विभिन्न जातियों की जानकारी ठीक-ठीक होनी चाहिए। राजनीतिक और आधिक स्वार्थवश और अपने संस्कारों के कारण एक जाति दूसरी को गलत समझती है। धार्जकल पह वात बहुत जटिल रूप धारण कर गयी है। यद्यपि वैज्ञानिक उन्नति ने देश और काल के व्यवधान को कम कर दिया है, परन्तु मानसिक संकीर्णता उसी अनुपात में कम नहीं हुई है, जिसका परिणाम पारस्परिक अविश्वास, युद्ध, विप्रह, कलह और रक्तपात होता है।

हम पहले ही देख चुके हैं कि उत्तम ग्रन्थ जाति के ठीक-ठीक परिचायक है। उसकी आशा-आकांक्षा, गुण-दोष, आचार-विचार आदि को उसके महान् ग्रन्थ ही ठीक-ठीक उपस्थित करते हैं। इसलिए जातीय (राष्ट्रीय) साहित्य के उत्तम ग्रन्थों का अध्ययन और प्रचार मानव-समाज की भावी सुख-शान्ति के लिए भी आवश्यक है। शेषत्रियर को पढ़कर हम अंद्रेज जाति की जिस भीतरी सहृदयता का परिचय पाते हैं, वह विदेशी लेखकों की लिखी हुई संकड़ी यात्रा-विवृतियों से भी नहीं पा सकते।

परिचय-ग्रन्थ किसी यास प्रयोजन से लिखे जाते हैं या किसी यास सिद्धान्त के प्रतिपादन के लिए लिखे जाते हैं। इसलिए उनमें द्रष्टा के विचार ही प्रधान हो उठते हैं। इस श्रेणी के लेखक उस जाति का परिचय कराने के बदले उस जाति-सम्बन्धी अपने विचारों पर ही अधिक जोर देते हैं। फलतः उससे गलत-फहमी पैदा होने या बढ़ने की आशंका रहती है। मिस मेयो की 'मदर इंडिया' में इस देश को इन्होंने भद्रे हृष में उपस्थित किया गया था कि उससे सारे ससार में भारतवर्ष के प्रति धृणा का भाव बढ़ जाता।

(ग) ऊपर जो वात परिचय-ग्रन्थ के लेखक को लक्ष्य करके कही गयी है वह थोड़ी-बहुत मात्रा में कवि, नाटककार और उपन्यास-लेखक से भी अवश्य रहती है। परन्तु उससे हमारे अध्ययन में विशेष वाचा नहीं पड़ती। हम जानते हैं कि लेखक का अपना विशेष दृष्टिकोण है और वह भी उस विशेष दृष्टिकोण से देखने पर ही निरन्तर जोर देता रहता है। फिर भी वह जीवित मनुष्य को दिखाता है, उनकी ध्याया या कंकाल को नहीं। इसीलिए यद्यपि उसके विशेष दृष्टिकोण से हम द्रष्टव्य के विशेष पहलू को देखते हैं, परन्तु फिर भी हम निष्प्राण ठठरियों के समस्त पहलुओं को देखने की अपेक्षा सच्ची और काम की चीज देखते हैं। एक काम की चीज का देखना सो बेकार और बेजान ठठरियों को देखने की अपेक्षा निष्प्रब्ध ही अधिक महत्वपूर्ण है।

#### 18. ऊपर की वात को एक उदाहरण से समझा जाय :

हिन्दी के प्रतिद्वंद्वीपन्यासिक प्रेमचन्द शताविंश्यों से पददलित और अपमानित कृपकों की आवाज थे। पदों में कैद, पद-पद पर लालित और अपमानित असहाय नारी-जाति की महिमा के जबरदस्त बकील थे और गरीबों और बेकसों के महत्व के प्रचारक थे। व्यक्तिगत हृष से वे मनुष्य की सद्वृत्तियों में विश्वास रखते थे

ओर उसकी दुर्वृत्तियों को अजेय तो मानते ही नहीं थे, उन्हें भावरूप में स्वीकार भी नहीं करते थे। वे मानते थे कि जड़ोन्मुखी सम्मता ने हमें जड़ता को ही प्रधान और सग्रहणीय मानने की ओर प्रवृत्त किया है। इसी की बदौलत हम आज भीड़-भश्मड़ को, दिलाव-बनाव और टीम-टाम को महत्व देने लगे हैं। ये वस्तुएँ मनुष्य को महान् नहीं बनाती बल्कि उसके मन को दुर्बल और आत्मा को सशंक बना देती हैं।

व्यक्ति का आत्मबल उसकी जड़-मूजा से अवरुद्ध हो जाता है। जिसके पास ये जड़-बन्धन जितने ही कम होते हैं, वह उतनी ही जल्दी सत्यपरायण हो जाता है। 'रंगभूमि' का गरीब सूरदास धनी विनय की तुलना में शीघ्र प्राप्य और स्थायी आत्मबल का अधिकारी हो जाता है। यह प्रेमचन्द का अपना दृष्टिकोण है। इस विशेष दृष्टि से दुनिया को देखने के लिए ही वे अपने पाठक को निमन्त्रित करते हैं, परन्तु फिर भी उनकी रची हुई दुनिया सत्य है। अगर कोई उत्तर भारत की समस्त जनता के आचार-विचार, भाव-भाषा, रहन-सहन, आशा-आकाशा, दुःख-सुख और सूझ-वूझ को जानना चाहे तो प्रेमचन्द से अधिक उत्तम परिचायक इस युग में नहीं पा सकेगा। भोपड़ियों से लेकर महलों तक, खोमचों से लेकर बैंकों तक, ग्राम-पंचायतों से लेकर धारा-सभाओं तक उसे इतने कौशलपूर्वक और प्रामाणिकता के साथ कोई दूसरा नहीं ले जा सकता।

कोई भी जिजामु, प्रेमचन्द की अंगुली पकड़कर बेखटके मेड़ों पर गाते हुए किसान को, अन्त-पुर की मानवती बहू को, कोठे पर बैठी हुई वार-विलासिनी को, रोटियो के लिए ललकते हुए भिलमगे को, कूट-परामर्श में लीन गोयन्दो को, ईच्छापिरायण प्रोफेसरो को, दुर्बल-हृदय बैकरो को, साहसी चमारो को, ढोगी पण्डित को, फरेवी पटवारी को और नीचाशय अमीर को देख सकता है और निश्चिन्त होकर विश्वास कर सकता है कि जो कुछ उसने देखा है वह गलत नहीं है। इससे अधिक सचाई के साथ दिखा सकनेवाले परिदर्शक को हिन्दी और उड्डी की दुनिया नहीं जानती। पर सर्वत्र ही वह लक्ष्य करेगा कि जो संस्कृतियों और सम्पदाओं से लद नहीं गये हैं, जो अशिक्षित और निर्घन हैं, जो गेवार और जाहिल समझे जाते हैं वे उन लोगों की अपेक्षा अधिक आत्मबल दिखाते हैं जो शिक्षित हैं, जो सम्पन्न हैं, जो चतुर हैं, जो दुनियादार हैं।

यह प्रेमचन्द का अपना विशेष दृष्टिकोण है। इससे हम उत्तर-भारत की जनता को देखने की एक विशेष दृष्टि पाते हैं, परन्तु यह दृष्टि हमें उस जनता के वास्तव रूप को समझने में बाधक नहीं है। यह वास्तव में परिचय के अतिरिक्त हमारा अधिक लाभ है। परन्तु जब भारतवर्ष का कोई परिचय-नेतृत्व अपनी विशेष उद्देश्य-सिद्धि के लिए ग्रन्थ लिखता है और बताता है कि इस प्रकार के थायुमण्डल और तापमान में रहनेवाले आदमी आलसी, कल्पनाशील और काम-चौर होंगे ही तो बहुत-कुछ छोड़ देता है, बहुत-कुछ जोड़ देता है और बहुत-कुछ अपने मन से गढ़ लेता है। हम सब उमका विश्वास नहीं कर सकते।

## नया दृष्टिकोण

१४ क. इम युग में ज्यो-ज्यो मिन्न-मिन्न समुदायों की चिलाएँ एक-दूसरे के निफट आती गयी हैं, ज्यो-ज्यो प्राचीन रुदियों से उनका छुटकारा होता गया है। जिस प्रकार भूत्यान्य शास्त्रों में, उसी प्रकार कविता, चित्रकला, मूर्तिकला आदि में भी, एक मार्वभोग भित्ति पर सारे सासार के मनीयियों का ध्यान केन्द्रित होता रहा है। नये वैज्ञानिक आविष्कार इसमें बहुत अधिक सहायक हुए हैं। एकदेशी कल्पनाएँ और उनकी पोषक परम्पराएँ टूट गयी हैं; जहाँ नहीं टूटी है, वहाँ टूटने की ओर बढ़ रही है। बाब्य को समझने का भौगोलिक दृष्टिकोण जो उन्नीसवीं शताब्दी के यूरोपीय पण्डितों में एक बार भूत्यविक प्राधान्य लाभ कर गया था, आज मुरी तरह गलत सावित हुआ है। यद्यपि भारतवर्ष के सद्ग्रबुद्ध समाजोचक भव भी इस व्यास्त्या का स्वज्ञ देखते रहते हैं—विशेषकर धार्मिक दोशों में—तथापि वह अपनी गतिशीलता रो चुकी है। इस दृष्टि से सासार के इतिहास को देखनेवालों ने मनुष्य के काव्य-नाटकादि सत्तित-कलाओं से सेकर प्राचार-विचार, आहार-निद्रा आदि क्रियायों तक को देख-विशेष की भौगोलिक परिस्थिति की उपज बताया था। भारतवर्ष-जैसे उच्चकटिबन्धीय देश में रहनेवाले आदमी स्वभावतः ही आलसी, केवल कल्पनाशील, कामचोर और परलोकप्रवण होंगे, पर साइवेरिया में रहनेवाले का जीवन प्रकृति से लड़ाई करने में बीतेगा। उसके सामने बास्तविकताएँ इतना कठोर रूप लेकर उपस्थित होंगी कि वह कल्पना-विहार का अवकाश ही नहीं पा सकेगा। उसका साहित्य भी दैसा ही होगा। इसमें कोई सन्देह नहीं कि भौगोलिक कारण जाति को विशेष रूप देने में बहुत-कुछ कारण बन जाते हैं, पर यही सब-कुछ नहीं है। भारतवर्ष में इस दृष्टि से देखने का सर्वाधिक विकृत रूप साम्प्रदायिक सभा-भंचों के उपदेशकों के मुख से सुनायी देता है, जब वे भारतवर्ष की सती-साधियों में, यहाँ की धर्म-प्राण जनता में, यहाँ के धर्म पर कुबनि होनेवाले धर्मवीरों में कुछ ऐसी विशेषता बताया करते हैं, जो यही है और कही ही नहीं सकती। इस दृष्टिकोण से जिन्होंने भी दुनिया देखी है, उन्होंने मनुष्य की अपेक्षा उसकी रुदियों को अधिक देखा है। अब जब कि रुदियाँ टूटने लगी हैं, भारत की सती-साधियों में कोई ऐसी विशेषता नहीं दीखती जो यूरोप की सती-साधियों में न हो। यहाँ की धर्मप्राण जनता कभी भी ऐसी हड्डताल नहीं करती, जो रस या इम्लैंड के कारखाने में काम करनेवाली जनता ने न की हो।

रीतिकाल की रुदियाँ जब दीसवीं शताब्दी के कवियों के अङ्गान, उपेक्षा और विरोध के कारण टूट गयी, तो हिन्दी में भी अप्रेजी के 'रोमाटिक' कवियों का स्वर सुनायी देने लगा। असहयोग-आनंदोलन के बाद यह उत्तरोत्तर साफ होता गया।

इन कवियों ने वास्तुजगत् को अपने अन्तर के योग से उपलब्ध किया; अपनी रचि, कल्पना और सुरानुभाव में गूँधकर संगार को देता; हिन्दी-कविता में भैंकड़ी वर्ष जिस वैयकितकता (individuality) का प्रवेश नहीं हुआ था—जो भौगोलिक व्याख्या के अनुसार भारतीय मनोविदी की विशेषता होनी चाहिए थी—वह एक ही घड़के में दरवाजा तोड़कर सामने आ राढ़ी हुई। पिछले पन्द्रह वर्षों में भारतीय कवि की वैयकितकता ही प्रधान प्रतिपाद्य फाल्य-भास्मग्री रही है। पर लदानों में जान पड़ता है कि उसके भी दिन गिने जा चुके हैं। अब तक कवि चाहे फत्यना के द्वारा इस जगत् की विसदृशताओं से मुक्त एक मनोहर जगत् की सूष्टि कर रहा हो, या चिन्ता द्वारा किसी अशात रहस्य के भीतर प्रवेश करने की चेष्टा कर रहा हो, या अपनी अनुभूति के बल पर पाठक के वासनान्तविलीन मनोभावों को उत्तेजित कर रहा हो—सर्वत्र उसकी वैयकितकता ही प्रधान हो उठती रही है। अत्यन्त आधुनिक कवि इस भावुकता को पसन्द नहीं करता। वह वस्तु को आत्मनिरपेक्ष भाव से देखने को ही सच्चा देखना मानता है। यह बात उसके निकट सत्य नहीं है कि वस्तु को उसने कैसा देखा, वल्कि यह कि वस्तु उसके बिना भी बैसी है। इस वैज्ञानिक चित्तवृत्ति का प्रधान आनन्द कीतूहल में है, उसुकता में है, आत्मीयता में नहीं। और जैसा कि इस विषय के पण्डितों ने बताया है; विश्व को व्यक्तिगत आसक्त भाव से न देखकर तदगत और अनासक्त भाव से देखना ही आधुनिक दृष्टिकोण से जगत् को देखने का प्रयत्न करना है। यथापि इस दृष्टि का अधिक विनियोग आर्थिक परिस्थिति को समझने में किया गया है, या यों भी कहा जा सकता है कि समाज की वर्तमान परिस्थिति को आर्थिक दृष्टिकोण से देखने का प्रयत्न किया गया है, तथापि यही उसका वास्तविक स्वरूप नहीं है। हमारी विचारधारा की वास्तविक नवीनता इस बात में नहीं है कि हमने संसार को व्यक्तिगत रूचि-अरुचि की दृष्टि से देखा है या आर्थिक दृष्टि से—वस्तुतः व्यक्तिगत दृष्टि और आर्थिक दृष्टि का विरोध नहीं भी हो सकता है—वल्कि यह कि हमने संसार को अपने सत्-असत् के संस्कारों की दृष्टि से नहीं, वल्कि इन संस्कारों से मुक्त बुद्धि के द्वारा देखने का प्रयास किया है। दोनों का अन्तर दोनों दृष्टिकोणों के विकास से समझा जा सकता है।

18 ख. यह मानने में कोई सकोच नहीं होना चाहिए कि हमारी आधुनिक दृष्टि-भंगी यूरोपीय सर्सरी का फल है। इसके पहले हमारी दुनिया एक प्रकार से तय हो चुकी थी। हमारी सत्-असत् सम्बन्धी धारणाएं हमेशा के लिए मानो स्थिर हो चुकी थी। यूरोप में भी ऐसा ही एक युग था। परन्तु वैज्ञानिक आविष्कारों ने वहाँ के सोचनेवाले आदमियों के मस्तिष्क में एक प्रकार की अशान्ति ला दी। किसी ने कहा है कि ज्योतिष का यह आविष्कार कि पृथ्वी समस्त ग्रहनक्षत्र-मण्डल के केन्द्र में नहीं है, यूरोपीय मस्तिष्क के ऊपर सबसे पहली और सबसे जोरदार चोट थी। उसकी समस्त धार्मिक और आध्यात्मिक कल्पना, सारा पौराणिक विश्वास, समस्त इतिहास इस चोट से तिलमिला गयी। विज्ञान प्रसारित होता

गया, धर्मविश्वास संकुचित। प्रत्येक वैज्ञानिक आविष्कार अठारहवीं शताब्दी में ईश्वर और धर्म को पीछे ढकेलता गया, अन्त में उन्नीसवीं शताब्दी में ये दोनों वस्तुएँ—‘कहितु भिन्न-न-भिन्न’—सम्पूर्ण तपा पृष्ठभूमि में आ गयी। पर मनुष्य अपने-आप अत्यधिक विश्वासपरायण हो गया। उन्नीसवीं शताब्दी जिस प्रकार नास्तिकता-प्रधान युग है, उसी प्रकार आत्मविश्वासपरायण भी। इस काल में सारे चारों में आदर्शवादियों का प्राधान्य था। आज भी जहाँ कही वहें-वहें आदर्शवादी दीख रहे हैं, वे उनीं शताब्दी के भावनावशेष हैं। इन आदर्शवादियों ने संसार की वास्तविकता की तरफ नहीं ध्यान दिया, बल्कि अपना सारा ध्यान एक आदर्श दुनिया को गढ़ने में केन्द्रित रखा—जहाँ मनुष्य क्षुद्र स्वार्थ का शिकार न होकर सेवा का विधाता होगा; जहाँ धर्म मनुष्य का मार्गदर्शक न होकर मनुष्य द्वारा परिचालित होगा, जहाँ का सबसे बड़ा सरप मनुष्य है। इस आदर्श के उन्नयन के साथ-ही-साथ आत्मसापेक्ष दृष्टि अपने-आप अतजान में ही, प्राधान्य लाभ करती गयी। अपनी भावनाओं के रग में दुनिया को रंगकर देखने का अभ्यास बढ़ता गया। हिन्दी का वैयक्तिकता-प्रधान साहित्य उसी का अन्तिम प्ररोह था। पहले वह समाज-सुधार के क्षेत्र में दिखायी दिया और बाद में उसने अन्यान्य क्षेत्रों को भी बुरी तरह से आच्छादित कर लिया। न जाने किस अमूलदर्शी ने कविता में उसका नाम छायावाद चला दिया! परन्तु किंचार की दुनिया में एक बार जो अशान्ति धुस गयी थी वह किर भी अशान्ति बनी रही। वैज्ञानिक अद्यगति ने बेचैनी बढ़ाने का ही काम किया। जीवन को देखने के दृष्टिकोण में किर जबर्दस्त परिवर्तन हुआ। मावर्स और फ्रायड ने समाज और ध्यक्ति को देखने का नया चश्मा दिया। समाज का जो अंश सर्वाधिक उपेक्षित रहा, वह तेजी से प्रधान स्थान प्राप्त करता गया। ध्यक्ति को समझने के लिए भी उसके चेतन मन की अपेक्षा अवचेतन मन की प्रधानता स्थापित हो गयी। आदर्शवाद को इन दोनों वातां से चोटपहुँची। फ्रायड ने कहा है कि मनुष्य वस्तुतः वैसा नहीं है जैसा कि वह स्टैट ही दीख रहा है, प्रत्युत वह वैसा है जैसा कि अपने को चेट्टापूर्वक नहीं दिखाना चाह रहा। चेतन के द्वारा नहीं, अवचेतन के द्वारा मनुष्य को पहचाना जा सकता है। इस प्रकार मनुष्य के समस्त काव्य, समस्त कला, समस्त धर्मविवरण एक नये हृष में प्रकट हुए। हम दुनिया को जैसा देख रहे हैं, जितने सदाचार हैं, जितने कायदे-कानून हैं, जो कुछ नीतिकता-विधान है, सब वस्तुतः वैसे नहीं हैं। मावर्स ने कहा है कि इन विधानों का कारण कोई वास्तव सत्य नहीं है बल्कि आर्थिक परिस्थिति है। दोनों दृष्टियों से धापातत् साधु दृश्यमान आदर्शवाद थोया ही दीखने लगा। इस प्रकार मानवीय चिन्ता दूसरी बार अपने स्वकारों को भाड़कर देखने का प्रयास करते लगी। काव्य की, समाज की, धर्म की, राजनीति की—सबको उमने हड्डगत और अनास्तक भाव से देखने का प्रयास किया। पहली चिन्ता में ध्यक्ति प्रधान था, दूसरी में दृश्य प्रधान हो गया। पहली का दृश्य द्रष्टा के मन से विमुक्त होकर सामने जाता था, दूसरी का द्रष्टा दृश्य के पीछे दिख जाता है। यहो नया दृष्टिकोण

है। इस दृष्टि से, जैसा कि एक ऐसी आलोचक ने हाल ही में कहा है, अब तक कलाकार को वैयक्तिकता के प्रवाणन में, रीति-ग्रन्थों में, निजी कल्यानों में और रूपहीन (abstract) चिन्ताओं में कला का बीभान ही प्रकट हुआ है। और जैसा कि मैंने अन्यथ कहा था, दो कारणों से इस कविता की भाषा और शब्दों में भी परिवर्तन हुआ है। एक तो विषय को जब अनासक्त और तदगत भाव से देखा जाता है, तब स्वभावतः ही भावुकता को स्थान नहीं रह जाता। ऐसी प्रवस्था में कवि वैज्ञानिक-जैसी गद्यमय भाषा लिखता है। दूसरे, विषय की नवीनता को सम्पूर्ण रूप से अनुभव करने के लिए वह जान-यूक्तर ऐसी भाषा और शब्दों का व्यवहार करता है जो पाठक के मन को इस प्रकार भक्तभोर दे कि उस पर से प्राचीनता के स्वरूप भड़ जायें। वे ऐसी उपमाओं, ऐसे रूपकों और ऐसी वक्तों-वित्तों का व्यवहार करते हैं जो केवल नवीन ही नहीं अद्भुत भी जैंते। ऐसे काव्य में मेंढक और कुकुरमुत्ते केवल इसनिए व्यवहृत ही सकते हैं कि पाठक के चित्त को जीर से भक्तभोर दें, यद्यपि उसका अन्तर्निहित तत्त्व यह भी ही सकता है कि समुद्र और सूर्य अपनी महत्ता में जितने सत्य है उतने ही सत्य मेंढक और कुकुरमुत्ते भी है। जब तक द्रष्टा अपनी रुचि-अरुचि से सानकर सूष्टि को देखेगा तब तक वह इस महत्ता का अनुभव नहीं कर सकेगा।

परन्तु इस दृष्टिकोण का बहुत ही व्यापक प्रभाव स्वयं दृश्य या दृष्टव्य पर पड़ा है। अब तक काव्य, साहित्य, नृत्य आदि लिलित और धर्मतिक कलाएँ अपने-आप में अध्येतत्व थीं। अन्यान्य ज्ञान-विज्ञान के साधन से हम इन्हें समझने का प्रयत्न करते थे। अब समझा जाने लगा है कि वस्तुतः ये स्वयं अध्येतत्व विषय नहीं हैं, ये साध्य भी नहीं हैं, ये साधन हैं। इनके द्वारा हम किसी और को समझ सकते हैं। पदार्थ-विज्ञान और भूगर्भ-विद्या की भाँति ये भी अपने-आप में सम्पूर्ण नहीं हैं। वह साध्य वस्तु क्या है, जिसकी साधना के लिए काव्य, नाटक और नृत्य-चित्र-मूर्ति-कलाएँ साधन हैं। वह जीवन है। जीवन समझने के लिए ही यह सारा टण्टा है। जीवन, जिसकी उदाम लहरें नाना स्तरों में प्रवाहित होकर किसी अज्ञात दिशा की ओर भागी जा रही है। 'अपारे काव्य-संसारे' का प्रजापति कवि उन संकड़ों स्तरों में से एक स्तर है, जिसके रूप में जीवन-महासमुद्र की तरंगे प्रकट हो रही हैं। उससे हम समुद्र की गम्भीरता और उसके विस्तार की खोज पा सकते हैं, वह स्वयं जातत्व, गम्भीर्य या विस्तार नहीं है। विश्व उस प्रकार गठित नहीं हो रहा है, जैसा कवि को रुचता है वृत्तिक विश्व को जैसा रुचता है। वह वैसा ही उसके भीतर

19. कोई भी पुस्तक कुछ शब्दों का सधारत है। शब्दों के समूह ही तो पुस्तक बहलाते हैं। परन्तु वे शब्द सजाकर इस प्रकार रखे गये होते हैं कि उनसे हम एक अर्थ प्राप्त रहते हैं। इनमें कुछ संवा शब्द है, कुछ क्रियापद है, कुछ विभक्तियाँ हैं, कुछ उपसर्ग हैं, कुछ प्रत्यय हैं और फिर इन सबका एक सामजस्यपूर्ण सम्बन्ध है। यह सम्बन्ध ही बड़ी चीज़ है, क्योंकि यह न रहे तो शब्दों से कुछ अर्थ निकलना असम्भव हो जाय। इस सम्बन्ध को बतानेवाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं।

माहित्य का भी अपना व्याकरण है। इसे अलकार-शास्त्र कहते हैं और इस शास्त्र के आचार्यों को आलकारिक। यह शास्त्र शब्दों के प्रकृति-प्रत्यय को सेकर मिर नहीं खपाता बल्कि शब्द और अर्थ को मनोहारिणी व्याख्या करता है। इस शास्त्र में शब्द की शक्तियाँ, उसका अर्थ, रस, गुण, दोष और अलकार की विवेचना होती है। साहित्य के विद्यार्थी को इन बातों की जानकारी जरूर होनी चाहिए और उसे यह भी मालूम होना चाहिए कि साहित्य के रसास्वादन में इस शास्त्र की मर्यादा का क्या महत्व है। इन बहुत जरूरी बातों की चर्चा हम यहाँ सक्षेप में कर से तो अच्छा रहेगा। यह विषय बहुत शास्त्रीय है, परं यहाँ चर्चा करते समय इसे कम-से-कम शास्त्रीय ढंग से कहेंगे। सहज करके कहना ही हमारा उद्देश्य है।

20. 'शेर' शब्द के मुनते ही हमारे सामने जो एक विशेष प्राणी का स्वप्न उपस्थित हो जाता है उसका कारण क्या है? आलंकारिक लोग कहते हैं कि शब्द को एक विशेष शक्ति होती है जिसके द्वारा 'शेर' शब्द का अर्थ एक विशेष प्रकार का जीव होता है, नाव या महल नहीं। इस शक्ति का नाम अभिधा-वृत्ति है। यह शक्ति शब्द के उस अर्थ को बताती है जो कोष और व्याकरण से प्राप्त है, जो परम्परा से एक आदमी दूसरे से सुनता और सीखता आ रहा है। आलंकारिक लोग इस बात को कहने के लिए एक बड़ा सम्बान्ध-सा शब्द व्यवहार करते हैं। यह शब्द है 'साक्षात्-संकेतित', अर्थात् 'शेर' शब्द कहने से एक जीव-विशेष का ज्ञान होता है, वीच में कोई बाधा नहीं पड़ती। यह साक्षात्-संकेतित अर्थ कोष से, व्याकरण से और व्यवहार से तथा विश्वसनीय व्यक्ति से जाना जा सकता है। इस शक्ति के द्वारा जो अर्थज्ञान होता है उसे अभिवेद्य या वाच्य-अर्थ (वाच्यार्थ) कहते हैं।


21. लेकिन जब कहा जाय कि 'लड़का शेर है' तो स्पष्ट ही 'शेर' शब्द का वाच्यार्थ काम नहीं दे सकता। दुनिया जानती है कि लड़का आदमी है, शेर नहीं; फिर भी भाषा में ऐसे प्रयोग बराबर ही होते हैं और समझनेवाले समझ भी लेते हैं। जब कहा जायगा कि लड़का शेर है तो समझदार आदमी समझेगा कि लड़का बीर है, साहसी है, निर्भीक है। सारे हिन्दी 'शब्द-सागर' को खोजने



अन्तिम दो लक्षणाङ्गों में आरोप के ग्राधार और आरोप्यमाण में कोई-न-कोई सम्बन्ध होता है। 'आहृण गाय है' इस वाक्य में व्राहृण और गाय में निरीहता नामक गुण का सादृश्य है। गुणों का सादृश्य जिनमें होता है, उन लक्षणाङ्गों को 'गौणी-लक्षणा' कहते हैं। किन्तु गुण सादृश्य के अतिरिक्त और किसी सम्बन्ध से लक्षणा हुई हो तो उसे शुद्धा कहते हैं। इस प्रकार अन्तिम दो लक्षणाङ्गों में मेरी गौणी और शुद्धा नाम से दो-दो भेद होते हैं। अर्थात् सब मिलाकर ये प्रकार की लक्षणाएँ हुईः लक्षण-लक्षणा, उपादान-लक्षणा, गौणी सारोपा-लक्षणा, शुद्ध सारोपा-लक्षणा, गौणी साध्यवसाना-लक्षणा और शुद्ध साध्यवसाना-लक्षणा।

नीचे के कोष्ठक से प्रयोजनवती लक्षणा के 6 भेद स्पष्ट होगे :

### प्रयोजनवती-लक्षणा



इस प्रकार गौणी के दो और शुद्धा के चार ये कुल 6 लक्षणाएँ हैं। लक्षणा के प्रसंग में हम वरावर 'प्रयोजन' की बातें करते आ रहे हैं। यह प्रयोजन न तो वाच्यार्थ होता है और न लक्ष्यार्थ। यह वस्तुतः व्यञ्यार्थ है। व्यञ्यार्थ भी आचार्यों ने दो प्रकार के बताये हैं—(1) गूढ़, और (2) अगूढ़। गूढ़व्यञ्य को वही समझ सकता है जो भर्मन्त हो, पर अगूढ़व्यञ्य सहज ही समझ में आ जाता है। ऊपर बतायी हुई लक्षणा के द्वहों भेदों में से प्रत्येक लक्षणा गूढ़व्यञ्या और अगूढ़व्यञ्या भेद से दो-दो प्रकार की बतायी गयी है। इनके उदाहरणादि लक्षण-ग्रन्थों में देखने चाहिए।


23. अभिधा और लक्षणा के अतिरिक्त शब्द की एक तीसरी शक्ति भी आलंकारिक आचार्य मानते हैं। इन आलंकारिकों के सिवा अन्य शास्त्रकार इस तीसरी वृत्ति को नहीं मानता चाहते। इस तीसरी शक्ति का नाम व्यंजना है। इससे जो अर्थ गूचित होता है उसे व्यञ्यार्थ कहते हैं। पहले जिन दो वृत्तियों की चर्चा हुई है उनमें यह भिन्न प्रकार की है। अभिधा और लक्षणा केवल शब्द के बल पर ही काम करती है, या अर्थ के बल पर भी। इसीलिए इनके दो भेद किये गये हैं— शाद्वी और शार्दी। यह व्यंजना अभिधामूलक भी होती है, लक्षणमूलक भी होती है और व्यंजनामूलक भी होती है। साम ने वह से कहा, 'मूर्य अस्त हो गया।' वह ने इसका प्रथम समझा कि दोषक जलायो। यह अर्थ वाच्य नहीं हो सकता, क्योंकि मूर्य का दोषक अर्थ और अस्त होने का जलाया अर्थ विसी प्रकार साक्षात् संकेत नहीं है। फिर यह अर्थ लक्ष्य भी नहीं है; क्योंकि लक्षण की पहली



अन्तिम दो लक्षणाओं में आरोप के आधार और आरोपमाण में कोई-न-कोई सम्बन्ध होता है। 'ब्राह्मण गाय है' इस वाक्य में ब्राह्मण और गाय में निरीहता नामक गुण का सादृश्य है। गुणों का सादृश्य जिनमें होता है, उन लक्षणाओं को 'गौणी-लक्षण' कहते हैं। किन्तु गुण सादृश्य के अतिरिक्त और किसी सम्बन्ध से लक्षण हुई हो तो उसे शुद्धा कहते हैं। इस प्रकार अन्तिम दो लक्षणाओं में से गौणी और शुद्धा नाम से दो-दो भेद होते हैं। अर्थात् सब मिलाकर छ. प्रकार की लक्षणाएँ हुईः लक्षण-लक्षण, उपादान-लक्षण, गौणी सारोपा-लक्षण, शुद्ध सारोपा-लक्षण, गौणी साध्यवसाना-लक्षण और शुद्ध साध्यवसाना-लक्षण।

नीचे के कोष्ठक से प्रयोजनवती लक्षण के 6 भेद स्पष्ट होंगे :

### प्रयोजनवती-लक्षण



इस प्रकार गौणी के दो और शुद्धा के चार ये कुल 6 लक्षणाएँ हैं। लक्षण के प्रसंग में हम वरावर 'प्रयोजन' की बातें करते आ रहे हैं। यह प्रयोजन न तो वाच्यार्थ होता है और न सक्ष्यार्थ। यह वस्तुतः व्यंग्यार्थ है। व्यंग्यार्थ भी आचार्यों ने दो प्रकार के बताये हैं—(1) गूढ़, और (2) अगूढ़। गूढव्यंग्य को वही समझ सकता है जो मर्मज्ञ हो, पर अगूढ़-व्यंग्य सहज ही समझ में आ जाता है। ऊपर बतायी हुई लक्षण के छहों भेदों में से प्रत्येक लक्षण गूढव्यंग्य और अगूढव्यंग्य भेद से दो-दो प्रकार की बतायी गयी है। इनके उदाहरणादि लक्षण-ग्रन्थों में देखने चाहिए।

23. अभिधा और लक्षण के अतिरिक्त शब्द की एक तीसरी शक्ति भी आलकारिक आचार्य मानते हैं। इन आलंकारिकों के सिवा अन्य शास्त्रकार इस तीसरी वृत्ति को नहीं मानना चाहते। इस तीसरी शक्ति का नाम व्यजना है। इससे जो अर्थ मूरचित होता है उसे व्यंग्यार्थ कहते हैं। पहले जिन दो वृत्तियों की चर्चा हुई है उनसे यह भिन्न प्रकार की है। अभिधा और लक्षण के बल शब्द के बल पर ही काम करती है, या अर्थ के बल पर भी। इसीलिए इनके दो भेद किये गये हैं— शब्दी और आर्थी। यह व्यंजना अभिधामूलक भी होती है, लक्षणमूलक भी होती है और व्यंजनामूलक भी होती है। सास ने वह से कहा, 'मूर्यं अस्त हो गया।' वह ने इसका अर्थ समझा कि दीपक जलाग्नो। यह अर्थ वाच्य नहीं हो सकता, क्योंकि मूर्य का दीपक अर्थ और अस्त होने का जलाना अर्थ किसी प्रकार साक्षात् संकेत नहीं है। किर यह अर्थ लक्ष्य भी नहीं है; क्योंकि लक्षण की पहली

शर्त है मुख्यार्थ में वाधा। सो मूर्य का मुख्यार्थ जो आसमान में चलता दिसनेवाला उज्ज्वल नक्षत्र-पिण्ड है वही यहाँ भी है। उसका अस्त होना ठीक ही प्रयोग है। कहीं कोई वाधा नहीं है। इसीलिए इम अर्थ को न तो वाच्य ही कह सकते हैं और न लक्ष्य हीं।

(1) कई बार ऐसा होता है कि एक ही शब्द के अनेक साथात्-संकेतित अर्थ होते हैं। प्रसंग देखकर कोई एक अर्थ नियत कर लिया जाता है। मैन्यव धोड़े को भी कहते हैं, नमक को भी। भोजन के प्रसंग पर सैन्धव माँगनेवाले को नमक ही दिया जायेगा, धोड़ा नहीं। प्रसंग से सैन्धव का अर्थ नियत हो गया है। अभिधा द्वारा जब कोई एक अर्थ नियत हो जाता है और फिर भी उस अर्थ से यदि दूसरा अर्थ प्रतीत होता हो तो वहाँ अभिधा-मूला-व्यजना समझनी चाहिए। हम ऊपर देख आये हैं कि लक्षण में एक प्रयोजन रहा करता है। उम प्रयोजन को व्याख्य-अर्थ ही समझना चाहिए; क्योंकि प्रयोजन न तो वाच्य ही है और न लक्ष्य ही। इसलिए निष्चय ही यह किसी तीसरी शब्द-शक्ति का विषय है।

इस प्रयोजन की प्रतीति करानेवाली शक्ति को लक्षणा-मूला-व्यजना बहते हैं। लक्षण-ग्रन्थों में बताया गया है कि अभिधा-मूला और लक्षणा-मूला शाव्दी-व्यंजनाओं के अतिरिक्त आर्थी-व्यंजना भी होती है। इन दोनों को शाव्दी-व्यजना इसलिए कहते हैं कि अभिधा-मूला तो अनेकार्थक शब्दों पर निर्भर है और लक्षणा-मूला लाक्षणिक शब्दों पर।

(2) आर्थी-व्यंजना वहाँ होती है जहाँ निम्नांकित दस बारों में से किसी एक या अधिक के विशिष्ट से व्याख्यार्थ की प्रतीति होती है। दस बारे ये हैं : (1) वक्ता या कहनेवाला, (2) वोधव्य या सुननेवाला, (3) काकु या कण्ठष्वनि की विशिष्ट भंगी, (4) वाच्य, (5) वाच्य, (6) अन्य-सन्निधि अर्थात् कहने-वाले और सुननेवाले के अतिरिक्त किसी तीसरे की उपस्थिति, (7) प्रकरण, (8) देश, (9) काल, और (10) चेष्टा। काव्य पढ़नेवाले को नित्य ही ऐसे प्रसंग मिलते रहते हैं जहाँ इन दसों में से किसी भी एक की विशिष्टता से और-का-और अर्थ प्रतिभासित हो जाता है। सीताजी ने अयोध्या से जरा बाहर निकलते ही कहा, 'यिदं पर्णकुटी करिहो कित हूँ !' यहाँ वक्ता की विशिष्टता से तुरत पता चन जाता है कि कभी घर से बाहर पैदल चलने का अस्यास न होने से भीताजी थक गयी हैं। यहाँ वक्ता की विशिष्टता से ही व्याख्यार्थ की प्रतीति होती है।

अन्य-सन्निधि का भी एक उदाहरण लिया जाय। एक लड़की किसी लड़के से प्रेम करती है। उससे मिलने को व्याकुल है, पर उसे कोई खबर भी नहीं भिजवा सकती। अचानक एक दिन वह लड़का दिख गया, पर उस समय लड़की की सखी मीजूद थी। लड़की ने होशियारी के साथ अपनी सखी से कहा, 'या वताङ्ग मस्ती, दिन-भर काम में जुटी रहती हूँ। मिफ़ शाम को धोड़ी फुरसत मिलती है, तब कहीं नदी-किनारे पानी लाने जाती हूँ, पर उम समय वहाँ कोई



व्याकरण ही है। वह नीरस होगा ही। परन्तु अलंकार-शास्त्र के आचार्य व्याकरण लिखते समय भी कुछ रारसाता जहर बनाये रखते थे। भीतर से प्रायः सभी कवि थे। कविता उनकी दृष्टि में एक सुन्दरी स्त्री के समान है। हमने ऊपर देखा है कि उसकी आत्मा का नाम ध्वनि है। वहूत ठीक। आत्मा का पता तो चल गया, परन्तु केवल आत्मा का तो कोई रूप नहीं होता। उस सुन्दर स्त्री के कुछ हाय-पर होंगे—इन सबके बिना सुन्दर रूप की कल्पना ही कैसे हो सकती है? सो, आलकारिक पण्डितों ने इन बातों को भी गिना दिया है: शब्द और अर्थ ही उस कविता-सुन्दरी के शरीर है; शब्दों और अर्थों के नाना प्रकार के दृश्यग्राही कोशल, जिन्हे साहित्यशास्त्र में 'अलंकार' कहा जाता है, ही कविता-सुन्दरी के गहने हैं; मधुरता आदि धर्म जिस प्रकार मनुष्य के गुण हैं उसी प्रकार इस कविता-सुन्दरी के भी कुछ 'गुण' हैं। शास्त्र में उसका नाम भी 'गुण' दिया हुआ है। जिस प्रकार कानापन, लौगड़ापन, लूलापन आदि दोप मनुष्य के हुआ करते हैं उसी प्रकार शब्द और अर्थ का कानापन, लौगड़ापन भी हुआ करता है; सो, कविता-सुन्दरी के भी दोप है। इस प्रकार यह कविता-सुन्दरी सब प्रकार से मनुष्य-जैसी ही है। जिस प्रकार कोई मानव-सुन्दरी सब प्रकार से मनुष्य-जैसी ही है; जिस प्रकार कोई मानव-सुन्दरी सब अलंकार पहन ले, परन्तु उसमें आत्मा हो ही नहीं तो वह भट्टी निर्जीव जड़-पिण्ड के सिवा और कुछ नहीं होती; उसी प्रकार जिस कविता में अलंकार तो अनेक हो, पर ध्वनि हो ही नहीं, तो वह निर्जीव और भट्टी है।

लेकिन किसी स्त्री में आत्मा हो किन्तु उसमें आत्मिक ज्योति न हो; वह केवल बनाव-सिंगार को, केवल बाहरी वस्तुओं को इतना महत्व दे रही हो कि उसके भीतर की ज्योति दब गयी हो, तो वह यद्यपि सजीव कही जायगी परन्तु उसे कोई अच्छी स्त्री नहीं कहेगा। उसी प्रकार कविता में यदि ध्वनि कमजोर हो और अलंकार ही प्रधान हो तो कविता मध्यम मानी जायगी।

जिस प्रकार बिना गहने के भी शीर्ष-माधुर्यवती और सती-साध्वी स्त्री सबकी अद्वा आकृष्ट करती है, उसी प्रकार कविता भी यदि उत्तम ध्वनिवाली हो और उसमें एक भी अलंकार न हो तो भी सहृदयों की अद्वा आकृष्ट करती है। जिस प्रकार हम उसी स्त्री को भक्तिपूर्वक स्मरण करते हैं जो सीधी-सादी साफ हो और देश के पतनोन्मुख युवक-गुवतियों को अपनी तेजोमयी वाणी से आत्मत्याग और वलिदान का मार्ग दिखाती हो, उसी प्रकार हम उस कविता को भक्तिपूर्वक स्मरण करते हैं जो सहज और सीधी होती है और हमें आत्मत्याग और वलिदान का मार्ग सिखाती है। भोग और पतन की ओर ले जानेवाली कविता भी उत्तम नहीं है और स्त्री भी नहीं। स्त्री जिस प्रकार संसार की द्राणकारिणी है, स्थिति-रक्षका है, धर्म और त्याग की मार्गदर्शिका है, सेवा और वलिदान की शिक्षादात्री है, उसी प्रकार कविता भी है। जिस प्रकार निर्जीव आदमी में कोई गुण नहीं रह सकता; क्योंकि शूरता, मधुरता आदि गुण आत्मा में रहते हैं; उसी प्रकार निर्जीव ध्वनिहीन कविता में कोई गुण नहीं होते। जिस प्रकार गहने वाहरी चीज हैं, उसी

प्रकार काव्य में अलंकार भी बहुत वस्तुएँ हैं।

26. 'काव्य की आत्मा ध्वनि है'—यह सिद्धान्त यद्यपि काफी पुराना है, परन्तु फिर भी बहुत पुराना नहीं कहा जा सकता। जिन दिनों यह सिद्धान्त प्रतिष्ठालाभ करने लगा था, उन दिनों काव्य नाम से ऐसी बहुत-सी बातें परिचित ही चुकी थीं जिन्हे इस सिद्धान्त के माननेवालों को छोड़ देना पड़ता। ध्वनि के सिद्धान्त को माननेवालों ने बहुतेरी बातों को उत्तम काव्य मानने से इनकार कर दिया, पर बहुत कुछ वो उन्होंने स्वीकार भी किया। ध्वनि को ही उन्होंने तोन श्रेणियों में विभक्त किया—(1) वस्तु-ध्वनि, (2) अलंकार-ध्वनि, और (3) रस-ध्वनि। जहाँ कोई वस्तु या अर्थ ध्वनित होता हो वहाँ 'वस्तु-ध्वनि', जहाँ कोई अलंकार ध्वनित हो वहाँ 'अलंकार-ध्वनि' और जहाँ कोई रस ध्वनित हो वहाँ 'रस-ध्वनि'। ऐसा जात पड़ता है कि व्यवहार जैसे सभी ध्वनिवादी रस-ध्वनि को ही काव्य की आत्मा मानते थे। प्रथम दो प्रकार की ध्वनियाँ प्राचीन आचार्यों से समझौता करते के लिए मान ली गयी थीं। रस को उत्तम ध्वनि तो माना ही गया है। विश्वनाथ नामक आचार्य ने तो रसात्मक वाक्यों को ही काव्य कहा है, अर्थात् उनके भत्ते से काव्य की आत्मा रस है, वाकी दो ध्वनियाँ नहीं। हमने दूसरी पुस्तक में यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि जब ध्वनिवादी आचार्य ध्वनि को काव्य की आत्मा कहते हैं तो वस्तुतः उनका अभिप्राय रस-ध्वनि से ही होता है।

27. रस नहीं है। नाटक में याठ ही रस बताये गये हैं। भरत मुनि ने आपने नाट्य-शास्त्र में कहा है कि 'विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के योग से रस की निष्पत्ति होती है।' यह बात सूत्र-रूप में कही गयी है। इसके प्रत्येक शब्द की व्याख्या आवश्यक है।

(1) विभाव दो प्रकार के होते हैं : आलम्बन और उद्दीपन। आलम्बन जैसे नायक और नायिका; उद्दीपन जैसे चार्दिनी, उद्यान, मलयपर्वत इत्यादि। (2) कटाश, रोपांच आदि शरीर-सम्बन्धी विकारों वो अनुभाव कहते हैं। (3) संचारी भाव वे हैं जो मन में उठते-पड़ते हैं और आते-जाते हैं। शास्त्रकारों ने बताया है कि संचारी भाव कुल तीनीस है। (4) काव्य या नाटक में कुछ ऐसे भाव होते हैं जो शूल से अन्त तक रहते हैं, इनको स्थायी भाव कहते हैं। ये ही स्थायी भाव रस-रूप में परिणत होते हैं। नी रसों के स्थायी भाव भी नी है :

रस	स्थायी भाव	रस	स्थायी भाव
भूंगार	रति या लगन	भयानक	भय
हास्य	हास	बोभत्स	जुगुप्ता
करुण	शोक	भद्रभूत	विस्मय
रोद	ओषध	शान्त	निवेद
बीर	उत्साह		

28. नाटक में शान्त को रस नहीं मानते। अब हम भरत मुनि के सूत्र को समझ सकते हैं। उसमें जो अनुभाव, विभाव और संचारी भाव शब्द हैं उनके अर्थ

हमे मालूम हो गये। वाकी रहा 'निष्पत्ति' शब्द। इस निष्पत्ति का बया अर्थ है? हमने ऊपर लक्ष्य किया है कि काव्यया नाटक में कोई एक स्थायी भाव जहर रहता है जो शुद्ध से आयिर तक बना रहता है। हमने ऊपर यह भी लक्ष्य किया है कि नायक-नायिका आदि को आलम्बन कहा जाता है। वस्तुतः यो कहना चाहिए कि जब नायिका के चित्त में प्रेम का प्रादुर्भाव होता है तो आलम्बन नायक होता है, और जब नायक के चित्त में प्रेम का प्रादुर्भाव होता है तो आलम्बन नायिका होती है। जिसके चित्त में प्रेमभाव आविर्भूत होता है वह आश्रय कहा जाता है। तो स्थायी भाव आश्रय के चित्त में आलम्बन के महारे प्रवृत्त होता है और उद्दीपन द्वारा उद्दीप्त होता है।

इस प्रकार उद्दीपित किये जाने के बाद आश्रय के शरीर में कुद्द विकार होते हैं, वे अनुभाव कहे जाते हैं। स्थायी भाव आदि में अन्त तक वर्तमान रहता है, पर बीच में कभी शका, कभी असूया, कभी लज्जा, कभी भय आदि मंचारी भाव आते-जाते रहते हैं। 'नाट्य-शास्त्र' में बताया गया है कि स्थायी भाव ही राजा है, अन्यान्य भाव उसके सेवक हैं। उसी शास्त्र में यह भी बताया गया है कि जिस प्रकार गुड़ आदि द्रव्य और सौफ़ आदि मसाले बगैर के संयोग से दूर रस निष्पन्न होते हैं, उसी प्रकार नाना भावों से उपहित स्थायी भाव रसर्त्व को प्राप्त होता है।

जान पड़ता है कि स्वयं भरत मुनि 'निष्पत्ति' शब्द का अर्थ आस्वाद ही समझते थे। उन्होंने एक बार भोज्य वस्तु के रस के साथ उसकी तुलना की है। अब ध्यान से विचारकर देखा जाय कि नीबू, चीनी आदि के मंयोग से शरवत का जो आस्वाद होता है वह न तो नीबू ही है न चीनी ही, न पानी है, न इन सबका योगफल ही है और न इनके बिना रह ही सकता है। वह रस इन सबसे भिन्न है और फिर भी इन्ही वस्तुओं से निष्पन्न या अभिव्यक्त हुआ है। ठीक इसी प्रकार विभाव-अनुभाव आदि के योग से जो रस निष्पन्न होता है वह न तो विभाव ही है, न अनुभाव ही है, न सचारी भाव ही है, न स्थायी भाव ही है, न इन सबका योगफल ही है और न इनके बिना रह ही सकता है। यह रस भी इन सब वस्तुओं से भिन्न है और फिर भी इन्ही से निष्पन्न हुआ है। इसीलिए कवि का उद्देश्य इन सभी वस्तुओं का सूक्ष्म रूप से वर्णन करना नहीं है, बल्कि इन सारी बातों को साधन बनाकर उस अनौकिक चमत्कारवाले रस को व्यंग्य करना है।

ऊपर के कथन का स्पष्ट अर्थ यह हुआ कि रस के साथ विभाव, अनुभाव आदि का सम्बन्ध व्यंग्य-व्यजक सम्बन्ध है। अर्थात् विभाव, अनुभाव आदि व्यजक है और रस व्यग्य है।

29. नाटक देखनेवाले या काव्य सुननेवाले सहृदय के चित्त में स्थायी भाव नाना प्रकार के पूर्व-अनुभवों के कारण पहले से ही वासना-रूप में स्थित होता है। काव्य, नाटक आदि से वह स्थायी भाव (रसि आदि) उद्भुद्ध और आस्वादित होता है। काव्य में एक ऐसी साधारणीकरण की शक्ति होती है जो राम में से रामत्व, सीता में से सीतात्व और सहृदय श्रोता में से श्रोतृत्व आदि हठाकार

साधारण स्त्री-पुरुष के रूप में उन्हें उपस्थित करती है। जब काव्यार्थ इस प्रकार उपस्थित होता है तो उसके फलस्वरूप सत्त्वगुण का उद्देश्य होता है—मनुष्य दुनिया की संकीर्णता से ऊपर उठता है, उसका चित्त प्रकाशमय और आनन्दमय हो जाता है। प्रकाश और आनन्द सत्त्वगुण में ही घर्म कहे जाते हैं, इसलिए जिस अवस्था में मनुष्य छोटे-मोटे स्वार्थ के अन्वकार से बाहर निकल आता है, संकीर्णता के भार से हल्का हो जाता है और एक आनन्द की अवस्था में आ जाता है, उस समय सत्त्वगुण का उद्देश्य हुआ रहता है।

रस की अनुभूति के समय ऐसा ही होता है। रस विश्वजनीन होता है। उसमें कोई वैयक्तिक राग-द्वेष नहीं होता। रस-वोध के समय सहृदय विभावों के साथ अपना अभेद अनुभव करता है। अभेद की अनुभूति में कोई वादा पड़े तो रसानुभव असम्भव हो जाता है। वह लोकिक भय-प्रीतिजनक व्यापारों से भिन्न होता है, क्योंकि उमर्म व्यक्तिगत सुख-दुःख का स्वार्थ नहीं होता। लोक में एक स्त्री एक पुरुष के प्रति जब अभिलाप्य प्रकट करती है तो उस अभिलाप्य में व्यक्तिगत सुख-दुःख का भाव रहता है, पर काव्य में जब यह बात होती है तो कवि का शब्द-विच्चास मनुष्य को एक ऐसी अवस्था में पहुँचा देता है जहाँ वैयक्तिक सुख-दुःख का भाव नहीं रहता। वहाँ सहृदय एक निर्वैयक्तिक अलौकिक आनन्द का अनुभव करता रहता है। यह आनन्द उम आनन्द के समान ही है जो योगियों को अनुभव होता है। यद्यपि अपने ही चित्त का पुनः-पुनः अनुभूत स्थायी-भाव अपने आकार के समान ही अभिन्न है, तथापि काव्य-नैपुण्य से वह गोचर किया जाता है; आस्वादन ही इसका प्राण है, विभावादि के रहने पर ही यह रहता है, नाना प्रकार के मीठे-खट्टे पदार्थों से बने हुए शरवत की भाँति यह आस्वादित होता है, मानो सामने परिस्फुटित होता हुआ, हृदय में प्रवेश करता हुआ, सर्वांग को आलिङ्गन करता है, अन्यत्व को तिरोहित करता हुआ भ्रह्मानन्द को अनुभव करानेवाला यह रस अलौकिक चमत्कारकारी है—ऐसा शास्त्रकारों का मत है।

जो बात इस प्रसंग में विशेष रूप से लक्ष्य करने की है, वह यह है कि (1) रस अंग्य होता है, वाच्य नहीं; (2) रस निर्वैयक्तिक और अलौकिक होता है, (3) रस आस्वादित्यित के बाहर नहीं होता, और इन्हीं बातों के कारण यदि (4) कोई कवि रस को वाच्य करे या वैयक्तिक आसक्ति का कारण बना दे तो वह कवित्व से हीन समझा जाना चाहिए।<sup>1</sup>

30. यदि हम रस के विभाग को ध्यान से देखें तो स्पष्ट ही मालूम होगा कि वे मनुष्य के मनोरागों को आश्रय करके और उसी के मनोरागों को अवलम्बन करके कल्पित किये गये हैं। पुरुष और स्त्री में जो प्रेम है उसको आश्रय करके ही श्रृंगार रस है, परन्तु पुरुष का प्रेम यदि किसी देवता से ही, प्रकृति में हो तो वह

1. रस के बारे में कुछ और विस्तृत चर्चा के तिए भागे 'रस क्या है?' 121 और 'साहित्य का नया रास्ता' 122 देखिए।

कौन-सा रस होगा ? पुराने आचार्य इसे रस नहीं भाव कहते थे । सो, देवादि-विषयक प्रेम को 'भाव' नाम दिया गया है । बीच में एक ऐसा समय गया है जब प्रेम के नाम पर केवल पुरुष और स्त्री के प्रेम का ही चिन्हण किया गया है । प्रकृति को या उन प्राकृतिक शक्तियों को—जिन्हें देवता कहा गया था, जैसे मेघ, विद्युत, उपा, सूर्य, चन्द्र आदि—केवल उद्दीपन के रूप में वर्णित किया गया था ।

हम आगे देखेंगे (50-51) कि वह प्रवृत्ति इन दिनों कम ही गयी है और कवि लोग प्रकृति को आलम्बन-विभाव के रूप में यथेष्ट भाव से देखने लगे हैं । परन्तु रस को मानवीय मनोरागों पर आधित समझने का एक परिणाम यह हुआ कि मनुष्य की प्रकृति का खूब सुन्दर विश्लेषण किया गया है । नायिक कितने प्रकार के ही सकते हैं, नायिकाएँ कितने प्रकार की हो सकती हैं, उनकी परिचारिकाएँ कितनी तरह की हो सकती हैं, इन वातों का बड़ा विस्तृत विवेचन किया गया है । स्त्रियों का उनकी अवस्था, वय, मनोभाव और सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर सूक्ष्म भेद किया गया है । यहीं से उस विचित्र और शक्तिशाली साहित्य का आरम्भ होता है जिसे नायिका-भेद कहते हैं ।

इन नायिकाओं के स्वाभाविक और अवलसाध्य अलंकारों का विस्तृत विवेचन किया गया है । इस प्र संग में लक्ष्य करने की बात यह है कि यथापि स्त्री और पुरुष के स्वाभाविक प्रेम की व्यंजना से रसानुभूति होती है, तथापि यह भाव गया है कि यदि यह प्रेम ऐसे पुरुष और स्त्री के बीच हो जिनका सम्बन्ध सामाजिक मर्यादा के प्रतिकूल हो, या एकतरफा हो तो 'रस' न होकर रसाभास हो जाता है । परायी स्त्री से जो प्रेम है वह सामाजिक मर्यादा का उलंघन करता है, उसके अवण भाव से सहृदय के चित्त में विक्षेप होता है और रसानुभूति में वाधा पहुँचती है । आचार्यों ने पशु-पक्षियों की शृंगार-चेष्टाओं को भी रसाभास ही कहा है; क्योंकि पशु-पक्षी आदि के साथ सहृदय अपने को अभिन्न नहीं समझ पाता । परवर्ती कवियों ने ऐसे प्रसंगों का भी यथेच्छ वर्णन किया है, पर है यह रसाभास ही । इस प्रकार 'भाव' भी जब अनुचित होता है तो भावाभास कहा जाता है ।

कभी-कभी ऐसा भी होता है कि एक दूसरे का अंग होकर केवल मुख्य रस फो अलकृत करने के लिए आता है । उस अवस्था में अंग बना हुआ 'रस' रस के बदले 'रसवत्' कहा जाता है । जैसे कोई शोकाभिभूत स्त्री अपने मृत पति के हाथ को लेकर बढ़े कि यही वह हाथ है जिसने अमुक-अमुक शृंगार-चेष्टाएँ की थीं तो शृंगार-रस करण-रस का अलंकरण होकर 'रसवत्' कहा जायगा ।

31. व्यावहारिक जगद् की भीड़-भक्कड़ के कारण साधारणतः मनुष्य की रायेदनाएँ थोथी हो गयी होती हैं । प्रत्येक वस्तु का ठीक-ठीक विस्त्र ग्रहण करना उसके लिए गम्भीर नहीं होता । दुनिया की अधिकांश वातें साधारणतः सामान्य रात्य द्वारा ही प्रकट की जाती हैं । कवि जब जिसी वस्तु को रसास्वाद का साधन बनाता है तो उस सामान्य मत्य से उसका काम नहीं चलता । यह उसको निविड़ भाव गे भ्रन्तभव करना चाहता है । भाषा के साधारण प्रयोग से उसका उद्देश्य

सिद्ध नहीं होता। उस हालत में वह अलंकारों का आश्रय लेता है। वह शब्दों में भंकार पैदा करता है। ध्वनि-साम्य श्रोता का मन गलाता है और अपने वक्तव्य की ओर उसे उत्सुक बना देता है। इसी को शब्दालंकार कहते हैं। परन्तु केवल शब्दालंकार से भी कवि का उद्देश्य सिद्ध नहीं होता। शब्दालंकार पाठक को उत्सुक बनाते हैं और साधारण-सी वात को असाधारण के समान बनाकर उपस्थित करते हैं। 'भौंरे जगह-जगह आम की दोरों की ओर रापक रहे हैं' मह एक मामूली-सी खबर है, लेकिन 'ठीर-ठीर भम्पत-भपत भौंर मौर-मधु-ग्रंथ' में शब्दों में जो भंकार है उसने उसे मामूली से बड़ा बनाकर श्रोता के सामने रखा है।

32. परन्तु कवि जब वक्तव्य-वस्तु के किसी गुण-क्रिया या रूप को गाढ़ भाव से अनुभव कराना चाहता है तो वह 'अप्रस्तुत' का विधान करता है। अप्रस्तुत अर्थात् अप्रासंगिक। जो वात प्रासंगिक नहीं होती उसे कौशलपूर्वक ले आकर कवि अपना उद्देश्य सिद्ध करता है। 'मुख सुन्दर है'—इतना कहने से मुख को कोई विशेषता नहीं मालूम हुई। सुन्दर एक सामान्य वात है। सैकड़ों वस्तुओं को हम सुन्दर कहा करते हैं। अब मुख कैसा सुन्दर है?—हमारी यह जिजासा बनी ही रहती है। इसी विशेषता को अनुभव कराने के लिए कवि कहता है, 'मुख प्रफुल्ल कमल के समान सुन्दर है।' प्रफुल्ल कमल का कोई प्रसम नहीं या, प्रस्ताव तो मुख का चल रहा या। इसीलिए प्रस्तुत (=प्रस्तावित) विषय तो मुख ही है, कमल अप्रस्तुत वस्तु है। वह मुख के विशेषत्व को गाढ़ भाव से अनुभव करा देने के लिए आया है।

साहित्य-शास्त्री इस वात को अनेकानेक भेद करके समझाते हैं। अप्रस्तुत का विधान अर्थालंकारों में होता है। उनमें भी अधिकतर सादृश्य बतानेवाले अर्थालंकारों में। जैसे शब्दों के अलंकार श्रोता को वक्तव्य की ओर उत्सुक बनाते हैं, वैसे ही अर्थों के अलंकार उस वक्तव्य को गाढ़ भाव से अनुभव कराने में सहायक होते हैं। ये अर्थालिकार नाना प्रकार के हैं। कुछ सादृश्यमूलक हैं, कुछ विरोधमूलक है, कुछ श्रुंखलामूलक हैं, कुछ न्यायमूलक हैं और कुछ गूढ़ार्थ-प्रतीतिमूलक है। किसी भी अलंकार-ग्रन्थ में उन्हें खोज लिया जा सकता है।

33. सबसे मुख्य है सादृश्यमूलक अलंकार। इनमें कुछ अभिधामूलक हैं, कुछ लक्षणामूलक हैं और कुछ व्यंजनामूलक हैं। अभिधामूलक अलंकारों में भेद और अभेद, दोनों की प्रधानता होती है। जब कहा जाता है कि मुख कमल के समान सुन्दर है तो स्पष्ट ही मुख और कमल को भिन्न-भिन्न माना जाता है; यद्यपि सुन्दरता दोनों में एक ही है। अर्थात् जहाँ तक सुन्दरता का सम्बन्ध है, दोनों में कोई भेद नहीं है। इस प्रकार अभिधामूलक अलंकारों में भेद और अभेद, दोनों की प्रधानता होती है। लक्षणामूलक अलंकार अभेदप्रधान होते हैं। जब कवि कहता है कि मुख-कमल से निश्वास-सुरभि निकल रही है तो मुख और कमल को अभिन्न मान लेता है। मुख और कमल दो चीजें हैं। उनमें अभेद लक्षण द्वारा आता है। व्यंजनामूलक अलंकारों में सादृश्य व्यंग्य होता है। जब कहा जाता है

कि 'जो क्रृषि इस वालिका से तप कराना चाहता है वह कमल की पंखड़ी की धारे से बदूल का पेड़ काटना चाहता है', तो कमल को पंखड़ी और वालिका में तथा बदूल के पेड़ और तप में जो सादृश्य है, वह व्यंग्य होता है।

इस प्रकार अप्रस्तुत विधान तीन प्रकार का हुआ : (1) अभिधामूलक या भेदाभेद-प्रधान, (2) तक्षणामूलक या अभेद-प्रधान और (3) व्यंजनामूलक या गम्योपगम्याक्षय। \* इन तीनों ही प्रकार के अप्रस्तुत विधानों से कवि वक्तव्य

\*कुछ मुख्य मूलकारों का वर्णकरण इस प्रकार हो सकता है :

अर्थातिकार	(1) सादृश्यगम्भ	(18) सहोक्ति
	(2) विरोधगम्भ	(iv) विशेषण-विच्छिन्नि मूलक :
	(3) शृण्वलामूल	(19) समाप्तोक्ति
	(4) न्यायमूल	(20) परिकर
	(5) गूढार्थ-प्रतीतिमूल	(v) विशेषण-विशेष्य-विच्छिन्नत्याक्षय :
		(21) श्लेष

### 1. सादृश्यगम्भ-अतंकार

#### (क) भेदाभेद-प्रधान

- (1) उपमा
- (2) उपर्योगमा
- (3) अनन्दय
- (4) स्मरण
- (5) रूपक
- (6) सदैह
- (7) उल्लेख
- (8) आन्तिमान
- (9) अपहृति

#### (ii) अध्यवसायमूल

- (10) उल्लेख
- (11) अविशेषोक्ति

#### (ग) गम्योपगम्याक्षय—

- (i) पदार्थगत :
- (12) दीपक
- (13) तुल्ययोगिता
- (ii) कार्यार्थगत :
- (14) दृष्टान्त
- (15) प्रतिवस्त्रूपमा
- (16) निर्दर्शना
- (iii) भेदव्यापान :
- (17) अनिरेक

### 2. विरोधगम्भ

- (22) विरोधाभास
- (23) विभावना
- (24) विशेषोक्ति
- (25) विपम
- (26) अधिक
- (27) असंगति

### 3. शृण्वलामूल

- (28) कारणमाता
- (29) एकावली
- (30) सार

### 4. न्यायमूल

- (31) अर्थात्तरभ्यास
- (32) कारणातिग
- (33) अप्रस्तुत-प्रसंसा
- (34) अर्थात्तर्ता
- (35) उदात्त
- (36) परिवृत्त

### 5. गूढार्थ-प्रतीतिमूल

- (37) वशोक्ति
- (38) अवाक्षुणि
- (39) भाविक

की सीमा समाप्त हो जाती है। इसका मतलब यह नहीं कि कविता निष्प्रयोजन वस्तु है। इसका मतलब सिफेर्यह है कि कविता उस आनन्द का प्रकाश है जो प्रयोजन की संकीर्ण सीमा के अतिरिक्त होता है। वह प्रयोजन को छोड़कर नहीं रह सकता, पर प्रयोजन के अतिरिक्त है।

लोक में प्रसिद्ध है कि 'धी का लड्डू टेढा भी भला होता है', क्योंकि जहाँ तक लड्डू का प्रयोजन है—अर्थात् उसकी मिठास, उसके पेट भरनेवाले गुण इत्यादि का सम्बन्ध है—वहाँ तक उसके गोल या अन्य सुन्दरआकार में ढलने की कोई जरूरत नहीं। प्रयोजन टेढ़े से भी सिद्ध हो जाता है, फिर भी हलवाई उसे गोल और सुन्दर बनाने का प्रयत्न करता है। यह बात प्रयोजन के अतिरिक्त है, यहाँ वह कला और आनन्द के क्षेत्र में आता है। प्रश्न हो सकता है कि क्या आनन्द या सौन्दर्यनिभूति का मनुष्य को कोई प्रयोजन ही नहीं है, क्या ये वेकार बातें हैं? —हर्गिज नहीं। आनन्द भी प्रयोजनीय है। पर जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा है, साधारण बुद्धि के आदमी प्रयोजन का अर्थ बहुत सकीर्ण समझते हैं। यहाँ हम साधारण लोक-विश्वास की चर्चा कर रहे हैं। ये बातें कविता को परिभाषा नहीं हैं, इनसे केवल इतना ही समझा जा सकता है कि साधारण बुद्धि के आदमियों में 'कविता' शब्द का क्या अर्थ समझा जाता है। परन्तु चूंकि साधारण जनता का विश्वास किसी-न-किसी सचाई पर आधित होता है, इसलिए इस विश्वास के सहारे हम कविता के मूल रूप का आभास पाने का भी प्रयत्न कर रहे हैं। सो, कविता का लोक-प्रचलित अर्थ वह बाक्य है जिसमें भावावेग हो, कल्पना हो, पदलालित्य हो और प्रयोजन की सीमा समाप्त हो चुकी हो।

36. हमारे इस देश का इतिहास बहुत पुराना है। न जाने किस अनादि काल से हमारे पूर्वज इन विषयों की चर्चा करते रहे हैं। इन्होंने काव्य को समझाने के अनेक रास्ते सुझाये हैं। परन्तु जैसे-जैसे समाज में नये-नये उपादान आते गये, वैसे-वैसे उनकी परिभाषाएं बदलती गयी; क्योंकि नये-नये उपादान के साथ मनुष्य की कल्पना और भाव-प्रवणता भी नया-नया रूप धारण करती गयी। जिन विद्वानों ने इस देश के साहित्य का अध्ययन किया है, उनमें से कई लोगों का अनुमान है कि शुरू-शुरू में नाटक के प्रसंग में ही रस की चर्चा होती थी। अर्थात् 'रस' की उपर्योगिता नाटक के क्षेत्र में ही स्वीकार की जाती थी, काव्य में अलकारों का होना परम आवश्यक समझा जाता था। इस मत को सर्वांग में सत्य नहीं माना जा सकता, तो भी इतना सही है कि काव्य में चमत्कार को बड़ी चीज माना जाता था।

मैंने अपनी दूसरी पुस्तक में इस विषय की विस्तृत घासोचना की है। यहाँ इतना ही प्रमाण है कि काव्य में उत्तम उन्नितयों और अलंकारों का होना आवश्यक माना जाता था। परन्तु शीघ्र ही आचार्यों ने इस मत में मुद्धार किया। वे वहने लगे कि शब्द और घर्यां की परस्पर-स्पर्शों चाहता के साहित्य (प्रथात् सम्मिलित भाष्य) को काव्य बदलते हैं। फिर ध्यनि का मम्प्रदाय प्रयत्न हुआ। विनि को ही

१०८  
महाराजा ने कहा कि वह अपनी बातों को लिखने की चाही नहीं थी। उसकी वजह से वह अपनी बातों को लिखने की चाही नहीं थी।

मृत्यु के दौरान जीवन का विषय यह होता है कि जीवन का अधिकांश क्षेत्र क्या है औ उसके बाहर क्या है। इसके बाहर का क्षेत्र जीवन का अधिकांश क्षेत्र से अलग होता है। इसके बाहर का क्षेत्र जीवन का अधिकांश क्षेत्र से अलग होता है। इसके बाहर का क्षेत्र जीवन का अधिकांश क्षेत्र से अलग होता है। इसके बाहर का क्षेत्र जीवन का अधिकांश क्षेत्र से अलग होता है।

وَالْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنَاتُ الْمُؤْمِنَاتُ الْمُؤْمِنَاتُ الْمُؤْمِنَاتُ

मानवीय विद्या विद्युत विद्या विद्युत विद्या विद्युत विद्या

३२. उन्हें दर्शक हैं, वह उनको के रहते, उन्हें लगता है, वह अपने  
दिन अपना दर्शक है, उन्हें उन हस्तियों के हड्डी उन्हें देते तथा उने उनको  
के दर्शक को उन्हें दर्शक समझते हैं। हमें ऐसे ही वरदान के साथ ही जीवों  
के हड्डी ही हैं। इनमें जब उनके चबूत्रे यहतो बात यह पत्तों है कि वह अपने ही  
ने ऐसी दृढ़तांचों बताते हो उसकी है योगियों की १९८८ वर्षीय १.१ बालकों  
में अंतरिक्ष और वैद्युत की पुस्तकों की प्रियता पत्तों है, ५८८१ वर्षों से ४०००  
लाख नवीनी छात्र। पठन में जिसे जाने मार्ग से लोदि पोषण समेता पहले दो सालों के बाल  
में गाहून्होंने हैं जो कविता नहीं है, ४८८१ वर्षों तो उन की प्रथमता के बाल भाषा  
है। विज्ञान काव्य नहीं है, वर्षोंभी काव्य नहीं है, वर्णालय १९८५ वर्षों के बाल  
पुस्तक भी काव्य नहीं है। काव्य को भाष्यकारी भाषा भाषा इन पाठों में भाषा १९८५  
की गयी है, परन्तु ये सभी भाषा प्रतीक्षाएँ भी भाषा भाषा १९८५ की १९८५  
नहीं कहे जा सकते।

कहा है कि “काव्य के सत्य से हमारा अभिप्राय यह है कि काव्य में उन्हीं बातों का वर्णन नहीं होना चाहिए, और न होता ही है, जो वास्तव में सत्यता की कसीटी पर कसी जा सकती हैं” पर उनका भी वर्णन होता है और हो सकता है जो सत्य हो सकती है।”

40. ऊपर हम वरावर तथ्य और सत्य की बात करते रहे हैं। दोनों में व्या अन्तर है, यह समझ लिया जाय। “हमारा मन जिस ज्ञान-राज्य में विचरण कर रहा है वह दोमुँहा पदार्थ है। उसके एक ओर है तथ्य और दूसरी ओर सत्य। जैसा है वैसे ही भाव को तथ्य कहते हैं और वह तथ्य जिसे आश्रय करके टिका है वह सत्य है। मुझमें जो ‘मैं’ वंधा हुआ है वही मेरा व्यक्तिरूप है। यह तथ्य अन्धकार का वाशिन्दा है, वह अपने को स्वर्ण प्रकाश नहीं कर सकता। जभी इसका परिचय पूछा जायगा तभी वह (परिचय) एक ऐसे बड़े सत्य के द्वारा दिया जायगा जिसे आश्रय करके वह टिका हुआ है। उदाहरणार्थ, कहना होगा मैं हिन्दुस्तानी हूँ। लेकिन हिन्दुस्तानी है क्या चीज? वह तो एक अविच्छिन्न पदार्थ है, जो न छुआ जा सकता है, न पकड़ा जा सकता है। तथापि उस व्यापक सत्य के द्वारा ही उसका परिचय दिया जा सकता है। तथ्य खण्डित- और स्वतन्त्र है, सत्य के भीतर ही वह अपने वृहत् ऐक्य को प्रकाशित करता है। मैं व्यक्तिगत ‘मैं’ हूँ इस द्वोषेने तथ्य के भीतर ‘मैं मनुष्य हूँ’, इस सत्य को जब मैं प्रकाश करता हूँ तभी उस विराट् एक के आलोक से नित्यता के भीतर मैं उद्भासित होता हूँ। तथ्य के सत्य का प्रकाश ही प्रकाश है। चूंकि साहित्य और लितिकला का काम ही प्रकाश करना है, इसलिए तथ्य के पात्र को ग्राश्रय करके हमारे मन को सत्य का स्वाद देना ही उसका काम है। यह स्वाद एक का है, असीम का है। मैं ‘व्यक्तिगत मैं हूँ’ यह मेरी सीमा की ओर की बात है, यहाँ मैं व्यापक ‘एक’ से विच्छिन्न हूँ। किन्तु ‘मैं मनुष्य हूँ’ यह मेरे असीम की ओर की बात है। यहाँ मैं विराट् ‘एक’ के साथ युक्त होकर प्रकाशमान हूँ।

“गोधूलि-काल में एक वालिका मन्दिर से निकल आयी, यह तथ्य हमारे लिए बहुत मामूली बात है। महज इस संवाद के सहारे ही यह चित्र हमारे सामने न पट नहीं हो जाता। हम मानो सुनकर भी नहीं सुनते, किसी चिरन्तन ‘एक’ के रूप में वह बस्तु हमारे भीतर स्थान नहीं पाती। यदि कोई—‘मान-न-मान-मै-तेरा-मेहमान’—भला प्रादमी हमारा ध्यान स्थिरने के लिए फिर से इस खबर को सुनाने लगे तो हम खोभकर कहेंगे, ‘वालिका धगर मन्दिर से बाहर निकल आयी तो हमारा क्या?’ अर्थात् हम अपने साथ उसका कोई सम्बन्ध अनुभव नहीं कर रहे हैं, इसलिए यह घटना हमारे लिए सत्य ही नहीं है। किन्तु ज्यों ही घन्द, स्वर और उपमा के योग से यह मामूली बात सोन्दर्य के एक अखण्ड ऐक्य के रूप में परिपूर्ण होकर प्रकट हुई, त्यों ही यह प्रश्न शान्त हो गया कि ‘इससे हमारा क्या?’ क्योंकि जब हम सत्य का पूर्ण रूप देखते हैं तब उसके द्वारा व्यक्तिगत सम्बन्ध के द्वारा आकृष्ट नहीं होते, सत्यगत सम्बन्ध के द्वारा आकृष्ट होते हैं।

“गोवूलि के समय वालिका मन्दिर से निकल आयी, इस बात को तथ्य के द्वारा यदि पूरा करना होता तो शायद और भी बातें कहनी पड़ती। आस-पास की अनेक स्वरे इसमें और जोड़ी जाने से रह गयी है। कवि शायद कह सकता था कि वह मन-ही-मन मिठाई की बात सोच रही थी। बहुत सम्भव है, उस समय यही चिन्ता वालिका के मन में सबसे अधिक प्रबल थी। किन्तु तथ्य जुटाना कवि का काम नहीं है। इसीलिए जो बातें बहुत जरूरी और बड़ी हैं वही कहने से रह गयी है। यह तथ्य का बोझा जो कम हो गया है, इसीलिए संभीत के बन्धन में यह छोटी-सी बात इस तरह एकत्व के रूप में परिपूर्ण हो गयी है और कविता इतनी सुन्दर और अखण्ड होकर प्रकट हुई है। पाठक का मन इस सामान्य तथ्य के भीतरी सत्य को इस गहराई के साथ अनुभव कर सका है। इस सत्य के ऐक्य का अनुभव करके ही हम आनन्द पाते हैं।”—रवीन्द्रनाथ।

ऊपर का उद्धरण जरा लम्बा हो गया है। परन्तु उसमें काव्यगत सत्य को जिस आसानी से समझाया गया है वह दुर्लभ है। इसलिए लम्बा उद्धरण हमारे बहुत काम की चीज सावित होगा। दुनिया में ज्ञान दो श्रेणी का है : (1) तथ्यगत और (2) सत्यगत। ऊपर तथ्य और सत्य के भेद को बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। जिस बात को हम विशेषतः यहाँ लक्ष्य करना चाहते हैं वह यह है कि अखण्ड ऐक्य को अत्यधिक करके ही सत्य प्रकाशित होता है। जो बात हमें खण्डित और विच्छिन्न तथ्यों का अनुभव कराती है वह काव्य नहीं हो सकती।

41. इस प्रकार कवि यद्यपि दुनिया की साधारण वस्तुओं को ही उपादान के रूप में व्यवहार करता है, परन्तु उसका अर्थ असाधारण होता है। पुराने पण्डितों ने कहा है कि यदि कवि के प्रयोग किये हुए शब्द उसके साधारण प्रचलित (कोशव्याकरण-सम्मत) अर्थ को बताकर ही रह जाते हैं तो वह कविता उत्तम कोटि की नहीं मानी जा सकती। जब धन्द ग्रलंकार, पद-संघटना आदि के योग से कवि पाठक के चित्त को सत्त्व गुण में स्थिर कर देता है (दे. 29)—अर्थात् उसे दुनिया की संकीर्णताओं से ऊपर उठा ले जाता है, वह ‘मैं’ और ‘मेरे’ के संकीर्ण घेरे से बाहर निकल आता है, तभी उसे रस का अनुभव होता है। इसलिए यह रस ग्रलौकिक कहा जाता है। प्रथ, जो धन्द, ग्रलंकार और पद-संघटना इस रस का साक्षात्कार करते हैं वे निश्चय ही काव्य के महत्वपूर्ण अस्त्र हैं। इन्हें काव्य में से हटाया नहीं जा सकता। परन्तु इतना अवश्य याद रखने की बात है कि वे सभी साथन हैं, साध्य नहीं।

यदि कवि इन्हीं को सब-कुछ समझ ले और ऐसी कविता लिखने वैठ जाय जिसमें काव्यगत सत्य की तो कोई परवा ही न की गयी हो और केवल धन्द, ग्रलंकार और पद-लालित्य को ही बड़ा करके दिखाने की चेष्टा की गयी हो तो उसकी कविता उत्तम नहीं मानी जायगी। धनाड़ी पादमी के हाथ में पच्चें प्रस्त्र दे दिये जायें तो वह धनर्थ कर देटेगा। धनंकार, धन्द आदि भी वड़े प्रभावग्राही प्रस्त्र हैं—किसी ने विहारी के दोहों की ‘नाविक के तोर’ बहा पा ! उत्तम कवि

इन अस्त्रों का प्रयोग जानता है, अनाड़ी तो केवल भावों और रसों की हत्या के लिए हो इनका उपयोग करता है। हिन्दी-साहित्य के इतिहास में एक ऐसा मुग बीता है जिसमें इन अलंकारों, छन्दों और अन्यान्य वाह्य साधनों का जमकर उपयोग किया गया है। उन दिनों वडे-वडे उत्तम कवि हुए थे, जिन्होंने इनसे कमाल की रस-सूटि की है और ऐसे अनाड़ी कवि भी कम नहीं हुए, जिन्होंने जवरदस्ती अलंकारों की पल्टन सजाकर रस के शान्त राज्य में उत्पात मचा दिया था।

42. जैसा कि ऊपर बताया गया है, कवि इस दुनिया की मामूली चीजों से ही अपना कारबार चलाता है। इसलिए कवि इन मामूली चीजों को ठीक-ठीक पहचाने बिना अपना काम नहीं चला सकता। अच्छा शिल्पी जानता है कि कौन-मा पत्थर का टुकड़ा किस जगह बैठाया जाकर संतुष्टि को सीधुना निखार देगा। और उत्तम कवि भी जानता है कि कौन-सा शब्द या ग्रन्थ या कौन-सी वस्तु या वस्तुधर्म किस प्रकार प्रयुक्त होकर शोता को उपयुक्त रस-ग्रहण कराने में सहायता कर सकता है। जिस प्रकार मामूली इंट-पत्थर के टुकड़ों से स्थिति उत्तम महल बना देता है, उसी प्रकार मामूली शब्दों और भावों की सहायता से कवि अलौकिक रस की सूटि करता है। इसलिए दुनिया की अत्यन्त मामूली वातां की ज्ञानकारी भी कवि का आवश्यक गुण है। लेकिन सिर्फ जानना ही काफी नहीं है। जानते तो यहूत-से लोग हैं, परन्तु उम्मीदों ठीक-ठीक अनुभव भी करा देना कवि का ही काम है।

43. (1) कवि जिस किसी वस्तु का वर्णन करने क्यों न जाय, उसका प्रथम कर्तव्य है 'विष्व-ग्रहण' करना। 'विष्व-ग्रहण' आचार्य रामचन्द्र शुक्ल का चलाया हुआ शब्द है। जिस वक्तव्य से किसी वस्तु का मकेतित ग्रन्थ-माप ग्रहण न होकर उसका पूरा चित्र उपस्थित हो यही वक्तव्य विष्व-ग्रहण कराने में नमयं कहा जा सकता है। शुक्लजी इसे भी अभिधा-शक्ति का ही कार्य मानते थे। हमने पहले ही लक्ष्य किया है कि नाना प्रकार के मादृश्यमूलक अलंकारों की महायता से कवि पाठक को वक्तव्य वस्तु के गुण, क्रिया, या धर्म को गाढ़ भाव में अनुभव कराता है। परन्तु यह भी एक माध्यन-मात्र है। कवि का वास्तविक कर्तव्य तो 'एक' का अनुभव कराना ही है। विष्व-ग्रहण वस्तुतः तथ्य ही है (द. 40), मत्य नहीं। मादृश्यमूलक अलंकार जिस वस्तु के गुण या धर्म की गाढ़ भाव में अनुभव कराते हैं वे भी तथ्य ही हैं। यही कारण है कि केवल अलंकारों की प्रधानतायाने काव्य को प्राचार्यों ने 'पवर' या निष्ठनी कोटि का ही काव्य माना है।

(2) यिस प्रकार अप्रसन्नत विधान के द्वारा कृति वक्तव्य-वस्तु का विष्व-ग्रहण पौर गाढ़ अनुभव कराना है, उसी प्रकार छन्द उसे गतिर्नील घनाते हैं तथा उनके द्वारा पाठक के चित्र को नकीं गीमा के वन्धन से मुक्त करते हैं। कवितर मुमितानन्दन पन्न ने कहा है कि 'विग्रह प्रसार नर्श के नट प्रगति वन्धन में पारा

की गति को सुरक्षित रखते हैं—जिनके बिना वह अपनो ही बन्धनहीनता में धारा का प्रवाह खो देती है, उसी प्रकार छन्द भी अपने नियन्त्रण से राग को स्पन्दन, कम्पन तथा वेग प्रदान करके निर्जीव शब्दों के रोड़ों में एक कोमल मजल कलरव भर करके उन्हें सजीव बना देते हैं।” वस्तुतः भाषा के प्रवाहधर्म का नाम ही छन्द है। वाणभट्ट की ‘कादम्बरी’ गद्य में लिखी गयी है, किन्तु उसमें अपना एक विशेष प्रवाह है जो नित्य-प्रति व्यवहार में आनेवाले गद्य में नहीं पाया जाता। आयुर्वेद प्रीर ज्योतिष की वहुत-सी पुस्तकों पर्य में लिखी गयी है, पर उनमें वह प्रवाह नहीं है जो काव्य में अत्यन्त आवश्यक रूप भै वर्तमान रहता है। छन्दों की पुस्तकों में जो लक्षण दिये हुए हैं उनके पालन मात्र से पर्य काव्यमय नहीं हो जाते। पर्य में जब तक प्रवाह न हो तब तक वह काव्य का आवश्यक साधन नहीं बन सकता। प्रवाहशील गद्य में भी एक प्रकार का छन्दोधर्म वर्तमान रहता है। उस धर्म के रहने से ही गद्य गद्य होता है। अतः यह समझना भूल है कि ‘छन्दोधर्म’ अर्थात् प्रवाह और गति के बिना भी काव्यत्व सम्भव है।

(3) यमक, अनुप्रास आदि शब्दालकार छन्द में भक्तार भरते हैं। इसलिए वे छन्द के सहायक हैं। कवि छन्द और शब्दालकार के सहारे अपने अभीष्ट तक पहुँचता है। इसलिए अन्त्यानुप्रास या तुक कविता का एक महत्वपूर्ण उपादान माना गया है। यद्यपि तुक का न होना कोई दोष नहीं है, पर उसका होना गुण अवश्य है।

44. दो वातें कविता में प्रधान हृष से विद्यमान पायी जाती है। प्रथम पह कि कवि कुछ कहना चाहता है, और दूसरा यह कि उस वात को कहने के लिए वह किसी रचना-कीशल का व्यवहार करता है। पहले को भाष्यन्थ कहा गया है, और दूसरे को कला-पक्ष। हम अब तक कला-पक्ष का ही विवेचन करते हैं। अब भाष्य-पक्ष पर ग्राया जाय।

45. काव्य को भीड़ तीर पर दो विभागों में बाट निया गया है; (1) विषय-प्रधान और (2) विषयि-प्रधान। प्रथम में कवि विषयांग में धर्तनं वांशं धार्त करके अपने बाहर रहनेवाली वस्तु (विषय) में गोऽद्यं का गुणाद्वारा दर्शाया है, और दूसरे में वह अपनी ही सुख-दुःखात्मक अनुभूतियों को अद्वारा दर्शाया है। वह अपने को (विषयी को) ही प्रकट करता है, एवं विषयि विषय द्वारा विषयि-प्रधान कहा जाता है। महाकवि, ऐतिहासिक चरित्र, उत्तरायणीय विषय-प्रधान होते हैं। महाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने एक श्रावण दिन में बाल द्वारा नाना भावों में विभक्त करके सोचा है:

(1) एक वह जिसमें घरें छवि ढूँढ़ रात रात है;

(2) दूसरा वह नियांमें किया ढूँढ़ रात रात है;

अकेले कवि की वहाँ ढूँढ़ रात रात रात रात है तो उसके समझ में नहीं आ गई। ऐसा इन्हें दूँढ़ रात रात रात है कि जो वात किया ढूँढ़ दूँढ़ दूँढ़ है वह उसके है।

सामान्य मनुष्यता को किस प्रकार प्रभावित कर सकेगी और अखण्ड ऐक्य का अनुभव किस प्रकार करा सकेगी ? अकेले कवि की वात का तात्पर्य यह है कि कवि के भीतर इस प्रकार का सामर्थ्य है कि वह अपने सुख-दुःख, कल्पना और अभिज्ञता के भीतर से विश्व-मानव के चिरन्तन हृदयावेग और जीवन की मर्म-व्यथा को अनायास ही प्रतिघटनित कर सकता है। ऐसे सामर्थ्य को कवि गीति-काव्य का आश्रय लेकर प्रकाशित करता है। जिस प्रकार वीणा का एक तार आहत होकर अन्य सभी तारों में एक अनुरणन पैदा करता है, उसी प्रकार कवि का हृदय सहृदय-मात्र को झंकूत कर देता है।

46. दूसरी थ्रेणी के कवि वे हैं जिनकी रचना से एक समूचा देश और समूचा काल अपने हृदय को और अपनी अभिज्ञता को व्यक्त करके उस रचना को शाश्वत समादरणीय समग्री बना देता है। ऐसे कवि को महाकवि कहते हैं और उसके काव्य को महाकाव्य। रामायण और महाभारत हमारे देश के महाकाव्य हैं। शताव्दियों तक कवि इन लोग महाकाव्यों को अवलम्बन करके काव्य लिखते आये हैं। अब भी लिख रहे हैं और आगे भी लिखते रहेंगे। पर इनका सौन्दर्य अभी जैसे-का-रैसा है। 'रामायण' के राम, भरत, लक्ष्मण, सीता, कौशल्या, कंकेयी, रावण, हनूमान आदि चरित्र महान् हैं। वे कवि की भावावेश-अवस्था के कल्पित पात्र नहीं हैं, वल्कि समूची जाति की युग्मव्यापी साधना के परिणाम हैं। इस काव्य को पढ़ने पर पीड़ियों का रचित भारतवर्ष प्रत्यक्ष हो जाता है। इसी प्रकार 'महाभारत' को उज्ज्वल चरित्रों का वन कहा जा सकता है। यह कवि-रूपी माली का यत्न-पूर्वक सँवारा हुआ उद्यान नहीं है जिसके प्रत्येक लता, पुष्प-वृक्ष अपने सौन्दर्य के लिए वाहरी सहायता की अपेक्षा रखते हैं, वल्कि वह अपने-आप की जीवनी-शक्ति से परिपूर्ण बनस्पतियों और लताओं का अयत्न-परिवर्धित विशाल वन है जो अपनी उपमा आप ही है।

'महाभारत' का कोई भी चरित्र शायद ही महलों के भीतर पलकर चमका हो। सब-के-सब एक तूफान के भीतर से होकर गुजरे हैं। अपना रास्ता उन्होंने स्वयं बनाया है और अपनी रची हुई विपत्ति की चिता में वे हँसते-हँसते कूद गये हैं। इस महाकाव्य का अदना-से-अदना चरित्र भी डरना नहीं जानता। किसी के चेहरे पर कभी शिकन नहीं पड़ने पाती। पाठक पढ़ते समय एक जादू-भरे वीरत्व के अरण्य में प्रवेश करता है, जहाँ पद-पद पर विपत्ति तो है पर भय नहीं है; जहाँ जीवन की चेष्टाएँ वार-वार असफलता की चट्टान से टकराकर चूर्चूर हो जाती हैं, पर चेष्टा करनेवाला हतोत्साह नहीं होता; जहाँ गलती करनेवाला अपनी गलती पर गर्व करता है, प्रेम करनेवाला अपने प्रेम पर भभिमान करता है और धूणा करनेवाला अपनी धूणा का खुलकर प्रदर्शन करता है। प्राचीन भारत अपने समस्त गुण-दोषों के साथ 'महाभारत' में मूर्त्तिमान हो उठा है।

47. परन्तु इस युग में विषय-प्रधान कविता का प्रचार ही अधिक हो गया है। वर्तमान हिन्दी-साहित्य में इस थ्रेणी की कविता का बहुत प्रचार है। तीन

वातें इन दिनों प्रधान रूप से दृष्टिगोचर हो रही है—कल्पना, अनुभूति और चिन्तन।

(1) कल्पना की अवस्था में इस युग का कवि वर्तमान जगत् की अनुकूल और विसदृश परिस्थितियों से ऊँचकर एक अनुकूल और मनोरम जगत् की सृष्टि करता है। एक युग ऐसा बीता है जब सासार के साहित्य में कल्पना का अखण्ड राज्य रहा है। कवि इस दुनिया के समानान्तर धरातल पर ही एक ऐसी दुनिया की सृष्टि करता था, जहाँ प्रेमी और प्रेमिकाएँ तो हमारे ही जैसी होती थी, पर वहाँ के कायदे-कानून अलग ढंग के होते थे और स्वच्छन्द प्रेम में जो सहस्रों वाधाएँ इस जगत् में अपने-आप खड़ी हो जाती हैं वे वहाँ नहीं होती थीं।

(2) परन्तु जब कवि चिन्ता की अवस्था में पहुँचता है तो वह प्रायः कल्पना की अवस्था घायत्त कर चुका होता है। इसीलिए वह किसी चीज को शुद्ध मनोपी की भाँति न देखकर उस पर कल्पना का आवरण डालकर देखता है। दिग्नन्त के एक छोर से दूसरे छोर तक फैले हुए नील नभीमण्डल, मणियों के समान ग्रह-नक्षत्र और चन्द्रिकाधीत परिवी को देखकर वह कभी कुछ भी चिन्तन क्यों न करे, एक बार श्वेतबस्त्रधारिणी, वित्तकेशा, भूरि-भूषणा सुन्दरी या प्रिय-वियोग में कातर, खण्डिता रजनी या इसी प्रकार की अन्य वस्तु की कल्पना किये बिना नहीं रहता। कारण यह है कि कवि का प्राथमिक कर्तव्य विन्द्व-ग्रहण कराना है और उसका साधन अप्रस्तुत-विधान है। इसके बिना कवि मनोरम भाव से हृदयहारी बनाकर अपना वक्तव्य कह ही नहीं सकता। अप्रस्तुत-विधान के समय कवि की कल्पना-वृत्ति सतह पर आ गयी होती है। वस्तुतः चिन्ता करते समय भी कवि वैज्ञानिक की भाँति तथ्य का विश्लेषण नहीं करता होता, वल्कि सत्य को सुन्दर करके रखने का प्रयास करता है (दे. 39-40)।

(3) कवि अपने सीमित व्यक्तित्व के भीतर जिस सुख-दुःख का अनुभव प्राप्त किये होता है, उसे वह जब कल्पना के साहित्य से, छूट, उपमा आदि के सयोग से और निखिल विश्व की मर्म-व्याया की चिन्ता करके जब निर्व्यक्तिक करके प्रकट करता है, तो उसे हम अनुभूति-अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में कवि अपने सीमित सुख-दुःख को असीम जगत् में अनुभव करता है। इस प्रकार चिन्ता की अवस्था में कवि सासार को देखता है और सोचता है कि यह सब क्या हो रहा है, कैसे चल रहा और क्यों चल रहा है? अनुभूति की अवस्था में वह अनुभव करता है कि वह क्या हो गया है, कौन-सी वेदना या उल्लास, विषाद या हर्ष संसार को किस रूप में परिणत कर रहा है? कल्पना की अवस्था में वह इस जगत् के समानान्तर जगत् की सृष्टि करता है, जिसमें इस जगत् की असुन्दरताएँ और विसदृशताएँ नहीं रहती; पर अनुभूति की अवस्था में उसके पैर इस दुनिया पर ही जमे रहते हैं, वह इसे छोड़ नहीं सकता।

47. क. आचार्य रामचन्द्र शुक्ल 'कल्पना' को काव्य का वौघ-पक्ष मानते थे। वे कल्पना और व्यक्तित्व पर अधिक बल देने को वहुत अच्छा नहीं समझते थे।

एक स्थान पर उन्होंने लिखा है कि “‘कल्पना’ और ‘व्यक्तित्व’ की, पारचात्य समीक्षा-धोन में, इतनी अधिक मुनादी हुई कि काव्य के और गव पथों से दृष्टि हटकर इन्हीं दो पर जा जमी। ‘कल्पना’ काव्य का वोध-पक्ष है। कल्पना में आयी हुई स्पष्ट-व्यापार-योजना का कवि या श्रोता को धन्तःग्राधात्कार या वोध होता है। पर इस वोध-पक्ष के अतिरिक्त गव्य का भाव-पक्ष भी है। कल्पना की स्पष्ट-योजना के लिए प्रेरित करनेवाले और कल्पना में आती हुई वस्तुओं में श्रोता या पाठक को रमानेवाले रति, करण, कोध, उत्साह, ग्रामचर्य इत्यादि भाव या मनो-विकार होते हैं। इसी से भारतीय दृष्टि ने भाव-पक्ष को प्रधानता दी और रम के सिद्धान्त की प्रतिष्ठा की। पर पश्चिम में ‘कल्पना’-‘कल्पना’ की पुकार के सामने धीरे-धीरे समीक्षकों का ध्यान भाव-पक्ष से हट गया और वोध-पक्ष ही पर भड़ गया। काव्य की रमणीयता उस हल्के आनन्द के रूप में ही मानी जाने लगी जिम आनन्द के लिए हम नयी-नयी, सुन्दर, भड़कीली और विलक्षण वस्तुओं को देखते जाते हैं। इस प्रकार कवि तमाङा दिखानेवाले के रूप में और श्रोता या पाठक तटस्थ तमाशबोन के रूप में ममके जाने लगे। केवल देखने का आनन्द कुछ विलक्षण को देखने का कुतूहल-मात्र होता है।”

48. भौतिकवादी वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में यह बात सिद्ध कर दी है कि संसार की सम्पूर्ण शक्ति में घटती-बढ़ती नहीं होती। एक वस्तु को जब हम नष्ट होते देखते हैं तो वस्तुतः उसी परिमाण में घन्य वस्तुएँ बनती रहती हैं—संसार की समूची शक्ति जैसी-की-तैसी बनी रहती है। कुछ नवीन विषय-मूलतावादी पश्चिमी दाशंनिकों ने इस मत का प्रत्यास्थान किया है। उनका मत यह है कि मानसिक चिन्ता के रूप में हम नित्य इस विश्व-शक्ति में कुछ बदाते जा रहे हैं। कवियों की मानसी सृष्टि सत् वस्तु है—अर्थात् वह कल्पना होने के कारण मिथ्या नहीं है, वल्कि उसका अस्तित्व है—और वह निश्चय ही नित्य-नवीन होकर बढ़ती जा रही है। मैं इस मत को नहीं समझ पाता, यह यहाँ साफ-साफ स्वीकार कर लेना ही अच्छा है। ‘गीता’ में कहा है कि जो वस्तु है ही नहीं वह कभी हो ही नहीं सकती और जो है वह कभी ‘ना’ नहीं हो सकती। आधुनिक वैज्ञानिकों का मत इसी का प्रमुखाद है। परन्तु यह सच है कि वाल्मीकि ने जो मानसी सृष्टि की है वही तुलसीदास की मानसी सृष्टि नहीं है, और मैथिलीशरण गुप्त की भी निश्चय ही भिन्न सृष्टि है। तो क्या मैं नयी रचनाएँ विश्व में कुछ नयी बातें नहीं जोड़ रही हैं? क्या मानसिक होने के कारण ही वे शून्य हैं? मेरा उत्तर है कि यह बात नहीं है। मैं सभी रचनाएँ नयी भी हैं और सत्य भी है, पर इनकी रचना के लिए भी किसी-न-किसी ऐसी ही वस्तु का उपयोग हुआ है जो पहले से ही है और वाद में भी रहेगी।

जो बात भौतिक जगत् में हम देख रहे हैं यह उससे मिलती-जुलती है। नयी सामाजिक परिस्थितियाँ पुराने सङ्केतों का खाद संग्रह करती हैं और उर्वर कवि-चित्तभूमि में नया जीवन्त विचार अंकुरित होता है। पुराने बहुत-कुछ को

खाकर ही ये विचार नवोन होते हैं। जिस प्रकार ईंट-पत्थरों का ताजमहल नाना स्थानों के पत्थर, मिट्टी, मसाले और मानव-थर्म को खपाकर बना है वैसे ही रवीन्द्रनाथ की 'गीताजलि' नाना स्थानों की कल्पना, अनुभूति और चिन्तन को पचाकर बनी है। पुराने पण्डितों ने इसी बात को फवकङ्गन के लहजे में कहा था, कोई कवि ऐसा नहीं है जो चोर न हो—'नास्त्यचौरः कविजनः !' कहने का मतलब यह है कि मानसी सृष्टि भी पुराने विचारों से ही तैयार होती है।

49. काव्य में विषयी के प्रधान होने से उन भीत-प्रधान मुक्तकों का प्रचलन बढ़ गया है जो व्यक्तिगत भावोच्छ्वास को आश्रय करके लिखे जाते हैं। इंग्लैण्ड में जब व्यावसायिक कान्ति हुई तो वहाँ के सास्कृतिक जीवन में बड़ा परिवर्तन हुआ था। उस परिवर्तन के समय कवियों में और विचारकों में सामाजिक झड़ियों के प्रति अनास्था का भाव बढ़ा था और व्यक्तिगत स्वच्छन्दतावाद (रोमाटिसिज्म) का जोर रहा। अग्रेजी अमलदारी के साथ-ही-साथ इस देश में अग्रेजी साहित्य पढ़ाया जाने लगा। उसी के फलस्वरूप इस देश के कवियों में भी वैयक्तिक स्वाधीनता (इण्डिविजुअल लिटर्टी) का जोर बढ़ता गया। इंग्लैण्ड और इस देश की परिस्थिति एक-जैसी नहीं थी। इंग्लैण्ड में यह हवा वहाँ के भीतरी जीवन का परिणाम थी, जबकि इस देश में वह विदेशी संसर्ग और अन्य कारण का फल था। गुरु-शुरु में इसीलिए वह अस्वाभाविक-सी लगी, परन्तु ज्यो-ज्यो समय बीतता गया त्यों-त्यों कविगण अपने देश की वास्तविक परिस्थिति के साथ और अपनी साहित्यिक परम्परा के साथ सामजस्य खोजते गये। सामजस्य खोजनेवालों में प्रमुख कवि है : प्रसाद, पन्त, निराला और महादेवी वर्मा। इन कवियों ने भाव में, भाषा में, छन्द में और मण्डन-शिल्प (डेकोरेशन) में नवीन विचारों के साथ सामजस्य किया। इस व्यक्तिगत स्वच्छन्दतावाद के साथ-ही-साथ नाना भाव के प्रगीत मुक्तक इस देश में लिखे जाने लगे।

हमने पहले ही लक्ष्य किया है कि इनमें कुछ कल्पनामूलक है, कुछ चिन्तम-मूलक और कुछ अनुभूतिमूलक। मुक्तक इस देश में नयी चीज नहीं है। हाल की 'प्राकृत सतसई' और अमरक का संस्कृत 'अमरक-शतक' और 'विहारी-सतसई' मुक्तक-काव्य ही है। "मुक्तक में प्रवन्ध के समान रस की धारा नहीं रहती, जिसमें कथा-प्रसग की परिस्थिति में अपने को भूला हुआ पाठक मग्न हो जाता है और हृदय में एक स्यायी प्रभाव ग्रहण करता है। इसमें तो रस के ऐसे छीटे पड़ते हैं जिनसे हृदय-कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। यदि प्रवन्ध-काव्य एक विस्तृत बनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। उत्तरोत्तर अनेक दृश्यों द्वारा संघटित पूर्ण जीवन या उसके किसी एक पूर्ण अंग का प्रदर्शन नहीं होता, बल्कि कोई एक रमणीय खण्ड-दृश्य इस प्रकार सहसा सामने ला दिया जाता है कि पाठक या श्रोता कुछ धारों के लिए मन्त्रमुग्ध-सा हो जाता है। इसके लिए कवि को मनोरम वस्तुओं और व्यापारों का एक छोटा-सा स्तवक कल्पित करके उन्हें अत्यन्त सक्षिप्त और सशक्त भाषा में व्यक्त करना पड़ता है।" (रामचन्द्र शुल)

इन प्राचीन मुक्तकों में कवि की कल्पना कुछ ऐसे शास्त्ररूढ़ व्यापारों की योजना करती थी जिनसे किसी रस या भाव की व्यजना सुकर हो। आधुनिक प्रगीत-मुक्तक कवि के भावावेश के महत् धणों की रचना होते हैं, उनमें गीत की सहज और हल्की गति होती है। इनकी गुलदस्तों के साथ तुलना नहीं की जा सकती। ये विच्छिन्न जीवन-चित्र होने पर भी प्रभावशील होते हैं और इनमें शास्त्ररूढ़ व्यापार-योजना की आवश्यकता नहीं होती। पुराने रूपकों में कवि-कल्पना की समाहार-शक्ति प्रधान हिस्सा लेती थी, पर आधुनिक मुक्तकों में कवि का भाववेग ही प्रधान होता है।

50. परन्तु इतना स्मरण रखना उचित है कि आजकल के प्रगीत-मुक्तकों में यद्यपि व्यक्तिगत अनुभूति का प्राधान्य है तो भी वे इसलिए हमारे चित्त में आनन्द का सचार नहीं करती कि वे कवि की व्यक्तिगत अनुभूति हैं, बल्कि इसलिए कि वे हमारी अपनी अनुभूतियों को जाग्रत करती हैं। हमने शुरू में ही लक्ष्य किया है कि सहृदय के चित्त में वासनारूप में स्थित भाव को ही कविता उद्बुद्ध करती है। जो बात हमारे मन को आनन्द से हिल्लोलित कर देती है वह हमारी अपनी होती है। इसलिए यद्यपि आज के अन्ये मुक्तक-सेखक कवि की विषय-ग्राहिता परम्परा-समर्थित न होकर आत्मानुभूतिमूलक है—वस्तुतः यह आत्मा' नुभूति सदा ही कवि में रही है, फिर वह आज का युग हो या हजारों वर्ष पहले का—तथापि वह पाठक के भीतर जो भाव है उसी को उद्बुद्ध करके रस-संचार करता है।

इस बात को किसी अंग्रेज समालोचक ने इस प्रकार कहा है कि आधुनिक प्रगीत मुक्तकों की अपनी अनुभूति के बल पर कवि सहृदय पाठक के हृदय में प्रवेश करता है और उसके हृदय में स्थित उसी भाव के अनुभव करनेवाले कवि के साथ एकात्मता का सम्बन्ध स्थापित करता है। इस बात को इस प्रकार भी कहा गया है कि यद्यपि आज का प्रगीत-मुक्तक व्यक्तिगत विषय-ग्राहिता का परिणाम है, परन्तु वह उतना ही सामाजिक है जितना रीति-कालीन रुद्धियों की योजना के भीतर से गृहीत मुक्तक होता था। इस प्रकार दोनों में समानता की मात्रा कम नहीं है। व्यक्तिगत होने के कारण इन अनुभूतियों का क्षेत्र बहुत बड़ा गया है।

पुराने मुक्तक में जिन विभावों की योजना केवल उद्दोषन के रूप में होती थी और जिन अनुभावों का वर्णन केवल मानवीय मनोरोगों की अपेक्षा में ही होता था, वे विभाव अब आलम्बन के रूप में योजित होने लगे हैं और वे अनुभाव अब मनुष्य से बाहर के जगत् के कलित मनोरागों के सम्बन्ध में वर्णित किये जाने लगे हैं। ऐसा करने के कारण भाषा में अधिकाधिक लक्षणात्मकता आने लगी है, जोकि जड़प्रकृति की यदि आलम्बन बनाकर उसमें अनुभावों और हावों की योजना की जायेगी तो लक्षण-वृत्ति का आश्रय लेना पड़ेगा। किसी-किसी वृद्ध आचार्य को इस प्रकार की योजना पसन्द नहीं आयी है।

51. परिस्थितियों के बदलने के कारण कवि ने ही अपनी कारीगरी का

माध्यम नहीं बदला है; आज का सहृदय भी प्राचीन काल के सहृदय से भिन्न हो गया है। एकाघ उदाहरण लेकर इसे समझा जाये :

माए धरोवश्वरणं अज्जहु णत्यिति साहित्रं तुमए ।

ता भण कि करणिज्ज एमेग्र ण वासरो द्टाइ ॥

[ माँ, यह तो तुमने पहले ही बता रखा है कि आज घर के काम-धन्धे की कोई सामग्री नहीं । तो बताओ, मुझे क्या करना है, दिन तो यों ही पड़ा नहीं रहेगा ! ]

'काव्य-प्रकाश' के आचार्य मम्मट ने इस कविता को व्यग्यार्थ के प्रसग में उद्धृत किया है। उन्होंने इसमें यह ध्वनि बतायी है कि लड़की अपने प्रिय से मिलने को व्याकुल है, अतएव वह गृहकार्य का बहाना बनाकर बाहर जाना चाहती है। श्लोक से यह बात साफ मालूम होती है कि घर में गृहकर्म के उपकरण नहीं हैं। यह बात बाहर जाने के लिए जल्दत से ज्यादा कारण हो सकती है। पर आज तक किसी सहृदय ने मम्मट की बात पर सन्देह नहीं किया, क्योंकि कवि ने जिस 'स्पिरिट' में कविता लिखी थी उसे उन्होंने ठीक ही पकड़ा था। उस युग में कोई भी समालोचक इसमें आत्मा और परमात्मा की मिलन-विरह-वेदना का आभास पाकर उपहासास्पद बनाना पसन्द न करता; क्योंकि उस युग में आत्मा-परमात्मा सर्वत्र मिलते थे, इस श्लोक में न भी मिलते तो कवि या सहृदय को कोई चिन्ता न थी। एक नवी कविता आगे उद्धृत की जा रही है। इसमें विहारार्थिनी की व्यंजना अधिक साफ हो सकती थी, पर कोई सहृदय ऐसा व्यग्यार्थ निकालकर इस युग में उपहासास्पद हुए विना न रहेगा :

आमि कोन् छ्ले जाव धाटे ?

शाखा थरथर पाता मरमर—

छाया सुशीतल बाटे ?

बेला बेशि नाइ, दिन हल शोध,

छाया बेड़े पाय, पड़े आसे रोद,

ए बेला केमन काटे ?

आमि कोन् छ्ले जाव धाटे ?

(रवीन्द्रनाथ)

[ मैं किस बहाने धाट पर जाऊँ ? किस छल से उस रास्ते पर जाऊँ, जहाँ शाढ़ाएं थर-थर काँप रही है, पत्ते मर्मर-ध्वनि कर रहे हैं। अब अधिक समय नहीं है, दिन समाप्त हो चला है, छाया बढ़ती जा रही है; हाय, यह समय कैसे कटेगा ? मैं किस बहाने धाट पर जाऊँ ! ]

52. ऊपर रवीन्द्रनाथ की जो कविता उद्धृत की गयी है, उसमें निश्चय ही एक प्रकार का प्रेम-व्याय है। वह प्रेम मनुष्य का ही है, पर उसका आलम्बन मनुष्य नहीं है बल्कि नदी है, धाट है, रास्ता है, बृक्ष हैं, झुरमुट हैं। मध्ययुग में इन वस्तुओं को केवल उद्दीपन विभाव (दे. 27) के रूप में देखने की चलन हो गयी थी। मनुष्य के प्रेम का आलम्बन मनुष्य ही हो सकता है, यह बात कुछ जैचती

नहीं मालूम होती ।

आचार्य रामचन्द्रशुक्लजी ने प्रेम-प्रतिष्ठा के दो कारण बताये हैं : (1) सुन्दर रूप के अनुभव द्वारा, और (2) साहचर्य द्वारा । शुक्लजी का कहना है कि सुन्दर रूप के आधार पर जो प्रेम-भाव या लोभ प्रतिष्ठित होता है उसकी कारण-परम्परा पहचानी जा सकती है, हम उसका कम देख सकते हैं । परन्तु जो प्रेम केवल साहचर्य के प्रभाव से अकुरित और पल्सिवित होता है, वह एक प्रकार से हेतु-ज्ञान-शून्य होता है । “यदि हम किसी किसान को उसकी भोपड़ी से हटाकर किसी दूर देश में ले जाकर राजभवन में टिका दें तो वह उस भोपड़ी का, उसके द्वारा पर चढ़ी हुई बेल का, सामने के नीम के पेड़ का, द्वार पर बैठे हुए चौपायों का ध्यान करके ग्रामीण वहायेगा । वह कभी नहीं समझता कि मेरा भोपड़ा इस राज-भवन से सुन्दर या, परन्तु फिर भी इस भोपड़े का प्रेम उसके हृदय में बना हुआ है । वह रूप प्रेम-सौन्दर्यंगत नहीं है; सच्चा, स्वाभाविक और हेतु-ज्ञान-शून्य प्रेम है । इस प्रेम को रूप-सौन्दर्यंगत प्रेम नहीं पहुँच सकता ।” रवीन्द्रनाथ की कविता में यही प्रेम प्रकट हुआ है ।

ब्रजभाषा की कविताओं में यह भाव है ही नहीं, यह तो नहीं कहा जा सकता; पर कम है, यह बात ठीक है । श्रीकृष्ण ने जब कहा था कि ‘कोटिनहू कलयौत के धाम करील की कुंजन ऊपर वारी’, तो वही करील के कुंज ही उनके प्रेम के आलम्बन थे । यह व्याख्या उतनी मनोहर नहीं है कि करील के कुंज उन्हें इसलिए प्रिय थे कि वे गोपियों के साथ जो प्रेमलीला होती थी उसे उद्दीप्त करते के साधन थे । प्रकृति के विभिन्न रूपों के लिए हमारे चित्त में जो आकर्षण है वह केवल इसलिए नहीं कि हमारे मानवाधित प्रेम को उत्तेजित करते हैं, वल्कि इसलिए कि हमारे अन्तःकरण में निहित वासना को उसी प्रकार उद्बुद्ध करते हैं जिस प्रकार नायक-नायिका के प्रेमालाप हमारे अन्तःकरण में वासनारूप से स्थित स्थायीभाव को उद्बुद्ध करते हैं । इसलिए ये भी हमारी रसानुभूति के कारण हैं ।

पं. रामचन्द्र शुक्ल ने लिखा है कि “वनों, पर्वतों, नदी-नालों, कछारों, पटपरों, खेतों, खेतों की नालियों और घास के बीच से गयी हुई ढुरियों, हल, बैलों, भोपड़ों और श्रम में लगे हुए किसानों इत्यादि में जो आकर्षण हमारे लिए है वह हमारे अन्तःकरण में निहित वासना के कारण है, असाधारण चमत्कार या अपूर्व शोभा के कारण नहीं । जो केवल पावस की हरियाली और वसन्त के पुष्प-हास के समय ही बनों और खेतों को देखकर प्रसन्न हो सकते हैं, जिन्हें केवल मजरी-मण्डित रसालों, प्रफुल्ल कदम्बों, और सधन मालती-कुजों का ही दर्शन प्रिय लगता है, ग्रीष्म के खुले हुए पटपर, खेत और मैदान, शिशिर की पञ्च-विहीन, नंगी-वृक्षावली और भाङ्ग-वृद्धुल आदि जिनके हृदय को कुछ भी स्पर्श नहीं करते, उनकी प्रवृत्ति राजसी समझनी चाहिए । वे ग्रन्थने विलास या सुख की सामग्री प्रकृति में ढूँढ़ते हैं, उनमें उस सत्त्व की कमी है जो सत्तामात्र के साथ एकीकरण की अनुभवि द्वारा लीन करके आत्मसत्ता के विभुत्व का आभास देती है ।

“मम्पूर्ण सत्ता, क्या भौतिक वया आध्यात्मिक, एक ही परम-सत्ता या परम-भाव (दि. 5-6) के अन्तर्गत है। अतः ज्ञान या तर्क-वुद्धि द्वारा हम जिस अद्वैत भाव तक पहुँचते हैं उसी भाव तक इस ‘सत्त्व’ गुण के बल पर हमारी रागात्मिका वृत्ति भी पहुँचती है (तुल. 29)। इस प्रकार धन्ततः वृत्तियों का समन्वय हो जाता है। यदि हम ज्ञान द्वारा सर्वभूत को आत्मवत् ज्ञान सकते हैं तो रागात्मिका वृत्ति द्वारा उसका अनुभव भी कर सकते हैं। तर्क-वुद्धि से हारकर परमज्ञानी भी इस स्वानुभूति का आश्रय लेते हैं। अतः परमार्थ दृष्टि से, दर्शन और काव्य दोनों अन्तःकरण की मिन्न-मिन्न वृत्तियों का आश्रय लेकर, एक ही लक्ष्य की ओर के जानेवाले हैं। इस व्यापक दृष्टि से काव्य का विवेचन करने से लक्षण-ग्रन्थों में निदिष्ट सकीर्णता कहीं-कहीं बहुत खटकती है। वन, उपवन, चाँदनी इत्यादि को दाम्पत्य-रति के उद्दीपन-मात्र मानने से सन्तोष नहीं होता।”

53. विषयि-प्रधान कवि प्रकृति को आलम्बन के रूप में चिह्नित करने लगा है। लेकिन यह युग वैयक्तिक स्वाधीनता का है। आधुनिक कवि ने प्राचीन साहित्यिक रुदियों की उपेक्षा की है, उसने अपने देखने का ढंग भी अपना ही रखा है। इसका परिणाम यह हुआ कि आलम्बन होने पर भी प्रकृति का विम्ब-ग्रहण सबने एक ही ढंग से नहीं किया है। देखने के ढंग बदलने के कारण द्वष्टव्य के नाना पहलू नाना भाव से प्रधान होकर अनुराग-विराग के साधन बने हैं। इन भेदों को गिना सकना सम्भव नहीं है। कुछ भोटे भेद इस प्रकार बताये जा सकते हैं।

(1) वाच्यार्थ-प्रधान दृष्टि, (2) लक्ष्यार्थ-प्रधान दृष्टि, और (3) व्याप्त्यार्थ-प्रधान दृष्टि।

विषयि-प्रधान कवि के सामने यह सारा विश्व मानो एक काव्य-ग्रन्थ है। वह इस काव्य-ग्रन्थ का ग्रन्थ अपने ढंग से समझता है।

(1) वाच्यार्थ-प्रधान दृष्टिवाले कवि इस जगत् को यह जैसा है जैसा ही देखते हैं। इसके नद-नदी, पहाड़, जंगल अपने-आपमें परिपूर्ण और महनीय हैं। वे जैसे हैं जैसे ही महान् हैं। यथिव्यक्तिवादी कवि इसी योगी के हैं।

(2) लक्ष्यार्थ-प्रधान दृष्टिवाले कवि मानते हैं कि जगत् अपने-आपमें बाहित है। प्रकृति लाल-लाल बीज वृत्ति वर्द्ध देंदा करती है। उनमें से थियिकाश नट्ट ही जाते हैं, कुछ थोड़े-से जीवित रह पाते हैं। यह लाल-लाल नट्ट होनेवाले बीज कुछ असत्य हो, ऐसी वात नहीं; परन्तु वे अपने-आपमें ही सम्पूर्ण सत्य नहीं हो सकते। किसी विराट् प्रयोजन के लिए यह महानाश का कारवार चल रहा है। इन कवियों के मत से इस संष्ठि की सिद्धि के सिए दूसरे किसी का आधोप्रयोग अपेक्षित है, या फिर दूसरी सिद्धि के लिए यह अपना ग्रन्थ ही खो देती है।

(3) व्याप्त्यार्थ-प्रधान दृष्टिवाले कवि के लिए यह जगत् केवल एक उपलक्ष्य-मात्र है, एक इशारा-भर है। सत्य है इसके पीछे प्रच्छन्न रहस्य। इस जगत् की प्रत्येक वस्तु परमार्थतः उस प्रच्छन्न रहस्य की ओर ही सकेत कर रही है। संसार की प्रत्येक वस्तु मानो उस अपरिचित रहस्य की ओर ध्यान खीचनेवाली अङ्गुली

है जो स्वयं मुख्य न होकर उसी को दिखा रही है। धनादिकाल से मानव-चित्त में यह रहस्य बत्तमान है। प्रादि-मानव के मनोजगत की यह रहस्य-भावना मध्यमुग्ध तक नाना स्तरों को पार करती हुई सीसामय भगवान् के हृषि में प्रकट हुई थी। आज संसार में जब उस प्रतुप्त भावना के निए धनुष्ठ मार्ग नहीं रह गया है तो वह रसमय काव्य-सांसार में पूर्ण रूप से भास्त्व-प्रकाश करने लगी है।

54. हिन्दी में जब नवीन युग की हवा यही तो जो विषयि-प्रधान कविताएँ भी लिखी जाने लगी, वे सभी कविताएँ एक ही थेयों की नहीं थी। कुछ व्याघार्य-प्रधान थी, कुछ व्याघार्य-प्रधान। पर सबमें प्राचीन शृदियों की उपेक्षा की गयी थी। किसी ने इस प्रकार की सब कविताओं का नाम 'छायावाद' रख दिया। याद में व्याघार्य-प्रधान दृष्टि रसनेवाले कवियों को यह नाम उपयुक्त नहीं लगा। उन्होंने सशोधन करके 'रहस्यवाद' नाम दिया। कुछ दिन तक वे दोनों ही शब्द चलते रहे। अब तक पण्डितों ने दोनों शब्दों का भ्रतग-भ्रलग भर्यं नियत कर दिया है।

पं. रामचन्द्रशुक्ल के मत से छायावाद के दो भर्यं होते हैं: (1) एक तो रहस्यवाद के अर्थ में जहाँ उसका सम्बन्ध काव्य-वस्तु से होता है, अर्थात् जहाँ कवि किसी अज्ञात और अनन्त प्रियतम को अवलम्ब बनाकर अत्यन्त चित्रमयी भाषा में अनेक प्रकार से प्रेम की व्यंजना करता है; और (2) दूसरा प्रयोग काव्य-शैली या पद्धति-विशेष के व्यापक अर्थ में है। छायावाद का सामान्यतः यह भर्यं हुआ—प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यजना करनेवाली छाया के हृषि में अप्रस्तुत (दे. 32) का क्यन। शुक्लजी ने लिखा है कि “छायावाद का पहला अर्थात् मूल अर्थ सेकर तो चलनेवाली श्री महादेवी ही हैं। पन्त, प्रसाद, निराला इत्यादि और सब कवि प्रतीक-पद्धति या चित्र-भाषा-शैली की दृष्टि से ही छायावादी कहलाये।”

यह प्रतीक-पद्धति क्या है? शुक्लजी ही के शब्दों में कहा जाय तो “चित्र-भाषा-शैली या प्रतीक-पद्धति के अन्तर्गत जिस प्रकार वाचक पदों के स्थान पर लक्षक पदों का (दे. 21-22) व्यवहार होता है, उसी प्रकार प्रस्तुत प्रसंग पर अप्रस्तुत चित्रों का विधान भी। अतः अन्योक्ति-पद्धति का अवलम्बन ही छायावाद का एक विशेष लक्षण हुआ।”

वस्तुतः आचार्य शुक्ल छायावाद को एक शैली-विशेष ही अधिक समझते थे। इस शैली की मुख्य विशेषताएँ ये हैं: लाक्षणिकता, प्रभाव-रहस्य पर जोर, प्रकृति के वस्तु-व्यापारों पर मानुषी वृत्तियों का आरोप, प्रेमगीतात्मक प्रवृत्ति।

किन्तु श्री महादेवी वर्मी के मत से छायावाद की तीन विशेषताएँ हैं: (1) व्यक्तिगत अनुभव में प्राण-संचार, अर्थात् कवि व्यक्ति-रूप में जो अनुभव करता है वह उसके अपने जीवन की देन है, वह किसी रुढ़ि या शास्त्र के बताये हुए विषय को धोखता नहीं रहता; (2) प्रकृति के अनेक हृषियों में महाप्राण का अनुभव, और (3) ससीम और असीम का ऐसा सम्बन्ध जिसमें एक प्रकार के

अलौकिक व्यक्तित्व का आरोप हो। इस प्रकार महादेवी वर्मी छायावाद को शैसी-विशेष ही नहीं मानती, वे काव्य-वस्तु की ओर से भी इस पर विचार करती हैं। रहस्यवाद इसके बाद की वस्तु है। महादेवीजी कहती है कि मनुष्य-मनुष्य के बीच जो रागात्मक सम्बन्ध है, उसमें जब तक अनुरागजन्य विसर्जन का भाव नहीं पूल जाता तब तक वे सरस नहीं हो पाते। परन्तु मनुष्य के हृदय का अभाव तब तक दूर नहीं होता जब तक यह सम्बन्ध सीमाहीन के प्रति न हो। सो, उस सीमाहीन अनन्त सत्ता में एक मधुर व्यक्तित्व का आरोप करके उसके प्रति जो अनुरागजन्य सरस आत्म-निवेदनमूलक कविताएँ हैं उन्हीं में रहस्यवाद होता है।

55. मुझे ऐसा लगता है कि रहस्यवादी कविता का केन्द्रविन्दु वह वस्तु है जिसे भक्ति-साहित्य में 'सीला' कहते हैं। यद्यपि रहस्यवादी कवि भक्तों की भाँति पद-पद पर भगवान् का नाम लेकर भाव-विहृत नहीं हो जाता, परन्तु वह पूजतः है भक्त ही। उसका भगवान् पर अविचलित विश्वास होता है। ये भगवान् प्राण-प्रगोचर तो ही ही, वाणी और मन के अतीत भी है, किर भी रहस्यवादी कवि उनकी प्रतिदिन प्रतिक्षण देखता रहता है। वे ज्ञान के अमर्य होकर भी प्रेम के वशीभूत हैं, वयोंकि ज्ञान सब मिलाकर हमारी अल्पज्ञता को ही दिगा देता है, पर प्रेम समस्त वृद्धियों और विच्छयितयों को भर देता है। संसार में जो कुछ घट रहा है, और जो घटना सम्भव है, वह सब उस परमप्रेममय की भीना है— उस गेयर में आनन्द आता है। भक्त उससे प्रेम करके अपनी गमसन वृद्धियों का पूर्ण करता है। इसलिए महादेवी वर्मीने कहा है कि मनुष्य के हृदय का अभाव तब तक दूर नहीं होता जब तक सीमाहीन के प्रति रागात्मक सम्बन्ध न हो। गीमारीन प्रथान् परम प्रेममय भगवान्। भगवान् के साथ की यह निरन्तर चलनेवाली प्रेम-कल्पिती ही रहस्यवादी कविता का केन्द्रविन्दु है। इसी को कियों और आयुर्वेद ग्रन्थ के अन्तर में परिचय के समालोचकों ने 'मिस्टिसिरम' कहा है, और इसी दो शिक्षक द्वारा समझने के कारण, वे जाने किसने, रहस्यवाद नाम दे दिया था। यह नाम प्राणक है, क्योंकि 'सीला' कोई रहस्यवाद नहीं है। रहस्य नैसा नाम है, पीछा गमापान का। प्रायुनिक हिंदी कविता में इस वर्तका गर्वभूमि विदायु गहारी वर्मी की कविताओं में ही मिलता है।

56. विषय-प्रधानता के माध्यमावधार्य का श्रेष्ठ प्रयोग व्यापक ही गया है। केवल चेतन मन के विचार, प्रनुभव या प्रवाद ही उग्रा ही विषय नहीं हो सकते हैं। काव्यड के मनोविज्ञान ने बताया है कि मनुष्य के मन का बैनन एवं उनके ऊपर-ज्ञान का हिस्सा है। नींवें का दिया प्रवर्तनन मन है जो व्यूह निकलने वस्तु है। इस प्रवर्तनन मन ही एक और काव्यड अनुभूतियों भी विद्युतीकरण का विषय होने वाली है। अब, प्रायुनिक भाव और दिग्मन्त्रण की विश्वासिक द्वारा प्रदर्शनात्मक दर्शकों की वर्मारने

जटिलता का सूचनात किया है। प्रतीकों ने शब्दों को दबोच दिया है। हमने शुरू में ही लक्ष्य किया है कि शब्द और अर्थ दोनों को लेकर साहित्य बनता है। जहाँ शब्दों की उपेक्षा हुई हो वहाँ कविता सम्भव ही नहीं है। इस जटिलता के द्वारा नग्न यथार्थवादी काव्य-साहित्य को समूर्ण रूप से पराहृत कर देने के कारण ये कविताएँ अति यथार्थवादी कही जाने लगी हैं। फायड के मनोविज्ञान-शास्त्र ने अवचेतन मन के जिन प्रतीकों की स्थापना की है, उनका सुलकर व्यवहार होने लगा है।

57. हमने अवतक काव्य के भिन्न-भिन्न उपकरणों पर विचार किया है। ये उपकरण काव्य को और कवि के उद्दिष्ट अर्थ को समझने में सहायक हैं। इन उपकरणों और शैलियों को ही मुख्य मानने की जरूरत नहीं। काव्य कोई संकीर्ण बुद्धि-विलास नहीं है। वह मनुष्य के जीवन के सब-कुछ को लेकर बनता है। आदिकवि वात्मीकि को आभास्य से भिन्न छन्द मिला था, यह कहानी सबकी जानी हुई है। परन्तु उन्हें उपयुक्त विषय नहीं मिल रहा था। वे उन्मत्त की भाँति पूम रहे थे। उसी समय नारद से उनका साक्षात्कार हुआ। नारद ने उन्हें विषय सुझाया था। उन्होंने कहा था कि अब तक देवताओं को मनुष्य बनाया गया है, अब तुम मनुष्य को देवता बनाओ।

मनुष्य को देवता बनाना ही काव्य का सबसे बड़ा उद्देश्य है। मनुष्य को उसकी स्वार्थ-बुद्धि से ऊपर उठाना, उसको इहलोक की सकीर्णताओं से ऊपर उठाकर सत्यगुण में प्रतिष्ठित करना, परदुःखकातर और सवेदनशील बनाना और निखिल जगत् के भीतर चिरस्तव्य 'एक' की अनुभूति के द्वारा प्राणि-मात्र के साथ आत्मीयता का अनुभव कराना ही काव्य का काम है। छन्द, अलंकार, पद-लालित्य और शैलियाँ इसी महान् उद्देश्य की पूर्ति के साधन हैं। इस उद्देश्य को वह अन्यान्य मनीषियों की भाँति दीर्घ व्यास्था करके नहीं सिद्ध करता, बल्कि इन साधनों की सहायता से वह महान् सत्य को आसानी से व्याप्त करता रहता है। यह हम पहले ही लक्ष्य कर चुके हैं कि उत्तम व्याप्त या ध्वनि ही काव्य का प्राण है।

57 क. भारतीय साहित्य में नयी भाव-धारा का आगमन कुछ लोगों के लिए चिन्ता का विषय हो गया है। कभी-कभी उसे इसलिए निन्दनीय मान लिया जाता है कि वह विदेशी सम्पर्क का परिणाम है। परन्तु ऐसा नहीं सोचना चाहिए।

मैंने 'साहित्य के नये मूल्य' नाम के निबन्ध में लिखा था कि "जीवन-साहित्य के सम्पर्क में आने से जीवन्त मनुष्य प्रभावित होता है। उन्नीसवीं शताब्दी के अंतर्जी साहित्य में अद्भुत जीवनी-शक्ति उद्भवित हो रही थी—एक अपूर्व उन्मुक्त भाव-धारा। इसमें परिपाटी-विहित और परम्परा-मुक्त रस-दृष्टि के स्थान पर आत्मानुभूति, आवेगधारा और कल्पना का प्राधान्य था। इस विशिष्ट दृष्टिभज्ञी को अपने ध्यान में रखकर विद्वानों ने उस यग के साहित्य को स्वच्छन्दतावाद नाम दे दिया है। पर यह शब्द उस साहित्य की आत्मा को समूर्ण रूप से प्रकट करने

में समर्थ नहीं है। स्वयं इंग्लैण्ड में उस युग के साहित्य को रोमाटिक साहित्य कहा गया है। रोमाटिक अर्थात् वह साहित्य जो वस्तुतः जीवन के उस आवेगमय पहलू पर जोर देते के कारण विशिष्ट रूप ले सका है जो कल्पनाप्रबण अन्तर्दृष्टि द्वारा चालित किया प्रेरित होता है और स्वयं भी इस प्रकार की अन्तर्दृष्टि को चालित और प्रेरित करता रहता है। उस देश के ब्लासिकल या परम्परा-समर्थित साहित्य में परिपाठी-विहित रसज्ञता या रस-निष्पत्ति पर जोर दिया गया था, इसीलिए उसमें उस अनासक्तिपूर्ण सौन्दर्य-ग्राहिणी दृष्टि का प्राधान्य था जो अधिकाधिक मात्रा में सामान्य होती है, विशेष नहीं। जब कोई सहृदय सौन्दर्य और रसबोध के सामान्य भान को स्वीकार कर लेता है तो उसका ध्यान सामान्य भाव से निर्धारित सौन्दर्य के टाइप और नीति तथा सदाचार के परिपाठी-विहित नियमों की ओर केन्द्रित होता है। व्यक्ति की स्वतन्त्र अनुभूति तो कल्पना और आवेग के माध्यम से ही प्रकट होती है और जब वह प्रकट होती है तो नीति और सदाचार के परिपाठी-विहित मूल्यों से सब समय उसका सामर्जस्य भी नहीं होता। कई बार उसे ऊपरी सतह के सदाचार के विश्व विद्रोह करना पड़ता है। परन्तु यह विद्रोह उसका मूल स्वर नहीं होता। हिन्दी साहित्य के द्यायावादी उत्थान के समय इसी प्रकार की उन्मुक्त आवेग-प्रधान यीर कल्पना-प्रबण अन्तर्दृष्टि दिखी थी। कई कवियों में उसका विद्रोहमूलक रूप ही प्रधान हो उठा, परन्तु यह भली-भाँति समझना चाहिए कि यह विद्रोह केवल विशेष प्रकार की वैयक्तिक दृष्टि-भर्जी के साथ परिपाठी-विहित रसात्मादान का सामर्जस्य न हो सकने का बाह्य रूपमात्र है। यदि यही अन्त तक कवि का मूल्य चक्षतव्य बना रह जाय तो कवि सफल नहीं होता। परन्तु जो कवि उसका बास्तविक मूल्य समझता है यह स्थायी और अमर साहित्य का निर्माण करता है। उन्नीसवीं शताब्दी के आरम्भ में घरेजी के जिन साहित्यकारों में उन्मुक्त स्वाधीन दृष्टि-भंगी विकसित हुई थी वे विद्रोही अवश्य थे, परन्तु वह विद्रोह उनकी नवीन भावधारा का एक बाहरी और तत्काल के लिए आवश्यक रूपमात्र था। केवल परम्परा-प्राप्त साहित्य का विरोध करने के लिए या परिपाठी-विहित रसज्ञता का प्रत्याह्यान करने के लिए यह साहित्य नहीं रचा गया था। इसीलिए उसे 'स्वच्छन्तवाद' कहना केवल एक पहलू की हो बढ़ा-चढ़ाकर कहना है। भारतवर्ष में इसी स्वाधीन चिन्ताधारा का स्पष्ट पाकर नवीन साहित्य निर्मित हुआ था। इसने साहित्य-रसिकों के हृदय में उन्मुक्त भावधारा के प्रति सम्मान बढ़ाया, इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि आज परिपाठी-विहित कविता के स्थान पर उन्मुक्त आवेग और अन्तर्दृष्टि-युक्त कल्पनावाली कविता लोकप्रिय ही गयी है। भारतीय सहृदय के चित्त में इस नयी भावधारा ने नया कम्पन उत्पन्न किया है। परन्तु इसे भी 'पारचाल्य प्रभाव' नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यद्यपि यह बात पारचाल्य देशों के साहित्य के सम्बन्ध से ही आयी, तथापि वह वही भी नवीन ही थी। उसके लिए जिस नवीन दंग के मानसिक गठन की आवश्यकता है वह नवे विज्ञान द्वारा उपस्थापित

परिस्थितियों के कारण ही सम्भव हो सका था। जैसा कि पहले ही कहा गया है, इस नवीन साहित्य की वास्तविक उत्सभूमि वह मानसिक गठन है जिसमें कल्पना के अविरल प्रवाह से घनसंश्लिष्ट निविड़ आवेग की ही प्रधानता होती है। इस प्रकार कल्पना का अविरल प्रवाह और निविड़ आवेग, ये दोनों निरन्तर पनीभूत वृत्तियाँ ही इस व्यक्तित्व-प्रधान साहित्य-रूप की प्रधान जननी हैं। परन्तु यह नहीं सम्भव चाहिए कि ये दोनों एक-दूसरे से अलग रहकर काम करती हैं। वस्तुतः इनको पृथक्-पृथक् नाम देना और स्वरूप बनाना केवल आलोचना की चर्चा की सहूलियत के लिए ही परिकल्पित है। काव्य की अभिव्यक्ति में ये दोनों शक्तियाँ एक-दूसरे से इस प्रकार गुंथी रहती हैं कि इन्हें एक-दूसरे से अलग करता कठिन होता है। केवल सहृदय ही यह अनुभव कर सकता है कि कहाँ एक की मात्रा अधिक है और कहाँ दूसरी की कम, कहाँ वे करीब-करीब समान हैं और कहाँ एक ने दूसरी को एकदम दबोच लिया है। परन्तु जैसा कि ऊपर बताया गया है, उन्मुखता केवल इन दो मनोवृत्तियों का समानान्तर धर्म नहीं है। वह केवल काव्य के क्षेत्र में ही अपने-आपको प्रकाशित नहीं करती। जीवन के विविध क्षेत्रों में उसकी लीला विराजने लगती है।”

57 ख. यदि उस युग के इंगलैण्ड की वाह्य परिस्थितियों का विश्लेषण किया जाय तो एक और तथ्य भी प्रकट होगा। इंगलैण्ड की साधारण जनता उन दिनों बहुत व्यवहारकुशल दुनियादारी में लगी थी, रोजगार के नये साधन सामने आ रहे थे, दुनिया के कोने-कोने में वृटिश सिंह का जय-तिनाद मूँज रहा था और घर में अतायास-लब्ध समृद्धि को भरने का प्रयत्न छोटे-बड़े सभी कर रहे थे। यही विल्कुल ऊपरी सतह की बात है, किन्तु उस देश के विचारशील लोगों में एक प्रकार की मानसिक अशान्ति अत्यन्त स्पष्ट होकर प्रकट हुई थी, सन्तुलन नष्ट हो रहा था, सवेदनशील चित्त वाहरी समृद्धि और भीतरी औचित्य-बोध के सघर्ष से अस्थिर हो उठा था और भीतर-वाहर के इस सघर्ष ने सुकुमार कलाओं के माध्यम से अपने को अभिव्यक्त करना शुरू किया था। कवि-चित्त जब वाह्य परिस्थितियों के साथ समझौता नहीं कर पाता, तब द्वन्द्वों की भाषा अत्यन्त प्रभाव-शक्ति होकर प्रकट होती है। आन्तरिक सौम्यदर्थानुभूति और वाहरी असुन्दर-सी लगनेवाली परिस्थिति की टकराहट से जो विक्षेप पैदा होता है वह सभी देशों में काव्य की भाषा को मुखर बना देता है, उसमें मूर्त्ति का रूप और आवेग का पंख लगा देता है। आदिकवि के उपाख्यान में इसी तथ्य की ओर इशारा किया गया है। कृष्ण का मनुष्योचित रूप अपने आन्तरिक आदेशों के एकदम विरद्ध पड़नेवाले कीचबध्यपी असुन्दर व्यापार से जब विचलित हुआ था, तभी अशरीरिणी वाणी नवीन द्वन्द्वों में मुखर हो उठी थी। रोमाटिक साहित्य इसी प्रकार के कवि-चित्त के आन्तरिक सौन्दर्य के आदर्श और वाहरी जगत् के एकदम विपरीत परिस्थिति के संघर्ष का परिणाम है। कवि-चित्त का प्रिय आदर्श जब दूर रहता है, तब उसका प्रेम और भी निविड़ हो जाता है, और भी व्याकुल वेदना जगा देता है।

यह गलत बात है कि उसके प्रभाव से कवि मौन हो जाता है।

इस सधर्म में कवि के चित्त में विद्रोह का स्वर भी अवश्य मुखर हो उठता है, पर असली और प्रधान स्वर रचनात्मक ही होता है। वह कुछ नया करने का प्रयत्न है जो नया देखने की तीव्र आकाशा से उत्प्रेरित होता है और वाल्य अमुन्दरता को बदलने के उद्देश्य से परिचालित होता है। इस भावधारा में स्नान करके पुरातन भी नवीन रूप में प्रकट होता है। हमारे देश में कविवर रवीन्द्रनाथ की कविताओं में पुरातन ने जो अपूर्व नवीन सौन्दर्य-लक्षणी का रूप लिया है, वह इसी प्रक्रिया का परिणाम है। इस सद्य स्नातक काव्य-लक्षणी की 'प्रत्यग्र मज्जन-विशेषविविक्तकान्तिः' सचमुच दर्शनीय है। वर्डसूवर्ध, शेली, कीट्स आदि कवियों ने जिस मोहक सौन्दर्य-जगत् का निर्माण किया है वह अपनी उपमा आप ही है। इस नवीन भावधारा ने हमारे देश के कवियों के सबेदनशील चित्त को उद्बुद्ध किया तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। इस नये साहित्य के मनन और चिन्तन ने इस देश में वैयक्तिकता-प्रधान नवीन चिन्ता-धारा को जन्म दिया है। इसे केवल विदेशी प्रभाव कहकर समझकर उपेक्षणीय समझना ठीक नहीं है। हिन्दी के कई प्रतिभाशाली कवियों को इस उन्मुक्त भावधारा ने प्रेरणा दी है। इसके यथार्थ स्वरूप को नहीं समझने से, इसकी आलोचना भव्यकालीन दृष्टि से की जाती है और इस प्रकार कभी-कभी इसे सदोप और त्याज्य समझा जाता है। जो वस्तु त्याज्य हो उसे त्याज्य समझना उचित ही है, पर विवेक-गूर्वक वस्तु के यथार्थ का पता लगाना भी आवश्यक है, नहीं तो जैसा कि दुष्प्रत्यक्ष के मुँह से कालिदास ने कहलवाया है कि अन्ये के सिर पर यदि मालतीमाला डाल दी जाय तो वह साँप समझकर सिर धुनने लगता है।

57 ग. जिन लोगों को इस प्रकार की भावधारा का सच्चा इतिहास नहीं मालूम है वे यदि इसको त्याज्य बताते हैं तो सोचना चाहिए कि उनकी बात विवेक-दृष्टि से कहीं तक ठीक है। कहीं उन्होंने आँखें तो नहीं मूँद ली। उन दिनों व्यावसायिक क्रान्ति के कारण इंगलैण्ड की राजनीतिक और आर्थिक शक्ति धीरे-धीरे सामन्त-वर्ग के हाथ से निकलकर व्यवसायी-वर्ग के हाथों आ गयी। जिन दिनों वहाँ सामन्तशाही के विरुद्ध तीव्र आन्दोलन हुआ था उन दिनों पूँजीवाद नया शिशु ही था। साधारण प्रजा के स्वार्थ के साथ उसका विरोध नहीं था। साधारण जनता ने उन दिनों पूँजीवाद के नये पुरस्कर्त्ताओं का साथ दिया था। नये वैज्ञानिक साधनों के उपयोग से जो नयी नागरिक सभ्यता उत्पन्न हुई, उसने कुछ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दी थी कि अन्यायास ही परम्परा की कड़ियाँ टूटी गयी, शहर की भीड़-भाड़ ने पुराने सदाचार के नियमों को शिखिल कर दिया, शिक्षा-प्रचार राज्य का कर्तव्य मान लिया गया और वैज्ञानिक शोधों के साथ मिली हुई नयी शिक्षा-व्यवस्था ने एक ही साथ बंशगत प्रतिष्ठा और धार्मिक शासन के साथ विद्रोह किया। इस प्रकार परिस्थितियाँ वैयक्तिक स्वाधीनता के अनुकूल थीं। साधारण जनता साहित्य के क्षेत्र में अवाध-भाव से आने लगी। उत्तरकालीन

विस्टोरियन युग की साहित्यिक विगेपता उपन्यासों और समाचार-पत्रों की भर-मार में प्रकट हुई थी। द्यापे की मशीन ने साहित्य के क्षेत्र में जनतन्त्र को पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित कर दिया। समाज के निचले स्तर से अनेक उदंर मस्तिष्कवाले इस क्षेत्र में आये जिन्हे शास्त्रीय अध्ययन और परिपाठी-विहित शिष्टाचार की शिक्षा एकदम नहीं मिली थी। इस नयी जाति की मेधा ने साहित्य में एक तरफ नया प्राण-सचार किया, दूसरी तरफ विचारणत हूँकेपन का भी प्रवेश कराया। ये सब बातें थोड़े समय बाद रूप बदलकर हमारे देश के साहित्य में भी आयीं।

इस समय भारतवर्ष में जो नयी शिक्षा आयी, वह इंगलैण्ड की इन बहुविध विचार-प्रवृत्तियों से प्रभावित थी। पर इसमें मनुष्यमात्र की समानता मिद्दान्त-रूप में स्वीकृति हो गयी थी, व्यवहार में वह राष्ट्र के मनुष्यों तक ही सीमित थी। व्यवहारगत शिखिलता ने वहाँ उस जातिगत उत्कर्ष के भद्रे मिद्दान्त को जन्म दिया, जिसने आगे चलकर समार में भयंकर अशान्ति के बीज बो दिये। राष्ट्र के भीतर अवश्य ही स्वतन्त्रता और समानता के मिद्दान्त स्वीकार कर लिये गये थे।

एडम स्मिथ ने सुझाया था किसी राष्ट्र की सम्पत्ति उसके व्यक्तियों की योग्यता और स्वाधीनता पर ही निर्भर है। व्यवसायिक क्रान्ति की उथल-पुथल ने कुलीन पुरुष के इस दावे को निमूँल सिद्ध किया कि कुल-विशेष भगवान् की और से गुणों के साथ उत्पन्न किया गया है। व्यवसाय में, जनता के व्यास्थान-मन्त्र पर, कानून बनानेवाली सभाओं में और जन-चित्त की प्रतिक्रियाओं को अभिव्यक्त करनेवाले समाचार-पत्रों में कौलीन्य का कोई विशेष मूल्य नहीं था। आगे चलकर यह तर्क भी उपस्थित किया जाने लगा कि वैयक्तिक स्वाधीनता यदि व्यवसाय-वाणिज्य और नागरिक सम्बन्धों में अच्छी चीज है तो वह सदाचार और नैतिकता के क्षेत्र में क्यों नहीं अच्छी है। गाड़विन ने निस्सन्दिग्ध होकर घोषणा की थी कि मनुष्य स्वभावतः सदाचारी है। अगर सभी कानून और नियम रद्द कर दिये जायें तो मनुष्य की बुद्धि और चरित्र में निस्सन्देह अभूतपूर्व उन्नति होगी। शेली ने इन विचारों को छन्दों की भाषा प्रदान की थी।

उन दिनों सबेदनशील कवियों के चित्त में ऊपरी सतह की ये हृलचले अपनी निश्चित लाल्हन-रेखा छोड़ जाती थी। इन कवियों के चित्त में जो रचनात्मक प्रतिभा थी, उसमें इन ऊपर से कर्कश दिखनेवाले विचारों की कोमल अभिव्यञ्जना थी। वस्तुतः यह साहित्य अपने युग की सम्पूर्ण चेतना और विचार-सघर्ष की सुन्दर कलात्मक अभिव्यक्ति है। यह कहना ठीक नहीं है कि यह किसी पुराने विचार का नामान्तर मात्र है। इस कथन का अर्थ यदि यह हो कि मूल भानव-मनोवृत्तियाँ वहीं बनी रहती हैं, केवल विभिन्न-परिस्थितियों में उनका ऊपरी रूप परिवर्तित होता रहता है तब तो यह बात किञ्चित स्वीकरणीय हो सकती है, किन्तु यदि इसका अर्थ यह हो कि इसी श्रेणी की या यही भावधारा पहले कभी रही और बाद में भी कभी आ सकती है तो यह बात स्वीकार-योग्य नहीं होगी। यह कहना

कि कवीर का रहस्यवाद ही रमीन्द्रनाथ का रहस्यवाद है या मीराँ का रूपान्तर ही महादेवी वर्मा हैं, पूर्ण सत्य नहीं है। ऐसी बातों से विचारणत गम्भीरता का निर्दर्शन नहीं। इतिहास अपने-आपको चाहे तत्वात्मक जगत् में कभी-कभी दुहरा भी लेता हो, परन्तु विचार की दुनिया में वह जो गया भी गया, मनुष्य का जीवन अपना उपमान आप ही है। इसमें एक बार जो गलती हो जाती है या भटकाव आ जाता है, वह अनुभव के रूप में और स्मृति के रूप में कुछ-न-कुछ नया जोड़ जाता है। इस जुड़े हुए ग्रंथ को किमी भी पूर्ववर्ती युग में नहीं पाया जा सकता। स्वयं रोमाटिक साहित्यकारों में चौथी शताब्दी में ही विचारणत विभेद और वैशिष्ट्य लक्षित होने लगा था। पण्डितों ने उन्नीसवी शताब्दी के दूसरे चरण के साहित्य में एक विशेष प्रकार की नयी प्रवृत्ति का मन्धान पाया है जो इसलिए सम्भव हुई थी कि इन दिनों के साहित्यकार इस बात में सचेत हो गये थे कि वे कुछ नया कर रहे हैं और उनके प्रधान अस्त्र आवेग और कल्पना हैं। पूर्ववर्ती साहित्यकारों में जो एक प्रकार का वाह्य जगत् के प्रति विस्मय का भाव था, वह आदि-मानव के उस मनोभाव का सजातीय था जिसने पौराणिक विश्वासों और तान्त्रिक आचारों को जन्म दिया था जबकि दूसरे चरण के साहित्यकारों में उस प्रकार का मनोभाव है जो तान्त्रिक आचारों को निविवाद छढ़ियों के रूप में स्वीकार करनेवाले मनुष्य में पाया जाता है।

## उपन्यास और कहानी

58. उपन्यास और कहानियाँ हमारे साहित्य में नयी चीज हैं। पुराने साहित्य में कथा, आख्यायिका आदि के रूप में इस जाति का साहित्य भिलता है, पर उनमें और आयुनिक कथाओं—उपन्यास और कहानियों—में मौलिक भेद है। मौका पाकर हम इस भेद को समझने का प्रयत्न करेंगे। अभी तो हम आयुनिक डग के उपन्यासों और कहानियों की ही चर्चा करने जा रहे हैं।

59. उपन्यास इस युग का बहुत ही लोकप्रिय साहित्य है। शायद ही कोई पढ़ा-लिखा नीजबान इस जमाने में ऐसा मिले जिसने दो-चार उपन्यास न पढ़े हों। यह बहुत मनोरंजक साहित्याग माना जाने लगा है। आजकल जब किसी पुस्तक को बहुत मनोरंजक पाया जाता है तो प्रायः कह दिया जाता है कि इस पुस्तक में उपन्यास का-सा आनन्द मिल रहा है। किसी-किसी यूरोपियन जमानोचक ने उपन्यास का एक-मात्र गुण उसकी मनोरंजकता को ही माना है। इस

साहित्याग (उपन्यास) ने मनोरंजन के लिए लिखी जानेवाली कविताओं का ही नहीं, नाटकों का भी रग फौका कर दिया है; क्योंकि पांच मील दौड़कर रंगभासा में जाने की अपेक्षा पांच सौ मील दूर से ऐसी किताब मौगा लेना कहीं धर्मिक आसान हो गया है जो अपना रंगमच अपने पात्रों में ही लिये हुए हो।

उपन्यास में उन टण्ठों की कोई जहरत नहीं रह जाती जो रंगमच सजाने में ग्रा खड़े होते हैं। किसी ने विल्युत ठीक कहा है कि भाज के जमाने में उपन्यास एक ही साथ शिष्टाचार का सम्प्रदाय, वहस का विषय, इतिहास का चित्र और पाकेट का थिपेटर है। मशीन ने ही इस जाति के साहित्य का उत्पादन बढ़ाया है और उसी ने इसके वितरण का पथ प्रशस्त किया है। उपन्यास साहित्य में मशीन की विजय-ध्वजा है। ऐसे लोकग्रिय साहित्य को समझने का प्रयत्न क्या करना भला ! किन्तु दुनिया में प्रायः ही ऐसा देखा जाता है कि सबसे प्रिय वस्तु को समझने में ही आदमी सबसे धर्मिक गलती करता है। प्रिय वस्तुओं के प्रति एक प्रकार का मोह हुआ करता है जो ज्ञान का परिपन्थी है। उपन्यास के समझने में भी वहुत गलतियाँ की जाती हैं। मीधी लकीर का खीचना सचमुच देढ़ा काम है।

60. परन्तु उपन्यास है क्या चीज ? हिन्दी के श्रेष्ठ श्रीपन्थासिक प्रेमचन्द ने लिखा है कि “उपन्यास की ऐसी कोई परिभाषा नहीं है जिस पर सब लोग सहमत हों।” फिर भी उन्होंने उसे समझाने का प्रयास किया है। वे कहते हैं :

“मैं उपन्यास को मानव-चरित्र का चित्र-मात्र समझता हूँ। मानव-चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्त्व है। किम्हीं भी दो आदमियों की सूरत नहीं मिलती, उसी भौति आदमियों के चरित्र नहीं मिलते। जैसे सब आदमियों के हाथ, पांव, आँखें, कान, नाक, मुँह होते हैं, पर उन्हीं समानता रहने पर भी विभिन्नता भौजूद रहती है, उसी भौति सब आदमियों के चरित्रों में भी वहुत-कुछ समानता होते हुए भी कुछ विभिन्नताएँ होती हैं। यह चरित्र-सम्बन्धी समानता और विभिन्नता—अभिन्नत्व में भिन्नत्व और विभिन्नत्व में अभिन्नत्व—दिखाना उपन्यास का मूल कर्तव्य है।

“सन्तान-प्रेम मानव-चरित्र का एक व्यापक गुण है। ऐसा कौन प्राणी होगा जिसे अपनी सन्तान प्यारी न हो ? लेकिन इस सन्तान-प्रेम की मात्राएँ है, उसके भेद हैं। कोई सन्तान के लिए मर मिटावा है, उसके लिए कुछ छोड़ जाने के लिए आप नाना प्रकार के कष्ट भेलता है, लेकिन घर्म-भीखता के कारण अनुचित रीति से धन-संचय नहीं करता। उसे शंका होती है कि कहीं इसका परिणाम हमारी सन्तान के लिए दुरा न हो। कोई औचित्य का लेशमात्र भी विचार नहीं करता और जिस तरह भी हो कुछ धन-संचय करना अपना ध्येय समझता है, वाह इसके लिए उसे दूसरों का गला ही क्यों न काटना पड़े। वह सन्तान-प्रेम पर अपनी आत्मा को भी बलिदान कर देता है। एक तीसरा सन्तान-प्रेम वह है जहाँ सन्तान की सञ्चरित्रता प्रधान कारण होती है, जबकि पिता उसका कुचरित्र देखकर

उससे उदासीन हो जाता है, उसके लिए कुछ छोड़ जाना या कर जाना व्यर्थ समझता है। इसी प्रकार अन्य मानवी गुणों की भी मात्राएँ और भेद हैं। चरित्र-ध्ययन जितना ही सूक्ष्म और जितना ही विस्तृत होगा, उतनी ही सफलता से चरित्रों का विद्रोह हो सकेगा। सन्तान-प्रेम की एक दशा यह भी है जब पिता पुत्र को कुमार्ग पर चलते देयकर उसका धातक शत्रु हो जाता है। और वह भी सन्तान-प्रेम ही है जब पिता के लिए पुत्र धी का लड्डू होता है, जिसका टेढ़ापन उसके स्वाद में वाधक नहीं होता। एक ऐसा सन्तान-प्रेम भी देखने में आता है जहाँ शराबी और जुधारी पिता पुत्र-प्रेम के वशीभूत होकर सारी बुरी आदतें छोड़ देता है।"

इस प्रकार प्रेमचन्दजी उपन्यास को वहु-विद्युत मनुष्य-जीवन का चित्र-मात्र मानते हैं। यह चित्र सुन्दर हुआ है या नहीं और यदि सुन्दर हो सका है तो पाठक की उत्कर्ष-सिद्धि में कहाँ तक सहायक हुआ है, यह बात फिर भी विचारणीय रह जाती है।

61. उपन्यास और कहानियों की हम इस अध्याय में 'एक साथ विवेचना करने जा रहे हैं। इसका कारण यह है कि दोनों वस्तुतः एक ही जाति की चीजें हैं। शुरू-शुरू में तो छोटे उपन्यास को 'कहानी' कहते थे। परन्तु धारे की कल तथा सामरिक प्रश्न-विकाशों के प्रचार ने छोटी कहानियों का बहुत प्रचार किया और धीरे-धीरे वे स्वतन्त्र हो गयी। बाद में चलकर यह निश्चय हो गया कि आकार-मात्र ही कहानी की विशेषता नहीं है। कहानी का अपना एक लक्ष्य होता है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए कहानी-लेखक कम-से-कम पात्रों और घटना की योजना करता है। वह लक्ष्य ही प्रधान होता है, घटना और पात्र निमित्त-मात्र। इस प्रकार उपन्यास और कहानी का प्रधान अन्तर यह होता है कि उपन्यास में चरित्रों और घटनाओं का प्राधान्य रहता है, वे केवल निमित्तमात्र नहीं होते, वल्कि उन्हें स्वच्छन्द रूप से विकसित होने का मौका मिलता है, जबकि वे दोनों ही तत्त्व कहानी में प्रधान न होकर निमित्त-मात्र बने रहते हैं।

यह ध्यान में रखना चाहिए कि यह नहीं कहा जा रहा है कि कहानी में पात्र और घटना गोण होते हैं, वल्कि यह कहा जा रहा है कि वे निमित्त-मात्र होते हैं; असली बात लक्ष्य होती है। और उस लक्ष्य की सिद्धि के लिए पात्र और घटना जितने सहायक होते हैं उतने ही रखे जाते हैं। लेखक का व्यक्तिगत मत इसमें अधिक स्पष्ट होता है। कुछ समालोचकों ने एक उपमा देकर इस बात की समझाने की चेष्टा की है। उपन्यास एक शाखा-प्रशाखावाला विशाल वृक्ष है, जबकि छोटी कहानी एक सुकुमार लता। कुछ दूसरे समालोचकों ने बताया है कि उपन्यास और कहानी का वही सम्बन्ध है जो महाकाव्य और गीतिकाव्य का। इन उपमाओं के बहाने जो बात कहाँ गयी है उसे स्पष्ट भाषा में इस प्रकार रखा जा सकता है: उपन्यास और कहानी दोनों एक ही जाति के साहित्य हैं; परन्तु उसकी उपजातियाँ इसलिए भिन्न हो जाती हैं कि उपन्यास में जहाँ पूरे जीवन

की नाप-जोग होती है, यही कहानी में उसकी तिफ़ एक भौकी मिल जाती है। मानव-चरित्र के किसी पहलू पर या उसमें पठित किसी एक पटना पर प्रकाश डालने के लिए छोटी कहानी लिखी जाती है।

देखा गया है कि मध्ये उपन्यासकार सब समय मध्ये कहानी-लेखक नहीं हो सके हैं, ठीक उसी प्रकार अच्यु महाकाव्य-लेखक सब समय मध्ये गीतिकाव्य-लेखक नहीं हुए हैं। यह तथ्य इस बात का सबूत है कि कहानी और उपन्यास के लिखने में भिन्न-भिन्न कोटि की प्रतिभा आवश्यक होती है। प्रेमचन्द्रजी ने बहा है कि कहानी में बहुत विस्तृत विश्लेषण की गुंजाइश नहीं होती। कहानी-लेखक का उद्देश्य समूर्ण मनुष्य-जीवन को चिह्नित करना नहीं, बरन् उसके चरित्र के एक अंग-मात्र को दिखाना होता है।

नये आलोचकों के मत से इधर कहानी की कारीगरीवाले दृष्टिकोण में धोड़ा और परिवर्तन हुआ है। अब प्रतिभा की अपेक्षा चतुरता और कारीगरी का मूल्य ज्यादा अंका जाने लगा है। इसका नतीजा यह हुआ कि उन्नीसवीं शताब्दी तथा बीसवीं शताब्दी के धारम्भ-काल के लेखकों की लिखी हुई भृत्यन्त श्रेष्ठ कहानियों को भी कहानी-कला की दृष्टि से फीका समझा जाने लगा है।

“उन्नीसवीं शताब्दी के श्रेष्ठ कहानी-लेखक अपनी रचनाओं में मनोरंजकता, रहस्यमय कथानक, मानव-हृदय का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, गहरे यथार्थवाद और अनोखी सूझों का समावेश करके कहानियों के क्षेत्र में यथेष्ट सफलता प्राप्त कर लेते थे। परन्तु कहानी-कला के वर्तमान आलोचकों की राय में इन सारी बातों की महत्ता बहुत कम रह गयी है। इन चीजों को व्यर्थ या निस्सार तो आज का समालोचक भी नहीं कहता, परन्तु अब यह कहानी के कलेवर को उसकी आत्मा से भी अधिक महत्व देने लगा है।” (चन्द्रगुप्त विद्यालंकार)

परन्तु आज के समालोचक का यह मत केवल सामयिक नवसर्जन-मनोवृत्ति का परिणाम है। इस युग में सबको सब समय कुछ नया गढ़ने का पागलपन ग्रास किये हुए है। कोई आश्चर्य नहीं कि साहित्य के क्षेत्र में इस मनोवृत्ति ने प्रतिभा को कारीगरी के सामने गोण बना दिया है। सही बात, जैसा कि चन्द्रगुप्त विद्यालंकारजी ने कहा, यह है कि प्रतिभा नयी-नयी कारीगरियों को जन्म देती है; वह सदा प्रधान रहेगी।

62. उपन्यास हो या कहानी, उसकी आलोचना करते समय हम एक बात भूल नहीं सकते। वह यह कि उपन्यास या कहानी, और कुछ हो या न हो, एक कहानी या कथा जरूर है। कहानी या कथा में जो बातें आवश्यक हैं वे उसमें अवश्य होनी चाहिए। कोई उपन्यास (या छोटी कहानी) सफल है या नहीं, इस बात की प्रथम कसीटी यह है कि कहानी कहनेवाले ने कहानी ठीक-ठीक सुनायी है या नहीं—अनावश्यक बातों को तूल तो नहीं दिया है, जहाँ-जहाँ कहानी अधिक मर्मस्पर्शी हो सकती थी वहाँ-वहाँ उसने उचित रीति से सम्भाला है या नहीं, छोटी-छोटी बातों में ही उलझकर तो नहीं रह गया, प्रसंगवश आयी हुई पटना का

प्रधिक वर्णन तो नहीं करने लगा जिससे पाठक का जो ही ऊँच जाय, और सी बात की एक बात यह है कि यह शुरू से अन्त तक सुननेवाले की उत्सुकता जाग्रत रखने में नाकामयाद तो नहीं रहा। कहानीपन इस साहित्य की प्रथम शर्त है।

सभी कहानी नहीं कह सकते, कुछ लोगों को यह गुण विधाता की ओर से मिला होता है। असल में वे ही लोग अच्छे उपन्यास-लेखक हो सकते हैं जो कहानी-पन के जानकार हैं और शुरू से अन्त तक श्रोता की उत्सुकता बनाये रखने की कला के उत्ताद हैं।

63. कोई भी कहानी हो—यहाँ 'कहानी' नामक साहित्यिक रचना से मत-लब नहीं है, बल्कि लोकप्रचलित मामूली ग्रन्थ में व्यवहार हो रहा है—उसमें छः बातें जरूरी हैं :

(1) वह कुछ प्राणियों के जीवन की घटना होती है; (2) इन लोगों का सम्बन्ध कुछ घटनाओं या व्यापारों से रहता है; (3) जिनके जीवन की कथा सुनायी जा रही है वे आपस में, और कभी खुद अपने से भी, बातचीत जरूर करते हैं; (4) कथा को घटना किसी-न-किसी स्थान और किसी-न-किसी काल में जरूर पटती है; (5) फिर कहनेवाले का अपना कोई-न-कोई ढंग जरूर रहता है। कोई भी कहानी हो ये पांच बातें उसमें रहती है, यह तय है।

एक छठी बात भी है जो आजकल उपन्यास में प्रधान हो उठी है। पुराने जमाने में सब समय इसका रहना जरूरी नहीं समझा जाता था। यह (6) छठी बात है उद्देश्य। उपन्यास में जो छः बातें रहती हैं, उन्हें शास्त्रीय भाषा में क्रमशः (1) पात्र, (2) कथा-वस्तु, (3) कथोपकथन, (4) देशकाल, (5) शैली, और (6) उद्देश्य कहते हैं।

उपन्यास के इन तत्त्वों में से कभी-कभी एक या दो तत्त्व प्रधान हो जाते हैं। उनकी प्रधानता के अनुसार उपन्यासों के भिन्न भेद हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, जिन उपन्यासों में पात्रों की प्रधानता होती है वे चरित्रप्रधान और जिनमें घटना की प्रधानता होती है उन्हें घटनाप्रधान उपन्यास कहते हैं। अन्यान्य बातों की प्रधानता भी उनके नाम पर ही प्रसिद्ध होती है। यदि हम तत्त्वों पर ध्यान देकर विचार करें तो मालूम होगा कि घटना इन सबमें स्थूल वस्तु है और उद्देश्य सबसे सूक्ष्म। इन बातों का अलग-अलग सुन्दर निर्वाह उपन्यासकार का आवश्यक गुण है, परन्तु इन सबके सामंजस्य से ही उपन्यास की कथा मनोहर होती है। इनके उचित सन्निवेश से ही उपन्यास का रसास्वाद सुकर होता है।

64. कथा-वस्तु का ठोस और सुसम्बद्ध होना परम आवश्यक है। कथा की गति को अग्रसर करने के लिए और उसके पात्रों की मनोवृत्ति को स्पष्ट करने के लिए जितना आवश्यक है उससे कुछ भी अधिक होने से घटनागत श्रीचित्य नष्ट हो जाता है। उद्देश्य-विशेष की सिद्धि के लिए लेखक कभी-कभी ऐसी घटनाओं की योजना करता है जो कथा-वस्तु के ठोसपन की दृष्टि से एकदम अनावश्यक और अप्रासादिक होती है। 'प्रेमाश्रम' में सनातन धर्म-सभा का भड़कीला अधिवेशन

कोई बहुत सावश्यक नहीं था, वह नों सिफे जमीदारी-प्रधा की नसंक-रेता दो और भी गाठ बना देने के उद्देश्य से निराय गया था। उसको निराय देने से मूल न चा ना। ई विशेष नुसगान नहीं होगा। परन्तु सेसाह को जमीदारी-प्रधा और बकानन के गने को बुग मिल करने का माहौ पा और ये इन सभ्ये प्रसान्नों को धोड़ नहीं सके।

मूल कथा को उच्चवन स्पष्ट में प्रन्याय कराने के लिए कभी-कभी प्रत्यक्षार प्रवान्तर पटनाधों को सृष्टि करता है। ये प्रवान्तर पटनाएँ दो प्रकार से मूलकथा को उच्चवन और गणितीय बनाती हैं (1) यहायक के स्पष्ट में या (2) विरोधी के स्पष्ट में। सुर्यो और वानि का भगवा 'रामायण' को मूल कथा को प्रसर करने में सहायता है, परन्तु 'गोदान' में होरी की कहानी के साथ रावसाहृष्ट प्रादि उच्चवन वर्ण के नोंदों का जो गमानान्तर पटना-प्रवाह चलाया गया है, यह इस-निया कि किमान के जीवन को उगके एकदम प्रतिकूल जीवन की पृष्ठभूमि में रखकर और भी उच्चवन स्पष्ट में दिखाया जा सके।

पटनागत ग्रौचित्य का नकाजा है कि अवान्तर पटनाएँ इस प्रकार मूल पटना के साथ बुन दी जायें कि पाठक को कही भी सन्देह न होने पाये कि वह दूसरी कथा भी पढ़ रहा है। 'रमभूमि' एक तरफ गुरदास प्रादि प्रामोज पात्रों की कहानी है और दूसरी तरफ राजे और रामीं को। परन्तु सेसाह ने बड़ी मुस्तंदी से दोनों कथा-वस्तुओं को एक-दूसरे से उलझा दिया है। 'गोदान' को कथा-वस्तु में इतनी सफाई नहीं है। इस प्रकार यद्यपि उद्देश्य की सिद्धि के लिए लेखक को बहुत-कुछ कराने का साधन और अधिकार प्राप्त है, परन्तु पटनागत ग्रौचित्य का निर्वह भी कम जयानदेही का काम नहीं है।

65 ग्रौचित्य उपन्यास की जान है। ग्रौचित्य का अभाव सर्वंग स्थिरता है, पर उपन्यास में उसका अभाव तो बहुत अधिक स्थिरतावाला होता है। पात्रों के चरित्र-चित्रण में, उनकी वातचीत में, उनके वस्थालकारों के वर्णन में, उनकी रीति-नीति के उपस्थापन में सर्वंग ग्रौचित्य की आवश्यकता होती है। सर्वंग यह आवश्यक है कि उपन्यासकार पूरी ईमानदारी और सच्चाई से काम के। इन सब बातों में देश, काल और पात्र के ज्ञान की आवश्यकता रहती है। ऐतिहासिक उपन्यास लिखनेवाला लेखक उस काल के वातावरण से बोधा होता है। वह कोई भी ऐसी बात अगर लिख दे, जो उस जमाने में सम्भव नहीं थी तो वात खटक जायगी और सहृदय पाठक के रसास्वाद में बगधा उपस्थित होगी।

एक प्रसिद्ध उपन्यासकार ने पठानकाल की एक पटना को आश्रय करके उपन्यास लिखा है। उसमें अमरुद के पेड़ों का वर्णन है। यह बात काल-विरुद्ध है; वयोंकि अमरुद का पेड़ योरुंगीजो का ले आया हुआ है। उनसे पहले वह इस देश में था ही नहीं। उपन्यास का एक पात्र खाट पर लेटे-लेटे पुस्तक पढ़ता है, यह भी काल-विरुद्ध बात है। उन दिनों न तो धारे की कल के कारण आधुनिक दृग के उपन्यास ही थे, न पुड़ोवाली पुस्तके ही थी, और न लेटे-लेटे पढ़ने की प्रथा ही-

थी। उन दिनों खुले पत्रों की पुस्तकों का ही प्रचलन अधिक था। इसी प्रकार देश-विश्व बातें भी खटकनेवाली होती हैं।

एक लेखक ने उत्तर-भारत के नगरोद्यान के वर्णन-प्रसंग में वसन्त-ऋतु में शेफालिका-पुष्पो का वर्णन किया है। दक्षिण-भारत में तो सुना है, वसन्त में शेफालिका लिलती है, पर उत्तर-भारत में यह बात साधारणतः नहीं दिखती। पात्रगत औचित्य के निर्वाह में प्रायः प्रमाद का परिचय पाया जाता है। कभी-कभी बड़े-बड़े सम्मानों के मुँह से ऐसी बातें कहलवायी जाती हैं जो न उनकी पद-मर्यादा के उपयुक्त होती हैं, और न चरित्र-विकास के। इस औचित्य-निर्वाह के लिए परम आवश्यक है कि उपन्यास-लेखक अपने देश और काल का पूरा जानकार हो, और पात्रों के चरित्र-विकास का समझनेवाला हो। वह जो कुछ कहे, उसका देखा-जांचा और अनुभव किया हुआ हो। ऐतिहासिक उपन्यास-लेखक की ईमानदारी की भी यह कसीटी है।

कहा जा सकता है कि ऐतिहासिक उपन्यास-लेखक प्राचीन काल की बातों को स्वयं कैसे देख सकता है। उत्तर यह है कि ऐतिहासिक लेखक का वक्तव्य इतिहास की उत्तम जानकारी तथा उस युग की प्रामाणिक पुस्तकों, मुद्राओं और शिलालेखों के आधार पर जाँची हुई होनी चाहिए। ऐतिहासिक उपन्यास का लेखक मृत घटनाओं और अर्द्धज्ञान या नाममात्र से परिचित व्यक्तियों के कक्षाल में प्राण-सचार करता है। कल्पना उसका प्रधान अस्त्र है। उस पर कल्पना के साथ उसकी जानकारी का सामंजस्य होना चाहिए। अपर उसकी कल्पना के पोषक प्रमाण प्रामाणिक नहीं हुए तो रसास्वाद में पद-पद पर बाधा पहुँचेगी। इस प्रकार विषयगत औचित्य और विपरियगत ईमानदारी उपन्यास की जान है। ये ही लेखक पर पाठक का विश्वास स्थिर करते हैं। जो उपन्यास-लेखक पाठक का विश्वास नहीं अर्जन करता, वह कभी सफल नहीं हो सकता।

लेखक की ईमानदारी का एक उत्तम उदाहरण सुभद्राकुमारी चौहान की कहानियों के स्त्री-पात्र है। इनकी कहानियाँ बहुओ—विशेषकर शिक्षित बहुओ—के दुःखपूर्ण जीवन को लेकर लिखी गयी हैं। उन्होंने किताबी ज्ञान के आधार पर या सुनी-सुनायी बातों का आश्रय करके कहानियाँ नहीं लिखी, वल्कि अपने अनुभवों को ही कहानी के रूप में रूपान्तरित कर दिया है। यही कारण है कि उनके स्त्री-पात्रों का चरित्र-चित्रण अत्यन्त भार्मिक और स्वाभाविक हुआ है। उनसे परिचय पाकर हम सजीव प्राणियों के संसर्ग में आते हैं, जो अपने जीवन के उन पहलुओं से हमारा परिचय कराते हैं, जिन्हे हम बहुत कम जानते हैं। उस ईमानदारी के कारण ही उनके पात्र इतने प्रभावशाली हो सके हैं।

66. उपन्यासकार के पात्रों की सजीवता और स्वाभाविकता सदा अपेक्षित है। पाठकों को उनके संसर्ग में आते समय यह विश्वास बना रहना चाहिए कि वे सत्य हैं, कपोल-कल्पित नहीं। प्रेमचन्द को ‘कल्पना के गढ़े हुए आदमियों’ में विश्वास नहीं था। उन्होंने लिखा है कि इन गढ़े हुए पात्रों के कार्यों और विचारों से

हम प्रभावित नहीं होते। हमें इसका निश्चय हो जाना चाहिए कि लेखक ने जो सृष्टि की है वह प्रत्यक्ष अनुभवों के आधार पर की गयी है, या अपने पात्रों की जवान से वह खुद बोल रहा है। इसीलिए कुछ समालोचकों ने साहित्य को लेखक का जीवन-चरित्र कहा है। आजकल का लेखक कहानी लिखता है; पर वास्तविकता का ध्यान रखते हुए; मूर्ति बनाता है, पर ऐसी जिसमें सजीवता हो; वह मानव-प्रकृति का सूक्ष्म दृष्टि से अवलोकन करता है, मनोविज्ञान का अध्ययन करता है और इस बात का प्रयत्न करता है कि उसके पात्र हर हालत में और हर मौके पर इस प्रकार आचरण करें जैसे रक्त-मास का मनुष्य करता है।

पात्रों का चारित्रिक विकास स्वाभाविक होना चाहिए। साधारणतः दो तरह से उपन्यास-लेखक अपने पात्रों के चरित्र का विकास करता है : (1) घटनाओं से टक्कर लिलाकर, और (2) पात्र के भीतर के स्वाभाविक अंकुर के विशेष गुण को निमित्त बनाकर (दे. 87)। प्रथम को बाह्य उपकरणमूलक विकास कहते हैं और दूसरे को आन्तरिक उपकरणमूलक। दूसरे प्रकार का विकास ही स्वाभाविक और हृदयग्राही होता है। घटिया श्रेणी के लेखक प्रायः इस विषय में असफल सिद्ध होते हैं। उपन्यास का नायक ही जब समस्त घटनाओं में योग स्थापित कर रहा हो और उन घटनाओं का आपस में कोई सम्बन्ध न हो तो ऐसे कथानक को शिथिल कथानक कहते हैं; परन्तु यदि घटनाएँ जीवन्त रूप में एक दूसरे से गुणी हों तो उस कथानक को संग्रस्त कहते हैं।

67. कुछ उपन्यासकार आत्म-कथा की शैली पर उपन्यास लिखते हैं, कुछ डायरी के रूप में, कुछ चिट्ठियों के रूप में, कुछ बातचीत के रूप में और कुछ पूर्व-पर रूप में कहानी को कह जाने के रूप में। सर्वंत्र औचित्य का ध्यान रखना आवश्यक है। आत्म-कथा या डायरी के रूप में लिखनेवाले पर केवल नायक की जानी हुई वातों के सहारे उपन्यास-गत औत्सुक्य बनाये रखने तथा रस-परिपाक कराने की जिम्मेदारी होती है। उसे कथा-प्रवाह के बड़ाव के लिए बड़ी सावधानी से ऐसी नयी-नयी घटनाओं का उल्लेख करना पड़ता है, जो पाठक की जानकारी में सम्भव हों। चिट्ठियों और बातचीत के रूप में लिखे गये उपन्यासों में लेखक को कुछ अधिक सुविधा प्राप्त होती है, पर बन्धन वहाँ भी होता है। सबसे सहज शैली है उपन्यासकार का सर्वंज्ञ बन जाना। दुनिया के बड़े-बड़े उपन्यासकारों ने अधिक-तर इसी शैली को अपनाया है। उपन्यासकार वहाँ सब जानता है—पात्र के भीतर क्या घट रहा है, उसके सम्बन्ध में आनेवाले क्या और कितना समझ रहे हैं, बाहर क्या घट रहा है इत्यादि सभी बातें उसे मालूम होती हैं। परन्तु सर्वंज्ञता की जवाबदेही के कारण उसका कार्य बड़ा कठिन होता है। जो शैली सबसे सहज है उसमें औचित्य का निर्वाह सबसे कठिन है।

68. अपने उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए लेखक सारी घटनाओं का सल्लिखन करता है, पात्रों के चरित्रों को अभीष्ट दिशा में विकसित होने देता है, उनमें बातचीत कराता है और शैली-विशेष का आधयत सेता है। कभी-कभी वह जित

उद्देश्य को लेकर लिखने वैठता है, अन्त तक तिद्ध नहीं होता। 'प्रेमाधम' में लेखक का उद्देश्य प्रेम और ध्रातृ-भाव के महान् आदर्श को भक्ति करना जान पड़ता है। प्रन्यकार ने इसी उद्देश्य से कहानी का भित्तिस्थापन किया था और चरित्रों की योजना की थी, पर अन्त तक जाकर यह उद्देश्य दब गया है और एक दूसरा प्रतिपाद्य प्रवल हो गया है। यह दूसरा उद्देश्य है जमीदारी-प्रथा की अनिष्टकारिता। लेखक का भावात्मक आदर्श गौण हो गया है और अभावात्मक आदर्श प्रधान।

69. उपन्यास के भिन्न-भिन्न तत्त्वों का अलग-अलग और मिलाकर भी किया हुआ सूक्ष्म चित्रण और सफलतापूर्वक निर्वाह ही उपन्यास को बड़ा नहीं बना देता, बड़ा बनाती है उद्देश्य की महत्ता और उसकी सफल सिद्धि। सब तत्त्व मिलकर पाठक के ऊपर जिस प्रभाव की सृष्टि करते हैं, उस प्रभाव के माप पर ही उपन्यास का महत्त्व निर्भर है। घटना, पात्र, कथोपकथन और जैली आदि का सफल निर्वाह उस प्रभाव की अपेक्षा में ही उत्तम हो सकता है। कई उपन्यास-लेखकों की कृतियों में इन तत्त्वों का जोरदार सन्निवेश है, फिर भी उनसे पाठक के चित्त पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। वे मानव-जीवन की सढ़ीध और गन्दमी को मोहक बनाकर रखते हैं और इस प्रकार पाठक को एक प्रकार की गन्दी शराब पिलाकर मोहग्रस्त कर देते हैं। यह वस्तु कभी बड़ी नहीं हो सकती। भोजन की उत्तमता की कसीटी केवल परिपाक, सुगन्धि और द्रव्यों का सन्निवेश भाव नहीं, और न खूब सुस्वादु होना ही उसकी कसीटी है। भोजन अच्छा वह है, जो इन सारे गुणों के साथ-ही-साथ मनुष्य को स्वस्थ और सबल बनाये। जो भोजन परिणाम में मोहग्रस्त कर देता है या रोगी बना देता है या मृत्यु का शिकार बना देता है, उसे अच्छा-भोजन नहीं कह सकते। बुरे प्रभाववाला उपन्यास भी ऐसा ही है। मानव-जीवन की गन्दगियों को मोहक और आकर्षक करके चित्रण करने-वाले उपन्यास विपक्ष भोजन के समान धातक हैं। सुप्रसिद्ध पत्रकार पं. बनारसी-दास चतुर्वेदी ने ऐसे उपन्यासों को 'धासलेटी साहित्य' नाम दे रखा है।

70. प्रश्न हो सकता है उद्देश्य की महत्ता की परख क्या है। मनुष्य का चरित्र जिस रूप में आज परिणत हुआ है उसके कई कारण हैं। नाना मनीषियों ने इसे नाना रूप में समझने-समझाने की चेष्टा की है। अपने विशेष दृष्टिकोण का समर्थन तब तक नहीं किया जा सकता जब तक पूर्ववर्ती दृष्टिकोण से उसकी श्रेष्ठता न प्रमाणित कर ली जाय। इस प्रकार पूर्वमत को निरस्त करके नये मत के स्थापित करने का नियम है। उपन्यास-लेखक दार्शनिक पण्डित के इस नियम को नहीं मानता; पर जीवन के प्रति उसका जो विशेष दृष्टिकोण है उसे वह कौशलपूर्ण ढग से स्थापित करते समय उस विशेष दृष्टिकोण के प्रति उपेक्षा का भाव पैदा कर देता है जो उसका अभिप्रेत नहीं है। इस कार्य को वह बड़ी सावधानी से करता है। हिन्दी में प्रेमचन्द्रजी इस कला के उत्ताद थे। उनकी कहानियों में जीवन को समझने की अनेक दृष्टियाँ मिलेगी। अपने जीवन में उन्होंने मानव-जीवन को समझने के लिए दृष्टिकोण बदले भी है, पर पुरानी दृष्टि-मूँ।

की गलती दिखाने के बाद ही। 'कफ़न' नामक कहानी इस बात का एक उत्तम उदाहरण है। उसके पढ़ने से जीवन की व्याख्या करनेवाले अनेक मत निस्तार प्रतीत होते हैं। जान पड़ता है कि लेखक ने उन व्याख्याओं को सामने रखकर ही कहानी लिखी है।

धार्मिक व्याख्या यह है कि भगवान् संसार को एक सामजस्यपूर्ण व्यवस्था में रखने के लिए सदा प्रयत्नशील हैं। जो कोई भी जीव, जहाँ-कही भी, जिस-किसी रूप में दिख रहा है, वह उसी रूप में वहाँ आने को वाध्य था। सब-कुछ किसी अदृष्ट शक्ति द्वारा पूर्व निर्णीत है—पाप और पुण्य, धर्म और कर्म, जैव और नीच—सब। दूसरी एक व्याख्या एक प्रकार के नास्तिकों की है। प्रसिद्ध फेंच पण्डित टेन इस मत का पोषक बताया जाता है कि जो कुछ भी, जहाँ-कही भी, जिस-किसी रूप में दिख रहा है वह तीन कारणों से हुआ है—जातिगत विशेषता के कारण, भौगोलिक, सामाजिक आदि परिस्थितियों के कारण और ऐतिहासिक परम्परा के भीतर से आने के कारण (दे. 12-13)। इन तीनों बातों को अलग-अलग एकमात्र कारण मानकर भी जीवन की व्याख्याएँ की गयी हैं। एक प्रकार के पण्डित हैं जो स्वीकार करते हैं कि भौगोलिक परिस्थिति ही हमारे समस्त विधि-निवेद, आचार-विचार और दर्शन-काव्य के मूल में हैं। एक दूसरे पण्डित समस्त सद्गुणों और असद्गुणों के कारण आर्थिक परिस्थितियों में खोजते हैं। उनके मत से आर्थिक सुविधा या असुविधा ही सामाजिक, धार्मिक और मानसिक विधान-शृंखला के बास्तविक मूल है। 'कफ़न' में इस दृष्टिकोण की ही प्रधानता है। धार्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण की प्रधानता इस कहानी में कुछ इस प्रकार उपस्थित की गयी है कि मध्यमवर्ग की बहु-विधोपित करणा और प्रेम की कोमल भावनाओं का कोमलपन अत्यन्त खोखला होकर प्रकट हुआ है।

उत्तम लेखक समाज की जटिलताओं की तह में जाकर उसे समझता है और वहाँ से अपनी विशेष दृष्टि पाता है! यदि कोई लेखक केवल परम्परागत रुद्धियों को—सत् और असत् की निर्धारित सीमाओं को—विना विचारे ही उपन्यास या कहानी लिखने वैठता है तो वह वड़ी कृति नहीं दे सकता। उसे हमेशा जटिलताओं को चौरकर भीतर देखने का व्रत लेना पड़ता है। ऐसा करने के बाद यदि वह रुद्धियों को ही सत्य समझे तो कोई हज़ं नहीं, परन्तु सचाई उसकी अपनी भाँति देखो होनी चाहिए। इसके बिना वह वड़ी कृति नहीं पैदा कर सकता। साधारण पाठक भी इस कसीटी पर उपन्यास-लेखक के उद्देश्य और जीवन के प्रति उसकी विशेष दृष्टि-भंगी की महत्ता समझ सकता है।

71. धंपते उद्देश्य की रिद्धि के लिए भी सेसक अपनी तरफ से काट-छाँट और कमी-वेशी करके मानव-नरित्र को हमारे सामने रखते हैं। यात यह है कि कोई कितना भी व्योरेवार जीवन को उपस्थिति करने का यत्न वयों न करें, उमे बहुत-जो बातें छोड़नी ही पड़ेंगी। किंगी धादमी के जीवन में एक दिन में नितने प्रयत्न प्रोत्ता ए होनी है उनको विषि-बद्ध करने में पोथा तंयार हो

सकता है : इसलिए लेखक अपने विशेष उद्देश्य की सिद्धि के लिए और कथा को प्रवाहशील तथा मनोरंजक बनाये रखने के लिए जितना भी आवश्यक है, उतना ही अंश लिपिबद्ध करता है, वाकी जो तुच्छ है, जो अनायास-ग्राह्य है, जो उबा देनेवाली है, और जो अनावश्यक है, उन्हें छोड़ देता है। प्रश्न किया गया है कि क्या ऐसा करने का उसे अधिकार है ?

एक श्रेणी के साहित्यिक हैं जो चरित्रों में काट-झाट और सजाव-बनाव को दोष समझते हैं। ये लोग यथार्थवादी कहलाते हैं। ये लोग मानव-चरित्र को उसके नगन रूप में—यथात् उसे बनाये-सजाये बिना—जैसा है वैसा ही रूप रख देने के पक्षपाती हैं। उनके चरित्रों का प्रभाव पाठक पर बुरा पड़ेगा या भला, इसकी बे परवाह नहीं करते। उनके चरित्र अपने जीवन की कमजोरियाँ और भजवृत्तियाँ, दोष और गुण, अमृत और विष दिखाते हुए अपनी जीवन-लीला समाप्त कर देते हैं। संसार में स्पष्ट ही दिखता है कि सब समय सत्कर्मों का फल शुभ ही नहीं होता और असत् कर्मों का फल अशुभ हो नहीं होता, इसलिए इन यथार्थवादी साहित्यिकों के चरित्र अच्छा काम करके भी ठोकरें खाते रहते हैं, और अपमानित-साधित हीते रहते हैं। अपने अनुभवों के बल पर यथार्थवादी ने देखा है कि संसार में बुरे चरित्रों की ही अधिकता है और अच्छे-से-अच्छे समझे जानेवाले चरित्र में भी दाग होता है। इसलिए यथार्थवाद मनुष्य के चरित्र को उसके नगन रूप में उपस्थित करता है। प्रेमचन्द ने यथार्थवादी के इन गुणों को ध्यान में रखकर यह निष्कर्ष निकाला था कि यथार्थवाद हमें निराशावादी बना देता है। वह हमारी विषमताओं और खामियों का नंगा प्रदर्शन है। वह मानव-चरित्र पर से हमारा दिशास उठा देता है और पाठक को ऐसा बना देता है कि उनको चारों ओर बुराई-ही-बुराई दिखायी देने लगती है। परन्तु उन्हें भी इसमें सन्देह नहीं कि समाज को कुप्रथा को दिखाने के लिए यथार्थवाद अत्यन्त उपयुक्त है; क्योंकि इसके बिना बहुत सम्भव है कि हम उस बुराई को दिखाने के लिए अत्युक्ति से काम ले और चित्र को उससे कही काला दिखायें, जितना कि वह बास्तव में है, लेकिन जब वह नुरंतराद्यों के चित्रण में शिर्टता की सीमा लाँघ जाता है, तब आपत्ति-जनक हो जाता है।

इस दल आदर्शवादी कहलाता है। वह ऐसे चरित्रों की सूचि करना पसन्द करता है जो दुनिया की कमजोरियों से ऊपर होते हैं, जो प्रलोभनों से डिगते नहीं और जिनकी सरलता दुनियादारी और कूट-बुद्धि से हारकर भी पाठक को उन्नत बनाती है। आदर्शवादी यह नहीं मानता कि मनुष्य में छोटा अहंभाव है, जो उसे आहार, निद्रा आदि पशु-सामान्य प्रवृत्तियों की गुलामी करते को ही प्रशीघ्रत करता है, या जो सारी दुनिया को वचित करके अपने को ममृद बनाने में रस पाता है, वही बास्तव या यथार्थ है। उसके मत से मनुष्य का मच्चा मनुष्यत्व उसका आत्मत्याग है, सत्यनिष्ठा है, कर्त्तव्यपरायणता है, और इसी को वह बड़ा करके चिपित करता है। वह कठिन-से-कठिन कष्ट की हालत में भी अपने आदर्श पाय

के चेहरे पर शिकन नहीं पड़ने देता ।

72. यथार्थवाद के साथ रोमांस की भी तुलना की जाती है। 'रोमास' शब्द अंग्रेजी का है। साहित्य में इसका प्रयोग दीर्घकाल से होता रहा है, इसलिए इस शब्द से जो कुछ समझा जाता है उसमें बहुत परिवर्तन भी होता रहा है। साधारणतः रोमास उन साहस और प्रेम-मूलक कथाओं को कहा जाता है जो भारतीय साहित्य में गद्यकाव्य की थेणी में आते हैं (द. 79.)। यही कारण है कि अंग्रेज पण्डितों ने 'कादम्बरी', 'दशकुमार-चरित' आदि को भारतीय रोमास कहा है। रोमास में कल्पना का प्रावल्य होता है और उसमें एक ऐसे वातावरण का निर्माण किया जाता है, जो इस वास्तविक दुनिया की जटिलताओं से मुक्त रहता है पर जहाँ मनुष्य के मनोराग वैसे होते हैं, जो इस दुनिया के होते हैं।

वस्तुतः रोमांस का वातावरण काव्यमय होता है और उसमें कल्पना और भावावेग का प्राधान्य होता है। यथार्थवाद के यह ठीक विस्तृद दिशा में जाता है। आदर्शवाद के साथ यथार्थवाद का अन्तर उद्देश्यगत है, परन्तु रोमास के साथ -उसका विरोध प्रकृति-गत है। किसी पश्चिमी पण्डित ने रोमांस के मूल में जो सत्य है उसकी तुलना काव्यगत सत्य से की है। यथार्थवाद तथ्य-जगत् के बाहर की चिन्ता नहीं करता। रोमास मनुष्य के चित्त की उस वास्तविक मनोवाच्चा से उत्पन्न है जो चिरन्तन है और सत्य है। काव्यगत सत्य ही रोमास का भी सत्य है, क्योंकि रोमास वस्तुतः गद्यकाव्य है।

72 क. भारतवर्ष के साहित्यिक इतिहास में एक समय आया है जब रोमास की मनोवृत्ति प्रबल रूप में प्रकट हुई थी :

सातवी-आठवी शताब्दी से इस देश में ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम पर काव्य लिखने की प्रथा खूब चली। इन्हीं दिनों ईरान के साहित्य में भी इस प्रथा का प्रवेश हुआ। इस काल में उत्तर-पश्चिमी सीमान्त से बहुत-सी जातियों का प्रवेश इस देश में होता रहा। वे राज्य-स्थापन करने में भी समर्थ हुईं। पता नहीं कि उन जातियों की स्वदेशी प्रथा की क्या-क्या वातें इस देश में चली। साहित्य में नये-नये काव्य-रूपों का प्रवेश इस काल में हुआ अवश्य। सम्भवतः ऐतिहासिक पुरुषों के नाम पर काव्य लिखने या लिखाने का चलन भी उनके संसर्ग का फल हो। परन्तु भारतीय कवियों ने ऐतिहासिक नाम-भर लिया, जैसी उनकी वही पुरानी रही जिसमें काव्य-निर्माण की ओर ध्यान ध्यान या, विवरण-संग्रह की ओर कम; कल्पनाविलास का ध्यान या, तथ्यनिष्पण का कम; सम्भावनाओं की ओर ध्यान रुचि थी, घटनाओं की ओर कम; उल्लिखित मानन्द की ओर ध्यान मुकाय या, यिलसित तथ्यावनी की ओर कम। इस प्रकार इतिहास को कल्पना के हाथों परास्त होना पड़ा। ऐतिहासिक तथ्य इन काव्यों में कल्पना को उकसा देने के माध्यन मान सिये गये हैं। राजा का विवाह, शत्रु-विजय, जल-क्रीड़ा, मौल-वन-विहार, दोसा-विलास, नृश्य-गान-प्रीति— ये सब वातें ही प्रसुर हो चुकी हैं। याद में क्रमशः इतिहास का धंन कम होता गया और सम्भावनाओं का जोर बढ़ता

माया। राजा के शवु होते हैं, उनसे मुद्द होता है। इतिहास की दृष्टि में एक मुद्द हुआ, और भी तो हो सकते थे। कवि सम्भावना को देखेगा। राजा के एकाधिक विवाह होते थे। यह तथ्य अनेकों विवाहों की सम्भावना उत्पन्न करता है, जल-कोड़ा और बन-विहार की सम्भावना की ओर संकेत करता है और कवि को प्रपनी कल्पना के पंख खोल देने का अवसर देता है। उत्तरकाल के ऐतिहासिक राष्ट्रों में इसकी भरमार है। ऐतिहासिक विद्वान् के लिए संगति मिलाना कठिन हो जाता है।

**वस्तुतः** इस देश की साहित्यिक परम्परा में इतिहास को ठीक आधुनिक अर्थ में कभी नहीं लिया गया। बराबर ही ऐतिहासिक व्यक्ति को पीराणिक या काल्पनिक कथा-नायक जैसा बना देने को प्रवृत्ति रही है। कुछ में दैवी शक्ति का आरोप करके पीराणिक बना दिया गया है—जैसे राम, मुद्द, कृष्ण आदि—और कुछ में काल्पनिक रोमास का आरोप करके निजन्धरी कथाओं का आशय बना दिया गया है—जैसे उदयन, विक्रमादित्य और हाल। जायसी के रतनसेन और रासो के पृथ्वीराज में तथ्य और कल्पना का—फैक्ट्स और फिक्शन का—अद्भुत योग हुआ है। कर्मफल की अनिवार्यता में, दुर्भाय और सौभाग्य की अद्भुत शक्ति में और मनुष्य के अपूर्व शक्तिभाण्डार होने में दृढ़ विश्वास ने इस देश के ऐतिहासिक तथ्यों को सदा काल्पनिक रंग में रंगा है। यही कारण है कि जब ऐतिहासिक व्यक्तियों का भी चरित्र लिखा जाने लगा तब भी इतिहास का कार्य नहीं हुआ। अन्त में रचनाएँ काव्य ही बन सकी, इतिहास नहीं। फिर भी निजन्धरी कथाओं से वे इस अर्थ में भिन्न थी कि उनमें बाह्य तथ्यात्मक जगत् से कुछ-न-कुछ योग अवश्य रहता था, कभी-कभी मात्रा में कभी-बेशी तो हुआ करती थी पर योग रहता अवश्य था। निजन्धरी कथाएँ अपने-आपमें ही परिपूर्ण होती थीं।

**72 ख.** जिस प्रकार भारतीय कवि काल्पनिक कथानकों में ऐसी घटनाओं को नहीं आने देता जो दृख्य-परक विरोधों को उकसायें, उसी प्रकार वह ऐतिहासिक कथानकों में भी करता है। सिद्धान्ततः काव्य में उस वस्तु का आना भारतीय कवि उचित नहीं समझता जो तथ्य और औचित्य की भावनाओं में विरोध उत्पन्न करे, दृख्योद्वेचक विषय परिस्थितियो—ट्रिजिक कट्रोडिवशंस—की मृष्टि करे; परन्तु वास्तव जीवन में ऐसी वाते होती हो रहती हैं। इसलिए इतिहासाधित काव्य में भी ऐसी वातें आयेंगी। वहुत कम कवियों ने ऐसी घटनाओं की उपेक्षा कर जाने की बुद्धि से अपने को मुक्त रखा है। यही कारण है कि इन ऐतिहासिक काव्यों के नायक को धीरोदात बनाने की प्रवृत्ति प्रवल हो गयी है; परन्तु यास्तविक जीवन के कत्तंव्य-दृढ़, आत्म-विरोप और आत्म-प्रतिरोध जैसी वातें उसमें नहीं था पाती। ऐसी वातों के न आने से इतिहास का रस भी नहीं या पाता और कथा-नायक कल्पित पात्र की कोटि में आ जाता है। फिर, जीवन में कभी हास्यो-द्वेचक भनमित स्वर भी मिल जाते हैं। सस्तृत-काव्य का कर्ता कुछ प्रथिक गम्भीर रहने में विश्वास करता है और ऐसे प्रसंगों को धोइ जाता है। ऐसे प्रनयों

को तो वह भरसक नहीं आने देना चाहता जहाँ कथा-नायक के नैतिक पतन की सूचना मिलने की आशका हो। यदि ऐसे प्रसंगों की वह अवतारणा भी करता है, तो घटनाओं और परिस्थितियों का ऐसा जाल तानता है जिसमें नायक का कर्तव्य उचित रूप में प्रतिभासित हो। सब मिलाकर ऐतिहासिक काव्य काल्पनिक निजन्धरी कथानको पर आश्रित काव्य से बहुत भिन्न नहीं होते। उनसे आप इतिहास के शोध की सामग्री संग्रह कर सकते हैं, पर इतिहास को नहीं पा सकते — इतिहास, जो जीवन्त मनुष्य के विकास की जीवन-कथा होता है, जो काल-प्रवाह से नित्य उद्धाटित होते रहनेवाली नव-नव घटनाओं और परिस्थितियों के भीतर से मनुष्य की विजय-यात्रा का चित्र उपस्थित करता है, और जो काल के परदे पर प्रतिफलित होनेवाले नये-नये दृश्यों को हमारे सामने सहज भाव से उद्धाटित करता रहता है। भारतीय कवि इतिहास-प्रसिद्ध पात्र को भी निजन्धरी कथानको की ऊँचाई तक ले जाना चाहता है। इस कार्य के लिए वह कुछ कथानक-हृदयों का प्रयोग करता है जो कथानक को अभिलपित दिशा में भोड़ देने के लिए दीर्घ-काल से प्रचलित हैं। इनसे कथानक में सरसता आती है और घटना-प्रवाह में एक प्रकार की लोच आ जाती है।

73. उपन्यासकार परिस्थितियों के सच्चे चित्रण से विमुख नहीं हो सकता, परन्तु उसका उद्देश्य केवल फोटोग्राफी नहीं है, वह कलाकार है। यथार्थवाद चित्रण का सिर्फ एक पहलू है। केवल सच्चा जीवन-चित्रण भी अपना नैतिक सन्देश रखता हो है। परन्तु सच्चा चित्रण होना चाहिए। बहुत-से लेखक यथार्थवाद के नाम पर समाज की उन मन्दगियों का ही चित्रण करते हैं जो समग्र रूप का एक नगण्य अंगमात्र है। यह यथार्थवाद नहीं हो सकता। यथार्थवाद भले की उपेक्षा करके बुरे के चित्रण को नहीं कहा जा सकता, किर वह चित्रण कितना भी यथार्थ क्यों न हो। इसी प्रकार उस चीज को आदर्शवाद नहीं कह सकते जो केवल हृदि-सम-पित सदाचार के उपदेश का नामान्तर है। उपन्यासकार का व्यक्तिगत उद्देश्य और भतवाद ठोस तथ्यों पर आधारित होता है। उसका प्रचारित नैतिक सन्देश इन तथ्यों से विच्छिन्न होकर कला के ऊँचे सिहासन से च्युत हो जाता है। जिस प्रकार समग्र रूप से विच्छिन्न चुरादृश्य अपना मूल्य दो देती है, उसी प्रकार समग्र से विच्छिन्न भले-भले उपदेश भी फीके हो जाते हैं। उपन्यास का उपदेश भी काव्य के प्रबं की भाँति व्याप्त होना चाहिए। वाच्य होने से उसका मूल्य कम हो जाता है। इसीलिए प्रेमचन्द्रजी ने कहा है कि पच्चां उपन्यास वह है जहाँ यथार्थवाद और यादवर्णवाद का उपनित गमन्य हो।

74. केरल यथार्थ चित्रण उपन्यास या कहानी को महान् नहीं बनाता। हिन्दी की एक प्रवित्त रसवित्री की कहानियों दूसने पर्दी हैं। उन कहानियों के द्वारा यह ही गप्पे और गतीय थे। इन पात्रों से परिचय पाने के बाद मनुष्य उद्गुर्ज गोपने-ममने वा घरगुर पाना है। परन्तु यिर भी उनकी शृणियों में गमन्य के दर्ता मिले एक नवारामक पूना वा भाव ही साप्त दुमा है। पाठक

यह तो सोचता है कि समाज किस प्रकार इन्धियों पर—विशेषकर शिक्षिता वहुओं पर—निर्दयता का व्यवहार कर रहा है, परन्तु उनके चरित्रों में कही भी वह भीतरी शक्ति या विद्रोह-भावना नहीं पायी जाती, जो समाज की इस निर्दयतापूर्ण व्यवस्था को अस्वीकार कर सके। कही भी वह मानसिक दृढ़ता नहीं पायी जाती, जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी दुःख पानेवाले को विजयी बना सके, जो स्वेच्छा-पूर्वक समाज को बलिवेदी पर बलिदान होने का प्रतिवाद कर सके। इसके बिरुद्द उनके चरित्र अत्यन्त निष्पाय-से होकर समाज की अग्नि-शिखा में अपने-आपको होम देते हैं, और चुपके से दुनिया की आँखों से ओम्ल हो जाते हैं।

सबाल यह नहीं है कि सचमुच ही ऐसा होता है या नहीं। सचमुच ही होता होगा। किन्तु सचमुच का बहुत-कुछ होना ही बड़ी बात नहीं है। एक जहाज तूफान में उलझता है। भयंकर संघर्ष के बाद डूब जाता है। हजारों आदमी 'हाय-हाय' करते हुए समुद्र के गर्भ में बैठ जाते हैं। इन मरनेवालों में जहाज का वह बीर कप्तान भी है जो अन्तिम क्षण तक अदम्य आशा और उत्साह ले कर अपनी सारी विद्या और बुद्धि के बल पर तूफान से जूझता रहा और निष्पाय यात्रियों को बचा लेने के लिए जान लड़ाता रहा। मरना कप्तान का भी सही है, और 'हाय-तोवा' भचानेवाले हजारों भी ही यथार्थ हैं। दोनों सचमुच ही हुए हैं और दोनों ही यथार्थ हैं। परन्तु एक यथार्थ मनुष्य में आशा और विश्वास पैदा करता है और दूसरा यथार्थ निराशा और भीरता। कोई भी लेखक जब दुनिया के लाख-लाख मनुष्यों में से किसी एक को चुनकर अपने ग्रन्थ का नायक बनाता है तो वह चुनता ही है। चुनाव तो उसे करना पड़ेगा। तो फिर वहों न ऐसे यथार्थ चरित्र चुने जायें जो यथार्थ में मनुष्य हों, मनुष्य की साल औड़े हुए कीड़े-मक्कड़े नहीं?

मेरे कहने का यह मतलब नहीं कि दुनिया के दुःख और अवसाद से आँख मूँद ली जाय। आँख मूँदनेवाला बड़ा लेखक नहीं हो सकता। परन्तु लेखक से यह आशा करना विल्कुल यसंगत नहीं है कि वह दुःख, अवसाद और कष्टों के भीतर से उस मनुष्य की सूटि करे जो पश्चिम से विशेष है, जो परिस्थितियों से जूझकर ही अपना रास्ता साफ करता आया है, जो सत्य और कर्तव्य-निष्ठा के लिए किसी की स्तुति या निन्दा की विल्कुल परवा नहीं करता। इन्हीं बातों से उपन्यास बड़ा होता है, काव्य महान् होता है, कहानी सफल कही जाती है।

75. ऐसा करना असम्भव नहीं है। शिवरानी देवों की कहानियों को उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है। 'आमू की दो बूँदें' ना भक्त कहानी इस विषय में पहले बतायी हुई कहानियों के विरोध में रखी जा सकती है। इस कहानी में नुरेन नामक युवक की घेवफाई कनक नामक लड़की के सर्वनाम का कारण नहीं हो जाती। कनक अपने लिए रास्ता खोज लेती है। यह रास्ता नेहर दर है। अन्न उसका प्रेम नकारात्मक होता—प्रथात् उसमें लोभ की जगह विराग, कांय के स्थान पर भय और प्रारम्भियों की जगह सन्देह, नामाजिकता के बदले एकान्तविष्टा

और संगमेच्छा की जगह ब्रीड़ा का उदय होता तो वह भी शायद आत्मघात कर लेती।

मनोविज्ञान के पण्डित मनुष्य के दो प्रकार के चरित्रों की बात बताते हैं : नकारात्मक या 'नेगेटिव' और धनात्मक या 'पॉजिटिव' । लोभ, क्रोध, आश्चर्य, सामाजिकता और संगमेच्छा धनात्मक गुण हैं और इनके स्थानों में क्रमशः विराग, भय, सन्देह, एकान्तनिष्ठा और ब्रीड़ा नकारात्मक । पहले विश्वास किया जाता था कि स्थिरों में नकारात्मक गुण अधिक होते हैं और पुरुषों में धनात्मक गुण । आधुनिक काल के प्रयोगों से इस विश्वास को बहुत अधिक जोर देने योग्य नहीं समझा जा सकता । यह माना जाने लगा है कि प्रत्येक मनुष्य में इन दोनों प्रकार के गुणों का मिथ्यण होता है । जिसमें धनात्मक गुण अधिक होते हैं उसी का चरित्र आशा और विश्वास का संचार करता है ।

वस्तुतः कोई भी लेखक एक व्यक्ति में केवल एक ही प्रकार के गुण दिखाकर आज के युग में पाठक का विश्वास-पात्र नहीं बना रह सकता, क्योंकि मनुष्य-चरित्र दोनों का मिश्रण है । मनोविज्ञान की प्रयोगशाला में यह बात सिद्ध हुई है कि कमजोर-चरित्र का आदमी जिस प्रकार के वलिष्ठ चरित्र के संसर्ग में आता है उसी प्रकार का हो जाता है । उपन्यास के जीवन्त और बलिष्ठ पात्र पाठकों के सहचर हैं । नाना विपत्तियों और कष्टों के भीतर से गुजरती हुई उनकी कर्तव्यनिष्ठा और सच्चा मनुष्यत्व पाठक को बल देता है, परन्तु उनकी इन्द्रियपरायणता, कूटबुद्धि और कुटिल कर्म पाठक को दुर्बल और निष्टसाह बना देते हैं । परिस्थितियों से आंख मूँदना आदर्शवाद नहीं है । वस्तुतः सच्चा आदर्शवादी सच्चा यथार्थवादी होता है, वह मनुष्य का मनुष्यत्व पहचानता है और प्राण-धर्म का रहस्य समझता है ।

76. शायद यह बात सुनने में आश्चर्यजनक मालूम दें कि मानवता के सच्चे स्वरूप और प्राण-धर्म को पहचाननेवाला लेखक यदि चरित्र-चिद्रण में घोटी-मोटी गलतियाँ भी करे तो भी वह वड़ी कृति दे सकता है । हम शुरू से ही इस प्रसंग में 'चित्रण' शब्द का व्यवहार करते आये हैं । यह शब्द चित्र बनाने की विद्या से लिया गया है; उपन्यास या कहानी के प्रसंग में इसका प्रयोग लाक्षणिक है । उपन्यास या कहानी में हमें जो मानव-जीवन प्राप्त होता है उसे हम चित्र की भाँति प्रत्यक्ष देखते हैं । इसीनिए वार-वार साहित्य में इस शब्द का प्रयोग होता है । यदि ऊपर की बात को हम चित्र की भाषा में कहने का प्रयत्न करें तो वह कुछ इस प्रकार होगी—किसी मनुष्य के चित्र में यदि उसके हाथ-पैर ठीक-ठीक चित्रित न हों और फिर भी यदि आदमी का प्राण-धर्म ठीक-ठीक चित्रित किया जा सका हो, तो चित्र वड़ी कृति बन सकता है ! ऊपर-ऊपर से यह कथन बड़ा विचित्र मालूम पड़ता है ! आदमी के हाथ-पैर दुरस्त नहीं और फिर भी वह चित्र बड़ा हो सकता है । मनुष्य का अन्यान्य जीवों से जो वंशिष्ट्य है वही मनुष्य का प्राण-धर्म है—धर्यात् उसी को धारय करके मनुष्य मनुष्य बना हूपा है । यदि

वह धर्म ठोक है तो यह कोई आवश्यक नहीं कि उसके अंग-प्रत्यंग ठोक ही हों—हों तो वहुत अच्छा, न हों तो कोई बात नहीं। जायसी कुरुप थे, सूरदास अन्धे थे, चौरंगीनाथ लैंगड़े थे; फिर भी कौन कहेगा कि ये सिद्ध पुरुष नहीं थे?

एक चित्र के उदाहरण से समझते पर यह बात ज्यादा आसान हो जायेगी। इस विषय में हम भारतवर्ष के थ्रेष्ठ शिल्पाचार्य थ्री नन्दलाल वसु महाशय के लेख से एक उदाहरण यहाँ संग्रह कर रहे हैं। वसु महाशय ने रवीन्द्रनाथ के चित्रों की आलोचना करते हुए एक बार कहा था कि उनके चित्र यथार्थ तो होते हैं, पर यथार्थवादी नहीं होते। जब वहुत-से पाठकों ने उनसे इस बात को स्पष्ट करने का अनुरोध किया तो उन्होंने लिखा :

“पश्चिमी देशों में चित्रणीय वस्तुओं का इतना सूक्ष्म अध्ययन हुआ कि एक शिल्पी-सम्प्रदाय वस्तु को जैसा वह है वैसा ही दिखाने पर अड़ गया। यही यथार्थ-वादिता (या ‘रियलिस्टिक’) है। किन्तु एक सिंह अकित करनेवाला चित्रकार सिंह के सभी अंगों और चेष्टाओं को अकित करके भी—अर्थात् सिंह की बनावट के प्रति पूर्ण ईमानदार रहकर भी—एक ऐसा सिंह बना दे सकता है जिसमें वह शौर्य, पराक्रम और अकुतोभय भाव नहीं आ सकता, जो सिंहत्व की जान है। उसका यह अंकित चित्र यथार्थवादी तो होगा, पर यथार्थ नहीं। दूसरी तरफ एक शिल्पी सिंह के अंगोपांगों के चित्रण में गलती करके भी यदि ऐसी सिंह-मूर्ति बना देता है, जिसे देखकर दर्शक के मन में सिंहत्व का भाव जाग उठे, तो वह यथार्थवादी न हो करके भी यथार्थ सिंह का अंकन होगा। रवीन्द्रनाथ इसी श्रेणी के शिल्पी थे।

77. “श्रीमत शिक्षित व्यक्ति को ऊपर की बात जरा अजीब लगेगी। सिंह की बनावट ठीक होने पर भी क्यों सिंह गलत हो गया और बनावट में गलती होने पर भी क्यों ठीक हो गया, यह बात ऊपर-ऊपर से पहली-जैसी लगती है। इस बात को यों समझा जाय :



“ऊपर के चित्रों में नं. 1 एक आधुनिक कलाकार का बनाया हुआ सिंह है।

इसमें सभी अग ठीक-ठीक चित्रित हुए हैं। इसलिए इसे 'रियलिस्टिक' कहा जा सकता है। चित्र नं. 2 एक बहुत पुराने असीसियन कलाकार का अकित सिंह है। इसका अग-विन्यास उतना यथार्थ नहीं है जितना प्रथम चित्र का है। फिर भी इसमें सिंहत्व पूर्ण मात्रा में विद्यमान है। इस चित्र को देखनेवाले के मन में सिंह-सम्बन्धी सभी गुण जाग्रत हो जाते हैं। इसीलिए यह 'रियलिस्टिक' न होकर भी 'रियल' है। ऐसा यह इसलिए हुआ है कि सिंहत्व का जो छन्द है वह इसमें वर्तमान है। यह 'छन्द' नं. 3 के चित्र में दिखाया गया है। अनेक परिस्थिम और अनुधावन के बाद कलाकारों ने इस 'छन्द' का आविष्कार किया है। यही वह अरूप (abstract) धर्म है जो वस्तु के विना भी सत्य है। रवीन्द्रनाथ के चित्रों में यह धर्म वर्तमान है। वह कभी वस्तु के साथ है और कभी वस्तु से अलग। इसी 'छन्द' की यथार्थता के कारण अनेक चित्र 'रियलिस्टिक' न होकर भी 'रियल' है।" (हिन्दी 'विश्वभारती पत्रिका', खड 1, अंक 1)

77 क. कला के क्षेत्र में यथार्थवाद किसी विशेष प्रकार की प्रकाशनभणिमा का नाम नहीं है, बल्कि वह ऐसी एक मानसिक प्रवृत्ति है जो निरन्तर अवस्था के अनुकूल परिवर्तित और छपायित होती रहती है और इसीलिए नाना प्रकार के कला-रूपों को अपनाने की अद्भुत क्षमता रखती है। यह स्वयं कारण भी है और कार्य भी है। वस्तुतः यह मनोवृत्ति उन सिद्धान्तों, मान्यताओं और भाव-प्रवण उद्देश्यों की अनुगमिनी होती है जो अवसर के अनुकूल विविध रूपों में अपने को प्रकाशित कर सकते हैं। मुश्किल से सौन्दर्य-निर्माण की कोई ऐसी आकाशा मिलेगी जो युक्तिसंगत परिणति तक ले जाने पर यथार्थवादी प्रवृत्ति के आसपास न पहुँच जाती हो। फिर उपन्यास का तो जन्म ही समाज की यथार्थ परिस्थितियों के भीतर से हुआ है। उपन्यास किसी देश की साहित्यिक विचारों की प्रगति को समझने के उत्तम साधन माने जाते हैं, क्योंकि जीवन की यथार्थताएँ ही उपन्यास को आगे बढ़ाती हैं। मनुष्य के पिछड़े हुए आचार-विचारों और बदती हुई यथार्थताओं के बीच निरन्तर उत्पन्न होती रहनेवाली खाई को पाटना ही उपन्यास का कर्तव्य है। इसीलिए उपन्यास के अध्ययन का मतलब होना चाहिए किसी जाति या समाज के बढ़ते हुए विचारों और निरन्तर उत्पन्न होती रहनेवाली जीवन की यथार्थ परिस्थितियों से सम्पर्क। स्थापित करते रहने के प्रयत्नों का अध्ययन। जन्म से ही उपन्यास यथार्थ जीवन की ओर उन्मुख रहा है। पुरानी कथा-ग्राल्यायिकों से वह इसी बात में मिल है। वे जीवन के खटकनेवाले यथार्थ के सघर्षों से बचकर स्वर्ण-लोक की मादक कल्पनाओं से मानव को उत्थाने, बहकाने और फुसलाने का प्रयत्न करती थीं, जबकि उपन्यास जीवन की यथार्थताओं से रस स्त्रीचकर चित्त-विनोदन के साथ-ही-साथ मनुष्य की समस्याओं के सम्मुखीन होने का आह्वान लेकर साहित्य-क्षेत्र में आया था। उसके पाँच ठोर घरती पर जमे हैं और यथार्थ जीवन की कठिनाइयों और संघर्षों से घनकर आने वाला 'ग्रन्थाज-मनोहर' मानवीय रस ही उसका प्रधान आकर्षण है। जो उपन्यास

इस रस से शून्य है वह अपनी मृत्यु का परवाना साथ लेकर साहित्य-क्षेत्र में आया है। वह केवल पाठक का समय नष्ट करता है और समाज की अनियन्त्रित उत्पादन व्यवस्था पर काला प्रश्न-चिह्न मात्र है।

पोथी में पड़े हुए वादों के आधार पर उपन्यास लिखे गये हैं, परवे टिक नहीं सके हैं। बड़े-बड़े विदेशी उपन्यासकारों के अनुकरण पर उपन्यास लिखे गये हैं, पर वे उसी धेणों का प्रभाव उत्पन्न नहीं कर सके हैं। क्योंकि उन्होंने अपने देश की यथार्थ परिस्थितियों को नहीं समझा और इसीलिए वे उम्र खाई की भी ठीक-ठीक जानकारी नहीं पा सके जिसे पाठने का प्रयत्न ही उपन्यास को सचें अर्यों में यथार्थवादी बनाता है और जो नित्य बदलती हुई परिस्थितियों से और बढ़ते हुए ज्ञान से पिछड़ी हुई आचार्य-परम्परा और पुरानी मान्यताओं के व्यवधान के कारण निरन्तर नये आकार-प्रकार में प्रकट होती रहती है।

विज्ञान के प्रभावशाली रूप धारण करने के बाद क्रमशः मनुष्य की सोचने-विचारने की प्रणाली में परिवर्तन होते गये हैं। कभी भीतिक विज्ञान ने मानव-बुद्धि को अभिभूत किया था, फिर जीव-विज्ञान ने उसे चकित कर दिया और कुछ दिनों से मनोविज्ञान का प्रभाव प्रवल होता जा रहा है। उपन्यास में ये तीनों अभिभूतकारी तत्त्व यासमय प्रकट हुए हैं। परन्तु हिन्दी-उपन्यासों में यह क्रम स्वाभाविक रूप से प्रकट नहीं हुआ। जिन दिनों पश्चिम मनोविज्ञान की ओर फुकने लगा था, उन दिनों हमारा उपन्यास-साहित्य आरम्भ हुआ। हिन्दी ज्ञान-विज्ञान पर आधारित प्रकृतिवादी सिद्धान्त कभी भी धासलेटी साहित्य की मर्यादा के ऊपर नहीं उठ सका; क्योंकि साहित्य में मनोविज्ञान की बढ़ती हुई मर्यादा का प्रभाव पड़ा, तब प्रकृतिवादी क्रमशः भद्रिम पड़ता गया और मनोवैज्ञानिक गुणित्यों का प्रभाव प्रवल हो गया। उस समय खाई जीव-विज्ञान द्वारा निश्चित सिद्धान्तों द्वारा नहीं निश्चित होती थी।

77 ख. हिन्दी में जब उपन्यास-साहित्य का प्रादुर्भाव हुआ, तब इस देश की बही अवस्था नहीं थी जो इंग्लैण्ड की, अन्य पश्चिमी देशों की थी। हिन्दी का पिछला साहित्य बहुत सीमित क्षेत्रों में आबद्ध रह गया था। यथार्थ की उसमें उत्तेजा तो नहीं थी, किन्तु यथार्थ को मादक बनाकर प्रकट करने की प्रवृत्ति जोरों पर थी। रीतिकालीन कविता से यह मादक बनाने की प्रक्रिया उन दिनों विरासत में प्राप्त हुई थी। वह समय न तो यथार्थवाद के अनुकूल था और न प्रकृतिवादी सिद्धान्तों के। फिर भी पश्चिमी शिक्षा के प्रभाव से क्रमशः इहलौकिक और मानवतावादी दृष्टि प्रतिष्ठित होती जा रही थी। प्रथम धक्के में इस देश के उपन्यासों की दृष्टि सामाजिक कुरीतियों पर पड़ी। प्रकृतिवादी सिद्धान्तों का जोर कभी भी इस देश में बड़ नहीं पाया; क्योंकि न तो यहाँ के विचारशील लोगों के मत इसके प्रनुकूल पड़ते थे, और न विज्ञान का, और उससे उत्पन्न युक्तिवाद का विकास ही वैसा हुआ जैसा पश्चिमी देशों में हुआ था। जिन दिनों हिन्दी के उपन्यास कुछ-कुछ प्रकृतिवादी सिद्धान्तों से प्रभावित होने लगे, उन दिनों विज्ञान

बहुत आगे निकल गया था और यूरोपीय साहित्य में प्राणि-विज्ञान की मर्यादा चढ़ाव पर नहीं थी। हिन्दी के प्रकृतिवादी साहित्यिक यूरोप के पिछड़े जमाने के साहित्य से प्रभावित थे। वे नवोन विचारधाराओं से अनभिज्ञ ही बने रहे। यही कारण है कि हिन्दी के प्रकृतिवादी साहित्यिक साहित्य में कभी महत्वपूर्ण स्थान नहीं प्राप्त कर सके और धासलेटी साहित्य से उच्चतर मर्यादा भी नहीं प्राप्त कर सके।

77 ग. साहित्य और कला के विभिन्न क्षेत्रों में नये तत्त्वज्ञान (फिलासफी) द्वारा सुझाये हुए युक्तिन्तकों से प्रभावित अनुसन्धान-पद्धति का आधय लिया गया। परिणाम यह हुआ कि कला और साहित्य के क्षेत्र का विस्तार होता गया और ऐसी बहुत-सी बातें साहित्य में प्रवेश करने लगी, जो पहले निपिद्ध मानी जाती थी। ज्ञान अधिकाधिक अवितथ होने का प्रयत्न करता जा रहा था और गणित-शास्त्र की पद्धतियों का आधय लेता जा रहा था। साहित्य में भी उन पद्धतियों का प्रवेश किसी-न-किसी तरह हो ही गया। इतिहास और नैतिक विज्ञान के क्षेत्र में इन गणितिक पद्धतियों का प्रयोग होने लगा। और उनकी देखादेखी उपन्यास-साहित्य में दलील और सनद उपस्थित करनेवाली मनोवृत्ति कमज़़़ शक्तिशाली होती गयी।

यही साम्रादायिक यथार्थवाद की ओर जानेवाली मनोवृत्ति है। ऐसा यथार्थवादी साहित्यकार बाहरी दलीलों और सनदों का इस प्रकार प्रयोग करता है जिससे पाठकों के ऊपर वह प्रभाव पड़े कि वह यथार्थ जीवन में घटनेवाली सच्ची बात कह रहा है। परम्परा-प्रथित धार्मिक, आध्यात्मिक और नैतिक विश्वासों के कारण मानव-जीवन के जो तत्त्व साहित्य में जुगुप्सित, निपिद्ध और अमगत-कारी माने जाते थे, उनका साहित्य में धीरे-धीरे प्रवेश होने लगा और यथार्थवाद के उस रूप का प्रचलन हुआ, जो मनुष्य की वाह्य प्रकृति को प्रधानता देनेवाले विज्ञान से—विशेषकर प्राणि-विज्ञान से—प्रभावित था।

इस प्रकार उस समय प्रकृतिवादी सिद्धान्त साहित्य में गूहीत हुआ। वस्तुतः प्रकृतिवादी सिद्धान्त जो मनुष्य की शारीरिक भूख के विविध रूपों पर ही आधित है, प्राणि-विज्ञान की बढ़ती हुई मर्यादा के साथ ही बढ़ा है और घटती मर्यादा के माथ पटा है।

उपन्यास-लेखक कभी भी वर्तमान प्रगति से पिछड़ा रहकर सफल नहीं हो सकता। हिन्दी के धासलेटी उपन्यासकार इस तथ्य के प्रवल प्रमाण हैं।

77 प. कहा जाता है कि इगलैण्ड में भी प्रकृतिवाद उस प्रकार का महत्व-पूर्ण स्थान प्राप्त नहीं कर सका, जैसा कि उसने कास में किया था। इगलैण्ड की जनता धर्मिक रथण-जीत (क्रियेंटिव) थी, और मानव-शरीर की उच्च-सतत उम्रुदा को गहन ही नहीं वरदानत कर सकती थी। यही कारण है कि उन्नीसवी शताब्दी के पन्निम भाग तक इगलैण्ड के माहित्य में यथार्थवादी उपन्यासकार तो हुए, किन्तु उत्तेज-योग्य प्रहृतियादी उपन्यासकार नहीं हुए। भारतवर्ष में तो

उनके प्रधान होने की तौबत कभी प्राप्ती ही नहीं। उन्नोसकी मतावधी के यथार्थवादी उपन्यासकारों की भी कई थेणियाँ हैं। धैकरे, रीड, जार्ज इलियट आदि उपन्यासकारों की रचनाएँ इस देश के उपन्यासकार बराबर पढ़ते रहे और उनकी रचनाओं से प्रेरणा पाते रहे। इसलिए हमारे देश के उपन्यासों में यथार्थवादी भुकाव तो पाया जाता है, किन्तु यथार्थवाद का जो वास्तविक मर्म है—यथार्थवादी भागे वहै हुए ज्ञान और पीछे के आदर्शों से चिपटी हुई आचार-परम्परा, इन दोनों के व्यवधान को पाठते रहने का निरन्तर प्रयत्न—यह कम उपन्यासकारों के पल्ले पड़ा। आगे बढ़ा हुआ ज्ञान तो सारे ससार के लिए एक होता है, किन्तु पीछे के आदर्शों से चिपटी हुई आचार-परम्परा विभिन्न देशों-समाजों में भिन्न-भिन्न होती है; इसीलिए यथार्थवादी लेखक के सामने व्यवधान की मात्रा देश-विशेष और समाज-विशेष के अनुसार बदलती रहती है और उसी के अनुपात में उसके प्रयत्नों में तारतम्य आता है। दुर्भाव्य-वश अपने देश के कम लेखकों ने इस व्यवधान के रूप को समझने का प्रयास किया है।

इस दृष्टि से देखा जाय तो हमारे नये उपन्यासकार सच्चे अर्थों में यथार्थवादी नहीं हैं। वे यथार्थवाद को उसके वास्तविक अर्थ में नहीं प्रहण कर सके हैं, परन्तु उन पर यथार्थवाद का आतक अवश्य है। जो लोग केवल बाद-विशेष से आतकित हैं, या उसे फैशन के रूप में प्रहण करते हैं, वे कोई अविस्मरणीय चरित्र नहीं पैदा कर सकते और जिन सिद्धान्तों के प्रचार के उद्देश्य से उपन्यास लिखे जाते हैं, उनकी अभिट छाप भी नहीं छोड़ पाते। इसीलिए इन उपन्यासों को पढ़कर कोई उल्लास नहीं होता। आज भी प्रेमचन्द हमें जहाँ छोड़ गये थे वहाँ से आगे हम नहीं बढ़ पाये। लेत्र तो प्रस्तुत हो ही रहा है। आशा करनी चाहिए कि शीघ्र ही वह श्रीपन्यासिक हिन्दी-जगत् में अवतीर्ण होगा जो जीवन के व्यापक अनुभवों के भीतर से 'अव्याज-मनोहर' मानवीय रस को खीच लायेगा।

78. कुछ लोग उपन्यासों को तीन थेणी का मानते हैं—घटना-प्रधान, चरित्र-प्रधान और भाव-प्रधान। स्टीवेंसन इसी मत के उपस्थापक थे। वे घटना-प्रधान उपन्यास को ही सबसे उत्तम समझते थे। उनके मत से उपन्यासकार की सबसे बड़ी सफलता यह है कि वह एक ऐसी मात्रा की सृष्टि कर दे और रोचक परिस्थितियों को ऐसे ढंग से उपस्थित कर दे कि पाठकों की कल्पना उससे आकृपित हुए बिना न रह सके—उपन्यास पढ़ते समय पाठक अपने को घटनाओं में सन्मय कर दे और पात्रों के साथ एकाकार कर दे, ताकि पात्रों के साहसपूर्ण कृत्यों को अपना-सा समझकर वह उनमें रस लेने लगे।

स्टीवेंसन का यह मत सर्वांश में प्राप्त नहीं है, यह हम आगे चलकर समझ सकेंगे, पर सन्देह नहीं कि घटनाओं का मनोरंजक सन्निवेश उपन्यासकार का बड़ा भारी गुण है।

(1) हिन्दी में नाना-प्रकार के घटना-प्रधान उपन्यास लिखे गये हैं। सबसे प्रधान और प्रथम प्रयत्न देवकीनन्दन खनी के तिलसमी उपन्यास है, जिनमें देवारों

के धात-प्रतिधातमूलक घटनाओं का सन्निवेश बड़ी तत्परता के साथ किया गया है। इन उपन्यासों में अद्भुत तिलस्मों का चिवण है, परन्तु ये घटना-प्रधान उपन्यास ही है। यद्यपि ऐयारों के चरित्रगत गुण भी इनमें कम आकर्षक नहीं हैं, तथापि घटनाओं की प्रधानता इनमें स्पष्ट है। इसी प्रकार डकैती आदि के साहसिकतापूर्ण कथानक, जासूसी उपन्यास, प्रेमाख्यान, ऐतिहासिक और पौराणिक उपन्यास के बल घटनाओं के सन्निवेश से ही मोहक बने हैं। (2) हिन्दी में प्रेमचन्द, सुदर्शन और 'कौशिक' आदि लेखकों की कहानियाँ और उपन्यास चरित्र-प्रधान श्रेणी में पड़े गे, और (3) 'प्रसाद' का 'तितली' और 'कंकाल', शिवनन्दन सहाय का 'सौन्दर्योपासक' तथा 'हृदयेश' की कहानियाँ भाव-प्रधान श्रेणी में पड़ेंगी।

79. जिन्हे भाव-प्रधान उपन्यास कहकर ऊपर उल्लेख किया गया है, उनमें बहुत कुछ पुरानी कथा-आख्यायिकाओं के गुण हैं। उनमें भाषा की भनोहारिता, अलकार-योजना, पद-लालित्य और भावावेग इतनी अधिक मात्रा में हैं कि उन्हें गद्य-काव्य कहना ज्यादा उचित होगा। उपन्यास विशुद्ध गद्य-युग की उपज हैं। उनमें भाषा की गद्यात्मकता और सहज भाव अपेक्षित है। इन उपन्यासों में वह बात नहीं है।

हिन्दी के एक प्रवीण विद्वान् ने उपन्यास को गद्य-काव्य का ही एक भेद माना है। किन्तु यह बात आशिक रूप में ही सत्य है। पुराने जमाने के 'वासवदत्त', 'दशकुमार-चरित', 'कादम्बरी' आदि काव्यों से ये आधुनिक उपन्यास भिन्न श्रेणी के हैं। उपन्यास नये यन्त्र-युग की उपज है। नये यन्त्र-युग ने जिन गुण-दोषों को उत्पन्न किया है उन सबको लेकर यह नया साहित्याग्रवतीर्ण हुआ है। धोप की कला ने इनकी माँग बढ़ायी है और उसी ने उसकी पूर्ति का साधन बताया है।

यह गत धारणा है कि उपन्यास और कहानियाँ स्तर्कृत की कथा-आख्यायिकाओं की सीधी सन्तान हैं। ऊपर जिन भाव-प्रधान उपन्यासों की चर्चा हुई है, उनकी रचना के मूल में सम्भवतः पुरानी कथा-आख्यायिकाओं का आदर्श था, परन्तु शीघ्र ही यह भ्रम टूट गया कि शब्दों में भक्तार देकर गद्य-काव्य लिखना और आधुनिक ढंग के उपन्यास लिखना एक ही बात है। भक्तार कविता का बड़ा भारी गुण है, परन्तु उपन्यास में वह थोड़ी मात्रा में ही काम देता है। चूंकि उपन्यास और कहानियाँ विशुद्ध गद्य-युग की उपज हैं, इसीलिए उनकी प्रकृति में गद्य का महज, स्थाभाविक प्रवाह है। इस नवीन साहित्यांग का पुराने गद्य-काव्यों से जो प्रधान अन्तर है, वह आदर्शगत है। यन्त्र-युग ने पश्चिम में जिस व्यवासायिक फानित को जन्म दिया, उसके कई फ़ैनों में एक है वैयक्तिक स्वाधीनता। यह वैयक्तिक स्वाधीनता ही उपन्यासों का आदर्श है और काव्य-काल का सुद्धि-निर्धारित और परम्परा-यमधित सदाचार कथा-आख्यायिकाओं का आदर्श है। उपन्यास में दुनिया जैसी ही वैसी ही चिनित करने का प्रयास होता है। इस वास्तविकता के भीतर से ही उपन्यासकार भपना आदर्श दूँड़निकालता है (दे. 70-71)। कथा और आख्यायिका में कवि कल्पना के बल पर वास्तविक दुनिया से भिन्न एक नयी

दुनिया बनाता है। (कुछ प्रथिक विस्तार के लिए देखिए 123)

80. उपन्यास और काव्य में यह मौलिक ग्रन्तर है कि उपन्यास मौजूदा हालत को भुलाकर भविष्य की कल्पना नहीं कर सकता, जबकि काव्य वर्तमान परिस्थिति की समूर्ण उपेक्षा करके अपने आदर्शों गढ़ सकता है। यही कारण है कि उपन्यासकार वर्तमान पर जमा रहता है। प्राचीन ऐतिहासिक कथानक की रचना के समय भी वह वर्तमान काल की जानकारियों के बल पर ही अपना कारबार चलाता है और जासूसी तथा वैज्ञानिक कथावस्तु को सम्भालने में भी आधुनिक जानकारियों की जहाँ तक पहुँच है, उसी के आधार पर अपनी कल्पनाओं और सम्भावनाओं को सृष्टि करता है। वह कवि की भाँति जमाने के आगे रहने का दावा नहीं करता। काव्य दुनिया की छोटी-मोटी तुच्छताओं को भी महिमामण्डित करके प्रकाशित करता है, जो कुछ है उसे सजाकर, सँवारकर सुन्दर और महत् बनाने की साधना करता है।

**वस्तुतः** जहाँ भी तुच्छता को महिमा-मण्डित करके प्रकाशित करने का प्रयत्न है वहाँ उपन्यासकार कवि का काम करता है। एक उदाहरण लिया जायः

कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने अनेक उपन्यास लिखे हैं जिनमें सर्वत्र काव्य का मुर ही प्रधान हो उठा है। उन्होंने जान-बूझकर एक उपन्यास ऐसा लिखा है जिसमें, आलोचकों का मत है कि, कवित्व को दबाकर औपन्यासिकत्व प्रधान हो उठा है। इस उपन्यास का नाम है 'मालबन्ध'। इसमें नायिका बीमार पड़ जाती है और नायक किसी और लड़की के साथ काम-काज में लग जाता है। नायिका को ईर्ष्या होती है। ज्यों-ज्यों वह मृत्यु के निकट पहुँचती जाती है, त्यों-त्यों उसकी ईर्ष्या बढ़ती जाती है। अपने देवर के समझाने से वह सकल्प करती है कि मरते समय वह अपनी समस्त स्वार्थ-बुद्धि को जलाजलि देकर अपने हाथों उस लड़की को पति को सौप जायगी। ऐसा मौका आता है। उस मौके पर मरती-मरती यदि वह कह देती कि 'हे प्रिय, मैंने अपना सर्वस्व तुम्हें निःशेष भाव से देकर बिदा लेती हूँ', और प्यार से उस लड़की का हाथ पति के हाथों से रखकर दम तोड़ देती तो यह बात कवित्व का एक सुन्दर उदाहरण हो जाती। पर मौका आने पर वह ऐसा नहीं करती। अपनी तुच्छ ईर्ष्या को अन्त तक वह अपने त्याग की महिमा से महिमा-मण्डित नहीं कर पाती। लड़की को देखकर वह और भी ईर्ष्या से जल उठती है और दुर्बल्य करती हुई और मरने के बाद भी उसे जलाती रहने का अभिशाप देती हुई दम तोड़ देती है। इस प्रकार कवित्व का बातावरण छिन्न-विच्छिन्न हो गया है और उपन्यासकार की बास्तव-प्रियता प्रधान हो उठी है।

81. उपन्यास और कहानियाँ आज के जमाने में बहुत जटिलाली और प्रभावोत्पादक साहित्याग समझे जाते हैं। इनके लेखक का अपना एक जबरदस्त व्यक्तिगत मत होता है, जिसकी सचाई के विषय में लेखक का प्रूरा विश्वास होता है। वैयक्तिक स्वाधीनता का यह सर्वोसत्त म साहित्यिक रूप है। 'धासलेटी' उपन्यास

के लेखक का अपना कोई मत नहीं, जो एक ही साथ उसका अपना भी हो और जिस पर उसका अखण्ड विश्वास भी हो। इसलिए 'धासलेटी' लेखक लतकारे जाने पर या तो भाग खड़ा होता है या विक्षुद्ध होकर गली-गलीज पर उतर आता है। वह भीड़ के आदमियों को अपनी नजर के सामने रखकर लिखता है, पर अपने प्रचारित मत पर उसे खुद विश्वास नहीं होता।

प्रेमचन्द का अपना मत है जिस पर वे पहाड़ के समान अविचलित खड़े हैं। इस एक महागुण के कारण नाना विरोधी के होते हुए भी जैनेन्द्रकुमार को साहित्य में अपना स्थान बना लेने से कोई नहीं रोक सका। उपन्यासकार वह है ही नहीं, यदि उसमें अपनी विशेष दृष्टि न हो और उस विशेष दृष्टि पर उसका दृढ़ विश्वास न हो। महत्वपूर्ण उपन्यास या कहानी केवल अवसर-विनोदन का साधन नहीं है। वे इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं कि उनकी नीव मजबूती के साथ उन वस्तुओं पर रखी हुई होती है जो निरन्तर गम्भीर भाव से और निविवाद रूप में हमारी सामान्य मनुष्यता की कठिनाइयों और दृढ़ों को प्रभावित करती है। हम उपन्यासकार के रचना-कीशल, घटना-विकास की चतुराई, पात्रों के सहज-स्वभाविक विकास की सचाई और अपने निजी दृष्टिकोण की ईमानदारी के कारण मनुष्यमात्र के साथ एकात्मतः अनुभव करते हैं, दूसरों के दुख-सुख में अपनापन पाते हैं, और इस प्रकार हमारा हृदय संवेदनशील और आत्मा महान् बनता है। हम पहले ही लक्ष्य कर चुके हैं कि यह एकात्मता को अनुभूति साहित्य का चरम साध्य है।

## नाटक

82. हमने उपन्यास को समझने का प्रयत्न किया है। यदि नाटक को समझने जा रहे हैं। यह क्रम कालक्रम की दृष्टि से उलटा है। पहले नाटक का माविर्भवि हुआ था और उसके बहुत बाद जाकर उपन्यास का हुआ। इस तरह कालक्रम के हिसाब से नाटक की विवेचना ही पहले करनी चाहिए थी, उपन्यास की बाद में। प्रायः ही मालोचक लोग इसी क्रम का पालन करते हैं। इसका कारण यह है कि उपन्यास भ्रम में नाटक की घटेधा गियित कथानक का साहित्य है। नाटक घण्यिक ठोस कथानक का साहित्य है। इसलिए उपन्यास का विश्लेषण सहज और भल्यायारा-प्राप्त होता है। दूसरे, नाटक उपन्यास की भाँति केवल पुस्तकगत साहित्य नहीं है। वह रंग मध्य को दृष्टि में रखकर लिया गया होता है—प्रथात्

केवल पुस्तक में लिखी हुई वातें ही समूर्ग नाटक नहीं है, वे अपने-ग्रापकी पूर्णता के लिए रंगमच की अपेक्षा रखती है। उपन्यास में यह वात नहीं होती; वह अपना रंगमच अपने पात्रों में लिये फिरता है। तीसरे, उपन्यास-लेखक जानता है कि उसका पाठक अपनी सुविधा और अवसर के मुताबिक थोड़ा-थोड़ा करके पढ़ सकता है। इसलिए वह किसी संकीर्णता में बैंधा नहीं रहता, जबकि नाटक का लिखनेवाला लेखक अच्छी तरह जानता है कि उसका नाटक दो या तीन घण्टे के भीतर दृष्टा को देख लेना है। और इसीलिए आकार और विस्तार के भास्मले में वह संकीर्ण सीमा में बैंधा रहता है। उसकी यह मनोवृत्ति नाटक को जहाँ अधिक ठोस बना देती है वहाँ अनेक कौशल ग्रहण करने को वाध्य कर देती है। इसलिए नाटक उपन्यास की अपेक्षा अधिक जटिल होता है। एक चौथा कारण यह है कि उपन्यासकार को अपने पात्रों के भीतरी मनोभावों को खोलकर बता देने की स्वाधीनता प्राप्त रहती है, जो नाटककार को नहीं रहती। इसलिए नाटक-लेखक जहाँ अपने उपस्थापन में संक्षिप्त और ठोस होता है, वहाँ अनेक वन्धनों से जकड़ा भी रहता है। इस पराधीनता के कारण उसे अनेक कौशल अवलम्बन करने पड़ते हैं। इन भिन्न-भिन्न कारणों से भिन्न-भिन्न कौशलों के अवलम्बन के कारण उपन्यास की अपेक्षा नाटक अधिक ठोस होता है। इसलिए यह मामूली कायदा-सा हो गया है कि पहले उपन्यास की विवेचना कर लेने के बाद ही नाटक की विवेचना की जाय।

83. जिन पण्डितों ने पुराने शास्त्रों का अध्ययन किया है उनका अनुमान है कि बहुत पहले भारतवर्ष में जो नाटक खेले जाते थे उनमें बातचीत नहीं हुआ करती थी। वे केवल नाना अभिनयों के रूप में अभिनीत होते थे। अब भी संस्कृत के पुराने नाटकों में इस प्रथा का भग्नावशेष प्राप्य है। इन नाटकों में जब कोई पात्र कुछ करने को होता है तो उसका निर्देश इस प्रकार दिया जाता है—‘अमुक पात्र अमुक कार्य का अभिनय कर रहा है’ [शकुन्तला वृक्षसेचन नाट्यर्ति]। यह इस बात का सबूत बताया जाता है कि नाटकों में बातचीत उतनी महत्वपूर्ण वस्तु नहीं मानी जाती थी जितनी क्रिया। डिडेराट नामक पश्चिमी पण्डित के बारे में प्रसिद्ध है कि उसकी यह अद्भुत आदत थी कि नाटक देखते समय कान बन्द कर लेता था। ऐसा करने से वह नाटकों की क्रिया को बातचीत से अलग करके देख सकता था और नाटक की उत्कृष्टता को ठीक-ठीक समझ सकता था।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि नाटक में क्रिया ही प्रधान होती है। इसका मतलब यह हुआ कि नाटक की पोधी में जो कुछ घपा होता है, उसकी अपेक्षा वही बात ज्यादा महत्वपूर्ण होती है जो घपी नहीं होती और सिर्फ रंगभूमि में देखो जा सकती है। नाटक का सबसे प्रधान अंग उसका क्रिया-प्रधान दृश्याश ही होता है, और इसीलिए पुराने शास्त्रकार नाटक को दृश्यकाव्य कह गये हैं।

84. उपन्यास में जितने तत्त्व होते हैं वे सभी (द. 63) नाटक में भी होते हैं। इन तत्त्वों के सम्बलित जोर से ही नाटक क्रिया-प्रधान होता है। इसलिए

उसमें भी कथावस्तु उतना ही महत्वपूर्ण अंग है जितना उपन्यास में, परन्तु जैसा कि शुरू में ही बताया गया है, नाटककार हर मामले में बहुत-से बन्धनों में बँधा रहता है। इसीलिए वह बड़ी सावधानी से उन कम-से-कम घटनाओं का सन्निवेश करता है जिनके बिना काम नहीं चल सकता। यदि वह ऐसे बेकार दृश्यों की अवतारणा करे, जो नाटक में कोई उद्देश्य ही नहीं सिद्ध करते, तो उसका नाटक शिथिल हो जायगा। शैथिल्य नाटक का बड़ा भारी दोष है। परन्तु हर बात में नाटककार को स्टेज की सुविधा-असुविधा का ध्यान रखना पड़ता है। आजकल के वैज्ञानिक आविष्कार ने स्टेज में ऐसी अनेक सुविधाएँ लाई हैं, जिनके कारण आज के नाटककार का प्राचीन नाटक की अपेक्षा कम घटनाओं के सन्निवेश से भी काम चल जाता है। कालिदास और भवभूति के नाटकों में ऐसे बहुत-से दृश्य अवतरित किये गये हैं, जिन्हें आज का नाटककार छोड़ देता और स्टेज में ऐसा निर्देश दे देता जिससे वे बातें बिना कहे ही सहृदय श्रोता की समझ में आ जाती हैं। इब्सन आदि आधुनिक नाटककार उस प्रकार के घटनावहुल दृश्यों की अवतारणा न करके एक खास बात पर घटनाओं को इस प्रकार केन्द्रित करते हैं कि उनका उद्देश्य प्रतिफलित हो जाता है। इसलिए नाटकीय कथावस्तु औपन्यासिक कथावस्तु से ज्यादा कठिन होती है।

इस (नाटक की) कथावस्तु के दो अग होते हैं—दृश्याश और सूच्यांश। अर्थात् एक तो वह वस्तु जो नाटक की क्रिया को अग्रसर करती है और सहृदय को रसानुभूति के अनुकूल करती है। नाटककार को यह समझना चाहिए कि कथावस्तु में कौन-सा दृश्याश होगा और कौन-सा सूच्याश। हिन्दी की एक नामी नाटककार ने राम के बन जाते समय नागरिकों को रोकना, विश्वट का व्याख्यान देना आदि बातें बड़े आडम्बर के साथ दृश्य रूप में अकित की हैं, जबकि कैक्यी का बर माँगना और राजा का शोकाकुल होना केवल नागरिकों के बातचीत के रूप में मूचित-भर कर दिया है। स्पष्ट ही वे कथा के उस मार्मिक अंश को तरह दे गये हैं, जो सहृदय के रसबोध को जाग्रत करता और अभिनेता के अभिनय-कौशल की कसोटी होता। अगर कालिदास ने दो नागरिकों में बातचीत कराके यह सूचना दे दी होती कि शकुनतला को राजा दुष्यन्त ने अस्वीकार कर दिया, तो उनका 'अभिज्ञान शाकुन्तल' अत्यन्त दरिद्र हो जाता। इसलिए नाटक की कथावस्तु का विचार करते समय देखना चाहिए कि नाटककार जिन बातों को रगमच पर अभिनीत होते दिखाना चाहता है वे मार्मिक अश हैं या नहीं, और पूर्ववर्ती या परवर्ती घटनाओं की अनुभूति को गाढ़ करने में कोई सहायता पहुँच रही हैं या नहीं।

85. पुराने जमाने के नाटकों में केवल सूचना देने के लिए पाँच प्रकार के कोणल का निर्देश है। इन्हे अर्योपस्थापक कहा गया है। प्रधान दो हैं—'प्रवेशक' और 'विष्टम्भक' या 'विष्टकम्भ' मिफं दो पात्रों में (जो कभी भी उत्तम धेनी के नहीं होते) बातचीत के द्वारा भावी या भतीत अर्थ की मूल्या देने के लिए अंक

के आरम्भ में जोड़ा जाता है। जब इसके पाव्र मध्यम श्रेणी के होते थे और शुद्ध (संस्कृत) भाषा में बात करते थे तो उसे 'शुद्ध विष्कम्भक' कहा जाता था। और जब उनमें से एक निम्न-श्रेणी का होता था और लौकिक (प्राकृत) भाषा बोलता था तो उसे 'मिथ्र विष्कम्भक' कहा जाता था। 'विष्कम्भक' नाटक के आरम्भ में भी आ सकता था। 'प्रवेशक' ठीक इसी तरह की चीज़ है। अन्तर केवल यह है कि इसके पाव्र निम्न श्रेणी के होते थे, प्राकृत में बात करते थे और नाटक के आरम्भ में इसका प्रयोग नहीं होता था।

पर्दे के भीतर से किसी आवश्यक बात की सूचना देने को 'चूलिका' या 'खण्ड चूलिका' कहते थे। किसी अंक के अन्त में आगामी अंक के विपय में दी गयी सूचना को 'अंकमुख' और एक अंक की क्रिया लगातार दूसरे अक तक जब चलती रहे तो उसे 'अकावतार' कहा जाता था। इन कौशलों से ऐसी बातों की सूचना दी जाती थी, जो रंगमंच पर अभिनीत होने के योग्य नहीं समझी जाती थी।

86. उपन्यास की भाँति नाटक में भी एकाधिक कथा-वस्तुएँ रह सकती हैं। एक घटना प्रधान होती है, बाकी अप्रधान। प्रधान को पुराने आचार्य 'आधिकारिक' और अप्रधान को 'प्रासंगिक' कह गये हैं। रामायण में राम की कथा 'आधिकारिक' है और सुद्रीव की 'प्रासंगिक'। प्रासंगिक कथाएँ दो प्रकार की होती हैं :

(1) वे, जो 'आधिकारिक' कथा के साथ वरावर चलती रहे और (2) वे जो थोड़ी दूर तक ही चलें। पहली को 'पताका स्थान' और दूसरी को 'प्रकरी' कहते हैं। नाटक में यदि दो कथा-वस्तुओं का इस प्रकार सन्निवेश हो कि दोनों ही प्रधान-सी लगे या परस्पर एक-दूसरे से असम्बद्ध जान पड़ें, तो वहाँ नाटककार सफल नहीं कहा जा सकता। इस बात को 'अजातशत्रु' नामक प्रसादजी के नाटक से समझा जा सकता है। 'अजातशत्रु' की कथा में तीन घटनाएँ एक-दूसरे से गुंथी गयी हैं :

(1) मगथ के राजघराने का कलह, जिसके कारण वृद्ध राजा विम्बसार और रानी वासवी राजच्युत हुई है, (2) कौशल के राजा प्रसेनजित् और उनके पुत्र तथा रानी का पारस्परिक मनोमालिन्य, और (3) कौशाम्बी के राजा उदयन और उनकी रानी मागन्धी तथा पचावती का विवाद। मागन्धी ही अन्त में चलकर श्यामा वेश्या बन जाती है और वही आगे जाकर आप्रपाली। यह तीनरी घटना बहुत सार्वक नहीं है। मागन्धी का श्यामा के रूप में घर छोड़कर बाजार में जा बैठना थोड़ा-सा नाटकीय उद्देश्य सिद्ध जरूर करता है, वह नाटक का अत्यन्त आवश्यक अंग नहीं है। अब इन घटनाओं पर विचार किया जाय।

**वस्तुतः** प्रथमोक्त दो राजघरानों के घरेलू कलह से ही नाटक की घटना बनी हुई है। वे दोनों घटनाएँ समानान्तर-सी हैं, यद्यपि दोनों का नियोग दो तरह से हुआ है। दोनों में ही पिता-पुत्र का भगड़ा है। दोनों में ही विद्रोही पुत्रों की माताएँ उन्हें उत्तेजित करने में प्रमुख भाग लेती हैं। परन्तु मगथ का वृद्धा समाद-

विम्बसार नकारात्मक चरित्र का पात्र (दे. 75), जबकि कोशल का प्रसेनजित् धनात्मक (दे. 75)। इसका नतीजा यह होता है कि पहला सिंहामनत्याग कर बन्दी हो जाता है और उसका विद्रोही पुत्र समाट् बन बैठता है, जबकि दूसरा (प्रसेनजित्) गढ़ी पर जमा रहता है और पुत्र को देश-निकाले की सजा देता है।

ये दोनों कथानक बहुत-कुछ निरपेक्ष-से हैं। कोशलवाली कहानी मगधवाली कहानी की अपेक्षा गोण केवल इस अर्थ में है कि मगध का गृह-विवाद पहले होता है और उसका समाचार पाने पर ही कोशलवाला गृह-विवाद आरम्भ हो जाता है, यद्यपि आगे की घटनाओं से हम जानते हैं कि इस गृह-विवाद के पीछे बहुत पुराना झगड़ा है। यह निर्णय करना कठिन है कि इनमें कौन-सी घटना 'आधिकारिक' है और कौन-सी 'प्रासंगिक'। नाटक के नाम से जान पड़ता है कि मगधवाली कथा को ही नाटककार प्रधान मानता है। इस कथा को अग्रसर करने में कोशलवाली घटना से धोड़ी सहायता मिली जरूर है, पर वहाँ भी यह निर्णय करना कठिन ही है कि अजात को शैलेन्द्र से अधिक सहायता मिली है या शैलेन्द्र को अजात से। केवल एक चरित्र से—मत्किका से—जो कोशलवाली घटना का परिणाम है—दोनों घटनाओं का घनिष्ठ सम्बन्ध है और इस एक ही सूत्र की सहायिका होने के कारण कोशलवाली घटना में प्रासंगिकता आ गयी है। उदयनवाली तीसरी कथा की एकमात्र देन श्यामा है, जो नाटक के घटना-विकास में महत्वपूर्ण भाग लेती है, पर अगर वह पहले मागन्धी के रूप में रानी न रही होती और सिर्फ़ काशी की वेश्या ही होती तो नाटक की कोई हानि नहीं होती। उसके रानीत्व की सूचना बाद में केवल विद्युपक की बातचीत में आती है—खुद वह विद्युपक भी इस दृश्य में केवल इसलिए खड़ा कर दिया गया है कि नाटककार ने आभ्रपाली की जो कहानी नाटक में लिख दी है उसको कुछ सार्थक बना दिया जाय। किन्तु वह भी बेकार ही है। यदि आभ्रपाली के मागन्धी-रूप का कथन नितान्त आवश्यक भी होता तो कई दृश्यों की अवतरणिका न करके उसे सूझम रूप में उपस्थित किया जा सकता था।

87. कुछ लोगों ने यह भ्रम फैला दिया है कि नाटक में चरित्र-चित्रण गोण वस्तु है। वस्तुतः चरित्र-चित्रण और घटना-विन्यास दोनों सम्मिलित भाव से उस महान् गुण को उत्पन्न करते हैं जिसे किया कहते हैं। उत्तम चरित्र-चित्रण नाटककार की कृति को महान् बनाता है। सिर्फ़ घटनाएँ ही यदि बाहर से आभाकर पात्रों को विशेष दिशा में अग्रसर करती रहे तो पात्र निर्जीव जड़-पिण्ड के समान मालूम होंगे और नाटकीय प्रभाव उत्पन्न नहीं हो मिलेगा। शकुन्तला का प्राथम में यात्म-भर्पण और बाद में अपने प्रेमी के द्वारा प्रत्याह्यात होकर रोप-दीप्त होना महज धर्मने-धारा में स्वतन्त्र याहरी घटनाएँ नहीं हैं, वल्कि शकुन्तला के गरन और निष्पट चरित्र के भीतर से उत्पन्न हुई हैं। 'उत्तर रामचरित' में राम-द्वारा मीता का निर्वासन राम के भीतरी चरित्र की तकनी-सांगत परिणति है।

यह ब्रह्म है कि नाटककार उपन्यासकार की भाँति अपने पात्रों के चरित्र-

विश्लेषण का सुयोग नहीं पाता। उसे अपने पात्रों का चरित्रचित्रण थोड़े-से इशारों से कर देना पड़ता है। उसका प्रधान अवलम्ब उस पात्र की बात-चीत और अन्य पात्रों की, उसके सम्बन्ध में की हुई, उक्तियाँ होती हैं। परन्तु, जैसा कि शुरू में ही कहा गया है, नाटक में यह बात उतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि पात्र क्या कहता है, महत्वपूर्ण बात यह है कि वह क्या करता है। घटना और पात्र एक-दूसरे से धक्का खाकर आगे बढ़ते रहते हैं और इस धात-प्रतिधात से उत्पन्न क्रियाओं के द्वारा हम पात्रों के चरित्र-हप्ती ग्रन्थ के पन्ने खोलते जाते हैं। नाटककार का बड़ा कठिन कार्य यह है कि वह प्रति मूहर्त्त भिन्न-भिन्न पात्रों के रूप में नया-नया मनोभाव स्वीकार करता है और इसलिए उसका व्यक्तिगत मत और विचार बराबर दबते रहते हैं। इसी बात को नाटक का 'निवेद्यक्तिक तत्त्व' कहते हैं।

88. कथा-वस्तु और पात्रों के धात-प्रतिधात से नाटक महान् बनता है। नाटककार यदि पात्रों और घटनाओं को होशियारी से सम्माल सका और घटना-विन्यास की सुकुमार अवस्थाओं को पहचान सका, तो अत्यन्त मामूली कहानी को भी महिमा-मण्डित कर दे सकता है। इसका सर्वोत्तम उदाहरण कालिदास का 'अभिज्ञान शाकुन्तल' है, जिसे सक्षेप में 'शकुन्तला नाटक' कहा जाता है। महाभारत की सीधी-सादी कहानी को सम्मालने में नाटककार ने कमाल की सुकुमार प्रतिभा का परिचय दिया है।

महाभारत की कहानी सीधी है। राजा दुष्यन्त कण्व के आश्रम में जाता है। शकुन्तला को देखकर आकृष्ट होता है। वह निस्संकोच अपना अप्सरा से जन्म होना बता जाती है। दोनों में कुछ वहस होने के बाद उसे यकीन हो जाता है कि गान्धर्व-विवाह धर्म-संगत है। गान्धर्व-विवाह हो जाता है, परन्तु उसमें शकुन्तला शर्त करा लेती है कि उसी का पुत्र राजा होगा। राजा राजधानी को लौट आता है। शकुन्तला के पुत्र होता है। उसे ऋषि के शिष्य दरबार तक पहुँचाकर छले आते हैं। राजा अस्वीकार करता है। शकुन्तला कड़ी-कड़ी बाते सुनाती है। फिर आकाशवाणी होती है कि शकुन्तला का पुत्र वस्तुतः दुष्यन्त का ही पुत्र है और राजा उसे स्वीकार करता है तथा बताता है कि चालाकी से देव-वाणी द्वारा यह कहलवा लेना ही उसका उद्देश्य था कि भरत वस्तुतः दुष्यन्त का ही पुत्र है।

यही वह सीधी-सादी कहानी है जिसे कालिदास ने अपने नाटक के मूल कथानक के रूप में पाया था। इस अत्यन्त सरल कहानी को कालिदास की जादू-भरी लेखनी ने एकदम नयी काया दे दी है। यहाँ लज्जाशीला तापसकुमारी अपना जन्म-वृत्तान्त स्वयं नहीं कहती। उसकी सखियाँ केवल उस प्रौर इमारा-भर कर देती हैं। वाकी बुद्धिमान राजा को स्वयं समझ लेने को छोड़ देती है। उसके प्रेमोदय और गान्धर्व-विवाह तूली के अत्यन्त मुकुमःर स्पर्श से चिह्नित किये गये हैं। राजा के अनुचित माचरण को शाप की कथा से ढैक दिया गया है, प्रौर इम माचरण की धोड़ी-सी जिम्मेदारी शकुन्तला पर भी डालकर कवि ने करणतर पनुभूति का अवमर दिया है।

शकुन्तला जब दरवार में पति-दण्डन की मामा में उपस्थित होती है तो शार्प की पटना एक विनिध नाटकीय 'भाष्य-विड्युत' (दे. 95) का काम करती है। राजा के मर्मान्तक प्रत्यास्थान को इम शाप को कथा ने ऐसा बना दिया है कि महूदय का क्षोभ एक विनिध करण रग में भीगकर ऊपर प्राने के प्रयोग हो जाता है। राजा पर झुंझलाने के बदले वह उस पर दया करता है। शकुन्तला को शार के युत्तान्तों से प्रनभिज्ञ रखकर नाटकाकार ने इस प्रसंग को मदभूत मानसिक दृढ़ी का करण चित्र बना दिया है। शकुन्तला का रोप, राजा का प्रत्यास्थान, ऋषि-शिष्यों का शकुन्तला को खोड़ जाना — गच्छुद्ध विनिध रसपरिपाक के कारण बन जाते हैं।

महाभारत की शकुन्तला को भौति कालिदास की शकुन्तला राजा की माम को धमकी नहीं देतो। उसकी बातें राजवन् और ऋषि-कल्या के गोरव के मनुकूल हैं। दुर्घन्त उत्तम नायक है, क्योंकि वह राजकल्यानों का समुचित पालन करने-वाला है। उसका निःस्वार्थ कर्त्तव्यमय जीवन राजवि की तपस्या का जीवन है। शकुन्तला का परित्याग उसके उज्ज्वल चरित्र को उज्ज्वलतर बनाने योग्य ही सिद्ध हुआ है; क्योंकि ग्रनजाने परायी स्त्री को पत्नी के हृप में स्वीकार कर लेना भी पाप है, और राजा असल में इस पाप से बचने की ही कोशिश कर रहा था। शकुन्तला का उसके प्रति जो प्रेम है वह दुःख की अग्नि से परिमुद्र है। भौतिम मिलन प्रेम-द्रविता वालिका का नहीं, वल्कि तपःशुद्धा, मातृत्व के गोरव से गोरवान्वित, विगतकल्पा, साध्वी शकुन्तला का है।

विरोधी परिस्थितियों और व्यक्तित्वों की सूचिट करके अपने पात्रों के चरित्र-गुण को उज्ज्वल करने में भी कवि ने कमाल की होशियारी से काम लिया है। लेकिन शकुन्तला की तुलना में किसी भी स्त्री-पात्र को रंगमच पर दर्शक के सामने नहीं आने दिया है। विदूपक सदा राजा के साथ रहता है, परन्तु अगर वह शकुन्तला के प्रेम का साक्षी होता तो मारे नाटक का रस फीका हो जाता। ठीक ऐसे पर से नाटकाकार ने उसे कोशलपूर्वक हटा दिया है।

कथा का बड़ा आकर्षक चित्र है। वे मन्तानहीन ऋषि हैं, पर सन्तान के अहेतुक प्रेम से उनका हृदय भरा है। मरीच और दुर्वासा इन दो ऋषियों को तुलना में खड़ा करके कवि ने उनके हृदय की गम्भीरता, उदारता और प्रेम-प्रवणता को अति उज्ज्वल कर दिया है। इसी प्रहार और चरित्रों के चित्रण में और घटनाओं के गति-विकास में उनका संयोजन करके 'शकुन्तला' को कालिदास ने विश्व-साहित्य की अमर विभूति बना दिया है। चरित्र-चित्रण इतना सूक्ष्म और कोशलपूर्ण है कि थोड़े समय में दिल जानेवाले अत्यन्त गोण चरित्र भी स्पष्ट हो जठे हैं। शार्ङ्गधर और शारदृत बहुत थोड़े समय के लिए रंगमच पर आते हैं, वातें भी कम ही करते हैं, पर उतनी में ही स्पष्ट हो गया है कि शार्ङ्गधर उद्धत गर्वीता है, राजा को खरी-खरी सुना देता है और शारदृत शान्त गम्भीर है, और कल्या-यथा के आदमी को जिस प्रकार वात करनी चाहिए वैसी वात करता है।

89. मतलब यह कि पात्रों के चरित्र और घटनाएँ एक-दूसरे से टकराकर जुब नाटक को गतिशील बनाये रखे, तभी वे सफल होती हैं। यह बात उपन्यास के लिए भी सत्य है। कोई भी रचना तभी सफल हो सकती है, जब हम यह अनुभव करते रहें कि कुछ भिन्न-भिन्न स्वभाव के व्यक्ति विभिन्न उद्देश्यों को लेकर एकत्र हुए, और उनके स्वभावगत और उद्देश्यगत विरोधों के संघर्ष से कुछ परिस्थितियों में घटनाएँ अग्रसर होती गयी। इसलिए पात्रों का स्वभाव और उनका उद्देश्य नाटकीय कथा-वस्तु के लिए परम आवश्यक है। उनकी उपेक्षा दोष है।

90. 'जैसा कि ऊर बताया गया है, पात्रों के चरित्र-चित्रण का एक प्रधान अवलम्बन उनकी बातचीत है। बातचीत से हम उनके भीतरी मनोभावों का आभास पाते हैं और उनकी क्रियाओं के पीछे रहनेवाले उनके विचार समझ पाते हैं। इसलिए भरतमुनि के 'नाट्यशास्त्र' में पात्रों की बातचीत को नाट्य का शरीर बताया गया है। उपन्यास में बातचीत के द्वारा लेखक अपने उद्देश्य को व्यक्त कर सकता है, अपने मान्य सिद्धान्तों के गुण-दोष की विवेचना कर सकता है, अन्य पात्रों के चरित्रों की व्याख्या कर सकता है, पर नाटककार को इतना अवकाश नहीं होता। नाटककार जो बातचीत कराता है, उसका उद्देश्य चरित्र के भीतरी मनोभावों और वास्तविक स्वभाव को व्यक्त करके उसके चरित्रगत वैशिष्ट्य को दिखाना होता है। नाटकीय बातचीत का औचित्य विचार करते समय यह देखना चाहिए कि इससे पात्र की चरित्रगत विशेषता पर क्या प्रकाश पड़ता है। इसी पर से उसकी साधनता का निर्णय होता चाहिए।

91. ऐसा सम्भव है कि पात्र एक ऐसी बात प्रकाश रूप में कहे जो उसका भीतरी मनोभाव न हो, किसी कारणवश वह भूठ थोल रहा हो। ऐसी हालत में नाटककार एक 'कौशल' अवलम्बन करता है। वह या तो पात्र से कोई 'स्वगत' उक्ति कराता है—अर्थात् पात्र अपने-प्राप्तसे ही बात-चीत करके घरतीरी रहस्य खोल देता है, या फिर, यदि पात्र का कोई विश्वसनीय मार्यादा वही मौजूद हो, तो उससे 'जनान्तिक' में बात करा देता है। यह 'जनान्तिक' बासी बात तिक्खे उसका विश्वासपात्र व्यक्ति ही मुनता है।

ये दोनों बातें अजीब-सी लगती हैं। रगभंच से बहुत दूर बैठा हुआ थोता 'जनान्तिक' की बातें सुन लेता है, पर पास खड़ा प्रादर्भी नहीं गुन पाता, ऐसा मान लिया जाता है। 'स्वगत' उक्ति में तो कभी-कभी लम्बा व्याख्यान होता है। नाटक के रगभंच के निवा दुनिया में प्रीरकहीं भी दुरस्त हो गया। प्रादर्भी इन प्रकार अपने-प्राप्तकों व्याख्यान नहीं मुनाता। प्रालोचकों में दस प्रथा के औचित्य को निरुक्त काफी बहुमंड है, पर ये दोनों बातें मारे नमार के नाटककारों द्वारा चिरापरित प्रयाप्त हैं।

यस्तुतः स्वगत-उक्ति पात्र का मानसिक मोर घोर बिनके है। नाटककार अपने घोताधों की मुविया के लिए उन वितरों को जोर ने योनशाना है। जनान्ति के थोता भी उनके नाप इत प्रकार की रिपायत बरता गाता है। भारतीय नाटकों

में इससे मिलती-जुलती एक और भी विधि है। इसे 'आकाशभासित' कहते हैं। इसमें पात्र इस प्रकार बातचीत करता है मानो दुतले पर से कोई उससे कुछ पूछ रहा है और वह उसका जवाब दे रहा है। प्रतिवार वह थोतायाँ के सुभीते के लिए स्वयं ही पूछते तो है—'या कहा ?' —'यमुक यात ?' और किरणमुक बात का जवाब देता है।

आजकल की यथार्थवादी प्रवृत्ति इस प्रकार की स्फुटियों को भदी हड़ि के हृष में ही प्रहण करने लगी है। आधुनिक नाटककार इस प्रथा को छोड़ने लगे हैं और साधारण बातचीत के भीतर से हीं पात्र के भीतरी मनोभावों को चिह्नित करने का प्रयत्न करने लगे हैं। यह कठिन कार्य और भी कठिन इसलिए हो गया है कि आजकल के नाटक अधिकाधिक मनोवैज्ञानिक होते जा रहे हैं; किर भी, आधुनिक नाटककार ने सफलतापूर्वक इन हृषियों का परित्याग किया है।

92. 'रंगमंच' को सुविधा-असुविधा के अनुसार नाटक की कारीगरी में बराबर परिवर्तन होता आया है। आजकल 'रंगमंच' को वास्तविक और यथार्थ रखने की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गयी है। ऐसा करने से सब समय दर्शक के साथ न्याय नहीं किया जाता। दर्शक की कल्पना को भी पूरा अवकाश मिलना चाहिए। 'रंगमंच' के दृश्य की ओर इशारा-भर हो और बाकी दर्शक की कल्पना के ऊपर छोड़ दिया जाय तो ज्यादा सरसता आ सकती है। कविवर रचीन्द्रनाथ ठाकुर ने 'रंगमंच' को अति यथार्थवादी बनाने की प्रवृत्ति को 'लड़कपन' कहा था। इस दृष्टि से प्राचीन भारतीय 'रंगमंच' आधुनिक 'रंगमंचो' की अपेक्षा अधिक सरस और गम्भीर कहे जा सकते हैं, यद्यपि वे इतने सुसज्जित नहीं होते थे।

भारतीय आचार्यों ने अभिनय के चार अग्र माने हैं: 'आगिक', 'वाचिक', 'आहार्य' और 'सात्त्विक'। 'आगिक' अभिनय देह और मुख-सम्बन्धी अभिनय को कहते हैं। प्राचीन ग्रन्थों में सिर, हाथ, कटि, वक्ष, पाश्वं और देर आदि अग्रों के सैकड़ों प्रकार के अभिनय बताये गये हैं। इन अभिनयों का किस-किस कार्य में प्रयोग होगा, यह भी विस्तृत हृष से बताया गया है। 'वाचिक' वचन-सम्बन्धी अभिनय को कहते हैं। पदों का स्पष्ट उच्चारण, उचित स्थान पर जोर (काकु) आदि की कला इसी में गिनी जाती है। 'आहार्य' रंगमंच की सजावट और पात्रों के वेश-विन्यास को कहते हैं। रंगमंच में यथार्थता की भलक ले आ देने के लिए उन दिनों तीन प्रकार के पुस्त व्यवहृत होते थे। वे या तो बाँस या सरकण्डे के बने होते थे जिन पर कपड़ा या चमड़ा मढ़ दिया जाता था, ताकि पहाड़, बन आदि की भलक दे सकें; या किर तन्त्रादि की सहायता से फर्जी बना लिये जाते थे; या किर अभिनेता इस प्रकार की चेष्टाओं का अभिनय करता था कि जिससे दर्शक को उन वस्तुओं का बोध अपने-आप हो जाता था। पुरुषों और स्त्रियों की वेश-रचना और उनका यथाविधि रंगमंच पर उतरना भी 'आहार्य' अभिनय के ही अग्र समझे जाते थे। परन्तु इन तीनों ही की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है 'सात्त्विक' अभिनय। भिन्न-भिन्न रसों और भावों के अभिनय में ही अभिनेता या अभिनेत्री,

की वास्तविक परीक्षा होती है।

इस प्रकार रंगमच की सजावट, पात्रों का वेश-विन्यास, उनकी वात-चीत, उनकी आगिक गति और उनका भावात्मक अभिनय भी भारतीय शास्त्रकार की दृष्टि में अभिनय ही है। 'अभिनय' शब्द का अर्थ वह 'किया' है जो दर्जक को रसानुभूति की ओर ले जाय। रंगमच की सजावट, पात्रों की वात-चीत, उनका वेश-विन्यास आदि सभी वातें रसानुभूति की सहायिका हैं। परन्तु यदि ये ही प्रधान हो उठे और रसानुभूति गीण हो जाय तो वे दोप हो जायेंगी। रंगमच को अत्यधिक यथार्थवादी बनाने के प्रयासी इस बात को भूल जाते हैं।

93. प्रत्येक नाटकीय कथा कुछ विरोधों को लेकर अग्रसर होती है। जो कथा सरल होती है उसमें यह विरोध दो व्यक्तियों में होता है, परन्तु यह आवश्यक नहीं कि विरोध के लिए हर हानत में एक नायक और एक प्रतिनायक रहे ही। आपुनिक नाटकों में यह विरोध नाना भाव से प्रदर्शित हुआ है। नायक का उसके भाग्य या परिस्थितियों के साथ विरोध हो सकता है, सामाजिक घटियों के साथ विरोध हो सकता है और फिर अपने भूत के परस्पर-विरोधी आदर्शों के सघर्ष के रूप में भी हो सकता है। विरोध व्यक्तियों, मनोभावों और स्वार्थों को केन्द्र करके नाना रूप में प्रकट हो सकता है। इस विरोध से ही नाटक की घटना में गति या क्रिया आती है। विरोध के आरम्भ से ही वस्तुतः कथा-वस्तु का आरम्भ होता है और उसके अन्त से ही उसका अन्त हो जाता है। विरोध कथा-वस्तु को आश्रय करके अग्रसर होता हुआ चरमविन्दु तक उठता है, जहाँ से एक पक्ष की हार शुरू होती है और एक पक्ष की जीत, और अन्त में जब हारनेवाला पक्ष एकदम हार जाता है तो विरोध की समाप्ति हो जाती है।

इन क्रियाओं को पश्चिम के पण्डितों ने पांच भागों में बांट लिया है: (1) पहली 'आरम्भावस्था' है, जिसमें कुछ ऐसी घटनाओं की अवतारणा होती है जिनमें विरोध अंकुरित होता है। (2) दूसरी 'विकासावस्था' है, जहाँ विरोध का विकास होता है, वह अग्रसर होता जाता है। (3) तीसरी अवस्था का नाम 'चरमविन्दु' है। यहाँ विरोध अपनी सर्वोच्च सीमा पर आ जाता है। (4) चौथी अवस्था 'हासावस्था' कहलाती है, इसमें विरोध उतार की ओर होता है और एक पक्ष निश्चित रूप से हार की ओर अग्रसर होता रहता है। (5) पांचवीं अवस्था का नाम 'समाप्ति' है।

इन पांच अवस्थाओं—'आरम्भ', 'विकास', 'चरमविन्दु', 'हासावस्था', 'समाप्ति', को लक्ष्य में रखकर पांच अंक के नाटक लिखे जाते थे। पर नाना कारणों से अंकों का विभाजन व्यवचित्र-कदाचित् ही इन पांच अवस्थाओं के स्वाभाविक विकास के आधार पर होता है। कभी दो अंकों तक 'आरम्भ' चल रहा है, दो अंकों तक 'विकास' चलता है, और फिर घड़ाघड़ अन्तिम अंक में 'चरमविन्दु', 'हास' और 'समाप्ति' की योजना कर दी जाती है। यह दोप है। होना यह चाहिए कि कथा-वस्तु में इन पांच अवस्थाओं के विकास से सम्बद्ध हो। सभी

का सूत्रपात हो जाता है। समस्त नाटक के भीतर राम का ग्रन्तदंडन्द—उनके भीतरी प्रेम और बाहरी राजकर्तव्य का द्वन्द्व—बहुत चतुरता के साथ मुळ में ही दिया दिया गया है।

राम के चरित्र में व्यक्ति की अगेक्षा राजा के बालु कर्तव्य का जो प्राधान्य है, उसी ने नाटक को एक ग्रन्तवं करुण भाव से आदर्श बना दिया है। परन्तु चूँकि सीता के चरित्र में एक रसता अधिक है, इसलिए नाटककार शुल्क में ही उनकी और पाठक का ध्यान नहीं आकृष्ट कर सका है। परन्तु तृतीय अक में जब सीता अपने प्रियतम को देखती और धमा करती है तो भवभूति का चिवण अत्यन्त सुकुमार हुआ है। राम यद्यपि कर्तव्य-पालन में कठोर है, पर सीता के प्रति उनका प्रेम निस्सन्देह अत्यधिक है। राम के चरित्रगत इस भीतरी विरोप को जितना इस अक की घटनाएँ स्पष्ट करती है, उतना और किसी अक की नहीं। देशी और विदेशी सभी पण्डितों ने स्वीकार किया है कि इस अंक में सीता के शान्त, गम्भीर और उदार आत्मसमर्पण में एक ऐसी रस-वस्तु का साक्षात्कार होता है जो भवभूति की अपनी विशेषता है। सारे अंक में यद्यपि कुछ अप्राकृतिक अवस्थाओं का सहारा नाटककार ने लिया है, पर वही चतुरता के साथ इस दैवी सहायता ने भावी मिलन और प्रेम को सान्द्ररूप में प्रकट करने का मार्ग प्रशस्त कर लिया है।

'उत्तर रामचरित' का तृतीय अक कवित्व, कल्पना और रस-प्रिणाक की दृष्टि से बेजोड़ है। अन्तिम अंक में भवभूति की नाटकीय प्रतिभा सर्वोच्च स्थान पर उठी है। केवल भारतीय नाटकों की मिलनान्त होनेवाली रुढ़ि के पालन के लिए भवभूति ने अन्तिम अक में मिलन नहीं कराया है। वस्तुतः नाटक जिस रास्ते अग्रसर हुआ है उसकी सर्वोत्तम परिणति यही है। ऐसा न होता तो, जैसा कि ए. वी. कीथ ने लिखा है, आधुनिक पश्चिमी यालोचक की दृष्टि में भी नाटक ग्रन्तवं ही रह जाता।

96. नाटक की क्रिया वस्तुतः दो प्रकार की होती है : 'साक्षात् प्रवर्त्तित' या 'प्रत्यक्ष' तथा 'असाक्षात् प्रवर्त्तित' या 'परोक्ष'। 'प्रत्यक्ष' और 'परोक्ष' शब्द अधिक सुगम है, इनके लिए 'साक्षात् प्रवर्त्तित' और 'असाक्षात् प्रवर्त्तित' ये दो शब्द शास्त्र में प्रयुक्त होते हैं। 'प्रत्यक्ष' क्रिया नाटक के रगमचं पर दिखायी देती है। मारना, लड़ना आदि ऐसी ही क्रियाएँ हैं, परन्तु 'अप्रत्यक्ष' या 'परोक्ष' क्रियाएँ सात्त्विक अभिनय से दिखायी जाती है (दे. 92.)। दुःखी होना, आनन्दित होना आदि ऐसी ही क्रियाएँ हैं। शेक्सपियर के नाटकों में 'प्रत्यक्ष' क्रिया का बाहुल्य है और वर्णादिं शा तथा [रवीन्द्रनाथ के नाटकों में 'परोक्ष' क्रिया का। दोनों में सामजंस्य-विधान होना चाहिए। नाटककार को इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि अकारण कोई क्रिया न दिखायी जाय। प्रत्येक क्रिया का उद्देश्य होना चाहिए। इसी उद्देश्य से नाटक की क्रिया रसोद्रेक में सहायता करती है।

97. भरत मुनि ने कहा कि नाटक अवस्थाओं के अनुकरण का नाम है।

क्रृतरण केवल तीन तत्त्वों तक ही सीमित है : (1) घटना का, (2) पात्र का और (3) बातचीत का। तीनों के अनुकूलरण तीन-तीन तरह से हो सकते हैं। पात्र उन्हें, जैसा वे होते हैं उससे अच्छा करके दिखाया जा सकता है, वा बुरा करके ना दिखाया जा सकता है, या ज्यो-का-न्यो दिखाया जा सकता है। चाहे नाटक यथा-दिक् द्वारा हो या आदर्शवादी, पहले दो तरीके भवी हचि के परिचायक हैं। यथार्थ यंकृत बुरा करके जो अनुकूलण होगा उसमें खून-खच्चर, शाराव-कथाव, हत्या-डकैती जैसे दिक् का प्राधान्य होगा। जो यथार्थ से अच्छा होगा उसमें आकाशवाणी, देवत्वा-प्राप्ति, पुष्पवृष्टि आदि का प्राधान्य होगा।

८३. वस्तुतः नाटक का अनुकूलण वास्तविक होना चाहिए। केवल उसका प्रभाव

होना चाहिए जो मनुष्य को पशु-सुखभ मनोवृत्तियों से ऊर उठाये। मनुष्य तेमा प्रकार की दुर्बलताओं और शक्तियों का समन्वय है, उसका अनुकूलण भी वैसा होना चाहिए। कुछ लोगों को यह भ्रम है कि पाश्चात्य देशों में जिसे 'ट्रेजेडी' कहा जाता है वह दुःखान्त या वियोगान्त घटना है। अतएव वात यह नहीं है। 'ट्रेजेडी' कहने वाले नाटक है, इसमें सन्देह नहीं, परन्तु यदि चरित-नायक में ऐसी स्वाभाविक दुःखान्त नहीं हो, जो उसके दुखमय अन्त को स्वाभाविक रूप में यहाँ ले चले, तो वह उन्हें 'ट्रेजेडी' नहीं कही जायगी। यदि शुक्र में ही मान लिया जाय कि चरितनायक उन्हें भी सत्यम् से विचलित नहीं होनेवाला अवक्ति है तो 'ट्रेजेडी' का रस-परिपाक वास्तवा नहीं होगा, वयोर्कि 'ट्रेजेडी' के समस्त दुखों का मूल उस चरितनायक की अच्छी नता ही है। इसलिए नाटकीय चित्रण में वास्तविकता आवश्यक है। इन दुर्बलिकाओं के भीतर से ही उत्तम नाटककार महान् वनानेवाले नाटकीय वास्तव को पैदा करता है।

८४. चरित्र-प्रधान नाटकों के प्रसंग में हिन्दी के प्रसिद्ध नाटककार थी जयप्रभा।

८५. 'प्रसाद' का नाम लिया जा सकता है। उनके नाटकों के प्रधान आकर्षण यह है : (1) शक्तिशाली चरित्र और (2) कवित्वमय वातावरण। यद्यपि उनके नाटकों में अनेक श्रेणी के लोग नहीं हैं, तथापि वे इतने सजीव हैं कि पाठक उनको दो दृष्टियों से भी देख सकता है। उनके आदर्श पात्रों में वीरता, प्रेम और देश-भक्ति आवश्यक भवति विद्यमान रहते हैं, जिसका परिणाम वह हुआ कि उनमें वहुविष्टता नहीं थी।

८६. उनके सभी आदर्श और आकर्षक पुरुष पात्रों को तीन मोटे विभागों में बांट जा सकता है :

८७. (1) तत्त्वचिन्तक, (2) कर्मठ वीर सैनिक, और (3) कुटिल राजनीतिज्ञ। ये तीन प्रेमी होते हैं और प्रेम ही इनको दुर्बल या सबल बनाता है। उनके नाट्रों में भी ये ही वातें लागू होती हैं। उन्हें भी तीन श्रेणियों में बांट लिया जा सकता है : (1) कुटिल राजनीतिज्ञ, (2) प्रेमिकाएँ, और (3) दुर्बल हृदय हस्ताकाशिणी स्त्रियों।

८८. उनके सभी नाटकों में कुछ घटा-बढ़ाकर ये छः प्रकार के चरित्र लोगे

आगे बढ़ते गये हैं, और नाटककार वरावर एक सच्चे जिज्ञासु की तरह बड़ी साक्षाती से चलता गया है। प्रेमचन्द्रजी के चरित्रों की तरह उनके मूल में ही कान्ति नहीं है, कान्ति है उनके अन्त में। यह सच है कि उन्होंने भी कान्ति की है, सामाजिक या राजनीतिक नियमों की अवहेलना की है; किन्तु क्य? —विरोधी उपकरण जब जिन्दगी की राह रोककर खड़े हो जाते हैं। यही स्वाभाविक है। मिथ्यजी की यह ईमानदारी उनके नाटकों में भारी आकर्षण ले आ देती है। उन्होंने पुरानी भावुकता के प्रति विद्रोह किया है। उनका कहना है कि “प्रतिभा वदि वास्तव में कही है तो वह उसी पुराने रास्ते में धूल के भीतर घसीटी नहीं जा सकती। उसकी इच्छा कानून है, वह जिधर नजर डालती है, नियम बनते जाते हैं। कलाकार का कम्पास है जो तूफान ठीक उत्तर की ओर संकेत करना ही आदर्श है, फिर भी उन्होंने अपने नाटकों को जो ‘समस्या नाटक’ कहा है उसका कारण यह है कि वे पहले ही समाधान को दृष्टि में रखकर अपनी रचना नहीं करते। वे उस बात की ओर उम्मुख हैं, जो एक नयी दुनिया का निर्माण करेगी, “जिसका धाधार संस्कार और सेवा होगा—रंगों की विप्रमता और धूपणा नहीं।” इसीलिए वे बर्नार्ड शा की उस प्रवृत्ति का अनुकरण करना पसन्द नहीं करते जिसका काम उपहास करना है, सुधार करना नहीं।

मिथ्यजी के नाटकों में नाटकीय कारीगरी निर्दोष नहीं कही जा सकती। दृश्यों के विवान में और समस्याओं की बेमेल योजना में द्रुटि खोजी जा सकती है, पर निःस्सद्देह उनमें अपने प्रतिपाद्य के भीतर प्रवेश करने की पैंची दृष्टि वर्तमान है।

लेकिन हिन्दी में आज भी नाटकों में कवित्व पूरी मात्रा में है। तीन श्रेणी के नाटक ऐसे लिखे गये हैं जो काव्य के तत्त्वों से परिपूर्ण हैं :

(1) प्रथम है ‘रूपक नाट्य’, जिनमें या तो मानवीय मनोरागो—जैसे; कामना, विलास, सन्तोष, करण आदि—की मनुष्य-रूप में कल्पना करके नाटकीय रस-सृष्टि करने का प्रयास होता है, या प्रकृति के भिन्न-भिन्न उपादानों की मानव-रूप में अवतारणा की जाती है। प्रसादजी की ‘कामना’ प्रथम श्रेणी में और सुमित्रानन्दन पन्तजी की ‘ज्योत्स्ना’ द्वासरी श्रेणी में आती है। इन रूपकों के माध्यम से नाटककार अपना अभिमत उद्देश्य व्यक्त करता है।

(2) ‘गीति-नाट्य’ पद्यात्मक वातचीत के रूप में लिखे जाते हैं। यह भी कवित्व की मात्रा लिये होते हैं। कवित्व से मतलब केवल पद्य-बढ़ता से नहीं बल्कि भावावेग, कल्पना और भक्तार के वातावरण से है। नाटकों की गद्यात्मक किया का इसमें प्राधान्य नहीं होता, यद्यपि वह नाटकीय गुण इसमें रहना आवश्यक है, जो पात्रों और घटनाओं के धात-प्रतिधात से गति उत्पन्न करना है। हिन्दी में बहुत बड़ी प्रतिभावाला गीति-नाट्यकार कोई नहीं है।

(3) इन्हीं से मिलते-जुलते अर्थात् भावावेग, कल्पना और भक्तार का कवित्वमय वातावरण लिए हुए एक और प्रकार के नाटक होते हैं, जो गद्य में

लिखे जाते हैं। उन्हें 'भावनाट्य' नाम दिया गया है। ऐसे नाटकों में सबसे प्रख्यात हैं गोविन्दबल्लभ पन्त का 'वरमाला'। श्री उदयश कार भट्टु ने भी अनेक गीति-नाट्यों और भावनाट्यों की रचना की है।

103. इधर 'एकाकी नाटकों' का भी प्रचलन बढ़ रहा है। पुराने जमाने में भी एक थक में समाप्त होनेवाले नाटक लिखे गये हैं, परन्तु इधर के प्रथल नये हैं। इनमें गद्यात्मकता, मनोविग्रहेण की प्रवृत्ति और समस्पाद्यों की ओर सकेत ही प्रनघा हो उठा है। ये कहानी की भाँति वैयक्तिक स्वाधोनता और गद्य-युग की उपज हैं। इनमें बड़े नाटकों की भाँति चरित्र के विकास का ज्यादा व्यवकाश नहीं होता। कहानी के बाद एकाकी नाटक के चरित्र भी लेखक के उद्देश्य के साथन होकर आते हैं। स्थान, समय और वस्तु का सकलन एकाकी के कीशल की जान है। कहानी की भाँति एकाकी नाटक भी एक घटना, एक परिस्थिति और एक उद्देश्य से बनता है। हिन्दी में डॉ. रामकुमार वर्मा ने सबसे अधिक एकाकी नाटक लिखे हैं।

104. नाटककार का उद्देश्य समझना उपन्यासकार के उद्देश्य के समान सरल नहीं है। नाटक भिन्न-भिन्न स्वभाववाले पात्रों के मुख से बोलता है। प्रत्येक पात्र की उक्ति में नाटककार का अपना भल व्यक्त नहीं होता, परन्तु दो वातों को ध्यान में रखने से नाटककार का अपना उद्देश्य समझ में आ जाता है। प्रथम यह लक्ष्य करना चाहिए कि नाटककार किस पात्र की ओर सबसे अधिक सहानुभूति उत्पन्न कर रहा है और किस पात्र की ओर धूणा या उपेक्षा का भाव दिखा रहा है। सहानुभूतिवाले पात्र के मुख से नाटककार प्राय अपना मत प्रकट किया करता है।

आजकल तो नाटककार दीर्घ भूमिकाएँ लिखकर अपना भल प्रकट करने लगे हैं। नाटककार की गलतियों से भी उसके पक्षपात का अनुमान होता है, क्योंकि कभी-कभी उत्तम नाटककारों को भी अपने सिद्धान्तों के प्रति अतिरिक्त मोह होने के कारण शिथिल और अनावश्यक दृश्यों का अवतरण करते देखा गया है। प्रसादजी प्रायः नाटकों को गतिमान बनाने के बदले अपने ऐतिहासिक मतों और दार्शनिक विश्वासों की व्यक्त करने के फेर में पड़ जाते हैं और इस प्रकार गतिहीन दृश्यों की योजना कर बैठते हैं।

परन्तु नाटक की परिस्थमाप्ति से भी नाटककार का उद्देश्य स्पष्ट होता है। 'शकुन्तला नाटक' के प्रथम थक में कालिदास ने दुष्पत्त और शकुन्तला के आकर्षण की योजना योवन-लीला के भीतर से की है। परिस्थितियाँ इस उच्छृंखल प्रेमाकरण को ध्वनि-भिन्न कर देती हैं। अन्तिम थक में मलिन धूसरवसना, निषमाचरण से शुष्कमुखी, युद्धशीला शकुन्तला का दर्शन होता है। यहाँ कवि ने मिलन का माध्यम वालक को बनाया है। इस आदि और अन्त को देखकर सहृदय के हृदय पर यह प्रभाव पड़ता है कि "मोह मे जो श्रद्धालायं हुया है वह मगल में परिस्थमाप्त है। धर्म में जो सौन्दर्य है वही श्रुत है और प्रेम का जो जन्मत, मयत

तथा कल्याणमय रूप है वही श्रेष्ठ है; वन्धन में ही यथार्थ प्रोभा है; और उच्छृंखलता में सौन्दर्य की आशु विकृति। भारतवर्ष के प्राचीन कवि ने प्रेम को ही प्रेम का लक्ष्य नहीं माना, मंगल को ही प्रेम का अन्तिम लक्ष्य पोषित किया है। उनके मत में नर-नारी का प्रेम तब तक मुन्दर नहीं होता जब तक वह वन्ध्य (निष्फल, निस्सन्तान) रहता है, कल्याण को नहीं अपनाता और सार में पुत्र कन्या तथा अतिथि-प्रतिवेशियों में विचित्र सीभाष्य से व्याप्त नहीं हो जाता।” (खीन्द्रनाथ)

105. और सही बात यह है कि अन्यान्य साहित्यांगों की भाँति नाटक का भी चरम लक्ष्य वही परम मंगलमय ऐक्यानुभूति है, जिससे वह पशु-सामान्य प्रवृत्तियों से ऊपर उठता है और प्राणिमात्र के मुख-दुःख को अपना समझ सकता है। नाटक की समालोचना के नाम पर आजकल बहुत जल-जलूल भ्रामक वार्ते फैलायी जा रही है। सुप्रसिद्ध नाटककार वर्नार्ड शा ने एक जगह लिखा है:

“कोई ऐसी बात नहीं कहता कि ‘मैं पूर्वकालीन मुखान्त और दुखान्त नाटकों से उसी प्रकार धूणा करता हूँ जिस प्रकार धर्मोपदेश से या संगीत से। किन्तु मैं पुलिस-केस या विवाह-विच्छेद के समाचार को या किसी भी प्रकार के नृत्य और सजावट आदि को पसन्द करता हूँ, जो मुझ पर और मेरी पली पर अच्छा प्रभाव डालते हैं। वडे लोग चाहे जो कहें, मैं किसी प्रकार के बुद्धिमूलक कार्य से आनन्द नहीं उठा पाता और न यही विश्वास करता हूँ कि कोई दूसरा ही उससे आनन्द उठा सकता होगा।”—ऐसी बातें नहीं कही जातीं। किरणी यूरोप और अमरीका के 90 फीसदी प्रसिद्ध पत्रों में नाटकों की समालोचना के नाम पर इन्हीं बातों का विस्तृत और पालिश किया हुआ अध्यन्तर प्रकाशित होता है। अगर इन समालोचनाओं का यह अर्थ नहीं तो उनका कुछ भी अर्थ नहीं है।”

## साहित्यक समालोचना और निवन्ध

106. ‘समालोचना’ शब्द का व्यवहार आजकल बहुत अस्त-अस्त अर्थ में हो रहा है। अग्रेजी के ‘क्रिटिसिज्म’, ‘रिट्रॉ’, ‘ओपिनियन’ आदि शब्दों के सिवा सस्कृत की ‘टीका-व्याख्या’ आदि सभी शब्दों में इसका व्यवहार होते देखा गया है। साधारणतः समालोचक का कर्तव्य यह समझा जाता रहा है कि वह कवि और काव्य के गुण-दोषों की परीक्षा करे, उत्कर्ष-अपकर्ष का निर्णय बताये, और उप-

देयता या अनुपादेयता के सम्बन्ध में परामर्श दे। सनातन काल से समस्त देशों में काव्य-समालोचक निम्नाकृत वातों में से एक, दो, या तीनों का कार्य करते आये हैं : विश्लेषण, व्याख्या और उत्कर्पणिकर्प-विधान। लेकिन वहुत हाल ही में समालोचक के इस सनातन-समर्थित कर्तव्य को सन्देह की दृष्टि से देखा जाने लगा है।

सबसे पहला आकमण 'समालोचना' नामक विषय पर ही किया गया है। कवि और पाठक के बीच इस मध्यवर्ती वादा की उपकारिता पर ही सन्देह प्रकट किया गया है। विभिन्न देश और काल के इतिहास से इस प्रकार के सैकड़ों प्रभाण एकत्रित किये जा सके हैं कि एक ही कवि या नाटककार को दी समालोचक एकदम विरुद्ध रूप में देखते हैं। कास के अगलोचक वहुत दिनों तक शेषसंप्रियर को असम्भव, जगती और कला-शून्य समझते रहे और इगलैण्डवाले सासार का सर्वश्रेष्ठ कलाकार। मिल्टन के 'पेराडाइज सास्ट' को एक पटित ने वहुत ही उत्तम और दूसरे ने अत्यन्त निकृष्ट कोटि का काव्य बताया था। हिन्दी में कुछ दिन तक देव और विहारी के काव्योत्कर्प के विषय में परस्पर-विरोधी मतों का चख-चख चलता रहा। केवल कवियों की ही नहीं, आलोचकों की भी समीक्षा करते समय परस्पर-विरोधी मतों की बातें सुनायी देती हैं। श्री रामनाथ लाल 'सुमन' को जिस महीने श्री नगेन्द्र ने 'इमेजिनेटिव' या कल्पनावादी 'स्कूल' का बताया, उसी महीने श्री वनमाली ने 'इम्प्रेशनिस्ट' या प्रभाववादी सम्प्रदाय का मान लिया। इस प्रकार प्रत्येक देश और प्रत्येक काल में समालोचक के विश्लेषण, व्याख्या और उत्कर्पणिकर्प विधानों में गहरा मतभेद देखा जाता है। फिरभी इसके विना काम भी नहीं चलता।

107. समस्त हिन्दी साहित्य को पढ़ना सम्भव नहीं है। उस पर अपना मत भी स्थिर करना सबके बूते का नहीं है। इस अज्ञान की अपेक्षा प. रामचन्द्र शुक्ल का विशेष दृष्टि से देखा हुआ साहित्यिक निष्कर्प पठन कही अधिक अच्छा है। इस प्रकार प. रामचन्द्र शुक्ल का मत एक-दो स्थानों पर भ्रामक होते हुए भी, सब मिलाकर काम की चीज़ सिद्ध हो सकता है; पर खतरा यह है कि प. रामचन्द्र शुक्ल को 'क', 'ख', 'ग' नामक समालोचकों से विशेष कैसे मान ले ? कौन-सा बाट है जिससे हम शुक्लजी के भारीपत और दूसरों के हल्केपन का निर्णय कर से ? स्पष्ट ही हमें फिर एक दूसरे आदमी को राय लेनी पड़ेगी और इस प्रकार मूल पुस्तक और अपने बीच हम एक और वादा खड़ी कर लेंगे। तच पूछा जाय तो मूल पुस्तक और पाठकों के बीच इस प्रकार की वादाओं की परम्परा बड़ी खतरनाक सावित हुई है। इस वैज्ञानिक युग में इसीलिए इन उत्कर्पणिकर्प-विधायिनी समालोचनाओं के प्रति एक तरह के विराग का वातावरण तैयार हुआ है। इसलिए कुछ पटितों ने भयालोचना को विल्कुल नये ढंग का शास्त्र बनाना चाहा है; क्योंकि उसके बिना जब काम चल हो नहीं सकता और पुराना ढंग जब खतरनाक सावित हो ही चुका है, तो क्यों न इस शास्त्र का आमूल संस्कार कर लिया जाय ?

108. इन नये पण्डितों का मत है कि समालोचना में उत्कर्ष या अपकर्ष का निर्णय नहीं होना चाहिए। वनस्पति-जास्त्री यवूल और गुलाव के मौनदर्यं या गुणों की मात्रा का विचार नहीं करता, वह केवल इनकी जाति का भेद बताता है। इसी प्रकार आलोचक की भी आलोच्य ग्रन्थकार की जाति का निर्णय करना चाहिए, गुण और दोष की मात्रा का नहीं।

प्राचीन निर्णयात्मिका समालोचना (जुड़िशियल) के विरोध में इसका नाम दिया गया है 'अन्यूहमूला समालोचना' (इडविटव फिटिसिज्म)। इसमें कवियों के प्रकार— (काइट) में भेद किया जाता है, मात्रा (डिग्री) में नहीं। समालोचक काव्य का विश्लेषण करते हैं, गुण-दोष का विवेचन नहीं। लेकिन वनस्पति-जास्त्र के वबूल और गुलाव का जाति-भेद बताने के बाद भी एक ऐसे शास्त्र की आवश्यकता रह जाती है जो बताये कि इन दोनों में से किसका नियोग मानव-जाति के किस कल्याण में किया जा सकता है। उसी प्रकार इस समालोचक के बाद भी इस बात की ज़रूरत रह जाती है कि, समालोचक नहीं तो कोई और ही बताये कि किस कवि से समाज को दया लाभ या हानि है—अर्थात् समाज के लिए कौन कितना उत्कृष्ट या अपकृष्ट है? इस प्रकार समस्या जहाँ-की-तहाँ रह जाती है। असल में सबाल 'जुड़िशियल' या 'इडविटव' आलोचना का नहीं है, सबाल है एक सामान्य निर्णयिक साधन का। भारतवर्ष के पण्डितों ने अनेक रगड़-झगड़ के बाद एक सामान्य मान (या 'कामन स्टैण्डर्ड') बनाने की चेष्टा की थी; पर हमने देखा है कि जमाने के परिवर्तन के साथ वह अब आदर्श व्यवस्था नहीं मानी जा सकती। फिर भी उनके सुझाये हुए मार्ग से नये 'स्टैण्डर्ड' का उद्भावन किया जा सकता है।

109. मनुष्य का मन हजारों अनुकूल और प्रतिकूल धाराओं के सघर्ष से रूप ग्रहण करता है, उसे अगर प्रमाण मान लें तो मूल्य-निर्धारण का कोई एक सामान्य मानदण्ड बन ही नहीं सकता। ग्राहक और विक्रेता को अपने-अपने मन के अनुसार 'सेर' बनाने दिया जाय तो बाजार बन्द हो जायेगे। कवि का कारबार इसी मानसिक 'सेर' से चलता है, अन्ततः अब तक चलता रहा है। इधर समालोचक लोग अपने-अपने मन के गढ़े 'सेर' लेकर पहुँचे हैं। जब हम समालोचक की श्चि की बात कहते हैं तो उसके इसी मन-गढ़न्त 'सेर' की बात करते हैं! 'क' नामक समालोचक जिसको तीन सेर कहता है, 'ख' उसे पीन सेर मानने को भी तैयार नहीं। 'देव पुरस्कार' के एक निर्णयिक ने एक पुस्तक पर 85 नम्बर दिये थे, दूसरे ने 20 और तीसरे ने शून्य !! अब, यह तथ्य है कि अपनी-अपनी श्चि और अपने-अपने सस्कार लेकर बस्तु का याथार्थ्य-निर्णय नहीं हो सकता, कोई एक सामान्य मानदण्ड होना चाहिए।

प्रभाववादी समालोचकों ने इस सामान्य मानदण्ड के रास्ते में विघ्न खड़ा किया है। प. रामचन्द्र शुक्ल ने इनकी समालोचना के सम्बन्ध में अपने इतिहास में कहा है कि "प्रभावविव्यंजक समालोचना कोई ठीक-ठिकाने की बस्तु ही

नहीं। न ज्ञान के धैर्य में उसका कोई मूल्य है, न भाव के धोश में। उसे समीक्षा या आलोचना कहना ही व्यर्थ है। किसी कवि की आलोचना कोई इसलिए पढ़ने चैठता है कि उस कवि के लक्ष्य को, उसके भाव को ठोक-ठीक हृदयगम करने में नहारा। मगेर, इसलिए नहीं कि सजोले पद-विन्यास द्वारा अपना मनोरजन करे। यदि किसी रमणीय अर्थगम्भित पद्य की आलोचना इसी रूप में मिले कि ‘एक बार इस कविता के प्रवाह में पड़कर वहना ही पड़ता है। स्वयं कवि को भी विवशता के माव वहना पड़ा है, वह एकाधिक बार मयूर की भाँति अपने सौन्दर्य पर आप ही नाच उठा है’, तो उसे लेहर कोई क्या करेगा ?”

आचार्य शुक्ल का यह वक्तव्य जहाँ विशुद्ध बुद्धिमूलक चिन्तन को प्रधान मानकर समालोचना के प्रभाववादी रूप की उचित समीक्षा करता है, वहाँ यह भुला देता है कि काव्य की समीक्षा जितनी भी बुद्धिमूलक क्यों न हो, है वह भावावेग को समझने का प्रयत्न ही। सहृदय के हृदय में वासनारूप से स्थित भाव ही तो काव्य के ग्रलोकिक चमत्कार का कारण है, रस सहृदय के स्वाकार से अभिन्न है (द 29)। फिर वह निस्सग कैसे हो भक्ता है? जब तक सहृदय का व्यक्तित्व कवि के साथ एकाकार नहीं हो जाता तब तक रस का अनुभव नहीं हो सकता। समीक्षक जब तक अपना अहकार लेकर बैठा रहेगा तब तक रस नहीं पा सकेगा। स्वयं शुक्लजी ने कहा है कि “काव्य का चरम लक्ष्य सर्वभूत को आत्मभूत कराके अनुभव कराना है, उसके साधन में भी अहकार का त्याग आवश्यक है।”

110. लेकिन किसी भी वात के निर्णय का सामान्य मानदण्ड मनुष्य के पास बत्तमान है। वह मानदण्ड है बुद्धि। किसी ‘वस्तु’, ‘धर्म’ या ‘क्रिया’ के वास्तविक रहस्य का पता लगाने के लिए उसे अपने अनुराग-विराग या ईर्ष्या-द्वेष के साथ सान नहीं देना चाहिए, वल्कि देखना चाहिए कि वस्तु-धर्म या क्रिया, देखनेवाले के विना भी, अपने आपमें क्या है। यीता में इस वात को नाना भाव से बताया गया है। समालोचना का जो ढर्या प्रभाववादियों ने चला दिया है उसमें द्वन्द्वों द्वारा परिचालित होने के दोष को कारण तो माना ही नहीं जाता, उल्टे कभी-कभी उसके लिए गर्व किया जाता है।

111. सम्मतियों की इस वहुमुखी विरोधिता का कारण यह है कि आलोच्य वस्तु को आलोचक अपने मानसिक स्वकारों के भीतर से देखता है। कभी-कभी वह अपनी गलती खुद ही महसूस करता है और इसलिए अपनी सम्मति के समर्थन में वेदान्त से लेकर कामशास्त्र तक का हवाला पेश किया करता है। इसी प्रकार शुरू में ही अपनी रुचि-अरुचि के जाल से आलोच्य को आच्छादित करने-वाली समालोचना का भी नाम कभी-कभी ‘निर्णयात्मिका’ (जुडिशियल) बताया जाता है। परन्तु वस्तुतः यह समालोचना ‘निर्णयात्मिका’ नहीं होगी, योकि निर्णयिक होने के लिए ईर्ष्या-द्वेष से परे होना वहुत जल्दी है। परन्तु कहा जाता है कि समालोचना की दुनिया निराली होती है। अन्य वैज्ञानिक ठोस-ठोस वस्तुओं

की नाप-जोख करते रहते हैं, पर समालोचक अनिन्द्रिय-ग्राह्य अलौकिक रस-वस्तुओं की जाँच करता है। इसलिए पहले उसे अपने मनोभावों को ही प्रधानता देनी चाहिए। अर्थात् छूटते ही उसे जो काव्यादि 'अपील' कर जायें, उसी को उसे बुद्धि-परक विवेचना का रूप देना चाहिए। परन्तु ऐसा करके आलोचक वस्तुतः कवि बनता है। अन्तर यही होता है कि कवि फूल-पत्ती को देखकर भावोन्मत्त होता है, और आलोचक उसकी कविता को, दोनों कव क्या कह जायें, कुछ ठीक नहीं !

ऐसा स्वीकार करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि कवि के चित्त के अन्तस्तल में या उसके मन के अवचेतन स्तर में ऐसी बहुत-सी चीजें होती हैं जो अनजान में उसकी कविता में आ जाती हैं, और आलोचक का दावा विल्कुल ठीक है कि वह उन अनजान प्रवृत्तियों से पाठक का परिचय कराता है। परन्तु जब वह कहता है कि उससे किसी अनिर्वचनीय हेतु या कला का सञ्चान मिलता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वह मानव-बुद्धि पर जितना विश्वास करना चाहिए उतना नहीं करता। कोई चीज हमें सौ-दो-सौ कारणों से प्रभावित करती है। आज मनुष्य की बुद्धि शायद उनमें से दस-पाँच का ही ज्ञान रखती है। वाकी अज्ञात हैं। किन्तु वैज्ञानिक का यह धर्म है कि उसे जितना मालूम है उतना कह-कर वाकी के लिए भावी पीड़ियों में कुतूहल और उत्सुकता का भाव जगा जाय। यह नहीं कि कह दे कि वाकी किसी अज्ञात या अज्ञेय उत्स से आ रहे हैं। यही कारण है कि आज का समालोचक पुराने समालोचकों के रास्ते से हटता जा रहा है।

पुराना समालोचक आलोच्य काव्य और कविता को अपने-आपमें सम्पूर्ण मान लेता था, नया समालोचक ऐसा मानना नहीं चाहता; क्योंकि ऐसा मान लेने से काव्यादि साहित्याग मानवता के साध्य हो जाते हैं, मानवता की अप्रगति में साधन का कार्य करते हुए नहीं माने जाते। और अगर साध्य रूप से ही साहित्य को पढ़ना हो तो प्राचीन हिन्दी के अधिकाश साहित्य को याद रखने की कोई जरूरत नहीं। आधुनिक समालोचक की दृष्टि अपने सामने की समस्याओं पर रहती है। साहित्य उसके समझने में और सुलझाने में उसके लिए सहायक का काम करता है। कवि उसके लक्ष्य नहीं उपलक्ष्य होते हैं।

लेकिन समालोचना केवल साहित्यिक ग्रन्थ तक ही सीमित नहीं रहती, सासार के विविध पदार्थों को मनुष्य की बुद्धि से समझने का प्रयत्न करती है। यह प्रयत्न जब केवल मूक्षम तर्क और बौद्धिक विलास से आगे बढ़कर मनुष्य की भाव-नायों और अनुभूतियों का आश्रय करके प्रकट होता है तो उसमें साहित्यिकता आ जाती है। साहित्यिक कृतियों की आलोचना में भी हमने इस प्रकार का भाव-मिथ्यण लक्ष्य किया है। प्रायः कविता को देखकर भाव-मंदिर भाषा में प्रकट किये गये उद्गार देखने को मिलते रहते हैं। वस्तुतः इनको 'साहित्यिक समालोचना' न कहकर समालोचना के रूप में 'व्यक्तिगत निवन्ध' कहना उचित है।

111 क. समालोचना के क्षेत्र में सन्तुलित दृष्टि या कभी-कभी सिर्फ़ 'सन्तुलन' की आवश्यकता अनुभव की जाती है। यह क्या चीज़ है? दो या कई अतिवादिताओं से बचकर कोई मध्यम मार्ग निकालने को सन्तुलित दृष्टिकोण नहीं कहते, क्योंकि ऐसी व्याख्या में एक प्रकार की समझौतावाली मनोवृत्ति का आभास मिलता है जो सत्य-विषय में सब समय सहायक नहीं होती। सन्तुलित दृष्टिकोण का मतनव विल्कुल दूसरा है। भावावेगवश या पक्षपात या मोहवश कभी-कभी मनुष्य जीवन के किसी एक पक्ष पर आवश्यकता से अधिक बल देने लगता है और इस प्रकार जीवन को देखने और समझने की एकाग्री दृष्टि का विकास होता है। यदि इस प्रकार की दृष्टिवाला व्यक्ति बौद्धिक शक्ति से सम्पन्न हुआ तो वह साहित्य में इस दृष्टि की प्रतिष्ठा बढ़ा देता है। इस प्रकार समय-समय पर जीवन को देखने की एकाग्री दृष्टि यो का प्रादुर्भाव होता रहता है। इन दृष्टियों में सचाई के एक-एक पार्श्व को जल्हरत से ज्यादा महत्व दे दिया जाता है। सन्तुलित दृष्टिकोण इन्हीं एकाग्री दृष्टियों की अतिवादिता से विनिर्मुक्त और इन सबमें पायी जानेवाली सचाई पर आधारित समग्र दृष्टि है। वह किसी पक्ष को आवश्यकता से अधिक महत्व नहीं देती और किसी पक्ष की सचाई की उपेक्षा नहीं करती। जो शक्तिशाली विचारकों के आवेग-तरल विचार-प्रवाह में अपने को वह जाने देने से रोक सकता है और यथासम्भव अधिक-से-अधिक साधानी से सत्य की खोज कर सकता है, वही सन्तुलित दृष्टि भी पा सकता है। इसलिए मेरा मत है कि सन्तुलित दृष्टि वह नहीं है जो आदिवादिताओं के बीच एक मध्यम मार्ग खोजती फिरती है, वल्कि वह है जो अतिवादियों की आवेग-तरल विचारधारा का शिकार नहीं हो जाती और किसी पक्ष के उस मूल सत्य को पकड़ सकती है जिस पर वहुत बल देने और अन्य पक्षों की उपेक्षा करने के कारण उक्त अतिवादी दृष्टि का प्रभाव बढ़ा है। सन्तुलित दृष्टि सत्यान्वेषी की दृष्टि है। एक और जहाँ वह सत्य की समग्र मूर्ति को देखने का प्रयास करती है, वही दूसरी और वह सदा अपने को सुधारने और शुद्ध करते रहने को प्रस्तुत रहती है। वह सभी प्रकार के दुराग्रह और पूर्वाग्रह से मुक्त रहने की और सब तरह के सही विचारों को ग्रहण करने की दृष्टि है। हम लोग जो भी कार्य करते हैं, उसके मूल में हमारे जीवन का कोई-न-कोई तत्त्ववाद अवश्य रहता है। सब समय वह तत्त्ववाद स्पष्ट नहीं होता। कभी-कभी हम उसे ठीक-ठीक जानते भी नहीं होते। परन्तु हर भले-भुरे कार्य के पीछे रहनेवाली मनोवृत्ति का विश्लेषण किया जाय तो स्पष्ट हो जायेगा कि करने वाले ने अपने मन में किसी विशेष डंग से सोचकर ही कार्य किया है। उसके मन में कुछ बातों का मूल्य दुनिया की अन्यान्य बातों से अधिक होता है और जानकर या अनजान में वह इन्हीं मूल्यों की बात सोचकर कोई कार्य कर डालता है। जाने में या अनजान में हमारा तत्त्ववाद हमेशा हमारे क्रिया-कलाप का नियन्त्रण करता रहता है। विचार के क्षेत्र में वह अधिक स्पष्ट और सुचिन्तित रूप में आता है। साहित्य पर जब हम विचार करते हैं तो

भी हमारा अपना दृष्टिकीण उसमें अवश्य प्रधान हो उठता है।

इससे एक बात और भी स्पष्ट हो जाती है। हमारे मन के अन्नात कोने में जो हलचल होती रहती है, जो हमारे प्रत्यक्ष जीवन के मूल्यों को नियन्त्रित और निर्धारित करती रहती है, उस पर तस्कालोन चिन्तन-प्रणाली का बड़ा जोरहोता है। इसी बात को दूसरे शब्दों में युग-सत्य कहते हैं। एक देश और एक काल का मनुष्य जिस प्रकार सोचता है, उसी प्रकार से दूसरे देश और काल का मनुष्य नहीं सोचता। प्रत्येक युग में मनुष्य के कुछ सामान्य निश्चित विश्वास होते हैं। उनके सोचने का ढंग कुछ अलग होता है। विचित्र सामाजिक परिस्थितियों कुछ-न-कुछ सामान्य विश्वासों को उत्पन्न करती हैं। हमारे देश के पुराने साहित्यकारों ने भिन्न-भिन्न दृष्टियों से साहित्य को देखने का प्रयास किया है। परन्तु अन्तिम विश्लेषण से स्पष्ट हो जायेगा कि यद्यपि प्रत्येक विचारक की बातें कुछ अशों में मिलती-जुलती हैं और कुछ ने क्षुले रूप में पूर्ववर्ती विचारक की बात के प्रचार करने का ही दावा किया है, तथापि युग और काल का प्रभाव उन पर पड़ा अवश्य है।

जिस युग में हम बास कर रहे हैं, वह विज्ञान और टेक्नोलॉजी की अभूतपूर्व उन्नति के कारण अन्यान्य युगों से भिन्न हो गया है। ज्ञान के प्रसार का जैसा साधन हम लोगों के पास है, जैसा हमारे पूर्वजों के पास नहीं था। आज के विद्यार्थी को देश-विदेश के कवियों, विचारकों और शिल्पियों को समझने का जैसा अवसर मिला है, वैसा पहले नहीं मिलता था। इन दिनों तरलमति विद्यार्थी के बहुकने के भी जितने साधन विद्यमान हैं, उतने साधन पहले नहीं थे और आज के युग में प्रचार के भी इतने साधन बन गये हैं जो सब प्रकार से विपुल और विचित्र हैं। कोई आश्वर्य नहीं कि आजकल एकाग्री, अधकच्छरा और अविचारित रमणीय विचारों का अन्वार लग गया है, इसीलिए आज सन्तुलित दृष्टिकोण दुलंभ हो गया है। सर्वत्र ले उड़ने की प्रवृत्ति बल पकड़ रही है। जीवन को देखने की एकांगी दृष्टियों का जितना जोर इन दिनों है, उतना कभी नहीं था।

परन्तु फिर भी, इस युग में मनुष्य एक सामान्य सत्य को पकड़ने के लिए प्रयत्नशील अवश्य है। वह सत्य यदि उसकी पकड़ में आ जाय तो साहित्य को देखने की उम्मी दृष्टि भी मनुष्ठित हो जाय। इस समय साहित्य के क्षेत्र में दिवायी देनेवाले 'बाद' नामधारी अनेक दृष्टिकोण इसी सर्वभान्य सत्य को ढूँढ़ निकालने के प्रयत्न हैं। मेरी दृष्टि में इनमें से कई सत्य के एक-एक पहलू पर अत्यधिक जोर देने के कारण अलग दीखते हैं। कोई जीवन के मानसिक पक्ष पर अधिक बल देता है, कोई आधिक पक्ष पर, कोई मामाजिक पक्ष पर, कोई वैयक्तिक पक्ष पर और कोई आध्यात्मिक पक्ष पर। ऊपर-ऊपर से ये एक-दूसरे से बहुत मिन प्रतीत होते हैं। इनकी व्याप्तियों-अतिव्याप्तियों से चिन्तित होकर कुछ लोग यहाँ अपनी व्याप्तियों-अतिव्याप्तियों से बहुत होते हैं। और यद्युक्त कर यह नारा लगाने लगे हैं कि यह सब गलत है। साहित्य की मीमांसा को एक अपनी दृष्टि होनी चाहिए, जिस पर इन एक-अधीय

विचारों का कोई असर न हो। परन्तु अन्त तक व्याकुलता कुछ कार्य नहीं कर पाती, क्योंकि असर आजकल पढ़ ही जाता है। मैं इनसे विल्कुल चिन्तित नहीं हूँ, क्योंकि मैं ज्ञानता हूँ कि ये सब प्रयत्न सत्य को ढूँढ़ने के प्रयत्न हैं। एक उदाहरण से इसे ममझे का प्रयत्न किया जाय।

इन दिनों साहित्य की सबसे नयी प्रवृत्ति 'प्रगतिवाद' की है। 'प्रगतिवाद' विसंतो मामान्य शब्द है और जिम-किमी भी आगे बढ़नेवाली प्रवृत्ति को इस नाम से पुकारा जा सकता है। किन्तु फिर भी इसका प्रयोग एक निश्चित ग्रंथ में होने लगा है। 'प्रगतिवादी साहित्य' मानसं के प्रचारित तत्त्वदर्शन पर आधारित है। इस विचार-धारा के अनुसार (1) मसार का स्थल्प भांतिक है। वह किमी चेतन सर्वसमर्थ सत्ता का विवर्त या परिणाम नहीं है। (2) उसकी प्रत्यक्ष घटस्था रहस्यमयी या उलझनदार नहीं है। इस मत को माननेवाला माहित्यिक रहस्यवाद में विश्वाम नहीं कर सकता, प्रकृति या ईश्वर के निष्ठुर परिहाम की धात नहीं सोच सकता, भाग्यवाद के ढकोसले को बदाश्त नहीं कर सकता। (3) इस मत में समाज निरन्तर विकासशील स्थित है। आर्थिक विधानों के माध्यमाध्य समाज में भी परिवर्तन होता है। इस मत को स्वीकार करनेवाला साहित्यिक समाज की रुद्धियों को मनातन से आया हुआ या ईश्वर की निश्चिन्त आजायों पर धना हुआ और उच्चनीच मर्यादा को अपरिवर्तनीय मनातन विधान नहीं मान सकता।

इस प्रकार प्रगतिवादी समाज को किमी व्यवस्था को मनातन नहीं मानता, किमी भी वस्तु को रहस्य और अनेय नहीं समझता तथा किमी अनेय-अनेक्षण चिरन्तन प्रियतम को लीला को साहित्य का लक्ष्य नहीं मानता। वह समाज को बदल देने में विश्वास करता है। उसका विश्वाम है कि मनुष्य प्रयत्न करके इस समाज को ऐमा बना सकता है जिसमें गोपकों और गोदितों के बर्ग न हों और मनुष्य जान्तिपूर्वक जीवन विता सकें। इसलिए उनके अनुमार माहित्य बर्गहीन समाज की स्थापना का एक साधन है। माहित्यकार को इनकी मायना इसी महान् संकल्प के लिए करनी चाहिए। सामाजिक कामगर विनेपण हिया त्राय तो स्पष्ट होगा कि इसमें एक समूह उन सोगों का है जो प्रायिक दृष्टि में सम्पन्न है। उत्तादिन के ममस्त मायन उन्हीं लोगों के पाम हैं। इन नायनों पर प्रभिकार होने के कारण उनके हाथ में धन पूर्जित होता जा रहा है। पूर्जोत्तर इस यन्मनाम सामाजिक घटस्था में 'निर्मेटिव' या प्रतिगामी नक्ति है। यह अनुष्य उनका के गोदम पर भाष्यारित है और इन घटस्था को चानू रमने के लिए इस प्रदर्शन रा काम करना चाहता है। इन लोगों के मन में 'ममादराद' प्रगतिजीवन विचारणा है, क्योंकि वह वस्तुमान समाज को बर्गहीन समाज में बदलने वाले दृढ़नमन्तर है।

मायारपतः ममभाग जाता है कि वह विचारणाद्विषयिक दृष्टि से उत्तम है। परन्तु एक बार इसके महान् संकल्प और नितिधा रो रुपि पर प्यान है तो स्पष्ट हो जायेगा कि इसमें एक बहुत बड़ी वाई है जो रेखन प्रायिक दृष्टि से उत्तम नहीं जान सकती। वह मनुष्य-जीवन रो रत्तादमाने रो परने राने

के जीवन-दर्शन से अनुप्राणित है। मैं ऐसे सकल्प को जड़वादी या भौतिक कहने में हिचकता हूँ। साहित्य को महान् बनाने के मूल में साहित्यकार का महान् सकल्प होता है। वह सकल्प इस विचार-पद्धति के साथ है। मेरा विचार है कि अपने देश की विशाल आध्यात्मिक परम्परा मूलतः इसकी भावधारा से विद्युत नहीं पड़ती। यह और वात है कि इसका विनियोग सब समय ठीक रास्ते नहीं होता। मैं समझते की दृष्टि से यह नहीं कह रहा हूँ। मैं शुद्ध में ही इसका प्रत्यास्थान कर चुका हूँ। नये और पुराने विचारों का अन्तर में जानता हूँ। संक्षेप में उस अन्तर को इस प्रकार समझाया जा सकता है :

इस युग में धीरे-धीरे शिक्षित जनता का चित्त मनुष्य पर केन्द्रित हुआ है। पहले सारे सासार के धर्म-कर्म, साहित्य-शिल्प आदि का उच्चतम उद्देश्य मनुष्य की मुक्तिऔर स्वर्ग आदि प्राप्त करने की प्रेरणा थी। इस संसार में जो कुछ त्याग, तप और कष्ट सहन किया जाता है, उसका उच्चतम उद्देश्य इस दुनिया से सम्बद्ध नहीं था, बल्कि इस दुनिया से परे के किसी वडे उद्देश्य (मोक्ष, स्वर्ग, देवत्व प्राप्ति) के लिए होता था। बाद में वैज्ञानिक उन्नति और नयी शिक्षा के प्रवर्तन के साथ इस युग के शिक्षित मनुष्य के सोचने का ढंग बदला है। यह अब परलोक में मनुष्य के मुखी होने की वात नहीं सोचता, बल्कि इसी लोक में, इसी मर्मकाया में मनुष्य को सब प्रकार की दुरवस्थाओं और विपत्तियों से मुक्त करके सुखी बनाने की वात सोचता है। वह भी केवल व्यक्ति-मानव को दुरवस्थामुक्त करना ही उसका लक्ष्य नहीं है, बल्कि सामूहिक रूप से या समाजमानव को सुखी और स्वतन्त्र बनाने का प्रयत्न करना है। इस प्रकार जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदलने के साथ ही साहित्य की आलोचना की भी दृष्टि बदली है। कला और जिल्ला-विधान में आन्त वाक्यों को और मंगल-ग्रन्थगत विधान को, नान्दी-सूत्रधार को, मगलाचरण-भरत-वाक्य को अब उतना आवश्यक नहीं माना जाता। साहित्य-विचार के समय आप इस बदली मनोवृत्ति को भुला नहीं सकते। किन्तु मनुष्य के सामूहिक कल्याण की दृष्टि प्रधान अवश्य हो गयी है, परन्तु यह नहीं समझना चाहिए कि यह कोई एकदम नवीन वात है। हमारी पुरानी काव्या-लोचन-परम्परा में भी यह दृष्टि कुछ भिन्न ढंग से पायी जाती है। उस पुरानी परम्परा को एकदम भुलाना अत्यन्त भयंकर भूल है। मुझे यह समझ में नहीं आता कि प्राधुनिक समालोचना-पद्धति क्यों नहीं पुराने अनुभवों से अपने को समृद्ध कर सकती। नवीन परिस्थितियों के अनुसार पुराने ग्रन्त भवों का प्रयोग सर्वथा हितकर होगा—जीवन में भी और साहित्य में भी।

112. 'निवन्ध' क्या है? प्राचीन संस्कृत साहित्य में 'निवन्ध' नाम का एक अलग साहित्याग है। इन निवन्धों में धर्मशास्त्रीय सिद्धान्तों की विवेचना है। विवेचना का ढंग यह है कि पहले पूर्वपक्ष में ऐसे वहूत-से प्रमाण उपस्थित किये जाते हैं जो लेखक के अभीष्ट मिद्दान्त के प्रतिकूल पड़ते हैं। इस पूर्वपक्षवाली शकाभों का एक-एक करके उत्तरपक्ष में जवाब दिया जाता है। सभी शंकाओं का

समापान हो जाने के बाद उत्तरपथ के सिद्धान्त की पुष्टि में कुछ और प्रमाण उपस्थित किये जाते हैं। चूंकि इन ग्रन्थों में प्रमाणों का निवन्धन होता है इसलिए इन्हें 'निवन्ध' कहते हैं।

इस शका-समाधान-भूलक पक्ष-स्थापन में लेखक की रुचि-अरुचि का प्रश्न नहीं उठता। वह प्रमाणों और उनके पक्ष या विपक्ष में उठ सकनेवाले तर्कों से वेदा होता है। इसलिए इन निवन्धों में वौद्धिक निस्संगता ही प्रधान रूप से वर्तमान रहती है।

113. निस्संग बुद्धि से विचार करने का आदर्श रूप यह है कि यह दिखाया जाय कि कोई वस्तु द्रष्टा विना भी कैसी है। प्रत्येक वस्तु द्रष्टा की रुचि-अरुचि से सनकर थोड़ा भिन्न हो जाती है। एक सुन्दर फूल इसलिए सुन्दर लगता है कि वह द्रष्टा को मामंजस्य की ओर उगमुख करता है। वैज्ञानिक विवेचना से सिद्ध हो सकता है कि फूल और कोयला दोनों ही वस्तुतः एक ही वस्तु हैं, क्योंकि दोनों ही कुछ विद्यवण्यों के, जिन्हें 'इलेक्ट्रॉन' और 'प्रोटॉन' कहते हैं, समवाय हैं। यह निस्संग बुद्धि का विषय है और उसका रास्ता विश्लेषण और सामान्यीकरण का है। किन्तु जब कोई द्रष्टा वस्तु को अपनी रुचि-अरुचि के भीतर से देखता है तो वस्तुतः वह सशिलष्ट और विशिष्ट वस्तु को देखता है। वह यह नहीं देखता कि फूल किन-किन उपादानों से बना है, वल्कि मह देखता है कि फूल बन-बना लेने के बाद कैसा है। और ससार की ओर सौ-पचास वस्तुओं से वह क्या वैशिष्ट्य रखता है?

निस्संग बुद्धि वैज्ञानिक विवेचन का सहारा है और आमतः चित्त सौन्दर्य-मर्मज का। ससार के विविध पदार्थों को दोनों दृष्टि से देखा जाता है। साहित्य में दूसरा मार्ग स्वीकार किया गया है, इसलिए उन्हीं निवन्धों का इस प्रसंग में विवेचन होगा जो सशिलष्ट रूप और विशिष्ट रूप में वस्तुओं को देखते हैं।

114. हमने पहले ही लक्ष्य कर लिया है कि साहित्यिक समालोचना के सिवा और भी बहुत-से ऐसे निवन्ध हैं जो साहित्य के अन्दर माने जा सकते हैं। निवन्ध का प्रचलन भी कोई नया नहीं है। पुराने जमाने से ही निवन्धों का प्रचार है। हमने यह भी देखा है कि किसी प्रतिपाद्य मिदान्त के विश्व वित्तने प्रमाण हो सकते थे, उनको एक-एक करके उठाना और उनको सर्वाङ्गा करते हुए प्राप्ति सिद्धान्त पर पहुँचता, यही पुराने निवन्धों का ढावं था। इन्हुंने नये युग में जिन नवीन ढंग के निवन्धों का प्रचलन हुआ है, वे 'नर्कनूनक' और प्राचीना 'व्यक्तिनृत' अधिक हैं। ये व्यक्ति की स्वाधीन चिन्ता और उत्तर हैं। वां निवन्ध किनीं दत्त-वाद के विचार के लिए लिखे जाने हैं उनमें थोड़ा-बहुत प्राचीन ढंग यह भी दर्शा जाता है। साधारणतः जिन निवन्धों में निष्ठान विचार का प्रावान्य होता है, वे साहित्यिक प्रालोचना के प्रत्यंत में आनंदित नहीं होते।

115. निवन्धों का नाम देखियाँ हैं। उनका मावारन्तः <sup>प्राचीन व्यक्ति</sup> वांट लिया जा सकता है: (1) वानर्लितनूनक, (2) <sup>प्राचीन व्यक्ति</sup>

अनियन्त्रित गप्प-मूलक, (4) स्वगत-चिन्तन-मूलक, (5) कलह-मूलक। इस प्रकार का विभाजन बहुत अच्छा नहीं है। इसमें साहित्यिक मूलभता नहीं है। आपात दृष्टि ही प्रधान है।

(1) 'वात्सलिप-मूलक' निवन्ध का लेखक मन-ही-मन एक ऐसे वातावरण की कल्पना करता है, जिसमें कुछ सच्चे जिज्ञासु लोग किसी तत्त्व का निर्णय करने वैठे हों और अपने-अपने विचार मत्य-निर्णय की आशा से सहज भाव से प्रकट करते जाते हों, (2) परन्तु 'व्याख्यान-मूलक' निवन्ध-लेखक व्याख्यान देता रहता है। वह अपनी युक्तियों और तर्कों को बिना इस बात की परवा किये उपस्थित करता जाता है कि कोई उसे टोक देगा। (3) 'अनियन्त्रित गप्प' मारते समय गप्प करनेवाला हल्के मन से बातें करता है, वह अपने विषय के उन सरस और हास्योद्देशक पहलुओं पर बराबर घूम-फिरकर आता रहता है, जो उसके श्रोता के चित्त को प्रफुल्ल कर देगे। (4) 'स्वगत-चिन्तन-मूलक' लेखक अपने-आपसे ही बात करता रहता है। उसके मन में जो युक्तियाँ उठती रहती हैं, उन्हें तम्भय होकर वह विचारता जाता है। पर-पथ की आशंका उसे नहीं रहती। (5) परन्तु 'कलह-मूलक' निवन्ध का लेखक अपने सामने मानो एक प्रतिपक्षी को रखकर उससे उत्तेजनापूर्ण बहस करता रहता है, प्रतिपक्षी की युक्तियों का निरास करना उसका उतना लक्ष्य नहीं होता जितना अपने मत को उत्तेजित होकर व्यक्त करना। इस अन्तिम श्रेणी के निवन्धों में कभी-कभी अच्छी साहित्यिक रचना मिल जाती है, पर साधारणतः ये 'साहित्य' की श्रेणी के बाहर जा पड़ते हैं।

निवन्धों के व्यक्तिगत होने का अर्थ यह नहीं है कि उनमें विचार-पूर्खालान हो। ऐसा होने से तो वे 'प्रलाप' कहे जायेंगे। सासार में हम जो कुछ देखते हैं, वह द्रष्टा की विभिन्नता के कारण नाना भाव से प्रकट होता है। अपनी रुचि और स्स्कार के कारण किसी द्रष्टा का ध्यान वस्तु के एक पहलू पर जाता है, तो दूसरे द्रष्टा का दूसरे पहलू पर। फिर वस्तुओं में से सब सबकी दृष्टि भें नहीं पड़ते। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति यदि ईमानदारी से अपने विचारों को व्यक्त कर ले तो हमें नवीन का परिचय-मूलक आनन्द मिल सकता है और साथ ही उस उद्देश्य की मिद्दि भी हो सकती है जो साहित्य का चरम प्रतिपाद्य है।

द्रष्टा के भेद से दृश्य का अभिनव रूप हमें दूसरे के हृदय में प्रवेश करने की क्षमता देता है और हम केवल अपने व्यक्तिगत रुचि-अरुचि के संकीर्ण दायरे से निकलकर दूसरों की अनुभूतियों के प्रति सवेदनशील होते हैं। वस्तुतः जो निवन्ध इस उद्देश्य की ओर उन्मुख करे वही साहित्यिक निवन्ध कहे जाने का अधिकारी है। जो लेख हमारे हृदय की अनुभूतियों को व्यापक और सवेदनाओं को तीक्ष्ण नहीं बनाता, वह अपने उद्देश्य से च्युत हो जाता है।

116. इस व्यक्तिगत अनुभूति के कारण ही साहित्यिक निवन्ध-लेखक निःसंग तत्त्वचिन्तक से भिन्न हो जाता है। "तत्त्वचिन्तक या वैज्ञानिक से निवन्ध-

लेखक की भिन्नता इम बात में भी है कि निवन्ध-लेखक जिधर चलता है उधर सभूंग मानसिक सत्ता के साथ—अर्थात् चुदि और भावात्मक हृदय दोनों लिए हुए। जो कहण प्रकृति के हैं उनका मन किमी बात को लेकर, अर्थ-सम्बन्ध-मूल पकड़े हुए, कहण स्थलों की ओर भुक्ता और गम्भीर वेदना का अनुभव करता चलता है, जो विनोदशील है उनकी दृष्टि उसी बात को लेकर उसके ऐसे पक्षों की ओर दौड़ती है, जिन्हें सामने पाकर कोई हँसि विना नहीं रह सकता। पर सब अवस्थाओं में कोई एक बात अवश्य चाहिए। इस अर्थमत विशेषता के आधार पर ही भाषा और अभिव्यञ्जना-प्रणाली की विशेषता—शैली की विशेषता—खड़ी हो सकती है। जहाँ नाना अर्थ-सम्बन्धों का वैचित्र्य नहीं, जहाँ गतिशील अर्थ की परम्परा नहीं, वहाँ एक ही स्थान पर खड़ी-खड़ी तरह-तरह की मुद्रा और उद्यल-कूद दिखाती हुई भाषा केवल तमाशा करती हुई जान पड़ेगी।” (रामचन्द्र शुक्ल)

117. चूंकि व्यक्तिगत हृचि और सस्कार अनन्त प्रकार के हैं और भिन्न वस्तु के अर्थ-सम्बन्ध भी, जो इन हृचियों और सस्कारों को प्रभावित करते हैं, अनन्त प्रकार के हैं, इसलिए व्यक्तिगत अनुभूति-मूलक निवन्धों की केवल मोटी-मोटी थेणियाँ ही बतायी जा सकती हैं। इस क्षेत्र में अनुकरण नहीं चल सकता, क्योंकि कोई भी दो व्यक्ति हूँ-ब-हूँ एक ही हृचि और एक ही सस्कार के नहीं होते। यही कारण है कि भिन्न-भिन्न भाषाओं में ऐसे-ऐसे निवन्ध-लेखक हैं जिनकी समानता दूसरी भाषाओं में खोजी नहीं जा सकती। ये आधुनिक युग के अत्यन्त सजीव माहित्यांग हैं। उनमें नित्य नवीन तत्त्वों का समावेश और परिहार होता जा रहा है। निवन्ध-लेखक भी वस्तुतः एक ममालोचक ही है। उसकी ममालोचना पुस्तकों की नहीं होती, वल्कि उन वस्तुओं की होती है जो पुस्तकों का विद्य है।

118. मंक्षेप में हम इस प्रकार कह सकते हैं कि वस्तु को—चाहे वह माहित्यिक प्रन्थ हो या अन्य पदार्थ—देखने के दो रास्ते हैं : ‘निर्वैयकितक’ या अनासवत रूप में और ‘वैयकितक’ या आसवत रूप में। दूसरा रास्ता अनुभव करने का है, पर उसे प्रथम से विच्छिन्न कर देने पर दूसरों तक नहीं पहुँचाया जा सकता। विश्लेषण और सामान्यीकरण का रास्ता वैज्ञानिक रास्ता है। तत्त्व-निर्णय के लिए हमें इस रास्ते को अपनाना ही चाहेगा। परन्तु साहित्य केवल तत्त्व-निर्णय से ही सन्तुष्ट नहीं होता, वह कुछ नया निर्माण भी करना चाहता है। कोई भी व्यक्ति केवल भावावेगों का गट्ठर नहीं होता, वह वस्तु को देखते समय यथा-शक्य निस्संग चुदि से उसका यात्यार्थ भी निर्णय करता है। इसीलिए वैयकितक आसक्तिवाद से देखना वैज्ञानिक के देखने की क्रिया का विरोधी नहीं है, वल्कि उसी का भावावेगों से सना हुआ कार्य है।

119. इस प्रकार विश्लेषण के द्वारा ममालोचक आलोच्य वस्तु के उपादानों को समझ सकता है, पर विश्लेषण चाहे जितना भी उत्तम हो उससे वस्तु का ममप्रसत्य नहीं प्रकट होता। हमें साहित्य की उपादेयता की परीक्षा के लिए

अपने पूर्ववर्ती सिद्धान्त पर दृढ़ रहना चाहिए। जो साहित्य हमारी धुद्र सकीण-ताओं से हमें ऊपर उठा ले जाय और सामान्य मनुष्यता के साथ एक कराके अनुभव कराये, वही उपादेय है। उसके भाव-प्रक्ष के लिए किसी देश-विशेष या काल-विशेष की नैतिक आचार-प्रम्परा का मूँह जोहना आवश्यक नहीं है। हमें दृढ़ता से केवल एक बात पर अटल रहना चाहिए, और वह यह कि जिसे काव्य, नाटक या उपन्यास-साहित्य कहकर हमें दिया जा रहा है वह हमें हमारी पशु-सामान्य मनोवृत्तियों से ऊपर उठाकर समस्त जगत् के दुख-मुख को समझने की सहानुभूतिमय दृष्टि देता है या नहीं—हमें 'एक' की अनुभूति में सहायता पहुँचा रहा है या नहीं। जो भी साहित्य इसके बाहर पड़े, अर्थात् हमारी पशु-सामान्य वृत्तियों को बड़ी करके दिखाये, हमें स्वार्थी और खण्ड-विच्छिन्न बनाये, उसे हम साहित्य नहीं कह सकते, चाहे जितने बड़े साहित्यिक दल या सम्प्रदाय का समर्थन उसे प्राप्त हो। इस विषय में हमें साहित्यिक सिद्धान्त पर दृढ़ रहना चाहिए।

120. साहित्यिक सिद्धान्तों की दृढ़ता क्या है? प्राचीन पण्डितों की पौथियों में जब किसी नयी काव्य-परिभाषा की स्थापना करनी होती है तो उसके पूर्व-पक्ष उत्तर-पक्ष की कल्पना करके वहस को जाती है। पूर्व-पक्ष में यह प्रश्न उठाया जाता है अगर इस परिभाषा को मान लेंगे तो पुराने कवियों की लिखी हुई बहुत-सी कविताएँ इसके बाहर पड़ जायेगी और उन्हें काव्य नहीं कहा जा सकेगा। उदाहरणार्थः :

यदि काव्य का लक्षण यह हो कि 'रसात्मक वाक्य ही काव्य है' तो ऐसी बहुत-सी कविताएँ—जैसे चित्रकाव्य, अलंकार-बहुल पद्य आदि—इस परिभाषा के बाहर पड़ जायेगी; फिर इनको कविता नहीं कहा जा सकेगा। इसके उत्तर में कहवाया जाता है, 'तुमने तो हमारा अभीष्ट ही कह दिया, यही तो हम चाहते थे।' शास्त्र की भाषा में इसी को 'इष्टापत्ति' कहते हैं। फिर प्रश्न होता है कि 'तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम्हारी यह इष्टापत्ति असंगत है, यथोकि ऐसा करने से शिष्ट-सम्प्रदाय का विरोध होगा।' प्रायः ही इस प्रश्न के साथ समझौता करने के लिए उन नीरस बातों को भी निचली श्रेणी की कविता मान लिया जाता है।

परन्तु आज के जमाने में हमें अपने सिद्धान्त पर दृढ़ता के साथ जमे रहने की जरूरत है। आजकल प्राचीन कवि-सम्प्रदाय (शिष्ट-सम्प्रदाय) के विरोध का तो डर नहीं रह गया है, पर द्यापे की मशीन ने जो अत्यधिक साहित्यिक उत्पादन करना शुरू किया है उसके फलस्वरूप नित्य नये-नये 'शिष्ट-सम्प्रदाय' पैदा होते जाते हैं और होते रहेंगे—डर इन्हीं का है। हमें दृढ़ता के साथ मानना चाहिए कि भाव शैर शैली आदि में कितने भी परिवर्तन क्यों न होते रहे, जो साहित्य हमें एकत्व की अनुभूति की ओर उभुख करेगा, हमें पशु-सामान्य मनोवृत्तियों से ऊपर उठाकर श्रेम और मग्नमय मनुष्य-धर्म प्रतिष्ठित करेगा वही वस्तुतः साहित्य कहनाने का अधिकारी होगा।

## रस क्या है ?

121. सन् ईसवी की नवी शताब्दी के मध्य भाग में आनन्दवर्धन का प्रादुर्भाव हुआ था। उनका ग्रन्थ ध्वन्यालोक है, जिसमें कुछ कारिकाएँ और उनके ऊपर वृत्तियाँ लिखी हुई हैं। पण्डितों में इस विषय में मतभेद है कि कारिका और वृत्ति दोनों के लेखक आनन्दवर्धन ही हैं या वे केवल वृत्तियों के लेखक हैं। साधारणतः विश्वास किया जाने लगा है कि केवल वृत्तियाँ ही आनन्दवर्धन की लिखी हुई हैं और कारिकाएँ किसी अन्य आचार्य—शायद उनका नाम सहृदय था—की लिखी हुई हैं। इस पुस्तक में आनन्दवर्धन को जब मैं ध्वनि का प्रतिष्ठाता आचार्य कहता हूँ तो उससे यह नहीं समझना चाहिए कि 'सहृदय' नामक किसी सन्दिग्ध आचार्य के प्रति मैं किसी तरह का असम्मान दिखाना चाहता हूँ। यदि वे सचमुच ही कारिकाओं के लेखक हैं तो उन्हें ही ध्वनि का प्रतिष्ठाता मानना चाहिए। नाना कारणों से मुझे ऐसा जान पड़ता है कि कारिकाएँ और वृत्तियाँ दोनों ही आनन्दवर्धन की लिखी हुई हैं। परन्तु वस्तुतः ध्वनि का सिद्धान्त कारिकाकार से भी प्राचीन है क्योंकि कारिकाओं के आरम्भ में ही कहा गया है कि यह सिद्धान्त ('काव्य का आत्मा ध्वनि है') पूर्वाचार्यों का कहा हुआ है :

‘काव्यस्यात्मा ध्वनितिवृथैः समानात् पूर्वः’

फिर भी इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस मत को इतने युक्तिपूर्ण ढग से उपस्थित करने का थेय आनन्दवर्धन को ही है। उससे भी अधिक इस ग्रन्थ के टीकाकार अभिनव गुप्त को। और वादेवता के व्रतात वह जानेवाले ममटाचार्य ने इन दोनों के मत का समर्थन करके इस सिद्धान्त को इतना सुदृढ़ बना दिया कि वाद में किसी को इस सिद्धान्त के विषय में कोई सन्देह ही नहीं हुआ। निस्सन्देह ध्वनि-सम्प्रदाय का काव्य-विवेचन समस्त जगत् के सौकुमार्य-विवेचन-शास्त्र में अद्वितीय महिमा का अधिकारी है।

शब्द की तीन वृत्तियाँ या शक्तियाँ हैं—अभिधा, लक्षण और व्यंजन। 'अभिधा' शब्द के कोप-व्याकरण-सम्मत अर्थ को प्रकट करती है। इस अर्थ को अभिधेय या वाच्य अर्थ कहते हैं। जैसे 'गगा' शब्द का अर्थ जलप्रवाह-विशेष या एक नदी है। 'घोप' शब्द का अर्थ घर है। पर कभी-कभी ऐसा प्रयोग किया जाता है जबकि अभिधा-वृत्ति काम नहीं कर सकती। जैसे यदि कहा जाय कि 'वह पठान बैल है', तो स्पष्ट हो यही पठान और बैल की एकता के समझने में वापर पड़ेगी। पठान प्रादमी हो सकता है, बैल नहीं। फिर भी हम यह अर्थ समझ लेते हैं कि पठान बैल के समान मूर्ख है। इस अर्थ का ज्ञान शब्द की लक्षणवृत्ति में होता है और इस अर्थ को लक्ष्य अर्थ कहने हैं। अब यह तो स्पष्ट ही है कि बैल का अर्थ मूर्ख किया गया है, क्योंकि बैल और मूर्खता में सम्बन्ध हैं। यदि सम्बन्ध

नहीं होता तो वैल का अर्थ कभी मूर्ख नहीं हो सकता था। 'पठान वैल है' का अर्थ कभी भी 'पठान तैराक है' नहीं हो सकता, क्योंकि वैल और तैराकपन का कोई सम्बन्ध नहीं है। इसीलिए लक्षणार्थ सदा वाच्य से सम्बद्ध होता है। परन्तु मूर्ख न कहकर 'वैल' कहनेवाले का कोई-न-कोई प्रयोजन होता है। वह पठान को इतना अधिक मूर्ख कहना चाहता है कि उसको आदमी की थेणी में रखना ही नहीं चाहता। यह प्रयोजन अर्थात् 'पठान की अतिशय मूर्खता' कहकर नहीं बतायी जाती। वह ध्वनित होती है। ऐसा हो सकता है कि लक्षणा केवल रुढ़ि के पालनार्थ ही हो। जैसे किताब का पन्ना। 'पन्ना' शब्द का मूल अर्थ पर्ण या पत्ता है। जब किसी जमाने में पत्तों पर पुस्तकों लिखी जाती थी तो उनके पन्ने ठीक ही पत्ते कहे जाते थे। अब वह 'पुस्तक के पृष्ठ' के अर्थ में रुढ़ हो गये हैं। फिर भी वाच्य अर्थ से लक्ष्य अर्थ का सम्बन्ध है ही। तो यह लक्षणा भी शब्द के सम्पूर्ण व्यवहारों के लिए काफी नहीं है। ऊपर जिस प्रयोजन की चर्चा की गयी है वह न तो लक्ष्य अर्थ है और न वाच्य ही। यह व्यंग्य अर्थ है और इस अर्थ को सिद्ध करने के लिए शब्द की एक तीसरी शक्ति व्यंजना की ज़रूरत है। काव्य-शास्त्रियों के सिवा और कोई भी शास्त्रकार इस तीसरी वृत्ति को नहीं स्वीकार करते। दीर्घ-व्यापारवादियों के मत से शब्द की केवल एक ही वृत्ति है—अभिधा। जैसे एक ही वाण योद्धा का कवच, चर्म और हड्डी वेधकर निकल जाता है, वैसे ही एक ही वृत्ति उन तीनों अर्थों का वोध करा देती है, जिसे ऊपर अनेक नाम दिये गये हैं। मीमांसकों के अभिहितान्वयवादी दार्शनिकों का सिद्धान्त या कि वाच्य शब्दों के गठन में ही एक तात्पर्य नामक शक्ति है जो सभी अर्थों को प्रकट कर देती है। अन्विताभिधानवादी इस तात्पर्य-वृत्ति की भी ज़रूरत नहीं समझते। वे शब्दों में ऐसी शक्ति को स्वीकार करते थे जो सम्पूर्ण अर्थों को प्रकट करने के लिए अन्य शब्दों के माध्य स्वतः सम्बन्ध स्थापित करती है। कुछ न्याय-दर्शन के अनुयायी काव्य-शास्त्री अनुमान द्वारा ही सभी अर्थों को जान सेना समझने मानते थे। मम्मटाचार्य ने अपने 'काव्य-प्रकाश' में इन एक-एक के मत का निपुण भाव में राष्ट्रन करके 'ध्यनि' सिद्धान्त का जोरदार समर्थन किया है।

ध्यनिकार कहते हैं कि वाक्य के अर्थ दो प्रकार के होते हैं: वाच्य और प्रतीयमान। जिस प्रकार रमणी के शरीरावयवों के प्रतिरिप्त एक दूसरी ही कोई वस्तु नायव्यप्र से प्रकाशित होती है, उसी प्रकार महाकवियों की वाणी में वाच्य अर्थ के प्रतिरिप्त एक दूसरा ही प्रतीयमान अर्थ होता है।\* यह प्रतीयमान या ध्यनिन अर्थे अनेक वार वाच्य अर्थ के एकदम उल्टा जा सकता है। एक उदाहरण निया त्राय। रोई नायिका छिपी धार्मिक गे, जो नित्य एकान्त कुंज में पुष्पधयन करने त्राकर उमड़े प्रिय गे मिलन में विघ्न उपस्थित किया करने पे, कहूती है,

'हे धार्मिक, तुम अब निश्चन्त होकर वहाँ पूम मकते हो। यह जो कुत्ता था उगोदावरी तटवासी दृप्त मिह ने मार डाला।

मम धर्मिग्र वीरद्वो सो सुणओ अज्जम मारियो तेण।

गालाणई कच्छ कुडग वासिणा दरि असीहेण॥

श्लोक में जिस कुत्ते की चर्चा है वह इसी नायिका या इसके प्रिय का कुत्ता था। धार्मिक सज्जन को देखकर वह भोका करता था और उनके पुष्पचयन में विघ्न उत्पन्न करता था। अब इस श्लोक में जो कहा गया है कि 'हे धार्मिक, तुम अब निश्चन्त होकर ध्रमण करो', उसका असली अर्थ यह है कि 'अब तुम उधर हर्गिज न जाना' क्योंकि अब तक तो वहाँ कुत्ता था, अब सिह है! अब जहाँ तक वाच्यार्थ का सम्बन्ध है, वह विधि को ही बताता है, निषेध को नहीं। 'धूमो' का अर्थ धूमो है, 'मत धूमो' एकदम नहीं। फिर भी यहाँ अर्थ 'मत धूमो' ही है। लक्षणा से यह अर्थ नहीं निकल सकता; क्योंकि लक्षणा के लिए मुख्य अर्थ में वाधा होना जहरी है। 'पठान वैल है'—इस वाक्य में वैल के मुख्य अर्थ में वाधा पड़ी थी; क्योंकि पठान आदमी है, वैल नहीं। इसीलिए वहाँ लक्षणा सम्भव थी। यहाँ कैसे सम्भव होगी? यह भी नहीं कहा जा सकता कि अभिधा नामक वृत्ति से ही, दीर्घ-व्यापारवादियों की युक्ति के अनुसार, जिस प्रकार वाण पहले वर्ष और अस्तिथिरेण करता है उसी प्रकार पहले 'धूमो' और फिर 'मत धूमो' दोनों अर्थों का ज्ञान हो जायेगा। क्योंकि 'धूमो' और 'मत धूमो' विल्कुल विरुद्ध अर्थ हैं, सम्बद्ध नहीं। जहाँ पर सभी अर्थ एक ही जाति के हों वहाँ तो यह व्याल्या मान भी ली जा सकती है, पर महाँ उससे काम नहीं चलेगा। फिर यह तो स्पष्ट ही है कि यहाँ वाक्य के उच्चारण के साथ-ही-साथ समझदार आदमी के निकट 'मत धूमो' यह वाच्यार्थ से एकदम विपरीत अर्थ उत्पन्न होता है। सारे श्लोक में कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जिसके लिए किसी कोप या व्याकरण में ऐसा अर्थ लिखा हो। कुछ लोग कहते हैं कि निमित्त जो शब्द है, उसी का सकेत अर्थात् कोप-व्याकरण-परम्परा की प्रसिद्ध आवश्यक है। नेमित्तिक या कार्यरूप जो अर्थ है उसके लिए किसी सकेत की जहरत नहीं। यह स्पष्ट ही गलत बात है; क्योंकि निमित्त के सिवा नेमित्तिक रह कहाँ सकता है? यदि यह कहा जाय कि पहले प्रतीपमान अर्थ (मत धूमो) उपस्थित होता है, फिर शब्द में इस अर्थ का सकेत आ जाता है तो यह और भी गलत बात है; क्योंकि कारण पहले होना चाहिए, कार्य के बाद नहीं। इसी तरह अन्यान्य मतों के खण्डन के बाद ध्वनिकार इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि शब्द को एक ध्वनि नामक विशेष गतिस्थीकार की जानी चाहिए।

अब काव्यत्व वही हो सकता है जहाँ व्याच्यार्थ या ध्वनि—जो वस्तुतः काव्य का आत्मा है, हो। अगर यह व्याच्यार्थ, वाच्यार्थ, या लक्षणा से अधिक स्पष्ट और उन्हें दबाए देने लायक हो तो काव्य उत्तम है और उसे ध्वनि-काव्य कहा जायदि दोनों के बराबर हैं या उनसे कम शक्तिशाली हैं तो सम्भव है यो-

अत्यन्त कम है तो अबर या चित्र है। जिन दिनों ध्वनि का सिद्धान्त प्रतिष्ठा लाभ करने लगा था, उसके पहले 'काव्य' नाम से कहे जानेवाले साहित्य में ऐसी बहुत-सी वाते स्वीकृत हो चुकी थी जिनको इस सिद्धान्त के माननेवालों को छोड़ देना पड़ता। ऊपर राजशेखर के काव्यांगों को भी यदि एक बार सरसरी निगाह से भी देखा जाय तो उसमें अलंकार की प्रधानता स्पष्ट हो जायगी। ग्रठारह काव्यांगों में से आधे तो विशुद्ध अलंकार हो रहे हैं। फिर दण्डी और भामह आदि के ग्रन्थों में अलंकारों की विशद व्याख्या है और शब्दालंकार के सम्बन्ध में तो महज शाब्दिक चर्मत्कार को बहुत अधिक तूल दिया गया है। मम्मट के लिए अलंकारों का काव्य में रहना कोई जहरी वात नहीं थी। वे मानते थे कि रस-ध्वनि काव्य का आत्मा है; शब्द, अर्थ शरीर है; गुण शौर्य-ओदार्य आदि की भाँति है; दोप काना-लंगड़ा-लूला होने के समान है और अलंकार गहने के समान वाहरी चीज़ है। अपने काव्य की परिभाषा में उन्होंने स्पष्ट ही कहा है कि शब्द और अर्थ गुण-युक्त होने पर काव्य है, कभी-कभी उनमें अलंकार रह भी सकते हैं, नहीं भी रह सकते हैं। रस और अलंकारों के एक साथ रहने न रहने से काव्य के 6 भेद टीकाकारों ने गिनाये हैं: (1) सरस और स्पष्ट अलंकार सहित, (2) सरस और अस्पष्ट अलंकार सहित, (3) सरस और अलंकार शून्य, (4) नीरस और स्पष्ट अलंकार सहित, (5) नीरस और अस्पष्ट अलंकार सहित, (7) नीरस और अलंकार रहित। इनमें अन्तिम तीन ध्वनिवादियों के सम्मत नहीं हो सकते। परन्तु पूर्ववर्ती आलंकारिक ऐसे पदों को भी काव्य की मर्यादा दे सकते थे जो अन्तिम को छोड़कर वाकी किसी भी थ्रेणी में आ जायें। इस प्रकार यद्यपि ध्वनिवादियों ने बहुत-कुछ स्वीकृत काव्य में से अस्वीकार कर दिया, तथापि बहुत-कुछ उन्हें स्वीकार भी करना पड़ा। इसीलिए उन्होंने ध्वनि को तीन प्रकार का बताया: वस्तु-ध्वनि, अलंकार-ध्वनि और रस-ध्वनि। जहाँ कोई वस्तु या अर्थ ध्वनित हो वहाँ वस्तु-ध्वनि, जहाँ कोई अलंकार ध्वनित हो वहाँ अलंकार-ध्वनि और जहाँ रस ध्वनित हो वहाँ रस-ध्वनि होती है। इनके भेद-उपभेदों का एक विशाल महल खड़ा किया गया है। यद्यपि सभी ध्वनि उत्तम काव्य हैं, पर रस सबसे श्रेष्ठ है। मम्मट ने रस के सिस-सिले में जिस एकमात्र आचार्य का नाम थद्वा के साथ लिया है, वे अभिनवगुप्त-पाद स्पष्ट ही कहते हैं कि रस के विना काव्य हो ही नहीं सकता। नहि रसादृते कश्चिददर्यः प्रवर्तत—यह वाक्य नाट्य-शास्त्र से ही लिया गया है (देखिए नाट्य-शास्त्र, पृ. 71)। विश्वनाथ तो रसात्मक वाक्य को ही काव्य मानते हैं। (लोचन, पृ. 62)। इस प्रकार इस जटिलध्वनिवाद के भीतर रस को गूँथा गया है। अब भी यह विचार करना वाकी है कि 'रस' जो इतने प्राचीनकाल से नाट्यशास्त्र में प्रसिद्ध था और उससे भी प्राचीनकाल में 'आदिरस' के रूप में परिचित होने का थ्रेय पा सकता है, वह ध्वनि के रूप में कैसे आ गया? भरत ने कहा है कि विभाव, अनुभाव, संचारी के योग से रस की निष्पत्ति होती है। विभाव दो हैं: आत्मवन और उद्दीपन; आत्मवन जैसे नायक और नायिका; उद्दीपन जैसे चाँदनी, उद्यान,

मत्य-पवन इत्यादि । अनुभाव शरीर-विकार कोकहते हैं, जैसे कटाक्षपात, रोमाच इत्यादि । संचारी या व्यभिचारी भाव तैतीस हैं । इसके अतिरिक्त आठ रसों के आठ स्थायी भाव हैं । शृगार का स्थायी भाव रति या नगन है, हास्य का हास, करुण का शोक, रौद्र का क्रोध, वीर का उत्साह, भयानक का भय, दीभत्स का जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय । भरत मुनि का कथन है कि विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है । इस 'निष्पत्ति' शब्द के अर्थ को लेकर आचार्यों में बहुत वहस हुई है । एक स्थायी भाव शुह से आखिर तक काव्य या नाटक में रहता है । यह भाव आश्रय के चित्त में आलम्बन के सहारे प्रवृत्त होता है और उद्दीपन द्वारा उद्दीप्त किया जाता है, जिसके कारण आलम्बन के अंग में विकार होते हैं जो अनुभाव कहलाते हैं । स्थायी भाव यद्यपि आदि से अन्त तक स्थिर रहता है तथापि बीच में शका, असूया, भय आदि संचारी भाव आते और जाते रहते हैं । इनकी निष्पत्ति का क्या अर्थ हो सकता है? 'नाट्यशास्त्र' कहता है कि स्थायी भाव ही राजा है और अन्य भाव उसके सेवक । 'नाट्यशास्त्र' में लिखा है कि जिस प्रकार नाना व्यजन, औषध, द्रव्यादि के संयोग से 'रस' या स्वाद की निष्पत्ति होती है या जिस प्रकार गुड़ादि द्रव्य, व्यजन और औषध से 6 रस निष्पन्न होते हैं उसी प्रकार नाना भावों से उपहित स्थायी भाव रसत्व को प्राप्त होता है । भरत मुनि से भी प्राचीनतर दो परम्पराप्राप्त श्लोकों में कहा गया है कि जिस प्रकार बहुत द्रव्यों और व्यजनों से युक्त खाद्य-वस्तु का खाद्य-रस के जानकर लोग आस्वादन करते हैं, उसी प्रकार भाव और अभिनय से युक्त स्थायी भावों का चतुर लोग मन-ही-मन आस्वादन करते हैं । इसीलिए (जिस प्रकार पूर्वोक्त वस्तु को अन्त का रस कहते हैं, उसी प्रकार) इन्हे नाट्य-रस कहते हैं (न. शा., 6-31-32) । भट्टलोल्लट प्रभृति पण्डितों का मत था कि निष्पत्ति का अर्थ यह है कि (1) आलम्बन और उद्दीपन आदि विभावों से रस पहले उत्पन्न होता है, (2) कटाक्ष, भुजक्षेप आदि अनुभावों से फिर वह प्रतीति योग्य किया जाता है और (3) फिर निर्देशादि व्यभिचारी तथा संयोग स्वप सहकारी भावों से पुष्ट होता है । इस प्रकार प्रथम का रस के साथ उत्पाद्य-उत्पादक सम्बन्ध है, द्वितीय का गम्य-गमक सम्बन्ध है और तृतीय का पोष्य-पोषक सम्बन्ध है । इस प्रकार रस क्रमशः उत्पन्न, अभिव्यक्त और पुष्ट होता है । यद्यपि रति आदि भाव अनुकूल रामादि में होते हैं, अनुकृति नट आदि में नहीं, तथापि नाट्य की निषुणता से नर्तक में प्रतीयमान होते हैं । और इस प्रकार महूदय के हृदय में चमत्कार पैदा करके रस की पदवी प्राप्त करते हैं । इस मत में स्पष्ट ही यह शंका हो सकती है कि यदि रति आदि भाव अनुकूल में हैं और अनुकृति अर्थात् नट में केवल प्रतीयमान होते हैं—जैसे रज्जु में भ्रमवण, या नकली लिलोने में नैपुण्यवण साँप की प्रतीति होती है—तो इससे नाटक देखनेवाले का क्या? उसे क्यों आनन्द आये? श्री शकुक का मत इस मत के विरुद्ध या । वे रम का उत्पन्न होना स्वीकार नहीं करते थे । वे नैयायिकों के दुंग पर रस को अनुमान

का विषय मानते थे। जिस प्रकार धुओं देखकर आग का अनुमान होता है, वैसे ही विभावानुभावादि से रस का अनुमान होता है। निष्पत्ति शब्द का अर्थ अनुमान है। अब लोक-प्रसिद्धि यह है कि 'प्रत्यक्षमेव ज्ञान चमत्कारजनकं नानुभित्यादि' अर्थात् प्रत्यक्षज्ञान ही (अनुभूत) चमत्कारजनक होता है, अनुमानद्वारा प्राप्त नहीं। इस लोक-प्रसिद्धि के साथ इस मत का स्पष्ट ही विरोध है। काव्य-रस का अनुमान करके आनन्द पाना कट्ट-कल्पना ही है। इसीलिए इस मत का भी विरोध किया गया है। इस तीसरे मत के प्रतिष्ठाता भट्टनायक हैं। ये निष्पत्ति शब्द का अर्थ 'मुक्ति' करते हैं। रस के साथ विभावादि का सम्बन्ध इनके मत से भोज्य-भोजक सम्बन्ध है। उनका मत है कि रस न तो उत्पन्न होता है, न प्रतीत होता है और न अभिव्यक्त होता है। काव्य और नाटक में अभिधा के अतिरिक्त दो और विलक्षण व्यापार होते हैं जिन्हे भावकर्त्त्व और भोजकत्व व्यापार कहते हैं। भावकर्त्त्व व्यापार राम में से रामत्व, सीता में से सीतात्व आदि को हटाकर साधारणीकरण के द्वारा साधारण स्त्री और पुरुष के रूप में उपस्थित करता है और भोजकत्व व्यापार के द्वारा उवत रूप से साधारण किये हुए विभावादि के संयोग से रति आदि स्थायी भाव सहृदय द्वारा आस्वादित या भुक्त होते हैं। यह जो भोजकत्व व्यापार है वह सहृदय के चित्त को सत्त्वस्थ कर देता है, उसमें से इच्छा-द्वेष को दूर कर देता है, रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव हटा देता है और इस प्रकार उसे प्रकाशरूप आनन्दमय अलीकिक-संवित् या ज्ञान में प्रतिष्ठित कर देता है और अन्यान्य ज्ञेय वस्तुओं के सम्पर्क से हटा देता है। इस प्रकार रति का आस्वाद ही रस-निष्पत्ति है। इस मत में जो दो नवे व्यापार कल्पित किये गये हैं, उनके लिए कोई प्रमाण नहीं है। यदि यह कहा जाय कि व्यंजना के स्थान में ही भोजकत्व व्यापार की कल्पना है, तो भी भावकर्त्त्व तो अधिक ही हुआ। इस प्रकार इस मत में बहुत अधिक कट्ट-कल्पना की जरूरत है। चौथा और सर्व-स्वीकृत मत अभिनवगुप्त का है। वे निष्पत्ति का अर्थ व्यंग्य होना समझते हैं। रस के साथ स्थायी भाव का विभावादि के संयोग के साथ व्यग्य-व्यजक सम्बन्ध है। नाटक के देखनेवाले या काव्य के मुननेवाले सहृदय के चित्त में ही वासनारूप से स्थायी भाव स्थित होता है। काव्य द्वारा और नाटक के अभिनव द्वारा वही रति उद्बुद्ध होकर आस्वादित होती है। यह ठीक है कि काव्य में एक ऐसी शक्ति होती है जो राम में से रामत्व और सीता में से सीतात्व आदि हटाकर उन्हें साधारण स्त्री-मुश्य के रूप में उपस्थित करती है। इस साधारणी वृत्तिरूप से, जैसा कि विश्वनाथ ने कहा है, जब काव्यार्थं उपस्थित होता है तो उसके फलस्वरूप सत्त्वगुण का उद्भेद होता है और चित्त स्वप्रकाश योर आनन्दमय हो जाता है; क्योंकि प्रकाश और मानन्द दोनों ही मत्त्वगुण के धर्म हैं। इस प्रकार जो रम अभिव्यक्त होता है, वह विश्वजनीन होता है। उममें कोई वैयक्तिक राग-द्वेष नहीं होता। नौकिर भय-प्रीतित्रिनक व्यापारों से यह भिन्न होता है; क्योंकि उसमें व्यक्तिगत मुम-दुम का स्पर्श नहीं होता। लोक में एक स्त्री एक पुरुष के प्रति जब अभिलाप्ता

प्रकट करती है तो उसमें व्यक्तिगत मुग्धन्दुख का भाव रहता है, पर काव्य और नाटक में जब यही बात होती है तो उसमें वह व्यक्तिगत रागद्वेष नहीं होता। उसमें सहृदय एक निर्वयविकल्प अलौकिक आनन्द का उपभोग करता रहता है। यह आनन्द उस आनन्द के समान है जो योगियों को प्राप्त होता है। यद्यपि अपने ही चित्त का पुनः-पुनः अनुभूत वह स्थायी भाव अपने आकार के समान ही अभिन्न हैं तथापि काव्य-नैपूण्य से उसे गोचर किया जाता है। आस्वादन ही इसका प्राण है, विभावादिक के रहने पर ही यह रहता है, नाना प्रकार के मीठे-खट्टे पदार्थों के संयोग से बने हुए शरवत की भौति यह आस्वादित होता है, मानो सामने परिस्फुरित होता हुआ, हृदय में प्रवेश करता हुआ, सर्वांग को आलिंगन करता है। अन्य सद्कुछ को तिरोहित करता हुआ ब्रह्मानन्द को अनुभव करानेवाला यह रस अलौकिक चमत्कार का कारण है। वह कार्य नहीं है, योकि कारण के नाश होने पर कार्य नष्ट नहीं होता और वह विभावादि के अभाव में नहीं रह सकता। वह ज्ञाप्य भी नहीं है, अर्थात् जिस प्रकार अन्धकार में रखी हुई वस्तु दीपक आदि से प्रकाशित होकर ज्ञाप्य बनती है, उस प्रकार वह नहीं होता, योकि वह स्वयंसिद्ध है। वल्कि वह विभावादि से व्यजित होकर आस्वादित होता है। जो कारक द्वारा कार्य नहीं, ज्ञापक द्वारा ज्ञाप्य भी नहीं, ऐसी कोई वस्तु दुनिया में नहीं हो सकती, इसीलिए रस अलौकिक है। अभिनवगुप्त के इस मत में जो सबसे बड़ी विशेषता है वह यह है कि वे स्थायी भाव को पहले ही सहृदय के चित्त में स्थित मानते हैं, जबकि अन्यान्य व्यास्थाकार उसे सहृदय के चित्त से बाहर मानते हैं। निस्सन्देह अभिनव गुप्त का सिद्धान्त मनोविज्ञान-सम्मत है और रसानुभूति का सर्वोत्तम मार्ग बताता है।

'नाट्य-ग्रास्त्र' में रस के विषय में जो कुछ कहा गया है, उससे अनुमान होता है कि भरतमुनि भी निष्पत्ति का अर्थ आस्वाद ही समझते थे। उन्होंने अनेक बार भोज्य-वस्तु के रस के साथ इसकी तुलना की है। नीबू और चीनी आदि के संयोग से जो एक विशेष प्रकार का रस बनता है वह न तो नीबू है, न चीनी है, न जल है, न इन सबका मिथित रूप है और न इनके विना ही रह सकता है। ठीक इसी प्रकार विभावादि से जो रस निष्पन्न होता है वह न तो नायक है, न नायिका, न पुष्पोदयान-बिहार है, न स्थायी भाव है, न अनुभाव है, न अभिव्यक्ति भाव है और न इन सबका मिथिल है, न इनके विना रह सकता है। वह इन सबसे भिन्न है, और किर भी इन्हीं चीजों से निष्पन्न या अभिव्यक्त हुआ है। इसलिए कवि का उद्देश्य इन वस्तुओं को सूक्ष्म भाव से प्रकट करना नहीं है, वल्कि इनको साधन बनाकर उस अलौकिक चमत्कार-स्वरूप रस को व्याप्त करना है। यह भारतीय कवि का विशेष दृष्टिकोण है। उसका प्रयत्न भावनाओं का चित्रण नहीं है, वल्कि उनके द्वारा उनके उचित संयोग से अलौकिक ब्रह्मानन्द-तुल्य रस को अभिव्यक्त करने का प्रयत्न है। ठीक जिस प्रकार ससार आपाततः असत् होकर भी उसके निकट किसी अन्य व्यापक सत्ता की ओर इशारा करता रहता है, उसी प्रकार



## साहित्य का नया रास्ता

122. साहित्य में बड़ी तेजी से परिवर्तन हो रहा है। हमारा तरुण साहित्यकार यह विश्वास करने लगा है कि अब तक के साहित्यकार जिस मार्ग पर चलते रहे वह मार्ग चरम गन्तव्य तक पहुँच चुका है, यद्यपि अगर उसी पर रहना है तो धीरे-धीरे पीछे लौटना होगा या फिर दौड़कर एक बार आगे से पीछे और एक बार पीछे से आगे की ओर आने की क्षमता करनी होगी। इस किया से दौड़नेवाले की फुर्ती, ताकत और हिम्मत की तारीफ कर ली जा सकती है, पर इतना निश्चित है कि इससे आगे बढ़ने की आशा नहीं की जा सकती। आगे बढ़ना हो तो इसे सड़क के अन्तिम किनारे से मुड़ जाना होगा। सब लोग उस रास्ते को नहीं देख पाते; क्योंकि वह अब भी अच्छी तरह से बना नहीं है, कॉटे और ककड़ के ढेर में से एक अस्पष्ट पगड़ण्डी उस रास्ते की ओर इशारा कर रही है, लहूलुहान हो जाने का खतरा भी बहुत है, पर अगर मनुष्य-जाति को वर्तमान दुर्गति से बचना है तो इस मार्ग पर चलने के सिवा और कोई उपाय नहीं है।

यह जो मनुष्य-जाति को दुर्गति के पंक से बचाने का सकल्य है, यह एक बहुत बड़ा उपादान है जो आज के साहित्य को नये रास्ते की ओर ठेल रहा है। मैंने मास्कर्स-लिखित एक वाक्य किसी पुस्तक में उदृत देखा था। पुस्तक चूंकि मास्कर्स के बहुत बड़े प्रशसक की लिखी हुई है, इसलिए उसके उद्घारण को प्रमाणित मान लेने में कोई आपत्ति नहीं है। उस छोटे-से किन्तु सारगमित वाक्य का भावार्थ हिन्दी में इस प्रकार प्रकट किया जा सकता है, “अब तक तत्त्वज्ञानियों ने विश्व की नाना भाव से व्याख्या-मात्र की है, लेकिन असली प्रश्न व्याख्या करने का नहीं है, बल्कि परिवर्तन करने का है।” इसका मतलब यह हुआ कि मास्कर्स का प्रचारित तत्त्वज्ञान कोई ज्ञात्वीय मतवाद नहीं है बल्कि दुनिया को बदलकर मनुष्य के सुख-सौविध्य के अनुकूल निर्माण करने का विज्ञान है। वह केवल वहस की चोज नहीं है। उसने दुनिया को ही नहीं, दुनिया के इतिहास को भी एक खास दृष्टि से देखा है और सब देख-मुन लेने के बाद जिस नतीजे पर पहुँचा है उस तक मनुष्य को पहुँचा देने को वह एक कर्तव्य मानता है। इस मत का माननेवाला उसी सक्षम तक मानव-जाति को पहुँच देने के उद्देश्य से ही काव्य लिखता है, नाटक खेलता है, पार्लियामेंट की सीटें दरात करता है और सेना के सचालन में घपना हुर लोजता है। यह नहीं है कि साहित्य के मैदान में वह सौन्दर्य के निरोह मूर्ग का शिकार करता हो, राजनीति में भूट-सच की धौत-मिचोनों खेलता हो। और धर्म के धोत्र में पात्मोद्धार के लिए सपाद नध मन्त्र का जप करता हो। वह मन्त्र धेरों में केवल एक ही लक्ष्य को तामने रखकर काय करता है—मनुष्य-जाति को उस लक्ष्य तक पहुँचा देना जो उसके घभीष्ट मतवाद के धाचायों द्वारा पनुष्यात्

है और जिस लक्ष्य तक पहुँचकर उसके विश्वास के अनुसार मनुष्य-जाति का अभ्युदय निश्चित है।

दो बातें इस प्रसंग में स्मरण कर ली जानी चाहिए। भारतवर्ष में तटस्थ पर्यालोचक द्वारा की गयी दुनिया की व्याख्या को दर्शन नहीं कहा गया। इस देश में प्रत्येक दार्शनिक विचार का विकास किसी धार्मिक साधना के कारण हुआ है। इसीलिए साधना का जो उद्देश्य हुआ करता है वह उद्देश्य दार्शनिक विचारधारा के साथ वरावर अनुस्यूत रहा है। धार्मिक साधना का एक उद्देश्य यह अवश्य होता है कि वह साधक को बदलकर एक विशेष कोटि का बना दे। अर्थात् धार्मिक साधना भी विश्व की व्याख्या मात्र नहीं है, वल्कि साधक को परिवर्तित कर देने की चेष्टा है। इसलिए अन्यान्य देशों के तत्त्वज्ञानियों की भाँति इस देश के दार्शनिक केवल तटस्थ व्याख्याता नहीं कहे जा सकते। यह अवश्य है कि वे साधना से और दर्शन से व्यक्ति को बदलने का प्रयास करते थे, सारी दुनिया को नहीं। दूसरी बात यह कि यथापि प्राचीनतर तत्त्वबाद जीवन के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में व्याहारिक को भिन्न-भिन्न रूप में मानते थे, तथापि सर्वत्र एक-रस सत्य को खोजने और आचरण करने का प्रयास बहुत नयी बात नहीं है। व्यावसायिक क्रान्ति के बाद से नाना मनीषियों ने नाना भाव से इस बात को प्रमाणित किया है। इन दो बातों के होते हुए भी यह सत्य मालूम होता है कि जितने व्यापक और वैज्ञानिक रूप में मानस के अनुयायियों ने ऊपर बतायी हुई विशेषता को अपनाया है, उतना अब तक कभी नहीं हुआ था।

अपने को प्रगतिशील घोषित करनेवाली रचनाओं ने ऐसे लोगों को एक अजीब भ्रम में डाल रखा है जो मेरे समान जिज्ञासु तो है पर अर्थशास्त्र की पुरानी, आधुनिक (पूँजीवादी) और माक्सेंवादी व्याख्याओं को समझने का सुयोग नहीं पा सके हैं और इसीलिए जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उसके व्यापक प्रयोग को ठीक-ठीक समझ नहीं पाते। पर इधर हाल ही में प्रगतिशीलता-आनंदोलन के नेताओं ने उत्तम कोटि की प्रगतिशील कविताओं का संग्रह करना शुरू किया है। इन रचनाओं के पढ़ने से मेरे मन में जो बात लगी है वह यह कि जिन रचनाओं को प्रगतिशील कहा गया है उनकी आधारभूत तत्त्व-चिन्ता कोई यांत्रिक या राजनीतिक बाद नहीं है। समूर्ज मानव-जाति ने अनादिकाल से जो ज्ञान-राशि संचय की है, उस समूर्ज का रस निचोड़कर ही वह तत्त्वज्ञान अपनी सत्ता बनाता है। कम-से-कम उसकी इच्छा ऐसी ही है। इस तत्त्वबाद को चार सूत्रों में जो बौद्ध लिया जा सका है, सो केवल सुविधा के लिए : (1) दुनिया या प्रकृति (जिसमें मानव-समाज भी शामिल है) परस्पर सापेद-वस्तुओं से बनी है, कोई भी वस्तु अपने-आपमें निरपेक्ष नहीं; (2) कुछ भी स्थिर नहीं है, प्रत्येक वस्तु गतिशील है और परिवर्तनशील है, या तो वह विकासोन्मुख है या पतनोन्मुख, पर है गतिशील; (3) वस्तुओं का विकास आसानी से नहीं हो जाता—थोड़ी देर तक वह ज़रूर आसानी से ही चलता रहता है, पर एक ऐसे स्थित पर पहुँचता है जब वह

एकाएक तेजी से बिलट जाता है। पानी में गर्भी का सचार करते रहिए। निश्चित है कि योड़ी देर तक कुछ परिवर्तन नहीं दिखेगा। एकाएक एक खास सीमा तक आने पर पानी खोलने लगेगा, उसमें उथल-पुथल मच जायेगी और वह बाष्पवनकर उड़ने लगेगा। पतनोन्मुख पानी और विकासोन्मुख बाष्प की यह सादी कहानी अत्यन्त जटिल मानव-समाज में भी इसी प्रकार दिखाई देती है; (4) प्रस्त्रेक वस्तु में दो तत्त्व होते हैं: विकासोन्मुख और द्वासोन्मुख। जो विकसित हो रहा है उसे द्वासा तत्त्व बाधा देता है, अभिभूत करने की चेष्टा करता है; जब विकसनशील तत्त्व काफी सबन हो जाता है तो दृढ़ तीव्रतम हो उठता है और किर धीरे-धीरे बाधा देनेवाला या प्रतिकर्ता तत्त्व ढप्प हो जाता है। ये चार सूत्र प्रकृति के कण-कण में सागू हैं। इनको धावश्यकतानुसार अपने उद्देश्य-साधन में लगाया जा सकता है; ज्ञान-विज्ञान की चर्चा का फल वही उद्देश्य साधन है, राजनीति और अर्थनीति का लक्ष्य इन्हीं नियमों के अनुकूल विश्व-निर्मण में लगाना है और साहित्य और कला का उद्देश्य भी ऐसा ही है। अलौकिक आनन्द का अनुभव हो जाय तो उसे आनुपगिक फल मान लेना चाहिए। वही साहित्य का वास्तव फल नहीं है।

ऊपर जो कुछ लिखा जा चुका है वह आधुनिक प्रगतिशीलता का ठीक-ठीक विश्लेषण है या नहीं, यह मैं नहीं कह सकता। इसमें ईमानदारी के साथ समझने की चेष्टा के सिवा और किसी सद्गुण की बात का दावा मैं नहीं पेश कर सकता। पर यह अगर सत्य के नजदीक है तो मुझे ऐसी कोई बात नहीं दिखती जिससे वे लोग चिढ़े या घबरायें जो अपने को प्राचीन-परम्परा के स्वाभाविक विकास का परिपन्थी हैं न आधुनिक सहृदय के मानस-सङ्कारों का प्रतिगामी। प्राचीन कवि अपने काव्य का उद्देश्य 'रामादिवदाचरितयं न तु रावणादिवत्' समझता था। इसका अन्तनिहित अर्थ यह था कि काव्य दुनिया के आचरण की अच्छे मार्ग की ओर मोड़ देने के सकल्प से लिखा जाता था। उस समय मत् और असत् की सीमाएँ निर्धारित थीं, धर्म और अधर्म की मर्यादाएँ स्थिर मान नी गयी थीं, ऐसा विचार केवल वाह्य सतह पर चढ़कर काटनेवालों के लिए ही ठीक है। कभी भी प्राचीन विचारकों ने कर्म-विशेष को सदा के लिए सत् या असत् नहीं बताया। कर्म की गति सदा गहन समझी जाती रही है, इसीलिए गीता में कर्म, अकर्म और विकर्म तीनों को ठोक-ठीक समझने पर जोर दिया गया है:

कर्मणोऽपि वोद्धव्य वोद्धव्यं चविकर्मणं.

अकर्मणश्च वोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः।

सत्य बोलना धर्म है, यह मोटी-भी बात है। पर मत्य बोलना क्या कीज है, यह अवस्था के विचार के बिना नहीं समझा जा सकता। शुकदेव से नारद ने कहा था कि सच बोलना ठीक है, पर हित की बात बोलना और भी ठीक है। सत्य की अपेक्षा हित थेष्ठ है, ! क्योंकि मेरा विचार यह है कि मत्य वह नहीं है जो मुंह में

बोला जाता है, सत्य वह है जो समस्त जगत् का ज्यादा-से-ज्यादा उपकार करता है, आपाततः वह चाहे भूठ जैसा ही क्यों न सुनायी देता हो :

सत्यस्य वचनं श्रेयः सत्यादपि हित वदेत् ।  
यद्भूतहितमत्यन्तमेतत् सत्यं मते मम ॥

—म. भा., शान्तिपवे, 329-13

'महाभारत'में अन्यथ बताया गया है कि अवस्था-विशेष में सत्य के बदले असत्य बोलना ही विहित है (शान्ति., 109-16), सो यह समझना कि कर्म की सत् और असत् की मर्यादा प्राचीन विचारकों ने लोहे की मोटी दीवार से बाँध दी थी सत्य का अपलाप-मात्र है। यह अवश्य है कि साधारण जनता को उन्होंने इतनी गहराई में उत्तरने की शिक्षा नहीं दी और उनके लिए पाप-पुण्य की मर्यादा बाँध दी। यहाँ वे गलती कर सकते हैं, पर प्राचीन तत्त्ववादियों की गतित्वियों को अपना सुराक बनाकर प्रगतिशीलता का आनंदोलन अपनी गति को कुण्ठित-भर कर सकता है, किसी का कोई उपकार नहीं कर सकता।

प्रगति-आनंदोलन के नेताओं ने हरदम बलास, वर्ग और श्रेणी का नाम लेकर भी अपना वक्तव्य धूमिल बना दिया है। वे ऐसी बहुत-सी बातें कहते हैं जो वर्ग-भावना के बिना भी समझायी जा सकती थी, परन्तु उनका उद्देश्य उस बात को समझाना शायद कम होता है और वर्ग-संघर्ष की भावना को परिचित बनाना अधिक। 'संस्कृति' शब्द बड़ा अस्पष्ट है, इसलिए उसे छोड़कर 'ज्ञान' शब्द को लेकर विचार किया जाय। मानव-समाज ने प्रत्येक काल में, किसी-न-किसी रूप में ज्ञान-धारा को आगे बढ़ाया है। प्रत्येक काल में ज्ञान की साधना एक खास वर्ग या श्रेणी ने की है। समय ने उस वर्ग को दुनिया की सतह से पोंछ दिया है, पर उनका आविष्कृत ज्ञान मानवमात्र की सम्पत्ति होकर उपकार कर रहा है। शुल्क-सूत्रों के जिन ब्राह्मण पुरोहितों ने प्रथम रेखागणित के विश्वव्यापक नियमों का आविष्कार किया था वे मिट गये, पर जो ज्ञान वे दे गये वह सारे जगत् की अपनी चीज है। इसलिए वच्चपि प्रत्येक ज्ञान का एक ऐसा व्यावहारिक रूप रहा है जो वर्ग-विशेष के अर्थात् जिन कामों का मूल रहा है, पर यह उसका शाश्वत रूप नहीं है। उसका एक स्थिर रूप भी है जो अपने उद्भावक वर्ग के नष्ट हो जाने पर भी बना रहता है। मैं ठीक नहीं कह सकता कि ज्ञान के उस रूप को प्रगतिवादी नेता क्या कहेंगे, पर जो कुछ भी कहें, उस शब्द का अर्थ शाश्वत या स्थिर जैसा ही कुछ होगा। ज्ञान का जिस प्रकार एक स्थिर या शाश्वत रूप है जो वर्ग-स्वार्थ के परे है, उसी प्रकार काव्य-सौन्दर्य का भी है। उसको 'ब्रह्मानन्द-सहोदर' कहकर, समझने की बेष्टा किये बिना ही मजाक उड़ा देना आसान है, पर उससे मिलते-जुलते शब्द का व्यवहार किये बिना उसे समझाया नहीं जा सकता।

हम लोग यह समझने के अभ्यस्त हैं कि काव्य के पढ़ने-सुननेवाले या नाटक के देखनेवाले सहृदय के चित में ही बासना रूप से स्थायी भाव स्थित होता है। काव्य के श्वरण-द्वारा या अभिनय के दर्शन द्वारा वही रति उद्भुद होकर आस्ता-

दित होती है। काव्य में एक ऐसी शक्ति होती है जो राम में से रामत्व और सीता में से सीतात्व आदि हटाकर उन्हें साधारण स्त्री-पुरुष के रूप में उपस्थित करती है। इस साधारणी वृत्ति रूप से, जैसा कि विश्वनाथ ने कहा है, जब काव्यार्थ उपस्थित होता है तो उसके फलस्वरूप सत्त्वगुण का उद्रेक होता है, और चित्त स्वप्रकाश और आनन्दमय हो जाता है, क्योंकि प्रकाश और आनन्द दोनों ही सत्त्वगुण के धर्म हैं। इस प्रकार जो रस अभिव्यक्त होता है वह विश्वजनीन होता है। उसमें कोई वैयक्तिक राग-द्वेष नहीं होता। लौकिक भय-प्रीतिजनक व्यापारों से यह भिन्न होता है क्योंकि इसमें व्यक्तिगत सुख-दुःख का स्पर्श नहीं होता। लोक में एक स्त्री एक पुरुष के प्रति अभिलापा प्रकट करती है तो उसमें व्यक्तिगत सुख-दुःख का भाव रहता है, पर काष्ठ और नाटक में जब यही बात होती है तो उसमें वह व्यक्तिगत राग-द्वेष नहीं होता। इसमें सहृदय एक निर्वयक्तिक अलौकिक आनन्द का उपभोग करता रहता है। यद्यपि अपने ही चित्त का पुनः-पुनः अनुभूत वह स्थायी भाव अपने आकार के समान ही अभिन्न है तथापि काव्यनैपुण्य से उसे गोचर किया जाता है। आस्वादन ही इसका प्राण है, विभावादिक के रहने पर ही यह रहता है, नाना प्रकार के मीठे-खट्टे पदार्थों के संयोग से बने हुए शरबत की भाँति यह आस्वादित होता है, मानो सामने परिस्फुरित होता हुआ, हृदय में प्रवेश करता हुआ, सर्वांग को आँलिगन करता है। अन्य सबकुछ को तिरोहित करता हुआ ब्रह्मानन्द को अनुभव करनेवाला यह रस अलौकिक चमत्कार का कारण है। यह कार्य नहीं है, क्योंकि कारण के नाश होने पर कार्य नष्ट नहीं होता और यह विभावादि के अभाव में नहीं रह सकता। वह ज्ञाप्य भी नहीं है, अर्थात् जिस प्रकार अन्धकार में रखी हुई वस्तु दीपक आदि से प्रकाशित होकर ज्ञाप्य बनती है, उस प्रकार यह नहीं होता; क्योंकि वह स्वयंसिद्ध है। वल्कि वह विभावादि से व्यजित होकर आस्वादित होता है। जो कारक द्वारा कार्य नहीं, ज्ञापक द्वारा ज्ञाप्य भी नहीं ऐसी कोई वस्तु दुनिया में नहीं हो सकती, इसीलिए रस अलौकिक है। अभिनवगुप्त के इस मत में जो सबसे बड़ी विशेषता है वह यह है कि ये स्थायी भाव को पहले से ही सहृदय के चित्त में स्थित भानते हैं, जब कि अन्यान्य व्याख्याकार रस को सहृदय से बाहर भानते हैं। निस्सन्देह अभिनवगुप्त का सिद्धान्त मनोविज्ञान-सम्मत है और रसानुभूति का सर्वोत्तम मार्ग बताता है। वही हमारा अब तक का सर्वोत्तम समझा जानेवाला मत है। यह मत भारतीय सहृदय के रोम-रोम में रमा है।

द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद काव्यास्वादन के इस नियम को स्वीकार नहीं कर सकता। परन्तु इन भौतिकवादियों की भी कई श्रेणियाँ हैं। यदि वह साधारण राजनीतिक प्रचारक होगा तो अभिनवगुप्त या आनन्दवर्धन को किसी वर्ण-विशेष का प्रतिनिधि भानकर उनकी नीति पर ही आलोचना की जैसी चला देगा। परन्तु यदि वह गम्भीर तत्त्व-चिन्तक होगा तो मानेगा कि ये विचार चाहे जिस बास की उपज हों ज्ञान-धारा को आगे बढ़ाने में सहायक हैं, वह इन विचारों को तटस्थ

तत्त्ववादी की भाँति विश्लेषण करके और विचार करके दूर नहीं फेक देगा, वल्कि अपने अनुध्यात भविष्य के निर्माण में इनसे किस प्रकार सहायता ली जा सकती है यहीं सोचेगा। माकर्सवादी के लिए कोई सत्य लोहे की मोटी दीवारों से घिरा नहीं है और इसीलिए वह संसार के प्रत्येक स्टेज में अर्जित ज्ञान को अपने काम में लाने से नहीं हिचकता। नीति को अवस्थाएँ रूप देती है। जो लोग इस देश में प्रगतिशील साहित्य के आनंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, उन्हें अपने देश के सचित ज्ञान की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। आज नहीं तो कल उन्हें उस विशाल ज्ञानराशि के संरक्षण और आलोचन का भार अपने कन्धे पर लेना होगा। हजारों वर्ष की समृद्ध ज्ञानराशि को फेक देना बुद्धिमानी नहीं है। दुनिया की अन्य सभी वस्तुओं को फेक देने से भार हल्का हो सकता है, पर ज्ञान के फेंकने से भार बढ़ जाता है।

प्रगतिशील कहीं जानेवाली सब रचनाओं की तो मैं नहीं कहता—उनमें बहुतेरी प्राप्त्य, अश्लील, जुगुप्सित और रसाभासमूलक है—पर चुने नमूने के तौर पर संगृहीत कविताओं और कहानियों तथा नाटकों को देखकर मैं कह सकता हूँ कि वे अपनी प्राचीन परम्परा के स्वाभाविक विकास के रूप में समझायी जा सकती हैं। दो वातें मान लेने से वे इस देश के लिए भी ग्राह्य बनायी जा सकती हैं—ज्ञान और सौन्दर्य का चिरन्तन रूप और सहृदय के वासनारूप में स्थित रस का उद्वोघ। मैं ठीक नहीं जानता कि आधुनिक साहित्य-भीमासक इन वातों को स्वीकार करेगे या नहीं, पर मेरा अपना विश्वास है कि एक समय आयेगा जब भारतवर्ष के सभी क्षेत्रों पर समाजवाद के किसी-न-किसी रूप का आधिपत्य होगा। उस दिन के लिए हमें अभी से तैयारी करनी होगी। आज से ही हमारे प्रगतिशील तरुण साहित्यकारों को यह याद रखना होगा कि किसी दिन ऐसे सैकड़ों मतवादों और तत्त्वचिन्ताओं का उन्हें आत्मनिरपेक्ष भाव से अध्ययन, मनन, सम्पादन और विवेचन करना होगा जो उनके आज के प्रचारित मत के विरुद्ध पड़ेगी। आज का तरुण आलोचक जिस मत को विना समझे ही मजाक का विषय बना रहा है, कल उसी मत की सरक्षा का भार उसी पर आनेवाला है। दुनिया जैसी आज है वैसी ही नहीं वनी रहेगी, शास्त्रों की जो ढीलम-ढाल संरक्षण-व्यवस्था आज जारी है वह शोध ही खत्म हो जायगी और तरुण साहित्यकार की गैर-ज्ञानवदेह मस्ती भी कपूर की भाँति उड़ जायगी। उस दिन जो प्राचीन सचित ज्ञाननिधि प्रकट होगी वह थोड़े-से बुद्धि-विलासियों के मनोविनोद का साधन नहीं होगी, वह वृहत्तर मानव-जीवन की कर्मविधि को रूप देगी। उस दिन निश्चित है कि नया तत्त्वज्ञान उससे समृद्ध होगा और कुछ आश्चर्य नहीं यदि वह योड़ा परिवर्तित भी हो जाय। यदि संसार की कोई वस्तु स्थितिशील नहीं है, सभी परिवर्तनशील हैं, तो ऊपर लिखे हुए प्रगतिमूलकीय वर्यों स्थिर होंगे? माकर्स का तत्त्वज्ञान भी तो कोई स्थिर और जास्त चीज नहीं है। यदि इतनी-सी वात हमारे तरुण साहित्यकार याद रखें तो उनकी रचनाएँ ग्रंथिक गम्भीर, ग्रंथिक उत्तरदायित्वपूर्ण और ग्रंथिक प्रभावोत्पादक होंगी। नवीन रचनाओं में

जो प्राण है सो कोई अस्वीकार नहीं कर सकता, परन्तु मेरा अनुमान है कि यदि किसी दिन इस देश में इन कविताओं ने गहरे तक जड़ जमायी तो दो शर्तें वे किसी-न-किसी रूप में अवश्य मान लेगी। वे ज्ञान, सौन्दर्य और कल्याण के अस्थायी परिवर्तनशील रूप के साथ स्थायी शाश्वत रूप को अस्वीकार नहीं कर सकेगी और न यही अस्वीकार कर सकेगी कि उनका काम सहृदय के हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान भावों का उद्वोध है। इन दो बातों को मान कर ही वे इस देश में अपना प्रभाव विस्तार कर सकेंगी। मेरा दृढ़ विश्वास है कि वे शीघ्र ही ऐसा प्रभाव प्रसार कर सकेंगी, इसलिए मेरा यह भी विश्वास है कि एक-न-एक रूप में वे इन दोनों बातों को भी मान लेगी। अपने देश की चिन्ता-परम्परा न तो उथली है न संकीर्ण, इसलिए इस नये तत्त्ववाद को उसमें आसानी से खपाया जा सकता है, समृद्ध बनाया जा सकता है और अपने ढग पर अपनाया जा सकता है।

## कथा-आख्यायिका और उपन्यास

[एक व्याख्या]

123. लाखों वर्गमील में फैले हुए हजारों वर्ष के बृद्ध इस भारतवर्ष की साहित्यिक साधना इतनी चिराट, इतनी जटिल और इतनी गम्भीर है कि उसकी प्राचीन और नवीन चिन्ताओं पर संक्षेप में फैसला सुना देना हिमाकृत-भर है। फिर भी मैं आपके सामने जो यह साहस करने के लिए यड़ा हूँ, इसके लिए क्षमा मांगने की जरूरत नहीं समझता। हम जिस भोड़-भम्भड़ और वैयक्तिक स्वाधीनता के युग में पैदा हुए हैं, उसमें इससे कही अधिक हिमाकृत की बातें क्षम्य ही समझ ली जाती हैं। प्राचीन और नवीन चिन्ता की तुलना, या एक साथ एक आसन पर बैठाना भी कुछ अजीब-सा लगता है। एक तरफ लगभग 6 हजार वर्षों की मुचिन्तित साधना और दूसरी तरफ हर साल रंग बदलनेवाली 100 वर्ष की प्राधुनिक जिज्ञासा—दोनों में कुछ ऐसा असाधृश्य, ऐसा अनेक और ऐसा प्रकृति-वयोज्ञुभूतिभेद है कि दोनों को एक माय बैठाना नितान्त अनुचित जान पड़ता है। फिर भी यह असाधृश्य-अनेक और प्रकृति-भेद वास्तविक है, और वह वास्तविकता उपेक्षणीय नहीं है। नवीन चिन्ता जितनी भी कच्ची, जितनी भी अल्पवयस्क और जितनी भी अस्थिर स्वभाववाली क्यों न हो, उसमें नवीन प्राण है, और प्राणवत्ता मवसे बड़ा गुण है। और केवल इसी एक कारण से हम प्राचीन और नवीन को

एक नजर से देख लेने का प्रयास करते हैं। यह तो मेरे लिए असम्भव ही है कि भारतवर्ष की विराट् चिन्ताराशि के सभी अंशों की आलोचना करें—वह किसी के लिए भी असम्भव ही है—परन्तु अपनी सुविधा के लिए मैंने निश्चय किया है कि सारे भारतीय इतिहास की ओर न देखकर आज से डेढ़ हजार वर्ष पूर्व तक के इतिहास को ही सामने रखके काम चलाऊं। परन्तु यह भी असम्भव कार्य है। इसलिए इसमें से भी एक ही अंश हमने लिया है—गद्य-काव्य—तत्रापि कथा-आत्मायिका और उपन्यास। इतनी परिमिति पर भी मुझे भरोसा नहीं है। इसलिए भगवान् की ओर से स्योगवश प्राप्त दो और परिमिति सीमाओं पर मैं भरोसा करके अपना कार्य नि.संकोच शुरू कर देता हूँ। पहली सीमा स्वयं मेरी विद्याबुद्धि है, और दूसरी आपका दिया हुआ घण्टे-भर का समय। इसके बाद मैं आपके सामने प्रतिज्ञा करता हूँ कि प्राचीन भारत की बात कहते समय मैं यथासम्भव एक भी वाक्य अपनी ओर से नहीं कहूँगा। सभी प्राचीन प्रामाणिक ग्रन्थों से उद्धृत वाक्यों के अनुवाद होंगे। बीच-बीच में फौंकों या गैपों को भरने की कोशिश करने की छूट ले लेता हूँ।

सबसे पहले मैं आपके सामने यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैंने भारतवर्ष की हजारों वर्ष की पुरानी साधना को एकदम छोड़कर आज से 15 सौ वर्ष पूर्व तक की साहित्यिक साधना को ही क्यों आलोचना के लिए चुना है। सन् ईसवी की पहली शताब्दी में मथुरा के कुपाण समारों के शासन सम्बन्धी ऐतिहासिक चिह्नों का मिलना एकाएक बन्द हो जाता है। इसके बाद के दो तीन सौ वर्षों का काल भारतीय इतिहास का अन्धकार-युग कहा जाता है। आपे दिन विद्वान् इस युग के इतिहास सम्बन्धी नये-नये सिद्धान्त उपस्थित करते रहते हैं, और पुराने सिद्धान्तों का खण्डन करते हैं। अब तक इस काल का इतिहास लिखने योग्य पर्याप्त सामग्री नहीं उपलब्ध हुई है। किन्तु 220 ई. में मगध का प्रसिद्ध पाटलिपुत्र 400 वर्षों की गाढ़ निद्रा के बाद अचानक जाग उठता है। इसी वर्षे चन्द्रगुप्त नामधारी एक साधारण राजकुमार, जिसका विवाह सुप्रसिद्ध लिच्छविवश में हुआ था और इसीलिए जिसकी ताकत बढ़ गयी थी, अचानक प्रबल पराक्रम से उत्तर भारत में स्थित विदेशियों को उखाड़ फेकता है। उसके पुत्र समुद्रगुप्त ने, जो अपने योग्य पिता का योग्य पुत्र था, इस उन्मूलन-कार्य को और भी आपे बढ़ाया और उसके योग्यतर प्रतापी पुत्र द्वितीय चन्द्रगुप्त या सुप्रसिद्ध विक्रमादित्य ने अपने रास्ते में एक भी काँटा नहीं रहने दिया। उसका सुव्यवस्थित साम्राज्य ब्रह्मदेश से पश्चिम समुद्र तक और हिमालय से नमंदा तक फैला हुआ था। गुप्त-समारों के इस मुदृढ़ साम्राज्य ने भारतीय जनमूह में नवीन राष्ट्रीयता और विद्या-प्रेम का सचार किया। इस युग में राजकार्य से लेकर समाज, धर्म और साहित्य तक मैं एक अद्भुत क्रान्ति का परिचय मिलता है। व्राह्मण धर्म और सस्कृत भाषा एकदम नवीन प्राण लेकर जाग उठे। पुराने धर्मपों द्वारा व्यवहृत प्रत्येक शब्द मानो उद्देश्य के साथ वहिकार कर दिये गये। कुपाणों द्वारा समर्थित गान्धारशीली की

कला एकाएक बन्द हो गयी और सम्पूर्णतः स्वदेशी मूर्तिशिल्प और वास्तुशिल्प की प्रतिष्ठा हुई। राजकीय पदों के नाम नये सिरे से एकदम बदल दिये गये। समाज और जाति की व्यवस्था में भी परिवर्तन किया गया था—इस बात का सबूत मिल जाता है। सारा उत्तरी भारत जैसे एक नया जीवन सेकर नयी उमग के साथ प्रकट हुआ। इस काल से भारतीय चिन्तास्रोत एकदम नयी दिशा की ओर मुड़ता है। साहित्य की चर्चा करनेवाला कोई भी व्यक्ति इस नये धुमाव की उपेक्षा नहीं कर सकता। जिन दोनों सी वर्षों की ओर शुरू में इशारा किया गया है उनमें भारतवर्ष में शायद विदेशी जातियों के एकाधिक आक्रमण हुए थे, प्रजा सन्त्रस्त थी, नगरियाँ विघ्वस्त हो गयी थी, जनपद आग की लपटों के शिकार हुए थे। कालिदास ने अयोध्या की दारण दीनावस्था दिखाने के बहाने मानो गुप्त सभ्राटों के पूर्ववर्तों काल के समृद्ध नागरिकों की जो दुर्दशा हुई थी, उसका ग्रत्यन्त हृदयविदारी चित्र खीचा है। शक्तिशाली राजा के अभाव में नगरियों की असल्य अट्टालिकाएँ भमन, जीर्ण और पतित हो चुकी थी, उनके प्राचीर पिर चुके थे, दिनान्तकालीन प्रचण्ड आधी से छिन्न-भिन्न मेघपटल की भाँति वे श्रीहीन हो गयी थी। नागरियों को जिन राजपथों पर धनी रात में भी निर्भय विचरण करनेवाली अभिसारिकाओं के नूपुरशिजन का स्वर सुनायी देता था, वे राजपथ शृंगालों के विकट नाद से भयंकर हो जाएं थे। जिन पुष्करिणियों में जलक्रीड़ा-कालीन मृदङ्गों की मधुर ध्वनि उठा करती थी, उनमें जंगली भैंसे लोटा करते थे और अपने शृङ्ग-प्रहार से उन्हें गँदला कर रहे थे। मृदङ्ग के ताल पर नाचने के अम्भस्त सुवर्णयष्टि पर विश्राम करनेवाले क्रीड़ा-मयूर अब जङ्गली हो चुके थे, उनके मुलायम वर्हभार दावाभिनि से दग्ध हो चुके थे। अट्टालिकाओं की जिन सीढियों पर रमणियों के सराग पद संचरण करते थे उन पर व्याघ्रों के लहू-लुहान दौर दौड़ा करते थे, बड़े-बड़े राजकीय हाथी जो पदमवन में अवतीर्ण होकर मृणालनालों द्वारा करेणुओं की संवर्धना किया करते थे, सिंहों से आक्रान्त हो रहे थे। सौधस्तम्भों पर लकड़ी की बनी स्त्री-मूर्तियों का रंग धूमर हो गया था और उन पर सौंपों की लटकती हुई केंचुलें ही उत्तरीय का कार्य कर रही थी। हम्यों के अमल-ध्वनि प्राचीर काले पड़ गये थे, दीवारों के फौंक में से तृणावलियाँ निकल पड़ी थी, चन्द्र-किरणें भी उन्हें पूर्ववत् उद्भासित नहीं कर सकती थीं। जिन उद्यान लताओं से विलासिनियाँ अति सदय भाव से पुष्प चयन करती थी, उन्हीं को वानरों ने बुरी तरह से छिन्न-भिन्न कर डाला था; अट्टालिकाओं के गवाह रात में न तो मागल्य प्रदीप से और न दिन में गृहलक्ष्मियों की मुखकान्ति से ही उद्भासित हो रहे थे, मानो उनकी लज्जा ढकने के लिए ही मकड़ियों ने उन पर जाल तान दिया था। नदियों के सैकतों पर पूजनसामग्री नहीं पड़ती थी, स्थान की चहल-गहल जाती रही थी, उपान्त देश के वेतसलता-कुञ्ज सूने पड़ गये थे (रघुवश, 16-11-21) ! ऐसे ही विघ्वस्त भारतवर्ष को गुप्त-सभ्राटों ने नया जीवन दिया। कालिदास के ही शब्दों में कहा जाय तो “सभ्राट के नियुक्त शिल्पियों ने प्रचुर उपकरणों

से उस दुर्दशाग्रस्त नगरी को इस प्रकार नयी बना दिया जैसे निदाधगलपिता घरित्री को प्रनुर जलवर्षण से मेघगण ! ”

ता शिल्पसंघा प्रभुणा नियुक्तास्तथागता स भूतसाधनात्वात्  
पुरी नवीचक्रुरपा विसर्गति॒ मेघा निदाधगलपितामिवोर्वम् ।

(रथवंश 16-38)

गुप्त-सम्राटों के इस पराक्रम को भारतीय जनता ने भक्ति और प्रेम से देखा। ज्ञाताविद्याँ और सहस्राब्दक दीत गये, पर आज भी भारतीय जीवन में गुप्त-सम्राट् धूले हुए हैं। केवल इसलिए नहीं कि विक्रमादित्य और कालिदास की कहानियाँ भारतीय लोक-जीवन का अविच्छेद्य अंग बन गयी हैं, वल्कि इसलिए कि आज के भारतीय धर्म, समाज, आचार, विचार, क्रिया, काण्ड आदि में सर्वत्र गुप्तकालीन साहित्य की अमिट छाप है। जो पुराण और स्मृतियाँ निस्सन्दिध रूप से आज प्रमाण मानी जाती हैं वे अन्तिम तौर पर गुप्त-काल में रचित हुए थे, वे आज भी भारतवर्ष का चित्र हरण किये हुए हैं; जो शास्त्र उन दिनों प्रतिष्ठित हुए थे वे आज भी भारतीय चिन्तास्रोत को बहुत-कुछ गति दे रहे हैं। आज गुप्त-काल के पूर्ववर्ती शास्त्र और साहित्य की भारतवर्ष के बहुत श्रद्धा और भक्ति से पूजा-भर करता है, अवहार के लिए उसने इस काल के निर्धारित ग्रन्थों को ही स्वीकार किया है। गुप्तयुग के बाद भारतीय मनीषा की मौलिकता थोथी हो गयी। टीकाओं और निबन्धों का युग शुरू हो गया। टीकाओं की टीका, उसकी भी टीका, इस प्रकार मूलग्रन्थ की टीकाओं की छः-छः, आठ-आठ पुस्तक तक चलती रही। आज जब हम किसी विषय की आलोचना करते समय ‘हमारे यहाँ’ के शास्त्रों की दुर्हाइ देते हैं, तो अधिकतर इसी काल के बने ग्रन्थों की ओर इशारा करते हैं। यद्यपि गुप्त-सम्राटों का प्रबल पराक्रम छठी शताब्दी में ढल पड़ा था, पर साहित्य के थेत्र में उस युग के स्थापित आदर्शों का प्रभाव किसी-न-किसी रूप में ईसा की नवी शताब्दी तक चलता रहा। मोटे तौर पर इस काल तक को हम गुप्त-काल-ही कहते जायेंगे।

सन् 1883 ई. में मैक्समूलर ने अपना वह प्रसिद्ध मत उपस्थित किया था जिसमें कहा गया था कि यवनों, पार्थिवनों और शकों आदि के द्वारा उत्तर-पश्चिम भारत पर वार-वार आक्रमण होते रहने के कारण कुछ काल के लिए सस्कृत में साहित्य बनना बन्द हो गया था। कालिदास के युग से नये सिरे से सस्कृत भाषा की पुनः प्रतिष्ठा हुई और उसमें एक अभिनव ऐहिकतापरक (सेक्यूलर) स्वर सुनायी देने लगा ('इण्डिया', 1883, पृ. 281)। यह मत बहुत दिनों तक विद्वन मण्डली में समादृत रहा, पर हाल ही में इसमें परिवर्तन हुआ। आजकल यद्यपि यह मूल रूप में नहीं माना जाता है कि उक्त पुनःप्रतिष्ठा के युग के पहले तक संस्कृत भाषा ऐहिकतापरक भावों के लिए बहुत कम प्रयुक्त होती थी। ऐसे भावों का प्रधान बाहक प्राकृत भाषा थी। प्राकृत की ही पुस्तकों बाद में चलकर ब्राह्मणों द्वारा संस्कृत में अनुदित हुई ('हिन्दू ग्राफ मस्कृत लिटरेचर', 1828, पृ. 39)।

स्वयं कीय साहब इस मत को नहीं मानते। उन्होंने वैदिक साहित्य के प्रमाणों से यह सिद्ध कर दिखाने का प्रयत्न किया है कि ऐहिकता-परक काव्य का बीज बहुत प्राचीन काल के स्सकृत साहित्य में भी वर्तमान था। राजाश्रो की प्रशंसा या स्तुति गानेवाले कवि उन दिनों भी थे और इन स्तुति सम्बन्धी मातों को अधिकाधिक परिमाजित रूप देने की चेष्टा भी की गयी होगी, इस कल्पना में विल्कुल ही अतिरजना नहीं है। परन्तु संस्कृत में ऐहिकतापरक रचना होती रही हो या नहीं, निविवाद वात यह है कि सन् ईसवी के आसपास ऐहिकतापरक रचनाश्रो का बहुत प्राचीन हो गया था। इनका आरम्भ भी निश्चय ही प्राकृत से हुआ था। इस प्रकार की रचनाओं का सबसे प्राचीन और साथ ही सबसे प्रौढ़ संकलन 'हाल की सत्त्वसई' में हुआ है। इस ग्रन्थ का काल कुछ लोग सन् ईसवी के आसपास मानते हैं और कुछ लोग चार-पाँच सौ वर्ष बाद। कुछ पण्डितों का मत है कि 'हाल की सत्त्वसई' में जो ऐहिकतापरक रचनाएँ हैं, उनके भावों का प्रवेश भारतीय साहित्य में किसी विजातीय मूल से हुआ है। यह मूल आभीरों या अहीरों की लोकगायाएँ हैं। यहाँ इस विषय पर विस्तारपूर्वक विचार नहीं किया जा सकता; क्योंकि यह हमारे वक्तव्य के बाहर चला जाता है। हमने अपनी नयी पुस्तक 'हिन्दी साहित्य की भूमिका' में इस प्रश्न पर कुछ ज्यादा विस्तार के साथ आलोचना की है। यहाँ प्रकृत इतना ही है कि सन् ईसवी के बाद लगभग तीन सौ वर्ष तक संस्कृत में एक जड़िमा की घटस्था या गयी है और इसके बाद गुप्त-सम्राटों की छवच्छाया में उसमें एकाएक नवीन अज्ञातपूर्व स्फूर्ति का परिचय मिलता है। इतनी भूमिका के बाद हम अब मूल विषय पर आ सकते हैं।

यद्यपि वैदिक साहित्य में गद्य-पद्य में लिखी हुई कहानियों की कमी नहीं है पर जिसे हम अलंकृत गद्यकाव्य कहते हैं, जिसका प्रधान उद्देश्य रससृष्टि है, निश्चित रूप से उसका प्रचार गुप्त-सम्राटों की छवच्छाया में ही हुआ। यद्यपि यह निश्चित है कि जिस रूप में सुविकसित गद्य का प्रचार इस युग में दिखायी देता है, उस रूप को प्राप्त होने में उसे कई शताब्दियाँ लग गयी होगी। सीमान्ध्यवश हमारे पास कुछ ऐसी प्रशस्तियाँ प्राप्त हैं जिन पर से अलंकृत गद्य के प्राचीन अस्तित्व में कोई सन्देह नहीं रह जाता। गिरनार में महाक्षत्रप रुद्रामा (साधारणतः 'हृदामन्' नाम से परिचित) का खुदवाया हुआ जो लेख मिला है, उससे निस्सन्दिध रूप से प्रमाणित होता है कि 150 ई. के पूर्व संस्कृत में सुन्दर गद्यकाव्य लिखे जाते थे। यह सारा लेख गद्यकाव्य का एक नमूना है। इसमें महाक्षत्रप ने अपने को 'स्कुटलघु-पघुरन्मित्र-कात्त-शब्द-समयोदारालकृत-मद्य-पद्य' का मर्मज्ञ बताया है, जिससे अलंकृत गद्यों के ही नहीं अलकारशास्त्र के अस्तित्व का भी प्रमाण पाया जाता है। यह गद्यकाव्य क्या थे, यह तो हमें नहीं मालूम, पर उनकी रचना प्रौढ़ और गुप्त अकार्यक होती होंगी, इस विषय में सन्देह की जगह नहीं है। सम्राट् समुद्रगुप्त ने प्रथाग के स्तम्भ पर हरियेण कवि द्वारा रचित जो प्रशस्ति खुदवायी थी वह एक दूसरा सबूत है। हरियेण ने यह प्रशस्ति सम्भवतः 530 ई. में लिखी

होगी। इसमें गद्य और पद्य दोनों का समावेश है और रचना में काव्य के सभी गुण उपस्थित है। सुबन्धु और बाण ने अपने रोमांसों के लिए जिस जाति का गद्य लिखा है, इस प्रशस्ति का गद्य उसी जाति का है। हरिपेण के इस काव्य से निश्चित रूप से प्रमाणित होता है कि इसके पहले भी गद्य-काव्य का अस्तित्व था।

यह गद्य-काव्य क्या है? संस्कृत के आलंकार-ग्रन्थों में इसके लक्षण बताये गये हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि यह कहानी या उपन्यास जूहर है; क्योंकि जब तक कहानी नहीं है तब तक उसमें आलम्बन आदि विभाव हो ही नहीं सकते। फलतः रस-सूष्टि यसम्बन्ध हो जायगी। क्योंकि आखिर रस विभाव-अनुभाव-संचारी आदि भावों से ही तो होता है, इसलिए सभी आलंकारिकों ने तो मान ही लिया है कि गद्यकाव्य एक कहानी है। इसके बाद उसके भेद बताये गये हैं। यह दो प्रकार का होता है, कथा और आस्थायिका। कहा गया है कि एक का वक्ता स्वयं नायक होगा और दूसरी का वक्ता नायक भी हो सकता है, और कोई और भी हो सकता है। 'साहित्यदर्पण' में कहा गया है कि कथा में सरस वस्तु गद्य में कही जायगी, उसमें कही आर्याद्घन्द भी होगे कहीं वक्त्र और अपवक्त्र भी होगे और शुरू में पद्यवद्ध नमस्कार होगा और फिर साधु-प्रश्नसा और दुर्जन-निन्दा होगी।

दण्डी, किन्तु, इस प्रकार के भेद को नहीं मानते। उन्होंने ठीक ही कहा है कि यह भेद व्यर्थ का है; क्योंकि कहानी नायक कहे या दूसरा कहे, इसमें क्या बन या बिगड़ गया? फिर वक्त्र और अपवक्त्र छन्द हो या न हो, किसी में उच्छ्वास नाम देकर और किसी में लम्भ नाम देकर अध्यायभेद किये गये हो तो इन बातों से कहानी का क्या बनता-बिगड़ता है? ये तो नितान्त ऊपरी बातें हैं। इसलिए वस्तुतः कथा और आस्थायिका ये दो नाम ही भर हैं, दोनों एक ही जाति की चीजें हैं।\* दण्डी का कहना ठीक है। परन्तु आस्थायिका नाम से प्रचलित ग्रन्थों को देखकर विचार किया जाय तो ऐसा जान पड़ता है कि कथा की कहानी कल्पित हुआ करती थी और आस्थायिका की ऐतिहासिक। 'कादम्बरी' कथा है और

\*ध्रपादः पादसन्तानो गद्यमास्यायिका कथा ।

इहि तस्य प्रभेदो द्वौ तयोराङ्गायिका किल ।

नायकेनैव वाच्यान्या नायकेनतरेण वा ।

स्वगुणायिक्या दोपो नात्र भूतार्थज्ञतिनः ।

अपि तदनियमो द्रुटस्तत्राप्यन्येष्वदीरणात् ।

अन्यो वक्त्रं स्वयं वेति कीदृशा भेदलक्षणम् ।

वक्त्रं कापरवक्त्रं च मोच्छवान् च भेदकम् ।

चिह्नमास्यायिकायावेत् प्रसरेत् कथार्थपि ।

प्रार्यादिवद्यदेतः कि न वक्त्रापरवक्त्रयोऽ? ।

भेदवक्त्र दृष्टो लभादिश्वद्वाषोवस्तु ततः ।

उत्तमास्यायिकेनेव जातिः समाद्यायिता ।

अदैवादिभूविद्यान्ति शेषाश्चास्यानजातयः ।

'हर्षचरित' आत्मायिका। इन दो जाति के अतिरिक्त एक और तरह की रचनाएँ संस्कृत में पायी जाती हैं जो हमारे आलोच्य विषय के अन्तर्गत हैं। इन्हें चम्पू कहते हैं। 'चम्पू' शब्द का मूल बया है, यह नहीं मालूम। इसमें गद्य और पद्य दोनों ही मिले होते हैं। प्रायः ऐसे स्थलों पर इनमें पद्य का प्रयोग होता है जहाँ कवि कोई आकर्षक दृश्य अकित करना चाहता हो, या वक्ता के मुख से कोई मार्मिक उक्ति कहलवाना चाहता हो। चम्पूओं में कई ऐसे हैं जिन्हें हम 'रोमास' कह सकते हैं।

कथा-साहित्य की चर्चा करते समय 'वृहत्कथा' को नहीं भूला जा सकता। 'रामायण', 'महाभारत' और 'वृहत्कथा'—ये तीन ग्रन्थ समस्त संस्कृत काव्य, नाटक, कथा, आत्मायिका और चम्पू के मूल उत्स हैं। भारतवर्ष के तीनों बड़े-बड़े गद्य-काव्यकार दण्डी, मुवन्धु और वाण भट्ठ 'वृहत्कथा' के अधीनी हैं। भारतवर्ष का यह दुर्भाग्य ही कहा जाना चाहिए कि यह अमूल्य निधि आज अपने मूल रूप में प्राप्त नहीं है। सन् ईसवी की आठवीं-नवीं शताब्दी तक के भारतीय साहित्य में 'वृहत्कथा' और उसके लेखक गुणाद्य पण्डित की चर्चा प्रायः ही आती रहती है। यहाँ तक कि लगभग 875 ई. में कम्बोडिया की एक संस्कृत प्रशस्ति में गुणाद्य और उनकी 'वृहत्कथा' की चर्चा आती है। परन्तु आज वह नहीं मिलती। यह ग्रन्थ संस्कृत में नहीं बल्कि प्राकृत में लिखा गया था और प्राकृत भी पैशाची प्राकृत। इसके निर्माण की कहानी बड़ी ही मनोरजक है। गुणाद्य पण्डित महाराज सातवाहन के समाप्ति थे। एक बार राजा सातवाहन अपनी प्रियांगों के साथ जल-कोड़ा करते समय संस्कृत की कम जानकारी के कारण लिजित हुए और यह प्रतिज्ञा कर देंठे कि जब तक संस्कृत धारावाहिक रूप से लिखने-बोलने नहीं लगें तब तक वाहर मुँह नहीं दिखायेंगे। राज-काज बन्द हो गया। गुणाद्य एक पण्डित बुलाये गये। उन्होंने ३ वर्ष में संस्कृत सिखा देने की प्रतिज्ञा की, पर एक ग्रन्थ पण्डित ने ६ महीने में ही इस अमाध्य साथन का मंकल्प किया। गुणाद्य इस पर प्रतिज्ञा की कि कोई ६ महीने में संस्कृत सिखा देगा तो वे संस्कृत में लिखना-बोलना ही बन्द कर देंगे। ६ महीने बाद राजा तो सचमुच ही धारावाहिक रूप से संस्कृत बोलने लगे, पर गुणाद्य को मौत होकर नगर से बाहर पिण्डाचो से अच्छुयित विन्ध्याटवी में वास करना पड़ा। उनके दो भिन्न उनके साथ हो लिये। यही किसी शापशस्त पिण्डाचोंनिप्राप्त गन्धर्व से कहानी मुनकर गुणाद्य पण्डित ने इस विशाल ग्रन्थ को पैशाची भाषा में लिया। कामज़ का काम मूर्ने चमड़ों से और स्थाहों का काम रक्त में लिया गया। पिण्डाचों की वस्तों में घोर मिल ही बया सकता था? कथा मम्पूर्ण करके गुणाद्य प्रपतं भिन्नों महिन राजपानी को लौट प्राप्ते। स्वयं नगर के उपान्त भाग में ठहरे घोर भिन्नों में ग्रन्थ राजपानी के पास स्वीकारायें भिजवा दिया। राजा ने भवहेननापूर्ण इस घोनोन्मत सेपक द्वारा रक्त में चमड़े पर लिमें हुए पैशाची ग्रन्थ का तिरस्कार किया। गमा ने कहा कि भना ऐसे ग्रन्थ के वक्तव्य वस्तु में विचार योग्य ही ही कथा मरता है!

पैशाचो वाग् मसी रक्तं मौनोन्मत्तश्च लेसकः ।  
इति राजापूर्वोत् का वा वस्तुमारविचारणा ।

—वृहत्कथामजरी', 1187

शिष्यों से यह समाचार सुनकर गुणाद्य बड़े व्यवित हुए । चिता मे ग्रन्थ को फेंकने ही जा रहे थे कि शिष्यों ने किर एक बार सुनने का आग्रह किया । आग जला दी गयी, पण्डित आसन धौंवकर बैठ गये । एक-एक पत्ता पढ़कर सुनाया जाने लगा और समाप्त होते ही आग मे डाल दिया जाने लगा । कथा इतनीम धुर और इतनी मनोरजक थी कि पशु, पक्षी, मृग, व्याघ्र आदि सभी सानामीना छोड़कर तन्मय भाव से मुनने लगे । उनके मास सूख गये । जब राजा की रुचन-शाला मे ऐसे ही पशुओं का मास पहुँचा तो शुष्क मास के भक्षण से राजा के पेट मे दर्द हुआ । वैद ने नाड़ी देखकर रोग का निदान किया । कसाइयो से कैफियत तलव की गयी और इस प्रकार अज्ञात पण्डित से कथावचन की मनोहारिता राजा के कानों तक पहुँची । राजा आश्चर्यचकित होकर स्थयं उपस्थित हुए, लेकिन तब तक ग्रन्थ के सात भागों मे से छः जल चुके थे । राजा पण्डित के पैरों पर पिरकर सिफँ एक ही भाग बचा सके । उस भाग की कथा हमारे पास मूल रूप मे तो नहीं, पर संस्कृत अनुवाद के रूप मे यव भी उपलब्ध है ।

बुद्धस्वामी के 'वृहत्कथाश्लोक सग्रह', धैमेन्द्र की 'वृहत्कथामजरी' और सोम-देव के 'कथासरित्सागर' मे 'वृहत्कथा' (या वस्तुतः 'वड्डकहा', क्योंकि यही उसका मूल नाम था) के उस अवशिष्ट धंग की कहनियां सगृहीत हैं । इनमे पहला ग्रन्थ नेपाल और वाकी कश्मीर के पण्डितों की रचना है । पण्डितों मे गुणाद्य के विषय मे और उनकी लिखी 'वृहत्कथा' के विषय मे कई प्रश्नों को लेकर काफी मतभेद रहा है । पहली बात है कि गुणाद्य कहीं के रहनेवाले थे । कश्मीरी कथाओं के अनुसार वे प्रतिष्ठान मे उत्पन्न हुए थे और नेपाली कथा के अनुसार कोशाम्बी मे । फिर काल को लेकर मतभेद है । कुछ लोग सातवाहन को और उसके साथ ही गुणाद्य को सन् ईसवी के पूर्व की पहली शताब्दी मे रखते हैं और कुछ बहुत बाद मे । दुर्भाग्यवश यह काल-सम्बन्धी भगड़ा भारतवर्ष के सभी प्राचीन आचार्यों के साथ अविच्छेद रूप से सम्बद्ध है । हमारे साहित्यालोचकों का अधिकाश अम इन कालनिर्णय-सम्बन्धी कसरतों मे ही चला जाता है । ग्रन्थ के मूल वक्तव्य तक पहुँचने के पहले सर्वं एक तर्क का दुस्तर फेनिल समुद्रपार करना पड़ता है । एक तीसरा प्रश्न भी 'वृहत्कथा' के सम्बन्ध मे उठता है । वह यह कि पैशाची किस प्रदेश की भाषा है । इधर प्रियसंन-जैसे भाषा-विशेषज्ञ ने अपना यह फैसला सुना दिया है कि पैशाची भारतवर्ष के उत्तर-पश्चिम सीमान्त की वर्दं जातियों की भाषा थी । ये कच्चा मास खाते थे, इसीलिए इन्हे पिशाच कहा जाता था । गुणाद्य की पुस्तकों के सभी संस्कृत संस्करण कश्मीर मे (सिफँ एक नेपाल मे) पाये जाते हैं । इस पर से प्रियसंन का तर्क प्रबल ही होता है, क्योंकि कश्मीर इन सीमान्त प्रदेशों से सटा हुआ है । परन्तु ग्रन्थान्य प्रमाण प्रियसंन के विशद्ध जाते हैं । पाली मे

पैशाची के बहुत-से लक्षण मिल जाते हैं और दर्दिस्तान आदि की वर्तमान भाषाओं में वे विशेषताएँ कभी-कभी नहीं पायी जातीं जिन्हे प्राकृत वैयाकरणों ने पैशाची के लक्षण माना है। बहुत पहले होर्नेल ने इशारा किया था कि पैशाची वस्तुतः किसी एक प्रदेश की भाषा नहीं थी। वह अनार्य जातियों द्वारा आर्यभाषा बोलने के प्रयत्नस्वरूप उत्पन्न एक विकृत आर्यभाषा थी। भिन्न-भिन्न स्थानों के अनार्य अपनी सुविधा के अनुसार उसे भिन्न ढाँचों में स्रोढ़ लिया करते थे। मुझे होर्नेल का यह मत सही जान पड़ता है; क्योंकि इस मत को स्वीकार करने से पैशाची-सम्बन्धी नाना प्रकार की पुरानी उत्क्तियों का समाधान हो जाता है।

एक और प्रश्न यह उठाया गया है कि गुणाद्य ने मूल कहानी गद्य में लिखी थी या पद्य में। इलोक-संप्रग्रह से तो जान पड़ता है कि वह पद्य में ही लिखी गयी होगी, पर 'कथा' की परवर्ती परिभाषाओं को देखकर वहुतेरे पण्डित उसे गद्य में लिखा ही बताते हैं। ये सभी विवाद तब तक चलते रहेंगे जब तक भारतवर्ष का सौभाग्य उस खोये हुए ग्रन्थ को फिर से न पा ले।

गुणाद्य की कहानियों का जो रूप संस्कृत की उपर्युक्त पुस्तकों में प्राप्त है, उस पर से स्पष्ट ही मालूम होता है कि उनमें भाषागत अलकरण की ओर उतना ध्यान नहीं है जितना कहानी के वक्तव्य वस्तु की ओर। इन कहानियों में 'कहानी-पन' इतनी ग्रधिक मात्रा में है कि किसी-किसी यूरोपीय पण्डित को यह स्वीकार करने में हिचक हुई है कि इसी ग्रन्थ की शैली का उत्तरकालीन विकास सुवन्धु की 'वासवदत्ता' और वाणभट्ट की 'कादम्बरी' है, जहाँ रूपक और उपमा पक्षिकद्व होकर चलते हैं, दीपक और उत्प्रेक्षा उत्तराये रहते हैं और शब्दश्लेष और अर्थश्लेष हमेशा पाठक के चित्त को ले भागने के लिए आँख फाँड़े बैठे रहते हैं; घटनाओं की योजना, पात्रों की कल्पना और रस का परिपाक इतने कौशल के साथ एक-दूसरे से उपगूहित है कि एक को दूसरे से अलग करके देखना असम्भव है। यद्यपि कश्मीरी और नेपाली सस्करणों के देखने से स्पष्ट है कि मूल कहानी को संप्रग्रहकारों ने अपनी रुचि-ग्रहणि के अनुसार बहुत-कुछ काट-छाँट और घटा-बढ़ाकर हमारे सामने रखा है, फिर भी—इतने हाथों से कट-छाँट जाने के बाद भी—कहानियों के 'कहानी-रस' में कहीं भी शैथिल्य नहीं आया। केवल शब्द-परिवृत्ति-सहत्व ही कविता का एक बड़ा भारी गुण है, परन्तु अर्थ और गुण और शैली सबकुछ के परिवर्तन को सहकर भी जिस रचना का रस तिलमात्र भी खण्डित नहीं हुआ, उसकी प्रशस्ता के लिए क्या कहा जाय? कोई आश्चर्य नहीं कि यह ग्रन्थ दो हजार वर्षों तक भारतीय कल्पना को अभिभूत किये रहा है और इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह उत्तरोत्तर और भी अदर और सम्मान प्राप्त करेगा। आज ससार की कई सभ्य भाषाओं में इस ग्रन्थ की कहानियों का अनुवाद हो चुका है और वह जर्मन, अंग्रेजी तथा अन्य साहित्यों के कहानी साहित्य को प्रभावित करने में समर्थ हुआ है।

यह तो पहले ही कहा जा चुका है कि प्राचीन आलकारिक ग्रन्थों में आस्या-

यिका और कथा के जो लक्षण दिये हुए हैं, वे बाहु हैं और उनसे कथा के वक्तव्य चस्तु का कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है। परवत्ती गद्यकाव्यों में नाना भाँति से अतः-कृत करके सुलिति गद्यों में कहानी लिखना ही प्रधान हो उठा था। इन काव्यों में कवि को कहानी करने की जल्दी नहीं है। वह रूपक और दीपक और श्लेष आदि को अपना प्रधान कृतित्व मान लेता है। उसे कहना है कि विन्ध्याचल पहाड़ पर एक जगल था, और वह वडे ठाट-बाट से शुरू करेगा—“पूर्वं समुद्र के तट से पश्चिम सागर के तीर तक विस्तीर्णं, मध्यदेश का अलकारस्वरूप, पृथ्वी की मेखला के समान विन्ध्याटवी नामक, एक बन है, जिसमें जंगली हाथियों के भद्र-जल से सिक्त होकर सबद्धित और अत्यन्त ऊँचे होने के कारण मस्तक-संलग्न नक्षत्र-समूह के समान श्वेत कुसुमधारी नाना प्रकार के वृक्ष सुशोभित हैं; जिसमें कही मदमत्त कुरर पक्षी अपने चंचुओं से भरीच-पल्लव कुतर रहे हैं, कही गजशावकों के शुण्ड से तमालवृक्ष के किसलय टूट रहे हैं और इसीलिए उनकी सुगन्धि से सारा बन आमोदित हो रहा है, मधुमद के कारण लाल हो गये हुए केरल-कामिनियों के कोमल कपोल की-सी शोभावाले लाल-लाल पल्लव-समूह विकसित हो रहे हैं, मानो बन-देवताओं के चरणों के अलवतकरस या महावर से ही रंगकर लाल हो गये हों, जिसमें अनेकानेक ऐसे लतामण्डप विराज रहे हैं जिनके तलदेश शुक्र पक्षियों के कुतरे हुए दाङिम फल के रस से भीग गये हैं; जिनके भीतर चपल बानरों द्वारा कम्पित कम्पिल्ल या नारगी के वृक्ष से फल और पल्लव गिरे हुए हैं,

भीतर पश्चिमों ने  
न, केतकी और

वकुल वृक्ष घिरे हुए हैं, जिनकी शोभा ताम्बूली लता से वेष्ठित पूर्ण वृक्षों के समूह बढ़ा रहे हैं—जो साक्षात् बन-देवताओं के ही मानो आवास-भवन हैं; कही मदमत्त हाथियों की गण्डस्थल-क्षरित मदधारा से सिक्त होकर ही मानो इलाइची-लता का मदगन्धी बन घनभाव से बनभूमि को आच्छादन करके अन्धकार किये हुए हैं; कही शबर सेनापतिगण इस लोभ से सौ-सौ केशरियों का निपात कर रहे हैं कि उनके नखों में लग्न गजमुक्ताएँ पा सकें, ”इत्यादि-इत्यादि, और फिर भी उसे सन्तोष नहीं होगा। वह अब श्लेषों की झड़ी बौध देगा, विरोधाभासों का ठाठ खड़ा कर देगा, श्लेषपरिपुष्ट उपमाओं का जंगल लगा देगा, तब जाकर कहेगा कि यह विन्ध्याटवी है। वह किसी भी ऐसे अवसर की उपेक्षा नहीं करेगा जहाँ उसे एक उत्प्रेक्षा या दीपक या रूपक या विरोधाभास या श्लेष करने का अवसर मिल जाय। मुवन्धु ने तो ग्रन्थ के आरम्भ में प्रतिज्ञा ही कर सी थी कि आदि से भना तक श्लेष का निर्वाह करेगे। इन कथाकारों में सबसे थेष्ठ वाणभट्ट हैं। इन्होंने कथा की प्रशंसा करते हुए मानो अपनी ही रचना के लिए कहा था कि मुस्टिय मधुरालाप में और भाव से नितान्त मनोहरा तथा धनुरागवश स्वयमेव शम्या पर उपस्थित अभिनवा वयु के नमान मुगम कलाविद्या सम्बन्धी वास्यविन्यास के कारण मुभव्य और रम के भनुकरण के कारण विना प्रयास भव्य गुम्फ करनेवाली कथा

किसके हृदय में कौतुक-युक्त प्रेम नहीं उत्पन्न करती? सहजबोध्य दीपक और उपमा अलंकार से सम्पन्न अपूर्व पदार्थ के समावेश से विरचित और अनवरत श्लेषालकार से किञ्जिद् दुर्बोध्य कथा-काव्य, उज्ज्वल प्रदीप के समान उपादेय चम्पक-पुष्प की कली से गूँथे हुए और बीच-बीच में चमेली के पुष्पों से अलकृत धनसन्निविष्ट मोहनमाला की भाँति किसे आकृष्ट नहीं करता?

स्फुरत्कलालापविलासकोमला करोति राग हृदि कौतुकाधिकम्  
रसेन शश्या स्वयमभ्युपागता कथा जनस्याभिनवा वधूरिव।  
हरति क नोज्जवलदीपकोपमीर्नवैः; पदार्थसूपपादिता कथा।  
निरन्तरश्लेषधना सुजातयो महास्वजश्चपककुद्मलैरिव ॥

—‘कादम्बरी’

सच पूछा जाय तो बाणभट्ट ने इन पक्षियों में कथा-काव्य का ठीक-ठीक लक्षण दिया है। कथा कलालाप-विलास से कोमल होगी, कृत्रिम पद-संघटना और अलंकारप्रियता के कारण नहीं बल्कि विना प्रयास के रस के अनुकूल गुण्डवाली होगी, उज्ज्वल दीपक और उपमाओं से सुसज्जित रहेगी और निरन्तर श्लेष अलंकार के आते रहने के कारण जरा दुर्बोध्य भी होगी—परन्तु सारी बाते रस की अनुकृतिनी होंगी। अर्थात् संस्कृत के अलंकारिक जिस रस को काव्य का आत्मा कहते हैं, जो अंगी है, वही कथा और आत्मायिका का भी प्राण है। काव्य में कहानी गौण है, अलंकारयोजना गौण है, पद-संघटना भी गौण है, मुख्य है केवल ‘रस’। यह रस अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता, शब्द से वह अप्रकाश्य है। उसे केवल व्यंग्य या ध्वनित किया जा सकता है। इस बात में काव्य और कथा-आत्मायिका समान है। विशेषता यह है कि कथा-आत्मायिका में इस रस के अनुकूल कहानी, अलंकार-योजना और पद-संघटना सभी महत्वपूर्ण हैं, किसी की उपेक्षा नहीं की जा सकती। एक पद्य के बन्धन से मुक्त होने के कारण ही गद्य-कवि की जवाबदेही बढ़ जाती है। वह अलंकारों की पद-संघटना की उपेक्षा नहीं कर सकता। कहानी तो उसका प्रधान वक्तव्य ही है। कहानी के रस को अनुकूल रखकर इन शर्तों का पालन करना सचमुच कठिन है और इसलिए संस्कृत के आलोचक ने गद्य को कवित्व की कस्ती कहा है—‘गद्य कवीना निकपं वदन्ति’।

अब प्रश्न हो सकता है कि यदि रस सचमुच ही इन कथा-आत्मायिकाओं की आत्मा है तो अलंकारों की इतनी योजना क्यों जरूरी समझी गयी। आज के युग में यह बात समझ में नहीं आ सकती। जिन दिनों ये काव्य लिखे गये थे, उन दिनों भारतवर्ष की सभूद अनुलनीय थी। उन दिनों के समाज की अवस्था और सहृदय की मनोवृत्ति जाने विना इसका ठीक-ठीक समझना भ्रस्मित है। उन दिनों के सहृदयों की शिक्षा आज से बहुत भिन्न थी। उनके मनोविनोदों में काव्यचर्चा का महत्वपूर्ण स्थान था। उन दिनों जो राजसभा और सहृदय-नोचियों में प्रवेश करता था उसे मपनी विविध कला-मर्मज्ञता प्रमाणित करनी होती थी। ‘कादम्बरी’ में वैश्वमायन नामक तोते को लेकर जब चाण्डाल-कन्या राजा शूद्रक के पास गयी

तो उसके माथी ने तोते के उन सभी गुणों का उल्लेख किया जो राजसभा में सदस्य होने की योग्यता प्रमाणित करते थे। उसने कहा कि यह तोता सभी शास्त्रार्थों को जानता है, राजनीति-प्रयोग में कुशल है; पुराण-इतिहास का जानकार है; संगीत, काव्य, नाटक, आख्यानक इत्यादि अनेकानेक सुभाषितों का पाठक और कर्ता है; परिहासालाप में चतुर है, बीणा, वेणु, मुरज आदि का अनुलनीय श्रोता है; नृत्य-प्रयोग और चित्र-कर्म में प्रबीण है; दूतव्यापार से प्रगल्भ है; प्रणयकलन में कोप की हुई मानिनी प्रिया को प्रसन्न करने में निपुण है; और हाथी, घोड़ा, पुरुष और स्त्री के लक्षणों का जानकार है। वात्स्यायन ने 'काममूल' में जिन 64 कलाओं के नाम गिनाये हैं उनमें काव्य, नाटक, आख्यान, आख्यायिका, कथा आदि तो है ही, अक्षरच्छुतक, मात्राच्छुतक, प्रहेलिका आदि और इन्हीं की जाति के अन्यान्य अलंकारों को भी कलाओं में भी गिना जाता था। उन दिनों सरस्वती-भवन या कामदेव-भवन में निष्पत्ति सभय पर काव्य-समाज बैठा करते थे और गणिकाओं या नागरिकों के गृह पर काव्य-गोष्ठियाँ बैठा करती थीं, जिनमें नागरिकगण भिन्न-भिन्न काव्यों के पाठ और काव्यगत अलंकारों में नेपुण्य दिखाकर मनोविनोद किया करते थे। वात्स्यायन की गवाही से हम यह भी जान सकते हैं कि उन दिनों नगरों की जो उद्यान-यात्राएँ या पिकनिक पाटियाँ हुआ करती थीं, उनमें काव्य-प्रहेलिकाओं का विशिष्ट स्थान होता था। निश्चित तिथि को सूर्योदय होते ही नागरिकजन स्नानादि से निवृत्त हो घोड़ों पर सवार होकर निश्चित उद्यान या नगर के उपान्तवर्ती बन के लिए खाना हो जाते थे। साधारणतः उद्यान ऐसे चुने जाते थे जहाँ से एक दिन के भीतर लौट आया जा सके। नागरिकों के साथ पालकियों में या बहलियों में गणिकाएँ रहा करती थीं जो उन दिनों अपनी शिक्षा, कवित्व और दक्षता के कारण समाज में काफी सम्मान की दृष्टि से देखी जाती थीं। नगर के बाहर निश्चित स्थान पर पहुँचने पर काफी धूम भव जाती थी। भेड़ो-मुर्गों और तितरों की लड़ाई होती थी, भूले लग जाते थे और काव्य-सम्बन्धी बहुविध कीड़ाएँ आरम्भ होती थीं (काममूल प्रथमाधिकरण)। इन कीड़ाओं में कई बड़ी भजेदार होती थीं। कमल के फूल दिये जाते थे और उनमें मावाएँ (इकार, उकार आदि) लगा दी जाती थीं और सहृदय नागरिकों से पूरा श्लोक उद्धार करने का प्रयत्न कराया - कभी-वा को अर्थ नाम वैठाकर काव्य- ११५ और अनु-  
स्वार-विसर्ग मुना दिये जाते थे । ११६  
मार्यंक श्लोक तैयार कर लेने । ११७  
कीड़ाएँ की जाती थीं जिनको । ११८  
की उद्यान-यात्राएँ । ११९  
हिता कन्याएँ । १२०  
पर्याप्त प्रया । १२१  
वहाँ अन्तःपु । १२२  
के कला-विला ।

नाटकाओं में और आख्यायिकाओं में प्रायः ही राजाओं के राजमहिपियों के निकट कला-विलास में पराजित होने की कथा पायी जाती है। परन्तु 'कामसूत्र' की गवाही से स्पष्ट है कि रमणियों की उद्यान-यात्राएँ सब समय निरापद नहीं हुआ करती थी। युण्डे आये दिन इन उद्यान-गोप्तियों पर छापा मारा करते थे और कुमारिकाओं का हरण कर ले जाया करते थे ! ऐसे कलामय और काव्यभय वाता-वरण की कल्पना करने के बाद 'कादम्बरी' आदि कथाओं को पढ़िए तो आपको इसमें कुछ भी अद्भुत नहीं जैवेगा। आज विदेशी शिक्षा के प्रभाव में जो बात हमें दुर्लभ जान पड़ती है वह उन दिनों नितान्त स्वाभाविक थी। परन्तु फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारी इन बातों का अर्थ आप यह न लगायें कि इन महान् काव्यों में ये ही बातें प्रधान हैं। कथा में, यह ठीक है कि, अलंकार-योजना और पद-संघटना काफी भूत्त्वपूर्ण स्थान के अधिकारी है, पर उनमें रस सर्वंत्र प्रधान है। प्रत्येक उपमा और प्रत्येक घटक रस को अधिक परियुक्त और अलकृत करने के उद्देश्य से व्यवहृत हुए हैं। यह जरूर है कि ग्रन्थकार कभी सफल और कभी असफल भी हुआ। इनमें सबसे सफल कथा-काव्य 'कादम्बरी' है। इसके विषय में कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने ठीक ही कहा है कि "एक काल का मधु-लोभी यदि अन्य काल से मधुसेग्रह करने की चाह रखता हो तो वह अपने युग के आँगन में बैठकर उसे नहीं पायेगा, उसे भी उसी काल में प्रवेश करना पड़ेगा। जो सहदय 'कादम्बरी' का रसास्वादन करना चाहते हैं उन्हें भूल जाना होगा कि दफ्तर जाने का समय हो गया है, उन्हें समझ लेना होगा कि वे काव्य-रस-विलासी कोई राजेश्वर है और राजसभा में बैठे हुए हैं और 'समान-विद्या-वयोजकार', असित-कला-कलापालोचन-कठोरमतिभि-अतिप्रगल्भैः ग्राम्य-परिहास कशलै, काव्य-नाटकाख्यायिका लेख्य-व्याख्यानादि-क्रिया-निपुणैः, विनय-व्यवहारिभि; आत्मतः प्रतिविम्बरित राजकुमारैः सह रमणां" है। इस प्रकार की रसचर्चा में रसिक-परिवृत होकर हम प्रतिदिन के सुख-दुख से व्याकुल धर्मसिक्त, कर्मनिरत युध्यमान संसार से विच्छिन्न हो जाते हैं।"

एक तरफ जहाँ 'वृहत्कथा' की सन्तान ये अलकृत गच्छकार्य हैं, वहाँ दूसरी तरफ 'वेतालपर्चविश्विति', 'सिहासनद्वार्धिणतिका', 'शुकसप्तति' आदि रोमाण्टिक कहानियाँ हैं जिनमें अलकरण की अपेक्षा कहानीपन की ओर ही ज्यादा ध्यान दिया गया है। ये कहानियाँ बहुत ही मनोरंजक और आकर्षक हैं। नीति और उप-देश-सम्बन्धी कहानियों की चर्चा न करने का तो हमने पहले ही सकल्प कर निया है। इसलिए यही हम इस चर्चा को बन्द करते हैं।

सज्जनों, बड़ी देर तक मैंने आपको प्राचीन युग के खोड़हरों में भटका रखा। मुझे अफसोस है कि मैं आपको प्राचीन साहित्य के रसलोक में नहीं ले जा सका, जहाँ-कहीं सूर्योदय होते ही अभिसारिकाओं की जलवायी से गिरे हुए केशों के मन्दारपुष्पों, कान के स्वर्णकमलों और पश्चिमों और वर्षा: स्पस विराजित हार के मोतियों से रमण-मर्ग का पता आसानी से लग जाता था :

तो उनके मायी ने नोंते के उन होने की योग्यता प्रमाणित कर जानता है; रात्रनीति-प्रयोग में काव्य, नाटक, आन्यानक दृश्य परिहासानाप में चतुर है, वो प्रयोग और चित्र-कल्प ने प्रथा की हुई मानिसी प्रिया को प्रभन्नी के लक्षणों का ज्ञानकार नाम दिये हैं उनमें काव्य, अद्भुतक, मात्राच्युतक, अलकारों को भी कलाओं में कामदेव-भवन में नियमित या नागरिकों के गृह पर का भिन्न काव्यों के पाठ और किया करते थे। वात्स्याय नगरों की जो उद्यान-यात्र प्रहेलिकाओं का विशिष्ट नागरिकजन स्नानादि ने नगर के उपान्तवर्ती वर्जाते थे जहाँ से एक दिपालकियों में या बहुत कवित्व और दक्षता है थी। नगर के बाहर भेड़ों-मुरों और तित्त बहुविध क्रीड़ाएँ या कई बड़ी मजेदार (इकार, उकार आदि) कराने का स्वार-विसर्ग सुना। माथंक श्लोक तंत्र श्रेष्ठाएँ की जाति की उद्यान-यात्र हृता कन्याओं पर्याप्त प्रमाण वहाँ अन्तःपुर के कला-विषय

गरीब स्थिरं करती धीं तो उनकी उनीदी घोरों को ताराएं दुनमुला जाती धीं और वरोनियों इम प्रशार सटी होती धीं मानो उत्तप्त जनुरम सटा दी गयी हों, यनचर पशु इतस्ततः विचरण करने लगते थे, सरोवर में कमहंसों का श्रुतिमधुर कोलाहल सुनायी देने समता था, मधुरण नाच उठते थे और मारी बनस्पती एक ग्रीष्म भहिमा से उद्भाभित हों उठती थी ('कादम्बरी' के प्रभातवर्णन से)। मैं उम ज्ञान-भरे रमलोक में आपको नहीं ले गया जहाँ प्रिया के पदापात से अगोक पुण्यित हो जाता है, धीड़ा-मर्वत पर को चूडियों की भनकार से मधुर नाच उठता है, प्रथम आपात के भेषजवंन से हस उत्कण्ठित हो जाता है, कपोल देश की पथाली ग्रीवते समय प्रियतम के हाथ कीप जाते हैं, तूत मजरी के स्वाद से कपायित कण्ठ कोकिल अकारण ही हृदय कुरेद देते हैं, कीच-निनाद से बनस्पती को गस्तराशि श्वानक कम्ममान हों उठती हैं और भलयानिल के भोके अनिवंचनीय रसलोक को जगा देते हैं। इस मनोहर लोक की बात छोड़कर मैंने शुष्क वाम्बाल में आपको फौसा रखने का अपराध किया है। मैं उम का प्रायविच्छिन्न करने का मौका नहीं पा सकूगा, परन्तु मिथो, वह दुनिया जितनी भी रमणीय स्यों न रही हों, जितनी भी आकर्षक व्यों न रही हों उसे हमें छोड़ना ही पड़ेगा। आज न समुद्रगुप्त का साम्राज्य है और न कालिदास का वाम्बैदग्ध्य। यन्वीं के नितान्त गद्यालमक युग में हम बास कर रहे हैं। यहाँ कल्पना पद्मद पर वास्तविकता ने टकराकर भोवी हो जाती है। दुनिया बदल गयी है, दुनिया का विश्वास बदल गया है। यन्त्रों के आविष्कार ने हमारे अन्दर नयी आशा और नयी आशकाएं पैदा कर दी हैं। यह बैकार की बात है कि हम इस बहस में पड़े रहे कि उम मनोहर युग में हम किर से लौटकर जा सकते हैं या नहीं। जमाने की अनिवार्य तरंगों ने हमें जिस किनारे ला पटका है, वही से हमें यात्रा शुरू करनी होगी। पीछे लौट जाने के प्रयत्न में वहादुरी और उद्भटता जितनी भी हो चुकी-मानो लिल्लुल नहीं है। आज जब हमारे सामने नयी समस्याएं उपस्थित हैं तो पुरानी कलाओं के लिए 'हाय-हाय' करना बेकार है। नये युग को अत्यन्त संक्षेप में बताना हो तो कहेंगे कि यह युग मानवता का युग है। पुराने काल में लोगों का विश्वास एक अदृश्य नियन्त्री शक्ति के ऊपर था। मनुष्य ने आज अपने-आपको ही अपने भाग्य का नियन्ता मान लिया है। उसने शास्त्रों और महापुरुषों के उपदेशों को नमस्कार कर दिया है और ईश्वर के हाथ से जगत् की व्यवस्था का चारं ले लिया है। उसके अन्दर दोष हैं, गुण हैं, शक्ति है, कमजूरी है। उसने इन सबको स्वीकार कर लिया है। अपनी इसी पूँजी पर उसने व्यापार शुरू किया है। उसने समस्त गुण-दोषों को शिरसा स्वीकार करके अपने लिए नयी दुनिया बनाने की ठानी है। उसके सभी प्रयत्न धीरं-धीर इसी दिशा की ओर नियोजित हो रहे हैं। साहित्य और कला सम्बन्धी प्रयत्नों का उम तरफ न जाना ही आशचर्प होता है। इसीलिए आज वह काव्य और कथा के क्षेत्र में भी—उसी ओर अप्रसर हुआ है। मैं इन प्रयत्नों के सम्बन्ध में आलोचना करने का प्रयास नहीं करूँगा।

मत्पुरकम्पादनकपतिर्यंप  
मंदारयुप्तेः  
पत्रच्छेदेः कनकरमलैः कण्ठविभ्रशिभिर्भव  
मुक्ताजालैः स्तन परिचितच्छ्वलमूर्वंश्च हारैः  
नेशो मार्गः मवितुरुदये मूर्व्यते कामिनीनाम् ॥

कही, जल-झीड़ा के समय पानी के भीतर से बजता हुआ मूर्दं—जो तीर पर चक्कर काटनेवाले उदकलाप मयूरों की केका से अभिनन्दित होता रहता था—विलासिनियों के थवण और कपोल दोनों को लाल कर देता था :

तीरस्थलीभिवंहिरुक्तलापैः प्राणिन्धकंकरभिनन्दमानम् ।

थोपेषु समूच्छुंति रक्तमासा गीतानुगं यारिमूर्दयमायम् ॥

कही, कन्दुक-झीड़ा के समय भ्रन्तःपुरिकामों के चरणों में घमन्द मणि-नुपुर व्यणित होते रहते थे, मेखला भनभनाती रहती थी, हार के तार टूट जाते थे और सोने की चूड़ियाँ चंचल होकर बाचाल हो उठती थीं :

घमन्दमणिनुपुरक्वणनचाहचारिकमं

भणजभणितमेखलास्त्वलिततारहारच्छटम्

इदं तरलंकणावलिविशेषवाचालितं

मनोहरित सुध्रुवः किमपि कंदुकझीड़नम् ।

और कही, प्रभात होते ही पद्म-मधु से रंगे हुए वृद्ध कलहस की भाँति चन्द्रमा आकाशगमा के पुतिन से उदास-से होकर पश्चिम जलधि के तट पर उतर आते थे, दिढ्मण्डल वृद्ध रंकु मृग की रोमराजि के समान पाण्डुर हो उठता था, हाथी के रवत से रंजित सिंह के सटाभार के समान या लोहित वर्ण लाक्षारस के सूत्र के समान सूर्य की किरणें, आकाशरूपी वनभूमि से नक्षत्रों के फूलों को इस प्रकार झाड़ देती थी मानो वे पद्मराग मणि की शलाकाओं की बनी हुई झाड़ हों, उत्तर और अवस्थित सप्तष्यमण्डल सन्ध्योपासन के लिए मान्त-सरोबर के तट पर उतर जाते थे, पश्चिमी समुद्र के तीर पर सीपियों के उन्मुक्त मुख से विखरे हुए मुक्तापटल जैसे लगते थे, मोर जाग पड़ते थे, सिंह जमुहाई लेने लगते थे, करेणुबालाएँ मदकावी प्रियतम गजों को जगाने लगती थी, वृक्षगण पल्लवाजलि से भगवान् सूर्य को शिशिरसिक्त कुसुमाजलि समर्पण करने लगते थे, बन-देवताओं की अट्टालिकाओं और उन्नत वृक्षों की चोटी पर गदंभलोमधूसर अङ्गिनहोत्र का धूम इस प्रकार सट जाता था मानो कवुर्वर्वणं कपोतों की पत्कि हो, शिशिर विन्दु को वहन करके, पद्मवन को प्रकम्पित करके परिशान्त शबर-रमणियों के धर्मंबिन्दु को विलुप्त करके वन्य महिप के फेनविन्दु से सिंच के, कम्पित पल्लव और लतासमूह को नृत्य की शिक्षा दे करके, प्रस्फुटित पद्मों का मधु बरसा के, पुष्पसौरभ से ध्रमरो को सन्तुष्ट करके मन्द-मन्द सचारी प्रभात वायु वहने लगती थी; कमल-बन में भृत गज के गण्डस्थलीय-मद के लोभ से स्तुति-पाठक ध्रमररूपी वैतालिक गुजार करने लगते थे, ऊपर में शयन करने के कारण वन्यमृगों के निचले रोम धूसरवर्ण हो उठते थे और जब प्राभातिक वायु उनका

गरीर स्पर्श करती थी तो उनकी उनीदो आँखों की ताराएँ ढुलमुला जाती थी और वरीनियाँ इस प्रकार सटी होती थी मानो उत्तप्त जतुरस सटा दी गयी हो, बनधरपशु इत्स्ततः विचरण करने लगते थे, सरोबर में कलहंसों का श्रुतिमधुर कोलाहल मुनायी देने लगता था, मयूरगण नाच उठते थे और सारी बनस्थली एक ग्रूवं महिमा से उद्भासित हो उठती थी ('कादम्बरी' के प्रभातवर्णन से)। मैं उम जादू-भरे रसलोक में आपको नहीं ले गया जहाँ प्रिया के पदाघात से अणोक पुष्पित हो जाता है, क्रीड़ा-पर्वत पर की चूड़ियों की भनकार से मयूर नाच उठता है, प्रथम आपाद के मेघरज्ञन से हँस उत्कण्ठित हो जाता है, कपोल देख की पत्राली औकते समय प्रियतम के हाथ कींग जाते हैं, चूत मंजरी के स्वाद से कपायित कण्ठ कोकिल अकारण ही हृदय कुरेद देते हैं, क्रीच-निनाद से बनस्थली की जस्तराशि अचानक कम्पमान हो उठती है और मलयानिल के भोके अनिवंचनीय रसलोक को जगा देते हैं। इस मनोहर लोक की वात छोड़कर मैंने शुष्क वाग्जाल में आपको फौसा रखने का अपराध किया है। मैं उसका प्रायशित करने का भीका नहीं पा सकूंगा, परन्तु मित्रो, वह दुनिया जितनी भी रमणीय क्यों न रही हो, जितनी भी आकर्षक क्यों न रही हो उसे हमें छोड़ना ही पड़ेगा। आज न समुद्रगुप्त का साम्राज्य है और न कालिदास का वाग्वंदग्ध्य। यन्त्रों के नितान्त गद्यात्मक युग में हम वास कर रहे हैं। यहाँ कल्पना पद्यपद पर वास्तविकता से टकराकर भोवी हो जाती है। दुनिया बदल गयी है, दुनिया का विश्वास बदल गया है। यन्त्रों के आविष्कार ने हमारे अन्दर नयी आशा और नयी आशकाएँ पैदा कर दी हैं। यह बेकार की वात है कि हम इस वहस में पड़े रहे कि उस मनोहर युग में हम फिर से लौटकर जा सकते हैं या नहीं। जमाने की अनिवार्य तरंगों ने हमें जिस किनारे ला पटका है, वही से हमें यात्रा शुरू करनी होगी। पीछे लौट जाने के प्रयत्न में वहादुरी और उद्भटता जितनी भी हो बुद्धिमानी विल्कुल नहीं है। आज जब हमारे सामने नयी समस्याएँ उपस्थित हैं तो पुरानी कलाओं के लिए 'हाय-हाय' करना बेकार है। नये युग को अत्यन्त सक्षेप में बताना हो तो कहेंगे कि यह युग मानवता का युग है। पुराने काल में लोगों का विश्वास एक अदृश्य नियन्त्री शक्ति के ऊपर था। मनुष्य ने आज अपने-आपको ही अपने भाग्य का नियन्ता मान लिया है। उसने शास्त्रों और महापुरुषों के उपदेशों को नमस्कार कर दिया है और ईश्वर के हाथ से जगत् की व्यवस्था का चारं ले लिया है। उसके अन्दर दोप है, गुण है, शक्ति है, कमजोरी है। उसने इन सबको स्वीकार कर लिया है। अपनी इसी पूँजी पर उसने व्यापार शुरू किया है। उसने समस्त गुण-दोपों को शिरसा स्वीकार करके अपने लिए नयी दुनिया बनाने की ढानी है। उसके सभी प्रयत्न धीरे-धीरे इसी दिशा की ओर नियोजित हो रहे हैं। साहित्य और कला सम्बन्धी प्रयत्नों का उस तरफ न जाना ही आश्चर्य होता है। इसीलिए आज वह काव्य और कथा के क्षेत्र में भी—उसी ओर अग्रसर हुआ है। मैं इन प्रयत्नों के सम्बन्ध में आलोचना करने का प्रयास नहीं करूँगा।

परन्तु हमारा याज का वक्तव्य विल्कुल ग्रथूरा रह जायगा यदि यन्त्रों के प्रबंध से जो परिवर्तन हुए हैं, उनकी ओर संक्षेप में इशारा न कर दूँ।

नये यन्त्रयुग ने जिन गुण-दोषों को उत्तर्णन किया है, उन सबको लेकर उपन्यास और कहानियाँ अवतीर्ण हुई हैं। यांपे के कल ने ही इनकी माँग बड़ायी है और छापे के कल ने ही उनको पूर्ति का साधन बनाया है। यह मतल घारणा है कि उपन्यास और कहानियाँ सस्तुत की कथा और आस्थायिकाओं की सीधी सन्तान हैं। एक युग गया है जब 'कादम्बरी' और 'दण्डकुमारचरित' की रीति पर सभी प्रान्तीय भाषाओं में उपन्यास लिखे गये थे। कही-कही तो उपन्यास का पर्यायिकाची शब्द ही कादम्बरी है। हिन्दी में श्री शिवनन्दन सहाय के उपन्यास और 'हृदयेश' की कहानियाँ उसी रीति पर अर्थात् शब्दों में भंकार देकर गद्य-काव्य बनाने का उद्देश्य लेकर लिखी गयी थीं, पर शीघ्र ही सर्वथ भ्रम टूट गया। भंकार कविता का प्राण हो सकता है, पर वह उपन्यास का प्राण नहीं हो सकता; क्योंकि वह विशुद्ध गद्ययुग की उपज है और उसकी प्रकृति में गद्य का सहज स्वाभाविक प्रवाह है। इस नवीन साहित्याग का कथा-आस्थायिका आदि से जो मौलिक अन्तर है वह आदर्शंगत है। यन्त्रयुग को विशेष देन वैयक्तिक स्वाधीनता उपन्यास का आदर्श है और काव्यकाल का पूर्वनिर्धारित और परम्परासमर्थित सदाचार कथा-आस्थायिका का आदर्श है। उपन्यास में दुनिया जैसी है जैसी चित्रित करने का प्रयास रहता है। कुछ थोड़े-से ऐतिहासिक और जासूसी आदि श्रेणियों के उपन्यास समाज की वर्तमान भवस्था से दूर हट जाते हैं सही, परन्तु वे भी इतिहास और जासूसी की वर्तमान पहुँच के आधार पर ही अपनी कल्पना दौड़ाया करते हैं। कथा और आस्थायिका में कवि कल्पना के बल पर अपनी वास्तविक दुनिया से भिन्न एकदम नयी दुनिया बना सकता है। उपन्यास और काव्य में यह मौलिक अन्तर है कि उपन्यास मौजूदा को भुलाकर भविष्य की कल्पना नहीं कर सकता, जबकि काव्य वर्तमान परिस्थिति की सम्पूर्णतः उपेक्षा करके अपने आदर्श गढ़ सकता है। यही कारण है कि उपन्यासकार वर्तमान पर जमा रहता है, वह कवि की भाँति जमाने के आगे रहने का दावा नहीं करता; फिर उपन्यासकार का सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य भी यही है कि वह समाज की स्थिति और गति को ठीक-ठीक चित्रित करता है। प्रेमचन्द को पढ़ने का अर्थ है भारत-वर्ष के गाँवों को सच्चे रूप में देखना।

फिर भी उपन्यास एक स्थायी साहित्य है, यन्त्रयुग की प्रधान साहित्यिक देन समाचारपत्रों की तरह घण्टे-भर में वासी होनेवाला साहित्य नहीं, तथापि इतना निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अधिकोश छपे हुए उपन्यासों का मूल्य किसी वासी दैनिक पत्र से किसी प्रकार कम नहीं है। यह विचित्र बात है कि उपन्यासों का वह गुण जो उनके बारे में धार-धार दुहराया जाता है—अर्थात् समाज को ठीक-ठीक उपस्थापित करना—बड़ी आसानी से दैनिक पत्रों से भी सिद्ध हो जाता है। एक अमरीकी लेखक ने लिखा है कि अगर अमरीका को ठीक-ठीक

समझना चाहते हो तो किसी लोकप्रिय दैनिक के किसी अंक को देख लो, अमरीका अपने सब गुण-दोषों के साथ सामने खड़ा हो जायगा ! उसके स्त्री-पुरुष क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कैसी वातों में रुचि रखते हैं, किन रोगों के शिकार हैं, आदि कोई भी वात अप्रगट नहीं रह जायगी । यह ठीक है । हिन्दी में जो विज्ञापन छपा करते हैं वे उनमें छपी हुई काम-काजी वातों से अधिक नहीं होते हैं, क्योंकि लेखक और सम्पादक लोग जो काम-काज की वातें छापते रहते हैं उनमें उनका कुछ सच्च नहीं होता परन्तु विज्ञापनदाता जो वातें छापते हैं उनके लिए उन्हें काफी पैसे खर्च करने होते हैं ! इसीलिए उनके अध्ययन से समाज को बड़ी आसानी से समझा जा सकता है । अच्छी साहित्यिक पुस्तकों के विज्ञापनों की अपेक्षा शास्त्र-विशेष की पुस्तकों के विज्ञापन न जाने क्यों हिन्दी पत्रों में अधिक छपा करते हैं । तो फिर स्वभावतः ही प्रश्न होता है कि उपन्यास का कार्य यदि समाज को सही ढंग से पाठक के सामने उपस्थित करना है तो दैनिक पत्र क्या बुरे है । प्रश्न ठीक है, पर उत्तर भी बहुत कठिन नहीं है ।

उपन्यास इसलिए स्थायी साहित्य नहीं है कि वह उपन्यास है । बल्कि इसलिए कि उसके लेखक का एक अपना जबर्दस्त मत है जिसकी सचाई के विषय में उसे पूरा विश्वास है । वैयक्तिक स्वाधीनता का यह सर्वोत्तम रूप है । घासलेटी उपन्यास के लेखक का कोई अपना मत नहीं होता जो एक ही साथ उसका अपना भी हो और जिस पर उसका अखण्ड विश्वास भी हो । इसीलिए घासलेटी लेखक ललकारे जाने पर या तो भाग खड़ा होता है या विक्षुब्ध होकर गाली-गलीज पर उत्तर आता है । वह भीड़ के आदमियों को अपनी नजरों के सामने रखकर लिखता है । अपने प्रचारित मत पर उसे खुद विश्वास नहीं होता । प्रेमचन्द का अपना मत है जिस पर वे पहाड़ के समान अविचलित खड़े हैं । इस एक महागुण के कारण ही हिन्दी में अनेकानेक विरोधों के होते हुए भी जैनेन्द्र ने अपना स्थान बना लिया है । जैसा कि शुरू में ही कहा गया है, उपन्यास यन्त्रयुग के समस्त गुण-दोषों को साथ ही लेकर उत्पन्न हुआ है । वैयक्तिक स्वाधीनता की जैसी अधोगति इस क्षेत्र में हुई है वैसी और कही नहीं हुई और साथ ही उसकी जैसी सुन्दर परिणति इस क्षेत्र में हुई है वैसी अन्यत्र नहीं हो सकी । उपन्यासकार ही ही नहीं यदि उसमें वैयक्तिक दृष्टिकोण न हो और अपनी विशेष दृष्टि पर उसे पूरा विश्वास न हो । और सभी चीजें उसके लिए गौण हैं ।

उपन्यास ने मनोरजन के लिए लिखी जानेवाली कविताओं की ही नहीं; नाटकों की भी कमर तोड़ दी है, क्योंकि पाँच मील दौड़कर रंगमाला में जाने की अपेक्षा 5 सौ मील से किताब भेंगा लेना आज के जमाने में अधिक सहज है । साथ ही उपन्यास ने उन सब टप्टों को हटा दिया है जो नाटक के लिए रंगमच सजाने में होते हैं । किसी ने ठीक ही कहा है कि इस युग में उपन्यास एक ही माय शिष्टाचार सम्प्रदाय, वहस का विषय, इतिहास का चित्र और पाकेट का थियेटर हो गया है । इसने कल्पना-प्रसूत साहित्य को अन्य किसी भी माहित्याग की अपेक्षा अधिक

नजदीक ला दिया है। इस साहित्यांग में मशीन की विजय-ध्वजा है।

नाटक निश्चय ही उपन्यास से प्राचीन बस्तु है। वहुत प्राचीन युग में यह अभिनय प्रधान था। पर साहित्य में घुसते ही यह साहित्य का एक महत्वपूर्ण थंग हो गया। ऐसे नाटक भी सस्कृत में लिखे गये जो कभी खेले नहीं गये। हिन्दी साहित्य के आधुनिक अभ्युत्थान का आरम्भ नाटकों से होता है। ये नाटक अधिक-तर संस्कृत से अनुवादित थे। प्रधान मार्गदर्शक वादू हरिश्चन्द्र थे। वे आधुनिकता से परिचित जरूर थे, पर नस्त से शिख तक हिन्दुस्तानी थे। उन्होंने उपन्यास लिखने का प्रयत्न नहीं के बराबर किया।

शायद वे उपन्यासों की अभारतीय प्रकृति को पहचान गये थे। जो हो, भारतेन्दु ने नाटकों से ही हिन्दी साहित्य का आरम्भ किया, पर यह विडम्बना ही है कि हिन्दी भाषा—जिसके आधुनिक युग का आरम्भ ही नाटकों से होता है—अन्यान्य गिनीं जाने योग्य भारतीय भाषाओं की तुलना में आज भी नाटक-निर्माण के क्षेत्र में पिछड़ी हुई है। इसका कारण क्या है? आये दिन नाटकीय अभाव के कारण उद्दिग्न साहित्यिक प्रायः ही इस प्रश्न पर विचार करते रहते हैं, पर इन विचारों का कोई अच्छा परिणाम नहीं निकलता। कभी-कभी अखिल भारतीय सम्मेलनों के मौके पर उत्साहशील साहित्यिक जो नाटकाभिनय का उपहासास्पद अभिनय किया करते हैं, वह निश्चय ही वहुत आशाजनक नहीं है।

असल में जिन दिनों हिन्दी में मौलिक साहित्य उत्पन्न करने की प्रेरणा आने लगी थी, उन दिनों मशीन ने नाटक के विभाग पर अपना पूरा अधिकार जमा लिया था। विजलीवत्ती के आविष्कार ने नाटक के सब टेक्निक बदल डाले थे। पात्रों के प्रवेश और प्रस्थान की विधि में वहुत परिवर्तन हो गया था। पर यह सब हो ही रहा था कि कैमरे का इस क्षेत्र में प्रवेश हुआ। किताबों के लिए जो काम छापे की मशीन ने किया, वही काम नाटकों के लिए कैमरे ने किया। इसने नाटकों का प्रचार ही नहीं किया, उनकी माँग भी बढ़ा दी। आकाश, पाताल, समुद्र, जगल कोई ऐसी जगह नहीं बच रही जहाँ से क्रैमरा दृश्य न ले आ दे सके। नतीजा यह हुआ कि नाटकों की पुरानी रुद्धियाँ तड़ातड़ टूट गयी। अमुक दृश्य रगमंच पर दिखाया जाय और अमुक न दिखाया जाय, इस प्रकार की पुरानी रुद्धियों में कोई दम नहीं रह गया। मूलधार और नटी के सवाद, विष्कम्भक और प्रवेशकों की कल्पना सभी भीथी सिद्ध हुईं। चलती हुई तस्वीरे सबकुछ करने लगी। पर अभी तक भी उसमें भाषागत माधुर्य नहीं दिया जा सका था। ऐसी हालत में भी अगर ग्रपने साहित्य में रगभाला की स्थापना का उद्योग होता तो कुछ आशा थी, पर हम तब भी सोते रहे। अचानक विज्ञान ने एक और भी अव्याय जोड़ दिया और नाटक को विशुद्ध साहित्य की गोद से एकदम छीन लिया। चलती हुई तस्वीरें बोलने लगी। जहाँ एक तरफ उसने मशीन को प्राधान्य दे दिया, वहाँ मुष्टुभाषी मनुष्य की सहायता भी उसके लिए आवश्यक हो गयी।

अब निश्चित है कि हिन्दी नाटकों की प्राण-प्रतिष्ठा का एकमात्र मार्ग बड़ी पूँजी लगाकर मशीन को अपने वश में करना है। उपन्यासों की भाँति सवाक् चित्रपटों ने भी भीड़ की रुचि को सामने रखा, पर साहित्यिक सहायता की उसे जरूरत थी। ऐसा नहीं होने से प्रचार नहीं हो पाता। इस तरह नाटक मशीन के घर चला गया है तथा समालोचना नामधारी साहित्याग ने उसकी नकेल एकदम छोड़ नहीं दी है। अब जबकि मशीन ने नाटक पर कब्जा जमा लिया है, विशुद्ध नाटक और उपन्यास की प्रतिद्वन्दिता भी कम हो गयी है, तो धीरे-धीरे उपन्यास भी मशीन की गोद में जा रहा है। यद्यपि उसकी अपनी कुछ ऐसी विशेषता है जो उसे अन्त तक अभिभूत नहीं होने देगी।



# नाट्यशास्त्र की भारतीय परम्परा



१८९०

वत्ता

वत्ता

ही नहीं,

पहनकर

बाद भरत मुनि को बुलाकर आज्ञा दी कि "तुम अपने सो पुत्रों के साथ इस 'नाट्य-वेद' के प्रयोगता यनो ! " पितामह की आज्ञा पाकर भरत मुनि ने अपने सो पुत्रों को इस 'नाट्य-वेद' का उपदेश दिया। इस प्रकार यह 'नाट्य-वेद' पृथ्वी-तत्त्व पर बाया।

यह कहानी कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। प्रथम तो यह कि वेदों से भिन्न पांचवाँ वेद होते हुए भी 'नाट्य-वेद' के मुख्य अंश चारों वेदों से ही लिये गये हैं। दूसरा यह है कि यद्यपि इसके मूल तत्त्व वेदों से गृहीत हैं, तथापि यह स्वतन्त्र वेद है और अपनी प्रामाणिकता के लिए किसी दूसरे का मुरारापेक्षी नहीं। तीसरा यह कि यह वेद अन्य वेदों की तरह केवल ऊँची जातियों के लिए नहीं है बल्कि सार्व-व्यापिक है, और ऊँची महत्वपूर्ण वात मह है कि वैदिक आचार और किंवा-परम्परा के प्रवर्त्तित होने के बहुत बाद श्रेत्रायुग में इस शास्त्र का निर्माण हुआ। उस समय जम्बूद्वीप देवता, दानव, यथा, राक्षस और नागों में समाकान्त हो चुका था; यानी भारतवर्ष में बहुत-सी नयी जातियों का प्रादुर्भाव हो चुका था।

भारतीय परम्परा यह है कि किसी भी नये शास्त्र के प्रवर्त्तन के ममता उसका मूल वेदों में अवश्य सोजा जाता है। वेद ज्ञान-स्वरूप है, उनमें प्रिकाल का ज्ञान बीज है और नुरक्षित है। भारतीय मनोपी अपने किसी ज्ञान को अपनी स्वतन्त्र उद्भावना नहीं मानते। 'नाट्य-वेद' की उत्पत्ति की कथा में भी यह प्रवृत्ति दिखायी देती है, परन्तु इस शास्त्र को वेद की मर्यादा देने का एक और अर्थ भी है। इसमें कुछ ऐसी वातें हैं जो प्रसिद्ध चार वेदों में नहीं हैं और उनके लिए यह 'नाट्य-वेद' ही 'स्वतः प्रमाण' वायर है। किसी शास्त्र को वेद कहने का मतलब यह है कि वह स्वयं अपना प्रमाण है, उसके लिए किसी अन्य आप्त वाक्य की अपेक्षा नहीं। मनु ने साक्षात् धर्म के कारण को चतुर्विध बताया है—श्रुति, स्मृति, सदाचार और अपने-आपको प्रिय लगनेवाली वात। परन्तु ये चारों समान रूप से स्वतन्त्र नहीं। 'स्मृति' उतनी ही ग्रहणीय है जितनी कि 'श्रुति' से समर्थित है; सदाचार उतना ही ग्रहणीय है जितना कि 'श्रुति' और 'स्मृति' से समर्थित है और अपनी प्रिय वात उतनी ही दूर तक स्वीकार्य है जितनी दूर तक वह 'श्रुति', 'स्मृति' और सदाचार के अविश्वद हो। धर्म के अन्तिम तीन कारण 'श्रुति' से मर्यादित है, मनु जिसे 'श्रुति' समझते हैं, उसमें ऐसी बहुत-सी वातों का समावेश नहीं रहा होगा जो नाट्य-वेद में गृहीत है। इसलिए 'नाट्यशास्त्र' के आरम्भ में इसे 'श्रुति' की मर्यादा दी गयी है।

जब से नये ढंग की शोध-प्रथा प्रचलित हुई है तब से 'नाट्य-वेद' के विषय में आधुनिक ढंग के पण्डितों में अनेक प्रकार की जल्पना-कल्पना चल पड़ी है। यह भी विचार का विषय बना हुआ है कि 'नाट्यशास्त्र' को पांचवाँ वेद क्यों कहा गया। वैं कौन-सी ऐसी वातें थीं जो इस शास्त्र के प्रवर्त्तित होने के पहले वैदिक आर्यों में प्रचलित थीं और कौन-सी ऐसी वातें हैं जो नयी हैं? फिर जो नयी हैं उनकी प्रेरणा कहाँ से मिली? कथा यवन आदि विदेशी जातियों से भी कुछ लिया गया, या यहाँ की आर्योंतर जातियों में प्रचलित प्रथाओं से उन्हें ग्रहण किया गया?

इन जल्पना-कल्पनाओं का साहित्य काफी बड़ा और जटिल है। सबकी पुनरावृत्ति करना न तो यहाँ आवश्यक ही है और न उपयोगी ही। 'नाट्यशास्त्र' की कथा से इतना तो स्पष्ट ही है कि नाटकों में जो पाठ्य अंश होता है उसका मूल रूप 'ऋग्वेद' में मिल जाता है, जो गेय अंश है वह भी 'सामवेद' में प्राप्त हो जाता है और जो रस है उसका मूल रूप 'अथर्ववेद' में प्राप्त हो जाता है। कम-से-कम 'नाट्यशास्त्र' के रचयिता को इसमें कोई सन्देह नहीं था।

आधुनिक पण्डितों को भी इस विषय में कोई सन्देह नहीं है कि 'ऋग्वेद' में अनेक स्थल हैं जो निविवाद रूप से संवाद या 'डायलॉग' है। कम-से-कम पन्द्रह ऐसे स्थल तो खोजे ही जा सकते हैं जिनमें स्पष्ट रूप से संवाद या संवाद का आभास मिल जाता है। 'ऋग्वेद' (10।10) में यम और यमी का प्रसिद्ध संवाद है तथा (10।9।5) पुरुरवा और उर्वशी की बातचीत है। आठवें मण्डल के 100वें सूक्त में नेम भाग्वद ने इन्द्र से प्रार्थना की और इन्द्र ने उसका उत्तर दिया। कहीं-कहीं तीन व्यक्तियों के भी संवाद मिलते हैं। प्रथम मण्डल के 179वें सूक्त में इन्द्र, अदिति और वामदेव का संवाद है। दसवें मण्डल के 108वें सूक्त में इन्द्र-दूती सरमां अपने सारमेय पुत्रों के लिए पणियों के पास जाती है और उनसे जमकर बात करती है। कुछ ऐतिहासिक-जैसे लगनेवाले संवाद भी हैं। विश्वामित्र की नदियों से बातचीत तीसरे मण्डल के 33वें सूक्त में पायी जाती है और वशिष्ठ की अपने पुत्रों के साथ बातचीत सातवें मण्डल के 33वें सूक्त में सुरक्षित है। ऐसे ही और भी बहुत-से सूक्त हैं जिनमें देवताओं की बातचीत है। यद्यपि कभी-कभी आधुनिक पण्डित सूक्तों के अर्थ के सम्बन्ध में एकमत नहीं हो पाते; एक पण्डित जिसे संवाद समझता है, दूसरा पण्डित उसे संवाद मानने को प्रस्तुत नहीं। इस प्रकार का झगड़ा कोई नया नहीं है। दशम मण्डल के 95वें सूक्त को, जिसमें पुरुरवा और उर्वशी का संवाद है, यास्क संवाद ही मानते थे; परन्तु शीनक उसे कहानी-मात्र मानते थे।

वेदों में संवाद क्यों आये? सन् 1869 ई. में सुप्रसिद्ध पण्डित मैक्समूलर ने प्रथम मण्डल के 165वें सूक्त के सम्बन्ध में, जिसमें इन्द्र और मरुतों की बातचीत है, अनुमान किया था कि यज्ञ में यह संवाद अभिनीत किया जाता था। सम्भवतः दो दल होते थे; एक इन्द्र का प्रतिनिधि होता था, दूसरा मरुतों का। सन् 1890 ई. में प्रो. लेवी ने भी इस बात का समर्थन किया था। प्रो. लेवी ने यह भी बताया था कि वैदिक काल में गाने की प्रथा काफी प्रौढ़ हो चुकी थी। इतना ही नहीं, 'ऋग्वेद' (11।9।2।4) में ऐसी स्त्रियों का उल्लेख है जो उत्तम वस्त्र पहनकर नाचती थीं और प्रेमियों को आकृष्ट करती थीं। 'अथर्ववेद' (7।1।1।4।1) में पुरुषों के भी नाचने और गाने का उल्लेख है। श्री ए. बी. कीथ ने कार्य-कारण-सम्बन्ध को देखते हुए इस बात में कोई कठिन आपत्ति उपस्थित होने की सम्भावना नहीं देखी कि ऋग्वेद-काल में लोग ऐसे नाटकीय दृश्यों को जानते थे जो धार्मिक हुआ करते थे और जिनमें ऋत्विक् लोग स्वर्गीय घटनाओं का पृथ्वी पर अनुकरण करने के

लिए देवताओं और मुनियों की नूमिका प्रदृश करते थे।

नाटक में जो अंश पाठ्य होता है वह पात्रों का संवाद ही है। 'नाट्य-शास्त्र' के रचयिता ने जब मह तकेत किया था कि श्रद्धा ने 'नाट्यवेद' की रचना के समय 'पाठ्य अंश' 'श्रव्येद' ने लिया था तो उनका तात्पर्य यही रहा होगा कि श्रव्येद में पाये जानेवाले काव्यात्मक संवाद वस्तुतः नाटक के अंश ही हैं। ऐसा निष्पत्त उन दिनों यज्ञादि में प्रचलित नाटकीय दृश्यों को देखकर ही निकाला जा सकता है। आधुनिक काल के कई विद्वानों ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि श्रव्येद-कालीन यज्ञों में वस्तुतः कुछ अभिनय हुआ करता था। सारे संसार की प्राचीन जातियों में नाच-गान और अभिनय का अस्तित्व पाया जाता है। प्रो. फान थेडर ने बताया था कि 'श्रव्येद' में आये हुए सवाद प्राचीनतर भारोपीय काल के आयों में प्रचलित नाच, गान और अभिनय के उत्तरकालीन रूप होंगे। सारे संसार में मूष्टि-प्रक्रिया के रहस्य को प्रतीक-रूप में अभिनीत करने के लिए अनेक प्रकार के मैथुनिक अभिनय प्रचलित थे। प्राचीन ग्रीक लोगों में भी एक प्रकार का शिस्त-नृत्य प्रचलित था, परन्तु इस प्रकार के अनुमान के लिए न तो मूल सहिताओं में ही कोई निश्चित सबूत पाया जाता है और न हजारों वर्षों की भारतीय परम्परा में ही कोई सकेत मिलता है। लड़कियां, पिशेल और ओल्डेनवर्ग-जैसे विद्वानों ने यह बतलाने का प्रयत्न किया है कि इन सवाद-मूलक पद्यों के धीर्घ-धीर्घ गद्य का भी समावेश हुआ करता था, जिसका कोई निश्चित रूप नहीं था। पद्य केवल उन स्थलों पर व्यवहृत होते थे जहाँ बक्ता का भावावेग तीव्र होता था। इन तीव्र भावावेगवाले स्थलों को ही इन संवाद-मूलक मूरकों में संगृहीत कर लिया गया है। 'शकुन्तला' नाटक से गद्यवाले सभी अशा हटा दिये जायें और केवल पद्य-अंश ही मुरक्खित रखें जायें तो उसकी वही स्थिति होगी जो वहुत-कुछ इन संवाद-मूलक मूरकों की है। प्रो. पिशेल ने इस अनुमान को और भी आगे बढ़ाया है। उनका अनुमान है कि संस्कृत-नाटकों में जो गद्य और पद्य का विचित्र सम्मिश्रण मिलता है, वह उसी पुरानी यज्ञ-क्रिया से सम्बद्ध नाटकीय तत्त्वों का परवर्ती रूप है। संस्कृत-नाटक में पात्र गद्य बोलते-बोलते जब भावावेश की स्थिति में आता है तब पद्य बोलने लगता है। परन्तु इस विषय में भी विशाल भारतीय परम्परा एकदम मीन है। जो हो, इतना तो स्पष्ट ही है कि 'नाट्यशास्त्र' के रचयिता के मन में 'श्रव्येद' में नाटकों में पाये जानेवाले पाठ्य-तत्त्व के अस्तित्व के बारे में कोई सन्देह नहीं था। या तो, परम्पराया यह प्रचलित था कि 'श्रव्येद' पाठ्य-अशा किसी प्रकार के नाटकीय प्रत्यय नहीं, या उन्हें जी धार्मि, उत्सव के अवसर पर इन नाट्य-रूप वा धार्मि भरत मुनि ने 'नाट्यशास्त्र' के सम्मत कहा है... यज्ञेन सम्मत ए शास्त्र के इस उल्लेख को परम्परा अनुमान सत्य सि- है। ५



का विश्वास है कि रावण-कृत वेद-भाष्य इसमें मिल गया है, इसलिए इसे कृष्ण या काला कहा गया है। 'शुक्ल यजुर्वेद' की 'माध्यन्दिनीय शाखा' ही सम्भवतः पुराना और प्रामाणिक यजुर्वेद है। इसकी उक्त दोनों शाखाओं में अन्तर बहुत कम है। माध्यन्दिनीय शाखा पुरानी मानी जाती है, उसी का प्रचार भी अधिक है। आपुनिक पण्डितों का विश्वास है कि इसके 40 अध्यायों में अन्तिम 15 (या 22) परवर्ती हैं, प्रथम भाग पुराना।

'यजुर्वेद' में कुछ अंश ऐसे अवश्य मिल जाते हैं जो यज्ञ-क्रिया की विधियों को बताते हैं, जिनमें धोड़े-बहुत ऐसे कार्य होते हैं जो अभिनय की कोटि में आ सकते हैं। आधुनिक ढग के विद्वानों ने यज्ञ के सोम-विक्रय प्रकरण को और महाब्रत के विविध अनुष्ठानों को एक प्रकार का नाटकीय अभिनय ही माना है। इसी प्रकार अन्य याज्ञिक अनुष्ठानों में भी कुछ ऐसे अनुष्ठान मिल जाते हैं जो नाटकीय अभिनय की कोटि में आ जाते हैं। यह सत्य है कि इन अनुष्ठानों को नाटक नहीं कहा जा सकता। विशुद्ध नाटक वह है जहाँ अभिनेता जान-वृक्षकर किसी दूसरे व्यक्ति की भूमिका में उत्तरता है, स्वयं आनन्दित होता और दूसरों को आनन्द देता है। 'यजुर्वेद' में इस थ्रेणी का नाटक स्वोजना व्यर्थ का परिथम-मात्र है। कुछ विद्वानों का अनुमान है कि याज्ञिक क्रिया के अनुष्ठान में ऐसी कुछ वातें आ मिली हैं जो उन दिनों के साधारण जन-समाज में प्रचलित नाच-गान और तमाशों से ती गयी होगी। इसमें कोई सन्देह नहीं कि ऐसे लोक-नृत्य और लोक-नाट्य उन दिनों प्रचलित अवश्य थे। 'कौशीतकी ब्राह्मण' ( 2415 ) में नृत्य-गीत आदि को कलाओं में गिनाया गया है। 'पारस्कर गृह्ण-सूत्र' ( 2-7-3 ) में द्विजातियों को यह सब करने की मनाही है। इसलिए यह सरलता से अनुमान किया जा सकता है कि उन दिनों लोक में बहुत-से नृत्य, गीत, नाट्य प्रचलित थे। लोग उनकी कद्र भी करते थे, परन्तु अत्यन्त नैतिकतावादी ब्राह्मण उनसे बचने का भी प्रयत्न करते थे। वेदों का वातावरण पवित्रता का वातावरण है, और ब्राह्मण-विश्वास के अनुसार ऐसा कोई काम द्विजों को नहीं करना चाहिए जिससे चरित्रगत पतन की सम्भावना हो। इसलिए यद्यपि नृत्य, नाट्य आदि की मनोरजकता उन्होंने अस्वीकार नहीं की, किन्तु उन्हे भले आदिमियों के योग्य भी नहीं माना। जो हो, शास्त्र में यह बताया गया है कि नाटकों में जो अभिनय-तत्त्व है वह 'यजुर्वेद' से लिया गया है। इस वक्तव्य को समझने के लिए जिस प्रकार यह आवश्यक है कि हम समझें कि यजुर्वेद क्या है, उसी प्रकार हम यह भी समझें कि नाट्यशास्त्र ने 'अभिनय' किस वस्तु को कहा है।

'नाट्यशास्त्र' में अभिनय शब्द बहुत व्यापक अर्थों में व्यवहृत हुआ है। इसमें नाटक के प्रायः सभी तत्त्व आ जाते हैं। वेश-विन्यास भी इससे अलग वस्तु नहीं और रगमंच की सजावट भी उसके अन्तर्गत आ जाती है। वस्तुतः पाठ्यगान और रस के अतिरिक्त जो-कुछ भी नाटक में किया जा सकता है वह सब अभिनय के अन्तर्गत आता है और पाठ्यगान और रस के भी सभी आथय और उपादान



वताये गये अनेक तत्त्व मिल जायेंगे। इसलिए शास्त्रकार ने अभिनय को 'यजुर्वेद' से गृहीत यताया है, क्योंकि अथर्ववेद में मारण, मोहन, वशीकरण आदि अभिचार पाये जाते हैं। इसमें जिन लोगों पर ये प्रयोग किये जाते हैं उनके स्थानापन किसी का अवधारण होता है जो नाटक के विभावादि के समान ही है और साथ ही इसमें मारणादि अभिचारों के समय सिहरन, कम्यन आदि अनुभाव तथा धृति, प्रमोद आदि सचारी भाव भी विद्यमान होते हैं। इस प्रकार विभाव-अनुभाव-सचारी भाव का योग, जिससे रस-निष्पत्ति हुआ करती है, इसमें मिल जाता है। अभिनवगुप्त का मत है कि इसीलिए इसको 'अथर्ववेद' से ग्रहण किया हुआ यताया गया है। 'अथर्ववेद' से रसों के ग्रहण करने का अनुमान भी उचित और संगत है।

## 2. विधि और शास्त्र

'नाट्य-वेद' के दो अंग हैं—विधि और शास्त्र। भरत मुनि ने प्रथम अध्याय के 125 वें श्लोक में स्पष्ट कहा है कि जो व्यक्ति 'यथाविधि' और 'यथाशास्त्र' पूजा करेगा, वह शुभ फल प्राप्त करेगा और अन्त में स्वर्ग-लोक में जायेगा :

यथाविधि यथाशास्त्रं यस्तु पूजां करिष्यति ।

स लप्स्यते शुभानर्थान् स्वर्गंलोकं गमिष्यति ॥ ( 1-125 )

दूसरे, से पाँचवें अध्याय तक विधि पर बड़ा जोर है। विधि-दृष्ट कर्म ( 2-69 ) से सभी कार्यों को करने को कहा गया है। काष्ठ-विधि ( 2-79 ), भित्ति-कर्म-विधि ( 2-83 ), द्वार-विधि ( 3-22 ), मन्त्र-विधान ( 3-46 ), आसारित विधि ( 4-282 ), वृत्ताभिनय-विधि ( 4-292 ), नृत्याभिनय-वादित सम्बन्धी वस्तुक-विधि ( 4-294 ), ताण्डव-प्रयोग-विधि ( 4-321 ), गीतक-विधि ( 5-60 ), रंग-सिद्धि के पश्चात् काव्य-निरूपण-विधि ( 5-140 ), पूर्व-रंग-विधि ( 5-172 और 176 ), इत्यादि अनेक विधियों का उल्लेख है। दजनों स्थानों पर विधि-लिङ् की किया का प्रयोग है। मीमांसकों के अनुसार श्रुति का तात्पर्य केवल विधि से है। जहाँ विधि-लिङ् का प्रयोग होता है वही श्रुति होती है। नाट्यशास्त्र इन विधियों पर बहुत जोर देता है और स्थान-स्थान पर स्पष्ट रूप से निर्देश देता है कि यह विधि अवश्य करणीय है। जो इस विधि को छोड़कर अपनी इच्छा से इसका प्रयोग करता है वह तिर्यग् योनि को प्राप्त होता है और विनाश (अपचय) का दिक्कार होता है :

यस्त्वेवं विधिमुत्सृज्य यथेष्टं सम्प्रयोजयेत् ।

प्राप्तोत्यपचय घोरं तिर्यग्योनि च गच्छति ॥ ( 5-173 )

और,

मस्त्वेवं विधिमुत्सृज्य यथेष्टं सम्प्रयोजयेत् ।

प्राप्तोत्यपचय शीघ्रं तिर्यग्योनि च गच्छति ॥ ( 3-98 )

पाँचवें अध्याय के बाद 'विधि' दाढ़ कम आता है। अन्तिम अध्यायों में वह फिर बढ़ता से आने लगता है। स्पष्ट ही 'नाट्य-वेद' का श्रुतित्व इन विधियों में

है। कई स्थानों पर 'अनेनैव विधानेन'-जैसे वाक्याशों का प्रयोग आता है, जिसमें शास्त्रकार 'एव' पद देकर अन्य विधियों का तिरस्कार करते हैं।

विधि के बाद जो बचता है, वह शास्त्र है। साधारणतः इसके लिए 'नाट्यम्' शब्द का प्रयोग हुआ है। इसमें युक्ति-तक्त और प्रयोग-पाठ्य का निर्देश है। छठे और सातवें अध्याय में रस और भावों को समझाया गया है। इन अध्यायों में 'विधि' शब्द का प्रयोग बहुत कम हुआ है। यह दावा तो नहीं किया जा सकता कि विधि और शास्त्र विलकुल भलग करके दिखाये जा सकते हैं, पर इतना निश्चित जान पड़ता है कि विधि साधारणतः अभिनेताओं को दृष्टि में रखकर निर्दिष्ट हुए हैं और शास्त्र अभिनेता, सामाजिक और कवि या नाटककार सदकों ध्यान में रखकर रचित हुआ है।

### 3. नाट्य-वेद में विस्तार

ब्रह्मा ने जब नाट्य-वेद की सृष्टि की तो उसमें स्वयं ही इतिहास को जोड़ दिया और इन्द्र को आज्ञा दी कि इसका प्रयोग देवताओं से कराओ, लेकिन इन्द्र ने कहा कि इसके ग्रहण, धारण, ज्ञान और प्रयोग की शक्ति देवताओं में नहीं है; केवल मुनि लोग ही ऐसा कर सकते हैं। इन्द्र के कथन का तात्पर्य यह था कि देवता भोग-योनि है, उस योनि में क्रिया-शक्ति नहीं होती जबकि मनुष्य में ग्रहण, धारण, ज्ञान और प्रयोग की शक्ति होती है। तात्पर्य यह है कि नाटक केवल अनुकरण-मात्र नहीं है, वह उससे अधिक है। उसमें मनुष्य की इच्छा, ज्ञान और कर्म-शक्ति की आवश्यकता होती है। ग्रहण की हुई वस्तु को धारण करना साधना से सम्भव होता है। देवता का शरीर और मन सिद्ध होता है, साधक नहीं। उसमें इच्छा-शक्ति का अभाव होता है, नाटक में संकल्प होता है। इच्छा, ज्ञान और क्रिया से मनुष्य-शरीर त्रिपुटीकृत है। इसलिए इच्छा, ज्ञान और क्रिया में विधा अभिव्यक्ति ग्रहण करने वाली महाशक्ति विपुरा मनुष्य-पिण्ड में कुण्डलिनी-रूप में प्रकाशित होती है, किन्तु देवता में उसका अभाव है। इसीलिए नाटक, जो मनुष्य की सर्जनेच्छा या सिसूक्षा का उत्तम रूप है, देवता लोगों की शक्ति का विषय नहीं है। देवता सिद्धिदे सकता है, साधना नहीं कर सकता। नाटक साधना का विषय है। मनुष्य में जो सर्जनेच्छा या नया कुछ रचने की जो आकाश्चाही है, वह उसका विषय है। इन्द्र की बात मुनकर ब्रह्मा ने इतिहासयुक्त 'नाट्य-वेद' को भरत मुनि के जिम्मे किया जिन्होंने अपने सौ पुत्रों को उसका उपदेश दिया। इस प्रकार इतिहास 'नाट्य-वेद' में जोड़ा गया। पाठ्य, गीत, अभिनय और रस के साथ कथानक का योग हुआ। शास्त्र के अनुसार नाटक का प्रथम प्रयोग इन पांच वस्तुओं को लेकर ही हुआ। भरत मुनि ने इसमें तीन वृत्तियों का योग किया था। ये तीन वृत्तियाँ हैं: भारती, सात्वती और आरभटी। भारती वृत्ति 'वाक्प्रधाना, पुरुष-प्रयोज्या, स्त्रीवर्जिता, सस्कृत वायव्ययुक्ता' वृत्ति है ( 22-5 )। इसे प्रयोग करने में भरत-पुत्रों को कठिनाई नहीं हुई; सात्वती 'हृषोत्कटा, संहृत-शोकभावा, वाग्अंगाभिनयवती, सत्वाधिकारयुक्ता' वृत्ति है

( ५२-३८,३९ ) । इसे भी विना कठिनाई के सम्हाल लिया गया; आरभटी कूद-फौद, इन्द्र-जाल, आक्रमण आदि को प्रकट करनेवाली वृत्ति है ( २२-५७,५८ ), भरत-पुत्रों ने इसका प्रयोग भी आसानी से कर लिया । परन्तु चौथी वृत्ति, जो कैशिकी है, वह उनके वश की नहीं थी । इसमें सुकुमार साज-सज्जा, स्त्री-सुलभ चेष्टाएँ, कोमल श्रृंगारोपचार ( २२-४७ ) की आवश्यकता थी । भरत-पुत्र इसका प्रयोग नहीं कर सके । ब्रह्मा ने इस कमी को महसूस किया और भरत मुनि को आज्ञा दी कि कैशिकी वृत्ति को भी इसमें जोड़ो ( १-४३ ) । भरत मुनि ने कहा कि यह वृत्ति तो पुरुषों के वश की नहीं है, इन तो केवल स्त्रियाँ ही कर सकती हैं । ब्रह्मा ने तब अप्सराओं की सृष्टि की । इस प्रकार 'नाट्य-वेद' में स्त्रियों का प्रवेश हुआ ।

इन्द्र के ध्वजारोपण के अवसार पर प्रथम बार चारों वृत्तियों से संयुक्त नाटक खेला गया और प्रसन्न होकर देवताओं ने भरत मुनि को अनेक उपकरण दिये और रक्षा करने का आश्वासन भी दिया ।

कथा से स्पष्ट है कि पहले नाटक में स्त्रियों का योग नहीं था । बाद में जब यह अनुभव किया गया कि नाटक की कुछ क्रियाएँ स्त्रियों के विना असम्भव हैं, तो नाटक में स्त्रियों के प्रवेश करने का विधान हुआ ।

दैत्यों ने नाटक के समय उपद्रव शुरू किया । उनसे चबाव के लिए रंगपूजा की विधि का समावेश हुआ । इसकी बड़ी विस्तृत विधि 'नाट्यशास्त्र' में बतायी गयी है । इस आडम्बरपूर्ण विधान से नाटक में यज्ञ का गौरव आ गया । पहले नगाड़ा बजाकर नाटक आरम्भ होने की सूचना देने का विधान है । फिर गायक और बादक लोग यथास्थान बैठ जाते थे; बृंदगान आरम्भ होता था । मूदग, बीणा, बेणु आदि वाद्यों के साथ नर्तकों का नृपुर झनकार कर उठता था और इस प्रकार नाटक के उत्थापन की विधि सम्पन्न होती थी । आधुनिक पण्डितों में इसके बारे में मतभेद है कि यह परदे के पीछे की क्रिया है या बाहर अर्थात् रंगभूमि की । मतभेद का कारण सदा ग्रीक रंगमच की बात सोच-सोचकर भारतीय रंगमच को समझने की अवांछित चेष्टा है । शुरू में ही अवतरण या रगावतरण का उल्लेख होने से स्पष्ट है कि यह क्रिया रंगभूमि में ही होती थी । फिर सूत्रधार का प्रवेश होता था, उसके एक ओर गड्ढा में पानी लिये भूंगारधर होता था और दूसरी ओर विघ्नों को जर्जर करनेवाली पताका लिये जर्जरधर होता था । इन दो पारिपाश्वकों के साथ सूत्रधार पांच पग आगे बढ़ता था । परन्तु यह बढ़ना साधारण बात न थी, उसमें विशेष गौरवपूर्ण अभिनय हुआ करता था । फिर सूत्रधार भूंगार से जल सेकर आधमन, प्रोक्षण आदि तरके पवित्र हो जाता था । फिर एक विशेष आडम्बर-पूर्ण भगिनी के साथ विघ्न को जर्जर करनेवाले जर्जर नामक ध्वज को उत्तोतित करता था और इन्द्र तथा अन्य देवताओं की स्तुति करता था । वह दाहिने पैर के अभिनय में गिर को और बाम पैर के अभिनय से विष्णु को नमस्कार करता था । पहला पुरुष का और दूसरा स्त्री का पद माना जाता था । एक नगूरक पद का भी

विधान है, इसमें दाहिने पैर को नाभि तक उत्क्षिप्त कर लेने का इस नपुसक पद से निर्देश है। इस नपुसक पद से वह ब्रह्मा को नमस्कार करता था, फिर यथाविधि वह चार प्रकार के पुष्पों ने जर्जर की पूजा करता था। वह वाच्य-यन्त्रों की भी पूजा करता था और तब जाकर नान्दीपाठ होता था। सब देवताओं को वह नमस्कार करता था और उनसे कल्याण की प्रार्थना करता था। वह राजा की विजय-कामना करता था, दर्शकों में धर्मभृद्धि होने की शुभाशासा करता था, कवि या नाटककार के यशोवर्धन की भी वह कामना करता था। प्रत्येक शुभकामना के बाद पारिपाश्वर्क लोग 'ऐसा ही हो' (एवमस्तु) कहकर प्रतिवचन देते थे और इस प्रकार नान्दी-पाठ का आडम्यरपूर्ण कार्य सम्पन्न होता था।

इस प्रसंग मे हम 'नाट्यशास्त्र' मे से केवल मुख्य-मुख्य क्रियाओं का सम्ब्रह कर रहे हैं। नान्दी-पाठ तक की क्रिया बहुत विस्तृत है। इस नान्दी-पाठ को 'नाट्यशास्त्र' बहुत महत्व देता है। अस्तु, जब नान्दी-पाठ हो जाता था तो फिर शुष्कावृष्टा विधि के बाद सूक्तधार एक ऐसा इलोक-पाठ करता था जिसमें अवसर के अनुकूल वातें होती थी, अर्थात् वह या तो जिरा देवता-विशेष की पूजा के अवसर पर नाटक खेला जा रहा हो उस देवता की स्तुति का इलोक होता था, या फिर जिस राजा के उत्सव पर अभिनय हो रहा हो उसकी स्तुति का। या फिर वह ब्रह्मा की स्तुति का पाठ करता था, फिर जर्जर के सम्मान के लिए भी वह एक इलोक पढ़ता था और फिर चारी नृत्य शुरू होता था। इसकी विस्तृत व्याख्या और विधि 'नाट्यशास्त्र' के बारहवें अध्याय मे दी हुई है। यह चारी का प्रयोग पार्वती की प्रीति के उद्देश्य से किया जाता था, वयोंकि पूर्वकाल मे शिव ने इस विशेष भंगी से ही पार्वती के साथ क्रीड़ा की थी। इस सविलास अंगविचेष्टता-रूप चारी के बाद महाचारी का विधान भी 'नाट्यशास्त्र' मे दिया हुआ है। इस समय सूक्तधार जर्जर या घ्वजा को पारिपार्श्वकी के हाथ में दे देता था। फिर भूतगण की प्रीति के लिए ताण्डव का भी विधान है। फिर विदूपक जाकर कुछ ऐसी ऊँज-जलूल वाते करता था जिसमें सूक्तधार के चेहरे पर स्मित हास्य छा जाता था और फिर प्ररोचना होती थी, जिसमें ऊपर लिखी गयी वातें विस्तार-पूर्वक कही गयी है। परन्तु साथ ही यह भी कहा गया है कि इस क्रिया को सक्षेप मे भी किया जा सकता है। अगर इच्छा हो तो और भी विस्तारपूर्वक करने का निर्देश देने मे भी शास्त्र चूकता नहीं। ऊपर यतायी गयी क्रियाओं से यह विश्वास किया जाता था कि अप्सराएँ, गन्धर्व, दैत्य, दानव, राक्षस, गुह्यक, यथा तथा अन्यान्य देवगण और रुद्रभण प्रसन्न होते हैं और नाटक निविधि ममात्प होता है। 'नाट्यशास्त्र' के बाद इसी विषय के लक्षण-ग्रन्थों मे यह विधि इतनी विस्तारपूर्वक नहीं कही गयी है। 'दशहृष्यक' तथा 'साहित्य-दर्पण' आदि मे तो यहूत सधेष मे

इगकी चर्चा-भर कर दी गयी है।<sup>1</sup> इस बात से यह अनुमान होता है कि बादको इतने विस्तार और आडम्बर के साथ यह क्रिया नहीं होती होगी। विश्वनाथ के 'साहित्यदर्पण' से इतना स्पष्ट ही हो जाता है कि उनके जमाने में इतनी विस्तृत क्रिया नहीं होती थी। जो हो, सन् ईशाची के पहले और बहुत बाद भी इस प्रकार की विधि रही जाएगी।

यहाँ तक 'नाट्य-वेद' सीधा-सादा ही या 'नाट्यशास्त्र' के नीथे अध्याय में इसमें एक और क्रिया के जोड़ने की कथा है। वेदों में मूहीत पाठ्य, नीत, अनिन्य और रसवाले 'नाट्य-वेद' में व्रह्मा ने पहली बार इतिहास जोड़ा, दूसरी बार कैशिकी वृत्ति के साथ स्त्रियों का प्रवेश हुआ और तीसरी बार दैत्यजनित वाद्या को दूर करने के उद्देश्य से रंग-पूजा की विधि जोड़ी गयी। अब इतना हो जाने के बाद भरत ने 'अमृत-मत्त्वन' का नाटक खेला। 'नाट्यशास्त्र' की कुछ प्रतियों में इसे 'समवकार' कहा गया है, कुछ में नहीं कहा गया है। व्रह्मा ने फिर इस नाट्य-प्रयोग को शिवजी को दिसाने के लिए कहा। शिवजी ने देखा और प्रसन्न हुए। उन्होंने

1. उदाहरण के लिए 'दशस्पृह' को लिया जा सकता है। यहाँ पूर्वरंग का लो नाममात्र से उल्लेख है। पूर्वरंग या विद्यान करके जग सूखपार चला जाता है तो उसी के लमान वेण-माता नट (स्थापक) काव्यार्थ की स्थापना करता है। उसकी वेण-भूपा कथावस्तु के अनुरूप होती है, अर्थात् यदि कथावस्तु दिव्य हुई तो वेण भी दिव्य और मत्त्व-नोड़ की हुई तो वेण-भूपा भी तदनुरूप। सर्वप्रथम उसे काव्यार्थ-भूकृच मधुर इनोको से रंग-स्पृह के सामाजिकों की सुनित करनी चाहिए। किर उसे लियी छह दिन के बीच द्वारा भारती वृत्ति का प्रयोग करना चाहिए। भारती वृत्ति समृद्ध-वृत्ति वाद्यापार है। इयके चार भेद होते हैं: प्रयोचना, वीथी, प्रहरन और लामूर्य या प्रस्तावना। वीथी और प्रहरन तो हप्तों के भेद हैं। वेण, वीथी में बताये हुए सभी जग वामपुरुष में भी उपयोगी हैं। प्रयोचना, नाटक में घेले जानेवाले धर्म की प्रशंसा है, उसका उद्देश्य होता है तामाजिकों को नाटकीय कथा-वस्तु की ओर उन्मुक्त करना। आमुख या प्रस्तावना में सूखधार (या स्थापक) नहीं, माये (पारिपालिक) या विद्युपक से ऐसी विचित्र उस्तियों में बात करता है जिसमें नाटक का प्रस्तुत विषय अनावास खिच आता है। तीन प्रकार से यह बात होती है। सूखधार या स्थापक कोई ऐसी बात वह देता है जिसका साम्न नाटक की प्रस्तावित वस्तु से होता है कि कोई पात्र उसी वाद्य को कहता हुआ रामनव पर आ जाता है (कपोद्घात); या वह प्रहृत-उपनिषद् के बहुने इनमें से ऐसा कुछ वहता है कि नाटक के आगमन की सूचना भिन्न जाती है (प्रवृत्तक), या वह कहता है, 'यह देखो वह आ गया', और पात्र मच पर आ जाता है (प्रदेश-तिशय)। किर वह दीवी के बताये हुए तेरह भग्नों का भी साहारा लेता है। ये तेरह अंग विशेष प्रकार की उकियाँ हैं। ये हैं: (1) उदात्तक (गृह प्रसन्नीतर), (2) अवतारित (एक-दूसरे से गठे हुए काशों के सूचक वाक्य), (3) प्रपञ्च (हृणानेवानी पारस्परिक मिथ्या स्तुति), (4) निगत (शब्द-मात्र से अनेक जब्तों की योजना), (5) छन्तन (चिन्नी-चुड़ी से बहाना), (6) वारचेती (आद्या कहकर वाती को भाष लेने योग्य छोड़ देना), (7) अधिवत (वड-वडाट बातें करना), (8) गण्ड (गम्भड से भिन्न का उपरिपर हो जाना), (9) जवस्वनित (मरन वाल कहकर मुकरने का प्रयत्न), (10) नालिका (गृह-वचन), (11) अगात्यवाल (ऊटाटांग, डोगला), (12) व्याहार (हृणाने के लिए कुछ-काकुछ गह देना), और (13) मृदव (दोप को गुण और गुण को दोप बता देना)।

ब्रह्मा से कहा कि “तुमने जो इस नाट्य की सूचिटि की है वह यशस्य है, शुभ है, पुण्य है और बुद्धि-विवर्धक भी है। परन्तु मैंने सत्याकाल में नृत्य करते समय ‘नृत्त’ को स्मरण किया है, जो अनेक करणों से सयुक्त है और अंगहारों से विभूषित है। पूर्वरंग की तुम्हारी विधि ‘शुद्ध’ है, इसमें उसमें वैचित्र्य आ जायेगा।” फिर शिव ने करणों और अंगहारों की विधि वतायी और ब्रह्मा ने ताण्डव-नृत्य का भी नाटक में समावेश किया। यह चौथा सस्कार था। भारतीय परम्परा के अनुसार इन चार कक्षाओं का अतिक्रमण करने के बाद ‘नाट्यशास्त्र’ पूर्णगि हुआ। इसे ऐतिहासिक विकास कहा जा सकता है।

#### 4. नाट्यशास्त्र किसके लिए ?

भारतीय ‘नाट्यशास्त्र’ तीन प्रकार के लोगों को दृष्टि में रखकर लिया गया है। ‘दशरूपक’ आदि परवर्ती ग्रन्थों की तरह वह केवल नाटक लिखनेवाले कवियों के लिए मार्गदर्शक ग्रन्थ-मात्र नहीं है। सच पूछा जाये तो वह अभिनेताओं के लिए ही अधिक है, नाटककारों और नाटक समझनेवाले सहृदयों के लिए कम। जब तक ‘नाट्यशास्त्र’ के इस रूप को नहीं समझा जायेगा, तब तक इस विशाल ग्रन्थ के महत्व का अनुभव नहीं किया जा सकेगा। सबसे पहले ‘नाट्यशास्त्र’ नाटक के अभिनेताओं को दृष्टि में रखकर लिखा गया। इस ग्रन्थ में करण, अंगहार, चारी आदि की विधियाँ, जो विस्तारपूर्वक समझायी गयी हैं, नृत्य, गीत और वेश-भूषा का जो विस्तृत विवेचन है, वह भी अभिनेताओं को ध्यान में रखकर किया गया है। रंगमच का विधान अभिनेताओं की सुविधा को ही दृष्टि में रखकर किया जाता था। साधारणतः रंगमच या प्रेदागृह तीन प्रकार के होते थे। जो बहुत बड़े होते थे वे देवताओं के प्रेक्षागृह कहलाते थे और 108 हाथ लम्बे होते थे; दूसरे राजाओं के प्रेक्षागृह होते थे, जो 64 हाथ लम्बे और इतने ही चौड़े होते थे; तीसरे प्रकार के प्रेक्षागृह विभुजाकार होते थे और उनकी तीनों भुजाओं की लम्बाई 32 हाथ होती थी। सम्भवतः दूसरी श्रेणी के प्रेक्षागृह ही अधिक प्रचलित थे। ऐसा जान पड़ता है कि राजभवनों में और वड़े-वडे नमृदिशाली भवनों में ऐसे प्रेक्षागृह स्थायी हुआ करते थे। ‘प्रतिमा’ नाटक के आरम्भ में टी राजभवन में नैपथ्यशाला की बात आयी है। राजा रामचन्द्र के बन्त पुर में एक नैपथ्यशाला थी, जहाँ रंगभूमि के लिए बल्कल आदि गामयी रूपी हुई थी। नायारण नायरिङ विद्याहृत नवा अन्य उत्सवों के समय प्रस्तावी हृषि में ढोटी-ढोटी प्रेक्षण-शालाएँ, जो तीसरी श्रेणी की हुआ करती थी, बनवा लिया करते थे। प्रेक्षण-शालाओं का निर्माण अभिनेता की सुविधा के लिए हुआ करता था। इस बात का ध्यान रखा जाना था कि रंगभूमि में अभिनय करनेवालों की आवाज अन्तिम चिनारों तक अनायाम पहुँच सके और सहृदय-दर्शकगण उनकी प्रत्येक भाव-भगिमा को ध्यानान्तरी ने देन चाहे।

‘अभिनव भारती’ से पता चला है कि ‘नाट्यग्रास्त्र’ के पूर्ववर्ती टीराक्षार

इगरी चर्चा-भर कर दी गयी है।<sup>1</sup> इस बात से यह अनुमान होता है कि बादको उनमें विस्तार और आडम्बर के साथ यह किया नहीं होती होगी। विश्वनाथ के 'साहित्यदर्पण' में उनमें स्पष्ट ही हो जाता है कि उनके जमाने में इतनी विस्तृत किया नहीं होती थी। जो हो, सन् ईशवी के पहले और बहुत बाद भी इस प्रकार की निमि रही जरूर है।

महा तक 'नाट्य-वेद' नीधा-सादा ही था। 'नाट्यकास्त्र' के बोये अध्याय में उसमें एक और किया के जोड़ने की कथा है। बेदों से गृहीत पाठ्य, गीत, अभिनव और उम्बाले 'नाट्य-वेद' में ग्रह्या ने एहती बार इतिहास जोड़ा, दूसरी बार कैशिकी वृत्ति के साथ स्त्रियों का प्रवेश हुआ और तीसरी बार दैत्यजनित बाण को दूर करने के उद्देश्य से रग-पूजा की विधि जोड़ी गयी। अब इतना हो जाने के बाद भरत ने 'अमृत-मन्यन' का नाटक खेला। 'नाट्यशास्त्र' की कुछ प्रतियों में इसे 'समवकार' कहा गया है, कुछ में नहीं कहा गया है। ग्रह्या ने फिर इस नाट्य-प्रयोग को शिवजी को दियाने के लिए कहा। शिवजी ने देखा और प्रसन्न हुए। उन्होंने

1 उदाहरण के लिए 'दशस्पृह' को लिया जा सकता है। वही पूर्वरग का तो नामभाव से उल्लेख है। पूर्वरग या विघ्न करके बव सूक्ष्मधार चला जाता है तो उसी के समान वेश बाला नर (स्थापक) काव्यार्थ की स्थापना करता है। उसकी वेश-भूपा कथावस्तु के अनुरूप होती है, अर्थात् यदि कथावस्तु दिव्य हुई तो वेश भी दिव्य और मर्यादों की हुई तो वेश-भूपा भी तदनुरूप। सर्वप्रथम उसे वाज्यार्थ-मूचक मधुर श्लोकों से रग-स्थित के

के भेद है। वैसे, वीरी में बताये हुए सभी अग आमुद में भी उपयोगी हैं। प्ररोचना, नाटक में खेले जानेवाले अर्थ की प्रतीक है, उसका उद्देश्य होता है मामाजिको को नाटकीय कथावस्तु को और उम्मुख करना। आमुद या प्रस्तावना में सूक्ष्मधार (या स्थापक) नहीं, मार्य (पारिपाश्विक) या विदृष्टक से ऐसी विचित्र उत्तियों में बात करता है जिससे नाटक का असुत विषय अनायास खिच जाता है। तीन प्रकार से यह बात होती है। सूक्ष्मधार या स्थापक कीई ऐसी बात कह देता है जिसका साम्य नाटक की प्रस्तावित वस्तु से होता है कि कोई पात्र उसी कथ्य को कहता हुआ रगमच पर आ जाता है (कहोदपान); या वह चक्कु-मन्यन के बहने श्लोक से ऐसा कुछ कहता है जिसके पात्र के आगमन की सूचना भिल जाती है (प्रवृत्तक), या वह स्हृंता है, 'यह देखो वह आ क्या', प्रोट पात्र लच पर आ जाता है (प्रयोग-तिथय)। किर वह वीरी के बताये हुए नेहत अयो दा भी सहारा लेता है। ये तेह अग विशेष प्रकार की उत्तियाँ हैं। ये हैं: (1) उदात्तक (गृह प्रस्तोतर), (2) अवलंगित (एक-दूसरे से गटे हुए कार्यों के सूचक वाक्य), (3) प्रपञ्च (हैंसानेवाली पारस्परिक मिथ्या स्तुति), (4) निषत (शब्द-साम्य से अनेक अयो की शोजना), (5) छलन (चिरनी-बुपड़ी से बहकाना), (6) वाकेन्दी (आधा बहुकर वाचो के भाष्य लेने योग छोड़ देना), (7) अधिवत (बढ़-बढ़ाव बातें करना), (8) गष्ट (गम्भद से भिन्न का उपस्थित हो जाना), (9) अप्यस्थिति (मरण बात कहुकर मुहरते का प्रयत्न), (10) नातिका (गृह-वचन), (11) अप्यप्रवाग (उत्पादांग, डोगेता), (12) आहार (हैंसाने के लिए कुछ-कानुकृत बद देना), और (13) भृत्य (दोष के गुण और गुण को दोष बतार देना)।

ब्रह्मा से कहा कि "तुमने जो इस नाट्य की सृष्टि की है वह यशस्य है, शुभ है, पुण्य है और बुद्धि-विवर्धक भी है। परन्तु मैंने सन्ध्या-काल में नृत्य करते समय 'नृत्त' को स्मरण किया है, जो अनेक करणों से सयुक्त है और अगहारों से विभूषित है। पूर्वरग की तुम्हारी विधि 'शुद्ध' है, इसमें इस 'नृत्त' को जोड़ दोगे तो वह 'चित्र' हो जायेगा, अर्थात् उसमें वैचित्र्य आ जायेगा।" फिर शिव ने करणों और अंगहारों की विधि बतायी और ब्रह्मा ने ताण्डव-नृत्य का भी नाटक में समावेश किया। यह चौथा संस्कार था। भारतीय परम्परा के अनुमार इन चार कक्षाओं का अतिक्रमण करने के बाद 'नाट्यशास्त्र' पूर्णग हुआ। इसे ऐतिहासिक विकास कहा जा सकता है।

#### 4. नाट्यशास्त्र किसके लिए ?

भारतीय 'नाट्यशास्त्र' तीन प्रकार के लोगों को दृष्टि में रखकर लिखा गया है। 'दशरूपक' आदि परबर्ती ग्रन्थों की तरह वह केवल नाटक लिखनेवाले कवियों के लिए मार्गदर्शक ग्रन्थ-मात्र नहीं है। सच पूछा जाये तो वह अभिनेताओं के लिए ही अधिक है, नाटककारों और नाटक समझनेवाले सहृदयों के लिए कम। जब तक 'नाट्यशास्त्र' के इस रूप को नहीं समझा जायेगा, तब तक इस विशाल ग्रन्थ के महत्त्व का अनुभव नहीं किया जा सकेगा। सबसे पहले 'नाट्यशास्त्र' नाटक के अभिनेताओं को दृष्टि में रखकर लिखा गया। इस ग्रन्थ में करण, अंगहार, चारी आदि की विधियाँ, जो विस्तारपूर्वक समझायी गयी हैं, नृत्य, गीत और वेश-भूपा का जो विस्तृत विवेचन है, वह भी अभिनेताओं को ध्यान में रखकर किया गया है। रंगमंच का विधान अभिनेताओं की सुविधा को ही दृष्टि में रखकर किया जाता था। साधारणतः रंगमंच या प्रेक्षागृह तीन प्रकार के होते थे। जो बहुत बड़े होते थे वे देवताओं के प्रेक्षागृह कहलाते थे और 108 हाथ लम्बे होते थे; दूसरे राजाओं के प्रेक्षागृह होते थे, जो 64 हाथ लम्बे और इनमें ही चौड़े होते थे; तीसरे प्रकार के प्रेक्षागृह विभुजाकार होते थे और उनकी तीनों भुजाओं की लम्बाई 32 हाथ होती थी। सम्भवतः दूसरी श्रेणी के प्रेक्षागृह ही अधिक प्रचलित थे। ऐसा जान पड़ता है कि राजभवनों में और बड़े-बड़े ममुद्धिशाली भवनों में ऐसे प्रेक्षागृह स्थायी हुआ करते थे। 'प्रतिमा' नाटक के आरम्भ में ही राजभवन में नेपथ्यशाला की बात आयी है। राजा रामचन्द्र के अन्त पुर में एक नेपथ्यशाला थी, जहाँ रंगभूमि के लिए वल्कल आदि सामग्री रखी हुई थी। साधारण नागरिक विवाह तथा अन्य उत्सवों के समय अस्थायी रूप में छोटी-छोटी प्रेक्षण-शालाएँ, जो तीसरी श्रेणी की हुआ करती थी, बनवा लिया करते थे। प्रेक्षण-शालाओं का निर्माण अभिनेता की सुविधा के लिए हुआ करता था। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि रंगभूमि में अभिनय करनेवालों की आवाज अन्तिम किनारों तक अनायास पहुँच सके और सहृदय-दर्शकगण उनकी प्रत्येक भाष्य-मंगिमा को आसानी से देख सकें।

'अभिनव भारती' से पता चला है कि 'नाट्यशास्त्र' के पूर्ववर्ती टीकाकार

ऐसा ही मानते थे कि यह शास्त्र अभिनेता, कवि और सामाजिक को शिक्षा देने के लिए लिया गया है, पर स्वयं अभिनवगुप्त ऐसा नहीं मानते। उनका कहना है कि 'नाट्यशास्त्र' केवल कवियों और अभिनेताओं को शिक्षित करते के उद्देश्य से ही बना था। उनका मत भारम्भ के पाँच प्रश्नों के विश्लेषण पर आधारित है। नेकिन पूरे 'नाट्यशास्त्र' को पढ़ने पर पूर्ववर्ती टीकाकारों की बात ही मात्र जान पड़ती है।

'नाट्यशास्त्र' रगमंच के निर्माण को बहुत महत्व देता है। भूमि-निर्वाचन से लेकर रंगमंच की किया तक वह बहुत सावधानी से संभाला जाता था। सम, स्थिर और कठिन भूमि तभा काली या गीर वर्ण की मिट्टी शुभ मानी जाती थी। भूमि को पहले हस्त से जोता जाता था। उसमें से जस्ति, कील, कपाल, तृण, गुलमादि को साफ किया जाता था, उसे सम और पटसर बनाया जाता था और तब प्रेक्षागृह के नापने की विधि शुरू होती थी। 'नाट्यशास्त्र' को देखने से पता चलता है कि प्रेक्षागृह का नापना बहुत महत्वपूर्ण कार्य समझा जाता था। माप के समय सूत का टूट जाना बहुत भ्रमगलजनक समझा जाता था। सूत ऐसा बनाया जाता था, जो सहज ही न टूट सके। वह या तो कपास से बनता था या बेर की छाल से बनता था या मूंज से बनता था और किसी वृक्ष की छाल की मजबूत रस्सी भी काम में लायी जा सकती थी। ऐसा विश्वास किया जाता था कि यदि सूत आधे से टूट जाये तो स्वामी की मृत्यु होती है, तिहाई से टूट जाये तो राज-कोप की आशका होती है, चौथाई से टूटे तो प्रयोक्ता का नार होता है, हाथ-भर से टूटे तो कुछ सामग्री घट जाती है। इस प्रकार सूत-धारण का काम बहुत ही महत्व का कार्य समझा जाता था। तिथि, नक्षत्र, करण आदि की शुद्धि पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता था और इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता था कि कोई कपाय वस्त्रधारी, हीन वर्ष, या चिक्कलांग पुरुष मण्डप-स्थापना के समय अचानक आकर अषुभ कल न उत्पन्न कर दे। लम्भा गाड़ने में भी बड़ी सावधानी बरती जाती थी। लम्भा हित गया, खिसक गया, या कौप गया तो जने के प्रकार के उपद्रवों की सम्भावना मानी जाती थी। रगदाला के निर्माण की प्रत्येक किया में भावाजोगी का डर लगा रहता था। पद-पद पर दूजा, प्रायद्वित और ब्राह्मण-भोजन की आवश्यकता पड़ती थी। भित्ति-कर्म, माप-जोल, चूना पोतना, चिन्त-कर्म, लम्भा गाड़ना, भूमि-शोधन प्रभूति सभी कियाएं बड़ी सावधानी में और आदान-को के साथ की जाती थी। इन बातों को जाने विना यह समझना बड़ा कठिन होगा कि सूतधार का पद इतना महत्वपूर्ण रखा है? उगमी उरा-भोजनानी अभिनेताओं के सर्वेनाश का कारण हो गयी है। नाटक भी गालना का दारगदार गूत्यार पर रहता है।

राजाओं और विजय-यामानों के पड़व और भी अस्यायी रगदालाएं बना ली जाती थी। इन शालायों के दो द्वितीय दूसरा करते थे। एक तो जहाँ अभिनव दूसरा करता था वह स्थान और दूसरा दोनों का स्थान, जिसमें भिन्न-भिन्न धैरियों के तिए उनकी मूर्यांदा के नुगार स्थान नियन दूसरे थे। जहाँ अभिनव होता

था, उसे रंगभूमि (या मध्येष में 'रम') कहा करते थे। इस रंगभूमि के पीछे तिरस्करणी या परदा लगा दिया जाता था। परदे के पीछे के स्थान को नेपथ्य कहा करते थे। यही से सज-धजकर अभिनेतामण रंगभूमि में उतरते थे। 'नेपथ्य' शब्द (नि+पथ+य) में 'नि' उपसर्ग को देवकर कुछ पण्डितों ने अनुमान किया है कि नेपथ्य का धरातल रंगभूमि की जपेक्षा नीचा हुआ करता था, पर वस्तुतः यह उल्टी बात है। असल में नेपथ्य पर से अभिनेता रंगभूमि में उतरा करते थे। सर्वत्र इस किया के लिए 'रगावतार' (रंगभूमि में उतरना) शब्द ही व्यवहृत हुआ है।

### 5. नाट्यधर्मी और लोकधर्मी रूढियाँ

'नाट्यशास्त्र' नाट्यधर्मी रूढियों का विशाल ग्रन्थ है। समे सहज ही अनुमान किया जा सकता है कि वहुत दीर्घकाल में प्रचलित अनेक प्रकार की रूढियाँ इसमें संगृहीत हुई हैं। इसीलिए 'नाट्यशास्त्र' का जो नक्षीभूत थ्रोता है उसे लोक और शास्त्र का बहुत अच्छा ज्ञाता होना चाहिए। उसे बहुत-से इगितों का इतना सूक्ष्म ज्ञान होना चाहिए कि वह अभिनेता की एक-एक अगुली के घुमाव का सकेत ग्रहण कर सके। उसे 'रसशास्त्र' के नियमों का बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए। अभिनेताओं को विविध प्रकार के अभिनय समझाने के बहाने 'नाट्यशास्त्र' का रचयिता अपने लक्ष्यभूत थ्रोताओं को कितनी ही बाते बता जाता है। पन्द्रहवें अध्याय में दो रूढियों की चर्चा है: एक नाट्यधर्मी, दूसरी लोकधर्मी या लोकिकी (15-69)। लोकधर्मी, लोक का युद्ध और स्वाभाविक अनुकरण है। इसमें विभिन्न भावों का सकेत करनेवाली आंगिक अभिनय-भंगिमाओं का समावेश नहीं किया जाता ('अगलीला विवरितम्')। परन्तु अत्यन्त साकेतिक वाक्य और क्रियाएँ, लीलागहार, नाट्योवत रूढियाँ—जैसे जनान्तिक, स्वगत, आकाशभापित आदि; धील, यान, विमान, ढाल, तलवार आदि के सकेत देनेवाली रूढियाँ—तथा अमूर्त भावों का सकेत करनेवाले अभिनय नाट्यधर्मी हैं। लोक का जो सुख-दुःख-क्रियात्मक आंगिक अभिनय है वह भी नाट्यधर्मी है। सक्षेप में रंगमन्त्र पर किये जानेवाले वे सकेतमूलक आंगिक अभिनय नाट्यधर्मी हैं जो सीधे अनुकरण के विषय नहीं हैं।

संस्कृत-नाटकों में 'अभिरूपमूर्यिष्ठा' और 'गुणग्राहिणी' कहकर दर्शक-मण्डली का जो परिचय दिया गया है, वह दर्शकों में इन्हीं नाट्यधर्मी गृह अभिप्रायों को समझने की योग्यता को लक्ष्य करके। ये दर्शक शिक्षित होते थे तब तो निस्सन्देह अभिनय की सभी बारीकियों को समझ सकते थे, परन्तु जो पढ़े-लिखे नहीं होते थे वे भी इन रूढियों को आसानी से समझ लेते थे। भारतवर्ष की यह विशेषता रही है कि ऊँची-से-ऊँची चिन्तन-धारा अपने सहज रूप में सामाजिक जीवन में बदमूल हो जाया करती थी। शास्त्रीय विचार और तर्क-रौली तो सीमित थेनों में ही प्रचलित होती थी, किन्तु मूल सिद्धान्त साधारण जनता में भी जाप होते थे। यही कारण है कि भारतवर्ष में निरक्षार व्यक्ति भी ऊँचे तत्त्व-ज्ञान की बात आसानी से

गमत नेना था। मध्यकाल के निरक्षर गवर्नर्न ने तत्व-ज्ञान सी ओ बातें कही हैं उन्हें देखकर आयुगिक विधित धर्मिण भी चकित हो जाता है। ऐसा जान पड़ा है कि जिन दिनों 'नाट्यशास्त्र' की रचना हुई थी, उन दिनों नाट्यधर्मी रुद्रियों साधारण दर्शकों को भी ज्ञान थी। आजकल जिसे 'क्रिटिकल पाइडांग्स' कहते हैं वही 'नाट्यशास्त्र' का सहीभूत अंत है। 27वें अध्याय में 'नाट्यशास्त्र' में स्पष्ट कहा गया है कि नाटक का तद्धीभूत श्रोता कौन होना चाहिए। उसको सभी इन्द्रियों द्वारा होनी चाहिए, जो व्यक्ति द्वारा वह दृश्य को देखकर दोकानभिभूत न हो सके और आनन्दजनक दृश्य को देखकर उत्सुकित न हो सके, जो इतना संवेदनशील न हो कि दैन्यभाव के प्रदर्शन के समय दीनत्य का अनुभव कर सके, उसे 'नाट्यशास्त्र' प्रेक्षक की मर्यादा नहीं देना चाहता। उसे देख-भाषा के विधान का जानकार होना चाहिए, कला और शिला का विचारण होना चाहिए, अभिनय की वारीकियों का ज्ञान होना चाहिए, रस और भाव का तमसदार होना चाहिए, शब्द-शास्त्र और छन्द-शास्त्र के विधानों ने परिचित होना चाहिए, समस्त मास्तों का ज्ञान होना चाहिए। 'नाट्यशास्त्र' यह मानता है कि सबसे सभी गुण हों, यह सम्भव नहीं है। वरपूर, सामाजिक स्थिति और शास्त्र-ज्ञान का कम-वेशी होना स्वाभाविक है। किर भी इसमें अधिक-से-अधिक गुणों का समावेश होना चाहिए। जकान आदमी शूगार-रस की बातें देता होना चाहता है, वृद्ध लोग घरस्थियान और पुराणों का अभिनय देखने में रस पाते हैं। 'नाट्यशास्त्र' इस शृंखला-भेद को स्वीकार करता है। किर भी वह अस्ता करता है कि प्रेक्षक इतना सहृदय होगा कि अभिनय के अनुकूल अपने को रसग्रही बना सकेगा।

## 6 नाट्य-प्रयोग का प्रमाण लोक-जीवन है

यद्यपि 'नाट्यशास्त्र' नाट्यधर्मी रुद्रियों का विशाल संप्रहृ-प्रन्थ है, तो भी वह मानता है कि नाटक की वास्तविक प्रेरणा-मूलि और वास्तविक कसोटी भी लोक-चित्त ही है। परवर्ती-काल के अलंकार-शास्त्रियों ने इस तथ्य को भूता दिया, परन्तु भरत मुनि ने इस तथ्य पर बड़ा जोर दिया था। उच्चीसवें अध्याय में उन्होंने चिस्तारपूर्वक अभिनय-विधियों का निर्देश किया है। परन्तु साथ ही यह भी बता दिया गया है कि दुनिया यही नहीं समाप्त हो जाती। इस स्थावर जंगम चराचर सूष्टि का कोई भी शास्त्र कहाँ तक हिसाय बता सकता है! लोक में न जाने वित्तनी प्रकार की प्रकृतियाँ हैं। नाटक चाहे बंद या अध्यात्म से उत्पन्न हो तो भी वह तभी सिद्ध होता है जब वह लोक-सिद्ध हो; क्योंकि नाट्य लोक-स्वभाव से उत्पन्न होता है। इसीलिए नाट्य-प्रयोग में लोक ही सबसे बड़ा प्रमाण है:

वैदाध्यात्मोपयनं तु शब्दच्छन्दः समन्वितम् ।

लोकसिद्धं भवेत् सिद्धं नाट्यं लोकस्वभावम् ।

तम्मात् नाट्यप्रयोगे तु प्रमाणं लोक इत्यते । (26-113)

उन्होंने यही तक कहा है कि जो शास्त्र, जो धर्म, जो शिल्प और जो क्रियाएँ

लोकधर्मप्रवृत्त हैं, वे ही नाट्य कही जाती हैं ।

मानि शास्त्राणि ये धर्मा यानि शिल्पानी या: क्रिया ।

लोकधर्मप्रवृत्तानि तानि नाट्य प्रकीर्तितम् ॥

इसलिए लोक-प्रवृत्ति नाटक की सफलता की मुख्य कसौटी है। फिर भी अभिनेता को उन वारीक विधियों का ज्ञान होना चाहिए, जिनके द्वारा वह सहृदय श्रोता के चित्त में आसानी से विभिन्न शीलों और प्रकृति की अनुमूलि करा सके। इसलिए जहाँ तक अभिनेता का प्रश्न है, उसे 'प्रयोगज्ञ' अवश्य होना चाहिए। वाचिक, नेपथ्य-सम्बन्धी और आंगिक जितने भी अभिनय शास्त्र में बताये गये हैं वे अभिनेता को प्रयोगज्ञ बनाने की दृष्टि से, क्योंकि जो अच्छा प्रयोग नहीं जानता वह सिद्धि भी नहीं प्राप्त कर सकता। शास्त्रकार ने कहा है-

गेयास्त्वभिनयाहु तेवाङ्गेष्यागसश्याः ।

प्रयोगे येन कर्तव्या नाटके सिद्धिमिच्छता ॥ (26-122)

कभी-कभी अभिनेताओं में अपने-अपने अभिनय-कौशल की उत्कृष्टता के सम्बन्ध में कलह उपस्थित हो जाता था। साधारणतः ये विवाद दो थेणियों के होते थे—शास्त्रीय और लौकिक। शास्त्रीय विवाद का एक सरल उदाहरण कालिदास के 'मालविकाग्निमित्र' में है। इसमें रस, भाव, अभिनय, भंगिमा, मुद्राएँ आदि विचारणीय होती थी। कुछ दूसरे विवाद ऐसे होते थे जिनमें लोक-जीवन की चेष्टाओं के उपस्थान पर मतभेद हुआ करता था। ऐसे अवसरों पर 'नाट्यशास्त्र' प्राशिनक (असेसर) नियुक्त करने का विधान करता है। प्राशिनक के लक्षण 'नाट्य-शास्त्र' में दिये हुए हैं। यदि वैदिक क्रिया-कलाप-विषयक कोई विवाद होता था तो

पाठ-विस्तार के मामले में वैयाकरण, राजकीय आचरण के विषय में ही तो राजा स्वयं निर्णयिक होता था। राजकीय विभव या राजकीय अन्त पुर का आचरण या नाटकीय सौष्ठुद का मामला होता था तो राजकीय दरबार के अच्छे वक्ता युक्ताये जाते थे। प्रणाम की भंगिमा, आकृति और उसकी चेष्टाएँ, वस्त्र और आचरण की योजना तथा नेपथ्य-रचना के प्रसंग में चित्रकारों को निर्णयिक बनाया जाता था, और स्त्री-पुरुष के परस्पर-आकर्षणवाले मामलों में गणिताएँ उत्तम निर्णयिक समझी जाती थी। मृत्यु के आचरण के विषय में विवाद उपस्थित हुआ तो राजा के भूत्य प्राशिनक होते थे (27-63-67)। अवश्य ही जब शास्त्रीय विवाद उपस्थित हो जाता था तो शास्त्र के जानकारों की नियुक्ति होती थी। इस प्रकार 'नाट्य-शास्त्र' ने स्पष्ट रूप से निर्देश किया है कि लोकधर्मी विधियों की कसौटी लोक-जीवन ही है।

## 7. शास्त्र के विभिन्न अंग

जैसा कि ऊपर बताया गया है कि नाट्य-वेद में दो वस्तुएँ हैं : विधि और शास्त्र।



वेणु दोनों ही गे निहलते हैं। जातोद वार प्रसार के हैं तत्, अवनद्व, घन और मुपिर। इनमें तारवाले वाजे तत् हैं, मृदगादि प्रयत्नद्व हैं, ताल देनेवाले घन हैं और वंशी मुपिर (छिद्रगुक्त) हैं। गान पांच प्रसार के होते हैं, प्रवेश, आधोप, निष्काष्य, प्रासारिक और ध्रुवावेग। रणन तीन प्रसार के होते हैं, चतुरस्त्र, विकृष्ट और मिथ। संधोप में यही शास्त्र के विषय है।

'एवमेषोऽप्सूत्रार्थो व्यादिश्ये नाट्यसग्रहः'

इन्ही 11 विषयों के विस्तृत विवेचन को नाट्य-वेद का शास्त्र-अंग कहा गया है। यह विधि में भिन्न है। इनके अनेक भेदोपभेदों का ज्ञान कराया गया है और मुक्तिपूर्वक बताया गया है कि इनका प्रयोग क्य, क्यों और कैसे किया जाना चाहिए! विधि अवश्य करणीय है। उगमे तर्क नहीं किया जा सकता। किन्तु शास्त्र तर्क और ऊहापोह से युक्त है। उसमें शंका और समाधान के लिए स्थान है और वौद्धिक विवेचन की गुजाइश है।

### 8. वर्तमान 'नाट्यशास्त्र'

'नाट्यशास्त्र' के कई संस्करण प्रकाशित हुए। 'हाल' ने 1965ई में अपने सम्पादित 'दशाखण्ड' के परिशिष्ट में 'नाट्यशास्त्र' के 18वें, 20वें और 34वें अध्याय का प्रकाशन कराया था। पी. रेगनाड ने भी 'नाट्यशास्त्र' के 14वें और 15वें अध्याय और 1884ई में 'रेटारिके संस्कृते' में 6वें और 7वें अध्याय का प्रकाशन कराया। निर्णयसामग्र प्रेस से 'काव्यमाला सिरीज' में पूरा 'नाट्यशास्त्र' प्रकाशित हुआ और फिर उसके कुछ दिन बाद 1939ई. में काशी में प. बटुकनाथ शर्मा और पं. बलदेव उपाध्याय ने 'काशी संस्कृत सिरीज' (जो प्राय़ 'चौलम्बा संस्कृत सिरीज' के नाम से प्रसिद्ध है) में नाट्यशास्त्र का एक दूसरा तत्करण प्रकाशित कराया। सन् 1926ई. में थी रामकृष्ण कवि ने अभिनवगुप्त की महत्वपूर्ण टीका 'अभिनव-भारती' के साथ 'नाट्यशास्त्र' के प्रथम सात अध्यायों का समादान करके 'गायकवाङ् ओरियटल सिरीज' में प्रकाशित कराया। 8वें से 18वें तक के अध्यायों की दूसरी जिल्द 1934ई. में प्रकाशित हुई और तीसरी जिल्द भी अब प्रकाशित हो गयी है। श्री रामकृष्ण कवि ने नाट्यशास्त्र के विभिन्न संस्करणों का तुलनात्मक विवरण अपनी पुस्तक की भूमिका में दिया है। उस भूमिका में और महामहोपाध्याय डा. पी. वी. काने ने अपने 'हिस्ट्री ऑफ संस्कृत पोयटिक्स' में विस्तारपूर्वक इन संस्करणों में पाये जानेवाले विभिन्न रूपों और पाठ-भेदों की चर्चा की है। उससे लगता है कि नाट्यशास्त्र के पाये जानेवाले विभिन्न रूपों में बहुत अन्तर है।

वर्तमान 'नाट्यशास्त्र' से यह स्पष्ट है कि नाट्यशास्त्र की परम्परा बहुत पुरानी है: 6ठे, 7वें तथा अन्य अध्यायों में भी लम्बे-लम्बे गद्याश धार्ये हैं, जो निश्चित और महाभाष्य की नीली में लिखे गये हैं। कम-से-कम 15 लोक और 16 अध्याये आनुवंश्य अर्थात् वशानुक्रम में प्राप्त बतायी गयी हैं। कुछ सूत्रानुवद

पूर्णवे वाचन वर्त पूर्णवे विषेश विषेश वर्तवी दक्षी है। उद्देश्यान्वये  
पूर्णवे-विषेश के पूर्णवे के बारे पूर्णवे के विषेश वर्तवा वा उन्हें है :

1. वाचन है, और वाचन वर्तवा है?
2. वाचन है, और विषेश पूर्णवे विषेश वर्तवा है?
3. विषेश वर्तवी है?
4. विषेश वर्तवा है?
5. विषेश विषेश है?

भास्तु मुनि ने उत्तर में बताया, “पूर्णवे वर्तवा और विषेश वर्तवा है, इसीले  
नाट्य वा और वर्तवा वही है। अतिन वर्तवे में पूर्णवे में नाट्य का रमायाद  
पश्चह में जान लोकों को बनाऊँगा।” उद्देश्य वाचन विषेश पूर्णवे और भास्तु में दोनों  
विस्तारपूर्ण एवं विषेश हैं। उनसा गतिः प्रथम विषेश वर्तवा है और उन्होंने  
‘नाट्यवाचन’ का संष्टु उद्देश्य में बनाया। यह लोक है :

रमायाद्वाभिनया पर्मो द्विग्रन्तव्यः।

मिहिः स्वास्तवातोर्यं गानं रण च गष्ठह॥

अपांत् ‘नाट्यवाचन’ के संदेश में इनमें विषेश है :

1. रथ, 2. भाव, 3. अभिनय, 4. पर्मो, 5. विषि, 6. ग्रन्ति, 7. मिहिः,  
8. स्वर, 9. आतोष, 10. गान, और 11. रण।

इस गष्ठहरत्तोष में भरत मुनि ने ‘नाट्यवाचन’ के 11 विषेशों का निरूपण दिया  
है। प्रारम्भ में इनका गधोर में विवरण दिया है और वाद में विस्तारपूर्ण व्याख्या  
की है। वस्तुतः इन 11 विषेशों का विवरण ही वास्तव है। साप्त जान पड़ा है कि  
इन द्वयोंको के लिये जाने के पूर्व इन विषेशों पर गृह, रासिरा और भाव्य लिये जा  
चुके थे और इन द्वयों की निरूपित भी यतानी जा नहीं पो। एडे, गानवे और आठवें  
अध्याय में गृह भी है और कारिगारें भी है, प्रत्येक द्वय की निरूपित भी यतामो  
गयी है। गव्य में इन विषेशों की जो व्याख्या ही गयी है, वह वृत्त-कुछ भाव्य की

चर्चा कर दी है। उन्होंने बताया है कि शृंगार, हास्य आदि आठ रस हैं, रति-हास्य  
आदि आठ स्थायी भाव हैं, इनके अतिरिक्त स्वेद, स्तम्भ आदि आठ सात्त्विक भाव  
हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर भावों की संख्या 49 है। काव्य-रसिकों के निरूप में  
भाव काफी परिचित है, अतएव हम उनका नाम नहीं गिना रहे हैं। आगे बताया  
गया है कि अभिनय चार प्रकार के होते हैं : 1. आगिक, 2. वाचिक, 3. आहार्य,  
और 4. सात्त्विक। धर्मी दो है : 1. लोकधर्मी, 2. नाट्य-धर्मी। जिन वृत्तियों में  
नाट्य प्रतिष्ठित होता है वे चार हैं : भारती, सत्यती, कैशिकी और आरभटी।  
प्रवृत्तियों पाँच हैं : अवन्ती, दक्षिणात्या, मागधी, पाचाली और मध्यमा। सिद्धियों  
दो प्रकार की है : दैविकी और मानुषी। पहला प्रभृति सात स्वर है जो मुख और

वैषु दोनों ही में निहलते हैं। आतोय नार प्रकार के हैं तत्, अवनदृ, घन और सुपिर। इनमें तारवातं वाजे तत् है, मृदगादि जपनदृ है, ताल देनेवाले घन हैं और धंशी सुपिर (छिद्रगुकत) है। गाल पौव प्रकार के होते हैं प्रबैण, आक्षेप, निष्काप्य, प्रामारिक और ध्रुवावेष। रथमंत तीन प्रकार के होते हैं चतुरख, विकृष्ट और मिथ। संधोप में यही शास्त्र के विषय है।

‘एवमेयोज्यमूलार्थी व्यादिश्ये नाट्यसग्रह’

इन्हीं 11 विषयों के विस्तृत विवेचन को नाट्य-वेद का शास्त्र-अग कहा गया है। यह विधि रो भिन्न है। इनके अनेक भेदोपभेदों का ज्ञान कराया गया है और युक्तिगूर्वक बताया गया है कि इनका प्रयोग क्य, क्यों और कैसे किया जाना चाहिए। विधि अवश्य करणीय है। उसमें तर्क नहीं किया जा सकता। किन्तु शास्त्र तक और ऊहापोह से नुक्त है। उसमें शका और समाधान के लिए स्थान है और वीद्विक विवेचन की युजाइय है।

## 8. वर्तमान 'नाट्यशास्त्र'

'नाट्यशास्त्र' के कई संस्करण प्रकाशित हुए। 'हाल' ने 1965 ई. में अपने सम्पादित 'दशहपक' के परिशिष्ट में 'नाट्यशास्त्र' के 18वें, 20वें और 34वें अध्याय का प्रकाशन कराया था। पी. रेगनाड ने भी 'नाट्यशास्त्र' के 14वें और 15वें अध्याय और 1884 ई. में 'रेटोरिके संस्कृते' में 6वें और 7वें अध्याय का प्रकाशन कराया। निर्णयदाता प्रेस से 'काव्यमाला सिरीज' में पूरा 'नाट्यशास्त्र' प्रकाशित हुआ और फिर उसके कुछ दिन बाद 1939 ई. में काशी में प. बटुकनाथ शर्मा और पं. वलदेव उपाध्याय ने 'कामी संस्कृत सिरीज' (जो प्रायः 'चौलम्बा संस्कृत सिरीज' के नाम से प्रसिद्ध है) में नाट्यशास्त्र का एक दूसरा संस्करण प्रकाशित कराया। सन् 1926 ई. में श्री रामकृष्ण कवि ने अभिनवगुप्त की महस्त्वपूर्ण दीका 'अभिनव-भारती' के साथ 'नाट्यशास्त्र' के प्रथम सात अध्यायों का सम्पादन करके 'गायकवाड़ जोरियटल सिरीज' में प्रकाशित कराया। 8वें से 18वें तक के अध्यायों की दूसरी जिल्द 1934 ई. में प्रकाशित हुई थी और तीसरी जिल्द भी अब प्रकाशित हो गयी है। श्री रामकृष्ण कवि ने नाट्यशास्त्र के विभिन्न संस्करणों का तुलनात्मक विवरण अपनी पुस्तक की भूमिका में दिया है। उस भूमिका में और महामहोपाध्याय डा. पी. पी. काने ने अपने 'हिस्ट्री ऑफ संस्कृत पोयटिक्स' में विस्तारपूर्वक इन संस्करणों में पाये जानेवाले विभिन्न रूपों और पाठ-भेदों की चर्चा की है। उससे लगता है कि नाट्यशास्त्र के पाये जानेवाले विभिन्न रूपों में बहुत अन्तर है।

वर्तमान 'नाट्यशास्त्र' से यह स्पष्ट है कि नाट्यशास्त्र की परम्परा बहुत पुरानी है: 6ठे, 7वें तथा अन्य अध्यायों में भी लम्बे-लम्बे गद्यांश आये हैं, जो निरुक्त और महाभाष्य की दीली में लिये गये हैं। कम-से-कम 15 श्लोक और 16 आर्याएँ आनुवंश अर्थात् वंशानुक्रम से प्राप्त व्रतायी गयी हैं। कुछ मूलानुवद

आर्याएँ हैं, जो इलोकरूप में लिसे हुए मूर्त्तों की व्याख्या है। इन्हें सूत्रानुवद्ध या सूत्रानुविद्ध आर्या कहा गया है। लगभग सौ पद्म ऐसे हैं जिन्हें 'अत्त इलोका:' या 'अत्तार्या' कहकर उद्धृत किया गया है और जिनके बारे में अभिनवगुप्त ने कहा है कि ये प्राचीन आचार्यों के कहे हुए इलोक हैं।<sup>1</sup> इससे महज ही अनुमान किया जा सकता है कि वर्तमान 'नाट्यशास्त्र' में पूर्व-परम्परा के अनेक तत्त्व मिलते हैं। नाट्यशास्त्र में कुछ अश निश्चय ही बहुत पुराना है। उपलब्ध नाट्यशास्त्र का लेखक स्वीकार करता है कि वह परम्परागत मूर्त्तों का हयाता दे रहा है, जबकि आरम्भिक अध्यायों में यह भी कहता है कि यह सबसे पहला प्रथास है। पणिनि ने अपनी 'अष्टाध्यायी' में कृशाश्व और शिलालि नाम के दो सूत्र-कर्त्ताओं का उल्लेख किया है। यह आश्चर्य की बात है कि वर्तमान 'नाट्यशास्त्र' में मानो प्रथलपूर्वक इन दो आचार्यों का नाम छोड़ दिया गया है। सम्भवतः वर्तमान रूप के लेखक या सम्पादक को इस शास्त्र की सर्वप्रथमता सिद्ध करने के लिए यह आवश्यक लगा हो। ('भाव-प्रकाशन' में वासुकि नाम के एक प्राचीन आचार्य का यह मत उद्धृत किया गया है कि इन्होंने भी भावों से उसका उत्पन्न—रससम्भवः—होना बताया है और प्रमाण-स्वरूप 'नाट्यशास्त्र' का एक इचोक उद्धृत किया है,<sup>2</sup> जो वर्तमान 'नाट्यशास्त्र' में 'भवन्ति चात्वर्षोकाः' कहकर उद्धृत किया है।) अनुमान किया जा सकता है कि किसी वासुकि नाम के आचार्य की किसी कृति से वर्तमान 'नाट्यशास्त्र' का लेखक परिचित अवश्य था, परन्तु उनका नाम देना कारणवश उचित नहीं समझा। पाणिनि ने जिन दो आचार्यों का उल्लेख किया है उनकी कुछ बातें भी इन परम्परा-प्रत्पत्ति कारिकाओं या मूर्त्रों में आयी हैं या नहीं, यह कहना कठिन है। नन्दिकेश्वर, तण्डु (यह भी अभिनवगुप्त के मत से नन्दिकेश्वर का ही दूसरा नाम है), कोहल आदि आचार्यों का नाम लेकर उल्लेख है और 'गन्धवर्वेद' नामक शास्त्र की भी चर्चा है। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वर्तमान 'नाट्यशास्त्र' का लेखक ऐसे लोगों का नामतः उल्लेख करने में नहीं हिचकता, जिनकी प्रसिद्धिदेवकोटि के लेखकों में है, परन्तु मनुष्य-कोटि के लेखकों का वह जान-बूझकर नाम नहीं लेना चाहता। उद्देश्य है, शास्त्र की सर्वप्रथमता खण्डित न होने देना। कोहल को मनुष्य-कोटि का आचार्य माना गया है, इसलिए भविष्यवाणी के रूप में<sup>3</sup> इनका उल्लेख किया गया है और प्रथम अध्याय में इन्हे भरत के पुत्रों में गिनाया गया है।

ऐसा जान पड़ता है कि 'नाट्यशास्त्र' का कुछ अश काफी पुराना है। महामहोपाध्याय डॉ. पी. वी. काने का अनुमान है कि वर्तमान 'नाट्यशास्त्र' का छठा और सातवां अध्याय (रसभाव-विवेचन), 8वें से 14वें तक के अध्याय (जिनमें अभिनव का सविस्तार विवेचन है) तथा 17वें से 35वें तक के अध्याय किसी एक समय

1. 'अभिनव भारती', 1, 6, प. 328

2. भा. प्र., प. 36-37

3. वही, प. 36-65

ग्रथित हुए थे। उठे और सातवें अध्याय के गद्य-अद्या और आर्याएँ सन् ईसवी के दो सौ वर्ष पूर्व लिखी जा चुकी थीं। वर्तमान 'नाट्यशास्त्र' को जब अन्तिम रूप दिया गया तब ये जोड़ी गयीं। आगे चलकर उन्होंने बताया है कि सन् ईसवी की तीसरी या चौथी शताब्दी में 'नाट्यशास्त्र' को नये सिरे से सजाया गया और उसमें मूल-भाष्य शैली के गद्य, पुरानी आर्याएँ तथा इलोक और जोड़े गये और नवीन रूप देनेवाले सम्पादक ने भी कुछ व्याख्यात्मक कारिकाएँ लिखकर जोड़ीं। डॉ. काने ने इसके पक्ष में अनेक प्रमाण दिये हैं जिनमें स्त्रीनार करने में किसी को आपत्ति नहीं होगी।

ऊपर की विवेचनाओं से यह भी स्पष्ट है कि भरत के 'नाट्यशास्त्र' का वर्तमान रूप अनेक परम्परा-प्राप्त शास्त्रों का समन्वित रूप है और कुछ परवर्ती भी है। इसका अन्तिम सम्पादन कब हुआ था यह कहना कठिन ही है, परन्तु सन् ईसवी की तीसरी शताब्दी तक उसने यह रूप अवश्य ही ले लिया होगा; क्योंकि कालिदास-जैसे नाटककार को इस शास्त्र का जो रूप प्राप्त था वह बहुत-कुछ इसी प्रकार का था। इस बात के लिए विद्वानों ने प्रमाण दिये हैं।

## 9. 'नाट्यशास्त्र' के लक्ष्यभूत पाठक

वर्तमान 'नाट्यशास्त्र' मूलतः तीन प्रकार के पाठकों को ध्यान में रखकर लिखा गया है। प्रथम और मुख्य लक्ष्य तो अभिनेताओं को शिक्षा देने का है। इन लोगों को 'नाट्यशास्त्र' गरत-पुत्र कहता है। 'नाट्यशास्त्र' का यह भी प्रयत्न है कि अभिनेताओं को सामाजिक दृष्टि से ऊँची मान्यता प्राप्त हो। दूसरे लक्ष्यभूत श्रोता, प्रेक्षक या सामाजिक है। भारतीय 'नाट्यशास्त्र' प्रेक्षकों में अनेक गुणों की आवा रखता है। सस्कृत-नाटकों और शास्त्रीय संगीत और अभिनय के द्रष्टा को कैसा होना चाहिए, इस विषय में 'नाट्यशास्त्र' ने स्पष्ट रूप में कहा है (27-51 और आगे) कि उराकी सभी इन्द्रिय दुर्लक्ष होनी चाहिए; ऊहापोह में उसे पटु होना चाहिए (अर्थात् जिसे आजकल 'क्रिटिकल आइंस' कहते हैं, वैसा होना चाहिए), दीप का जानकार और रामी होना चाहिए। जो व्यक्ति शीक से शोकान्वित न हो सके और आनन्दजनक दृश्य देखकर आनन्दित न हो सके, अर्थात् जो सबेदनशील न हो, उसे 'नाट्यशास्त्र' प्रेक्षक या दर्शक का पद नहीं देना चाहता। इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए 'नाट्यशास्त्र' अनेक प्रकार की नाट्य-रुदियों का विवेचन करता है और ऐसे इमित बताता है जिसमें दर्शक रंगमंच पर अभिनय करनेवाले व्यक्तियों के आकार, इमित-चेष्टा और भाषा द्वारा बहुत-कुछ अनायास ही समझ ले। 'नाट्यशास्त्र' में ऐसी नाट्य-रुदियों का विस्तारपूर्वक संग्रह किया गया है जो दर्शक को रसानुभूति में सहायता पढ़ना मरनी हैं। जैसा कि ऊपर

यामांचा गया है, अभिनव मुद्रा गामारिक को नाट्य-सिध्दा रा उपयुक्त पार नहीं मानते। पर यह वाच गंगत नहीं बात पड़ती। लोगों तकनीभूत खोला कर्वा का नाटकासार है। गाम्भार नाटकों के निकन्धन को विधियों बताता है और कथा के विभिन्न प्रवयों और प्रभिन्न को विभिन्न ऐष्टाओं के संबोध से चरित्र और पटना-प्रवाह के परस्पर प्राप्तात प्रत्यापारा द्वारा विहगित होनेवाले नाटकीय रसानुभूति के गूढ़म लोगों का परिचय दिया है। यह प्राप्ता करता है कि विधि या नाटकासार उन गृहण कोशिंह का अच्छा जानकार होना और कथा का एक

प्राप्ति का अनुभव होना चाहिए। इन गृहणों की विधियों को लेकर विश्वासी विधि या नाटकासार को ही ध्यान में रखकर एटोटे-एटोटे ग्रन्थों की रचना की गयी है। 'दशरूपक' ऐसा ही ग्रन्थ है। उगाढ़ा मुम्य उद्देश्य नाटकासारों को नाट्य-निकन्धन की विधि बताना है। प्रभिनेता उगाढ़ी दृष्टि में वहूत रुम है और गहूदग व्रेधाह वहूत गोण हूप से है। आगे इसी राधोपीकरण की प्रवृत्ति पर विचार हिया जायेगा।

## 10. परवर्ती नाट्य-ग्रन्थ

कई परवर्ती आचार्यों ने 'नाट्यशास्त्र' की टीका या भाष्य लिये हैं। इनमें अभिनव-गुप्त की 'अभिनव-भागती' प्रसिद्ध है। यह ग्रन्थ अब प्रसादित हो चुका है। कीतिघर, नाम्यदेव, उद्भट, शुक्र आदि की टीकाओं की चर्चा तो मिल जाती है, पर वे अभी तक उपलब्ध नहीं हुए हैं।

'नाट्यशास्त्र' (चौकम्या सत्तरण) के बीतर्वे अध्याय में दशरूप-विधान, इश्वरीसर्वे में सत्यियों और उनके जंगों तथा वाईरावे अध्याय में वृत्तियों का विस्तार-पूर्वक उल्लेख है। इन अध्यायों से सामग्री लेकर कई आचार्यों ने ग्रन्थ लिये हैं। इनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध है, प्रबन्ध का 'दशरूपक', जिस पर उनके भाई धनिक की व्याख्या (वृत्ति) है। ये दोनों जाचार्य भाई हैं और सन् ईसवी की दशवी शताब्दी के पन्त में हुए हैं। इनके अतिरिक्त सागर नन्दी का 'नाटक लक्षण रत्न-कोश' (११वीं शताब्दी), रामचन्द्र और गुणचन्द्र का 'नाट्यदर्पण' (१२वीं शताब्दी का अन्त्य भाग), सारदातन्त्र का 'भाव-प्रकाशन' (१३वीं शती), रिणभूषाल की 'नाटक-परिभाषा' (१४वीं शताब्दी), रूप गोस्वामी की 'नाटक-जनिद्रिका' (१५-१६वीं शताब्दी), मुन्दर मिश्र का 'नाट्य प्रदीप' (१७वीं शताब्दी) आदि ग्रन्थ हैं। इन सबका आधार भरत मुनि का 'नाट्यशास्त्र' ही है। भोजराज (११वीं शताब्दी) ने 'शृगारप्रकाश' और 'सरस्वती कण्ठाभरण' में अन्य काव्योंगों के साथ नाटक का भी विवेचन किया है। हेमचन्द्राचार्य के 'काव्यानुशासन' में भी कुछ नाटकों की विवेचना है। विद्यानाथ के 'प्रतापशश्च यजोभूषण' और विश्वनाथ के 'साहित्यदर्पण' में काव्य के अन्य अंगों के विवेचन के साथ नाट्य-विवेचन है। अन्तिम ग्रन्थ अधिक सद्गुर है।

इन नये ग्रन्थों का मुख्य उद्देश्य कवि को नाटक लिखने की विधि बताना है। इनमें कथावस्तु, नायक-नायिका, रस-विचार, रूपक-लक्षण आदि का विस्तार है। यद्यपि इन सबका मूल भरत का 'नाट्यशास्त्र' ही है, तथापि इनमें परस्पर मनभेद भी कम नहीं है। इनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध है 'दशरूपक'।

## 11. 'दशरूपक'

'दशरूपक' के लेखक विष्णु-पुष्प धनञ्जय हैं जो मुङ्गराज (974-995ई.) के समासद थे। भरत के 'नाट्यशास्त्र' को अन्ति विस्तीर्ण समझकर उन्होंने इस ग्रन्थ में नाट्य-शास्त्रीय उपयोगी वातों को सक्षिप्त करके कारिकाओं में यह ग्रन्थ लिखा। कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाये तो अधिकादा कारिकाएँ अनुष्टुप् छन्दों में लिखी गयी हैं। संक्षेप में लिखने के कारण ये कारिकाएँ दुर्लभ भी हो गयी थीं। इसीलिए उनके भाई धनिक ने कारिकाओं का अमं स्पष्ट करने के उद्देश्य से इस ग्रन्थ पर 'अवलोक' नामक वृत्ति लिखी। यह वृत्ति न होती तो धनञ्जय की कारिकाओं का समझना कठिन होता। इसलिए पूरा ग्रन्थ वृत्ति-सहित कारिकाओं को ही समझना चाहिए। धनञ्जय और धनिक दोनों का ही महत्व है।

भरत मुनि के 'नाट्यशास्त्र' के बीसवें अध्याय को 'दशरूप-विवरण' (20.1) या 'दशरूप-विधान' कहा गया है। इसी आधार पर धनञ्जय ने अपने ग्रन्थ का नाम 'दशरूपक' दिया है। 'नाट्यशास्त्र' में निम्नांकित दस रूपकों का विवरण है। नाटक, प्रकरण, अक (उत्सृज्दिकाक), व्यायोग, भाषा, समवकार, वीथी, प्रहसन, डिम और इशामृग। एक ग्यारहवें रूपक 'नाटिका' की सच्चा भी भरत के 'नाट्यशास्त्र' और 'दशरूपक' में आयी है। परन्तु उसे स्वतन्त्र रूपक नहीं माना गया है। भरत ने नाटिका को नाटक और प्रकरण में अन्तर्भूत कर दिया है (20.64)। परवर्ती आवार्यों में रामचन्द्र और गुणचन्द्र ने अपने 'नाट्य-दर्पण' में नाटिका और प्रकरणिका को दो स्वतन्त्र रूपक मानकर रूपकों की सह्या 12 कर दी है तथा विश्वनाथ ने नाटिका और प्रकरणी को उपरूपक मानकर रूपकों की संख्या दस ही मानी है। धनञ्जय ने भरत का अनुसरण करते हुए नाटिका का उल्लेख तो कर दिया है, पर उसे स्वतन्त्र रूपक नहीं माना। रूपकों के भेदक तत्त्व हैं कथा-वस्तु, नायक और रस। नाटिका में ये तीनी नाटक और प्रकरण में भिन्न नहीं हैं, इसलिए भरत मुनि ने 'नाट्यशास्त्र' (20, 62-64) में इसे नाटक और प्रकरण के भावों पर जाग्रित कर दिया था। धनञ्जय ने उसी का अनुसरण किया है। इस प्रकार रूपकों की संख्या दस बनाये रखकर वे मंगलाचरण में विष्णु के दग्ध (अवतार) रूपों के साथ समानता बताकर इसेप करने का अवसर भी पा गये हैं।

## 12. रूपकों के भेदक तत्त्व

जैसा कि ऊपर बताया गया है, धनञ्जय ने कथावस्तु, नायक और रस को रूपकों का भेदक तत्त्व माना है। उन्होंने अपने ग्रन्थ को चार प्रकारों में विभक्त किया है।

इनमें ने प्रथम में कथावस्तु का विवरण है, दूसरे में नायक, तीसरे में पूर्वांग और भारती आदि श्रेणियों और चौथे में रग का विवेचन किया गया है।

यदि वस्तु, नेता और रग की दृष्टि से रूपकों के भेद की कल्पना की जाय तो स्पष्ट ही बहुतर मोटे भेद स्थीकार करने पड़ेगे; यांकि धनञ्जय के मत से कथावस्तु तीन प्रकार की होती है। (1) प्रस्थात (इतिहास-गृहीत), (2) उत्पाद (कल्पित), और (3) मिथ्य। नेता या नायक भी तीन प्रकार के होते हैं: (1) उत्तम, (2) मध्यम, और (3) नीच। स्वभाव ये भी नायक प्रकार के होते हैं: (1) उदात्त, (2) उद्वत्, (3) लतित, और (4) प्रशान्त। पर तीन भेद—उत्तम, मध्यम, नीच—प्रायमिक हैं। रस आठ हैं: शुगार, वीर, करण, वीभत्त, रीढ़, हास्य, अद्भुत और भयानक। धनञ्जय पात्त रस को नाटक में नहीं स्थीकार करते। इस प्रकार वस्तु, नायक और रस-भेद से  $3 \times 3 \times 8 = 72$  भेद हो जाते हैं। परन्तु भरत व्याख्यातिरिक नाट्य-प्रयोग के विवेक थे। उन्होंने उन्हीं दस रूपकों की विवेचना की है जो उनके गमय में प्रचलित थे। और किमी ने भी इस प्रकार रूपक का विभाजन नहीं किया।

### 13 विभिन्न रूपकों की कथावस्तु

कोई भी रूपक हो, उसमें एक कथा होगी। धनञ्जय ने अपने ग्रन्थ के प्रथम प्रकार के उपसंहार में रूपक को 'नेतृ-रसानुगम्या कथा' कहा है। रस मुख्य है, रस और नेता के अनुकूल ही कथा होती है। कवि कथा को या तो रामायण, महाभारत आदि प्रस्थात ग्रन्थों से लेता है या कल्पना द्वारा स्वयं रच लेता है। इस प्रकार प्रस्थात और उत्पाद (कल्पित), ये दो भेद हो जाते हैं। कभी कुछ अंश तो इतिहास-गृहीत होता है और कुछ कल्पित। उस हालत में कथा 'मिथ्र' कही जाती है। कथा का इस प्रकार तीन श्रेणियों में विभाजन करना आवश्यक है; यांकि कवि (नाटककार) के लिए यह बात महत्व की है। प्रस्थात कथा में वह बहुत-कुछ वर्धन में होता है। कल्पित कथा में ये वर्धन नहीं होते। दोनों के संभालने के कोशल में भेद होता है। मिथ्र कथा में भी वर्धन कुछ-न-कुछ रहता ही है। रूपकों की कथावस्तु इस प्रकार अलग-अलग किस्म की हो जाती है:

रूपक का नाम

नाटक

प्रकरण

नाटिका

भाण

प्रहसन

डिम

व्यायोग

कथावस्तु का प्रकार

प्रस्थात

उत्पाद

कथा उत्पाद, किन्तु नायक प्रस्थात

उत्पाद

प्रस्थात

प्रस्थात

दृष्टक का नाम	कथावस्तु का प्रकार
समवकार	प्रस्थात
वीधि	उत्पाद
उत्सृष्टिकाक	प्रस्थात
ईहामूग	मिथ

## 14. आधिकारिक और प्रासंगिक कथा


एक बार नाटककार जब कथा का आहरण या उपकल्पन कर लेता है, तो उसे सरल या जटिल कथा-रूपों में परिणत कर देता है। यह जरूरी नहीं है कि सभी कथावस्तुएँ जटिल ही हों। पर जो जटिल होती है उनमें एक या एकाधिक कथाएँ मुख्य कथा से जुड़ जाती हैं। मुख्य कथा को आधिकारिक और सहायक कथाओं को प्रासंगिक कहते हैं। बहुत-से रूपों का गठन ऐसा होता है कि उनमें प्रासंगिक कथा आ ही नहीं पाती। प्रासंगिक कथाएँ भी दो प्रकार की होती हैं: एक तो वे जो आधिकारिक कथा के समानान्तर दूर तक चलती रहती है, जैसे रामायण में सुग्रीव की कथा; दूसरी वे जो थोड़ी दूर तक चलकर विरत हो जाती हैं, जैसे रामायण में सवरी या जटायु का प्रसंग। पहली को पताका कहते हैं, दूसरी को प्रकरी। पताका और प्रकरी में एक और भेद है। पताका के नायक का कुछ अपना स्वार्थ भी होता है, किन्तु प्रकरी के नायक या नायिका का अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। इस प्रकार कथावस्तु के दो सहायक अंग हैं। इनकी स्थिति केवल जटिल कथावस्तु में ही होती है।

## 15. अर्थप्रकृतियाँ

अर्थप्रकृतियाँ पाँच हैं: (1) वीज, (2) विन्दु, (3) पताका, (4) प्रकरी, और (5) कार्य। इनमें पताका और प्रकरी की चर्चा ऊपर हो चुकी है। धनञ्जय ने रूपक की कथावस्तु के आरम्भ को उस स्वल्पोद्दिष्ट वात को वीज बताया है जो रूपक के फल का हेतु होता है, जैसे भीम के कोद्ध से परिपुष्ट मुधिष्ठिर का उत्साह वीज है, जिसका फल है द्वौषिदी का केश-संयमन-रूपी कार्य। इस प्रकार वीज आरम्भ में थोड़े में कहा हुआ कथावस्तु का वह अंग है जो आगे चलकर फलसिद्धि का हेतु बनता है। वीज हेतु है, कार्य फल। विन्दु को धनञ्जय ने इस प्रकार समझाया है कि अवान्तर अर्थ का जब विच्छेद होता है तो मूल कथा से जोड़ने का काम विन्दु करता है। मह परिभाषा कुछ स्पष्ट नहीं है। कई लोग इससे भ्रम में पड़ जाते हैं और अनेक प्रकार की जल्पना-कल्पना करने लगते हैं। धनिक की वृत्ति में कहा गया है कि अर्थप्रकृतियाँ प्रयोजन-तिद्धि का हेतु हुआ करती हैं। रामचन्द्र-गुणचन्द्र के 'नाट्य-दर्शण' में इन अर्थप्रकृतियों को 'उपाय' कहा गया है। इन पाँच उपायों में से दो—वीज और कार्य—अचेतन हैं; तीन—विन्दु, पताका और प्रकरी—चेतन

है। नाट्य-दर्शकारों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि न तो ये उस क्रम से आते हैं जिस क्रम से उनको गिनाया गया है और न अवश्यम्भावी या अपरिहार्य ही हैं। इनका सन्निवेश यथाश्चि किया जाना चाहिए। बहुत-से ऐसे कथानक हो सकते हैं जिनमें पताका या प्रकरी हो ही नहीं; बहुत-से ऐसे होंगे जिनमें इनका क्रम उलटा हो सकता है। वस्तुतः ये अर्थप्रकृतियाँ कथावस्तु के उपाय हैं और आरम्भ आदि आगे बढ़ायी जानेवाली अवस्थाएँ नायक के व्यापार हैं।

निम्नांकित सारणी से अर्थप्रकृतियों का स्वरूप समझ में आ जायेगा :



इस प्रकार ये अर्थप्रकृतियाँ 'फल' अर्थात् मुल्य साध्य के हेतुभूत कवि-निबद्ध उपाय हैं। इनमें 'बीज' नाटक के इतिवृत्त या कथावस्तु का उपाय है। यह मुल्य है, क्योंकि यही क्रमशः अंकुरित-पल्लवित होकर फलरूप में परिणत होता है। आमुख में नट बीजभूत उक्तियों को कह देता है और बाद में मुल्य कथा का कोई प्रमुख पात्र उसे दुहराता है। यह कथा की वह स्थिति है जो घटनाओं के संघट से मुल्य पात्र के सम्मुख किसी के द्वारा उपस्थित कर दी गयी होती है। वह सोच-विचारकर प्रयत्नपूर्वक किया हुआ पात्र-विरोप का कार्य न होने से उसे अचेतन माना जाता है। फल इस बीज के पल्लवित-पुष्पित होने से उपस्थित होता है। बीज मुल्य है, फल अमुल्य। पताका, प्रकरी और विज्ञु चेतन प्रयत्न है; समझ-वृज्ञकर नाटककार द्वारा संयोजित होते हैं। इनमें भी विज्ञु मुल्य होता है। नाटक का घटना-प्रवाह जब-जब अभीष्ट दिशा से हटकर दूसरी ओर मङ्गने लगता है, अलग होने लगता है, तब-तब नाटककार नायक, प्रतिनायक, सहकारी आदि पात्रों की सहायता से उसे अभीष्ट दिशा की ओर ले जाने का प्रयत्न करता है। इसीलिए यह सारे कथाभाग में विद्यमान रहता है। पताका, प्रकरी और विज्ञु कवि के अनुध्यात लक्ष्य तक ले जानेवाले साधन हैं, इसीलिए इन्हे 'चेतन' माना गया है। पताका और प्रकरी कथानक में रहे ही, यह आवश्यक नहीं है, पर विज्ञु रहता है। वस्तुतः बीज, विज्ञु और कार्य, ये तीन आवश्यक अर्थप्रकृतियाँ हैं। बीज पर कवि का नियन्त्रण

नहीं होता, परन्तु विन्दु उसके उस यत्नपूर्वक नियन्त्रण का ही नामान्तर है जो कथानक को अभीष्ट दिशा में मोड़ता रहता है। ये दो मुख्य हैं।

विन्दु पांचों की कवि-निवद्ध चेतन चेष्टाएँ हैं, पर कार्य अचेतन साधन; जैसे संन्य-सामग्री, दुर्ग, कोश, धन आदि। किसी वृक्ष का उपमान लें तो बीज, बीज है; विन्दु उसे सुरक्षित, पल्लवित, पुण्यित करने का सोहेश्य प्रयत्न है; कुदाल, खाद आदि कार्य हैं; पताका, किसी स्वार्थसिद्धि के प्रतिवान में नियुक्त भाली है और प्रकारी, क्वचित्-कदाचित् अनायास उपस्थित होकर सहायता कर जानेवाला हितीपी।

## 16. पांच अवस्थाएँ और पांच सन्धियाँ

धनंजय के अनुसार फल की इच्छा रखनेवाले नायक आदि के द्वारा प्रारम्भ किये गये कार्य की पांच अवस्थाएँ होती हैं : आरम्भ, प्रयत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति और फलागम। दूसरे आचार्य इन्हें नेता के चरित्र (वृत्त) की पांच अवस्था कहते हैं। भरत ने इन्हें साधक के व्यापार की अवस्थाएँ कहा है (21.7)। धनंजय ने भरत का ही अनुसरण किया है। वस्तुतः वृत्त और व्यापार में कोई विशेष अन्तर नहीं है। पात्र जो कुछ करता है (व्यापार, कार्य), वही उसका चरित्र है। नायक के व्यापार की ये पांच अवस्थाएँ हैं जो कथावस्तु में रूप ग्रहण करती हैं। ये स्वयं कथावस्तु नहीं हैं, कथावस्तु में क्रमशः विकसित होनेवाले साधक व्यापार या नायक के कार्य के सिवा और भी बहुत-सी बातें होती हैं।

इस प्रकार अर्थप्रकृतियाँ कथानक को अभीष्ट लक्ष्य तक ले जाने के लिए नाटककारद्वारा निवद्ध उपाय है और अवस्थाएँ नायक के व्यापार है। नेता या नायक के मन में फल-प्राप्ति के लिए औत्सुक्य (प्रारम्भ), उसके लिए प्रयत्न (प्रयत्न), उसके प्राप्त होने की आशा (प्राप्त्याशा), विघ्नों के समाप्त हो जाने से उसके प्राप्त होने की निश्चितता (नियताप्ति) और उसकी प्राप्ति (फलागम), ये पांच अवस्थाएँ होती हैं। ये नाटक को विचित्र भाव और घटनाओं से समृद्ध करती है। किन्तु कवि या नाटककार का सबसे बड़ा कौशल विन्दु की योजना से प्रकट होता है। इसी उपाय के द्वारा वह कथा को अवान्तर प्रसंगों में वहकरने से रोकता है और नायक की प्रयत्नादि अवस्थाओं को जागरूक बनाये रखता है। नाटक-रचना कठिन काम है। विन्दु-विधान भी कठिन साधना है। चरा भी कथा धहकी तो संभालना मुदिकल हो जाता है। जहरन पड़ने पर नाटककार पताका और प्रकारी-जैसे चेतन उपायों का वाध्य लेता है और कार्य-जैसे अचेतन उपादान (संन्य, कोप आदि) का भी राहरा लेता है। पर विन्दु-विधान सर्वत आवश्यक होता है। 'अर्थ-प्रकृति' में अर्थ शब्द का रात्मर्य है पूरा नाटकार्थ और 'प्रकृति' शब्द का तात्मर्य है प्रकार या उपाय। धनंजय की अपेक्षा रामचन्द्र-गुणचन्द्र ने इसे अधिक स्पष्टता से समझाया है।

## 17. पांच सन्धियाँ

भरत ने 'नाट्यशास्त्र' में कहा है कि इतिवृत्त काव्य का शरीर होता है और पांच सन्धियाँ उसके पांच विभाग हैं। धनंजय के अनुगार निची एक प्रयोजन द्वारा अन्वित कथा-भागों से किसी दूसरे प्रयोजन में मुक्त फरनेवाला सम्बन्ध संविष्ट फूटाता है। पैरों हैं : (1) मुग (नाना अर्थों प्रोर इनसी हेतुभूता चीजोत्तर्ति), (2) प्रतिमुग (बीज का उद्भेद या कूटना), (3) (गमं दिराकर बदृष्ट हो गये बीज का अन्वेषण), (4) अवस्थाया विमलं (बीज अर्थ का पुनः प्रकट होना), और (5) उपसंदृति या निर्यंत्रण (विग्रहे अर्थों का एक उद्देश्य की प्रोर उपसहरण)। धनंजय ने एक विवादासाद कारिका में कहा है कि पांचों अर्थप्रकृतियाँ, पांचों अवस्थाओं से सम्बन्धित होकर क्रमशः पांच सन्धियाँ बन जाती हैं।<sup>1</sup> यह बात भ्रम पैदा करनेवाली सिद्ध हुई है। अर्थप्रकृतियों का अवस्थाओं के साथ 'यास्त्रप' गठन्यन्धन ठीक नहीं बैठता। पताका एक अर्थप्रकृति है, प्रकरी दूसरी। पताका के बाद प्रकरी को गिनाया गया है। पताका का उदाहरण है रामायण में सुश्रीव की कथा, प्रकरी का उदाहरण है पहों भावरी की कथा। लेकिन रामायण में पताका बाद में आती है, प्रकरी पहले। क्रम कहाँ रहा ? यिन्दु एक अर्थप्रकृति है। वह नाटक में

अवश्य बताया गया है। अर्थप्रकृतियों से उनका सम्बन्ध नहीं है। सच तो यह है कि पताका में भी सन्धियाँ होती हैं। नाट्यदर्शणकार ने उन्हें अनुसन्धिकहा है और स्वयं धनंजय ने भी अन्यत उन्हें अनुसन्धिकहा है। इसलिए धनंजय की उक्त कारिका, जिसमें अर्थप्रकृतियों और अवस्थाओं—दोनों के साथ सन्धियों का गठन्यन्धन किया गया है, भ्रामक है। उसकी भरतमतानुयायी व्याख्या—योड़ी कष्ट-कल्पना के साथ—इस प्रकार की जा सकती है : 'अर्थप्रकृतियाँ पांच हैं। अवस्थाएँ भी पांच हैं। इनके सम्बन्धित रूप से इतिवृत्त बनता है। उसके पांच विभाग होते हैं जो सन्धि कहलाते हैं। पैर सन्धियाँ अवस्थाओं के क्रम से होती हैं।' इस प्रकार की व्याख्या में 'प्यासंख्येन' का अवश्य 'पंचावस्था' से किया जायेगा। परन्तु ऐसा अर्थ कष्ट-कल्पित ही है।

जो हो, सन्धियाँ कथावस्तु के भाग हैं। कुल मिलाकर इनके 64 अंग हैं जो सन्ध्यंग कहे जाते हैं। धनंजय ने अर्थप्रकृतियों और अवस्थाओं का साथ-साथ उल्लेख करके अपने ग्रन्थ के पाठकों में कुछ भ्रम अवश्य उत्पन्न किया है। कीथ ने 'हिस्ट्री ऑफ संस्कृत ड्रामा' नामक ग्रन्थ में कहा है कि "सन्धियों का विभाजन तो

1. अर्थप्रकृतयः पञ्च, पञ्चावस्था सम्बन्धितः

यथासंख्येन जायन्ते युक्तायाः पञ्च सन्धयः ।

—'दशकरूपक', 1, 22-23

ठीक है, क्योंकि इसमें नाटकीय संघर्षों पर जोर दिया गया है। इस विभाजन का उद्देश्य है कि किस प्रकार नायक विघ्नों को जीतकर फल-प्राप्ति की ओर बढ़ता है। परन्तु अर्थप्रकृति की कल्पना व्यर्थ जान पड़ती है। सन्धियों की कल्पना कर लेने के बाद अर्थप्रकृति का विभाजन देमतलब का जान पड़ता है। फिर, पाँच सन्धियों का पाँचों अवस्थाओं और पाँचों अर्थप्रकृतियों के साथ जोड़ना दोपहर्ण है।”

स्पष्ट है कि धनंजय का श्लोक इस प्रकार की भान्त आलोचना का कारण है। कीय की आलोचना ‘नाट्यशास्त्र’ की नहीं है, ‘दशरथपक’ की आलोचना है। वस्तुतः, जैसा कि हमने ऊपर दिया था है, अर्थप्रकृति कथा के उचित संघटन के उपाय हैं, जबस्याएँ नाटक के नायक की फलप्राप्ति-जन्य क्रियाओं की अवस्थाएँ हैं और सन्धियाँ, इन अवस्थाओं को अनुकूल दिशा में ले जानेवाले उस घटनाचक्र के, जो अर्थप्रकृतियों से मिलकर पूरा इतिवृत्त या कथानक बन जाता है, विभिन्न अंग हैं। इनके 64 भेदों का ‘नाट्यशास्त्र’ और ‘दशरथपक’ आदि ग्रन्थों में विस्तारपूर्वक वर्णन है। नीचे की तालिका से इन सन्धियों और सन्ध्यंगों का सामान्य परिचय हो जायेगा :

सन्धियाँ	अंग
मुख	1. उपक्षेप, 2. परिकर, 3. परिन्यास, 4. विलोभन, 5. युक्ति, 6. प्राप्ति, 7. समाधान, 8. विधान, 9. परिभावना, 10. उद्भेद, 11. भेद, 12. करण ।
प्रतिमुख	13. विलास, 14. परिसर्प, 15. विधूत, 16. शाम, 17. नर्म, 18. नर्मद्युति, 19. प्रगमन, 20. निरोध, 21. पर्युपासन, 22. वज्र, 23. पुष्प, 24. उपन्यास, 25. वर्णसंहार ।
गर्म	26. अभूताहरण, 27. मार्ग, 28. रूप, 29. उदाहरण, 30. क्रम, 31. सग्रह, 32. अनुमान, 33. तोटक, 34. अधिवल, 35. उद्वेग, 36. सम्भ्रम, 37. आक्षेप ।
(अवमर्श)	38. अपवाद, 39. सम्फेट, 40. विद्रव, 41. द्रव, 42. शक्ति, 43. क्षुति, 44. प्रसग, 45. छलन, 46. व्यवसाय, 47. विरोधन, 48. प्ररोचना, 49. विचलन, 50. आदान ।
निर्वहण	51. सन्धि, 52. विवोध, 53. ग्रथन, 54. निर्णय, 55. परिभाषण, 56. प्रसाद, 57. आनन्द, 58. समय, 59. कृति, 60. भाषा, 61. उपगूहन, 62. पूर्वभाव, 63. उपसंहार, 64. प्रशस्ति ।

### 18. सन्ध्यंग का प्रयोग आवश्यकतानुसार

इन सभी अंगों का नाटक में प्रयोग अनिवार्य नहीं है। भरत ने ‘नाट्यशास्त्र’ (21-1-107) में कहा है कि क्वचित्-कदाचित् ही सभी थग किसी एक ही

रूपक में मिलें। कभी-कभी दो-तीन से भी काम चल जाता है। कार्य और अवस्था को देखकर इन अंगों का प्रयोग करना चाहिए। यह महत्वपूर्ण बात कहता धनदय भूल गये हैं। किर भी उन्होंने कह दिया है कि कुछ सास प्रयोजन हैं जिनके लिए इन सन्धियों का प्रयोग किया जाता है। ये प्रयोजन छः हैं: अभीष्ट अर्थ की रचना, गोपनीय की गुप्ति, प्रकाशन, राग और प्रयोग का आश्चर्य। इससे यह बात अनुमित होती है कि जहाँ जरूरत हो वही इनका प्रयोग करना चाहिए।

वस्तुतः रूपक के कथानक की योजना नेता के स्वभाव और रस के अनुकूल होती है। व्यायोग का नेता या नायक उद्दृत नायक होता है। शृंगार रस उसका लक्ष्य नहीं है। दोष्ट रस उसका लक्ष्य है। उद्दृत स्वभाव का यह नायक प्रारम्भ के बाद यत्न करता है और तुरन्त फल-प्राप्ति के लिए अधीर हो जाता है। प्राप्त्याशा और नियताप्ति-जैसी उत्तमताओं में वह नहीं पड़ता। उसे तुरन्त फलागम चाहिए। उसके कथानक की योजना उसके हड्डबड़ीबाने स्वभाव को व्यान में रखकर ही करनी होगी, नहीं तो रस में व्याधात पहुँचेगा। यही कारण है कि उस कथानक में गर्भ और विमर्श सन्धियाँ नहीं आ सकती। नीचे की सारणी से स्पष्ट होगा कि किस प्रकार के रूपक में किन अवस्थाओं और किन सन्धियों की आवश्यकता नहीं समझी जाती।

रूपकों के नाम	कौन-कौन अवस्थाएँ होती हैं	कौन-कौन सन्धियाँ होती हैं	कौन-कौन सन्धियाँ नहीं होती
1. नाटक	सभी (पाँचों)	सभी (पाँचों)	
2. प्रकरण	"	"	
3. नाटिका	"	"	
4. व्यायोग	प्रारम्भ, यत्न, फलागम मुख प्रतिमुख, निर्वहण गर्भ और विमर्श		
5. ईहामूग	"	"	"
6. सम-			
वकार	प्रारम्भ, यत्न, प्राप्त्याशा, फलागम	मुख, प्रतिमुख, गर्भ, निर्वहण	विमर्श
7. डिम	"	"	"
8. भाण	प्रारम्भ, फलागम	मुख, निर्वहण	प्रतिमुख गर्भ, विमर्श
9. प्रहसन	"	"	"
10. उत्सृष्टि-			
कांक	"	"	"
11. बीयो	"	"	"
19. कथा के दो भाग			
नाटक और अन्य रूपक यदि दूसरे काव्य न होते तो यथावरतु की विवेचना यही			

समाप्त हो जाती। परन्तु नाटककार और अभिनेता की कठिनाइयाँ अनेक हैं। बहुत बड़ी कथा को उन्हें थोड़ी देर में दिखाना पड़ता है। सभी प्रसग मार्मिक नहीं होते, पर दर्शक को सभी बातें न बतायी जायें तो कथानक उसकी समझ में ही न आये। इसलिए नाटककार कुछ मार्मिक अर्थों को रंगमंच पर दिखाने के लिए चुन लेता है और कुछ को किसी-न-किसी कौशल से सूचित कर देता है। इस प्रकार कथा के दो भाग हो जाते हैं : दृश्य और सूच्य। दृश्य अश का विधान अंकों में होता है। 'अंक' शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है, यह केवल अनुमान का विषय है। संस्कृत में इस शब्द का प्रयोग कई अर्थों में होता है। संख्या, चिह्न, गोद आदि अर्थ परिचित ही है, परन्तु नाटक के 'अंक' से इनका सम्बन्ध नहीं जान पड़ता। भरत मुनि ने लिखा है (20.14) कि यह रूढ़ि शब्द है। भाव और अर्थों के द्वारा, नाना विधान-युक्त होकर अर्थों का आरोहण कराता है, इसलिए इसे अंक कहते हैं। इसका एक पुराना अर्थ उत्तार-चढ़ाव बतानेवाला घुमाव भी है। कदाचित् नाटकीय घटनाओं के आरोह-अवरोह को प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता रहा हो। यवन-नाट्याचार्यों की भाँति भरत भी एक दिन में समाप्त होनेवाली घटना को ही एक अंक में देने का निर्देश करते हैं। सभी रूपकों में अंकों की सख्ता एक ही तरह की गही होती। कुछ तो एक ही अंक में समाप्त हो जाते हैं। नाटक और प्रकरण में 5 से 10 तक अक हो सकते हैं, इसलिए अवस्थाओं और सन्धियों से कठोरतापूर्वक निवृद्ध नहीं हो सकते। अंकों में महत्वपूर्ण भावोद्रेचक प्रसंग ही दिखाये जाते हैं। जो बातें साधारण होती हैं, उन्हें कुछ कौशलों से सूचित मात्र कर दिया जाता है। प्रायः दो अवान्तर पात्रों की बातचीत से (विष्कम्भक, प्रवेशक) या नाटक के किसी अक में अभिनय करनेवाले पात्रों द्वारा ही (अंकमुख, अंकावतार) या परदे के पीछे (चूलिका) से ये सूचनाएँ दे दी जाती हैं। ये नाटकीय कौशल हैं। एक और प्रकार का कौशल भी कथावस्तु में प्रयुक्त होता है। उसे धाकाशभापित कहते हैं। पात्र भासमान की ओर मुँह करके कहता है 'क्या कहते हो ? अमुक बात ? तो सुनो।' और अभीष्ट सूचना दे जाता है ('दशरूपक', 57-67)। सब बातें नाटक के सभी पात्रों के सुनने योग्य नहीं होती। कुछ पात्र अपने भनोभावों को जोर-जोर से कहता है (स्वगत), यह और पात्र नहीं सुनते; कुछ एक-दो सुनते हैं, बाकी नहीं सुनते (जनान्तिक, अपवार्य); और कुछ सब सुनते हैं। ये नाटकीय रूदियाँ हैं।

## 20. नेता या नायक

'नाट्यशास्त्र' में नेता या नायक शब्द दो अर्थों में व्यवहृत हूँगा है। एक तो नाटक के मुख्य पात्र के अर्थ में और दूसरा सामान्य पात्रों के अर्थ में। पहला अर्थ ही मुख्य है। चार प्रकार के नायकों की चर्चा जाती है : पीरोदात, पीरप्रशान्त, धीरजित और धीरोदृत। सबके नामे जो 'धीर' विद्येषण लगा हूँगा है, उसमें कभी-कभी भ्रम पैदा होता है। जो उदृत है वह धीर कैमे हो गए है ? उदृत तो स्वभाव ने ही चपल और चण्ड होता है। वस्तुतः धीर शब्द का मनुष्य ने प्रतिति

रूपक मे मिलें। कभी-कभी दो-तीन से भी काम चल जाता है। कार्य और अवस्था को देखकर इन अंगों का प्रयोग करना चाहिए। यह महत्वपूर्ण बात कहना धनंजय भूल गये हैं। फिर भी उन्होंने कह दिया है कि कुछ खास प्रयोजन हैं जिनके लिए इन सन्ध्यांगों का प्रयोग किया जाता है। ये प्रयोजन छः हैं: अभीष्ट अर्थ की रचना, गोपनीय की गुण्ठि, प्रकाशन, राग और प्रयोग का आश्चर्य। इससे यह बात अनुमित्त होती है कि जहाँ जरूरत हो वही इनका प्रयोग करना चाहिए।

वस्तुतः रूपक के कथानक की योजना नेता के स्वभाव और रस के अनुकूल होती है। व्यायोग का नेता या नायक उद्धत नायक होता है। शृंगार रस उसका लक्ष्य नहीं है। दीप्त रस उसका लक्ष्य है। उद्धत स्वभाव का यह नायक प्रारम्भ के बाद यत्न करता है और तुरन्त फल-प्राप्ति के लिए अधीर हो जाता है। प्राप्त्याशा और नियताप्ति-जैसी उलझनों में वह नहीं पड़ता। उसे तुरन्त फलागम चाहिए। उसके कथानक की योजना उसके हड्डबड़ीवाले स्वभाव को ध्यान में रखकर ही करनी होगी, नहीं तो रस में व्याघात पड़ूँचेगा। यही कारण है कि उस कथानक में गर्म और विमर्श सन्धियाँ नहीं आ सकती। नीचे की सारणी से स्पष्ट होगा कि किस प्रकार के रूपक में किन अवस्थाओं और किन सन्धियों की आवश्यकता नहीं समझी जाती।

रूपकों के नाम	कौन-कौन अवस्थाएँ होती हैं	कौन-कौन सन्धियाँ होती हैं	कौन-कौन सन्धियाँ नहीं होती हैं
1. नाटक	सभी (पाँचों)	सभी (पाँचों)	
2. प्रकरण	"	"	
3. नाटिका	"	"	
4. व्यायोग	प्रारम्भ, यत्न, फलागम मुख प्रतिमुख, निर्वहण गर्म और विमर्श	"	
5. ईहामृग	"	"	"
6. सम-			
वकार	प्रारम्भ, यत्न, प्राप्त्याशा, फलागम	मुख, प्रतिमुख, गर्म, निर्वहण	विमर्श
7. डिम	"	"	"
8. भाण	प्रारम्भ, फलागम	मुख, निर्वहण	प्रतिमुख गर्म, विमर्श
9. प्रहसन	"	"	"
10. उत्सृष्टि-			
काक	"	"	"
11. बीयो	"	"	"
19. कथा के दो भाग			

नाटक और अन्य रूपक यदि दृश्य काव्य न होते तो वधावरतु की विवेचना यही

समाप्त हो जाती। परन्तु नाटककार और अभिनेता की कठिनाइयाँ अनेक हैं। बहुत बड़ी कथा को उन्हे थोड़ी देर में दिखाना पड़ता है। सभी प्रसग मार्मिक नहीं होते, पर दर्शक को सभी बातें न बतायी जायें तो कथानक उसकी समझ में ही न आये। इसलिए नाटककार कुछ मार्मिक अंशों को रगमन पर दिखाने के लिए चुन लेता है और कुछ को किसी-न-किसी कौशल से सूचित कर देता है। इस प्रकार कथा के दो भाग हो जाते हैं : दृश्य और सूच्य। दृश्य अश का विधान अंकों में होता है। 'अंक' शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है, यह केवल अनुमान का विषय है। संस्कृत में इस शब्द का प्रयोग कई अर्थों में होता है। संख्या, चिह्न, गोद आदि अर्थ परिचित ही है, परन्तु नाटक के 'अंक' से इनका सम्बन्ध नहीं जान पड़ता। भरत मुनि ने लिखा है (20.14) कि यह रुद्धि शब्द है। भाव और अर्थों के द्वारा, नाना विधान-युक्त होकर अर्थों का आरोहण कराता है, इसलिए इसे अंक कहते हैं। इसका एक पुराना अर्थ उत्तार-चढ़ाव बतानेवाला घुमाव भी है। कदाचित् नाटकीय घटनाओं के आरोह-अवरोह को प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता रहा हो। यवत-नाट्याचार्यों की भाँति भरत भी एक दिन में समाप्त होनेवाली घटना को ही एक अंक में देने का निर्देश करते हैं। सभी रूपकों में अंकों की सख्ता एक ही तरह की गही होती। कुछ तो एक ही अंक में समाप्त हो जाते हैं। नाटक और प्रकरण में 5 से 10 तक अक हो सकते हैं, इसलिए अवस्थाओं और सन्धियों से कठोरतापूर्वक निवृद्ध नहीं हो सकते। अंकों में महत्वपूर्ण भावोद्रेचक प्रसंग ही दिखाये जाते हैं। जो बातें साधारण होती हैं, उन्हे कुछ कौशलों से सूचित मात्र कर दिया जाता है। प्रायः दो अवान्तर पात्रों की बातचीत से (विष्कम्भक, प्रवेशक) या नाटक के किसी अंक में अभिनय करनेवाले पात्रों द्वारा ही (अकमुख, अंकावतार) या परदे के पीछे (चूलिका) से ये सूचनाएँ दे दी जाती हैं। ये नाटकीय कौशल हैं। एक और प्रकार का कौशल भी कथावस्तु में प्रयुक्त होता है। उसे आकाशभाषित कहते हैं। पात्र आसमान की ओर मुँह करके कहता है 'क्या कहते हो? अमुक बात? तो मुझो!' और अभीष्ट सूचना दे जाता है ('दशरूपक', 57-67)। सब बातें नाटक के सभी पात्रों के सुनने योग्य नहीं होती। कुछ पात्र अपने मनोभावों को जोर-जोर से कहता है (स्वगत), यह और पात्र नहीं सुनते; कुछ एक-दो सुनते हैं, वाकी नहीं सुनते (जनान्तिक, अपवार्य); और कुछ सब सुनते हैं। ये नाटकीय रुद्धियाँ हैं।

## 20. नेता या नायक

'नाट्यशास्त्र' में नेता या नायक शब्द दो अर्थों में व्यवहृत हुआ है। एक तो नाटक के मुख्य पात्र के अर्थ में और दूसरा सामान्य पात्रों के अर्थ में। पहला अर्थ ही मुख्य है। चार प्रकार के नायकों की चर्चा आती है : धीरोदात्त, धीरप्रशान्त, धीरललित और धीरोदृत। सबके आगे जो 'धीर' विशेषण लगा है, उससे कभी-कभी भ्रम पैदा होता है। जो उद्धत है वह धीर कैसे हो सकता है? उद्धत तो स्वभाव से ही चपल और चण्ड होता है। वस्तुतः धीर शब्द का मस्तृत में प्रचलित

अर्थ इस भ्रम का कारण है। एक पुराना 'धीर' शब्द भी या जो 'धी' (सहज-बुद्धि, मनोभाव) शब्द से बनता था। इस शब्द से निष्पत्ति 'धीर' शब्द का अर्थ होता था सहज बुद्धिवाला, मनोभाव-सम्पन्न। वह शब्द नाट्यपरम्परा में सुरक्षित रह गया है। 'धीर' का अर्थ है स्वाभाविक वौध-सम्पन्न। धीरोद्धत का अर्थ है स्वभावतः उद्धत। नाट्यदर्शकार देवता और राक्षस आदि को धीरोद्धत कहते हैं। इस प्रकार उदात्त, प्रशान्त, ललित और उद्धत नायक स्वभाव से ही ऐसे होते हैं, इसलिए उनके साथ 'धीर' विशेषण लगाया जाता है। नायक की तरह नायिका के भी स्वभाव, वय आदि के अनुसार भेद किये जाते हैं। ग्रन्थों में इनके भेदोपभेदों का बड़ा विस्तार है।

कुछ रूपकों के नायक उदात्त होते हैं, कुछ के प्रशान्त, कुछ के ललित और कुछ के उद्धत। भरत मुनि के गिनाये रूपकों में कुछ ऐसे भी हैं जिनके नायक इन कोटियों में नहीं आ पाते। वस्तुतः पूर्णांग रूपक दो या तीन ही हैं—नाटक, प्रकरण, नाटिका। नाटक और प्रकरण में वस्तु का भेद है, नाटक की कथावस्तु इतिहास-प्रसिद्ध होती है और प्रकरण की उत्पाद्य या कवि-कल्पित। नाटिका दोनों के मिश्रण से बनती है। उसका नायक तो प्रख्यात होता है, पर कथावस्तु उत्पाद्य। इनमें सब सन्धियों का समावेश होता है और सब अवस्थाएँ मिलती हैं। इनके नायकों में भी अन्तर होता है। नाटक का नायक धीरोदात्त होता है, प्रकरण का धीरप्रशान्त और नाटिका का धीरललित। रस तीनों में शृंगार होता है। नाटक और प्रकरण में वीर भी। इससे स्पष्ट है कि पूर्णांग रूपकों में दो ही रस आते हैं: शृंगार और वीर। नायक इनमें तीन प्रकार के होते हैं: उदात्त, प्रशान्त और ललित। इनमें धीरोदात्त नायक महासत्त्व, अत्यन्त गम्भीर, क्षमाशील, अविकल्पन (अपने बारे में बढ़-बढ़कर बात न करनेवाला), स्थिर, भीतर-ही-भीतर मानी, दृढ़द्रवत होता है। धीरललित को मूल प्रकृति का, कलाप्रेमी, निश्चिन्त और सुखी होता है। धीरप्रशान्त भी बहुत-कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन द्राहूण, मन्त्री या वैश्य के घर उत्पन्न हुआ होता है। प्रथम दो राजवंश के होते हैं। धीरोदात्त राजा ही होता है। चौथा नायक धीरोद्धत कहलाता है। वह भी कुछ रूपकों का नायक होता है। नाटक में वह प्रतिनायक होता है। साधारणतः देवता या दानव, जिनमें देवी शक्ति होती है, उदात्त नायक की तरह धैर्यवान् नहीं होते। वे गर्विले, चपल और चण्ड होते हैं। उन्हें फल-प्राप्ति के लिए धैर्य नहीं होता। डिम, व्यायोग और ईहामूग में ये नायक होते हैं। इनकी उत्तावली के स्वभाव के कारण ही ये रूपक पूर्णांग नहीं हो पाते। इनमें वीर, रोद्र आदि दीप्त रस तो आ जाते हैं, पर शृंगार और हास्य नहीं आ पाते। समवकार में भी इनका बाहुल्य होता है। उसमें भी शृंगार की छाया-माव ही होती है। उद्धत नायकों के स्वभाव के कारण ही व्यायोग और ईहामूग में गम और विमर्श तथा समवकार और डिम में विमर्श सन्धि नहीं होती।

इस प्रकार नेता या नायक कथावस्तु का नियन्त्रण करता है। शास्त्रकारों ने तो यहीं तक कहा है कि प्रख्यात या इतिहास-प्रसिद्ध धीरोदात्त नायक हो तो इति-

वृत्त के उत्तरांशों को छोड़ देना चाहिए जो उसके उदात्त भाव के वाधक हों। उद्धृत नायकों के लिए कथावस्तु में से विदेष-विशेष सन्धियों को छोड़ देना पड़ता है। जिन रूपकों में धीरोद्धृत नायक होते हैं, वे पूर्णग नहीं बन पाते। डिम, व्यायोग, समवकार और ईहामृग इसी प्रकार के रूपक हैं। वाकी चार में भाण और प्रहसन तो एक ही पात्र द्वारा अभिनीत होते हैं। इनमें नायक स्वयं सच पर नहीं आते। शृंगार और वीर यहाँ सूच्य रस हैं। जिन व्यक्तियों की चर्चा होती है उनका कोई रूप-विधान नहीं होता। यही बात बहुत-कुछ वीथी और उत्सृष्टिकाक के बारे में भी ठीक है। वस्तुतः ये तमाशे ही रहे होंगे। सही अर्थों में ये रूपक नहीं कहे जा सकते। ददररूपकार ने रूपक की परिभाषा में कहा है कि अनुकार्य के रूप का समारोप होने से यह रूपक कहा जाता है। इन पर अनुकार्य का आरोप अस्पष्ट होता है। उतना आरोप तो काव्य-पाठक और कथावाचक पर भी किया जा सकता है। जो हो, ये चार अल्पोद्भिन्न रूपक ही कहे जा सकते हैं।

## 21. वृत्तियाँ

नाटक में सभी प्रकार के अभिनय मिलते हैं, प्रकरण और नाटिका में भी। इन तीरों में सभी वृत्तियाँ मिलती हैं। वाकी में केवल तीन। अन्तिम चार अर्थात् भाण, प्रहसन, वीथी और उत्सृष्टिकांक में प्रधान रूप से भारती वृत्ति ही मिलती है। वृत्तियाँ नाट्य की मात्रा कही जाती है। ये चार हैं: सात्वती में मानसिक, कायिक और वाचिक अभिनय होते हैं। यह मुख्यतः मानस-व्यापार की वृत्ति है। इसका प्रयोग रोद्र, वीर और अद्भुत रसों में होता है। तत्त्व मनोभावों को कहते हैं। कहा जाता है कि उसी को प्रकाशित करनेवाली होने के कारण इसे सात्वती कहते हैं। कैशिरी वृत्ति का अभिनय स्थिर्याँ ही कर सकती है। इसमें मृदुता और पेशल परिहास की प्रधानता होती है। शृंगार और हास्यरस का इसमें प्राधान्य होता है। भारभट्टी में छल, प्रपञ्च, घोड़ा, फरेव आदि होते हैं। वीर, रीढ़ आदि दीप्त रसों में इसका प्रयोग होता है। भारती संस्कृत-बहुल वाग्यापार है। भारती शब्द का अर्थ ही आगे चलकर वाणी हो गया है। यह सब रसों में आती है। मूलतः ये वृत्तियाँ विभिन्न व्येणी की जातियों से ली गयी जान पड़ती हैं।<sup>1</sup> अब अगर इन वृत्तियों पर से विचार किया जाये तो स्पष्ट लगेगा कि केवल नाटक, प्रकरण और नाटिका ही पूर्णग रूपक हैं। डिम, व्यायोग समवकार और ईहामृग में तीन ही वृत्तियों का प्रयोग होता है, इसलिए अपूर्ण है। भाण, प्रहसन, वीथी और उत्सृष्टिकांक में तीनों का प्रयोग होता तो है, पर मुख्य वृत्ति भारती ही है। इस तरह ये और भी विकलाग

1 भारती भरतों की वृत्ति कही जाती है। भरत लोग नाटक खेलने का व्यवसाय करते थे। सात्वत जाति प्रसिद्ध ही है। भावप्रदण भवित्व-साधना के प्रमाण में इनका प्रायः उल्लेख मिलता है। कहते हैं भागवत मन्महादाय इनकी देन है। कैशिर जाति भम्भवतः पश्यन के काल्पियन तट की जाति है। वरमट कञ्जित, धोक लेयको द्वारा उत्तिर्धित Arbitus जाति है जो सिन्धु घाटी में रहती थी।

हैं। इस प्रकार इन रूपकों में तीन (नाटक, प्रकरण, नाटिका) उत्तम श्रेणी के हैं, चार (डिम, व्यायोग, समवकार, ईहामृग) मध्यम श्रेणी के हैं, और बाकी अबर श्रेणी के।

नाट्यदर्पणकार ने इस बात को स्वक्षय किया था। उन्होंने दो ही भेद किये हैं। नाटिका के साथ प्रकरणों की कल्पना करके उन्होंने चार को एक श्रेणी में रखा था और बाकी रूपकों को दूसरी श्रेणी में।

नीचे की तालिका से रूपकों के रस, नायक, कथावस्तु, अंक और वृत्तियों का स्पष्टीकरण हो जायेगा।

रूपक नाम	वस्तु	रस	अंक	वृत्तियाँ
नाटक	प्रख्यात	अंगी—वीर या शृंगार अंग—बाकी सभी रस	पाँच से दस तक	चारों (कैशिकी, आरभटी, सात्त्वती, भारती)
प्रकरण	उत्पाद्य	"	"	"
नाटिका	वस्तु, उत्पाद्य (प्रकरण के समान), नेता, प्रख्यातनायक के समान)	शृंगार	चार	"
भाण	उत्पाद्य	शृंगार, वीर	एक	कैशिकी के भिन्न बाकी तीन
प्रहसन	"	शृंगार, हास्य	एक	"
डिम	प्रख्यात	वीर, रोद, वीभत्स, करण, भयानक, अद्भुत	चार	"
व्यायोग	"	"	एक	"
समवकार	"	वीर, रोद, शृंगार (छायामाल)	तीन	"
बीयो	उत्पाद्य	शृंगार	एक	"
अंक	प्रख्यात	करण	एक	"
ईहामृग	मिथ	रोद, शृंगाराभास	चार	"

## 21. रस

भारतीय नाट्य-परम्परा में नायक 'फल'-भोक्ता को अर्थात् नाटक के फल को

प्राप्त करनेवाले को कहा गया है, जबकि आधुनिक नाट्यशास्त्री नायक या नायिका उसे मानते हैं जिसके साथ सामाजिक की सहानुभूति हुआ करती है। इनमें नाट्य-कार द्वारा प्रयुक्त कौशल से एक ऐसी शक्ति केन्द्रित होती है जो निपुण अभिनय के द्वारा उपस्थित किये जाने पर सामाजिकों की समवेदना और सामान्यानुभूति आकृपित करती है। खलनायक सहानुभूति नहीं पाता। उसमें कुछ ऐसा औद्यत्य या आचरणगत अनीचित्य होता है जो सामाजिक की वित्तपूणा और क्रोध को उद्विद्ध करता है। भरत द्वारा निर्धारित रूपकों में नाटक और प्रकरण के नायक, नायिका और प्रतिनायक इस कौटि के कहे जा सकते हैं। ऊर जो तीन श्रेणी के रूपक बताये गये हैं, उनमें प्रथम और उत्तम श्रेणी के नाटकों में केवल दो ही रस हैं: शृंगार और वीर। ये ही दो रस मुख्य हो सकते हैं। दो रस और भी मुख्य कहे गये हैं—रौद्र और वीभत्स। इस प्रकार चार रस ही मुख्य बताये गये हैं। शृंगार, वीर, रौद्र और वीभत्स। इनके अभिनय में क्रमशः विकास, विस्तार, क्षोभ और विक्षेप होता है। वाकी चार इन्हीं चारों से होते हैं। शृंगार से हास्य, वीर से अद्भुत, वीभत्स से भयानक और रौद्र से करुण ('दशरूपक', 43-45)। इस प्रकार ये आठ रस बनते हैं। सामाजिक के चित्त में विकास और विस्तार होता है तो उसे सुख मिलता है और क्षोभ और विक्षेप होता है तो दुःख। इसलिए कुछ आचार्य रस को सुख-दुःखात्मक बताते हैं। दूसरे आचार्य ऐसा नहीं मानते। वे कहते हैं कि ये विक्षेप और क्षोभ लौकिक विक्षेप और क्षोभ से भिन्न होने के कारण आनन्दजनक ही होते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि शृंगाररस से चित्त में विकास और वीररस से विस्तार होता है। इन दो रसों का नायक अनायास ही सामाजिक की समवेदना और सहानुभूति आकृपित करता है। यही कारण है कि पूर्णगी रूपकों में इन दो रसों का ही प्राधान्य है। विकास और विस्तार को एक शब्द में 'विस्फार' कहा जाता है। इस विस्तार के कारण नाटक में वीर और शृंगार मुख्य रस होते हैं। नाटक और रसों से बनता ही नहीं। पाश्चात्य नाट्यशास्त्रों में तजंदी (ट्रेजडी) श्रेणी के नाटकों का महत्व है। परन्तु भारतीय नाट्यशास्त्रियों ने 'करण' रस को नाट्य-रस मानते हुए भी ऐसे उत्तम कौटि के रूपकों की कल्पना भी नहीं की जो शोकान्त हों। परन्तु नाटक में यदि नायक या नायिका उसे माना जाये जो सामाजिकों की सहानुभूति आकृष्ट कर सके, तो ऐसे नायक भी सामाजिक की सहानुभूति आकृष्ट कर सकते हैं जो चरित्र-बल में तो उदात्त हों पर किसी दुर्वलता—जैसे आदमी न पहचानने की क्षमता, दैववश अनुचित कार्य कर बैठने की भूल, अत्यधिक औदार्य आदि—से कष्ट में पड़ जाते हों। परिचयी देशों में ऐसी परिस्थितियों के दिकार उदात्त और ललित श्रेणी के नायकों की कल्पना की गयी है। हर समय उनका स्थायी भाव शोक ही नहीं होता। कई बार नायक के चित्त में उत्साह, रति आदि भाव ही प्रवल होते हैं, केवल परिपाम अनिष्ट-प्राप्ति होता है। सामाजिक के चित्त को महानुभूतियुक्त बनाने के हेतु नायक के स्वभाव में स्थित मानसीय गुण ही होते हैं। उसके दुःख पाने ने सामाजिक के चित्त में जो क्षोभ पैदा होता है, वह

उसे और भी तीव्रता के साथ नायक की ओर ठेलता है। इस प्रकार के रूपकों की कल्पना भारतीय नाट्य-परम्परा में नहीं हुई। उत्सृष्टिकांक आदि में यह रस भारती वृत्ति द्वारा सूच्य और अप्रत्यक्ष होता है। अधिकतर अंगरूप में इसका चित्रण कर दिया जाता है। इसलिए ऐसे नायक भी इस परम्परा में नहीं मिलते।

कुछ आचार्यों के बल पृथ्वीगरस को ही एकमात्र रस मानते हैं। इसका कारण यह है कि यही एकमात्र रस है, जहाँ सहृदय आथय और आलम्बन दोनों से तादातम्य स्थापित कर सकता है और किसी पक्ष को पराभव की अनुभूति नहीं होती। वीर-रस भी इनके मत से एक पक्ष का पराभव हीने के कारण अपूर्ण रह जाता है। भरत ने स्पष्ट ही नाट्य में आठ रस स्वीकार किये हैं। इसीलिए यह मत भारतीय परम्परा में पूर्णतया मान्य नहीं हो सका।

### 23. भाव-जगत्

भरत मुनि ने 'नाट्यशास्त्र' में बताया है कि विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। भावों की संख्या उन्होंने 49 बतायी है जिनमें आठ स्थायी भाव हैं, आठ सात्त्विक भाव हैं और तीनों संचारी भाव।<sup>1</sup>

1. काव्य के मुनने के साथ हम भाव-जगत् की सूदम मूर्तियों और भावों का निर्माण करते रहते हैं। इन्हीं भावालम्बन, उद्दीपन आदि के भावों को हम अनुभव करते रहते हैं। कवि ने ऐसी सामर्थ्य होती है कि जिस पाव के साथ वह हमारा जैसा-जैसा भाव जगाना चाहता है, जैसा-जैसा भाव हमारे मानन-लोक में निर्माण करा लेता है। इन नाना भाव-मूर्तियों और भाव-भावना का जब ऐसा परिपाक होता है कि किसी का पृथक् ज्ञान नहीं रह जाता, सब पिलकर एक विशेष भावन-प्रक्रिया में एकाकार हो जाते हैं तो हम रसात्मादान की स्थिति में जा जाते हैं। स्पष्ट ही यह बात लौकिक स्थूल रूप से भिन्न है। इसलिए इसे 'लोकोत्तर' बहा जाता है। काव्य का श्रोता अपने ही वित्त से वपनी ही अनुभूतियों के सहारे सारे भाव-जगत् की सृष्टि करता रहता है। इसलिए कहा जाता है कि यह जितना ही सहृदय होगा उतना ही अधिक रसात्मादान का सुपाल होगा।

काव्य ने केवल शब्द और अर्थ होता है। दूसरा कोई माध्यम नहीं होता। शब्द के द्वारा गृहीत लौकिक स्थूल अर्थ, सहृदय के हृदय में भाव-रूप में परिणत होता रहता है। कुछ ऐसी कलाएँ हैं जहाँ शब्द होता ही नहीं, जैसे चिकित्सा। वहाँ कलाकार के द्वारा प्रयुक्त रंग और रेखाएँ अर्थ-बोध कराती हैं। चित्र-लिपियां पर्वत स्थूल पर्वत का अर्थ देता है। फिर सहृदय के मन में भाव-जगत् का पर्वत बनता है और चित्रकार जिम प्रकार की गरिमा भयकरता, चेतना या सौमिर्द्ध जाग्रत करना चाहता है जिसी प्रकार के भाव-रूप सहृदय के वित्त में उत्पन्न होते रहते हैं। नाटक अधिक जटिल कला है। उसमें कवि और सहृदय का सम्बन्ध अभिनेता द्वारा स्थापित होता है। एक माध्यम और बड़ जाता है। कवि-विवद अर्थ पृष्ठे अभिनेता के भाव-रूप को उद्बूद्ध करते हैं और फिर उस माध्यम को वह स्थूल मूर्ति आकार देता है। यह स्थूल मूर्ति आकार फिर एक बार सहृदय के वित्त में नये मिरे से भाव-रूपों का निर्माण करता है। इसलिए नाटक में वस्तुतः दो कलाकारों के बेतन मन से छनकर सहृदय का भाव-जगत् निर्मित होता है, इसीलिए अधिक वास्तविक होता है। इसीलिए अभिनयशृण्णु ने 'अभिनवभार्ता' (1.10) में कहा है कि गुण अलकार से काव्य का गहीर मनोहर होता है और रस उमका प्राण हुआ करता है। ऐसे अर्थ-काव्य में भी कन्मयीभाव के कारण यद्यपि चित्रवृत्ति नियमाकार हो जाती है, फिन्डु उनमें (अभिनीय-मान नाटक के रामान) प्रत्यय वो भीति साक्षात्कारात्मक बोध नहीं हो पाता। परम्परा नाटक में ऐसी प्रतीति हुआ करती है।

स्थायीभाव ही विभाव-अनुभावादि के संयोग से रसदशा तक पहुँचता है। ('दशरूपक')। 'दशरूपक' के लेखक धनंजय स्थायी भावों और सात्त्विक भावों में कोई तात्त्विक जन्तर नहीं मानते। पर अन्य नाट्य-शास्त्रियों ने उनका अलग उल्लेख किया है। शुंगाररस का स्थायी भाव रति है, वीर का उत्साह, रौद्र का क्रोध, वीभत्स का जुगुप्ता, हास्य का हास, अद्भुत का विस्मय, करुण का शोक और भयानक का भय। इनका और संयारी भावों का विशेष विवरण देता यहाँ आवश्यक नहीं है। 'दशरूपक' आदि ग्रन्थों में इनकी विशेष विस्तार से चर्चा है। ('दशरूपक', चतुर्थ प्रकाश; 'साहित्य-दर्पण', चतुर्थ प्रकाश दत्यादि)। यहाँ रस के स्वरूप के विषय में समझने का धोड़ा प्रयत्न किया जा रहा है।

रस लोकोत्तर अनुभूति है, ऐसा सभी आचार्यों का कहना है। इसका अर्थ यह है कि लोक में जो लोकिक अनुभूति होती है उससे भिन्न कोटि की यह अनुभूति है। प्रत्यक्ष जीवन में जो शकुन्तला और दुष्यन्त का प्रेम है, वह लोकिक है। परन्तु नाटक या काव्य-स्वादन से जो दुष्यन्त और शकुन्तला हमारे चित्त में बनते हैं, वे उनसे भिन्न हैं। लोक में 'धट' शब्द का अर्थ है मिट्टी का बना हुआ पात्र-विशेष। किन्तु यह धड़ा स्थूल होता है। यदि हम इस शब्द का उच्चारण मन-ही-मन करें तो 'धड़ा' पद और 'धड़ा' पदार्थ मूढ़म रूप में चित्त में आ जाते हैं। इस प्रकार स्थूल धड़े के स्थान पर जो मानस-मूर्ति तीव्रार होगी वह मूढ़म धड़ा फहीं जायेगी। इस प्रकार स्थूल जगत् के सिवा एक सूक्ष्म जगत् की मानस-मूर्ति रखने की सामर्थ्य मनुष्य-मात्र में है। इसे ही भाव-जगत् कहते हैं। लोक में जो धड़ा है, वह स्थूल जगत् का अर्थ (पदार्थ = पद का अर्थ) है और मानस-अर्थ भाव-जगत् का अर्थ है। 'धट' नामक पद का यह अर्थ मूढ़म है। लोक में प्रचलित स्थूल अर्थ से यह भिन्न है। इसलिए लोकिक न होकर अलोकिक, लोकोत्तर या भावगम्य है।

## 24. रसास्वाद

व्यञ्जितादी आतंकारिक रस को व्यञ्जयार्थ मानते हैं। रस, विभाव-अनुभाव आदि के द्वारा व्यञ्जित होता है। न तो विभाव (शकुन्तला, दुष्यन्त), न अनुभाव (स्वेद, कम्प आदि ही) और न व्यञ्जितादी या संचारी भाव ही अपने-आपमें रस हैं। मीमांसकों ने अभिधा और लक्षण, इन दो वृत्तियों के अतिरिक्त इस तीसरी वृत्ति (व्यञ्जना) को स्वीकार नहीं किया। वे मानते हैं कि वाक्य में तात्पर्य नामक वृत्ति होती है जो कहनेवाले के मन में जो अर्थ होता है उसे समाप्त करके ही विरत होती है। इस प्रकार वाक्यार्थ रस-वोध तक जाकर विश्रान्त होता है। व्यञ्जनावृत्ति को अलग से मानने की वे आवश्यकता नहीं समझते। मीमांसकों के इस मत का मूल है यह सूत्र—'यत्परः शब्दः स शब्दार्थः' (शब्द जिसके लिए प्रयुक्त होता है वह शब्दार्थ होता है।)। इसका एक मतलब यह हो सकता है कि जिस अर्थ का वोध कराने के लिए शब्द प्रयुक्त होता है वही उसका अर्थ होता है (तदर्थत्व), दूसरा

अर्थ यह हो सकता है कि शब्द सम्बन्ध-मर्यादा से सीमित रहकर जिस अर्थ की सूचना देता है वही उसका अर्थ होता है (तत्परत्व)। पहले अर्थ की व्यापकता स्पष्ट है। परन्तु मीमांसक सम्बन्ध-मर्यादा को भी मानते हैं। इसलिए जिसे वे 'तात्पर्य' कहते हैं वह सीमित हो जाता है। उससे व्यजनावृत्ति का काम नहीं चल सकता, क्योंकि व्यजनावृत्ति संसर्ग-मर्यादा से बंधी नहीं होती। दशरूपकार तात्पर्यवृत्ति को पहले अर्थ में लेते हैं। उनकी दृष्टि में तात्पर्य को कोई सीमा नहीं है। वे तात्पर्य और तादर्थ में भेद नहीं करते। ऐसा मान लेने पर भी व्यजनावृत्ति से जो विशिष्ट अर्थ घटित होता है, उसको एक विशेष नाम देना आवश्यक हो जाता है। इसलिए इस वृत्ति को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। फिर भी रस को व्यंग्यार्थमात्र मानने में कठिनाई होगी। रस अनुभूति है, अनुभूति का विषय नहीं। भाव तो विभाव के चित्त में ही उठते हैं। दर्शक के मन में उनका एक मानस-सूक्ष्म रूप उत्पन्न होता है, जिससे वह अपनी ही अनुभूतियों का आनन्द लेने में समर्थ होता है। सभी आलंकारिक आचार्य मानते हैं कि रस न तो 'कार्य' होता है और न 'ज्ञाप्य'। वह पहले से उपस्थित भी नहीं रहता। जो वस्तु पहले से उपस्थित नहीं रहती, वह व्यंजनावृत्ति का विषय भी नहीं हो सकती। रस सहृदय थोता या दर्शक के चित्त में अनुभूत होता है, पात्र के चित्त में नहीं। अतः व्यजनावृत्ति के बल श्रोता या दर्शक के चित्त में सूक्ष्म विभाव, अनुभाव और संचारी भाव को उपस्थित कर सकती है और जो कुछ कहा जा रहा है उससे भिन्न, जो नहीं कहा जा रहा है, या नहीं कहा जा सका है, उस अर्थ की उपस्थिति करा सकती है। भरत मुनि के सूत्र का तात्पर्य यही हो सकता है कि सहृदयों के चित्त में वासनारूप से स्थित, किन्तु प्रसुप्त स्थायी भाव ही विभावादि से व्यजित होकर रसरूप ग्रहण करते हैं। नाटक में व्यंजना के साधन के बल शब्द ही नहीं वस्त्रिक अभिनेता की चेष्टाएँ भी हैं। इस प्रकार नाटक एक ओर तो कवि-निबद्ध शब्दों से रस की व्यंजना करता है, दूसरी ओर अभिनेता के अभिनय द्वारा। परन्तु इतना स्पष्ट है कि व्यंजना यदि शब्द-शक्ति और अभिनय-शक्ति भाव है तो श्रोता के प्रस्तुत भावों को व्यंजित-भर कर सकती है, उस अनुभूति को व्यग्य नहीं कर सकती जो शब्द और अभिनय के बाहर है और श्रोता या दर्शक के चित्त में अनुभूत होती है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने कहा है कि "भाव की अवस्थिति नायक और नायिका में होती है और रस की अनुभूति श्रोता या दर्शक के द्वारा होती है। पात्र के मन में रस नहीं होता जो व्यजित किया जा सके।" इस कठिनाई से बचने के लिए आलंकारिकों ने पुराने आचार्य भट्टनायक के सुझाये दो व्यापारों—भावकृत्व और भोजकृत्व—को किसी-न-किसी रूप में मान लिया है। मतलब यह है कि कवि के निबद्ध शब्दों और अभिनेता के द्वारा अभिनीत चेष्टादि में यह सामर्थ्य भी है कि श्रोता या दर्शक को पात्रों की भावना के साथ अपनी भावना का तादात्म्य स्थापित करा दे। ऐसी स्थिति में उसके भीतर पात्रों का विशेष रूप न रहकर साधारणीकृत रूप (पुरुष, स्त्री) रह जाता है, फिर उसमें एक भोजकृत्व-व्यापार का आविर्भाव होता है और वह

साधारणीकृत विभावादि और उनकी भावनाओं के आस्वादन में समर्थ हो जाता है।

कवि या नाटककार का कौशल पात्रों के विशेषीकरण में प्रकट होता है। हम उस कवि को ही सफल कवि मानते हैं जो पात्रों का विशेष व्यक्तित्व निखार सकता है। परन्तु ये विशेषीकृत पात्र लौकिक होते हैं। सहृदय के चित्त में जो पात्र बनते हैं, वे उसकी अपनी अनुभूतियों से बनने के कारण लौकोत्तर या अलौकिक होते हैं। वह अपने ही चित्त में अपनी ही अनुभूतियों के ताने-बाने से भाव-जगत् के दुष्यन्त और शकुन्तला का निर्माण करता है। उन्हीं के सूधम भावों के मिश्रण से हम रस का अनुभव करते हैं। इसलिए कवि द्वारा विशेषीकृत पात्र सामान्य मानव-अनुभूतियों से पुनर्निर्मित होकर साधारण कर दिये जाते हैं। सहृदय अपनी ही मानस-भूमि के ईट-चूने से इस प्रासाद का निर्माण करता है। इसलिए जब अर्थं अलौकिक स्तर पर आता है तो उसमें सामान्य मानव-अनुभूतियों से निर्मित होने के कारण लौकिक विशेषताओं का एक ऐसा रूप बनता है जिसे साधारणीकृत रूप कह सकते हैं।

भावकर्त्तव्यापार के द्वारा पात्रों की भावनाओं के साथ सहृदय की भावनाओं का तादात्म्य होता है, ऐसा ऊपर कहा गया है, पर यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि सर्वत्र पात्र के साथ तादात्म्य नहीं होता। कुछ रसों में श्रोता का आलम्बन वही होता है, जो आश्रय का। इस प्रकार आश्रय के साथ तादात्म्य सम्भव होता है, पर कभी-कभी आश्रय ही श्रोता का आलम्बन हो जाता है। जहाँ आश्रय के साथ श्रोता या दर्शक का तादात्म्य हो जाता है, वही रस पूर्णग होता है। दूसरे प्रकार के रस में अपूर्णता रहती है। पहली स्थिति केवल शृगार और वीर, इन दो रसों में ही सम्भव है। ये ज्यादा भावात्मक होते हैं, जबकि अन्य रस अधिकतर कल्पनात्मक होते हैं। यही कारण है कि पूर्णग रूपकों में केवल दो ही रस होते हैं—वीर और शृगार।

## 25. भाव

'भाव' शब्द का प्रयोग भरत मुनि ने भावित या वासित करनेवाले के अर्थ में किया है। 'भाव' कारण-साधन है। इसका दूसरा अर्थ है भावित या वासित करना। लोक में भी प्रसिद्ध है कि 'अहो, एक-दूसरे के रस या गन्ध सब भावित हो गया !' विभाव के द्वारा आहूत जो अर्थ अनुभाव से और वाचिक, सात्त्विक और आगिक अभिनयों से प्रतीत होता है वह भाव कहा जाता है। वाचिक, आगिक और मुख-रागादि सात्त्विक अभिनय द्वारा कवि के अन्तर्गत भाव को भावन कराते हुए होने के कारण यह भाव कहा जाता है। नाना अभिनय सम्बन्धवाले रसों को भावित कराने के कारण ये भाव कहे जाते हैं। ('नाट्यशास्त्र', 7. 1-3)। इससे जान पड़ता है कि विभाव द्वारा आहूत अर्थ को अनुभावादि द्वारा प्रतीत योग्य करने के कारण, कवि के अन्तर्गत भाव को अभिनयादि द्वारा भावना या विषय बनाने के

कारण, विविध अभिनयों से सम्बन्ध रखनेवाले रसों को सुवासित या रंजित करने के कारण इनका नाम भाव है। अतः तीन स्थितियाँ हुईँ : ( १ ) कवि के अन्तर्गत भाव, ( २ ) विभाव द्वारा आहूत अर्थ, और ( ३ ) अभिनयों से दर्शक के चित्त में अनुभूत होनेवाला रस। एक को प्रतीति-योग्य कराने का काम भाव का है (कवि के अन्तर्गत भाव को), दूसरे को भावना का विषय बनाने का काम भाव का है (विभाव-हूहूत अर्थ को), तीसरे को रंजित या वासित करने का काम भाव का है (अनुभूति को)। इस प्रकार भाव कवि के चित्त में स्थित भावों को प्रतीति-योग्य बनाता है, विभाव द्वारा आहूत अर्थ को भावनीय बनाता है और सहृदय के हृदय में वासनारूप में स्थित स्थायी भाव को भावित, वासित या रजित करता है। ये केवल पात्र की मानसिक अवस्थाएँ नहीं हैं। कवि के भावों की प्रतीति के साधन, अनुकार्य पात्र की मनस्थिति के साथ सहृदय के मनोभावों का सामंजस्य-स्थापन और उसके अन्तरण में प्रसुप्त स्थायी भाव को बहुविचित्र रंगों और वर्णों से रंजित-वासित करके अधिक उपभोग्य बनाने के साधन हैं। भरत मुनि ने 'भाव' शब्द का प्रयोग अभिनेता को दृष्टि में रखकर किया है। उन्होंने परिभाषा देते समय अवश्य ही मानसिक आवेग-संवेगों के अर्थ में इसका प्रयोग किया है। इनमें आठ स्थायी हैं, आठ सत्त्वज हैं और ३३ व्यभिचारी हैं। वैसे तो सभी व्यभिचारी हैं, पर आठ अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होने के कारण स्थायी कहे गये हैं।

कई बार इन्हें मनोभाव-पात्र समझने का प्रयत्न किया जाता है। व्यभिचारी या सचारी कहे गये भावों में कुछ तो ऐसे हैं जिन्हें मानसिक संवेग कहा जा सकता है (जैसे आवेग, अवर्ग, अवहित्या, त्रास, हर्ष, विपाद इत्यादि); कुछ विकल्प कहे जा सकते हैं (जैसे शंका, स्मृति, मति, चिन्ता, वितर्क इत्यादि); कुछ को वेगावरोध कहा जा सकता है (जैसे दैन्य, मद, निद्रा, जड़ता, मोह आदि) और कुछ ऐसे भी हैं जो विप्रकर्ष संवेग माने जा सकते हैं (जैसे लज्जा, असूया, गर्व आदि)। इसलिए जो लोग इन भावों का अध्ययन मानसिक भाव-पात्र के रूप में करते हैं, वे इसके साथ न्याय नहीं करते। भाव पात्र के मन में होता है, कवि द्वारा निवद्ध होता है, अभिनेता द्वारा प्रतीति-योग्य बनाया जाता है और सहृदय द्वारा रसानुभूति को बहुविचित्र आस्तावद के योग्य बनाने में सहायक होता है।

कवि जैसा चाहता है, वैसा अर्थ विभाव के द्वारा आहूत करता है; पात्र जैसा भाव प्रकट करता है, उसे ही अभिनेता प्रतीति-योग्य बनाता है; अभिनेता जिस अर्थ को प्रतीति-योग्य बनाता है, सहृदय उसी को भावना का विषय बनाता है। इस प्रकार कवि-निवद्ध पात्रों के भाव अभिनेता द्वारा प्रतीति-योग्य बनाये जाकर सहृदय द्वारा प्रभावित होते हैं। इसलिए अभिनेता के द्वारा प्रतीति उत्पन्न करने के साधन भाव मनोविकारों को प्रतीति-योग्य बनाने के साधन हैं। इनसे सम्बन्धित भाव सहृदय के चित्त में मूढ़म-से-मूढ़मतर रूप से आविभूत होता है। लौकिक मनोविकार में तीन बातें होती हैं: ज्ञान (सत्त्वगुण), इच्छा (रजोगुण), क्रिया (तमो-

गुण)। मनुव्य कुछ जानता है, कुछ चाहता है, कुछ करता है। सहृदय के चित्त में आते-भाते अन्तिम दोनों तत्त्व धीरण हो जाते हैं। इसी को शास्त्रकारों ने 'सत्त्वोद्रेक' कहा है। यह सत्त्वोद्रेक भावों को विगुद्ध जानकारी के रूप में ले आ देते हैं और सहृदय रसानुभूति के योग्य बनता है। विचार करके देखा जाये तो यह सारी प्रक्रिया दर्शक के अन्तर्तर में व्याप्त उसके शुद्ध चैतन्यरूप के उद्घाटन में समर्थ होती है। शुद्ध चैतन्य का उद्घाटन ही आनन्द है। इसमें नानात्व में सामान्य 'एक' की उपलब्धि होती है। कई बार भाव रसानुभूति के स्तर पर नहीं पहुँचा सकते। वे जानकारी के स्तर पर रहकर सहृदय के भीतर केवल आशिक आनन्द को उत्पन्न कर पाते हैं। कई रूपकों में यद्यपि रस की स्थिति मानी गयी है, पर वस्तुतः वे भाव तक ही रह जाते हैं। भरत मुनि के युग में जो तमाशे प्रचलित थे उनमें जो कुछ अधिक उच्चकोटि के थे उन्हें उन्होंने रूपक की मर्यादा दी अवश्य, पर वे पूर्णांग रूपक नहीं हैं। पूर्णांग रूपकों में वीर और शृंगाररस ही हो सकते हैं। एक और रस हो सकता था—अनुकूल्या, स्थायी भाववाला करण। पर इस देश में उसका प्रचार नहीं था।

## 26. नाटक ही थ्रेष्ठ रूपक है

वस्तु, नेता और रस, दून तीन तत्त्वों के आधार पर रूपकों के भेद किये जाते हैं। यहाँ यह समझ रखना चाहिए कि दूनमें प्रधान रस है, वस्तु गौण। कथावस्तु जितना ही अधिक परिचित या प्रख्यात होगा, नाटककार को रस-व्यंजना में उतनी अधिक सहनियत होगी। प्रख्यात कथा नाटक की कथावस्तु होती है। इसीलिए नाटक भारतीय साहित्य में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण काव्य-रूप है। अरस्तू ने प्लॉट या कथावस्तु को तर्जनी नाटकों की आत्मा कहा था (पोएटिक्स, 1450, अ 38)। परन्तु भारतीय परम्परा कथावस्तु को गोण और रस को मुख्य मानती है। प्रख्यात चरित में कथा द्रष्टा की जानी हुई है। नाटककार रस के अनुकूल कथावस्तु और पात्रों के चरित्र में भी काट-छाँट का अधिकार रखता है। कालिदास और भवभूति आदि कवियों ने ऐसी काट-छाँट की है। भारतीय नाटक अपने ढंग का अनोखा ही है—रस के अविश्वद नायक और रसोचित नायक के अनुरूप वस्तु, लेकिन वस्तु की मोटी-मोटी वाते सर्वंविदित! इसमें कथावस्तु की जटिलता के चक्कर में न पड़कर कवि रसानुकूल घटनाओं और आवेगों के जाग्रत करने में अपने कौशल का परिचय देता है। प्रकरण की कथावस्तु उत्पाद हीनी है। उसमें कवि को काल्पनिक कथावस्तु के निर्माण की छूट है, पर यह कथा भी बहुत-कुछ जानी हुई रहती है। वह इतिहास से अर्थात् रामायण-महाभारत में नहीं ली जाती, पर 'कथा-सरिद्धामर' आदि लीकिक आख्यानों से ली गयी होती है। इसमें नाटककार को यथार्थ लोकजीवन को चित्रित करने की स्वतन्त्रता अपेक्षाकृत अधिक होती है। नाटिका की कथा कल्पित होती अवश्य है, पर बहुत-कुछ उसकी कथावस्तु मिथित ही होती है। कोई लड़की, जिससे विवाह होने पर राजा का कल्याण होनेवाला होता



मिल सका। बाकी रसों में सहृदय का आश्रय के साथ तादात्म्य नहीं हो पाता और आश्रय, अधिक-से-अधिक, सहृदय का आलम्बन बन जाता है। जिस साधारणी-करण से सहृदय के चित्त में सामान्य मनुष्यत्व के साथ एकात्मकता का बोध होता है, वही वास्तविक आनन्द का हेतु है। शास्त्रकारों ने भयानक, धीभत्स, हास आदि को भी रस की मर्यादा दी है, पर वास्तव में ये भावकोटि तक पहुँचकर रह जाते हैं। एक और रस, जिसे भरत मुनि ने नाट्य-रस की मर्यादा नहीं दी है, भक्ति स्थायी भावबाला रस है जिसमें आश्रय के साथ तादात्म्य की सम्भावना है। किसी-किसी आचार्य ने रसों की संख्या परिमित करने को केवल मुनि के प्रति आदर-प्रदर्शन के लिए माना है। वे रसों और भावों की संख्या अधिक मानने के पक्ष में हैं। यदि हास, जुगुप्सा, क्रोध आदि स्थायी भाव हैं तो इन्हीं के समान अन्य मनो-भाव भी स्थायी हो सकते हैं, ऐसा नाट्यदर्पणकार का मत है। उन्होंने लिखा है कि “विशेष रूप से रंजनाकारक होने के कारण और पुरुषार्थी के लिए अधिक उपयोगी होने के कारण शृंगारादि नी रस (शान्त के सहित) ही पुराने सदाचार्यों के द्वारा उपदिष्ट है। किन्तु इनसे भिन्न और रस भी हो सकते हैं, जैसे गृह्णता या लालच स्थायी भावबाला लील्य रस, आद्रेता स्थायी भावबाला वात्सल्य रस, आसवित स्थायी भावबाला व्यसनरस, अरति या वैचैनी स्थायी भावबाला दुःखरस, सन्तोष स्थायी भावबाला सुख रस इत्यादि। परन्तु कुछ आचार्य पूर्वोक्त नी रसों में ही उनका अन्तर्भवि कर लेते हैं।” ('नाट्यदर्पण', 3. 111)

भारतीय नाट्यपरम्परा बहुत पुरानी है। कई बार इसके साथ यावनी नाट्य-परम्परा की तुलना करके यह दिखाने का प्रयत्न किया गया है कि इसका अमुक अंश मिलता-जुलता होने से वहीं (यवन-परम्परा) से लिया गया है, परन्तु यह बात उचित नहीं है। इसका स्वतन्त्र विकास हुआ है और कर्मफल की अवश्यम्भावी प्राप्ति के अद्वितीय भारतीय तत्त्व-दर्शन के अनुकूल हुआ है। आधुनिक दृष्टि से इसमें कमियाँ मालूम पड़ सकती हैं, पर आधुनिक दृष्टि सम्पूर्ण रूप से भिन्न जीवन-दर्शन का परिणाम है।

## 27. नाट्यशास्त्र और यावनी परम्परा

उन्नीसवीं शताब्दी में कई यूरोपीय पण्डितों ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि भारतीय नाट्यों के विकास में भारत के साथ ग्रीस के सम्पर्क का बहुत बड़ा हाथ है। वेदर ने अपनी पुस्तक Indian Literature में तथा अन्य कई लेखकों ने यह बताने का प्रयत्न किया कि वैकिट्या, पंजाब और गुजरात में ग्रीक शासकों के दरवार में ग्रीक नाटकों के अभिनय होते थे। उनसे भारतीय नाटक और नाटकीय सिद्धान्तों पर ‘प्रभाव पड़ा होगा। परन्तु ‘महाभाष्य’ में जब ऐसा लेख प्राप्त हुआ, जिससे ‘रामायण-महाभारत’ आदि के अभिनय की परम्परा पूर्ण रूप से सिद्ध हो गयी, तो वेदर ने अपने मत में थोड़ा सुधार कर लिया। वे इतना कहकर सन्तुष्ट हो गये कि भारतीय नाटकों पर और नाटकीय सिद्धान्तों पर कुछ ग्रीक-प्रभाव जरूर पड़ा होगा।

पिशेल नामक जर्मन पण्डित ने वेवर के मत का बड़ा जोरदार खण्डन किया, जिसका प्रत्यास्पान 1882ई.में विडिश नामक जर्मन पण्डित ने किया। विडिश यह तो मानते हैं कि भारतवर्ष में स्वतन्त्र भारतीय नाटक के विकास के तत्त्व पूर्ण मात्रा में विद्यमान थे, परन्तु 'महाभाष्य' में उल्लिखित 'रामायण-महाभारत' की लीलाओं से परवर्ती काल के शास्त्रीय-सिद्धान्त-मर्यादित नाटकों को भिन्न समझते हैं। उनका कहना है कि परवर्ती काल के नाटकों की विषय-बस्तु का परिवर्तन हो गया, जो पौराणिक पात्र थे, वे गृहस्य के दैनन्दिन जीवन के साचे में ढाले गये, नाटकों की प्रथान काव्य-बस्तु कामदी-प्रेम बन गया। कथावस्तु का कलात्मक विकास हुआ जिसमें अंगों और दृश्यों में उनका विभाजन किया गया, पात्रों के ढाँचे में विकास हुआ, वार्तालाप के विकास के सामने महाकाव्यात्मक तत्त्व पीछे रह गये, पद्यों के साथ-साथ गद्य का मिश्रण हुआ और संस्कृत के साथ प्राचुर ने भी नाटकों में अपना अधिकार स्थापित किया। क्या यह सब यों ही हो गया? निश्चय ही कोई महत्वपूर्ण प्रेरक तत्त्व नया आया होगा। विडिश का यही अनुमान है कि यह नया तत्त्व ग्रीक लोगों के साथ भारतीयों का सम्पर्क ही है। विडिश के इस मत की बड़ी चर्चा हुई। उसके बाद भारतीय कला और शिल्प के अन्यान्य धोरों में ग्रीक-प्रभाव की काफी चर्चा हुई। मूर्तिकला के धोरों में गन्धार की मूर्तियों को ग्रीक-मूर्तिकला की देन बताया गया और परवर्ती काल में एक नवीन स्वतन्त्र भारतीय कला के विकास में उसे प्रेरक-तत्त्व समझा गया। प्रो. सिल्वा लेबी ने विडिश के नाटक-सम्बन्धी मत का तो बड़ा जोरदार खण्डन किया, किन्तु उन्होंने स्वयं ही स्वीकार किया कि अश्वघोष के माध्यम से बौद्ध धर्म में भी नवीन प्राणों का स्पन्दन दिखायी देता है। उसका कारण पद्धिम से आयी हुई धार्मिक विचारधारा थी। इस प्रकार विडिश ने जिस ग्रीक प्रभाव को भारतीय नाटकों का प्रेरक तत्त्व बताना चाहा था, उसका अस्तित्व शिल्प और धर्म के दूसरे धोरों में भी स्थापित करने का प्रयत्न हुआ। अब प्रश्न यह है कि क्या सचमुच ग्रीक शासकों के दरबार में ग्रीक नाटकों का अभिनय हुआ करता था? दुर्भाग्यवश इसके पक्ष या विपक्ष में कहने योग्य प्रमाण कम है। सन् 1909ई. में 'रायल एशियटिक सोसायटी' की प्रतिका में सुप्रसिद्ध पुरातत्वज्ञ जॉन मार्शल ने पेशावर में प्राप्त एक वरतन पर ग्रीक नाटक 'एण्टिग्रोन' के एक अभिनाश का अंकन बताना चाहा, परन्तु प्राप्त सभी विद्वानों ने उस सन्देहास्पद और कष्ट-कलिपत माना। अलखेन्द्र के बारे में अवश्य कहा जाता है कि वह नाटक देखने का बड़ा शोकीन था और यह भी सुना जाता है कि अकेले एकबताना (Ekbatana) में ही तीन हजार ग्रीक-कलाकार थे। परवर्ती ग्रीक लेखकों ने लिखा है कि इरानी जेडरोजियन (Gedrosions) और शुदा (Susa) के लोग यूरीफाइड और सौफोक्लिस के नाटकों के गीत गाया करते थे। और परवर्ती ग्रीक लेखक 'फिलोस्ट्रेटस' (Philostratos) ने तो एक ब्राह्मण की चर्चा की है जिसे गवं था कि उसने यूरीफाइड का नाटक 'हेरापलीदई' (Hearkleidai) पूरा पढ़ लिया है। प्रो. सिल्वा लेबी इन वक्तव्यों को अतिरंजित और सन्देहास्पद मानते

है। जो हो, यह मान लिया जा सकता है कि भारतवर्ष में जो ग्रीक लोग आये होंगे वे कुछ-न-कुछ अपने देश के नृत्य, गान, नाटक आदि का अभिनय भी कराते होंगे। जिन शासकों ने ग्रीक कलाकारों को बुलाकर सुन्दर सिक्के ढलवाये उनसे उतने कला-प्रेम की आशा तो की ही जा सकती है; परन्तु फिर प्रश्न उठता है कि क्या सचमुच इन नाटकों ने भारतीय नाटकों को प्रभावित किया होगा? विडिश का कहना है कि ईसवी-पूर्व 340 और 260 के बीच जो ग्रीस में नवी ऐमिटिक काम-डियाँ लिखी गयी वे ही भारतीय नाटकों को प्रभावित करनेवाले मूल स्रोत मानी जा सकती हैं, परन्तु जैसाकि श्री ए. वी. कीथ ने अपने 'संस्कृत नाटक' नामक ग्रन्थ में बताया है, "संस्कृत नाटक और कामेडियो में जो सम्बन्ध है वह बहुत थोड़ा है।" श्री ए. वी. कीथ ने और भी कहा है कि विडिश का यह कहना कि ग्रीक (रोमन) और भारतीय दोनों नाटकों से अंकों और दृश्यों का विभाजन होता है, दोनों में सभी पात्र प्रत्येक दृश्य के अन्त में रंगमंच छोड़ देते हैं, अंकों की सख्त्या साधारणतः पांच होती है (भारतीय नाटकों में यह संख्या प्रायः अधिक होती है), कोई बहुत महत्त्व-पूर्ण साम्य नहीं है; क्योंकि यह संयोगजन्य साम्य भी हो सकता है। संस्कृत-नाटकों का अंग-विभाजन एकशन के विश्लेषण (analisation of action) पर आधृत होता है; जो ग्रीस और रोम में कही भी अनुलिखित नहीं है। इसी प्रकार दृश्य-सम्बन्धी रुद्धियों में जो समानता है, जनान्तिक और अपवार्य भाषण की रुद्धियों में जो एकरूपता है और किसी पात्र के प्रवेश के समय रंगमंच पर उपस्थित किसी अन्य पात्र से उसके सम्बन्ध में परिचयात्मक वाक्य कहलाने की जो समान प्रथाएँ हैं, वे भी ऐसी हैं जो एक ही परिस्थिति में खेले जानेवाले नाटकों में अवश्य नियमोज्य हैं, उनकी समानता के ग्रीक या रोमन प्रभाषण की स्थापना नहीं की जा सकती। ('संस्कृत ड्रामा' में ए. वी. कीथ, पृ. 58-59)। आजकल के वैज्ञानिक युग में भी नवागत पात्र के परिचय कराने की आवश्यकता अनुभव की ही जाती है।

डॉ. राधवन् ने संस्कृत-नाटकों के वस्तु-विषय को बहुत सुन्दर ढंग से बताया है—संस्कृत में नाटक प्रस्तावना के साथ प्रारम्भ होता है जिसमें सूत्रधार और उसका कोई सहयोगी सम्भाषण करते हैं और कवि (नाटककार) तथा नाटक का परिचय प्रस्तुत करते हैं। कथावस्तु का आयोजन परिच्छेदों में किया जाता है, जिन्हें अंक कहते हैं और जिनकी सीमा चार से लेकर दस तक होती है। अंक में दृश्य-परिवर्तन हो सकता है, किन्तु उनमें दृश्यों के विभाजन का संकेत नहीं किया जाता। अंकों में एक नैरन्तरिक कार्य-कलाप होता है जो एक दिन की अवधि का नहीं होता। अंकों में उच्चतर अथवा निम्नतर चरित्रों का एक प्रस्तावनात्मक दृश्य हो सकता है। इसका प्रयोजन कथावस्तु में एकसूत्रता अथवा नैरन्तर्य की स्थापना करना, दर्शकों को कथावस्तु का बोध कराना और उन घटनाओं के विषय में सूचना देना अथवा वार्तालाप कराना होता है जो रंगमंच पर प्रमुख अंकों में प्रदर्शित न किये जा सकते हों। पूर्व-निर्देश के अभाव में कोई पात्र मंच पर अवतरित नहीं हो सकता। नाटक की मूल वस्तु में गद्य तथा पद्य-शैलियों का मिथ्यण होता है। पद्य का प्रयोग उस

स्थान पर होता है जब किसी बाइचर्यंजनक अभिव्यक्ति अथवा उच्च प्रभाव की सूष्टि की आवश्यकता होती है। गद्य और पद्य के मिथ्रण की भाँति ही साहित्यिक तथा लौकिक भाषाओं का भी मिथ्रण होता है। उच्चवर्णीय तथा शिक्षित पुरुष-पात्र संस्कृत वोलते हैं और निम्नतर श्रेणी के पात्र, स्त्री-पात्र तथा साधारण सभासद् प्राकृत वोलते हैं, जो निम्न श्रेणी के पात्रों की संस्था तथा प्रवृत्ति के अनुसार कभी-कभी विभिन्न प्रकार की होती है। कार्य संक्षिप्त अवधि का भी हो सकता है अथवा वर्षों तक फैला हुआ भी हो सकता है और इसी प्रकार एक विशिष्ट स्थान पर भी घटित हो सकता है अथवा विभिन्न स्थानों तक भी उसका विस्तार हो सकता है। कथावस्तु प्रसिद्ध महाकाव्यों से लो जा सकती है अथवा कल्पित या भिन्न भी हो सकती है। कथावस्तु के प्रख्यात होने पर भी नाटककार उसे अपने नाटक के भाव तथा प्रयोजन के उपयुक्त तथा रूप दे सकता है; क्योंकि संस्कृत-नाटककार उसे अपने नाटक में उदात्त चरित्रों तथा दर्शकों के अन्तस्थल पर उदात्त भावों का प्रभाव उपस्थित करने का प्रयास किया करता है। नाटक का अन्त सुखमय होना चाहिए। (संस्कृत लक्षण-ग्रन्थों के अनुसार नाटक एक विशेष जाति का अभिनेत्र रूपक है, परन्तु यहाँ इस शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थों में किया गया है।)

इन दृष्टियों तथा अपने निर्धारित भाव के अनुसार नाटककार अपनी मूल वस्तु के अवयवों, कथावस्तु, चरित्र और रस की योजना करता था। वस्तुतः रस ही संस्कृत के सभी काव्य-नाटकों का लक्ष्य है। रस तक ले जाने के कारण ही नायक (ले जानेवाला), नायिका (ले जानेवाली), अभिनय (ले जाने का पूर्ण साधन) आदि शब्दों की रचना हुई है। वह कथा की उन घटनाओं को, जो उसके कथानक के लिए आवश्यक होती थी अथवा उसके मुख्य भाव के विरुद्ध होती थी, परित्यक्त अथवा पुनर्निर्मित करता था। यही वह अपने स्वयं के चरित्रों की सूष्टि कर लेता था। कथावस्तु तथा चरित्र-चित्रण, जो पद्धतिमी नाटकों के सर्वस्व होते हैं, भारतीय नाट्यकला में रस के साधक होते थे। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि कथानक एवं चरित्र-चित्रण उपेक्षित थे। भरत का कथानक-निर्माण की प्रविधि का नियमपूर्ण वर्गीकरण इस प्रकार की आलोचना का निराकरण करेगा। - -

'यवनिका' शब्द ने भी अनेक प्रकार की झाहापोहो को उत्तेजना दी है, परन्तु विंडिश और लेवी ने इस शब्द से उत्पन्न भ्रान्त धारणाओं का निरसन कर दिया है। वस्तुतः यवनिका या 'जवनिका' संस्कृत के 'यमनिका' शब्द के प्राकृत रूप है जिसका अर्थ होता है, सयमन की जानेवाली पटी (तु. अपटीक्षेप प्रवेश) या परदा। यदि यह शब्द किसी प्रकार 'यवन' शब्द से सम्बद्ध मान भी लिया जाये, तो भी इसका अर्थ केवल विदेशों से आयी हुई वस्तु ही होगा। भारतीयों का प्रथम परिचय आयोनियन (Ionion) लोगों से हुआ था, उसी से संस्कृत का 'यवन' और पालि का 'योन' शब्द बना है। वाद में इस शब्द का अर्थ-विस्तार हुआ और हेलेनिक परसियन साम्राज्य के सभी देशों के निवासियों के लिए इसका प्रयोग हुआ है; मिस्र (Egypt), ईरान (Persia), सोरिया, वाह्लीक (Wahlic) आदि सभी देशों

के नियासी यवन कहे जाते थे और उनकी वस्तुएँ भी इसी विशेषण से स्मरण की जाती थीं। सेवी ने ईरान के बने परदों को यवनिका कहा है। वस्तुतः जैसा कीथ ने कहा है, ग्रीक नाटकों में परदे होते ही नहीं थे। स्वयं विदिशा ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है। फिर भी वे कहना चाहते हैं कि ग्रीक रगमच के पीछे जो चित्रित दृश्यावली होती थी उसे ही भारतीय रगमच में परदे से नूचित किया जाता होगा, इसलिए उसको 'यवनिका' नाम दे दिया गया। यह विचित्र तर्क है। अनेक यूरोपीय पण्डितों ने इस तर्क की निस्सारता सिद्ध की है, फिर भी 'यवनिका' शब्द इतना स्पष्ट व्यंजनाकारी है कि इससे उत्पन्न भ्रान्त धारणा इस देश में बनी हुई है और आदेदिन अच्छे-पच्छे भारतीय मनीषी इस भ्रान्त सिद्धान्त को अम्लान-भाव से कह दिया करते हैं।

मुप्रसिद्ध विद्वान् डॉ. राधवन् ने ग्रीक और संस्कृत-रंगमचों की तुलना करते हुए ठीक ही कहा है कि "भारतीय रगमंच पर नाट्य-रूपों की विविधता पहले से ही थी, जो (उस समय) यूनान में अनुपलब्ध थी। 'तर्जंदी' यूनानी नाटकों का सर्वोत्कृष्ट रूप या और संस्कृत-रंगमंच पर यूनानी तर्जंदी-जैसी किसी वस्तु का विकास कभी नहीं हुआ। वस्तुतः इसके सिद्धान्त रगमंच पर किसी की मृत्यु अथवा मृत्यु के साथ किसी नाटक के अन्त का नियेद्ध करते थे। संस्कृत-रंगमंच में यूनानी-रंगमंच के समान कोई गायक-वृन्द नहीं होता था और यूनानी सिद्धान्त के अनुमार अनिवार्य संकलन-यथ के सिद्धान्त से देश-काल के सकलन भारतीय सिद्धान्त तथा व्यवहार द्वारा पूर्ण निश्चन्त होकर ढोड़ दिये गये थे। भारतीय नाटक यूनानी नाटक की अपेक्षा अत्यधिक विशाल भी था। यूनानी-रंगमंच का भारतीय रंगमंच के विविध रूपों से—जिनका भरत ने कुछ विशदता से वर्णन किया है—कोई साम्य नहीं है। भरत के—जिनका ग्रन्थ अरस्तू के 'पोयटिक्स' तथा 'रिटारिक्स' के सम्मिलित रूप से भी अधिक पूर्ण है—पूर्ण रस-सिद्धान्त के समक्ष व्वास, करुणा तथा विरेचन के यूनानी सिद्धान्त हैय-से है। परदे के लिए प्रयुक्त 'यवनिका' शब्द, रंगमंच पर आनेवाले रंगजीव अनुचरों में यवन स्त्रियों की उपस्थिति आदि तथ्यों में भी यवन-सम्पर्क के कुछ प्रमाण खोजे गये हैं। (इनमें से) अन्तिम तो नितान्त व्यर्थ है। यदि हमारे पास परदे के लिए 'पटी', 'तिरस्करिणी', 'प्रतिशिरा' तथा यहाँ तक कि 'योग-निका' आदि शब्द देशीय तथा युक्तियुक्त न होते तो प्रथम युक्ति में कुछ शक्ति ही सकती थी। इन रूपों की अपेक्षा भारतीय नाटक के अंधिक महत्त्वपूर्ण विशिष्ट अंग वे हैं जिनका यूनानी नाटकों में अभाव है—संस्कृत-नाटकों में प्रयुक्त संस्कृत तथा विभिन्न प्रकार की प्राकृतों का बहुभाषीय माध्यम। सिलवा लैबी में इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया कि संस्कृत-नाटक पश्चिमी भारत में शकों के प्रभाव में विकसित हुए हैं। उनके आधार-भूत प्रमाण नितान्त सारथन्य हैं। कीथ के अनुसार संस्कृत-नाटकों का उद्भव तथा विकास स्वदेशीय ही है। निस्सन्देह शिल्प तथा आदर्श की दृष्टि से भारतीय नाटक यूनानी नाटक से सर्वथा भिन्न है।

'यवनिका' की ही भाँति संस्कृत-नाटकों में राजा की अंगरक्षिका के रूप में यावनी

वालाओं की उपस्थिति को भी श्रीक रंगमच के प्रभाव का निदर्शक बताया जाता है, पर जैसा कि श्री कीथ ने कहा है कि श्रीक नाटकों से अंगरक्षिकाओं का कोई अस्तित्व नहीं है, यह अधिक-से-अधिक श्रीक रमणियों के प्रति भारतीय राजाओं का झुकाव ही सिद्ध करता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र<sup>३</sup> तथा मैगस्थनीज आदि के लेखों से इसका अनुमान सहज ही किया जा सकता है।

विडिश ने नाटिकाओं के साथ कई कामदियों का आश्चर्यजनक साम्य दिखाया है और इनमें तथा अन्य संस्कृत-नाटकों में जो अभिज्ञान या सहिदानी का अभिप्राय आया है उनमें श्रीक प्रभाव बताने का प्रयत्न किया है। परन्तु जैसा कि कीथ ने कहा है, अभिज्ञान का अभिप्राय भारतीय कथा-साहित्य में इतना पुराना है कि यह कल्पना करना कि भारतीयों को अभिज्ञान या सहिदानी के अभिप्राय को उधार लेने के लिए ग्रीष्म जाना पड़ा, कुछ तुक की बात नहीं है। यह और बात है कि जिन कथाओं और काव्यों में इस प्रकार के अभिप्रायों का प्रयोग है, उनकी तिथि सर्वद सन्देहास्पद बतायी जाती है। ब्लूमफील्ड आदि विद्वानों ने भारतीय कथानक-रुद्धियों का बहुत विस्तृत और गहन अध्ययन प्रस्तुत किया है। उनके प्रयत्नों से इस रुद्धि की प्राचीनता निम्नान्दिग्ध रूप से प्रमाणित हो गयी है। 'मूच्छकटिक' नाटक की कथावस्तु, नाम आदि को लेकर विडिश ने अपने सिद्धान्त स्थिर किये थे, पर भस के 'चारदल्त' नामक नाटक के मिलने से, जो 'मूच्छकटिक' का मूल रूप है, अब उसका भी बजन कम हो गया है। 'मूच्छकटिक' में कुछ नयापन है अवश्य, और यदि वह विदेशी प्रेरणा से आया हो तो कोई आश्चर्य नहीं है। राजनीतिक उलट फेरो से गणिका वसन्तकेना का रानी की मर्यादा पा लेना नयी-सी बात है, पर उसका पहली रानी के साथ-साथ विवाहित पत्नी के रूप में रहना भारतीय प्रथा है।

इसी प्रकार और भी जो बातें कही गयी हैं वे निराधार और कट्ट-कल्पित हैं। यह तो नहीं माना जा सकता कि श्रीकों-जैसी धारिताली जाति के सम्पर्क में आने के बाद भारतीयों-जैसी अद्भुत कल्पनाशील जाति के विचारों और कल्पना-धारित में कोई परिवर्तन हुआ ही न होगा, पर जहाँ तक नाटकीय सिद्धान्तों का प्रश्न है, उसमें बहुत ही समृद्ध और पुरानी परम्परा इस देश में विद्यमान थी। यह भी नहीं समझना चाहिए कि यावनी साहित्य और विचारधारा भारतीय सम्पर्क में आकर कुछ लेने में हिचकी होगी। अधिक-से-अधिक यही कहा जा सकता है कि दोनों जातियों में कुछ ऐसा आदान-प्रदान हुआ अवश्य होगा, पर उससे 'नाट्यशास्त्र' के सिद्धान्तों को श्रीक-साहित्य की देन कहना कल्पना-विलास-मात्र है।

कई पूरोपीय पण्डितों ने केवल बाहरी प्रमाणों पर निर्भर न रहकर विषय-सम्बु और चरित्र-चित्रण की दृष्टि से भारतीय और श्रीक-रोमन नाटकों वीरतुतना की है और यतापि है कि भारतीय नाटकों में जो 'टाइप' की प्रथानता है, वह सिद्ध करती है कि भारत में ये अनुरूपणमूलक रहे होंगे और बाद में श्रीक-रोमन-नाटकों

के प्रभाव से नया रूप ग्रहण किया होगा। पुराने टाइपो का रह जाना उनके मत से रोमन कामदियों से उनका प्रभावित होने का ही लक्षण है, क्योंकि यह सिद्ध करता है कि कुछ नया तो आ गया, पर पुराना गया नहीं। यह बात कितनी निराधार है, यह श्री कीथ के इस वाक्य से स्पष्ट हो जाता है :

“The similarity of types is not at all convincing, the borrowing of the idea of using different dialects from the mime is really absurd and the large number of actors is equally natural in either case.”

अर्थात् टाइपो की समानता विलकुल मानने योग्य बात नहीं है और विभिन्न बोलियों के प्रयोग-सम्बन्ध में माइम से उधार लेनेवाला विचार बेहूदा तर्क है तथा अभिनेताओं की अधिक सख्त्या का होना दोनों देशों के नाटकों में समान रूप से सम्भव है।

श्री कीथ ने जोर देकर कहा है कि ग्रीक-रोमन कामदियों में टाइप की ही प्रधानता है और संस्कृत-नाटकों में परिचित पात्र की वैयक्तिक विशेषताओं के कारण कथावस्तु में जो विकास हो जाता है, वह उसमें एकदम नहीं मिलता।

ऊपर सक्षेप में आधुनिक विद्वानों की कुछ ऊहापोहो की चर्चा की गयी है। इस चर्चा का उद्देश्य केवल पाठकों को नये विचारों से परिचित करा देना था। इस संक्षिप्त चर्चा से इतना तो स्पष्ट है कि भारतीय नाटकों के विकास में बाहरी प्रभाव की बातें विशुद्ध अटकल पर आधारित हैं और ‘नाट्यशास्त्र’ के विकास में तो किसी विदेशी परम्परा का नाम-मात्र का भी हम्बन्ध नहीं दिखाया जा सकता। ‘नाट्यशास्त्र’ की परम्परा बहुत पुरानी—हजारत ईमा के जन्म से सैकड़ों वर्ष पुरानी है।

[नाट्यशास्त्र की भारतीय परम्परा और दशरूपक पुस्तक की भूमिका]



# प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद



## कलात्मक विलासिता की योग्यता

प्राचीन भारत के कलात्मक विनोदों की चर्चा धोड़े में कर सकना सम्भव नहीं है। 'प्राचीन भारत' बहुत व्यापक शब्द है। इसका साहित्य हजारों वर्षों में परिव्याप्त है और इसके इतिहास का पद-संचार लाखों वर्गमील में फैली एकाधिक मानव-भण्डलियों के जीवन-विश्वासों और विचारों के ऊपर चिह्नित है, इसलिए दो या तीन व्याख्यानों में हम उसके उस पहलू का सामान्य परिचय भी नहीं पा सकेंगे जिसे कला-विलास या कलात्मक विनोद कहा जा सकता है। फिर इस देश के इतिहास का जितना अर्थ जाना जा सका है, उसकी अपेक्षा वह अर्थ कम महत्वपूर्ण नहीं है जिसे नहीं जाना जा सका। कभी-कभी तो वह अधिक महत्वपूर्ण है। हमारे पास जो पुराना साहित्य उपलब्ध है, उसका एक महत्वपूर्ण अंश वैरागी साधुओं द्वारा वैरागी साधुओं के लिए ही लिखा गया है। नाच-गान का स्थान उसमें ही ही नहीं, फिर भी वह लोकविच्छिन्न नहीं है, इसीलिए किसी-न-किसी वहाने उसमें लोक-प्रचलित कलात्मक विनोदों की बात आ ही जाती है। बोडों और जैनों के विशाल साहित्य में ऐसे उल्लेख नितान्त कम नहीं हैं।

परन्तु इन विनोदों का यथार्थ वर्णन लौकिक रस के उपस्थापक काव्यों, नाटकों, कथा-आख्यायिकाओं और इनकी विवेचना करनेवाले ग्रन्थों में ही मिलता है। दुर्भाग्यवश हमें इस श्रेणी का पुराना साहित्य बहुत कम मिला है। इसमें तो कोई सन्देह ही नहीं कि सन् ईसवी के पूर्व इस प्रकार का साहित्य प्रचुर मात्रा में विद्यमान था। भरत के नाट्य-शास्त्र में, नृत्य, नाट्य आदि का जैसा सुसम्बद्ध विश्लेषण है और नाट्यरुद्धियों की जैसी सुविस्तृत भूमि प्राप्त है, वह इस बात का पक्का प्रमाण है कि भरत मुनि को इस श्रेणी का बहुत विशाल साहित्य ज्ञात था। प्राचीनतर साहित्य से इस बात का पर्याप्त प्रमाण भी मिल जाता है। पर वह समूचा साहित्य केवल अनुमान का ही विपय रह गया है। यद्यपि हम इस विषय का यथार्थ वर्णन खोजें तो सन् ईसवी के कुछ सौ वर्ष पहले से लेकर कुछ सौ वर्षों बाद तक के साहित्य को प्रधान अवलम्ब बनाना पड़ेगा। पाली-साहित्य से तात्कालिक

सामाजिक पृष्ठभूमि का अच्छा आभास मिलता है, पर निश्चित रूप से यह कहना कठिन ही है कि वे बुद्ध के समकालीन हैं ही। उनका अन्तिम रूप से सम्पादन बहुत बाद में हुआ था। यही कहानी जैन आगमों की है जिनका सकलन और भी बाद में हुआ। इनमें नवी बात आयी ही नहीं होगी, यह जोर देकर नहीं कहा जा सकता।

इसलिए सन् ईसवी के थोड़ा इधर-उधर से आरम्भ करना ही ठीक जान पड़ता है। फिर इसके ऐतिहासिक कारण भी है जिनके विषय में अभी निवेदन कर रहा हूँ। इस दृष्टि से देखिए तो इस पुस्तक का विवेच्य—कला—आपको सबसे अधिक सामग्री देने योग्य ही मालूम होगा।

यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि विलासिता और कलात्मक विलासिता एक ही वस्तु नहीं है। योग्य विलासिता में केवल भूख रहती है—नगी वुभुक्षा; पर कलात्मक विलासिता समय चाहती है, शालीनता चाहती है, विवेक चाहती है। सो, कलात्मक विलास किसी जाति के भाग्य में सदा-सर्वदा नहीं जुटता। उसके लिए ऐश्वर्य चाहिए, समृद्धि चाहिए, त्याग और भोग का सामर्थ्य चाहिए और सबसे बढ़कर ऐसा पौरुष चाहिए जो सौन्दर्य और सुकुमारता की रक्षा कर सके। परन्तु इतना ही काफी नहीं है। उस जाति में जीवन के प्रति ऐसी एक दृष्टि मुप्रतिष्ठित होनी चाहिए जिससे वह पशु-मुलभ इन्द्रिय-वृत्ति को और बाह्य पदार्थों को ही समस्त सुखों का कारण न समझने में प्रबीण हो चुकी हो, उस जाति की ऐतिहासिक और सास्कृतिक परम्परा बड़ी और उदार होनी चाहिए और उसमें एक ऐसा कौलीन्य-गर्व होना चाहिए जो आत्म-मर्यादा को समस्त दुनिया की सुख-सुविधाओं से थ्रेष्ठ समझता हो, और जीवन के किसी भी क्षेत्र में असुन्दर को वर्दासित न कर सकता हो। जो जाति सुन्दर की रक्षा और सम्मान करना नहीं जानती वह विलासी भले ही हो ले, पर कलात्मक विलास उसके भाग्य में नहीं बदा होता। भारतवर्ष में एक ऐसा समय बोता है जब इस देश के निवासियों के प्रत्येक कण में जीवन था, पौरुष था, कौलीन्य-गर्व था और सुन्दर के रक्षण-पोषण और सम्मान का सामर्थ्य था। उस समय उन्होंने बड़े-बड़े साम्राज्य स्थापित किये थे, संग्रह और विश्रह के द्वारा सभूत ज्ञात जगत् की सम्यता का नियन्त्रण किया था और वाणिज्य और यात्राओं के द्वारा अपने को समस्त सम्य जगत् का सिरमोर बना लिया था। उस समय इस देश में एक ऐसी समृद्ध नायरिक सम्यता उत्पन्न हुई थी, जो सौन्दर्य की सृष्टि, रक्षण और सम्मान में अपनी उपमा स्वयं ही थी। उस समय के काव्य, नाटक, आख्यान, आख्यायिका, चित्र, मूर्ति, प्रासाद आदि को देखने से आज का अभागा भारतीय केवल विस्मय-विसुग्ध होकर देखता रह जाता है। उस युग की प्रत्येक वस्तु में छन्द है, राग है और रस है। उस युग में भारतवासियों ने जीने की कला आविष्कार की थी। यह काल बहुत दिनों तक जीता रहा है, पर मैंने अपने वस्तव्य के लिए गुप्तकाल के कुछ सौ वर्ष पूर्व से लेकर कुछ सौ वर्ष बाद तक के गाहित्य की ही प्रधान रूप से उपजीव्य मान लिया है। इस प्रकार हमारा काल सीमित हो गया है।

## काल-सीमा का औचित्य

पूछा जा सकता है कि हमारे इस सीमा-निर्धारण का औचित्य क्या है? हजारों वर्ष की विपुल साहित्य-भाषणों को छोड़कर मैंने इन आठ-दस सौ वर्षों की तात्त्विक साधना वो ही वर्षों धारोंचना के लिए चुना है?

कारण बताता हूँ। सन् ईसवी की पहली दातान्दी में मधुरा के कुपाण तस्ताटों के दामन-सम्बन्धी ऐतिहासिक चिह्नों का मिलना एक बन्द हो जाता है। इसके बाद के दो-तीन सौ वर्षों का काल भारतीय ईतिहास का अन्धकार-गुण कहा जाता है। आये दिन विद्वान् इस युग के ईतिहास-सम्बन्धी नये-नये सिद्धान्त उपस्थित करते रहते हैं, और पुराने सिद्धान्तों का राष्ट्र फरते रहते हैं। अब तक इस काल का ईतिहास लियने वोग्य पर्याप्त गामधी नहीं उपलब्ध हुई है। किन्तु 220 ई. में मगध का प्रतिद्वंद्वी पाटिष्ठुत्र 400 वर्षों की गाड़ निर्दा के बाद अचानक जाग उठता है। इसी वर्ष चन्द्रगुप्त नामधारी एक साधारण राजकुमार, जिसका विवाह सुप्रभिद्वं लिच्छवि-वंश में हुआ था और इसीलिए जिसकी ताकत यह गयी थी, अचानक प्रबल पराक्रम से उत्तर भारत में स्थित विदेशियों को उताड़ फेंकता है। उसके पुत्र समुद्रगुप्त ने, जो अपने योग्य पिता का योग्य पुत्र था, इस उभ्यूलन-ज्ञायं को और भी आगे बढ़ाया और उसके योग्यतर प्रतापी पुत्र द्वितीय चन्द्रगुप्त या सुप्रभिद्वं विक्रमादित्य ने अपने रास्ते में एक भी कौटा नहीं रहने दिया। उसका सुव्यवस्थित साम्राज्य ब्रह्मदेश से पश्चिम समुद्र तक और हिमालय से नर्मदा तक फैला हुआ था। गुप्त सम्राटों के इस सुदृढ़ साम्राज्य ने भारतीय जनरामूह में नवीन राष्ट्रीयता और विद्याप्रेम का सञ्चार किया। इस युग में राजकार्य से लेकर समाज, धर्म और साहित्य तक में एक अद्भुत फ़ान्ति का परिवर्त्य मिलता है। ब्राह्मण धर्म और संस्कृत भाषा एकदम नवीन प्राण लेकर जाग उठे, पुराने धर्मों द्वारा व्यवहृत प्रत्येक शब्द मानो उद्देश्य के साथ बहिष्कार कर दिये गये। कुपाणों द्वारा समर्थित गान्धार-शैली की कला एकाएक बन्द हो गयी और समूर्णतः स्वदेशी मूर्ति-शिल्प और वास्तु-शिल्प की प्रतिष्ठा हुई। राजकीय पदों के नाम नये सिरे से एकदम बदल दिये गये। समाज और जाति की व्यवस्था में भी परिवर्तन किया गया था—इस बात का सबूत मिल जाता है। सारा उत्तरी भारत जैसे एक नया जीवन लेकर नयी उमंग के साथ प्रकट हुआ। इस काल से भारतीय चिन्ता-स्रोत एकदम नयी दिशा की ओर मुड़ता है। कला और साहित्य की चर्चा करनेवाला कोई भी व्यक्ति इस नये धुमाव की उपेक्षा नहीं कर सकता। जिन दो-तीन सौ वर्षों की ओर शुल्क में इशारा किया गया है, उनमें भारतवर्ष में धायद विदेशी जातियों के एकाधिक आक्रमण हुए थे, प्रजा सन्दर्भ स्त थी, जगरिया विध्यस्त हो गयी थीं, जनपद आग की लपटों के शिकार हुए थे। कालिदास ने अयोध्या की दारण धीना-वस्था दिखाने के बहाने मानो गुप्त सम्राटों के पूर्ववर्ती काल के रामूद नागरिकों

की जो दुर्देशा हुई थी, उसका अत्यन्त हृदयविदारी चित्र स्थिता है। निष्ठितशास्त्री राजा के अभाव में नगरियों की असंख्य अट्टालिकाएँ भग्न, जीर्ण और पतित हो चुकी थीं, उनके प्राचीर गिर चुके थे, दिनान्तकालीन प्रचण्ड आधी से छिन्न-भिन्न मेघपटल की भाँति वे श्रीहीन हो गये थे। नगरिकों के जिन राजपथों पर धनी रात में भी निर्मय विचरण करनेवाली अभिसारिकाओं के नूपुरशिखन का स्वर सुनायी देता था, वे राजपथ शुगालों के विकट नाद से भयंकर हो रहे थे। जिन मुक्तरिणियों में जलक्रीडा-कालीन मृदगों की मधुर ध्वनि उठा करती थी, उनमें जंगली में से लोटा करते थे और अपने पृथुंग-प्रहार से उन्हें गेंदता कर रहे थे। मृदंग के ताल पर नाचने के अन्यस्त सुवर्णपट्टि पर विधाम करनेवाले श्रीडा-मधुर अब जंगली हो चुके थे, उनके मुलायम बहुभार दादागिन से दग्ध हो चुके थे। अट्टालिकाओं की जिन सीढियों पर रमणियों के सराग-पद संचरण करते थे, उन पर व्याघ्रों के लहू-तुदान पद दौड़ा करते थे। बड़े-बड़े राजकीय हाथी, जो पश्चवन में अवतीर्ण होकर मृणालनालों द्वारा करेणुओं की सम्बर्धना किया करते थे, सिंहों से आकान्त हो रहे थे। सौधस्तम्भों पर लकड़ी की बनी स्त्री-मूर्तियों का रण धूसर हो गया था और उन पर सर्पों की लटकती हुई केंचुली ही उत्तरीय का काये कर रही थी। हर्म्यों में के अमल-ध्वनि प्राचीर काले पड़ गये थे, दीवारों के फाँक में से तृणावलियाँ निकल पड़ी थीं, चन्द्रकिरणें भी उन्हें पूर्ववत् उद्भासित नहीं कर सकती थीं। जिन उद्यान-सत्ताओं से विलासिनियाँ अति सदय भाव से पुष्प चयन करती थीं, उन्हीं को बानरों ने दुरी तरह से छिन्न-भिन्न कर डाला था; अट्टालिकाओं के गवाक्ष रात में न तो भागल्य प्रदीप से और न दिन में गृहलक्ष्मियों की मुख्कान्ति से ही उद्भासित हो रहे थे, मानो उनकी लज्जा ढकने के लिए ही मकडियों ने उन पर जाला तान दिया था। नदियों के संकरों पर पूजन-सामग्री नहीं पड़ती थी, स्नान की चहल-पहल जाती रही थी, उपन्त्य देवा के बेतसलता कुञ्ज सूने पड़ गये थे ('रघुवंश', 16-11-21)। ऐसे ही विष्वस्त भारतवर्ष को गुप्त-सम्भाटों ने नया जीवन दिया। क्षालिदास के ही शब्दों में कहा जाय तो सम्भाट के नियुक्त शिल्पियाँ ने प्रचुर उपकरणों से उस दुर्देशाप्रस्त नगरी को इस प्रकार नवी बना दिया जैसे निदाप-ग्लपित धरित्रि को प्रचुर जल-वर्षण से मेघण !

ता शिल्पसंघः प्रमुणा नियुक्तास्तथागता मभृतसाधनत्वात् ।

पुरं नवीचक्षुरपा विसर्गात् मेघा निदापालवितामिवोर्मि ॥

('रघुवंश', 16-38)

गुप्त सम्भाटों के इस पराक्रम को भारतीय जनता ने भवित और प्रेम से देया। शशिविद्याँ और सहस्र-द्वंद्व वीत गये, पर आज तो क्षीवन में गुप्त-सम्भाट घुरे हुए हैं। केवल इसलिए विक्रमादि नारतीय लोक-जीवन के भारतीय धर्म, समाज, साहित्य की कहानियाँ नि आज

से आज प्रमाण माने जाते हैं, वे अन्तिम तौर पर गुप्त-काल में रचित हुए थे, वे आज भी भारतवर्ष का चित्त हरण किये हुए हैं; जो शास्त्र उन दिनों प्रतिष्ठित हुए थे, वे आज भी भारतीय चिन्तास्नोत को बहुत-कुछ गति दे रहे हैं। आज गुप्त-काल के पूर्ववर्ती शास्त्र और साहित्य को भारतवर्ष केवल श्रद्धा और भवित्व से पूजा-भर करता है, व्यवहार के लिए उसने इस काल के निर्धारित ग्रन्थों को ही स्वीकार किया है। गुप्त-युग के बाद भारतीय मनीषा की मौलिकता भोधी हो गयी। टीकाओं और निवन्धों का युग युरु हो गया। टीकाओं की टीका और उसकी भी टीका, इस प्रकार मूल ग्रन्थ की टीकाओं की प्रक्रिया छ.-छ., आठ-आठ पुस्तक तक चलती रही। आज जब हम किसी विषय की आलोचना करते समय 'हमारे यहाँ' के शास्त्रों की दुहाई देते हैं, तो अधिकतर इसी काल के बने ग्रन्थों की ओर इशारा करते हैं। यद्यपि गुप्त-सम्राटों का प्रबल पराक्रम छठी शताब्दी में ढल पड़ा था, पर साहित्य के क्षेत्र में उस युग के स्थापित आदर्शों का प्रभाव किसी-न-किसी रूप में इस की नौवी शताब्दी तक चलता रहा। मोटे तौर पर इस काल तक को हम गुप्त-काल ही कहे जायेंगे।

## इस काल के साहित्य का प्रभाव

सन् 1883ई. में मैक्समूलर ने अपना वह प्रसिद्ध मत उपस्थित किया था जिसमें कहा गया था कि यवनों, पार्थियों और शकों आदि के द्वारा उत्तर-पश्चिम भारत पर वार-बार आक्रमण होते रहने के कारण कुछ काल के लिए संस्कृत में साहित्य बनना बन्द हो गया था। कालिदास के युग से, नये सिरे से संस्कृत भाषा की पुनः प्रतिष्ठा हुई और उसमें एक अभिनव ऐहिकतापरक (सेखयूलर) स्वर सुनायी देने लगा। ('इण्डिया', 1883, पृ. 281)। यह मत बहुत दिनों तक विद्वन्मण्डली में समादृत रहा, पर अब नहीं माना जाता। फिर भी, जैसाकि डाक्टर कीथ ने कहा है, यह इस रूप में अब भी जी रहा है कि उक्त पुनःप्रतिष्ठा के युग के पहले तक संस्कृत भाषा ऐहिकितापरक भावों के लिए बहुत कम प्रयुक्त होती थी। ऐसे भावों का प्रधान बाहक प्राकृत भाषा थी। प्राकृत की ही पुस्तकों वाद में चलकर ग्राहणों द्वारा संस्कृत में अनूदित हुई ('हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर', 1828, पृ. 39)। स्वयं कीथ साहब इस मत को नहीं मानते। उन्होंने वैदिक साहित्य के प्रमाणों से यह सिद्ध कर दिखाने का प्रयत्न किया है कि ऐहिकतापरक काव्य का बीज बहुत प्राचीन काल के संस्कृत साहित्य में भी वर्तमान था। राजाओं की

प्रशंसा या स्तुति गानेवाले कवि उन दिनों भी थे, और इन स्तुति-सम्बन्धी शानों को जो अधिकाधिक परिमार्जित रूप देने की चेष्टा की गयी होगी, इस कल्पना में बिलकुल ही अतिरिक्त नहीं है। परन्तु संस्कृत में ऐहिकतापरक रचना होती रही हो या नहीं, निर्विवाद बात यह है कि सन् ईसवी के आसपास ऐहिकतापरक रचनाओं का बहुत प्राचुर्य हो गया था। इनका आरम्भ भी सम्भवतः प्राकृत से हुआ था। इस प्रकार की रचनाओं का सबसे प्राचीन और साथ ही सबसे प्रीड़ संकलन 'हाल' की मन्त्रमई में बनाया जाता है। इस ग्रन्थ का काल कुछ लोग सन् ईसवी के आसपास मानते हैं और कुछ लोग चार-पाँच सौ वर्ष बाद। कुछ पण्डितों का मत है कि हाल की मत्तसई में जो ऐहिकतापरक रचनाएँ हैं उनके भावों का प्रवेश भारतीय माहित्य में किसी विजातीय मूल से हुआ है। यह मूल आभीरों या अहीरों की लोकगाथाएँ हैं। यहाँ इस विषय पर विस्तारपूर्वक विचार नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह हमारे वक्तव्य के बाहर चला जाता है। हमने अपनी पुस्तक 'हिन्दू माहित्य की भूमिका' में इस प्रश्न पर कुछ ज्ञानादार विस्तार के साथ विचार किया है। यहाँ प्रकृत इतना ही है कि गुप्त-सम्राटों की छत्रच्छाया में एकाएक नवीन अशातपूर्व स्फूर्ति का परिचय मिलता है।

## ऐहिकतापरक काव्य

यद्यपि वैदिक साहित्य में गद्य-पद्य में लिखी हुई कहानियों की कमी नहीं है, पर जिसे हम अलंकृत काव्य कहते हैं, जिसका प्रधान उद्देश्य रस-सूचित है, निर्दिचित रूप से उसका बहुत प्रचार गुप्त-सम्राटों की छत्रच्छाया में ही हुआ। यद्यपि यह निर्दिचित है कि जिस रूप में मुखिकसित गद्य का प्रचार इस युग में दियायी देता है, उस रूप को प्राप्त होने में उसे कई शातान्दियों लग गयी होंगी। सोभाग्यवद्द हमारे पास कुछ ऐसी प्रशस्तियां प्राप्त हैं जिन पर से अलंकृत गद्य के प्राचीन अस्तित्व में कोई मनदेह नहीं रह जाता। गिरनार में महाधात्रप छद्मामा (साधारणतः 'रुद्रदामन्' रूप में परिचित) का सुदवाया हुआ जो लेख मिला है, उससे निस्तन्दिग्ध रूप से प्रमाणित होता है कि 150 ई. के पूर्व संस्कृत में सुन्दर गद्यकाव्य लिखे जाते थे। यह सारा निष्ठ गद्यकाव्य का एक नमूना है। इसमें महाधात्रप ने अपने को 'इष्ट-नपु-मगुर-चित्र-कान्त-शब्द-मययोदारासंकृत-गद्य-गद्य' का मर्मज बताया है, जिससे अनकृत पद्यों के ही नहीं, अनंकार शास्त्र के अस्तित्व का भी प्रमाण पाया जाता है। यह गद्यकाव्य दया थे, यह तो हमें नहीं मानूम, पर उनकी रचना श्रौत-

और गुम्फ आकर्पक होते होंगे, इस विषय में सन्देह की जगह नहीं है। सम्राट् समुद्रगुप्त ने प्रयाग के स्तम्भ पर हरियेण कवि द्वारा रचित जो प्रशस्ति खुदवायी थी, वह एक दूसरा सबूत है। हरियेण ने इस प्रशस्ति को सम्भवतः 530 ई. मे लिखा होगा। इसमें गद्य और पद्य दोनों का समावेश है और रचना में काव्य के सभी गुण उपस्थित हैं। सुवन्धु और वाण ने अपने रोमांसों के लिए जिस जाति का गद्य लिखा है, इस प्रशस्ति का गद्य उसी जाति का है। हरियेण के इस काव्य से निश्चित रूप से प्रमाणित होता है कि इसके पहले भी सरस पद्य और गद्यकाव्य का अस्तित्व था।

भरत के 'नाट्यशास्त्र', नन्दिकेश्वर के 'अभिनयदर्पण', वात्स्यायन के 'काम-सूत्र', भास के अनेक नाटक, कौटिल्य के अर्थशास्त्र आदि महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों के प्रकाशन और आलोचन के बाद इस बात में अब किसी को सन्देह नहीं रह गया है कि सन् ईसवी के आसपास भारतीय जनता के पास ऐहिकतापरक सरस साहित्य की कभी नहीं थी। अब शायद ही कोई संस्कृतवेत्ता ऊपर की अटकल-पच्चू बातों को महत्त्व देता हो। परन्तु फिर भी यह सत्य है कि उस विशाल और महान् साहित्य का एक अंशमात्र ही हमें मिल सका है और अधिकतर हमें परवर्ती काल के ग्रन्थों का ही आश्रय लेना पड़ता है।

इसलिए इस वक्तव्य को मैंने जो गुप्त-साम्राज्य के कुछ इधर-उधर के समय तक सीमित रखा है, वह बहुत अनुचित नहीं है। मैं उसके पूर्व और पश्चात् के साहित्य से भी कभी-कभी साधन जुटाने का प्रयास करूँगा, पर प्रधान उपजीव्य इस काल के साहित्य को मानूँगा। यह तो कहना ही व्यर्थ है कि इस सीमित काल का भी पूरा परिचय मैं नहीं दे सकूँगा। आपका दिया हुआ समय और मेरी अल्प जानकारी, दोनों ही ऐसे अंकुश हैं जो मुझे इधर-उधर नहीं भटकने देंगे।

## कला : महामाया का चिन्मय विलास

कलात्मक आमोदों की चर्चा करने के पहले यह जान रखना आवश्यक है कि इन आचरणों के तीन अत्यन्त स्पष्ट पहलू हैं: (1) उनके पीछे का तत्त्ववाद; (2) उनका कल्पनात्मक विस्तार; और (3) उनकी ऐतिहासिक परम्परा। मनुष्य-समाज में सामाजिक रूप से प्रचलित प्रत्येक आचरण के पीछे एक प्रकार का दार्शनिक तत्त्ववाद हुआ करता है। कभी-कभी जाति उस तत्त्व को अनजान में स्वीकार किये रहती है और कभी-कभी जान-बूझकर। जो बातें अनजान में स्वीकृत हुई हैं वे सामाजिक रुद्धियों के रूप में चलती रहती हैं, परन्तु जाति की ऐतिहासिक

परम्परा के अध्ययन से स्पष्ट ही पता चलता है कि वह किस कारण प्रचलित हुआ था। इस प्रकार प्रथम और तृतीय पहलू आपाततः विश्वद दिलने पर भी जाति की सुचिनित तत्त्व-विद्या पर आधित होते हैं। दूसरा पहलू इन आचरणों की माद अनुभूतिवश प्रकट किया हुआ हार्दिक उल्लास है। उसमें कल्पना का खूब हाथ होता है। परन्तु वह चूंकि हृदय से सीधे निकला हुआ होता है इसलिए वह उस जाति की उस विशेष प्रवृत्ति को समझने में अधिक सहायक होता है जिसका आश्रय पाकर वह आनन्दोपभोग करती है। इस पुस्तक में इसी विशेष प्रवृत्ति को सामने रखने का प्रयत्न किया गया है।

सचिवदानन्दस्वरूप महाशिव की आदि-सिसृक्षा ही शक्ति के रूप में वर्तमान है। प्रत्यक्षकाल में जब महाशिव निहित्य रहते हैं तब समस्त जगत्प्रपञ्च को आत्म-सात् करके महामाया विराजती रहती है। जब शिव को लीला के प्रयोजन की अनुभूति होती है तो फिर वही महाशक्तिरूप महामाया जगत् को प्रपञ्चित करती है। शिव की लीलासङ्की होने के कारण ही उन्हें ललिता कहते हैं। यह लोक-रचना उनकी कीड़ा है, इसमें उन्हें आनन्द आता है; चिन्मय शिव उनके प्रिय सेवा हैं, कीड़ा विनोद के साथी हैं; सदानन्द उनका आहार है, आनन्द ही उनका एकमात्र भोग्य है; और सद्गुरुतो का पवित्र हृदय ही उनकी वासभूमि है। 'ललितास्तवराज' में कहा है:

कीड़ा ते लोकरचना सेवा ते चिन्मयः शिवः ।

आहारस्ते सदानन्दो वासस्ते हृदयं सताम् ॥

'ललिता सहस्रनाम' में इन्हे 'चित्कला', 'आनन्दकलिका', 'प्रेमरूपा', 'प्रियंकरी', 'कलानिधि', 'काव्यकला', 'रसज्ञा', 'रसशेवधि' कहकर स्तुति की गयी है। जहाँ कही मनुष्य-चित्त में सौन्दर्य के प्रति आकर्षण है, सौन्दर्य-रचना की प्रवृत्ति है, सौन्दर्य के आस्वादन का रस है, वहाँ महामाया का यही रूप वर्तमान रहता है। इसलिए सौन्दर्य के प्रति आकर्षण से मनुष्य के चित्त में परमशिव की आदिकीड़पसा ही मूर्तिमान हो उठती है, वह प्रकाराम्तर से महाशक्ति के ललिता-रूप की ही पूजा करता है। ललिता, कला और आनन्द की निधि हैं, वे ही समस्त प्रेरणाओं के रूप में विराजती हैं।

## कला : महामाया की सम्मूर्त्तनशक्ति

दीक्ष-सिद्धान्त में कला का प्रयोग माया के कंचुक के रूप में भी हुआ है। यह कला का स्मृत्ततर रूप है। यह शिव के रूप में, रेता में, मूर्त्तभाव प्रकाश करनेवाली

मानसी शक्ति है—व्यक्ति में नहीं, समष्टि में। सो, आगमों और तन्त्रों में कला का दार्शनिक अर्थ में भी प्रयोग हुआ है। इस प्रयोग को समझने पर आगे की विवरणी ज्यादा स्पष्ट रूप से समझ में आयेगी। कला माया के पाँच कंचुकों या आवरणों में से एक कंचुक या आवरण होती है। काल-नियति-राग-विद्या-कला, ये माया के पाँच कंचुक हैं। इन्हीं से शिवरूप व्यापक चैतन्य आवृत्त होकर अपने को जीवात्मा समझने लगता है। इन पाँच कंचुकों से आवृत्त होने के पहले वह अपने वास्तविक स्वरूप को समझता रहता है। उसका वास्तविक स्वरूप क्या है? नित्यत्व-व्यापकत्व-पूर्णत्व-सर्वज्ञत्व और सर्वकर्तृत्व उसके सहज धर्म है। अर्थात् वह सर्वकाल और सर्वदेश में व्याप्त है, वह अपने-आपमें परिपूर्ण है, वह ज्ञानस्वरूप है और सबकुछ करने का सामर्थ्य रखता है। माया से आच्छादित होने के बाद वह भूल जाता है कि वह नित्य है, यही माया का प्रथम आवरण या कंचुक है। इसका दार्शनिक नाम काल है। जो नित्य है, उसे काल का अनुभव नहीं होता, काल तो सीमावद्ध व्यक्ति ही अनुभव करता है। इसी प्रकार जो सर्वदेश में है, वह अपने को नियत देश में स्थित एकदेशी मानने लगता है। यह माया का दूसरा कंचुक या आवरण है। इसका शास्त्रीय नाम नियति है। नियति अर्थात् निश्चित देश में अवस्थान। फिर जो पूर्ण या, वह अपने में अपूर्णता अनुभव करने लगता है, अपने को कुछ पाने के लिए उत्सुक बना देता है, उसे जिस 'कुछ' का अभाव खटकता है उसके प्रति राग होता है। यह माया का तीसरा कंचुक है। जो सर्वज्ञ है, वह अपने को अल्पज्ञ मानने लगता है। उसे कोई सीमित वस्तु के ज्ञान प्राप्त करने की उत्सुकता अभिभूत कर लेती है। यह ज्ञान का कल्पित अभाव ही उसे छोटी-मोटी जानकारियों की ओर आकृष्ट करता है। यही विद्या है। यह माया का चौथा कंचुक है। फिर, जो सबकुछ कर सकनेवाला होता है, वह भूल जाता है कि 'मैं सर्वकर्त्ता हूँ'। वह छोटी-मोटी वस्तु के बनाने में रस पाने लगता है। यही कला है। यह माया का पाँचवाँ कंचुक है, अर्थात् यह माया की रूपविधायिनी शक्ति है। इसी शक्ति के बल पर माया जीवत्वप्राप्त शिव को कुछ नयी रचना करने की बुद्धि देती है। नया रचा वया जा सकता है? सबकुछ तो महामाया ने स्वयं प्रस्तुत कर रखा है। परन्तु इन्हीं उपादानों से इन्हीं के समान और फिर भी इनसे विशिष्ट रचना की प्रवृत्ति महामाया की दी हुई प्रवृत्ति है। इससे वह सुन्दर की रचना करता है, लीला का आनन्द पाता है और यदि सम्भलकर चला तो महामाया के ललिता-रूप का साक्षत्कार पाता है। ये सब कंचुक-सत्य हैं। प्रत्येक मनुष्य इनसे बंधा है। परन्तु इनके दो पहलू होते हैं। जब ये मनुष्य को अपने-आप तक ही सीमित रखते हैं तो ये वन्धन बन जाते हैं; परन्तु जब ये अपने ऊपरवाले तत्त्व की ओर उन्मुख करते हैं तो मुक्ति के साधन बन जाते हैं। इसीलिए जिस कंचुक का लक्ष्य वह कंचुक ही होता है, वह कभी भारतीय समाज में समादृत नहीं हुआ; परन्तु जो परमतत्त्व की ओर उन्मुख कर देता है, वही उत्तम है। कला भी वही थ्रेष्ठ है जो मनुष्य को अपने-आपमें ही सीमित न रखकर परमतत्त्व की ओर उन्मुख कर देती

है। कला का लक्ष्य कला कभी नहीं है। उसका लक्ष्य है भास्मस्वरूप का साक्षात्कार मा परमतत्त्व की ओर उन्मुखीकरण। हम आगे जो विवरण उपस्थित करेंगे, उसमें यथासम्भव उसके अन्तर्निहित तत्त्ववाद की ओर चार-चार अंगुलिनिर्देश नहीं करेंगे। हमारा यह भी वक्तव्य नहीं है कि विलासियों ने सब समय उस अन्तर्निहित तत्त्ववाद को समझा ही है, परन्तु इतना हम अवश्य कहेंगे कि भारतवर्ष के उत्तम कवियों, कलाकारी और सहृदयों के मन में यह आदर्श बराबर काम करता रहा है। इसकी जो भोग में विश्वान्ति है वह ठीक नहीं है, वह कला वन्धन है; पर जिसका इशारा परमतत्त्व की ओर है, वही कला कला है।

विश्वान्तिर्यज्ञस्य सम्भोगे सा कला न कला मता ।  
लीयते परमानन्दे यथात्मा सा परा कला ॥

## कला की साधना

प्राचीन भारत का रईस केवल दूसरों से सेवा कराने में ही जीवन की सार्थकता नहीं समझता था, वह स्वयं कलाओं का जानकार होता था। नागरकों की खास-खास कलाओं का अभ्यास कराया जाता था। केवल शारीरिक अनुरंजन ही कला का विषय न था, मानसिक और बौद्धिक विकास का ध्यान पूरी मात्रा में रखा जाता था। उन दिनों किसी पुष्टि को राजसभा और सहृदय-गोप्तियों में प्रवेश पा सकने के लिए कलाओं की जानकारी आवश्यक होती थी, उसे अपने को गोप्ती-विहार का अधिकारी सिद्ध करना होता था। 'कादम्बरी' में वैशम्पायन नामक तीते को जब चउण्डाल-कन्या राजा शूद्रक की सभा में ले गयी, तो उसके साथी ने उस तीते में उन सभी गुणों का होना बताया था जो किसी पुष्टि को राजसभा में प्रवेश पाने के घोष्य प्रमाणित कर सकते थे। उक्सने कहा था (कथामुख) कि यह तीता सभी यास्त्रार्थी को जानता है; राजनीति के प्रयोग में कुशल है; गान और संगीत-शास्त्र की बाईस ध्रुतियों का जानकार है; काव्य-नाटक, आख्यायिका-आश्यानक आदि विविध मुभापितों का मर्मज्ञ भी है और कर्त्ता भी है; परिहास-लाप में चतुर है; वीणा, वेणु, मुरज आदि वाद्यों का अतुलनीय श्रोता है; नृत्य-प्रयोग के देखने में निपुण है; चित्रकार्म में प्रबोध है; शूत-व्यापार में प्रगति है; प्रणय-कलह में कोष करनेवाली मानवती प्रिया को प्रसन्न करने में उत्तम है; हाथी, घोड़ा, पुष्टि और स्त्री के लक्षणों को पहचानता है। 'कादम्बरी' में ही आगे चलकर चन्द्रापीड़ को सिखायी गयी कलाओं की विस्तृत मूर्ची दी गयी है।

(दे. परिशिष्ट)। इसमें व्याकरण, गणित और ज्योतिष भी हैं, मान, वाद्य और नृत्य भी हैं; तैरना, कूदना आदि व्यायाम भी हैं; लिपियों और भाषाओं का ज्ञान भी है; काव्य, नाटक और इन्द्रजाल भी हैं और बड़ई तथा मुनार के काम भी हैं। वात्स्यायन के 'कामसूत्र' में कुछ और ही प्रकार की कला-विद्याओं की चर्चा है। बीड़ ग्रन्थों में 84 प्रकार की कलाओं का उल्लेख है, और जैन ग्रन्थों में 72 प्रकार की कलाओं का। कुछ ग्रन्थों में दी हुई सूचियाँ इस ग्रन्थ के अन्त में सकलित कर दी गयी हैं।

परन्तु इन सूचियों के देखने से ही यह स्पष्ट हो जायेगा कि कला की संख्या कोई सीमित नहीं है। सभी प्रकार की सुकुमार और बुद्धिमूलक क्रियाएँ कला कहलाती थी। कला के नाम पर कभी-कभी लोगों से ऐसा काम करने को कहा गया है कि आश्चर्य होता है। एक अपेक्षाकृत परवर्ती ग्रन्थ में इस सम्बन्ध में एक मनोरंजक कहानी दी हुई है। काशी के राजा जयिवचन्द्र की एक रखेली रानी मूहव देवी थी। कुछ दिनों तक उसका दरवारियों पर निरंकुश शासन था। कहते हैं, उसने एक बार श्रीहर्ष कवि से पूछा कि तुम क्या हो? कवि ने जवाब दिया कि मैं 'कला-सर्वज्ञ' हूँ। रानी ने कहा, 'अगर तुम सचमुच कला-सर्वज्ञ हो तो मेरे पैरों में जूता पहनाओ।' मनस्वी ब्राह्मण-कवि उस रानी को धूणा की दृष्टि से देखता था, पर कलासर्वज्ञता तो दिखानी ही थी। दूसरे दिन चमार का वेश धारण करके कवि ने रानी को जूता पहनाया और फिर से ब्राह्मणवेश धारण ही नहीं किया, बल्कि संन्यासी होकर गंगातट पर प्रस्थान किया ('प्रबन्ध-कोश', पृ. 57)!

## वात्स्यायन की कलाएँ

इसवी सन् के आसपास ऐतिहासिक जीवन को आनन्दमय बनानेवाले जो शास्त्र लिखे गये उनमें वात्स्यायन का 'कामसूत्र' बहुत महत्वपूर्ण है। इस ग्रन्थ से पता चलता है कि बहुत पुराने जमाने से ही इस विषय पर बहुत बड़ा साहित्य उपलब्ध था। 'कामसूत्र' के आरम्भ में ही लिखा है कि प्रजापति ने प्रजाओं को सृष्टि करके उनकी स्थिति के लिए धर्म, अर्थ और काम नामक विवरों के साधन के लिए एक जात अध्यायों का कोई ग्रन्थ निकाला था। फिर प्रत्येक वर्ग पर यनु, वृहस्पति और महादेवानुचर नन्दी ने अलग-अलग ग्रन्थ लिखे, नन्दी का ग्रन्थ एक सहस्र अध्यायों का था। उस ओहालकि श्वेतकेतु ने पाँच सौ अध्यायों में संक्षिप्त किया और उसे भी वाभ्रव्य पांचाल ने और छोटा करके डेढ़ सौ अध्यायों में संक्षिप्त किया। इसमें

मान अधिकारण थे—माधवरण, माम्प्रयोगिक, भार्यापिकारिक, पारदारिक, वंशिक और शोपनिषट्टिक । इन सातों को भिन्न-भिन्न आचार्यों ने असम से समादित किया । वात्स्यायन वा प्रथ्य इनका सार है । इसमें नागरक-जनों के जानने योग्य कल्पनाओं की मुख्यी है (परिशिष्ट में देखियें), और पाचात की बतायी हुई रसाएं भी दी गयी हैं ।

वात्स्यायन की गिनायी हुई कलाओं में लगभग एक तिहाई तो विशुद्ध माहिन्यिक है । वासी में कुछ नायक-नायिकाओं की विलास-श्रीड़ा में सहायक हैं, कुछ मनोविनोद में साधक हैं और कुछ ऐसी भी हैं जिन्हें दैनिक प्रयोगों का पूरक बहा जा सकता है । याना, चजाना, नृत्य, चित्रकारी, प्रिया के कपोल और तलाट की शोभा बहा सकनेवाले भोजपथ के काटे हुए पत्रों की रचना करना (विशेष-वस्त्रेण्य), फसं पर विविध रंगों के पुष्पों और रंगे हुए चावलों से नाना प्रकार के नयनाभिराम विश्व बनाना (नन्दुल-कुमुम-विकार), कूल विद्धाना, दौत और वस्त्रों का रंगना, कूलों वीं संज रचना, ग्रीष्मकालीन विहार के लिए मरकत आदि पत्थरों का यज बनाना, जल-श्रीड़ा में मुख-ज-मृदग आदि वाजों को फूलों से सजाना, कान के लिए हाथीदात के पनरो से जाभरण बनाना, सुगन्धित धूप-दीप और वत्तियों का प्रयोग जानना, शहना पहनाना, इन्द्रजाल और हाथ की सफाई, चोली आदि का नीना, भोजन और शरबत आदि बनाना, कुशासन बनाना, वीणा-डमरू आदि वज्र लेना, इत्यादि कलाएं उन दिनों सभी सभ्य व्यक्तियों के लिए आवश्यक मानी जाती थीं । मस्कून साहित्य में इन कलाओं का विपुल भाव से वर्णन है । किसी विलासिनी के कपोल-तल पर प्रिय ने सौभाग्य-मजरी अकित कर दी है, किसी प्रिया के कानों में आगण्ड-विलम्बित-केसरवाला शिरीष-पुण्य पहनाया जा रहा है, कहीं विलासिनी के कपोल-देश की चन्दन-पत्रलेप्या कपोल-भित्ति पर कुमुमवाणों के लगे घाव पर पट्टी वीं भाँति वंधी दिल रही है, कहीं प्रिया के कमल-कोमता पद्मतल पर वेपथु-विलम्बित हाथों की बनी हुई अलकतक-रेखा टेढ़ी हो गयी है, कहीं नागरकों के द्वारा स्पष्टिल-पीठिकाभीं पर कुमुमस्तरण हो रहा है, कहीं जलकीड़ा के सभ्य श्रीड़ा-दीधिका से उत्तित मृदग-द्वन्द्वि ने तीरस्थित मयूरों को उत्कण्ठित कर दिया है । इस प्रकार के सैकड़ों कला-विलास उस पुण के साहित्य में पद्मपद पर देखने को मिल जाते हैं ।

परवर्ती साहित्य और नागरिक-जीवन में भी वात्स्यायन द्वारा निर्धारित कलाओं का बड़ा प्रभाव है । काब्य-नाटकों के साहित्य में मनुष्य की भोग-वृत्ति का जब प्रसग आता है, तो वात्स्यायन की कलाएं और कामसूत्रीय विधान कवि के प्रधान मार्गदर्शक हो जाते हैं । संसार के कम देशों के कामसास्त्रों ने काव्य-साहित्य को इनना प्रभावित किया होगा ।

इन कलाओं में कुछ उपयोगी कलाएं भी हैं । उदाहरणार्थ, वास्तुविद्या या गृह-निर्माणकला, व्य्य-रत्न-परीक्षा, धातु-विद्या, कीमती पत्थरों का रंगना, वृक्ष-युक्त या पेड़-पीढ़ों की विद्या, हथियारों की पहिचान, हाथी-घोड़ों के लक्षण

इत्यादि । वराहमिहिर की 'वृहत्संहिता' से ऐसी बहुतेरी कलाओं की जानकारी हो सकती है; जैसे, वास्तुविद्या (अध्याय 53), वृक्षायुवेद (अध्याय 55), वज्रलेप (अध्याय 57), कुकुट-सक्षण (अध्याय 63), श्यासन (अध्याय 78), गन्ध-युवित (अध्याय 77), रत्नपरीक्षा (अध्याय 80-83), इत्यादि । कलाओं में ऐसी भी बहुत है जिनका सम्बन्ध किसी मनोविनोद मात्र से है; जैसे, भेड़ों की और मुर्गों की लड़ाई, तोतों और मैनों को पढ़ाना आदि । सम्भ्रान्त परिवारों के महलों का एक हिस्सा भेड़-मुर्गे, तीतर-बटेर के लिए होता था और अन्त.चतु.शाल के भीतर तीता-मैना अवश्य रहा करते थे । हम आगे चलकर देखेंगे कि उन दिनों सम्भ्रान्त रईस के अन्त.पुर में कोकिल, हंस, कारण्डव, चक्रवाक, सारस, मयूर और कुकुट बड़े दौक से पोसे जाते थे । अन्त.पुरिकाओं और नागरकों के मनोविनोद में इन पक्षियों का पूरा हाथ होता था ।

## नाट्यशास्त्र

सन् ईसवी के आरम्भ होने के एकाध शताब्दी के बाद का लिखा हुआ एक और भी महत्वपूर्ण ग्रन्थ है, जिससे तत्कालीन मुसांस्कृत लोकसंचिका बहुत सुन्दर परिचय मिलता है । यह है भरत का 'नाट्यशास्त्र' । इसमें उन दिनों के नाच, गान, वाजा, छन्द, अलकार, वेशभूषा का बहुत ही सुन्दर और प्रामाणिक विवरण मिलता है । यह ग्रन्थ एक विशाल विश्वकोप है । इसके पूर्व अनेक नाट्यग्रन्थ और नाटक लिखे गये होंगे और नृत्य, संगीत आदि सुकुमार विनोदों की बहुत पुरानी परम्परा रही होगी; व्योंकि 'नाट्यशास्त्र' में सैकड़ों ऐसी नाटकरूद्धियाँ बतायी गयी हैं जो विना दीर्घ-काल की परम्परा के बन ही नहीं सकती । बाद में इस ग्रन्थ के आधार पर 'नाट्य-लक्षण', 'दशाहृष्टपक' आदि ग्रन्थ लिखे गये, पर उनकी दृष्टिप्रधान घप से कवियों को नाटक बनाने की विधि बता देने तक ही सीमित थी । परन्तु भरत के 'नाट्यशास्त्र' की दृष्टि बहुत व्यापक थी । वे केवल कवियों के लिए नाटक तैयार करने का फार-मूला नहीं बता रहे थे, अभिनेताओं के लिए रगमच पर उतरने का कौशल और अभिनय की महिमा भी बताना चाहते थे और दर्शकों को रस ग्रहण करने का उपाय भी बताना उनका उद्देश्य था । इसलिए 'नाट्यशास्त्र' नाना दृष्टियों से अत्यन्त महत्व-पूर्ण ग्रन्थ हो गया है । हमें इस ग्रन्थ से बहुत सहायता मिलती है । अत्यन्त प्राचीन काल के तिमिरावृत इतिहास में यह ग्रन्थ प्रदीप का कार्य करता है ।

'नाट्यशास्त्र' जैसे-तर्जे से व्यक्ति को प्रेक्षक नहीं मानता । जो व्यक्ति नाटक का

या नृत्यादि का अच्छा प्रेक्षक हो, वह गव प्रकार में सद्गुणसील हो तभी रम ठीक-ठीक ग्रहण कर सकता है। वह जास्ती वा। जानकार, नाटक के छः अंगों का ज्ञाता, चार प्रतीक के आनोखे वाजों का मर्मज्ञ गव प्रकार के पहचावे का जानकार, नाना देश-भागाओं का पण्डित, मव स्वाभों और शिल्प में विचारण, चतुर और अभिनय-मर्मज्ञ हो तो ठीक है। (23-51-52)। 'नाट्यशास्त्र' जानता है कि ऐसे मर्मज्ञ रम होने हैं और जब वहें भारी भमाज में अभिनय किया जाता है तो मर्मज्ञों का अनुग्रान बहुत अच्छ होता है, पर आदर्श प्रेक्षक वही है। इस प्रेक्षक को नाना कलाओं की धिक्षा में सुमधुर करना पड़ता है। उसे नाट्यघर्मी और लोकधर्मी गीतियों का अभ्यास करना पड़ता है। 'नाट्यशास्त्र' ने यह कर्तव्य भी सुन्दर ढंग से नियाहृत है।

## कलाओं की प्राचीनता

यह तो नहीं कहा जा सकता कि कलाओं की गणना बौद्ध-पूर्वकाल में प्रचलित ही थी, पर अनुमान से निश्चय किया जा सकता है कि बुद्ध-काल और उसके पूर्व भी कला-मर्मज्ञता आवश्यक गुण भानी जाने लगी थी। ललितविस्तर में केवल कुमार सिद्धार्थ को सिखायी हुई पुरुष-कलाओं की गणना ही नहीं है, चौसठ काम-कलाओं का भी उल्लेख है<sup>1</sup> और यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि बुद्ध-काल में कलाएँ नागरिक जीवन का आवश्यक अंग हो गयी थी। प्राचीन ग्रन्थों में इनकी संख्या निश्चित नहीं है, पर 64 की संख्या शायद अधिक प्रचलित थी। जैन ग्रन्थों में 72 कलाओं की चर्चा है। पर बौद्ध और जैन दोनों ही सम्प्रदाओं में 64 कलाओं की चर्चा भी मिल जाती है। जैन ग्रन्थ इन्हे 64 महिलागुण कहते हैं। 'कालिका-पुराण' एक अर्वाचीन उपपुराण है। सम्भवतः इसकी रचना विक्रम की दसवीं शताब्दी में असम प्रदेश में हुई थी। इस पुराण में कला की उत्पत्ति के विषय में यह कथा दी हुई है। ब्रह्मा ने पहले प्रजापति और मानसोत्पन्न ऋूपियों को उत्पन्न किया, फिर सम्भ्या नामक कन्या को उत्पन्न किया और तत्पश्चात् सुप्रसिद्ध

1. चन्द्र पट्टि कामकलितानि चानुभविद्या ।  
नूपुरपैष्ठला अभिहनी विग्निदूदकना ॥  
कामसमर्थास्त्रमदना; प्रहसितवदना, ।  
किन्तवार्यंतु विहृति यदि त भजते ॥

मदन देवता को, जिसे गृहियों ने मन्मथ नाम दिया। ब्रह्मा ने मदन देवता को वर दिया कि तुम्हारे वाणीं के लक्ष्य से कोई नहीं बच सकेगा। तुम अपनी इस त्रिमुखन-विजयी शक्ति से सृष्टि-रचना में मेरी मदद करो। मदन देवता ने इस वरदान और कर्तव्य-भार को दिरसा स्वीकार किया। प्रथम प्रयोग उसने ब्रह्मा और सन्ध्या पर ही किया। परिणाम यह हुआ कि ब्रह्मा और सन्ध्या प्रेम-पीड़ा से अधीर हो उठे। उन्हीं के प्रथम समागम के समय ब्रह्मा के 49 भाव हुए तथा सन्ध्या के विव्वोक आदि हाव तथा 64 कलाएँ हुईं। कला की उत्पत्ति का यही इतिहास है। 'कालिका-पुराण' के अतिरिक्त किसी अन्य पुराण से यह कथा समर्थित है कि नहीं, नहीं मातृम्। परन्तु इतना स्पष्ट है कि 'कालिकापुराण' 64 कलाओं की महिलागुण ही मानता है।

श्रीयुक्त ए. वैकट सुब्बेया ने भिन्न-भिन्न ग्रन्थों से संग्रह करके कलाओं पर एक पुस्तिका प्रकाशित की है, जो इस विषय के जिज्ञासुओं के बड़े काम की है। उसकी मूर्चियों को देखने में पता चलता है कि कला उन सब प्रकार की जान-कारियों को कहते हैं जिनमें थोड़ी-सी चतुराई की आवश्यकता हो। व्याकरण, छन्द, ज्योतिष, न्याय, वैद्यक और राजनीति भी कला है; उच्चना, कूदना, तलवार चलाना और घोड़ा-चढ़ना भी कला है; काव्य, नाटक, आख्यायिका, समस्यापूर्ति, विन्दुमती, प्रहेलिका भी कला है; स्त्रियों का शृगार करना, कपड़ा रेंगना, चोली सीना, सेज विछाना भी कला है; रत्न और मणियों को पहचानना, घोड़ा, हाथी, पुरुष-स्त्री, छाग-मेष और कुब्कुट का लक्षण जानना, चिड़ियों की बोली से शुभाशुभ का ज्ञान करना भी कला है और तिनिर-वटेर का लड़ाना, तोता-मैना का पढ़ाना, जुआ खेलना भी कला है। पुराने ग्रन्थों से यह जान पड़ता है कि कलाएँ पुरुषों के ही योग्य मानी जाती थी, यद्यपि कोई-कोई गणिका भी उन कलाओं में पारंगत पायी जाती थी। ये गणित, दर्शन, युद्ध, घुड़सवारी आदि की कलाएँ हैं। कुछ कलाएँ विद्युद कामशास्त्रीय हैं और हमारे विषय के साथ उनका दूर का ही सम्बन्ध है। सब मिलाकर यह ज्ञात होता है कि 64 कोमल कलाएँ स्त्रियों के सीखने की हैं; और चूंकि पुरुष भी उनकी जानकारी रखकर ही स्त्रियों को आकृष्ट कर सकते हैं, इसीलिए स्त्री-प्रसादन के लिए इन कलाओं का ज्ञान आवश्यक है। 'कामसूत्र' में पंचाल की कला की बात है, वह कामशास्त्रीय ही है। परन्तु वात्स्यायन की अपनी मूर्ची में केवल कामशास्त्रीय कलाएँ ही नहीं हैं, अन्यान्य मुकुमार जान-कारियों का भी स्थान है।

श्री वैकट सुब्बेया ने भिन्न-भिन्न पुस्तकों से कलाओं की दस मूर्चियों संग्रह की है। इनमें पंचाल और यशोधर की कलाओं को छोड़ दिया जाय तो वाकी में ऐसी कोई मूर्ची नहीं है जिसमें काव्य, आख्यान, इलोक-पाठ और समस्यापूर्ति आदि की चर्चा न हो; वैकट सुब्बेया ने जिन पुस्तकों से कलाओं की मूर्ची ग्रहण की है उनके अतिरिक्त भी बहुत-सी पुस्तकें हैं, जिनमें थोड़े-बहुत हेर-फेर के साथ 64 कलाओं की मूर्ची दी हर्इ है।

ऐसा जान पड़ता है कि आगे चलकर कला का अर्थ कोशल हो गया था और भिन्न-भिन्न घट्यकार अपनी हचि, वक्तव्य, वस्तु और संसार के अनुसार 64 नेद कर लिया करते थे। मुप्रसिद्ध कदमीरी पण्डित धेमेन्द्र ने 'कलावितास' नाम की एक छोटी-सी पुस्तक लिखी थी जो 'काव्यमाला चिरीज' (प्रबन्ध गुच्छ) में छप चुकी है। इस पुस्तक में वेश्याओं की 64 कलाएँ हैं, जिनमें अधिकांश लोकाकर्यण और धनापहरण के कोशल हैं; कायस्यों की सोलह कलाएँ हैं, जिनमें लिखने के कोशल ने लोगों को धोखा देना आदि बातें ही प्रमुख हैं; गानेवालों की अनेक प्रकार की धनापहरणरूपी कलाएँ हैं, सोना चुरानेवाले सुनारों की 64 कलाएँ हैं, गणकों या उद्योनिपियों की वहृविध धूतंतार्ण हैं और अन्तिम अध्याय में उन चौंसठ कलाओं की गणना की गयी है जिनकी जानकारी सहृदय को होमी चाहिए। इनमें धर्म-अर्थ-काम-भोक्त की बत्तीस तथा मात्स्य, शील, प्रभाव, मान की बत्तीस कलाएँ हैं। 10 भेषज कलाएँ वे हैं जो मनुष्य के भीतरी जीवन को नीरोग और निवाधि बनाती हैं और सबके अन्त में कला-कलाप में श्रेष्ठ सो सार कलाओं की चर्चा है। धेमेन्द्र की गितायी हुई इन कलाओं में कही भी काव्य या समस्यापूर्ति को स्थान नहीं है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि अपने-अपने वक्तव्य विषय के कोशल को 64 या ततोधिक भागों में विभक्त करके 'कला' नाम दे देना बाद में साधारण नियम हो गया था। परन्तु इसका मतलब यह नहीं कि कोई अनुश्रुति इस विषय में थी ही नहीं। 64 की सम्भ्या का धूम-फिरकर आ जाना ही इस बात का सबूत है कि 64 की अनुश्रुति अवश्य रही होगी। 72 की अनुश्रुति जैन लोगों में प्रचलित है। साधारणतः वे पुरुषोचित कलाएँ हैं। ऐसा लगता है कि 64 की सम्भ्या के अन्दर प्राचीन अनुश्रुति में माध्याध्यत वे ही कलाएँ रही होगी जो चात्स्याध्यन की मूर्ची में हैं। कला का साधारण अर्थ उसमें सभी-प्रसादन और वदीकरण है और उद्देश्य विनोद और रसानुभूति।

## कलाओं के आश्रयदाता रईस

आज के वानिक युग में विभासिता सस्ती हो गयी है। पुराने जमाने में ऐसी बात नहीं थी। प्राचीन भारत का रईस विद्या और कला के पीछे मुक्तहस्त से धन लुटाता था, क्योंकि वह जानता था कि धन के दो ही उपयोग हैं: दान और भोग। यदि दान और भोग के बिना भी कोई अपने को अपनी अपार सम्पत्ति के कारण धनी माने तो भला दरिद्र ही बयो न उस सम्पत्ति से अपने को सम्पत्तिवान् मान ले?

दानभोगविहीनेन धनेन धनिनो यदि ।

तेनैव धनजातेन कर्थं न पनिनो वयम् ॥

आजकल भी, और उन दिनों भी, शान-भोग के अतिरिक्त सम्पत्ति एक तीसरी पस्तु देती है : पावित और सम्मान। उन दिनों भी रईस समाज का सम्माननायन होता था ; परन्तु उन दिनों साधुकर्म और तपोभय जीवन का सम्मान भी कम नहीं था, बल्कि उपलब्ध प्रमाणों के बल पर कहा जा सकता है कि उसका सम्मान अधिक था। फिर भी रईस काफी सम्मान पाता था। वह केवल अपने अपार घन का कृपय भोक्ता भाव नहीं था, बल्कि अपने प्रत्येक आचरण से शिल्पियों और मेवकों की एक बड़ी जमात को धन बांटता रहता था। सुबह से शाम तक वह किर्मा-न-किर्मा शिल्प को अपनी विलासिता से पोषण देता रहता था। उसके उठने-थेटने में उद्दर चलने-फिरने तक में आभिजात्य था। पुराना भारतीय नागरक गुबड़ा-झुड़ान में उठ जाता था और उसके उठने के साथ ही शिल्पियों और मेवकों का दृश्य बदल व्यस्त हो जाता था। उसके मामूली-से-मामूली आचरण में भी आनिष्ट व ईर्ष महिमा व्यजित होती थी। उसके छोटे-से-छोटे आचरण के निपुं भी झर्भ-झर्भ झन्दा में विस्तृत उल्लेख मिलता है। आगे रईस के कुछ दैनिक गुरुर्वारा का द्वामरु किराजा रहा है, जिससे उसकी कला-प्रौद्यकता का अनुमान किया जा सकता है :

है और वाणी को ऐसी बना देती है जो मुननेवालों के जान को सुख देती है :

वर्णप्रसाद चदनस्य कान्ति वैशद्यमास्यस्य सुगन्धिता च ।

समेवितु श्रोत्रसुषा च वाचा कुर्वन्ति काष्ठात्यस्कृदभवानाम् ।

मैं, उन दिनों दातून केवल शरीर के स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए ही थावश्यक नहीं समझी जाती थी, मागल्य भी मानी जाती थी। इस बात का बड़ा विचार यह कि किस पेड़ की दातून किस तिथि को व्यवहार की जाती चाहिए। पुस्तकों में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि किस-किस तिथि को दातून का प्रयोग एकदम करना ही नहीं चाहिए। सो, नागरक की दातून कोई मामूली बात नहीं थी। उसके लिए पुरोहित में लेकर गृह की चेरी तक चिन्तित हुआ करती थी।

## अनुलेपन

दातून की क्रिया के समाप्त होते ही सुशिक्षित भूत्य अनुलेपन का पात्र लेकर उपस्थित होता था। अनुलेपन में विविध प्रकार के द्रव्य हुआ करते थे। कस्तूरी, अगुरु, केसर आदि के साथ दूध की मलाई के मिश्रण से ऐसा उपलेपन तैयार किया जाता था जिसकी सुगन्धि देर तक भी रहती थी और शरीर की चमड़ी को कोमल और स्निग्ध भी बनाती थी। 'थेरगाथा', 'संयुक्त-निकाय' और 'बगुत्तर-निकाय' की अट्टकथाओं में पिल्सी नामक ग्राम के निवासी एक अत्यन्त धनी ब्राह्मण की कथा आती है। उस ब्राह्मण के पुत्र माणवक के लिए शरीर में उबटन लगाने का जी-चूर्ण नित्य तैयार होता था, उसका बजन मगध में प्रचलित नाली नामक माप से 12 नाली हुआ करता था। आधुनिक बजन से यह करीब दस सेर होना चाहिए। इसमें थोड़ी अत्युक्ति भी हो तो अनुलेपन द्रव्य की मात्रा का अन्दाज तो लग ही जाता है।

परन्तु 'काममूर्त' की गवाही से हम अनुमान कर सकते हैं कि चन्दन का अनु-लेपन ही अधिक पसन्द किया जाता था। इस अनुलेपन को उचित मात्रा में लगाना भी एक सुकुमार कला मानी जाती थी। 'जयमंगला टीका' में बताया गया है कि जैसे-तैसे पोत लेना भद्री रचि का परिचायक है, इसलिए अनुलेपन उचित मात्रा में होना चाहिए।

अनुसेपन के बाद धूप से बालों को धूपित करने की क्रिया शुरू होती थी। स्त्रियों में यह क्रिया अधिक प्रचलित थी, पर विलासी नागरक भी अपने केशों की कम परवा नहीं किया करते थे। केशों के शुक्ल हो जाने की आशंका बराबर बनी रहती थी और बराहमिहिराचार्य ने ठीक ही कहा है कि 'जितनी भी माला पहनो, वस्त्र धारण करो, गहनो से अपने को अलंकृत कर लो, पर अगर तुम्हारे केशों में सफेदी है तो ये कुछ भी अच्छे नहीं लगेंगे, इसलिए मूर्धजों (केशों) की सेवा में चूकना ठीक नहीं है' (वृ. सं. 77-1)। सो, साधारणतः उस शुक्लताहृषी भट्टी वस्तु को आने ही न देने के लिए और उसे देर तक सुगन्धित बनाये रखने के लिए वेशों को धूपित किया जाता था। परन्तु यह शुक्लता कभी-कभी हजार वाधा देने पर आ धमकती थी और नागरक को प्रयत्न करना पड़ता था कि आने पर भी वह लोगों की नजरों में न पड़े। केशों या मर्धजों में धूप देने के कितने ही नुस्खे पाये जाते हैं। किसी से कपूर की गन्ध, किसी से कस्तूरी की सुवास, और किसी से अगुरु की खुशबू उत्पन्न की जाती थी।

पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के केश अधिक सुगन्धित बनाये जाते थे। ग्रीष्मकाल में तो सुगन्धित तेल या स्नान के समय व्यवहार किये जानेवाले कपायकल्क से यह कार्य हो जाता था, किन्तु जाड़े के दिनों में धूपित करके सुगन्ध लायी जाती थी। कालिदास ने ग्रीष्म-ऋतु में 'स्नान-कपाय-वासित' केशों का उल्लेख किया है और वर्षाकाल में पुष्पावतस या फूलों के गुच्छों से ही सुन्दरियों के केशों का सुगन्धित होना बताया गया है (ऋतु. 2-22)। शरत्काल में भी धूपित केशों की बात उन्होंने नहीं बतायी। उस समय 'नितान्त-धननीलविकुञ्जिताश्र' केशों में-धुंधराली काली लटो में—नवमालती की मनोहर माला पर्याप्त समझी जाती थी (ऋतु. 3-19), किन्तु शिशिर और हेमन्त में काले अगुरु का धूप देकर केशों को सुगन्धित किया जाता था (ऋतु. 4-5, 5-12)। इस प्रकार हर ऋतु में केशों को सुगन्धियुक्त बनाने का विधान था। वसन्त में इतने ज्ञानेले की ज़रूरत नहीं महसूस की जाती होगी। उस पुष्प सौरभ से समृद्ध ऋतु में सुगन्ध बहुत घलसाध्य नहीं होती। ऐसा कोई भी पुष्प चुन लिया जाता था जो सुन्दरियों के चंचल नील अलकों के साथ ताल मिला सके। अशोक के लाल-लाल स्तवक या नवमलिका की माला उत्तम अलकरण माने जाते थे, कर्णिकार के मुनहरे फूल भी कानों में शोभित हो रहे हों तो फिर क्या कहना है! कालिदास इस मनोहर अलंकरण का महत्व समझते थे।

कर्णेषु योग्यं नवकर्णिकारं चलेषु नीलेष्वलकेष्वशोकम् ।

पुष्पं च फुलं नवमलिकायाः प्रयान्ति कार्न्ति प्रमदाजनानाम् ॥

(ऋतु., 6-6)

मुगन्धि प्राचीन भारत का केवल विलास नहीं था, वह उसका जीवनाम था।

देव-मन्दिर से लेकर मुहाग-मेज तक उसका अवाध प्रवेश था । पूर्ण-पूर्म सर्वत्र सुगन्धि लाने के साधन थे । कपड़े भी इन धूपों से धूपे जाते थे । वस्तुतः भारत के प्राचीन रईम — क्या पुरुष और क्या स्त्री — जिनना सुगन्धि से प्रेम करते थे, उतना और किसी भी वस्तु से नहीं । और केशों के लिए तो सुगन्धित तेल की भी विधियाँ बनायी गयी हैं । साधारणत केशों को पहले पूरित करके कुछ देर तक उन्हें छोड़ दिया जाता था और फिर स्नान करके सुगन्धित तेल व्यवहार किया जाता था ।

(व. सं., 77-11)

केश रखने के अनेक प्रकार थे । बौद्ध-जैन आदि साधुओं के सिर मुण्डित हुआ करते थे, पर विलासी लोग मुन्द्र केश-रचना किया करते थे । 'नाट्यशास्त्र' में केश-रचना के सिलसिले में (23-147) बताया गया है : राज-पुरुषों के, बधुओं के और शृणारी पुरुषों के केश कुञ्जित होने चाहिए । केशों की बड़े यत्न से कुञ्जित बनाया जाता था ।

छुरे का व्यवहार इस देश में बहुत जमाने से होता रहा है । दाढ़ी रखने के विविध रूप थे । 'नाट्यशास्त्र' में चार प्रकार की दाढ़ियों का उल्लेख है । शुक्ल, श्याम, विचित्र और रोमश । किसी-किसी प्रति में शुक्ल के स्थान में 'शुद्ध' पाठ है । शुक्ल का अर्थ स्वच्छ शुद्ध वृद्धजनोचित दाढ़ी हो सकता है, पर 'शुद्ध' पाठ हो तो उसका अर्थ साफ, रोमविहीन 'कलीनरोद्ध' किया जा सकता है । वस्तुतः चौलम्भावाले 'नाट्यशास्त्र' में भी आगे चलकर 'शुद्ध' पाठ ही स्वीकृत किया गया है और बताया गया है कि सन्यासियों, मन्त्रियों, पुरोहितों तथा मध्यवित्त व्यक्तियों की दाढ़ी 'शुद्ध' होनी चाहिए । शुद्ध अर्थात् साफ बनी हुई । चित्रों और मूर्तियों में इस धेणी के लीगों की ऐसी ही दाढ़ी मिलती भी है । श्याम दाढ़ी कुमारों की होती थी और विचित्र दाढ़ियों की बनाचट नाना प्रकार की होती थी । राजा लोग, शौकीन (शृणारी) नागरिक लोग और जवान राजपुरुष चित्र-विचित्र दाढ़ी रखते थे । 'रोमश' दाढ़ी उसे कहते हैं जो अपने-आप उगकर असंस्कृत पड़ी हो । 'शकुन्तला' नाटक में जिन तपस्वियों को राजा ने देखा था, उनकी ऐसी ही दाढ़ियाँ थीं । जब राजा ने शकुन्तला के चित्र में इन तापसों को अंकित करना चाहा तो विदूषक को आशंका हुई थी कि यह मुन्द्र चित्र अब ज्ञानुमा दाढ़ियों से भर जायेगा । बातों की मेवा ही जाने के बाद नागरिक माला धारण करता था । माला चम्पा, जूही, मालती आदि विविध पुष्पों की होती थी । इनकी चर्चा आगे की जायगी ।

## अधर और नाखून की रँगाई

वात्स्यायन के 'कामसूत्र' में मोम और अलक्तक धारण करने की क्रिया का उल्लेख है। किसी-किसी का अनुमान है कि अधरों को अलक्तक (लाख से बना हुआ लाल रंग का महावर) से लाल किया जाता होगा, जैसा कि आधुनिक काल में लिपस्टिक से स्त्रियाँ रंगा करती हैं और फिर उन्हें चिक्कन करने के लिए उन पर सिक्कयक या मोम रगड़ दिया जाता होगा। मुझे अन्य किसी मूल से इस अनुमान का पोषक प्रमाण नहीं मिला है। पर यदि अनुमान ही करना हो तो नखों के रँगने का भी अनुमान किया जा सकता है। वस्तुतः प्राचीन भारत के विलासी का नखों पर इतना मोह था कि इस युग में न तो हम उसकी मात्रा का अन्दाज लगा सकते हैं और न कारण ही समझ सकते हैं। नखों के काटने की कला की चर्चा प्रायः आती है। वे त्रिकोण, चन्द्राकार, दन्तुल तथा अन्य अनेक प्रकार की आकृतियों के होते थे। गोड़ के लोग बड़े-बड़े नखों को पसन्द करते थे, 'दाक्षिणात्यवाले छोटे नखों को और उत्तरापथ के नागर रसिक, न बहुत बड़े न बहुत छोटे मझोले नखों की कदर करते थे। जो हो, सिक्कयक और अलक्तक के प्रयोग के बाद नागरक दर्पण में अपना मुख देखता था। सोने या चाँदी की समतल पट्टी को घिसकर खूब चिक्कना किया जाता था। उससे ही आदर्श या दर्पण का काम लिया जाता था। दर्पण में मुख देखने के बाद जब वह अपने बनाव-सिंगार से सन्तुष्ट हो लेता था तो सुगन्धित ताम्बूल ग्रहण करता था।

## ताम्बूल-सेवन

ताम्बूल प्राचीन भारत का बहुत उत्तम प्रसाधन था। वह पूजा और शृंगार, दोनों कामों में समान रूप से व्यवहृत होता था। ऐसा जान पड़ता है कि आर्य लोग इस देश में आने के पहले ताम्बूल (पान) का प्रयोग नहीं जानते थे। उन्होंने नाग जाति से इसका व्यवहार सीखा था<sup>1</sup>। बब भी संस्कृत में इसे नागवत्ती कहते हैं।

1. मेरे मित्र प्रो. प्रद्याद प्रधान ने अनेक प्राचीन रन्ध्यों से और बर्हई-बाति में पाये जानेवाले प्रवादों से मेरे इन अनुमान का समर्थन किया है कि पान नाग-बाति की देन है। उर्दूनि 'खायारित्यायर' (2-1-80-81), 'वृहत्याय-रचोन-सप्तह' (6-12) में भी उदयन के नामों में इस नाम के प्राप्त करने की कथाओं का संप्रह किया है। कहीं यह बताया गया है कि नायवहरी चौतूर में प्राप्त हुई, कहीं यह बताया गया है कि वह प्रत्युपकर में प्राप्त हुई, वही पाण्डवों के भारतमेष नव के लिए इसे भैयाया बनाया गया है, पर मर्दव नामों में इसके प्राप्त होने का समर्थन होता है ('विश्वभारती पवित्रा', पाठ 4, पृ. 164-165)।

राजसेवर सूरि के 'प्रवर्धन-कोष' में एक मजेदार कहानी दी हुई है जिसके अनुसार पाताल के राजा वासुकि नाग ने भूतोक के राजा उदयत की अपनी कन्या व्याही वी और दहेज में चार अद्भुत रत्न दिये थे : सर्वत्सा कामधेनु, विशिष्ट नागवल्ली (पान), सोपधान सतृलिका शम्या और रत्नोद्योत प्रदीप । तब से नाग जोगी की दुलारी बल्लरी के पत्ते (पर्ण-पण्ण-पान) भारतीय अन्तःपुरों से लेकर सभागृहों तक और राजसभा से लेकर आपानको तक समान रूप से आदर पा सके । किसी कवि ने ठीक ही कहा है कि वल्लियाँ तो दुनिया में हजारों हैं, वे परोपकार भी कम नहीं करती, पर सबको छापकर विराजमान है एकमात्र नाग-जाति की दुलारी बल्ली ताम्बूल-लता, जो नागरिकाओं के बदन-बन्दों को अलंकृत करती है :

कि बोहधो भूवि न सन्ति सहस्रशोऽन्यः  
यासा दलानि न परोपकृति भजन्ते ।  
एकैव वल्लिपु विराजति नागवल्ली,  
या नागरीबदनबन्द्रमलकरोति ॥

इस ताम्बूल के बीटक (बीड़ा) का सजाना बहुत बड़ी कला माना जाता था । उसमें नाना भाव से सुगन्धि ले आने की चेष्टा की जाती थी । पान का बीड़ा नाना मगलों और सौभाग्यों का कारण माना जाता था । वराहमिहिर ने कहा है कि उससे वर्ण की प्रसन्नता आती है, मुख में कान्ति और सुगन्धि आती है, वाणी में मधुरिमा का सचार होता है; वह अनुराग को प्रदीप्त करता है, रूप को निखार देता है, सौभाग्य को आवाहन करता है, वस्त्रों को सुगन्धित बनाता है और कफजन्य रोगों को दूर करता है (वृ. स , ७७-३४-३५) ; इसलिए इस सर्वशुण्य-युक्त शृणार-साधन के लिए सावधानी और निपुणता बढ़ी आवश्यक है । सुपारी, चूना और खीर, ये पान के आवश्यक उपादान हैं । इनमें से प्रत्येक को विविध भाँति से सुगन्धित बनाने की विधियाँ पोथियों में लिखी हैं, पर इनकी मात्रा कला-मरम्ज को ही मालूम होती है । खीर ज्यादा हो जाय तो लालिमा ज्यादा होकर भद्दी हो जाती है, सुपारी अधिक हो जाय तो लालिमा धीर होकर अशोभन हो उठती है, चूना अधिक हो जाय तो मुख का गन्ध भी विगड़ जाता है और क्षत हो जाने की सम्भावना रहती है, परन्तु पत्ते अधिक हो तो सुगन्धि विखर जाती है । सो, प्राचीन भारत का नागरिक ताम्बूल का महत्व जानता था और मानता था । सुन्दरियाँ इसके गोरक्ष की कायल थीं । और सब पूछिए तो, जैसा माध कवि ने कहा है, स्वच्छ जल से खुले अंग, ताम्बूल-युति से जग्मगाते होंठ और महीन निर्मल हल्की-सी साढ़ी—यहीं तो विलासिनियों का वास्तविक शृंगार है । माध कवि ने एक टेढ़ी घर्तं जवश्य लगा दी है । लेकिन खीर—

स्वच्छाम्भः स्वपनविधौ तमंगमोष्टस्ताम्बूलद्युतिविशदो विलासिनीनाम् ।  
वासस्तु प्रतनुविविक्तमस्त्वतीयान् आकृष्णो यदि कुसुमेषुणा न शून्यः ॥  
कहना बेकार है कि इतना महत्वपूर्ण और किर भी इतना सुकुमार प्रसाधन साव-प्रानी चाहेगा, इसलिए इनकी मात्रा का निर्णय होतियारी से होना चाहिए । रात

को पते अधिक देने चाहें तो उन्हें इन बोल लगाएं दुर्जन दुर्जन  
 प्राचीन भारत दा नवरव राज के देशों के विषय के कृष्ण वालामूल युग काल म  
 'कामसूत्र' दी गयी है वह उद्द उक्त देशों के नवरव वालामूल राज के देश  
 में पीकदान मा पत्तदूद उड्ड उड्ड उक्त देशों के उद्द उक्त देशों के विषय के कृष्ण  
 कुशचिपूर्ण गन्दनी ही उद्द उक्त देशों है । कामसूत्र १५३-१५४ = उद्दिष्टि वालामूल  
 की शब्दों के पात्र एक उद्द उक्त देशों के विषय के वालामूल राज उक्त देशों  
 कन्याएं जब पतिनिधि गारी दो दो उद्द उक्त देशों के वालामूल विषय के उद्द  
 जाता था । 'निरव' (16-27) ने वालामूल राज के विषय वालामूल वालामूल  
 को मुन्दरवनिन्निति उद्द उक्त देशों के विषय का, वालामूल वालामूल वालामूल  
 और पान दा नानन्दन राज के उद्द उक्त देशों के वालामूल वालामूल वालामूल  
 होता था । कर्ण-कर्णी दो उद्द उक्त देशों के वालामूल वालामूल वालामूल  
 चरित्र में निराहै कि उद्द उक्त देशों के वालामूल वालामूल वालामूल  
 के घर चोरी-नोरी उद्द उक्त देशों के वालामूल वालामूल वालामूल  
 बनाया था और उद्द उक्त देशों के वालामूल वालामूल वालामूल  
 के जोड़े बन गए थे । उद्द उक्त देशों के वालामूल वालामूल वालामूल  
 और स्वयंचित्र । नेम्भुत के वालामूल वालामूल वालामूल वालामूल  
 करंकवाहिनी स्विनों उद्द उक्त देशों के वालामूल वालामूल वालामूल  
 पश्चिमांश का वज्र उद्द उक्त देशों के वालामूल वालामूल वालामूल  
 और निर्वादिन उद्द उक्त देशों के वालामूल वालामूल वालामूल  
 या और वासने उद्द उक्त देशों के वालामूल वालामूल वालामूल वालामूल  
 वासन नीं ही उद्द उक्त देशों के वालामूल वालामूल वालामूल वालामूल ।

यह बात ठीक नहीं है। 'मूर्च्छकटिक' नाटक में चार द्राह्यण पात्र हैं। चारूदत्त श्रेष्ठ-चत्वर में वास करता है, रुल कलाओं का समादरकर्ता सुपुण नागर है, विदेश में समुद्रपार उसके धन-रत्न में पूर्ण जहाज भेजे जाते हैं, दरिद्र हो जाने पर भी वह नगर के प्रत्येक स्त्री-पुरुष का श्रद्धा-भाजन है और अत्यन्त उदार और गुणान्वित है। दूसरा द्राह्यण एक पिट है जो राजा के मूर्दे साले की रुद्धामद पर जीता है, गणिकाओं का सम्मान भी उत्तीर्ण है और उन्हें प्रसन्न भी रखता है, पण्डित भी है और कामुक भी है। तीसरा द्राह्यण विदूपक है जिसे स्त्रृत बोलने का भी अन्यास नहीं है और चौथा द्राह्यण शार्विलक है जो पण्डित भी है, चोर भी है और वेश्या-प्रेमी भी है। चोरी करना भी एक कला है, एक शास्त्र है, शार्विलक ने उसका प्रचार अध्ययन किया था। कैसे सेंध मारना होता है, दोपक चुक्का देने के लिए कीट को कैसे उड़ाया जाता है, दरबाजे पर पानी छिड़क के उसे कैसे नि-शब्द खोला जा सकता है, यह सारी बातें उसने सीखी थीं। द्राह्यण के जनेऊ का जो गुण वर्णन इस चोर पण्डित ने किया वह उपभोग्य भी है और सीखने लायक भी ! इस यज्ञोपवीत से भीत में सेंध मारने की जगह पायी जा सकती है, इसके सहारे स्त्रियों के गले आदि में गेंसी हुई भूपण-बली खीच ली जा सकती है, जो कपाट यन्त्र से दृढ़ होता है—ताता लगाकर न खुलने योग्य बना दिया गया होता है—उसका यह उद्घाटक बन जाता है और साप-घोजर के काट खाने पर कटे हुए धाव को बाँधने का काम भी वह दे जाता है :

एतेन मापयति भित्तिषु कर्ममाग्रम्,

एतेन भोचयति भूपणसंप्रयोगान् ।

उद्घाटको भवति यन्त्रदृढे कपाटे,

दप्तस्य कीटभुजयैः परिवेष्टनं च ॥

(मृ., 3-17)

इस प्रकार द्राह्यण उन दिनों सेठ भी होते थे, विट और विदूपक भी होते थे और शार्विलक के समान धर्मात्मा चोर भी ! धर्मात्मा इसलिए कि शार्विलक चोरी करते समय भी नीति-अनीति का ध्यान रखता था, स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाता था, बच्चों को चुराकर उनके गहने नहीं छीन लेता था, कमजोर और गरोब नागर के घर में सेंध नहीं मारता था, द्राह्यण के धन और यज्ञ के निमित्त सोने पर लोग नहीं रखता था और इस प्रकार चोरी करते समय भी उसकी मति कार्यकार्य का विचार रखती थी ! (मृ., 4-6)

धनाद्य द्राह्यणों की बात केवल 'मूर्च्छकटिक' के काल में ही मिलती हो सो बात नहीं है। बौद्ध-कल्याओं में भी ऐसी बातें मिलती हैं जिनसे पता चलता है कि बुद्ध के काल में भी सभूद द्राह्यण विद्यमान थे। अट्टकल्याओं में, गणय के पिल्ली नामक ग्राम के महातित्य (महातीर्थ) द्राह्यण की अपार सम्पत्ति की बात लिखी है। 'ताले के भीतर साठ बड़े चहवच्चे (तड़ाग), बारह योजन तक फैले थेत, अनुराष्पुर जैसे चौदह दासों के गाँव, चौदह हाथियों के झुण्ड, चौदह घोड़ों के झुण्ड, चौदह रथों के झुण्ड थे।' उसके पुल मणवक ने (जो किसी बहाने बिवाह नहीं करना

चाहता था) एक सहस्र सोने के मोहर लगाकर सुनार से एक सुन्दर स्त्री-मूर्ति बनवायी थी और माता से कहा था कि यदि ऐसी वह मिले तो मैं विवाह करूँ। शायद उसे विश्वास था कि किसी ब्राह्मण के घर ऐसी सुन्दरी मिलना सम्भव नहीं होगा। पर यह विश्वास गलत सिद्ध हुआ। मद्रदेश में ऐसी ही सुन्दरी मिल गयी जो उस “स्वर्ण-प्रतिमा से सौ गुना, हजार गुना, लाख गुना अधिक सुन्दरी थी और बारह हाथ के घर में बैठी रहने पर ही दीपक का काम नहीं, जिसकी शारीरिकी प्रभा से ही अन्धकार दूर हो जाता था।” अत्युक्ति कुछ अवश्य है, पर समृद्ध ब्राह्मण होते थे, इसमें सन्देह नहीं। (‘बुद्धचर्या., पृ. 41-42)

## रईस और राजा

कभी-कभी रईसों का विलास समसामयिक राजाओं से भी बढ़कर होता था, इस बात के प्रमाण मिल जाते हैं। राजाओं को युद्ध, विग्रह, राज्य-संचालन आदि अनेक कठोर कर्म भी करने पड़ते थे, पर सुराज्य से सुरक्षित समृद्धिशाली नागरिकों को इन झंझटों से कोई सरोकार नहीं था। वे धन और यौवन का सुख निश्चित होकर भोगते थे। एक अपेक्षाकृत परवर्ती जैन-प्रवन्ध में राजा भोज और माघ कवि की बड़ी ही मनोरंजक कहानी दी हुई है। कहानी की ऐतिहासिकता तो निश्चित रूप से कमजोर भित्ति पर है, पर इससे राजाओं और रईसों की विलासिता की एक मनोरंजक झलक मिल जाती है। इस दृष्टि से ही इस कहानी का महत्व है। कहानी यों है कि एक बार दत्त ब्राह्मण के पुत्र माघ कवि महाराज भोज के घर अतियि होकर गये। राजा ने कवि का सम्मान करने में कोई वात उठा न रखी, पर कवि को न तो स्नान में ही मुल मिला और न भोजन में ही, न शयन में ही। महाराज भोज ने आश्चर्य के साथ सोचा कि न जाने यह अपने घर में कैसे रहता है। कवि के निमन्वण पर महाराज भोज ने भी एक दिन कवि के घर जाने का निश्चय किया। दूसरे वर्ष शीतऋतु में बड़ा भारी लाव-लद्दकर लेकर महाराज कवि के थीमालपुर नामक ग्राम में उपस्थित हुए। कवि के विशाल प्रासाद को देखकर राजा आश्चर्य-चकित रह गये। मकान देखने के लिए प्रासाद के भीतर प्रविष्ट हुए। स्थान-स्थान पर विचित्र कौतुक देखते हुए एक ऐसे स्थान पर आये जहाँ वहुत-सी धूप की घटियाँ सुगन्धित धूप उद्गिरण कर रही थीं, कुट्टिम भूमि सुगन्धित परिमत्त से गमक रही थी; राजा ने पूछा “पण्डित, यह क्या आपका पूजा-गृह है?” पण्डित ने ईगत् लज्जित होकर जबाब दिया, “महाराज, आगे बढ़ें, यह स्थान पवित्र सचार का

नहीं है।” राजा लज्जित हो रहे। स्नान के पूर्व मर्दनिक भृत्यों ने इस सुकुमार भंगी से मर्दन किया कि राजा प्रसन्न हो गये। सोने के स्नानपीठ पर बड़े आँखों के साथ राजा को स्नान कराया गया। नाक की सीस से उड़ जाने योग्य वस्त्र राजा की दिये गये। सोने के बाल में, जो 32 कच्चोलको (कटोरों) से परिवृत था, धीर का बना पक्वान्न, धीर-तन्त्रुल का कूर, उसी के बड़े और अन्य नाना भाँति के व्यजन भोजन के लिए दिये गये। अब राजा को समझ पड़ा कि जो ऐसी रसोई खाता है उसे मेरी रसोई कैसे अच्छी लग सकती थी। भोजन के पश्चात् पंच-मुग्निय नामक ताम्बूल सेवन करके राजा पत्नेंग पर लेटे। यद्यपि शीतव्यहृतु का समय था, पर पण्डित के गूह में कुछ ऐसी व्यवस्था थी कि राजा चन्दनलिप्त होकर रात को बड़े आनन्द से मीठी-मीठी व्यजन-बीजित बायु का सेवन करते हुए निद्रित हुए। वे भूल ही गये कि मौसम सर्दी का है ('पुरातत्त्व प्रबन्ध', पृ. 17)। इस कहानी से यह अनुमान सहज ही होता है कि उन दिनों ऐसे रईस थे जिनका विलास समसामयिक राजाओं के लिए भी आश्चर्य का विषय था।

## ब्राह्मण का कला से सम्बन्ध

भारतवर्ष के सबसे प्राचीन उपलब्ध साहित्य में ही ब्राह्मण और विद्या का सम्बन्ध बहुत घनिष्ठ पाया जाता है। जाति-व्यवस्था जैसी इस समय है वैसी ही बहुत प्राचीन काल में भी नहीं रही होगी; परन्तु ब्राह्मण बहुत-कुछ एक जाति के रूप में ही रहा होगा, इसका प्रमाण पुराने साहित्य में ही मिल पाता है। ऐसा जान पड़ता है कि पुराने जमाने से ही भगवत्तवर्य में विद्या और कला के दो अलग-अलग क्षेत्र स्वीकार कर लिये गये थे। वेदों और ब्रह्म-विद्या का अध्ययन-अध्यापन ‘विद्या’ या ज्ञान के रूप में था और लिखना-पढ़ना, हिंसाब लगाना तथा जीवन-यात्रा में उपयोगी अन्यान्य वातें ‘कला’ का विषय समझी जाती रही। बहुत पहले से ही ‘विद्या’ एक विशेष वेदाग का नाम हो गया था और इसीलिए लिखना-पढ़ना, हिंसाब-किताब रखना, विविध भाषा और कौशलों की जानकारी ‘कला’ नाम से चलने लगी थी। विद्या का क्षेत्र बहुत पहले से ब्राह्मण के हाथ में रहा और ‘कला’ का क्षेत्र धारियों, राजकुमारों और राजकुमारियों तथा वैद्यों के लिए नियत था। भारतवर्ष के दीर्घ इतिहास में यह नियम हमेशा बना रहा होगा, ऐसा सोचना ठीक नहीं है। यस्तुतः इस प्रकार की स्थिति एक यास अवस्था में रही होगी। पुराने साहित्य में अनेक उदाहरण हैं, जहाँ ब्राह्मण धारियों से ग्रहण-विद्या पढ़ते थे। ‘दत्तपथ ब्राह्मण’

(11-6-21-5) से पता चलता है कि याज्ञवल्क्य ने जनक से विद्या सीखी थी। काशी के राजा अजातशत्रु से बालाकि गार्य ने विद्या सीखी थी। यह बात वृहदारण्यक और कौशीत की उपनिषदों से मालूम होती है। छान्दोग्य से जान पड़ता है कि श्वेतकेतु आरण्ये ने प्रवाहण जैवलि से ब्रह्मविद्या सीखी थी। इस प्रकार के और भी बहुत-मेरे उदाहरण दिये जा सकते हैं। डायसन-जैसे कुछ चोटी के यूरोपीय विचारक तो इन प्रसंगों से यहाँ तक अनुमान करते हैं कि ब्रह्मविद्या के मूल प्रचारक वस्तुतः क्षत्रिय ही थे। यह अनुमान कुछ अधिक व्याप्तिमय जान पड़ता है; परन्तु यह सत्य है कि कर्मकाण्ड के उग्र और मृदृ विरोधियों में क्षत्रियों की संख्या बहुत अधिक थी और जिन महान् नेताओं को भारतवर्ष आज भी याद किया करता है, उनमें क्षत्रियों की सख्त्या बहुत बड़ी है। जनक, श्रीकृष्ण, भीम, बुद्ध, महावीर—सभी क्षत्रिय थे। महाभारत से तो अनेक शूद्रकुलोत्पन्न ज्ञानी गुरुओं का पता चलता है। मिथिला में एक धर्मनिष्ठ व्याध परमज्ञानी थे। तपस्वी ब्राह्मण कौशिक ने उनसे ज्ञान पाया था (वन., 206 अ.)। शूद्रागर्भजात विदुर बड़े ज्ञानी थे। सूत जाति के लोमहर्षण, संजय और सौति धर्म-प्रचारक थे। सौति ने तो महाभारत का ही प्रचार किया था, परन्तु सम्पूर्ण हिन्दू शास्त्रों में प्रधानतः ब्राह्मण ही गुरु-रूप में स्वीकृत पाये जाते हैं।

यद्यपि जाति-व्यवस्था भारतीय समाज की अपनी विशेषता है, तथापि सासार-भर में आदिम युग में खास-खास कौशल वर्गविशेष में ही प्रचलित पाये जाते हैं। इसका कारण यह होता है कि साधारणतः पिता से विद्या सीखने की प्रथा हुआ करती थी। इसीलिए विशेष विद्याएँ विशेष-विशेष कुलों में ही सीमावद्ध रह जाती थी। वेदों से ही पता चलता है कि ब्रह्मविद्या और कर्मकाण्ड आदि विद्याएँ वंश-परम्परा से सीखी जाती थी। वाद में तो इस प्रकार की भी व्यवस्था मिलती है कि जिसके घर में वेद और वेदों की परम्परा तीन पुश्ट तक छिन्न हो, उसे दुर्ब्रह्मण समझना चाहिए ('बीधायन गृह्णपरिभाषा', 1-10-5-6)। परन्तु नाना कारणों से पितृ-परम्परा से शिक्षा-प्राप्ति का क्रम चल नहीं पाया। समाज ने जैसे-जैसे धन की प्रतिष्ठा बढ़ती गयी और राजा और सेठ प्रमुख होते गये, वे-मै-वैसे जानकारियों से द्रव्यउपार्जन की आवश्यकता और प्रवृत्ति भी बढ़ती गयी। विद्या सिखाने के लिए भी धन मिलने लगा और धन की इस वितरण-व्यवस्था के कारण ही विद्या वंश के बाहर जाने लगी। ब्रह्मविद्या भी वशपरम्परा तक सीमित नहीं रह सकी। महाभारत में दो प्रकार के अध्यापकों का उल्लेख है। एक प्रकार के अध्यापक तो अपरिग्रही होते थे। उनके पास विद्यार्थी जाते थे। भिक्षा माँगकर गुरु के परिवार का और अपना खर्च चलाते थे और गुरु के घर का सब काम-काज करते थे। कभी-कभी तो गुरु लोग विद्यार्थियों से बहुत काम लेते थे। इसकी प्रतिक्रिया के भी उदाहरण महाभारत में मिल जाते हैं। अपने गुरु वेदाचार्य के पास रहते समय उत्तंक को अनेक दुःखपूर्ण कार्य फरने पड़े थे। जब स्वयं उत्तंक आनार्य दृष्ट तो उन्हें पुरानी बातें याद थीं और उन्होंने अपने विद्यार्थियों से काम लेना बन्द कर दिया

(आदि, 3181), परन्तु सब मिलाकर गूरु का व्यापार प्रेम ही, अपने शिष्यों पर प्रकट होता है। दूसरे प्रकार के ऐसे अध्यापक थे, जिन्हे राजा लोग अपने पर पर वृत्ति देकर नियुक्त कर लेते थे। द्वोणाचार्य और कृपाचार्य ऐसे ही अध्यापक थे। द्वोपदी और उत्तरा की कथाओं से पता चलता है कि राजकुमारियों के लिए इसी प्रकार वृत्तिभोजी अध्यापक रखे जाते होंगे। बोद्धयुग में भी वह प्रश्ना पायी जाती है। यह नहीं समझता चाहिए कि केवल 'कला' सिखाने के लिए ही वर पर अध्यापक नियुक्त किये जाते थे। ब्रह्मविद्या सिखाने के लिए भी अध्यापक बुलाकर वास रखने के उदाहरण मिलते हैं। राजपि जनक ने आचार्य पंचशिष्ठ को चार वर्ष तक घर पर रखा था। सम्भवतः उन्होंने कोई वृत्ति नहीं ली थी।

## स्नान-भोजन

पुराना रईस स्नान नित्य करता था। परन्तु उसका स्नान कोई मामूली व्यापार नहीं था। काम-काज समाप्त होने के बाद मध्याह्न से पीड़ा पूर्व वह उठ पड़ता था। पहले तो अपने समवयस्क मित्रों के साथ मधुर व्यायाम किया करता था, उसके दोनों कपोलों पर और ललाट देश में पसीने की दो-चार बूँदें सिंघुवार पुष्प की मजरी के समान शलक उठती थी, तब वह व्यायाम से विरत होता था। परिजनों में तब फिर एक बार दोड़-धूप मच जाती थी। रईस अपने स्नानागार में पहुँचता था, वहाँ स्नान की चौकी होती थी जो साधारणतः सगरमर्झर की बनी होती थी और वहमूल्य धातुओं के पात्र में सुगन्धित जल रखा हुआ रहता था। उस समय परिचारक या परिचारिका उसके केशों में सुगन्धित आमलक (अविले) का पिसा हृथा कल्क धीरे-धीरे मलती थी और शरीर में सुवासित तैल मदंन करती थी। नागरक की गर्दन या मन्या तेल का विशेष भाग पाती थी, उस पर देर तक तेल की मालिश होती थी; क्योंकि विश्वास किया जाता था कि बुद्धिजीवी व्यक्ति की मन्या पर तेल मलने से भस्त्रिण के तन्तु अधिक सचेत होते हैं। स्नान-गृह में एक जल की द्वोषी (टब) होती थी, उसमें रईस थोड़ी देर बैठते थे और बाद में स्नान की चौकी पर आ विराजते थे। उनके सिर पर सुगन्धित वारिधारा पड़ने समती थी और तृप्ति के साथ उनका स्नान समाप्त होता था। फिर वे सर्पनिर्मोक्ष (केंचुल) के समान इवेत और चमकीली धोती पहनते थे। धोती अर्थात् धीत-वस्त्र। इस शब्द का अर्थ है धुला हुआ वस्त्र। ऐसा जान पड़ता है कि नागरक के बस्त्रों में सिर्फ धोती ही नित्य धोयी जाती थी, वाकी कई दिन तक अधीत रह सकते थे। कुछ दूसरे परिचित

‘धौत’ शब्द को अधोवस्त्र का रूपान्तर मानते हैं। पुराने जमाने से ही उष्णीय (पाम), उत्तरीय (चादर) और अधोवस्त्र (धोती) इस देश के नागरिकों के पहनावे रहे हैं। सिले वस्त्र इस देश में चलते अवश्य थे, यद्यपि कई सूक्षकारी ने सिले वस्त्र पहनने का निषेध ही किया है। आजकल जितने प्रकार के हिन्दू पहनावों के नाम हैं वे अधिकांश में विदेशी प्रभाववश आये हैं। अचकन का मूल रूप भी कुपाणों की देन है, कुर्ता, जिसका एक नाम पंजाबी है, सम्भवतः पंजाब में वसे हुए हिन्दू-यवनों की देन है और कमीज और शेमीज एक ही विदेशी शब्द के रूपान्तर है। खैर, उन दिनों का नागरिक धोत-वस्त्र और उत्तरीय का प्रेमी था। ध्रीत-वस्त्र का अर्थ धोया जानेवाला वस्त्र ही अधिक उपयुक्त जान पड़ता है। इसका कारण स्पष्ट है, क्योंकि नागरक का उत्तरीय या चादर कुछ ऐसा-वैसा वस्त्र तो होता नहीं था; उसमें न जाने कितने आयास के बाद दीर्घकाल तक टिकनेवाली सुगन्धि हुआ करती थी। इसलिए धौत-वस्त्र (धोती) की अपेक्षा उत्तरीय (चादर) ज्यादा मूल्यवान होता था। मस्तक पर नागरक एक क्षोम-वस्त्र का झोंगीछा-सा लपेट लेता था, जिसका उद्देश्य केशों की आँद्रता सोखना होता था। यह सब करके नागरक सन्ध्यात्पर्ण और मूर्धोपासन आदि धार्मिक क्रियाओं से निवृत्त होता था ('कादम्बरी', कथामुख)।

अजन्ता में कुमार गौतम के स्नान का एक मनोहर दृश्य चित्रित किया गया है। इसमें कुमार एक स्फटिक की चौकी पर बैठे है। दो परिचारक सिर पर सफेद गमछा बांधे पीछे से पानी ढाल रहे हैं। चौकी के पास ही एक परिचारिका याती में कुछ लिये खड़ी है। स्नानामार के बगलवाले हिस्ते में एक मृत्यु सुगन्धित जल से भरा हुआ कलश ले आ रहा है, कलश के भार से उसकी गर्दन झुक गयी है। तीन परिचारिकाएँ और है। एक के सिर पर से कुछ द्रव्य दूसरी उतार रही है और तीसरी कोई प्रसाधन-सामग्री लेकर स्नानामार की ओर जा रही है। स्नान की चौकी के पास एक और परिचारिका का अस्पष्ट चित्र है। इसी प्रकार 17वीं शताब्दी के एक चित्र में स्नान के पश्चात् रानी के प्रसाधन का बड़ा ही अभिराम चित्र है। इसमें रानी स्वयं मुकुर लेकर प्रसाधन-नैपुण्य को देख रही है। यह चित्र अजन्ता के उत्तम कलात्मक चित्रों में से एक है। इस प्रकार स्नान और स्नानोत्तर प्रसाधन के और भी अनेकानेक चित्र उपलब्ध हुए हैं।

जैसा कि शुरू में ही कहा गया है, नागरक स्नान नित्य किया करता था, पर शरीर का उत्सादन एक दिन अन्तर देकर कराता था। उसके स्नान में एक प्रकार की वस्तु का प्रयोग होता था जिसे फेनक कहते थे, वह आधुनिक साबुन का पूर्वुरूप था। उससे शरीर में स्वच्छता आती थी, परन्तु प्रतिदिन उसका व्यवहार नहीं किया जाता था, हर तीसरे दिन फेनक से स्नान विहित था (का. मू., पृ. 47)।

स्नान, पूजा और तत्सम्बद्ध अन्य कृत्यों के समाप्त होने के बाद नागरक भोजन करने वैठता। भोजन दो बार विहित था, मध्याह्न को और आराह्त को। यह बात्स्याधन का मत है। चाराधन सायाह्न को दूसरा भोजन होना ज्यादा अच्छा

समझते थे। नागरक के भोजन में भद्य, भोज्य, लेहु (चटनी), चौथ (नुसने योग्य), पेद सब होता था। गेहूं, चावल, जौ, दाल, मांस सब तरह का होता था, अन्त में मिठाई खाने की भी विधि थी। भोजन समाप्त करने के बाद नागरक आराम करता था और एक प्रकार की धूमवत्ति (चुरुठ) भी पीता था। धूम्रपान के बाद वह ताम्बूल या पान लेता था और कोई संवाहक धीरे-धीरे उसके पैर द्वा देता था ('कादम्बरी', कथामुख)। संवाहन की भी कला होती थी। 'मृच्छकटिक' नाटक के नायक चारुदत्त का एक उत्तम संवाहक था, जो उसके दरिद्र हो जाने के बाद जुआ खेलने लगा था। चारुदत्त की प्रेमिका वसन्तसेना से जब उसका परिवर्ष हुआ तो वसन्तसेना ने उसकी कला की दाद देते हुए कहा कि 'भाई, तुमने तो बहुत उत्तम कला सीखी है ?' इस पर उसने जवाब दिया कि 'आर्ये, कला समझकर ही सीखी थी, पर अब तो यह जीविका हो गयी है !'

अफर हमने भोजन का बहुत संक्षिप्त उल्लेख कर दिया है। इससे यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि हमारे पुराने रईस का भोजन-व्यापार बहुत संक्षिप्त हुआ करता था।

## भोजनोत्तर विनोद

भोजन के बाद दिवा-शम्या (दिन का सोना) करने के पहले नागरक लेटे-लेटे थोड़ा मनोविनोद करता था। दुक-सारिका (तोता-मैना) का पढ़ाना, तितर और बटेरों की लड़ाई, भेड़ों की भिड़न्त उसके प्रिय विनोद थे (का. सू., पृ. 47)। उसके पर में हुस, कारण्डव, चक्रवाक, मोर, कोयल आदि पक्षी; बानर, हरिन, अध, तिंह आदि जल्तु भी पासे जाते थे। समय-समय पर वह उनसे भी अपना मनोरंजन करता था (का. सू., पृ. 284)। इस समय उसके निकटवर्ती सहचर पीठमदै, विट, विदूपक भी था जापा करते थे। वह उनसे अताप भी करता था। फिर सो जाता था। सोकर उठने के बाद वह गोष्ठी-विहार के लिए प्रसाधन करता था; अंगरण, उपलेपन, माल्यगम्भ और उत्तरीय संभालकर वह गोष्ठियों में जाता था। हमने थागे इन गोष्ठियों का विस्तृत वर्णन किया है। यहाँ उनकी चर्चा संक्षेप में ही कर ली है। गोष्ठियों से सौटने के बाद वह सामग्र्य कृत्यों से निवृत्त होता था और सार्य-कास संगीतोनुठानों का आयोजन करता था या अन्यत्र आयोजित संगीत का रस लेने जाता था। इन संगीतकों में नाल, नान, अभिनय आदि हुआ करते थे (का. सू., पृ. 47-48)। साधारण नागरक भी इन उत्सवों में सम्मिलित होते थे। 'मृच्छ-

कटिक' के रेमिल नामक सुरक्षण नागरक ने साध्य-सन्ध्या के बाद ही अपने घर पर आयोजित संगीतक नामक मञ्जलिस में गान किया था। इन सभाओं से लौटने के बाद भी नागरक कुछ विनोदों में लगा रहता था, परन्तु वे उसके अत्यन्त निजी व्यापार होते थे। इस प्रकार प्राचीन भारत का रईस प्रातःकाल से सन्ध्या तक एक कलापूर्ण विलासित के बातावरण में बास करता था। उसके विलास से किसी-न किसी कला को उत्तेजना मिलती थी, उसके प्रत्येक उपभोग वस्तु के उत्पादन के लिए एक सुखचिपूर्ण परिश्रमी परिचारक-मण्डली नियुक्त रहती थी। वह धन का सुख जमकर भोगता था और अपनी प्रचुर धन-राशि के उपभोग में अपने साथ एक बड़े भारी जनसमुदाय की जीविका की भी व्यवस्था करता था। वह काव्य, नाटक, आख्यान, आख्यायिका आदि की ऋचना को प्रत्यक्ष रूप से उत्साहित करता था और नृत्य, गीत, चित्र और बादित्र का तो वह शरणरूप ही था। वह रूप-रस-गन्ध-स्पर्श आदि सभी इन्द्रियाधोर्णों के भोगने में सुरुचि का परिचय देता था और विलासिता में आकष्ठ ममन रहकर भी धर्म और अध्यात्म से एकदम उदासीन नहीं रहता था। उस युग के साहित्य में भोग के साथ-ही-साथ त्याग का, विलासिता के साथ शौर्य का और सौन्दर्य-प्रेम के साथ आत्मदान का आदर्श सर्वत्र सुप्रतिष्ठित था। सब समय आदर्श के अनुकूल आचरण नहीं हुआ करता था, परन्तु फिर भी आदर्श का महत्व भुलाया नहीं जा सकता।

## अन्तःपुर

परन्तु कलाओं का सबसे बड़ा आश्रयदाता था राजाओं और रईसों का अन्तःपुर। पुरुषों की दुनिया उतनी निर्विघ्न नहीं होती थी। प्रायः ही वास्तविकता के कठोर आधात रोमास के बातावरण को क्षुब्ध कर जाते थे। युद्ध-विग्रह, दमा-फसाद, व्यापार-हानि, चोर-डाकुओं का उपद्रव, दूर-दूर देशों की यात्रा, लौटने में अनिश्चित विश्वास; ये और ऐसे ही अनेक अन्य उत्पात पुरुषों की बैठक को चंचल बनाते रहते थे। पर अन्तःपुर तक विक्षोभ की लहरियाँ बहुत कम पहुँच पाती थीं। शत्रु और मित्र, दोनों ही उन दिनों अन्तःपुर की शान्ति का सम्मान करते थे। प्राचीन ग्रन्थों से अनुभान होता है कि राजकीय अन्तःपुरों में नाट्यशालाएँ भी होती थीं। रामायण के पुराने युग में ही 'वधूजन-नाट्य-सध' की चर्चा मिलती है। 'प्रिय-दर्शिका' में जो नाटक खेला गया था और 'मालविकामित्र' में जिस अभिनय-प्रतिदृग्द्विता की चर्चा है, वे अन्तःपुर के रंगमच पर ही अभिनीत हुए थे। नाच,

गान, वाच, विश्वारी आदि मुकुमार कलाएँ अन्तःपुर में जीती थीं।

'काममूढ़' में जान पठना है कि तत्कालीन लागरकजन अपना घर पानी के आसपास बनाया करते थे (पृ. 41), पर परवर्ती ग्रन्थों से जान पड़ता है कि इस बात को कोई बटून आवश्यक नहीं समझा जाता था। घर के दो भाग तो होते ही थे। वाह्यी प्रकोष्ठ पुरुणों के लिए और भीतरी प्रकोष्ठ अलःपुर की हिंसों के लिए। वराहमिहिर ने 'बृहत्सहिता' में ऐसा मकान बनाने की विस्तृत विधि बतायी है। साधारणत ये मकान नगरी के प्रधान राजपथों के दोनों ओर हुआ करते थे। अन्न पुर की बधुएँ ऊपरी तल्ले में रहा करती थीं, क्योंकि प्राचीन कालों और नाटकों में किसी विशेष उत्सवादि के देखने के सिलसिले में ऊपरी तल्ले के गवाक्षों से अन्न पुरियाओं के देखने का वर्णन प्राप्त: भिल जाया करता है। अन्तःपुर के ऊपरी तल्ले के घरों में गवाक्ष निश्चित रूप से रहते थे। राजपथ की ओर गवाक्षों का रखना आवश्यक समझा जाता था। ये अन्तःपुर के ऊपरी तल्ले के गवाक्ष कुछ ऊंचे पर बैठाये जाते थे। 'मातती-माधव' की मातती ऊपर के तल्ले पर से माधव को रथ्या (रथ के चलने लायक चौड़ी सङ्क) माझ से भ्रमण करते हुए देखा करती थी। देखनेवाला बाताश्वर 'तुम' या अथवै ऊंचाई पर था। ऊंचे पर दर्नने का उद्देश्य सम्भवत् यह होता था, कि अन्तःपुरियाएँ तो बाहर की ओर देख सकें, पर बाहर के लोग उन्हें न देख सकें। प्रथम अक में कामन्दकी के कहे हुए इस श्लोक में यही अनुमान पुष्ट होता है।

भूषोभू य. सविधनगरीरभ्यथा पर्यटनं

दृष्ट्वा दृष्ट्वा भवनवलभौतुगवात्मनस्था।

माशात्काम नवमिव रतिर्मालती माधवं तद्

गाढोहक्षालुलितलुलितेरंगकेस्ताम्पतीति ॥

जो महूल नदी के किनारे होते थे, उनमें उस ओर जालीदार गवाक्ष लगे रहते थे। इन जालीदार गवाक्षों से बधुएँ नदी की चंचल तरंगों की दोभा देख सकती थीं। सुनन्दा ने इन्दुमती को इन जालीदार गवाक्षों से जलवेणि-सी रमणीय तरंगोंमाली रेवा की चटुल शोभा देखने को कहा था, जो माहिमती के किले के नीचे करबली की भाँति लिपटी हुई थी। जिस राजा के प्रासाद-गवाक्षों से इस सुन्दर शोभा का देखना सम्भव था, उसकी अक-लक्ष्मी होना सौभाग्य की बात थी:

अस्याकलक्ष्मीर्ज्व दीर्घवाहोर्मीहिमतीवप्रनितम्बकाङ्चीम्

प्रासादजालर्ज्वलवेणिरम्या रेवा यदि प्रेक्षितुमस्ति काम। (रघु, 6.43)

पर इन्दुमती की ऐसी इच्छा हुई नहीं। अस्तु। इस प्रकार के मूह का फाटक बहुत भव्य और विशाल हुआ करता था। नाटकों, काल्पो आदि में जो वर्णन मिलता है, उसमें योङ्गी अतिरजना हो सकती है; क्योंकि बहुत प्राचीन काल से भारतीय कवि ने इस सहज-सीधी बात को जान लिया था कि कला-अस्तु केवल बास्तव का अनु-करण नहीं है। उसमें कुछ कुप्रिम मूल्यों वा आरोप करना पड़ता है। कवि-कौशल उन मूल्यों के उपरोग और राजावट में है। सो, इन रचनाओं में कल्पित मूल्य-

अवश्य है। उतना हिस्सा छानकर भी हम कुछ बातें जान सकते हैं।

साहित्यक वर्णनों को देखकर अनुमान किया जा सकता है कि सामने की भूमि को पहले पानी से आद्रे करके बाद में झाड़ दिया जाता था और उसके ऊपर गोवर से लीप दिया जाता था। भूमि का भाग या मकान की चौकी की नाना प्रकार के सुगन्धित पुष्पों और रंगे हुए चावलों से सुसज्जित किया जाता था। ऊचे फाटक के ऊपर गजदन्तों (खूंटियों) में मालती की माला मनोहर भंगी में लटका दी जाती थी। फाटक के ऊपर उपरले तले का जो बातायन (खिड़की) हुआ करता था, उसके नीचे मोतियों की (या कम-से-कम फूलों की) माला लटकती रहती थी। तोरण के कोनों में हाथी की मूर्तियाँ बनी होती थीं जो अपने दाँतों पर या सूँड पर भार धारण करती हुई जान पड़ती थीं (मृच्छ., चतुर्थ अंक)। इसकी-पूर्व दूसरी शती का एक तोरण ब्रैकेट साँची में पाया गया है, जिसमें हाथी के सामने अत्यन्त सुकुमार भगी में एक स्त्री-मूर्ति वृक्षशाखा पकड़कर खड़ी है। इस प्रकार की नारी-मूर्तियों को तोरणशाल-भजिका कहते थे। शालभंजिका पुतली या मूर्ति को भी कहते हैं और बेश्या को भी। सन् ईसवी की दूसरी शताब्दी की एक तोरणशाल-भंजिका मिली है, जिसका दाहिना चरण हाथी के कुम्भ पर है और वार्या जरा ऊपर उठे हुए सूँड पर। अश्वघोष के 'बुद्धचरित' में खिड़की के सहारे लेटी हुई घनुपाकार झुकी हुई नारी की तोरणशाल-भंजिका से उपमा दी गयी है :

अवलंब्य गवाक्षपाश्वेमन्या

शयिता चापविभुमगात्रयच्छिः ।

विरराज विलंबिचारहारा

रचिता तोरणशालभंजिकेव ॥

(25, 52)

काव्यों, नाटकों, मूर्तियों और प्रासादों के भग्नाकदोपो से यह अनुमान पुष्ट होता है कि नागरिक के मकान में तोरणशाल-भंजिकाओं के विविध रूप की मनोहर भगिनीएं पायी जाती होंगी। साधारणतः तोरण द्वार महारजन या कुसुमभी रंग से पुता होता था, प्रत्येक गृह पर सीभाग्यपत्ताकाएँ भी फहराती रहती थीं (मृच्छ., चतुर्थ अंक)। तोरणस्तम्भ के पाश्व में वेदियों बनी होती थीं, जिन पर स्फटिक के मंगल-कलश मुशोभित रहते थे। इन कलशों को जल से भर दिया जाता था और ऊपर हरित आम्र-पल्लव से आच्छादन करके अत्यन्त ललाम बना दिया जाता था। बाद में चलकर वेदी के पास पल्लावाच्छादित पूर्णकुम्भ उत्कीर्ण कर देने की भी प्रथा चल पड़ी थी। 'स्कन्दपुराण' के अवन्तिका खण्ड में अवन्ती नगर का वर्णन करते समय पुराणकार ने बताया है कि "उसमें अनेक वडे-वडे हाट-वाजार थे। विशाल चौराहे थे। सड़क के दोनों ओर मुग्दर-मुन्दर महल बने हुए थे, जिससे सड़कों की शोभा बढ़ रही थी। वे प्रासाद स्फटिक से निर्मित थे, उनके फर्श वैद्युर्मणि के थे। वे मुवर्णजटित प्रवालस्तम्भों पर टिके हुए थे। उनमें साल पत्वरों की दृश्यियाँ बनी हुई थीं—वाहर मोती की झालरे टेंगी हुई थीं, प्रत्येक भवन में मुवर्ण

के मनम्भों पर सौभाग्यपता कराएँ लहरा रही थी, मणिजटित सुवर्ण के कलश प्रत्येक भवन की शोभा बढ़ा रहे थे।” इस वर्णन में सुवर्ण और मणि की अतिरंजना कम कर दी जाय, तो साधारण नागरकों के घर का एक चित्र मिल जाता है। उन दिनों पूर्णकुम्भ-स्थापना की प्रथा इतनी व्यापक थी कि कवियों ने उपमा के लिए उसका व्यवहार किया है। हाल ने प्रेमिका के हृदय-मन्दिर में पधारनेवाले प्रेमी के लिए सुमिजित पूर्णकुम्भ की जड़े कल्पना की थी, वह इसी प्रथा के कारण :

रथापद्मण्णअणुष्ठला तुम सा पडिच्छाए एतम् ।

दारणिहिएहि दोहि वि मगलकलसेहि व थणेहि ॥

(गाथा., 2-40)

इन वेदियों के पीछे चिनाल कपाट हुआ करते थे और दूर से प्रासाद के भीतर जानेवाली सोपान-पक्षितयों दिखायी देती थी। सीढ़ियों पर चन्दन-कपूर आदि के सदोग से बना हुआ सुगन्धित चूर्ण बिछा रहता था। इन्हीं सीढ़ियों के आरम्भ-स्थान के पास दौवारिक या द्वारपाल बैठा रहता था। घर की देहली पर दधि और भात या अन्य खाद्य वस्तु देवताओं को दी हुई बलि के रूप में रख दी जाती थी, जिसे यह तो काक खा जाते थे या घर के पाले हुए सारस, भयूर, लाव, तितिर आदि पक्षी (मूळ, चतुर्य अक)। चारुदत्त जब दरिद्र हो गया तो इस देहली में तृणाकुर उत्पन्न हो आये थे।

संस्कृत के काव्य में जिन अन्तःपुरों का वर्णन मिलता है, वे साधारणतः वडे-वडे राजकुलों के या अत्यधिक सम्भ्रात लोगों के होते हैं। इसीलिए संस्कृत का कवि इनका वर्णन बड़े ढाट-वाट से करता है। अन्तःपुर के भीतरी भाग की बनावट कैसी होती होगी, इसका अनुमान ही हम काव्यों-नाटकों आदि से कर सकते हैं। ‘मूळकटिक’ का विद्यूपक अभ्यन्तरचतु शाल या अन्तःचतु-शाल के द्वार पर बैठकर पक्वान्न खाया करता था। इस अन्तःचतु-शाल शब्द से अनुमान किया जा सकता है कि भीतर एक आँगन होता होगा और उसके चारों ओर शालाएँ (घर) बनी होती होगी। वराहमिहिर अन्तःपुर से आँगन के चारों अविन्दों या बरामदों की व्यवस्था देते हैं। इन बरामदों के खम्भे शुरू में लकड़ी के हुआ करते थे, वाद में पत्थर और ईट के भी बनने लगे थे। इन खम्भों पर भी शाल-भजिकाएँ बनी होती थीं। ये भूतियों सौभाग्य-मूर्चक होती थीं। रामायण (वालकाण्ड, 5वीं सर्ग) में आदिकवि ने अयोध्या के वर्णन के प्रसंग में वधू-नाटक-संघों, उद्यानों, कूटागारों और विमानगृहों की चर्चा की है। टीकाकार रामभट्ट ने वधूनाटक-संघ का वर्ण किया है वधुओं के लिए बनी हुई नाटकशाला; उद्यान का वर्ण किया है श्रीड़ा के लिए बनवायी हुई पृष्ठवाटिका; कूटागार शब्द का वर्ण बताया है हिन्दों के श्रीड़ा-गृह और विमानगृह का वर्ण किया है सप्तभूमि या सात तल्लों के मकान। इससे अनुमान किया जा सकता है कि रामायण-स्वना के काल में भी विशाल प्रासादों के अन्तःपुरों का रूप उतना ही भव्य या जितना परवर्ती काव्यों में है। ‘रपुवर्ण’ के सोतहवें सर्ग में इन योगित्-भूतियों की बात है (16-17)। सची, भरहरी,

मधुरा, जाग्यपेट, भूतेश्वर जादि से खम्भों और रेलियों पर सुदी हुई बहुत-सी शालभंजिकाएँ पायी गयी हैं। पुराने काव्यों में अन्तःपुरिकाओं की परिचारिकाओं के जो विविध क्रिया-कलाय हैं, ये इन मूर्तियों में देखे जाते हैं। अनुमान होता है कि अन्तःन्तु ज्ञाता के खम्भों पर जो मूर्तियाँ उत्कीर्ण रही होगी, उनमें भी श्रुगार और मारत्य के व्यंजक भावों का ही प्राधान्य रहता होगा।

## अन्तःपर की वृक्ष-वाटिका

इस अन्त पुर से लगी हुई एक वृक्ष-वाटिका हुआ करती थी। इसके थी-नीं-थी-न पहली दीधिका या लम्बा तालाव रहा करता था। जगह कम हुई तो कुण्डे या यानदी में ही काम चला लिया जाता था, पर आज हम उन सौंहारों की बात नहीं करने रहे हैं जो भाग्यदेवी के त्याज्य-पुत्र हैं। इसलिए कामयाला जू भी में बनानेवाली हड्डी चर्चा करके इस प्रसग को छोटा नहीं बनाने देंगे। तो, इस युक्ति-वाटिका में युक्ति-वृक्षों के सिवा पृष्ठों और लताकुञ्जों की भी ध्यानस्था रहती थी। युक्ति-वृक्ष एक कम से लगाये जाते थे। वासगृह के आगाम छोटे-छोटे थोरे, इन युक्ति-वृक्ष मुलम, फिर लता-मण्डप और सबने पीछे वहे-वहे युक्ति-वृक्ष उत्पन्न कर दिए। एक ही ध्रेणी के फूल लगाये जाते थे। अग्निहोत्र में यी युक्ति-वृक्ष उत्पन्न करने पहचानने से आवास नहीं होता था कि इन्हरे पश्चात्ती हड्डी बनाने के युक्ति-वृक्ष का मार्ग है, इधर वकुलों की पनी चीर्था है। यी युक्ति-वृक्ष उत्पन्न करने की विधि है :

पालीय चण्डाला विद्युत्यन्धुः त्रिपुरा बंगल

सान्द्रा वीरा नदियं वज्रि शुभ्रं वृक्षं वृक्षं

आप्नायाप्नाय दर्शि विद्वन्मुखी विद्वन्मुखी

（七）

(प्राज) आदि साग-भाजी उगाती थी। इस सूची से जान पड़ता है कि भारतवर्ष में आज से दो हजार वर्ष पहले जो साग-भाजियाँ खायी जाती थीं, वे अब भी बहुत परिवर्तित नहीं हुई हैं। इन साग-भाजियों के साथ ये मसाले भी गृहदेवियाँ स्वर्ण उत्पन्न कर लेती थीं – जीरा, सरसो, अजवायन, सौफ, तेजपात आदि। वाटिका के दूसरे भाग में कुञ्जक (मालती ?), आमलक, मल्लिका (वेला), जाती (चमेली ?), कुरण्डक (कट्सरैया), नवमालिका, तमर, जपा आदि पुष्पों के मुल्लम भी गृहदेवियों के उत्पावधान में ही उगते थे। ये पुष्प नाना कार्यों में काम आते थे। इनसे घर सजाया जाता था, जल सुखन्धत किया जाता था, नव-बघुओं का बासक-बेश तैयार होता था, स्थण्डिल-पीठिकाओं को सजाया जाता था और सबसे बढ़कर देव-पूजा की किया सम्पन्न होती थी। कृष्ण-वाटिका की पुणिता लताएं कुमारियों का मनोविनोद करती थीं, नवदम्पत्ती के प्रणय-कलह में शर्त बनती थीं और निराश प्रेमिका के गले में फासी का काम भी करती थीं ('रत्नावली', तृतीय अंक)। अनुरागी भागरक और उसकी प्रियतमा में पुष्पों के प्रहस्तुत को लेकर वाजी लगती, नाना की खालों से मन्त्र और मणि के प्रयोग से; प्रिया के दशन, वीक्षण, पदाधात आदि से नाना वृक्ष-नताओं में अकाल-कुमुम उद्गत होते थे। जब प्रेमी हारते थे तो उन्हें प्रिया का शृगार कर देने की सलत सजा मिलती थी, और जब प्रेमिकाएं हारती थीं तो सौत की भाँति फूली हुई अनुराग-भरी लता की वारम्बार आपहृपूर्वक निहारनेवाले प्रियतम को देखकर उनका मुँह लाल हो उटता था :

उद्भासोत्कलिका विपाण्डुरक्षर्च प्रारब्धजृम्भा क्षणात्  
आयासं इवसनोदृग्मरविरलैरातन्वतीमात्मनः ।  
अद्योद्यानलतासिमा समदनां नारीमिवायां ध्रुवं  
पश्यन्कोपविपाटलद्युतिमुखं देव्या करिष्याम्यहम् ।

('रत्नावली', द्वितीय अंक)

कृष्ण-वाटिका के अन्तिम किनारे पर बड़े-बड़े छायादार वृक्ष, जैसे अशोक, अरिष्ट पुन्नाग, शिरीप आदि लगाये जाते थे; यदोंकि इनको मांगल्य वृक्ष माना जाता था (व. सं., 55-3) और दीचों-दीच गृह-दीधिका हुथा करती थी। इन दीधिकानों (तालावों) में नाना भाँति के जल-पथियों का रहना मंगलजनक माना जाता था। इनमें कृषिम भाव से कमलिनी (पत्न-पुष्प-लतासमेत यामल) उत्पन्न की जाती थी। वराहमिहिर ने लिखा है कि जिस सरोवर में नलिनी (कमलिनी)-रूप छढ़ में गूँण-किरणें निरस द्वारा होती हैं; हसों के कन्धों से धकेली हुई लहरियाँ कहहारों से टकराती हैं; हंस, कारण्डव, श्रीव और चत्रवाकगण कल-निनाद करते रहते हैं, और जिसके तटान्त की वेववन-छाया में जलजर-पक्षी विद्याम करते हैं; ऐसे सरो-वर्षों के निकट देवतागण प्रसन्न भाव ने विदाजते हैं ॥ ५-४-७ ॥ अनुमान किया जा सकता है कि 'दीनि' ॥ के तट पर ॥ रहते होंगे। काव्यों ने ऐसे वेनस-कुञ्ज ॥ पावी ॥ श्रीवों के पृष्ठ ॥

कह सकते हैं कि समुद्रगृह पानी में बना करता था, उसमें गुप्त भाव से पानी के संचारित हो जाने की व्यवस्था रहा करती थी।

## ५ दोला-विलास

वात्स्यायन से पता चलता है (का. मू., पृ. 45) कि इस वाटिका में सघन छाया में प्रेंखा-दोला या भूला लगाया जाता था और छायादार स्थानों में विश्राम के लिए स्थिण्डिल-पीठिकाएँ (बैठने के आसन) बनायी जाती थीं, जिन पर मुकुमार कुसुम-दल विछा दिये जाते थे। प्रेंखा-दोला की प्रथा वर्षाकृष्टु में ही अधिक थी। सुभापितों में वर्षाकृष्टु के वर्णन के अवसर पर ही प्रेंखा-दोलाओं का वर्णन पाया जाता है। आज भी सावन में भूले लगाये जाते हैं। वात्स्यायन ने जो छायादार वृक्षों की धनी छाया में भूला लगाने को कहा है सो इसी वर्षा से बचने के लिए ही। वस्तुतः वर्षाकाल ही प्रेंखा-विलास का उत्तम समय है। द्युलोक और भूलोक में समानान्तर कियाओं के चलने की कल्पना कवियों ने इस प्रेंखा-विलास से की है, और कौन कह सकता है कि जब कमल-नयनाओं की आँखें दिशाओं को कमल-फूल की आरती से नीराजित कर देती होंगी, आनन्दोललास के हास से जब चन्द्रिका की वृष्टि करती रहती होंगी और विद्युदगीर कान्तिवाली तरणियाँ तेजी से झूलती रहती होंगी तो आकाश में अचानक विद्युत चमकने का भान नहीं होता होगा ? —

दृशा विदधिरे दिशः कमलराजनीराजिताः  
कृता हृसितरोचिपा हरति चन्द्रिकावृष्टयः।  
अकारि हरिणीदृशः प्रबलदण्डकप्रस्फुरद्-  
चपुर्विपुलरोचिप् प्रियति विद्युतो विभ्रमः॥

उन्होंने भी विलाग-नीलाओं ने मनोविनोद करती मन रहती थी। 'काममूर्ति' ने जिन गमुद-गृहों से उल्लेख है कि गम्भवत् भवन-दीपिका के पास ही या भीतर नाम करते थे। इस पर्यामें गुण शायं में निश्चित आनी जाने रहने की व्यवस्था 'हती थी, जिसमें ग्रीष्मासान में भी उनमें छण्ड वनों रहती थी। वहते हैं, 'विष्णु-भूति' (५।।१७) में इन्हीं गमुद-गृहों को भेदनेयाली को दण्ड देने की व्यवस्था है। कालिदाम ने 'रपुवद' में जल-कीड़ा के प्रसग में कुछ 'गृह-मोहन-गृहों' का अर्णन किया है। इन गृहों में भवन-दीपिका का पानी गुप्तमार्ग से जापा करता था। इन गृह-मोहन-गृहों में गदा शीनलना वनी रहती थी (रपु., 19-9)। अनुमान कहा जा सकता है कि जिन लोगों को नदी गुलभ रहती है वे लोग इस कार्य के लिए नदी के पानी का भी नवद्य उपयोग करते होंगे और सम्भवत् 'गंगाया पीप' गृहावारे के मूल में लेंगे ही पर सो। इन्हीं दीधिकाओं से पारायन्त्र को भी पोषण मिला करता था। उनका स्थान तो वाटिका में रहता था, पर उनके सदा जलोद्घारी होने का सोभाग्य भवन-दीपिका के जल के कारण ही हुआ करता था। वाटिका के इस धारायन्त्र या फल्वारे से अन्त पुरिकाएँ होती के दिनों अपनी पिंचारियों में जल भरा करती थी और अद्वीत और सिन्धुर में उसकी जमीन को लात-लाल कीचड़ी आच्छादित कर देती थी (रत्ना., प्रथम ब्रक)। इन फल्वारों में जल-देवताएँ, ईंस-मिथुन या चक्रवाक-मिथुन बने होते थे, जो जलधारा को उच्छृङ्खसित करते रहते थे। अतकापुरी में 'मेषदूत' की यथिणी के अन्तःपुर में एक ऐसी ही वाटिका थी जिसमें यक्षप्रिया ने 'क छोटे-से मन्दारवृक्ष को — जिसके पुष्पस्तवक हाथ-पहुँच के भीतर थे — पुश्रवत् पाल रखा था (मेष., 2-80)। इस उद्यान में भरकत-मणियों की सीढ़ीबाली एक बापी थी जिसमें वैद्यर्यमणि के नालों पर स्वर्णकमल लिखे हुए थे और हसगण विचरण कर रहे थे। इस बापी के तीर पर एक कीड़ा-पर्वत था। वह इन्द्रनीलमणि से निमित था और कनक-कट्टी से वेष्टित था। कीड़ा-पर्वत वर्णकाल के लिए बना करते होंगे। अग्निवेदा वर्षकाल में कुटज और अर्जुन की माला धारण करके और कदम्ब-रज का प्रसाधन करके कुत्रिम कीड़ा-पर्वतों पर विहार किया करता था। उन दिनों कीड़ा-पर्वत पर रहनेवाले पालित मग्नुर मेघदर्शन से प्रभत होकर नाच उठते थे :

अंसलविकुटजार्जुनस्त्रजस्तस्य नीपरसामराग्निः ।

प्रावृद्धिप्रमदवाहिणेष्वभूत् कृतिमाद्रिपु विहारविभ्रमः ॥

(रपु., 19-37)

वाटिका के मध्य भाग में लाल कूलोंवाले अशोक और दकुल के वृक्ष थे; एक प्रिया के पदाधात से और दूसरा वदन-मदिरा से उत्पुल्ल होने की जाकांडा रखता था (मेष., 2-86)। इसमें माधवीलता का मण्डप था जिसका वेङ्गा (वृति) कुरबक या पियावसा के ज्ञाईं का था। कुरबक के ज्ञाड़ निश्चय ही उन दिनों उद्यानों और लता-कुज्रों के बड़े का काम करते थे। शकुन्तला जब प्रथम दर्शन में राजा दुष्यन्त की प्रेम-परवत हो गयी और सखियों के साथ चिदा लेकर जाने लंगी, तो जान-

बूक्षकर अपना बल्कल कुरवक की कांटेदार शाया में उलझा दिया था ताकि उसके सुलझाने के बहाने फिरकर एक बार राजा को देखने का मौका मिल जाय। निश्चय ही शकुन्तला के उद्यान का बेड़ा कुरवक पुष्पों के झाड़ों का रहा होगा और बेड़ा पार करके चले जाने पर राजा का दिखायी देना सम्भव नहीं रहा होगा, इसलिए चलते-चलते मुग्धा प्रेमिका ने अन्तिम बार कौशल का सहारा लिया होगा। इसी प्रकार के कुरवक के बेड़ेवाले मण्डप में ही सोने की वास-यज्ञित पर यक्षप्रिया का वह पालतू मधूर बैठा करता था, जिसे वह अपनी चूड़ियों की मंजुघ्नि से तचा लिया करती थी। उन दिनों के गृह-पालित पक्षी निश्चय ही बहुत भोले होते होंगे, क्योंकि मधूर चूड़ियों की ज्ञनकार से नाच उठता था (मेघ., 2-87), भवन-दीर्घिका का कलहंस नूपुरों की रुनभुन से कोलाहल करने लगता था ('कादम्बरी', पूर्वभाग) और मुग्ध सारस रसना (करधनी) के मधुर रसित से उत्सुक होकर अपने क्रेकारब से वायु-मण्डप कौपा देता था (काद., पूर्व.)। बहुत भीतर जाने पर यक्षप्रिया के शयन-कक्ष के पास पिंजड़े में मधुरभायिणी सारिका थी, जिससे वह यदा-कदा अपने प्रिय की बातें पूछा करती थी (मेघ., 2-87)। सचिं तोरण पर जो ईसवी-पूर्व द्वूसरी शताब्दी की उत्कीर्ण प्रतिकृतियाँ पायी गयी हैं उनमें कनक-कदली से वैष्णित ऐसी भवन-दीर्घिकाएँ भी पायी गयी हैं और वन्य-वृक्ष के छायातले कीड़ा-पर्वत भी पाये गये हैं जिनमें प्रेमियों की प्रेमलीलाएँ बहुत अभिराम भाव से दिखायी गयी हैं। रेलिंगों और स्तम्भों पर हस्तप्राप्य स्तवक-नमित मन्दार-वृक्ष भी हैं और पजरस्था सारिकावाली प्रेमिका यक्षिणी भी। इस प्रकार जिस युग की कहानी हम कह रहे हैं, उस युग में ये बातें बहुत अधिक प्रचलित रही होंगी, ऐसा अनुमान होता है।

## वाग-वगोचों और सरोवरों से प्रेम

यही नहीं समझना चाहिए कि बड़े आदमियों के अन्तःपुर में ही वाग-वगीचे और सरोवर हुआ करते थे। उन दिनों के किसी भी नगर का वर्णन देखिए तो वाग-वगीचों और सरोवरों के प्रति जनता का अनुराग प्रकट होता है। कपिलवस्तु के बाहर पांच-सौ वगीचे थे, वाल्मीकि की अयोध्या उद्यानों से भरी हुई थी और कालिदास की उद्यान-परम्परावाली उज्जयिनी का तो कहना ही क्या! 'स्कन्द-पुराण' में अवन्ती-खण्ड में भी इस उद्यान-परम्परा का बड़ा मनोहर वर्णन है। उद्यानों की इन लोभनीय शोभा ने पुराणकार के चित्त में भाववेग का कम्पन उत्पन्न

किया था और उनके वर्णन में पुराणासार की कविप्रतिभा मुरार हो उठी है: “फूली  
टई लनानी ग आचाडादिन तस-मूढ़ प्रियाओं से आलिंगित सुभगजनों की भाँति  
मोभ रह थे, एवनाल्योमित मजरियों ग गुशीभित आम और तिसक के तस सुजनों  
की भाँति प्रेमालाप-ग करने जान पड़ते थे, पुण और फल-भार में समृद्ध वृद्ध-समूह  
उन गजनों की भाँति लग रहे थे जो अपना सर्वेस्व दूसरों को देने में प्रसन्न देने  
रहते हैं, अमन-बलनर्थियों पर धैंडे हुए भ्रमर हवा ढारा हिलायी लताओं पर इस  
प्रकार नाच रहे थे मानो प्रियतमा के राहचर्य में मदगत कोई प्रेमीजन हो” ।”  
इस प्रकार पुराणासार की भाग्य व्याप भाव से यन-शोभा का वर्णन करती हुई  
यकना नहीं जानती । और फिर उज्जयिनी के “हर बाजार में वापियो, कुएं, मनो-  
हर सरोवर आदि जलाशय ये जिनमें अनेक प्रकार के जलजन्तु विहार कर रहे थे  
और नाल-नीले और इनेट कमल गिलकर शोभा वडा रहे थे । नाना प्रकार के हंस  
कीड़ा कर रहे थे । भवन-दीपियाओं के जल की सहायता से फल्वारे बने हुए थे ।  
कही मदमत मयूर नान रहे थे, तो कही मदविह्वला कोकिला कूक रही थी । गृह-  
वाटिकाओं के पुष्पस्तबकों पर भ्रमरण गुजार कर रहे थे और सदाचारिणी कुल-  
बधुओं कही किनारे बैठकर, कही नीचे से और कही निकटवर्ती महलों के छज्जों से  
इस शोभा का आनन्द उठा रही थी ।” मुनन्दा ने इन्दुमती को लुभाने का एक  
प्रधान साधन उज्जयिनी की उद्यान-परम्पराओं को बताया था जो शिप्रा-तरण से  
शीतल बनी हुई हवा में नित्य कम्पित हुआ करती थी ।

अनेन युना सह पायिवेन रम्भोरु कच्चिवन्मनसो हचिस्ते ।  
सिप्रातरगानिलकम्पितामु विहत्तमुद्यानपरम्परामु ॥

(रघु., 6-35)

अवश्य ही, इन्दुमती इससे प्रसुध नहीं हो सकी थी । शायद इसलिए कि ऐसी  
उद्यान-परम्पराएँ तो सभी राजधानियों में थीं और शिप्रा-तरण कालिदास को  
कितने भी प्रिय क्यों न हो, सरयू-तरणों से अधिक मोहक नहीं थे । गंगा-तरणों से  
तो एकदम नहीं ।

## अन्तःपुर का सुरुचिपूर्ण जीवन

बाणभट्ट की ‘कादम्बरी’ में एक स्थान पर बन्त पुर का वडा ही जीवन्त और रस-  
मय वर्णन है । इस वर्णन से हमें कुछ काम लायक दातें जानने को मिल सकती हैं,  
वैसे यह वर्णन उस किन्नरलोक का है जहाँ कभी किसी को कोई चिन्ता नहीं होती ।

वह उन वित्तेशों का अन्तःपुर है जिनके विषय में कालिदास कह गये हैं कि वहाँ किसी की अखियों में अगर थानु आते हैं तो आनन्दजन्य ही, और किमी कारण से नहीं; प्रेम-वाण की पीड़ाओं के सिवा वहाँ और कोई पीड़ा नहीं होती और यह पीड़ा होती भी है तो इसका फल अभीष्ट व्यक्ति की प्राप्ति ही होता है; वहाँ प्रेमियों में प्रणय-कलह के क्षणस्थायी काल के अतिरिक्त और वियोग कभी नहीं होता और यौवन के सिवा और कोई अवस्था उन लोगों की जानी दृढ़ी नहीं है:

आनन्दोत्थं नयनसलिलं यत्र नान्येनिमित्तः

नान्यस्तापः कुमुमशरजादिष्टसंयोगसाध्यात् ।

नाप्यन्यस्मात् प्रणयकलहाद्विप्रयोगोपपत्ति-

वित्तेशाना न खलु च वयो यौवनादन्यदस्ति ॥

(मेघ., 2-4)

तो ऐसे भाग्यशालियों के अन्तःपुर में कुछ वातें ऐसी जरूर होगी जो हमारी समझ के बाहर की होंगी। उस अन्तःपुर में कोई नवलिका केतिकी (केवड़े) की पुण्य-धूलि से लबली (हरफा रेवडी) के आलवालों को सजा रही थी, कोई गन्ध जल की वापियों में रस्तवालुका निशेप कर रही थी, कोई मृणालिका कृत्रिम कमलनियों के यन्त्रचक्रवाकों के ऊपर कुकुमरेणु फेक रही थी, कोई मकरिका कर्पूर-पल्लव के रस से गन्ध पात्रों को सुवासित कर रही थी, कोई तमाल-धीयिका के अन्धकार के मणियों के प्रदीप सजा रही थी, कोई कुमुदिका पक्षियों के निवारण के लिए दाढ़िम फलों को मुक्ताजाल से अवरुद्ध कर रही थी, कोई निपुणिका मणि-पुत्तलियों के वक्षःस्थल पर कुंकुमरस से चित्कारी कर रही थी, कोई उत्पलिका कदली-गूह की मरकत वेदिकाओं को सोने की सम्मार्जनी (शाड़ी) से साफ कर रही थी, कोई केसरिका घकुल-कुसुम के भाला-गूहों को मदिरारस से सीच रही थी और कोई मालतिका कामदेवायतन की हाथीदाँत की बनी बलविका (मण्डप) को सिन्दूर-रेणु से पाटलित कर रही थी। ये सारी वातें ऐसी हैं जिनका अर्थ हम दरिद्र लेखनी-धारियों की समझ में नहीं आ सकता। हम आँखें फाड़-फाड़कर देखते ही रह जाते हैं कि मधु-मकिख्यों के छत्ते की भी अपेक्षा अधिक व्यस्त दिलनेवाले इस अन्तःपुर के इन व्यापारों का अर्थ क्या है। खैर, आगे कुछ ऐसी वातें भी हैं जो समझ में आ जाती हैं। वहाँ कोई नलिनिका भवन के कलह-सों को कमल का मधु-रस पान कराने जा रही थी, कोई कदलिका मधूर को धारागृह या फब्बारे के पास ले जा रही थी—शायद बलय-भंकार से नचा लेने के लिए! कोई कमलिनिका चक्रवाक-शावकों को मृणाल-क्षीर पिला रही थी, कोई चूतलतिका कोकिलों को आग्र-मञ्जरी का अंकुर खिलाने में लगी थी, कोई पल्लविका मरिच (काती मिर्च) के कोमल किसलयों को चुन-चुनकर भवन-हारीतों को खिला रही थी, कोई लवणिका विजड़ों में लिप्पिली के मुलायम पत्ते निशेप कर रही थी, कोई मधुरिका पुष्पों का आभरण बना रही थी और इस प्रकार नारा अन्तःपुर पक्षियों की गेवा में .. था। सबसे भीतर वचनमुयरा सारिका (मैता) और विद्यम शुक (तोता)



जिनके प्रणय-कलह की शिक्षा पूरी हो चुकी थी और कुमार चन्द्रापीड़ के सामने अपनी रसिकता की विद्या का प्रदर्शन करके सारिकाओं ने कादम्बरी के अधरों पर लज्जायुक्त मुसकान की एक हूल्की रेखा प्रकट कर दी थी।

## विनोद के साथी : पक्षी

संस्कृत साहित्य में पक्षियों की इतनी अधिक चर्चा है कि अन्य किसी साहित्य में इतनी चर्चा शायद ही हो। जिन दिनों संस्कृत के काव्य-नाटकों का निर्माण अपने पूरे चढ़ाव पर था, उन दिनों केलि-गृह और अन्तःपुर के प्रासाद-प्रांगण से लेकर युद्धक्षेत्र और वानप्रस्थों के आध्रम तक कोई-न-कोई पक्षी भारतीय सहृदय के साथ अवश्य रहा करता था। वह विनोद का साथी या रहस्यालाप का दूत था, भविष्य के धुभाशुभ का द्रष्टा था, विषोग का सहारा था, संयोग का योजक था, युद्ध का सन्देश-वाहक था और जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था, जहाँ वह मनुष्य का साथ न देता हो। कभी भवन-बलभी में सोये हुए पारावत के रूप में, कभी मानिनी को हँसा देनेवाले शुक के रूप में, कभी अज्ञात प्रणयिनी के विरहोच्छ्वास को खोल देनेवाली सारिका के रूप में, कभी नागरकों की गोष्ठी को उत्सेजित कर देनेवाले योद्धा कुकुट के रूप में, कभी भवन-दीर्घिका (अन्तःपुर के तालाब) में मृणाल-तन्तुभक्ती कलहस के रूप में, कभी अज्ञात प्रिय के सन्देशवाहक राजहंस के रूप में, कभी चूत-कपाय-कण्ट में विरहिणी के दिल में हूक पैदा कर देनेवाले कोकिल के रूप में, कभी नूपुर की झांकार से झेंकारघनिकारी सारस के रूप में, कभी कंकण की रुद्धन से नाच पड़नेवाले मयूर के रूप में, कभी चन्द्रिका-पान में मद-विह्वल होकर मुख्या के मन में अपरिचित हलचल पैदा कर देनेवाले चकोर के रूप में, वह प्रायः इस साहित्य में पाठक की नजरों से टकरा जाता है। इन पक्षियों की संस्कृत-साहित्य में से निकालूँ दीजिए, किर देयिए कि वह कितना निर्जीव हो जाता है। हमारे प्राचीन साहित्य को जिन्होंने इतना सजीव कर रखा है, इतना सरस बना रखा है, उनके विषय में अभी तक हिन्दी में कोई विशेष उल्लेखयोग्य अध्ययन नहीं हुआ है, यह हमारी उदासीनता का पवका प्रमाण है।

महाभारत में एक पक्षी ने एक मनुष्य से कहा था कि मनुष्य और पक्षियों में सम्बन्ध दो ही तरह के हैं—भथण वा सम्बन्ध और झीड़ा वा सम्बन्ध। अर्थात् मनुष्य या तो पक्षियों को धाने के काम में लाता है या उन्हें फौसाकर उनसे मनो-विनोद किया करता है, और कोई तीसरा सम्बन्ध इन दोनों में नहीं है। एक वध

का सम्बन्ध है और दूसरा बन्ध का :

भक्षार्थं कीड़ानार्थं वा नरा वाञ्छन्ति पक्षिणम् ।

तृतीयो नास्ति संयोगो वधवंघादृते क्षमः ।

(म. भा., शान्तिपर्व, 139-60)

परन्तु समस्त संस्कृत-साहित्य और स्वयं महाभारत इस बात का सदृश है कि एक तीसरा सम्बन्ध भी है । यह प्रेम का सम्बन्ध है । अगर ऐसा न होता तो कमल-पत्र पर विराजमान वलाला (वक-पक्षित), जो मरकत मणि के पात्र में रखी हुई शंखशुक्ति के समान दीय रहे हैं, अकारण मानव-हृदय में आनन्दोद्देश न पैदा कर सकती :

उअ णिच्चल-णिष्फंदा भिसिणी-पत्तम्मि रेहइ वलाआ ।

णिम्ल-मरगअ-भाअण-परिट्ठिआ संबसुतिव्व ॥

(हाल सत्तसई, 1-4)

तपोनिरता पर्वत-कन्या जब कड़ाके की सर्दी में जल-वास करती होती, तो दूर से एक-दूसरे को पुकारनेवाले चक्रवाक-दम्पति के प्रति अहेतुक कृपावती न हो जाती ('भुमारसम्बव', 5-26) ; धान से लहराते हुए, मृगागनाओं से अध्युपित और श्रीच पक्षी के मनोहर निनाद से मुखरित सीमान्तकेका के साथ मनुष्य के चित्त को इतना चंचल न कर सकते (ऋतु. 3) और न ऐसी नदियाँ, जिनकी काढ़ी श्रीचों की श्रेणी है, जिनका कलस्वन कलहंसों का निनाद है, जिनकी साड़ी जलधारा है, जिनके कान के आभरण तीर-टुम के पुष्प हैं, जिनका श्रोणीमण्डल जल-स्थल का संगम है, जिनके उरस्य उन्नत पुलिन हैं, जिनकी मुसकान हंसश्रेणी है, ऐसी नदियों के तट पर ही देवता रमण कर सकते हैं—यह बात ही मनुष्य के मन में आ पाती :

श्रीचकांचीकलापाद्य कलहंसकलस्वनाः

नद्यस्तोयांशुका यथ शफरीकृतमेखलाः ॥

फुलतीरद्वमोत्तेसाः संगमश्रोणिमण्डलाः ।

पुलिनाम्युन्नतोरस्याः हंसहासाद्यनिम्नगाः ।

वनोपान्तनदीशैलनिङ्गंरोपान्तभूमिषु ।

रमन्ते देवता नित्यं पुरेष्यानवत्यु च ।

(‘वृहत्संहिता’, 56-66)

अन्तःपुर से बाहर निकलने पर राजकुल के प्रथम प्रकोष्ठ में भी बहुतेरे पक्षियों से भेट हो जाती है । इसमें कुकुट (मुर्ग), कुरक, कर्पिजल, लावक और वार्तिक नामक पक्षी हैं, जिनकी लड्डाई से नामरकों का मनोविनोद हुआ करता था ('कादम्बरी', पृ. 173) । इसी प्रकोष्ठ में चकोर, कादम्ब (एक हंस), हारीत और कोकिल की भी आवाज सुनायी दे जाती थी, और शुकसारिकाओं की मजेदार वार्ते भी कर्णगोचर हो जाती थी । वात्स्यायन ने 'काममूत्र' (पृ. 47) में नामरकों को भोजन के बाद शुक-मारिका का आलाप तथा लाव-कुकुट और भेषों के युद्ध के

देखने की व्यवस्था की है। भोजन के बाद तो प्रत्येक प्रतिष्ठित नागरिक इन श्रीड़ाओं को अपने मित्रों-सहित देखता ही था।

## उद्यान यात्रा

उद्यान-यात्राओं के समय इसका महत्त्व बहुत बढ़ जाता था। निश्चित दिनों को पूर्वाह्न में ही नागरिकगण सज-घजकर तैयार हो जाते थे। घोड़ों पर चढ़कर जब वे किसी दूरस्थित उद्यान की ओर—जो एक दिन में पहुँचने सायक दूरी पर हुआ करता था—चलते थे, तो उनके साथ पालकियों पर या बहलियों में बारवधूटियाँ चला करती थीं और पीछे परिचारिकाओं का क्षुण्ड चला करता था। इन उद्यान-यात्राओं में कुकुट, लाव और मेप-युद्ध का आयोजन होता था, हिण्डोल-विलास की व्यवस्था रहा करती थी और यदि ग्रीष्म का समय हुआ तो जलक्रीड़ा भी होती थी ('कामसूत्र', पृ. 53)।

कभी-कभी कुमारियाँ और विवाहित महिलाएँ भी उद्यान-यात्राओं में था तो पुरुषों के साथ या स्वतन्त्र रूप से शामिल होती थीं। पर 'कामसूत्र' पर अगर विश्वास किया जाय, तो इन यात्राओं में सड़कियों का जाना सब समय निरापद नहीं होता था—विशेष करके जबकि वे स्वतन्त्र रूप में पिकनिक के लिए निकली हुई हों। असच्चरित पुरुष प्रायः वालिकाथों वा अपहरण करते थे। इन उद्यान-यात्राओं में जब दो प्रतिद्वन्द्वी नागरिकों के मेप या लाव या कुकुट जूझते थे, तब प्रायः वाजी लगायी जाती थी और उस समय दोनों पक्षों में बड़ी उत्तेजना का संचार हो जाया करता था। कभी-कभी छोटी-मोटी लड़ाइयाँ भी ज़हर हो जाती रही होंगी। 'कामसूत्र' में मेप, कुकुट और लावों के युद्ध को तथा शुक-सारिकाओं के साथ आलाप करने-कराने को 64 कलाओं में गिना गया है (साधारणाधिकरण, तृतीय)।

## शुक और सारिका

शुक-सारिकाएँ केवल विलासी नागरको के बहिर्दीर पर ही नहीं मिलती थीं, बड़े-बड़े पण्डितों के घरों की शोभा भी बढ़ाती थी। शक्तराचार्य को मण्डन मिथ्र के पर का मार्ग बताते समय स्थानीय परिचारिका ने कहा था, जहाँ शुक-सारिकाएँ 'स्वतः प्रमाणं परतः प्रमाणं' वा शास्त्रार्थ कर रही हो, वही मण्डन मिथ्र का द्वार है – "स्वतः प्रमाणं परतः प्रमाणं कीरांगना यत्र गिरो गिरन्ति।" सुप्रसिद्ध कवि वाणभट्ट ने अपने पूर्व-पुरुष कुवेरभट्ट का परिचय देते हुए बड़े गर्व से लिखा है कि उनके घर के शुकों और सारिकाओं ने समस्त वाह्य का अभ्यास कर लिया था, और यजुर्वेद और सामवेद का पाठ करते समय पद-पद पर ये पक्षी विद्यार्थियों की गलतियाँ पकड़ा करते थे :

जगुमृहेऽभ्यस्तसमस्तवाह्यमयैः,

ससारिकैः पंजरवर्तिभिः शुकैः

निगृह्यमाणाः वटवः पदे पदे

यजूंयि सामानि च यस्य शंकिताः ॥

(‘कादम्बरी’, 12)

ऋग्यियों के आश्रम में भी शुक-सारिकाओं का वास था। किसी वृक्ष के नीचे शुक-शावक के मुख से गिरे हुए नीवार (वन्य-धान) को देखकर ही दुष्यन्त को यह समझने में देर नहीं लगी थी कि यहाँ किसी ऋग्यि का आश्रम है ('शकुन्तला', 1-14)।

वस्तुतः शुक-सारिका उस युग में अन्तःपुर से लेकर तपोवन तक सर्वत्र सम्मानित होते थे। मनुष्य के सुख-दुःख के साथ उनका सुख-दुःख इस प्रकार गुणा हुआ था कि एक को दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। 'अमरुक-शतक' में एक बड़ा ही मर्मस्पर्शी दृश्य है; जबकि मानवती गृहदेवी के दुःख से दुःखी होकर प्रिय वाहर नख से जमीन कुरेद रहा है, सखियों ने खाना बन्द कर दिया है, रोते-रोते उनकी आँखें मूज गयी हैं और पिंजड़े के सुगे अज्ञात वेदना के कारण हँसना-पड़ना बन्द किये सारे व्यापार को समझने की चेष्टा कर रहे हैं।

लिखन्नास्ते भूमि वहिरवनतः प्राणदयितः

निराहाराः सस्यः सततरदितोच्छूननयना ।

परित्यक्तं सर्वं हसितपठितं पंजरशुकैः

तवावस्था चेयं विसृज कठिने मानमधुना ॥

(‘अमरुक-शतक’)

इसी प्रकार 'अमरुक-शतक' में एक अत्यन्त सरस और स्वाभाविक प्रमंग आया है। रात को दम्पती ने जो प्रेमालाप किया उमे नासमझ शुक जयो-का-र्यों प्रातःकाल गुरुजनों के सामने ही दुहराने लगा। विचारी वह लाजों गड़ गयी। और कोई

देखने की व्यवस्था की है। भोजन के बाद तो प्रत्येक प्रतिष्ठित नागरिक इन कीड़ाओं को अपने मित्रों-सहित देखता ही था।

## उद्यान यात्रा

उद्यान-यात्राओं के समय इसका महस्त्र बहुत बढ़ जाता था। निश्चित दिनों को पूर्वाह्न में ही नागरिकगण सज-धजकर तैयार हो जाते थे। घोड़ों पर चढ़कर जब वे किसी दूरस्थित उद्यान की ओर—जो एक दिन में पहुँचने लायक दूरी पर हुआ करता था—चलते थे, तो उनके साथ पालकियों पर या बहलियों गे वारवधूटियाँ चला करती थीं और पीछे परिचारिकाओं का झुण्ड चला करता था। इन उद्यान-यात्राओं में कुकुट, लाव और मेष-युद्ध का आयोजन होता था, हिण्डोल-विलास की व्यवस्था रहा करती थी और यदि ग्रीष्म का समय हुआ तो जलशीड़ा भी होती थी ('कामसूत्र', पृ. 53)।

कभी-कभी कुमारियाँ और विवाहित महिलाएँ भी उद्यान-यात्राओं में या तो पुरुषों के साथ या स्वतन्त्र रूप से शामिल होती थीं। पर 'कामसूत्र' पर अगर विश्वास किया जाय, तो इन यात्राओं में लड़कियों का जाना सब समय निरापद नहीं होता था—विशेष करके जबकि वे स्वतन्त्र रूप में पिकनिक के लिए निकली हुई हों। असच्चरित पुरुष प्रायः वालिकाओं का अपहरण करते थे। इन उद्यान-यात्राओं में जब दो प्रतिद्वन्द्वी नागरिकों के मेष या लाव या कुकुट जूझते थे, तब प्रायः वाजी लगायी जाती थी और उस समय दोनों पक्षों में बड़ी उत्तेजना का संचार हो जाया करता था। कभी-कभी छोटी-मोटी लड़ाइयाँ भी ज़रूर हो जाती रही होंगी। 'कामसूत्र' में मेष, कुकुट और लावों के युद्ध को तथा शुक-सारिकाओं के साथ आलाप करने-कराने को 64 कलाओं में गिना गया है (साधारणाधिकरण, तृतीय)।

## शुक और सारिका

शुक-सारिकाएँ केवल विलासी नागरको के बहिर्दीर पर ही नहीं मिलती थीं, बड़े-बड़े पण्डितों के घरों की शोभा भी बढ़ाती थी। शंकराचार्य को मण्डन मिश्र के घर का मार्ग बताते समय स्थानीय परिचारिका ने कहा था, जहाँ शुक-सारिकाएँ 'स्वतः प्रमाणं परतः प्रमाणं' का शास्त्रार्थ कर रही हों, वही मण्डन मिश्र का द्वार है — "स्वतः प्रमाणं परतः प्रमाणं कीरागना यत्र गिरो गिरन्ति।" सुप्रसिद्ध कवि वाणभट्ट ने अपने पूर्व-पुरुष कुवेरभट्ट का परिचय देते हुए बड़े गवं से लिखा है कि उनके घर के शुकों और सारिकाओं ने समस्त बाह्यमय का अभ्यास कर लिया था, और यजुर्वेद और सामवेद का पाठ करते समय पद-पद पर ये पक्षी विद्यार्थियों की गलतियाँ पकड़ा करते थे :

जगुगृहेऽभ्यस्तसमस्तवाङ्मयैः,  
ससारिकैः पंजरवतिभि शुकैः  
निगृह्यमाणा वटवः पदे पदे  
यजूंपि सामानि च यस्य शकिताः ॥

('कादम्बरी', 12)

ऋषियों के आध्रम में भी शुक-सारिकाओं का वास था। किसी वृक्ष के नीचे शुक-शावक के मुख से गिरे हुए नीवार (वन्य-धान) को देखकर ही दुष्यन्त को यह समझने में देर नहीं लगी थी कि यहाँ किसी ऋषि का आश्रम है ('शकुन्तला', 1-14) ।

वस्तुतः शुक-सारिका उस युग में अन्तःपुर से लेकर तपोवन तक सर्वत्र सम्मानित होते थे। मनुष्य के सुख-दुःख के साथ उनका सुख-दुःख इस प्रकार गुंथा हुआ था कि एक को दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। 'अमरुक-शतक' में एक बड़ा ही मर्मस्पर्शी दृश्य है; जबकि मानवती गृहदेवी के दुःख से दुःखी होकर प्रिय बाहर नख से जमीन कुरेद रहा है, सखियों ने खाना बन्द कर दिया है, रोते-रोते उनकी आँखें मूज गयी हैं और पिंजड़े के सुगो अज्ञात बेदना के कारण हँसना-पढ़ना बन्द किये सारे व्यापार को समझने की चेष्टा कर रहे हैं :

लिखन्नास्ते भूमि वहिरवनतः प्राणदयितः  
निराहारा: सख्यः सततरुदितोच्छूननयना।  
परित्यक्तं सर्वं हसितपठितं पंजरशुकैः  
तवावस्था चेयं विसृज कठिने मानमधुना ॥

('अमरुक-शतक')

इसी प्रकार 'अमरुक-शतक' में एक अत्यन्त सरस और स्वाभाविक प्रसंग आया है। रात को दम्पती ने जो प्रेमालाप किया उसे नासमझ शुक ज्यों-का-त्यों प्रातःकाल गुरुजनों के सामने ही दुहराने लगा। विचारी बहू लाजो गड़ गयी। और कोई

उपाय न देखकर उसने अपने कर्णफूल में लगे लाल पश्चराग मणि को ही शुक के सामने रख दिया और वह उसे पका दाढ़िय समझकर उसी में उलझ गया। इस प्रकार किसी भाँति उस दिन की लाज बच पायी और बाचाल सुगो का बागरोध किया जा सका :

दम्पत्योर्निशि जल्पतोगृहशुकेनाकर्णितं घट्वः  
तत्प्रातर्गुहसन्निधौ निगदतः श्रुत्वैव तारे वधूः ।  
कणलिम्बितपश्चरागशकलं विन्यस्य चञ्च्च्वोः पुरं  
श्रीडार्ता प्रकरोति दाढ़िमफलव्याजेन बागरोधनम् ॥

शुभाशुभ जानने के लिए उन दिनों कई पक्षियों की गति-विधि पर विशेष ध्यान दिया जाता था। वस्तुतः शकुन (हिन्दी 'सगुन') शब्द का अर्थ ही पक्षी है। इन शकुन-निर्देशक पक्षियों के कारण संस्कृत-साहित्य में एक अत्यन्त सुकुमार भाव का प्रवेश हुआ है और साहित्य इससे समृद्ध हो गया है। घराहभिहिर की 'वृहत्संहिता' में निम्नाकित पक्षियों को शकुन-सूचक पक्षी कहा गया है—श्यामा, श्येन, शशधन, वंजुल, मयूर, श्रीकर्ण, चक्रवाक, चाप, भाण्डीरक, खंजन, शुक, काक, तीन प्रकार के कपोत, भारद्वाज, कुलाल, कुकुट, सर, हारीत, गृध, पूर्ण-कूट और चटक (वृ. सं. 88।।)

संस्कृत-साहित्य से इन पक्षियों के शकुन के कारण वड़ी-वड़ी घटनाओं के हो जाने का परिचय मिलता है। कभी-कभी शकुन-मात्र से भावी राज्यकान्ति का अनुमान किया गया है और उस पर से सारे प्लाट का आयोजन हुआ है। शकुन-सूचक पक्षियों के कारण सूक्षियाँ भी खूब कही गयी हैं।

## शकुन-सूक्षित

ऋतु-विशेष के अवसर पर पक्षी-विशेष का प्रादुर्भाव और उसका हृदय ढालकर किया हुआ वर्णन संस्कृत साहित्य की वेजोड़ सम्पत्ति है। भारतवर्ष में एक ही समय नाना प्रदेशों में ऋतु का विभेद रहता है। फिर गर्भी और सर्दी के घट्टे-घट्टे रहने से एक ही वर्ष में कई यार ऋतु-परिवर्तन होता है। भिन्न-भिन्न ऋतुओं में नये-नये पक्षी इम देश में छा जाया करते हैं। संस्कृत के कवियों ने इन अतिथियों का ऐसा मनोहर स्वागत किया है कि पाठक उन्हे कभी भूल नहीं सकता। बलाका को उत्सुक कर देनेवाली, मयूर को मदविहृल बना देनेवाली, चातक को चचल कर देनेवाली और चकोर को हर्य-वर्ष से सेचन करनेवाली वर्षा गयी नहीं कि

खंजरीट, कादम्ब, कारण्डव, चक्रवाक, सारस तथा कौच की सेना लिये हुए शरद आयी :

सखंजरीटा: सप्यः प्रसादा सा कस्य नो मानसमाच्छन्नतिः ।

कादम्बकारण्डवचक्रवाकससारसकौचकुलानुपेता ।

(‘काव्यमीमांसा’, पृ. 101)

फिर वसन्त तो है ही—शुक-सारिकाओं के साथ हारीत, दात्यूह (महुभक) और भ्रमर श्रेणी के मद को वर्धन करनेवाला और पुस्कोकिल के मधुर कूजन से चित्त चंचल कर देने वाला !

चैत्रे मदद्धिः शुकसारिकाणां हारीतदात्यूहमदुव्रतानाम् ।

पस्कोकिलाना सहकारवन्धुः मदस्य कालः पुनरेप एव ॥

(‘काव्यमीमांसा’, पृ. 105)

ऋगुओं के प्रसंग में कवियों ने बहुत अधिक पक्षियों का बड़ी सहृदयता के साथ वर्णन किया है ।

इन पक्षियों में से कुछ ऐसे थे जो प्रेम-सन्देश के बाहक माने जाते थे । हंस में यह काम प्रायः लिया गया है, पर हंस वास्तव में रोमास को औत्सुक्य-मण्डित करनेवाले कल्पित मूल्यों का पक्षी है । पारावत या कबूतर इस कार्य को सचमुच ही करते थे । आज भी इन पक्षियों को इस कार्य के लिए नियुक्त किया जाता है । विज्ञान ने इनको और भी उपयोगी बना दिया है, पर पत्र ले जाने का काम ये अवश्य करते थे ।

## सुकुमार कलाओं का आश्रय

जैसा कि ऊपर बताया गया है, ये अन्त.पुर सब प्रकार की सुकुमार कलाओं के आश्रय रहे हैं । यह तो कहा ही व्यर्थ है कि माधारण नायरकों के अन्त.पुर उतने समृद्ध नहीं होते होंगे, पर सम्भ्रान्त व्यक्तियों के अन्त.पुर निश्चय ही सुकुमार कलाओं के आश्रयदाता थे ।

‘मृच्छकटिक’ नाटक में एक छोटा-सा वायर आता है जो काफी अधंपूर्ण है । इस नाटक के नायक चारूदत्त का एक पुराना भंवाहक या भूत्य था, जिसने संवाहन कला अर्थात् शरीर दवाने और सजाने की विद्या मीणी पी । उसने दरिद्रतावश नौकरी कर ली थी । यही संवाहक अपने मालिक चारूदत्त की दरिद्रता के कारण नौकरी छोड़कर जुआ सेनने का अभ्यासी हो गया । एक बार चारूदत्त की प्रेमिका

गणिका वसन्तसेना ने उसकी विद्या की प्रशंसा करते हुए कहा कि 'भद्र, तुमने बहुत सुकुमार कला सीखी है', तो उसने प्रतिवाद करके कहा, 'नहीं आर्य, कला समझ-कर सीखी जरूर थी, पर अब तो वह जीविका हो गयी है।' इस कथन का अर्थ यह हुआ कि जीविका-उपार्जन के काम में लगायी हुई विद्या कला के सुवर्ण-सिंहासन से विच्छुत मान ली जाती थी। यही कारण था कि धनहीन नागरिकगण सर्वकला-पारंगत होने पर नागरक के ऊँचे आसन से उत्तरकर घिट हीने को धार्य होते थे। सवाहक का कार्य भी एक कला है जो अन्त-पुर में ही प्रकट होती थी। अन्त-पुरिकार्यों के वेष-विन्यास में इस कला का पूर्ण उपयोग होता था। सम्भान्त परिवारों में अनेक संवाहिकाएँ होती थीं जो गृहस्वामिनी का चरण-संवाहन भी करती थीं और नाना आभरणों से उस छविगृह की दीपशिखा से जगमग करने का कार्य भी करती थीं। नागरकों को भी सवाहन आदि कर्म सीखने पड़ते थे। वियोगिनी प्रियतमा से हठात् मिलन होने पर शीतल बलम-विनोदन व्यंजन की, पंखे की मीठी-मीठी हवा जिस प्रकार आवश्यक होती थी, उसी प्रकार कभी-कभी यह भी आवश्यक हो जाता था कि प्रिया के लाल-लाल कमल-जैसे कोमल चरणों को गोद में रखकर इस प्रकार दबाया जाय कि उसे अधिक दबाव कर क्लेश भी न हो और विरह-विधुर मज्जातन्तुओं को प्रिय के करतलस्पर्श का अमृतरस भी प्राप्त हो जाय ! इसीलिए नागरक को ये कलाएँ जाननी पड़ती थीं। राजा दुष्यन्त ने वियोगिनी शकुन्तला से दोनों ही प्रकार की मेवा की अनुज्ञा माँगी थी :

कि शीतलैं बलमविनोदिभिराद्र्वातैः -

सचार्यामि नलिनीदलपतालवृन्तम् ।

बङ्के निघाय चरणावृत पथताम्बौ

सवाहयामि करभोह यथासुखं ते ॥

—'शकुन्तला', तृतीय अंक

## बाहरी प्रकोष्ठ

नागरक के विशाल प्रासाद का बहिःप्रकोष्ठ जिसमें नागरक स्वयं रहा करता था, बहुत ही शानदार होता था। उसमें एक शश्या पड़ी रहती थी जिसके दोनों सिरों पर दो तकियाँ या उपाधान होते थे और ऊपर सफेद चादर या प्रच्छदपट पड़े होते थे। यह बहुत ही नर्म और बीच में भुका हुआ होता था। इसके पास ही कभी-कभी एक दूसरी शश्या (प्रतिशथ्यिका) भी पड़ी होती थी, जो उससे कुछ नीची

होती थी। शश्या बनाने में बड़ी सावधानी बरती जानी थी। साधारणत असन, स्पन्दन, हरिद्र, देवदारु, चन्दन, शाल आदि वृक्षों के काष्ठ से शश्याएँ बनती थी, पर इस बात का सदा खयाल रखा जाता था कि चुना हुआ काष्ठ ऐसे किसी वृक्ष से न लिया गया हो जो वज्रपात से गिर गया था या बाढ़ के धवके से उखड़ गया था, या हाथी के प्रकोप से धूलिलुण्ठित हो गया था, या ऐसी अवस्था में काटा गया था जबकि वह फल-फूल से लदा या पक्षिओं के कलरव से मुखरित था, या चैत्य या शमशान में लाया गया था या सूखी लता से लिपटा हुआ था (वृ. सं., 71-3)। ऐसे अमगलजनक और अशुभ वृक्षों को पुराना भारतीय रईस अपने घर के सबसे अधिक सुकुमार स्थान पर नहीं ले जा सकता था। बराहमिहिर ने ठीक ही कहा है कि राज्य का सुख गृह है, गृह का सुख कलत्र है और कलत्र का सुख कोमल और मगलजनक शश्या है। सो शश्या गृहस्थ का मर्मस्थान है। चन्दन का खाट सर्वोत्तम माना जाता था; तिन्दुक, शिंशपा, देवदारु, असन के काष्ठ अन्य वृक्षों के काष्ठ से नहीं मिलते जाते थे। शाक और शालक का मिश्रण शुभ हो सकता था, हरिद्रक और पदुकाष्ठ अकेले भी और मिलकर भी शुभ ही माने जाते थे। चार से अधिक काष्ठों का मिश्रण किसी प्रकार पसन्द नहीं किया जाता था। शश्या में गजदन्त का लगाना शुभ माना जाता था। पर शश्या के लिए गजदन्त का पत्तर काटना बड़ा भावाजोखी का व्यापार माना जाता था। उस दन्तपत्र के काटते समय भिन्न-भिन्न चिह्नों से भावी मंगल या अमंगल का अनुमान किया जाता था। खाट के पायों में गाँठ या छेद बहुत अशुभ समझे जाते थे। इस प्रकार नागरक के खाट की रचना एक कठिन समस्या हुआ करती थी (वृ. सं., 76 अ.)। यह तो स्पष्ट है कि आज के रईस की भाँति आईर देकर कोच और सोफे की व्यवस्था को हमारा पुराना रईस एकदम पसन्द नहीं करता होगा। 'वृहत्संहिता' ने यह भी पता चलता है कि खाट सब श्रेणी के आदमियों के लिए दरावर एक-जैसे ही नहीं बनते थे। भिन्न-भिन्न पद-मर्यादा के व्यक्तियों के लिए भिन्न-भिन्न माप की शश्याएँ बनती थी। शश्या के सिरहाने कूच-यान पर नागरक के इष्ट देवता की कलापूर्ण मूर्ति रहती थी और उसके पाम ही वेदिका पर माल्य-चन्दन और उपलेपन रखे होते थे। इसी वेदिका पर सुगन्धित मोम की पिटारी (सिक्य-करण्डक) और इत्रदान (मीगन्धिक-पुटिका) रखा रहता था। मालुलुग के छाल और पान के बीड़ों के रखने की जगह भी यही थी। नीचे फर्श पर पीकदान या पतदग्रह रखा होता था। ऊपर हाथीदाँत की खूटियों पर कपड़े के थेले में लिपटी हुई बीणा रहती थी, चित्रफलक हुआ करता था, तूलिका और रंग के डिव्ये रखे होते थे, पुस्तकें मर्जी होती थी और बहुत देर तक ताजी रहनेवाली कुरण्टकमाला भी लटकती रहती थी। दूर एक आस्तरण (दरी) पड़ा रहता था जिस पर दूत और शतरंज मेलने की गोटियाँ रखी होती थी। उस कमरे के बाहर श्रीड़ा के पक्षियों अर्धात् शूक, मारिका, माव, तितिर, कुकुट आदि के पिंजड़े हुआ करते थे। शाविलक नामक चोर जब चारदित के घर में घुसा था तो उसने आश्चर्य के साथ देखा था कि उस रसिक नागरक के

धर मे कही मृदग, कही दर्दुर, कही पणव, कही वशी और कही पुस्तके पढ़ी हुई थी। एक बार तो वह यह भी सोचने लगा था कि यह किसी नाट्याचार्य का धर तो नहीं है, क्योंकि ये वस्तुएँ एक ही गाय के बेत दो स्थानों पर सम्भव पी—धनी नागरक के बैठक-गृह में या फिर उस नाट्याचार्य के गृह में जिसने बता के आजीविका बना ली हो। चोर ने धर की दशा से सहज ही यह अनुमान कर लिया था कि धनी आदमी का धर तो यह होने रे रहा, नाट्याचार्य का हो तो हो भी सकता है।

## बीणा

बीणा और चित्रफलक, ये दो वस्तुएँ उन दिनों के सहृदय के लिए नितान्त आवश्यक वस्तु थीं। चारदृश ने ठीक ही कहा था कि बीणा जो है सो असमुद्रोत्तम रत्न है, वह उत्कण्ठित की सगिनी है, उकताये हुए का विनोद है, विरही का ढार्डा है और प्रेमी का रागवर्धक प्रमोद है।

उत्कण्ठितस्य हृदयानुगुणा वयस्या  
सकेतके चिरथति प्रवरो विनोदः ।  
संस्थापना श्रियतमा विरहातुराणां  
रक्तस्य रागपरिवृद्धिकरः प्रमोदः ॥

—‘मुच्छकटिक’, ३-४

उन दिनों का महृदय नागरक अपनी प्राणप्रिया के समान ही यदि किसी दूसरी वस्तु को अपनी अंक-लकड़ी बना सकता था तो वह उसकी बीणा ही थी। कालिदास ने खिलासी अग्निवेष्ट के वर्णन के प्रसंग में कहा है कि दो वस्तुएँ बारी-बारी से उसकी गोद को अदृश्य बनाये रहती थीं—हृदयंगम घ्वनिवाली बीणा या मधुर-वचन बीलनेवाली प्रिया :

अद्वृमद्वृपरिवर्तनोचिते तस्मनित्यतु रशून्यतामुभे ।  
बल्लकी च हृदयंगमस्वना वल्मुवापि च वामलोचना ॥

—रु., 1913

अजन्ता के भित्ति-विधों में इस प्रकार की अंक-लकड़ी बीणा और प्रिया का एक मनोहर चित्र है।

पुरानी कहनियों में बीणा सम्बन्धी रोमासों और अद्भुत रसवाली कथाओं की प्रचुरता है। उदयन की कुंजर-मोहिनी बीणा तो प्रसिद्ध ही है, वासवदत्त को

उदयन ने ही वीणा-वादन की विद्या सिखायी थी। बौद्ध जातक-कथाओं में मूसिल नामक वीणावादक और उसके गुरु गुत्तिलकुमार नामक गन्धर्व की वीणा-प्रतियोगिता की बड़ी सुन्दर कथा आती है। शिष्य ने राजा से कहकर गह को ही हराने का संकल्प किया था, पर इन्द्र की कृपा से गुत्तिल ने ऐसी वीणा बजायी कि मूसिल को हारना पड़ा। गुत्तिल की वीणा में सात तार थे। वह एक-एक तार तोड़ता गया और वचे तारों से ही भनोमोहक ध्वनि निकालने लगा। तार तोड़ते-तोड़ते वह अन्तिम तार भी तोड़ गया और अन्त में केवल काष्ठदण्ड को ही बजाता रहा। उसमें उसने कमाल किया। उस्ताद की सधी अगुलियों ने काष्ठ में ही भंकार पैदा कर दिया। फिर स्वर्गलोक से अप्सराएँ उतरकर नाचने लगी। इस, और ऐसी ही अन्य कथाओं से इस यन्त्र की मधुर विद्या की महिमा और लोक-प्रियता प्रकट होती है। सचमुच ही वीणा 'असमुद्रोत्पन्न रत्न' है।

प्राचीन काव्य-साहित्य में इसकी इतनी चर्चा है कि सबका सम्राह कर सकना बड़ा कठिन कार्य है। सरस्वती-भवन से लेकर कामदेवायतन तक और मुहाग-शयन से शिवमन्दिर तक सर्वत्र इसकी पहुँच है। पुराने बौद्ध साहित्य से इस बात का भी सबूत मिल जाता है कि इस यन्त्र के साथ गायी जानेवाली अत्यन्त लौकिक शृगारस की गाथाओं ने बुद्धदेव-जैसे वीतराग महात्मा के मन को भी पिघला दिया था। पंचशिव नामक गन्धर्व ने, जो तुबुरु-कन्या सूर्यवर्चंसा का प्रेमी था परन्तु प्रेमिका के अन्यत्र रम जाने से प्रेम-व्यापार में असफल बन गया था, जब भगवान् बुद्ध की समाधि भंग करने के लिए अपनी वीणा पर अपनी करण वेदना गायी तो भगवान् का चित्त सचमुच ही द्रवित हो गया, उन्होंने दाद देते हुए कहा था, 'पंचशिव, तुम्हारे बाजे का स्वर तुम्हारे गीत के स्वर से विल्कुल मिला था और तुम्हारे गीत का स्वर बाजे के स्वर से मिला था; न वह इधर ज्यादा भुका था, न यह उधर !' पंचशिव ने भगवान् की इस स्तुति को मुनकर निश्छल भाव से अपनी व्यथा की कहानी सुना दी थी ('दीर्घनिकाय') ! तो इस प्रकार इतिहास साक्षी है कि वीणा ने वैरागी के चित्त को द्रवित किया था !

'कामसूत्र' से जान पड़ता है कि उन दिनों गन्धर्वशाला में प्रत्येक नागरक के लड़के को जो बात सीखनी जरूरी थी उनमें सर्वप्रधान हैं गीत, नाट्य, नृत्य और आलेख्य। वाद्य में वीणा, डमरू और वंशी का उल्लेख है। डमरू भारतवर्ष का पुरातन वाद्य है, उसी का विकास मूदंगरूप में हुआ है। कहते हैं कि मूदंग संसार का सर्वोत्तम वैज्ञानिक वाद्य है।

## अन्तःपुर का शयन-कक्ष

ऊपर नागरक के वहि-प्रकोष्ठ का जो वर्णन दिया गया है, वह वास्त्यायन के 'कामसूत्र' के आधार पर है। यह वर्णन वास्तविक है, पर उबत आचार्य ने अन्तःपुर के भीतर के शयनकक्ष का ऐसा व्यौरेवार वर्णन नहीं दिया है। इसीलिए उसकी जानकारी के लिए हमें कल्पना-प्रधान काव्यों और आख्यायिकाओं का सहारा लेना पड़ेगा। सीभाग्यवश काव्य की अतिशयोक्तियों और अलंकारिकताओं को छाँटकर निकाल देने से जो चित्र हमारे सामने उपस्थित होता है, उसका समर्थन कर्वा और मूलों से हो जाता है। प्राचीन प्रासादों का जो उद्धार हुआ है उनसे यह चित्र मिल जाता है और उपयोगी कला सिखाने के उद्देश्य से जो पुस्तकें लिखी गयी हैं उनसे भी उसका समर्थन प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार नि.संकोच रूप से कहा जा सकता है कि काव्यों के वर्णन तथ्य पर ही आधित है।

अन्तःपुर के शयनकक्ष में जो शश्या पड़ी रहती थी, उसके पास कोई और प्रतिशयिका या अपेक्षाकृत नीची शश्या रहती थी या नहीं, इसका कोई उल्लेख हमें काव्यों में नहीं मिला है। कादम्बरी का पलेंग बहुत बड़ा नहीं था, वह एक नीली चादर और ध्वन उपाधान (सफेद तकिया) से समाच्छादित था। कादम्बरी उम शश्या पर वाम बाहुलता को ईपद् वक्र भाव से तकिया पर रख अधलेटी अवस्था में परिचारिकाओं को भिन्न-भिन्न कार्य करने का आदेश दे रही थी। यह तो नहीं बताया गया है कि किसी इष्ट देवता की मूर्त्ति वहाँ थी या नहीं, पर वेदिका पर ताम्बूल और सुगन्धित उपलेपन अवश्य थे। दीवालों पर डतने तरह के चित्र बने थे कि चन्द्रापीड़ को भ्रम हुआ था कि सारी दुनिया ही कादम्बरी की शोभा देखने के लिए चित्ररूप में सिमट आयी थी। दीवालों के ऊपरी भाग पर कल्प-वल्ली के चित्र का भी अनुमान होता है, क्योंकि सैकड़ों कल्याणों ने उस कल्पवल्ली के समान ही कादम्बरी को धेर लिया था। छत में अधोमुख विदाधरों के मनोहर चित्र अकित थे। नील चादर के ऊपर श्वेत तकिये का सहारा लेकर अर्द्धशायित कादम्बरी महावराह के श्वेत दन्त का आश्रय ग्रहण की हुई धरित्री की भाँति मोहनीय दीस रही थी। काव्य-ग्रन्थों के पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है कि केवल नीली ही नहीं, नाना रंगों की और विना रंग की भी चादरें शश्या के आस्तरण के लिए व्यवहृत होती थीं। ताम्बूल और अलवतक से रंगी चादरें सखियों के परिहास का मसाला जुटाया करती थीं।

## कल्पवल्ली

भरहुत में (द्वितीय शताब्दी ईसवीपूर्व) नाना भाँति की कल्पवल्लियों का सन्धान पाया गया है। इस पर से अनुमान किया जा सकता है कि दीवालों और छतों की घरनों पर अकित कल्पवल्लियाँ कैसी बनती होंगी। इन वल्लियों में नाना प्रकार के आभूषण, वस्त्र, पुण्य, फल, मुक्ता, रत्न आदि लटके हुए चित्रित हैं। उन दिनों के काव्य-नाटकों के समान ही शिल्प में भी कल्पवल्लियों की प्रचुरता है।

भरहुत की कई कल्पवल्लियाँ इतनी अभिराम हैं कि किसी-किसी ने यह अनुमान लगाया है कि किसी बड़े कल्पकवि की मनोरम कल्पना को देखकर ही ये चित्र बने हैं। वह कल्पकवि कालिदास ही माने गये हैं। यह बात तो विवादास्पद है, परन्तु कण्ठी, हार, कनकमाला और कण्विष्टकवाली कल्पलताओं को और कुरुक्षेत्र के पत्र-पुण्यों और क्षौमवस्त्रोंवाली कल्पलताओं को देखकर वर्खस कालिदास की कविता याद आ जाती है। शकुन्तला के लिए कण्व को बनदेवताओं ने जो उपहार दिये थे, उनका वर्णन करते हुए महाकवि ने कहा है कि किसी वृक्ष ने शुभ मागलिक वस्त्र दे दिया, किसी ने पैर में लगाने की महावर दे दी और बनदेवियों ने तो अपने को मल हाथों से ही अनेक आभरण दिये—कोमल हाथ, जो वृक्षों के किसलयों से प्रतिद्वन्द्विता कर रहे थे :

क्षीमं केनचिदिन्दुपाण्डुतरुणा माङ्गल्यामविष्कृतं  
निष्ठ्युतश्चरणोपभोगसुलभो लाक्षारस्। केनचित् ।

अन्येभ्यो बनदेवताकरतरालैपार्वभागोत्थितै—  
दंतान्याभरणानि तत् किसलयोऽद्वे दप्रतिद्वन्द्विभिः ॥

—‘शकुन्तला’, 45

भरहुत की एक कल्पवल्ली में सचमुच ही एक बनदेवी का किसलयप्रतिद्वन्द्वी हाथ निकल आया है। ऐसा जान पड़ता है कि उन दिनों यह भावना बहुत व्यापक थी। बोधगया से भी इसी समय का अन्नपानदानशील हाथोंवाला एक कल्पवृक्ष मिला है जो ‘मेघदूत’ के इस श्लोक की याद दिलाता है :

वासशिंचर्वं मधुनयनयोर्विभ्रमदेशदक्षं  
पुप्पोद्भेदं सह किसलयैर्भूपणाना विकल्पान् ।  
लाक्षारागं चरणकमलन्यासयोग्यं च यस्या-  
भेकःसूते सकल ललनामण्डनं कल्पवृक्षः ।

—मेघ., 2.12

बाघ की गुफाओं में, मुँडेरों पर सुन्दर कल्पवल्लियाँ पायी गयी हैं जिनकी शोभा अनुपम बतायी जाती है।

उन दिनों इन वल्लियों का अम्यन्तरगृह में होना मागल्य समझा जाता था। विद्याधरों के तो अनेक चित्र नाना स्थानों से उद्धार किये गये हैं। ‘निल.’ ३

चिन्नामणि' आदि ग्रन्थों में इग भौति की चित्रकारी का विशद बर्णन दिया हुआ है।

## भित्ति-चित्र

समृद्ध लोगों के पर की दीवालें सहटिक मणि के समान स्वच्छ और दर्पण के समान चिकनी हुआ करती थीं। उनके ऊपर 'सूदम-रेणा-विज्ञारद' कलाकार, जो 'विद्युत्-निर्माण' में कुशल हुआ करते थे, पत्र-नेतृत्व में कोविद होते थे, वर्ण-पूरण या रंग भरने की कला के उस्ताद हुआ करते थे (3-134), नाना रस के चित्र अंकित करते थे। दीवाल को पहले समान करके छूने से बनाया जाता था और फिर उस पर एक लेष-द्रव्य लगाते थे जो भैंस के चमड़े वो पानी में घोटकर बनाया जाता था। इससे एक प्रकार का ऐसा वज्रलेप बनाया जाता था जो गर्म करने पर पिघल जाता था और दीवाल में लगाकर हवा में छोड़ देने से सूख जाता था (3-146)। वज्रलेप में सफेद मिट्टी मिलाकर या शंख-चूर्ण और सिता (मिथ्री) डालकर भित्ति को चिकनी करते थे (3-146) या फिर नीलगिरि में उत्पन्न नग नामक सफेद पदार्थ को पीसकर उसमें मिलाते थे। रंग की स्थायिता के लिए भी नाना प्रकार के द्रव्यों के प्रयोग की बात पुराने ग्रन्थों में लिखी हुई है। 'विष्णु धर्मोत्तर पुराण' के अनुसार तीन प्रकार के इंट के चूर्ण, साधारण मिट्टी, गुण्गलु, मोम, महुए का रस, सुमक, गुड़, कुमुम तेल और चूने को घोटकर उसमें दो भाग कच्चे बेल का चूर्ण मिलाते थे। फिर अन्दाज से उपयुक्त मात्रा में बालुका देकर भीत पर एक महीने तक धीरे-धीरे पोतते थे। इस प्रकार की ओर भी वहुतेरी विधियाँ दी हुई हैं जो सब समय ठीक-ठीक समझ में नहीं आती। भीत ठीक हो जाने पर उस पर चित्र बनाये जाते थे।

बाध की गुहाओं के प्रसिद्ध भित्ति-चित्रों से इस कीशल का कुछ अन्दाजा लग सकता है। चित्र बनाने के आधार यहाँ पत्थर हैं। पहले दीवारों को छेनी से खुरखुरा बनाया गया है, फिर उन पर चूने और गारे का महीन पलस्तर चढ़ाया गया है। इसकी बारीकी का अन्दाजा इसी से लगाया जा सकता है कि ऊपर की छिची आकृतियाँ प्रायः उसी प्रकार नीचे भी उत्तर आयी हैं और जहाँ से पलस्तर हट गया है वहाँ भी आकृतियाँ स्पष्ट समझ में आ जाती हैं। इन चित्रों में रंग की ऐसी बहार है कि हजारों वर्ष बाद भी दर्शक देखकर अवाक् हो जाता है। अजन्ता के समान ही बाध की गुहाओं के भित्ति-चित्रों ने कला-पारखियों को

आकृष्ट किया है।

चित्रों में कई प्रकार के रंग काम में लाये जाते थे। घने बांस की नालिका के आगे ताम्र का सूच्यग्र शंकु लगाते थे जो जी-भर भीतर और इतना ही बाहर रहता था। इसे तिन्दुक कहते थे। तूलिका में बछड़े के कान के पास के रोएँ लगाये जाते थे और चित्रणीय रेखाओं के लिए सोम और भात से काजल रगड़कर काला रंग बनाते थे। बंशन ली के आगे लगे हुए ताम्रशंकु से महीन रेखा खीचने का कार्य किया जाता था। चित्र केवल रेखाओं के भी होते थे और रेखाओं में रंग भरकर भी बनाये जाते थे। 'लाइट और शेड' की भी प्रथा थी। 'अभिलपितार्थ' में कहा गया है कि जो स्थान निम्नतर हो वहाँ एकरणे चित्र में श्यामलवर्ण होना चाहिए और जो स्थान उन्नत हो वह उज्ज्वल या फीके रंग का। रंगीन चित्रों में नाना प्रकार के रंगों का विन्यास करते थे। इवेत रंग शंख की चूर्ण करके बनाया जाता था, शोण दरद से, रक्त (लाल) अलक्तक से, लोहित गेरु से, पीत हरिताल से और काला रंग काजल से बनता था। इनके मिश्रण से कमल सौराभ (?), घोरात्व (?), धूमच्छाय, कपोताश्व, अतसी-पुष्पाभ, नीलकमल के समान, हरित, गौर, श्याम, पाटल, कर्वुर आदि अनेक मिश्र रंग बनते थे।

'नाट्यशास्त्र' (23-73-77) में नेपथ्य-रचना के सिलसिले में बताया गया है कि रंगों के मिश्रण से कौन-कौन से रंग बनते थे। इवेत और नील के मिश्रण से 'पाण्डु', सित और रक्तवर्ण के योग से 'पद्म' वर्ण बनता है, पीत और नील के मिश्रण से 'हरित' वर्ण बनता है, नील और रक्तवर्णों के योग से 'कपाय' रंग बनता है, रक्त और पीत वर्णों के योग से 'गौर' वर्ण बनता है। इस प्रकार भिन्न-भिन्न वर्णों के योग से नये-नये रंग बनते हैं। शास्त्रकार का मत है कि सब वर्णों में बल-बान वर्ण नील ही है।

## चित्र-कर्म

अन्त पुरिकाओं के मनोविनोद के अनेक साधन थे, जिनमें चित्र-कर्म का (63-66) प्रमुख स्थान था। 'विष्णु धर्मोत्तरपुराण' के चित्र-सूत्र में कहा गया है (3-45-38) कि समस्त कलाओं में चित्रकला श्रेष्ठ है। वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चारों पदार्थों को देनेवाली है। जिस गृह में इस कला का वास रहता है, वह परम मांगल्य होता है। हमने पहले ही देखा है कि उन दिनों प्रत्येक सुसंस्कृत व्यक्ति के कमरे में चित्रफलक और समुद्रगक रंगों की डिविया का रहना आवश्यक

माना जाता था। अन्तःपुरिकाएं अवसर मिलने पर इस विद्या के द्वारा अपना मनोविनोद करती थी। चित्र नाना आधारों पर बनाये जाते थे—काठ या हाथी-दाँत के चित्र-फलक पर, चिकने शिलापट्ट पर, कपड़े पर और भीत पर। भीत पर के चित्रों की चर्चा ऊपर हो चुकी है। 'पंचदशी' नामक वेदान्त ग्रन्थ से जान पड़ता है कि कपड़े पर बनाये जानेवाले चित्र चार अवस्थाओं से गुजरते थे: धोत, मण्डित, लांछित और रजित। कपड़े का धोया हुआ रूप धीत है, उस पर चावल आदि के माँड से घोटाई मण्डित है, फिर काजल आदि की सहायता से रेखावल लाइत है और उसमे रङ्ग भरना रञ्जित अवस्था है (6-1-3)। शिष्ट परिवार मे अन्तःपुर की देवियों में चित्र-विद्या का कैसा प्रचार था, इसका अन्दाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 'कामसूत्र' मे जो उपहार लड़कियों के लिए अत्यन्त आकर्षक हो सकते हैं, उनकी सूची में एक पटोलिका का स्थान प्रधान रूप से है। इस पटोलिका में अलवतक, मन-शिला, हरिताल, हिंगुल और श्यामवर्णक (राजा-वर्त का चूर्ण ?) रहा करते थे। जैसा कि ऊपर बताया गया है, इन पदार्थों से शुद्ध और मिथ्र रंग बनाये जाते थे। संस्कृत नाटकों मे शायद ही कोई ऐसा हो जिसमें प्रेमी या प्रेमिका ने अपनी विरह-वेदना प्रिय का चित्र बनाकर न हल्की की हो। कालिदास के ग्रन्थों से जान पड़ता है कि विवाह के समय देवताओं के चित्र बनाकर पूजे जाते थे, वधुओं के दुकूल-पट्ट के आँचल में हंसो के जोड़े आँक दिये जाते थे, और चित्र देखकर वर-वधु के विवाह-सम्बन्ध ठीक किये जाने थे।

चार प्रकार के चित्रों का उल्लेख पुराने ग्रन्थों मे आता है। विद्व अर्थात् जो वास्तविक वस्तु से इस प्रकार मिलता हो जैसे दर्पण में की छाया; अविद्या काल्पनिक (अर्थात् चित्रकार के भावोल्लास की उमंग में बनाये हुए चित्र); रस-चित्र और धूलि-चित्र। सभी चित्रों मे विद्वता की प्रशंसा होती थी। 'विष्णु-धर्मोत्तर पुराण' उस उस्ताद को ही चित्रविद् कहने को राजी है जो सोये आदमी मे चेतना दिला सके, मरे मे उसका अभाव चित्रित कर सके, निम्नोन्नत विभाग को ठीक-ठीक अंकित कर सके, तरंग की चड्ढवलता, अग्निशिखा की कम्पगति, धूम का तरंगित होना और पताका का लहराना दिखा सके। वस्तुतः उन दिनों चित्र-विद्या अपने चरम उत्कर्ष को पहुँच चुकी थी।

## चित्रगत चमत्कार

पुरानी पुस्तकों में चित्रगत चमत्कार की अनेक अनुधुतियाँ पायी जाती हैं। कहते हैं कि कश्मीर के अनन्त वर्मा के प्रासाद पर जो आम के फल अंकित थे, उनमें कौए

ठोकर मार जाया करते थे। उन्हें उनके वास्तविक होने का भ्रम होता था। 'शकुन्तला' नाटक में राजा दुष्यन्त अपने ही बनाये हुए चित्र की विद्धता से स्वयं-मेव मुहूर्मान हो गये थे। यद्यपि नाटककार का अभिप्राय राजा के प्रेम का आतिशय्य दिखाना ही है, परन्तु कई बातें उसमें हैं जो चित्रसम्बन्धी उस युग के आदर्श को व्यक्त करती हैं। इस आदर्श का मूल्य इसलिए और भी बढ़ गया है कि वह कालिदास-जैरे श्रेष्ठ कवि की लेखनी से निकला है। भारतवर्ष का जो कुछ सुन्दर है, भव्य है, सुरचिपूर्ण और कोमल है, उसके श्रेष्ठ प्रतिनिधि कालिदास है। सो, शकुन्तला के भाव-मनोरम चित्र को बनाने के बाद राजा दुष्यन्त को लगा कि शकुन्तला अधूरी ही है। योड़ा सोचकर राजा ने अपनी गलती महसूस की। जिस शकुन्तला को हम हिमालय के उस पवित्र आश्रम में नहीं देखते जिसमें मृग-गण वैठे हुए हैं, सोतोवहा मालिनी सिक्त कर रही है, उसके सैकत (बालू) पुलिन में हसमिथुन लीन है, आश्रम-तरुओं में तपस्त्वयों के बल्कल टैंगे हैं, कृष्णसार मृग के सीरों में मृगी अपने वाम नयनों को खुजलाती हुई रसाविष्ट है, वह शकुन्तला अपूर्ण है। मनुष्य अपने सम्पूर्ण वातावरण के साथ ही पूर्ण हो सकता है और जीवन में जो बात सत्य है वही चित्र में भी सत्य है। राजा ने इस सत्य को अनुभव किया। उसने शकुन्तला को उसकी सम्पूर्ण परिवेष्टनी में अकित करने की इच्छा प्रकट की :

कार्या सैकतलीनहसमिथुना सोतोवहा मालिनी  
पादास्तामभितो निपण्हरिणा गीरीगुरोः पावनाः।  
शास्तालम्बितवल्कलस्य च तरोनिर्मातुमिच्छाम्यधः  
श्रुगे कृष्णमृगस्य वामनयन कण्डूयमाना मृगीम् ॥

—‘शकुन्तला’, पाठ अक

केवल भावमनोहर शकुन्तला राजा दुष्यन्त का व्यक्तिगत सत्य है, वस्तुतः वह उससे बड़ी है। वह विश्वप्रकृति के सौ-सौ हजार विकसित पुष्पों में से एक है, वह सारे आश्रम को पवित्र और मोहन बनानेवाले उपादानों में एक है और इसी लिए इन सबके साथ अविच्छिन्न भाव से सशिलष्ट है। उस एक तार पर आधात करने से बाकी सब अपने-आप झंकत हो जाते हैं। वहाँ शकुन्तला अपना अन्त आप नहीं, बल्कि इन समस्त दृश्यमान सत्ता के भीतर निहित एक अखण्ड अविच्छेद्य ‘एक’ की ओर सकेत करती है। यहीं चित्र का प्रधान लक्ष्य है। हमने पहले ही लक्ष्य किया है कि जो कला अपने-आपको ही अन्तिम लक्ष्य सिद्ध करती है, वह माया का कंचुक है और जो उस ‘एक’ परमतत्त्व की ओर मनुष्य को उन्मुख करती है वह मुक्ति का साधन है। राजा का बनाया हुआ चित्र अन्त में जाकर इतना सफल हुआ कि वह खुद ही अपने को भूल गया। वह चित्रस्थ भ्रमर को उपालम्भ करने लगा।

प्राचीन साहित्य में ऐसे विद्ध चित्रों की बात बहुत प्रकार से आयी है। ‘रत्ना-बली’ में सारिका ने राजा उदयन का चित्र बनाया था और उसकी सखी मुसंगता

ने उस चित्र के बगल मे सागरिका का चित्र बना दिया था । सागरिका की आँखों मे प्रणय-दुराशा के जो अशु थे वे इतने मोहक बने थे कि राजा ने जब उस चित्र को देखा तो उसके समस्त अगों से विछल-विछलकर उसकी दृष्टि बार-बार चित्र के उन 'जललवप्रस्थन्दिनीलोचने' पर ही पड़ती थी :

कृच्छादूरुयुग्मं व्यतीत्य सुचिरं भ्रान्त्वा नितम्बस्थले ।

मध्येऽस्यास्त्रिवलीतरंगविषमे निष्पन्दतामागता ॥

मद्दृष्टिस्तृपितेव सम्प्रति शनैराश्य तुगस्तनो ।

साकांक्षं मुहुरीक्षते जललवप्रस्थंदिनी लोचने ॥

—रत्नावली', 2-35

सस्कृत साहित्य मे शायद ही दो-तीन नाटक ऐसे मिले जिनमे विद्वचित्रों के चमत्कार का वर्णन न हो । चित्र उन दिनों विरही के विनोद थे, वियोगियों के मेलापक थे, प्रीढ़ों के प्रीति-उद्देशक थे, गृहों के शृंगार थे, मन्दिरों के मांगल्य थे, सन्यासियों के साधना-विषय थे, और राहगीरों के सहारे थे । प्राचीन भारत चित्र-कला का मर्मज्ञ साधक था ।

## चित्रकला की श्रेष्ठता

'विष्णुधर्मोत्तरपुराण' के चित्रसूत्र मे कहा गया है कि समस्त कलाओं मे चित्रकला श्रेष्ठ है । वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देनेवाली है । जिस गृह में यह कला रहती है वह गृह मांगल्य होता है (तृतीय खण्ड, 45148) । एक अत्यन्त महत्वपूर्ण बात यह कही गयी है कि नृत्य और चित्र का बड़ा गहरा सम्बन्ध है । मार्कंण्डेय मुनि ने कहा था कि नृत्य और चित्र दोनों मे ही तैलोक्य की अनुकृति होती है । नृत्य में दृष्टि, हाव, भाव, आदि की जो भंगी बतायी गयी है वह चित्र मे भी प्रयोज्य है, क्योंकि वस्तुतः नृत्य ही परमचित्र है—नृत्यं चित्रं परं स्मृतम् ।

सोमेश्वर की 'अभिलापितार्थ-चिन्तामणि' नामक पुस्तक मे चार प्रकार के चित्रों का उल्लेख है : (1) विद्वचित्र, जो इतना अधिक वास्तविक वस्तु से मिताता हो कि दर्पण मे पड़ी परछाई के समान लगता हो, (2) अविद्वचित्र, जो काल्पनिक होते थे और चित्रकार के भावोल्लास की उमंग मे बनाये जाते थे, (3) रसचित्र, जो भिन्न-भिन्न रसों की अभिव्यक्ति के लिए बनाये जाते थे,

है। शास्त्रीय ग्रन्थों के देखने से पता चलता है कि उन दिनों चित्र के विषय अनेक थे, केवल श्रुंगार-चेष्टा या धर्माख्यान तक ही उनकी सीमा नहीं थी। धार्मिक और ऐतिहासिक आख्यानों के लम्बे-लम्बे पट उन दिनों बहुत प्रचलित थे। 'कामसूत्र' में ऐसे आख्यानक-पटों का उल्लेख है (पृ. 26) और 'मुद्राराक्षस' नाटक में यमपटों की कहानी है। देवता, अमुर, राक्षस, नाग, यक्ष, किन्नर, वृक्षलता, पशु-पक्षी सबकुछ चित्र के विषय थे। इनकी लम्बाई-चौड़ाई आदि के विषय में शास्त्र-ग्रन्थों में विशेष रूप से लिखा हुआ है।

स्थायी नाट्य-शालाओं की दीवारें चित्रों से अवश्य भूषित होती थी। चित्र और नाट्य को मंगलजनक माना जाता था। भित्ति को सजाने के लिए पुरुष, स्त्री और लतावन्ध के चित्र होना आवश्यक माना जाता था। ('नाट्य-शास्त्र', 2-85-86)। लतावन्ध में कमल और हंस अवश्य अंकित होते थे, क्योंकि कमल को और हंस को गृह की समृद्धि का हेतु समझा जाता था। यह बताया जा चुका है कि भारतीय नाटकों की कथावस्तु का एक प्रधान उपादान चित्र-कर्म था।

संस्कृत नाटकों में शायद ही कोई ऐसा हो, जिसमें प्रेमी या प्रेमिका अपनी गाढ़ विरह-वेदना की प्रिय के चित्र बनाकर न हल्की करती हो। 'मृच्छकटिक' की गणिका वसन्तसेना चारुदत्त का चित्र बनाती है, 'शकुन्तला' नाटक का नायक दुष्यन्त विरही होकर प्रियतमा का चित्र बनाकर मन बहलाता है, 'रत्नावली' में तो चित्रफलक ही नाटक के द्वन्द्व को तीव्र और भाव को सान्द्र बना देता है। 'उत्तर-रामचरित' में राम-जानकी अपने पूर्वकालीन चरित्रों का चित्र देखकर विनोद करते हैं।

काव्य-नाटकादि में चित्र का जो प्रसंग आता है, उसमें सर्वत्र विद्व चित्र की ही प्रशंसा मिलती है, अर्थात् जो चित्र देखने में ठीक हूँ-ब-हूँ मूल वस्तु से मिल जाता था वही प्रशंसनीय समझा जाता था। कालिदास की 'शकुन्तला' में एक विवादास्पद अर्थवाला श्लोक आता है, जिसमें शायद चित्र की अपूर्णता की ओर इशारा किया गया है। राजा दुष्यन्त ने शकुन्तला का जो चित्र बनाया था, जिसमें शकुन्तला के दोनों नेत्र कान तक फैले हुए थे, भूलता लीला द्वारा कुञ्चित थी, अधर-देश उज्ज्वल दसनछवि की ज्योत्स्ना से समुद्रभासित थे, ओष्ठ-प्रदेश पके कर्कन्धू के समान पाटल वर्ण के थे, विभ्रम-विलास की मनोहारिणी छवि की एक तरल धारा-सी जगमगा उठी थी, चित्रगत होने पर भी मुख में ऐसी सजीवता थी कि जान पड़ता था अब बोला, अब बोला :

दीर्घीपांगविसारिनेत्रयुगलं      लीलाचित्रभूलतं  
दन्तान्तपरिकीर्णहासकिरणज्योत्स्नाविलिप्ताधरम्  
कर्कन्धूद्युतिपाटलोष्ठरुचिरं      तस्यास्तदेतन्मुखम्  
चित्रेऽप्यालपतीव विभ्रमलसत्प्रोद्भन्नकान्तिद्रवम् ॥102॥

मिथकेशी नामक शकुन्तला की सखी ने इस चित्र को देखकर आश्वर्य के साथ अनुभव किया था कि मानो उसकी सखी सामने ही खड़ी है। पर राजा को

सन्तोष नहीं था। इतना भावपूर्ण सजीव चित्र भी कुछ कमी लिये हुए था। राजा ने कहा कि चित्र में जो साधु अर्थात् ठीक नहीं होता, उसे दूसरे ढंग से (अन्यथा) किया जाता है, तथापि उसका लावण्य रेखा से कुछ अन्वित हुआ है :

यद्यपत्साधु न चित्रे स्थात् श्रियते तत्तदन्यथा ।

तथापि तस्या लावण्यं रेखया किञ्चदन्वितम् ॥103॥

इन वाक्यों का अर्थ पण्डितों ने कई प्रकार से किया है। शायद राजा का भाव यही है कि हजार यत्न किया जाय, मूल वस्तु का भाव चित्र में नहीं आ पाता या फिर यह हो कि कल्पित मूल्यों की योजना का कला में प्राधान्य होने के कारण काँच की भाँति चित्र में भी मूल वस्तु को कुछ दूसरे रूप में ही सजाया जाता है जिसमें अभिरामता बढ़ जाती है। दूसरे अर्थ का समर्थन 'मालविकाग्निमित्र' के उस श्लोक से होता है जिसके अनुसार वास्तविक मालविका को देखकर राजा ने कहा था कि चित्र में इसके रूप को देखकर मुझे आशंका हुई थी कि शायद वास्तव में यह उतनी सुन्दर नहीं होगी जैसा कि चित्र में दिख रही है, पर इसे प्रत्यक्ष देखकर लग रहा है कि चित्रकार की समाधि ही शिथिल हो गयी थी—उसने चंचल चित्त से चित्र बनाया था !

चित्रगतायामस्या कान्तिविसंवादशंकि मे हृदयम् ।

संप्रति शिथिलसमाधि मन्ये येनेयमालिखिता ॥

कालिदास के ग्रन्थों से जान पड़ता है कि विवाह के समय देवताओं के चित्र बनाने कर पूजे जाते थे, वधुओं के दुकूल-पट्ट के अंचिल में हँस के जोड़े बनाये जाते थे और चित्र देखकर वर-वधु के सम्बन्ध ठीक किये जाते थे। ध्वस्त अयोध्या-नगरी-वर्णन-प्रसंग में महाकवि ने कहा है कि प्रासादों की भित्ति पर पहले नाना भाँति के पद्मवन चित्रित थे और उन पद्म-वनों में बड़े-बड़े मातंग (हाथी) चित्रित थे, जिन्हें उनकी प्रियतमा करेण-बालाएँ मृणाल-खण्ड देनी हुई अंकित की गयी थी। ये चित्र इतने सजीव थे कि उन्हें वास्तविक हाथी समझकर आज की विघ्नस्तावस्था में वही के रहनेवाले सिंहों ने अपने तेज नालूनों से उनका कुम्भस्थल विदीर्ण कर दिया था ! बड़े-बड़े महलों में जो लकड़ी के खम्भे लगे हुए थे, उन पर मनोहर स्त्री-मूर्तियाँ अंकित थीं और उनमें रंग भी भरा गया था। अवस्था के गिरने से ये दाढ़-मूर्तियाँ फीकी पड़ गयी थीं। अब तो सांपों की छोड़ी हुई कौचुलें ही उनके बक्षः-स्थल के आवरणयोग्य दुकूल वस्त्र का कार्य कर रही हैं।

चित्रद्विपाः पद्मवनावृतीर्णः करेणुभिर्दत्तमृणालभर्गमः ।

नखांकुशामातविभिन्नकुंभा संख्यसिंहप्रहृतं वहन्ति ॥

स्तंभेषु मोपित्प्रतियातनानामुत्क्रान्तवर्णक्रमधूसराणाम् ।

स्तनोत्तरीयणि भवन्ति संगान्निर्मोक्षट्टाः फणिभिर्विमुक्ता ॥

—‘रघुवंश’, 16-16-17

जान पड़ता है, उन दिनों इस प्रकार के चित्र बहुत प्रचलित थे। अजन्ता में हृच्यन्ह एक वैसा ही चित्र है, जैसा कालिदास ने ऊपर के हाथी-वर्णन के प्रसंग में

कहा है। दुर्भाग्यवग काल के निर्मम स्रोत में उस युग की दार्शनिक स्तम्भप्रतिमाएं एकदम वह गयी हैं। नहीं तो इसका भी कुछ उदाहरण मिल ही जाता। चीन में कहानी प्रसिद्ध है कि तेन् सम्राट के गृह पर जो फल-बृक्ष अंकित थे, उन पर सुग्रे चोचें मारा करते थे। ऐसा भाव हमारे साहित्य में भी मिलेगा। एक कवि ने राजा की स्तुति करते हुए कहा था कि 'हे राजन्, तुम्हारे डर के मारे जो शनु भाग गये हैं उनके घरों में उन्हीं के सुग्रे चित्रों को देख-देखकर यह समझ रहे हैं कि उनके मालिक घर में ही हैं और राजा के चित्र को देखकर कह रहे हैं कि, महाराज आपकी कन्या मुझे नहीं पढ़ाती, रानियाँ चुप हैं, क्या मामला है? फिर कुछ दासियों के चित्र को देखकर कहते हैं कि तू मुझे क्यों नहीं खिलाती?' इत्यादि—

राजन् राजसुता न पाठ्यति मा देव्योऽपि तूष्णी स्थिता ।

कुञ्जे भोजय मां कुमार सचिवैर्नाद्यापि कि भुज्यसे ॥

इत्थं नाथशुकास्तवारिभवने मुक्तोऽध्वरं पञ्जरात् ।

चित्रस्थानवलोक्यशून्यवलभावेकैकमाभाषते ॥

इतना तो स्पष्ट ही है चित्रकार का ध्यान शिथिल न हो गया होता तो और भी सुन्दर बनाता। परन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि कालिदास ने चित्र में जो-जो गुण बताये हैं, वे निश्चित रूप से उत्तम कला के सबूत हैं। यह जो बोलता-बोलता भाव है, या फिर ऊँचे स्थानों को ऊँचा दिखाना, निम्न स्थानों को निम्न दिखाना, शरीर में इस प्रकार रंग और रेखा का विन्यास करना कि मृदुता और सुकुमारता निखर आये, मुख पर ऐसा भाव चित्रित करना कि प्रेमदृष्ट और मुसुकान-भरी वाणी प्रत्यक्ष हो उठे:

अस्यास्तुगमिव स्तनद्वयमिदं निम्नेव ताभिः स्थिता

दृश्यन्ते विषमोन्नताश्च बलयो भित्ती समायामपि ।

अंगे च प्रतिभाति मार्दवमिदं स्तनग्धप्रभावाच्चिरं

प्रेम्णा मन्मुखमीषदीक्षत इव स्मेरा च वक्तीव माम् ॥

—पठ अंक

यह निस्सन्देह बहुत ही उत्तम कला का निर्दर्शन है। किन्तु 'विष्णुधर्मोत्तरपुराण' के चित्रसूत्र के आचार्य को इतना ही काफी नहीं जान पड़ता। वे और भी सूक्ष्मता चाहते हैं, और भी कौशल होने पर दाद देना स्वीकारते हैं। जो चित्रकार सोये हुए आदमी में चेतना दिखा सके, या मरे हुए में चेतना का अभाव दिखा सके, निम्नोन्नत विभाग को यथावत् दिखा सके, तरंग की चंचलता, अग्निशिखा की कम्पगति, धूम का तरंगित होना और पताका का लहराना स्पष्ट दिखा सके, असल में उसे ही आचार्य चित्रविद् कहना चाहते हैं:

तरंगादिनशिखाधूमवैजयन्त्यम्बरादिकम् ।

बायुगत्या लिखेद्यस्तु विज्ञेयः स तु चित्रविद् ॥

मुप्तं च चेतनायुक्तं मृतं चैतन्यवजितम् ।

निम्नोन्नतविभागं च यः करोति स चित्रवित् ॥

ऐसा जान पड़ता है कि विद्व चित्रों के चित्रण में उन दिनों पूरी सफलता मिली थी। राजा और रानियों की पुरुषप्रमाण प्रतिकृति उन दिनों नियमित हप से राजधाने में सुरक्षित रहती थी। 'हर्षचरित' से जान पड़ता है कि श्रद्धा के बाद पहला कार्य होता था मृत व्यक्ति का आलेख बनाना। यद्यपि अन्तपुर और समृद्ध नागरकों के वहिनिवास में ही कला का अधिक उत्तेज मिलता है, तथापि साधारण जनता में भी इस कला का प्रचार रहा होगा। संस्कृत नाटकों और नाटिकाओं में परिचारिकाओं को प्रायः चित्र बनाते अंकित किया गया है। प्राचीन ग्रन्थों से इस बात का सबूत भी मिल जाता है कि उन दिनों स्वयं लोग अपना चित्र भी बनाते थे। भारतवर्ष ने उस काल में इस विद्या में जो चरम उत्कर्ष प्राप्त किया था, उसका ज्वलन्त प्रमाण अजन्ता और वेलूर (एलोरा) आदि की गुफाएँ हैं।

## कुमारी और वधु

अन्तपुर की कुमारियाँ विवाहिता वधुओं की अपेक्षा अधिक कलाप्रवीण होती थी। वे बीणा बजा लेती थी, वंशी-बादन में निपुण होती थी, गानविद्या में दक्षता प्राप्त करती थी, द्यूतक्रीड़ा की अनुरागिनी होती थी, अष्टापद या पासा की जानकार होती थी, चित्रकर्म में भेहनत करती थी, मुभापितो का अर्थात् अच्छे श्लोकों का पाठ कर सकती थी, और अन्य अनेकविद्य कलाओं में निपुण होती थी। अन्तपुर की वधुएँ पर्दे में रहती थी, उनके सिर पर अवगुण्ठन या धूंधट हुआ करता था और चार अवसरों के अतिरिक्त अन्य किसी समय उन्हें कोई देख नहीं सकता था। ये चार अवसर थे : यज्ञ, विवाह, विपत्ति और वन-गमन। इन चारों अवस्थाओं में वधु का देखना दोषावह नहीं माना जाता। 'प्रतिमा' नाटक में इसीलिए श्रीरामचन्द्र ने कहा है :

स्वरं हि पश्यन्तु कलत्रमेतद्

वाप्याकुलाक्षीर्वदनैर्भवन्तः ।

निर्दोपदृश्या हि भवन्ति नार्यो

यज्ञे विवाहे व्यसने वने च ॥

—‘प्रतिमा’, 1-29

परन्तु कुमारियाँ अधिक स्वतन्त्र थीं। वे ब्रत, उपवास तो करती थीं, परन्तु

उनके अतिरिक्त अनेक प्रकार की कलाओं में भी लिखती-पढ़नी थी, चित्र बनाती थी, गृह-द्वार को अभिराम-मण्डनिकाओं से मण्डित करती थी और यथावसर शास्त्रार्थ-विचार भी कर लेती थी। काव्यग्रन्थ लिखने का कार्य कुमारी कन्याएँ किया करती थी और कभी-कभी उनके प्रेमपत्र लिखने का सबूत मिल ही जाता है।

## लैखन-सामग्री

पुस्तक और पत्र लिखने के लिए साधारणतः भूर्जपत्र का व्यवहार होता था। कालिदास ने हिमालय की महिमा-वर्णन के प्रसंग में बताया है कि विद्याधर-सुन्दरियाँ भूर्जपत्रों पर धातुरस से अपने प्रेमियों के घास पत्र लिखा करती थीं, जिनके अक्षर हाथी के सूंड पर मिलनेवाले विन्दुओं के समान सुन्दर होते थे।

न्यस्ताक्षराधातुरसेन यथ  
भूर्जत्वचः कुञ्जरविन्दुशोणाः ।  
शजन्ति विद्याधरसुन्दरीणां—  
मनङ्गलोलकिपयोपयोगम् ।

—कुमार., 1.7

यह भोजपत्र हिमालय प्रदेश में पैदा होनेवाले 'भूर्ज' नामक वृक्ष की छाल है। इनकी ऊँचाई कभी-कभी 60 फुट तक जाती है। हिमालय में साधारणतः 14000 फीट की ऊँचाई पर ये बहुतायत से पाये जाते हैं। इनकी छाल कागज की भाँति होती है। इस छाल को लेखक लोग अपनी इच्छानुसार लम्बाई-चौड़ाई का काटकर उस पर स्थाही से लिखते थे। अब तो यह केवल अन्ध-मन्त्र के काम ही आता है, पर किसी जमाने में कश्मीर तथा हिमालय प्रदेशों में भूर्जपत्र पर ही पोथियाँ लिखी जाती थीं। अधिकतर भूर्जपत्र की पुस्तकें कश्मीर से ही मिलती हैं। भोजपत्र की सबसे पुरानी पुस्तक खरोष्ठी लिपि में लिखा हुआ प्राष्ट (पाली-वाला नहीं) 'धर्मपद' नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ है, जो सम्भवतः सन् ईरावी की तीरारी शताब्दी का है। सबसे पुरानी संस्कृत-पुस्तक जो भोजपत्र पर सिखी गयी है, वह 'संयुक्तागम सूत्र' है। खरोष्ठीवाली पुस्तक का काल निश्चिग्न द१५ रे गही कहा जा सकता। वह खोतान से प्राप्त हुई थी। कश्मीर और उत्तरी प्रदेशों के तिवा अन्ध भूर्जपत्र की पोथियों का बहुत अधिक प्रचार मर्ही था। तिप्पे पैदानों में ताङ्के पत्ते प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते थे। वे गूर्जपत्र की भोथा टिकास्त भी

होते हैं और सस्ते तो होते ही हैं। इसीलिए मैदानों में तालपत्र का ही अधिक प्रचार था।

तालपत्र को उवालकर शंख या किसी अन्य चिकने पदार्थ से रगड़कर उन्हें गेलहा जाता था। गेलहने के बाद लोहे की कलम से उन पर अक्षर कुरेद दिये जाते थे, फिर काली स्याही लेप दी जाती थी, जो गढ़ों में भर जाती थी, और चिकने अश पर से पोछ दी जाती थी; लोहे की कलम से कुरेदने की यह प्रथा दक्षिण में ही प्रचलित थी। उत्तर भारत और पूर्व भारत में उन पर उसी प्रकार लिखा जाता था, जिस प्रकार कागज पर लिखा जाता है। इन पत्तों का आकार कभी-कभी दो फुट तक होता है। संस्कृत में 'लिख' धातु का अर्थ कुरेदना ही है। 'लिपि' शब्द तो लिखावट के लिए प्रचलित हुआ है, इसका कारण स्याही का लेपना ही है। इन पत्तों में लिखने की जगह के बीचोंबीच एक छेद हुआ करता था। यदि पथ बहुत लम्बे हुए तो दो छेद बनाये जाते थे और इन छेदों में धागा पिरो दिया जाता था। बाद में कागज पर लिखी पोथियों में भी छेद के लिए जगह छोड़ दी जाती थी, जो बस्तुतः छिद्रित नहीं हुआ करती थी। सूत्र से ग्रथित होने के कारण ही पोथियों के लिए 'ग्रन्थ' शब्द प्रचलित हुआ। भाषा में 'सूत्र मिलना' जो मुहावरा प्रचलित है, उसका मूल पोथियों के पन्नों को ठीक-ठीक संभाल रखनेवाला यह धागा ही जान पड़ता है। हमने ऊपर तालपत्र की सबसे पुरानी पोथी की चर्चा की है। काशनगर से कुछ चौथी शताब्दी के लिखे हुए तालपत्र के ग्रन्थों के श्रुटित अंश भी उपलब्ध हुए हैं। सबसे मजेदार बात यह है कि तालपत्र की लिखी हुई जो दो पूरी पुस्तकें हैं, वे जापान के होरियूजि मठ में सुरक्षित हैं। इनके नाम हैं: 'प्रज्ञा-पारमिता-हृदय सूत्र' और 'उष्णीश-विजय-धारिणी'। इनकी लिखावट से अनुमान किया गया है कि ये पोथियाँ सन् ईसवी की छठी शताब्दी के आस-पास लिखी गयी होंगी।

## प्रस्तंर-लेख

प्रसंग है तो कह रखना चाचित है कि भूर्जपत्र और तालपत्र की अपेक्षा भी अधिक स्थायी वस्तु पत्थर है। नाना प्रकार से पत्थरों पर लेख खोदकर इस देश में सुरक्षित रखे गये हैं। कभी-कभी बड़ी-बड़ी पोथियाँ भी चट्टानों पर और भित्तिगांवों की शिलाओं पर खोदी गयी हैं। वहुत-सी महत्वपूर्ण पोथियों का उद्घार सिर्फ शिलालिपियों से ही हुआ है। अशोक के शिला-लेख तो विस्यात ही हैं। वहुत

पुराने जमाने में भी पर्वत-शिलाओं पर उट्टर्कित ग्रन्थों से कान्तिकारी परिणाम निकले हैं। कश्मीर का विशाल अद्वैत शैव मत जिस 'शिव-सूत्र' पर आधारित है, वह पर्वत की शिला पर ही उट्टर्कित था। शिलाग्रन्थों पर उल्कीण लिपियों ने साहित्य के इतिहास की भ्रान्त धारणाओं को भी दूर किया है। महाक्षत्रप रुद्रदामा के लेख से निस्सन्दिग्ध रूप से प्रमाणित हो गया कि 150 ई. के पूर्व संस्कृत में सुन्दर अलंकृत गद्यकाव्य लिखे जाते थे। यह सारा लेख ही गद्य-काव्य का एक उत्तम नमूना है। इसमें महाक्षत्रप ने अपने को 'सफुट-लघु-मधुर-चित्र-कान्त-शब्द-समोदारालंकृत-गद्य-पद्य' का मर्मज्ञ बताया था। सम्राट् समुद्रगुप्त ने प्रयाग के स्तम्भ पर हरियेण कवि द्वारा रचित जो प्रशस्ति खुदवायी थी वह भी पद्य और गद्य-काव्य का उत्तम नमूना है। हरियेण ने इसे सम्भवतः 530 ई. मे लिखा होगा। अब तो सैकड़ों ललित काव्य और कवियों का पता इन शिला-लिपियों से चला है। इन काव्यात्मक प्रशस्तियों के अनेक संग्रह भी प्रकाशित हुए हैं।

इस प्रसंग मे राजा भोज के अपने प्रासाद भोजशाला से उद्धार की गयी एक नाटिका और एक प्राकृत काव्य की चर्चा मनोरंजक होगी। इस भोजशाला की 'सरस्वती-कण्ठाभरण' नामक पाठशाला आजकल धार की कमालमौला मस्जिद के नाम से वर्तमान है। सन् 1905 ई. मे एजुकेशनल सुपरिणेटेण्ट मिस्टर लेले ने प्रो. हृच को खबर दी कि धार की कमालमौला मस्जिद का मिहराब टूट गया है और उसमें से कई पत्थर खिसककर निकल आये हैं, जिन पर नागरी अक्षरों में कुछ लिखा हुआ है। इन पत्थरों को उलटकर इस प्रकार जड़ दिया गया था कि लिखा हुआ अंश पढ़ा न जा सके। जब पत्थर खिसककर टूट गिरे तो उनका पढ़ना सम्भव हुआ। परीक्षा से मालूम हुआ कि दो पत्थरों पर महाराज भोज के वंशज अर्जुनदेव वर्मा के गुरु गौड पण्डित मदन कवि की लिखी हुई कोई 'पारिजात-मंजरी' नामक नाटिका थी। नाटिका मे चार अंक होते हैं। अनुभान किया गया है कि बाकी दो अंक भी निश्चय ही उसी इमारत में कहीं होंगे, यद्यपि मस्जिद के हित-चिन्तकों के आग्रह से उनका पता नहीं चल सका। फिर कुछ पत्थरों पर स्वयं महाराज भोज के लिखे हुए आर्या छन्द के दो काव्य खोदे गये थे, जिनकी भाषा कुछ अपभ्रंश से मिली हुई प्राकृत थी। इस शिलापट की प्रतिच्छवि 'एपिग्राफिका इण्डिका' की आठवीं जिल्द में छपी है। चौहान राजा विप्रहराज का 'हरिकेल नाटक' और सोमेश्वर कवि का 'ललित-विप्रहराज' नामक नाटक भी शिलापट्टों पर खुदे पाये गये हैं।

एक सुन्दर काव्य एक पत्थर पर खुदा ऐसा भी पाया गया है, जो किसी शौकीन जमीदार की शोभा बढ़ा रहा था। यद्यपि अभी भी भारतवर्ष के अनेक शिला-लेख पढ़े नहीं जा सके हैं, तथापि नाना दृष्टियों से इन लेखों ने भारतीय संस्कृति और सभ्यता के अध्ययन में महत्वपूर्ण सहायता पहुंचायी है।

## सुवर्ण और रजतपत्र

इस बात का प्रमाण प्राप्त है कि वहुत-सी पुस्तकें सोने और चाँदी तथा अन्य धातु के पत्तरों पर लिखाकर दान कर दी गयी थीं। मेरे मिथ्र प्रो. प्रहलाद प्रधान ने लिखा है कि कालकम से बीढ़ भिक्षुओं में यह विश्वास जम गया था कि पुरानी पोथियों को गड़ देने से वहुत पुण्य होता है। ऐसी वहुत-सी गड़ी हुई पोथियों का उद्धार इन दिनों हो सका है। ह्वेनृत्सांग ने लिखा है कि महाराज कनिष्ठ ने त्रिपिटक का नूतन संस्करण कराकर ताम्रपत्रों पर उन्हें खुदवाकर किसी स्तूप में गड़वा दिया था। अभी तक पुरातत्त्व-वेत्ता लोग इन ताम्रपत्रों का उद्धार नहीं कर सके हैं। लंका में कंडि जिले में हंगुरनकेत विहार के चैत्य में हजारों रुपयों की वहुमूल्य पुस्तकें और अन्य वस्तुएँ गड़वा दी गयी थीं। रीप्य पत्र पर 'विनय पटक' के दो प्रकरण, 'अभिधम्म' के सात प्रकरण और 'दीर्घनिकाय' तथा कुछ अन्य ग्रन्थों को खुदवाकर गड़वाने में एक लाख बानवे हजार रुपये लगे थे। सोने के पत्तरों पर लिखे गये स्तोत्र आदि की चर्चा भी आती है। तक्षशिला के गंगू नामक स्तूप से खरोष्टी लिपि में लिखा हुआ एक सोने का पत्तर प्रसिद्ध खोजी विद्वान् जनरल कनिधम को मिला था। वर्मा के द्वीप नामक स्थान से पाली में खुदे हुए दो सोने के पत्तर ऐसे मिले हैं, जिनकी लिपि सन् ईसवी की चौथी या पाँचवी शताब्दी की होगी। भट्टिप्रोलू के स्तूप से और तक्षशिला से भी चाँदी के पत्तर पाये गये हैं। सुना है, कुछ जैन-मन्दिरों में भी चाँदी के पत्र पर खुदे हुए पवित्र लेख मिलते हैं; ताम्बे के पत्तरों पर तो वहुत लेख मिले हैं, परन्तु उन पर खुदी कोई बड़ी पोथी नहीं मिली है।

## वधू का शान्त-शोभन रूप

कुमारियों के पत्र-लेखन और पुस्तक-लेखन के प्रसंग में हम कुछ बहक गये थे। अब फिर मूल विषय पर लौटा जा सकता है। वधू के अनेक रूपों की चर्चा पहले ही आयी है (पृ. 426)। हम अन्यत्र यज्ञ और विवाह के अवसरों पर पौर वधुओं को देखने का अवसर पायेंगे। व्यसन अर्थात् विष्णि के अवसर पर देखने का मीका भी हमें इस पुस्तक में नहीं मिलेगा, परन्तु प्राचीन भारत की अन्तपुर-वधू को

यदि हम व्यसनावस्था में न देंगे तो उसका धीक-ठीक परिचय न पा सकेंगे। वधु के व्यरान (विपत्ति) कई थे—रोग, शोक, सप्तली-निर्यातन, पति का औदासीन्य, पति के अन्यथा प्रेमद्रवित होने की आशंका और सबसे बढ़कर पुत्र का न होना। इन अवगतों पर यह कठिन द्रष्टा का अनुष्ठान करती थी, ग्राहणों और देवताओं की पूजा करती थी, उपवास करके स्नानादि में यजित्र हो गुग्गुल धूप से धूपित चण्डी-मण्डप में तुशामत विछाकर वास करती थी, गोशालाओं में आकर सीभास्त-वती धेनुओं—जिन्हें बृद्ध गोपिकाएं तिन्हीं, चन्दन और माल्य से पूजन देती थी—थी छाया में भ्रान्त करती थी, रत्नपूर्ण तिलपात्र आद्याणों को दान करती थी, और्मों की शरण जाती थी और शृण चतुर्दशी की रात को चतुर्पथ (चौराहे) पर दिवालों की वति देती थी, ग्राही अर्दि भातूकाओं की पूजा करती थी, अश्वत्यादि वृक्षों की परिकमा करती थी, स्नान के पश्चात् चाँदी के पात्र में अक्षत-दधिनिधित जल का उपहार गौवों को खिलाती थी, पुण्य-धूप आदि से दुर्गा देवी की पूजा करती थी, सत्यवादी क्षपणक साधुओं को अन्न का उपदीक्षण देकर भावी मंगल के विधय में प्रश्न करती थी, विप्रेणिका कही जानेवाली स्त्री-ज्योतिषियों से भाग्यगणना कराती थी, अङ्गों का फड़कना तथा अन्यात्य शुभाशुभ शक्तों का फल देवज्ञ ने पूछती थी, तान्त्रिक साधकों के वतामे गुप्त भन्नों का जप करती थी, ग्राहणों ने वेदपाठ कराती थी, प्रहचार्यों से स्वप्न का फल पूछताती थी और चत्वर में शिवावलि (शृणालियों की उपहार) देती थी। इस प्रकार यद्यपि वह अवरोध में रहती थी (वादम्बरी), तथापि पूजा-पाठ और अपने विश्वास के अनुमार अन्यान्य मागल्य अनुष्ठानों के समय वह बाहर निकल सकती थी।

## उत्सव में वेशभूपा

पुरुष और स्त्री, दोनों के लिए वह आवश्यक था कि उत्सवों में पूर्ण असंगृह होके जाएं। केवल स्थिरी ही प्राचीन भारत में अनंगार गङ्गा धारण करती थीं, पुरुष भी नाना प्रकार के अनंगार धारण करता था। अयोध्या के नामगिनों की बात बताते समय आदिकवि ने लिखा है कि अयोध्या में कोई ऐसा पुरुष नहीं था जो कुण्डल न धारण किये हो, मुकुट न पहने हो, याला ने विमुग्धिन न हो, कर्म भोग का अधिकारी न हो, साम-मुथरा न रखा हो, विमार्गों का नेप न बरह हो सुगन्धि न धारण करता हो, भंगर (बाढ़ का धारणा) नियम (द्वोद्वृण्ड) और हाथ के आभरणों को न धारण किये हों (वाल., 7-10-12)।

देश मे सब समय भूपण धारण करती ही है। प्राचीन ग्रन्थों मे पुरुषों के बाहुमूल कलाई और अंगुलियो के धार्य अलंकारों की खूब चर्चा है और कुण्डल-हार की भी चर्चा वरावर मिलती है। ये अलंकार सभी पुरुष धारण करते थे।

अलंकार तीन प्रकार के माने गये हैं : स्वाभाविक, अयत्नज और वाह्य। लीला, विकास, विच्छिति, विभ्रम, किलकिञ्चत, मोट्टायित, कुट्टमित, विव्वोक, ललित और विहृत, ये स्त्रियो के स्वाभाविक अलंकार हैं। अलंकार के ग्रन्थों में इनका विस्तृत विवरण मिलेगा। अयत्नज अलंकार पुरुषों के और स्त्रियो के अलग-अलग माने जाते थे। शोभा, कान्ति, दीप्ति, माधुर्य, धैर्य, प्रगल्भता और औदायं स्त्रियों के अयत्न-साधित अलंकार हैं और शोभा, विलास, माधुर्य, स्थैर्य, गाम्भीर्य, ललित, औदायं और तेज पुरुषों के। शास्त्रों में इनके लक्षण बताये गये हैं ('नाट्यशास्त्र', 24-24-39)। वस्तुतः इन स्वाभाविक अलंकारों से ही पुरुष या स्त्री का सौन्दर्य खिलता है। वाह्य अलंकार तो स्वाभाविक सौन्दर्य को ही पुष्ट करते हैं। कालिदास ने ठीक ही कहा था कि कमल का पुष्प शैवालजाल से अनु-विद्ध हो तो भी सुन्दर लगता है, चन्द्रमा का काला धब्बा मलिन होकर भी शोभा विस्तार करता है उसी प्रकार वल्कल धारण करने पर भी शकुन्तला का रूप अधिक भनोज्ज हो गया है। मधुर आकृतियों के लिए कौन-सी वस्तु अलंकार नहीं हो जाती ?

सरसिजमनुषिद्धं शैवलेनापि रथ्यं  
मलिनमपि हिमांशोर्लंकम् लक्ष्मीं तनोति ।  
इयमधिकमनोज्ञा वत्कलेनापि तन्वी  
किमिव हि मधुराणा भण्डनं नकृतीनाम् ॥

परन्तु फिर भी यह आवश्यक माना जाता था कि नागरिक लोग देश-काल की परिपाटी समझे अलंकरणों का उचित सन्निवेश जानें और सामाजिक उत्सवों के अवसरों पर सुरुचि और सुसंस्कार का परिचय दें। उस युग के शास्त्रकारों ने - इस बात पर जोर दिया है कि युवक-युवतियों को गुण, अलंकार, जीवित और परिकर का ज्ञान होना चाहिए; वयोंकि गुण शोभा का समुत्पादक है, अलंकार समुद्रीपक है, जीवित अनुप्राणक है, परिकर व्यंजक है। ये एक-दूसरे के उप-कारक हैं, और इसीलिए परस्पर के अनुप्राहक भी हैं। गुण और अलंकार से ही शरीर में उत्कर्ष आता है। शोभा-विद्यायक धर्मों को गुण कहते हैं। वे ये हैं :

रूपं वर्णः प्रभा रागः आभिजात्य विलासिता ।  
लावण्यं लक्षणं छाया सौभाग्यं चेत्यमी गुणाः ॥

शरीर अवयवों की रेखा में स्पष्टता को रूप कहते हैं, गौरता-श्यामता आदि को वर्ण कहते हैं। सूर्य की भाँति चमक (काचकाच्य) वाली कान्ति को प्रभा कहते हैं, अधरों पर स्वाभाविक हँसी खेलते रहने के कारण सबकी दृष्टि आकर्षण करने-वाले धर्म को राग कहते हैं, फूल के समान मृदुता और पेशलता नामक वह गुण जो

लनालादि के रूप में एक विशेष प्रकार का स्पर्श या सहलाव होता है उसे आभिजात्य कहा गया है, अंगों और उपांगों से युवावस्था के कारण फूट पड़नेवाली विभ्रम विलास नामक चेष्टाएँ, जिनमें कटाक्ष, अङ्गुष्ठेप आदि का समुचित मात्रा में योग रहता है, विलासिता कहलाती है। चन्द्रमा की भाँति आह्लादकारक सौन्दर्य का उत्कर्ष-भूत स्तिर्ग्रथ-मधुर वह धर्म जो अवयवों के उचित सन्निवेश से व्यजित होता रहता है लावण्य कहा जाता है। वह सूक्ष्म भंगिमा जो अग्राम्यता के कारण वक्रिमत्वरूपापिनी अर्थात् वाह्य शिष्टाचार और परिपाठी को प्रकट करनेवाली होती है, जिससे ताम्बूलसेवन, वस्त्र, परिधान, नृत्य-सुभाषित आदि के व्यवहार में वक्ता का उत्कर्ष प्रकट होता है, छाया कहलाती है; सुभग उस व्यक्ति को कहते हैं जिसके भीतर प्रकृत्या वह रंजक गुण होता है जिससे सहृदय लोग उसी प्रकार स्वयमेव आकृष्ट होते हैं जिस प्रकार पुण्य के परिमल से भ्रमर। उसी सुभग व्यक्ति के आन्तरिक वशीकरण धर्म-विशेष की सौभाग्य कहते हैं। सहृदय के अन्दर ये दस गुण विधाता की ओर से मिले होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति इच्छा करने से ही इन्हे नहीं पा सकता। वे जन्मातर के पुण्यजनन से प्राप्त होते हैं।

## अलंकार

सहृदय के अलंकार सात ही हैं :

रत्नं हेमांशुके माल्यं मण्डनं द्रव्ययोजने ।

प्रकीर्णं चेत्यलकारा स्वप्नैवेते मया मताः ।

बज्ज-मुक्ता-पद्मराग-मरकत-इन्द्रनील-वैदूर्यं-पुण्पराग-कर्कतन-पुलक-रुधिराक्ष भीष्म-स्फटिक-प्रवाल, ये तेरह रत्न होते हैं। वराहमिहिराचार्य की 'वृहत्सहिता' (अध्याय 80) में इनके लक्षण दिये हुए हैं। भीष्म के स्थान में उसमें विप्रमक पाठ है। 'शब्दार्थ-चिन्तामणि' के अनुसार यह रत्न हिमालय के उत्तर प्रान्त में पाया जानेवाला कोई सफेद पत्थर है। वाकी के बारे में वृहत्सहिता में देखना चाहिए। हेम सोने को कहते हैं। यह नी प्रकार का बनाया गया है : जम्बूनद, शातकीम्भ, हाटक, वेणु, शृंगी, शुक्तिज, जातरूप, रसविद्ध और आकार (खनि)-उद्गत। इन तेरह प्रकार के रत्नों और नी प्रकार के सोनों से नाना प्रकार के अलंकार बनते हैं। ये चार श्रेणियों के होते हैं : (1) आवेद्य, (2) निवन्धनीय, (3) प्रक्षेप्य, और (4) आरोप्य। ताढ़ी, कुण्डल, कान के बाने आदि अलंकार अंग में छेद करके पहने जाते हैं, इसलिए आवेद्य कहलाते हैं। अंगद (वाहूमूल में पहना जाने-

वाता अलंकार—विजायठ जातीय) श्रोणीमूर्व (करधनी आदि), चूड़ामणि, शिखा-दृढिका आदि अलंकार वाँधकर पहने जाते हैं, इसलिए इन्हें निवन्धनीय कहा जाता है। ऊर्मिका, कटक (पहुँची में पहना जानेवाला अलंकार), मंजीर आदि अंग में प्रक्षेपपूर्वक पहने जाते हैं, इसलिए प्रक्षेप्य कहलाते हैं। भूलती हुई माला, हार, नक्षत्र-मालिका आदि-आदि अलंकार आरोपित किये जाने के कारण आरोप्य कहलाते हैं।

अलंकार के एक और वर्गीकरण की चर्चा मल्लिनाथ ने 'मेघदूत' (2-11) की टीका में की है। 'रसाकर' नामक ग्रन्थ से एक श्लोक उद्धृत करके बताया है कि भूषण चार प्रकार के ही होते हैं : (1) कचधार्यं अर्थात् केश में धारण करने योग्य, (2) देहधार्यं अर्थात् देह में धारण करने योग्य, (3) परिधीय या पहनने के वस्त्रादि, (4) विनेशन अर्थात् चन्दन-अगुह आदि से बने हुए अंगराम। ये सब स्त्रियों के अलंकार हैं। देश-विशेष में ये भिन्न-भिन्न हैं :

कचधार्यं देहधार्यं परिधीयं विलेपनम् ।

चतुर्धा भूषणं प्राहुः स्त्रीणामत्यर्थदैशिकम् ॥

वस्त्र चार प्रकार के होते हैं, कुछ छाल से, कुछ फल से, कुछ कीड़ों से और कुछ रोओ से बनते हैं। क्रमशः क्षीम, कार्पास (रुई के), कीपेय (रेशमी), राङ्कव (ऊनी) कहते हैं। इन्हें भी निवन्धनीय, प्रक्षेप्य और आरोप्य के बैचित्रियवश तीन प्रकार से पहना जाता है। पगड़ी, साड़ी आदि निवन्धनीय है, चोली आदि प्रक्षेप्य हैं; उत्तरीय (चादर) आदि आरोप्य है। वर्ण और सजावट के भेद से ये नाना भौति के होते हैं। सोने और रत्न से बने हुए अलंकारों की भाँति माल्य के भी आवेद्य-निवन्धनीय-प्रक्षेप्य-आरोप्य, ये चार भेद होते हैं। प्रत्येक में ग्रथित और अग्रथित दो प्रकार के माल्य हो सकते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर माल्य के आठ भेद होते हैं—वेण्टित अर्थात् जो समूचे अगों को घेर लें (उद्वर्तित)। एक पार्श्व में वितारित माल्य को वितत कहते हैं, अनेक पुष्पों के समूह से रचित माल्य को संघाट्य कहते हैं, बीच-बीच में विषम गाँठवाले को ग्रन्थिमत् कहा जाता है, स्पष्ट भूजते रहनेवाले को अवलम्बित, केवल पुष्पवाले को मुक्तक, अनेक पुष्पमयी लता को मंजरी और पुष्पों के मुच्छे को स्तवक कहते हैं। कस्तूरी-कुंकुम-चन्दन-कर्पूर-अगुह-कुल-दन्तमम-पटवास-सहकार-तंल—ताम्बूल-अलकतक-अञ्जन-गोरोचना प्रभूति मण्डन द्रव्यवाले अलंकार होते हैं। भूषण, केशरचना, जूड़ा चाँधना आदि योजनामय अलंकार हैं। प्रकीण अलंकार दो प्रकार के होते हैं, जन्य और निवेश्य। धमजल, मदिरा का मद आदि जन्य है और दूर्वा, अशोकपल्लव, यवाकुर, रजन, अपु, धन्त, नालदल, दन्तपत्रिका, मृणालवलय, करत्रीङ्नादिक को निवेश्य कहते हैं, इन सबके ममवाय को वेश कहते हैं। वह वेश देशवाल की प्रकृति और अवस्था के मामजस्य को दृष्टि में रखकर शोभनीय होता है। इनके सजावट से उचित मात्रा में मन्निवेश में रमणीयता की बृद्धि होती है।

योजन नामक वस्तु ही शोभा का अनुप्राणक है। उसी को जीवित कहते हैं। दूसरे अवस्था में अंगों में विपुलना और सौष्ठव आते हैं, उनका पारस्परिक विभेद

स्पष्ट हो जाता है। वह पहले वय सम्युक्त के रूप में आरम्भ होता है और प्रोट के रूप में मध्यावस्था को प्राप्त होता है। प्रथम अवस्था में धम्मिल (जूड़ा) रचना, वैश-विन्द्यास, वस्त्र-निवन्धन, दम्तपरिकमं, परिष्कारण, दर्पणेश्वण, पुष्पचयन, माल्य-धारण, जलकीड़ा, धूत, अकारण लज्जा, अनुभाव, शृगार आदि वैष्टाएँ वर्तमान होती हैं। दूसरी अवस्था में शृगारानुभाव का तारतम्य ही थ्रेष्ठ है। शोभा का निकट से उपचारक होने के कारण परिकर उसका व्यजक है।

ऊपर जिन वाह्य अलंकारों की चर्चा की है, उनका नाना भाव से साहित्य में वर्णन आता है। प्राचीन मूर्तियों, चित्रों और काव्यों में इनका बहुविध प्रयोग पाया जाता है। शास्त्रों में उनके नाम भी पाये जाते हैं। (दे 'नाट्यशास्त्र', विस्तार से 23 अध्याय)।

## वज्र या होरा

अलकरण के लिए अकेला रसन असहाय है। उसे सोने का सहारा चाहिए। इसी-लिए गहनों की चर्चा करते समय सहृदयों ने दीनों को साथ-साथ रखना पसन्द किया है।

ऊपर राजानक रूप्यक के बताये तेरह रत्न गिनाये गये हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी इनका विस्तृत विवरण है। वज्र हीरे को कहते हैं। इनके छ: भेद बताये गये हैं जो सततप्रदेशों में उत्पन्न होने के कारण भिन्न-भिन्न नामों से पुकारे जाते थे। कौटिल्य के अनुसार समाराप्तक विदर्भ से, मध्यमराप्तक कोसल से, कश्मीरराप्तक कश्मीर से, थीकटनक इसी नाम के पर्वत से, मणिकान्त मणिमान पर्वत से, इन्द्रवानक कर्लिंग देश से प्राप्त होता था। कालिदास ने इनके भेदों की कोई चर्चा नहीं की है। वज्र के एक गुण की उन्होंने चर्चा की है, मणि को छेदने का सामर्थ्य, 'मणी वज्रसमुत्कीर्ण'। कौटिल्य ने अच्छे हीरे के गुणों में स्थूलता, गुरुता, प्रहार सहने की क्षमता, समान कोणवाला होना, भाजन अर्थात् वर्तन पर लकीर खींच सकने की योग्यता, कुञ्जन्ति होना अर्थात् तकुए की तरह धूमकर छेद कर सकनेवाला और आजिष्णु या चमकदार होना। मणि को समुत्कीर्ण करना वज्र या हीरे का गुण है। 'रघुवंश' (6-19) में वज्र (हीरे) की जगमगाती किरणोंवाले किरीट की चर्चा है। कौटिल्य द्वारा बताया गया आजिष्णु गुण यही चमकता रूप है।

## मोती या मुक्ता

मुक्ता कालिदास का अधिक प्रिय रत्न है। वस्तुतः सुन्दरियों के उभरे हुए वक्ष स्थलों पर कम्पमान मुक्ता-दाम कवि को सौन्दर्य के मोहक लोक के निर्माण करने में अधिक सहायक हुए हैं। कालिदास ने पाण्ड्यदेश की प्रसिद्ध नदी ताम्रपर्णी और समुद्र से प्राप्त मोतियों की चर्चा की है। मोतियों के अन्य उदयस्थान भी थे कौटिल्य ने इस प्रकार के मोतियों की चर्चा की है, जो वस्तुतः उदयस्थान के कारण अलग-अलग नामों से पुकारे जाते थे।

(1) कुछ ताम्रपर्णी नदी से निकलते थे, (2) कुछ मलय कोटि के निकट सरोवरों से, (3) कुछ पटना के पास से बहनेवाली पाणिका नदी से, (4) कुछ सिंहल की उला नदी से, (5) कुछ केरल की चूर्ण नदी से, (6) कुछ महेन्द्र पर्वत के निकट समुद्र से, (7) कुछ ईरान की कर्दमा नदी से, (8) कुछ वर्वर (वेवि लोनिया या वावुल) की स्रोतसी नदी से, (9) कुछ वावुल की श्रीघण्ट नामक झील से, और (10) कुछ हिमालय पर्वत से। कालिदास को इनमें किसी प्रकार के विशेष मोती पर झुकाव नहीं जान पड़ता। उन्हें कौटिल्य द्वारा बताये शुक्ति शंख और प्रकीर्णक (गजमुक्ता आदि) की जानकारी अवश्य थी। वे प्रशस्त मोतियों को ही उल्लेख के योग्य मानते थे। कौटिल्य के अनुसार स्थूल वृत्त निःस्त भ्राजिष्णु, श्वेत, स्त्रिय और देश-विद्ध (ठीक स्थान पर छेद किये हुए) मोती प्रशस्त होते हैं।

मोतियों की लड़ी को पुराने जमाने में यष्टि कहते थे। सहो तो यह है कि लड़ी या लर, यष्टि शब्द का ही रूपान्तर है। यष्टि-लट्ठि-लड़ी-सर। कौटिल्य ने मोतियों की संख्या के अनुसार अनेक मौकितक-आभरणों की चर्चा की है। इन्द्रच्छद में 1008, विजयच्छद में 504, देवच्छद में 100, अर्द्धहार में 64, रथिकलाप में 54, गुच्छक में 32, नक्षत्रमाल में 27, अर्द्धगुच्छक में 24, माणवक में 20, अर्द्ध-माणवक में 10 मोती होते थे। कालिदास भारी गहनों को पसन्द नहीं करते थे। जो केवल समृद्धि के विज्ञापन मात्र हो, उन पर उनकी सुरुचिपूर्ण दृष्टि टिकती नहीं थी। वे सूत्र में पिरोये हुए (कौटिल्य के अनुसार शुद्ध) हारों की चर्चा करते हैं; या फिर मणि-मुक्ता की हार-यष्टि या चित्रहारों की शोभा पर प्रसन्न होते हैं, या सोने के सूत्र में पिरोयी हुई मणि-मुक्ता की माला रत्नावली पर मुग्ध होते हैं। कालिदास को पतली और हिलती रहनेवाली लड़ी (यष्टि) अधिक पसन्द है; इतनी चंचल कि वक्षस्थल के चन्दन को पाँच ढालती हो—'विलोतयष्टिप्रविलुप्तचन्दनम्' (कृमार., 5-8)। अनुमान किया जा सकता है कि 'कलाप', 'नक्षत्र-मालिका' और 'गुच्छसरो' में उनकी हवि रही होगी।

कालिदास ने मणियों में साल-साल पद्मराग, जिसे कौटिल्य पारस्यामुद्रिक (गमुदपार ने प्राप्त) तूणाड़कुर के समान वैदूर्य, नीलवर्ण इन्द्रनील, हरितवर्ण के



है ही। परन्तु जब कालिदास जैसे कवि सुवर्ण के अनेक नामों का प्रयोग करते हैं, तो प्रायः सामान्य सोने के अर्थ में करते हैं। परन्तु गहना बनाने के लिए चमक लाने और स्थिरता के लिए अनेक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता था। चाँदी भी मिलायी जाती थी और ताँबा भी। कौटिल्य ने सोना चुरानेवालों की अनेक गूर्तीओं के प्रसंग में एक 'हेमापसारण' विधि की भी चर्चा की है (2. 14-14)। उससे पता चलता है कि सोने में कुछ ताँबा मिलाने से जो चमकदार सोना बनता था, उसे 'हेमन्' कहा जाता था। कालिदास जब 'हेमन्' शब्द का प्रयोग करते हैं, तो इस खादवाले सोने की ही शायद चर्चा करते हैं। उन्होंने 'रघुवंश' में कहा है कि आग में तपाने के बाद ही पता चलता है कि हेम में कितनी विशुद्धि है और कितनी श्यामिका (खाद) है। कालिदास 'स्वर्ण' या 'जातरूप' की अपेक्षा 'हेम' के अलंकारों की अधिक चर्चा करते हैं। 'काञ्चन' भी अनिश्चित मात्रा में खाद मिलाये हुए सोने को कहा जाता होगा; दीन्ति के कारण ही इसे काञ्चन कहते थे। इसकी व्युत्पत्ति 'काञ्च दीप्ती' धातु से बतायी जाती है।

अक्षशालाओं में सोने के तीन प्रकार के कर्मों का उल्लेख मिलता है : क्षेपण अर्थात् मणियों या काँच आदि के जड़ने का काम, गुण-कर्म अर्थात् स्वर्ण की कड़ियों को जोड़कर या पीटकर सूत्र बनाना, और क्षुद्रक अर्थात् घन (ठोस) या छिद्र-युक्त (सुपिर) गुरियों का गढ़ना (कौटिल्य, 2-14)। गुण-कर्म से ही सोने का गुण या सूत्र बनता है, जिसका कालिदास ने बहुशः वर्णन किया है। गुण शब्द का अर्थ योजन या जोड़ना है। एक में एक कड़ियों को जोड़कर जो लर बनती होगी, वही प्रारम्भ में गुण कहलाती होगी। बाद में सूत्र के अर्थ में सामान्य रूप से 'गुण' शब्द रूढ़ हो गया।

## रत्न और हेम के योग से बने हुए चार श्रेणी के अलंकार

क्षोपण, गुण और क्षुद्रक विधियों के द्वारा हेम और रत्न के सैकड़ों आभूषण बनने सत्ते। इन गहनों की चार मोटी जातियाँ हैं। राजानक श्यक के अनुसार (1) आवेद्य, (2) निवन्धनीय, (3) प्रदोष्य, और (4) आरोप्य। ताटंक, कुण्डल आदि अलंकार भारीर के अंगों को बेघकर या द्येदकर पहने जाते हैं, इमीलिए ये आवेद्य कहे जाते हैं। कालिदास ने कर्णभूषण, कुण्डल, कर्णपूर, मणिकुण्डल आदि आवेद्य

अलंकारों का वर्णन किया है। जब कानों में प्राकृतिक प्रसाधन का प्रसंग आता है तो कालिदास उसका उल्लेख प्रायः निवन्धीय के रूप में करते हैं। शकुन्तला के चित्र में कुछ कमी महसूस करने के बाद दुष्प्रभृत ने आगण्डविलम्बित केसरवाले शिरीय पुष्प को 'कर्णापितवन्धन' बताया था, अर्थात् उसे कान में बाँधा हुआ कहा था, देवकर पहना हुआ नहीं। 'ऋतुसंहार' में जहाँ कानों में पहने हुए पुष्पों की चर्चा आयी है, वहाँ 'दत्तम्' (दिया हुआ) कहा है (कर्णेषु दत्तं नव कर्णिकारम्)। जिससे अनुमान किया जा सकता है कि ये सूते में गूँथकर ऊपर में डाल लिये जाते थे। तपोनिरता पार्वती के कपोल-स्थल को, जिस पर कान पर लटकनेवाले उत्पल-पत्र चिरकाल से नहीं दिखायी दे रहे थे और धान की पकी बालों के समान पिगल-वर्ण की जटाएँ झूल रही थीं, देखकर ब्रह्मचारीवेशधारी शिव को बड़ा कष्ट हुआ था। हाय, वह हृदयहीन प्रेमी कीन होगा जो मोहन रूप की इस दुर्गति को वर्दीश्त करके स्थिर बैठा हुआ है :

अहो स्थिरः कोऽपि तवेषितो युवा चिराय कर्णोत्पलशून्यतां गते ।  
उपेक्षते यः श्लश्वलंविनीर्जटा: कपोलदेशे कलमाग्रपिंगला ॥

(कुमार., 5-47)

अंगद (वाहूमूल में पहना जानेवाला अलंकार), श्रोणी-सूत्र (करधनी), मणिमेखला, चूडामणि, शिखा-दृढिका आदि अलंकार बाँधकर पहने जाते हैं, इसलिए निवन्धनीय कहलाते हैं। कालिदास ने अंगद की चर्चा प्रायः बलय के साथ की है—'प्रयान्ति चाङ्ग' बलयाङ्गदानि' (ऋतु., 4-3), 'भुजेषु चैव बलयाङ्गदानि' (ऋ., 6-7),। इससे जात पड़ता है कि अंगद वाहूमूल में उसी प्रकार पहना जाता था जिस प्रकार कलाई में कंकण-बलय। यदि यह अनुमान ठीक हो तो अंगद निवन्धनीय न होकर प्रस्तेष्य अलंकार माना जायेगा। अंगद कुछ इस प्रकार के पेंच से कसा जाता था कि वह भूजमूल को कसके जकड़ लेता था। यह पुरुष और स्त्री दोनों का परिधेय था। कलिङ्गनाथ को 'अंगदाश्लिष्टभूज' कहा गया है। एक विलासी राजा का हार कन्धे से जो सरका तो कसे हुए अंगद के किनारे अटक गया—'रत्नानुविद्धाङ्गदकोटिलगननम्' (रघु., 6-14)। इसमें मणि जड़ी होती थी। साधारणतः केयूर और अंगद एक ही गहने माने जाते हैं। 'अमरकोप' में ऐसा ही बताया गया है। पर कालिदास ने केयूर को स्पष्ट रूप से निवन्धनीय अलंकार माना है—'केयूरवन्धोच्छ्वसितैर्नुतोद' (रघु. 6-68)। 'अंगद' शब्द में ही अंग से अवपीड़न या कसकर पकड़ने की ध्वनि है।

श्रोणी-सूत्र, श्रोणी-दाम या जघन-काढ़ची अर्थात् बटि में पहने जानेवाली और पीछे की ओर झूलती हुई करधनी कालिदास का बहुत ही प्रिय अलंकार है। 'ऋतुसंहार' में इसे 'हेममेखला' (1-6), 'मेखला' (1-4), 'कांची' (2-20), 'रत्ना' (3-20), 'कनक-काढ़ी' (3-26), 'काढ़ी-गुण' (4-4), 'जघन-काढ़ी' (6-7), 'हेम-रमना' (6-24) आदि कहकर बार-बार स्मरण किया गया है। इसमें मणि भी जड़ी जाती थी, जिसके कारण 'मणि मेखला' (6-24)

और 'कांचन-रत्न-चित्रा' (4-4) भी कहा गया है। उस काल के शिल्प में इस अलंकार का भूरिशः प्रयोग मिलता है।

'विकमोर्बशीय' में चूड़ामणि अर्थात् चूड़ा में धारण किये जानेवाले मणिमय अलंकार की चर्चा है। 'मेघदूत' में सिरमे पहने जानेवाले रत्न-जाल (पूर्वमेघ, 66) और मुक्ता जाल (पूर्वमेघ, 9) का उल्लेख है जो निवन्धनीय अलंकार है। 'रघुवंश' में तिलक की भजरी पर भौरों के बैठने और ओस की बूँद के पड़ने से जो शोभा उत्पन्न होती है, उसे सुन्दरियों के केश-पाश में बैधे हुए मौकितकजाल से तुलनीय बताया गया है (9-44)। पर कालिदास केश-रचना में पुष्पमल्लवों को अधिक महत्व देते हैं। नील अलंकों में शोभमान अशोकपुष्प (ऋतु 6), धम्मलल या जूँड़े को धेरकर शोभित होनेवाली मालती-माला, चम्पक-कुमुम, कदम्बपुष्प आदि को वे अधिक रुचि से निवित करते हैं।

उमिला, कटक, मंजीर (नूपुर) आदि अलंकार अंग में प्रक्षिप्त होते हैं, इसलिए प्रक्षेप्य कहलाते हैं। इनमें मंजीर या नूपुर कालिदास का प्रिय गहना है। कलिदास ने प्रायः पैर में हन-भुन करनेवाले नूपुरों का 'हंस-स्तानुकारी' अर्थात् हंस की छवनि का अनुकरण करनेवाला कहा है। इसकी मधुर छवनि के कारण इसे कलनूपुर (रघु., 16-12 ; ऋतु., 3-20) आदि कहा गया है। हाय या पैर के कटक (कड़े) कालिदास को कम आकृष्ट कर सके हैं, पर बलय (कंकण) उन्हे अधिक प्रिय है। पुरुषों के कनक-बलय की चर्चा उन्होंने की है। अंगुलीय, अंगुलीयक (अँगूठी) की भी बहुत चर्चा है। अँगूठी में पहननेवाले के नामाकार भी अंकित रहते थे। दुप्यन्त की अँगूठी में उसका नाम खुदा हुआ था।

झूलती हुई हेम-माला, हेम-हार, रत्न-हार, नक्षत्र-मालिका आदि अलंकार आरोपित किये जाने के कारण 'आरोप्य' कहलाते हैं। हार कालिदास का सर्वप्रिय अलंकार है। भारी हारों को वे बहुत पसन्द नहीं करते। हल्के, कान्तिमान और स्त्रिघ हार उन्हें प्रिय हैं। हेम और मुक्ता हार के सर्वोत्तम उपादान हैं। स्त्री-सौन्दर्य को सर्वाधिक आकर्षक बनानेवाले अंग का अलंकार होने के कारण यह कालिदास को इतना प्रिय है कि हार की चर्चा आते ही वे उभरे हुए वक्ष-स्थलों की चर्चा करते हैं। हार-यष्टि और श्रोणी-मूत्र नव-योवन के सर्वाधिक आकर्षक धर्म 'वपुविभिन्न' के अलंकारवारक, उद्दीपक और मोहक बनाने के कारण कालिदास को बहुत प्रिय हैं।

'अंशुक' शब्द का प्रयोग वस्त्र के सामान्य अर्थ में होता है। कभी-कभी कालिदास अचिल के अर्थ में भी इसका प्रयोग करते हैं। राजानक रूप्यक वस्त्रों के चार भेद बताते हैं : (1) कुछ छाल से बनते हैं, (2) कुछ कपास की रुई से, (3) कुछ कीड़ों से, (4) कुछ जीव-जन्तु के रोओ या ऊन से। इन्हे क्रमशः क्षीम, कार्पास, कौशेय, और राकव कहते हैं। 'क्षीम' क्षुमा या तीसी के छाल से बनता था और चन्द्रमा के समान पाण्डुरवर्ण का होता था। अन्य वृक्षों की छाल से भी सुन्दर महीन वस्त्र बनते थे। नागवृक्ष (नागफनी), वकुच (वडहर), वकुल (मीलसिरी) और वट (वरगद) की बनी हुई क्रमशः धीले, गेहुए, सफेद और नवनीत (मक्खन) के रंग की पत्रोणाओं की चर्चा कीटित्य ने भी है। पत्रोणा (पत्ते का ऊन) निश्चय ही बहुमूल्य वस्त्र था। मालविका पटरानी होने योग्य थी, पर उससे दासी का काम लिया जाता था। राजा ने दुख के साथ कहा था कि यह ऐसा ही है जैसे कोई पत्रोणा से देह पोछने के गमछे वा काम ले। कौशेय रेशम बनानेवाले कीड़ों के कोप (कोए) से बनता है। कालिदास को कौशेय वस्त्र भी प्रिय है। हेमन्त-काल में रंगीन कौशेय वस्त्र हित्यों की साड़ी के काम आते थे ('मरागकौशेयविभूषितो यः')। राकव या ऊन के वस्त्र कालिदास की दृष्टि आकृष्ट कर सके हैं। कार्पास या रुई के कपड़े तो प्रसिद्ध ही हैं। कीटित्य के रामय में वंग-देश में वांगक 'दुकूल श्वेत स्तिर्य' होते थे, पौण्ड (उत्तरी बगाल) के द्याम और मणिपूर्ण के समान चिकने होते थे, सौवर्ण-कुइयक नाम के दुकूल लाल बनते थे। ये सभी ऊन के या रेशम के हुआ करते थे। काशिक या बनारसी रेशमी दुकूल भी बहुत प्रसिद्ध थे। काशिक और पौण्डक क्षीम वस्त्र भी बहुत सुन्दर माने जाते थे। कालिदास चीन के बने रेशमी वस्त्र (चीनामुक) की भी चर्चा करते हैं।

इन सभी वस्त्रों से परिधेय वस्त्र तीन प्रकार के बनते हैं। हेमानकारों में कुछ अलंकार जैसे आवेद्य या अग द्येदकर पहनने योग्य होते हैं, वैसे वस्त्रों में नहीं होते। वाकी तीन प्रकार अर्थात् निवन्धनीय, प्रक्षेप्य और आरोप्य जाति के पद्मावं वस्त्रों के भी होते हैं।

पगड़ी, साड़ी आदि निवन्धनीय हैं। ये बांधकर पहने जाते हैं। कालिदास में पूर्णों के वेश में बेष्टन या उत्पीप (पगड़ी) और दुकूल-युम (दो दुनूलों) या उल्लेख मिलता है। दिसीप जब बन जो जा रहे थे तो उन्होंने निर पर बेष्टन या पगड़ी बांध ली थी। और ऊनके पुत्र रघु जब अपने पुत्र को राज्य देकर जाने लगे तो बेष्टन-शोभी सिर में पुत्र (अज) ने भुक्तकर प्रभाम लिया था। दो दुकूल पुरुष के पहनावे में होते थे। इनमें से एक तो उत्तरीय या चादर या जो कभी-जर्मा रत्न-प्रथित भी होता था (रघु., 16143)। दूसरा अपोवस्त्र या पोन-यरत्र

(धोती)। परन्तु कालिदास ने स्पष्ट रूप से इसका कोई नाम नहीं लिया है। उस कान्ति के चित्रों में राजा के अंग पर केवल ये ही दो वस्त्र दिखायी देते हैं। स्थिरों के पहनावे में दुकूल की बहुत भाँतियाँ कालिदास ने बतायी हैं। कालिदास को भीने-महीन दुकूल अधिक रुचिकर लगते हैं। उभरे पीन वक्षःस्थल; सलीके के साथ, सुकुमार भाव से ओड़े हुए तन्वशुक अर्थात् महीन वस्त्र का आँचल (ऋतु., 117); श्रीणीविम्ब पर अलस-विलसित दुकूलप्रान्त उनकी दृष्टि अधिक आकर्षित कर सके हैं। ये सित या श्वेत भी हो सकते हैं, कुंकुम के समान पीली गोराई लिये भी हो सकते हैं। 'तन्वंशुकः कुंकुमरागगोरैः' (6-5), कुमुम्भी रंग के भी हो सकते हैं, लाल के रंग के रंगे हुए लाल-लाल और चित्र-विचित्र भी हो सकते हैं। पर कालिदास उनका बहुत भारी-भरकम होना पसन्द नहीं करते। जाड़े के दिनों में 'गुहणिवासांसि' आवश्यक थे, पर कालिदास प्रायः उनकी चर्चा तभी करते हैं जब वे शरीर पर से उतारकर फेंक दिये जाते हैं (ऋतु., 617)। हेमन्त-वर्णन के प्रसंग में एक बार उन्होंने खिड़की दरखाजा बन्द करके भोटे-भोटे कपड़े पहनने-वालों की चर्चा कर अवश्य दी है, पर ये पुरुष हैं। उनके शरीर पर भोटा कपड़ा कालिदास वर्दाश्त कर सकते हैं। सुकुमार शरीर पर तो वे कालिदास के वर्दाश्त के बाहर हैं। यहाँ भी उन्होंने स्थिरों को भोटे लवादे में नहीं देखा।

अधोंशुक या परिधान, साड़ी का पूर्वरूप है। यह निवन्धीय वस्त्र नीचे की ओर पहना जाता था। उत्तरीय या ऊपर के दुकूल की अपेक्षा यह कदाचित् छोटा होता था। इसलिए इसे उपसंव्यान (अमर., 6-117) और उत्तरीय दुकूल को संव्यान कहते थे। 'संव्यान' अर्थात् आवरण और उपसंव्यान अर्थात् छोटा आवरण। उत्तरीयदुकूल को 'वृहतिका' (बड़ा आवरण) कहना भी इसी तथ्य की ओर इंगित करता है (अमर., 6-117)। इस अधोवस्त्र या परिधान को सूत्र से बांधते थे। शिवजी जब वर-वेश में नगर में पहुँचे तो स्थिरों में देखने की उत्सुकता बढ़ गयी थी। उतावली में एक के परिधान का सूत्र टूट गया, पर वह नीवी बांधे बिना ही दौड़ पड़ी ('प्रस्थानभिन्ना न वन्ध नीवीम्')। ठीक यही बात इसी प्रकार के प्रसंग में 'रघुवंश' में भी आयी है (रघु., 719)। नीवीबन्ध की चर्चा कालिदास आदि कवियों ने कई स्थलों पर की है। इससे स्पष्ट है कि अधोंशुक या परिधान बांधकर पहना जाता था।

एक और वस्त्र बांधकर पहना जाता था। कालिदास ने इसे कुर्पासक (चोली) कहा है (ऋतु., 413)। 'हारावली कोप' में कुर्पासिक को अद्वंचोली कहा है; पर 'अमरकोप' में यह चोली का ही पर्याय बन गया है। वधू के लिए अवगुण्ठन या धूंधट का होना आवश्यक है। ऐसे समय में एक प्रकार का प्रावरण (बड़ी चादर) का व्यवहार होता था जिससे सारा शरीर ढक जाय। 'शकुन्तला' में इसी प्रकार की ढकी वधू शकुन्तला का बर्णन है (513)। राजानक रूपक चोली को प्रक्षेप्य कहते हैं।

जिस प्रकार हेमरत्नालंकारों के चार भेद है, उसी प्रकार मात्यों के भी चार ही भेद है। पर मात्य ग्रथित और अग्रथित भेद से दो प्रकार होते हैं; इसलिए ये वस्तुतः आठ प्रकार के हो जाते हैं। राजानक रूप्यक ने पुष्पप्रसाधन के विविध रूपों के नाम इस प्रकार गिनाये हैं : (1) वैष्टित, जो अंगविशेष को धेर ले; (2) वितत, जो एक पाश्वं में ही विस्तारित हो; (3) संधाट्य, जो अनेक पुष्पों के समूह से खचित हो; (4) ग्रथमिता, जो बीच-बीच में विषम गाँठवाला हो; (5) अवलम्बित, जो विशेष भाव से स्पष्ट रूप में उभित अर्थात् एक साथ जुड़ा होकर भूल रहा हो; (6) मुक्तक, जो केवल एक पुष्प से बना हो; (7) मंजरी अर्थात् अनेक छोटे पुष्पों की लता; (8) स्तवक (पुष्पगुच्छ)। कालिदास पुष्प-मात्य के आभरणों का जमके वर्णन करते हैं। पार्वती पर्याप्त पुष्पस्तवक के भार से भुकी हुई संचारिणी लता के समान शिव के पास गयी थी। कवि ने वसन्त-पुष्पों के आभरण—जिसमें पद्मराग को निर्मद करनेवाला लाल-लाल अशोक-पुष्प, हेम की द्युति को आहरण करनेवाला पीला-पीला कणिकार और मोतियों की शोभा को उत्पन्न करनेवाला सिन्दुवार पुष्प भी था—की पृष्ठभूमि के लिए उदन्त सूर्य की आभावाले लाल-लाल अंशुक का सन्मिवेश किया है :

अशोकनिर्भृत्सितपद्मरागमाङ्गुष्ठहेमद्युतिकणिकारम् ।

मुक्ताकलापीकृतसिन्दुवारं वसन्त-पुष्पाभरणं वहन्तीम् ॥

आवर्जिता किञ्चिदिव स्तनाम्यां वासो वसाना तस्णार्करागम् ।

पर्याप्तपुष्पस्तवकावनश्चा संचारिणी पत्तविनी सतेव ॥

(कुमार., 3-53, 54)

उन्होंने सुन्दरियों के सिर पर पहनी जानेवाली कदम्ब, नवकंसर और वेतकी की (ऋतु., 219), तथा मालती पुष्प सहित मौलसिरी या मिले हुए अन्य नवीन पुष्पों के साथ जूही की कलियों की माला का भनोहर अलंकरण प्रसन्न किया या (ऋतु., 2125) और केवल वेला के प्रफुल्लित पुष्पों के गजरे को देगकर आहाद अनुभव किया या (ऋतु., 616)। यद्यपि मृणालमूर्त्रों की माला कालिदास को बहुत प्रिय है; शकुन्तला का चित्र राजा दुष्यन्त को तब तक अपूर्ण नगा या जय तक उन्होंने उसके कानों में गण्डस्थल तक झूलने योग्य केसरवाले शिरीय को नहीं पहनाया थीर वधास्थल के ऊपर झूलनेवाले मृणालमूर्त्रों का हार नहीं रख दिया :

कृतं न कर्णापितमण्डनं भस्ते शिरीपमागण्डविलम्बिकेनगम् ।

न वा शरच्चन्द्रमरीचिवोमनं मृणालमूर्त्रं रचितं स्तनान्तरे ॥

तथापि राजानक रूप्यक इन मृणालमूर्त्र की गणना मात्य में नहीं परते। माना में फूल अवश्य चाहिए !

## मण्डन-द्रव्य

कस्तूरी, कुमुम, चन्दन, कर्पूर, अगुरु, कुलक, 'दन्तसम, सहकार, तैल, ताम्बूल, अलवतक, अंजन, गोरोचना, कुशीर, हरिताल प्रभृति उपकरण मण्डन हैं। ये कालिदास को प्रिय हैं। इनमें कुछ की प्रकृति शीत है, कुछ की उष्ण, कुछ की सम। कुछ गर्मियों में काम आते हैं, कुछ सर्दियों में और कुछ सब ऋतुओं में।

स्नान करने के बाद ही मण्डन द्रव्यों का उपयोग होता है। स्नान के पूर्व अभ्यंग अर्थात् औपधि मिला तैल या थोवलों का कल्प आदि से शरीर में मालिश की जाती थी। कालिदास ने अभ्यंग क्रिया का उल्लेख 'शाकुन्तल' में किया है। पार्वती के विवाह में पहले लोध्र-कल्प से उत्सादन या उद्धर्तन (उवठन) किया गया था। पुराने ग्रन्थों में तैलाभ्यंग और उत्सादन के लिए अनेक स्वास्थ्यकर औपधियों की चर्चा आती है। चरक, मुश्वत, वृहत्संहिता आदि ग्रन्थों में स्वास्थ्य और सौन्दर्य बढ़ानेवाली औपधियों का भूरिंशः उल्लेख है, किन्तु कालिदास ने केवल इंगितमात्र कर दिया है। स्नान के जल को प्रस्तुत करने की विधियाँ भी शास्त्र में दी हुई हैं। कालिदास को उसकी जानकारी अवश्य थी, पर बहुत विस्तार से उन्होंने उसका कोई उल्लेख नहीं किया है। नदी या सरोवर में स्नान उन्हें अधिक प्रिय जान पड़ता है। 'कृताभियेक' पार्वती की कठिन तपस्या का हृदयग्राही चिव्रण करते समय ब्रह्मचारीवेश में शिव आकर जो आवश्यक वातों की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, उनमें एक यह भी है कि तुम्हारे स्नान के लिए पर्याप्त जल भिल जाता है कि नहीं—'जलान्यपि स्नान-विधिक्षमाणि ते।' विवाह के अवसर पर सोने के घडे से मंगल-स्नान की चर्चा है। परन्तु 'कृतुसंहार' में विलासियों के स्नान-कपाय-शिरोरुहों की चर्चा से अनुमान किया जा सकता है कि स्नान के जल में विसी प्रकार के सुगन्धित कपाय का प्रयोग होता था। एक और स्थान पर पाटलामोद-रम्य-मुख-सलिल-नियेक कहकर उन्होंने सुगन्धित जल से स्नान का उल्लेख किया है। जान पड़ता है कि माघ की भाँति 'स्वच्छाम्भःस्वपनविधीतमंग-यष्टि' होना, और श्रीहर्षदेव की भाँति 'प्रत्यग्रमञ्जनविशेष-विविक्तकान्ति' का भाव ही कालिदास को भी रुचिकर था। स्नान के उपरान्त अंगराग (अरगजा), जिसमें कस्तूरी, चन्दन, आदि सुगन्धियों का समावेश है, कालिदास को अधिक आकर्षक जान पड़ते हैं। मतलब में मतलब है! कालिदास ग्रीष्मऋतु में चन्दन की खूब चर्चा करते हैं। विसे हुए 'चन्दनपंक' की शीतलता भारतवर्ष में दीर्घकाल से समादृत है, उमे पयोधर-देश पर चर्चित करने की चर्चा भी वरावर मिलती है। कालिदास इसका कई प्रकार से उल्लेख करते हैं। 'पयोधराश्चदनपक्चर्चिता' में ग्रीष्मऋतु का विलास है। चन्दन के पानी से भिगोये हुए ताल-ब्यजन के धायु से भी ग्रीष्म-ताप निवारण की विधि है। किन्तु विरह की उष्णता के शामक रूप में भी उन्होंने इसका स्मरण किया है। वर्षाऋतु में कालागुरु अधिक भावा में गिरा-

कर चन्दन के साथ लेप करने की वात कही गयी है।

जैसे-जैसे सर्दी बढ़ती जाती है और गर्मी कम होती जाती है, वैमे-वैसे काला-गुह और कस्तूरी का प्रयोग भी बढ़ता जाता है। हेमन्त में शरीर कालीयक से अधिक चर्चित किया जाता था (ऋतु., 415)। कालागुह धूप-धूम का मान बढ़ जाता था। कालीयक के अनुलेपन की धूम मच जाती थी। इस ऋतु में पयोधर कुकुम-राग-पिंजर होने लगते हैं, अगुह-सुरभि-धूम से केश-पाण आमोदित करने की प्रक्रिया बढ़ जाती है। और फिर जब वसन्तकाल में सर्दी और गर्मी का धूप-धौही मौसम आ जाता है तो प्रियंगु-कालीयक-कुकुम के पत्र-लेखों के साथ मृग-नाभि या कस्तूरी मिले हुए चन्दन और फिर केवल सित चन्दन से आद्र हार वक्ष-देश को मण्डित करने लगते हैं। इस प्रकार स्नानोपरान्त विविध सौगन्धिक मण्डनों का विधान कालिदास ने किया है। अंगराग और अनुलेपन का शब्दशः उल्लेख कई बार आया है। भारतवर्ष का सहृदय न जाने कब से गन्ध-माल्य का महत्त्व स्वीकार करता आया है। चरक ने कहा है (सु. अ., 5-96) कि गन्ध-माल्य का सेवन बल-वर्द्धक है, आयु बढ़ानेवाला है, पुष्टि-बल-प्रद है, चित्तप्रसन्न रखने-वाला है, दारिद्र्य को नष्ट करनेवाला है और काम्य तो है ही :

वृप्यं सौभाग्यमायुप्यं काम्यं पुष्टिबलप्रदम् ।

सौमनस्यमलक्ष्मीचर्चं गन्धमाल्यनियेवणम् ॥

गृहस्थ को और चाहिए क्या !

## योजनामय अलंकार

भू-घटना, केशरचना, जूडा बाँधना, सीमन्त-रचना इत्यादि योजनामय अलंकार हैं। कालिदास के युग में पुरुषों के भी लम्बे-लम्बे केश रखे जाते थे। दिलीप जब बन गये थे तो उनके केश लताओं की छोटी-छोटी टहनियों से गुंथ गये थे। लोग—विशेषकर चच्चों के—बड़े-बड़े केशों का ऐसा संस्कार करते थे, जो कोई की पाँख की तरह मुड़े दिखते थे। उसे काक-पक्ष कहते थे। पुरुषों में इमश्रु (दाढ़ी) रखने की प्रथा केवल तपस्वियों में थी, जो बिना संस्कार के कभी-कभी भाड़ू की तरह बड़ी और अस्त-व्यस्त हो जाती थी। परन्तु कालिदास ने अधिक रुचि के साथ सीमन्तनियों के केशों की चर्चा की है। ये लम्बे केश धूप-धूम से सुगन्धित किये जाते थे। उज्जयिनी की मुन्दरिकों के केशों को सुगन्धित करने में इतना धुआं होता था कि विरही यक्ष ने मेघ को इस धुएं से मोटे हो जाने का प्रलोभन दिया

था। कपड़े भी सुगन्धि के लिए कालागुरु के धुएं से धूपित किये जाते थे। केशों का धन विकृतिवत होना सौभाग्य का लक्षण माना जाता था। प्राचीन ग्रन्थों में केशों को कुत्रित करने की विधियाँ भी बतायी गयी हैं। कालिदास नितान्त धुंधराली लटों में मालतीमाला की शोभा से नितान्त उल्लसित होते हैं। शिशिर और हेमन्त में स्त्रियाँ कालागुरु के धूम से विशेष रूप से केशों को धूपित करती थीं (ऋतु., 415)। शीतकाल में फूल की माला केश-पाण से हट जाती थी, और उन्हे सुगन्धित और कुत्रित करने की प्रक्रिया चल पड़ती थी (ऋतु., 215)। सुगन्धित केशों को सलीके से दो हिस्सों में विभक्त करके सीमन्त-रचना की जाती थी। कालिदास तो सुन्दरियों को 'सीमन्तिनी' कहना अधिक पसन्द करते हैं। सीमन्त में कुसुम-स्वच्छ सिन्दूर धारण करना तो सौभाग्य का लक्षण ही था, किन्तु सीमन्त पर कदम्ब-पुष्प को धारण करना सुरुचि का चिह्न समझा जाता था। सजाने के लिए अन्य पुष्प और आभरण भी काम में लाये जाते थे।

सुसस्कृत केशों को अनेक प्रकार से बांधकर धम्मिलत या जूड़ा बांधा जाता था। कालिदास ने इसकी बहुत अधिक चर्चा नहीं की है। उन्हे लहराते हुए केश या गुंधी हुई चोटी अधिक आकर्षक लगे हैं। अलक-राजि को गूंथकर पीठ पर लहराना 'प्रसिद्धी' कहलाता है। पावर्ती 'मंगल-स्नान-विशुद्धगात्री' हुई तो स्त्रियों ने पहले-पहल धूप-धूम से उनके केशों को सुखाया, फिर लहराते हुए केशों की फुगनी में पुष्पों का ग्रथन किया, फिर पीले-पीले मढ़ए की माला उसमें बांध दी। इस प्रकार प्रसिद्ध अलकों की शोभा न तो भोरा-उलझे पत्र-पुष्प में मिलती है, न समेघलेखा चन्द्र-कला में (कु., 716)। विरहावस्था में संस्कारों की उपेक्षा से केश एकवेणी हो जाते थे। यक्ष-प्रिया के इन उपेक्षित केशों को कालिदास ने बड़ी ही करण भाषा में चिनित किया है।

'भूपटना' की प्रथा केवल नगर की विलासिनियों में प्रचलित थी। जानपद वधुएं 'भूविलासानभिज्ञ' हुआ करती थीं। कालिदास सुभ्रुओं से बहुत अधिक परिचित जान पड़ते हैं। भूमग का उन्होंने जमके वर्णन किया है, मुन्दर बने हुए भ्रुओं के धेष में ही अपाग-बीक्षण की कुटिलता आती है (भूधीपजिहानि च बीक्षितानि 6-13)। मेघदूत में कहा है कि मंगाजी पावर्ती की भ्रुटी-रचना की, फेन रूपी हास से, उपेक्षा करती थी।

## प्रकीर्ण-अलंकार

प्रकीर्ण अलंकार दो प्रकार के होते हैं : (1) जन्य, (2) निवेश्य । श्रम-जल, मदिरा-मद आदि जन्य हैं । दोनों का कालिदास ने जमकर प्रयोग किया है । श्रीप्तम-काल में भी 'प्रियामुखोच्छ्वासविकम्पितं मधु' को नहीं भूलते । वर्षा में भी 'ससीधु' बदनों का स्मरण करते हैं । सदियों में भी उसके आनन्द से अभिभूत होते हैं, और वसन्त का तो कहना ही क्या ? इसमें मदिरालस नेत्र (ऋ., 6-12), मदिरालस वाक्य (ऋ., 6-13), मधूमुखी मुख (ऋ., 36), निशिसीधुपानं (ऋ., 6-35) इनके सधे हुए प्रयोग हैं । जिन चरित्रों को उन्होंने आदर्श रूप में चित्रित किया है, वहाँ इसे धूसमें की आज्ञा नहीं है । वहाँ यौवन ही मद का साधन होता है, मदिरा नहीं—'अनास-वाह्यं करणं मदस्य' । और कम-से-कम एक जगह उन्हें स्पष्ट रूप से पर्याप्तियों और उदादमयीवन नागरों का सेव्य कहकर इसके प्रति अनास्था भी प्रकट की है ।

निवेश्य अलंकार तो दूर्वा, अशोक, पल्लव, यवाकुर, तमाल-दल, मृणाल-वलय, करकीड़नक आदि हैं । कालिदास के ग्रन्थों में इनका बहुत हृदयग्राही वर्णन है । सच पूछा जाय तो कालिदास को ये प्राकृतिक सुकुमार प्रसाधन जितने शुचिकर है उनने हेमालकार, रत्नाभरण भी नहीं । अलका में कल्पवृक्ष जिन समस्त अवलावभड़नों को अकेले ही उत्पन्न करता रहता है उनमें निम्नाकित वस्तुएँ हैं : अनेक रंगों के वस्त्र (चित्र वस्त्र), मधु या मदिरा, पुष्प, किसलय, अनेक प्रकार के आभूषण, लाक्षारस या महावर । अलका की विलासिनियाँ हाथ में नीला कमल, वेश में नये कुन्द के फूल, चूड़ा-पाश में ताजे कुरबक के पुष्प, कपोलदेश पर लोध फूलों का पराग (पाउडर के स्थान पर), कानों में शिरीप-पुष्प और सीमन्त में कदम्बपुष्पों को धारण करती थीं । सब प्रकार से सुन्दरियों का प्रेम जब अपनी चरम-सीमा पर होता था, उस अभिसार-रात्रि में भी अस्तकों में मन्दार-पुष्पों को पहनना नहीं भूलती थी, कान में कनक-कमलों का पत्रच्छेद्य अवश्य धारण करती थी । विदिशा की फूल चुम्नेवाली पुष्पलावियाँ भी कान में कमल का कर्णफूल धारण करती थी । भवानी कानों में कुवलयदल धारण करने की ही अस्यस्ता है, पर पुत्रप्रेम से वे कभी-कभी मयूर-पुच्छ भी धारण करती हैं । शकुन्तला के कानों में आगण्ड-विलम्ब शिरीप-पुष्प लटक रहा था, और सदा वथा-स्वल पर मृणालवलय झूलता रहता था । पार्वती के जूँड़े में जो मधूक की भाला पहनायी गयी थी उसमें दूर्वा भी थी—'दूर्वालितापाण्डुमधूकदामा' (कु., 7-14), उनके कपोल लोधरापाय पा लोध्र के पराग से स्था बने हुए थे, जिस पर कानों में पहना हुआ यवप्ररोह (यवाङ्कुर) शोभित हो रहा । स्वयं रति देवी के कानों में भी नील कमल के गहने शोभा देते थे । ककुभ द्रुप की मंजरियाँ वर्णात्मा में कर्णवितंस का काम करती थीं । या किर कदम्ब का पुष्प कर्णफूल के लिए उपयुक्त माना जाता था । वेदा-पाश में पुष्पों के अयतंस 'आभूषण' मनोहरता ।

चार-चाँद लगाया करते थे । शरत् काल में नितान्त घननील विकुचिताप्र केशों में नव-मालती की माला धारण की जाती थी और कानों में नीलोत्पल । वसन्तकाल में मनोहर कुसुम वक्ष-स्थल में हार की जगह विराजमान होते थे । कानों में नवीन कर्णिकार का पुष्प और चंचल नील अलको में अशोकपुष्प लटका करते थे । अशोक के नवीन पुष्प ही उन्हें प्रेमोद्दीपक नहीं जान पड़ते थे, प्रिया के कानों में अपित होने पर उसके किसलय भी मादक सिद्ध होते थे :

कुसुममेव न केवलमार्त्तं नवमशोकतरोः स्मरदीपनम् ।  
किसलयप्रसवोऽपि विलासिनां मदयिता दयिताश्ववणापितम् ॥

(रघु., 9-28)

और प्रभात-कालीन धूप के रंग को मात करनेवाली महीन साड़ी के साथ यवाड़कुर कानों में आभूषण का आसन ग्रहण करता था, और फिर कजरारे को किल भी कूक उठते थे । फिर तो संसार का निशेष रस एकमात्र सुन्दरियों पर ही केन्द्रित हो उठता था :

अरुणरागनिषेधिभिरंशुकैः श्रवणलब्धपदैश्च यवाड़कुरैः ।  
परभूताविरुद्धतैश्च विलासिनः स्मरवलैरबलैकरसाः कृता ॥

(रघु., 9-43)

सही तो कालिदास के मत से, यह है कि दहकते हुए अंगार के समान वासन्ती पुष्पों को कनकाभरण का प्रतिनिधि ही समझना चाहिए । अगर युवतियाँ कनकाभरण को छोड़कर इन पुष्पों का प्रसाधन रूप में उपयोग करती हैं तो यह उचित ही है । कालिदास ने इन प्रसाधनों को पवित्र और मंगलकारक माना है । 'विकम्भेवंशीय' (3-12) में द्रवत करनेवाली रानी के केशों में पवित्र दूर्वाड़कुर शोभित हो रहा था । सफेद साड़ी और मंगलमात्र भूषण की पृष्ठभूमि में दूर्वाड़कुर की महनीयता कालिदास ही बता सकते थे !

सितामुका मंगलमात्रभूषणा पवित्रदूर्वाड़कुरलक्षितालका ।

कहाँ तक कहा जाय, कालिदास प्राकृतिक प्रसाधनों के बहुत बड़े धनी है । शकुन्तला प्रिय-मण्डना थीं, परन्तु आथ मवृक्षों के प्रति स्नेहाधिक्य के कारण उनके पल्लवों को तोड़ने में संकोच अनुभव करती थीं । मण्डन द्रव्यों से अनेक प्रकार के पत्रलेख बनाने की बात कालिदास में मिलती है । कोश में कई प्रकार के पत्रलेखों की चर्चा है : पत्रलेख, पत्रागुली, तमालपत्र, तिलक, चित्रक, वैशिष्पिक । अन्यथ मकरिका और नवमंजरी आदि की चर्चा मिलती है । जान पड़ता है, शुह-शुरू में पत्रों को काटकर अनेक प्रकार की चित्र-विचित्र आकृति बनती थी, जिससे बाद में उन्हें मण्डन द्रव्यों में गिना जाने लगा । कुरवक के पीले-धीले पुष्पों पर काली भ्रमर-राजि को देखकर कालिदास को पत्र-विशेषको का स्मरण हो आता है । जब पांवंतीजी के गोरे शरीर पर शुक्ल अमृत का विलेपन करके गोरोचना से पत्रलेख लिखा गया, तो शोभा, गंगा के संकर-पुलिन पर चत्रवाकों के धीटने से बनी कान्ति को भी मात दे गयी ।

इन स्पष्ट और अलंकारों के समवाय का नाम वेश है। स्त्रियों के समूचे वेश की मफलता इस बात में है कि प्रिय उन्हें देखे और देखकर प्रसन्न हो जाय। इसीलिए कालिदास ने कहा, 'स्त्रीणा प्रियालोकफलो हि वेशः ।'

कालिदास ने इन सुगन्धित द्रव्यों के उद्गम और आयात का स्थान भी कभी-कभी दशारे से बता दिया है। कस्तूरी या मृगनार्भ हिमालय से, कुंकुम-के-सर वाह्नीक (वनस्पति) में, कालागुरु प्रामण्योत्तिप (असम) से, लोधि हिमालय से, चन्दन मलयगिरि में, ताम्बूल-दल कलिंग से, सालद्रुम और देवदारद्रुम हिमालय से, ऐसे कावेरीतट से, पुन्नाग के-रेल ने प्राप्त होता था।

कालिदास ने ताम्बूल, विनेपन और माला धारण करने की बात लिखी अवश्य है; पर ताम्बूल पर उनका अधिक ध्यान नहीं है। लाक्षारस या अलबतक को वे अधिक उत्तम अलबरण के स्पष्ट में निश्चित करते हैं। मच पूछिए तो कालिदास ने लाक्षारस को प्रमुख प्रसाधनद्रव्य के स्पष्ट में इतनी प्रकार से और इतनी बार चिह्नित किया है कि सन्देह होता है कि कहीं अधर यी रगाई के लिए भी वे इसी का उपयोग तो नहीं बताते। वस्त्रों को तो वे लाक्षा-रस-रजिन कह ही चुके हैं (ऋतु., 6)। वात्स्यायन के 'कामसूत्र' में अधरों को रंगने के लिए अलबतक और भोम (सिक्य) का जो प्रयोग है, वह शायद उन्हें भी रुचता था। अस्तु, गन्ध-मुक्ति की विद्या इस देश में बहुत पुरानी है। कालिदास के पूर्व से ही इसका प्रयोग चला आता है। उत्सादन, अनुलेपन, अगराग, केश और वस्त्रों का सुगन्धिकरण और ताम्बूल में अनेक प्रकार की सुगन्धित वस्तुओं के योग से निःश्वास को सुगन्धित बनाना कलाओं में गिना जाता था। 'ललित-विस्तर' में जिन कलाओं की चर्चा है, उनमें भी इनकी गणना है। भगवान् बुद्ध के युग में यह बात इतनी प्रचलित थी कि भिक्षु और भिक्षुणियों तक मेरे इनका बहुत प्रबंध था।

## स्त्री ही ससार का श्रेष्ठ रत्न है

भूपणों का विद्यान नाना भाव से शास्त्रों में दिया हुआ है। 'अभितापिनाम (चाला-मणि' में माल्यभोग और भूपणभोग नामक अध्यायों में (प्र. 3, अ. 7-8) भास्ति-भास्ति के माल्यों और भूपणों का विद्यान किया गया है, परन्तु वराहमिहिरी गायत्र से

वयाया है कि वस्तुतः स्त्रियाँ भी भूषणों को भूषित करती हैं, भूषण उन्हें भूषित नहीं कर सकते ।

रत्नानि विभूषयन्ति योपा भूष्यन्ते वनिता न रत्नकान्त्या ।

चेतो वनिता हरन्त्यरत्ना नो रत्नानि विनांगनांगसंगात् ॥

(वृ. सं., 74 । 2)

वराहमिहिर ने दृढ़ता के साथ कहा है कि 'ब्रह्मा ने स्त्री के सिवा ऐसा दूसरा बहु-मूल्य रत्न संसार में नहीं बनाया है जो शुत, दृष्ट, स्पृष्ट और स्मृत होते ही आह्लाद उत्पन्न कर सके । स्त्री के कारण ही घर में अर्थ है, धर्म है, पुत्रसुख है । इसलिए उन लोगों को सदैव स्त्री का सम्मान करना चाहिए जिनके लिए मान ही धन है । जो लोग वैराग्य का भान करके स्त्री की निन्दा कियाकरते हैं, इन गृहलक्षियों के गुणों को भूल जाया करते हैं, मेरे मन का वितर्क यह है कि वे लोग दुर्जन हैं और उनकी बातें मुझे सद्ग्राव-प्रसूत नहीं जान पड़ती । सच बताइए, स्त्रियों में ऐसे कौन दोष हैं जो पुरुषों में नहीं है ? पुरुषों की यह ढिठाई है कि उन्होंने उनकी निन्दा की है । मनु ने भी कहा है कि वे पुरुषों की अपेक्षा अधिक गुणवती है ।'...स्त्री के रूप में ही या माता के रूप में, स्त्रियाँ ही पुरुषों के सुख का कारण हैं । वे लोग कृतघ्न हैं जो उनकी निन्दा करते हैं । दाम्पत्यगत व्रत के अतिक्रमण करने में पुरुषों को भी दोष होता है और स्त्री को भी, परन्तु स्त्रियाँ उस व्रत का जिस संयम और निष्ठा के साथ पालन करती हैं, पुरुष वैसा नहीं करते ! आश्चर्य है इन असाधु पुरुषों का बाचरण, जो सत्यव्रता स्त्रियों की निन्दा करते हुए 'उलटे चोर कोतवाले डाँटे' की लोकोवित को चरितार्थ करते हैं ।"

अहो धार्ष्यमसाधूनां निन्दतामनधाः स्त्रियः ।

मुञ्चतामिव चौराणां तिष्ठ चौरेति जल्पताम् ॥

(वृ. सं., 74 । 15)

वराहमिहिर की इस महत्त्वपूर्ण घोषणा से प्राचीन भारत के सद्गृहस्यों का मनोभाव प्रकट होता है । इस देश में हित्रियों का सम्मान वरावर बहुत उत्तम कोटि था रहा है; क्योंकि जैसा कि शक्ति-संगम तन्त्र के 'तारावण्ड' में शिवजी ने कहा है कि नारी ही श्रेष्ठोवय की माता है, वही श्रेष्ठोवय का प्रत्यक्ष विग्रह है । नारी ही प्रिभूयन का आधार है और वही शक्ति की देह है :

नारी श्रेष्ठोवयजननी नारी श्रेष्ठोवयहृषिणी ।

नारी प्रिभूवनाधारा नारी देहस्वरूपिणी ।

(13-44)

शिवजी ने आगे चलकर बताया है कि नारी के समान न सुख है, न गति है, न भाष्य है, न राज्य है, न तीर्थ है, न योग है, न जप है, न मन्त्र और न धन है । वही इन समार की सर्वाधिक पूजनीय देवता है; क्योंकि वह पायंती का रूप है । उसके समान न कभी कुछ था, न ही है और न होगा :

न च नारीसमं सौख्यं न च नारीसमा गतिः ।  
 न नारीसदृशं भाग्यं न भूतं न भविष्यति ॥  
 न नारीसदृशं राज्यं न नारी सदृशं तपः ।  
 न नारीसदृशं तीर्थं न भूतं न भविष्यति ॥  
 न नारीसदृशो 'योगो न नारीसदृशो जपः ॥  
 न नारीसदृशो योगो न भूत न भविष्यति ॥  
 न नारीसदृशो मन्त्रः न नारीसदृशं तपः ।  
 न नारीसदृशं वित्तं न भूतो न भविष्यति ॥

(13-46-48)

इसीलिए भारतवर्ष की मुकुमार साधना का सर्वोत्तम, अन्त.पुर को केन्द्र करके प्रकाशित हुआ था । वही से भारतवर्ष का समस्त माधुर्य और समस्त मृदुत्व उद्भासित हुआ है ।

## उत्सव और प्रेक्षागृह

प्राचीन भारतीय नागरिक नाच, गान्ध और उत्सवो का आनन्द जमकार लिया करते थे । यह तो नहीं कहा जा सकता कि उन दिनों पेशेवर नर्तकों का अभिनयगृह किसी निश्चित स्थान पर होता था या नहीं, क्योंकि प्राचीन ग्रन्थों में इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता । पर इतना निश्चित है कि राज्य की ओर से पहाड़ों की गुफाओं में दुमंजिले प्रेक्षागृह बनाये जाते थे और निश्चित तिथियों या अवसरों पर उनमें नाच, गान और नाटकाभिनय भी होते थे । छोटानागपुर के रामगढ़ की पहाड़ी पर एक ऐसे ही प्रेक्षागृह का भग्नावशेष आविष्कृत हुआ है । किर खास-खास मन्दिरों में भी धार्मिक उत्सवों के अवसर पर नाच-गान की व्यवस्था रहा करती थी । शादी-ब्याह, पुत्र-जन्म या अन्य आनन्दव्यंजक अवसरों पर नागरिक लोग रंगशाला और नाचघर बनवा लेते थे । 'नाट्यशास्त्र' में स्थायी रंगशालाओं की भी चर्चा है । राजभवन के भीतर तो निश्चित रूप से रंगशालाएँ हुआ करती थी । प्रायः ही संस्कृत नाटिकाओं में अन्त.पुर के भीतर अन्त.पुरिकाओं के विनोद के लिए नृत्य-गान-अभिनय आदि का उल्लेख पाया जाता है । 'नाट्यशास्त्र' में ऐसे प्रेक्षागृहों का माप भी दिया हुआ है । साधारणतः ये तीन प्रकार के होते थे । जो बहुत बड़े होते थे, वे देवों के प्रेक्षागृह कहलाते थे और 108 हाथ लम्बे होते थे । जो दूसरे 64 हाथ लम्बे वर्गाकार होते थे और तीसरे त्रिभुजाकार होते थे, जिनकी

वयाया है कि वस्तुतः स्त्रियाँ भी भूपणों को भूषित करती हैं, भूपण उन्हें भूषित नहीं कर सकते :

रत्नानि विभूपयन्ति योपा भूव्यन्ते वनिता न रत्नकान्त्या ।

चेतो वनिता हरन्त्यरत्ना नो रत्नानि विनांगनांगसंगात् ॥

(वृ. सं., 74 । 2)

बराहमिहिर ने दृढ़ना के साथ कहा है कि 'ब्रह्मा ने स्त्री के सिवा ऐसा दूसरा बहु-मूल्य रत्न ससार में नहीं बनाया है जो श्रुत, दृष्ट, स्पृष्ट और स्मृत होते ही आह्लाद उत्पन्न कर सके । स्त्री के कारण ही घर में अर्थ है, धर्म है, पुत्रसुख है । इसलिए उन लोगों को सदैव स्त्री का सम्मान करना चाहिए जिनके लिए मान ही धन है । जो लोग वैराग्य का भान करके स्त्री की निन्दा कियाकरते हैं, इन गृहलक्षणों के गुणों को भूल जाया करते हैं, मेरे मन का वितर्क यह है कि वे लोग दुर्जन हैं और उनकी वातें मुझे सञ्चाव-प्रसूत नहीं जान पड़तीं । सच बताइए, स्त्रियाँ में ऐसे कौन दोष हैं जो पुरुषों में नहीं हैं ? पुरुषों की यह ढिठाई है कि उन्होंने उनकी निन्दा की है । मनु ने भी कहा है कि वे पुरुषों की अपेक्षा अधिक गुणवती हैं ।... स्त्री के रूप में ही या माता के रूप में, स्त्रियाँ ही पुरुषों के सुख का कारण है । वे लोग कृतज्ञ हैं जो उनकी निन्दा करते हैं । दाम्पत्यगत व्रत के अतिक्रमण करने में पुरुषों को भी दोष होता है और स्त्री को भी, परन्तु स्त्रियाँ उस व्रत का जिस संयम और निष्ठा के साथ पालन करती हैं, पुरुष वैसा नहीं करते ! आश्चर्य है इन असाधु पुरुषों का आचरण, जो सत्यव्रता स्त्रियों की निन्दा करते हुए 'उलटे चोर कोतवाले डॉटे' की लोकोक्ति को चरितार्थ करते हैं ।'

अहो धाप्त्यर्थमसाधूनां निन्दतामनधाः स्त्रियः ।

मुचतामिव चौराणां तिष्ठ चौरेति जल्पताम् ॥

(वृ. सं., 74 । 15)

बराहमिहिर की इस महत्वपूर्ण धोपणा से प्राचीन भारत के सद्गृहस्थों का मनोभाव प्रकट होता है । इस देश में स्त्रियों का सम्मान बराबर बहुत उत्तम कोटि का रहा है; क्योंकि जैसा कि शक्ति-संगम तन्त्र के 'ताराखण्ड' में शिवजी ने कहा है कि नारी ही ब्रैलोक्य की माता है, वही ब्रैलोक्य का प्रत्यक्ष विग्रह है । नारी ही विभूतवत का आधार है और वही शक्ति की देह है :

नारी ब्रैलोक्यजननी नारी ब्रैलोक्यरूपिणी ।

नारी त्रिभुवनाधारा नारी देहस्वरूपिणी ।

(13-44)

शिवजी ने आगे चलकर बताया है कि नारी के समान न सुख है, न गति है, न भाग्य है, न राज्य है, न तीर्थ है, न योग है, न जप है, न मन्त्र और न धन है । वही इस ससार की सर्वाधिक पूजनीय देवता है; क्योंकि वह पार्वती का रूप है । उसके समान न कभी कुछ था, न ही है और न होगा :

न च नारीसमं गौर्यं न च नारीसमा गतिः ।  
 न नारीसदूशं भाग्यं न भूतं न भविष्यति ॥  
 न नारीसदूशं राज्यं न नारी सदूशं तपः ।  
 न नारीसदूशं तीर्थं न भूतं न भविष्यति ॥  
 न नारीमदूशो योगो न नारीसदूशो जपः ॥  
 न नारीसदूशो योगो न भूत न भविष्यति ॥  
 न नारीमदूशो मन्त्रः न नारीमदूश तपः ।  
 न नारीमदूशं वित्त न भूतो न भविष्यति ॥

(13-46-48)

इसीलिए भारतवर्ष की सुकुमार साधना का सर्वोत्तम, अन्तःपुर को केन्द्र करके प्रकाशित हुआ था । वही से भारतवर्ष का समस्त माधुर्य और समस्त मृदुत्व उद्भासित हुआ है ।

## उत्सव और प्रेक्षागृह

प्राचीन भारतीय नागरिक नाच, गान और उत्सवो का आनन्द जमकर लिया करते थे । यह तो नहीं कहा जा सकता कि उन दिनों पेशेवर नर्तकों का अभिनयगृह किसी निश्चित स्थान पर होता था या नहीं, क्योंकि प्राचीन ग्रन्थों में इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता । पर इतना निश्चित है कि राज्य की ओर से पहाड़ों की गुफाओं में दुमंजिले प्रेक्षागृह बनाये जाते थे और निश्चित तिथियों या अवसरों पर उनमें नाच, गान और नाटकाभिनय भी होते थे । छोटानागपुर के रामगढ़ की पहाड़ी पर एक ऐसे ही प्रेक्षागृह का भग्नावशेष आविष्कृत हुआ है । फिर खास-खास मन्दिरों में भी धार्मिक उत्सवों के अवसर पर नाच-गान की व्यवस्था रहा करती थी । शादी-ब्याह, पुत्र-जन्म या अन्य आनन्दव्यंजक अवसरों पर नागरिक लोग रंगशाला और नाचघर बनवा लेते थे । ‘नाट्यशास्त्र’ में स्थायी रंगशालाओं की भी चर्चा है । राजभवन के भीतर तो निश्चित रूप से रंगशालाएँ हुआ करती थी । प्रायः ही संस्कृत नाटिकाओं में अन्तःपुर के भीतर अन्तःपुरिकाओं के विनोद के लिए नृत्य-गान-अभिनय आदि का उल्लेख पाया जाता है । ‘नाट्यशास्त्र’ में ऐसे प्रेक्षागृहों का माप भी दिया हुआ है । साधारणतः ये तीन प्रकार के होते थे । जो बहुत बड़े होते थे, वे देवों के प्रेक्षागृह कहलाते थे और 108 हाथ लम्बे होते थे । दूसरे 64 हाथ लम्बे वर्गाकार होते थे और तीसरे त्रिभुजाकार होते थे, जिनकी

तीनों भुजाएँ बत्तीस-बत्तीस हाथों की होती थीं। दूसरे तरह के प्रेक्षागृह राजा के कहे जाते थे। ये ही साधारणतः अधिक प्रचलित थे। ऐसा जान पड़ता है कि राजा लोग और अत्यधिक समृद्धिशाली लोगों के गृहों में तो इस प्रकार की रंगशालाएँ स्थायी हुआ करती थी। 'प्रतिमा' नाटक के आरम्भ में ही नेपथ्यशाला की बात आयी है। राम के अन्तःपुर में एक नेपथ्यशाला थी, जहाँ रंगभूमि के लिए वल्कलादि सामग्री रखी जाती थी। पर साधारण नागरिक यथाभवतर तीसरे प्रकार की अस्थायी शालाएँ बनवा लेते थे। ऐसी शालाओं के बनवाने में बड़ी सावधानी बरती जाती थी। सम, स्थिर और कठिन भूमि, काली या गोर वर्ण की मिट्टी शुभ समझी जाती थी। भूमि को पहले हल से जोतते थे। उसमें की अस्थि, कील, कपाल, सूर्ण-गुलम आदि को साफ करते थे और तब प्रेक्षाशाला के लिए भूमि मापी जाती थी। माप का कार्य काफी सावधानी का समझा जाता था, क्योंकि मापते समय सूत्र का टूट जाना बहुत बड़ा अमगल का कारण माना जाता था। सूत्र कपास, बेर, वल्कल और मूज में से किसी एक का होता था। यह विश्वास किया जाता था कि आधे में से सूत्र टूट जाय तो स्वामी की मृत्यु होती है, चौथाई से टूटे तो प्रयोक्ता का नाश होता है, हाथभर पर से टूट जाय तो कुछ घट जाता है। सो, रज्जुग्रहण का कार्य अत्यन्त सावधानी से किया जाता था। यह तो कहना ही बेकार है कि तिथी, नक्षत्र आदि की शुद्धि पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता था। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता था कि कापाय-वस्त्रधारी, हीनवंशु और विकलांग लोग मण्डप-स्थापना के समय दिल्लकर अशुभ न उत्पन्न कर दें। खम्भों के स्थापन में भी इसी प्रकार की सावधानी बरती जाती थी। खम्भा हिल गया, खिसक गया, कांप गया तो नाना प्रकार का उपद्रव होना समझव माना जाता था। वस्तुतः रगगृह के निर्माण की प्रत्येक क्रिया शुभाशुभ फलदायिनी मानी जाती थी। पद-पद पर पूजा, बलि, मन्त्रपाठ और व्राह्मण-भोजन की आवश्यकता समझी जाती थी। भित्तिकर्म, चूता पोतना, चित्र बनाना, खम्भा गाढ़ना, भूमि समान करना आदि क्रियाओं में भावाजोखी का डर रहता था ('नाट्यशास्त्र' १)। इस प्रकार प्रेक्षाशालाओं का निर्माण अत्यन्त महत्वपूर्ण भाना जाता था।

राजाओं की विजय-नाम्राओं के पड़ाव पर भी अस्थायी रंगशालाएँ बना ली जाती थी। इन शालाओं के दो हिस्से हुआ करते थे। एक तो जहाँ अभिनय हुआ करता था, वह स्थान और दूसरा दांड़कों का स्थान जिसमें भिन्न-भिन्न थेणी के लिए उनकी मर्यादा के अनुसार स्थान नियत हुआ करते थे। जहाँ अभिनय होता था, उसे रंगभूमि (या संक्षेप में 'रंग') कहा करते थे। इस रंगभूमि के पीछे तिर-स्करणी या पर्दा लगा दिया जाता था। पर्दे के पीछे के स्थान को नेपथ्य कहा करते थे। यही से संजघटकर अभिनेतागण रंगभूमि में उतरते थे। 'नेपथ्य' शब्द (नि-पथ्-य) में 'नि' उपसर्ग को देखकर कुछ पण्डितों ने अनुमान किया है कि 'नेपथ्य' का धरातल रंगभूमि की अपेक्षा नीचा हुआ करता था, पर वस्तुतः यह उलटी

बात है। असल में नेपथ्य पर से अभिनेता रंगभूमि में उतरा करते थे। सर्वत्र इस क्रिया के लिए 'रगावतार' (रंगभूमि में उतरना) शब्द ही व्यवहृत होता है।

## गुफाएँ और मन्दिर

भारतीय तक्षण-शिल्प के चार प्रधान अंग हैं : गुफा, मन्दिर, स्तम्भ और प्रतिमा। प्रथम दो का सम्बन्ध नाटकीय अभिनयों के साथ भी पाया गया है। इस देश में पहाड़ों को काटकर गुफा-निर्माण की प्रथा बहुत पुरानी है। गुफाएँ दो जाति की हैं : चैत्य और विहार। चैत्य के भीतर एक स्तूप होता है और जनसमाज के सम्मिलित होने के लिए लम्बा-चौड़ा हाल बनाया जाता है। इस प्रकार की नुचियों में कार्ली की गुफा श्रेष्ठ है। विहार बीढ़-भिक्षुओं के मठ को कहते हैं। नारद में अजन्ता, एलोरा, कार्ली, भाजा, भिलसा, आदि के विहार मंसार के गिरजाघरों की प्रचुर प्रशंसा प्राप्त कर सके हैं। हमने पहले ही बताया है कि एक नुचा ने एक प्रेक्षागृह या रंगशाला का भग्नावशीय पाया जा सका है। मन्दिरों के नुचाएँ रंग-शालाएँ भी पायी गयी हैं। जिस देवता का मन्दिर हुक्का करना या, उसकी लीलाओं का अभिनय हुआ करता था और भक्त लोग उन्हें देवदण्ड मरकर छोड़ते हैं। द्राव्यग मन्दिर में 'गर्भगृह' में मूर्त्ति स्थापित होती है और उसे देवदण्ड दबाकर आदा है। जैन मन्दिर में कभी-कभी दो मण्डप होते हैं द्वीप-लूट द्वीप-द्वीप। इन मन्दिरों के गर्भगृह में परमशिखर होता है। शिखर के ऊपर उड़ने वाले लूट प्रदाता का दड़ा औंचलानुमा चक या गोला होता है जिसे 'उन्नरद' (= उड़दा) कहते हैं। उन्नर आमलक के ऊपर कलश होता है और उन्हें छान-छान करता है। मन्दिरों के गर्भगृह के ऊपर द्रविड़ शैली के बड़े मंडिरों का चौड़ा दृष्टिकोण होता है जिसे शिखर कहा जाता है। यह ज्यों-ज्यों छोड़ा होता बढ़ता है, तांड़ी-तांड़ी उड़ने वाले होना जाता है। जहाँ उत्तर भारत में गर्भगृह होता है, वहाँ उड़ने वाले होने वाले हैं। गर्भगृह के ऊपर बड़े बड़े स्तूप बनाये जाते हैं। यहाँ उड़ने वाले होते हैं और मन्दिर के प्रवाह के दूसरे तरफ उड़ने वाले होते हैं। जैवा गोपुर होता है। इसके ऊपर बड़े स्तूप बनाये जाते हैं। यहाँ उड़ने वाले होते हैं वर्तलाये हुए विविध अंडाएँ बिंदू बिंदू होते हैं। अंडाएँ बिंदू में भी नाना प्रकार के गुप्त-गुप्त उड़ने वाले होते हैं। उड़ने वाले चिप्रों में बहुत कई नुचे बिंदू बिंदू होते हैं।

इसी प्रकार गुफाओं में अंकित चित्रों ने नाना दृष्टि से भारतीय गमाज को समझने में सहायता पहुँचायी है। उनकी कला तो असाधारण है ही। एक प्रसिद्ध अंग्रेज शिल्प-शास्त्री ने आश्चर्य के साथ कहा था कि गुफाओं के काटने में कहीं भी एक भी छोटी व्यर्थ नहीं चलायी गयी है। भारतीय वास्तुकला की दृष्टि से इन गुफाओं और मन्दिरों की प्रशंसा संसार के सभी शिल्प-विज्ञानदों ने की है। अद्भुत धैर्य, विशाल मनोबल और आश्चर्यजनक हृस्त-कौशल का ऐसा मामंजस्य संसार में बहुत कम मिलता है। आलोचकों ने इम सफलता का प्रधान कारण कलाकारों की भवित को ही बताया है।

## दर्शक

इन प्रेक्षागृहों में—चाहे वे स्थायी हों या अस्थायी—अभिनय देखने के लिए जानेवाले दर्शकों में छाटे-बड़े, शिक्षित-अशिक्षित सभी हुआ करते थे, पर ऐसा जान पड़ता है कि अधिकांश दर्शक रस-शास्त्र के नियमों के ज्ञाता हुआ करते थे। कालिदास, श्रीहर्ष आदि के नाटकों में अभिरूप-भूयिष्ठा और गुणप्राहिणी परिपद का उल्लेख है। भारतीय जीवन की यह विशेषता रही है कि ऊँची-से-ऊँची चिन्ता जनसाधारण में घुली पायी जाती है। यद्यपि शास्त्रीय विचार और तर्क-शैली सीमित क्षेत्र में ही परिचित होती थी; किन्तु सिद्धान्त सर्वसाधारण में ज्ञात होते थे। नृत्य और अभिनव-सम्बन्धी मूल सिद्धान्त भी उन दिनों सर्वसाधारण में परिचित रहे होगे। संस्कृत नाटकों और शास्त्रीय संगीत और अभिनय के द्रष्टा को कैसा होना चाहिए, इस विषय में 'नाट्यशास्त्र' ने स्पष्ट रूप में कहा है (27-51 और आगे) कि उसके सभी इन्द्रिय दुर्लक्ष होने चाहिए, ऊँहापोह में उसे पढ़ होना चाहिए (अर्थात् जिसे आजकल 'क्रिटिकल ऑँडिएंस' कहते हैं, ऐसा होना चाहिए), दोष का जानकार और रागी होना चाहिए। जो व्यक्ति शोक से शोकान्वित न हो सके और आनन्दजनक दृश्य देखकर आनन्दित न हो सके अर्थात् जो सवेदनशील न हो, उसे 'नाट्यशास्त्र' प्रेक्षक या दर्शकों का पद नहीं देना चाहता (27-52)। यह जरूर है कि सभी की रुचि एक-सी नहीं हो सकती। वयस, अवस्था और शिक्षा के भेद से नाना भाँति की रुचि और अवस्था के अनुसार भिन्न विषय के नाटकों और अभिनयों का प्रेक्षकत्व तिर्दिष्ट किया है। जबान आदमी शृंगाररस की बातें देखना चाहता है, सहृदय कालनियमो (समय) के अनुकूल अभिनय को पसन्द करता है, अर्थपरायण लोग अर्थ चाहते हैं, वैरागी लोग विरागोत्तेजक दृश्य देखना

चाहते हैं, शूर लोग वीर-रस, रौद्र आदि रस पसन्द करते हैं, वृद्ध लोग धर्माख्यान और पुराण के अभिनय देखने में रस पाते हैं (27-57-58), फिर एक ही तमाशे के सभी तमाशाक्षीन कैसे हो सकते हैं ! फिर भी जान पड़ता है कि व्यवहार में इतना कठोर नियम नहीं पालन किया जाता होगा और उत्सवादि के अवसर पर जो कोई अभिनय को देखना पसन्द करता होगा, वही जाया करता होगा । परन्तु कालिदास आदि जब परिपद की निपुणता और गुणग्राहकता की बात करते हैं, तो निश्चय ही कुछ चुने हुए सहृदयों की बात करते हैं ।

## लोक-जीवन ही प्रधान कसौटी है

जैसा कि शुरू में ही कहा गया है, भरत का 'नाट्यशास्त्र' नाट्यधर्म रुद्रियों का विशाल संग्रह-ग्रन्थ है । परन्तु नाट्यशास्त्रकार ने कभी इस बात को नहीं भुलाया कि वास्तविक प्रेरणाभूमि लोक-जीवन है और वास्तविक कसौटी भी लोकचित्त है । बाद के अलंकारशास्त्रियों ने इस तथ्य पर उतना ध्यान नहीं दिया जितना भरत मुनि ने दिया था । 'नाट्यशास्त्र' के 26वें अध्याय में उन्होंने विस्तारपूर्वक अभिनय-विधियों का निर्देश किया है । बहुत विस्तारपूर्वक कहने के बाद उन्होंने कहा है कि 'मैंने सब तो बता दिया पर दुनिया यही नहीं समाप्त हो जाती; इस स्थावर, जंगम, चराचर सूजिटंका कोई भी शास्त्र कहाँ तक हिसाब बता सकता है ! सैकड़ों प्रकार की भाव-चेष्टाओं का हिसाब बताना असम्भव कार्य है । लोक में न जाने कितने प्रकार की प्रकृतियाँ हैं; इसलिए नाट्यप्रयोग के लिए लोक ही प्रमाण है, क्योंकि साधारण जनता के आचरण में ही नाटक की प्रतिष्ठा है ।' (26-118-119) । वस्तुतः जो भी शास्त्र और धर्म और शिल्प और आचार लोक-धर्म-प्रवृत्त है वही नाट्य कहे जाते हैं :

यानि शास्त्राणि ये धर्मा यानि शिल्पानि या: क्रिया: ।

लोकधर्मप्रवृत्तानि तानि नाट्यं प्रकीर्तिम् ॥

लोक के अतिरिक्त दो और बातों को शास्त्रकार ने प्रमाण माना है—वेद और अध्यात्म । वेद से उनका मतलब नाट्यवेद अर्थात् नाट्यशास्त्र से है और अध्यात्म से मतलब उस अन्तर्निहित तत्त्ववाद से है जो सदा कलाकार को सचेत करता रहता है कि वह जो कुछ कर रहा है वह खेल नहीं है बल्कि पूजा है, परम शिव को तृप्त करने की माध्यम है ।

नाट्य की सफलता भी लोकरंजन में ही है । नाट्यशास्त्रकार सिद्धि दो प्रकार

की मानते हैं, मानुषी और देवी। देवी बहुत-कुछ भाग्याधित है। भूकम्प न हो जाय, वर्षा न ढरक पड़े, आँधी-तूफान न कट पड़ें, तो नाटक निविधि होता है। उस अवस्था में समझना चाहिए कि देवताओं ने सारी वातें स्वीकार कर ली हैं। कहीं कोई दोष नहीं हुआ है। पर मानुषी सिद्धि अभिनय की कुशलता से प्राप्त होती है। जब जनता हँसाने के अभिनय के समय हँस पड़े, लहाने के समय रो पड़े, भावानुभूति के समय रोमाञ्चगद्गद हो पड़े तो समझना चाहिए कि नाटक सफल है। 'नाट्यशास्त्र' सहज ही नाटक की सफलता नहीं मानता। वह दर्शक के मूँह से 'अहो', 'साधु-साधु', 'हा कष्टम्' आदि निकलवा लेना चाहता है। वह सिर हिलवा देने में, आँसू निकलवा लेने में, लम्बी साँस खिचवा लेने में, रोमाञ्चगद्गद करा देने में, भूम-भूमकर वाहवाही दिलवा लेने में नाटक की सिद्धि मानता है। वह लोरु-जीवन की कभी नहीं भुलता और न ऊपर के देवताओं की ही अवहेलना करता है। दोनों ही ओर उसकी दृष्टि है। देवता को असन्तुष्ट करना सम्भव भी तो नहीं है। उन दिनों के देवता अभिनय की त्रुटियों की ओर सदा आँख लगाये रहते थे। जरा-सी त्रुटि हुई नहीं कि आँधी भेज दी, आग लगा दी, पानी बरसा दिया, साँप निकाल दिया, वज्र गिरा दिया, कीड़ों की पहटन दौड़ा दी, चीटियों की सेना चढ़ा दी, साँड़-भैसा दौड़ा दिया। इनकी उपेक्षा करना क्या मुमकिन था ?

वाताग्निवर्यकुजर-भुजंग-संक्षोभ-वच्चपातानि ।

कीटव्यालपिणीतिकपशुविशसनानि दैविका धाता : ॥

## पारिवारिक उत्सव

**साधारणत:** विवाह के अवसर पर या किसी राजकीय उत्सव के अवसर पर ऐसे आयोजनों का भूरिशः उल्लेख पाया जाता है। जब नगर में वर-वधु प्रथम वार रथस्थ होकर निकलते थे, तो नगर में खरभर मच जाती थी। पुर-सुन्दरियाँ सब-कुछ भूलकर राजपथ के दोनों ओर गवाक्षों में आँतें बिछा देती थीं। केश वाँधती हुई वह हाथ में कबरीवन्ध के लिए सम्हाली हुई पुष्पसाक् (माला) लिये ही दोड़ पड़तीं थीं, महावर देने में दत्तचिता बुलरमणि एक पैर के महावर से घर को लाल चनाती हुई खिड़की पर दोड़ जाती थीं; काजल वायी और भे पहुँच लगाने का नियम भूलकर कोई सुन्दरी दाहिनी आँख में काजल देकर जलदी-जलदी में हाथ में अञ्जन-शसाका लिये ही भाग पड़ती थीं, रमना में मणि गूँथती हुई विलासिनी आधे गुंधे नूत्र को झेंगड़े में लिये हुए ही दोड़ पड़ती थीं ('रघु', 7-6-10 और 'कुमारसम्भव',

7-57-10) और इस प्रकार नगर-सौधों के गवाह सुन्दरियों की बदन-दीप्ति से दमक उठते थे। जब कुमार चन्द्रापीड समस्त विद्याओं का अध्ययन समाप्त करके विद्या-गृह में निर्गत हुए थे और नगर में प्रविष्ट हुए थे, तो कुछ इसी प्रकार की घरभर मच गयी थी। प्रतिष्ठित परिवारों में, जिनमें आपस में सम्बन्ध होता था, उनके घर उत्सव होने पर एक घर के लोग दृढ़ ठाट-बाट से दूसरे घर जाया करते थे। राजा, मन्त्री, थ्रेड़ी आदि समृद्ध नागरिकों में यह आना-जाना विशेष रूप से दर्शनीय हुआ करता था। मन्त्री शुक्लनास के घर पुत्र-जन्म होने पर राजा तारापीड़ उभया उत्सव मनाने के लिए गये थे। उनके साथ अन्तःपुर की देवियाँ भी थीं। याणभट्ट की शपिनशाली लेननी ने इसका जो विवरण दिया है, उससे उस युग के ऐसे जुनूमों का बहुत मनोरंजक परिचय मिलता है। राजा तारापीड़ जब शुक्लनास के घर जाने लगे, तो उनके पीछे अन्तःपुर की परिचारिका रमणियाँ भी थीं। उनके चरण-विघट्टन (पदक्षेप)-जनित नूपुरों के व्यवण में दिग्नंत शद्वाय-मान हो उठा था, वेगपूर्वक भुज-न्तताओं के उत्तोलन के कारण मणि-जटित चूड़ियों चंचल हो उठी थी, मानो आकाश गंगा में की कमलिनी वायु-विलुलित होकर नीचे चली आयी हो; भीड़ के संघर्ष में उनके कानों के पल्लव खिसक रहे थे, वे एक-दूसरे से टकरा जाती थीं और इस प्रकार एक का केयूर दूसरी की चादर में लगकर उसे घरोंच डालता था, पसीने से घुसे हुए अगराग उनके चीन-वसनों को रंग रहे थे, भीड़ के कारण शरीर का तिलक थोड़ा ही बच रहा था, साथ-साथ चलनेवाली विलासवती वारवनिताओं की हँसी से वे प्रस्फुटित कुमुदवन के समान मुशोभित हो रही थीं; चंचल हार-लताएं जोर-जोर से हिलती हुई उनके वक्षो-भाग से टकरा रही थीं, खुली केशराजि सिन्दूर-विन्दु पर आकर पड़ रही थीं, अबीर की निरन्तर झड़ी होते रहने के कारण उनके बेश पिंगल वर्ण के हो उठे थे, उन दिनों के सम्भ्रान्त परिवारों के अन्तःपुर में सदा रहनेवाले गूंगे, कुबड़े, बौने और मूल्ख लोग उद्धत नृत्य से विहृल होकर आगे-आगे चले जा रहे थे, कभी-कभी किसी वृद्ध कंचुकी के गले में किसी रमणी का उत्तरीय वस्त्र अटक जाना था और खीचतान में पड़ा हुआ वह बेचारा खासे मजाक का पात्र बन जाता था। साथ में चीणा, वशी, मूदग और काँस्यताल बजता चलता था, और अस्पष्ट किन्तु मधुर गान मुनायी दे रहा था। राजा के पीछे-पीछे उनके परिवार की सम्भ्रान्त महिलाएं भी जा रही थीं, उनका मणिमय कुण्डल आन्दोलित होकर कपोल-तल पर निरन्तर आधात कर रहा था, कान के उत्पल-पत्र हिल रहे थे, दोखर-माला भूमि पर गिरती जा रही थी, वक्ष-स्थल-विराजित पुष्पमाला निरन्तर हिल रही थी; इनके साथ भेरी, मूदंग, मर्दल, पटह आदि बाजे बज रहे थे; और उनके पीछे-पीछे काहूल और शंख के नाद हो रहे थे; और इन शब्दों के साथ राज-परिवार की देवियों के सन् पुर चरणों के आधात से इतना भारी शब्द हो रहा था कि धरती के फट जाने का अन्देशा होता था। इनके पीछे राजा के चारणगण नाचते चले जा रहे थे, नाना प्रकार के मुखवाद्य से कोलाहल करते जा रहे थे, कुछ लोग राजा की स्तुति

कर रहे थे, कुछ विश्व पढ़ रहे थे और कुछ यों ही उछलते-कूदते चले जा रहे थे।

जो उत्सव पारिवारिक नहीं होते थे, उनका ठाट-बाट कुछ और तरह का होता था। काव्य-ग्रन्थ में इनका भी उल्लेख पाया जाता है। साधारणतः राजा की सवारी, विजय-यात्रा, विजय के बाद का प्रवेश, बारात आदि के जुलूसों में हायियों और धोड़ों की बहुतायत हुआ करती थी। स्थान-स्थान पर जुलूस रुक जाता था और घुड़सवार नौजवान धोड़ों की नचाने की कला का परिचय देते थे। नगर की देवियाँ गवाक्षों से धान की खीलों और पुष्पवर्षा से राजा, राजकुमार या वर की अभ्यर्थना करती थीं। जुलूस के पीछे बड़ी दूर तक साधारण नागरिक पीछे-पीछे चला करते थे। जान पड़ता है कि प्राचीन काल के में जुलूस जन-साधारण के लिए एक विशेष आनन्ददायक उत्सव थे। राजा जब दीर्घ प्रवास के बाद अपनी राजधानी को लौटते थे, उत्सुक जनता प्रथम चन्द्र की भाँति अत्यन्त उत्सुकतापूर्वक उनकी प्रतीक्षा करती रहती थी और राजा के नगरद्वार में पधारने पर तुमुल जयघोष से उनका स्वागत करती थी। महाकवि कालिदास ने 'रथुवंश' में राजा दिलीप के बन-प्रवास के अवसर पर भी यह दिखाया है कि किस प्रकार बन के वृक्ष और लताएँ नागरिकों की भाँति उनकी अभ्यर्थना कर रही थी। बाल-लताएँ पुष्पवर्षा करके पौर-कन्याओं द्वारा अनुष्ठित खीलों की वर्षा की कमी पूरी कर रही थी, वृक्षों के सिर पर बैठकर चहकती हुई चिह्नियाँ मधुर शब्द करके आलोक-शब्द या रोशनचौकी के अभाव को भलीभाँति दूर कर रही थी, और इस प्रकार बन में भी राजा अपने राजकीय सम्मान को पा रहा था। जुलूस जब गन्तव्य स्थान पर पहुंच जाता था तो वहाँ के आनुष्ठानिक कृत्य के सम्पादन के बाद नाच, गान, अभिनय आदि द्वारा मनोरंजन की व्यवस्था हुआ करती थी। दर्शकों में स्त्री-पुष्प, वृद्ध-बालक, व्याहृण-शूद्र सभी हुआ करते थे। सभी के लिए अलग-अलग बैठने की जगह हुआ करती थी।

## विवाह के अवसर के विनोद

याणभट्ट के 'हर्षचरित' में विवाह के अवसर पर होनेवाले आमोद-उल्लासों पा यदा मोहर यथाने मिलता है। अन्त पुर की महिलाएँ भी ऐसे अवगरो पर नृत्य-गान में हिस्सा लेती थीं। उनके गुल्दर अंगहारों में महोत्मय मंगल बसनों में गुमरिजत-गा हो जाता था, कुट्टिम-मूर्मि पादासवराणों में लाल हो जाती थी, नंवर शशुभ्रा शी फिरन में गारा दिन कृष्णगार मूर्मों में परिपूर्ण भी भाँति दिग्ने लगता था,

भुजलताओं के विक्षेप को देखकर ऐसा लगता था मानो भुवनमण्डल मृणालवलयों से परिवेष्टित हो जायेगा । शिरीष-कुसुम के स्तवकों से ऐसे अवसरों पर अन्तःपुर की धूप शुक (तोते) के पक्ष के रंग में रंगी हुई-नी जान पढ़ने लगती थी, शिथिल धम्मिल्ल (जूडे) से खिमककर गिरे हुए तमाल-पत्रों से अगणभूमि कउजलायमान हो उठती थी और आभरणों के रणत्कार से ऐसी मुखर ध्वनि दिशाओं में परिव्याप्त हो जाती थी कि श्रोता को भ्रम होने लगता था कि कही दिशाओं के ही चरणों में नूपुर तो नहीं बाँध दिये गये हैं ।

समृद्ध परिवारों के बाहरी बैठकखाने से लेकर अन्तःपुर तक नाच-गान का जाल बिछ जाता था । स्थान-स्थान पर पण्य-विलासिनियों (वेश्याओं) के नृत्य का आयोजन होता था । उनके साथ मन्द-मन्द भाव से आस्फाल्यमान आर्लिंगक नामक वाद्य बजते रहते थे, मधुर शिजनकारी मंजुल वेणु-निनाद मुखरित होता रहता था, झनझनाती हुई झल्लरी की ध्वनि के साथ कलकाँस्य और कोशी (कांसे के दण्ड और जोड़ी) का क्वणन अपूर्व ध्वनि-माधुरी की सृष्टि करते थे, साथ-साथ दिये जानेवाले उत्ताल ताल से दिङ्मण्डल कल्लोलित होता रहता था, निरन्तर ताढ़न पाते हुए तन्त्रीपटह की गुञ्जार से और मूढ़-मन्द भंकार के साथ भक्त अलावुदीणा की मनोहर ध्वनि से वे नृत्य अत्यन्त आकर्षक हो जाते थे । युर्वातियों के कान में ऋतु-विशेष के नदीन पुण्य झूलते होते थे—कभी वहाँ कणिकार, कभी अशोक, कभी शिरीष, कभी नीलोत्पल और कभी तमालपत्र की भी चर्चा आती है । कुकुम-गौरकान्ति से वे बलयित होती थी, मानो कश्मीर-किशोरियाँ हों । नृत्य के नाना करणों में जब वे अपनी कोमल भुजलताओं को आकाश में उत्किष्पत करती थी तो ऐसा लगता था कि उनके ककण सूर्य-मण्डल को बन्दी बना लेंगे । उनकी कनक-मेखला की किंकिणियों से कुरुष्टकमाला उनके मध्यदेश को धेरती हुई ऐसी शोभित होती थी मानो रागामिन ही प्रदीप्त होकर उन्हें बलयित किये हैं । उनके मुखमण्डल से सिन्दूर और अबीर की छटा विच्छुरित हो जाती थी और उस लाल कान्ति से अरुणायित कुण्डल-पत्र इस प्रकार सुशोभित हुआ करते थे, मानो चन्दनद्रुम की सुकुमार लताओं के विलसित किसलय हो । उनके नीले वासन्ती, चित्रक और कौसुम्भ वस्त्रों के उत्तरीष जब नृत्यवेग के धूर्जन से तरंगायित हो उठते थे तो मालूम पड़ता था कि विक्षुब्ध शृगार-सागर की चटुल चीचियाँ तरगित हो उठी हैं । वे मद को भी मदमत्त बना देती थी, राग को भी रंग देती थी, आनन्द को भी आनन्दित कर देती थी, नृत्य को भी नचा देती थीं और उत्सव को भी उत्सुक कर देती थी । ('हर्पचरित', चतुर्थ उच्छ्वास)

एक इसी प्रकार के नृत्य-उत्सव का दृश्य पवाया (ग्वालियर राज्य) के तोरण पर अंकित पाया गया है । डॉ. वासुदेवशरणजी अग्रवाल इसे जन्मोत्सव-कालीन ('जातिमह') आनन्द-नृत्य मानते हैं । पर यह विवाहकालीन भी हो सकता है । 'हर्पचरित' के वर्णन से तो वह बहुत अधिक मिलता है । दुर्भाग्यवश इसका बायाँ हिस्सा खण्डित मिला है । पं. हरिहरनिवास द्विवेदी ने इस चित्र का विवरण इस



यहाँ यह कह रखना उचित है कि 'कामसूत्र' से हमें कई प्रकार की नाच, गान और रसालाप-सम्बन्धी सभाओं का पता मिलता है। एक तरह की सभा हुआ करती थी, जिसे 'समाज' कहा करते थे। यह सभा सरस्वती के मन्दिर में नियत तिथि को हर पालवारे हुआ करती थी। इसमें जो लोग आते थे, वे निश्चय ही अत्यन्त सुसंकृत नागरिक हुआ करते थे। इस सभा में जो नाचने-गानेवाले, नागरिक का मनोविनोद किया करते थे, उनमें अधिकांश नियुक्त हुआ करते थे। किन्तु समय-समय पर अन्य स्थानों से आये हुए कुशीलव या नाच-गान के उस्ताद भी इसमें अपनी कला का प्रदर्शन किया करते थे। दूसरे दिन उन्हे पुरस्कार दिया जाता था। जब कभी कोई बड़ा उत्सव हुआ करता था, तो इन समाजों में कई स्वतन्त्र और आगन्तुक नर्तक और गायक सम्मिलित भाव से अपनी कला का प्रदर्शन करते थे। इनकी खातिरदारी करना समूचे मण अर्थात् नागरिक-समाज का धर्म हुआ करता था। केवल सरस्वती के मन्दिरों में ही ऐसे उत्सव हुआ करते हो भी वात नहीं है, अन्यान्य देवताओं के मन्दिर में भी यथा-नियम हुआ करते थे। ('कामसूत्र', पृष्ठ 50-51)

रामायण (अयोध्याकाण्ड, 67 अ.) में बताया गया है कि जिस देश में राजा का शासन नहीं होता वहाँ अनेक प्रकार के उपद्रव होते हैं। इन उपद्रवों और अव्यवस्थाओं में आदिकवि ने निम्नांकित वार्तों को भी गिनाया है: (1) अराजक देश में लोग सभा नहीं करा सकते (67-12); (2) न रम्य उद्यान बना सकते हैं (67-12); और (3) न नट और नर्तक प्रहृष्ट होकर भाग ले सके ऐसे 'उत्सव' और 'समाज' ही करा सकते हैं, 'ये समाज और उत्सव राष्ट्रवर्धक होते हैं'; (4) और ऐसे देश के जनपदों में लोग ऐसे उद्यान नहीं बना सकते जहाँ सायंकाल स्वर्णलंकारों में अलंकृत कुमारियाँ छीड़ा के लिए मिलित होती हैं (67-17); फिर (5) ऐसे देश में विलासी नागरिक स्त्रियों के साथ शीघ्रवाही रथों पर चढ़कर शहर के बाहर विनोद के लिए नहीं जा सकते (67-19)। यह भी बताया गया है कि (6) ऐसे देश में शास्त्र-विचक्षण व्यक्ति वर्नों और उपवनों में शास्त्र-विनोद नहीं कर पाते हैं। इन पर ध्यान दिया जाये तो स्पष्ट लगता है कि यहाँ सभा, समाज, उद्यान-यात्रा, उपवन-विनोद आदि बार्ते वही हैं, जिनका 'कामसूत्र' में उल्लेख है। परवर्ती काल के टीकाकार रामभट्ट ने 'सभा' का अर्थ न्याय-विचार करनेवाली सभा किया है और 'समाज' का अर्थ विशेष राष्ट्र-प्रयोजनवाले समूह किया है। ऐसा जान पड़ता है कि वे पुरानी परम्परा की ठीक व्याख्या नहीं कर सके। यहाँ आदिकवि का अभिप्राय यह जान पड़ता है कि जिस देश में अच्छा शासक नहीं होता वहाँ के नागरिक धर्म, अर्थ, काम का उपभोग स्वतन्त्रतापूर्वक नहीं कर सकते। ऊपर जो बातें कही गयी हैं वे कामोपभोग की हैं। 'कामसूत्र' से

इसकी ठीक-ठीक व्याख्या हो जाती है। 'समाज' बहुत पुरानो संस्था थी। अशोक ने अपने लेखों में कामशास्त्रीय समाजों को रोकने का आदेश दिया था। इन लेखों में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि जो 'समाज' भले कार्यों के लिए हों वे निपिढ़ नहीं हैं। 'कामसूत्र' से स्पष्ट है कि समाज में शास्त्रात्मक भी होते थे। सम्भवतः अशोक जिन समाजों को वर्जनीय नहीं समझते थे, वे ऐसे ही कामभोगी ढंग के समाज होते थे।

इसी प्रकार नागरिकों के मनोविनोद के लिए एक और तरह की सभा बैठा करती थी, जिसे गोप्ती कहा करते थे। ये गोप्तियाँ नागरक के घर पर या किसी गणिका के घर भी हुआ करती थी। इनमें निश्चय ही चुने हुए लोग निमन्त्रित होते थे। गणिकाएँ, जो उन दिनों अपनी विद्या, कला और रसिकता के कारण सम्मान की दृष्टि से देखी जाती थी, नागरिकों के घर पर होनेवाली गोप्तियों में निमन्त्रित होकर आती थी और सिर्फ नृत्य-गीत से ही नहीं, बहुविध काव्य-समस्याएँ, मानसी काव्यक्रिया, पुस्तक-वाचन, दुर्वचिक योग, देश-भाषाविज्ञान, छान्द, नाटक, आख्यान, आख्यायिका सम्बन्धी आलोचनाओं और रसालापों से भी नागरिकों का मनोविनोद किया करती थी। भास के नाटकों तथा ललितविस्तर आदि बौद्ध काव्यों से पता चलता है कि ये गोप्तियाँ उन दिनों बहुत प्रचलित थीं और रईसी का आवश्यक अंग मानी जाती थी। यह जरूर है कि कभी-कभी लोगों में इस प्रकार की गोप्तियों के विषय में निन्दा भी होती थी। वात्स्यायन ने भले आदमियों को निन्दित गोप्तियों में जाने का निपेध किया है (पृ. 58-59)। इन गोप्तियों के समान ही एक और सभा नागरिकों की बैठा करती थी, जिसे वात्स्यायन ने आपानक कहा है। इसमें मद्य-पान की व्यवस्था होती थी, पर हमारे विषय से उसका दूर का ही सम्बन्ध है। दो और सभाएँ—उदान-यात्रा और समस्याकीड़ा—'कामसूत्र' में बतायी गयी है, जिनकी चर्चा यहाँ नहीं करेंगे। अशोक के शिलालेखों से स्पष्ट है कि ऐसे 'समाज' भद्रसमाज में बहुत हीन समझे जाते थे, और राजा उनके आयोजकों को दण्ड दिया करता था। ये विकृत रुचि के प्रचारक थे।

## स्थायी रंगशाला और सभा

यहूत पुराने जमाने में ही संभीत, अभिनय और काव्यात्मक के लिए स्थायी सभाओं की व्यवस्था हुआ करती थी। 'संगीत-रत्नाकर' एक बहुत परवर्ती ग्रन्थ है। यहै

प्रधान रूर से संगीतशास्त्र की व्याख्या करने के उद्देश्य से लिखा गया था। यद्यपि यह ग्रन्थ बहुत बाद का है तथापि इसमें प्राचीन काल की परम्पराएँ भी सुरक्षित हैं। इस पुस्तक में संगीत के आयोजन के लिए स्थापित सभा का बड़ा भव्य वर्णन दिया हुआ है। इसे 'ग्रन्थकार' ने रंगशाला नाम दिया है।

इस 'संगीत-रत्नाकर' (1351-1360 ई.) में रत्नस्तम्भ-विभूषित पुण्य-प्रकर-शोभित नाना वितान-सम्पन्न अत्यन्त समृद्धशाली रंगशाला का उल्लेख है। इसके बीच में सिंहासन पर सभापति बैठा करते थे। इस सभापति में सभी प्रकार की कला-मर्मज्ञता और विवेकशीलता का होना आवश्यक माना गया है। सभापति की बायीं और अन्त-पुर की देवियों के लिए और दाहिनी ओर प्रधान अमात्यादि के लिए स्थान नियत हुआ करते थे। इन प्रधानों के पीछे कोणाद्यक्ष और अन्यान्य करणाद्यिप या अफसर रहा करते और इनके निकट ही लोकवेद के विक्षण विद्वान्, कवि और रसिकजन बैठा करते थे। दड़े-बड़े ज्योतिषी और वैद्यो का आसन विद्वानों में हुआ करता था। इसी ओर मन्त्र-मण्डली बैठती थी। बायीं और अन्त-पुरकाओं की मण्डली बैठा करती थी। सभापति के पीछे रूप-ग्रीवन-सम्भारशालिनी चाह-चामरधारिणी स्त्रियाँ धीरे-धीरे चौंबर ढुलाया करती थीं, जो अपने कंकण-भंकार से दर्शनों का चित्त मोहती रहती थीं। सामने की बायीं और कथक, बन्दी और कलावन्त आदि रहा करते थे। सभा की शान्ति-रक्षा के लिए दक्ष वेत्रघर भी सेयार रहते थे।

राजशेखर ने 'काव्यमीमांसा' में एक और प्रकार की सभा का विधान किया है, जो मनोरंजक है। इसके अनुसार राजा के काव्य-साहित्यादि की चर्चा के लिए जो सभामण्डप होगा, उसमें सोलह खम्भे, चार द्वार और आठ अटारियाँ होंगी। राजा का क्रीड़ा-गृह इसी से सटा हुआ होगा। इसके बीच में चार खम्भों को छोड़कर हाथभर ऊँचा एक चबूतरा होगा और उसके ऊपर एक मणिजटित वेदिका। इसी पर राजा का आसन होगा। इसके उत्तर की ओर संस्कृत भाषा के कवि बैठेंगे। यदि एक ही आदमी कई भाषाओं में कवित्व करता हो, तो जिस भाषा में अधिक प्रवीण हो वह उसी भाषा का कवि माना जायगा। जो कई भाषाओं में वरावर प्रवीण हो, वह जर्हा चाहे उठकर बैठ सकता है। संस्कृत कवियों के पीछे वैदिक, दार्शनिक, पौराणिक, स्मृति-शास्त्री, वैद्य, ज्योतिषी आदि का स्थान होगा। पूर्व की ओर प्राकृत भाषा के कवि और उनके पीछे नट, नर्तक, गायक, बादक, बाग्जीवन, कुशीलव, तालाबचर आदि रहेंगे। पश्चिम की ओर अपश्चश भाषा के कवि और उनके पीछे चित्रकार, लेपकार, मणिकार, जौहरी, सुनार, बढ़ई, लोहार आदि का स्थान होगा। दक्षिण की ओर पैशाची भाषा के कवि होंगे और उनके पीछे वेश्या, वेश्या-लम्पट, रस्सों पर नाचनेवाले नट, जादूगर, जम्भक, पहलवान, सिपाही आदि का स्थान निर्दिष्ट रहेगा। इस विवरण से ही प्रकट है कि राजशेखर की बनायी हुई यह सभा मुख्यतः कवि-सभा है, यद्यपि नाचने गाने वालों की उपस्थिति से अनुमान होता है कि इस प्रकार की सभा में अवसरविदोप

पर गान, वाद्य और नृत्य का भी आयोजन हो सकता था।

जो संगीत-भवन स्थायी हुआ करते थे, उनके स्थान पर मृदंग-स्थापन की जगह बनी होती थी। 'कादम्बरी' में एक जगह इस प्रकार की उपमा दी गयी है, जिससे इस व्यवस्था का पता चलता है : 'संगीतभवनमिवानेकस्थानस्थापित-मृदंगम् ।' यह मृदंग उन दिनों की संगीत की मजलिस का अत्यन्त आवश्यक उपादान था। कालिदास ने संगीतप्रसग उठते ही 'प्रसक्तसंगीतमृदंगघोष' कहकर इस बात की ओर इंगित किया है।

## गणिका

इन सभाओं में गणिका का आना एक विशेष आकर्षक व्यापार था। यहाँ यह स्पष्ट समझा जाना चाहिए कि गणिका यद्यपि वारागना ही हुआ करती थी, तथापि 'कामसूत्र' से जान पड़ता है कि वह साधारण वेश्याओं से कहीं अधिक सम्मान का पात्र मानी जाती थी। वेश्याओं में जो सबमें सुन्दरी और गुणवती होती थी, उसे ही 'गणिका' की आद्या मिलती थी। राजा लोग उसका सम्मान करते थे :

आभिरभ्युच्छ्रुता वेश्या शीलस्पगुणान्विता ।  
सभते गणिकाशब्दं स्थानं च जनसंसदि ॥  
पूजिता च सदा राजा गुणवद्विषय संस्तुता ।  
प्रार्थनीयाभिगम्या च लक्ष्यभूता च ते जया ॥

('नाट्यशास्त्र' में गणिका के गृण, प. 367)

'ललितविस्तर' में राजकुमारी को गणिका के समान शास्त्रज्ञा यताया गया है ('शास्त्रे विधिज्ञकृशला गणिका यथेय')। ये गणिकाएँ शास्त्र की जानकार और कवित्य की रमिका हुआ करती थी। राजनेतृत्व ने 'काव्य-मीमांसा' में इम बात को मिढ़ करना चाहा है कि पुरुष के समान हित्रयी भी कवि हो सकती हैं और प्रमाणस्वरूप वे कहने हैं कि मुना जाता है कि प्राचीन काल में यहून-गी गणिकाएँ और राजदुहिताएँ यहून उत्तम कवि हो गयी हैं। इन गणिकाओं पी युत्रियों को नागरकर्जन के पुत्रों के साथ पढ़ने का अधिकार था। गणिका यस्तुनः गमस्त गण (या राष्ट्र) की सम्पत्ति मानी जाती थी और बोढ़-नाहियं में इन धात्र वा प्रमाण लोजा जा गकता है कि यह गमस्त गमाज के गर्व की यस्तु गमस्ती जानी थी। मंसून के नाटक में उस नगरधरों कहा गया है। 'मृदुलास्टिक' नाटक में वर्णनमेना नामक एक ऐसी ही गणिका वा ग्रेम-नृत्यान्त गितित बिया गया है।

सारे नाटक में एक जगह भी वसन्तनेना का नाम संधु भाष से नहीं लिया गया। बदान्तु के प्रधान अधिकारिक ने लेकर कापस्थ तक उसके प्रति अत्यन्त सम्मान का भाव प्रकट करते हैं। उसकी बृद्धा माता जब गवाही देने के लिए आती है, तो उन अधिकारियों भी 'आर्य' कहकर सम्बोधन करते हैं। इन सब बातों से जान पड़ता है कि अत्यन्त प्राचीन काल में गणिका यथेष्ट सम्माननीया मानी जाती थी। बंजारों की अन्धपालिका गणिका समस्त व्यापारी के अभिमान की वस्तु थी। गणिका के सम्मान का अन्दरा 'भृच्छकटिक' की इस कथा से भी लग राकता है कि राज्य वी और से जब सब गाड़ियों की तलाशी करने वी कठोर थाजा थी, तब भी पुलिस के सिपाहियों में से किसी-किसी ने रिफ़ यह जानकर ही चारदान की गाड़ी की तलाशी नहीं ली कि उसमें वसन्तसेना थी। आज के जमाने में श्रीराम गाड़ियाँ चाहे छोट वी जाती, पर वारचिलासिनी की माझी वी नवाशी ज़हर वी जाती। पर बाद में गण-राज्य के उठ जाने के बाद से गणिका का सम्मान भी जाता रहा। परवर्ती काल में ठीक इसी सम्मान और आदर की अधिगणिका दार्शनिका का उल्लेख नहीं मिलता। गणराज्यों के साथ जीं गणिका दार्शनिका भी भग्नु के उस एक साथ कहे हुए नियेधवावय से भी जाता जाना है, जिसका है कि व्याहूण को गणराज्य और गणिकान्न नदी झटपट दरमावनी है (गृह्ण, 4-209)।

## अभिनेताओं की सामाजिक मर्यादा

गणका के अतिरिक्त जो स्त्री-पुरुष अभिनय आदि का पेशा करते थे, वे समाज में इस दृष्टि से देसे जाते थे, इस विषय में प्राचीन ग्रन्थों में दो तरह की बातें पायी जाती है। धर्म-ग्रन्थों के अनुमार तो निश्चित रूप से उन्हें बहुत कौचा स्थान नहीं दिया गया (मनु., 8-65)। और याज्ञवल्य (2-70) तो उनसी दी हुई गवाही को भी प्रामाणिक नहीं मानते। इसका कारण शायद यह है कि वे अत्यन्त भूठे और फ़रेदी माने जाते रहे होंगे। जायाजीव, ह्यजीव आदि शब्दों में नटों वो निर्देश करने में जान पड़ता है कि ये अपनी पत्नियों के रूप का व्यवसाय किया करते थे। इस बात का समर्थन इस प्रकार भी होता है कि मनु ने नटी के साथ बलात्कार करनेवाले व्यक्ति को कम दण्ड देने का विधान किया है (मनु., 8-362)। स्मृति-ग्रन्थों में यह भी कहा गया है कि इनके हाथ का अन्न अभोज्य है। इम प्रकार धर्मशास्त्र की दृष्टि से विचार किया जाय, तो नाचने का पेशा निरूप्त माना जाता था। जान पड़ता है कि शुरू में जब नाट्यकला उन्नत नहीं हुई थी और नट लोग पुतलियों को नचाकर या इसी तरह के अन्य व्यवसायों से जीविका उपार्जन करते थे, तब तो ही समाज में उनके प्रति एक अवश्य का भाव रह गया था। पर जैमे-जैसे नाटकीय कला उत्कर्ष को प्राप्त करती गयी, वैसे-वैसे इनकी सामाजिक मर्यादा भी ऊँची उठती गयी। पर सब मिलकर समाज की दृष्टि में वे बहुत ऊँचे नहीं उठे।

'नाट्यशास्त्र' के युग में भी इनकी सामाजिक मर्यादा गिर चुकी थी। भरत 'नाट्यशास्त्र' में अभिनय को बहुत महिमापूर्ण बताया गया है और इस शास्त्र को 'नाट्यवेद' की महत्वपूर्ण आख्या दी गयी है। परन्तु फिर भी शास्त्रकार 'भरत-पुत्रों' की हीन सामाजिक मर्यादा के प्रति सचेत है। शास्त्र में इसका कारण भी बताया गया है (36-30-47)। एक बार भरतपुत्रों (नटों) ने कृपियों के अंगहार के अभिनय में 'अग्राह्य, दुराचारपूर्ण, ग्राम्यधर्मप्रवर्त्तक, निष्ठुर और अप्रशस्त' काव्य की योजना की थी। इससे कृपि लोग कुद्द हो गये और उन्होंने इनको भयंकर अभिशाप दिया। उस समय तक ये लोग 'द्विज' थे। पर कृपियों ने शाप दिया कि "चूंकि तुमने चरित्र का विडम्बन किया है जो एकदम अनुचित है, अतएव तुम्हारे वंशधर शूद्र हो जायेंगे, अब्रहाचारी होंगे, स्त्री-पुत्रसमेत नत्तंक और 'उपाख्यानवान्' होंगे।" 'उपाख्यानवान्' शब्द का एक अर्थ है स्तुतिगायक, खुशामदी, चाटुकार और दूसरा अर्थ है काम-विलासी। इस प्रकार कृपियों से अभिशप्त भरतपुत्र शूद्र और अब्रहाचारी हुए। इस कथा को यदि ऐतिहासिकता की ओर धसीटा जाय तो इसका अर्थ यह हो सकता है कि पहले नटों की सामाजिक मर्यादा अच्छी थी, पर जब इन्होंने कृपियों का भी 'कैरिकेचर' (विडम्बनम्) शुरू किया और कुछ उच्छ्वस खल आचरणों का परिचय दिया तो

समाज के नियामकों ने इनकी मर्यादा हीन बना दी। कथा में यह भी कहा गया है कि देवताओं ने बहुत प्रत्यन किया, पर अृषि लोगों ने उनकी प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया और इनकी मर्यादा हीन बनी रही। भरतमुनि ने आगे अपने 'पुत्रों' को अभिनय के पवित्र कार्य से इस पाप का प्रायशिचत करते रहने की सलाह दी है। स्पष्ट है कि शास्त्रकार को यह आशा नहीं थी कि अब इनकी मर्यादा ऊपर उठ सकती है। यद्यपि नाटकों, काव्यों और कामशास्त्रीय ग्रन्थों से इनकी उच्चतर सामाजिक मर्यादा के प्रमाण संग्रह किये जा सकते हैं, परन्तु समाज की मनोभावना को समझने के लिए इन ग्रन्थों की अपेक्षा स्मृति-ग्रन्थों की गवाही कही अधिक प्रामाणिक और विश्वसनीय है।

## ताण्डव और लास्य

भाट्यशास्त्र में दो प्रकार के नाचों का विस्तृत उल्लेख है : ताण्डव और लास्य। ताण्डव के प्रसंग में भरतमुनि से प्रश्न किया गया कि यह नृत् (ताण्डव) किस-लिए भगवान् शंकर ने प्रवृत्त किया, तो भरतमुनि ने उत्तर दिया था कि नृत् किसी अर्थ की अपेक्षा नहीं रखता। यह शोभा के लिए प्रयुक्त होता है। स्वभावतः ही प्रायः लोग इसे पसन्द करते हैं और यह मंगलजनक है, इसीलिए गिवजा न इसे प्रवर्तित किया। विवाह, जन्म, प्रमोद, अभ्युदय आदि के उत्सवों के अवसर पर यह विनोदजनक है, इसलिए भी इसका प्रवर्त्तन हुआ है ('भाट्यशास्त्र', चौवम्बा, 4-260-3)। इस वक्तव्य में जान पढ़ना है कि विवाह आदि के अवसरों पर नृत् या ताण्डव का अभिनय होता था। 'भाट्यशास्त्र' में नृत् के आविर्भाव की बड़ी मनोरंजक वहानी दी हुई है। वहां के अनुरोध पर नाना मूर्तगण-समावृत्त हिमालय के पृष्ठ पर शिव ने मन्दिराल में नाना आश्रम दिया। ताण्डु नामक मुनि को शिव ने उमी नाच की विधि बतायी थी। विन प्रकार हाय और दैर में 108 प्रकार के बरण होते हैं, दो बरण (अर्थात् हाय और पैर की विशेष भगिया) मिलकर विन प्रकार नृत्मातृका बनती है, किर तीन बरणों में कलापक, चार में मण्डन और पाँच बरणों में मंपातक बनता है। इनमें अधिक नौ तक बरणों के संयोग से विन प्रकार अंगहार बनते हैं, इन बातों को विद्मह मृग में ममभाया। अंगहार नृत् के महत्वपूर्ण अग हैं। ये बनीम प्रकार के बनादे रखे हैं। इन विभिन्न अंगहारों के माथ चार रेतक हैं : पादरेतक, बटिरेतक और बट्टरेतक। जब शिव इन रेतकों और अंगहारों के द्वारा प्रसन्ना नृन् दिग्ना रहे थे, उमी ममभ

पावंती आनन्दोल्लास मे सुकुमार भाव से नाच उठी। पावंती का यह नाच, नृत् (या उद्धत नाच) नहीं था, बल्कि नृत्य (सुकुमार नाच) था। इनी को सास्य कहते हैं। एक और अवसर पर दधा-यश विद्यंत के समय सम्मानकाल को जब गिर नृत् कर रहे थे, उस समय शिव के गण मृदगः, भेरी, पटह, भाण्ड, हिण्डिम, गोमुख, पश्य, दर्दुर आदि आतोद्य बाजे बजा रहे थे। शिव ने आनन्दोल्लास मे समस्त अंगहारों के नाना भाँति के प्रयोग मे लय और ताल के अनुरूप नृत् किया। देव-देवियाँ और शिव के गण इस अवसर पर चूंके नहीं। टम्ह बजाकर प्रमत्त भाव से नर्तमान लंकर की विविध भंगियों को अर्थात् विविध अंगहारों के पिण्डीभूत वन्धविदोष को—पिण्डियों को—उन्होंने याद रखा। ये पिण्डियों उन-उन देवताओं के नाम पर प्रसिद्ध हुईं, जिन्होंने उन्हें देवा या। तब से विभी उत्तम और आमोद के अवसर पर इस मांगल्यजनक नृत् का प्रयोग होता आ रहा है। प्राचीन भारतीय रंगशाला मे उन दिनों नृत् या ताण्डव नृत् का बड़ा प्रचलन था। अनेक प्राचीन मन्दिरों पर भिन्न-भिन्न करण और अंगहारों के चित्र उत्कीर्ण हैं। 'नाट्यशास्त्र' चतुर्थ अध्याय मे विस्तृत रूप से इसके प्रयोग की बात बतायी गयी है।

## अभिनय

सबसे पहले ब्राह्मण सोग कुतप नामक वाद्यविन्यास विधिपूर्वक कर लेते थे; फिर भाण्ड वाद्य के बजानेवालों के साथ नर्तकी प्रवेश करती थी, उसकी अंजलि में पुष्प होते थे। एक विशेष प्रकार की नृत्य-भंगी से वह रंग-स्थल पर पुण्योपहार रखती थी। फिर देवताओं को विशेष भंगी से नमस्कार करके वह अभिनय आरम्भ करती थी। जब वह गाने के साथ अभिनय करती थी, तब बाजा बजाना बन्द रहता था और जब वह अंगहार का प्रयोग करने लगती थी, तब बाद भी बजने लगते थे। इस प्रकार गीत और नृत्य के पश्चात् नर्तकी रंगशाला से बाहर निकलती थी और फिर इसी विधान से अन्यान्य नर्तकियाँ रंगभूमि मे पदार्पण करती थी और बारी-बारी से पिण्डीबन्धों का अभिनय करती थी (ना. शा., 4, 269-77)।

प्राचीन साहित्य मे इस मनोहर नृत्य-अभिनय के अनेक उल्लेख हैं। यहाँ पर एक का उल्लेख किया जा रहा है, जो कालिदास की सरस लेखनी से निकला है। यह चित्र इतना भावब्यंजक और सरस है कि उस पर विशेष टीका करना अनुचित

जान पड़ता है। 'मालविकाग्निमित्र' नाटक में दो नृत्याचार्यों में अपनी कला-चानुरी के सम्बन्ध में तुनातनी होती है। यह तथ पाया है कि अपनी-अपनी शिष्याओं का अभिनय दोनों दिनाएं और अपशपानिनी भगवती कौशिकी, दोनों में कौन श्रेष्ठ है। इच्छावान का निर्णय करें। दोनों आचार्य राजी हो गये। मृदंग बज चढ़ा। प्रेक्षाभास में दगंकगन दयास्थान बैठ गये। भिक्षुणी की अनुमति से रानी की परिवारिका मालविका के शिष्यकं आचार्य गणदास यवनिका के बन्तराल से मुक्तिग्निना शिष्या (मालविका) को रंगभूमि में से आये। यह पहले ही स्थिर हो गया था कि चतित (दत्तित ?) नृत्य—जिसमें अभिनेता दूसरे की भूमिका में उत्तरकर अपने ही मनोभाव व्यक्त करता है—के साथ होनेवाले अभिनय को दिखाया जायेगा। मालविका ने गान शुरू किया। मर्म यह था कि दुलभ जन के प्रति प्रेमपरवत्ता प्रेमिका का चित्त एक बार पीड़ा से भर उठता है, और फिर आगा में उल्लंघित हो उठता है, बहुत दिनों के बाद फिर उसी प्रियतम को देखकर उसी की ओर वह आंखें बिछाये हैं। भाव मालविका के सीधे हृदय से निकले थे, अच्छ उमका करन था। उसके बतुलनीय सौन्दर्य, अभिनयव्यंजित अंगसौष्ठव, नृत्य की अभिराम भंगिमा और कष्ठ के मधुर संगीत से राजा और प्रेक्षकगण मन्त्र-मुद्घ-से हो रहे। अभिनय के बाद ही जब मालविका पद्मे की ओर जाने लगी, तो विद्युपक ने किमी वहाने उसे रोका। वह ठिक्कर खड़ी हो गयी—उसका वायां हाथ बटिदेश पर विन्यस्त था, उसका कंकण कलाई पर सरक आया था, दाहिना हाथ शियिल द्यामालता के समान सीधा भूल पड़ा था, भुकी हुई दृष्टि पैरों पर अड़ी हुई थी, जहाँ पैर के अंगूठे फर्ज पर बिछे हुए पुल्पों को धीरे-धीरे सरका रहे थे और कमनीय देहलता नृत्य-भंगी से ईपदुनीत थी। मालविका ठीक उसी प्रकार नवड़ी हुई थी, जिस सौष्ठव के साथ देहविन्यास करके अभिनेत्री को रंगभूमि में नवड़ा होना उचित था :

वामं सन्धिस्तिमितवलयं न्यस्य हस्तं नितम्बे

वृत्त्वा श्यामाविटपिसदूरं स्त्रस्तमुक्तं द्वितीयम् ।

पादांगुष्ठालुलितकुसुमे कुटिटमे पातिताथं

नृत्यादस्याः स्थितमितिरां कान्तमृज्वायताक्षम् ।

परिवाजिका कौशिकी ने दाद दी—अभिनय बिलुप्त निर्दोष है। बिना बोने भी अभिनय का भाव स्पष्ट ही प्रकाशित हुआ है, अंगविक्षेप बहुत सुन्दर और चानुरीपूर्ण हुआ है। जिस-जिस रस का अभिनय हुआ है, उस-उस रस में तन्मयता स्पष्ट लक्षित हुई है। भावचेष्टा सजीव होकर स्पष्ट हुई है, मालविका ने बलपूर्वक अन्य विषयों से हमारे चित्त को अभिनय की ओर खीच लिया है :

अंगैरन्तनहितवचनं: सूचितः सम्यग्यं;

पादन्यासो लप्यभनुगतस्तन्मयत्वं रमेषु ।

शास्यायोनिमृदुं रभिनयस्तद्विकल्पानुवृत्ती,

भावो भावनुदति विषयाद्वागवंधः स एव ।

इस श्लोक में कालिदास ने उस युग के अभिनय का सजीव आदर्श अंकित किया है।

## अभिनय के चार अंग

यह समझना भूल है कि अभिनय में केवल अंगों की विशेष प्रकार की भंगिमाएँ ही प्रधान स्थान अधिकार करती थीं। अभिनय के चारों अंगों अर्थात् आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्त्विक—पर समान भाव से जोर दिया जाता था। आंगिक अर्थात् देह-सम्बन्धी अभिनय उन दिनों चरम उत्कर्ष पर था। इसमें देह, मुख और चेष्टा के अभिनय शामिल थे। सिर, हाथ, कटि, वक्ष, पाइवं और पैर, इन अंगों के सैकड़ों प्रकार के अभिनय 'नाट्यशास्त्र' और 'अभिनयदण्णं' आदि ग्रन्थों में गिनाये गये हैं। 'नाट्यशास्त्र' में विस्तारपूर्वक वर्ताया गया है कि किस अंग या उपांग के अभिनय का क्या विनियोग है, अर्थात् वह किस अवसर पर अभिनीत हो सकता है। फिर नाना प्रकार के घूमकर नाची जानेवाली भंगिमाओं का भी विस्तारपूर्वक विवेचन किया गया है। फिर वाचिक अर्थात् वचनसम्बन्धी अभिनय को भी उपेक्षणीय नहीं समझा जाता था। 'नाट्यशास्त्र' (15-2) में कहा गया है कि वचन का अभिनय बहुत सावधानी से करना चाहिए; क्योंकि यह नाट्य का शरीर है, शरीर और पोशाक के अभिनय वाक्यार्थ को ही व्यंजित करते हैं। उपयुक्त स्थलों पर उपयुक्त यति और काकु देकर बोलना, नाम-आख्यात-निपात उपसर्ग-समास-तद्दित-विभक्ति सम्बन्ध आदि को ठीक-ठीक प्रकट करना, छन्दों को उचित ढग से पढ़ सकना, शब्दों के प्रत्येक स्वर और व्यजन को उपयुक्त रीति से उच्चारण कर सकना, इत्यादि वार्ते अभिनय का प्रधान अंग मानी जाती थी। परन्तु यही सबकुछ नहीं था। केवल शारीरिक और वाचिक अभिनय भी अपूर्ण माने जाते थे। आहार्य या वस्त्रालकारों की उपयुक्त रचना भी अभिनय का ही अंग समझी जाती थी। यह चार प्रकार की होती थी—पुस्त, अलंकार, अंगरचना और संजीव। नाटक के स्टेज को आज के समान 'रियलिस्टिक' बनाने का ऐसा पागलपन तो नहीं था; परन्तु पहाड़, रथ, विमान आदि को कुछ यथार्थता का रूप देने के लिए तीन प्रकार के पुस्त व्यवहृत होते थे। ये या तो बौस-सरकण्डे में बने होते थे, जिन पर कपड़ा या चमड़ा घड़ा दिया जाता था, या फिर यन्यादि की सहायता से फर्जी बना लिये जाते थे, या फिर अभिनेता इस बात की चेष्टा करता था, जिससे उन थस्तुओं का बोध प्रेक्षक को हो जाता था (23, 5-7)।

इन्हें क्रमशः मन्धम, व्याजिम और चेप्टिम पुस्त कहते थे। अलंकार में विविध प्रकार के माल्य, आभरण, वस्त्र आदि की गणना होती थी। अंग-रचना में पुरुषों और स्त्रियों के बहुविध वैष्णविन्यास शामिल थे। प्राणियों के प्रवेश को संजीव कहते थे (23-152)। परन्तु इन तीनों प्रकार के अभिनयों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण अभिनय सात्त्विक था। भिन्न-भिन्न रसों और भावों के अभिनय में अभिनेता या अभिनेत्री की वास्तविक परीक्षा होती थी। 'नाट्यशास्त्र' ने जोर देकर कहा है कि सत्त्व में ही नाट्य प्रतिष्ठित है (24-1)। सत्त्व की अधिकता, समानता और न्यूनता से नाटक थ्रेप्ट, मध्यम या निकृष्ट हो जाता है (24-2)। यह सत्त्व अव्यक्त रूप है, भाव और रस के आश्रय पर है, इसके अभिनय में रोमाच, अश्रु आदि का यथास्थान और यथारस प्रयोग अभीष्ट है।

## नाटक के आरम्भ में

जब कोई नाटक खेला जानेवाला होता था तो उसके आरम्भ में एक बहुत आडम्बरपूर्ण विधि का अनुष्ठान किया जाता था। इसे 'पूर्वरंग' या नाटक आरम्भ होने के पहले की किया कहते थे। पहले नगाड़ा बजाकर नाटक आरम्भ होने की सूचना दी जाती थी, फिर गायक और बादक लोग रंगभूमि में आकर यथास्थान बैठ जाते थे, कोरस आरम्भ होता था; मृदंग, वेणु, वीणा आदि वाद्य नर्तकों के नूपुर-झंकार के साथ वज उठते थे और इन कार्यों के बाद नाटक का उत्थापन होता था। पण्डितों में यहाँ तक की किया में मतभेद है कि वे पदों के पीछे होती थी या बाहर। पर चूंकि शुरू में ही अवतरण नामक क्रिया का उल्लेख है, इससे जान पड़ता है कि ये पदों के पीछे न हो वास्तव में रंगभूमि में होते थे। फिर सूत्रधार का प्रवेश होता था, उसके एक पार्षद में भूज्ञार में जल लिये हुए एक भूज्ञारधर होता था और दूसरी ओर जर्जर (ध्वजा) लिये हुए दूसरा जर्जर-धर। इन दोनों पारिपार्श्विकों के साथ सूत्रधार पाँच पग आगे बढ़ आता था। उद्देश्य ब्रह्मा की पूजा होती थी। यह पाँच पग बढ़ना मामूली बढ़ना नहीं है, इसके लिए एक विशेष प्रकार की अभिनय-भंगी होती थी। फिर वह (सूत्रधार) भूज्ञार से जल लेकर आचमन प्रोक्षणादि से पवित्र हो लेता था। वह एक विशेष आडम्बरपूर्ण अभिनय-भज्जी से विघ्न को जर्जर करनेवाले जर्जर (ध्वज) को उत्तोलित करता था और भिन्न-भिन्न देवताओं को प्रणाम करता था। वह दाहिने पैर के अभिनय से शिव को और वाम पद के अभिनय से विष्णु को नमस्कार करता था। पहला

पुरुष का और दूसरा स्त्री का पद समझा जाता था। एक नपुंसक पद भी होता था, जबकि दाहिने पैर को नाभि तक उत्क्षिप्त कर लिया जाता था। इस भज्जी से वह ब्रह्मा की प्रणाम करता था। फिर विधिपूर्वक चार प्रकार के पुण्यों से वह जर्जर की पूजा करता। वह वाय-यन्त्रों की भी पूजा करता था और तब नान्दी-पाठ होता था। वह सर्वदेवता और ब्राह्मणों को नमस्कार करता था, देवताओं से कल्याण की प्रार्थना करता था, राजा की विजय-कामना प्रकट करता था, दशंको की धर्मवृद्धि होने की शुभाकांक्षा प्रकट करता था, कवि (नाटकार) को यश मिले और उसकी धर्मवृद्धि हो, ऐसी प्रार्थना करता था, और अन्त में अपनी यह शुभकामना भी प्रकट करता था कि इस पूजा से समस्त देवता प्रसन्न हो। प्रत्येक शुभकांक्षा की समाप्ति पर पारिपाश्विक लोग 'ऐसा ही हो' (एवमस्तु) कहकर प्रतिवचन देते थे और नान्दीपाठ समाप्त होता था। फिर शुष्कावकृष्टा विधि के बाद वह एक ऐसा श्लोक पाठ करता था, जिसमें अवसर के अनुकूल बातें होती थीं, अर्थात् वह या तो जिस देवता की विशेष पूजा के अवसर पर नाटक खेला जा रहा हो, उस देवता की स्तुति का श्लोक होता था, या फिर जिस राजा के उत्सव पर अभिनय ही रहा हो, उसकी स्तुति का। या फिर वह ब्रह्मा की स्तुति का पाठ करता था। फिर जर्जर के सम्मान के लिए भी वह एक श्लोक पढ़ता था और फिर चारी नृत्य शुरू होता था। इसकी विस्तृत व्याख्या और विधि 'नाट्यशास्त्र' के आरहवें अध्याय में दी हुई है। यह चारी का प्रयोग पार्वती की प्रीति के उद्देश्य से किया जाता था; क्योंकि पूर्वकाल में कभी शिव ने इस विशेष भंगी से ही पार्वती के साथ कीड़ा की थी। इस सविलास अंगविचेष्टित रूप चारी के बाद महाचारी का विधान भी 'नाट्यशास्त्र' में दिया हुआ है। इस समय मूत्रधार जर्जर या ध्वजा को पारिपाश्विकों के हाथ में दे देता था। फिर भूतगण की प्रीति के लिए ताण्डव का भी विधान है। फिर विदूषक आकार कुछ ऐसी ऊलजलूल बातें करता था, जिससे मूत्रधार के चेहरे पर स्मित-हास्य छा जाता था और फिर प्ररोचना होती थी, जिसमें नाटक के विषय-वस्तु अर्थात् किसकी कौन-सी जीत या हार की कहानी अभिनीत होनेवाली है, ये सब बातें बता दी जाती थीं, और अब वास्तविक नाटक शुरू होता था। शास्त्र में ऊपर की कही बातें विस्तारपूर्वक कही गयी हैं। परन्तु साथ ही यह भी कहा गया है कि इस किया को संक्षेप में भी किया जा सकता है। और यदि इच्छा हो तो और भी विस्तारपूर्वक करने का निर्देश देने में शास्त्र चूकता नहीं। ऊपर बतायी हुई क्रियाओं के प्रयोग से यह विश्वास किया जाता था कि अमरा, गन्धवं, दैत्य, दानव, राक्षस, गुह्यक, यक्ष तथा अन्यान्य देवगण और रुद्रगण प्रमन्त्र होते हैं और नाटक निर्विध्न समाप्त होता है। 'नाट्यशास्त्र' के बाद के इसी विषय के लक्षणग्रन्थों में यह विधि इतनी विस्तारपूर्वक नहीं कही गयी है। 'दण्डस्पक', 'साहित्यदर्पण' आदि में तो वहुत संक्षेप में इसकी चर्चा-भर कर दी गयी है। इस बात से यह अनुमान होता है कि बाद को इतने विस्तार और आम्बर के साथ यह क्रिया नहीं होती होगी। विश्वनाथ के 'साहित्यदर्पण' से तो

इतना स्पष्ट ही हो जाता है कि उनके जमाने में इतनी विस्तृत क्रिया नहीं होती थी। जो हो, सन् ईसवी के पहले और बहुत बाद में भी इस प्रकार की विधि रही जरूर है।

## अभिनेताओं के विवाद

कभी-कभी अभिनेताओं में अपने-अपने अभिनय-कौशल की उत्कृष्टता के सम्बन्ध में कलह उपस्थित हो जाता था। साधारणतः यह विवाद दो श्रेणी के होते थे, शास्त्रीय और लौकिक। शास्त्रीय विवाद का एक सरस उदाहरण कालिदास के 'मालविकामिनित्र' में है। इसकी चर्चा हम अन्यत्र कर आये हैं। इसमें रस, भाव, अभिनयभंगिमा, मुद्राएँ, चारियाँ आदि विचारणीय होती थी। कुछ दूसरे विवाद ऐसे होते थे जिनमें लोकजीवन की चेष्टाओं के उपर्याप्त पर मतभेद हुआ करता था। उस समय राजा प्राशिनक नियुक्त करता था। प्राशिनक के लक्षण 'नाट्यशास्त्र' में दिये हुए हैं। यदि वैदिक क्रिया-कलाप-विधयक कोई विवाद होता था तो यज्ञविद् कर्मकाण्डी निर्णायिक (प्राशिनक) नियुक्त होता था। यदि नाच की भंगी से विवाद हुआ तो नर्तक निर्णायिक होता था। इसी प्रकार छन्द के मामले में छन्दोविद्, पाठ-विस्तार के मामले में वैयाकरण, राजकीय विभव या राजकीय अन्तःपुर का आचरण या राजकीय आचरण का विषय हो तो राजा स्वयं निर्णायिक होता था। नाटकीय सौष्ठुद का मामला होता था तो राजकीय दरबार के अच्छे वक्ता दुलाये जाते थे। प्रणाम की भंगिमा, आकृति और उसकी चेष्टाएँ, वस्त्र और आभरण की योजना और नेपथ्यरचना के प्रसंग में चित्रकारों की निर्णायिक बनाया जाता था और स्त्री-पुरुष के परस्पर आकर्षणवाले मामलों में गणिकाएँ उत्तम निर्णायिक समझी जाती थीं। भूत्य के आचरण के विषय में विवाद उपस्थित हुआ तो राजा के भूत्य प्राशिनक होते थे (27-63-67)। अवश्य ही जब शास्त्रीय विवाद उपस्थित हो जाता था तो शास्त्र के जानकारों की नियुक्ति होती थी।

## नाटकों के भेद

अभिनीयमान नाटकों में सब प्रकार के मनोरंजक और रसोदीपक रूपक होते थे। शृंगार, वीर या कहणरसप्रधान ऐतिहासिक 'नाटक', नागरिक रईसी की कवि-कल्पित प्रेम-कथाओं के 'प्रकरण', धूर्तों और दुष्टों का हास्योत्तेजक उपस्थापन-मूलक 'भाण'; स्त्रीहीन, वीररसप्रधान एकांकी 'व्यायोग'; और तीन अंक का 'समवकार'; भयानक दृश्यों को दिखानेवाला भूत-प्रेत पिशाचों का उपस्थापक 'द्विम', स्वर्गीय प्रेमिका के लिए जूझ पड़नेवाले प्रेमियों की सनसनी फैलानेवाली प्रतिस्पर्द्धितावाला 'ईहामृग'; स्त्री-शोक की कहण-कथा-समन्वित एकांकी 'अंक'; एक ही पात्र द्वारा अभिनीयमान विनोद और शृंगारप्रधान 'बीथी', हँसानेवाला 'प्रहसन' आदि रूपक बहुत लोकप्रिय थे। फिर बहुत तरह के उपरूपक भी थे, जिनमें नाटिका का प्रचलन सबसे अधिक था। यह स्त्रीप्रधान चार अंक का नाटक होता था और इसका कार्यक्षेत्र साधारणतः राजकीय अन्तःपुर तक ही सीमित था। प्रकरणिका, सट्टक और ब्रोटक इसी श्रेणी के हैं। गोष्ठी में नौ-दस पुरुष और पाँच या छः स्त्रियाँ अभिनय करती थीं, हल्लीश में एक पुरुष कई स्त्रियों के साथ नृत्य करता था। इसी प्रकार के और भी बहुत-से छोटे-मोटे रूपकों वा अभिनय होता था। परवर्ती ग्रन्थों में अठारह प्रकार के उपरूपक गिनाये गये हैं। उपर्युक्त उपरूपकों के सिवा नाट्यरास है, प्रख्यान है, उल्लास्य है, काव्य है, प्रेखण है, रासक है, संलापक है, श्रीगदित है, शिल्पक है, विलासिका है, दुर्मंलिका है, भाणिका है। अचरज की बात यह है कि इन्हें विशाल सस्कृत-साहित्य में इन उपरूपकों में से अधिकांश को उदाहरणस्वरूप समझने के लिए भी मुश्किल में एकाध पुस्तक मिल पाती है। कभी-कभी तो एक भी नहीं मिलती। सम्भवतः ये लोक-नाट्यरूप में ही जीते हैं। उदाहरण के लिए समवकार नामक रूपक—जिसमें देवामुर-संघर्ष ही बीज होता है; नायक प्रख्यात और उदात्त चरित का (अमुर ?) होता है और जिसमें तीन प्रकार के प्रेम, तीन प्रकार के कपट तथा तीन प्रकार के विद्रव या उत्तेजनामूलक घटनाएँ हुआ करती हैं; जिसमें वारह या अधिर अभिनेता हो सकते थे तथा जो लगभग सात-मात्रा मात्र घण्टे में खेला जाता था—इनका पुराना नमूना नहीं मिलता। वत्सराज का 'समुद्रमन्यन' (12वीं शताब्दी) बहुत वाद की रचना है और भास के 'पंचविंश' नाटक के समवकार होने में सन्देह प्रकट किया गया है। सात-सात घण्टे तक खलनेवाले ऐसे पीराणिक नाटक को लोक-नाट्य समझना ही उचित जान पड़ता है। परवर्ती काल में जब रंगमंच बहुत उन्नत हो गया होगा और कालिदास जैसे कल्पकवि के नाटक उपलब्ध होने लगे होंगे तो ये लम्बे नाटक उपरने स्तर के समाज में उपेक्षित हो गये होंगे। ग्राहारण जनता में मैं फिर भी प्रबलित रहे होंगे और आजकल की रामसीला में पुराने स्त्रिका रूप वा थोड़ा अन्दाजा लगाया जा सकता है। इसी प्रकार ईहामृग,

डिम आदि के भी पुराने नमूने नहीं प्राप्त होते। वारहवी शताब्दी के कवि वत्सराज ने नाट्य-लक्षणों का अध्ययन करके इनके नमूने बनाये थे। उनके समवकार की चर्चा ऊपर हो चुकी है। उनका 'हृविमणीहरण' ईहामृग का उदाहरण है। परन्तु पुराना उदाहरण नहीं मिलता। स्पष्ट है कि शास्त्रकार ने केवल पुस्तकी विद्या का ही विश्लेषण नहीं किया है, बल्कि उन दिनों जितने प्रकार के नाटक और अभिनय प्रचलित थे सबका विश्लेषण किया है। परवर्ती शास्त्रकारों की दृष्टि इतनी उदार और व्यापक नहीं थी।

## ऋतु-सम्बन्धी उत्सव

प्राचीन काव्यों, नाटकों, आख्यायिकाओं और कथाओं से जान पड़ता है कि भारत-वर्षे ऋतु-सम्बन्धी उत्सवों को भलीभांति मनाया करता था। इन उत्सवों में दो बहुत प्रसिद्ध हैं—वसन्तोत्सव और कौमुदीमहोत्सव। पहला वसन्त ऋतु का उत्सव है और दूसरा शरद ऋतु का। सस्कृत का शायद ही कोई उल्लेखयोग्य कवि ही जिसने किसी-न-किसी वट्ठाने इन दो उत्सवों की चर्चा न की हो। वसन्तोत्सव के विषय में यह बात तो अधिक निश्चय के साथ कही जा सकती है। कालिदास-जैसे कवि ने अपने किसी ग्रन्थ में वसन्त का और उसके उत्सव का वर्णन करने का मामूली मौका भी नहीं छोड़ा। 'मेघदूत' वर्षा का काव्य है, पर यक्षप्रिया के उद्यान का वर्णन करते समय प्रिया के चरणों के आघाल ने फूट उठनेवाले अशोक और मुल की मदिरा से सिंचकर खिल उठनेवाले बकुल के बहाने कवि ने वहाँ भी वसन्तोत्सव को याद किया है। आगे चलकर हम देखेंगे कि अशोक और बकुल का दोहर उत्पन्न करना वसन्तोत्सव का एक प्रधान अंग था।

वसन्त के कई उत्सव हैं। इसमें मुवसन्तक और मदनोत्सव का वर्णन सबमें ज्यादा आता है। किसी-किसी पण्डित ने दोनों को एक उत्सव मानकर गलती की है। वात्स्यायन के 'काममूल' में यक्षरात्रि, कौमुदीजागर और सुवसन्तक—ये तीनों उत्सव समस्याकीड़ा के प्रसंग में दिये हुए हैं, अर्थात् इन उत्सवों को नागरिक लोग एकत्र होकर मनाते थे। एक बहुत बाद के आचार्य यशोघर ने मुवसन्तक वा अर्थ मदनोत्सव बताया है। उसी पर से यह भ्रम पण्डितों में फैल गया है। हम आगे चलकर देखेंगे कि मुवसन्तक वस्तुतः अलग उत्सव था और उसके मनाने की विधि भी दूसरे प्रकार की थी। 'काममूल' में होलिका नामक एक अन्य उत्सव का उल्लेख है जो आधुनिक होली के रूप में अब भी जीवित है। प्राचीन ग्रन्थों से जान

पड़ता है कि मदनोत्सव फागुन से लेकर चैत्र के महीने तक मनाया जाता था। इसके दो रूप होते थे, एक सावंजनिक धूमधाम का और दूसरा अन्तःपुरिकाओं के परस्पर-विनोद और कामदेव के पूजने का। इसके प्रथम रूप का वर्णन सुशसिद्ध सग्राट् श्रीहर्षदेव की 'रत्नावली' में इतने भनोहर और सजीव ढंग से अंकित है कि उस उत्सव का अन्दाजा लगाने के लिए उससे अधिक उपयोगी और कोई वर्णन नहीं हो सकता। इस सावंजनिक धूमधाम के अतिरिक्त इसका एक शान्त सहज रूप और भी था। उसका थोड़ा-सा आभास पाठकों को भवभूति-जैसे कवि की शक्तिशाली लेखनी की सहायता से दिया जायेगा।

## संगीत

संगीत का प्रचार इस देश में बहुत पुराने जमाने से है। वैदिक काल में ही सात स्वरों का विभाजन किया गया था, यद्यपि उनके नाम ठीक वही नहीं थे जो परवर्ती काल में प्रचलित हो गये। वैदिक साहित्य में दुन्दुभि, भूमिदुन्दुभि, आधाति आदि आतोद्य वाजे बन चुके थे और वीणा, काण्डवीणा आदि वीणाजातीय तन्त्री यन्त्र भी बन गये थे। रामायण और महाभारत में अनेक वाद्ययन्त्रों के नाम आते हैं और सप्तस्वरों और बाईस श्रुतियों की चर्चा आती है। भरत के 'नाट्यशास्त्र' में इसकी शास्त्रीय विवेचना मिलती है जो बहुत सक्षिप्त भी है और अस्पष्ट भी। इस ग्रन्थ में स्वर, श्रुति, मूर्छना आदि की व्याख्या है। राग का उल्लेख इस ग्रन्थ में नहीं पाया जाता, पर इसके ही समान अर्थों में 'जाति' का व्यवहार किया गया है। संगीत की जातियाँ अठारह बतायी गयी हैं। मतंग नामक आचार्य का वृहदेशी ग्रन्थ प्रथम बार राग का उल्लेख करता है। ग्रन्थ के नाम से ही स्पष्ट है कि मतंग के सामने देशी 'राग' पर्याप्त थे और वे सम्भवतः 'शास्त्रीय' संगीत 'जाति' से अलग ढंग के थे। मतंग सम्भवतः मन् ईसवी की चौथी-पाँचवी शताब्दी में हुए थे। उन्होंने देशी संगीत की परिभाषा इस प्रकार की है—स्त्रियाँ, बालक, गोपाल और धितिपाल अपनी इच्छा से जिन गानों का गायन करते हैं, अर्थात् किसी प्रकार की जास्त्रीय शिक्षा के बिना ही आनन्दोल्लासवण माते हैं, वे 'देशी' कहलाते हैं:

अबलादालगोपालैं क्षितिपालैनिजेच्छ्यते ।

गीयते सानुरागेण स्वदेशो देशिरुच्यते ॥

'राग' का परिचय कालिदास को भी था, क्योंकि 'तवास्मि गीत-रागेण' में राग शब्द का व्यवहार लगभग आधुनिक अर्थ में ही है। कुछ लोग तो इस श्लोक के

'सारंगेण' पद का शिलाष्ट अर्थ करके यह भी बताना चाहते हैं कि सारंग राग का भी उन्हे परिचय था। यदि यह व्याख्या ठीक हो तो कालिदास के युग ने उन प्रमुख रागों का अस्तित्व स्वीकार किया जा सकता है जो बाद में बहुत प्रमुख होकर आये हैं। पर इस व्याख्या के मानने में कुछ ऐतिहासिक अडचनें बतायी जाती हैं। 13वीं शताब्दी के शाङ्कदेव ने इन्हे 'अधुना प्रसिद्ध' कहा है।

## मदनोत्सव

सम्राट् श्रीहर्षदेव के विवरण से जान पड़ता है कि दोषहर के बाद सारा नगर मदनोत्सव के दिन पुरवासियों की करतल-ध्वनि, मधुर संगीत और मृदग के मधुर घोप से भुखरित हो उठता है, नगर के लोग (पौर जन) मदमत्त हो जाते थे। राजा अपने ऊँचे प्रासाद की सबसे ऊपरवाली चन्द्रशाला में बैठकर नगरवासियों के आमोद-प्रमोद को देखा करते थे। नगर की कामिनियाँ मधुपान करके ऐसी मतवाली हो जाती थी कि सामने जो कोई पुरुष पड़ जाता, उस पर पिचकारी (शृङ्खल) के जल की बौद्धार करने लगती थी। बड़े-बड़े रास्तों के चौराहे मदंल नामक बाजे के गम्भीर घोप और चर्चंरी की ध्वनि से शब्दायमान हो उठते थे। ढेर-का-ढेर सुगन्धित अदीर दसों दिशाओं में इतना उड़ता रहता था कि दिशाएँ रंगीन हो उठती थी। जब नगरवासियों का आमोद पूरे गढ़ाव पर आ जाता तो नगरी के सारे राजपथ केशरमिथित अदीर में इस प्रकार भर उटते थे मानो उसकी छाया पड़ रही हो। लोगों के शरीर पर शोभायमान अलंकार और सिर पर पहने हुए अशोक के लाल फूल, इस लाल-पीले सौन्दर्य को और भी अधिक बढ़ा देते थे। ऐसा जान पड़ता था कि नगरी के सभी लोग सुनहरे रंग में ढूँबो दिये गये हैं।

कीर्णं पिप्टातकोधैः कृतिदिवसमुख्यैः कुकुमक्षोदगीरैः

हेमालकारभाभिर्भरनमितशिखैः दोषरैः कैकिरातैः ।

ऐपा वैपाभिलक्ष्यस्वभवनविजितादोषवित्तेशकोपा

कौशाम्बी शातकुंभद्रवष्वचितजनेवैक्षीता विभाति ।

(रत्नायली, 1-11)

राजकीय प्रासाद तथा अन्य समृद्धिशाली भवनों के नामनेवाने अग्नि में निरन्तर फव्वारा छूटा करता था, जिससे अपनी-अपनी पिचकारी में जल भरने की होड़-मी मची रहती थी। इस स्थान पर पौरयुवतियों के बराबर आने रहने में उनकी माँग के मिन्दूर और गान के अदीर भरते रहते थे, मारा अग्नि नाम

कीचड़ रो भर जाता था और कर्ण सिन्दूरमय हो उठता था :

धारायंत्रविमुक्तसन्ततपयःपूरप्लुते सर्वतः

सद्यः सान्द्रविमर्दकर्दं मकुतक्रोडै क्षणं प्रांगणे ।

उद्दामप्रमदाकपोननिपतत् सिन्दूररागारुणे ।

सेन्दूरीक्रियते जनेन चरणान्यासैः पुरः कुट्टिमम् ॥

(‘रत्नावली’, 1-12)

उस दिन वेश्याओं के मुहर्लने में सबसे अधिक हुड़दंग दिखायी देता था । रसिक नागरिक पिचकारियों में सुगम्भित जल भरकर वेश्याओं के कोमल शरीर पर फेंका करते थे और वे सीत्कार करके सिहर उठती थी । वहाँ इतना अवीर उड़ता था कि सारा मुहल्ला अन्धकारमय हो जाया करता था ।

अन्तःपुर की रसिका परिचारिकाएँ हाथ में आश्र-मंजरी लिये हुए द्विपदी-खण्ड का गान करती, नृत्य करने लगती थी । इस दिन इनका आमोद मर्यादा की सीमा पार कर जाता था । वे मदपान से मत्त हो उठती थी । नाचते-नाचते उनके केशपाश शिथिल हो जाते थे, कबरी (जूँड़ा) को बांधनेवाली मालतीमाला खिसक-कर न जाने कहाँ गायब हो जाती थी, पैर के नूपुर झटकन-मटकन के बेग की न सेंभाल सकने के कारण दुगुने जोर से भनभनाते रहते थे—नगरी के भीतर और बाहर सर्वत्र आमोद और उल्लास की प्रचण्ड आँधी वह जाती थी :

स्त्रस्तः स्त्रगदामशोभा त्यजति विरचितान्याकुल. केशपाशः ।

क्षीवाया नूपुरी च द्विगुणतरमिमी कन्दतः पादलग्नो ।

व्यस्तः कम्पानुबंधादनवरतमुरो हन्ति हारोऽयमस्याः ।

क्रीडन्त्याः पीड़येव स्तनभरविनमन् मध्यमंगानपेक्षम् ॥

मदनोत्सव के सार्वजनिक उत्सव का एक अपेक्षाकृत अधिक शान्त-स्निग्ध चित्र भवभूति के ‘मालती-माधव’ नामक प्रकरण में पाया जाता है । उत्सव के दिन मदनोद्यान में, जो विशेष रूप से इसी उत्सव का उद्यान होता था और जिसमें कामदेव का मन्दिर हुआ करता था, नगर के स्थी-पुरुष एकत्र होते थे और भगवान् कन्दपं की पूजा करते थे । वहाँ सब लोग अंपनी इच्छा के अनुसार फूल चुनते, माला बनाते, अवीर-कुकुम से श्रीङ्गा करते और नृत्यनीत आदि से मनोविनोद किया करते थे । इस मन्दिर में प्रतिष्ठित परिवार की कन्याएँ भी आती और मदन देवता की पूजा करके मनोभिलपित वर की प्रार्थना किया करती थी । लोगों की भीड़ प्रातःकाल से ही शुरू हो जाती और सायंकाल तक अवाध चलती रहती थी । ‘मालती-माधव’ में वर्णित मदनोद्यान में अमात्य भूरिवसु की कन्या मालती भी पूजन के लिए और उत्सव मनाने के लिए गयी थी । सशस्त्र पुरुषों से सुरक्षित एक विशाल हाथी की पीठ पर बैठकर वह आयी थी और उसी पर बैठकर लौट गयी थी । मालती सवियोंसमेत मदनोद्यान में सैर करने भी गयी थी । इससे जान पढ़ता है कि इस मेले में केवल साधारण नागरिक ही नहीं आते थे, सम्भ्रान्तवंशीया कन्याएँ भी घूम-फिर सकती थीं ।

मदनोत्सव के इन दो वर्णनों के पढ़ने से पाठकों के मन में इनके परस्पर विरोधी होने की शंका हो सकती है। पहले वर्णन में नगर के लोग नगर में ही सायंकाल मदमत्त हो उठते थे, पर दूसरे वर्णन से जान पड़ता है कि वे सबेरे से लेकर शाम तक मदनोद्यान के मेले में जाया करते थे। परन्तु असल में यह विरोध नहीं है। वस्तुतः मदनोत्सव कई दिन तक मनाया जाता था। समूचा वसन्त कहतु ही उत्सवों से भरा होता था। पुराण-ग्रन्थों के देखने से जान पड़ता है कि मदनोत्सव चैत्र शुक्ल द्वादशी को शुरू होता था। उस दिन लोग ब्रत रखते थे। अशोकवृक्ष के नीचे मिट्टी का कलश स्थापन किया जाता था। उसमें सफेद चावल भर दिये जाते थे। नाना प्रकार के फल और इख विशेष रूप से पूजोपहार का काम करती थी। कलश को सफेद वस्त्र से ढक दिया जाता था और श्वेत चम्दन छिड़का जाता था। कलश के ऊपर एक ताम्रपत्र रखा जाता था उसके ऊपर कदलीदल विछाकर कामदेव और रति की प्रतिमा बनायी जाती थी। नाना भाँति के गन्ध-धूप से और नृत्य-वाद्य से कामदेव को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया जाता था ('मत्स्यपुराण' ७वाँ अध्याय)। इसके दूसरे दिन अर्थात् चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को भी मदन की पूजा होनी थी और सम्मिलित भाव से स्तुति की जाती थी। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी की रात को केवल पूजा ही नहीं होती थी, नाना प्रकार के अश्लील गान भी गाये जाते थे और पूर्णिमा के दिन छक्कर उत्सव मनाया जाता था। सम्भवत त्रयोदशी-वाला उत्सव ही मदनोद्यान का उत्सव है और पूर्णिमावाला 'रत्नावली' में वर्णित मदनोत्सव।

## अशोक में दोहद

इस उत्सव का सबसे अधिक आकर्षक और सरस रूप अन्त पुर के अशोक वृक्षतने होनेवाली मदन-पूजा है। महाराज भोजदेव के 'सरस्वती कण्ठाभरण' में स्पष्ट ही तिखा है कि यह उत्सव त्रयोदशी के दिन होता था, उस दिन कुसुमभी रंग की कंचुकीमात्र धारण करनेवाली तरुणियाँ छक्कर उत्सव मनाया करती थीं। महाकवि कालिदास के 'मालविकाग्निमित्र' से और श्रीहर्षदेव की 'रत्नावली' से इस उत्सव की एक झलक मिल जाती है। 'मालविकाग्निमित्र' से जान पड़ता है कि उम दिन मदनदेव की पूजा के पश्चात् अशोक में दोहद उत्पन्न किया जाता था। यह दोहद किया इस प्रकार होती थी—कोई सुन्दरी सब प्रकार के आभरण पहनकर पैरों में महावर लगाकर और नूपुर धारणकर बायें चरण में अशोक वृक्ष

पर आधात करती थी। इस चरणाधात की विलक्षण महिमा थी। अशोक वृक्ष नीचे से ऊपर तक पुष्प-स्तवकों (गुच्छों) से भर जाता था। साधारणतः रानी ही यह वार्य करती थी, परन्तु 'मालविकाग्निमित्र' में वर्णित घटना के दिन उनके पैर में चोट आ गयी थी इसलिए अपनी परिचारिकाओं में सबसे अधिक सुन्दरी 'मालविका' को ही उन्होंने इग कार्य के लिए नियुक्त किया था। मालविका वी एक सखी बकुलावलिका ने उसे महावर और नूपुर पहना दिये। मालविका अशोकवृक्ष के पास गयी, उसके पल्लवों के एक गुच्छे को हाथ से पकड़ा, फिर दाहिनी ओर जरा झुकी और वार्ये पैर को धोरे से उठाकर अशोकवृक्ष पर एक मृदु आधात किया। नूपुर जरा-आ झुगभुना गया और यह आश्चर्यचक्र उसके कृत्य समाप्त हुआ। राजा इस उत्सव में सम्मिलित नहीं हुए थे, बाद में संयोगवश आ उपस्थित हुए थे। रानी की अनुपस्थिति ही शायद उनकी अनुपस्थिति का कारण थी। पर 'रत्नावली' वाले वर्णन में रानी ने ही प्रधान हिस्सा लिया था, वहाँ राजा और विद्युपक उपस्थित थे और अन्तेष्ठुर की अन्य परिचारिकाएँ भी मौजूद थीं। अपनी सबसे सुन्दर परिचारिका सागरिका को रानी ने जान-बूझकर वहाँ से हटा दिया था। अशोकवृक्ष के नीचे सुन्दर स्फटिक-विनिमित आसन पर रानी ने राजा को बैठाया, पास ही दूसरे आसन पर वसन्तक नामक विद्युपक भी बैठ गया। कांचनमाला नामक प्रधान परिचारिका ने रानी के सुन्दर कोमल हाथों में अबीर-कुकुम-चन्दन और पुष्प-सम्मार दिये। रानी ने पहले भद्रनदेव की पूजा की और फिर पुष्पांजलि पति के चरणों पर विषेर दी। ब्राह्मण वसन्तक को यथारीति दक्षिणा दी गयी। यह सब कार्य सायंकाल के आसपास हुए, क्योंकि पूजाविधि के समाप्त होते ही बैतालिकों ने सन्ध्याकालीन स्तुति पाठ किया और राजा ने पूर्व की ओर देखा कि कुकुम और अबीर में लिपटे हुए चन्द्रदेव प्राची दिशा को लाल बनाकर उदय-मच पर आसीन हुए। इस दिन पूर्णिमा थी।

श्री भोजदेव के 'सरस्वतीकण्ठाभरण' से यह जान पड़ता है कि यह किसी निश्चित तिथि का उत्सव नहीं था। जिस किसी दिन इसका अनुष्ठान हो सकता था। इस उत्सव का विशेष नाम 'अशोकोत्तंसिका' (पृ. 574) था।

शारदातनय के 'भावप्रकाश' में वसन्त के निम्नाक्षित उत्सवों का उल्लेख (पृ. 137) है—अष्टमी-चन्द्र, शक्राचार्या इन्द्रपूजन, वसन्त या सुवसन्तक, मदनोत्सव, बकुल और अशोक के वृक्षों के पास विहार और शालमली मूल-बेलन या एकशालमली-विनोद। इसके अतिरिक्त निदाधकाल के कई विनोद भी वसन्त में मनाये जा सकते होगे; क्योंकि शारदातनय ने निदाध (श्रीप्त) उत्सवों के पहले यह लिख दिया है कि ये प्रायः श्रीप्तमन्तु के हैं, अर्थात् अन्य ऋतु में भी इनका निपेद नहीं है। 'कामसूत्र' की जयमंगला टीका से कई विनोदों का वसन्त में मनाया जाना निश्चित है। निदाध में प्रायः मनाये जानेवाले उत्सवों के नाम ये हैं—उद्यानयात्रा, मलिल-क्रीड़ा (जल-क्रीड़ा), पुष्पावचयिका (फूल चुनना), नवाम्रत्वादनिका (नये आम का खाना) और आम और माधवीलता का विवाह।

इनमें प्रायः सभी वसन्त के वर्णन के सिलसिले में प्राचीन ग्रन्थों में वर्णित है। जलकीड़ा और नये आम का खाना भी वसन्त के अन्तिम दिन में असम्भव नहीं है।

## सुवसन्तक

‘सरस्वतीकण्ठाभरण’ के अनुसार सुवसन्तक वसन्तावतार के दिन को कहते हैं। अर्थात् जिस दिन प्रथम बार वसन्त पूर्णी पर उत्तरता है। इस तरह आजकल के हिसाब से यह दिन वसन्तपंचमी को पड़ा चाहिए। ‘मात्स्यसूक्त’ और ‘हरि-भक्तिविलास’ आदि ग्रन्थों के अनुसार इसी दिन वसन्त का प्रथम प्रादुर्भाव होता है। इसी दिन मदन की पहली पूजा विहित है। इसी दिन उस युग की विलासिनियाँ कण्ठ में दुष्प्राप्य नव आम्रमजरी धारण करके ग्राम को जगमग कर देती थीं :

छणपिठधूसरत्थणि महुमअतम्बच्छ कुवलभाहरणे ।  
कंठकअचूअमंजरि पुति तुए मडियो गामो ॥

—‘सरस्वतीकण्ठाभरण’, पृ 575

और कालिदास के ‘ऋतुसंहार’ से स्पष्ट है कि पुराने गर्म कपड़ों को फेंककर कोई लाक्षारस से या कुकुम के रंग से रंजित और सुगन्धित कातागुरु से सुवासित हल्की लाल साड़ियाँ पहनती थीं, कोई कुसुमभी दुकूल धारण करती थी और कोई-कोई कानों में नवीन कर्णिकार के फूल, नील अलको (बेशो) में लाल अशोक के फूल और वक्ष स्थल पर उत्कूल नव-मलिकाकी भाला धारण करती थीं :

गुरुणि वासासि विहाय तूर्ण तनूनि लाक्षारसरंजितानि ।  
सुगन्धिकालागुरुधूपितानि धत्तेऽङ्गना कामदालसाङ्घी ॥13॥  
कुसुम्भरागारुणितैदुं कूलैनितम्बविवानि विलासिनीनाम् ।  
रक्ताशुकैः कुकुमरागारैरलकियन्ते स्तनमण्डलानि ॥14॥  
कर्णेषु योग्यं नवकर्णिकारं चलेषु नीलेष्वलकेष्वशोक ।  
पुष्पं च फुलं नवमलिकाया व्रान्ति प्रमदाजनस्य ॥16॥

## उद्यानयात्रा

उन दिनों वरान्त कृतु की उद्यानयात्रा और बन-यात्राएँ काफी मजेदार होती थी। 'कामसूत्र' (पृ. 53) से स्पष्ट है कि निश्चित दिन को दोपहर के पूर्व ही नागरिक-गण सजघज कर तैयार हो जाते थे। घोड़ों पर चढ़ करके किसी दूर स्थित उद्यान या बन की ओर — जो एक दिन में ही लौट आने योग्य दूरी पर होता था—जाया करते थे। कभी-कभी इनके साथ गणिकाएँ भी होती थीं और कभी-कभी अन्तः-पुर की गृहदेवियाँ होती थीं। इन उद्यान-यात्राओं में कुकुट (मुर्ग), लाव, बटेरो आदि और मेष अर्थात् भेड़ों की लड़ाइयाँ हुआ करती थीं। ये युद्ध काफी उत्तेजक होते थे और लड़नेवाले पशु-पक्षी लहूलुहान हो जाते थे। इनकी नृशंसता देखकर ही शायद सन्नाट अशोक ने अपने शिलालेखों में इनकी मनाही का फर्मान जारी किया था। तो, इन उद्यानयात्राओं या पिकनिक-पार्टियों में हिन्दोल-लीला, समस्या-पूर्ति, आख्यायिका, विन्दुमती, आदि प्रहेलिकाओं के खेल होते थे। वसन्तकालीन बनविहार में कई उल्लेखयोग्य खेल यहाँ दिये जा रहे हैं। कीड़ेकशालमली या शालमली-मूल-खेलन नाम का विनोद 'कामसूत्र', 'भावप्रकाश' और 'सरस्वती-कण्ठाभरण' आदि ग्रन्थों में दिया हुआ है। ठीक यह किस तरह का होता था, कुछ समझ में नहीं आता। पर फलों से लड़े किसी एक ही सेमर के पेड़तले अँख-मिथोनी खेलने के रूप में यह रहा होगा। सेमर का पेड़ ही क्यों चुना जाता था, यह समझ में नहीं आता। शायद उन दिनों वसन्त में लाल कपड़े पहने जाते थे और यह कुमुम-निर्भर (लाल फूलों से लदा) पेड़ लूका-चोरी खेलने का सर्वोत्तम साधन रहा हो। आजकल यह किसी प्रदेश में किसी रूप में जी रहा है कि नहीं, नहीं मालूम। यहाँ यह कह रखना उचित है कि 'कामसूत्र' की जयमंगला टीका के अनुसार इस विनोद का प्रचलन विदर्भ या वरार प्रान्त में अधिक था।

## वसन्त के अन्य उत्सव

उदकट्टवेडिका भी पुराना विनोद है। यह होली के दिन अब भी निसान्देह जी रहा है और ऊपर थीर्हपंदेव की गवाही से हमने मदनोत्सव का जो वर्णन पढ़ा है, उस पर से निश्चित रूप से अनुमान किया जा सकता है कि आज वह अपने मूल रूप में ही जीता है। बौस की पिचकारियों में सुगन्धित जल भरकर मुक्कगण अपने

प्रियजनों को सराबोर कर देते थे। यही उद्दकथवेडिका कहा जाता था। इसका उल्लेख 'कामसूत्र' में भी है, और जयमंगला टीका के अनुसार इस विनोद का प्रचलन मध्यदेश में ही अधिक था। नागरिकाएँ जब अनंगदेव (कामदेव) की पूजा के लिए आम्र-मजरी चुनकर कानों में पहनकर निकलती थीं तो उनके परस्पर हास-विलास से यह कार्य अत्यन्त सरस हो उठता था। पुरुष कभी अलग और कभी स्त्रियों के साथ इस चयन-कार्य को करते थे। इसे चूत-भंजिका कहते थे। वसन्त काल में फूल चुनना उन दिनों की नागरिकाओं के लिए एक खासा मनोविनोद था। इसे पुष्पावचायिका कहते थे। भोजदेव तो कहते हैं कि सुन्दरियों की मुख-मदिरा से सिंचने पर जब बकुल फूलता था, तब उसी के फूल चुनकर यह उत्सव मनाया जाता था ('सरस्वतीकण्ठाभरण', पृ. 576)। सखियों के उपालम्भ-वाक्यों और प्रिय-हृदयों के उल्लिङ्गित विलास से कुसुमावचय का वह उत्सव बहुत स्फूर्तिप्रद होता था; क्योंकि कवियों ने जी खोलकर इसका वर्णन किया है। वसन्तकाल में जिस प्रकार प्रकृति अपने-आपको निशेष भाव से उद्धुद कर देती है, उसी प्रकार जब मनुष्य भी कर सके तो उत्सव सम्भव है। प्रकृति ने अगर उल्लास प्रकट ही किया किन्तु मनुष्य जड़ीभूत बना रहा तो उत्सव कहाँ हुआ? दूसरी ओर यदि मनुष्य ने अपना हृदय खोलकर फूले हुए बृक्षों और मदिरायित मलय-पवन का आनन्द उपभोग किया तो प्रकृति की जो भी अवस्था क्यों न हो, वह आनन्ददायक ही होगी। मनुष्य ही प्रधान है, प्रकृति का उत्सव उसी की अपेक्षा में होता है। सकृत कवि ने इस महासत्य का अनुभव किया था। भारतवर्ष का चित्त जब स्वतन्त्र था, जब वह उल्लास और विलास का सामंजस्य कर सकता था, उन दिनों मनुष्य की इस प्रधानता का ठीक-ठीक अनुभव कर सका था। फूल तो बहुत खिलते हैं, परन्तु पुष्प-पल्लवों से भरी हुई धरती असल में वह है जहाँ मनुष्य के सुन्दर चरणों का संसर्ग है, जहाँ उसका मनोभ्रमर दिनरात मँडराया करता है:

सन्तु द्रुगाः किमलयोत्तरपत्रभाराः प्राप्ते वसन्तसमये नक्थमित्यमेव  
न्यासैर्नवद्युतिमतोऽपदयोस्तवेयं भू-पुष्पिता सुतनु पल्लवितेव भाँति ॥  
—‘सूक्तिसहस्र’

एक और उत्सव है, अभ्यूपल्लादिनिका। गेहूं, जी आदि शूक धान्य, तथा चना, भट्टर आदि शमी धान्य के कच्चे पौधे में लगी फलियों को भूनकर अभ्यूप और होलाका नामक खाद्य बनाये जाते थे। नागर लोग इन वस्तुओं को खाने के लिए नगर के बाहर धूमधाम के साथ जाया करते थे। आजकल यह उत्सव वसन्त-पञ्चमी के दिन मनाया जाता है।

इस प्रकार वसन्त की हवा कुसुमित आम की शाखाओं को कौपाती हुई आती थी, कोकिला की हूकभरी कूक दसों दिशाओं में फैला देती थी और शीतकालीन जडिमा में मुक्त मानव-चित्त को जवर्दस्ती हरण कर ले जाती थी :

आवम्पयन् कुसुमिताः सहकारशाखाः  
विस्तारयन् परभृतस्य वचांसिदिधु ।

वायुर्विवाति हृदयानि हरन्नराणा  
नीहारपातविगमात् सुभगो वसन्ते ॥

—‘ऋतुसंहार’, 6-22

उस समय पर्वतमाला के अनुपम सौन्दर्य से लोगों का चित्त विसोहित हो गया होता था, उसके सानुदेश में उन्मत्त कोकिल कूक उठते थे, प्रान्तभाग विविध कुसुम-समूह से लहक उठता था, शिलापट्ट सुगन्धित शिलाजतु की सुगन्धि से महक उठता था और राजा लोग सब देखकर आमोद-विह्वल हो उठते थे :

नानामनोज्ञकुसुमद्वूषभूपितान्तान्  
हृष्टान्यपुष्टनिनदाकुलसानुदेशान् ।  
शैलेयजालपरिणद्विशिलातलोधान्  
दृष्टा जनः क्षितिभूतो मुदमेति सर्वः ।

—ऋ. सं., 6-25

## दरवारी लोगों के मनोविनोद

जो लोग राजसभाओं में बैठते थे वे भिन्न-भिन्न मनोवृत्तियों के होते थे । जब तक राजा सिंहासन पर बैठ रहते थे तब तक तो सारी सभा शान्त और समत बनी रहती थी । दरवारी लोग अपनी-अपनी स्थिति और पदवी के अनुसार यथास्थान बैठे रहते थे, परन्तु राजा के आने के पहले और बीच में उनके उठ जाने पर सब लोग अपनी-अपनी रुचि के अनुमार मनोविनोद में लग जाते थे । ‘कादम्बरी’ में इस मनोविनोद का अच्छा-मा चित्र दिया हुआ है । जब राजा सभा में उपस्थित नहीं थे, उस समय कोई-कोई सामन्त पाशा खेलने के लिए कोठे खीच रहे थे, कोई पाशा फेंक रहे थे, कोई बीणा बजा रहे थे, कोई चित्रफलक पर राजा की प्रतिभूति अंकित कर रहे थे, कोई-कोई काव्यालाप में व्यस्त थे, कोई-कोई आपस में हँसी-दिलगी में मशगूल थे, कुछ लोग विन्दुमती नामक काव्यात्मक खेल में उत्सुक हुए थे अर्थात् बहुत-में विन्दुओं में अकार, उचार आदि मात्राएँ सगा दी गयी थीं और उन पर में पूरे श्लोक का थे उद्धार कर रहे थे, कुछ लोग प्रहेलिका (पहेली) नामक काव्यभेद पर रम ले रहे थे, कोई-कोई गजा के बनाये हुए श्लोकों फी चर्चा कर रहे थे, कोई-कोई विद्यमान रसिक ऐसे भी थे जो भरी सभा में यार-विलागि-नियों के बगड़ और कपोन आदि में निलक्षणना कर रहे थे, कुछ लोग उन रसगियों के गाय ठिक्की कर रहे थे, कुछ लोग बन्दीबनों में पुराने प्रतापी राजाओं

का गुणगान सुन रहे थे और इस प्रकार अपनी रुचि और सुविधा के अनुसार कालयापन कर रहे थे। राजसभा के बाहर राजा के विशाल प्रासाद के एक पार्श्व में कही कुत्ते बंधे थे; कही कस्तूरी मूँग विचरण कर रहे थे; कही कुबड़े, बौने, नपुंसक, गूँगे, बहरे आदमी घूम रहे थे; कही किन्नरयुगल और वनमानुप विहार कर रहे थे; कही सिंह-व्याघ्र आदि हिंस्त जन्तुओं के पिंजड़े वर्तमान थे। ये सभी वस्तुएँ दरखारियों के मनोविनोद का साधन थीं। स्पष्ट ही मालूम होता है कि राजदरवार के मुख्य विनाद में काव्यकला सबसे प्रमुख थी। वस्तुतः राजसभा में सात अंगों का होना परम आवश्यक माना जाता था। ये सात अंग हैं: (1) विद्वान्, (2) कवि, (3) भाट, (4) गायक, (5) मसखरे, (6) इतिहासज्ञ, और (7) पुराणज्ञ।

विद्वासः कवयो भट्टा गायकाः परिहासकाः ।

इतिहासपुराणज्ञाः सभा सप्तांग-संयुता ॥

## काव्यशास्त्र विनोद

पुराना भारत विश्वास करता था कि बुद्धिमानों का काल काव्य-शास्त्र-विनोद में कट्टा है—‘काव्यशास्त्रविनोदेन कालो गच्छति धीमताम्’। हमने देखा ही है कि सभा, समाज, उद्यानयात्रा, पुत्रजन्म, भेला, यात्रा, कोई भी ऐसा अवसर नहीं आता था जिसमें वह काव्यालाप से विनोद न पाता हो। राजा कवि-सभाओं का नियमित आयोजन करते थे। हमने इस प्रकार की राजसभाओं को पहले ही लक्ष्य किया है। इन सभाओं में कवियों की परीक्षा हुआ करती थी। वासुदेव, सातवाहन, शूद्रक, साहसांक आदि राजाओं ने इस विशाल परम्परा को चलाया था और बहुत हाल तक सभी यशोभिलापी भारतीय नरेश इस परम्परा का पोषण करते आये हैं। ‘काव्य-मीमांसा’ में राजगेहर ने लिखा है कि राजा लोग स्वयं भी किस प्रकार भाषा और काव्य की मर्यादा पर ध्यान देते थे—अपने परिवार में कई राजाओं ने कड़े नियम बनाये थे ताकि भाषागत माधुर्य हास न होने पाये। जैसे; सुना जाता है मगध में राजा शिशुनाग ने यह नियम कर दिया था कि उनके अन्तःपुर में ट, ठ, ड, ढ, श्र, प, स, ह, इन आठ वर्णों का उच्चारण कोई न करे। दूरस्तेन के राजा कुविन्द ने भी कटु संयुक्त अक्षरों के उच्चारण का प्रतिपेध कर दिया था। कुन्तलदेश में राजा सातवाहन की आज्ञा थी कि उनके अन्तःपुर में केवल प्राकृत भाषा बोली जाय। उज्ज्विनी में राजा साहसांक की आज्ञा थी कि उनके

अन्तःपुर मे केवल संस्कृत धोली जाय ।

कवियों का नाना भाव से सम्मान होता था । समस्याएँ दी जाती थीं, और प्रहेलिका, विन्दुमत्ती आदि से परीक्षा ली जाती थीं । कवि सोग भी काफी सावधान हुआ करते थे । कोई उनकी रचना चुरा न ले, सुनकर याद करके अपने नाम से चला न दे, इस बात का ध्यान रखते थे । राजशीखर ने बताया है कि जब तक काव्य पुरा नहीं हुआ हो तब तक दूसरों के सामने उमे नहीं पढ़ना चाहिए । इसमें यह दूर रहता है कि वह आदमी उस काव्य को अपना पहकर स्पात कर देगा—फिर कौन साक्षी दे सकेगा कि किसकी रचना है ? सम्मानेच्छु कवियों में परस्पर-प्रतिस्पर्द्धी भी खूब हुआ करती थीं । नाना भाव से एक-दूसरे को परास्त करने का जो प्रयत्न होता था उसकी कई मनोरंजक कहानियाँ पुराने ग्रन्थों में मिल जाती हैं । इस राजसभा में काव्यपाठ करना सामान्य बात नहीं थी । चिन्तासक्त मन्त्रियों की गम्भीर मूर्ति, सबकुछ करने के लिए प्रतिक्षण तत्पर दूतों की कठोर मुखमुद्रा, प्रान्तभाग मे खुफिया विभाग के धूर्तं मनुष्य, वहूतर ऐश्वर्यशालियों के हाथी-धोड़े-लाव-लश्कर की अभिभूत कर देनेवाली उपस्थिति, कायस्थों की कुटिल भूकुटियाँ और नयी-नयी कूटनीतिक चिन्ताओं का सर्वत्र विस्तार माझूली साहसवाले कवि को त्रस्त-शंकित बना देता था । एक कवि ने तो राजा के सामने ही इस राजसभा को हित्त-जन्तुओं से भरे समुद्र के समान कहकर अपना चित्त-विक्षोभ हल्का किया था :

चिन्तासक्तनिमग्नमंथि-सलिलं दूतोर्मिशाखाकुलम्,

पर्यन्तस्थितचारनकमकरं नागाश्वहित्वाश्रयम् ।

नानावाशकाकंकपक्षिहचिरं कायस्थसर्पास्पदम्,

नीतिक्षुण्णतटं च राजकरणं हित्तः समुद्रायते ॥

नया कवि इस राजसभा में बड़ी कठिनाई मे पड़ जाता था । एक कवि ने राजसभा में प्रथम बार आये हुए सम्भ्रम से कवि की बाणी को नवविवाहिता वधू से उपमा दी है । विना बुलाये भी वह आना चाहती है, गले से उलझकर रह जाती है, पूछने पर भी बोलती नहीं, काँपती है, स्तम्भित हो रहती है, अचानक फीकी पड़ जाती है । गला रुद्ध जाता है, अंख और मुँह की रोशनी धीमी पड़ जाती है । कवि बड़े अफसोस के साथ अनुभव करता है कि बाणी है या नबोढ़ा वह है—दोनों मे इतनी समानता है !

नाहूतापि पुरः पद रचयति प्राप्तोपकंठं हठात्

पृष्टा न प्रविवक्ति कम्पमयते स्तंभं समालम्बते ।

वैवण्यं स्वरभङ्गमञ्चति वलान्मन्दाक्षमन्दानना

कष्टं भोः प्रतिभावतोऽयभिसभ बाणी नबोढायते ॥



न तस्य वक्तृत्वमुद्भवः स्याच्छिक्षाविशेषैरपि सुप्रयुक्तः ।  
न गदंभो गायति शिक्षितोऽपि सर्दीशतं पश्यति नार्कमन्धः ॥

—‘कविकण्ठाभरण’, 1-22-23

यह और बात है कि पूर्व जन्म के पुण्य में मन्त्रसिद्ध कवित्व हो जाय या फिर इसी जन्म में सरस्वती की साधना से देवी प्रसन्न होकर कवित्वशक्ति का वरदान दें (‘कविकण्ठाभरण’, 1-24), परन्तु प्रतिभा योड़ी-बहुत आवश्यक तो है ही । कवित्व सिखलानेवाले ग्रन्थों का यह दावा तो नहीं है कि वे गधे को गाना सिखा देंगे, परन्तु इतना दावा वै अवश्य करते हैं कि जिस व्यक्ति में योड़ी-सी भी शक्ति ही उसे इस योग्य बना देंगे कि वह सभाओं और समाजों में कीर्ति पा से ।

## उक्ति-वैचित्र्य

यदि हम इस बात को ध्यान में रखें तो सहज ही समझ आ जाता है कि उक्ति-वैचित्र्य को इन अलंकारिकों ने इतना महत्त्व क्यों दिया है । उक्ति-वैचित्र्य बाद-विजय और भगवनोद की कला है । भामह ने बताया है कि वक्त्रोक्ति ही समस्त अलंकारों का मूल है और वक्त्रोक्ति न हो तो काव्य ही नहीं हो सकता । भामह की पुस्तक पढ़ने से यही धारणा होती है कि वक्त्रोक्ति का अर्थ उन्होंने कहने के विशेष प्रकार के दंग को ही समझा था । वे स्पष्ट रूप से ही कह गये हैं कि सूर्य-अस्त्र हुआ, चन्द्रमा प्राणित हो रहा है, पक्षी अपने-अपने घोंसलों में जा रहे हैं, इत्यादि वाक्य काव्य नहीं हो सकते; यद्योकि इन कथनों में कही वक्त्रभज्जिमा नहीं है । दोप उनके मत से उस जगह होता है जहाँ वाक्य की वक्ता अर्थप्रकाश में वापर होती है । भामह के याद के आलंकारिकों ने वक्त्रोक्ति को एक अलंकार मात्र माना है । किन्तु भामह ने वक्त्रोक्ति को काव्य का मूल समझा है । दण्डी भी भामह के मन का गमधंन कर गये हैं; यद्यपि वे वक्त्रोक्ति का अर्थ अतिशयोक्ति या वक्त्र-चड़ाकर वहना बता रहे हैं । वक्त्रोक्ति को निश्चय ही बहुत दिनों तक काव्य का एकमात्र मूल माना जाता रहा, पर व्यावहारिक रूप में कभी भी काव्य में वक्त्र वक्त्रोक्ति मूलक—अर्थात् निर्दोष वक्त्र-भंगिमा के रूप कहे हुए वाक्य के हामे उत्तरा प्रयोग नहीं होता था । उन दिनों भी रगमय काव्य लिखे जाते थे और गप पूछा जाय तो गरग काव्य जितने उन दिनों लिखे गये उतने और कभी लिखे ही नहीं गये । यम्भुगः आलंकारिक लोग तब भी ठीक-ठीक काव्यस्वरूप को समझा नहीं सकते । कुरुक्षुर या कुरुक्षुन नाम के एक आचार्य सम्भवतः नयीं या दगड़ी

शताब्दी में हुए। उन्होंने अपनी असाधारण प्रतिभा के बल पर 'वक्रोवित' शब्द की एक ऐसी व्यापक व्याख्या की जिससे वह शब्द काव्य का वास्तविक स्वरूप समझाने में बहुत दूर तक सफल हो गया। कुन्तक के मत का सार मर्म इस प्रकार है—केवल शब्दों में भी कवित्व नहीं होता और केवल अर्थ में भी नहीं। शब्द और अर्थ दोनों के साहित्य में अर्थात् एक साथ मिलकर भाव प्रकाश करने के सामंजस्य में काव्यत्व होता है।

वैसे तो ऐसा कभी नहीं होगा कि शब्द और अर्थ परस्पर-विच्छिन्न होकर श्रोता के समक्ष उपस्थित हो। शब्द और अर्थ तो जैसा कि गोस्वामी तुलसीदासजी कह गये हैं—‘मिरा अर्थ जल बीचि सम कहियत भिन्न न भिन्न’। वे एक-दूसरे को छोड़कर रह नहीं सकते, फिर शब्द और अर्थ के साहित्य में काव्य होता है ऐसा कहना क्या वेकार का प्रलापमात्र नहीं है? कुन्तक जवाब देते हैं कि यहीं तो वक्रोवित का चमत्कार है। काव्य में शब्द और अर्थ के साहित्य में एक विशिष्टता होनी चाहिए। जब कवि-प्रतिभा के बल पर एक वाक्य अन्य वाक्य के साथ एक विचित्र विन्यास में विन्यस्त होता है तब एक-दूसरे शब्द से मिलकर जिस प्रकार स्वर और ध्वनि लहरी के आतान-वितान से रमणीय माधुर्य का सर्जन करेंगे, उसी प्रकार दूसरी ओर तद्गमित अर्थ भी उसके साथ तुल्ययोगिता करके परस्पर को एक नवीन चमत्कार से चमत्कृत करेंगे। इसी प्रकार ध्वनि के साथ ध्वनि के मिलने से और अर्थ के साथ अर्थ के मिलने से जो दो परस्पर से स्पर्शी करनेवाली चाहताएँ (सुन्दरताएँ) उत्पन्न होंगी, उनका पारस्परिक सामंजस्य ही यहाँ साहित्य शब्द का अर्थ है। उदाहरण के लिए दो रचनाएँ ली जा सकती हैं। दोनों में भाव एक ही है।

चन्द्रमा धीरे-धीरे उदय होकर डरता-डरता आसमान में चल रहा है, क्योंकि मानिनियों के गरम-गरम आँसुओं से कलुपित कटाक्षों की चोट उसे वार-वार खानी पड़ रही है। एक कवि ने इसे इस प्रकार कहा :

मानिनीजनविलोचनपातानुप्णवाप्कलुपानभिगृहणन् ।

मन्दमन्दमुदितप्रथयी खं भीतभीत इव शीतमयूखः ॥

दूसरे ने जरा जमके इस प्रकार कहा :

ऋगादेकद्वित्रिप्रभृतिपरिपाटीः प्रकटयन्,

कला स्वैरं स्वैरं नवकमलकन्दांकुररुच ।

पुरुष्णीणा प्रेयोविरहदनोदीपितदृशां,

कटाक्षेभ्यो विभ्यन् निभृत इव चन्द्रोऽभ्युदयते ॥

यहाँ दोनों कविताओं का अर्थ एक ही है, पर दूसरी कविता में शब्द और अर्थ की मिलित चाहता-सम्पत्ति ने सहृदय के हृदय में विशेष भाव से चमत्कार पैदा किया है।

अस्तु, हमें यहाँ आलंकारिकों के बाल के खाल निकालनेवाले तर्कों को दुहराने की इच्छा विलुप्त नहीं है। हम केवल काव्य के उस मनोविनोदात्मक पहलू का

स्मरण कराना चाहते हैं जो राज-समाओं, सहृदय-गोष्ठियों, अन्तःपुर के समाजों और सरस्वती-भवनों में नित्य मुखरित हुआ करती थी। आगे हम इस विषय में कुछ विस्तार से कहने का अवसर सोजेंगे। यहाँ इतना ही स्मरणीय है कि प्राचीन भारतीय काव्य का एक महत्वपूर्ण अश कवि के रचना-कौशल और सहृदय के मनोविनोद के लिए लिखा गया था। इन रचना-कौशल का जब कभी प्रदर्शन होता था तो दर्शकों की भीड़ लग जाया करती थी, इसमें विजयी होनेवाले का गीरव इतना अधिक था कि कभी-कभी बड़े-बड़े समाट विजयी कवि की पातकी में कन्धा लगा देते थे !

## कवियों की आपसी प्रतिस्पर्द्धा

कभी-कभी परस्पर की प्रतिस्पर्द्धा से कवियों की असाधारण भेदाभित, हाजिर-जवाबी और औदायं का पता चलता है। कहानी प्रसिद्ध है कि नैपथ्यकार श्रीहर्षकवि के वंशधर हरिहर नामक कवि गुजरात के राजा वीरध्वल के दरबार में आये। सभा में स्वयं उपस्थित न होकर उन्होंने अपने एक विद्यार्थी को भेजा और राजा वीरध्वल, मन्त्री वस्तुपाल तथा राजकवि सोमेश्वर के नाम अलग-अलग आशीर्वाद भेजे। राजा और मन्त्री ने श्रीतिष्ठवंक आशीर्वाद स्वीकार किया, पर कवि सोमेश्वर ईर्ष्या से मन-ही-मन ऐसा जले कि उस विद्यार्थी से बात तक नहीं की। हरिहर कवि ने यह बात गाँठ बाँध ली। दूसरे दिन कवि के सम्मान के लिए राजसभा की आयोजना हुई, सब आये, सोमेश्वर नहीं आये। उन्होंने कोई बहाना बना लिया। कुछ दिन इसी प्रकार बीत गये। हरिहर पण्डित का सम्मान बढ़ता गया। एक दूसरे अवसर पर राजा ने हरिहर पण्डित से कहा कि 'पण्डित, मैंने इस नगर में वीरनारायण नामक प्रासाद बनवाया है, उस पर प्रशस्ति खुदवाने के लिए मैंने सोमेश्वर पण्डित से 108 श्लोक बनवाये हैं, तुम भी देख लो कैसे हैं।' पण्डित ने कहा, 'मुनवाइए।' राजाज्ञा में सोमेश्वर पण्डित श्लोक सुनाने लगे। हरिहर पण्डित ने सुनने के बाद काव्य की बड़ी प्रशंसना की और बोले, 'महाराज, काव्य ही तो ऐसा ही हो। महाराज भोज के 'सरस्वतीकण्ठाभरण' नामक प्रासाद के गर्भ-गृह में ये श्लोक खुदे हुए हैं। मुझे भी याद हैं। सुनिए।' इतना कहकर पण्डित ने सभी श्लोक पढ़कर सुना दिये। सोमेश्वर का मुँह पीला पड़ गया। राजा और मन्त्री सभी ने उन्हें चोर-कवि समझा। ऊपर से किसी ने कुछ कहा नहीं, परन्तु उनका सम्मान जाता रहा। सोमेश्वर हैरान थे; वयोंकि श्लोक वस्तुतः उनके ही बनाये हुए थे। मन्त्री वस्तु-

पाल—जो उन दिनों लघु भोजराज नाम से ख्यात थे—के पास जाकर गिड़-गिड़ाकर बोले कि ‘श्लोक मेरे ही है।’ मन्त्री ने कहा कि ‘हरिहर पण्डित की शरण जाओ तभी तुम्हारी मान-रक्षा हो सकती है।’ अन्त में सोमेश्वर ने वही किया। शरणागत की मान-रक्षा का भार कवि हरिहर ने अपने ऊपर ले लिया। दूसरे दिन राज सभा में हरिहर कवि ने बताया कि सरस्वती ने उन्हें वर दिया है कि एक सौ आठ श्लोक तक वे एक बार सुनकर ही याद कर सकते हैं और सोमेश्वर को अपदस्थ करने के लिए ही उस दिन उन्होंने एक सौ आठ श्लोक सुना दिये थे। वस्तुतः वे सोमेश्वर के ही श्लोक थे। राजा को असली वृत्तान्त मालूम हुआ तो आश्चर्यचकित रह गये और दोनों कवियों को गले मिलवाकर दोनों में प्रेम-सम्बन्ध स्थापित कराया (‘प्रबन्ध-कोश’, 12)।

मन्त्री वस्तुपाल की सभा में इन हरिहर पण्डित का बड़ा सम्मान था। वहाँ मदन नाम के एक दूसरे कवि भी थे। हरिहर और मदन में बड़ी लाग-डॉट थी। सभा में यदि दोनों कवि जुट गये तो कलह निश्चित था। इसीलिए मन्त्री ने द्वारपाल से हिदायत कर दी थी कि एक के रहते दूसरा सभा में न आने पाये। एक दिन द्वारपाल की असावधानी से यह दुघंटना ही ही गयी। हरिहर कवि अपना काव्य सुना रहे थे कि मदन पहुँचे। आते ही डॉटा, ‘ऐ हरिहर, घमण्ड छोड़ो, बढ़कर बातें मत करो। कविराजहृषी मत गजराजों का अंकुश मैं मदन आ गया हूँ।’

‘हरिहर परिहर गर्वं कविराजगजाकुशो मदनः।’

हरिहर ने तड़ाक से जवाब दिया, ‘मदन, मुँह बन्द करो। हरिहर का चरित मदन की पहुँच के बाहर है।’

‘मदन विमुद्रय वदनं हरिहरचरितं स्मरातीतं।’

मन्त्री ने देखा बात बढ़ रही है। बीच में टोक करके बोले, ‘भई, झगड़ा बन्द करो। इस नारिकेल को लक्ष्य करके सौ-सौ श्लोक बनाओ। जो आगे बना देगा उसकी जीत होगी।’ मदन और हरिहर दोनों ही काव्य बनाने में उलझ गये। मदन ने जब तक सौ पूरे किये तब तक हरिहर साठ ही में रहे। मन्त्री ने कहा, ‘हरिहर पण्डित, तुम हारे।’ हरिहर ने तपाक से कहा, ‘हारे कैसे! और खट से एक कविता पढ़कर सुनायी—‘अरे गौवार जुलाहे, क्यों गौवार औरतों के पहनने के लिए सैंकड़ों घटिया किस्म के कपड़े बुनकर अपने को परेशान कर रहा है? भले आदमी, कोई एक ही ऐसी साढ़ी क्यों नहीं बनाता जिसे क्षण-भर के लिए भी राजमहिपियाँ अपने वक्षःस्थल से हटाना गवारा न करें:

रे रे ग्रामकुर्विद कन्दलतया वस्त्राणयमूनि त्वया  
गोणीविभ्रमभाजनानि वहुशः स्वात्मा किमायास्यते ।

अप्येक रुचिरं चिरादभिनवं वासस्तदासून्यता

यन्नोज्ञन्ति कुचस्यलात् क्षणमपि क्षोणीभृतां वल्लभाः ॥

मन्त्री ने प्रसन्न होकर दोनों कवियों का पर्याप्त सम्मान किया।

राजसभा में शास्त्र-चर्चा भी होती थी। नाना शास्त्रों के जानकार पण्डित तर्कयुद्ध में उत्तरते थे। जीतनेवाले का सम्मान यहाँ तक होता था कि कभी-कभी राजा पालकी में अपना कथा लगा देते थे। प्राचीन ग्रन्थों में ब्रह्मरथयान और पट्टवन्ध नामक सम्मानों के उल्लेख हैं। जो पण्डित सभा में विजयी होता था उसके रथ को जब राजा स्वयं खींचते थे तो उसे 'ब्रह्मरथयान' कहते थे और जब राजा स्वयं सुवर्णपट्ट पण्डित के मस्तकपर बाँध देते थे तो उसे 'पट्टवन्ध' कहा जाता था। पाटलिपुत्र में उपर्युक्त, वर्ष, पाणिनि, पिगल, व्याढि, वरहचि और पतञ्जलि का ऐसा ही सम्मान हुआ था और उज्जयिनी में कालिदास, मेठ, धमर, सूर, भारवि, हरिश्चन्द्र और चन्द्रगुप्त का ऐसा सम्मान हुआ था।

राजसभाओं में विजयी होना जितने गौरव की बात थी, पराजित होता उतने ही अगौरव और निन्दा की। अनुश्रुतियों में पराजित पण्डितों के आत्मघात तक कर लेने की बातें सुनी जाती हैं। जयन्तचन्द्र राजा के राजपण्डित हरिकवि राजसभा में हारकर मरे थे, ऐसा प्रसिद्ध है। इसी पण्डित के पुत्र प्रसिद्ध श्रीहर्षकवि हुए जिन्होंने पिता के अपमान का बदला चुकाया था। वहुत थोड़ी उम्र में ही वे विद्या पढ़कर राजसभा में उपस्थित हुए थे। जब राजा की स्तुति उन्होंने उत्तम काव्यों से की तो उनके पिता को पराजित करनेवाले पण्डित ने उन्हे 'कोमल बुद्धि का कवि' कहकर तिरस्कार किया। श्रीहर्ष की भवें तन गयी, कढ़ककर उन्होंने जवाब दिया — 'चाहे संहित्य-जैसी सुकुमार वस्तु हो या न्याय-शास्त्र की गौठवाला तर्कशास्त्र, दोनों ही दोनों में वाणी मेरे साथ समान रूप से विहार करती है। यदि पति हृदयगम हो तो चाहे मुलायम गदा हो चाहे कुशों और कौटों से आकीर्ण बनभूमि, स्त्री की समान प्रीति ही प्राप्त होती है':

साहित्ये सुकुमारवस्तुनि दृढ़न्यायग्रह्यग्रन्थिले  
तर्के वा मधि संविधातरि समं लीलायते भारती।  
शश्या वास्तु मृदूतरच्छदवती दर्भाड़कुरैरावृता  
भूमिर्वा हृदयंगमोयदि पतिस्तुल्या रतिर्योपिताम् ॥

और उक्त पण्डित को किसी भी शास्त्र के तर्क-युद्ध में उत्तरने के लिए लल-कारा। उम पण्डित को पराजित करके कवि ने अशेष कीर्ति प्राप्त की।

## विद्वत्सभा में परिहास

पण्डितों की सभा में किसी सीधे-मादे व्यक्ति को बैठाकर उसे भूर्य घनाकर रम लेने की जो मनोवृत्ति सर्वत्र पायी जाती है, उसका भी परिचय प्राचीन ग्रन्थों में मिल

जाता है। प्रसिद्ध बीद साधक भुसुकपाद को इसी प्रकार भूत्यं बनाने का प्रयत्न किया गया था। वह मनोरंजक कहानी इस प्रकार है:

नालन्दा के विश्वविद्यालय में एक गावदी-जैसा आदमी आया और नालन्दा के एक प्रान्त में उसने एक भाँपड़ी बनायी और वही वाम करने लगा। वह प्रिपिटक दी व्याख्या सुनता और साधना करता। वह हमेशा शान्त भाव से रहता था, इसलिए नोग उसे शान्तिदेव कहने लगे। नालन्दा के सघ में एक और भास्म भुसुकु में वह विस्तात हुआ। इसका कारण यह था कि 'भुद्जानोऽपि प्रभास्वरः सुप्तोऽपि कुटीभूगतोऽपि तदेवेति भुसुकुममाधिममापनात्वात् भुसुकु नामज्ञ्याति' संघेऽपि' अर्थात् भोजन के समय उसकी भूति उज्ज्वल रहनी, सोने के समय उज्ज्वल रहती और कुटी में बैठे रहने पर भी उज्ज्वल रहती।

इस प्रकार से बहुत दिन बीत गये। शान्तिदेव जिनी के साथ बहुत बात नहीं करते, अपने मन में अपना काम करते जाते। लेकिन लड़कों ने उनके साथ दृष्टिकोण करना शुरू कर दिया। बहुत में लोगों के मन में हुआ कि वे कुछ जानते नहीं, अतः वे किसी दिन उन्हें अप्रतिम करने की बात उन लोगों ने सोची। नालन्दा में नियम था कि ज्येष्ठ भास की शुक्लाष्टमी को पाठ और व्याख्या होती थी। नालन्दा के बड़े विहार के उत्तरपूर्व के कोने में एक बहुत बड़ी धर्मशाला थी। पाठ और व्याख्या के लिए उसी धर्मशाला को मजापा जाता था। सभी पण्डित वही जुटते और अनेकों श्रोता सुनने के लिए आते। जब भभा जुड़ गयी, पण्डित लोग आ गये और सब कुछ तैयार हो गया तब लड़कों ने जिद पकड़ी कि 'शान्तिदेव आज तुम्हें ही पाठ और व्याख्या करनी हीमी।' शान्तिदेव जितना ही इन्कार करते उतना ही लड़के जिद पकड़ते और अन्त में उन्हें पकड़कर उन लोगों ने बैदी पर बैठा ही दिया। उन लोगों ने सोचा कि ये एक भी बात नहीं बोल सकेंगे, तब हम लोग हैंमेंगे और ताली बजायेंगे। शान्तिदेव गम्भीर भाव से बैठकर बोले, "किम् आर्यं पठामि अर्थार्थं वा।" मुनकर पण्डित लोग स्तव्य रह गये। वे लोग आर्य सुन चुके थे, अर्थार्थ नहीं। उन लोगों ने कहा कि इन दोनों में भेद क्या है। शान्तिदेव बोले, "परमार्थ ज्ञानी को ऋषि कहते हैं। वे ही बुद्ध और जिन हैं। वे लोग जब कुछ कहते हैं वही आर्य बचन है। प्रश्न हो सकता है कि सुभूति आदि आचार्यों ने अपने शिष्यों को उपदेश देने के लिए जो ग्रन्थ लिखे हैं उन्हें आर्य कैसे कहा जा सकता है? इसके उत्तर में युवराज आर्य मैत्रेय का वह बचन उद्घृत किया जा सकता है जिसमें कहा गया है कि आर्य बचन वस्तुतः उसे ही कहा जायेगा जो सुन्दर अर्थ से युक्त हो, धर्म-भाव से अनुप्राणित हो, त्रिवातु-स-स्वलेश का उपशमन करनेवाला हो, तृष्णा का उच्छेद करनेवाला हो और प्राणीमात्र की कल्याण-बुद्धि से प्रेरित हो। ऐसे ही बचन को आर्य कहा जायेगा और इसके विपरीत जो है वही अनार्य है। आर्य और अनार्य की यही व्याख्या पारमार्थिक है, अन्य व्याख्याएँ ठीक नहीं हैं। आर्य मैत्रेय का बचन है :

यदर्थंवद् धर्मपदोपसंहितं श्रिधातुसंबलेश-निवर्हणं वचः ।

भवे भवेच्छान्त्यनुशंसददर्शकं तद्वत्कमार्पं विपरीतमन्यथा ॥

“ऐसे ही आर्पं ग्रन्थो से अर्थं नेकर अन्य पण्डितों ने जो ग्रन्थ लिखे हैं वे अर्थार्पं कहलाते हैं। अर्थार्पं ग्रन्थो के मूल आर्पं ग्रन्थ है। अतएव आर्पं ग्रन्थ से पण्डित लोगों ने जो कुछ खीचकर संग्रह किया है वही अर्थार्पं है और सुभूति आदि आचार्यों के जो उपदेश हैं वे आर्पं हैं क्योंकि उसके अधिष्ठाता भगवान् हैं।” पण्डित लोगों ने कहा, “हम लोगों ने आर्पं बहुत सुना है तुमसे कुछ अर्थार्पं सुनेंगे।

इसके पूर्व ही शान्तिदेव ‘बोधिचर्यावितार’, ‘शिक्षा-समुच्चय’ और ‘सूत्र-समुच्चय’ नामक तीन अर्थार्पं ग्रन्थ लिख चुके थे। कुछ देर तक ध्यान करने के बाद वे ‘बोधिचर्यावितार’ का पाठ करने लगे। शुरू से ही पाठ आरम्भ हुआ। बोधिचर्या की भाषा बड़ी ललित है, मानो वीणा के स्वर में वेंधी हो; भाव अत्यन्त गम्भीर, संक्षिप्त और मधुर है। पण्डित सोग स्तव्य होकर सुनने लगे। लड़कों ने सोचा था कि इस आदमी को हँसी में उड़ा देंगे, लेकिन वे भक्ति से आप्लुत हो जठे। कम से जब पाठ जमने लगा, महायान के गूढ़तत्त्वों की व्याख्या होने लगी और जब शान्तिदेव मधुर स्वर से—

“यदा न भावो नाभावो मतोः सन्तिष्ठते पुरः ।

तदान्यगत्यभावेन निरालम्बः प्रशास्यति ॥”

इस इलोक की व्याख्या कर रहे थे, हठात् स्वर्ग का द्वार खुल गया और श्वेत वर्ण के विमान पर चढ़कर, शरीर की कान्ति से दिग्नत को आलोकित करते हुए मञ्जुश्री उतरने लगे। व्याख्या खत्म होने पर वे शान्तिदेव को गाढ आलिङ्गन में बाँधकर विमान पर चढ़ाकर स्वर्ग ले गये। दूसरे दिन पण्डित लोग उनकी कुटी में गये वहाँ ‘बोधिचर्यावितार’, ‘शिक्षा-समुच्चय’ और ‘सूत्र-समुच्चय’ ये तीन पोथियाँ उन्हें मिली और उन लोगों ने इनका प्रचार कर दिया। इन तीनों में दो ही प्राप्य है, केवल ‘सूत्र-समुच्चय’ का पता नहीं लग रहा है। जो दो पोथियाँ मिली हैं, ये छापी भी गयी है (हरप्रसाद शास्त्री : बौ. गा. दो ) ।

## कथा आख्यायिका

राजसभा में कथा-आख्यायिका का कहनेवाला काफी सम्मान पाता था। संस्कृत में कथा का माहित्य बहुत विशाल है। विद्वानों का अनुमान है कि संसार-भर में भारतीय कथाएँ फैली हुई हैं। जो कथा सम्मान दिलाती थी वह जैमन्तीमें नहीं

सुनायी जाती थी। केवल घटनाओं को प्राचीन भारतीय बहुत महत्त्व नहीं देते थे। घटनाओं को उपलक्ष्य करके कवि श्लेषों की झड़ी बाँध देगा, विरोधाभासों का ठाठ खड़ा कर देगा, श्लेष-परिपुष्ट उपमाओं का जंगल लगा देगा, तब जाकर कहेगा कि यह अमुक घटना है। वह किसी भी ऐसे अवसर की उपेक्षा नहीं करेगा जहाँ उसे एक उत्प्रेक्षा या दीपक या रूपक या विरोधाभास या श्लेष करने का अवसर मिल जाय। प्रसिद्ध कथाकार सुबन्धु ने तो ग्रन्थ के आरम्भ में प्रतिज्ञा ही कर ली थी कि आदि से अन्त तक श्लेष का निर्वाह करेंगे। पुराने कथाकारों में सबसे थ्रेष्ट बाणभट्ट है। इन्होंने कथा की प्रशंसा करते हुए मानो अपनी ही रचना के लिए कहा था कि सुस्पष्ट मधुरालाप से और हावभाव से नितान्त मनोहरा तथा अनुरागवश स्वयमेव शय्या पर उपस्थित अभिनवा वधू के समान सुगम कला-विद्या सम्बन्धी वाक्यविन्यास के कारण सुश्राव्य और रस के अनुकरण के कारण विना प्रयास शब्दगुम्फ को प्राप्त करनेवाली कथा किसके हृदय में कौतुकयुक्त प्रेम नहीं उत्पन्न करती? सहजबोध्य दीपक और उपमा अलंकार से सम्पन्न अपूर्व पदार्थ के समावेश से विरचित और अनवरत श्लेषालाकार से किञ्चित् दुर्बोध्य कथाकाव्य, उज्ज्वल प्रदीप के समान उपादेय चम्पक-पुष्प की कली से गुंथे हुए और वीच-वीच में चमेली के पुष्पों से अलकृत धन-सन्निविष्ट मोहनमाला की भाँति किसे आकृष्ट नहीं करता?

सच पूछा जाय तो बाणभट्ट ने इन पंक्तियों में कथा-काव्य का ठीक-ठीक लक्षण दिया है। कथा कलालाप-विलास से कोमल होगी, कृत्रिम पद-संघटना और अलंकारप्रियता के कारण नहीं बल्कि बिना प्रयास के रस के अनुकूल गुम्फवाली होगी, उज्ज्वल दीपक और उपमाओं से सुसज्जित रहेगी और निरन्तर श्लेष अलंकार के आते रहने के कारण जरा दुर्बोध्य भी होगी—परन्तु हारी वातें रस की अनुवर्त्तिनी होंगी। अर्थात् संस्कृत के आलकारिक जिस रस को काव्य की आत्मा कहते हैं, जो अंगी है, वही कथा और आख्यायिका का भी प्राण है। काव्य में कहानी गौण है, पदसंघटना भी गौण है, मुख्य है केवल रस। यह रस अभियक्त नहीं किया जा सकता, शब्द से वह अप्रकाश है। उसे केवल व्यंग्य या ध्वनित किया जा सकता है। इस बात में काव्य और कथा-आख्यायिका में इस रस के अनुकूल कहानी, अलंकार-योजना और पद संघटना सभी महत्त्वपूर्ण हैं, किसी की उपेक्षा नहीं की जा सकती। एक पद के बन्धन में मुक्त होने के कारण ही गद्य-कवि की जवाबदेही बढ़ जाती है। वह अलंकार की और पद-संघटना की उपेक्षा नहीं कर सकता। कहानी तो उसका प्रधान वक्तव्य ही है। कहानी के रस को अनुकूल रख कर इन शर्तों का पालन करना सचमुच कठिन है और इसलिए संस्कृत के आलोचकों ने गद्य को कविता की कसौटी कहा है—‘गद्यं कवीनां निकपं वदन्ति’।

अब प्रश्न हो सकता है कि यदि रस सचमुच ही इन कथा-आख्यायिकाओं की आत्मा है तो अलंकारों की इतनी योजना क्यों जरूरी समझी गयी। आज के युग में वह बात समझ में नहीं आ सकती। जिन दिनों ये काव्य लिखे गये थे उन दिनों

भारतवर्ष की समृद्धि अतुलनीय थी। उन दिनों के समाज की अवस्था और सहृदय की मनोवृत्ति जाने विना इनको ठीक-ठीक समझना असम्भव है। उन दिनों के सहृदयों की शिक्षा-दीक्षा आज से बहुत भिन्न थी। उनके मनोविनोद में काव्य-चर्चा का महत्वपूर्ण स्थान था।

## वृहत्कथा

कथा-साहित्य की चर्चा करते समय 'वृहत्कथा' को नहीं भूला जा सकता। 'रामायण', 'महाभारत' और 'वृहत्कथा' ये तीन ग्रन्थ समस्त संस्कृत काव्य, नाटक कथा-आश्वायिका और चम्पू के मूल उत्स हैं। भारतवर्ष के तीनों वडे-वडे गद्य-काव्यकार दण्डी, सुवन्धु और वाणभट्ट 'वृहत्कथा' के ऋणी हैं। भारतवर्ष का यह दुर्भाग्य ही कहा जाना चाहिए कि यह अमूल्य निधि आज अपने मूल रूप में प्राप्त नहीं है। सन् ईसवी की आठवीं-नवीं शताब्दी तक के भारतीय साहित्य में 'वृहत्कथा' और उसके लेखक गुणाद्य पण्डित की चर्चा प्रायः ही आती रहती है। यहाँ तक कि लगभग 875 ई. में कम्बोडिया की एक संस्कृत प्रशस्ति में गुणाद्य और उनकी 'वृहत्कथा' की चर्चा आती है। परन्तु आज वह नहीं मिलती। यह ग्रन्थ संस्कृत में नहीं वल्कि प्राकृत में लिखा गया था और प्राकृत भी पैशाची प्राकृत। - इसके निर्माण की कहानी वडी ही मनोरंजक है।

गुणाद्य पण्डित महाराज सातवाहन के सभापण्डित थे। एक बार राजा सातवाहन अपनी प्रियाओं के साथ जलकीड़ा करते समय संस्कृत की कम जानकारी के कारण लज्जित हुए और यह प्रतिज्ञा कर दीठे कि जब तक संस्कृत धारावाहिक रूप में लिखने-बोलने नहीं लगेंगे तब तक वाहर मुँह नहीं दिखायेंगे। राज-वाज बन्द हो गया। गुणाद्य पण्डित बुलाये गये। उन्होंने एक वर्ष में संस्कृत मिला देने की प्रतिज्ञा की, पर एक अन्य पण्डित ने छः महीने में ही इस असाध्य-साधन का मकल्प किया। गुणाद्य ने इस पर प्रतिज्ञा की कि यदि कोई छः महीने में संस्कृत मिला देगा तो वे संस्कृत में लिखना-बोलना ही बन्द कर देंगे। छः महीने बाद राजा तो सचमुच ही धारावाहिक रूप में संस्कृत बोलने लगे, पर गुणाद्य को मौत होकर नगर से बाहर चला जाना पड़ा। उनके दो शिष्य उनके साथ ही लिये। वहीं किसी शापप्रस्त पिशाचयोनि-प्राप्त गन्धवं में कहानी सुनकर गुणाद्य पण्डित ने इस विशाल ग्रन्थ को पैशाची भाषा में लिया। कागज का काम सूखे चमड़े में और स्थानी का काम रखने से लिया गया। पिशाचों की वस्ती में और मिल ही नया

सकता था ! कथा सम्पूर्ण करके गुणाद्य अपने शिष्यों सहित राजधानी को लौट आये । स्वयं नगर के उपान्त भाग में ठहरे और ग्रन्थ शिष्यों से राजा के पास स्वीकारार्थ भिजवा दिया । राजा ने अवहेलनापूर्वक इस मौनोन्मत्त लेखक द्वारा चमड़े पर रखत में निसे हुए पैशाची ग्रन्थ का तिरस्कार किया । राजा ने कहा कि भला ऐसे ग्रन्थ के बक्तव्य-वस्तु में विचारयोग्य हो ही यां गङ्कता है ।

पैशाची वाग् मसी रखत मौनोन्मत्तश्च लेखक ।

इति राजाऽन्नवीत् का वा वस्तुसारविचारणा ॥

—‘बृहत्कथामंजरी’, 1187

शिष्यों में यह समाचार मुनकर गुणाद्य बड़े व्यथित हुए । चिता में ग्रन्थ को फैक्ने ही जा रहे थे कि शिष्यों ने फिर एक बार मुनने का आग्रह किया । आग जला दी गयी, पण्डित आसन बांधकर बैठ गये । एक-एक पन्ना पढ़कर मुनाया जाने लगा और समाप्त होते ही आग में डाल दिया जाने लगा । कथा इतनी मधुर और इतनी मनोरंगक थी कि पशु-पक्षी-मृग-व्याघ्र आदि सभी खाना-पीना छोड़कर तन्मय भाव से मुनने लगे । उनके माम सूख गये । जब राजा की रन्धनशाला में ऐसे ही पशुओं का मास पहुँचा तो शुक्र मास के भक्षण से राजा के पेट में दर्द हुआ । वैद्य ने नाड़ी देखकर रोग का निदान किया । कसाइयों से कैफियत तलब की गयी और इस प्रकार अज्ञात पण्डित के कथावाचन की मनोहारिता राजा के कानों तक पहुँची । राजा आश्चर्यचित होकर स्वयं उपस्थित हुए, लेकिन तब तक ग्रन्थ के सात भागों में से छः जल चुके थे । राजा पण्डित के पैरों पर गिरकर सिर्फ एक ही भाग बचा सके । उस भाग की कथा हमारे पास मूल रूप में तो नहीं, पर सस्कृत अनुवाद के रूप में अब भी उपलब्ध है ।

बुद्धस्वामी के ‘बृहत्कथाश्लोकसंग्रह’ क्षेमेन्द्र की ‘बृहत्कथामंजरी’ और सोमदेव के ‘कथासरित्सागर’ में ‘बृहत्कथा’ (या वस्तुतः ‘बड़कहा’, क्योंकि यही उसका मूल नाम था) के उस अवशिष्ट अंश की कहानियां संगृहीत हैं । इनमें पहला ग्रन्थ नेपाल के और बाकी कश्मीर के पण्डितों की रचना है । पण्डितों में गुणाद्य के विषय में कई प्रश्नों को लेकर काफी मतभेद रहा है । पहली बात है कि गुणाद्य कहाँ के रहनेवाले थे । कश्मीरी कथाओं के अनुसार वे प्रतिष्ठान में उत्पन्न हुए थे और नेपाल कथा के अनुसार कौशाम्बी में । फिर काल को लेकर भी मतभेद है । कुछ सोग सातवाहन को और उनके साथ ही गुणाद्य को सन् ईसवी के पूर्व की पहली शताब्दी में रखते हैं और कुछ बहुत बाद में । दुर्भाग्यवश यह काल-सम्बन्धी भगड़ा भारतवर्ष के सभी प्राचीन आचार्यों के साथ अविच्छेद रूप से सम्बद्ध है । हमारे साहित्यालोचकों का अधिकांश श्रम इन कालनिर्णय-सम्बन्धी कसरतों में ही चला जाता है । ग्रन्थ के मूल बक्तव्य तक पहुँचने के पहले सर्वंत्र एक तर्क का दुस्तर केनिल समुद्र पार करना पड़ता है । एक तीसरा प्रश्न भी ‘बृहत्कथा’ के सम्बन्ध में उठता है । वह यह कि पैशाची किस प्रदेश की भाषा है । इधर ग्रियसंन-जैसे भाषा-विशेषज्ञ ने अपना यह फैसला सुना दिया है कि पैशाची भारतवर्ष के

उत्तर-पश्चिम सीमान्त की बर्बंर जातियों की भाषा थी। ये कच्चा मांस स्थाते थे, इसीलिए इन्हे पिशास या पिशाच कहा जाता था। गुणाद्य की पुस्तकों के सभी संस्कृत संस्करण कश्मीर में (सिफ़ एक नेपाल में) पाये जाते हैं, इस पर से ग्रियर्सन का तर्क प्रबल ही होता है।

## प्राकृत काव्य के पृष्ठपोषक सातवाहन

हमने पहले ही देखा है कि सातवाहन राजा के विषय में यह प्रसिद्ध चली आती है कि उन्होंने अपने अन्तःपुर में यह नियम ही बना दिया था कि केवल प्राकृत भाषा का ही व्यवहार हो। उनके सभापण्डित गुणाद्य का प्राकृत ग्रन्थ कितना-महत्वपूर्ण है, यह भी हमने देख लिया है। स्वयं सातवाहन बहुत अच्छे कवियों में गिने गये हैं। सातवाहन के सम्बन्ध में भारतीय साहित्य में बहुत अधिक लोककथाएँ प्रचलित हैं। सातवाहनवशी राजा दक्षिण में बहुत दिनों तक राज्य करते रहे। संस्कृत में सातवाहन शब्द कई प्रकार से लिखा मिलता है, सातवाहन, सालवाहन, शालिवाहन आदि। शिलालेखों में 'साड' भी मिलता है। संक्षेप में सात या साल कहने की भी प्रथा थी। इसीलिए यह इशारा किया जाता है कि 'हाल' नाम वस्तुतः साल या साड का रूपान्तर है। यह अनुमान बहुत गलत नहीं लगता। हेमचन्द्राचार्य की 'देशी नाममाला' से भी इसका समर्थन होता है। जो भी हो, सातवाहन में कोई 'हाल' नाम के बड़े ही प्रबल पराक्रमी राजा हुए हैं। 'मोदकः माताडय' वाली कहानी में उनके संस्कृत के अज्ञान का जो उपहास किया गया है, उसका करण उनका प्राकृत-प्रेम ही है। उन्होंने कोई प्राकृत गाथा-कोश का संपादन किया था जो 'हाल की सत्तसई' के नाम से बाद में प्रसिद्ध हुआ। यह प्राकृत सत्तसई शृंगाररम की बहुत सुन्दर रचना है। इसमें ग्राम-जीवन का बहुत ही सरम चित्प्रण है। कभी-कभी तो इसकी गाथाओं में शृंगार रम विलकुल नहीं है, पर टीकाकारों ने रगड़ के उसमें से शृंगाररम निकाल लिया है। 'हाल की सत्तसई' प्राकृत काव्य के उद्दर्श्य का निर्दर्शन है। यह ग्रन्थ जैसा कि 'गाथा कोश' नाम से प्रकट है, हाल द्वारा संगृहीत कोई मंश्रह-ग्रन्थ रहा होगा, परन्तु उनकी अपनी कविताएँ भी इसमें अवश्य हैं। 'प्रबन्धकोश' में इस संग्रह की एक मनोरंजक कहानी दी हुई है। इस कहानी में भी राजा का जलविहार और 'मोदकः माताडय' की कहानी पहले लैसी ही है। याद में राजाअपमानित होकर सरस्वती की आराधना करता है, और उनकी कृपा से सारे नगर को आधे पहर के लिए कवि बनने का गोरख प्राप्त होता

है। फलतः राजा ने उस आधे पहर की लिखी हुई नगरवासियों की दस करोड़ गाथाएँ संग्रह की। यही संगृहीत गाथाएँ 'सातवाहनशास्त्र' नाम से प्रसिद्ध हुईं (प्रबन्धकोश, पृ. 72)। 'सप्तशती' उसका बहुत सक्षिप्त रूप है। प्राकृत के काव्यों, कथाओं और आख्यायिकाओं के ये सबसे बड़े पृष्ठपोपक हुए। ऐसे राजा के लिए प्राकृत कवि कौतूहल ने अपनी प्रिया से ठीक कहा था कि 'हे प्रिये, यह वह राजा था जिसके विना सुकवियों की काव्यरचना सुचिर परिचिन्तित होनेपर भी दरिद्रों के मनोरथ की तरह जहाँ से उठती थी वही विलीन हो जाती थी :

हियएच्चेय विसयंति सुइर परिचितियावि सुकईणं,

जेण विणा दुहियाणं व मणीरहा कव्वविनिवेसा ।

—लीला., पृ. 18

## कथाकाव्य का मनोहर वायुमण्डल

कथाकाव्य का वायुमण्डल अत्यन्त मनोहर है। वह अद्भुत भोहक लोक है, इस दुनिया में वह दुलंभ है। वही प्रभात होते ही पद्म-मधु से रंगे हुए बृद्ध कलहंस की भाँति चन्द्रमा आकाश गंगा के पुलिन से उदास-सा होकर पश्चिम जलधि के तट पर उत्तर आता था, दिल्लीमण्डल बृद्ध रंकु मृग की रोमराजि के समान पाण्डुर हो उठता था, हाथी के रक्त में रञ्जित सिंह के सटाभार के समान या लोहितवर्ण लाक्षारस के मूत्र के समान सूर्य की किरणें, आकाशरूपी वनभूमि से नक्षत्रों के फूलों को इस प्रकार भाड़ देती थी मानो वे पद्मरागमणि की शलाकाओं की बनी हुई झाड़ हो, उत्तर ओर अवस्थित सप्तरिमण्डल सन्ध्योपासन के लिए मानसरोवर के तट पर उत्तर आता था, पश्चिम समुद्र के तीर पर सीपियों के उन्मुक्त मुख ने विलरे हुए मुक्तापटल चमकने लगते थे, मोर जाग पड़ते थे, यिह जमुहाई लेने लगते थे, करेणुबालाएँ मदसाकी प्रियतम गजों को जगाने लगती थी, वृक्षगण पत्त-वाजलि से भगवान् मूर्य को शिशर-सिक्त बुमुमाजलि समर्पण करने सकते थे, वन-देवताओं की अद्वालिकाओं के समान उन्नत वृक्षों की चोटी पर गदंभन्नोम-मा धूमर अग्निहोत्र का धूम इन प्रकार सट जाता था मानो वर्चु रवण के वपोंतो वी पंकित हो; शिशर-विन्दु को वहन करके, पथबन को प्रकाम्पित करके, परिथ्यान्त शबर-रमणियों के धर्मविन्दु को विलुप्त करके, वन्य महिष के फेनविन्दु से निचके, कम्पित पत्तव और लतासमूह को नृत्य वी शिक्षा दे करके, प्रसुटित पघों वा मधु वरमांके, पुष्टसीरभ से भ्रमरों को सन्तुष्ट करके, मन्द-मन्द-संचारी प्रभातवायु

बहने लगती थी; कमलवन में मत गज के गण्डस्थलीय मद के लोभ से स्तुतिपाठक भ्रमररूपी वैतालिक गुञ्जार करने लगते थे, ऊपर मे शयन करने के कारण अन्य मृगों के निचले रोम धूसरवर्ण हो उठते थे और जब प्राभातिक बायु उनका शरीर-स्पर्श करती थी तो उनकी उनीदी आँखों की ताराएँ ढुलमुला जाती थी और बरौनियाँ इस प्रकार सटी होती थी मानो उत्तप्त जतुरस से सटा दी गयी हों, बनचर पशु इत्स्ततः विचरण करने लगते थे, सरोवर में कलहंसों का श्रुति-मधुर कोलाहल सुनायी देने लगता था, मयूरगण नाच उठते थे और सारी मरुस्थली एक अपूर्व महिमा से उद्भासित हो उठती थी। ('कादम्बरी' के प्रभात-वर्णन से) । उस जादूभरे रसलोक में प्रिया के पदाघात से अशोक पुष्पित हो जाता है; क्रीड़ा-पवंत पर की चूड़ियों की झनकार से मयूर नाच उठता है, प्रथम आपाद के मेघगर्जन से हंस उत्कण्ठित हो जाता है, कज्जलभरे नयनों के कटाक्षपात से नीलकमल की पांत बिछ जाती है, कपोल-देश की पत्राली आँकते समय प्रियतम के हाथ काँप जाते हैं, आम्र-मंजरी के स्वाद से कपायित-कण्ठ कोकिल अकारण ही हृदय कुरेद देते हैं, क्रीञ्च-निनाद से बनस्थली की शस्यराशि अचानक कम्पमान हो उठती है और मलयानिल के भोके मे विरहविधुर प्रेमिक सोच्छ्वास जाग पड़ते हैं। भारतीय कथा-साहित्य वह मोहक अलबम है जिसमें एक-से-एक कमनीय चित्र भरे पड़े हैं; वह ऐसा उद्यान है, जहाँ रंग-बिरंगे फूलों से लदी क्यारियाँ हर दृष्टि में पाठक को आकृष्ट करती हैं।

## पद्यबद्ध कथा

नवी शताब्दी के प्रसिद्ध आलंकारिक रुद्रट ने लिखा है कि संस्कृत में तो कथा गदा मे लिखी जानी चाहिए, पर प्राकृत आदि अन्य भाषाओं की कथा गायावद्ध हो सकती है। वस्तुतः उन दिनों प्राकृत में गायावद्ध कथाएँ बनी थीं। कथा का वह मनोहर वायुमण्डल, जिसकी चर्चा ऊपर हुई है, इन गायावद्ध काव्यों में भी मिलता है। आठवीं शताब्दी के कौतूहल नामक कवि की लिखी एक कथा 'सीलावती' मिलती है जिसमें रुद्रट के बताये सब लक्षण मिलते हैं। भाषा का चटुल-चपत प्रयाह यही भी है, वर्णन की रंगीनी इसमें भी है, सरस करने की प्रवृत्ति इसमें भी है, स्थान-स्थान पर गदा भी है। पढ़ते-पढ़ते ऐसा लगता है कि 'कादम्बरी' आदि कथाओं का जो बातावरण है वह बहुत-कुछ ऐसा ही है। कवि को कहना है कि प्रतिष्ठानपुर नगर या जहाँ घटूत शोभा थी। वह शुरू करेगा—जहाँ सुन्दरियों के

चरण-नुपूर के शब्दों का अनुसरण करनेवाले राजहंस अपनी चोंचों से किसलय त्याग करके प्रतिराव मुखर हो उठते हैं, जहाँ के यज्ञामि से निकले धूएँ से आकाश ऐसा काला हो उठता है कि उन्हें देखकर क्रीड़ामध्यूर चन्द्रकान्त मणियों के शिलातल पर नाच उठते हैं, जहाँ के घरों में लगी मणियों से ज्योति निकल-निकलकर अन्धकार को इस प्रकार दूर कर देती है कि अभिसारिकाओं की प्रेमयात्रा कठिन हो जाती है, जहाँ के मन्दिरों और स्तूपिकाओं की पताकाएँ सूर्यकिरणों को आच्छादित कर देती हैं जिनमें संगीत बनिताएँ विना छाते के ही आराम से चला करती हैं, जहाँ कलकण्ठ को किलाएँ अपनी कूक से मानिनियों के हृदय कुरेदकर प्रियजनों का दौत्य सम्पादन करती हैं...इत्यादि-इत्यादि। और फिर बहुत बाद में जाकर कवि कहेगा कि यह प्रतिष्ठानपुर है। इन पद्यबद्ध गाथाओं की परम्परा बहुत दिनों तक इस देश में चलती रही है।

## इन्द्रजाल

इन्द्रजाल का अर्थ है इन्द्रियों का जाल या आवरण, अर्थात् वह विद्या जिससे इन्द्रियों जाल से ढौंकी-सी आच्छादित हो जायें। भारतवर्ष की इन्द्रजाल की अद्भुत आश्वर्यजनक लीला सारे संसार में प्रसिद्ध थी। राजसभा में ऐन्द्रजालिकों के लिए विशिष्ट स्थान दिया जाता था। तन्मप्रन्थी में इन्द्रजाल की अनेक विधियाँ बतायी गयी हैं। 'दत्तात्रेय तन्त्र' के ग्यारहवें पट्ट में दर्जनों ऐसी विधियाँ दी हुई हैं जिससे आदमी कवूतर, भोर आदि पक्षी बनकर उड़ने लग सकता है; मारण, भोहन, वशीकरण, उच्चाटन आदि में विना अभ्यास के सिद्धि प्राप्त कर सकता है, पति पत्नी को और पत्नी पति की वश में कर सकती है। प्रयोग करनेवाला ऐसा अंजन लगा सकता है जिससे वह स्वयं अदृश्य होकर औरों को देख सके और इसी प्रकार के सैकड़ों कर्म कर सकता है। 'इन्द्रजाल तन्त्र-संग्रह' नामक प्रथमें हिम जन्तुओं को निवारण करने का, स्तम्भित करने का और निश्चेष्ट कर देने का उपाय बताया गया है, आग वांधना, आग लगी होने का भ्रम पैदा करना—दूसरों की बुद्धि बाध देना आदि अद्भुत कर्त्ताओं की व्यवस्था है। इन कायों के लिए मन्त्र की सिद्धि के भाय ही द्रव्य-सिद्धि का भी विधान है। उदाहरण के लिए चलती हुई नाव को रोक देने के लिए यह उपाय बताया गया है कि भरपूर नदान में दीर-काप की पांच अंगुल की बील नीका में ठोक देने से निश्चित हृष में नौरा स्तम्भन हो जायगा, परन्तु इसके लिए जप आदि भी भी व्यवस्था दी गयी है। इस प्रवार

के सैकड़ों नुस्खे बताये गये हैं। और इस प्रकार के नुस्खे बतानेवाले तन्त्र-ग्रन्थों की सख्त्या भी बहुत अधिक है। इन पुस्तकों के पाठमात्र से कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होती, क्योंकि तन्त्रों में बार-बार याद दिला दिया गया है कि इन क्रियाओं के लिए गुण की उपस्थिति आवश्यक है।

'रत्नावली' से जाना जाता है कि इन्द्र और सम्वर इस विद्या के आचार्य माने जाते थे। ये इन्द्रजालिक पृथ्वी पर चाँद, आकाश में पर्वत, जल में अग्नि, मध्याह्न काल में सन्ध्या दिखा सकते थे; गुह के मन्त्र की दुहाई देकर घोषणा कर सकते थे कि जिसको जो देखने की इच्छा हो उसे वही दिखा सकेंगे। राजसभा में राजा की आज्ञा पाकर वे शिव, विष्णु, ब्रह्मा आदि देवताओं को प्रत्यक्ष दिखा सकते थे। 'रत्नावली' में राजा की आज्ञा पाकर एक ऐन्द्रजालिक ने कमल-पुष्प में उपविष्ट ब्रह्मा को, भूतक में चन्द्रकलाधारी शिव को, शंख-चक्र-गदा-पद्म-धारी दैत्यनिष्ठून विष्णु को, ऐरावत पर समासीन इन्द्र को तथा नृत्यपरायण दिव्य नारियों को दिखाया था :

एप ब्रह्मा सरोजे रजनिकरकलाशेखरः शंकरोऽयं  
दीभिर्देत्यान्तकोऽसौ सधनुरसिगदाचक्रचिह्नं श्चतुष्मिः,  
एषोऽप्यैरावतस्थस्त्रिदशपतिरभी देवि देवास्तथान्ये  
नृत्यन्ति व्योम्निं चैताश्वलचरणरणन्नूपुरा दिव्यनार्यः ॥

—रत्ना., 4-74

इतना ही नहीं, उसने अन्तःपुर में आग लगाने का भ्रम भी पैदा कर दिया था। आग की लपटों से बड़े-बड़े भकानों के ऊपर सुनहरा कंगूरा-सा दीखने लगा था। असह्य तेज से उद्धान के वृक्षों के पत्ते तक झुलसते हुए जान पड़ने लगे थे और कीड़ापर्वत पर धुआं का ऐसा अम्बार लग गया था कि वह एक सजल मेघ की भाँति दीखने लगा था (4175)।

इस विद्या के आचार्य सम्वर या शबर नामक अनुर हैं। 'कालिकापुराण' में जान पड़ता है (उत्तरतन्त्र 60वाँ अध्याय) कि वेश्याओं, नर्तकों और रागवती औरतों का एक उत्सव हुआ करता था जिसे शावरोत्सव कहते थे। इस उत्सव की विरोपता यह थी कि इस दिन (श्रावण कृष्ण दशमी) को अश्लील शब्दों का उच्चारण किया जाता था और नागरिकों में एक दूसरे को गाली देने की प्रथा थी। विश्वास किया जाता था कि जो दूसरे को अश्लील गाली नहीं देता और स्वयं दूसरों की अश्लील गाली नहीं सुनता, उस पर देवी अप्रसन्न होती है। शावर तन्त्र या इन्द्र-जाल विद्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा वशीकरण विद्या है, शायद इसीलिए शावरोत्सव में वेश्याओं का ही प्राधान्य होता था।

## मृगया-विनोद

नागरिकों के लिए मृगया भी एक अच्छा-सा विनोद था। अजन्ता में जातक की कहानी को आश्रय करके (17 वीं गुहा में) मृगया-विहार का एक सुन्दर चित्र दिया है। राजा धोड़े पर सवार है। यद्यपि दोड़ते हुए धोड़े के साथ-साथ छत्रधर का छत्र लेकर चलना कुछ समझ में नहीं आता, पर यहाँ छत्र है। सम्भवतः राजकीय चिह्न होने के कारण यह प्रतीक का ही कार्य कर रहा है। आगे कुछ वन्यजन हैं जो सम्भवतः आजकल के 'हाँका' देनेवालों के पूर्वाधिकारी हैं। स्त्रियों की सख्त्या काफी है, कुछ तो धोड़े पर भी है। कुत्ते भी हैं जो आगे दौड़ रहे हैं। मृगों की भयन्त्रस्त व्याकुलता बहुत सुन्दर अंकित है। 'कादम्बरी' में वन्य लोगों की मृगया का बड़ा ही मनोहर वर्णन है, पर वह उनका विनोद नहीं था, पेट भरने का साधन था। उसमें भी कुत्ते प्रमुख रूप से थे। 'शकुन्तला' नाटक में भी दुष्प्रयत्न के शिकार का वर्णन मिलता है। वह आखेटक कई दिनों तक चलता रहा और ऊबड़खाबड़ और भयंकर स्थान में धूमते-धूमते बिचारे माहौल को बड़ा कष्ट हो रहा था। राजा धनुष लेकर शिकार खेलता था और निरन्तर धनुष की जया के स्कालन से उसके शरीर का पूर्वभाग कर्कश हो आया था। ऐसा जान पड़ता है कि कालिदास के युग में मृगया को बहुत अच्छा विनोद नहीं माना जाता था। वन के निरीह प्राणियों को अकारण कष्ट पहुँचाना उचित भी नहीं है। इसीलिए सेनपति के मुख से कवि ने कहलवाया है कि लोग भूठ-मूठ ही इस विनोद को व्यसन बताया करते हैं। इससे अच्छा विनोद और क्या हो सकता है? राजा के लिए यह अत्यन्त आवश्यक विनोद है, क्योंकि इससे शरीर की चर्बी कम हो जाती है; तो उट घट जाती है, शरीर उठने-वैठने में तत्पर हो जाता है। पशुओं के मुख पर भय और कोश के भाव दिखायी देते हैं और भागते हुए लक्ष्य-पर निशाना मारने का अभ्यास होता है—इससे सुन्दर विनोद और क्या हो सकता है?

मेदच्छेदकृशोदर लघु भवत्युत्यानयोग्यं वपुः ।  
सत्यानाम्पि लक्ष्यते विकृतिमच्चितं भयकोष्ठयोः ।  
उत्कर्पः स च धन्विना यदिपव. सिद्धयन्ति लक्ष्ये चले,  
मिद्यैव व्यसन वदन्ति मृगयामीदृग् विनोदः कुतः ?

राजा 'वाणहस्ता यवनियों' द्वारा परिवृत था और ये यवनियाँ मृगावेशी होने पर भी पुष्पधारिणी थी। वे राजा के अस्थ-शस्त्र की रखवाली करती थीं। मेगस्थनीज ने चन्द्रगुप्त को इस प्रकार की दासियों से घिरा देखा था। एक अज्ञातनामा ग्रीक लेखक ने बताया है कि ये सुन्दरियाँ जहाजों में भरकर भृगुकच्छ नामक भारतीय बन्दरगाह पर उतारी जाती थीं और वहाँ से इनका व्यवसाय होता था। भारतीय नागरिकों की विलास-लीला के अन्तराल में करुण कहानियाँ की परम्परा कम नहीं है।

„**اللُّوْكِيَّةُ**“ أَنْوَاعُهُ الْمُتَّفِقُونَ عَلَيْهِ مُؤْمِنُونَ، فَمَنْ يَعْلَمُ بِأَعْدَى مِنْهُمْ؟ إِنَّمَا يَعْلَمُ بِأَعْدَى مِنْهُمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ (٧٤٧-٧٤٨) أَنْجَوْنَا

፡ මුද්‍රණ සංස්කීර්ණ ප්‍රතිචාර ප්‍රතිචාර ප්‍රතිචාර ප්‍රතිචාර



कहते थे। नन राजा ने अपने भाई मुन्दर को राज्य का पाण या दायरपत्र जो धूत युद्ध के लिए आहार किया था, उगे भी गमाहृय के अन्नगंग माना गया है (मनु, ९, २२-२२४)।

आजकल जिसे शतरंज कहते हैं, वह भी भारतीय मनोविज्ञोद ही है। इसे प्राचीनकाल में 'चतुरंग' कहते थे। हाल ही में नृत्यानि आचार्य की लिखी हुई 'चतुरंग-दीपिका' नामक पुस्तक प्रकाशित हुई है। इसमें चतुरंग-कीड़ा का विस्तार-पूर्वक विवेचन है।

मनु ने धूत और प्राणि-गमाहृय, दोनों ही को राजा के द्वारा निपिद करने की घबस्था दी है। अगोक ने अपने राज्य में प्राणि-गमाहृय का नियेष बर दिया था। फिर भी प्राणि-गमाहृय प्राचीन भारतीय नागरिकों के मनोविज्ञोद का माध्यन बना ही रहा। मेष, तितिर, ताव आदि प्राणियों की सहाई पर वार्षी लगायी जाती थी। इन लड़ाइयों को देगने के लिए नागरिकों की भीड़ उमड़ पड़ती थी, फिर भी यह विनोद उग उन्माद की गीमा तक इम देश में कभी नहीं पहुँचा जिमका परिचय रोम आदि प्राचीन देशों के इतिहास में मिलता है।

यह नहीं समझना चाहिए कि धूत का कुछ अधिक रूपमय और निर्दोष पहन्दू पा ही नहीं। भारतीय माहित्य का एक अच्छा भाग प्रेमियों की धूतलीला पा वर्णन है। उसमें भारतीय मनीषा का स्वाभाविक सरस प्रवाह मुन्दर रूप में सुरक्षित है। विवाह के अवसर पर दुलहिन की मतियाँ वर को धूत में ललकारती थीं और नाना प्रकार के पण रखकर उगे छानने का उपाय करती थीं। विवाह के बाद वर-वधु आपस में नाना भाव के रसमय पण रखकर धूत में एक-दूगरे की ललकारते थे और यद्यपि इन प्रेमधूतों में हारना भी जीत भी और जीतना भी, तथापि प्रत्येक पक्ष में जीतने का ही उत्साह प्रधान रहता था :

भोगः स यद्यपि जये च पराजये च  
शूनोमनस्नदपि वाद्यति जेतुमेव ।

## मल्लविद्या

मल्लविद्या भारतवर्ष की अति प्राचीन विद्या है। आज भी उसका कुछ-न-कुछ गौरव अवशिष्ट रह ही गया है। प्राचीन भारत में मल्लों का बड़ा सम्मान था। प्रतिस्पर्द्धी मल्लों की कुश्ती नागरिकों के मनोरंजन के प्रधान माध्यनों में थी। महाभारत के विराटपर्व (12वें अध्याय) में भीम और जीमूत नामक मल्ल की

कुश्टी का बहुत ही हृदयग्राही चित्र दिया हुआ है। दर्शकों से भरी हुई मल्ल-रग-शाला में भीम बलशाली शार्दूल की भाँति शिथिल गति से उपस्थित हुए। उन्हें अपने पहचाने जाने की शंका थी, इसीलिए संकुचित थे। रंगशाला में प्रवेश करके उन्होंने पहले मत्स्यराज को अभिवादन किया, फिर कक्षा (काढ़ा) बाँधने लगे। उनके काढ़ा बाँधते समय जनमण्डली में अपार हर्ष का सचार हुआ। इस वर्णन से प्राचीन भारत की मल्ल-मर्यादा का अच्छा परिचय मिलता है। लैंगोट अखाड़े में बाँधने की प्रथा थी। प्रतिद्वन्द्वी एक-दूसरे को ललकारकर पहले बाहुयुद्ध में भिड़ जाते थे और फिर एक-दूसरे के नीचे घुसकर उलट देने का प्रयत्न करते थे। इसके बाद नाना कौशलों से एक-दूसरे को पछाड़ देने का प्रयत्न करते थे। मल्लों के हाथों में क्वकट अर्थात् घट्ठे पड़े होते थे। इस प्रसंग में महाभारत में नाना प्रकार के मल्लविद्वा के पारिभाषिक शब्द भी आये हैं। अर्जुन मिथ्र ने अपनी 'भारत-दीपिका' में अन्य शास्त्रों से बचन उद्धृत करके इन शब्दों की व्याख्या की है। 'कृतदाव' मारने को और 'प्रतिकृत' उसे काट देने को कहते थे। चित्र में नाना प्रकार के मल्लवन्ध के दाँव चलाये जाते थे। परस्पर के सघात को 'सन्निपात', मुक्का मारने की 'अवधूत', गिराकर पीस देने को 'प्रमाथ', ऊपर अन्तरिक्ष में बाहुओं से प्रतिद्वन्द्वी को रोगदेने को 'उन्मथन' और स्थानच्युत करने को 'प्रच्यावन' कहते थे। नीचे मुखवाले प्रतिद्वन्द्वी को अपने कन्धे पर से घुमाकर पटक देने से जो शब्द होता था, उसे 'वराहोद्भूतनिस्वन' कहते थे। फैली हुई भुजाओं से तजनी और अंगुष्ठ के मध्यभाग से प्रहार करने को तलाख्य और अर्द्धचन्द्र के समान मल्ल की मृट्ठी को 'बच्च' कहा जाता था। फैली अंगुलियोवाले हाथ से प्रहार करने को 'प्रहृति' कहते थे। इसी प्रकार पैर से मारने को 'पादोद्भूत', जघाओं से रोगदेने को 'शवधृत', जोर से प्रतिद्वन्द्वी को अपनी ओर खीच लाने को 'प्रकर्षण', घुमाकर खीचने को 'अभ्याकर्ष', खीचकर पीछे ले जाने को 'विकर्षण' कहते थे।

इसी प्रकार भागवत (10 42-44) में कंस की मल्लशाला का बड़ा सुन्दर चित्र दिया हुआ है। पहलवानों ने उस रंगशाला की पूजा की थी, तूर्यभेरी आदि बाजे बजाये गये थे। नागरिकों के बैठने के लिए बने हुए मंचों को माला और पताकाओं से सजाया गया था। नगरवासी (पौर) और देहात के रहनेवाले (जानपद) ग्राहण, क्षत्रिय आदि नागरिक तथा राजकर्मचारी अपने-अपने निदिष्ट स्थानों पर बैठे थे। कंस का आसन बीच में था और वह अनेक मण्डलेश्वरों से घिरा हुआ था। सब लोगों के आसन ग्रहण कर लेने के बाद मल्ल ताल का तूर्य बजा और सुसज्जित मल्ल लोग अपने-अपने उस्तादों के साथ रंगशाला में पद्धारे। नन्द गोपों को भी बुलाया गया, उन्होंने अपने उपहार राजा को भेंट किये और यथास्थान बैठ गये। इस पुराण में मल्ल-विद्या के अनेक पारिभाषिक शब्दों का उल्लेख है। परिभ्रामण-विक्षेप-परिरम्भ-अवयातन-उत्सर्पण-अपसर्पण-अन्योन्यप्रति-रोध-उत्थापन-उन्नयन-स्थापन-चालन आदि (भागवत, 10-44-8-52) पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया गया है। दुर्भाग्यवश इस विद्या के विवरण-ग्रन्थ अब प्राप्त

नहीं हैं। पुराणों में और टीकाओं में ही थोड़ा-बहुत साहित्य वच रहा है।

## वैनोदिक शास्त्र

राजशेखर ने 'काव्य-भीमांसा' के आरम्भ में ही काव्य-विद्या के अट्ठारह अंगों के नाम गिनाये हैं, जिनमें एक वैनोदिक भी है। अलंकारशास्त्र में इस प्रकार का अग-विभाग साधारणतः नहीं पाया जाता और इसलिए राजशेखर की 'काव्य-भीमांसा' के एक अंश का उदार होने पर अब पण्डितों को यह नयी बात मालूम हुई तो इन अंगों और इनके प्रवर्त्तक आचार्यों के सम्बन्ध में नाना भाँति की जल्पना-कल्पना चलने लगी। इन अंगों में से कई तो निश्चित रूप से ऐसे हैं जिनका परिचय अलंकारशास्त्र के भिन्न-भिन्न ग्रन्थों से मिल जाता है, पर कुछ ऐसे भी हैं जो नये-से लगते हैं। 'वैनोदिक' एक ऐसा ही अंग है।

'वैनोदिक' नाम ही विनोद से सम्बन्ध रखता है। कामशास्त्रीय ग्रन्थों में ('कामसूत्र', 1-4) मदपान की विधियाँ, उद्यान और जलाशय आदि की क्रीड़ाएँ, मुर्गे और बटेरो आदि की लड़ाइयाँ, दूत-क्रीड़ाएँ, यथा सुख-रात्रियाँ, कौमुदी जागरण अर्थात् चाँदीनी रात में जागकर क्रीड़ा करना इत्यादि बातों को 'वैनोदिक' कहा गया है। राजशेखर ने इस अंग के प्रवर्त्तक का नाम 'कामदेव' दिया है, इस पर मेरे पण्डितों ने अनुमान भिड़ाया है कि कामशास्त्रीय विनोद और काव्यशास्त्रीय विनोद एक ही वस्तु होंगे। परन्तु कामदेव नामक पौराणिक देवता और वैनोदिक शास्त्र-प्रवर्त्तक कामदेव नामक आचार्य एक ही होगे, ऐसा अनुमान करना ठीक नहीं भी हो सकता है। राजा भोज के 'सरस्वतीकण्ठाभरण' से यह अनुमान और भी पुष्ट होता है कि कामोदीपक क्रिया-कलाप ही वस्तुतः वैनोदिक समझे जाते होंगे। शारदा-तनय के 'भावप्रकाश' में नाना ऋतुओं के लिए विलास-सामग्री बतायी गयी है। वह परस्परा बहुत दूर सक, खाल और पद्माकर तक आकर अपने चरम विकास पर पंहुँचकर समाप्त हो गयी है। अतः इन वैनोदिक सामग्रियों का कामशास्त्रवर्णित सामग्रियों से मिलना न तो आश्चर्य का कारण हो सकता है और न यही सिद्ध करता है कि 'कामसूत्र' में जो कुछ वैनोदिक के नाम से दिया गया है वही काव्यशास्त्रीय वैनोदिक का भी प्रतिपाद्य है।

'कादम्बरी' में वाणभट्ट ने राजा शूद्रक की वर्णना के प्रसंग मेरे कुछ ऐसे काव्य-विनोदों की चर्चा की है जिनके अभ्यास से राजा कामशास्त्रीय विनोदों के प्रति वित्तण हो गया था। हमारा अनुमान है कि ऐसे ही विनोद काव्यशास्त्रीय विनोद

कहे जाते होंगे। वे इस प्रकार हैं—वीणा, मूर्दंग आदि का बजाना, मृगया, विद्वत्सेवा, विदाधो यानी रसिकों की मण्डली में काव्यप्रबन्धादि की रचना करना, आख्यायिका आदि का सुनना, आलेख्य कर्म, अक्षरच्युतक, मात्राच्युतक, विन्दुभटी, गूढ़चतुर्थपाद, प्रहेलिका आदि। शूद्रक इन्हीं विनोदों से काल-यापन करता हुआ 'वनिता-सम्भोग-पराइ-मुख' हो सका था। यहाँ स्पष्ट ही कामशास्त्रीय विनोदों के साथ इन विनोदों का विरोध बताया गया है, क्योंकि कामशास्त्रीय विनोदों का फल और चाहे जो कुछ भी हो, 'वनिता-सम्भोग-पराइ-मुखता' नहीं है। उन दिनों सभाओं और गोप्तियों में इन विनोदों की जानकारी का बड़ा महत्व था। हमने पहले ही लक्ष्य किया है कि दण्डी ने 'काव्यादर्श' (1-105) में कीर्ति प्राप्त करने की इच्छावाले कवियों को श्रमपूर्वक सरस्वती की उपासना की व्यवस्था दी है, क्योंकि कवित्वशक्ति के दुर्बल होने पर भी परिधमी मनुष्य विदग्ध गोप्तियों में इन उपयोगों को जानकर विहार कर सकता था।

तदस्ततेन्द्रैरनिशं                    सरस्वती  
थमादुपास्या खलु कीर्तिमीम्मुभिः ।  
कृशे कवित्वेऽपि जनाः कृतश्चमा.  
विदग्धगोप्तीपु                    विहर्तु मीशते ॥

यह स्पष्ट कर देना उचित है कि यहाँ यह नहीं कहा जा रहा कि 'कामशास्त्र' में जो कुछ कहा गया है, वह निश्चित रूप से काव्यशास्त्रीय विनोदों में नहीं आ सकता। हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि काव्य के वैनोदिक अंग के नाम से जो वात्स मिलती हैं वही हूँ-ब-हूँ कामशास्त्रीय वैनोदिक नहीं हो सकती और कही-कही निश्चित रूप से उल्लेख मिलता है कि काव्यशास्त्रीय विनोदों के अभ्यास से राज-कृमारण कामशास्त्रीय विनोदों से बच जाया करते थे। स्वयं वात्स्याघन के 'काम-सूत्र' में इस प्रकार की काव्य-कलाओं की सूची है जो यद्यपि कामशास्त्रीय विनोदों की सिद्धि के लिए गिनाये गये हैं, तथापि उन्हें 'वनिता-सम्भोग-पराइ-मुखता' के उद्देश्य से कोई व्यवहार करना चाहे तो शूद्रक की भौति निःसंशय उसका उपयोग कर सकता है।

वात्स्याघन की 64 कलाओं की लम्बी सूची में कुछ का सम्बन्ध विशुद्ध मनो-विनोद से है जो चौनी-तुकिस्तान की चंगबाजी या रोमन पश्चु-गुद्ध से मिलती-जुलती है। इनमें भेड़ों, मुर्गों और तितिरों की लड़ाई, तोतों और मैनों को पढ़ाना है और ऐसी ही और-और बातें हैं। कुछ प्रेम के धात-प्रतिधात में सहायक हैं, जैसे प्रिया के कपोलों पर पवाली लिखना, दाँत और वस्त्रों का रंगना, फूलों और रंगे हुए चावलों से नाना प्रकार के नयनाभिराम चित्र बनाना, इत्यादि। और वाकी विशुद्ध साहित्यिक हैं जिनके लक्षण यद्यपि काव्य-ग्रन्थों में मिल जा सकते हैं, परं प्रयोग की भींगिमा और योजना अपूर्व और विलक्षण है।

उन दिनों बड़ी-बड़ी गोप्तियों, ममाजों और उदान-यात्राओं का आयोजन होता था, उनमें नामा-नाना प्रकार के साहित्यिक मनोविनोदों की धूम मच जाती

थी। कुछ मनोविनोदों की चर्चा की जा रही है।

1. प्रतिमाला या अन्त्याक्षरी में एक आदमी एक श्लोक पढ़ता था और उसका प्रतिपक्षी पण्डित श्लोक के अन्तिम अक्षर से शुरू करके दूसरा अन्य श्लोक पढ़ता। यह परम्परा लगातार चलती जाती थी।

2. दुर्वाचिक योग के लिए ऐसे कठोर उच्चारणवाले शब्दों का श्लोक सामने रखा जाता था कि जिसे पढ़ सकना बड़ा मुश्किल होता। उदाहरण के लिए जयमंगलाकार ने यह श्लोक बताया है :

दंष्ट्राग्रदर्धा॑ प्रग्योद्राक्॒ क्षमामम्बन्तः॑ स्वामुन्निक्षप॑ ।

दवधृ॑ द्विद्वृत्विक्॒ स्तुत्यो॑ युष्मानसोऽव्यात्॑ सर्पात्कतु॑ ।

3. मानसीकला एक अच्छा साहित्यिक मनोविनोद थी। कमल के या अन्य किसी वृक्ष के पुष्प अक्षरों की जगह पर रख दिये जाते थे। इसे पढ़ना पड़ता था। पढ़नेवाले की चातुरी इस बात पर निर्भर करती थी कि वह इनका इकार, उकार आदि की सहायता से एक ऐसा छन्द बना ले जो सार्थक भी हो और छन्द के नियमों के विषद्भ भी न हो। यह विन्दुमती से कुछ मिलता-जुलता है। लेकिन इस कला का और भी कठिन रूप यह होता था कि पढ़नेवाले के सामने फूल आदि कुछ भी न रखकर केवल उसे एक बार सुना दिया जाता था कि यहाँ कौन-सी मात्रा है और कहाँ अनुस्वार-विसर्ग है।

4. अक्षरमुष्टि दो तरह की होती थी : साभासा और निरवभासा। साभासा संक्षिप्त करके बोलने की कला है, जैसे 'फाल्गुण-चंद्र-वैशाख' को 'फा चै वै' कहना। इस प्रकार के संक्षिप्तीकृत श्लोकों का अर्थ निकालना सचमुच टेड़ी खीर है। निरवभासा या निराभासा अक्षरमुष्टि गुप्त भाव से बातचीत करने की कला है। इसके लिए उन दिनों नाना भाँति के संकेत प्रचलित थे। हथेली और मुट्ठी को भिन्न-भिन्न आकार में दिखाने से भिन्न-भिन्न वर्ग सूचित होते हैं। जैसे 'कवर्ग के लिए मुट्ठी वाँधना, चर्वग के लिए हथेली को किसलय के समान बनाना, इत्यादि। वर्ग बताने के बाद उसके अक्षर बताये जाते थे और इसके लिए अंगुलियों को उठाकर काम चलाया जाता था। जैसे ग कहना है तो पहले मुट्ठी वाँधी गयी और फिर तीसरी अंगुली उठायी गयी। इस प्रकार अक्षर तथ हो जाने पर पोरां से या चुटकी बजाकर मात्रा की संरूप्य बतायी जाती थी। पुराने संकेतों का एक श्लोक इस प्रकार है :

मुष्टिः॑ किसलयं॒ चैवं॒ घटा॒ च॒ त्रिपताकिका॑ ।

पताका॑ कुशमुद्राद्यमुद्रा॑ वर्गेषु॑ मप्तमु॑ ॥

ऐसे ही नाना प्रकार के साहित्यिक मनोविनोद उन दिनों काफी प्रचलित थे।

अब यदि इस प्रकार के समाज में कवि को कीर्ति प्राप्त करना है तो उसे इन विषयों का अध्याय करना ही होगा। यही कारण है कि भारतीय साहित्य में यद्यपि 'रम' को काव्य का थ्रेट उपादान स्वीकार किया गया है, तथापि नाना

प्रकार की शब्दचातुरी और अर्थचातुरी को भी स्थान दिया गया है।

## प्रकृति की सहायता

भारतवर्ष का नक्षत्र-तारा-सचित् नील आकाश, नद-नदी, पर्वती से शोभायमान विशाल मैदान और तृण-शाढ़िलो से परिवेषित हरित बनभूमि ने इस देश को उत्सवों का देश बना दिया है। हमने पहले ही लक्ष्य किया है कि वसन्तागम के साथ-ही-साथ किस प्रकार भारतीय चित्त आङ्गाद और उल्लास से नाच उठता था। मदनपूजा, कुसुम-चयन, हिन्दोल-लीला, उदवट्टवेड़िका आदि उल्लासपूर्ण विनोदों में समग्र जनचित्त आन्वेलित हो उठता था। राज-अन्तःपुर से लेकर गरीब किसान की झोंपड़ी तक नृत्य-गीत की भादकता वह जाती थी और जन-चित्त के इस उल्लास को प्रकृति अपने असीम ऐश्वर्य से सौगुना बढ़ा देती थी। और भला जब दिग्नन्त सहकार (आम)-मंजरी के केसर से मूर्छेमान हो, और मधुपान से मत्त होकर औरे गली-गली धूम रहे हों तो ऐसे भरे वसन्त में किसका चित्त किसी अज्ञात उत्कण्ठा से कातर नहीं हो जायगा?

महकारकुसुमकेसरनिकरभरामोदमूर्छितदिग्नते ।

मधुरमधुविधुरमधुपे मधी भवेत् कस्य नोत्कंठा ?

वमन्त फूलों की ऋतु है। लाल-लाल पक्षाश, गुलाबी काञ्चनार, सुवर्णभि आरग्वध, मुक्ताफल के समान सिन्दुवार, कोमल शिरीष और दूध के समान श्वेत मल्लिका आदि पुष्पों में बनभूमि चित्र की भाँति मनोहर हो उठती है, पुष्पपत्तिवारों के भार से वृक्ष लद जाते हैं, कुसुम-स्तवको में फूली हुई मञ्जुलताएँ मलया-निल के झोंकों से लहराने लगती हैं, मदमत्त कोकिल और भ्रमर अकारण और सुक्ष्य से लोकमानस को हिल्लोलित कर देते हैं, ऐसे समय में उत्कण्ठा न होता ही अस्वाभाविक है। बनभूमि तक जब नृत्य और वाद्य से मदिर हो उठी तब मनुष्य तो मनुष्य ही है। कौन है जो मल्लिका का रस पीकर मतवाली बनी हुई भ्रमरियों के कलगान को और दक्षिणी पवनरूपी उस्तादजी से शिक्षा पायी हुई वञ्जुल (वेत) लता की मंजरियों का नत्तन देखकर उत्सुक न हो उठे? पुराना भारतवासी जीवन्त था, वह इस मनोहारी शोभा को देखकर मुग्ध हो उठता था:

इह मधुपवधूनां पीतमलीमधूना

विलसति कमनीयः काकलीसप्रदायः ।

इह नटति सलीलं मञ्जरी वञ्जुलस्य

प्रदिपदमुपदिप्ता दक्षिणानिलेन ॥

सो, वसन्त के समागम के साथ-ही-साथ प्राचीन भारत का चित्त आग उठता था, वह नाच-गान खेल-तमाशों में मत्त ही उठता था।

वसन्त के बाद ग्रीष्म। पश्चिमी रेगिस्तानी हवा आग घरसाती हुई त्रिलोक की समूची आँद्रता को सोख नेती, दावागिन की भाँति नील बनराजि को भम्म-सात कर देती, विकराल बवण्डरों से उड़ायी हुई तृणधूलि आदि में आसमान भर जाता और बड़े-बड़े तालाबों में भी पानी सूख जाने में मछलियाँ लोटने लगती—सारा बातावरण भयंकर अग्निज्वाला ने धधक उठाया—फिर भी उस युग का नामरिक इस विकट काल में भी अपने विलास का साधन संग्रह कर लेता था। वहि ने सन्तोष के साथ नागरक के इस विलास का ओचित्य घताया है। भला यदि ग्रीष्म न होता तो ये सफेद महीन वस्त्र, सुगन्धित कर्पूर का चूर्ण, चन्दन का लेप, पाटलपुष्पों से मुसज्जित धारागृह (फव्वारेवाले धर), चमेली की माला; चन्द्रमा की किरणें व्या विधाता की सूष्टि की व्यथं चीजें न हो जाती ?

अत्यच्छं सितमंशुकं शुचि मधु स्वामोदमच्छं रजः

कार्पूरं विष्णुताद्वचन्दनकुचद्वंद्वाः कुरुंगीदूषाः।

धारावेशम सपाटल विचकिलक्षगदाम चन्द्रतिविपा

धातः सूष्टिरियं वृथैव तव नो ग्रीष्मोऽभविष्यद्यदि ॥

इस ग्रीष्मकाल का सर्वोत्तम विनोद जलकीडा था, जिसका काव्यों में अत्यधिक वर्णन पाया जाता है। जलाशयों में विलासिनियों के कान में धारण किये हुए शिरीषपुष्प छा जाते थे, पानी चन्दन और कस्तूरिका के आमोद से तथा नाना रंग के अंगरागों से और शृङ्खाल-साधनों से रंगीन हो जाता था, जल-स्फालन से उठे हुए जल-विन्दुओं से आकाश में मोतियों की लड़ी बिछ जाती थी, जलाशय के भीतर से गूँजते हुए मृदंगघोष को मेघ की आवाज समझकर बैचारे मधूर उत्सुक हो उठते थे, केशों से खिसकते, हुए अशोक-पल्लवों से कमल-दल चिह्नित हो उठते थे और आनन्द-कल्लोल से दिडमण्डल मुखरित हो उठता था। प्राचीन चित्रों में भी यह जलकेलि मनोरम भाव से अंकित है। इस प्रकार प्रकृति के ताप की तीव्र पृष्ठभूमि में मनुष्यचित्त का अपना शीतल विनोद विजयी बनकर निकलता था। वसन्त में प्रकृति मानवचित्त के अनुकूल होती है और इसलिए वहाँ आनुकूल्य ही विनोद का हेतु है, पर ग्रीष्म के विनोद के मूल में है विरोध। प्रकृति और मनुष्य की विरुद्ध मनोदशाओं से यह विनोद अधिक उज्ज्वल हो उठता था। एक तरफ प्रकृति का प्रकृतिपति नि.श्वास बड़े-बड़े जलाशयों को इस प्रकार सुखा देता था कि मछलियाँ कीचड़ में लोटने लगती थीं और दूसरी तरफ मनुष्य के बनाये क्रीड़ा-सरोवरों में बारविलासिनियों के कानों से खिसके हुए शिरीषपुष्प—जो इस ग्रीष्मकाल में उत्तम और उचित कानों के गहने हुआ करते थे—मुग्ध मछलियों के चित्त में शैवाल-जाल का भ्रम उत्पन्न करके उन्हें चचल बना देते थे !

अमी शिरीषप्रसवावतसा:

प्रञ्ञशिनो वारिविहारिणीनाम् ।

**पारिप्लवाः केलिसरोवरेयु  
शैवाललोलांश्चलयन्ति मीनान् ॥**

श्रीम वीतते ही वर्षा । आसमान मेघो से, पृथ्वी नवीन जल की धारा से, दिशाएँ विजली की चञ्चल सताओं से, यायुषण्डल वारिधारा से, वनभूमि कुटज-पुष्पों से और नदियाँ बाढ़ से भर गयी ।

**मेघव्यौम नवायुभिर्बसुमती विद्युलताभिदिशो ।**

**धाराभिर्गंगनं वनानि कुटजैः पूरेवृत्ता निम्नगा ।**

मालती और कदम्ब, नीलोत्पल और कुमुद, मर्यूर और चातक, मेघ और विद्युत् वर्षाकाल को अभिराम सौन्दर्य से भर देते हैं । प्राचीन भारत वर्षा का उप भोग नाना भाव से करता था । सबसे मुन्दर और मोहक विनोद भूला-झूलना था, जो आज भी किसी-न-किसी रूप में बचा हुआ है । मेघ-नि:स्वन और धारा की रिम-फिल्म के साथ भूले की अद्भुत तुक मिलती है (दे.अ. 22) । जिस जानि ने इस विनोद का इस छहतु के साथ सामजस्य ढूँढ़ निकाला है, उसकी प्रशसा करनी चाहिए । वर्षाँ-काल कितने आनन्द और औत्सुक्य का काल है, इसे भारतीय साहित्य के विद्यार्थी भाग्य जानते हैं । 'मेघदूत' का अमर सगीत इसी काल में सम्भव था । कोई आशवर्य नहीं यदि केका (मोर की वाणी) की आवाज से, मेघों के गर्जन से, मालनी-लना के पुण्य-विकास से, कदम्ब की भीनी-भीनी सुगन्ध से और चातक की रट से समृद्ध का वित्त उत्थित हो जाय—वह किसी अहंतुक औत्सुक्य से चञ्चल हो उठे । वर्षा का काल ऐसा ही है । यह वह काल है जब हँस आदि जलचर पक्षी भी अज्ञात औत्सुक्य से चंचल होकर मानसरोवर की ओर दौड़ पड़ते हैं । राजहंस के विषय में काव्य-ग्रन्थ में कहा गया है कि वर्षाकाल में वह उड़कर मानसरोवर की ओर जाने लगता है । बल्कि यह कविप्रसिद्ध हो गयी है कि वर्षा छहतु का वर्णन करते समय यह जरूर कहा जाय कि ये उड़कर मानसरोवर की ओर जाते हैं ('भाहित्यर्दर्पण', 7,23) । कालिदास के यक्ष ने अपने सन्देशवाही मेघ को आश्रम स्थापन कराते हुए कहा था कि 'हे मेघ, तुम्हारे श्रवण-सुभग मनोहर गर्जन को सुनकर मानसरोवर के लिए उत्कण्ठित होकर राजहंस मुङ्गे में मृणाल-तन्तु का पाथेय नेकर उड़ पड़ेगे और कैलास पूर्वत तक तुम्हारा साथ देंगे' ।

**कर्तुं यच्च प्रभवति महीमुच्छिलीघ्रामवंछ्याम् ।**

**तच्छुत्वाते ध्रवणसुभगं गर्जितं मानसोत्का ॥**

**आकैलासाद्विसकिसलयच्छेदपाथेयवन्तः ।**

**सपत्तस्यंते नभूमि भवतो राजहंसाः सहायाः ॥**

— 'मेघदूत', 1-11

परन्तु प्राचीन भारत का सहृदय अपने इस प्रिय पक्षी के उत्सुक हृदय को ही पहचानता था, उसने अपने श्रीड़ा-सरोवर में ऐसी व्यवस्था कर रखी थी कि हँस उस विष्णोग पथिक की भाँति दिल्ली मूढ़ न होने पाये जो अभागा वर्षाकाल में घर से बाहर निकल पड़ा था और ऊपर धनपटल मेघ को, अगल-बगल में मोर में नाचते हुए

पहाड़ों को, तथा नीचे तृणांकुरो से ध्वल पृथ्वी को देखकर ऐसा विरह-विघुर हुआ था कि सोच ही नहीं पा रहा था कि किधर दृष्टि दे—सब तरफ तो दिल में हूँक पैदा करने वाली सामग्री थी :

उपर धन धनपटलं तिर्यग्गिरयोऽपि नर्तिमयूराः ।

क्षितिरपि कन्दलध्वला दृष्टि पथिकः क्व पातयतु ?

काव्य-ग्रन्थ में यह वर्णन भी मिलता है कि राजाओं और रईसों की भवन-दीर्घिका (घर का भीतरी तालाब) और क्रीड़ा-सरोवरों में सदा पालतू हंस रहा करते थे। 'कादम्बरी' में कहा गया है कि जब राजा शूद्रक सभा-भवन से उठे तो उनको लेकर चलने वाली वारविलासिनियों के नुपुर-रव से आकृष्ट होकर भवनदीर्घिका के कलहंस सभागृह की सोपान-श्रेणियों को धवलित करके कोलाहल करने लगे थे और स्वभावतः ही कंचो आवाजवाले गृह-सारस मेखला-ध्वनि से उत्कण्ठित होकर इस प्रकार क्रेकार करने लगे मानो कांसे के बत्तन पर रगड़ पड़ने से कण्ठकटु आवाज निकल रही हो। कालिदास ने गृह-दीर्घिकाओं के जिन उदक-लोल विहगमों का वर्णन किया है वे मलिलनाथ के मत से हंस ही थे। यद्यपि, सस्तुत का कवि राजहंस और कलहंस को सम्बोधन करके कह सकता है कि हे हंसो, कमल धूलि से धूसरांग होकर इस भ्रमर-गुजित पद्मवन में हसिनियों के साथ तभी तक ओड़ा कर लो जब तक कि हर-गरस और कालव्याल-जालावली के समान निविड़ नील मेघ से सारे दिह्मण्डल को काला कर देनेवाला (वर्षा) काल नहीं आ जाता।' परन्तु भवन-दीर्घिका के हंस फिर भी निश्चित रहेंगे। उन्हें किस बात की कमी है कि वे मेघ के साथ मानसरोवर की और दीड़ पड़ें। यही कारण है कि यक्ष के बगीचे में जो मरकत मणियों के घाटवासी वापी थी, जिसमें स्त्रिघ वैदूर्य-नालवाले स्वर्णभय कमल खिले हुए थे, उसमें डेरा डाले हुए हंस, मान-सरोवर के निकटवर्ती होने पर भी मेघ को देखकर वहाँ जाने के लिए उत्कण्ठित होने वाले नहीं थे। उनको वहाँ किस बात की चिन्ता थी, वे तो 'व्यपगत-शुच्' थे। यह व्याप्त्या गलत है कि यक्ष का गृह ऐसे स्थान पर था जहाँ वस्तुतः हंस रुक जाते हैं। सही व्याप्त्या यह है, जैसा कि मलिलनाथ ने कहा है, कि वर्षाकाल में भी उस वापी का जल कलुप नहीं होता था इसलिए वहाँ के हंस निश्चिन्त हैं।

वर्षा बीती और लो, नववधू बी भौति शरद छहतु आ गयी। प्रसन्न है उसका चन्द्रमुग, निर्मल है उसका अम्बर, उत्कुल है उसके कमल-नयन, लक्ष्मी की भौति विभूषित है वह नीला-कमल में तथा उपशोभित है हंस-हप्ती बाल-व्यजन (नग्ने में पंखे) में। आज जगत् का अशेष तार्थ्य प्रसन्न है।

अश्य प्रमनेन्दुमुखी सिताम्बरा, समायमावुत्पलपत्रनेत्रा ।

गणकजा श्रीरिव गां निर्येवितुं, सहैम-बाल-व्यजना शरदवपुः ॥

शरदवधू आयी और गाय में सेती आयी कादम्ब और कारण्डव को, चन्द्र-वाक और सारग वो, क्रोच और कलहंस को। आदिकवि ने सदृश किया था (विधिव्याधा, 30) कि शरदागमन के साय-ही-गाय पद्म-धूलि-धूमर गुन्दर और

विशाल पक्षवाले कामुक चक्रवाकों के साथ कङ्गहंसों के झुण्ड महानदियों के पुलिनों पर खेलने लगे थे। प्रसन्नतोया नदियों के सारस-निनादत स्रोत में—जिनमें कीचड़ तो नहीं था, पर बालू का अभाव भी नहीं था--हंसों का झुण्ड ज्ञाप्य देने लगा था। एक हंस कुमुद-पुष्पों से धिरा हुआ सी रहा था और प्रशान्त निर्मल हृद में वह ऐसा सुशोभित हो रहा था, मानो मेघमुक्त आकाश में तारागणों से वेष्टित पूर्णचन्द्र हो। संस्कृत के कवि ने शरदऋतु में होनेवाले अद्भुत परिवर्तन को अपनी और भी अद्भुत भगी से इस प्रकार लक्ष्य किया था कि आकाश अपनी स्वच्छता से निर्मल नीर-सा बना हुआ है, कान्ता अपनी कमनीय गति से हंस-सी बनी जा रही है और हंस अपनी शुक्लता से चन्द्रमा-सा बना जा रहा है। सबकुछ विचित्र, सब-कुछ नवीन, सबकुछ स्फूर्तिदायक।

शरदऋतु उत्सवों की ऋतु है। कौमुदी-महोत्सव, रात्रि-जागरण, वूतविनोद और सुख-रात्रियों के लिए इतना उत्तम समय कहाँ मिलेगा? शरदऋतु के बाद शीतकाल आता था, परन्तु यह शीत इस में इतना कठोर नहीं होता कि कोई उत्सव मनाया ही न जा सके। हेमन्तकाल युवक-युवतियों की कन्दुक कीड़ा का काल था। यह कन्दुक-कीड़ा प्राचीन भारत का अत्यन्त सरस विनोद था और अबसर पाते ही कवियों ने दिल खोलकर इसका वर्णन किया है। सुन्दर मणिनूपुरों के वर्णन, मेखला की चंचल लरों का झणझणायित और बारबार टकरानेवाली चंचल चूँड़ियों की स्नझुन के साथ की कन्दुक-कीड़ा में अपना एक स्वतन्त्र छन्द है जो बरबस मन हरण करता होगा।

अमन्द मणिनूपुरकवणनचारुचारिकम्, भणजभणितमेखलातरलतारहारच्छटम्।  
इदं तरलंकणावलिविशेषवाचलित्, मनोहरति सुभ्रुवः किमपि कन्दुककीड़ितम्।

सो, भारतवर्ष की प्रकृति अनुकूल होकर भी और प्रतिकूल होकर भी सरस विनोद की सहायता करती थी। उस दिन इस देश का चित्त जागरूक था, आज वह वैसा नहीं है। हम उस कल्पलोक को आश्चर्य और सम्भ्रम के साथ देखते रह जाते हैं।

## सामाजिक और दार्शनिक पृष्ठभूमि

समूचे प्राचीन भारतीय साहित्य में जो बात विदेशी पाठकों को सबसे अधिक आश्चर्य में डाल देती है, वह यह है कि इस साहित्य में कहीं भी असन्तोष या विद्रोह का भाव नहीं है। पुनर्जन्म और कर्मफल के सिद्धान्तों को स्वीकार कर लेने



परन्तु ये नियेध ही इस बात के सबूत हैं कि स्त्रियाँ इन उत्सवों में जाती जरूर थीं। परन्तु जो लोग नाच-गान का पेशा करते थे, वे बहुत ऊँची निगाह से नहीं देखे जाते थे, यह सत्य है। वयों ऐसा हुआ, और ऊपर बताये हुए महान् आदर्श से इसका क्या सामंजस्य है? वस्तुतः नाच-गान-नाट्य-रंग के प्रयोगकर्ता स्त्री-पुरुष शिथिल चरित्र के हुआ करते थे, परन्तु उनके प्रयोजित नाट्यादि प्रयोग फिर भी महत्वपूर्ण माने जाते थे। पेशा करनेवालों की स्वतन्त्र जाति थी और जातिप्रथा के विचित्र तत्त्ववाद के अनुसार उनका शिथिल चरित्र भी उस जाति का एक कर्म मान लिया गया था। जब किसी जाति के कर्म का विद्यान स्वयं विधाता ने कर दिया हो तो उसके बारे में चिन्ता करने की कोई बात रह ही कहाँ जाती है? इस प्रकार भारतवर्ष अम्लान चित्त से इन परस्पर-विरोधी बातों में भी एक सामंजस्य हूँड़ चुका था!

गृहस्थ के अपने घर में भी नृत्य-गान का मान था। इस बात के पर्याप्त प्रमाण है कि अन्तःपुर की बधुएँ नाटकों का अभिनय करती थीं। यहाँ नाट्य और नाट्य के प्रयोक्ता, दोनों ही पवित्र और मोहनीय होते थे। यही वस्तुतः भारतीय कला अपने पवित्रतम रूप में पालित होती थी। गृहस्थ का मर्मस्थान उसका अन्तःपुर है और वह अन्तःपुर जिन दिनों स्वस्थ था उन दिनों वहाँ सुकुमार कला की स्रोत-स्थिनी बहती रहती थी। अन्तःपुर की देवियों का उच्छृंखल उत्सवों और यात्राओं में जाना निश्चय ही अच्छा नहीं समझा जा सकता था। परन्तु इसका मतलब यह कदापि नहीं समझना चाहिए कि स्त्रियाँ हर प्रकार के नाट्यरंग से दूर रखी जाती थीं। एक प्रकार का हुजूम हर मुग में और हर देश में ऐसा होता है जिसमें किसी भले घर की बहू-बेटी का जाना अशोभन होता है। प्राचीन भारत के अन्तःपुरों में नाट्य-नृत्य का जो बहुल प्रचार था, उसके प्रमाण बहुत पाये जा सकते हैं। हमने ऊपर कुछ की चर्चा भी की है।

●

## परिशिष्ट

[श्री ए. वैकट मुद्र्या ने नाना ग्रन्थों से कलाओं की सूची तैयार की है। वह पुस्तक अड्डार (मद्रास) से 1911 ई. में छपी थी। पाठ्यों को कलाओं के विषय में विस्तृत रूप से जानने के लिए इस पुस्तक को देखना चाहिए। यही विभिन्न ग्रन्थों से चार कला-सूचियाँ संग्रह की जा रही हैं। तीन सूचियाँ श्री वैकट मुद्र्या की पुस्तक में प्राप्य हैं। चौथी अन्यथा से ली गयी है। कई स्थानों पर प्रस्तुत लेखक ने श्री वैकट मुद्र्या की व्याख्याओं से भिन्न व्याख्या दी है, परन्तु इन कलाओं का मुख्य अर्थ समझने में उनकी व्याख्याओं से उसे सहायता बहुत मिली है।]

## ‘लिलितविस्तर’ की कलासूची

- 1 लिंघतम्—कूदना।
- 2 प्राक्चलितम्—उछलना।
- 3 लिपिमुद्रागणनासंख्यासालभधनुवदाः—  
लिपि—लेखनकला।  
मुद्रा—एक हाथ या कभी-कभी दोनों हाथों के द्वारा अथवा हाथ की उँगलियों से भिन्न-भिन्न आङृतियों का बनाना।  
गणना—गिनना, हिसाब।  
संख्या—संख्याओं की गिनती।

- सालम्भ—कुश्टी लड़ना ।  
 धनुर्वेद—धनुप-विद्या ।  
 4 जवितम्—दौड़ना ।  
 5 प्लवितम्—पानी में ढुबकी लगाना ।  
 6 तरणम्—तैरं चलाना ।  
 7 इष्वस्त्रम्—तीर चलाना ।  
 8 हस्तिग्रीवा—हाथी की सवारी करना ।  
 9 रथ—रथ-सम्बन्धी बातें ।  
 10 धनुष्कलापः—धनुप-सम्बन्धी सारी बातें ।  
 11 अश्वपृष्ठम्—घोड़े की सवारी ।  
 12 स्थैर्यम्—स्थिरता ।  
 13 स्थाम—बल ।  
 14 सुशीर्यम्—साहस ।  
 15 बाहुव्यायाम—बाहु का व्यायाम ।  
 16 अङ्गकुशग्रहपाशग्रहाः—अंकुश और पोश, इन दोनों हथियारों का ग्रहण करना ।  
 17 उद्याननिर्माणम्—ऊँची वस्तु को फाँदकर और दो ऊँची वस्तु के बीच से कूदकर पार जाना ।  
 18 अपयानम्—पीछे की ओर से निकलना ।  
 19 मुट्ठिवन्धः—मुट्ठी और धूंपे की कला ।  
 20 शिखावन्धः—शिखा बांधना ।  
 21 छेदम्—भिन्न-भिन्न सुन्दर आकृतियों को काटकर बनाना ।  
 22 भेदम्—छेदना ।  
 23 तरणम्—नाव खेना या जहाज चलाना या तैरना ।  
 24 स्फालनम्—(कन्दुक आदि को) उछालने का कौशल ।  
 25 अक्षुण्णवेधित्वम्—भाले से लक्ष्यवेद्ध करना ।  
 26 मर्मनेधित्वम्—मर्मस्थल का वेधना ।  
 27 शब्दवेधित्वम्—शब्दवेधी वाण चलाना ।  
 28 दृढ़प्रहारित्वम्—मुट्ठिप्रहार करना ।  
 29 अक्षक्रीडा—पाशा फेंकना ।  
 30 काव्यव्याकरणम्—काव्य की व्याख्या करना ।  
 31 ग्रन्थरचितम्—ग्रन्थ-रचना ।  
 32 रूपम्—रूप-निर्माण-कला (लकड़ी-मोना इत्यादि में आकृति बनाना)  
 33 रूपकर्म—चित्रकारी ।  
 34 अधीतम्—अध्ययन करना ।  
 35 अग्निकर्म—आग पैदा करना ।

- 36 वीणा—वीणा बजाना ।
- 37 वाद्यनृत्यम्—नाचना और वाजा बजाना ।
- 38 गोतपठिनम्—गाना और कथिता-पाठ करना ।
- 39 आख्यातम्—कहानी सुनाना ।
- 40 हास्यम्—मजाक करना ।
- 41 लास्यम्—सुकुमार नृत्य ।
- 42 नाट्यम्—नाटक, अनुकरण-नृत्य ।
- 43 विडिभितम्—दूसरे का व्यंगात्मक अनुकरण, कैरिकेचर ।
- 44 माल्यग्रन्थनम्—माला गूँथना ।
- 45 सवाहितम्—शरीर की मालिश ।
- 46 मणिराग—बहुमूल्य पत्थरों का रेगना ।
- 47 वस्त्ररागः—कपड़ा रेगना ।
- 48 मायाकृतम्—इन्द्रजाल ।
- 49 स्वप्नाध्याय—सपनों का अर्थ लगाना ।
- 50 शकुनिरूपतम्—पक्षी की बोली समझना ।
- 51 स्त्रीलक्षणम्—स्त्री का लक्षण जानना ।
- 52 पुरुषलक्षणम्—पुरुष का लक्षण जानना ।
- 53 अश्वलक्षणम्—घोड़े का लक्षण जानना ।
- 54 हस्तिलक्षणम्—हाथी का लक्षण जानना ।
- 55 गोलक्षणम्—गाय, बैल का लक्षण जानना ।
- 56 अजलक्षणम्—बकरा, बकरी का लक्षण जानना ।
- 57 मिथितलक्षणम्—मितावट पहचानने की या भिन्न-भिन्न जन्तुओं के पहचानने की कला ।
- 58 कैटभेश्वर लक्षणम्—लिपि-विशेष ।
- 59 निर्घण्टुः—कोप ।
- 60 निगमः—श्रुति ।
- 61 पुराणम्—पुराण ।
- 62 इतिहास—इतिहास ।
- 63 वेदः—वेद ।
- 64 व्याकरणम्—व्याकरण ।
- 65 निरुक्तम्—निरुक्त ।
- 66 शिक्षा—उच्चारणविज्ञान ।
- 67 छन्द—छन्द ।
- 68 मञ्जकल्पः—घञ्ज-विधि ।
- 69 ज्योतिः—ज्योतिष ।
- 70 सांख्यम्—सांख्यदर्शन ।

- 1 योगः—योगदर्शन ।
- 2 क्रियाकृत्यः—काव्य और अलंकार ।
- 3 वैशेषिकम्—वैशेषिक दर्शन ।
- 4 वैशिकम्—‘कामसूत्र’ के अनुसार वैशिक विज्ञान का प्रणयन (दत्तक नामक आचार्य ने पाटलिपुत्र की वैश्याओं के अनुरोध से किया था) ।
- 5 अर्थविदा—राजनीति और अर्थशास्त्र ।
- 6 वाहंस्पत्यम्—लोकायत मत ।
- 7 आश्चर्यम्—?
- 8 आसुरम्—असुरों-सम्बन्धी विद्या ।
- 9 मूषपक्षिष्ठतम्—पशु-पक्षी की बोली समझना ।
- 10 हेतुविद्या—न्याय-दर्शन ।
- 11 जतुयन्त्रम्—लाख के यन्त्र बनाना ।
- 12 मधूच्छिष्टकृतम्—मोम का काम ।
- 13 सूचीकर्म—सुई के काम ।
- 14 विदलकर्म—दलों या हिस्सों को अलग कर देने का कौशल ।
- 15 पत्रच्छेद्यम्—पत्तियों को काट-छाँटकर विभिन्न आकृतियाँ बनाना ।
- 16 गन्धयुक्ति—कई द्रव्यों के मिश्रण से सुगन्धि तैयार करना ।

## वात्स्यायन

- 1 गीतम्—गाना ।
- 2 वाद्यम्—बाजा बजाना ।
- 3 नृत्यम्—नाचना ।
- 4 आलेख्यम्—चित्रकारी ।
- 5 विशेषकच्छेद्यम्—(दे. ल. वि. की कलासूची, 85)
- 6 तण्डुलकुसुमबलिविकाराः—पूजा के लिए अक्षत और रंग-बिरंगे फूलों का सजाना ।
- 7 पुष्पास्तरणम्—घर या कमरे को फूलों से सजाना ।
- 8 दशनवसनाङ्गरागः—शरीर, कपड़े और दाँतों पर रंग चढ़ाना ।
- 9 मणिमूर्मिका कर्म—गच्छ में मणि बैठाना ।
- 10 शापनदन्तम्—

- 11 उदकवाचम्—पानी को इग प्रकार बजाना कि उगरे मुरज नामक वाजे वी आयाज निकले ।
- 12 उदकपातः—जल-श्रीढ़ा में शतियों या प्रेमियों का आपम में जल के द्वारे की मार देना ।
- 13 नित्रयोगः—विचित्र औषधियों का प्रयोग जानना ।
- 14 मात्यप्रथनविकल्पः—विभिन्न प्रकार मे फूल गूबना ।
- 15 दोतरकापीठपोजनम्—शोगरक और अपीठक-गिर पर पहने जाने वाले दो मात्य-अलंकारों का उचित स्थान पर पारण करना ।
- 16 नेपध्यप्रयोगः—अपने को या दूगरे को वस्त्रालंकार आदि मे गंजाना ।
- 17 कर्णपत्रभस्तुः—हाथी दौत के पत्तरो आंदि से बान के गंहने बनाना ।
- 18 गन्धयुक्तिः—(ल. वि. की कलासूची, 86)
- 19 भूषणयोजनम्—गहना पहनना ।
- 20 ऐन्द्रजातायोगः—इन्द्रजाल करना ।
- 21 कौचुमारयोगः—शरीरावयवों को मजबूत और विलागयोग्य बनाने वी बत्ता ।
- 22 हस्तलाघवम्—हाथ की मफाई ।
- 23 विचित्रशाक-यूषभद्रविकारनिया—साग-भाजी बनाने का कौशल ।
- 24 पानकरसरामासवयोजनम्—भिन्न-भिन्न प्रकार का पेय (शबंत, मद्य बर्गरह) तैयार करना ।
- 25 सूचीयानकर्माणि—सीना, पिरोना, जाली बुनना इत्यादि ।
- 26 सूधश्रीढ़ा—घर, मन्दिर आदि विशेष आकृतियों हाथों मे के सूत से बना लेना ।
- 27 वीणाडमरुक्वाचानि—वीणा, डमरु तथा अन्य वाजे बजाना ।
- 28 प्रहेलिका—पहेली
- 29 प्रतिमाला—
- 30 दुर्वाचिक योगः—
- 31 पुस्तकवाचनम्—पुस्तक पढना ।
- 32 नाटकाख्यायिकादर्शनम्—नाटक, कहानियों का ज्ञान ।
- 33 काव्यसमस्यापूरणम्—समस्यापूर्ति ।
- 34 पट्टिकावेशवानविकल्पः—वेंत और धौंस से नाना प्रकार की वस्तुओं का निर्माण ।
- 35 तक्षकर्माणि—सोने चाँदी के गहनों और वर्तनो पर काम करना ।
- 36 तक्षणम्—बड़ईगिरी ।
- 37 वास्तुविद्या—गृह-निर्माण कला, इंजीनियरिंग ।
- 38 रूप्परत्नपरीक्षा—मणियो और रत्नों की परीक्षा ।
- 39 धातुवादः—धातुओं को मिलाना, शीधना ।

- 40 मणिरागाकरज्ञानम्—रत्नों का रंगना और उनकी सूनियों का जानना ।
- 41 वृक्षायुवेदयोगः—वृक्षों की चिकित्सा और उन्हें इच्छानुसार बड़ा-छोटा बना लेने की विद्या ।
- 42 मेयकुक्कुटलावक-युद्धविधि:—मेंढा, मुर्गा और लावकों का सङ्खाना ।
- 43 शूकसारिकाप्रलापनम्—मुर्गा-मैनों का पाठाना ।
- 44 उत्सादने संवाहने केशमर्दने च कौशलम्—ज्ञारीर और सिर में मालिश करना ।
- 45 अधारमुष्टिकाकथनम्—संक्षिप्त अक्षरों में पूरा अर्थ जान लेना; जैसे मे. वृ. मि.—मेय, वृप, मिथुन ।
- 46 म्लेच्छतविकल्पः—गुप्त भाषा-विज्ञान ।
- 47 देशभाषाविज्ञानम्—विभिन्न देश की भाषाओं का ज्ञान ।
- 48 पुण्यशक्टिका—फूलों से गाढ़ी घोड़ा आदि बनाना ।
- 49 निमित्तज्ञानम्—शकुनज्ञान ।
- 50 यन्त्रमातृका—स्वयं वह यन्त्रों का बनाना ।
- 51 धारणमातृका—स्मरण रखने का विज्ञान ।
- 52 सम्पाद्यम्—किसी के पढ़े इलोक को ज्यों-का-त्यों दुहरा देना ।
- 53 मानसी—(दे. काव्यशास्त्र-वित्तोद, अध्याय-83)
- 54 काव्यक्रिया—काव्य बनाना ।
- 55 अभिधानकोश छन्दोविज्ञानम्—कोश, छन्द आदि का ज्ञान ।
- 56 क्रियाकल्प—(ल. वि. की कलासूची, 72) ।
- 57 छन्तितयोगः—वेश वाणी आदि के परिवर्तन से दूसरों को छलना—बहुरूपीपन ।
- 58 वस्त्रयोपनानि—छोटे कपड़े को इस प्रकार पहनना कि वह बड़ा दीखे और बड़ा, छोटा दीखे ।
- 59 धूतविशेषाः—जुआ ।
- 60 आकर्ष फ्रीड़ा—पासा खेलना ।
- 61 वालकीड़नकानि—लड़कों के खेल, गुड़िया आदि ।
- 62 वैज्ञानिकानां विद्यानां ज्ञानम्—विज्ञ विज्ञाने वाली विद्या ।
- 63 वैज्ञानिकाना विद्याना ज्ञानम्—विज्ञ विज्ञाने वाली विद्या एं ।
- 64 व्यायामिकीनां विद्यानां ज्ञानम्—व्यायाम-विद्या ।

# शुक्रनीतिसार

- 1 हावभावादिसंयुक्तंतंत्रम्—हावभाव के साथ नाचना ।
- 2 अनेकवाद्यविहृतौ तद्वादने ज्ञानम्—आरवेस्ट्रा में अनेक प्रकार के बाजे बजा लेना ।
- 3 स्त्रीपुसोऽवस्त्रालंकारसन्धानम्—स्त्री और पुरुषों को वस्त्र-लंकार पहना सकना ।
- 4 अनेकरूपादिभाववृत्तिज्ञानम्—पत्यर, काठ आदि पर भिन्न-भिन्न आकृतियों का निर्माण ।
- 5 शम्यास्तरणसंयोगपुष्पादिप्रयत्नम्—फूल वा हार गुंधना और शम्या सजाना ।
- 6 घूताद्यनेकक्रोडाभीरञ्जनम्—जुआ इत्यादि से मनोरंजन करना ।
- 7 अनेकासनसन्धानैरतेज्जनिम्—कामशास्त्रीय आसनों आदि का ज्ञान ।
- 8 मकरन्दासपादीनां भद्रादीनां कृतिः—भिन्न-भिन्न भाँति के शराब बना सकना ।
- 9 शल्यगूढाहृतौ सिराद्वणव्यधे ज्ञानम्—शरीर में धूते हुए शल्य आदि शस्त्रों की सहायता से निकालना, जर्राही ।
- 10 हीनाद्विरससंयोगान्नादिसम्पाचनम्—नाना रसों का भोजन बनाना ।
- 11 वृक्षादिप्रसवारोपपालनादिकृतिः—पैड़-पौधों की देखभाल, रोपाई, सिचाई का ज्ञान ।
- 12 पापाणधात्वादिदृतिभस्मकरणम्—पत्थर और धातुओं का गलाना तथा भस्म बनाना :
- 13 यावदिक्षुविकारणां कृतिज्ञानम्—जल के रस से मिथ्री, चीनी आदि भिन्न-भिन्न चीजें बनाना ।
- 14 धात्वोदधीनां संश्रीगक्षिप्रज्ञानम्—धातु और औषधों के संयोग से रसायनों का बनाना ।
- 15 धातुसाङ्कृयंपार्थंक्यकरणम्—धातुओं के मिलाने और अलग करने की विद्या ।
- 16 धात्वादीनां संयोगापूर्वविज्ञानम्—धातुओं के नये संयोग बनाना ।
- 17 क्षारनिष्कासनज्ञानम्—खार बनाना ।
- 18 पदादिन्यासतः शास्त्रसन्धाननिक्षेपः—पैर ठीक करके धनुष चढ़ाना और बाण फेंकना ।
- 19 सन्ध्याधाताकृष्टिभेदैः मल्लयुद्धम्—तरह-तरह के दौव-पेंच के साथ कुशटी लड़ना ।
- 20 अभिलक्षिते देशे यन्त्राद्यस्त्रनिपातनम्—शस्त्रों को निशाने पर फेंचना ।

- 21 वाद्य संकेततो व्यूहरचनादि—बाजे के संकेत से सेना-व्यूह की रचना।
- 22 गजाश्वरथगत्या तु युद्धसंयोजनम्—हाथी, घोड़े या रथ से युद्ध करना।
- 23 विविधामनमुद्राभिः देवतातोपणम्—विभिन्न आसनों तथा मुद्राओं के द्वारा देवता को प्रसन्न करना।
- 24 सारथ्यम्—रथ हाँकना।
- 25 गजाश्वादेःगतिशिक्षा—हाथी-घोड़ों को चाल सिखाना।
- 26 मृत्तिकाकाष्ठपापाणधातुभाण्डादिसत्किया—मिट्टी, लकड़ी, पत्थर और धातु के वर्तन बनाना।
- 27 चित्राद्यालेखनम्—चित्र बनाना।
- 28 तटाकवापीप्रसादसमभूमिकिया—कुंआ, पोखरे खोदना तथा जमीन बराबर करना।
- 29 घट्याद्यनेकयन्त्राणा वाद्यानां कृति—वाद्य-यन्त्र तथा पनचककी जैसी मशीनों का बनाना।
- 30 हीनमध्यादिसंयोगवण्डिं रञ्जनम्—रंगों के भिन्न-भिन्न मिश्रणों से चित्र रेखा।
- 31 जलवाय्वग्निसंयोगनिरोधः क्रिया—जल, वायु, अग्नि को साथ मिलाकर और अलग-अलग रखकर कार्य करना, इन्हें बांधना।
- 32 नौकारथादियानानां कृतिज्ञानम्—नौका, रथ आदि सवारियों का बनाना।
- 33 सूत्रादिरञ्जुकरणविज्ञानम्—सूत और रस्सी बनाने का ज्ञान।
- 34 अनेकतन्तुसयोगैः पटवन्धः—सूत से कपड़ा बुनना।
- 35 रत्नानां वेष्ठादिसदसज्जानम्—रत्नों की परीक्षा, उन्हें काटना-छेदना आदि।
- 36 स्वर्णादीनान्तु याथार्थ्यविज्ञानम्—सोने के जाँचने का ज्ञान।
- 37 कृतिमस्वर्णरत्नादिक्रियाज्ञानम्—बनावटी सोना, रत्न आदि बनाना।
- 38 स्वर्णाद्यलंकारकृति—सोने आदि का गहना बनाना।
- 39 लेपादिसत्कृतिः—मुलम्मा देना, पानी चढ़ाना।
- 40 चर्मणा मार्दवादिक्रियाज्ञानम्—चमड़े को नर्म बनाना।
- 41 पशुचर्माङ्गनिर्हारज्ञानम्—पशु के शरीर से चमड़ा, मांस आदि को अलग कर सकना।
- 42 दुष्प्रदोहादिधृतान्तं विज्ञानम्—दूध दुहना और उससे धी निकालना।
- 43 कञ्चुकादीना सीवने विज्ञानम्—चोली आदि का सीना।
- 44 जले चाह्वादिभिस्तरणम्—हाथ की सहायता से तैरना।
- 45 गृहभाण्डादेमर्जिंने विज्ञानम्—घर तथा घर के वर्तनों को माफ करने में निपुणता।
- 46 वस्त्रसंमाजेनम्—कपड़ा साफ करना।

- 47 क्षुरकर्म —हजामत बनाना ।

48 तिलमासादिसनेहाना निष्कामने कृतिः—तिल और मांस आदि से तेल निकालना ।

49 सीराद्याकर्पणे ज्ञानम्—येत जोतना, निराना आदि ।

50 वृक्षाद्यारोहणे ज्ञानम्—वृक्ष पर चढ़ना ।

51 मनोनुकूलसेवायाः कृतिज्ञानम्—अनुकूल सेवा द्वारा दूसरों को प्रसन्न करना ।

52 वेणुतृष्णादिपात्राणां कृतिज्ञानम्—वाँस, नरकट आदि से बर्तन आदि का बना लेना ।

53 काचपात्रादिकरणविज्ञानम्—शोधी का बर्तन बनाना ।

54 जलानां संसेचनं सहरणम्—जल लाना और सीचना ।

55 लोहाभिसारणस्वास्थ्रकृतिज्ञानम्—धातुओं से हथियार बनाना ।

56 गजाश्वृपभोप्ट्राणा पत्याणादिक्रिया—हाथी, घोड़ा, बैल, ऊंट आदि का जीन, धारजामाओं का होदा बनाना ।

57 शिशोसंरक्षणे धारणे क्रीड़ने ज्ञानम्—बछों को पालना और सेलाना ।

58 अपराधिजनेमु युक्तताडनज्ञानम्—अपराधियों की हँग मे मरम्मत करना ।

59 नानादेशीयवर्णना सुसम्प्यग्नेत्रे ज्ञानम्—भिन्न-भिन्न देशीय लिखियों का लिखना ।

60 ताम्बूलरक्षादिकृतिविज्ञानम्—पाने के बीड़े बनाने की विधि ।

61 आदानम्—कलामर्जना ।

62 आशुकारित्वम्—शीघ्र काम कर सकना ।

63 प्रतिदानम्—कलाभों को सिखा सकना ।

64 चिरक्रिया—दैर-दैर से काम करना ।

Purchaser's Certificate of  
the Government of  
Schem (P) Scheme  
to voluntary Organiza-  
tions Working  
in the year 15/1983  
प्रबन्धकोश

[इनका अर्थ स्पष्ट है। जो विशेष हैं, उनकी व्याख्या पिछली मूर्चियों में है।]

- |           |             |
|-----------|-------------|
| 1 लिखितम् | 5 पठितम्    |
| 2 गणितम्  | 6 वाद्यम्   |
| 3 गीतम्   | 7 व्याकरणम् |
| 4 नृत्यम् | 8 छन्दः     |

- |                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| 9 ज्योतिषम्       | 41 विधि:           |
| 10 शिक्षा         | 42 विद्यानुवाद.    |
| 11 निस्कृतम्      | 43 दर्शनसंस्कारः   |
| 12 कात्यायनम्     | 44 सेचरीकला        |
| 13 निधण्टुः       | 45 भ्रामरीकला      |
| 14 पत्रच्छेद्यम्  | 46 इन्द्रजालम्     |
| 15 नवच्छेद्यम्    | 47 पाताससिद्धिः    |
| 16 रत्नपरोक्षा    | 48 धूतंशम्बलम्     |
| 17 आयुधाभ्यास.    | 49 गन्धवादः        |
| 18 गजारोहणम्      | 50 वृक्षचिकित्सा   |
| 19 तुरगारोहणम्    | 51 कृत्रिम मणिकर्म |
| 20 तप.शिक्षा      | 52 सर्वकरणी        |
| 21 मन्त्रवाद      | 53 वश्यकर्म        |
| 22 यन्त्रवादः     | 54 पणकर्म          |
| 33 रसवादः         | 55 सूचित्रकर्म     |
| 24 खन्यवाद        | 56 काष्ठयटनकर्मः   |
| 25 रसायनम्        | 57 पापाणकर्म       |
| 26 विज्ञानम्      | 58 लेपकर्म         |
| 27 तक्षवादः       | 59 चर्मकर्म        |
| 28 सिद्धान्तः     | 60 यन्त्रकरसवती    |
| 29 विषवादः        | 61 काव्यम्         |
| 30 गारुडम्        | 62 अलङ्कारः        |
| 31 शाकुनम्        | 63 हस्तिम्         |
| 32 वैद्यकम्       | 64 संस्कृतम्       |
| 33 आचार्य विद्या  | 65 प्राकृतम्       |
| 34 आगमः           | 66 पैशाचिकम्       |
| 35 प्रामादतक्षणम् | 67 अपभ्रंशम्       |
| 36 सामुद्रिकम्    | 68 कपटम्           |
| 37 स्मृतिः        | 69 देशभाषा         |
| 38 पुराणम्        | 70 धारुकर्म        |
| 39 इतिहास.        | 71 प्रयोगोपाय      |
| 40 वेदः           | 72 केवलिविधिः      |



